उत्तर प्रदेश 2018

उत्तर प्रदेश-2018

(वर्ष 2017-2018 के तथ्यों पर आधारित)

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ.प्र.
लखनऊ

उत्तर प्रदेश, 2018

ISBN	:	978-81-7678-301-9
प्रस्तुति एवं परिकल्पना	:	शिशिर निदेशक-सूचना
समन्वय सम्पादक	:	दिनेश कुमार गर्ग सहायक निदेशक-सूचना
सम्पादकीय मार्गदर्शन	:	डॉ. उज्ज्वल आई.ए.एस. (तत्कालीन निदेशक) श्री ज्ञानेश्वर त्रिपाठी (तत्कालीन अपर निदेशक) श्री श्रीनिवास त्रिपाठी, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी/ प्रभारी अपर निदेशक श्री टी.एस. राणा-संयुक्त निदेशक, श्री विनोद कुमार पाण्डेय-उप निदेशक, श्री हेमंत कुमार सिंह-उप निदेशक, श्री नवलकांत तिवारी-उप निदेशक, श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय-उप निदेशक, श्री दिनेश कुमार गर्ग-सहायक निदेशक, श्री ललित मोहन श्रीवास्तव-सहायक निदेशक, श्री प्रभात श्रीवास्तव-सहायक निदेशक, श्री चन्द्र विजय वर्मा- अति०जि० सूचना अधिकारी एवं सूचना ब्यूरो के समस्त अधिकारी।
विशेष सहयोग	:	श्री शिव राम सिंह- सहायक शोध अधिकारी श्रीमती वोल्गा तिवारी (आउटसोर्स) श्री अनिरुद्ध आनन्द देव शर्मा (आउटसोर्स) श्री अशोक कुमार यादव- लैब अटेण्डेण्ट
संस्करण	:	2018
मूल्य	:	रु. 325/-
प्रकाशक	:	भारत बुक सेन्टर 17, अशोक मार्ग, लखनऊ फोन : (0522) 2288381, (0522) 4041222
सर्वाधिकार	:	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
मुद्रक	:	ए पी पी प्रेस, लखनऊ

प्राक्कथन

संदर्भ ग्रन्थ 'वार्षिकी उत्तर प्रदेश' श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में वार्षिकी **'उत्तर प्रदेश–2018'** के हिन्दी संस्करण के प्रकाशन पर अत्यन्त प्रसन्नता एवं गर्व की अनुभूति हो रही है। यह संदर्भ ग्रन्थ उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है। बुद्धिजीवियों, प्रतियोगी छात्र छात्राओं, शोधकर्ताओं एवं प्रबुद्ध नागरिकों के लिए वार्षिकी अपनी संदर्भीय उपयोगिता तथा प्रासंगिकता सिद्ध कर चुकी है।

वार्षिकी में वित्तीय वर्ष 2017–2018 के प्रदेश सरकार के विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं तथा नीतियों की जानकारियों के अतिरिक्त प्रदेश की भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन आदि से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सामग्री का समावेश किया गया है। प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित प्रमाणिक आंकड़ों के साथ–साथ जनपदों की प्रमाणिक जानकारियों एवं राष्ट्रीय महत्त्व की संदर्भ सूचनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य व इन्द्रधनुषी साझी संस्कृति देश–विदेश में आकर्षण का केंद्र रही है।

'उत्तर प्रदेश–2018' के माध्यम से प्रदेश की गौरवपूर्ण विरासत से परिचित कराने का सार्थक प्रयास किया गया है, साथ ही बहुआयामी, बहुरंगी और विविधताओं वाले इस विराट प्रदेश को देखने और जानने की कोशिश की है। इस स्थायी महत्त्व के प्रकाशन के माध्यम से हम शासन और जनता के बीच सेतु की अपनी भूमिका को और अधिक अर्थवत्ता प्रदान करने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। इसमें प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, साहित्यकारों, संगीतज्ञों एवं कलाकारों, खिलाड़ियों, पद्म पुरस्कारों, परमवीर चक्र, अशोक चक्र एवं महावीर चक्र से सम्मानित विभूतियों के अतिरिक्त प्रदेश के पर्यटन एवं विकास सम्बन्धी चित्रों और ग्राफों के माध्यम से इसे और अधिक सारगर्भित एवं उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। इस अंक में उत्तर प्रदेश जिन क्षेत्रों में देश में अग्रणी है, उसका भी विवरण प्रस्तुत किया गया है।

अपर मुख्य सचिव, सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी के हम हृदय से आभारी हैं जिनके कुशल मार्गदर्शन से इस महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रन्थ का प्रकाशन सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सका।

मुझे पूरा विश्वास है कि वार्षिकी **'उत्तर प्रदेश–2018'** शोधकर्ताओं, प्रतियोगी छात्र छात्राओं, पत्रकारों एवं विषय विशेषज्ञों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके सम्पादन एवं प्रकाशन कार्य में सम्पादक एवं सम्पादक मण्डल द्वारा पर्याप्त सजगता एवं सावधानी बरतने का हर सम्भव प्रयास किया गया है। फिर भी यदि कहीं कोई कमी रह गई हो तो सुधी पाठकों के सहयोग से उसे भविष्य में परिपूर्ण बनाने का प्रयास किया जायेगा। आशा है कि पुस्तक की विषय वस्तु एवं इसमें संग्रहीत सूचनाएं ज्ञानवर्धक होंगी।

(शिशिर)
सूचना निदेशक

आभार

सन्दर्भ ग्रन्थ वार्षिकी उ0प्र0–2018 का सम्पादन एक वृहद, जटिल, श्रमसाध्य एवं पूर्णकालिक कार्य है, जिसका प्रारंभ नये वित्तीय वर्ष के साथ हो जाता है। जुलाई 2018 में बजट सामग्री उपलब्ध होने के बाद उसका अनुशीलन एवं सम्पादन विभाग के अपर निदेशक सूचना डॉ0 ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, उपनिदेशक श्री विनोद कुमार पाण्डेय एवं श्री हेमंत कुमार सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ है। संक्षिप्तीकरण/संपादन कार्य में विभागीय दृष्टिकोण के अनुसार वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रद्युम्न तिवारी (पूर्व राज्य ब्यूरो प्रमुख, अमर उजाला), श्री रतिभान त्रिपाठी राज्य ब्यूरो चीफ, देश बन्धु, श्री सुरेन्द अग्निहोत्री ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर एवं डॉ. सुधीर कुमार निगम सेवानिवृत्त अर्थ एवं संख्या अधिकारी ने श्रमसाध्य सहयोग करते हुए इस महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रन्थ के रूपायन में अपना अमूल्य योगदान किया है।

इस पुस्तक के प्रकाशन में सम्पादकीय सहयोग देने के लिए सम्पादक मण्डल के सदस्य एवं सामग्री संकलन में सहयोग के लिए सूचना ब्यूरो के अधिकारियों की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही है और उपनिदेशक/प्रभारी सूचना ब्यूरो श्री के.एल. चौधरी के मार्गदर्शन में सहयोग देने वाले सूचना ब्यूरो के समस्त अधिकारीगण प्रकाशन की सफलता में भागीदार हैं। इसके अलावा संदर्भ शाखा के मेरे समस्त सहयोगियों ने भी मुझे भरपूर सहयोग किया है। इसके लिए मैं सभी महानुभावों का हृदय से आभारी हूँ।

(दिनेश कुमार गर्ग)
सहायक निदेशक/संपादक वार्षिकी उ0प्र0

प्रकाशकीय

यह हमारे लिए प्रसन्नता एवं गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के महत्त्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित प्रकाशन वार्षिकी **"उत्तर प्रदेश- 2018"** को प्रकाशित करने का अवसर हमें पन्द्रहवीं बार दिया गया। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग का यह सन्दर्भ ग्रन्थ, सन्दर्भीय उपयोगिता की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रकाशन हो गया है। हम सूचना निदेशक श्री शिशिर के हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने भी इस प्रतिष्ठित पुस्तक को प्रकाशित करने के लिये हमें उपयुक्त पात्र समझा।

इस संदर्भ ग्रन्थ के प्रकाशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का जो अवसर उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें दिया है, हम उसके लिए सरकार के पुनः हृदय से आभारी हैं। उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित इस महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रन्थ के प्रकाशन में मुद्रण एवं प्रूफ सम्बन्धी त्रुटियाँ न रहने पायें इसके लिए विशेष प्रयास किया गया है। सन्दर्भ ग्रन्थ के प्रकाशन में तमाम सावधानियों के बावजूद मुद्रण एवं प्रूफ सम्बन्धी त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है, अतः उन्हें बहुत महत्त्व न देकर संदर्भ ग्रन्थ की विषयवस्तु, उसका उद्देश्य, उसकी उपयोगिता एवं उसके संयोजन को महत्त्व देना ही समीचीन होगा।

वीरेन्द्र बाहरी
प्रकाशक

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश बजट– 2018-2019		(ix-xx)
उत्तर प्रदेश : एक नजर में		(xxi-xxii)
जिलों का क्षेत्रफल : जनसंख्या और मुख्यालय		(xxiii-xxiv)
☐	**प्रथम खण्ड : सामान्य**	
1.	उत्तर प्रदेश परिचय (भौगोलिक, प्राकृतिक एवं जनगणना)	1-8
2.	इतिहास	9-50
3.	संवैधानिक प्रणाली	51-56
4.	उ0प्र0 नवनिर्मित दर्शनीय स्थल एवं विभूतियाँ	57-98
5.	प्रदेश के जनपदवार दर्शनीय स्थल	99-116
6.	हिन्दी साहित्य और उर्दू अदब	117-127
7.	हिन्दी और उर्दू पत्रकारिता	128-150
8.	सांस्कृतिक विरासत	151-177
9.	उत्तर प्रदेश और सिनेमा	178-183
10.	दर्शनीय स्थल एवं मेले	184-204
11.	अर्थ व्यवस्था/आर्थिक समीक्षा	205-248
12.	सामाजिक स्थिति	249-256
☐	**द्वितीय खण्ड : वित्त एवं नियोजन**	
13.	नियोजन	257-265
14.	वित्त	266-295
☐	**तृतीय खण्ड : कराधान**	
15.	राजस्व	296-309
16.	आबकारी	310-319
17.	संस्थागत वित्त	320-323
18.	वाणिज्य कर/मनोरंजन कर	324-326
19.	स्टाम्प एवं निबन्धन	327-331
☐	**चतुर्थ खण्ड : कृषि एवं ग्राम्य विकास**	
20.	कृषि	332-346
21.	ग्राम्य विकास	347-363
22.	पंचायती राज	364-365
23.	सिंचाई एवं जल संसाधन	366-377
24.	पशुधन	378-388
25.	दुग्ध विकास	389-394
26.	मत्स्य विकास	395-400
27.	सहकारिता	401-407
28.	वन एवं वन्य जीव	408-416
29.	लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल	417-424

30. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण 425-442
31. परती भूमि विकास 443-447
32. ग्रामीण अभियंत्रण 448-450
□ **पंचम खण्ड : सार्वजनिक सेवाएँ**
33. बेसिक शिक्षा 451-460
34. माध्यमिक शिक्षा 461-466
35. उच्च शिक्षा 467-472
36. प्राविधिक शिक्षा 473-480
37. चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण 481-491
38. व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास 492-501
39. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 502-511
40. आयुष 512-517
41. परिवार कल्याण 518-529
42. नगर विकास 530-535
43. नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 536-539
44. जल सम्पूर्ति 540-551
45. आवास एवं शहरी नियोजन 552-563
46. खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप 564-576
47. उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम 577-578
□ **षष्ट खण्ड : लोक कल्याण**
48. समाज कल्याण 579-596
49. अनुसूचित जनजाति कल्याण 597-605
50. महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार 606-620
51. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़ 621-633
52. पिछड़ा वर्ग कल्याण 634-642
53. दिव्यांगजन सशक्तिकरण 643-654
54. सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास 655-658
55. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण एवं राजनीतिक पेंशन 659-660
56. श्रमिक कल्याण एवं सेवायोजन 661-676
57. खेल 677-684
58. प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण 685-687
□ **सप्तम खण्ड : अवस्थापना विकास**
59. लोक निर्माण 688-395
60. राज्य सम्पत्ति 696-699
61. ऊर्जा 700-709
62. अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत 710-719
63. राज्य सड़क परिवहन 720-729
64. नागरिक उड्डयन 730-732

□ **अष्टम खण्ड : औद्योगिक विकास**

65. औद्योगिक विकास 733-741
66. लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन 742-755
67. सार्वजनिक उद्यम 756-757
68. भूतत्व एवं खनिकर्म 758-760
69. हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग 761-768
70. खादी एवं ग्रामोद्योग 769-775
71. रेशम विकास 776-780
72. मुद्रण एवं लेखन सामग्री 781-783
73. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग 784-788
74. पर्यटन 789-797
75. पर्यावरण 798-801
76. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 802-808
77. सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स 809-830
78. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 831-837

□ **नवम खण्ड : लोक प्रशासन**

79. कानून एवं व्यवस्था 838-843
80. कारागार प्रशासन एवं सुधार 844-850
81. न्याय प्रशासन 851-852
82. लोक आयुक्त 853-855
83. लोक सेवा प्रबन्धन 856
84. सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार 857-862
85. होमगार्ड्स 863-864
86. सचिवालय प्रशासन 865-867
87. नियुक्ति एवं कार्मिक 868
88 अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ 869-870
89. विधायी विभाग 871

□ **दशम खण्ड : विविध**

90. संस्कृति 872-886
91. राष्ट्रीय एकीकरण 887-889
92. भाषा 890-899
93. सूचना एवं प्रचार 900-919
94. उ.प्र. नागरिक सुरक्षा संगठन 920-921
95. धमार्थ कार्य 922-923
96. भारत सरकार के संस्थान, संगठन एवं कार्यालय 924

□ **एकादश खण्ड : जनपद एक नजर में**

97 उत्तर प्रदेश के जनपद : एक नजर में 925-959

□ **द्वादश खण्ड : परिशिष्ट**

98. भारत के राष्ट्रपति 960
99. भारत के उपराष्ट्रपति 961

100.	भारत के प्रधानमंत्री	962
101.	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	963
102.	उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री	964-965
103.	उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष	966
104.	उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति	967
105.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	968-969
106.	उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य	970
107.	उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय	971-973
108.	उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त	984
109.	उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव	975-976
110.	भारत के मुख्य न्यायाधीश	977-978
111.	भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त	979
112.	संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष	980
113.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश	981
114.	राज्य निर्वाचन आयुक्त	982
115.	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त	982
116.	उ.प्र. के समस्त निगम/आयोगों के अध्यक्ष	983-984
117.	कमाण्डर इन चीफ (थल सेना, नौ सेना, वायु सेना)	985-987
118.	केन्द्रीय मंत्रिमण्डल	988-989
119.	उत्तर प्रदेश से 16वीं लोक सभा के सदस्य	990
120.	उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य	991
121.	उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल	992-993
122.	उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य	994-999
123.	उत्तर प्रदेश से विधान परिषद के सदस्य	1000-1001
124.	भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति	1002-1003
125.	नोबेल पुरस्कार विजेता (भारतीय)	1004-1005
126.	प्रमुख राष्ट्रीय पर्व एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस	1006
127.	उ.प्र. विधानसभा की स्थायी समितियाँ	1007
128	उ.प्र. सरकार द्वारा वर्ष 2017 में सम्मानित हिन्दी साहित्यकार एवं विद्वान	1008
129.	ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत उत्तर प्रदेश के रचनाकार	1009
130.	यशभारती सम्मान	1009-1016
131.	उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित वेबसाइट्स	1017-1018

उत्तर प्रदेश बजट

आय–व्ययक 2018–2019

निम्नलिखित विवरण-पत्र में आय-व्ययक अनुमान 2018-2019 की स्थिति का सारांश दिया गया है

(रु. करोड़ में)

मद	आय-व्ययक अनुमान 2017-18	पुनरीक्षित अनुमान 2017-18	आय-व्ययक अनुमान 2018-19
1	2	3	4
प्रारम्भिक शेष	1204.55	*1204.55	669.29
1–समेकित निधि			
(1) प्राप्तियाँ			
(क) राजस्व लेखे की प्राप्तियाँ-	319397.43	305028.87	348619.37
(ख) पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ-			
(i) ऋणों से प्राप्तियाँ	57509.26	54852.72	**67115.00**
(ii) ऋणों और अग्रिमों की वसूलियाँ	284.19	284.19	5165.09
योग-(ख)- पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ	57793.45	55136.91	72280.09
योग-(1)- प्राप्तियाँ	377190.88	360165.78	420899.46
(2) व्यय-			
(क) राजस्व लेखे का व्यय-	307118.63	286513.57	321520.27
(ख) पूँजी लेखे का व्यय-			
(i) पूँजीगत परिव्यय	53257.60	57343.92	74243.61
(ii) ऋणों का प्रतिदान	22010.23	22014.32	30546.74
(iii) ऋण और अग्रिम	2273.25	2529.23	2073.90
योग-(ख)- पूँजी लेखे का व्यय	77541.08	81887.47	106864.25
योग-(2)- व्यय	384659.71	368401.04	428384.52
समेकित निधि में घाटा(-)/बचत(+)	(-) 7468.83	(-) 8235.26	(-) 7485.06
2- आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	0.00	100.00	0.00
3- लोक लेखा (शुद्ध)	7600.00	7600.00	8100.00
समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम	131.17	(-) 535.26	614.94
अन्तिम शेष	1335.72	669.29	1284.23

* भारतीय रिजर्व बैंक में राज्य के खाते के अनुसार।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट के मुख्य बिन्दु

- प्रस्तुत बजट का आकार 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये (4,28,384.52 करोड़ रुपये) है, जो वर्ष 2017-18 के बजट के सापेक्ष 11.4 प्रतिशत अधिक।
- बजट में 14 हजार 341 करोड़ 89 लाख रुपये (14,341.89 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित।

कृषि एवं संबद्ध सेवाएं

- वर्ष 2018-19 में खाद्य उत्पादन का लक्ष्य 581 लाख 60 हजार मीट्रिक टन तथा तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 11 लाख 28 हजार मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खेत-तालाब योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 05 हजार तालाबों के निर्माण का लक्ष्य है। सोलर फोटो वोल्टाइक इरीगेशन पम्पों की स्थापना के लिए 131 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ''**स्प्रिंकलर सिंचाई योजना**'' के अन्तर्गत किसानों को सब्सिडी हेतु 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शरदकालीन गन्ना बुवाई हेतु 01 लाख 65 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। 80 लाख कुन्तल उन्नतिशील गन्ना बीज गन्ना कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

- प्रदेश में मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 लागू की गयी है। मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन के क्रियान्वयन हेतु 42 करोड़ 49 लाख रुपये की व्यवस्था।

सहकारिता

- उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण की योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 31 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु सब्सिडी योजना के तहत 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

पशुपालन

- **पं. दीन दयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना** के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- विकास खण्डों में पं. दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले के आयोजन हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- प्रदेश में 770 सचल पशु चिकित्सालय संचालित किये जा रहे हैं जिससे पशु आरोग्य व नस्ल सुधार अपेक्षित है। इसके लिए 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

दुग्ध विकास

- डेयरी विकास फण्ड की स्थापना के लिये 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

- दुग्ध मूल्य भुगतान डी.बी.टी. प्रक्रिया के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में भुगतान की प्रक्रिया आरम्भ।
- देशी नस्ल की गायों के माध्यम से सर्वाधिक गौ दुग्ध उत्पादन करने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने हेतु नई **''नन्द बाबा पुरस्कार योजना''** हेतु 52 लाख का प्रावधान, साथ ही **''गोकुल पुरस्कार''** हेतु 54 लाख रुपये की व्यवस्था।

मत्स्य

- मछुआरों के कल्याण के लिये मत्स्य पालक कल्याण फण्ड की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेंट फार फिशरीज योजना** के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित।

ग्राम्य विकास

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** हेतु वर्ष 2018-19 के बजट में 11 हजार 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** के अन्तर्गत लगभग 01 हजार 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन** हेतु 214 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- वर्ष 2018-19 में **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम** हेतु 01 हजार 500 करोड़ रुपये और **राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम** के लिये 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **मुख्यमंत्री आवास योजना** हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

पंचायती राज

- **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना** के लिये वर्ष 2018-19 में 5,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना** में उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिये 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- ग्रामीण क्षेत्रों में श्मशान एवं अन्य सभी मत, पंथ एवं मजहब के स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

लघु सिंचाई

- **नि:शुल्क बोरिंग योजना** के लिये 36 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

औद्योगिक विकास

- औद्योगिक निवेश नीति-2012 के लिये 600 करोड़ रुपये तथा नई औद्योगिक नीति हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

- **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना** के प्रारम्भिक कार्य हेतु वर्ष 2018-19 के बजट में 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना** के प्रारम्भिक कार्यों हेतु बजट में 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था। **पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे** के निर्माण हेतु 01 हजार करोड़ रुपये तथा **आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे** के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

- **एक जनपद एक उत्पाद योजना** को क्रियान्वित किये जाने हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना** हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

- **उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स एण्ड गारमेंटिंग नीति-2017** हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर बिजली देने के लिये 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

खादी एवं ग्रामोद्योग

- खादी एवं ग्रामोद्योग विकास तथा सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के क्रियान्वयन के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना** के क्रियान्वयन के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **पं. दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना** के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स

- समस्त शासकीय कार्यालयों में **ई-ऑफिस** व्यवस्था लागू करने हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **स्टार्ट-अप फण्ड** की स्थापना के लिये 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- पी.पी.पी. मोड पर 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किये जाने का निर्णय।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नये आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य।
- प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लिये 291 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

चिकित्सा शिक्षा

- **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना** के फेज-3 के अन्तर्गत 04 मेडिकल कॉलेजों यथा- झाँसी, गोरखपुर, इलाहाबाद तथा मेरठ में उच्चीकृत सुपर स्पेशियलिटी विभाग बनाये जा रहे हैं तथा 02 मेडिकल कॉलेजों कानपुर एवं आगरा में सुपर स्पेशियलिटी विभाग बनाये जाने हेतु कुल 126

करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

- एस.जी.पी.जी.आई. में **रोबोटिक सर्जरी** को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित।
- के.जी.एम.यू. में **आर्गन ट्रान्सप्लान्ट यूनिट** स्थापित किये जाने का लक्ष्य।
- **डॉ. राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नवीन कैम्पस** में 500 शैय्यायुक्त सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग कालेज का निर्माण कराया जायेगा।
- प्रदेश के पाँच जनपदों के जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज के रूप में पूर्ण करने के लिये 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोयडा में शैक्षणिक सत्र 2018-19 में एम.बी.बी.एस. की 100 सीटों पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा।
- राजकीय मेडिकल कालेज कानपुर, गोरखपुर, आगरा और इलाहाबाद में बर्न यूनिट की स्थापना के लिये 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की स्थापना के लिये 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

वन एवं पर्यावरण

- **जन एवं वनवासी केन्द्रित राज्य वन नीति-2017** का प्रख्यापन।
- **सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री योजना** हेतु 20 करोड़ रुपये तथा कुकरैल वन क्षेत्र में पर्यटन एवं जैव विविधता केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित।

राजस्व

- प्रदेश में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 42 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **आम आदमी बीमा योजना** हेतु 10 करोड़ रुपये **''प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना''** हेतु 130 करोड़ 60 लाख रुपये तथा **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना** के लिये 4 करोड़ 75 लाख रुपये की व्यवस्था।
- प्रदेश में आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण हेतु **आपदा मोचन निधि** में 777 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

खाद्य तथा रसद

- रबी खरीद वर्ष 2018-19 में 50 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद का कार्यकारी लक्ष्य।
- गेहूँ क्रय करने हेतु कुल 05 हजार 500 क्रय केन्द्र खोले जायेंगे।

सड़क एवं सेतु

- प्रदेश में सड़कों के निर्माण कार्यों हेतु 11 हजार 343 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- पुलों के निर्माण के लिये 1 हजार 817 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

- मार्गों के नवीनीकरण, अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य के लिए 3 हजार 324 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- ''**आर.आई.डी.एफ.**'' योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के नव निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा सेतुओं के निर्माण हेतु 920 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल की विशेष परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ रुपये तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- सड़कों के अनुरक्षण हेतु राज्य सड़क निधि में 1 हजार 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- ''**केन्द्रीय मार्ग निधि योजना**'' के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु 2 हजार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- जिला मुख्यालयों को फोर लेन सड़कों से जोड़े जाने हेतु 1 हजार 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- शहरों के बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- ग्रामीण अंचलों में नदियों एवं बड़े नालों पर पुलों के निर्माण हेतु 1 हजार 467 करोड़ रुपये तथा रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- ग्राम्य विकास विभाग के बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 2018-2019 में 2 हजार 873 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

सिंचाई

- सरयू नहर परियोजना हेतु 1 हजार 614 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 741 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1 हजार 701 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- कनहर सिंचाई परियोजना हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- बाण सागर परियोजना हेतु 127 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- बाढ़ एवं जल प्लावन से बचाव हेतु तटबंध निर्माण, कटाव निरोधक कार्य एवं जल निकासी की विभिन्न परियोजनाओं हेतु 1004 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

बिजली

- भारत सरकार की **सौभाग्य योजना** प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत लगभग डेढ़ करोड़ परिवारों को मार्च, 2019 तक विद्युत संयोजन दिये जाने का लक्ष्य।
- ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं हेतु वर्ष 2018-2019 में 29 हजार 883 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

अतिरिक्त ऊर्जा

- ''**सौर ऊर्जा नीति-2017**'' में निजी सहभागिता से 2022 तक कुल 10 हजार 700 मेगावाट

क्षमता की सौर विद्युत परियोजनायें स्थापित करने का लक्ष्य।

- निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पॉवर प्लाण्ट स्थापना हेतु अनुदान योजना के लिये 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **पं. दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना** हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

- दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कारिडोर **रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना** हेतु 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- लखनऊ सहित प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के नए कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन

- कुम्भ मेला 2019 हेतु बजट में 1 हजार 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण** द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं हेतु राज्यांश के रूप में बजट में 240 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन** योजना हेतु वर्ष 2018-2019 में 2 हजार 217 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, अलीगढ़, झाँसी, मुरादाबाद, बरेली तथा सहारनपुर हेतु **स्मार्ट सिटी मिशन योजना** के अन्तर्गत 1 हजार 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **स्वच्छ भारत मिशन** हेतु 1 हजार एक सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **अमृत योजना** के लिए 2 हजार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- प्रत्येक जनपद में एक नगर पंचायत को विकसित किये जाने के उद्देश्य से **पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना** के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **कान्हा गौ-शाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना** हेतु बजट में 98 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था।
- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में ''**मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना**'' के अन्तर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु 426 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

नियोजन

- **बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम** के लिए लगभग 57 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु **त्वरित आर्थिक विकास योजना** के अन्तर्गत 1 हजार एक सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

बेसिक शिक्षा

- ''**सर्व शिक्षा अभियान**'' के अन्तर्गत 18 हजार 167 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- कक्षा-1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं यूनीफॉर्म हेतु बजट में क्रमशः 76 करोड़ रुपये एवं 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **मध्याह्न भोजन योजना** हेतु 2 हजार 48 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था। इसके अतिरिक्त छात्र तथा छात्राओं को फल वितरित किये जाने हेतु 167 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर, पेयजल, बिजली, चहारदीवारी का निर्माण किये जाने हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

माध्यमिक शिक्षा

- प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु ''**माध्यमिक शिक्षा अभियान**'' हेतु 480 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- पं. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालयों के संचालन हेतु 26 करोड़ रुपये की धनराशि व्यवस्था प्रस्तावित।

उच्च शिक्षा

- **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान** हेतु 167 करोड़ रुपये एवं मॉडल महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 37 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना** हेतु 21 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा पूर्व से निर्माणाधीन महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को पूर्ण किये जाने हेतु 106 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा

- **रूसा योजना** के अन्तर्गत जनपद गोण्डा एवं बस्ती में 2 इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए 14 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- जनपद कन्नौज, सोनभद्र तथा मैनपुरी में इंजीनियरिंग कॉलेजों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में लगभग 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- राज्य के संसाधनों से मिर्जापुर तथा प्रतापगढ़ में नये इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माणाधीन हैं, जिसके लिये 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

महिला एवं बाल कल्याण

- महिला एवं बाल कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु लगभग 8 हजार 815 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना 'सबला'** हेतु लगभग 351 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं में पोषाहार हेतु 3 हजार 780 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **शबरी संकल्प योजना** हेतु 524 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **निराश्रित महिला पेंशन योजना** के अन्तर्गत निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान हेतु 1 हजार 263 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

समाज कल्याण

- सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं विकास की योजनाओं के लिए लगभग 7 हजार 858 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु **मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना** के लिये 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु क्रमशः 121 करोड़ रुपये व 82 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना** हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित स्वरोजगार योजनाओं हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों के पात्र वृद्धजनों को **वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना** के अन्तर्गत 2 हजार 560 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- अनुसूचित जाति के युवाओं हेतु राजकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन के लिये 66 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

- पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनाओं हेतु 1 हजार 705 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिये **शुल्क प्रतिपूर्ति योजना** के अन्तर्गत 551 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

अल्पसंख्यक कल्याण

- प्रदेश में अल्पसंख्यकों के विकास एवं कल्याण की योजनाओं के लिए 2 हजार 757 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना** हेतु 404 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- अरबिया पाठशालाओं को अनुदान हेतु लगभग 486 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- स्थायी मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के 246 अरबी-फारसी मदरसों को अनुदान हेतु 215 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

दिव्यांगजन कल्याण

- **दिव्यांग पेंशन योजना** के अन्तर्गत 575 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरण योजना** के अन्तर्गत 33 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **कुष्ठावस्था भरण-पोषण (पेंशन) योजना** के अंतर्गत 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- दिव्यांगजन को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

खेल

- **एकलव्य क्रीड़ा कोष** की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- विभिन्न स्पोर्ट्स कालेजों तथा स्टेडियमों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग 74 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रेरित करने हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार हेतु 3 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

कारागार

- प्रदेश के कारागारों में सोलर एनर्जी आधारित पावर प्लाण्ट तथा समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

न्याय

- युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए पुस्तक एवं पत्रिकाएं खरीदने हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

धर्मार्थ कार्य

- कैलाश मानसरोवर भवन, गाजियाबाद के निर्माण के लिये 94 करोड़ 26 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

पर्यटन

- उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- ब्रज परिक्षेत्र में तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए **ब्रज तीर्थ विकास परिषद** की स्थापना की गयी है तथा वहाँ पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न महोत्सवों एवं आयोजनों हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

संस्कृति

- गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु 29 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित।

सचिवालय प्रशासन

- विधान भवन एवं सचिवालय की आंतरिक सुरक्षा हेतु 13 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 71 हजार 500 करोड़ रुपये निर्धारित।

आबकारी शुल्क

- आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 23 हजार करोड़ रुपये निर्धारित।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

- स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 18 हजार करोड़ रुपये निर्धारित।

वाहन कर

- वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 7 हजार 400 करोड़ रुपये निर्धारित।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट अनुमान

प्राप्तियाँ

- वर्ष 2018-2019 में 4 लाख 20 हजार 899 करोड़ 46 लाख रुपये (4,20,899.46 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित।
- कुल प्राप्तियों में 3 लाख 48 हजार 619 करोड़ 37 लाख रुपये (3,48,619.37 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 72 हजार 280 करोड़ 09 लाख रुपये (72,280.09 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित।
- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 2 लाख 56 हजार 248 करोड़ 40 लाख रुपये (2,56,248.40 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 1 लाख 22 हजार 700 करोड़ रुपये (1,22,700 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 1 लाख 33 हजार 548 करोड़ 40 लाख रुपये (1,33,548.40 करोड़ रुपये) सम्मिलित।

व्यय

- कुल व्यय 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये (4,28,384.52 करोड़ रुपये) अनुमानित।
- कुल व्यय में 3 लाख 21 हजार 520 करोड़ 27 लाख रुपये (3,21,520.27 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 1 लाख 06 हजार 864 करोड़ 25 लाख रुपये (1,06,864.25 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय।

राजस्व बचत

- वर्ष 2018-2019 में 27 हजार 99 करोड़ 10 लाख रुपये (27,099.10 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित।

राजकोषीय घाटा

- वित्तीय वर्ष 2018-2019 में 44 हजार 53 करोड़ 32 लाख रुपये (44,053.32 करोड़ रुपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो वर्ष 2018-2019 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत है।
- राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.8 प्रतिशत अनुमानित।

समेकित निधि

- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 7 हजार 485 करोड़ 06 लाख रुपये (7,485.06 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित।

लोक लेखा

- लोक लेखे से 8 हजार 100 करोड़ रुपये (8,100 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

- वर्ष 2018-2019 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 614 करोड़ 94 लाख रुपये (614.94 करोड़ रुपये) अनुमानित।

अन्तिम शेष

- वर्ष 2018-2019 में प्रारम्भिक शेष 669 करोड़ 29 लाख रुपये (669.29 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुए अन्तिम शेष 1 हजार 284 करोड़ 23 लाख रुपये (1,284.23 करोड़ रुपये) होना अनुमानित।

●

उत्तर प्रदेश : एक नजर में

भौगोलिक विशेषताएँ

क्षेत्रफल	- 2,40,928 वर्ग किमी.
प्रमुख नदियाँ	- गंगा, यमुना, रामगंगा, राप्ती (अचिरावती), गोमती, घाघरा (सरयू), बेतवा और केन
राजधानी	- लखनऊ
सीमावर्ती प्रदेश/देश	- उत्तराखण्ड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, बिहार और नेपाल

मौसम

ग्रीष्म	वर्षा	शीत
मार्च से जून तक	मध्य जून से सितम्बर तक	अक्टूबर से फरवरी तक

प्रमुख फसलें- धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूँग, अरहर, चना, गन्ना आदि।

प्रमुख फल- आम, अमरूद।

प्रमुख खनिज- चूना, पत्थर, डोलोमाइट, सिलिका सैन्ड, पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, बाक्साइट तथा राक फास्फेट

प्रमुख उद्योग- सीमेन्ट, वनस्पति तेल, सूती कपड़ा, सूती धागा, चूड़ी व काँच उद्योग, चीनी, जूट एवं कालीन।

प्रमुख हस्तशिल्प- चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क तथा पीतल का काम।

प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल- पिपरहवा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ (वाराणसी), कुशीनगर, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, झाँसी, मेरठ आदि।

प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थल- काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य, शक्तिपीठ विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर, देवीपाटन, देवाशरीफ, हस्तिनापुर, चित्रकूट, शाहजहाँपुर- "हनुमतधाम" आदि।

प्रमुख लोकगीत- बिरहा, चैती, कजरी, फाग, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, भर्तृहरि।

प्रमुख लोकनृत्य- चरकुला, करमा, पंडव, पाईडण्डा, थारू, धोबिया, राई और शैरा आदि।

जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)

सकल जनसंख्या	-	199,812,341
जनसंख्या का घनत्व	-	829 प्रति वर्ग किमी.
महिलाएँ	-	95,331,831
पुरुष	-	104,480,510
स्त्री-पुरुष अनुपात	-	912:1000
ग्रामीण	-	15.53 करोड़
नगरीय	-	4.45 करोड़
दशकीय वृद्धि	-	20.23 प्रतिशत

*प्रशासनिक इकाइयाँ

मण्डल	(2016-17)	18
जनपद	-	75
तहसील	-	350
नगर एवं नगर समूह	-	915
सामुदायिक विकास खण्ड	-	851

वर्तमान में 821 विकासखंड संचालित हैं तथा 30 विकास खंड नये घोषित किये गये हैं।

न्याय पंचायतें	-	8,135
ग्राम पंचायत	-	59,019
आबाद ग्राम	-	97,814
कुल ग्राम	-	106,774
नगर पंचायत	-	438
नगर निगम	-	17
नगर पालिका परिषद	-	198

साक्षरता

सकल	67.7%
पुरुष	77.3%
स्त्री	57.2%
ग्रामीण	65.5%
नगरीय	75.1%

कर्मकर (कुल जनसंख्या का प्रतिशत)

कुल मुख्य कर्मकर	22.34%
कृषक	7.80%
घरेलू उद्योग में लगे कर्मकर	1.21%

राज्य आय (2016-17)

कुल आय [प्रचलित भावों पर] - 1091946 करोड़ रुपये।

प्रति व्यक्ति आय [प्रचलित भावों पर] - 50203 रुपये।

औद्योगिक स्रोतानुसार राज्य आय का प्रतिशत अंश [2011-12 के भावों पर]

प्राथमिक खण्ड	2016-17	25.4%
माध्यमिक खण्ड	2016-17	24.5%
तृतीयक खण्ड	2016-17	50.1%

वानिकी

वनों के प्रकार : तराई के नम क्षेत्र वाले वन, विन्ध्य के शुष्क जलवायु के वन, बीहड़ व भाभर वन सामाजिक तथा पंचायती वन

वन्य जीव विहार	24
राष्ट्रीय उद्यान	1
प्राणि उद्यान	2
कुल वृक्षावरण एवं वनावरण	21833 वर्ग किमी.

प्रमुख वन्य जीव : बाघ, जंगली हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन, सुइस (डाल्फिन), घड़ियाल, अजगर एवं 650 प्रजातियों के पक्षी।

कृषि

शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (2015-16)	16,598*	हजार हेक्टेयर
कुल बोया गया क्षेत्रफल "	26,147*	हजार हेक्टेयर

उत्पादन (हजार मी0 टन)

खाद्यान्न	(2015-16)	43,948
दालें	"	1,112
तिलहन	"	847
गन्ना	"	1,45,385
आलू	"	14,113

(अनुमानित आंकड़े कृषि वर्ष 2015-16)

सिंचाई (2015-16)

शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	14,389	हजार हेक्टेयर
सकल सिंचित क्षेत्रफल	20,965	हजार हेक्टेयर
कुल सृजित सिंचन क्षमता (2015-16)	36,700	हजार हेक्टेयर
सिंचन क्षमता कुल उपयोग (2015-16)	24,693	हजार हेक्टेयर

विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण

(क) नहर (2015-16)	17.2%
(ख) नलकूप	70.8%
(ग) तालाब, झील, पोखर तथा कुँआ (अनुमानित)	1.3%
(घ) अन्य	0.5%

अनुमानित उपलब्ध

परिवहन एवं संचार

कुल पक्की सड़कें	(2016-2017)	294 हजार किमी.
लोक निर्माण विभाग द्वारा संधृत पक्की सड़कें	(2016-17)	234 हजार किमी0
कुल पंजीकृत मोटर गाड़ियाँ		26,265 हजार
राजकीय बसें	2016-17	12,083
कार्यरत टेलीफोन	2016-17	619 हजार
डाकघर	2016-17	17.67 हजार
दूरदर्शन केन्द्र		3
आकाशवाणी केन्द्र		13

शिक्षा (2016-17)

प्राथमिक विद्यालय	1,67,049
उच्च प्राथमिक विद्यालय	77,284
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	25,896
महाविद्यालय	5,166
विश्वविद्यालय	45
पालीटेक्निक	145
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	311
राजकीय इंजीनियरिंग कालेज	13
निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेज	222
मेडिकल कालेज	17
कृषि विश्वविद्यालय	3

*नर्सिंग/फार्मेसी/आयुर्वेदिक/होम्यो/यूनानी कालेज सम्मिलित नहीं हैं।

सहकारिता (2016-17)

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ	7,479
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	50
उ. प्र. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक (शाखाएँ)	323

संयुक्त स्कन्ध कम्पनियाँ तथा बैंकिंग

संयुक्त स्कन्ध कम्पनी (2016-17)

(क) कार्यरत कम्पनी कुल	60,190
(ख) अनुसूचित व्यावसायिक बैंक शाखाएँ	16,576

उद्योग (2016-17)

पंजीकृत लघु एवं भारी उद्योग	401264
कुल निवेश	-
रोजगार सृजन (हजार मानव दिवस)	-
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2016-17)	130.4 प्रतिशत
इच्छा पत्र की संख्या (2016-17)	7728

विद्युत (2016-17)

अधिष्ठापित क्षमता	7,159 मेगावाट
उत्पादन	3,017 करोड़ कि.वा./घंटा
प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग	360 कि.वा./घंटा
पूर्णरूपेण विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या (2016-17)	97,804
राजस्व वसूली दक्षता	90%

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (2016-17)

जन्मदर (प्रति हजार जनसंख्या पर) (2016)	26.0 प्रति हजार
मृत्यु दर (प्रति हजार जनसंख्या पर) (2016)	6.9 प्रति हजार
एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय (2016-17)	5117
आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय (2016-17)	2,370
होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय (2016-17)	1,575

परिवार कल्याण (2016-17)

अनुर्वरीकरण	(हजार) पुरुष	8.22
	(हजार) महिला	286.10
लूप निवेशन (हजार)		1,441.97

जनप्रतिनिधि

उत्तर प्रदेश से लोक सभा सदस्य	80
उत्तर प्रदेश से राज्य सभा सदस्य	31
उत्तर प्रदेश के विधान सभा सदस्य	404
उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य	100

स्रोत : नियोजन विभाग (उ.प्र.)

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

(2011 की जनगणना के अनुसार)

क्र.सं.	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या	मुख्यालय
1.	आगरा	4,041	44,18,797	आगरा
2.	अलीगढ़	3,650	36,73,889	अलीगढ़
3.	प्रयागराज	5,482	59,54,391	प्रयागराज
4.	आजमगढ़	4,054	46,13,913	आजमगढ़
5.	बहराइच	5,237	34,87,731	बहराइच
6.	बलिया	2,981	32,39,774	बलिया
7.	बांदा	4,408	17,99,410	बांदा
8.	बाराबंकी	4,402	32,60,699	बाराबंकी
9.	बरेली	4,120	44,48,359	बरेली
10.	बस्ती	2,688	24,64,464	बस्ती
11.	बिजनौर	4,561	36,82,713	बिजनौर
12.	बदायूँ	4,234	31,27,621	बदायूँ
13.	बुलंदशहर	4,512	34,99,171	बुलंदशहर
14.	देवरिया	2,540	31,00,946	देवरिया
15.	एटा	2,431	17,74,480	एटा
16.	इटावा	2,311	15,81,810	इटावा
17.	अयोध्या	2,341	24,70,996	अयोध्या
18.	अम्बेडकरनगर	2,350	23,97,888	अकबरपुर
19.	फतेहपुर	4,152	26,32,733	फतेहपुर
20.	फर्रुखाबाद	2,181	18,85,204	फतेहगढ़
21.	गाजियाबाद	1,179	33,43,334	गाजियाबाद
22.	गौतमबुद्ध नगर	1,282	16,48,115	नोएडा
23.	गाजीपुर	3,377	36,20,268	गाजीपुर
24.	गोंडा	4,003	34,33,919	गोंडा
25.	गोरखपुर	3,321	44,40,895	गोरखपुर
26.	हमीरपुर	4,021	11,04,285	हमीरपुर
27.	हरदोई	5,986	40,92,845	हरदोई
28.	जालौन	4,565	16,89,974	उरई
29.	जौनपुर	4,038	44,94,204	जौनपुर
30.	झांसी	5,024	19,98,603	झांसी
31.	कानपुर देहात	3,021	17,96,184	अकबरपुर माती
32.	कानपुर (नगर)	3,155	45,81,268	कानपुर
33.	लखीमपुर खीरी	7,680	40,21,243	खीरी
34.	ललितपुर	5,039	12,21,592	ललितपुर
35.	लखनऊ	2,528	45,89,838	लखनऊ
36.	मैनपुरी	2,760	18,68,529	मैनपुरी
37.	मथुरा	3,340	25,47,184	मथुरा
38.	मेरठ	2,559	34,43,689	मेरठ

39.	मिर्जापुर	4,405	24,96,970	मिर्जापुर
40.	मुरादाबाद	2,271	31,26,507	मुरादाबाद
41.	मुज़फ्फरनगर	2,991	28,29,865	मुजफ्फरनगर
42.	पीलीभीत	3,686	20,31,007	पीलीभीत
43.	प्रतापगढ़	3,717	32,09,141	प्रतापगढ़
44.	रायबरेली	4,043	29,03,507	रायबरेली
45.	रामपुर	2,367	23,35,819	रामपुर
46.	अमरोहा	2,249	18,40,221	अमरोहा
47.	सहारनपुर	3,689	34,66,382	सहारनपुर
48.	शाहजहांपुर	4,388	30,06,538	शाहजहांपुर
49.	सीतापुर	5,743	44,83,992	सीतापुर
50.	उन्नाव	4,558	31,08,367	उन्नाव
51.	सुल्तानपुर	2,672	24,31,491	सुल्तानपुर
52.	वाराणसी	1,535	36,76,841	वाराणसी
53.	मऊ	1,713	22,05,968	मऊ
54.	सिद्धार्थनगर	2,895	25,59,297	नवगढ़
55.	फिरोजाबाद	2,407	24,98,156	फिरोजाबाद
56.	सोनभद्र	6,905	18,62,559	राबर्ट्सगंज
57.	महाराजगंज	2,952	26,84,703	महाराजगंज
58.	भदोही	1,015	15,78,213	भदोही
59.	महोबा	3,144	8,75,958	महोबा
60.	हाथरस	1,840	15,64,708	हाथरस
61.	कौशांबी	1,779	15,99,596	मंझनपुर
62.	कुशीनगर	2,905	35,64,544	पडरौना
63.	चंदौली	2,541	19,52,756	चंदौली
64.	बलरामपुर	3,349	21,48,665	बलरामपुर
65.	श्रावस्ती	1,640	11,17,361	श्रावस्ती
66.	चित्रकूट	3,216	9,91,730	चित्रकूट
67.	बागपत	1,321	13,03,048	बागपत
68.	कन्नौज	2,093	16,56,616	कन्नौज
69.	औरैय्या	2,016	13,79,545	औरैय्या
70.	संत कबीर नगर	1,646	17,15,183	खलीलाबाद
71.	कासगंज	1,955	14,36,719	कांशीराम नगर
72.	अमेठी	2,330	18,67,678	गौरीगंज
73.	शामली	1,017	13,13,647	शामली
74.	हापुड़	-	13,38,311	हापुड़
75.	संभल	2,381	21,99,774	सम्भल
		2,40,928	**19,98,12,341**	

नोटः नवसृजित जनपद यथा- अमेठी, शामली, सम्भल की क्षेत्रफल के आंकड़ें उक्त जनपदों के पूर्ववर्ती (मूल) जनपदों से सम्बन्धित जनपदीय सांख्यकीय पत्रिका-2015 (अर्थ एवं संख्या प्रभाग उ. प्र.) में दर्शाये गये आंकड़ों को पूर्ववर्ती जनपदों की जनगणना 2011 के आकड़ों से घटाकर निकाला गया है। जनपद हापुड़ के क्षेत्रफल के आंकड़ें मूल जनपद गाजियाबाद में सम्मिलित हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद का नाम प्रयागराज एवं फैजाबाद का नाम अयोध्या परिवर्तित कर दिया गया है।

स्रोतः सांख्यिकीय डायरी उ.प्र.2017

उत्तर प्रदेश

(परिचय, प्राकृतिक, भौगोलिक स्थिति तथा जनगणना)

उत्तर प्रदेश एक भौगोलिक इकाई ही नहीं, संस्कृतियों का संगम भी है और गंगा-जमुनी संस्कृति का एक अनूठा प्रतीक। इसीलिए वह एक विशिष्ट जीवन शैली, व्यवहार, चिंतन परंपरा, ऐतिहासिकता, सहिष्णुता, सार्थक सकारात्मक प्रतिद्वन्द्विता, विचार-विनिमय व मनुष्य के हक की लड़ाई का केन्द्र भी है। विविधता में एकता तथा 'जियो और जीने दो' का व्यावहारिक स्वरूप यहाँ की पहचान है।

देश की स्वाधीनता की पहली लड़ाई यहीं की जनता, किसान, मजदूरों ने लड़ी और स्वाधीनता के बाद उत्तर प्रदेश नाम हासिल किया। इससे पहले इस क्षेत्र के अनेक नाम रहे। ईसा से छह शताब्दी पहले भारत के 16 महाजनपद थे जिनमें आठ– काशी, कोशल, मल्ल, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल और शूरसेन इसी क्षेत्र में थे वे अब उत्तर प्रदेश हैं। कोशलों की पहली राजधानी अयोध्या थी, फिर श्रावस्ती हुई। कपिलवस्तु इसी जनपद में था। बाद में कुछ क्षेत्र अवध, कान्यकुब्ज, काशी आदि नाम से जाने जाते रहे और कभी रुहेलखण्ड, बुन्देलखण्ड, अवध आदि। अंग्रेजों की अमलदारी में इसका नाम पड़ा– 'संयुक्त प्रान्त' आगरा व अवध। यह 'संयुक्त' ही इसका सही नाम लगता है– मिला-जुला, सबका शामिल प्रान्त, संयुक्त संस्कृतियों का क्षेत्र।

सन् 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने जिस प्रकार के दमन और अत्याचार किए उससे चंगेज़ खाँ और नादिरशाह भी शरमा जाते। सैकड़ों लोगों को फाँसी पर लटका दिया गया, हजारों का कत्ल कर दिया गया, गाँव के गाँव फूँक दिये गये, शहरों और कस्बों में कहर ढाए गये, पर स्वाधीनता की ललक और संकल्प में कोई अन्तर नहीं आया।

उत्तर प्रदेश का इतिहास वास्तव में राष्ट्रीय एकीकरण और शांति-पूर्ण सह-अस्तित्व का इतिहास है। यहाँ बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिख एवं सनातन सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ रहे और एक-दूसरे के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन को प्रभावित, समृद्ध करते रहे। हिन्दू कवियों ने कर्बला पर मर्सिये लिखे, मुसलमान कवियों ने राम और कृष्ण के गीत गाये।

विचारों और जीवन-शैली का प्रभाव वेशभूषा, खान-पान, भाषा, संगीत, कला, वास्तुकला पर भी पड़ा। सूफियों ने भी भक्त कवियों का साथ दिया, कहा कि 'ईश्वर एक है, उसे चाहे जिस नाम से पुकारो।' लखनऊ, आगरा, देवां, रुदौली, बरेली, बहराइच, इलाहाबाद व अन्य अनेक स्थानों पर दरगाहों में लाखों हिन्दू आज भी जाते हैं; होली, ईद, दीवाली सभी मिलकर मनाते हैं। समन्वय की यह प्रक्रिया वास्तुकला तक में देखी जा सकती है। पन्द्रहवीं शताब्दी के आरम्भ की जौनपुर की अटाला मस्जिद, सीकरी का पंचमहल, सिकन्दरा में अकबर की कब्र, सभी में बौद्ध विहारों की झलक दिखाई देती है। आगरा के दीवान-ए-खास में विष्णु के सिंहासन की झलक देखी जा सकती है। कमल, कलश, जंजीर और घंटा आदि, जिन्हें हिन्दू वास्तुकला की पहचान माना जाता है, सीकरी में भी देखे जा सकते हैं। शेख सलीम चिश्ती की मजार पर सर्पिल 'ब्रैकेट' जैन प्रभाव को दर्शाते हैं। अरब, ईरानी या तुर्क गुम्बदों से भिन्न ताजमहल के गुम्बद हिन्दू-बौद्ध वास्तुकला की अनुकृति लगते हैं।

जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी इस सांस्कृतिक संश्लेषण को देखा जा सकता है। हिन्दुओं ने भी मंदिरों के

निर्माण में इसको अपना लिया। संगीत में अमीर खुसरो ने त्रितंत्र वीणा और पखावज के नये संस्करण– सितार और तबला दिये। हिन्दुस्तानी संगीत में खयाल के अलावा अनेक नयी प्रवृत्तियाँ समायोजित कीं। संगीत के क्षेत्र में ठुमरी और ग़ज़ल इस संश्लेषण की विशिष्ट देन हैं। कथक भक्ति नृत्य के रूप में मथुरा-वृन्दावन में विकसित हुआ और लखनऊ ने उसमें भाव और अभिनय के नये रंग भरे। एक ही उत्स से यहाँ हिन्दी (खड़ी बोली) और उर्दू का जन्म हुआ और कालान्तर में वे दो भाषाएँ हो गयीं– दो अत्यन्त समृद्ध भाषाएँ। यह तुलसी, सूर, कबीर, जायसी, रहीम, रसखान का ही क्षेत्र नहीं है, यह मीर और ग़ालिब, रतननाथ सरशार और चकबस्त का भी क्षेत्र है। दोनों भाषाओं ने एक-दूसरे को बहुत कुछ दिया है– दोनों सहोदरा हैं। सदियों से एक साथ रहकर दोनों समुदायों ने सामाजिक जीवन में भी एक-दूसरे से बहुत कुछ लिया-दिया है। जन्म, विवाह, मृत्यु आदि की रस्मों पर भी प्रभाव पड़ा है, वेशभूषा और परिधान पर भी, खान-पान और व्यंजनों पर भी।

हिन्दुस्तानी संगीत में उत्तर प्रदेश की देन उल्लेखनीय है। किराना, अहरौली, आगरा, सहसवान, रामपुर, बनारस आदि घरानों का उद्‌भव क्षेत्र यही है। अब्दुल करीम खाँ, अल्लादित्ता खाँ, फैयाज खाँ, मुश्ताक हुसैन खाँ, वजीर खाँ, रामदास आदि उन कलावन्तों की लम्बी श्रृंखला की कुछ कड़ियाँ हैं जो यहाँ उभरीं। अहमद जान थिरकवा, कण्ठे महाराज भी यहीं के हैं और विलायत खाँ भी।

शास्त्रीय संगीत के अलावा सुगम संगीत पर भी उत्तर प्रदेश ने अपनी छाप छोड़ी है। ठुमरी का नाम, रूप और तत्व यहीं का है। बनारस ने 'पृथ्वी अंग' प्रचारित किया तो लखनऊ ने अपना रंग उसे दिया। मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी (सभी बनारस की) और बेगम अख्तर (लखनऊ) ने अपनी-अपनी शैलियों की विशिष्टता स्थापित की। महादेव प्रसाद मिश्र, गिरिजा देवी व अन्य अनेक गायक परम्पराओं के रक्षक हैं। शहनाई वादक बिस्मिल्ला खाँ अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं। ग़ज़ल के अलावा भजन व दादरा के कद्रदान यहाँ रहे हैं। वाजिद अली शाह के दरबार में कालिका महाराज व बिन्दादीन महाराज ने जो कथक की परम्परा शुरू की, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शम्भू महाराज और अब बिरजू महाराज ने इस सम्पन्न-समृद्ध धरोहर को नये आयाम दिये। लोक संगीत में भी उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है। बुन्देल खण्ड में ईसुरी का फाग, आल्हा, ब्रज का रसिया, पूर्वी जिलों की कजली, बिरहा और चैती जैसी अनेक धाराएँ लोक जीवन को आनन्दित करती रही हैं।

शिल्प के क्षेत्र में भी यह प्रदेश पीछे नहीं रहा। बनारस का रेशम और जरी, लखनऊ की जामदानी, जरदोजी व चिकन, भदोही के कालीन, सहारनपुर का लकड़ी का काम, मुरादाबाद का पीतल और फिरोजाबाद का काँच का काम सदियों से विश्व के अनेक देशों का मन मोहते रहे हैं। आज भी ये शिल्प अरबों रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं।

यह एक अद्‌भुत प्रदेश है। मानव जाति के जन्म से शुरू हुई इसकी सभ्यता निरन्तर समृद्ध होती रही है। यहाँ की संस्कृति ने एक ऐसी मानसिकता को जन्म दिया है, एक ऐसी विचार-शैली दी है, एक ऐसा जीवन-दर्शन दिया है, जिसने सारे देश को अपनी ओर आकृष्ट किया, जिसमें पूरे विश्व कल्याण के तत्त्व मौजूद हैं।

उत्तर प्रदेश भारत का बहुत महत्त्वपूर्ण राज्य है। राष्ट्रीय योगदान के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। चाहे कुल जनसंख्या का सवाल हो या संसद में सांसदों की संख्या का इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश को यह श्रेय प्राप्त है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए। पिछले 70 वर्षों में चालीस से अधिक वर्षों तक इसी राज्य के लोग प्रधानमंत्री होते आये हैं। सिर्फ राजनीति ही नहीं संस्कृति, इतिहास एवं सामाजिक आर्थिक भौगोलिकता की दृष्टि से भी यह राज्य भारत में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। कृषि प्रधान इस राज्य के कुल 240928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 199812341 लोग निवास करते हैं, जिसमें 10.45 करोड़ पुरुष और 9.53 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें से 67.7 प्रतिशत लोग साक्षर हैं।

कुल 97,814 आबाद गांवों तथा 915 नगरों में विभाजित इस प्रांत को अपना नाम 24 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के ऐन पहले प्राप्त हुआ। 1937 से 1950 तक इसे संयुक्त प्रांत

(युनाइटेड प्राविन्सेज) के नाम से जाना जाता था।

अंग्रेजी राज की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत (अवध के अतिरिक्त) बंगाल प्रेसीडेन्सी का ही एक हिस्सा था सुविधानुसार इसे कभी 'पश्चिमी प्रांत' के नाम से पुकार लिया जाता था। बाद में 'आगरा प्रेसीडेन्सी' का निर्माण कर इसे 'बंगाल प्रेसीडेन्सी' से अलग किया गया। 1836 में एक बार पुनः इसका नामकरण किया गया। अब इसका नाम 'उत्तर पश्चिम प्रांत' (नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज) हुआ। मुख्यालय आगरा बना। 7 फरवरी 1856 को अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। उस समय अवध में लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा रायबरेली नामक बारह जिले शामिल थे। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में लार्ड कैनिंग ने पूरे उत्तरी पश्चिमी प्रान्त को एक ले. गवर्नर के द्वारा शासित प्रांत बना दिया। इस प्रांत का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कर दिया गया। 1875 में उच्च न्यायालय को भी आगरा से इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दिया गया। अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांतों का प्रशासनिक तथा न्यायिक विभाजन 1877 तक बना रहा। अवध का प्रशासनिक एवं न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा तथा उत्तर पश्चिमी प्रांतों का इलाहाबाद। सन् 1877 में इन दोनों प्रांतों के ले. गवर्नर और मुख्य आयुक्त का पद समाप्त कर 'आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत' (युनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध) कर दिया गया। तब ले. गवर्नर का पद ही इस एकीकृत प्रांत का सर्वोच्च प्रशासनिक पद बना।

भारत सरकार अधिनियम 1919 के अन्तर्गत ले. गवर्नर के पद को गवर्नर के पद की मान्यता प्राप्त हो गयी तथा 1920 के चुनावों के बाद इस प्रांत की सरकार एक बार पुनः इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित कर दी गयी। 1921 में लखनऊ में ही विधान परिषद् की स्थापना की गयी तथा 1935 तक प्रान्तीय सचिवालय के इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरण का कार्य पूरा होने के बाद लखनऊ को इस प्रान्त की राजधानी घोषित कर दिया गया। 1937 में इस प्रांत का नाम एक बार फिर बदलकर 'संयुक्त प्रांत' (यूनाइटेड प्राविन्सेज) कर दिया गया।

सन् 2000 में प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके नये राज्य उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) का गठन किया गया तो यहां की लगभग 55 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि और लगभग एक करोड़ आबादी यहां से अलग हो गयी है। इसके बावजूद नया उत्तर प्रदेश अभी भी देश के सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है और देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य।

प्राकृतिक रूपरेखा

उत्तर प्रदेश भारत का सीमान्त प्रदेश है। इसकी उत्तरी सीमा नेपाल को छूती है। उत्तराखंड के गठन से पूर्व इसकी सीमाएं चीन के तिब्बती क्षेत्र को भी छूती थीं लेकिन अब यह क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया है। प्रदेश के उत्तर में अब नेपाल सीमा के साथ उत्तरांचल की शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं। पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी सीमा पर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान हैं तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश और पूर्वी सीमा बिहार से लगी हुई है। इन सीमाओं को प्राकृतिक तौर पर देखा जाय तो उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी तथा विन्ध्याचल और पूर्व में गंडक नदी है।

उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के तीन भूभाग थे- पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। लेकिन उत्तराखंड गठन के बाद अब पूरा पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है। अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ तराई- भाभर क्षेत्र ही बचा हुआ है। अब प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप को हम इस रूप में देख सकते हैं:–

भाभर और तराई क्षेत्र

पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक एक पतली सी पट्टी भाभर और तराई कहलाती है। सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत जिलों में भाभर का क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के इर्द-गिर्द सिमटा हुआ है। पहाड़ों

से उतरने वाली नदियों एवं वेगवती धाराओं की गति यहां आकर कुछ मन्द पड़ जाती है। पहाड़ से अपने साथ बहाकर लाये गये प्रस्तर खण्डों तथा विभिन्न रसायनों को वे छोड़ती जाती हैं। पश्चिम में यह क्षेत्र 34 कि.मी. चौड़ा है, किन्तु जैसे-जैसे पूरब की ओर बढ़ते हैं, क्षेत्र सँकरा होता जाता है। छोटे-मोटे नदी-नालों का बाढ़ के समय को छोड़कर, प्रस्तर खण्डों के बीच उसका अस्तित्व क्षीण-सा ही रहता है किन्तु थोड़ी दूरी के बाद वे फिर उसी रूप में दिखायी देते हैं। दलदल वाले तराई क्षेत्र का निर्माण इसी प्रकार हुआ है।

जंगली और ऊँची घनी घासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र कभी 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा था। इसके अन्तर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया एवं पडरौना जिलों के भाग आते थे। इधर कुछ वर्षो से भूमि सुधार कार्यों के कारण इसकी चौड़ाई काफी कम हो गयी है। भूमि सुधार के बाद किसानों को इसमें काफी उपजाऊ जमीन प्राप्त हो गयी है। अब यहां गन्ना, गेहूँ और धान की फसलें रिकार्ड पैदावार दे रही हैं। अनेक जगहों पर जूट की भी अच्छी खेती हो रही है।

मैदानी क्षेत्र

भाभर और तराई के बाद प्रदेश का पूरा मैदानी क्षेत्र नदियों से लायी गयी मिट्टी से बना है और खूब उपजाऊ है। यमुना पार, आगरा और मथुरा जिलों के उन भू-भागों को छोड़कर जहाँ अरावली पहाड़ियों के पूर्वी छोर पर अनेक खार और लाल पत्थरों वाली पहाड़ियाँ मिलती हैं, यह समग्र भू-भाग समतल है। मैदान का पश्चिम अंचल उत्तर से दक्षिण की ओर ढलुआ है और पूर्वांचल की ढाल पश्चिमोत्तर से दक्षिणपूर्व की तरफ है। यह गंगा,यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है।

दक्षिण के पहाड़ और पठार

प्रदेश के दक्षिण में पठारी भू-भाग की उत्तरी सीमा यमुना और गंगा नदी द्वारा निर्धारित है। इसके अन्तर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और बांदा, इलाहाबाद जिले की मेजा और करछना तहसीलें, गंगा के दक्षिण में पड़ने वाला मिर्जापुर का हिस्सा तथा वाराणसी जिले की चकिया तहसील आती है। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है। भू-गर्भ शास्त्रियों के अनुसार इसका निर्माण अत्यन्त प्राचीनकाल में प्रवाहमान समुद्री निरक्षेप द्वारा हुआ। पठार की सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है। कुछ स्थानों पर यह ऊंचाई 450 मीटर से भी अधिक है। मिर्जापुर, सोनभद्र की पहाड़ियां लगभग 600 मीटर तक ऊँची हैं।

चित्रकूट जिले की कर्वी तहसील में विन्ध्य पर्वत श्रेणियां हैं। यहां जल प्रवाह सामान्यतः उत्तर पूर्व की तरफ है। बेतवा और केन नदियां, जो बुन्देलखण्ड से होकर गुजरती हैं, यमुना में आकर मिली हैं। इस पूरे क्षेत्र में वर्षा कम होती है। पानी के अभाव और भीषण गर्मी के कारण वृक्ष-वनस्पतियां छोटी होती हैं क्योंकि उनका विकास पूरी तरह नहीं हो पाता। यहां की मुख्य फसलें ज्वार, तिलहन, चना और गेहूँ हैं।

जलवायु

उत्तर प्रदेश की पूरी जलवायु गर्म है। तराई क्षेत्रों में यह नमी लिए रहती है और दक्षिण पठारी क्षेत्र में गर्मी में नमी का नामोनिशान नहीं रहता। ग्रीष्म ॠतु में कुछ जगहों का तापमान 47 डिग्री सेन्टीग्रेड तक जाता है। जाड़े की ॠतु में तापमान मैदानी क्षेत्रों में 8.5 से 17.5 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। अप्रैल, मई और जून गर्मी के महीने हैं जब प्रदेश के अधिकांश भागों में लू चलती है।

सामान्यतः वर्ष में तीन ॠतुएँ होती हैं। अक्टूबर से फरवरी तक जाड़ा, मार्च से जून तक गर्मी और सितम्बर तक बरसात होती है। गर्मी आगरा और झांसी में सबसे अधिक, बरेली में सबसे कम पड़ती है। मध्य जून से मध्य सितम्बर तक प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के फलस्वरूप प्रमुख रूप से वर्षा होती है। जाड़ों में उत्तर पश्चिम से उठने वाले तूफानों के कारण कुछ जगहों पर वर्षा का औसत 60 और 100

सेन्टीमीटर के बीच रहता है जबकि पूर्वी भाग के जिलों में 100 से 120 सेन्टीमीटर के बीच रहता है। जौनपुर जिले के पश्चिमी हिस्सों में वर्षा कुछ कम होती है। प्रदेश में लगभग 83 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर के मध्य और 17 प्रतिशत जाड़ों में होती है। मैदानी क्षेत्र में गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है जिसका औसत 184.7 सेमी. है और मथुरा में सबसे कम, जिसका औसत 54.4 सेमी. है।

नदियाँ और जलप्रवाह

गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियाँ हैं। इनका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विन्ध्याचल द्वारा निर्धारित है। गंगा उत्तराखण्ड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सहारनपुर जनपद से यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में आते ही यह धीरे-धीरे दक्षिण से पूर्व की तरफ बहने लगती है। इसके दोनों किनारों पर और भी सहायक नदियां आकर मिलती हैं– रामगंगा, गोमती, घाघरा (शारदा), राप्ती और गण्डक। यमुना का उद्‌गम भी उत्तराखण्ड में यमुनोत्री ग्लेशियर है। चम्बल, सिन्ध, बेतवा और केन यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा-यमुना की इन सहायक नदियों के अलावा जल प्रवाह की अनेक छोटी-छोटी नदियां हैं जैसे– कोसी, सई, कल्याणी, चन्द्रप्रभा, कर्मनाशा, रिहन्द, बेलन और धसान, हिन्डन। ये नदियाँ जगह-जगह गंगा व यमुना में मिल जाती हैं। इलाहाबाद में गंगा, यमुना भी आपस में मिल जाती हैं।

विन्ध्याचल की तरफ से जो पानी गंगा में आता है उसका आधे से अधिक यमुना की सहायक नदियां चम्बल, सिन्ध, बेतवा और केन लाती हैं इसमें चम्बल सबसे बड़ी है। यह विन्ध्याचल से निकलती है और आगे चलकर इसमें अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली दो अन्य प्रमुख नदियां हैं टॉस और सोन। इनमें सोन बड़ी है। यह सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। इसका उद्‌गम स्थल नर्मदा और महानदी के उद्‌गम स्थानों के पास ही है। उत्तर प्रदेश में हिमालय से निकलने वाली नदियां लगभग वर्ष भर भरी रहती हैं जबकि विंध्याचल से निकलने वाली नदियां गर्मियों में अक्सर सूख जाती हैं। इसका कारण है हिमालय से निकलने वाली नदियों में बर्फ पिघलने से गर्मियों में भी पानी कम नहीं होता। एक और कारण हिमालय में विन्ध्याचल से अधिक बरसात का होना है।

प्रदेश की मिट्टी

प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली जिले में एक तरह की मिट्टी है। यहां की मिट्टी अधिकांश गहरी भूरी और कहीं पर चिकनी है और कहीं-कहीं उसमें बालू भी मिली है। यह मिट्टी छिछली है, इसमें कंकड़ पत्थर काफी पाये जाते हैं। सामान्यतः यह मिट्टी अम्लीय है। प्रदेश के पश्चिमी मैदानों में मिट्टी (सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ) गहरी और सामान्य से अधिक उर्वरा है। थोड़ा पूर्व की ओर आगे चलकर (बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत) मिट्टी अधिक चिकनी है। पीलीभीत से आगे की ओर तो मिट्टी अम्लीय है किन्तु बाकी मिट्टी में थोड़ा क्षारत्व है।

प्रदेश के केन्द्रीय क्षेत्र खीरी, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, आजमगढ़, कानपुर के आसपास चिकनी और बलुई चिकनी मिट्टी है जिसमें थोड़ा अम्ल भी है।

प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर तथा गोण्डा क्षेत्र में दो प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में 'मांट' और 'बंजर' कहा जाता है।

नदी किनारे की मिट्टी को 'ढूह' कहते हैं। 'मांट' मिट्टी चिकनी-बलुई होती है और उसमें चूना अधिक होता है इसकी जलधारण शक्ति अधिक होती है। 'बंजर' मिट्टी चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की होती है। इसमें चूना अपेक्षाकृत कम होता है। उत्तरी पश्चिमी भाग में पायी जाने वाली मिट्टी में फास्फेट कम होता है। जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जिलों में पोटाश की कमी है। शुष्कतर भागों में ऊसर तथा रेह है। अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली और लखनऊ की मिट्टी ऊसर तथा रेह से प्रभावित है।

प्रदेश के झांसी तथा चित्रकूट धाम मण्डल, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले एवं इलाहाबाद की करछना व मेजा तहसील, वाराणसी की चकिया तहसील में मिश्रित लाल और काली मिट्टी पायी जाती है। काली मिट्टी चिपचिपी तथा कैल्केरिया युक्त और उर्वरा होती है। भीगने पर फैलती है और सूखने पर सिकुड़ती है। इन जिलों के ऊपरी पठारी भागों में लाल मिट्टी पायी जाती है। यह दो प्रकार की होती है 'परवा' और 'राकर'। परवा हल्की बलुई अथवा बलुई चिकनी होती है जबकि राकर अपक्षरित मिट्टी होती है।

वन्य क्षेत्र

उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) गठन से पूर्व प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 294411 वर्ग किलोमीटर था जिसमें 33994 वर्ग किमी. अर्थात् 11.54 प्रतिशत भाग वनाच्छादित था। अब 23243 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उत्तराखण्ड में चला गया तथा उत्तर प्रदेश में 10751 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादित क्षेत्र ही बचा है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 4.46 प्रतिशत भू-भाग ही वनाच्छादित रह गया है।

इस समय उत्तर प्रदेश में पायी जाने वाली वनस्पतियों के आधार पर यहां के वनों को तीन भागों में बाँट सकते हैं :—

1. उष्ण प्रदेशीय आर्द्र पर्णपाती वन, 2. उष्ण प्रदेशीय शुष्क पर्णपाती वन,

3. उष्ण प्रदेशीय कटीले वन

आर्द्र पर्णपाती वन तराई के नमी वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं। प्रदेश के यह वन ऐसे क्षेत्रों में हैं जहाँ वर्षा 100 से 150 सेमी. वार्षिक होती है। यहाँ वनों की विशेषता है कि ऊँचे क्षेत्रों में अनिश्चित आकारों वाले पर्णपाती वृक्ष होते हैं। निचले भागों में अन्य प्रजातियां जिनमें बांस, लताओं और बेंत के साथ हरी भरी झाड़ियाँ होती हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं साल, बेर, गूलर, झिंगल, पलास, महुआ, सेमल, ढाक, आंवला, जामुन आदि।

शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के सभी मैदानी भागों आमतौर पर मध्यपूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में होते हैं। ये प्रायः पर्णपाती प्रजाति के होते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रकाश नीचे तक पहुंचता है इसलिए यहां झाड़ियों और घासों की उपज भी अच्छी होती है। ऐसे वनों के बहुत बड़े क्षेत्र की खेती के लिए सफाई कर दी गयी है। यहां पैदा होने वाले वनों में साल, पलास, अंजीर, सागौन प्रमुख हैं। नीम, पीपल, आम, जामुन, महुआ, बबूल आदि भी नदियों के आसपास या नमी वाले स्थानों पर होते हैं।

कटीले वन ज्यादातर दक्षिण पश्चिमी भागों में पाये जाते हैं। ऐसे वन प्रदेश के उन भागों में स्थित हैं जहाँ वर्षा कम (वर्ष में 40 से 60 सेमी.) होती है। इन क्षेत्रों में दूर-दूर तक कटीले बौने वृक्ष मुख्यतः बबूल, कटीले, फलदार पौधे, सांहुड की पैदावार प्रमुख है। वर्षा ॠतु में यहां छोटी-छोटी घास उग जाती है। यहां प्रायः छोटे-छोटे पौधे हैं जो खुले शुष्क वनों का रूप धारण कर चुके हैं। इनमें फुलाई, खैर, कोक्के, धामन, डनझा, नीम आदि सम्मिलित हैं। इन पेड़ों से कई तरह की लीसा और गोंद प्राप्त होता है।

खनिज सम्पदा

उत्तर प्रदेश यूँ तो कृषि प्रधान राज्य है लेकिन यह प्रदेश खनिज सम्पदा का भी धनी है। प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत शृंखला के बीच विभिन्न प्रकार की खनिज सम्पदा दबी हुई है। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर, डोलोमाइट, सिलिका सैण्ड, पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, मैग्नेसाइट, साफ्टस्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास-सैड, संगमरमर, नान प्लास्टिक फायर क्ले, यूरेनियम, वेराइट्स, एडालूसाइट प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश के सात दक्षिणी जिले खनिज पदार्थों के लिए खासतौर पर जाने जाते हैं। ये जिले हैं– आगरा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बाँदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर एवं सोनभद्र। अच्छे किस्म का चूना पत्थर सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है। डोलोमाइट भी सोनभद्र और मिर्जापुर में मिलता है। तांबा ललितपुर में प्राप्त होता है। ग्लास– सैड इलाहाबाद, बाँदा और चित्रकूट जनपद में मिलता है। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। मिर्जापुर के बांस मकरी खोह क्षेत्र में नानप्लास्टिक फायर क्ले प्राप्त होती है। जनपद ललितपुर में यूरेनियम के भण्डार हैं।

जनगणना

जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1,998 लाख है, जो भारत की वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या (12,106 लाख) का 16.5 प्रतिशत है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में 1,044.81 लाख पुरुष तथा 953.32 लाख महिलाएं हैं। प्रदेश में कुल जनसंख्या 1,998 लाख में 1,553.17 लाख (77.73 प्रतिशत) ग्रामीण जनसंख्या है तथा 444.95 लाख (22.27 प्रतिशत) नगरीय जनसंख्या है। प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में 809.92 लाख पुरुष तथा 743.24 लाख महिलाएं तथा कुल नगरीय जनसंख्या में 234.87 लाख पुरुष तथा 210.07 लाख महिलाएं हैं।

प्रदेश की कुल जनसंख्या में 1593.1 लाख (79.8 प्रतिशत) हिन्दू, 384.8 लाख (19.3 प्रतिशत) मुस्लिम, 3.6 लाख (0.2 प्रतिशत) ईसाई, 6.4 लाख (0.3 प्रतिशत) सिक्ख, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) बौद्ध, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) जैन एवं 6.0 लाख (0.3 प्रतिशत) अन्य एवं अवर्णित धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं। प्रदेश के 75 जनपदों में इलाहाबाद की जनसंख्या (59.54 लाख) सबसे अधिक है तथा जनपद महोबा में (6.90 लाख) सबसे कम जनसंख्या है।

जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001–2011 की अवधि में कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रदेश का भारत के राज्यों में ग्यारहवां स्थान रहा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के वर्ष 2001–2011 की अवधि में में दशकीय वृद्धि दर 20.2 प्रतिशत थी जो उवत अवधि में भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7 प्रतिशत से अधिक रही।

जनसंख्या घनत्व

एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली कुल लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में यह 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद (3971) इसके बाद क्रमशः वाराणसी (2395) लखनऊ (1816) भदोही (1555) तथा कानपुर नगर (1452) तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद ललितपुर (242) है।

लिंग अनुपात

प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। प्रदेश में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है जबकि वर्ष 2001 में यह 898 ही थी। भारत में वर्ष 2011 में लिंगानुपात 943 है जबकि वर्ष 2001 में यह 933 थी।

साक्षरता दर

वर्ष 2011 उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार प्रदेश भर में साक्षरों की संख्या 1144 लाख है। जिनमें 684 लाख पुरुष तथा 462 लाख महिलाएं साक्षर हैं। वर्ष 2011 में प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 भारत के सम्वादी अवधि का साक्षरता प्रतिशत 73.0 से कम रहा। प्रदेश में कुल साक्षरता प्रतिशत 67.68 में पुरुषों का 77.28 प्रतिशत तथा महिलाओं का प्रतिशत 57.18 हैं। प्रदेश में गौतमबुद्धनगर की साक्षरता दर सबसे अधिक 80.12 प्रतिशत है उसके बाद कानपुर नगर 79.65 प्रतिशत, औरैया 78.95, इटावा

78.41 प्रतिशत तथा गाजियाबाद 78.07 प्रतिशत का स्थान है। प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। यहाँ की साक्षरता दर मात्र 46.74 प्रतिशत है। इसके बाद बहराइच 49.36 प्रतिशत, बलरामपुर 49.51 प्रतिशत, बदायूँ 51.29 तथा रामपुर 53.34 प्रतिशत है।

साक्षरता दर 1951 से 2011 तक

वर्ष	कुल साक्षरता	पुरुष साक्षरता	महिला साक्षरता
1951	12.02	19.07	4.07
1961	20.87	32.08	8.36
1971	23.99	35.01	11.23
1981	32.65	46.65	16.74
1991	40.71	54.82	24.37
2001	57.36	70.23	42.98
2011	67.68	77.28	57.18

●

इतिहास

राजनैतिक इतिहास

पुरातन काल में उत्तर प्रदेश मध्य-देश के नाम से प्रसिद्ध था। उत्तर-पश्चिम से आने वाले आक्रामकों के रास्ते में पड़ने के कारण तथा दिल्ली और पटना के बीच के उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण इसके इतिहास का उत्तर भारत के इतिहास से निकटतम संबंध है। यद्यपि हमें इसके प्रागैतिहासिक अथवा आदि-ऐतिहासिक काल के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी है, पर मिर्जापुर और बुन्देलखंड क्षेत्र में खुदाई के फलस्वरूप प्राचीन एवं नवीन पाषाणकाल के जो औजार-हथियार आदि मिले हैं और मेरठ जिलान्तर्गत आलमगीरपुर में हड़प्पाकालीन जो वस्तुएँ मिली हैं वे हमें सुदूर भूतकाल का स्मरण कराती हैं।

ऋग्वेद के समय से कुछ संश्लिष्ट ऐतिहासिक वृत्तान्त मिलते हैं। आर्यों ने सबसे पहले भारत में ''सप्तसिंधु'' या सात नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश (आधुनिक पंजाब) में बस्तियाँ बनायीं। ये नदियाँ हैं- इण्डस (सिंधु), वितस्ता (झेलम), असिक्नी (चिनाब), परुश्नी (राबी), विपासा (व्यास), शुतुद्री (सतलज), और सरस्वती (जो अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलुप्त हो चुकी है)। शुरू में कुछ प्रमुख घरानों के नाम थे पुरू, तुर्वसु, यदु, अनु और द्रुह्य। ये पाँच घराने 'पंचजन' कहलाते थे। इनके अतिरिक्त एक और प्रमुख वर्ग ''भरत'' कहलाता था।

धीरे-धीरे आर्यों ने अपने क्षेत्र का पूरब में विस्तार किया। 'शतपथ ब्राह्मण' में कोशल (अवध) और विदेह (उत्तरी बिहार) को ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों द्वारा इन्हें जीतना उसका रोचक वर्णन है। सीमाओं के विस्तार का परिणाम यह हुआ कि नये राज्य बने, नये लोग सामने आये और नये केन्द्रों का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे-धीरे ''सप्तसिन्धु'' का महत्व कम होता गया और संस्कृति का केन्द्र बना सरस्वती तथा गंगा के बीच का मैदान जहाँ कुरु, पांचाल, काशी एवं कोशल (अवध) राज्य थे।

पहले प्रयाग तक फैला हुआ यह पूरा क्षेत्र मध्य देश के नाम से अभिहित हुआ। वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमाएँ भी लगभग वही हैं। हिन्दू कथा-साहित्य में यह देश पवित्र माना जाता है, क्योंकि रामायण और महाभारत में जिन महान् व्यक्तियों और देवताओं का वर्णन है वे यहीं के थे। यहाँ के निवासी सर्वाधिक सुसंस्कृत आर्य माने जाते थे। उनकी बोल-चाल और उनका व्यवहार आदर्श माना जाता था। वे लोग धार्मिक रीति-रिवाजों के पूरी तरह जानकार थे और बिना किसी त्रुटि के बलि, पूजा आदि कर सकते थे।

इन राज्यों के कुछ शासक, विशेषतः पांचाल के राजा प्रवहण जैवालि, अपने सुकर्मों के कारण अमर हो गये। बाद का इतिहास एक लम्बे समय तक के लिए, हिन्दुओं की धार्मिक पुस्तकों और पुराणों के आख्यानों से मिश्रित हो गया, जिससे ऐतिहासिक वृत्तान्त की कड़ी टूट गयी। जब अंधकार छँटता है तथा ईसापूर्व छठी शताब्दी में इतिहास की रेखाएँ फिर से उभरती दिखायी पड़ती हैं तो हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों में गहरी प्रतिस्पर्धा चल रही है। तत्कालीन राज्य और उनकी राजधानियों के नाम थेः-

1. कुरु (मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर); राजधानी इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली के पास इन्द्रपाल)।
2. पाँचाल (बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद); राजधानी अहिच्छत्र (बरेली के पास रामनगर) तथा काम्पिल्य (फर्रुखाबाद के पास कम्पिल)।

3. शूरसेन (मथुरा के आस-पास का क्षेत्र); राजधानी मथुरा।
4. वत्स (प्रयागराज और आस-पास); राजधानी कौशाम्बी (प्रयागराज के पास कोसम)।
5. कोशल (अवध); राजधानी साकेत (अयोध्या) और श्रावस्ती (गोंडा जिले में सहेट-महेट)।
6. मल्ल (जिला देवरिया); राजधानी कुशीनगर (कसिया) और पावा (सम्भवतः पडरौना)।
7. काशी (वाराणसी); राजधानी बनारस।
8. अंग (भागलपुर); राजधानी चम्पा।
9. मगध (दक्षिण बिहार); राजधानी गिरिब्रज (राजगृह, बिहार-शरीफ के पास राजगीर)।
10. वृज्जि (जिला दरभंगा और मुजफ्फरपुर); राजधानी मिथिला जनकपुर (नैपाल सीमा पर) और वैशाली (जिला मुजफ्फरपुर में बसरा)।
11. चेदि (बुन्देलखंड); राजधानी शुक्तिमती (सम्भवतः बांदा के पास स्रोतासोढ़ा)।
12. मत्स्य (जयपुर); राजधानी विराट (जयपुर के पास)।
13. अस्मक (गोदावरी घाटी) राजधानी पांडन्य (स्थान की जानकारी नहीं)।
14. अवन्ती (मालवा); राजधानी उज्जयिनी (उज्जैन)।
15. गांधार (पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जो पाकिस्तान में है); राजधानी तक्षशिला (रावलपिण्डी के पास)।
16. कम्बोज; राजधानी राजापुर (स्थान की जानकारी नहीं)।

उपर्युक्त 16 महाजनपदों में से 8 (क्रम संख्या 1 से 7 तक तथा 11) वर्तमान उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। इनमें से अधिक विख्यात काशी, कोशल और वत्स थे। इन राज्यों के अतिरिक्त वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्रान्तर्गत ही कतिपय गणतंत्रात्मक राज्य भी थे, जैसे कपिलवस्तु का शाक्य राज्य, समसुमेरगिर का भग्गा राज्य और पावा तथा कुशीनगर का मल्ल राज्य।

सभी राज्यों में हमेशा युद्ध होता रहता था– एक-दूसरे पर राजनीतिक प्रभाव के लिए। कोशल ने काशी पर अधिकार कर लिया और अवन्ती ने वत्स का राज्य छीन लिया। कोशल और अवन्ती एक-एक करके मगध के अधीनस्थ हो गये और मगध पूरे क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया। मगध में क्रमशः हरयांक, शिशुनाग और नन्द वंश का राज्य रहा।

नन्द वंश का साम्राज्य पंजाब और सम्भवत; बंगाल को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। नन्दों के शासनकाल में सिकन्दर ने ईसा से 326 वर्ष पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। इतिहास के अनेक विद्वानों का मत है कि मगध के शक्तिशाली राज्य की सेनाओं से मुकाबला न कर पा सकने का डर ही सिकन्दर की सेना द्वारा व्यास नदी के आगे न बढ़ने के निश्चय के मूल में था। इस प्रकार सिकन्दर को बाध्य होकर वापस लौटना पड़ा था।

सिकन्दर की वापसी के साथ ही साथ भारत में एक महान क्रान्ति हुई जिसके फलस्वरूप नन्द शासकों को (ईसा से 323 वर्ष पूर्व) शासन की बागडोर चन्द्रगुप्त मौर्य को देनी पड़ी। चन्द्रगुप्त मौर्य पिप्पलीवन के क्षत्रिय कुल ''मौर्य'' का वंशज था। वर्तमान उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र चन्द्रगुप्त मौर्य, उसके लड़के बिन्दुसार और पोते अशोक के शासन-काल में सुख और शान्ति का अनुभव करता रहा। अशोक द्वारा सारनाथ में निर्मित स्तम्भ पर सिंहों की जो आकृति बनी है, स्वतंत्र भारत की सरकार ने उसे ही अपना राजकीय चिह्न बनाया है। अशोक-स्तम्भ और शिलालेख सारनाथ, प्रयागराज, मेरठ, कौशाम्बी, संकिस्सा, बस्ती और मिर्जापुर में भी पाये गये हैं। ये सभी स्थान उत्तर प्रदेश में हैं। चीनी यात्री फाह्यान और ह्वेनसांग ने अन्य अनेक शिलालेख आदि भी देखे थे। सारनाथ के धूमेख का स्तूप का भी निर्माण अशोक ने करवाया था।

ईसा पूर्व 232 वर्ष में अशोक की मृत्यु होते ही मगध राज्य का ह्रास प्रारम्भ हो गया। उसके पोते दशरथ

और सम्प्रति ने सारा राज्य आपस में बाँट लिया। नर्मदा के दक्षिण का पूरा क्षेत्र शीघ्र ही स्वतन्त्र हो गया और ईसा पूर्व 210 वर्ष में पंजाब पर अन्य लोगों का शासन हो गया। इस वंश का अन्तिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी (ईसा पूर्व 185 वर्ष में)। पुष्यमित्र ने उसके बाद मगध का राज्य बनाये रखा। पतंजलि के महाभाष्य में एक उल्लेख साकेत (अयोध्या) का यवनों (यूनानियों) द्वारा घेरे जाने का आता है। मेनेन्डर और उसके भाई ने ईसा से लगभग 182 वर्ष पूर्व एक भारी आक्रमण किया। आक्रामक सेनाओं ने सुदूर दक्षिण-पश्चिम में काठियावाड़, सांकल (स्यालकोट, पाकिस्तान के पंजाब में) और मथुरा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आक्रामकों ने साकेत (अयोध्या) को घेर लिया तथा गंगा की घाटी में बहुत दूर तक बढ़ आये। इस आक्रमण का आखिर में पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने गंगा के किनारे मुकाबला किया तथा यवनों को हरा दिया। यूनानी पीछे हट गये और उन्होंने सांकल (स्यालकोट) में अपनी राजधानी बनायी। मथुरा बहुत समय तक मेनेण्डर के साम्राज्य का प्रमुख नगर रहा। मेनेण्डर ने ईसा से लगभग 145 वर्ष पूर्व तक राज्य किया। बाद में छोटी-छोटी अनेक इण्डो-ग्रीक एवं यूनानी रियासतें पंजाब में ईसा की प्रथम ईसवी तक बनी रहीं।

इसी बीच मगध में शुंग वंश के स्थान पर कण्व वंश की स्थापना हुई। कहा जाता है कि शुंग वंश का अन्तिम राजा देवभूति दुश्चरित्र था। इस कमजोरी का लाभ उठाकर उसके मंत्री वासुदेव ने राजा देवभूति की हत्या कर दी। वासुदेव ने ईसा से 73 वर्ष पूर्व कण्व वंश की स्थापना की। यह राजवंश 45वर्ष तक चला और ईसा से 28 वर्ष पूर्व सिमूक ने, जो सातवाहन या आंध्र वंश के संस्थापक थे, इसको समाप्त कर दिया।

कण्व वंश का साम्राज्य कहाँ तक फैला था यह कहना कठिन है, किन्तु ऐसे सिक्के जिन पर ''मित्र'' शब्द से समाप्त होने वाले राजाओं के नाम खुदे हैं, खुदाई में पूरे उत्तर प्रदेश में मिले हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ईसा से एक शताब्दी पूर्व और बाद तक पूरा उत्तर प्रदेश उन लोगों के अधिकार-क्षेत्र में था, जो शुंग वंश से सम्बद्ध थे।

यह वह समय था जब मध्य एशिया के शकों का ध्यान पहली बार भारत की ओर आकर्षित हुआ। ईसा के 60 वर्ष पूर्व तक इन लोगों ने मथुरा में अपने क्षत्रप स्थापित कर लिये थे। प्रथम शक राजा मायुस हुआ जिसकी ईसा पूर्व लगभग 58वें वर्ष में मृत्यु हुई थी। शकों के बाद पार्थियन लोगों ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किये और ईसा के बाद प्रथम शताब्दी आरम्भ होने तक उन लोगों ने शकों को परास्त करना शुरू कर दिया था। फिर ईसा से लगभग 40 वर्ष पूर्व कुषाण लोगों के भी आक्रमण हुए। ये भी मध्य एशिया की पाँच जातियों में से एक थी। शीघ्र ही कुषाण राजाओं ने मध्य एशिया से लेकर सिन्धु नदी तक के क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। धीरे-धीरे इन लोगों ने पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया।

कुषाण राज्य-वंश की स्थापना ''कुजुला कदफिसेस'' या कदफिसेस प्रथम ने की थी। इसका पुत्र और उत्तराधिकारी विमा कदफिसेस या कदफिसेस द्वितीय गंगा की घाटी तक घुस आया था। इसका उत्तराधिकारी था कनिष्क प्रथम जो निःसन्देह सभी कुषाण राजाओं में श्रेष्ठ था। चीनी और तिब्बती इतिहासकारों ने कनिष्क की सोकेद (साकेत) के राजा से लड़ाई की गाथाएँ सुरक्षित रखी हैं तथा अनेक उत्कीर्ण प्रलेख एवं खुदाई से प्राप्त सिक्के आदि, जो उत्तर प्रदेश के विस्तृत भाग में मिले हैं, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यह भूभाग किसी समय कुषाण साम्राज्य का अंश था। उस समय मथुरा कला का प्रसिद्ध केन्द्र था।

कनिष्क का राज्यकाल और कुषाण राजाओं की वंश-परंपरा अनिश्चित है। कुछ विद्वानों का मत है कि कनिष्क का राज्याभिषेक ईसा के 78 वर्ष बाद हुआ और कुछ का यह कि कनिष्क प्रथम ने सम्भवतः ईसा बाद 120 और 144 वर्ष के बीच राज्य किया था। उसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में थी और उसके राज्य के अन्तर्गत गांधार, कश्मीर तथा सिन्धु एवं गंगा नदी की घाटियों का क्षेत्र था। कनिष्क के पुत्र हुविष्क ने अपने पिता के बाद राजकाज सँभाला और उसके बाद उसका पुत्र वासुदेव गद्दी पर बैठा।

वासुदेव के समय में कुषाण साम्राज्य बहुत छोटा हो गया था तथा उसके बाद छिन्न-भिन्न होकर अनेक छोटे-छोटे सीमान्त राज्यों में बँट गया। ईसा के बाद तीसरी सदी आते-आते कुषाणें का प्रभुत्व मध्यदेश से समाप्त

हो चुका था तथा उसके स्थान पर बहुत से दूसरे छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो चुके थे। यद्यपि इस समय के इन राजाओं में कुछ के नाम अभी भी समुद्रगुप्त (ईसा बाद चौथी सदी) द्वारा इलाहाबाद के स्तम्भ पर खुदवाये जाने के कारण ज्ञात हैं। मथुरा और कान्तिपुरी (मिर्जापुर में कान्तित) इस वंश के शासकों के मुख्यालय रहे। इसी अवधि में नागों की ही एक जाति ''भारशिव'' भी प्रभुत्वशाली बनी। इन लोगों की शक्ति तथा इनके साम्राज्य का आभास इसी से लग जाता है कि इन्होंने दस अश्वमेध यज्ञ किये और गंगा के पवित्र जल से इनके राज्याभिषेक हुए।

ईसा बाद चौथी सदी में गुप्त वंश का प्रादुर्भाव होने पर भारत में राजनीतिक एकता फिर स्थापित हुई तथा लगभग दो सौ वर्षों के उनके शासन काल में मध्यदेश (उत्तर प्रदेश) उनके शासनान्तर्गत अन्य क्षेत्रों के साथ शान्ति और समृद्धि का भागीदार बना।

गुप्त राज्य के पराभव के बाद एक बार फिर सत्ता विकेन्द्रित हो गयी। कुछ समय तक मध्यदेश के विस्तृत भाग पर कन्नौज के मौखरियों का शासन रहा। इन्हें मालवा के गुप्त राजाओं का कड़ा मुकाबला करना पड़ा। इनका अन्तिम राजा गृहवर्मन ईसा के लगभग 606 वर्ष बाद मालवा के राजा देवगुप्त द्वारा पराजित हुआ तथा मार डाला गया। इसके अनन्तर गृहवर्मन के मंत्रियों ने प्रशासन की बागडोर गृहवर्मन के साले हर्षवर्धन को सौंप दी। हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा था।

हर्ष के राज्याभिषेक से थानेश्वर और कन्नौज के राज्यवंश आपस में मिल गये। कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया। कई शताब्दियों तक उसका वही मान रहा जो उससे पहले पाटलिपुत्र का था। उसकी शान-शौकत तथा समृद्धि के फलस्वरूप उसे ''महोदय श्री'' नाम मिला तथा हर्ष के बाद (ईसा 647 वर्ष बाद) के हिन्दू राजाओं का उसे अपने अधिकार में लेने का लक्ष्य रहा करता था। उस समय आये चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कन्नौज की समृद्धि का वर्णन किया है।

हर्ष के बाद उत्तर भारत में फिर उथल-पुथल मच गयी। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस काल का कोई संश्लिष्ट इतिहास तैयार करना सम्भव नहीं है। केवल कुछ घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है।

आठवीं सदी के प्रथम चतुर्थांश में यशोवर्मन ने कन्नौज में अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया और कन्नौज को फिर से वैभवशाली नगर बना दिया। कश्मीर के ललितादित्य मुक्तपीड़ के सहयोग से उसने तिब्बत में भी सेना भेजी थी और सफलता पायी थी। किन्तु बाद में ललितादित्य ने उसे गद्दी से उतार दिया और मार डाला (ईसा से 740 वर्ष बाद)। बाद के आयुधवंशीय राजाओं के काल में कन्नौज पर आधिपत्य के लिए बंगाल के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूटों तथा पश्चिमी भारत के गुर्जर प्रतिहारों के बीच बहुत दिनों तक प्रतिस्पर्धा चली जिसमें अन्तिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली। इन लोगों ने जो साम्राज्य स्थापित किया वह विस्तार और ख्याति की दृष्टि से किसी भी गुप्त-वंशीय राजा या सम्राट हर्ष के साम्राज्य से कम नहीं था। गुर्जर प्रतिहार पूरी नवीं एवं दसवीं शताब्दी में उत्तर भारत पर छाये रहे। इनको सन् 1018-19 में महमूद गजनवी ने परास्त किया। जेजाकभुक्ति या वर्तमान बुन्देलखंड में चन्देल राजाओं ने महमूद गजनवी के आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया था। उनका गढ़ कालिंजर अजेय बना रहा। इन लड़ाइयों में दो चन्देल शासकों, धंग और विद्याधर ने बड़ा शानदार योगदान किया था।

प्रतिहारों के पराभव के बाद मध्यदेश में फिर से अराजकता फैल गयी; किन्तु इसी समय गहरवार राजवंश के उदय से शांति एवं सुव्यवस्था पुनः स्थापित हुई और इस क्षेत्र में समृद्धि का नया युग प्रारम्भ हुआ। दो प्रमुख गहरवार राजा थे गोविन्द चन्द्र (सन् 1104 से 1154 तक) और जयचन्द्र (सन् 1170 से 1193) तक। जयचन्द्र की अदूरदर्शिता से चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय की 1192 में तराइन में मोहम्मद गोरी के हाथों पराजय हुई और फिर अगले वर्ष जयचन्द्र स्वयं भी चन्दवार (इटावा) में हारा और मारा गया। इसके बाद मेरठ, कोइल (अलीगढ़), असनी, कन्नौज और बनारस शीघ्र ही आक्रमणकारियों के शिकार हुए। जेजाकभुक्ति (अब बुन्देलखण्ड) में सन् 1203 में चन्देल राजा परमर्दिदेव (लोकगाथाओं का वीर परमाल) एक युद्ध में कुतुबुद्दीन

ऐबक से हार गया और मारा गया। चन्देलों ने बाद में स्थिति सँभाल ली और लगभग दो शताब्दी से भी अधिक समय तक राज्य करते रहे। यह और बात है कि उनका राज्य-क्षेत्र छोटा हो गया था। इसी प्रकार सुदूर उत्तर का पहाड़ी भाग भी आक्रामकों से सुरक्षित रहा।

सन् 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और वहीं से गुलाम वंश का प्रारम्भ हुआ। गुलाम वंश के राजाओं और उनके बाद खिलजियों तथा तुगलक वंश के बादशाहों ने धीरे-धीरे दिल्ली सल्तनत की सीमा बढ़ायी। वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र लगभग प्रारम्भ से ही इन लोगों के साम्राज्य का अंग रहा। सम्भल, कड़ा और बदायूं प्रमुख जागीरदारों को सौंप दिये गये थे, तथापि पूरा प्रदेश बराबर दिल्ली के सुल्तानों का विरोध करता रहा। विरोध करने वाले क्षेत्रों में कटेहर, कम्पिल, भोजपुर और पटियाली के नाम उल्लेखनीय हैं।

तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी में मध्य-देश का इतिहास शौर्यपूर्ण प्रतिरोध और बर्बरतापूर्ण दमन का इतिहास रहा है जिसकी एक दो झाँकियाँ उस समय के इतिहासकारों की कृतियों में दिखलायी पड़ती हैं। इस अवधि के समाप्त होने से पहले ही दिल्ली के तुगलकों का साम्राज्य तेजी से विघटित होने लगा था और सन् 1394 में इस क्षेत्र के पूर्वांचल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गयी। यह शर्की साम्राज्य था और इसकी स्थापना जौनपुर में नासिरुद्दीन तुगलक के विद्रोही सूबेदार मलिक सरवर ख्वाजाजहां ने की थी। शर्की शासकों ने 84 वर्षों तक दिल्ली की सल्तनत का जमकर प्रतिरोध किया और कन्नौज एवं अन्य सीमान्त जिलों पर दिल्ली का प्रभुत्व नहीं माना।

जौनपुर के अलग हो जाने के चार वर्ष बाद अर्थात् सन् 1398 में भारत पर समरकन्द के एक चुँगताई तुर्क ने, जिसे तिमुर या तैमूरलंग या तमरलेन कहा जाता है, आक्रमण किया। यद्यपि मुख्य रूप से दिल्ली और पंजाब का क्षेत्र तैमूरलंग की बर्बरता तथा पाशविकता का शिकार बना किन्तु दोआब का क्षेत्र भी अछूता न बचा। उदाहरण के लिये मेरठ, हरिद्वार तथा कटेहर को भी इस आक्रमण की कटुता का अनुभव हुआ।

तैमूर की चढ़ाई ने तुगलक वंश का शासन समाप्त कर दिया। सन् 1412 में मुहम्मद तुगलक (अन्तिम तुगलक बादशाह) की मृत्यु हो गयी और उसी समय से दिल्ली में तुगलक राजवंश की समाप्ति हो गयी।

सन् 1414 से 1526 तक सैयद और लोदियों ने दिल्ली साम्राज्य के बचे-खुचे भाग पर राज्य किया। लोदी राज-वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने सन् 1478 में जौनपुर पर अधिकार कर लिया किन्तु दोआब का अधिकांश भाग अनेक हिन्दू एवं मुसलमान सरदारों के अधीन बना रहा। तत्कालीन इतिहास की एक प्रमुख घटना यह रही कि सिकन्दर लोदी ने आगरा को अपनी उप-राजधानी बनायी।

बाबर ने पानीपत की लड़ाई में सन् 1526 में लोदियों के अन्तिम बादशाह इब्राहीम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया किन्तु इसके बाद भी अफगानों ने गंगा की घाटी में और सम्भल, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, इटावा और कन्नौज में अपना प्रतिरोध जारी रखा तथा कड़ी लड़ाई के बाद ही आत्मसमर्पण किया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी किन्तु उसके लड़के हुमायूँ को अफगान वीर शेरशाह सूरी के हाथों करारी हार खानी पड़ी थी। शेरशाह सूरी मुगलों के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों के विरोध का प्रतीक था। मुगलों और शेरशाह सूरी के बीच हुई लड़ाइयों में चुनार, चौसा तथा बिलग्राम प्रमुख रणस्थल थे। शेरशाह सूरी स्वयं सन् 1545 में कालिंजर के प्रसिद्ध किले पर अधिकार करने के प्रयास में चन्देलों से लड़ते हुए मारा गया।

उसकी मृत्यु से मानो मध्ययुगीन इतिहास के गगन का एक विलक्षण सितारा अस्त हो गया। इसके उपरान्त महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमारम्भ हुआ। हुमायूं फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसकी मृत्यु के बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। सन् 1556 में अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का आरम्भ हुआ। यह युग था शांति, समृद्धि सुदृढ़ प्रशासन का, उदारता, सहिष्णुता और हिन्दू एवं मुसलमान संस्कृतियों के समन्वय का।

समन्वय की यह प्रक्रिया अकबर के उत्तराधिकारियों-जहाँगीर एवं शाहजहाँ के समय में भी चलती रही।

उत्कर्ष के इस युग में ''हिन्दुस्तान'' का, जैसा कि तत्कालीन मुसलमान इतिहासकार उत्तर प्रदेश को कहते थे महत्त्वपूर्ण अंशदान रहा है। अकबर के दो प्रसिद्ध मंत्री टोडरमल और बीरबल इसी क्षेत्र के थे और जब तक शाहजहाँ के समय में दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया गया था तब तक आगरा ही मुगल साम्राज्य की राजधानी रही।

औरंगजेब द्वारा उदारता की नीति का परित्याग करने से मुगल साम्राज्य को भारी धक्का लगा। परिणाम यह हुआ कि उसकी मृत्यु के कुछ ही दशकों में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य नष्ट हो गया। औरंगजेब के शासनकाल में ही बुन्देलखण्ड ने वीर छत्रसाल के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। बुन्देलों की यह लड़ाई रुक-रुक कर लगभग 50 वर्षों तक चली। छत्रसाल को पेशवा वाजीराव की सहायता स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में मराठों के पैर जमे। स्वयं अवध का स्थानीय सूबेदार सादात खाँ सन् 1732 में स्वतंत्र हो गया और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी सन् 1856 तक राज्य करते रहे। लगभग इसी समय रुहेलों ने भी स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया और सन् 1774 तक रुहेलखण्ड में अधिपति बने रहे। उक्त वर्ष अवध के नवाब ने उन्हें ईस्ट इंडिया कम्पनी की सहायता से परास्त किया। कुछ समय तक मराठों ने गंगा-जमुना दोआब पर अपना आधिपत्य जमाने के प्रयास किये किन्तु 1761 में पानीपत में हुई हार ने उनकी इस विस्तार-भावना का अन्त कर दिया। इस अवसर से लाभ उठाकर अंग्रेजों ने दोआब में अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली।

अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला (सन् 1754 से 1775 तक) के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी अवध के शासकों के सम्पर्क में आयी। शुजाउद्दौला ने बंगाल से भागे हुए नवाब मीर कासिम से सन् 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध इकरारनामा कर रखा था किन्तु बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ और उसे कड़ा एवं इलाहाबाद अंग्रेजों को दे देना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों ने कभी धमकी देकर कभी फुसलाकर नवाब से बड़े-बड़े क्षेत्र हड़पने की नीति बना ली।

सन् 1775, 1798 और 1801 में नवाबों से जो क्षेत्र अंग्रेजों ने प्राप्त किये और सन् 1803 में ग्वालियर के सिंधिया से जो क्षेत्र लार्ड लेक ने जीते वे सब शुरू में बंगाल के प्रान्त से सम्बद्ध कर दिये गये थे और इन्हें जीते हुए या मिले प्रदेश की संज्ञा दी गयी। सन् 1816 में सुगौली की संधि द्वारा वर्तमान कुमाऊँ, गढ़वाल और देहरादून के जिले गुरखा आक्रमणकारियों से लेकर ब्रिटिश राज्य में मिला लिये गये। इस प्रकार से जो विस्तृत क्षेत्र बना उसे सन् 1836 में उत्तर-पश्चिम प्रान्त के नाम से एक प्रशासनिक इकाई में बदल दिया गया। अन्त में सन् 1856 में राज्य हड़पने की नीति का अनुसरण करते हुए डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया तथा उसे एक चीफ कमिश्नर की अधीनता में रख दिया। आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कलकत्ता भेज दिया और उसे पेंशन दे दी। इसी समय झाँसी का राज्य भी अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था।

अवध के नवाबों और ईस्ट इंडिया कम्पनी के बीच जैसे सम्बन्ध थे वे एक तरफ तो नवाबों की दुर्बलता का तथा दूसरी तरफ अंग्रेजों की उद्दण्डता, शक्ति और विश्वासघात का स्मरण दिलाते हैं। अतः सन् 1856 में जब अंग्रेजों ने अवध की नवाबी हड़प ली तो यह स्वाभाविक था कि राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह की अग्नि भड़क उठे और सन् 1857 में यही हुआ। उक्त विद्रोह में , जो राष्ट्र की आजादी के लिए किया गया प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम था, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों तथा सभी धर्मों व वर्गों के लोगों ने शानदार भूमिका अदा की। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खाँ, नाना साहब, मौलबी अहमदउल्ला शाह, राणा बेनीमाधव सिंह, अजीमउल्ला खाँ तथा अन्य अनेक राष्ट्रभक्तों ने उक्त ऐतिहासिक संघर्ष में जिस कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया उससे वे अमर हो गये।

सन् 1858 में दिल्ली डिवीजन उत्तरी-पश्चिमी प्रदेश से जुदा कर दिया गया और प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दी गयी। उसी वर्ष 1 नवम्बर को एक शाही घोषणा द्वारा राजनीतिक सत्ता ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से लेकर सीधे महारानी विक्टोरिया को सौंप दी गयी।

सन् 1877 में उत्तर-पश्चिमी प्रदेश के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर का पद तथा अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक में मिला दिया गया। उसी समय से उक्त वृहत्तर क्षेत्र को उत्तर-पश्चिम प्रदेश, आगरा और अवध, कहा जाने लगा। सन् 1902 में इस नाम को भी बदल कर संयुक्त प्रदेश आगरा और अवध कहा जाने लगा। सन् 1921 से यहाँ गवर्नर नियुक्त होने लगा और कुछ समय बाद राजधानी लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी। सन् 1937 में इसका नाम छोटा करके मात्र संयुक्त प्रान्त कर दिया गया। आजादी मिलने के लगभग ढाई वर्ष बाद अर्थात् 24 जनवरी, 1950 को इस क्षेत्र का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश हुआ। इसके तुरन्त बाद पास-पड़ोस के अनेक छोटे-छोटे क्षेत्र इसमें मिला लिये गये। 26 जनवरी, 1950 को जब स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बन गया।

इसमें सन्देह नहीं कि अंग्रेजों के राज्यकाल में या उसके बाद की अवधि में उत्तर प्रदेश का इतिहास पूरे भारत के इतिहास से पृथक नहीं रहा, किन्तु यह तथ्य सर्वविदित है कि राष्ट्रीय आन्दोलनों में यहाँ के लोगों का योगदान महत्वपूर्ण है। सी.वाई. चिन्तामणि, तेज बहादुर सप्रू, मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गोविन्द वल्लभ पन्त, लालबहादुर शास्त्री तथा रफी अहमद किदवई ये सब राष्ट्र के नेता रहे हैं और सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। यह भी कम गौरव की बात नहीं है कि इस प्रदेश से अनेक प्रधान मंत्री राष्ट्र को मिले हैं- पं. जवाहरलाल नेहरू, श्री लालबहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गाँधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर, अटलबिहारी वाजपेयी इत्यादि।

स्वाधीनता आन्दोलन : उत्तर प्रदेश की भूमिका

औरंगजेब की मृत्यु के उपरान्त पचास वर्षों में कुल आठ मुगल शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे। 1757 तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में पाँच स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। मेरठ तथा बरेली के उत्तर में नाजिब खान नामक पठान सरदार, मेरठ तथा दोआब क्षेत्र में रुहेलों के अन्तर्गत रुहेलखण्ड, फर्रुखाबाद के नवाब के अन्तर्गत मध्य दोआब का क्षेत्र, वर्तमान अवध तथा पूर्वी जिलों पर अवध के नवाब तथा बुन्देलखण्ड पर मराठों का शासन स्थापित था। दिल्ली में मुगलों के पराभव के साथ ही इन सभी स्वतंत्र राज्यों में वर्चस्व का संघर्ष जारी हो गया। 1761 के तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठों, जाटों तथा राजपूतों की पराजय ने तथा बक्सर के युद्ध (1764) में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम की पराजय ने उत्तर भारत का भाग्य निर्धारित कर दिया। अंग्रेज प्रयागराज तक बढ़ आये थे। अवध के नवाब ने मराठों को बुन्देलखण्ड से सहायता के लिए बुलाया परन्तु कानपुर के निकट जाजमऊ में नवाब व मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से पराजित हो गयी। निर्वासित मुगल सम्राट शाह आलम को प्रयागराज तथा कोरा (प्रयागराज, कानपुर तथा फतेहपुर) के साथ-साथ बंगाल के राजस्व से 26 लाख वार्षिक का कर दान देना ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने तय किया। जबकि अवध के नवाब ने अंग्रेजों को 50 लाख का मुआवजा देना स्वीकार किया।

1773 में अंग्रेजों ने रुहेलखण्ड में मराठों को पराजित कर दिया तथा उन्हें दोआब से निष्कासित कर दिया। प्रयागराज अवध के नवाब को इस आधार पर सौंप दिया गया कि शाह आलम ने इसे मराठों को सौंप दिया था। 1774 में अंग्रेजी सेनाओं ने रुहेल सरदार रहमत खान को शाहजहाँपुर में पराजित कर रुहेलखण्ड को अवध के नवाब को सौंप दिया।

1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात् आसफउद्दौला अवध का नवाब बन गया। अंग्रेजों के साथ की गयी एक नई संधि में उसने बनारस क्षेत्र का आधिपत्य अंग्रेजों को सौंप दिया। बनारस क्षेत्र इस समय राजा चेत सिंह के अधिकार में था। राजा चेत सिंह ने 1780 में जब सैनिक टुकड़ियों तथा धन की अतिरिक्त माँग को ठुकरा दिया तब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स राजा को सबक सिखाने स्वयं बनारस पहुँच गया। राजा चेत सिंह के नेतृत्व में हुये बनारस विद्रोह को दबाकर अंग्रेजों ने महीप नारायण सिंह को बनारस का राजा बना दिया। इसके साथ ही बनारस पर ब्रिटिश प्रशासन सुनिश्चित हो गया।

सन् 1797 में आसफउद्दौला की मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात् उसका भाई सादात अली अवध का नवाब बन गया। उसने प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के बदले में प्रतिवर्ष 76 लाख रुपये ईस्ट इण्डिया कम्पनी को देने का आश्वासन भी प्रदान कर दिया।

19वीं सदी के प्रारम्भ पर अंग्रेजों के पास इस प्रान्त में सिर्फ बनारस क्षेत्र (मिर्जापुर के अतिरिक्त) तथा प्रयागराज का किला था। 1801 में अवध के सादात अली ने सुरक्षा की गारन्टी के एवज में गोरखपुर क्षेत्र, रुहेलखण्ड क्षेत्र, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, एटा, दक्षिणी मिर्जापुर तथा कुमायूँ का तराई परगना अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। अगले ही साल फर्रुखाबाद के नवाब ने अपना इलाका भी अंग्रेजों को दे दिया। इस प्रकार इस समय तक उत्तर को छोड़ कर शेष सभी तरफ से अवध अंग्रेजों द्वारा शासित क्षेत्रों से घिर चुका था। 1803 में लार्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़, दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने मराठों से मेरठ, आगरा, झाँसी के पड़ोसी जिले बाँदा, हमीरपुर, जालौन, गोहाड़ तथा ग्वालियर का क्षेत्र भी हथिया लिया। परन्तु बाद में अंग्रेजों ने गोहाड़ तथा ग्वालियर सिन्धिया को वापस कर दिया। 1816 के गोरखा युद्ध में अंग्रेजों को कुमायूँ तथा देहरादून भी प्राप्त हो गये।

इस समय तक यह सारा क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेन्सी का ही हिस्सा रहा तथा इस पर गर्वनर जनरल का ही शासन बना रहा। 1833 में इसे बंगाल प्रेसीडेन्सी से अलग कर आगरा प्रेसीडेन्सी का नाम दिया गया साथ ही एक गर्वनर की नियुक्ति भी कर दी गई। 1836 में जब इस प्रान्त का नाम उत्तर पश्चिमी प्रान्त किया गया तब इस प्रान्त में आगरा, झांसी, जालौन के साथ-साथ दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी शामिल थे। बाद में मारवाड़, बुन्देलखण्ड तथा हमीरपुर भी इसमें शामिल कर लिये गये। 1856 में अवध को भी इसमें शामिल कर लिया गया। 1857 की क्रान्ति के बाद दिल्ली पंजाब को, तराई के कुछ हिस्से नेपाल को, बरेली तथा मुरादाबाद के कुछ इलाके रामपुर के नवाब को तथा सागर मध्य प्रान्त को दे दिये गये। 1871 में अजमेर व मारवाड़ भारत सरकार को हस्तान्तरित कर दिये गये।

1857 की क्रान्ति

अंग्रेजी शासन के स्थापना वर्ष 1757 के ठीक सौ वर्ष बाद1857 में उत्तरी भारत की जनता ने विदेशी शासन के विरुद्ध एक महान विद्रोह किया। इस विद्रोह का प्रारम्भ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के भारतीय सैनिकों के गदर से हुआ। कम्पनी की सेना मुख्य रूप से तीन अंगों में विभाजित थी– बंगाल, बाम्बे तथा मद्रास सेना। इनमें बंगाल सेना सबसे बड़ी थी, जिसमें कुल 1,70,000 सैनिकों में से 1,40,000 भारतीय सैनिक थे जो मुख्यतया अवध, बिहार तथा उत्तरी-पश्चिमी प्रान्तों के निवासी थे। ये सभी अपने अपने गाँव के छोटे-छोटे जमींदार अथवा किसान परिवार से आये थे। यद्यपि उन्हें सन्तोषजनक वेतन प्राप्त होता था परन्तु ये कभी भी सार्जेन्ट से ऊपर का पद नहीं प्राप्त कर पाते थे।

1857 में प्लासी के युद्ध को सौ साल पूरा होना था। इस अवसर पर ब्रिटिश राज को समाप्त कर देने की छिटपुट योजनाएँ बनने लगी थीं। परन्तु कोई संगठित योजना अभी तक नहीं बन सकी थी। इनका प्रयास कुछ संन्यासी तथा वहाबी आन्दोलनकर्ता अवश्य कर रहे थे। इसका थोड़ा बहुत प्रभाव सैनिकों पर भी था। पिछले कुछ वर्षों से यह आम धारणा बनने लगी थी कि कम्पनी सरकार हिन्दू और मुसलमान दोनों को ईसाई बनाना चाहती थी। इसके कारण सैनिकों में एक आक्रोश व्याप्त था। इसी मध्य अंग्रेजों ने नये-नये अविष्कृत, एनफिल्ड रायफिलों के लिए एक नये प्रकार का कारतूस प्रयोग करना आरम्भ किया। चूँकि प्रयोग करते समय इसे मुँह से खोलना पड़ता था, हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में यह धारणा बन चुकी थी कि उनके खोल सुअर एवं गाय की चर्बी से बनाए गए थे। इन कारतूसों के प्रयोग ने सैनिकों के आक्रोश को विस्फोट में बदल दिया। 26 फरवरी, 1857 को कलकत्ता से 120 मील दूर स्थित बरहामपुर के 19वीं देशी सैनिक टुकड़ी ने दगाऊ टोपी पहनकर परेड में जाने से मना कर दिया। उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गयी। इसके

तत्काल बाद कलकत्ता के निकट स्थित बैरकपुर के 34वीं देशी सैनिक छावनी के मंगल पाण्डे ने 21 मार्च को खुला विद्रोह कर दिया। उत्तर प्रदेश के निवासी मंगल पाण्डे ने उस दिन अपने एडजुडेन्ट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चला दी तथा उस पर तलवार से भी वार किया। 7 अप्रैल को ही उन्हें बैरकपुर में फाँसी दे दी गयी। मंगल पाण्डे की शहादत ने उत्तर भारत के समस्त सैनिक छावनियों में विद्रोह की आग भड़का दी। इससे पहले से भारतीय जनता में ब्रिटिश शासकों की लूट, अत्याचार, हत्या, देशी उद्योगों को नेस्तनाबूद करने के कारनामों, अकाल, भूख, किसानों-मजदूरों पर बेइंतहा जुल्म आदि को लेकर विरोध व प्रतिरोध का लावा उबल रहा था। मंगल पाण्डेय की फाँसी ने इसमें घी का काम किया और व्यापक जनविद्रोह उभर पड़ा। सैनिकों के विद्रोह के साथ जन-विद्रोह भी शामिल हो गया जिसने देश की स्वाधीनता के पहले विद्रोह, मुक्ति की लड़ाई का स्वरूप लिया। अम्बाला के 60वीं व 5वीं सैनिक छावनी के सभी सैनिकों ने 9 मई को विद्रोह कर दिया। यह प्रथम ऐसा सैनिक विद्रोह था जिसमें किसी छावनी के समस्त सैनिकों ने भाग लिया था। अंग्रेजों ने इस पर तत्काल काबू पा लिया, पर इसके बाद मेरठ में होने वाला विद्रोह अंग्रेजी सैनिक क्षमता के बूते से बाहर सिद्ध हुआ। 24 अप्रैल की परेड में मेरठ की देशी सेना ने उन कारतूसों को छूने से भी मना कर दिया। अंग्रेजी सेना ने 9 मई को 90 में से 85 सैनिकों की वर्दी उतरवा ली। दूसरे दिन ही पूरी छावनी के सैनिकों में विद्रोह की आग भड़क उठी। उन्होंने अपने सैनिकों व साथियों को जेल से छुड़ा लिया तथा सभी अंग्रेज अधिकारियों, उनकी पत्नियों और बच्चों को मार दिया। 11 मई को इन्हीं सैनिकों ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। इन सैनिकों ने तत्कालीन भारत के पेंशनयाफ्ता सम्राट वृद्ध बहादुरशाह जफर द्वितीय को मजबूर किया कि वह उनको नेतृत्व प्रदान करें। 6 सैनिकों तथा 4 नागरिकों की एक मिली-जुली समिति ने 'जलसा' के नाम से दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया।

इस सैनिक विद्रोह से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र अवध तथा बुन्देलखण्ड का था। यहाँ के किसानों ने तत्काल विद्रोही सैनिकों के साथ विद्रोह में हिस्सा लेना प्रारम्भ कर दिया था। नये जमींदारों को भगा दिया गया अथवा उनकी हत्या कर दी गयी। स्थानीय सरकारी कार्यालयों पर हमला बोल दिया गया। लगान देना बन्द कर दिया गया। उत्तरी भारत के दोआब क्षेत्र ने भी इस विद्रोह में सक्रिय योगदान दिया। इन्होंने अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर तथा प्रयागराज को स्वतंत्र कराने के बाद वहाँ अपनी सरकारें स्थापित कर ली थीं। बरेली का प्रशासन 'खान बहादुर खान' नामक रोहिल्ला सैनिक अधिकारी ने अपने हाथ में ले लिया था। कानपुर के प्रशासन पर पेशवा बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र 'वहाबी' विद्रोही का अधिकार था।पटना में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली नामक एक पुस्तक विक्रेता कर रहे थे। इन नगरों के साथ इटावा, मैनपुरी, रुड़की, एटा, मथुरा, शाहजहाँपुर, बदायूँ, आजमगढ़, सीतापुर, बाराबंकी, वाराणसी, झाँसी, अयोध्या, फतेहपुर तथा हाथरस जैसे अपेक्षाकृत छोटे-छोटे शहरों में भी विद्रोह का विस्तार हो चुका था।

इस बीच दिल्ली में कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी हो चुकी थी। विद्रोही सैनिकों में इस समय जिस अनुशासनिक भावना की आवश्यकता थी उसको उत्पन्न करने में तत्कालीन विद्रोही नेता असफल रहे। बिना किसी पूर्व तैयारी, सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि तथा निश्चित नेतृत्व के बिना ही विद्रोह प्रारम्भ हो जाने के कारण दिल्ली में एक ऐसी अराजक स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसमें किसी को भी यह नहीं पता था कि आगे क्या करना है। अनुशासन की यही समस्या कानपुर में भी खड़ी हुई। यहाँ नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व सम्भाल रखा था। इस समय नगर में लगभग 10,000 सैनिक तथा कृषक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्षरत थे। कानपुर के निकट लखनऊ में भी विद्रोह प्रारम्भ हो चुका था। लगभग 50,000 नागरिक इसमें हिस्सा ले रहे थे। इनका नेतृत्व बेगम हज़रत महल कर रही थीं। यहाँ पर विद्रोहियों ने रेजीडेन्सी का घेरा डाल रखा था, जिसमें अंग्रेज सैनिकों, अधिकारियों तथा उनके परिवारों ने शरण ले रखी थी। कानपुर तथा लखनऊ में ब्रिटिश सेना अधिकारी कैम्पबेल, जनरल हैवलाक तथा विन्डम ने अपनी समस्त सैनिक योग्यता तथा नेतृत्व के बल पर विद्रोह को कुचलने का प्रयास एक लम्बे समय तक जारी रखा। इन सभी के विरुद्ध विद्रोहियों के पक्ष में केवल एक तात्या

टोपे ही योग्य सेनापति थे। 6 माह के लगातार प्रयासों तथा एक माह के लम्बे युद्ध के बाद अंग्रेज अन्त में लखनऊ पर पुनः अधिकार करने में सफल हो गये। कानपुर तथा लखनऊ के बाद अंग्रेजों ने मई में बरेली पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद वे जनरल ह्यूरोज़ के नेतृत्व में झाँसी की ओर बढ़े। यहाँ पर उन्हें झाँसी की युवा रानी लक्ष्मीबाई का सामना करना पड़ा जो अब वीरतापूर्वक विद्रोह का नेतृत्व कर रही थीं। झाँसी की पराजय के बाद लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई अपने समस्त पराक्रम के बाद भी पराजित हुईं और इस युद्ध में उन्होंने वीरगति पायी। इसके पश्चात् अप्रैल 1859 में तात्या टोपे भी पकड़ लिये गये और उन्हें फाँसी दे दी गयी।

इसी मध्य ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने 1 नवम्बर, 1858 को अपने घोषणा पत्र में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से समस्त अधिकार ले लिये। इस घोषणा में साम्राज्ञी ने विद्रोह से हाथ खींच लेने वाले रजवाड़ों, सामन्तों तथा जमींदारों को आम माफीनामा देने का आश्वासन भी दे दिया। परिणामस्वरूप, जो थोड़े बहुत जमींदार और सामन्त अभी भी विद्रोह से जुड़े हुए थे, उन्होंने तत्काल विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अपने अन्तिम दौर में विद्रोह पूरी तरह से नेतृत्व विहीन हो चुका था। अतः इसको दबा देना अंग्रेजों के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं था।

राष्ट्रवाद का अंकुरण

1857 की क्रान्ति के कारण अंग्रेजी राज का रवैया इस प्रान्त के प्रति पक्षपातपूर्ण हो गया था। परिणामस्वरूप, शिक्षा तथा सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में यह प्रान्त बंगाल, बम्बई तथा मद्रास आदि से पिछड़ता चला गया। इसके साथ ही साथ धार्मिक व सांस्कृतिक आन्दोलनों के मामले में भी यह प्रान्त पिछड़ा ही रहा। जिस दौर में बंगाल, ब्रह्म समाज तथा रामकृष्ण मिशन, पंजाब, आर्यसमाज तथा बम्बई व पूना, प्रार्थना समाज व सत्यशोधक मण्डल जैसी सामाजिक-बौद्धिक संस्थाओं के कारण सांस्कृतिक व बौद्धिक रूप से उद्वेलित हो रहे थे, उत्तर प्रदेश एक सांस्कृतिक शून्य के दौर से गुजर रहा था। इस दौर में आर्य समाज की सिर्फ दो शाखाएँ उत्तर प्रदेश में स्थापित हो सकी थीं। इस अपेक्षाकृत शान्त माहौल में भी बनारस के भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अपने 'कवि वचन सुधा' नामक पत्रिका के माध्यम से बंगाल के स्वदेशी आन्दोलन के समर्थन में मुहिम जारी रखे हुए थे।

इसी दौर में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के बीच एक प्रगतिशील आन्दोलन की नींव रखी। 1869 में ब्रिटेन से लौटने के बाद उन्होंने 'तहजीब उल अखलाक' नामक पत्रिका के माध्यम से मुस्लिम समाज के मध्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में 'मोहम्मडन एंग्लो ओरियंटल विद्यालय' की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। 'अलीगढ़ आन्दोलन' के नाम से विख्यात यह आन्दोलन उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है।

सोमवार 28 दिसम्बर, 1885 को 'गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज, बम्बई', में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस स्थापना अधिवेशन के कुल 72 प्रतिनिधियों में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुनादास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी तथा लाला बैजनाथ आदि ने किया था।

कलकत्ता में सम्पन्न कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या 74 पहुँच गयी थी। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में प्रारम्भ इस अधिवेशन में कुल 431 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस के दूसरे ही अधिवेशन में इतना अधिक प्रतिनिधित्व बढ़ जाने का कारण सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा कांग्रेस में सम्मिलित हो जाने के लिए राजी हो जाना था। सुरेन्द्र नाथ बनर्जी तथा इण्डियन एसोसियेशन द्वारा अधिवेशन में सम्मिलित होने का निर्णय लेते ही बंगाल के अन्य राजनैतिक संगठनों ने भी इसमें खुलकर हिस्सा लिया। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया तथा कांग्रेस की स्थानीय समितियों को गठित करने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन

में कांग्रेस ने सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार के लिए सत्रह सदस्यीय समिति का गठन किया जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश से पाँच सदस्यों को चुना गया था। लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, मौलाना हामिद अली तथा नवाब रज़ा अली खान और प्रयागराज के मुंशी काशी प्रसाद इस समिति में शामिल थे।

मद्रास के तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब अली द्वारा घोषित सब्जेक्ट कमेटी में उत्तर प्रदेश से राजा रामपाल सिंह, मौलवी हामिद अली, रामकली चौधरी एवं पं. मदनमोहन मालवीय को सम्मिलित किया गया था। कांग्रेस के इसी सत्र में पार्टी के संविधान तथा कार्यपद्धति को निर्धारित करने के लिए एक विधि समिति का निर्माण भी किया गया था जिसमें लखनऊ के गंगा प्रसाद वर्मा, विशन नारायण व मौलाना हामिद अली को शामिल किया गया था। यह अधिवेशन अपने पूर्ववर्ती दोनों अधिवेशनों से अधिक सफल सिद्ध हुआ। इसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा पहली बार प्रतिनिधियों के रहने के लिए एक सभास्थल स्वीकार कर लिया गया। इसी अधिवेशन से कांग्रेस को एक जन संगठन बनाने का प्रयास प्रारम्भ हुआ।

कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जार्ज यूल की अध्यक्षता में प्रयागराज में सम्पन्न हुआ। इस प्रान्त के गवर्नर सर आकलैण्ड कॉल्विन ने जी जान से यह कोशिश की कि इस प्रान्त में न तो कांग्रेस का प्रचार ही होने पाये और न वह आवश्यक चन्दे का ही संग्रह कर सके। और तो और, प्रयागराज में अधिवेशन के लिये कांग्रेस को कोई जगह भी न मिल पाये, यह भी प्रयास किया गया। अंग्रेजी शासन के इस कड़े रुख के कारण मद्रास के तीसरे अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध की गयी कटु आलोचनाएँ ही थीं। अंग्रेजों के इस कड़े रुख के साथ-साथ सर सैय्यद अहमद खाँ तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद 'सितारे हिन्द' ने भी कांग्रेस का विरोध प्रारम्भ कर दिया था। सर सैय्यद अहमद ने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने को कहा। परन्तु उनके विरोध के बाद भी भारतीय मुस्लिम समाज में कांग्रेस के प्रति आकर्षण निरन्तर बढ़ ही रहा था। इसके अधिवेशनों में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 1885 में 2, 1886 में 33 और 1887 में 79 तक बढ़ चुकी थी। कांग्रेस में मुसलमानों के बढ़ते प्रभाव को देखकर सर सैय्यद ने 'मुहम्मडन एज्यूकेशनल कांग्रेस' और 'यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन' नामक दो संस्थाओं की स्थापना कर कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार प्रारम्भ कर दिया। सर सैय्यद के साथ-साथ राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' ने भी कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार में उनका पूरा साथ दिया। 'ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन' तथा सर दिनशा मानक जी पेटिट जैसे धनिक पारसियों ने भी कांग्रेस को कमजोर करने की पूरी कोशिश की। इन बाह्य विरोधों के बाद भी प्रयागराज का अधिवेशन पहले तीन अधिवेशन से अधिक सफल सिद्ध हुआ। इसमें कुल 1248 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें 964 हिन्दू, 222 मुसलमान, 7 पारसी, 11 जैन, 6 सिक्ख, 16 ईसाई, 2 यूरोपियन और 20 अमरीका निवासी भारतीय थे। इन प्रतिनिधियों में से 11 नवाब, 1 शहजादा, 2 मुगल राजकुमार, 3 अन्य राजकुमार, 388 जमींदार, 448 वकील, 77 पत्रकार, 143 आयुक्त, 58 शिक्षक तथा 10 किसानों ने हिस्सा लिया था। यद्यपि संख्या की दृष्टि से प्रयागराज का अधिवेशन एक सफल अधिवेशन था परन्तु इसमें सामन्तों तथा अभिजात्यवर्गीय प्रतिनिधित्व का वर्चस्व इतना अधिक बढ़ गया कि अंग्रेजी राज के प्रति कांग्रेस का रुख पहले की तुलना में अधिक नरम होने लगा। इस नरम रुख का नेतृत्व रानाडे और गोखले आदि कर रहे थे। इस नरम रुख के परिणास्वरूप ही 1892 का अधिवेशन लंदन में करने का निर्णय लिया गया था हालाँकि बाद में इसे प्रयागराज में करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का यह दूसरा अधिवेशन था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1899 में लखनऊ में हुआ, जिसमें कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया तथा इसी अधिवेशन में प्रादेशिक कमेटियों के गठन का निर्णय भी लिया गया।

कांग्रेस के इस नरम रुख के विरुद्ध कांग्रेस के अन्दर ही एक उग्रवादी धारा प्रवाहित होने लगी जिसका नेतृत्व तिलक तथा अरविन्द घोष कर रहे थे। बम्बई से प्रकाशित होने वाले 'इन्दु प्रकाश' में अरविन्द घोष ने कांग्रेस के इस नये रुख के विरुद्ध जमकर लिखा अरैर 1895 के पूना कांग्रेस में तिलक ने यह सीधा आरोप लगा दिया कि वह इसे आम जनता तक नहीं ले जाना चाहते हैं। 1905 तक कांग्रेस पर यद्यपि नरम और गरम

पंथियों का ही वर्चस्व स्थापित रहा परन्तु धीरे-धीरे तिलक की बढ़ती लोकप्रियता ने नरम और गरम पंथ के मध्य दूरी को बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया था। 1905 के बंगाल विभाजन ने कांग्रेस के इस आन्तरिक मतभेद को अत्यधिक बढ़ा दिया। बंग भंग आन्दोलन में दिये गये बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा के नारे के प्रश्न पर कांग्रेस में तीखे मतभेद उत्पन्न हो चुके थे। ऐसे माहौल में कांग्रेस का 25वाँ अधिवेशन बनारस में हुआ। इन दोनों समूहों में पहला टकराव बनारस में ही हुआ। इस विवाद का प्रथम कारण 'प्रिंस आफ वेल्स' का स्वागत प्रस्ताव था। नरम पंथी इस प्रस्ताव को पारित कराना चाहते थे, जबकि तिलक आदि इसके विरुद्ध थे। बाद में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जब तिलक दल ने 'बहिष्कार' आन्दोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया तो नरम दल ने इसका जमकर विरोध किया। इस अधिवेशन का प्रारम्भ ही कटुताओं से हुआ था। वास्तव में, गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल ने 81 वर्षीय दादाभाई नौरोजी को ब्रिटेन से बुलाकर तीसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था। इसका विरोध गरम दल न कर सका था। 'स्वदेशी' आन्दोलन को लेकर भी दोनों दलों में विरोध प्रारम्भ हो गया था। इन सब का परिणाम 1907 के सूरत कांग्रेस में उस समय सामने आया जब यह विरोध अपनी चरम सीमा में पहुँच गया तथा कांग्रेस दो हिस्सों में विभाजित हो गयी।

इस समय स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के आन्दोलनों के विरुद्ध सरकारी दमन चक्र भी अपने चरम सीमा पर था। तिलक को 24 जून 1908 को केसरी में प्रकाशित दो लेखों के लिए 6 वर्ष की सजा दे दी गयी। बंगाल के प्रसिद्ध नेताओं अश्विनी कुमार दत्त और कृष्ण कुमार मित्र को देश निकाला दे दिया गया। कांग्रेस अब पूरी तरह नरम दल वालों के हाथ में आ चुकी थी क्योंकि विपिनचन्द्र पाल तथा अरविन्द घोष भी सक्रिय राजनीति से निकल गये थे।

यू.पी. कांग्रेस कमेटी

उत्तर प्रदेश (यूनाइटेड प्राविंसेज़) में कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन पं. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुआ। 1907 के सूरत विभाजन में उत्तर प्रदेश के पं. मोतीलाल नेहरू तथा पं. मदनमोहन मालवीय ने नरम पंथियों का साथ दिया था। 1909 में प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन पुनः मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आगरा में शुरू हुआ। 1910 तक कांग्रेस संगठन का विस्तार प्रदेश के अनेक जिलों तक हो चुका था। 1907 में गरम दल के निष्कासन से 1914 के प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारम्भ तक कांग्रेस नरम दल वालों के हाथ में रही।

इस बीच तिलक बर्मा के माण्डले जेल में रहे। जून 1914 में तिलक के छूटने तथा गोखले व फिरोजशाह मेहता की मृत्यु के बाद गरम दल फिर से कांग्रेस में प्रवेश पा गया। सितम्बर 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया और नवम्बर में आटोमन खलीफा ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध केन्द्रीय शक्तियों का साथ देना स्वीकार कर लिया था। तुर्की द्वारा जर्मनी का साथ देने का निर्णय लेते ही पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के मुस्लिम समाज में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का संचार प्रारम्भ होने लगा था।

भारत में भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली जैसे नेताओं के प्रयास से मुस्लिम लीग ने अपने उद्देश्यों व नीतियों में थोड़ा परिवर्तन किया और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की जगह पर भारत में स्वशासन की स्थापना को मुस्लिम लीग का उद्देश्य घोषित कर दिया। इसके साथ ही तिलक, एनी बेसेन्ट तथा जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ मुम्बई में हुआ। इन दोनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से हिन्दू-मुस्लिम भोज का आयोजन किया। इन्होंने चाँद और कमल दोनों चिह्नों वाले बैज लगा रखे थे जो हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। जिन्ना इस समय तक 'हिन्दू-मुस्लिम एकता के राजदूत' कहे जाने लगे थे।

अगले वर्ष 1916 में एक बार फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में सम्पन्न हुआ। इस समय मुस्लिम लीग के नेता स्वयं जिन्ना थे जो 1904 से ही कांग्रेस के नेता थे। लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष अम्बिका चरण मजुमदार थे। यहाँ पर कांग्रेस और लीग की एकता ने मूर्त रूप धारण किया। इन दोनों ने मिलकर जो योजना तैयार की वह 'कांग्रेस-लीग समझौता' के नाम से प्रसिद्ध हुई। कांग्रेस का यह अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि 1907 के बाद पहली बार तिलक कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हो रहे थे। तिलक की लोकप्रियता इस सीमा तक पहुँच चुकी थी कि लखनऊ स्टेशन से अधिवेशन स्थल तक उन्हें जिस घोड़ागाड़ी में लाया गया उसे घोड़ों के बदले लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने खींचकर पाण्डाल तक पहुँचाया था।

इस समय तक भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति का पदार्पण हो चुका था जो भारत की आजादी का मसीहा बनने वाला था। मोहनदास करमचन्द गांधी नामक इस महात्मा ने दक्षिणी अफ्रीका में अप्रवासी भारतीयों के अधिकारों के संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी के प्रवेश के साथ ही भारतीय राष्ट्रवाद में एक नयी दिशा का दौर प्रारम्भ हो गया। गांधीवादी राष्ट्रवाद मात्र भारत के राजनैतिक आजादी तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसने भारत की आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्रांति का नवीन दर्शन भी निरूपित किया। भारत की राजनैतिक आजादी मात्र इसकी पहली सीढ़ी थी। इस सर्वांगीण क्रान्ति के दर्शन को गांधी ने ''अहिंसा'' के चरखे पर ''सत्य'' के धागों से बुना था। गांधी के इस क्रान्तिकारी खादीवाद समाज में औद्योगिक, राजनीतिक तथा धार्मिक पूँजीवाद के लिए कोई स्थान नहीं था। इस समाज तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग ''सत्याग्रह'' था।

सन् 1914 में गांधी भी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे। उनके आने के पूर्व ही उनके सत्य, अहिंसा व सत्याग्रह की ख्याति भारत पहुँच चुकी थी। चम्पारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर गोरों द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध तथा गुजरात के खेड़ा जिले के अकालग्रस्त किसानों पर लगने वाले लगान के विरुद्ध गांधी ने सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। फरवरी 1919 में सरकार द्वारा ''रौलट कमेटी'' की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा के बाद गांधी ने क्षण भर भी इन्तजार नहीं किया। इस कानून के अन्तर्गत क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें बिना कारण बताये गिरफ्तार किया जा सकता था तथा भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत नज़रबंद व्यक्तियों को कानून समाप्त हो जाने के बाद भी बन्द रखा जा सकता था। इसमें किसी प्रकार की अपील की संभावना नहीं थी। विश्वयुद्ध के समाप्त हो जाने के बाद भी इस कमेटी के प्रस्तावों को स्वीकार करने के विरुद्ध गांधी ने सत्याग्रह सभाओं की स्थापना कर 30 मार्च से देशभर में हड़ताल तथा उपवास की घोषणा कर दी। बाद में हड़ताल का दिन 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया। गांधी की सत्याग्रह सभाओं ने जवाहरलाल नेहरू सहित अनेक युवकों को अपनी तरफ आकर्षित किया।

अक्टूबर 1920 में यू.पी. कांग्रेस का प्रान्तीय सम्मेलन मुरादाबाद में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. भगवान दास ने की। सम्मेलन में गांधी, मालवीय, मोतीलाल, जवाहरलाल, श्रद्धानंद, हकीम अजमल खाँ, मौलाना शौकत अली, मौलाना मुहम्मद अली तथा मौलना हसरत मोहानी जैसे राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण सम्मेलन बना दिया था। इस सम्मेलन ने गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दिसम्बर 1920 का नागपुर अधिवेशन गांधीमय अधिवेशन में बदल चुका था। उनके असहयोग का प्रस्ताव यहाँ बहुमत से पारित हो गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस का एक नया संविधान भी स्वीकार किया गया जिस पर गांधी की नीतियों का प्रभाव स्पष्ट था। कांग्रेस के अन्दर खादी, अस्पृश्यता निवारण, नशाबन्दी तथा राष्ट्रीय शिक्षा जैसे रचनात्मक सामाजिक कार्यों का प्रारम्भ यहीं से हुआ। भारत के इतिहास में पहली बार किसी एक व्यक्ति के आह्वान पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। छात्रों ने स्कूल छोड़ दिये और सरकारी नौकरों ने अपनी नौकरियाँ। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए पटना, अहमदाबाद तथा पूना की तरह बनारस में काशी

विद्यापीठ और अलीगढ़ में मुस्लिम विद्यापीठ की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु चितरंजन दास, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, आसफ अली तथा राजगोपालाचारी जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विदेशी कपड़ों की होली जलायी जाने लगी। हजारों की संख्या में सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिये गये। गांधी को छोड़कर देश के सभी बड़े-बड़े नेता गिरफ्तार कर लिये गये। गांधी को गिरफ्तार करने का साहस अंग्रेजी शासन नहीं कर पा रहा था। उन्होंने प्रान्तीय समितियों को स्थानीय स्तर पर सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ करने की स्वीकृति दे दी। बिहार और उड़ीसा की तरह उत्तर प्रदेश में अवध प्रान्त के किसानों ने भी गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आन्दोलन कर दिया। इसी समय ब्रिटेन के राजकुमार वेल्स ने भारत यात्रा प्रारम्भ की। अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में प्रारम्भ हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिटिश युवराज के बहिष्कार को पूरी तरह सफल बनाने का निश्चय किया गया।

जनवरी 1922 के सर्वदल सम्मेलन के अनुरोध पर गांधी ने एक माह के लिए आन्दोलन स्थगित करवा दिया, परन्तु सरकारी दमन जब फिर भी नहीं रुका तब गांधी ने बारडोली में सामूहिक आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। परन्तु बारडोली का आन्दोलन आरम्भ होने के पूर्व ही उत्तर प्रदेश के चौरीचौरा नामक स्थान पर एक ऐसी घटना हो गयी जिसने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया।

उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रान्त) के गोरखपुर जिले के एक छोटे से कस्बे चौरीचौरा में 5 फरवरी 1922 को सत्याग्रहियों का एक जत्था अपराह्न में आयोजित होने वाली एक जनसभा में भाग लेने के लिए सभा-स्थल की तरफ जा रहा था। यहाँ पर सायंकाल तक एक राष्ट्रीय नेता के आने की सूचना थी। सत्याग्रही अत्यन्त उत्साहित थे। स्वयंसेवक खादी की बनी टोपियाँ खरीद और बेच रहे थे। थाने के सिपाहियों द्वारा गाली देने पर इस जत्थे और पुलिसवालों में झगड़ा हो गया। सिपाहियों ने इस जत्थे के सत्याग्रहियों को पीटना प्रारम्भ कर दिया। सभास्थल पर एकत्रित लोगों को इसकी सूचना मिलते ही क्रोधित भीड़ ने सिपाहियों को घेर लिया। सिपाहियों ने तत्काल गोली चलानी प्रारम्भ कर दी। गांधी जी के शब्दों में, ''उनके (पुलिस) पास थोड़े से कारतूस थे; वे चुक गये। तब वे सुरक्षा के लिए थाने में घुस गये। मेरे संवादप्रेषक की सूचना के अनुसार भीड़ ने तब थाने में आग लगा दी। थाने के अन्दर बन्द सिपाहियों को तब अपनी जान बचाने के लिए बाहर आना पड़ा और तब उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये और उनकी लाश के लोथड़ों को आग में झोंक दिया गया।''

इन सिपाहियों की कुल संख्या 22 थी। इस घटना ने गांधी को अत्यन्त आहत किया। उन्होंने इस घटना को अपने सिद्धान्तों तथा कार्यक्रमों के विपरीत बताया तथा 12 फरवरी को बारडोली में कांग्रेस की बैठक बुलाकर तत्काल प्रत्येक प्रकार के आन्दोलन को समाप्त कर देने की घोषणा कर दी। कांग्रेस का कोई भी नेता इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। सभी ने गांधी के निर्णय का विरोध किया। चितरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस आदि सभी गांधी के इस निर्णय से हक्के-बक्के रह गये। निश्चय ही अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग करने का साहस मात्र गांधी में ही था। इस अवसर का लाभ उठाकर गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा छह वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया।

स्वराजवादी

आन्दोलन के प्रारम्भ से ही गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह में पूर्ण आस्था न रखने वाले भी गांधी के साथ जुड़ने पर मजबूर हो गये थे परन्तु गांधी की गिरफ्तारी तथा आन्दोलन की वापसी के बाद इस वर्ग ने 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में विधान परिषदों में प्रवेश का प्रस्ताव रखा। यह असहयोग के घोषित कार्यक्रम के विपरीत एक प्रस्ताव था। चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में इस वर्ग की यह दलील थी कि आन्दोलन के वापस हो जाने के बाद आन्दोलन के कार्यक्रम भी समाप्त हो गये। अब यह वर्ग विधान

परिषदों में पुनः प्रवेश कर अन्दर से संघर्ष जारी रखने की नीति अपनाना चाहता था। इनके विपरीत दूसरा वर्ग गांधी की अनुपस्थिति में आन्दोलन के किसी कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता था। इस प्रकार गया कांग्रेस परिवर्तनवादियों और परिवर्तन विरोधियों नामक दो घटकों में विभाजित हो गया। परिवर्तन विरोधियों का नेतृत्व राजगोपालाचारी तथा राजेन्द्र प्रसाद आदि कर रहे थे। चितरंजन दास का प्रस्ताव 860 के विरुद्ध 1740 मतों से गिर गया। चितरंजन दास ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया तथा मोतीलाल नेहरू, विट्ठलभाई पटेल, मदनमोहन मालवीय और जयकर को लेकर कांग्रेस के अन्दर ही एक अन्य दल ''स्वराज पार्टी'' की स्थापना कर दी।

इस दल ने 1923 के चुनाव में हिस्सा लिया। मध्य प्रान्त में इस दल ने बहुमत प्राप्त किया। बंगाल में भी इसे दूसरा स्थान मिला। परन्तु संयुक्त प्रान्त तथा बंगाल में इसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। केन्द्रीय विधान परिषद् में इन्होंने 101 जगहों में से 42 जगह प्राप्त कीं। सरकार के समक्ष स्वराजियों ने माँग रखी कि सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर दिया जाय, क्रूर कानूनों को निरस्त किया जाय तथा प्रान्तों को स्वायत्तता प्रदान कर परिषदों द्वारा सरकार चलायी जाय। इसके लिए इन्होंने गोलमेज सभा आयोजित करने की माँग रखी।

फरवरी 1924 में गांधी जी स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा कर दिये गये। जेल से छूटने के बाद उन्होंने स्वराजवादियों के चुनाव लड़ने के निर्णय को अपना समर्थन दे दिया। परिवर्तन विरोधियों के अनुसार स्वराजवादियों के समक्ष यह गांधी का आत्मसमर्पण था। 16 जून 1925 को चितरंजन दास की मृत्यु के बाद मोतीलाल नेहरू स्वराजवादियों के एकमात्र नेता बन गये। परन्तु मदनमोहन मालवीय से उत्पन्न उनके मतभेद ने स्वराजवादियों को विभाजित कर दिया। मालवीय ने जयकर तथा लाजपत राय के साथ मिलकर ''नेशनलिस्ट पार्टी'' के नाम से एक नयी पार्टी बना ली। 1926 के चुनावों में इसे संयुक्त प्रान्त में काफी सीटें प्राप्त हुईं और स्वराजवादी पूरी तरह टूट गये। मोतीलाल नेहरू के अनुसार मालवीय-लाला गैंग कांग्रेस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था और उसे बिड़ला की धनशक्ति का भी सहयोग प्राप्त था।

अक्टूबर 1927 में ब्रिटेन की सरकार ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम की उपलब्धियों की जाँच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग के अध्यक्ष सर साइमन थे। इस आयोग में किसी भी भारतीय के न होने के कारण कांग्रेस ने आयोग के विरोध का निर्णय कर लिया। फरवरी 1928 में यह आयोग मुम्बई पहुँचा। हर नगर में ''साइमन वापस जाओ'' के नारे गूँजने लगे। एक बार फिर से असहयोग का वातावरण जीवन्त हो उठा। कांग्रेस ने मार्च 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया तथा इसमें साइमन आयोग के बहिष्कार के साथ-साथ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति को 1 जुलाई 1928 से पहले भारत के संविधान के सिद्धान्तों का प्रारूप तैयार करना था। 'नेहरू रिपोर्ट' के नाम से प्रसिद्ध इस प्रारूप में अधिराज्य अथवा औपनिवेशिक स्वराज को आधार बनाया गया था।

अगस्त में एक बार फिर सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में आयोजित किया गया। 'नेहरू रिपोर्ट' के विरोध स्वरूप जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष बोस ने इस सम्मेलन में न कोई प्रस्ताव रखा, न बहस में हिस्सा ही लिया। जवाहरलाल तथा सुभाष चन्द्र बोस ने ''इंडिपेन्डेन्स फॉर इंडिया लीग'' की स्थापना की थी। पिछले कुछ वर्षों में संगठन ने अनेक युवकों, मजदूरों तथा कृषक संगठनों को अपनी ओर आकर्षित किया था। सोवियत क्रान्ति की सफलता से उत्साहित तथा मार्क्स-लेनिन के सिद्धान्तों से चमत्कृत नेहरू इस विद्रोही युवा वर्ग के नेता बन चुके थे। उनके नेतृत्व में इस समूह ने नेहरू रिपोर्ट का जमकर विरोध किया। अपने पिता के निर्देशों पर जिस रिपोर्ट को उन्होंने स्वयं लिखा था उसी को जवाहरलाल नेहरू ने इस सम्मेलन में पूरी तरह खारिज कर दिया कि यह रिपोर्ट हिन्दू सम्प्रदायवादियों

की जीत के समान है न कि प्रतिक्रियावादी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की। खिलाफत आन्दोलन के समापन तथा उसके बाद प्रारम्भ हिन्दू-मुस्लिम दंगों के कारण अली बन्धु का मोह भी अब कांग्रेस से पूरी तरह समाप्त हो चुका था। मोतीलाल नेहरू ने बहुत प्रयास किया कि जिन्ना उनकी रिपोर्ट का समर्थन कर दें, परन्तु जिन्ना उनके पुत्र नहीं थे जो अपने पिता की भाँति तत्परता से विचार परिवर्तन कर दिया करते थे। मोतीलाल नेहरू तथा हिन्दू महासभा के उनके समर्थकों ने जिन्ना की इस माँग को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया कि केन्द्रीय विधान सभा में मुसलमानों को एक तिहाई प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

30 अक्टूबर 1928 को साइमन आयोग के पंजाब आगमन के विरोध में एक बहिष्कार जुलूस का आयोजन लाहौर में किया गया था। इस जुलूस का नेतृत्व 64 वर्षीय लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस जुलूस पर पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय इतने घायल हो गये कि कुछ सप्ताहों बाद हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गयी। उनके असामयिक मृत्यु से पूरा देश शोकग्रस्त व क्रोध से भर उठा।

नवम्बर के अन्तिम दिनों में साइमन आयोग को लखनऊ आना था। उसी समय लखनऊ विश्वविद्यालय में उपाधि वितरण समारोह भी होना था जिसमें आयोग के समारोह में बहिष्कार करने की अपील की। लखनऊ में आयोजित आयोग विरोध जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन्हें भी पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ीं। अगले दिन रेलवे स्टेशन पर किये गये विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी जवाहरलाल ने किया। यहाँ भी उन्हें पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। लखनऊ में पुलिस की लाठियाँ खाने के बाद नेहरू की राजनीतिक प्रतिष्ठा को चार चाँद लग गये।

दिसम्बर 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में बोस ने रिपोर्ट में संशोधन पेश कर कांग्रेस के लक्ष्य को पूर्ण स्वाधीनता करने का प्रस्ताव रखा। नेहरू ने इसका समर्थन किया। परन्तु गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह समझौतापरक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि यदि 31 दिसम्बर 1929 तक भारत को औपनिवेशिक स्वराज न प्रदान किया गया तो कांग्रेस असहयोग आन्दोलन तथा करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ कर देगी। इस एक वर्ष में सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन तक नहीं प्राप्त हो सका। इसी बीच 28 दिसम्बर 1926 को लखनऊ में ए.आई.सी.सी. की बैठक हुई जिसमें जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अन्ततोगत्वा दिसम्बर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में प्रारम्भ हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया तथा नेहरू रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया। 31 दिसम्बर की आधी रात को प्रतिनिधियों ने पण्डाल से बाहर निकलकर पूर्ण स्वाधीनता का झण्डा फहराया। एक बार फिर पूरा देश गांधी की तरफ देखने लगा था।

क्रान्तिकारी आन्दोलन और संयुक्त प्रान्त

सन् 1917 से 1921 के मध्य का काल भारत में कम्युनिस्ट आन्दोलन की तैयारी का समय था। 1917 की सोवियत क्रान्ति तथा मानवेन्द्रनाथ राय, अवनिनाथ मुखर्जी, वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय व भूपेन्द्रनाथ दत्त के प्रयासों से भारत में साम्यवादी दल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया था। कानपुर के ''प्रताप'' तथा ''प्रभु'' नामक अखबार बोल्सेविज्म के प्रचार में जोर-शोर से लगे थे। सितम्बर 1924 में कानपुर के एक पत्रकार सत्यभक्त ने ''भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी'' की स्थापना कर दी थी। इस दल ने यह घोषणा की कि इसका कोई भी सम्बन्ध कामिनतर्न तथा विदेशों में सक्रिय क्रान्तिकारी दलों से नहीं है। इस दल का पहला सम्मेलन दिसम्बर 1925 में कानपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पेरियार ने की। पार्टी के दूसरे अधिवेशन तक इसमें कामिनतर्न के साथ सम्बन्धों के प्रश्न पर पर्याप्त मतभेद उत्पन्न हो चुका था। कलकत्ता के इस अधिवेशन में सत्यभक्त ने यह घोषणा की कि पार्टी अपना राष्ट्रीय चरित्र बनाये रखेगी। परन्तु प्रतिनिधियों का बहुमत इसके विरुद्ध था फलस्वरूप सत्यभक्त ने त्यागपत्र देकर ''राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी'' की स्थापना कर दी। इसके विपरीत

''भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी'' ने अपना लक्ष्य क्रान्तिकारी संगठन की स्थापना तथा साम्राज्य विरोधी नीति को बनाया।

संयुक्त प्रान्त में गांधी का आन्दोलन प्रारम्भ होने के पूर्व लखनऊ तथा लखनऊ के आस-पास के जिलों में किसानों के बीच एक जनान्दोलन चल रहा था। ''एका'' आन्दोलन नामक इस जनान्दोलन का नेतृत्व किसान मदारी पासी कर रहे थे। यह आन्दोलन लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर तथा फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था। इस आन्दोलन का उद्देश्य किसानों के बीच साम्प्रदायिक एकता बनाए रखना तथा एकजुट होकर जमींदारों के शोषण का विरोध करना था। इस आन्दोलन से जुड़े मुखिया कृषकों को अपनी बैठकों में निमंत्रित करने के लिए सुपारी का उपयोग करते थे। इन बैठकों को मदारी पासी संबोधित करते थे। यह सभी किसानों को गीता तथा कुरान पर हाथ रखकर आपसी एकता बनाये रखने तथा बन्दी कृषक परिवारों को सहायता प्रदान करने की शपथ दिलवाते थे। सरकारी दमन के कारण यह आन्दोलन बहुत शीघ्र ही समाप्त हो गया। इसी दौर के प्रारम्भ में गांधी के असहयोग आन्दोलन ने अवध के किसानों तथा शहरी निम्न मध्यम वर्ग के नवयुवकों को अपनी तरफ आकर्षित करना प्रारम्भ कर दिया था। परन्तु चौरीचौरा काण्ड के बाद जब गांधी ने असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया तो इन निराश निम्न मध्यमवर्गीय युवाओं को क्रान्तिकारी सैन्यवाद ने अपनी तरफ आकर्षित करना प्रारम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप बंगाल, पंजाब तथा संयुक्त प्रान्त में क्रान्तिकारी गतिविधियाँ जोर पकड़ने लगीं।

संयुक्त प्रान्त में इन्हीं क्रान्तिकारी गतिविधियों का परिणाम था 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की सुप्रसिद्ध घटना। इस घटना के तत्काल बाद पूरे संयुक्त प्रान्त में क्रान्तिकारियों की धरपकड़ प्रारम्भ हो गयी। इसके अभियुक्तों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खाँ तथा रोशन सिंह को फाँसी की सजा हुई तथा रामप्रसाद खत्री, मन्मथनाथ गुप्त सहित अनेकों क्रान्तिकारियों को लम्बे कारावास की सजायें सुनायी गयीं। क्रान्तिकारियों की तरफ से इस मुकदमे को बिना फीस लिये लड़ने के लिए जब कोई बड़ा वकील नहीं तैयार हुआ, तब चन्द्रभानु गुप्त नामक युवा वकील ने अपनी निःशुल्क सेवाएँ अर्पित कीं। बाद में यही चन्द्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने।

गिरफ्तारी से बचे क्रान्तिकारियों ने दिल्ली में फिरोजशाह कोटला के खण्डहरों में एक गुप्त बैठक आयोजित की। इनका उद्देश्य बिखर चुके क्रान्तिकारियों को पुनः संगठित करना था। इस ऐतिहासिक बैठक में संयुक्त प्रान्त का प्रतिनिधित्व शिववर्मा, जयदेव कपूर, सुरेन्द्र पाण्डे तथा विजय कुमार सिन्हा ने किया था। अन्य प्रतिनिधियों में पंजाब से सरदार भगत सिंह और सुखदेव, राजस्थान से कुन्दन लाल तथा बिहार से फणीन्द्र घोष व मनमोहन बनर्जी ने हिस्सा लिया। बंगाल से कोई भी प्रतिनिधि नहीं आ सका था। कोटला बैठक के समय एकत्रित क्रान्तिकारी संयुक्त प्रान्त व पंजाब के दो समूहों में विभाजित थे। इन दोनों समूहों ने एक सामूहिक नेतृत्व में कार्य करने का निर्णय लिया। इस समूह का नाम ''हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन'' (एच.एस.आर.ए.) रखा गया तथा चन्द्रशेखर आजाद को इस संगठन का सेनापति चुना गया। एक केन्द्रीय समिति का निर्वाचन भी किया गया जिसमें पंजाब से भगत सिंह व सुखदेव, संयुक्त प्रान्त से शिव वर्मा व विजय कुमार सिन्हा, राजस्थान से कुन्दनलाल तथा बिहार से फणीन्द्र घोष चुने गये। संगठन का मुख्यालय आगरा को बनाया गया तथा नीतिगत रूप से यह स्वीकार किया गया कि धन एकत्रित करने के लिए आम नागरिकों के यहाँ डकैतियाँ नहीं डाली जाएंगी।

साइमन आयोग के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर जिस प्रकार पुलिस ने लाठियाँ बरसायी थीं और जिसके कारण उनका देहावसान हो गया था, उसे एच.एस.आर.ए. ने एक राष्ट्रीय अपमान माना तथा उसका बदला लेने का निर्णय लिया। 19 दिसम्बर, 1928 को सरदार भगत सिंह ने जे.पी. साण्डर्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या कर इस अपमान का बदला लिया। इस क्रान्तिकारी कार्य में भगत सिंह के साथ

चन्द्रशेखर आजाद व राजगुरु आदि भी शामिल थे। साण्डर्स की हत्या के बाद एच.एस.आर.ए. के सदस्यों ने गुप्त रूप से लाहौर में स्थान-स्थान पर इस आशय का हस्तलिखित पोस्टर भी चिपकाया जिसमें उस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने की बात घोषित की गयी थी। यह पोस्टर एच.एस.आर.ए. के सेनापति की तरफ से जारी किया गया था।

भारत में क्रान्ति के लिए आवश्यक जनता का सहयोग प्राप्त करने का ध्येय बनाकर इन क्रान्तिकारियों ने अपनी गतिविधियों का स्वरूप बदलने का निर्णय किया। गुप्त रूप से कार्य करने की अपेक्षा अब इन्होंने जनता के बीच में कार्य करने का विचार बनाया। इस नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय विधान मण्डल में बम फेंक कर भारत की सोयी जनता को जगाने का निर्णय लिया गया। इस कार्य की जिम्मेदारी सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर डाली गयी। हालांकि, इस मिशन पर भगत सिंह को भेजने के पक्ष में कोई नहीं था क्योंकि यह सभी को पता था कि उनको भेजने का अर्थ उन्हें मौत के मुँह में भेजने के समान था। साण्डर्स हत्याकाण्ड में पुलिस को उनकी तलाश थी। उनके पकड़े जाने का अर्थ उन्हें फाँसी के तख्ते पर भेजने जैसा ही था। परन्तु भगत सिंह का मानना था कि पकड़े जाने पर क्रान्तिकारियों के पक्ष को उनसे बेहतर अन्य कोई नहीं रख सकता था। मजबूर होकर संगठन ने इस कार्य की जिम्मेदारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर डाली। 9 अप्रैल 1926 को इन दोनों क्रान्तिकारियों ने केन्द्रीय विधान मंडल में बम फेंक दिया। यह बम ''श्रमिक विवाद प्रस्ताव'' तथा ''जन सुरक्षा संशोधन प्रस्ताव'' की घोषणा के विरुद्ध फेंका गया था। बम के साथ-साथ इन दोनों ने पर्चे भी फेंके तथा नारे भी लगाये। भागना संभव होने पर भी इन दोनों ने गिरफ्तार हो जाना उचित समझा जो उनकी पूर्व निर्धारित नीतियों का ही एक अंग था।

भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के इस मिशन में सहयोग हेतु जिन दो अन्य क्रान्तिकारियों को चुना गया था वे दोनों संयुक्त प्रान्त के थे। इन दोनों को विधान मंडल के बाहर तक पहुँचाने का कार्य शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर ने किया था। इसके तत्काल पश्चात् शिव वर्मा भगत सिंह का एक फोटोग्राफ तथा सुखदेव के नाम पर एक पत्र लेकर लाहौर चले गये। वह फोटोग्राफ 7 अप्रैल की शाम को ही लाहौर प्रेस को सौंप दिया गया था, जिसने 8 अप्रैल के बम काण्ड के बाद इसे सर्वप्रथम प्रकाशित किया था।

भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त दोनों पर बम फेंकने और भगत सिंह पर साण्डर्स की हत्या का मुकदमा कायम किया गया। पूरे देश में क्रान्तिकारियों की गिरफ्तारी का दौर प्रारम्भ हो गया। शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर को सहारनपुर में क्रान्तिकारियों द्वारा संचालित बम फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ''द्वितीय लाहौर षड्यंत्र मुकदमे'' के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध इस मुकदमे में इन चारों के अतिरिक्त सुखदेव, राजगुरु, डॉ. गया प्रसाद कटियार, विजय कुमार सिन्हा, किशोरी लाल तथा कुन्दनलाल आदि भी अभियुक्त थे। चन्द्रशेखर आजाद अन्त तक नहीं पकड़े गये। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में वह एक पुलिस मुठभेड़ में बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फाँसी दे दी गयी। शेष सभी उपरोक्त अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। इस मुकदमे के दौरान क्रान्तिकारियों ने अपने बयानों से पूरे देश की सहानुभूति व समर्थन अर्जित करने में सफलता पा ली थी।

इस समय तक भारत में गांधीवादी आन्दोलन का दूसरा दौर आरम्भ हो चुका था। क्रान्तिकारी संगठनों की गतिविधियों में जो ठहराव अब आया वह गांधीवादी राष्ट्रवाद के दूसरे दौर के कारण फिर अपनी पुरानी तीव्रता नहीं पा सका। परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन बहादुर क्रान्तिकारियों के साहसिक कारनामों ने जनचेतना को आन्दोलित कर दिया था।

नमक आन्दोलन

1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया था। गांधी ने

वायसराय इरविन के सामने एक 11 सूत्री माँगपत्र रखा। इरविन से निराश होने के बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। उन्होंने 12 मार्च 1930 को प्रातःकाल साबरमती आश्रम से कूच किया। उनके साथ कुल 78 सत्याग्रही थे। 24 दिन में 200 मील की यह महान यात्रा पूरी कर वह 6 अप्रैल को डांडी के समुद्र तट पर पहुँचे। नियत समय पर डांडी तट से नमक उठाकर उन्होंने सर्वशक्तिमान ब्रिटिश साम्राज्य के नमक कानून को तोड़कर उसे खुली चुनौती दे डाली। इस अवसर पर दुनिया भर के प्रेस रिपोर्टर वहाँ उपस्थित थे। केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व की नजर इन 24 दिनों तक गांधी पर टिकी रही थी। गांधी द्वारा नमक कानून का उल्लंघन होते ही पूरे देश में बिजली सी कौंध गयी। लोग स्थान-स्थान पर नमक बनाकर यह कानून तोड़ने लगे। गांधी के इस अहिंसक सत्याग्रह ने एक क्रान्तिकारी रूप धारण कर लिया। पुलिस का दमन चक्र भी बढ़ता चला गया। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 मई को गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

25 जनवरी 1931 को गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेता रिहा कर दिये गये। 4 मार्च 1931 को गांधी व इरविन के मध्य समझौता हो गया। तत्पश्चात् 31 मार्च को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अत्यन्त कटुतापूर्ण माहौल में करांची में प्रारम्भ हुआ। भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फाँसी के केवल 6 दिन बाद प्रारम्भ होने वाले इस सम्मेलन में गांधी का स्वागत गांधी विरोधी नारों के साथ किया गया। जो भी हो, इस अधिवेशन ने गांधी-इरविन सन्धि पर अपनी मोहर लगा दी। करांची अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कांग्रेस की आर्थिक नीतियों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करना था। 17 अप्रैल 1931 को इरविन के स्थान पर लार्ड विलिंगडन ने वायसराय का पद लिया। 29 अगस्त को गांधी लन्दन में आयोजित होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत से रवाना हो गये। इसी मध्य जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय ले लिया था। इस समय तक नेहरू के सहयोगी के रूप में जयप्रकाश नारायण और लालबहादुर शास्त्री नेहरू के साथ जुड़ चुके थे। हालांकि, गांधी ने उन्हें फिलहाल इंतजार करने की हिदायत दे रखी थी तथा वल्लभभाई पटेल ने भी गांधी के भारत वापसी तक ऐसा करने से रोका था। गांधी के वापस लौटने के एक दिन पूर्व ही 26 दिसम्बर को ही वह गिरफ्तार किये जा चुके थे। गांधी ने अपनी गिरफ्तारी के एक दिन पूर्व वायसराय को आन्दोलन प्रारम्भ करने की मजबूरी से अवगत करा दिया था। इस बार जो आन्दोलन प्रारम्भ किया गया, उसने अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग स्वरूप ग्रहण कर लिया। संयुक्त प्रान्त तथा बिहार में करबन्दी का आन्दोलन चलाया गया। इसी प्रकार अन्य कई प्रान्तों में भी आन्दोलन प्रारम्भ हो गये।

ब्रिटिश सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसी बीच साम्प्रदायिक अधिनिर्णय (कम्युनल एवार्ड) की घोषणा कर दी। इस घोषणा में दलितों (अछूतों) के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गयी थी। इस घोषणा ने दलितों को एक अल्पसंख्यक वर्ग मानकर पृथक् निर्वाचन का हकदार मान लिया था। यरवदा जेल में बंदी गांधी ने इसके विरुद्ध 20 सितम्बर से आमरण अनशन की घोषणा कर दी परन्तु उन्होंने पृथक् निर्वाचन को मुद्दा नहीं बनाया। उनका कहना था कि सवर्ण हिन्दू जातियाँ अपनी कट्टरता से बाज आएं। हिन्दू नेताओं ने एक सम्मेलन किया जिसमें सप्रू जयकर, राजगोपालाचारी, राजेन्द्र प्रसाद, एम.सी. राजा, डॉ. अम्बेडकर, सर चिमनलाल सितलवाड, एन.एस. एनी, डॉ. मुंजे, पी. बालू, कुजरू व ए.वी. ठक्कर सहित लगभग सौ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि किसी भी कीमत पर गांधी के जीवन की रक्षा करनी है तथा शीघ्रातिशीघ्र अस्पृश्यता के धब्बे को मिटा देना है। मंगलवार 20 सितम्बर को गांधी ने अपना अनशन प्रारम्भ किया। गांधी हरिजनों के लिए पृथक् निर्वाचन के क्षेत्रों के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन के क्षेत्रों में ही अधिक प्रतिनिधित्व देने की माँग कर रहे थे। इस बार के अनशन में गांधी की हालत बहुत शीघ्र ही तेजी से गिरने लगी थी। छह दिनों में ही उनकी हालत एक मरणासन्न व्यक्ति जैसी हो गई। हरिजनों

के प्रतिनिधि के रूप में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने गाँधी जी से विचार-विमर्श कर पृथक निर्वाचन मण्डल बनाए जाने की माँग छोड़ दी। यह डॉ. अम्बेडकर का दलितों के मध्य बढ़ता प्रभाव ही था जिसमें सवर्ण हिन्दू नेताओं की अस्पृश्यता मिटाने का निर्णय लेने के लिए बाध्य किया। यरवदा जेल के अन्दर ही 24 सितम्बर 1932 को गांधी-अम्बेडकर समझौता हुआ और 26 सितम्बर को ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट ने भी इस समझौते को अपनी मंजूरी देते हुए साम्प्रदायिक अधिग्रहण की घोषणा वापस ले ली। यह सूचना प्राप्त होने के बाद गांधी ने अपना अनशन तोड़ दिया। पूना पैक्ट या यरवदा पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध इस समझौते के बाद गांधी ने हिन्दू समाज में छुआछूत की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए ''मन्दिर प्रवेश'' का आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। इस आन्दोलन के कारण सनातनी हिन्दू वर्ग गांधी से काफी नाराज हो गया। जेल से छूटने के बाद गांधी राजनीति से अलग हो गये तथा अछूतोद्धार जैसे सामाजिक कार्यों में लग गये। उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन भी वापस ले लिया। वास्तव में गांधी कांग्रेस के अन्दर बन चुके वाम व दक्षिणपन्थी गुटों की आपसी खींचतान से अत्यन्त खिन्न हो चुके थे। अक्टूबर 1934 में तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ने तक की घोषणा कर दी।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी

पूरी दुनिया में इस समय समाजवाद का दौर चल रहा था। 1917 की रूसी क्रान्ति के बाद मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का प्रभाव यूरोप सहित उपनिवेशवाद से ग्रसित समस्त देशों में युवा वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। कांग्रेस भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं बची थी। इस समय नेहरू भी समाजवाद के रोमांस से आप्लावित थे। फरवरी 1927 में वे ब्रूसेल्स में अन्तर्राष्ट्रीय दमित राष्ट्रीयताओं का सम्मेलन भी कर चुके थे। अपने क्रान्तिकारी व वामपंथी विचारों के कारण वह कांग्रेस के अन्दर समाजवाद से प्रभावित युवा वर्ग के नेता बन चुके थे। इस बीच जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा तथा राहुल सांकृत्यायन ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर ली थी। इसका उद्देश्य भारत में एक ऐसे समाजवादी राज्य की स्थापना करना था जिसमें निजी सम्पत्ति के लिए न कोई स्थान था न भूमि व पूँजी पर व्यक्ति के स्वामित्व का। इसी तर्ज पर संयुक्त प्रान्त में सम्पूर्णानन्द, परिपूर्णानन्द, कमलापति त्रिपाठी तथा तारापद भट्टाचार्य ने और युसुफ मेहर अली, एम.आर. मसानी, अच्युत पटवर्धन तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बाम्बे में समाजवादी दलों की स्थापना कर ली थी। 1933 में नासिक जेल में बन्द कांग्रेस के अनेक युवा समाजवादियों ने कांग्रेस के अन्दर एक अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने का विचार किया। इस विचार को प्रारम्भ करने वालों में प्रमुख थे– जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, एम.आर. मसानी, एन.जी. गोरे, अशोक मेहता, एस.एम. जोशी तथा एम.एल. दाँतवाला। अप्रैल 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य सम्पूर्णानन्द ने बनारस में एक पर्चा लिखा। भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह कांग्रेस में प्रभावशाली हो चुके पूँजीवादी और सामन्तवादी तत्वों को चुनौती देने के लिए आवश्यक था। इसमें यह बात भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित थी कि जब कभी भी समाजवादियों के हाथ में सत्ता आयेगी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाएगा तथा उद्योगों, बैंकों व भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। 1934 में कांग्रेस के एक समूह के द्वारा विधान परिषदों में प्रवेश का समर्थन करने के बाद कांग्रेस के समाजवादियों ने एक अलग दल बनाने का मन बना लिया। 17 मई 1934 को आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में समाजवादियों का एक सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में आचार्य जी ने कांग्रेस के अन्दर नये स्वराजवादी दल के स्थापना की आलोचना करते हुए कांग्रेस समाजवादी दल की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया। इस दल के सचिव की हैसियत से जयप्रकाश नारायण ने अन्य प्रान्तों में भी इसके प्रचार के लिए देश का दौरा प्रारम्भ कर दिया।

कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम वार्षिक सम्मेलन 21-22 अक्टूबर 1934 को सम्पूर्णानन्द की

अध्यक्षता में बम्बई में हुआ इसमें 13 प्रान्तों के 150 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जयप्रकाश नारायण (मुख्य सचिव), एम.आर. मसानी, मोहनलाल गौतम, एन.जी गोरे तथा ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद (सहायक सचिव) तथा आचार्य नरेन्द्र देव, सम्पूर्णानन्द, श्रीमती कमला चट्टोपाध्याय, पुरुषोत्तमदास, त्रिकमदास, पी.वी. देशपाण्डे, राममनोहर लोहिया, एम.एम. जोशी, अमरेन्द्र प्रसाद मिश्रा, चार्ल्स मस्करिनास, नवकृष्ण चौधरी तथा अच्युत पटवर्धन (सदस्य) निर्वाचित किये गये। इस सम्मेलन में दल का संविधान तथा कार्यक्रम भी तय किया गया। यद्यपि जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चन्द्र बोस ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का समर्थन किया परन्तु दोनों में से किसी ने भी इसकी सदस्यता नहीं ग्रहण की। कांग्रेस के दक्षिणपन्थी गुट ने इसका जमकर विरोध किया। वल्लभभाई पटेल ने इसे एक मूर्खतापूर्ण कार्य बताया।

कांग्रेस समाजवादी आन्दोलन के प्रति कृषकों, मजदूरों व छात्रों का आकर्षण तेजी से बढ़ने लगा। प्रो. एन.जी. रंगा, इन्दुलाल याज्ञनिक, स्वामी सहजानन्द आदि के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1936 में किया गया। इस सम्मेलन में सामन्तवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की माँग रखी गयी। इस प्रकार कांग्रेस के अन्दर समाजवाद के प्रति आस्था रखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी। इसके साथ ही कांग्रेस स्पष्ट रूप से वामपंथी व दक्षिणपंथी गुटों में लामबन्द होने लगी। वामपंथियों का नेतृत्व यदि नेहरू कर रहे थे तो दक्षिणपंथियों का पटेल। गांधी यद्यपि समाजवादियों के मार्क्सवादी और लेनिनवादी रुझान के कारण उनकी आलोचना कर रहे थे परन्तु वह दक्षिणपंथियों के साथ भी नहीं थे। यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे देना ही उचित समझा था।

इसी बीच 2 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद ने 1935 के अधिनियम को मंजूरी दे दी थी। यद्यपि कांग्रेस ने सर्व सम्मति से इस अधिनियम को खारिज कर दिया था परन्तु अब यह स्पष्ट हो चुका था कि कांग्रेस का दक्षिणपंथी गुट इसके अन्तर्गत पदों को स्वीकार करने का मन बना बैठा था। जबकि समाजवादियों के नेतृत्व में कांग्रेस का वामपंथी गुट इस अधिनियम के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन चलाने तक की बात कर रहा था। कांग्रेस के इसी गुटबंदी के दौर में इसका वार्षिक सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सम्पन्न इस सम्मेलन ने यद्यपि 1935 के अधिनियम की कड़ी आलोचना की परन्तु इसके अन्तर्गत चुनावों में हिस्सा लेने की बात को भी इसने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के अन्दर समाजवादियों की यह एक करारी हार थी।

1937 का प्रान्तीय मंत्रिमंडल

कांग्रेस का 50वाँ वार्षिक अधिवेशन 27-28 दिसम्बर, 1936 को फैजपुर (महाराष्ट्र) में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन के लिए एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू को ही पुनः अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसमें कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। चुनाव प्रचार लखनऊ के सम्मेलन के बाद ही प्रारम्भ हो गया था। उन चुनावी सभाओं में नेहरू को सुनने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए अगर भीड़ जुटती थी। राजतंत्र की मानसिकता से ग्रस्त, भारत की निर्धन एवं अनपढ़ जनता, खूबसूरत और प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक नेहरू में अपने भावी शासक के दर्शन के लिए उमड़ रही थी, न कि उनके वैज्ञानिक समाजवाद से ओत-प्रोत भाषणों को सुनने के लिए, जिसे समझने में वह पूरी तरह असमर्थ थी। जो भी हो, जनवरी 1937 में सम्पन्न प्रान्तीय विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता हाथ लगी। सभी प्रान्तों के कुल 1585 स्थानों में से 714 पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की। संयुक्त प्रान्त के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता हाथ लगी। इन 228 स्थानों में 64 मुस्लिम और 164 सामान्य (24 विशेष) स्थान थे।

1935 के अधिनियम के अन्तर्गत भारत के प्रान्तों में नयी संवैधानिक योजना को 1 अप्रैल 1937 तक लागू कर देना था। तत्कालीन संवैधानिक प्रावधानों में शामिल गर्वनर के अपार अधिकारों का विरोध कर

रही कांग्रेस सरकार बनाने को तैयार नहीं थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेसी बहुमत वाले प्रान्तों में 1 अप्रैल को अल्पमत की सरकारों का गठन कर दिया। संयुक्त प्रान्त के राज्यपाल सर हैरी हेग ने नवाब छतारी के नेतृत्व में यहाँ भी एक अल्पमत की सरकार का गठन कर दिया। इस मंत्रिमंडल में सलेमपुर के राजा भी शिक्षा मंत्री के रूप में शामिल थे। अन्त में गवर्नर-जनरल लार्ड लिनलिथगो ने 22 जून को एक समझौतापरक परन्तु अस्पष्ट वक्तव्य देकर कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए राजी कर लिया।

संयुक्त प्रान्त में चुनाव के पूर्व से ही इस प्रकार की संभावना बनने लगी थी कि यहाँ कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की मिली-जुली सरकार बन सकती है। हालांकि औपचारिक रूप से ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था परन्तु चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस ने किसी भी प्रकार के गठबन्धन की संभावना को पूरी तरह नकार दिया। यद्यपि संयुक्त प्रान्त में मोहनलाल सक्सेना जैसे कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता अभी भी मुस्लिम लीग के साथ गठबन्धन के पक्षधर थे परन्तु जवाहरलाल नेहरू इसके बिल्कुल विरुद्ध थे। संयुक्त प्रान्त में मुस्लिम लीग के सुप्रसिद्ध व प्रभावशाली नेता चौधरी खलिकजुमा 12 मई 1937 को नेहरू से मिलने इलाहाबाद भी गए। नेहरू ने भारत के हिन्दू-मुस्लिम समस्या के पीछे चन्द पढ़े-लिखे सामन्ती मुसलमानों का हाथ बताते हुए मुसलमानों के लिए किसी अन्य दल की आवश्यकता को पूरी तरह नकार दिया था। इसी बीच झांसी से निर्वाचित के.बी. हबीबुल्ला की मृत्यु के बाद वहाँ जून 1937 में जो उपचुनाव हुआ उसमें जमातुल उलेमा के विरोध के बावजूद मुस्लिम लीग का प्रत्याशी विजयी हो गया। इस समय तक जमात तथा कांग्रेस में समझौता हो चुका था। इस प्रकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य दूरी और अधिक बढ़ गयी।

22 जून को गवर्नर जनरल द्वारा दिये गये वक्तव्य के बाद 5 जुलाई को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक वर्धा में सम्पन्न हुई जिसमें कांग्रेस ने सरकार बनाने का निर्णय कर लिया। इस बैठक में जाते समय गोविन्दवल्लभ पंत ने लखनऊ में रुककर चौधरी खलिकजुमाँ से मुलाकात की तथा यह पूछा कि यदि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की गठबन्धन सरकार बनती है तो वह कैबिनेट में कितने स्थान का दावा करेंगे। चौधरी ने जवाब दिया 9 में 3 या 6 में 2 अर्थात् कुल संख्या का एक तिहाई। वर्धा की कार्यकारिणी की बैठक के बाद मौलाना आजाद लखनऊ आए और 12 जुलाई को चौधरी खलिकजुमाँ से मिले। उन्होंने चौधरी से गठबन्धन सरकार में शामिल होने वाले दूसरे सदस्य के बारे में बात की। चौधरी ने बताया कि वह नवाब इस्माइल खाँ होंगे। 15 जुलाई को मौलाना और गोविन्दवल्लभ पन्त दोनों चौधरी से मिले। उन्होंने चौधरी से इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने को कहा जिसमें यह लिखा था कि संयुक्त प्रान्त विधान सभा में मुस्लिम लीग एक अलग गुट के रूप में कार्य नहीं करेगा। चौधरी ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य पड़े इस दरार ने आगे चलकर एक विकराल रूप ले लिया जिसका परिणाम बाद में भारत विभाजन के रूप में सामने आया।

अन्त में कांग्रेस ने संयुक्त प्रान्त में अकेले ही सरकार बनायी। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविन्दवल्लभ पन्त के साथ रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, प्यारे लाल शर्मा तथा मोहम्मद इब्राहिम शामिल थे। लक्ष्मीनारायण को संसदीय सचिव बनाया गया। इस प्रकार संयुक्त प्रान्त में कांग्रेस की सरकार ने जुलाई के दूसरे सप्ताह से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी वर्धा बैठक (27 फरवरी से 1 मार्च 1937) में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के लिए एक चौदह सूत्री कार्य आचार संहिता का निर्माण किया था। इसके साथ ही गांधी 'हरिजन' में अपने वक्तव्यों के द्वारा समय-समय पर इन्हें निर्देश दिया करते थे।

कांग्रेस सरकारों का सबसे पहला उत्तरदायित्व 1935 के अधिनियम के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना था जिसके अन्तर्गत स्वयं इन सरकारों की स्थापना हुई थी। संयुक्त प्रान्त में यह प्रस्ताव स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी ने 2 सितम्बर 1937 को विधानसभा में रखा। 2 अक्टूबर को इस विषय पर होने वाली बहस में प्रधानमंत्री पन्त ने सभी संशोधनों का जवाब दिया जिसमें एक संशोधन मुस्लिम लीग ने भी रखा था। यह प्रस्ताव

अपने मूल रूप में ही उसी दिन पारित हो गया। 29-31 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में सम्पन्न अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि सभी कांग्रेस प्रान्तों में 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघीय योजना के विरुद्ध प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसी प्रस्ताव के अनुरूप संयुक्त प्रान्त में भी 20 जनवरी 1938 को एक प्रस्ताव पारित किया गया।

कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में राजनैतिक बन्दियों की रिहाई प्रारम्भ करने की बात सोची गई परन्तु इस प्रश्न को लेकर संयुक्त प्रान्त तथा बिहार में समस्या उत्पन्न हो गई। फरवरी 1938 तक संयुक्त प्रान्त में अभी भी 15 राजनैतिक बन्दियों का मामला विचाराधीन था। इन दोनों प्रान्तों के राज्यपाल इनकी रिहाई के पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि प्रान्त की शान्ति व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। 1935 के अधिनियम की धारा 126 (5) के अन्तर्गत गवर्नर जनरल ने भी उन राज्यपालों को यह निर्देश दे दिया कि वे किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे आत्मसमर्पण न करें। परन्तु इन दोनों प्रान्तों के प्रधानमंत्रियों ने सभी बन्दियों को एक साथ रिहा करने के अपने अधिकार पर जोर दिया जिसे राज्यपालों ने नहीं माना और इन दोनों मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया।

यह संकट उस समय सामने आया जब 19-21 फरवरी 1938 को हरिपुरा में कांग्रेस का 51वाँ अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस ने इन दोनों मंत्रिमंडलों के निर्णयों को स्वीकार कर लिया। गांधी ने सरकार के इस रवैये के विरुद्ध एक वक्तव्य भी जारी किया। 22 फरवरी को गवर्नर जनरल ने अपनी स्थिति साफ करते हुए एक वक्तव्य जारी किया, जिसके बाद 23-24 फरवरी को संयुक्त प्रान्त के प्रधानमंत्री ने राज्यपाल से मिलकर इस संकट के समझौतापरक उपायों पर विचार किया। दोनों पक्षों ने मिलजुल कर एक स्वस्थ परम्परा निर्मित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस प्रकार यह संकट किसी प्रकार टल सका। अन्त में मार्च 1938 तक सभी राजनैतिक बन्दी रिहा कर दिये गये।

संयुक्त प्रान्त की इस सरकार ने अक्टूबर 1939 में एक विस्तृत अधिनियम के द्वारा काश्तकारों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। इस अधिनियम के द्वारा आगरा और अवध क्षेत्रों के भूमिधरी अधिकारों में समरूपता लाने का प्रयास किया गया। इस सरकार ने प्रान्त में कुटीर उद्योगों के विकास की नींव रखने के लिए भी कुछ कदम उठाये। गांधी के घोषित आदेशों के अनुरूप प्रान्त में मद्य निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1938 को एटा व मैनपुरी जिलों को चुना गया। इसके साथ ही साथ जौनपुर, बिजनौर, प्रयागराज तथा लखनऊ में आबकारी दूकानों को सीधे आबकारी विभाग के अन्तर्गत कर दिया गया। हालांकि मद्य निषेध की यह नीति पूरी तरह असफल सिद्ध हुई। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जाने वाले चन्द प्रयास भी सफल न हो सके। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने इतना अवश्य किया कि काशी विद्यापीठ तथा जामिया मिलिया की उपाधियों को अन्य विश्वविद्यालयों के स्नातक उपाधि के समकक्ष मान्यता प्रदान करा दिया।

1937 से 1939 के मध्य कांग्रेस प्रशासन के दौरान हरिपुरा (गुजरात) तथा त्रिपुरी (मध्य प्रान्त) में कांग्रेस के दो वार्षिक अधिवेशन हुए। 19 से 21 फरवरी 1938 को सम्पन्न हरिपुरा के 51वें अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चन्द्र बोस ने की थी। मार्च 1939 में होने वाले अगले अधिवेशन के लिए अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़े संकट के रूप में सामने आया। कांग्रेस का दक्षिणपंथी गुट सुभाष चन्द्र बोस के पुनर्निर्वाचन का विरोधी था। इस गुट ने पट्टाभि सीतारमैया को अपना प्रत्याशी बनाया था। जबकि स्वयं बोस इस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जो 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघीय योजना का विरोधी हो। अपने पुनर्निर्वाचन का विरोध होने पर उन्होंने इस पद के लिए आचार्य नरेन्द्र देव का नाम भी सुझाया था। परन्तु नेहरू ने अपनी तरफ से मौलाना आजाद का नाम गांधी को सुझा दिया था। बाद में जब मौलाना ने अपना नाम वापस ले लिया तो बोस व पट्टाभि सीतारमैया के मध्य चुनाव हुआ। 29 जनवरी 1939 के इस चुनाव में बोस को 1850 तथा पट्टाभि सीतारमैया को 1277 मत प्राप्त हुए। बोस के पुनर्निर्वाचित होने के बाद कार्यसमिति

के 15 में से 12 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। नेहरू ने अपना त्यागपत्र अलग से दिया। 10 मार्च 1939 को त्रिपुरा में अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। गांधी राजकोट के आन्दोलन में व्यस्त होने के कारण यहाँ नहीं आ सके थे। अध्यक्ष सुभाष चन्द्र बोस स्वयं बीमार थे। ऐसे में गांधी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर तथा बिना उन्हें बताए यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि बोस अपनी कार्यसमिति के सदस्यों का चुनाव गांधी की इच्छानुसार ही करें। इस प्रस्ताव ने ही बोस द्वारा कांग्रेस को त्यागने की भूमिका लिखी। यह प्रस्ताव संयुक्त प्रान्त के प्रधानमंत्री पन्त ने रखा था। बोस अपनी कार्यसमिति का चुनाव करने में असमर्थ रहे क्योंकि गांधी ने उन पर अपनी राय लादने से मना कर दिया था। फलस्वरूप बोस के पास त्यागपत्र के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता शेष नहीं बचा था।

1 सितम्बर 1939 को जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। इसके साथ ही ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यूरोप में युद्ध प्रारम्भ होते ही वायसराय लिनलिथगो ने एक उद्घोषणा में भारत को भी इसमें शामिल कर लिया। इस घोषणा के पूर्व उन्होंने किसी भी राजनैतिक दल से कोई सलाह तक नहीं ली थी। 5 सितम्बर को वायसराय ने गांधी से मुलाकात की। गांधी ने व्यक्तिगत रूप से मित्र राष्ट्रों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखायी परन्तु कांग्रेस की तरफ से कुछ भी कहने से मना कर दिया। कांग्रेस कार्यसमिति ने फासीवाद तथा नात्सीवाद की भर्त्सना तो की लेकिन साथ में यह भी कहा कि ब्रिटिश सरकार ''युद्ध के उद्देश्यों'' को स्पष्ट करे। ब्रिटिश सरकार ने 17 अक्टूबर के अपने श्वेत पत्र में एक ''परामर्शदायी गुट'' की स्थापना तथा भविष्य में कभी ''औपनिवेशिक दर्जा'' देने की बात कही। साथ ही साथ 1935 के संविधान को निरस्त कर दिया गया। भारत में एक व्यक्ति का शासन लागू हो गया। इसके जवाब में कांग्रेस ने 29 अक्टूबर को सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके साथ ही साथ कांग्रेस की सभी आठों सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। सरकार ने इन विधानसभाओं को भंग नहीं किया क्योंकि वह इस अवसर पर चुनाव का खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी। उन्होंने उन्हें सिर्फ मुअत्तल कर दिया तथा समस्त अधिकार अपने हाथों में ले लिया।

भारत छोड़ो आन्दोलन तथा बलिया की अस्थायी सरकार

इस यूरोपीय युद्ध ने शीघ्र ही विश्वयुद्ध का रूप ले लिया। यूरोप में जर्मनी का विजय अभियान जारी था। लंदन स्वयं नाजी बमवर्षकों के निशाने पर आ चुका था। जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ हिटलर का नस्लवादी अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। मित्र राष्ट्र हर मोर्चे पर पीछे हटने को मजबूर हो रहे थे। ऐसे में नेहरू सहित पूरे कांग्रेस में सहयोग विरोधी अभियान तेज होता जा रहा था। उन्हें जुलाई में गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी की अहिंसा इस युद्ध में किसी भी प्रकार के भौतिक सहयोग के विरुद्ध थी। उनका अन्तःकरण धीरे-धीरे एक स्वरूप ग्रहण करने लगा था। अभी तक वह सहयोग के विरुद्ध नहीं थे परन्तु अचानक वह पूरी तरह से युद्ध में सहयोग को हिंसा मानने लगे थे। उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तक तोड़ लिया। कांग्रेस के एक गुट ने एक और प्रयास किया और सरकार के समक्ष राष्ट्रीय सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। राजगोपालाचारी का यह फार्मूला राष्ट्रीय स्वाभिमान के बिल्कुल विरुद्ध था परन्तु इसी बहाने नाजीवाद से लड़ने का अवसर प्राप्त हो जाने की उम्मीद में नेहरू ने इसे स्वीकार कर लिया। इसी बीच चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके थे और जेटलैण्ड के स्थान पर एमरी भारत के सचिव बन चुके थे। सरकार ने कांग्रेस के इस फार्मूले को भी अस्वीकार कर दिया।

एक बार फिर कांग्रेस के सामने गांधी के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं बचा। गांधी को पुनः कांग्रेस का निर्विरोध नेता मान लिया और कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। धीरे-धीरे कांग्रेस के सभी नेताओं की गिरफ्तारी प्रारम्भ हो गयी। बोस ने जेल में ही अनशन प्रारम्भ कर दिया। उन्हें जेल से निकालकर घर में ही नजरबन्द कर दिया गया, तभी जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के बाद भारत के साम्यवादी नाजीवाद और फासीवाद के सबसे बड़े विरोधी बन गये। इसी

माह सुभाष बाबू अंग्रेजों के अजेय चक्रव्यूह को चकमा देकर काबुल के रास्ते देश के बाहर निकल गये। उनका उद्देश्य किसी प्रकार जर्मनी तथा जापान का सहयोग प्राप्त कर भारत को आजाद कराना था। सुभाष बाबू का पलायन अपने समय का सबसे बड़ा धमाका था। देखते-ही-देखते वह देश के सर्वाधिक चर्चित नेता हो गये। दिसम्बर 1941 में पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के साथ ही इस युद्ध ने एशिया में भी प्रवेश किया। युद्ध सीमाओं के निकट आता जा रहा था। इस अवसर पर अप्रैल 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स आयोग को भारत भेजा। परन्तु इस आयोग के पास भारत को देने के लिए कुछ भी नहीं था। क्रिप्स के जाने के बाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक प्रयागराज में हुई। इसमें मीरा बेन द्वारा प्रस्तुत गांधी के प्रस्ताव ने सभी को सकते में डाल दिया। इस प्रस्ताव में गांधी ने स्पष्ट किया था कि जापान को भारत से कोई दुश्मनी नहीं है। वह भारत पर यदि आक्रमण करेगा तो इसलिए कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन यदि भारत छोड़ दे तो स्वयं भारत की अस्थायी सरकार, अपनी पूरी ताकत से, अपनी रक्षा के लिए, संयुक्त राष्ट्रों के साथ सहयोग करेगी। इस प्रस्ताव को वर्धा में अन्तिम रूप दिया गया। यही प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को ''भारत छोड़ो'' प्रस्ताव के रूप में बम्बई के अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में पारित किया गया। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद गांधी ने ''अंग्रेजों भारत छोड़ो'' तथा ''करो या मरो'' का नारा दिया। गांधी ने अपने भाषण में यह स्पष्ट किया कि जापान यदि भारत पर हमला करता है तो उसकी असली कीमत जनता को ही चुकानी होगी। युद्ध की उस भयंकरता में अहिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होगा। हिंसा के उस तांडव से मुक्ति का एक अवसर अभी शेष बचा था कि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो जापान संभवतः आक्रमण न करे। इस एक अवसर का उपयोग करने के लिए ही उन्होंने ''करो या मरो'' का नारा देते हुए बताया कि कुछ न करने का अर्थ सिर्फ मौत है चाहे वह जापानियों के हाथ से आये या अंग्रेजों के। गांधी ने इस प्रकार दुविधा की इस अभूतपूर्व स्थिति में भी अहिंसा का मार्ग तलाश ही लिया। वास्तव में गांधी प्रारम्भ से ही इसी अहिंसा की बात कर रहे थे जो कायरों की नहीं बहादुरों की अहिंसा थी।

अगले ही दिन सुबह गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लोहिया किसी तरह बच निकले और भूमिगत हो गये। पूरा भारत करो या मरो के नारे से गूँजने लगा। नेताओं की अनुपस्थिति में स्थानीय लोगों, विशेषकर छात्रों ने आन्दोलन की कमान थाम ली थी। यूँ तो देश का हर प्रान्त आन्दोलित हो चुका था लेकिन कुछ जिलों में तो आन्दोलनकारियों ने पूरे ब्रिटिश प्रशासन को ही समाप्त कर अस्थायी रूप से स्वतंत्र प्रशासन की स्थापना कर दी थी। संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में बलिया, महाराष्ट्र में सतारा तथा बंगाल के तुमलुक आदि ऐसे स्थान थे जहाँ ब्रिटिश सेना को इन्हें पुनः विजित करना पड़ा।

बम्बई में गांधी की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही 10 अगस्त को बलिया नगर में हड़ताल हो गई। सभी स्कूल-कालेज बन्द हो गये। 11 अगस्त को लगभग 15000 लोगों के एक जुलूस ने बलिया कचहरी की तरफ कूच कर दिया। इस जुलूस पर हुए पुलिस हमले ने लोगों को आपे से बाहर कर दिया। 13 से 16 अगस्त के बीच अनेकों रेलवे स्टेशन जला दिये गये तथा पुलिस थानों पर अधिकार कर लिया गया। 16 अगस्त को बलिया जेल से कैदियों को छुड़ा लिया गया तथा कांग्रेस के स्थानीय नेता चित्तू पाण्डे के नेतृत्व में बलिया में एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी गई। इस सरकार ने शपथ ग्रहण करने के बाद 20 अगस्त को हनुमानगंज कोठी में एक सार्वजनिक बैठक की। आम लोगों ने सरकार को चलाने के लिए हजारों रुपये एकत्रित किये तथा सरकारी अधिकारियों को पुलिस लाइन में बन्द कर दिया गया। इस नयी सरकार को जनता का अपार नैतिक समर्थन प्राप्त था। इस नैतिक सत्ता के आधार पर ही इस सरकार ने एक जाँच कमेटी का गठन कर लोगों से यह अपील की कि सभी प्रकार की लूटी हुई सम्पत्ति सरकार को वापस कर दें। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब यह देखा गया कि लोगों ने न केवल अपनी भूलों को स्वीकार किया बल्कि लूटी गयी सम्पत्ति भी वापस कर

दी। रेवती क्षेत्र की एक विधवा ने इस सरकार से अपील की कि उसके रु. 3000/- मूल्य के जेवरात लूट लिये गये हैं तथा पुलिस चोरों का पता नहीं लगा सकी है। नयी सरकार ने न केवल इस लूट का पता लगा लिया बल्कि उसके जेवरात भी वापस दिला दिये। यह नयी सरकार कुछ ही दिन चल सकी लेकिन इस बीच न किसी सरकारी अधिकारी की सम्पत्ति लूटी गई न किसी के साथ दुर्व्यवहार ही किया गया। इस समय सरकारी खजाने में डेढ़ लाख रुपये जमा थे परन्तु किसी ने भी इस पैसे के अवैधानिक उपयोग की बात सोची भी नहीं।

22 अगस्त से बलिया पर अंग्रेज सरकार का दमन प्रारम्भ हो गया। विद्रोहियों के घरों को लूट लिया गया और सैकड़ों घरों को जला दिया गया। आम जनता पर 12 लाख का आम जुर्माना लगाया गया परन्तु 29 लाख से अधिक की वसूली की गई। 17 स्थानों पर गोली चलायी गयी जिसमें 46 से अधिक लोगों की जान चली गयी। 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से अधिसंख्य को 5 से 7 वर्ष की सजायें सुनायी गईं। बलिया पर सेना की सहायता से पुनः अधिकार कर भारत की ब्रिटिश सरकार ने लंदन को यह सूचित किया कि बलिया को पुनर्विजित कर लिया गया।

सरकार की दमन नीति के विरुद्ध गांधी ने 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास प्रारम्भ कर दिया। इस उपवास में गांधी की हालत अत्यन्त खराब हो गई थी परन्तु उन्होंने 3 मार्च को 21 दिन पूरे होने पर ही उपवास तोड़ा। जनता और सरकार दोनों ने राहत की साँस ली। इस समय पूरे देश में लगभग 1 लाख लोगों को जेलों में बन्द किया जा चुका था। पुलिस का दमन बढ़ने के बाद अब गुप्त रूप से चलने वाले इस आन्दोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली जैसे युवा समाजवादी करने लगे थे। यह आन्दोलन ब्रिटिश भारत के साथ-साथ देशी रियासतों में भी फैल चुका था। 1857, 1920 और 1930 के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह चौथा महान विस्फोट था।

1943 के अन्त तक भारत छोड़ो आन्दोलन पूरी तरह बिखर चुका था। चारों तरफ निराशा का वातावरण छा गया था। इस वर्ष बंगाल में अकाल से होने वाली 40,000 लोगों की मौत ने निराशा के इस माहौल को और अधिक धूमिल कर दिया था। तभी जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुँच चुके नेताजी ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा कर लोगों में एक नयी जान फूँक दी। यहीं पर उन्होंने ''दिल्ली चलो'' का नारा भी दिया। दिसम्बर 1943 में उन्होंने अण्डमान पहुँचकर इस द्वीप का नाम शहीद व स्वराज रख दिया। एक विमान दुर्घटना में उनकी अचानक मौत हो गई। इस समय तक मित्र राष्ट्रों को सभी मोर्चों पर विजय मिलनी प्रारम्भ हो गई थी।

15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। युद्धोपरान्त ब्रिटेन में मजदूर दल सत्ता में आ गया। प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण के सम्बन्ध में ब्रिटिश नीतियों की घोषणा कर दी। 2 सितम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अन्तरिम सरकार गठित हुई जिसमें शामिल होने की घोषणा मुस्लिम लीग ने भी 15 अक्टूबर को कर दी। 24 मार्च 1947 को लार्ड माउण्टबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। नये वायसराय ने अत्यन्त चतुराई से कांग्रेस और लीग की कटुता का लाभ उठाकर भारत विभाजन की नींव पक्की कर दी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया लेकिन यह आजादी भारत विभाजन की कीमत पर प्राप्त हो सकी।

आजादी के इस पूरे संघर्ष काल में संयुक्त प्रान्त की जनता ने 1857 से लेकर आजादी तक बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। 1857 का संग्राम हो, क्रान्तिकारियों का गुप्त आन्दोलन हो या गांधी का सत्याग्रह, इस प्रान्त की जनता ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। आजादी के बाद इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले कांग्रेस के नेता पं. जवाहरलाल नेहरू इसी प्रदेश के थे। आजादी के बाद भी, आज तक भारत की राष्ट्रीय मुख्यधारा का नेतृत्व उत्तर प्रदेश ही करता रहा है।

ऐतिहासिक परिदृश्य

प्राचीन काल (विशिष्ट तथ्य)

- मिर्जापुर, सोनभद्र, बुन्देलखण्ड, प्रतापगढ़ के सरायनाहर राय से उत्खनन में प्राचीन एवं नव पाषाणकाल के औजार-हथियार मिले हैं।
- आलमगीरपुर से हड़प्पाकालीन वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है।
- आलमगीरपुर से कपास उपजाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
- शतपथ ब्राह्मण में कोशल (अवध) का उल्लेख प्राप्त होता है।
- प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो गंगा के मैदान में स्थित था 'मध्य देश' कहलाता था।
- मध्य देश (आधुनिक उत्तर प्रदेश) में कुरु, पांचाल, काशी, कोशल, शूरसेन, चेदि, वत्स, कुशीनगर के मल्ल, आदि महाजन पद स्थापित थे।
- कुरु महाजनपद की राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी। यह मेरठ से दिल्ली तक विस्तृत था।
- पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूँ, फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थापित था। पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा पांचाल महाजनपद के दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी काम्पिल्य थी।
- शूरसेन महाजनपद मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थापित था। इसकी राजधानी मथुरा थी।
- वत्स महाजनपद (प्रयागराज के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थापित था) की राजधानी कोसम (कौशाम्बी) थी।
- कोशल महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थापित था, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी।
- मल्ल महाजनपद (देवरिया-गोरखपुर क्षेत्र में स्थापित था) की राजधानी कुशीनगर (कसिया) तथा पावा (पडरौना) थी।
- काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी।
- चेदि महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती (बाँदा के समीप) थी।
- ह्वेनसांग (चीनी यात्री) ने अपने यात्रा विवरण में अतरंजीखेड़ा को 'पि-लो-शा-न' कहा है।
- अतरंजीखेड़ा में गैरिक मृदभाण्ड तथा कृष्ण लोहित मृद्भाण्ड संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- अतरंजीखेड़ा उत्तर-वैदिक युग से सम्बद्ध स्थल स्वीकार किया गया है।
- अतरंजीखेड़ा से शुंगों, कुषाणों तथा गुप्त शासकों से सम्बद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- बौद्ध परम्परा के अनुसार अशोक ने एक स्तूप का निर्माण अयोध्या में कराया था।
- जैन ग्रन्थों में उल्लिखित है कि आदिनाथ सहित पाँच तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या थी।
- रघुवंशी भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी थी।
- अहिच्छत्र से ई.पू. 100 से 300 ई. के मध्य वाले स्तरों से मृण्मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं।
- अहिच्छत्र से 'मित्र' उपाधि वाले राजाओं के सिक्के (200-300ई.) प्राप्त हुए हैं।
- अहिच्छत्र के शासक अच्युत को गुप्त नरेश समुद्रगुप्त ने पराजित किया था।
- अहिच्छत्र से गुप्तकालीन 'यमुना' की एक मूर्ति प्राप्त हुई है।
- कालसी में संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली है, जो 300 ई. के शासक शीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ स्थल का साक्ष्य है।
- अहिच्छत्र से 350 ई. से 750 ई. के मध्य के मन्दिर, देवकक्ष प्राप्त हुए हैं।
- कुशीनगर में 483 ई.पू. में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था।
- कन्नौज की सर्वांगीण उन्नति पुष्यभूति शासक हर्षवर्द्धन के समय (606-647 ई.) हुई थी।

- हर्षवर्द्धन का 628 ई. का ताम्रदानपट्ट लेख बांसखेड़ा से प्राप्त है जो तत्कालीन इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है।
- अतरंजीखेड़ा से 1000 ई. पू. के लौह प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुण्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
- प्राचीन काल में कन्नौज 'कान्यकुब्ज' के नाम से प्रसिद्ध था।
- कन्नौज में पहली बस्ती के साक्ष्य उत्तरी काले मृद्भाण्ड युग से कुषाण युग तक के प्राप्त हुए हैं।
- कन्नौज गुप्त शासकों तथा मौखरियों के समय प्रमुख नगर था।
- हर्षवर्द्धन के काल में कन्नौज 'नगरमहोदयश्री' कहलाता था।
- कन्नौज पर अपनी प्रभुता स्थापित करने हेतु गुर्जर-प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकाल तक त्रिदलीय संघर्ष हुआ था।
- गुर्जर-प्रतिहारों ने कन्नौज पर सर्वाधिक समय तक शासन किया था।
- 1018-1019 ई. में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था।
- 1028 ई. में महमूद गजनवी ने मथुरा के मन्दिरों को ध्वंस कर लूटपाट की थी।
- मुहम्मद गोरी के आक्रमणों के समय कन्नौज का शासक जयचन्द गहड़वाल था।
- बौद्ध काल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कपिल ऋषि के वास (स्थान) से इस स्थल का नाम कपिलवस्तु पड़ा था।
- कपिलवस्तु श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग तथा वैशाली-पुरुषपुर मार्ग का केन्द्र स्थल था।
- महावस्तु के अनुसार कपिलवस्तु में अनेक प्रकार के शिल्प विकसित थे।
- काम्पिल्य प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र रहा था। जैन ग्रन्थों, बौद्ध जातक साहित्य व महाभारत में काम्पिल्य का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है।
- कुशीनगर की विस्तृत जानकारी, दिव्यावदान, दीघनिकाय, अशोक के आठवें वृहद् शिलालेख, कनिष्क के सिक्कों तथा फाहियान एवं ह्वेनसांग के यात्रा-विवरणों से मिलती है।
- कुशीनगर मल्ल गणराजय की राजधानी थी।
- कुशीनगर प्रमुख व्यापारिक मार्ग श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग का प्रमुख केन्द्र स्थल होने के कारण प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था।
- हूणों के कुशीनगर पर आक्रमण के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं।
- कौशाम्बी को आद्य-नगरीय स्थल भी कहा जाता है। यह वत्स महाजनपद की राजधानी था।
- कौशाम्बी को मघों ने राजधानी बनाकर दूसरी-तीसरे शताब्दी ई. में इसे राजनीतिक, आर्थिक महत्व प्रदान किया था।
- कौशाम्बी को हूण नेता तोरमाण से विशेष क्षति पहुँची थी।
- कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केन्द्र था।
- कालसी में अशोक का चौदहवाँ शिलालेख प्राप्त हुआ है।
- काशी छठी शताब्दी ई.पू. में सोलह महाजनपदों में चर्चित महाजनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी।
- काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है।
- महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना दिवोदास ने की थी।
- एटा जिले के 'कंटिगरा' गाँव के टीलों से पाँच हजार वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। गुप्तकाल, कुषाणकाल तथा समकालीन महाभारत काल के चित्रित भांड 'पेटेड ग्रेवियर' मिले हैं। इससे पूर्व इन

टीलों से राम-रावण युद्ध, बाली-सुग्रीव युद्ध तथा राम-सीता की मूर्तियाँ भी निकाली जा चुकी हैं।

- गढ़वा में कुमारगुप्त प्रथम के दो शिलालेख तथा स्कन्दगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ है।
- 1194 ई. में चन्दावर के युद्ध में मुहम्मद गोरी ने गहड़वाल नरेश जयचन्द को पराजित किया था।
- देवगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्तकाल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्तिकला के साक्ष्य मिले हैं। मन्दिरों में दशावतार मन्दिर बहुत उल्लेखनीय है। देवगढ़ से जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा उत्कीर्णित लिपियों का अभिलेख मिला है। देवगढ़ से चन्देल शासकों के अभिलेख मिले हैं।
- प्रयाग के अशोक स्तम्भ पर हरिषेण द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त है।
- गुप्तों के पतन के पश्चात् हर्षवर्द्धन, गुर्जर-प्रतिहार, चन्देल, गहड़वाल शासकों ने प्रयाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था।
- हर्षवर्द्धन प्रति पाँचवें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद् का आयोजन करता था।
- बाँसखेड़ा अभिलेख में हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना, सैनिक अभियानों का उल्लेख है।
- बांसखेड़ा अभिलेख में हर्षवर्द्धन द्वारा अहिच्छत्र भुक्ति के मर्कटसागर गाँव को कर-मुक्त करके दो ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है।
- बांसखेड़ा अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है।
- हर्षवर्द्धन की राजधानी कन्नौज (कान्यकुब्ज) थी।
- गुप्तकालीन मन्दिरों में भीतरगाँव का मन्दिर छोटी-पकी ईंटों से निर्मित है, इसे चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बनवाया गया था। इस मन्दिर की विशेषता शिखर का होना तथा ऊँचे चबूतरे पर निर्मित होना माना जाता है। इस मन्दिर की छत पिरामिडाकार है। मन्दिर की दीवारों को देवी-देवताओं की मूर्तियों से उकेरा गया है।
- महाजनपद युग में मथुरा शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी।
- मथुरा कृषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी। कुषाणों के सिक्के बहुतायत से मिले हैं।
- समुद्रगुप्त ने मथुरा के गणपति नाग को पराजित किया था।
- मौर्योत्तर युग में मथुरा एशिया से सम्बद्ध रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था।
- मथुराशाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केन्द्र था। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। मथुरा श्वेताम्बर जैन मत का केन्द्र थी। मथुरा में बौद्धमत की सर्वास्तिवादी विचारधारा का उद्भव व विकास हुआ था। मथुरा में मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। मथुरा 'मथुरा कला शैली' का प्रमुख केन्द्र लगभग 300 वर्षों तक बनी रही थी।
- भरतपुर राज्य की राजधानी 'मथुरा' थी, जिसकी घोषणा सूरजमल जाट ने की थी।
- राजघाट (वाराणसी के समीप) से उत्तरी काले मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- श्रावस्ती तीन प्रमुख व्यापारिक मार्गों (उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ) के केन्द्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक-व्यापारिक गतिविधियों का स्थल केन्द्र थी। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी थी। श्रावस्ती के साहूकार अनाथपिंडक ने जेतवन महाविहार बौद्धों को अनुदान में दिया था।
- जैन तीर्थंकर सम्भवनाथ एवं चन्द्रप्रभु श्रावस्ती से सम्बद्ध थे।
- आजीवक सम्प्रदाय के प्रवर्तक मक्खलि गोसाल की जन्मभूमि श्रावस्ती थी।
- श्रावस्ती से कनिष्क के दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं।
- संकिसा महाजनपद युग को पांचाल जनपद में प्रमुख नगर था। बौद्ध परम्परा के अनुसार संकिसा में भगवान बुद्ध इन्द्र व ब्रह्मा के साथ स्वर्ग से धरती पर आये थे।
- महात्मा बुद्ध ने संकिसा में स्त्रियों की प्रव्रज्या को संघ में अनुमति दी थी।

- भिक्षुणी उत्पलवर्णा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी।
- संकिसा में स्कन्दगुप्त का एक सिक्का भी मिला है।
- सारनाथ प्राचीनकाल में इसिपत्तन मिगदाय (ऋषिपत्तन मृगदाव) के नाम से प्रसिद्ध था।
- सारनाथ में भगवान बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था।
- मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह स्तम्भ बनवाया था, स्वतन्त्र भारत का राजचिह्न इसी सिंह शीर्ष स्तम्भ को अपनाया गया है।
- सारनाथ की सिंह, शीर्ष स्तम्भ मौर्य प्रस्तर कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।
- ह्वेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केन्द्र था।
- सारनाथ में गुप्तकालीन धमेख स्तूप निर्मित है; फाहियान ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है।
- सोहगौरा से उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोहगौरा से मौर्योत्तर काल के सिक्के, कुषणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं।
- हस्तिनापुर से ऊपरी गंगाघाटी की संस्कृतियों के अनुक्रम की जानकारी मिलती है। हस्तिनापुर से मृद्भाण्ड संस्कृतियों से लेकर मौर्योत्तर युग तक के साक्ष्य मिले हैं।
- हस्तिन नामक शासक ने हस्तिनापुर की स्थापना की थी। महाभारत युग में यह कौरवों की राजधानी थी।
- मौर्योत्तर युग में निर्मित प्रस्तर प्रतिमाएँ, मथुरा के दत्तवंशी शासकों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के, यौधेयों की मुद्राएँ, हस्तिनापुर के उत्खनन में मिली हैं।
- हड़प्पायुग से सम्बद्ध अवशेष हुलास से मिले हैं।
- हुलासखेड़ा से कुषाणकाल से गुप्तयुग तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। हुलासखेड़ा से कुषाणकालीन 200 मीटर लम्बी सड़क, सुनियोजित जल निकासी की व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्णप्रतिमा, चॉदी के आहत सिक्के, कुषाणों के ताम्र सिक्के मिले हैं। हुलासखेड़ा से गुप्तकालीन दुर्ग के भग्नावशेष, ताँबे-चाँदी के सिक्के, गुप्तलिपि में उत्कीर्ण मुहरें, हाथी दाँत की कंघी, मोहरछापे प्राप्त हुए हैं।

मध्यकाल (विशिष्ट तथ्य)

- मध्ययुग में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व स्थापित था।
- मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था।
- अकबर ने आगरा में किले का निर्माण कराया था।
- जहाँगीर के काल में नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता एत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था।
- शाहजहाँ द्वारा निर्मित आगरा में 'ताजमहल' तथा मोती मस्जिद स्थापत्य कला के श्रेष्ठ प्रतीक हैं।
- मुगलकाल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था।
- मुगलकाल में आगरा के समीपवर्ती क्षेत्र में नील की खेती होती थी।
- यूरोपियन यात्री राल्फ फिच, वर्नियर ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है।
- सल्तनतकाल व मुगलकाल में कड़ा महत्वपूर्ण इक्ता (सूबा) समझा जाता था।
- सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था।
- 831 ई. में महोबा में चन्देलों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी।
- कड़ा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ई. में अपना सफल अभियान (देवगिरि अभियान) सम्पन्न

किया था।

- 1022 ई. में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रान्त किया था।
- 1018 ई. में महमूद गजनवी ने बरन को पदाक्रान्त किया था।
- कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ई. में कोइल पर अधिकार स्थापित कर लिया था।
- 1193 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था।
- 1194 ई. में कन्नौज के गहड़वाल नरेश जयचन्द को चन्दावर के युद्ध में मुहम्मद गोरी ने पराजित किया था।
- 1202 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चन्देल शासक परमार्दिदेव को कालिंजर में पराजित किया था।
- 1296 ई. में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में करवा दी थी।
- कड़ा क्षेत्र में सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना की थी।
- जौनपुर की स्थापना सुल्तान फीरोजशाह तुगलक ने 1358 ई. में मुहम्मद तुगलक उर्फ जौना खाँ के सम्मान में की थी।
- भक्त सन्त मलूकदास की जन्मस्थली कड़ा थी।
- पूर्व मध्य युग में कालिंजर पर राजपूतों का शासन स्थापित था।
- बारहवीं शताब्दी ई. के पश्चात् कालिंजर तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमण से प्रभावित रहा था।
- 1435 ई. में मालवा के हुशंगशाह ने काल्पी पर अधिकार कर लिया था।
- 1492 ई. में सुल्तान सिकन्दर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था।
- आगरा की स्थापना सुल्तान सिकन्दर लोदी ने 1504 ई. में की थी।
- 1531 ई. तक गढ़कुण्डार बुन्देलों की राजधानी रही थी।
- 1545 ई. में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गयी थी।
- मुगल सम्राट अकबर ने 1569 ई. में कालिंजर के शासक रामचन्द्र को पराजित कर आधिपत्य स्थापित कर लिया था।
- 1573 ई. से 1588 ई. तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी।
- दसवीं शताब्दी ई. में काल्पी में चन्देलों का शासन स्थापित था।
- बारहवीं शताब्दी के अन्त में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काल्पी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था।
- फीरोजशाह तुगलक के पश्चात् काल्पी एक स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य बन गया था।
- राजा बीरबल काल्पी से सम्बद्ध था। काल्पी में बीरबल का रंगमहल तथा मुगल टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोइल (कोल) पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था।
- सुल्तान बहलोल लोदी के समय कोइल का स्थानीय शासक ईसा खाँ था, जिसने बहलोल लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी।
- 5 जनवरी, 1659 ई. को औरंगजेब ने खजुहा के युद्ध में शाहशुजा को पराजित कर उत्तराधिकार युद्ध में निर्णायक सफलता प्राप्त की थी।
- पूर्व मध्यकाल में गढ़कुण्डार पर परमारों ने आधिपत्य स्थापित किया था।
- आठवीं शताब्दी ई. में चन्देलों ने गुढ़कुण्डार पर शासन स्थापित किया था।
- पृथ्वीराज चौहान के समय गढ़कुण्डार का चन्देल शासक परमाल था।
- चन्देलों को पराजित कर पृथ्वीराज चौहान ने गुढ़कुण्डार पर अधिकार कर लिया था।

उत्तर प्रदेश, 2018

- पृथ्वीराज के सेनानायक खेतसिंह ने गुढ़कुण्डार में खंगार राज्य की स्थापना की थी।
- सुल्तान बलबन के समय गढ़कुण्डार पर बुन्देलों ने अधिकार कर लिया था।
- चौदहवीं शताब्दी ई. में चुनार पर चन्देलों का शासन स्थापित था।
- मुगल सम्राट् बाबर ने चुनार पर अधिकार स्थापित कर लिया था।
- शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूँ ने चुनार के किले की घेराबन्दी की थी, परन्तु शेरशाह ने ही चुनार पर अपना नियन्त्रण स्थापित रखने में सफलता प्राप्त की थी।
- तुगलक वंश के पतन के दौर में जौनपुर मलिक हुसैन शर्की के नेतृत्व में स्वतन्त्र हो गया और शर्की सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई।
- साहित्य, स्थापत्य कला, संगीत कला के लिए जौनपुर के शर्की सुल्तानों का चिरस्मरणीय योगदान रहा था। अटांला मस्जिद शर्की स्थापत्य कला की श्रेष्ठ प्रतीक है। इन्हीं विशेषताओं के कारण जौनपुर को 'शीराज-ए-हिन्द' कहा जाता था।
- झाँसी की स्थापना 1613 ई. में ओरछा शासक बीर सिंह बुन्देला ने की थी।
- 1732 ई. में जैतपुर युद्ध के बाद झाँसी स्थानीय ओरछा शासक छत्रसाल द्वारा पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दी गयी थी।
- रानी लक्ष्मीबाई झाँसी के स्वतन्त्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थीं, जिन्होंने 1857 ई. के महान विप्लव में अपनी वीरता व साहस का लोहा अंग्रेजों से स्वीकार करा कर भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में वीरगति प्राप्त की थी।
- झाँसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मन्दिर, मेंहदी बाग आज भी विद्यमान हैं।
- अकबर बादशाह ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर 'इलाहाबाद' (अब 'प्रयागराज') नाम दिया था। इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') के किले का निर्माण भी अकबर ने कराया था।
- अकबर फतेहपुर सीकरी को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था।
- सलीम (जहाँगीर) का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम की खानकाह में हुआ था।
- फतेहपुर सीकरी के शानदार स्थापत्य प्रतीकों में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलन्द दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंचमहल बहुत प्रसिद्ध हैं।
- दिल्ली सल्तनत काल में बदायूँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता थी।
- सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूँ का इक्तादार था।
- सूफी सन्त शेख निजामुद्दीन औलिया का सम्बन्ध बदायूँ से था।
- इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूँनी का सम्बन्ध बदायूँ से था।
- बदायूँ व्यापारिक मार्ग (दिल्ली-लखनौती मार्ग) का प्रमुख केन्द्र स्थल था।
- प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बरन का निवासी था।
- मथुरा सूरजमल जाट द्वारा भरतपुर राज्य की राजधानी के रूप में गौरवान्वित थी।
- चन्देलों का राज्य जेजाकभुक्ति (जुझौती) के नाम से चर्चित था।
- तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महोबा पर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया था।
- मध्यकाल में राजपूत सरदार हरदत्त ने मेरठ में एक किला निर्मित कराया था।
- बारहवीं शताब्दी के अन्त में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया था।

- फीरोजशाह तुगलक ने अशोक स्तम्भ मेरठ से उठवाकर दिल्ली में स्थापित कराया था।
- लखनऊ की प्रसिद्धि उत्तर मुगल काल में प्रारम्भ हुई, जब अवध के सूबेदार सआदत खाँ ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की थी।
- नवाब आसफुद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद (अब अयोध्या) से लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी।
- लखनऊ के अन्तिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्हें 1856 ई. में अंग्रेजों ने पदच्युत कर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था।
- लखनऊ की चर्चित इमारते हैं- इमामबाड़ा, भूलभुलैय्या, छतरमंजिल।
- लखनऊ कत्थक नृत्य का केन्द्र था।
- सम्भल सल्तनत काल में महत्वपूर्ण इक्ता के रूप में चर्चित था।
- सम्भल का क्षेत्र हुमायूँ ने अपने भाई मिर्जा अस्करी को प्रदान कर दिया था।
- सम्भल में मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया था।
- सिकन्दरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था जिसे 1613 ई. में सम्राट जहाँगीर ने पूर्ण कराया था।
- 29 मई, 1658 ई. को सामूगढ़ के युद्ध में दारा के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के हाथों हुई थी। युद्ध में विजय प्राप्त करने पर औरंगजेब ने शाहजहाँ को आजीवन नजरबन्द कर दिया था, मुराद को छल से बन्दी बना लिया था और अपने को बादशाह घोषित कर दिया था।
- 10 मई, 1857 ई. को भारत मे महान् विद्रोह का विस्फोट मेरठ से हुआ था।
- 1857 ई. के महान् विप्लव की प्रमुख वीरांगना बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों से लोहा लिया था।

आधुनिक काल (विशिष्ट तथ्य)

- अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश 'बंगाल प्रेसीडेन्सी' का ही अंग था।
- बंगाल प्रेसीडेन्सी का भाग होने के समय इस क्षेत्र को 'पश्चिमी प्रान्त' भी कहते थे।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख जैन तीर्थ-स्थल

- **अयोध्या** : जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ, द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितानाथ, चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनन्दनाथ एवं पंचम तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ का जन्म-स्थल।
- **वाराणसी :** सप्तम तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ एवं तेईसवें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म-स्थल।
- **कौशाम्बी** : जनपद के ग्राम पभोसा में छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से सम्बन्धित स्थल।
- **श्रावस्ती** : तृतीय तीर्थंकर भगवान सम्भवनाथ एवं विख्यात शोभनाथ मन्दिर से सम्बन्धित।
- **देवगढ़** : 'देवताओं के किले' के रूप में विख्यात, प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्प-कला हेतु सुप्रसिद्ध स्थल।
- **महोबा** : 'गोखर पहाड़' पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात।
- **काकण्डी** : नवें तीर्थंकर भगवान सुविधानाथ का निवास-स्थल।

- आगरा प्रेसीडेन्सी बनने पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेन्सी से निकालकर आगरा प्रेसीडेन्सी में सम्मिलित कर दिया गया था।
- 1836 ई. में इस प्रदेश का नाम 'उत्तर-पश्चिम प्रान्त' (नार्थ-वेस्टर्न प्राविन्सेज) हो गया तथा मुख्यालय आगरा बनाया गया।
- 7 फरवरी, 1856 ई. को अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था।
- अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करते समय अवध में बारह जिले (लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद (अब अयोध्या), गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली) थे।
- 1857 ई. की विद्रोह (प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम) की लड़ाई के पश्चात् 1858 ई. में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पूरे उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त को एक ले. गवर्नर के द्वारा शासित प्रान्त बना दिया था।
- 1858 ई. में उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त का मुख्यालय इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') बनाया गया था।
- 1868 ई. में उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त का उच्च न्यायालय भी आगरा से इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') स्थानान्तरित कर दिया गया था।
- 1877 ई. तक अवध का प्रशासनिक व उच्च न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा था तथा उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त का इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज')।
- 1877 ई. में इन दोनों प्रान्तों (अवध व उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त) को ले. गवर्नर तथा मुख्य आयुक्त का पद समाप्त कर "आगरा व अवध का संयुक्त प्रान्त" (यूनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध) कर दिया गया था।
- ले. गवर्नर का पद इस एकीकृत प्रान्त (यूनाइटेट प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध) का सर्वोच्च प्रशासनिक पद बन गया था।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत ले. गवर्नर के पद को गवर्नर के पद की मान्यता प्राप्त हो गयी।
- 1920 ई. के चुनावों के पश्चात् संयुक्त प्रान्त आगरा-अवध (यूनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध) की सरकार इलाहाबाद (प्रयागराज) से लखनऊ स्थानान्तरित कर दी गयी थी।
- 1921 ई. में लखनऊ में विधान परिषद् की स्थापना की गयी थी।
- 1935 ई. तक प्रान्तीय सचिवालय के इलाहाबाद (प्रयागराज) से लखनऊ स्थानान्तरण का कार्य पूरा करने के बाद लखनऊ को इस प्रान्त की राजधानी घोषित किया गया था।
- 1937 ई. में यूनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध का नाम परिवर्तित कर 'संयुक्त प्रान्त' (यूनाइटेड प्राविन्सेज) रख दिया गया था। यह नाम 26 जनवरी, 1950 तक चलता रहा।
- औरंगजेब की मृत्यु (1707 ई) से 1757 ई. (प्लासी के युद्ध) तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में पाँच स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो चुके थे।
- मेरठ तथा बरेली के उत्तर में नाजिब खान नामक पठान नेता का राज्य था।
- दोआब क्षेत्र में रुहेलों के अन्तर्गत रुहेलखण्ड राज्य स्थापित था।
- फर्रुखाबाद के बंगश नवाब के अन्तर्गत मध्य दोआब का राज्य स्थापित था।
- अवध व पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का राज्य था।
- बुन्देलखण्ड पर मराठों का राज्य स्थापित था।

- 1773 ई. में अंग्रेजों ने रुहेलखण्ड में मराठों को पराजित कर उन्हें दोहाब से निष्कासित कर दिया था।
- 1774 ई. में अंग्रजों ने रुहेला सरदार रहमत खान को शाहजहाँपुर (कटरा) में पराजित कर रुहेलखण्ड को अवध के नवाब को सौंप दिया था।
- 1775 ई. में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात् आसफउद्दौला अवध का नवाब बना।
- आसफउद्दौला ने अंग्रेजों से सन्धि कर के बनारस (अब 'वाराणसी') का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था।
- बनारस ('वाराणसी') के राजा चेतसिंह ने 1780 ई. में अंग्रेजों द्वारा अधिकाधिक धन माँगे जाने का विरोध किया, फलस्वरूप अंग्रेजों ने राजा चेतसिंह के विरोध को कुचलकर महीप नारायण सिंह को बनारस का राजा बनाया। बनारस (अब 'वाराणसी') पूर्णतः अंग्रेजों के संरक्षण में स्थापित हो गया।
- 1797 ई. में आसफउद्दौला की मृत्यु के पश्चात् उसका भाई सादात अली अवध का नवाब बना, उसने इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') का किला अंग्रेजों को सौंप दिया तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के बदले में प्रति वर्ष 76 लाख रुपये ईस्ट इण्डिया कम्पनी को देने का वचन दिया।
- उन्नीसवीं शताब्दी ई. के प्रारम्भ में इस प्रान्त में बनारस (अब 'वाराणसी') क्षेत्र मिर्जापुर तथा इलाहबाद (अब 'प्रयागराज') का किला अंग्रेजों के आधिपत्य में स्थापित थे।
- 1808 ई. में अवध के नवाब सआदत अली ने सुरक्षा की गारण्टी के बदले में गोरखपुर क्षेत्र रुहेलखण्ड क्षेत्र, इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') क्षेत्र, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, एटा क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर दिये थे।
- 1809 ई. में फर्रुखाबाद के नवाब ने अपना क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया।
- 1803 ई. में लार्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़, आगरा पर अधिकार कर लिया था।
- 1836 ई. में इस प्रान्त का नाम उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त रखा गया था, उस समय इस प्रान्त में दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी सम्मिलित थे।
- 1856 ई. में अवध इस प्रान्त में सम्मिलित कर लिया गया था।
- 1857 ई. के विद्रोह के पश्चात् दिल्ली, पंजाब को; तराई के क्षेत्र नेपाल को; बरेली तथा मुरादाबाद के कुछ क्षेत्र रामपुर के नवाब को; सागर का क्षेत्र मध्य प्रान्त को दे दिया गया था।

1857 की क्रान्ति तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में उत्तर प्रदेश का योगदान

- 1857 ई. में उत्तरी भारत की जनता ने तथा जमींदारों, राजाओं ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक महान् विद्रोह कर दिया; यह एक स्व-स्फूर्त विद्रोह था, जिसे सावरकर ने भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा था।
- कोलकाता (तत्कालीन 'कलकत्ता') के निकट स्थित बैरकपुर के 34वीं देशी सैनिक छावनी के मंगल पाण्डे (उत्तर प्रदेश निवासी) ने 21 मार्च, 1857 ई. को खुला विद्रोह कर अपने एडजुडेण्ट लेफ्टीनेण्ट हेनरी बाग पर गोली चला दी; इस घटना के फलस्वरूप मंगल पाण्डे को 7 अप्रैल, 1857 ई. को बैरकपुर में फाँसी पर चढ़ा दिया गया था।
- मंगल पाण्डे की फाँसी ने भारतीय सैनिकों को उत्तेजित कर दिया क्योंकि उसने नये आविष्कृत

एनफिल्ड रायफलों के लिए नये प्रकार के कारतूसों के प्रयोग करने का विरोध किया था। इन कारतूसों को प्रयोग करते समय इसे मुँह से खोलना पड़ता था। हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में यह धारणा परिपक्व हो चुकी थी कि कारतूसों के खोल में सुअर एवं गाय की चर्बी लगायी गयी है; अतः सैनिकों में आक्रोश था। यह आक्रोश ही मंगल पाण्डे की घटना बन गया था।

- 24 अप्रैल, 1857 ई. को मेरठ की देशी सेना ने नये कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया। इससे क्रुद्ध अंग्रेज अधिकारियों ने 9 मई, 1857 ई. को सैनिकों की वर्दी उतरवा ली, फलस्वरूप 10 मई, 1857 ई. को पूरी छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया; विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी।
- 11 मई, 1857 ई. को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर भारत के (पेंशनयाफ्ता) वृद्ध सम्राट (मुगलों के अन्तिम बादशाह) जो अंग्रेजों द्वारा दयनीय स्थिति में रख दिये गये थे, को अपना शासक घोषित करते हुए उसके (बहादुरशाह द्वितीय) नेतृत्व में लामबन्द हो गये।
- विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली में 6 सैनिकों तथा चार नागरिकों की एक मिली-जुली समिति 'जलसा' के नाम से गठित की, जिसने दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था।
- 1857 ई. के इस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था अवध और बुन्देलखण्ड।
- 1857 ई. के इस व्रिदोह में दोआब क्षेत्र ने भी सक्रिय योगदान किया था।
- 1857 ई. के इस विद्रोह में शीघ्र की अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') को स्वतन्त्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों व जमींदारों ने वहाँ अपनी सरकारें स्थापित कर ली थीं।
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव में बरेली का प्रशासन 'खान बहादुर खान' नामक रोहिल्ला सैन्य अधिकारी ने ग्रहण कर लिया था।
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव में कानपुर के प्रशासन पर 'नाना साहब' का अधिकार था।
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव में इलाहाबाद ('प्रयागराज') पर एक अध्यापक 'मौलवी लियाकत अली' का अधिकार था।
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव का विस्तार इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहाँपुर, बदायूँ, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस, आदि छोटे-छोटे- नगरों व कस्बों में हो गया था।
- कानपुर (बिठूर) में नाना साहब विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, उनके अधीन दस हजार सैनिक तथा कृषक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्षरत थे।
- लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरतमहल कर रही थीं, इसमें 50 हजार नागरिक बेगम हजरतमहल के नेतृत्व में संघर्षरत थे।
- कानपुर तथा लखनऊ में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कैम्पबेल, जनरल हैवलाक विन्ढम ने विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया था।
- 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे विद्रोहियों के प्रमुख योद्धा थे।
- लगभग छह माह के कठिन संघर्ष के उपरान्त ही अंग्रेजों ने लखनऊ, कानपुर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी।
- मई 1857 ई. में अंग्रेजों ने बरेली पर पुनः अधिकार कर लिया था।

उत्तर प्रदेश, 2018

- झाँसी में विद्रोह का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था; इस विद्रोह के दमन में जनरल रोज को सक्रिय किया गया था।
- रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से संघर्ष करते हुए वीरगति प्राप्त की थी।
- 1 नवम्बर, 1858 ई. को ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से सत्ता अधिकृत कर ली तथा भारत में शान्ति की स्थापना की।
- 1857 का महान् विद्रोह अन्ततः असफल हो गया।
- 1857 के विद्रोह की असफलताओं से भावी राष्ट्रवाद के बीज अंकुरित हुए थे।
- उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में बनारस (अब वाराणसी) के भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपनी पत्रिका 'कवि वचन सुधा' में स्वदेशी आन्दोलन का समर्थन किया।
- सर सैयद अहमद खाँ ने भी प्रगतिशील आन्दोलन का पथ प्रशस्त किया।
- 1857 ई. में सर सैयद अहमद खाँ ने अलीगढ़ में 'मोहम्मडन एंग्लो ओरियण्टल विद्यालय' की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया।
- अलीगढ़ आन्दोलन के नाम से चर्चित सर सैयद अहमद खाँ का आन्दोलन उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है।
- सोमवार, 28 दिसम्बर, 1885 ई. को 'गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बम्बई' में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ था, जिसमें सम्पूर्ण भारत से 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व गंगाप्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पण्डित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुनादास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, लाला बैजनाथ ने किया था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कोलकाता (तत्कालीन 'कलकत्ता' में सम्पन्न) में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या 74 थी।
- कोलकाता (तत्कालीन 'कलकत्ता') अधिवेशन (1886 ई.) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक सत्रह सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के पाँच सदस्यों को चुना गया था ये सदस्य थे : (1) लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा, (2) प्राणनाथ, (3) मौलाना हामिद अली, (4) नवाब रजा अली खान, (5) मुंशी काशी प्रसाद।
- मद्रास अधिवेशन (1887 ई.) में विधि समिति का निर्माण कर लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा, बिशन नारायण दर, मौलाना हामिद अली को सम्मिलित किया गया था, इन्होंने जन संगठन को व्यापक बनाने पर बल दिया था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') में सम्पन्न हुआ था।
- 1888 ई. में इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') के कांग्रेस अधिवेशन के समय प्रान्त के गवर्नर सर आकलैण्ड कॉल्विन थे, जिन्होंने अधिवेशन न होने देने का प्रयत्न किया था।
- 1888 ई. में अंग्रेजों के कांग्रेस विरोध ने सर सैयद अहमद खाँ को प्रेरित किया था कि वे भी कांग्रेस विरोध को स्वर दें और वे कांग्रेस विरोधी बन गये थे।
- बनारस (अब 'वाराणसी') के राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द भी कांग्रेस के विरोधी तथा अंग्रेजों के पक्षधर थे।

उत्तर प्रदेश, 2018

- उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 ई. तक निम्न अधिवेशन हुए थे :

	वर्ष	स्थान	अध्यक्ष
1.	1888 ई.	इलाहाबाद ('प्रयागराज')	जॉर्ज यूल
2.	1892 ई.	इलाहाबाद ('प्रयागराज')	डब्ल्यू. सी. बनर्जी
3.	1899 ई.	लखनऊ	रोमेश चन्द्र दत्त
4.	1905 ई.	बनारस ('वाराणसी')	गोपाल कृष्ण गोखले
5.	1910 ई.	इलाहाबाद ('प्रयागराज')	सर विलियम वेडरबर्न
6.	1916 ई.	लखनऊ	अम्बिका चरन मजूमदार
7.	1925 ई.	कानपुर	श्रीमती सरोजिनी नायडू
8.	1935 ई.	लखनऊ	पं. जवाहरलाल नेहरू
9.	1946 ई.	मेरठ	आचार्य जे.बी. कृपालानी

- उत्तर प्रदेश (तत्कालीन नाम 'यूनाइटेड प्राविन्सेज') में कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन पं. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था।
- 1909 ई. में प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन पुनः मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आगरा में हुआ था।
- 1916 ई. में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में सम्पन्न हुआ था; मुस्लिम लीग का नेतृत्व मुहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस और लीग की एकता ने मूर्त रूप धारण किया था। इसे ही 'कांग्रेस-लीग समझौता' कहा गया है।
- अक्टूबर, 1920 ई. में यू.पी. कांग्रेस का प्रान्तीय सम्मेलन मुरादाबाद में आयोजित हुआ था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. भगवानदास ने की थी। इस सम्मेलन को महात्मा गान्धी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी श्रद्धानन्द, हकीम अजमल खाँ, मौलाना शौकत अली, मौलाना मुहम्मद अली तथा मौलाना हसरत मोहानी जैसी राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति ने उल्लेखनीय बना दिया था। सम्मेलन में महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था।
- असहयोग आन्दोलन के दौरान बनारस (अब 'वाराणसी') में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु काशी विद्यापीठ की स्थापना की गयी थी।
- असहयोग आन्दोलन के दौरान अवध प्रान्त के किसानों ने गैर-कानूनी उगाही के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था।
- अक्टूबर 1921 ई. में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में सम्पन्न हुआ था जिसमें ब्रिटेन के युवराज (प्रिन्स ऑफ वेल्स) की भारत यात्रा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था।
- 5 फरवरी, 1922 ई. को चौरी-चौरा कस्बे में (यू.पी. के गोरखपुर जिले में) सत्याग्रहियों के जत्थे ने थाने के सिपाहियों (कुल संख्या 22) को जीवित जला दिया। इस घटना ने महात्मा गांधी को अत्यन्त आहत कर दिया। उन्होंने इस घटना को अपने सिद्धान्तों तथा कार्यक्रमों के विपरीत बतलाया तथा प्रत्येक प्रकार के आन्दोलन को समाप्त कर देने की घोषणा कर दी थी।
- सितम्बर 1924 ई. में कानपुर के एक पत्रकार सत्य भक्त ने 'भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी' की स्थापना की थी।

उत्तर प्रदेश, 2018

- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन दिसम्बर, 1925 में पेरियार की अध्यक्षता में कानपुर में हुआ था।
- 1926 ई. के चुनावों में संयुक्त प्रान्त में 'नेशनलिस्ट पार्टी' को अधिकाधिक सीटें प्राप्त हुई थीं।
- अगस्त, 1928 ई. में सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में आयोजित किया गया था।
- नवम्बर, 1928 ई. के अन्तिम दिनों में साइमन आयोग का लखनऊ में बहिष्कार किया गया था। विरोध का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
- कानपुर के 'प्रताप' तथा 'प्रभु' नामक अखबार बोल्शेविज्म के प्रचार-प्रसार में संलग्न थे।
- संयुक्त प्रान्त में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्रों में 1924-1930 के मध्य किसानों के मध्य जन-आन्दोलन चल रहा था; इस जन-आन्दोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक किसान कर रहे थे। यह आन्दोलन लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर तथा फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था। इस आन्दोलन का उद्देश्य किसानों के मध्य साम्प्रदायिक एकता बनाए रखना तथा एकजुट होकर जमींदारों के शोषण का विरोध करना था। इस आन्दोलन से जुड़े मुखिया कृषकों को अपनी बैठकों में निमन्त्रित करने के लिए 'सुपारी' का उपयोग करते थे। इन बैठकों को मदारी पासी सम्बोधित करते थे। वह सभी किसानों को गीता तथा कुरान पर हाथ रखकर आपसी एकता बनाए रखने तथा बन्दी कृषक परिवारों को सहायता प्रदान करने की शपथ दिलवाते थे।
- असहयोग आन्दोलन की वापसी के पश्चात् निराश मध्यवर्गीय युवाओं ने क्रान्तिकारी सैन्यवाद की गतिविधियों को प्रारम्भ किया। संयुक्त प्रान्त में इन्हीं क्रान्तिकारी गतिविधियों का परिणाम '9 अगस्त, 1925 ई.' को लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की घटना थी।
- काकोरी ट्रेन डकैती घटना के अभियुक्तों में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खाँ, रोशनसिंह को फाँसी की सजा हुई थी। रामकृष्ण खत्री, मन्मथनाथ गुप्त आदि को दीर्घकालीन कारावास का दण्ड मिला था।
- काकोरी ट्रेन डकैती केस के अभियुक्तों की पैरवी 'चन्द्रभानु गुप्त' नामक युवा वकील ने अपनी निःशुल्क सेवाओं द्वारा की थी। यही चन्द्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश के (स्वतन्त्रता के पश्चात्) मुख्यमन्त्री बने थे।
- 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' के सेनापति चन्द्रशेखर आजाद चुने गये थे।
- 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' का मुख्यालय आगरा बनाया गया था।
- क्रान्तिकारी शिव वर्मा, डॉ. गया प्रसाद कटियार तथा जयदेव कपूर को सहारनपुर में क्रान्तिकारियों द्वारा संचालित बम फैक्टरी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था।
- 27 फरवरी, 1931 ई. को इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') के अल्फ्रेड पार्क में चन्द्रशेखर आजाद एक पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गये थे।
- 1931 ई. में जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') में करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ किया था। इस आन्दोलन में जयप्रकाश नारायण, लालबहादुर शास्त्री, नेहरू जी के अनन्य सहयोगी के रूप में जुड़े थे।
- संयुक्त प्रान्त में सम्पूर्णानन्द, परिपूर्णानन्द, कमलापति त्रिपाठी, तारापद भट्टाचार्य ने समाजवादी दल की स्थापना की थी।

- अप्रैल, 1934 ई. में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य सम्पूर्णानन्द ने बनारस (अब 'वाराणसी') में एक पर्चा प्रकाशित किया। इस पर्चे का नाम "भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम" था। इसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, उद्योगों व बैंकों व भूमि के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया था।
- प्रो. एन.जी. रंगा, इन्दुलाल याज्ञनिक, स्वामी सहजानन्द के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1936 ई. में किया गया था। इस सम्मेलन में सामन्तवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की माँग रखी गयी थी।
- 1937 ई. के निर्वाचनों में संयुक्त प्रान्त की विधानसभा में निर्वाचित होकर आनेवाले कुल 64 मुस्लिम स्थानों में मुस्लिम लीग को 29, स्वतन्त्रों को 24, कांग्रेस को 1, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा को 7 तथा नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध को 3 स्थान प्राप्त हुए थे। 164 सामान्य सदस्यों में कांग्रेस के 134, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा के 6, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध के 9, लिबरल 1 तथा स्वतन्त्र 14 सदस्य निर्वाचित हुए थे।
- 1 अप्रैल, 1937 ई. को संयुक्त प्रान्त के राज्यपाल सर हैरी हेग ने नवाब छतारी के नेतृत्व में एक अल्पमत सरकार गठित की थी।
- संयुक्त प्रान्त में मोहनलाल सक्सेना कांग्रेस का मुस्लिम लीग से गठबन्धन चाहते थे। परन्तु जवाहरलाल नेहरू इस गठबन्धन के पूर्णतः विरुद्ध थे।
- संयुक्त प्रान्त में मुस्लिम लीग के सुप्रसिद्ध व प्रभावशाली नेता चौधरी खलिक जुमा ने 12 मई, 1937 ई. का इलाहाबाद ('प्रयागराज') में जवाहरलाल नेहरू से भेंट की, परन्तु मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य मतभेद समाप्त न हुए तथा दोनों के बीच दूरी और बढ़ गयी।
- मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य मतभेदों को समाप्त करने के उद्देश्य से गोविन्द बल्लभ पन्त ने चौधरी खलिक जुमा से भेंट की; लखनऊ में हुई इस भेंट का भी कोई परिणाम नहीं निकला था।
- मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य मतभेदों को दूर करने के लिए 12 जुलाई, 1937 ई. को मौलाना आजाद तथा चौधरी खलिकुज्जमा से लखनऊ में भेंट की परन्तु परिणाम व्यर्थ रहा।
- संयुक्त प्रान्त में 1937 ई. में कांग्रेस ने सरकार गठित की। इस सरकार में प्रधानमन्त्री गोविन्द बल्ल्भ पन्त के साथ रफी अहमद किदवई, डॉ. कैलाशनाथ काटजू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित, प्यारे लाल शर्मा, मोहम्मद इब्राहीम सम्मिलित थे। लक्ष्मीनारायण, संसदीय सचिव बनाये गये थे।
- संयुक्त प्रान्त की कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर, 1939 ई. में एक विस्तृत अधिनियम के द्वारा काश्तकारों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया था। कुटीर उद्योगों पर बल दिया था।
- अक्टूबर, 1939 ई. में गान्धी जी द्वारा आन्दोलन का प्रस्ताव पारित करते ही संयुक्त प्रान्त की कांग्रेस सरकार ने देश की अन्य कांग्रेसी सरकारों के साथ त्याग-पत्र दे दिया।
- 1942 ई. के भारत छोड़ो आन्दोलन के दौर में संयुक्त प्रान्त में बलिया में (10 अगस्त, 1942 ई.) को प्रबल जन-आन्दोलन हो गया जिसमें अनेक रेलवे स्टेशन, डाकखाने, थाने जला दिये गये। इस आन्दोलन में बलिया के स्थानीय कांग्रेसी नेता चित्तू पाण्डे के नेतृत्व में बलिया में एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी गयी थी।
- 22 अगस्त, 1942 ई. से बलिया में अंग्रेज सरकार का दमन प्रारम्भ हुआ; आम जनता से भारी जुर्माना वसूला गया; हजारों निर्दोष लोगों को बन्दी बनाया गया तथा प्रताड़ित किया गया; अन्ततः

बलिया को सेना ने पुनः विजित किया और ब्रिटिश सरकार ने लन्दन को यह टेलीग्राम दिया कि "बलिया को पुनर्विजित कर लिया गया है।"

- 15 अगस्त, 1947 को भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही संयुक्त प्रान्त में स्वतन्त्र भारत की प्रथम कांग्रेसी सरकार का इस महत्वपूर्ण प्रान्त में पं. गोविन्दवल्लभ पन्त के नेतृत्व में गठन हो गया था।

1857 की क्रान्ति की प्रमुख घटनाएँ

तिथि	घटना
29 मार्च, 1857 ई.	बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग करने से इन्कार कर दिया; संयुक्त प्रान्त के मंगल पाण्डे नामक सैनिक ने क्षुब्ध होकर अपने एडजुडेण्ट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी।
10 मई, 1857 ई.	मेरठ में सैनिकों का विद्रोह।
10-30 मई, 1857 ई.	दिल्ली, अलीगढ़, इटावा, बुलन्दशहर, नसीराबाद, बरेली, मुरादाबाद, खीरी, सीतापुर, शाहजहाँपुर एवं अन्य के क्षेत्रों में विद्रोह प्रारम्भ।
12 मई, 1857 ई.	मेरठ के विद्रोही सैनिकों द्वारा दिल्ली में बहादुरशाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया।
1 जून, 1857 ई.	ग्वालियर, भरतपुर, झाँसी, इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज'), फैजाबाद (अब अयोध्या), सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर (बिठूर) में विद्रोह प्रस्फुटित।
5 जून, 1857 ई.	नाना साहब को कानपुर (बिठूर) का पेशवा घोषित किया गया।
जुलाई, 1857 ई.	संयुक्त प्रान्त में प्रत्येक जगह विद्रोह प्रारम्भ।
अगस्त, 1857 ई.	संयुक्त प्रान्त में स्थानीय जनता (किसानों) ने विद्रोह में भाग लेना प्रारम्भ किया।
सितम्बर, 1857 ई.	दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार; संयुक्त प्रान्त में अंग्रेजों द्वारा दमन-चक्र प्रारम्भ।
अक्टूबर, 1857 ई.	संयुक्त प्रान्त में प्रत्येक स्थान पर अंग्रेजों से संघर्ष।
नवम्बर, 1857 ई.	विद्रोहियों ने अंग्रेज जनरल विण्डहम को कानपुर के निकट पराजित किया।
6 दिसम्बर, 1857 ई.	कानपुर का युद्ध सर कॉलिन कैम्बल ने विजय किया; तात्या टोपे पराजित होकर झाँसी पहुँचे; महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध भयंकर संघर्ष प्रारम्भ किया; अंग्रेज सेना में दूसरे प्रान्तों से सहायता टुकड़ियाँ पहुँचीं।
मार्च, 1858 ई.	लखनऊ पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार स्थापितः बेगम हजरत महल अपने बेटे नवाब बिरजिस कद्र के साथ नेपाल की ओर पलायन कर गयीं।
3 अप्रैल, 1858 ई.	सर ह्यूरोज ने झाँसी पर आक्रमण कर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया।
16 अप्रैल, 1858 ई.	संयुक्त प्रान्त में प्रत्येक स्थान पर अंग्रेज प्रभावी।
मई, 1858 ई.	अंग्रेजों ने बरेली, काल्पी को पुनः विजित किया; भारतीय विद्रोहियों ने रुहेलखण्ड में छापामार आक्रमण प्रारम्भ किया।
जून, 1858 ई.	संयुक्त प्रान्त में विद्रोह लगभग समाप्त।
जुलाई-दिसम्बर 1858 ई.	सभी स्थानों पर अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित।

अवध के नवाब-राजा (कालक्रम)

पहला नवाब	सआदत खाँ (बुरहानुल्मुल्क) (अवध में नवाबी का संस्थापक	1732 से 1739 ई.
द्वितीय नवाब	सफदरजंग	1739 से 1753 ई.
तृतीय नवाब	शुजाउद्दौला	1753 से 1775 ई.
चतुर्थ नवाब	आसफउद्दौला	1775 से 1797 ई.
पाँचवाँ नवाब	वजीर अली (मात्र चार माह सिंहासन पर रहा, तत्पश्चात् हटा दिया गया)	1797 से 1798 ई.
छठवाँ नवाब	सआदत अली खाँ	1798 से 1814 ई.
सातवाँ नवाब	गाजीउद्दीन हैदर (1819 ई. में ब्रिटिश सरकार ने उसे राजा की उपाधि से सम्मानित किया और वह अपने खानदान का पहला राजा कहलाया)	1814 से 1819 ई.
पहला राजा	गाजीउद्दीन हैदर	1819 से 1827 ई.
द्वितीय राजा	नासिर-उद्दीन हैदर	1827 से 1837 ई.
तृतीय राजा	मुहम्मद अली शाह	1837 से 1842 ई.
चतुर्थ राजा	अमजद अली शाह	1842 से 1847 ई.
पाँचवाँ (अन्तिम राजा)	वाजिद अली शाह (फरवरी, 1856 ई. में राजा को च्युत कर अंग्रेजों ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया)	1847 से 1856 ई.

●

संवैधानिक प्रणाली

भारतीय संविधान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में एक राज्यपाल तथा दो सदनों का विधान मण्डल है। एक सदन विधानसभा तथा दूसरा विधान परिषद् कहलाता है। राज्य में एक उच्च न्यायालय भी है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है और उसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल, जो भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष से कम आयु का न हो, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति की संतुष्टि तक अपना पद धारण करता है। उसकी कार्यावधि पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष की होती है, किन्तु वह इस अवधि के समाप्त होने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पदासीन रह सकता है। राज्यपाल न तो संसद के किसी सदन का और न ही राज्य विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य होता है। वह अन्य लाभ के पद धारण नहीं कर सकता है और बिना किराया दिये सरकारी आवास का प्रयोग कर सकता है। साथ ही वह संविधान की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित वेतन, भत्तों व विशेषाधिकारों का उपयोग कर सकता है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान और विधि के परीक्षण और संरक्षण के लिए तथा जन-कल्याण के लिए अपनी सेवायें अर्पित करने की शपथ लेता है। राज्यपाल को, राज्य कार्यपालिका शक्ति के अन्तर्गत, किसी अपराध में अथवा किसी विधि के विरुद्ध सिद्ध-दोष व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, प्रतिलम्बन, विराम या परिहार करने का अथवा दण्डादेश के निलम्बन या लघुकरण (कम करने) का अधिकार है।

राज्यपाल को उसके कार्य संचालन में सहायता अथवा मंत्रणा देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रि-परिषद् होती है। यह परिषद्, ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें विधान के अन्तर्गत राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेना हो, शेष सभी कार्यों में उसकी सहायता करती है। यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा है अथवा नहीं जिसमें राज्यपाल को संविधान के अन्तर्गत स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिए, तो इस विषय पर राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया गया निर्णय ही अन्तिम माना जाता है। इस सम्बन्ध में उसके कार्य के औचित्य पर आपत्ति नहीं उठायी जा सकती।

राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा तथा अन्य मंत्रिगण मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करते हैं। मंत्रि-परिषद् राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्यपाल किसी मंत्री को पद ग्रहण करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची में दिये हुए परिपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यदि कोई मंत्री निरन्तर छह माह की अवधि तक राज्य के विधानमण्डल का सदस्य न रहे तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता। मंत्रियों को समय-समय पर राज्य के विधान मण्डल द्वारा विधि के अन्तर्गत निर्धारित वेतन तथा भत्ते देय होते हैं। वे अन्य लाभों के भी अधिकारी होते हैं। उन्हें निःशुल्क सुसज्जित आवास, यात्रा तथा चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त हैं। राज्य की कार्यपालिका से सम्बन्धित सारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रि-परिषद् के समस्त निर्णयों तथा विधान के लिए प्रस्तावित सभी मामलों की सूचना राज्यपाल को देता है। साथ ही मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के लिये प्रस्तावित उन मामलों की जानकारी भी राज्यपाल को देता है जिनकी सूचना राज्यपाल स्वयं मांगते हैं। यदि किसी मामले में किसी एक मंत्री ने एकपक्षीय निर्णय लिया है तो राज्यपाल मंत्रि-परिषद् से उस पर पुनर्निर्णय लेने के लिये कह सकता है। इस कार्य के लिये वह सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। वह विधान मण्डल के किसी भी सदन में लम्बित किसी विधेयक के विषय में सम्बन्धित सदन को संदेश भेज सकता है। जिस सदन को ऐसा संदेश भेजा जाय, उसे उस पर यथा सुविधानुसार विचार करना होगा।

प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के पश्चात् तथा प्रत्येक वर्ष विधानमण्डल के प्रथम सत्र के आरम्भ होने के पूर्व राज्यपाल दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर उन्हें अवगत कराता है कि विधान मण्डल की बैठक किन कार्यों के निष्पादन के लिए बुलाई गयी है। राज्यपाल विधान मण्डल द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देता है या उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है। जब तक ऐसी स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक कोई विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। यह विधान परिषद् के लिये 12 सदस्यों तथा विधानसभा के लिए एक एंग्लो-इण्डियन को मनोनीत करता है। राज्यपाल प्रतिवर्ष दोनों सदनों के समक्ष सम्बन्धित वर्ष का वित्तीय विवरण, लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का राज्य से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विधान मण्डल सत्र में न होने के समय यदि वह संतुष्ट है की स्थिति होती है कि तुरन्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो उसे अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार जारी किया हुआ अध्यादेश विधान मण्डल की बैठक होते ही उसके समक्ष रखा जाता है। विधान मण्डल चाहे तो उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार भी कर सकता है।

विधानसभा

उत्तर प्रदेश विधानसभा में मनोनीत एंग्लो-इण्डियन सदस्यों को मिलाकर 404 सदस्य हैं। सन् 1967 तक एंग्लो-इण्डियन सदस्य को मिलाकर विधानसभा के 431 सदस्य होते थे। परिसीमन आयोग की सिफारिश के अनुसार, जो प्रत्येक जनगणना के पश्चात् गठित किया जाता है, पूरे राज्य को 425 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। उत्तराखंड के गठन के बाद यह संख्या 404 रह गयी है। विधान सभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से पाँच साल का होता है, बशर्ते कि वह उससे पहले विघटित न कर दी जाय। निर्वाचन 'एक वयस्क एक वोट' के आधार पर किया जाता है।

सदन अधिनियम

विधानसभा को अपने कार्य संचालन के विनियमन तथा प्रक्रिया के लिए नियम बनाने का अधिकार है। विधानसभा के समक्ष आये सारे प्रश्न बहुमत द्वारा निर्णीत होते हैं और सभा की बैठक गणपूर्ति के लिये उसके सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश आवश्यक होता है। विधान सभा का कार्य संचालन अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संचालित करता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं। विधानसभा का मुख्य कार्य, अधिनियम बनाना, सरकार को व्यय के लिए धन स्वीकृत करना, प्रश्नों, प्रस्तावों व संकल्पों द्वारा अविलम्ब महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करके सरकार की कार्य-विधियों पर नियंत्रण रखना है। उसका कार्य हिन्दी भाषा में व देवनागरी लिपि में किया जाता है।

विधि सम्बन्धी सरकारी या गैर सरकारी प्रस्ताव विधेयक के रूप में सदन के समक्ष सदन की पूर्व अनुज्ञा से रखे जाते हैं। उसके पश्चात् या तो सीधे सदन में ही विचारार्थ ले लिये जाते हैं अथवा प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिये जाते हैं। सदन द्वारा विभिन्न उपबन्धों पर विचारोपरान्त यह विधेयक को अस्वीकार कर सकती है या उसे संशोधनों सहित पारित कर सकती है। इनमें से किसी भी स्थिति में विधानसभा विधेयक को पुनः विचारार्थ विधान परिषद् भेज सकती है। यदि इस प्रकार विधानसभा द्वारा दोबारा पारित विधेयक परिषद् के भेजने के बाद, विधानसभा सहमत न हो या ऐसा विधेयक एक मास की अवधि तक परिषद् अपने यहाँ लम्बित रखती है, तो यह समझा जायेगा कि वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया है और उसे राज्यपाल को उनके अनुमोदन के लिए भेज दिया जायेगा। धन विधेयक, जो किसी कर का आरोपण, उगाही, परिहार, परिवर्तन या विनियमन करता हो, विधान परिषद् द्वारा उसे प्राप्त होने के बाद 14 दिन से अधिक लम्बित कर दे, तो यह समझा जायेगा कि ऐसा विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया है और वह राज्यपाल को अनुमोदन के लिये भेज दिया जायेगा।

अन्य प्राक्कलन सदन में मतदान के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं। नियमानुसार सदन अन्य प्राक्कलनों पर

मतदान के लिये पाँच दिन की सामान्य बहस के अतिरिक्त 24 दिन का समय ले सकता है। प्राक्कलित व्ययों के अनुमोदन के समक्ष राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्ताव के रूप में सम्बन्धित विभागों के मंत्रियों द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं। वे विभागवार मांग प्रस्ताव के रूप में होते हैं। विपक्ष कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। संविधान में इस बात की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गयी है कि यदि स्वीकृत धनराशि कम पड़ती है या व्यय की धनराशि से बढ़ जाती है, तो आवश्यकता पड़ने पर अनुपूरक, अतिरिक्त या अपर अनुदान भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

समितियाँ

सदन के पास सभी मुद्दों पर पूरा विचार करने का समय या सुविधा नहीं रहती। इसलिये सम्यक विचार के लिये कुछ समितियां गठित की गई हैं, जैसे कि विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समिति या शासन द्वारा अधिनियमों में दी गई शक्ति या संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत बनाये गये नियमों, नियमावलियों तथा उपविधियों पर विचार करने वाली प्रत्यायोजित विधि निर्माण समिति। इसके अतिरिक्त सदन की तीन महत्वपूर्ण वित्तीय समितियाँ भी हैं, जो प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति कहलाती हैं। प्राक्कलन समिति का कार्य सदन को प्रस्तुत प्राक्कलनों की परीक्षा करना है। लोक लेखा समिति का कार्य भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के इस राज्य से सम्बन्धित प्रतिवेदनों पर विचार करना है और यह देखना है कि जो धन व्यय किया गया है, जिसके लिये सदन ने अपना मत व्यक्त किया था। उत्तर प्रदेश ने अन्य प्रदेशों के मुकाबले सर्वप्रथम यह सिद्धांत स्वीकार किया कि लोक लेखा समिति का सभापति विरोधी पक्ष से निर्वाचित किया जाय। उत्तर प्रदेश में यह परम्परा सन् 1948 से चली आ रही है, जबकि लोकसभा ने इसको सन् 1967 के बाद अंगीकृत किया है। सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति की स्थापना अभी हाल में राज्य के अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के उपरान्त की गयी है। चूँकि इन संस्थाओं की स्वायत्तता के साथ-साथ इन्हें विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी बनाये रखना आवश्यक है, अतः सार्वजनिक उपक्रम समिति इन उपक्रमों की कार्यप्रणाली की जाँच करती तथा उन्हें निर्देश देती है ताकि वे कुशलता, मितव्ययिता और अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप के बिना कार्य कर सकें।

विशेष समितियाँ

उपर्युक्त विधि सम्बन्धी तथा वित्तीय समितियों के अलावा सदन के कार्य संचालन में सहायता के लिये अन्य समितियाँ भी हैं। आश्वासन समिति सदन में समय-समय पर दिये गये आश्वासनों की जाँच करती है। विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाये जाने पर विशेषाधिकार समिति उनको देखती है। याचिका समिति उन याचिकाओं पर विचार करती है, जो समय-समय पर जनता द्वारा सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाती हैं। सदन की एक समिति हाउस कमेटी भी होती है, जो सदस्यों की आवास, भोजन व्यवस्था की सुविधाओं पर विचार करती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण समिति कार्य की परामर्शदात्री समिति भी गठित की गयी है, जो सदन के समक्ष आने वाले कार्य के लिये समय का आवंटन व नियमन करती है। उत्तर प्रदेश को कुछ वर्ष एक संसदीय अध्ययन समिति के गठन का श्रेय भी है। यह संसदीय मामलों का अध्ययन कर उन पर अपने सुझाव देती है। इसने सदस्यों के विशेषाधिकार, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, सदन की वित्तीय तथा अन्य समितियों में विधान परिषद् के सदस्यों के सम्मिलित होने तथा समिति की अपनी कार्यप्रणाली आदि विषयों से सम्बद्ध महत्वपूर्ण कार्य किया है। अनुसूचित जाति/जनजाति व विमुक्त जाति से सम्बद्ध कल्याणकारी कार्यों की देख-भाल के लिये नयी समिति का गठन भी किया गया है। वास्तव में सदन का कार्य मुख्यतया इन समितियों द्वारा ही होता है। उक्त समितियों के अतिरिक्त प्रदेश में मंत्रियों को परामर्श देने के लिये 27 स्थायी समितियाँ भी हैं।

विधान परिषद्

प्रदेश में सन् 1937 से दो सदनों का विधान मण्डल है। उच्च सदन विधान परिषद् कहलाता है और यह स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 साल के लिये निर्वाचित या मनोनीत किये जाते हैं और उनमें से एक तिहाई प्रति दूसरे साल निवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या 108 है जिसमें से 12 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, 39 स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं, 39 विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं तथा स्नातकों और अध्यापकों द्वारा 9-9 सदस्य निर्वाचित होते हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन हो जाने के बाद विधान परिषद् सदस्यों की संख्या 100 हो गयी है। विधान परिषद् को न तो अनुमोदन पर मतदान करने का अधिकार है और न ही कोई धन विधेयक उसमें पेश किया जा सकता है। अन्य कोई विधेयक उस समय तक अधिनियम नहीं बन सकता, जब तक दोनों सदनों से पारित न हो जाय। विधान परिषद् के पीठासीन अधिकारी सभापति एवं उपसभापति कहलाते हैं और उनका निर्वाचन विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों की ही भांति होता है, जो उन्हीं की भांति अपने पदों पर बने रहते हैं। विधान मण्डल के सदनों के पृथक्-पृथक् अपने सचिवालय और सचिव हैं, जिनकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के सचिवालय और सचिवों से पूर्णतया स्वतंत्र है। दोनों सचिवालयों को विभिन्न अनुभागों में विभाजित किया गया है, जो संसदीय, लेखा कार्यवाही और समितियों का कार्य देखते हैं। विधान मण्डल के सदस्यों के प्रयोग के लिए एक विधान मण्डल पुस्तकालय भी है। यह देश के विधानमण्डल पुस्तकालयों में सबसे बड़ा पुस्तकालय है। दोनों सदनों के सदन की समितियों के सदस्यों का वही विशेषाधिकार, शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं, जो इंग्लैण्ड के हाउस ऑफ कामन्स के सदस्यों को मिली है। इसके अतिरिक्त सदन में भाषण देने से सम्बन्धित किसी बात पर उनके विरुद्ध न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता है।

नेता विरोधी दल

उत्तर प्रदेश ने एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम के अन्तर्गत विरोधी दल के नेता के लिए कार्यालय की स्थापना कर प्रजातंत्र प्रणाली में एक विशिष्ट योगदान किया है। विरोधी दल के नेता को इस नयी व्यवस्था के अन्तर्गत मंत्री के समकक्ष प्रतिष्ठा दी गई है। नेता, विरोधी दल के लिये मंत्री के बराबर वेतन और सुसज्जित, निःशुल्क आवास का प्रावधान है। उसे वाहन भत्ता, कार्यालय के लिए कर्मचारी और अन्य सुविधायें, जो उसके पद के अनुरूप हों, दी जाती हैं। अधिनियम के अनुसार सदन में मान्यता प्राप्त विरोधी दलों में सबसे अधिक संख्या वाले दल के नेता को विरोधी दल के नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है, किन्तु ऐसे दल के सदस्यों की संख्या कम-से-कम गणपूर्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए।

कार्यपालिका

मंत्रि-परिषद् संयुक्त रूप से राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसके परामर्श और सहायक के लिए लखनऊ में एक सुव्यवस्थित सचिवालय है। मुख्य सचिव इसका प्रधान होता है और अन्य प्रमुख सचिव एवं सचिव अपने-अपने विभागों के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। सचिव अपने विभाग को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए जिम्मेदार हैं और शासकीय नियमों तथा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके इस कार्य में विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव तथा अन्य अधिकारी सहायता करते हैं। विभागों के कार्य निस्तारण की मुख्य जिम्मेदारी मंत्री की है, जो समय-समय पर कार्य निस्तारण के लिये उचित स्थायी आदेश तथा निर्देश देता रहता है। इन्हीं स्थायी आदेशों के अधीन यह भी निश्चित होता है कि कौन से कार्य सचिव द्वारा या उससे नीचे के अधिकारियों द्वारा निपटाये जा सकते हैं और कौन से ऐसे मामले हैं, जो मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

सचिवालय

सचिवालय के अधिकतर विभागों में उनके नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यालयाध्यक्ष होते

हैं, जो शासन की कार्यपालिका शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। सारे आदेश राज्यपाल के नाम से प्रसारित किये जाते हैं, किन्तु वे सचिव अथवा उसके अधीन अनुसचिव पद तक के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाते हैं। शासन का कार्य हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि में किया जाता है। प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव तथा अनु सचिव साधारणतया केन्द्रीय या प्रदेशीय प्रशासनिक सेवाओं से नियुक्त किये जाते हैं। कुछ उप सचिव और अनुसचिव सचिवालय की स्थायी सेवाओं से भी नियुक्त किये जाते हैं। न्याय एवं विधायिका विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति न्यायिक सेवाओं से की जाती है।

जिला एवं मण्डल प्रशासन

जिला एवं मण्डल प्रशासन का कार्य मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1. कर्मचारी वर्ग से सम्बद्ध प्रशासन, 2. वित्तीय प्रशासन, 3. न्यायिक और विधि से सम्बद्ध मामले, 4. शान्ति व्यवस्था से सम्बद्ध मामले, 5. कर की वसूली और रोपण, 6. आर्थिक विकास और प्रदेश की सम्पदा के स्रोतों का संरक्षण, 7. सामाजिक सेवायें, 8. जनता के उपयोग में आने वाली सेवायें, 9. मण्डलायुक्त।

सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के बाद महत्वपूर्ण स्थान मण्डलायुक्त का होता है, जो अपने मण्डल में शान्ति-व्यवस्था, राजस्व तथा अन्य मामलों के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होता है। मण्डलायुक्त को जिलाधिकारियों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, नियोजन तथा विकास के कार्यों की देखभाल करनी होती है। इस समय प्रदेश में 18 मण्डलायुक्त हैं।

प्रत्येक कमिश्नरी या मण्डल में कुछ जिले होते हैं, जिनका प्रशासनिक अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। वह जिला मजिस्ट्रेट या उप मण्डलायुक्त तथा कलैक्टर भी कहलाता है। जिलाधिकारी पूरे जिले के प्रशासन की धुरी है। वह अपने जिले में शान्ति-व्यवस्था के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होता है और उसको विस्तृत प्रशासनिक, पुलिस और राजस्व सम्बन्धी अभिलेखों को सुरक्षित रखने के अतिरिक्त भूमि सुधार, नियोजन और विकास से सम्बद्ध कार्यों की देख-भाल करनी होती है। प्रशासन की सुविधा, राजस्व की वसूली तथा विकास कार्यों की प्रगति को ध्यान में रखकर जिले का विभाजन तहसीलों, विकास खण्डों और गांवों में किया गया है।

न्यायपालिका

दीवानी और फौजदारी के मामलों से सम्बद्ध राज्य में एक उच्च न्यायालय है। राजस्व के मामलों के लिये सबसे बड़ा न्यायालय राजस्व परिषद् है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसके कार्य तथा कार्यवाहियाँ शाश्वत साक्ष्य हैं। इसके अभिलेखों को इतना उच्च स्थान प्राप्त है कि उनकी सत्यता को नीचे की किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अभिलेख न्यायालय के रूप में इसे अपनी अवमानना के दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने का भी अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अन्य न्यायाधीशों को वह मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त करता है। न्यायाधीश पद के लिए ऐसे ही व्यक्ति योग्य माने जाते हैं जो भारत के नागरिक हों और जिन्होंने भारत के किसी उच्च न्यायालय के सामने अधिवक्ता के रूप में या किसी न्यायिक सेवा के पद पर कम से कम 10 वर्ष तक कार्य किया हो। उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या अधिकारी को संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों की रक्षा करने के ध्येय से आदेश देने में सक्षम है।

अधीनस्थ न्यायिक सेवा

अधीनस्थ न्यायिक सेवा को दो भागों में विभाजित किया गया है— उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा। उसमें पहले के अन्तर्गत मुन्सिफ और लघुवाद न्यायाधीश को मिलाकर सिविल जज, दूसरे के अन्तर्गत सिविल एण्ड सेशन्स जज (अब अतिरिक्त जिला सेशन जज) आते हैं। जिले के स्तर पर जिला न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायिक सेवा का नियंत्रण होता है। प्रदेश 71 न्यायिक जिलों में बंटा है,

जिसमें प्रत्येक का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन है। मुंसिफ को जुडीशियल मजिस्ट्रेट के अधिकार दिये गये हैं और सिविल जज पदेन असिस्टेन्ट सेशन जज भी होता है।

दीवानी के मामले में सबसे नीचे का न्यायालय, मुंसिफ का न्यायालय होता है। उसके बाद सिविल जज और जिले में सबसे ऊपर का न्यायालय जिला जज का होता है। राजस्व के मामलों में सहायक कलेक्टर और कमिश्नर होते हैं। राजस्व मामलों में राजस्व परिषद् ही सर्वोच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट के अन्तर्गत न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया है। इनका कार्य क्षेत्र सिविल है और ये कुछ निर्दिष्ट मामलों में 500 रुपये तक के मूल्य के वादों की सुनवाई कर सकती हैं। इनको फौजदारी के निर्दिष्ट छोटे-छोटे मामलों में भारतीय दण्ड विधान तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत दण्ड देने का अधिकार है। न्याय पंचायतों को कारावास का दण्ड देने का अधिकार नहीं है। वे 100 रुपये तक जुर्माना कर सकती हैं।

उत्तर प्रदेश लोकसेवा प्राधिकरण

सरकारी कर्मचारी की सेवाओं से सम्बन्धित मामलों की संख्या अदालतों में निरंतर बढ़ती जा रही थी। ऐसे मुकदमों में राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों, निगमों और कम्पनियों के धन और समय का अपव्यय होता था। इसलिए 1976 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्थापित किये गये। इनकी स्थापना का उद्देश्य कर्मचारियों को शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है।

●

भारत रत्न

भगवान दास

जवाहर लाल नेहरू

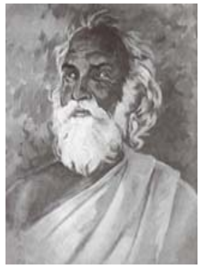

पुरुषोत्तम दास टण्डन

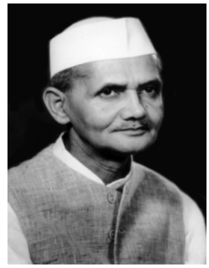

लाल बहादुर शास्त्री

पं0 मदन मोहन मालवीय

श्रीमती इन्दिरा गांधी

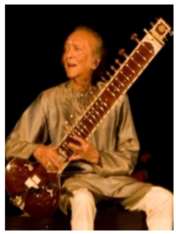

पं. रविशंकर

उस्ताद बिस्मिल्लाह खान

अटल बिहारी बाजपेयी

परमवीर चक्र विजेता

वीर अब्दुल हमीद

लेफ्टि. मनोज पाण्डेय

नायक जदुनाथ सिंह

ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव

महावीर चक्र विजेता

ब्रिगेडियर मो. उस्मान

कै. महेन्द्रनाथ मुल्ला

अशोक चक्र विजेता

कांस्टेबल कमलेश कुमारी

मेजर मोहित शर्मा

स्रोत : इंटरनेट

उ.प्र. में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

नाना साहब पेशवा

प्रिंस बिरजिस कदर

कुँवर सिंह

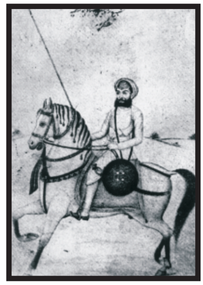
राणा बेनीमाधव सिंह

अजीमुल्लाह खाँ

ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद

राजा जयलाल सिंह

अज़ीज़न बाई

बेगम हजरतमहल

तांत्या टोपे

रानी लक्ष्मीबाई

मंगल पाण्डे

चन्द्रशेखर आजाद

भगत सिंह

राज गुरू

सुखदेव

उ.प्र.में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

रोशन सिंह

राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी

अशफाक उल्ला

चित्तू पाण्डे

योगेशचन्द्र चटर्जी

रामकृष्ण खत्री

कैप्टन रामसिंह

मोनी शील

रामप्रसाद बिस्मिल

महावीर सिंह

यतीन्द्रनाथ दास

भगवती चरण वोहरा

डॉ.गया प्रसाद कटियार

गणेश शंकर विद्यार्थी

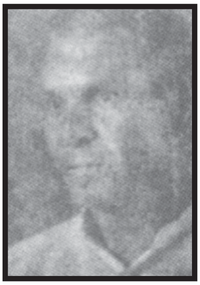
डॉ. जयदेव कपूर

शचीन्द्र नाथ सान्याल

उ.प्र.में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

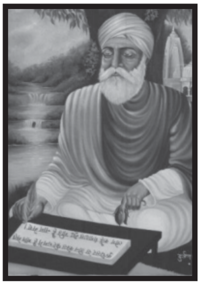

गंगादास

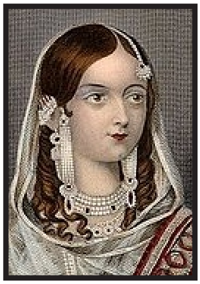

जीनत महल

ऊदा देवी

झलकारी बाई

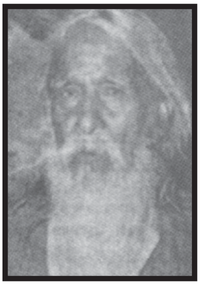

पं. परमानन्द

विजय कुमार सिन्हा

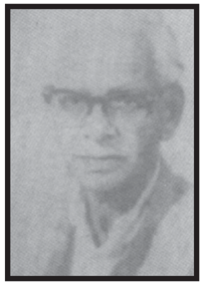

शिव वर्मा

दुर्गा भाभी

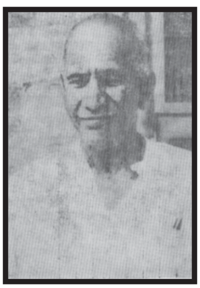

कुन्दन लाल गुप्त

कैप्टन लक्ष्मी सहगल

शहनवाज खाँ

विजय लक्ष्मी पंडित

बायें से पंडित किशोरी लाल, मास्टर आज्ञाराम, अजय कुमार घोष, शिव वर्मा

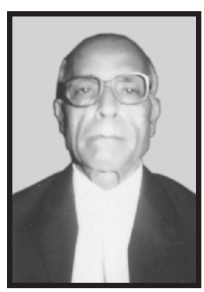

बसन्त लाल खन्ना

उ.प्र.में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

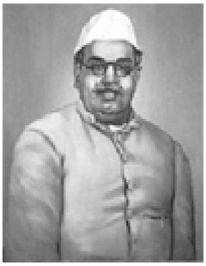
रफी अहमद किदवई

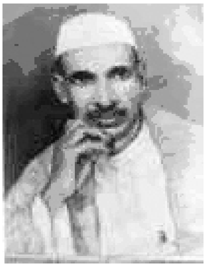
विशम्भर दयाल त्रिपाठी

राव रामबक्श सिंह

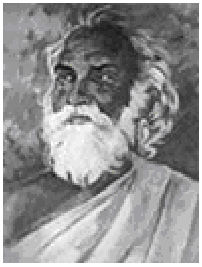
पुरुषोत्तम दास टण्डन

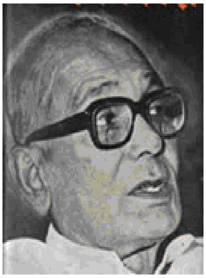
जयप्रकाश नारायण

मौलाना मोहम्मद अली

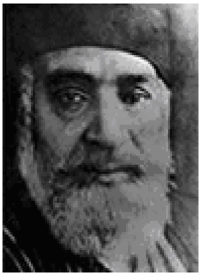
मौलाना शौकत अली

गोविन्द बल्लभ पंत

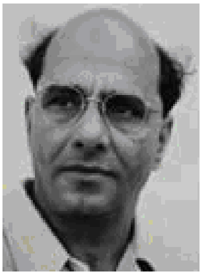
महावीर त्यागी

मुख्तार अहमद अन्सारी

तेज बहादुर सप्रू

राम मनोहर लोहिया

स्रोत : इंटरनेट

उत्तर प्रदेश में हिन्दी साहित्य की प्रमुख विभूतियाँ

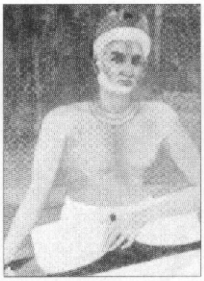
कबीर

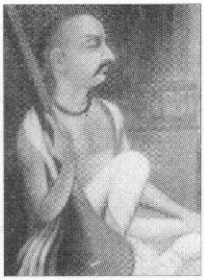
सूरदास

मीराबाई

तुलसीदास

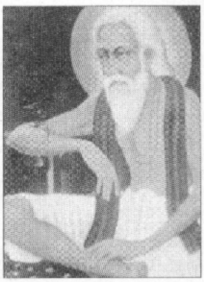
रविदास

पद्माकर

मलिक मुहम्मद जायसी

रहीम

चन्द्रबरदाई

बिहारी दास

केशव दास

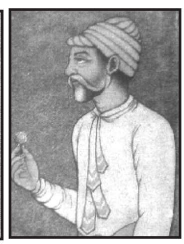
रसखान

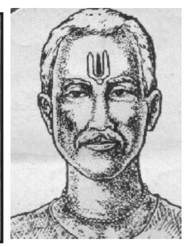
संत कवि बैजनाथ

अमीर खुसरो

आ.महावीरप्रसाद द्विवेदी

राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द

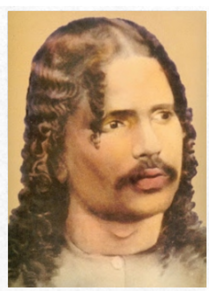
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

बालकृष्ण भट्ट

बाबू श्यामसुंदर दास

मुंशी प्रेमचंद

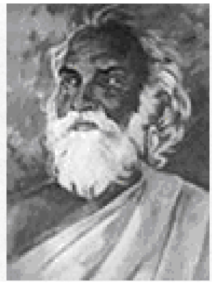
पुरुषोत्तम दास टंडन

अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

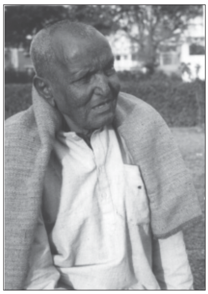
पंडित बंशीधर शुक्ल

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

जगन्नाथ दास रत्नाकर

मैथिलीशरण गुप्त

जयशंकर प्रसाद

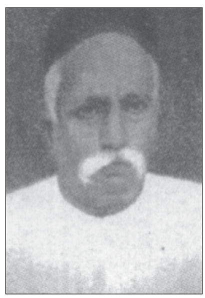
देवकीनंदन खत्री

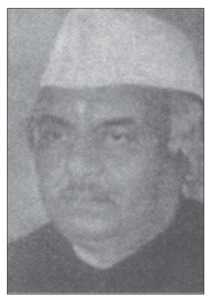
सम्पूर्णानन्द

सोहनलाल द्विवेदी

रायकृष्णदास

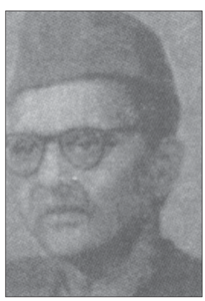
शिवपूजन सहाय

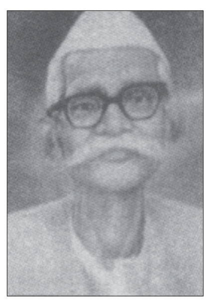
परशुराम चतुर्वेदी

कृष्णदेव प्रसाद गौड़

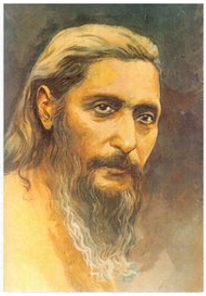
सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

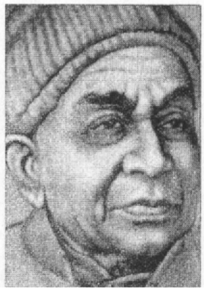
पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र'

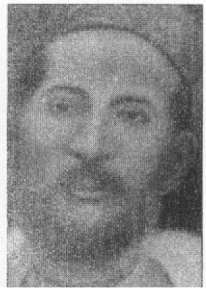
प्रतापनारायण मिश्र

पं. राहुल सांकृत्यायन

यशपाल

शांतिप्रिय द्विवेदी

नंददुलारे वाजपेयी

महादेवी वर्मा

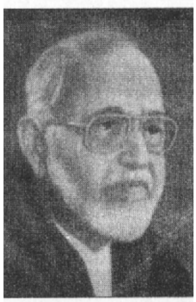
'अज्ञेय'

अमृतलाल नागर

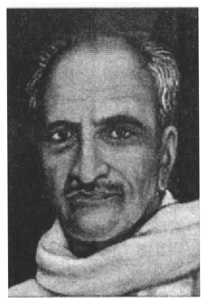
वृन्दावन लाल वर्मा

भगवतीचरण वर्मा

बनारसीदास चतुर्वेदी

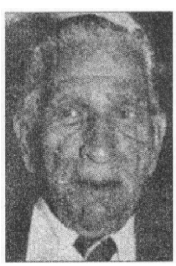
डॉ. रामकुमार वर्मा

अमृतराय

आ.हजारीप्रसाद द्विवेदी

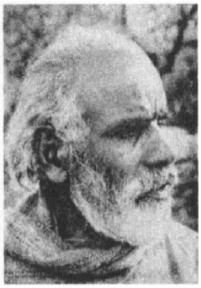

त्रिलोचन

नामवर सिंह

हरिवंश राय बच्चन

नरेश मेहता

धर्मवीर भारती

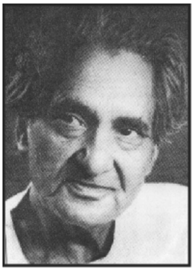

गोपालदास नीरज

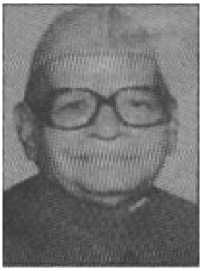

विष्णु प्रभाकर

कुँवर नारायण

डॉ. शिवप्रसाद सिंह

कमलेश्वर

लक्ष्मीकान्त वर्मा

रवीन्द्र कालिया

भारत भूषण

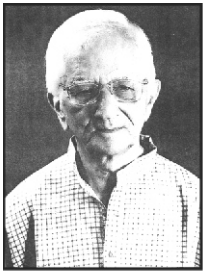

मार्कण्डेय

सोम ठाकुर

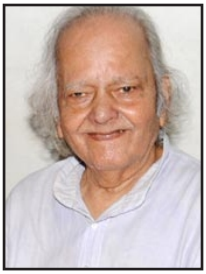
अमरकान्त

डॉ. जगदीश गुप्त

डॉ. रमा सिंह

रघुवीर सहाय

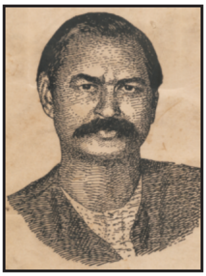
सुदामाप्रसाद पांडेय 'धूमिल'

केदारनाथ अग्रवाल

राही मासूम रज़ा

राजेन्द्र यादव

डॉ .परमानन्द श्रीवास्तव

अब्दुल बिस्मिल्लाह

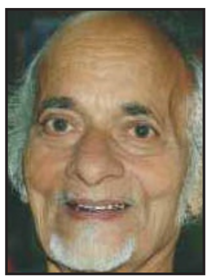
मुद्राराक्षस

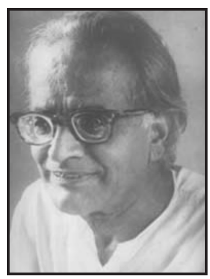
शमशेर बहादुर सिंह

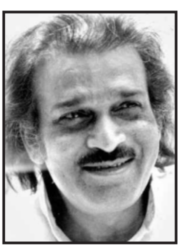
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना

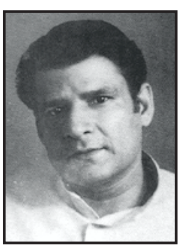
दुष्यन्त

केदारनाथ सिंह

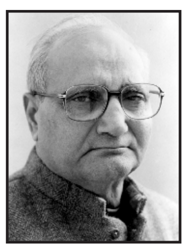
श्रीलाल शुक्ल

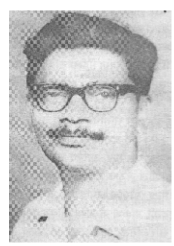
प्रबोध मजूमदार

उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार

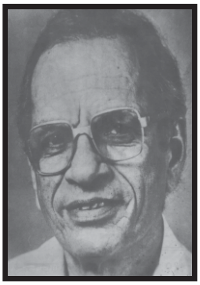
बीर राजा

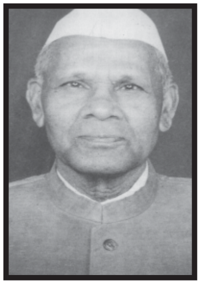
माता प्रसाद

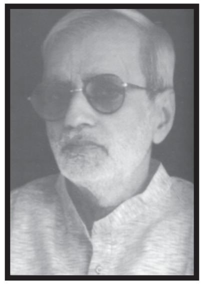
दूधनाथ सिंह

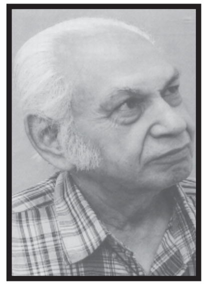
रमेश कुन्तल मेघ

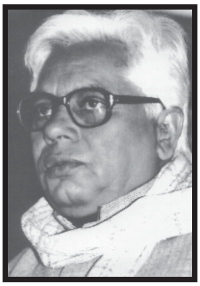
कामता नाथ

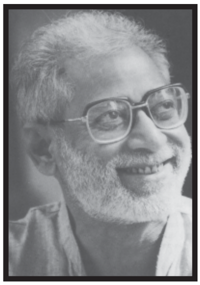
काशीनाथ सिंह

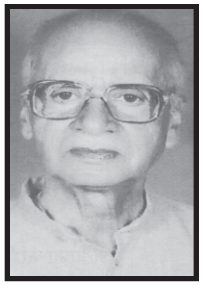
विवेकी राय

कन्हैयालाल नन्दन

डॉ० भवदेव पाण्डेय

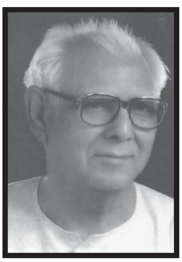
रामदरश मिश्र

विद्यानिवास मिश्र

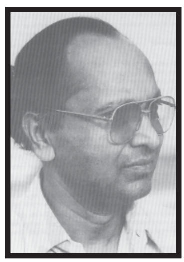
गिरीराज किशोर

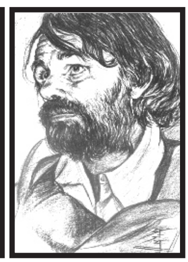
गोरख पाण्डे

ठाकुर प्रसाद सिंह

लीलाधर जगूड़ी

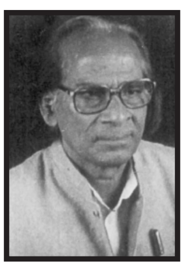
शंकर सुल्तानपुरी

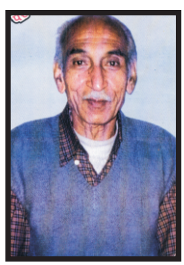
मोहन थपलियाल

विभूतिनारायण राय

उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार

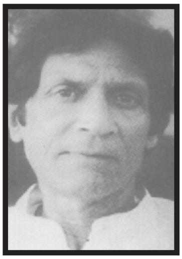
से.रा. यात्री

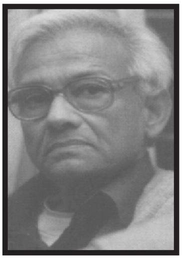
नरेश सक्सेना

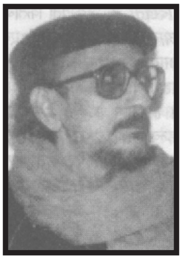
ज्ञानेन्द्रपति

मैत्रेयी पुष्पा

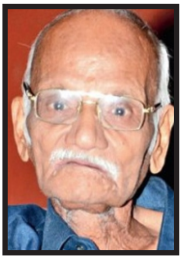
के.पी. सक्सेना

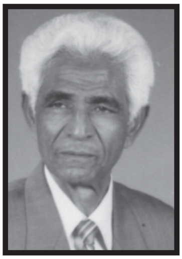
रामस्वरूप 'सिन्दूर'

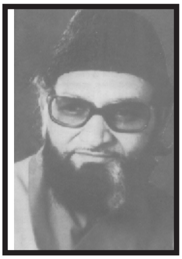
बेकल उत्साही

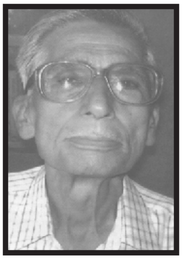
हृदयेश

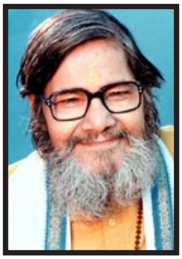
काका हाथरसी

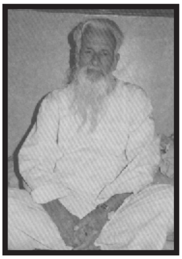
वचनेश त्रिपाठी

इन्दु जैन

चित्रा मुद्‌गल

गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव

लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय'

हरीओम शुक्ला'ओमी'

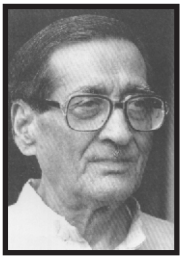
लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक'

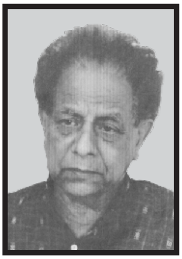
किशन सरोज

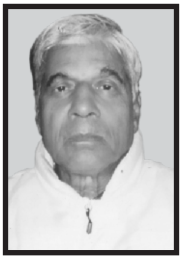
ओम प्रकाश अडिग

श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव

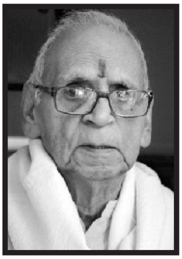
मनु शर्मा

गौरा पंत शिवानी

बाबू गुलाब राय

सुभद्रा कुमारी चौहान

आचार्य कुबेरनाथ राय

शिवमंगल सिंह 'सुमन'

अनिल जनविजय

डॉ. रामविलास शर्मा

जैनेन्द्र कुमार

असगर वजाहत

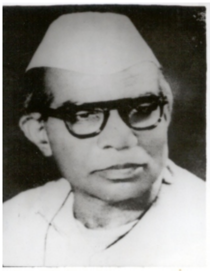
जगदम्बिका प्रसाद मिश्र

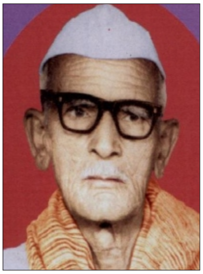
रमई काका

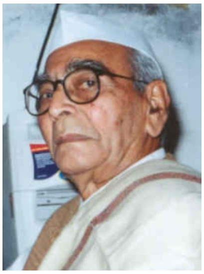
भूपेन्द्रनाथ शुक्ल

सुमित्रा नन्दन पंत

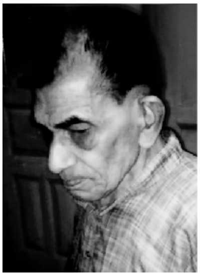
जर्नादन दास

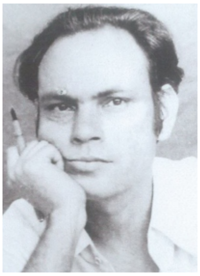
गोपाल उपाध्याय

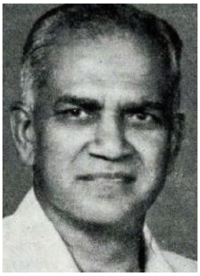
श्याम लाल गुप्ता

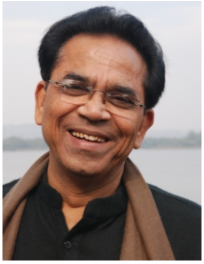
अशोक चक्रधर

बलबीर सिंह रंग

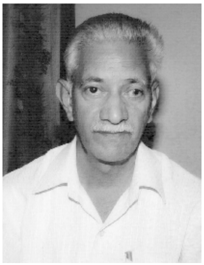
डॉ० शिवओम अम्बर

गया प्रसाद शुक्ला सनेही

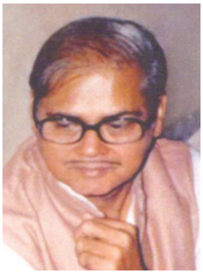
कौशलेन्दर पाण्डेय

महीप सिंह

मुंशी अजमेरी 'प्रेम'

प. राम रनेश त्रिपाठी

प. श्रीनारायण चतुर्वेदी

श्याम नरायण पाण्डे

विनोद चन्द्र पाण्डेय

उत्तर प्रदेश में उर्दू साहित्य की प्रमुख विभूतियाँ

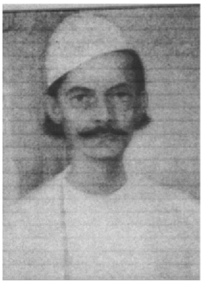
मीर अनीस

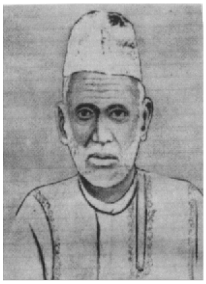
मिर्जा दबीर

अकबर इलाहाबादी

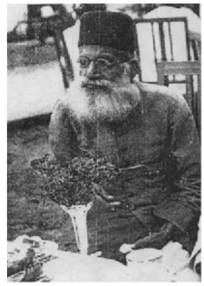
हसरत मोहानी

सफी लखनवी

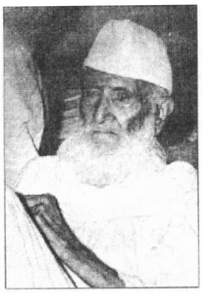
अब्दुल माजिद दरियाबादी

डॉ. अब्दुल अलीम

सज्जाद ज़हीर

नुरुल हसन हाशमी

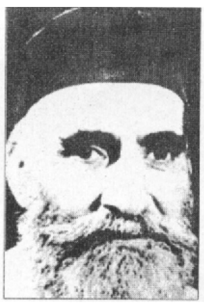
मौ.इम्तियाज अली अर्शी

आनन्द नारायण मुल्ला

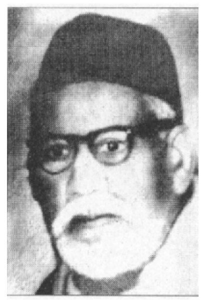
अली अब्बास हुसैनी

सागर निज़ामी

चौ.मो. अली रुदौलवी

कुर्तुल एन हैदर

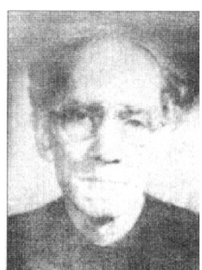
मजनूं गोरखपुरी

आले अहमद सुरुर

रज़िया सज्जाद ज़हीर

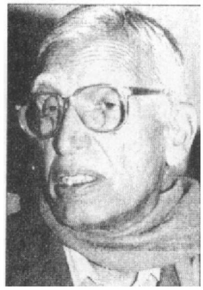

ज्ञान चन्द्र जैन

मसूद हसन रिज़वी 'अदीब'

एहतेशाम हुसैन रिज़वी

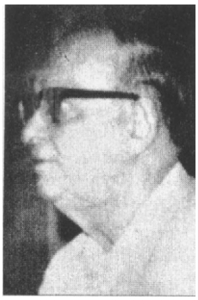

मसूद हुसैन खाँ

इस्मत चुगतई

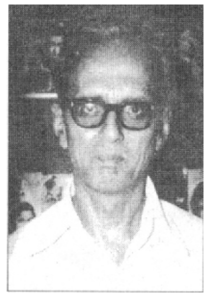

खलीलुलर्रहमान आज़मी

मोहम्मद हसन

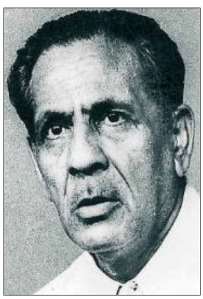

फ़िराक गोरखपुरी

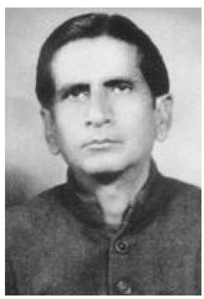

मजाज़ लखनवी

कैफ़ी आज़मी

रशीद अहमद सिद्दीकी

मुइन अहसन ज़ज्बी

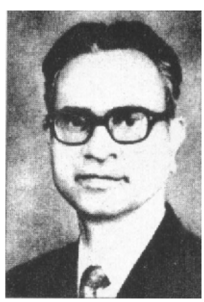

मसीह उज़ ज़मा

वामिक जौनपुरी

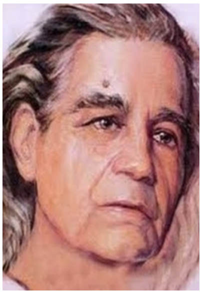
अली सरदार जाफ़री

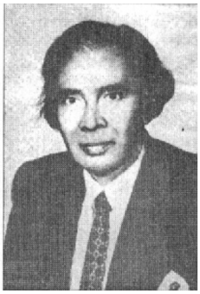
सलाम संदेलवी

गुलाम रब्बानी ताबाँ

क़ाज़ी अब्दुस्सत्तार

खुमार बाराबंकवी

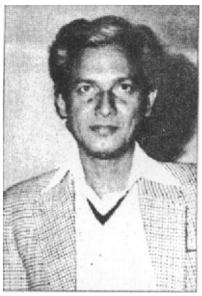
शहरयार

एजाज़ हुसैन

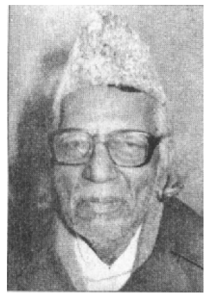
अली जव्वाद ज़ैदी

वजाहत अली संदेलवी

सलाम मछली शहरी

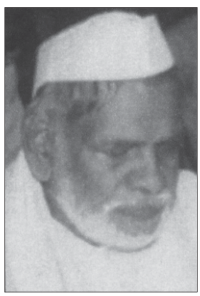
चौधरी सिब्ते मोहम्मद

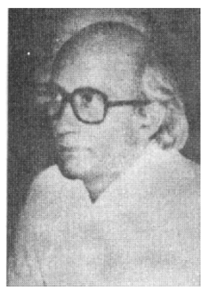
मोहम्मद अक़ील रिज़वी

रशीद हसन खाँ

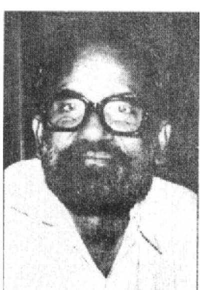
महमूद इलाही

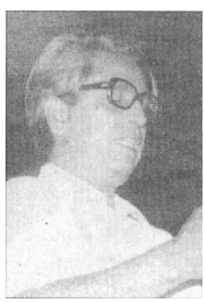
क़मर रईस

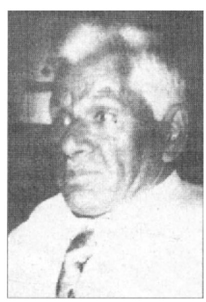
महमूदुल हसन रिज़वी

कृष्ण बिहारी नूर

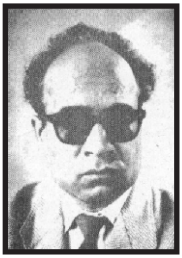
रामलाल

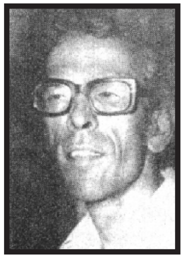
नैयर मसूद

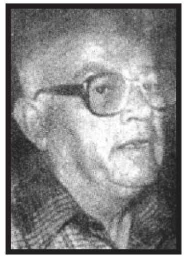
काज़िम अली खाँ

आबिद सुहेल

फ़ज़ल इमाम रिज़वी

अहमद जमाल पाशा

हनीफ़ नक़वी

मंजुर सलीम

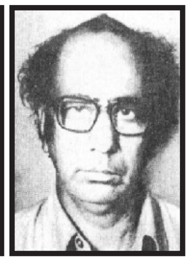
मलिक ज़ादा मंजूर अहमद

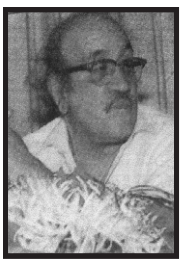
बाक़र मेंहदी

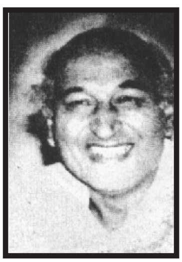
बशेशर प्रदीप

मसीहुल हसन रिज़वी

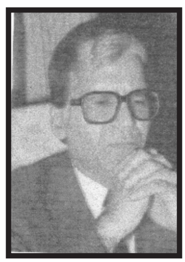
इरफ़ान सिद्दीक़ी

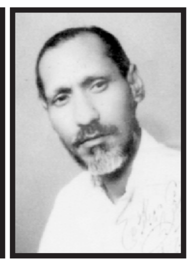
नाज़िश प्रतापगढ़ी

बशीर बद्र

आरजू लखनवी

हूरमत उल एकराम

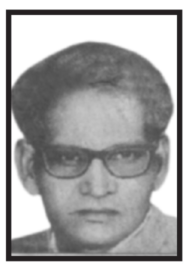
अनवर मिर्जा पुरी

डॉ० वसीम बरेलवी

सीमाब अकबराबादी

शौकत थानवी

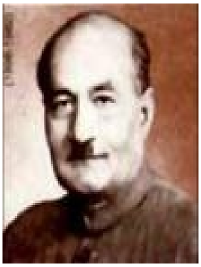
जोश मलिहाबादी

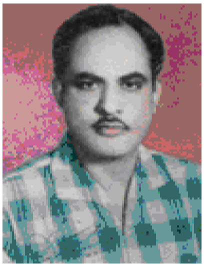
इब्ने सफी

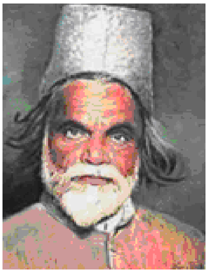
जिगर मुरादाबादी

मंजूर हाशमी

डॉ. रफीक हुसैन

ज्ञानपीठ अवार्ड्स

फिराक गोरखपुरी

महादेवी वर्मा

कुर्रतुल–ऐन–हैदर

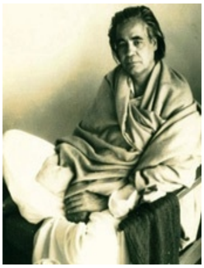
अली सरदार जाफरी

शहरयार

श्री अमरकान्त

श्री लाल शुक्ल

कुंवर नारायण
साहित्य

उत्तर प्रदेश की प्रमुख संगीत एवं नृत्य विभूतियाँ

बिस्मिल्ला खाँ

बेगम अख्तर

विष्णुनारायण भातखण्डे

हरि प्रसाद चौरसिया

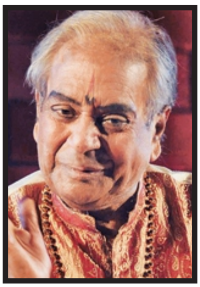

बिरजू महाराज

गिरिजा देवी

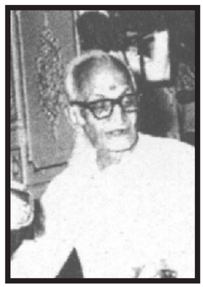

लच्छू महाराज

शम्भू महाराज

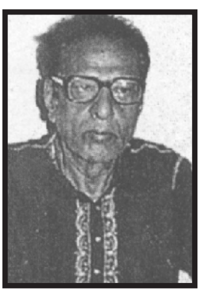

गोदई महाराज

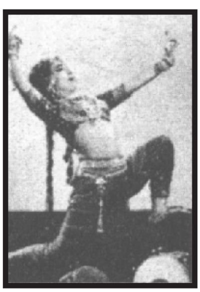

सितारा देवी

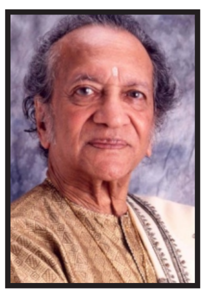

रवि शंकर

पं. किशन महाराज

पागलदास

कन्ठे महाराज

सविता देवी

कुमकुम धर

अजिता श्रीवास्तव

मालिनी अवस्थी

सुश्री ऊषा गुप्ता

पं. विकास महाराज,

श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी

श्री छन्नू लाल मिश्र

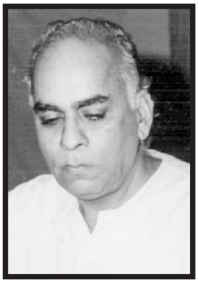

डॉ. लालमनी मिश्रा

श्री गोपाल शंकर मिश्रा

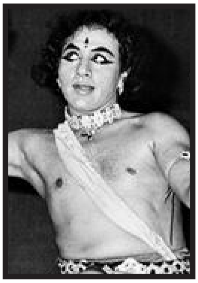

श्री गोपी कृष्ण

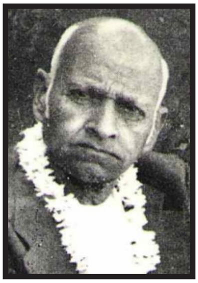

पं. कांथे महाराज

पं. समता प्रसाद

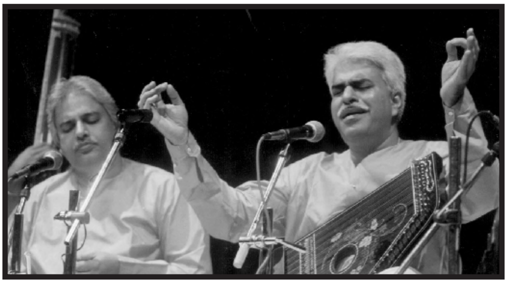

राजन मिश्र, साजन मिश्रा

उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतकार एवं नाट्यकर्मी

नैमि चन्द्र जैन

राधेश्याम दीक्षित

रतन थियम

रोमेश मेहता

शिवचरण लाल "प्रेम"

सुदेश शर्मा

सुरेन्द्र कौशिक

सुरेन्द्र माथुर

विश्वनाथ मिश्र

स्वामी श्रीराम शर्मा

गुलाब बाई

के.बी. चन्द्रा

ललित मोहन तिवारी

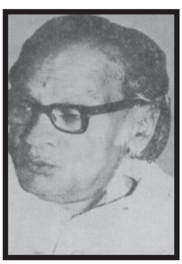
विनोद रस्तोगी

सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ

विजय दीक्षित

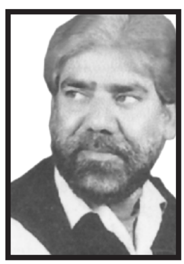
जरीफ़ मलिक आनन्द

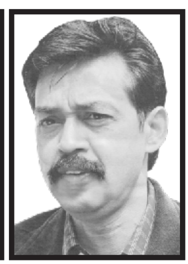
डॉ० बृजेश्वर सिंह

उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतकार एवं नाट्यकर्मी

आगा हस्र कश्मीरी

अनूप जलोटा

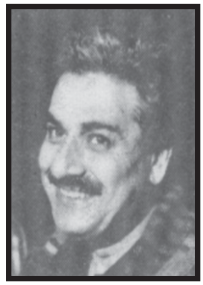
बंसी कौल

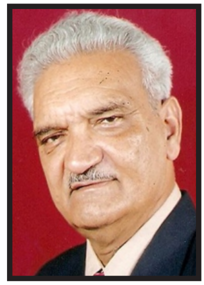
डॉ. अनिल रस्तोगी

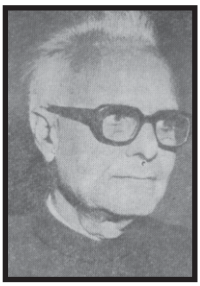
डॉ. भानुशंकर मेहता

डॉ. पुरु दधीच

डॉ. सुरेश अवस्थी

मास्टर फिदा हुसैन नरसी

ज्ञानदेव अग्निहोत्री

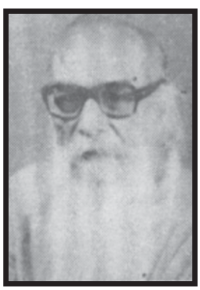
हरिकृष्ण अरोड़ा

हीरालाल यादव

कृष्णा मिश्रा

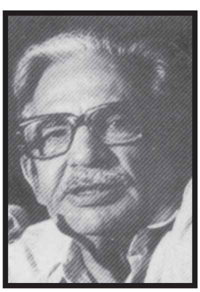
कृष्ण नारायण कक्कड़

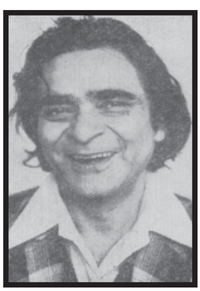
मोहन उपरैती

मुकेश सान्याल

नादिरा ज़हीर बब्बर

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सिने विभूतियाँ

कमाल अमरोही

के. आसिफ

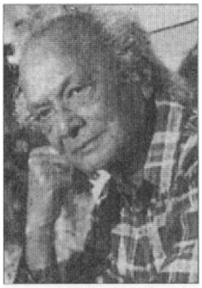
नौशाद

शैलेन्द्र

जद्दन बाई

कैफी आजमी

के.एल. सहगल

नरगिस

इन्दीवर

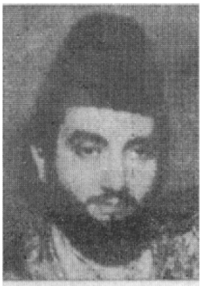
भारत भूषण

मजरूह सुल्तानपुरी

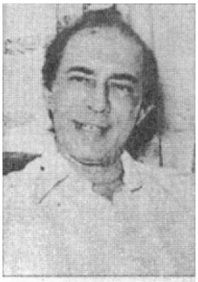
तलत महमूद

अमिताभ बच्चन

रवीन्द्र जैन

शबाना आजमी

शकील बदायूंनी

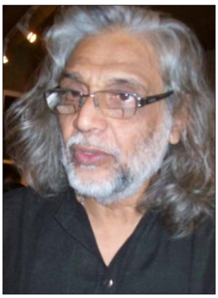
मुजफ्फर अली

योगेश

राज बब्बर

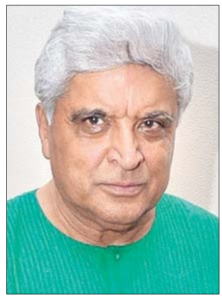
जावेद अख्तर

रेहाना

अचला नागर

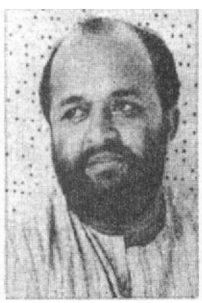
समीर

रेहाना सुल्तान

कैलाश खेर

राजा बुन्देला

अभिजीत

माया गोविन्द

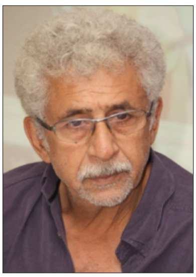
नसीरुद्दीन शाह

मंसूर खान

शाहरूख मिर्जा

उमा देवी 'टुनटुन'

विशाल भारद्वाज

शाद अली

प्रकाश मेहरा

अनुराग कश्यप

राजपाल यादव

कन्हैया लाल

निम्मी

मार्क जुबेर

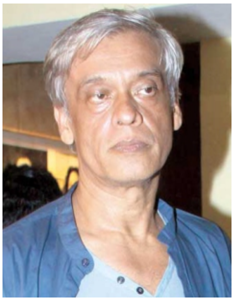

सुधीर मिश्रा

कब्बन मिर्जा

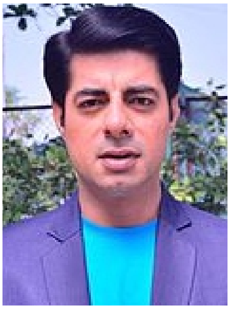

सुशान्त सिंह

सितारा देवी

युनुस परवेज

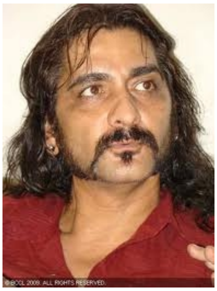

निर्मल पाण्डेय

सपना अवस्थी

डेविड धवन

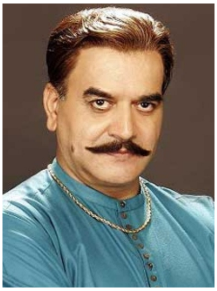

सुरेन्द्र पाल

रजा मुराद

जोहरा सहगल

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

आर.एस. बिष्ट

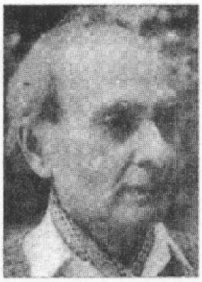
नित्यानंद महापात्र

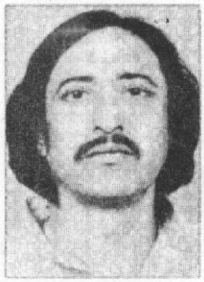
बी.एन. आर्य

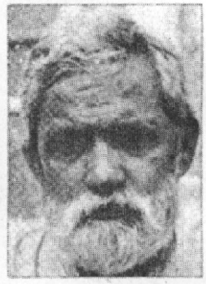
एस.जी. श्रीखण्डे

के.वी. जेना

जयकृष्ण अग्रवाल

असद अली

ए.पी. गज्जर

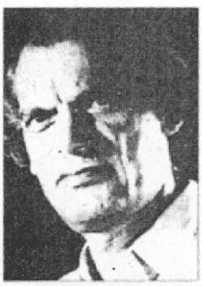
एस. अजमत शाह

आर.एस. धीर

सनत कुमार चटर्जी

सतीश चन्द्रा

दिलीपदास गुप्ता

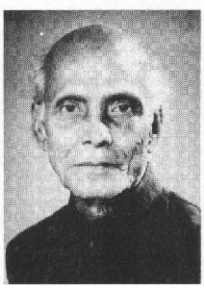
श्रीधर महापात्र

पम्मी लाल

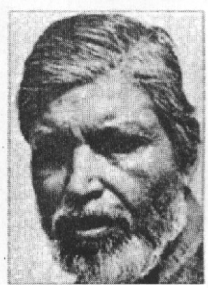
उमेश शर्मा

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

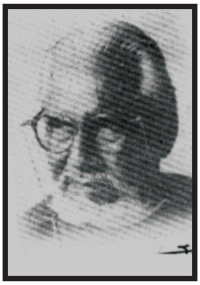
गोपाल मधुकर चतुर्वेदी

विश्वनाथ खन्ना

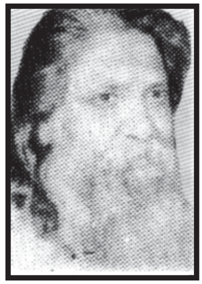
अश्विनी कुमार शर्मा

बालदत्त पाण्डेय

एस.एन.सक्सेना

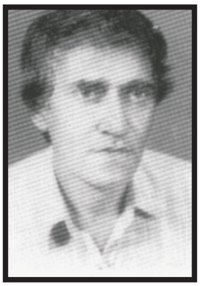
मुहम्मद सलीम

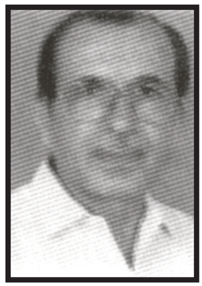
बी.पी.कम्बोज

पुष्पलता शर्मा

बैजनाथ प्रसाद गुप्ता

एन. खन्ना

योगेन्द्र नाथ योगी

जमील अख्तर

एन.एन.राय

रंजीत चक्रवर्ती

शुकदेव श्रोत्रीय

डॉ. कुसुम दास

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

कामता प्रसाद

हृदय गुप्ता

अमरनाथ शर्मा

अवधेश मिश्र

पूर्णिमा तिवारी

आलोक कुमार

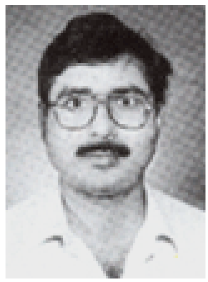
हीरालाल प्रजापति

इन्दु जोशी

मृदुला शाह

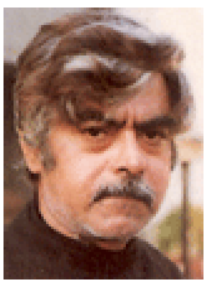
भैंरोनाथ शुक्ल

भारत भूषण

जगदीश गुप्त

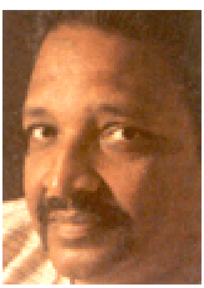
राधेश्याम अग्रवाल

रेखा कक्कड़

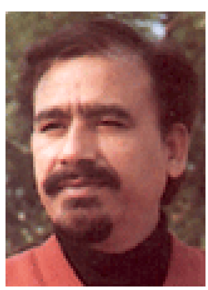
आर.एस. शाक्य

साधना लाल

स्रोत : इंटरनेट

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

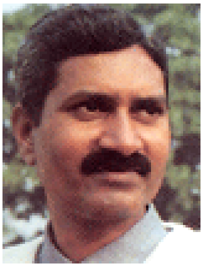
संतोष वर्मा

सीमा जावेद

शिवेन्द्र सिंह

स्नेह मोहन

शरद पाण्डेय

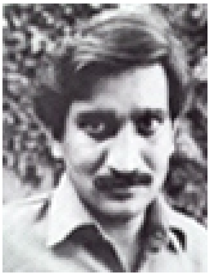
उमेश कुमार सक्सेना

विनोद कुमार सिंह

विष्णु स्वरूप सिंह

ज़ेबा हसन

गोगी सरोज पाल

डॉ० नन्दिता शर्मा

स्रोत : इंटरनेट

उत्तर प्रदेश की प्रमुख खेल विभूतियाँ

मेजर ध्यान चन्द

के.डी. सिंह बाबू

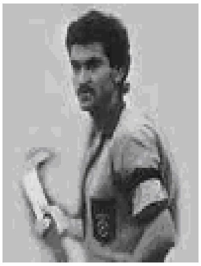
मोहम्मद शाहिद

आशीष विंस्टन जैदी

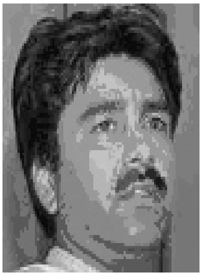
मनोज प्रभाकर

अरुण लाल

मो. कैफ

सुरेश रैना

आर.पी. सिंह

चेतन चौहान

हेमलता काला

ज्ञानेन्द्र पाण्डेय

पीयूष चावला

नरेन्द्र हीरवानी

सुरिन्दर अमरनाथ

रमन लाम्बा

उत्तर प्रदेश की प्रमुख खेल विभूतियाँ

रविकान्त शुक्ला

प्रवीण कुमार

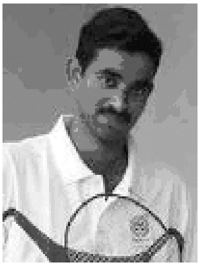
अभिन्न श्याम गुप्ता

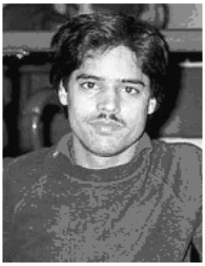
सैयद मोदी

गौस मोहम्मद खान

निखिल चोपड़ा

लाला अमरनाथ

मोहिन्दर अमरनाथ

अर्जुन अवार्ड

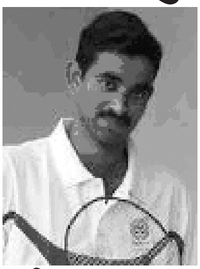
अभिन्न श्याम गुप्ता

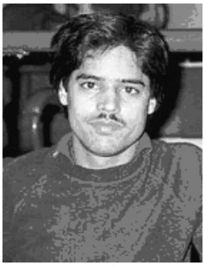
सैयद मोदी

आशीष सिंह राष्ट्रमण्डल खेल स्वर्ण पदक विजेता

अरूणिमा सिन्हा
(एवरेस्ट फतेह करने वाली
प्रथम भारतीय विकलांग खिलाडी)

उत्तर प्रदेश के प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार

गणेश शंकर विद्यार्थी

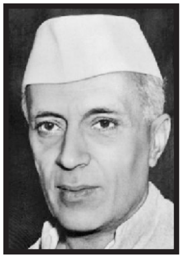
पं. जवाहरलाल नेहरू

पं.मदन मोहन मालवीय

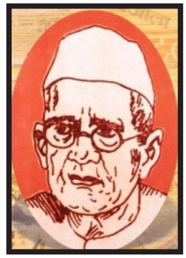
बाबूराव विष्णु पराड़कर

अम्बिका प्रसाद बाजपेयी

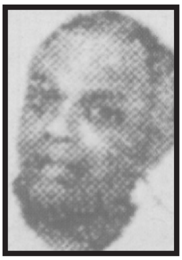
एम.चेलापति राव

के. रामा राव

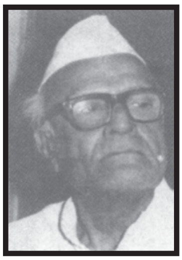
हयातुल्ला अंसारी

सी.वाई.चिन्तामणि

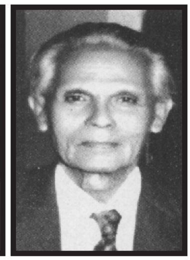
एस.एन.घोष

सच्चिदानन्द सिन्हा

इशरत अली सिद्दीकी

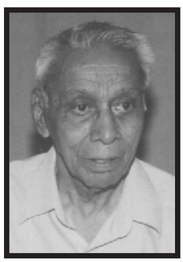
एस.एम.जाफर

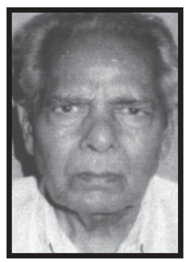
एस.एन.जायसवाल

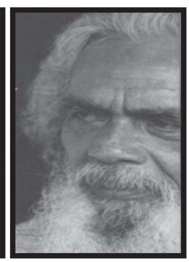
अखिलेश मिश्र

के. विक्रम राव

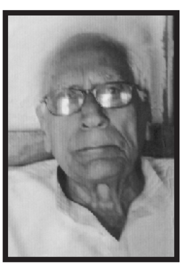
डॉ० धर्मपाल गुप्त 'शलभ'

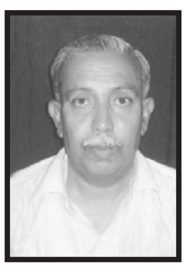
आनन्द मोहन पाण्डेय

ओंकार 'मनीषी'

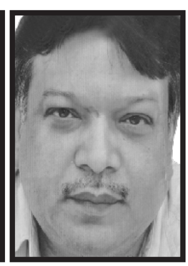
श्री प्रभात सिंह

मृणाल पाण्डेय

नरेन्द्र मोहन

घनश्याम पंकज

राम बहादुर राय

पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

हकीम सै. जिलुर रहमान
(यूनानी औषधि–2006)

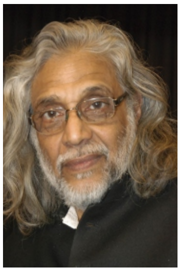

मुजफ्फर अली
(फिल्म निर्देशक–2005)

के.पी. सक्सेना
(लेखक–2000)

के.डी. सिंह बाबू
(खिलाड़ी–1958)

गोपालदास नीरज
(हिन्दी साहित्य–2007)

भारत भूषण
(साहित्य एवं शिक्षा - 1991)

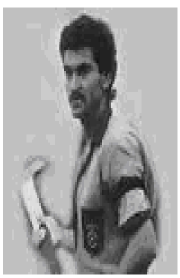

मोहम्मद शाहिद
(हाकी खिलाड़ी–1986)

डॉ. जयपाल मित्तल
(विज्ञान एवं यांत्रिकी–2003)

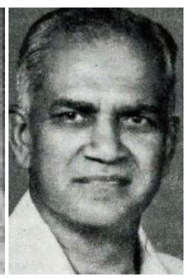

श्याम लाल गुप्ता
साहित्यकार (कवि)

राम बहादुर राय
पत्रकारिता

बेगम अख्तर
(गजल गायिकी)

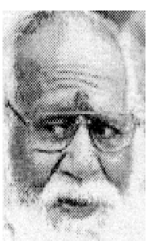

आचार्य गिरिराज किशोर
(राजनीतिज्ञ)

अली जवाद जैदी
(उर्दू साहित्य)

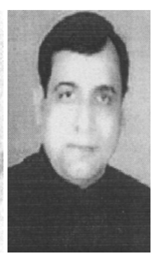

रविन्द्र कुमार
(साहित्य एवं शिक्षा–2001)

मालिनी अवस्थी
(लोक संगीत पद्मश्री - 2016)

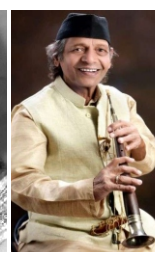

कृष्णा राम चौधरी
शहनाईवादन

पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

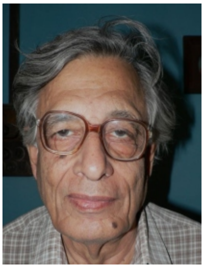
इरफान हबीब

कुर्रतुल–ऐन हैदर

पं. किशन महाराज

रामकिंकर उपाध्याय

भगवतीचरण वर्मा

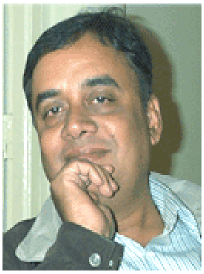
अमरनाथ झा

मैथिलीशरण गुप्त

जोश मलिहाबादी

रामेश्वरी नेहरू

महादेवी वर्मा

आबिद हुसैन

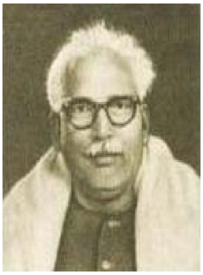
हजारी प्रसाद द्विवेदी

राय आनन्द कृष्णा

पं. श्रीकृष्णनारायण रतनजंकर

विजय आनन्द

कुंवर नारायण
साहित्य

गिरिजा देवी
संगीत

भगवान सहाय

राधाकमल मुखर्जी

राहुल सांकृत्यायन

फिराक गोरखपुरी

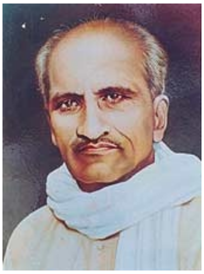
वृन्दावन लाल वर्मा

पं. हरिभाऊ वाकणकर

रवि शंकर

जय कृष्णा

महेश प्रसाद मेहरे

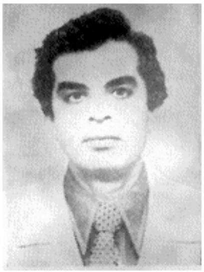
पिताम्बर पन्त

निसार हुसैन खान

अमृत लाल नागर

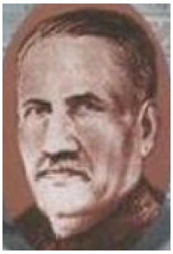
बनारसी दास चतुर्वेदी

जयदेव सिंह

बेगम अख्तर

कैलाश नाथ कौल

पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

डॉ. जाकिर हुसैन
(सामाजिक कार्य–1954)

विजय लक्ष्मी पंडित
(लोकसेवा–1962)

राय आनन्द कृष्णा
(लोकसेवा–1980)

पं. रविशंकर
(कला–1981)

बिरजू महाराज
(कला–1986)

महादेवी वर्मा
(साहित्य एवं शिक्षा–1988)

उमाशंकर दीक्षित
(सामाजिक कार्य–1989)

कैप्टन लक्ष्मी सहगल
(सामाजिक कार्य–1998)

मिर्जा हमीदुल्ला बेग
(सामाजिक कार्य–1988)

पं. किशन महाराज
(कला–2002)

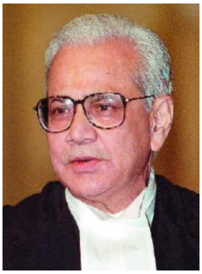
वी.एन. खरे
(कानून/समाज कार्य, 1980)

डॉ. पुरुषोत्तम लाल
(औषधि–1981)

गोविन्द नारायण
(सामाजिक कार्य–2009)

गिरिजा देवी
संगीत

मुरली मनोहर जोशी
समाजिक कार्य

यशपाल
विज्ञान एवं अभियंत्रिकी

जगतगुरू राम भद्राचार्य

आदर्श सेन आनन्द
जनहित कार्य

साहित्य एकेडमी अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

राहुल सांकृत्यायन
(1958–इतिहास)

भगवती चरन वर्मा
(1961–उपन्यास)

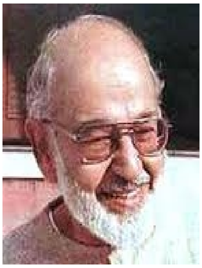

अज्ञेय
(1964–कविता)

जैनेन्द्र कुमार
(1964–उपन्यासकर)

अमृतलाल नागर
(1967–उपन्यास)

हरिवंशराय बच्चन
(1968–कविता)

श्रीलाल शुक्ल
(1969–उपन्यासकार)

रामविलास शर्मा
(1969–उपन्यासकार)

नामवर सिंह
(1971–साहित्य आलोचक)

भवानी प्रसाद मिश्र
(1972–कविता)

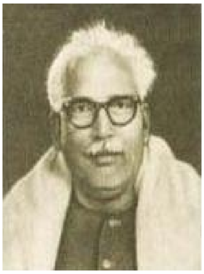

हजारी प्रसाद द्विवेदी
(1973–लेखक)

कुंवर नारायण
साहित्य

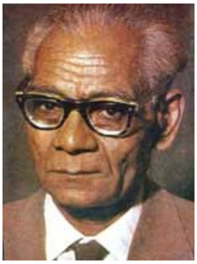

यशपाल
(1976–उपन्यास)

धूमिल
(1979–उपन्यास)

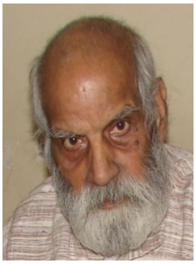

त्रिलोचन
(1981–उपन्यास)

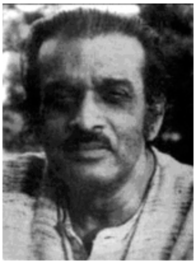

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना
(1983–कविता)

शिवमंगल सिंह 'सुमन'
(1974–कविता)

केदारनाथ सिंह
(1989–कविता

केदारनाथ अग्रवाल
(1986–कविता)

रघुवीर सहाय
(1984–कविता)

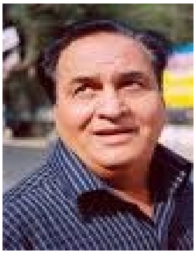

लीलाधर जगूड़ी
(1997–उपन्यास)

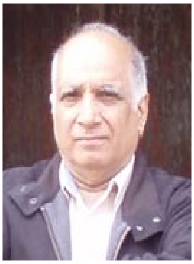

सुरेन्द्र वर्मा
(1996–उपन्यास)

गिरिराज किशोर
(1992–उपन्यास)

विष्णु प्रभाकर
(1993–उपन्यास)

दादासाहब फाल्के अवार्ड्स

नौशाद अली

मजरूह सुल्तानपुरी

प्रदेश के जनपदवार दर्शनीय स्थल

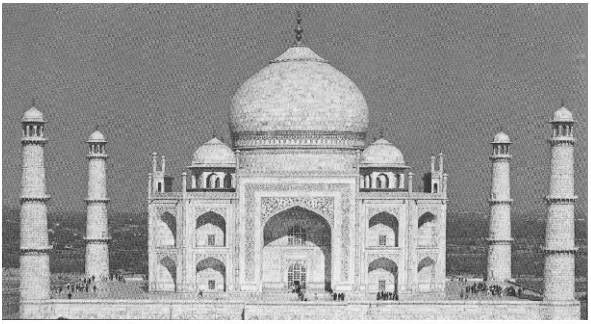

ताजमहल, आगरा

वृन्दावन मंदिर, मथुरा

खानकाह रशीदिया, मैनपुरी

बर्ड सैंक्च्यूरी
जलेसर, एटा

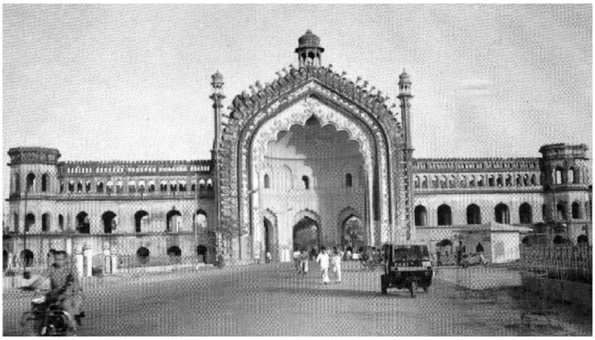

रूमी दरवाजा, लखनऊ

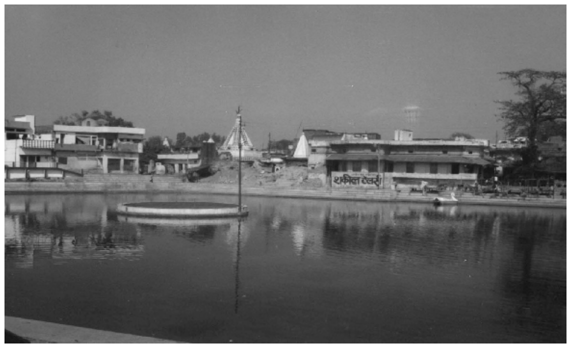

गोला गोकरननाथ मंदिर,
लखीमपुर खीरी

प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर, उन्नाव

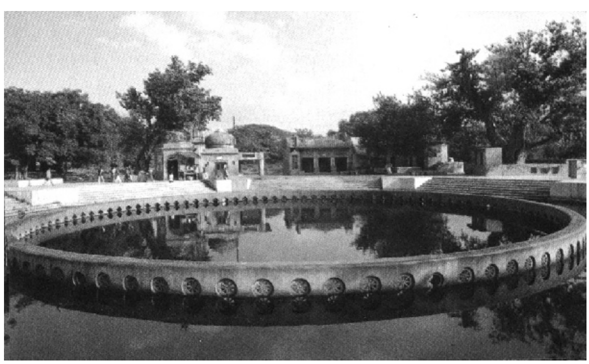

चक्रतीर्थ नैमिषारण्य, सीतापुर

आनन्द भवन, प्रयागराज

कड़क शाह बाबा की मज़ार, कौशाम्बी

शहीद स्थल बावनी इमली, फतेहपुर

कनक भवन, अयोध्या

कन्नौज में संरक्षित अनूठी
कलाकृति, सप्तमातृका की प्रतिमा

जे० के० मन्दिर, कानपुर नगर

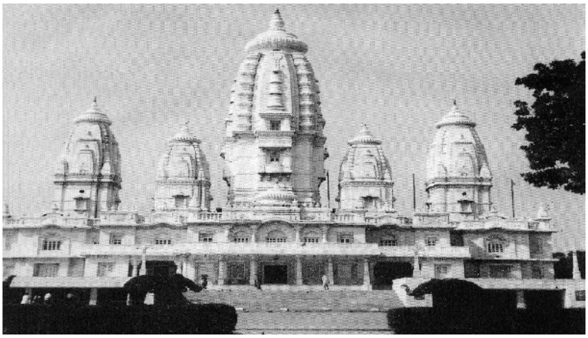

आसई किले से प्राप्त
दिगम्बर जैन मूर्तियाँ, इटावा

शुक्ल तालाब, अकबरपुर
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)

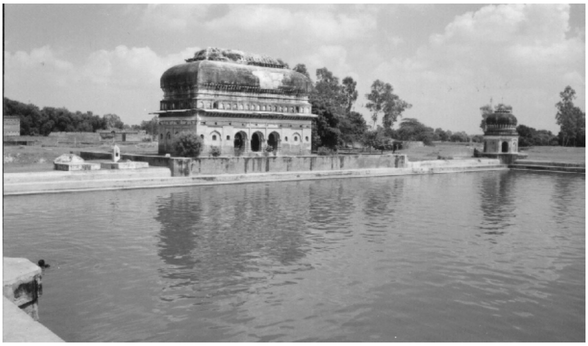

गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर

शहीद स्मारक, महराजगंज

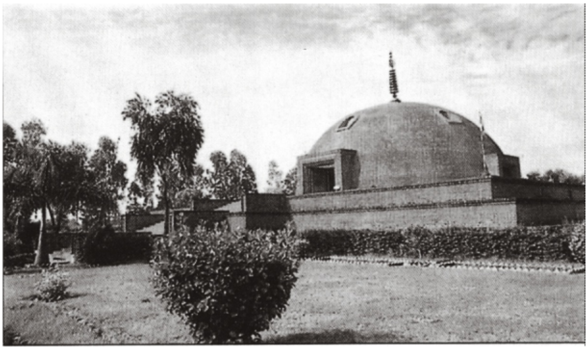

बौद्ध स्तूप, कुशीनगर

बाबा सोमनाथ जी का भव्य मन्दिर, देवरिया

शहीद स्थल छावनी, बस्ती

सन्त कबीर की निर्वाण स्थली, मगहर (सन्त कबीर नगर)

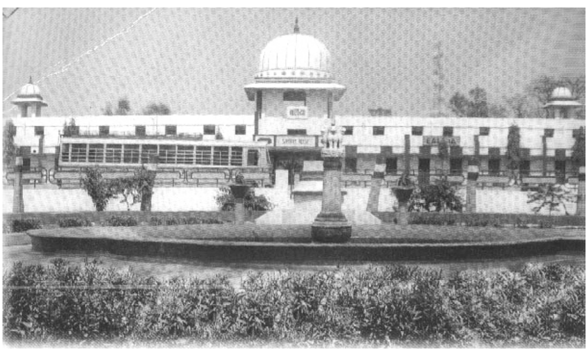

बलिया का रेलवे स्टेशन

चाइना मन्दिर, श्रावस्ती

रानी महल, झांसी

मकरबई मन्दिर, महोबा

कामदगिरि पर्वत, चित्रकूट

कालिंजर दुर्ग, बाँदा

रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर

शिबली एकेडमी, आजमगढ़

शहीद स्मारक, मऊ

घंटाघर, बदायूँ

घंटाघर, बहराइच

देवी पाटन मन्दिर, बलरामपुर

अरगा पार्वती का मन्दिर, गोण्डा

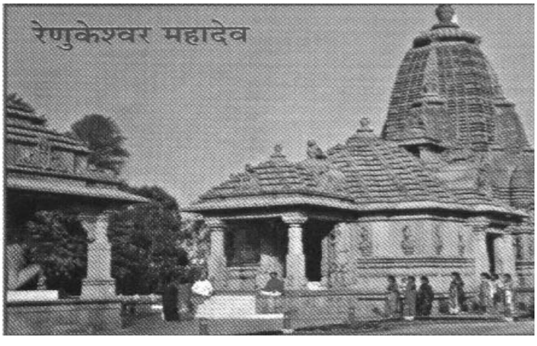

रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, सोनभद्र

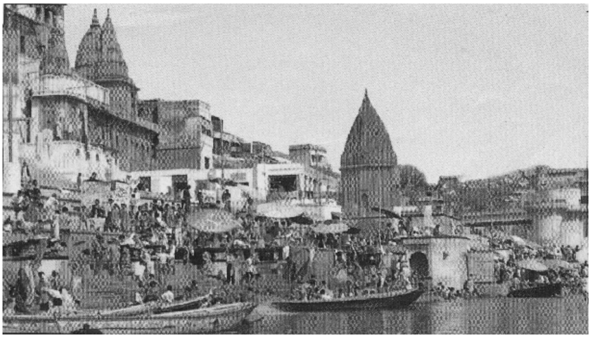

गंगा घाट, वाराणसी

सीताकुण्ड घाट, सुल्तानपुर

सीतामढ़ी धार्मिक पर्यटन स्थल,
संतरविदास नगर, भदोही

घंटाघर, मिर्जापुर

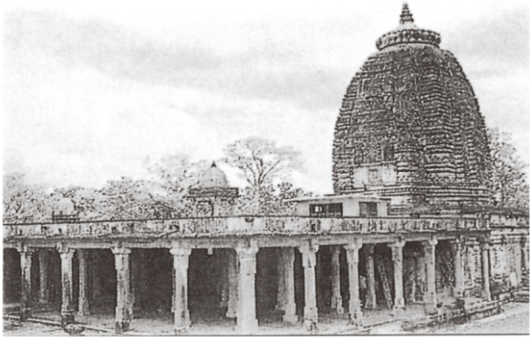

जैन मन्दिर, ललितपुर

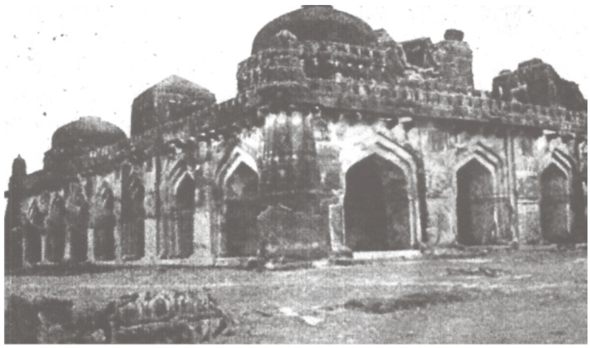

चौरासी गुंबद, कालपी (जालौन)

हिन्दी भवन, जौनपुर

प्रसिद्ध बेल्हा देवी मंदिर, प्रतापगढ़

एजाज अली हॉल, बिजनौर

शुक्रताल स्थित प्राचीनतम
शिव मंदिर, मुजफ्फर नगर

धानपुर शहीद स्मारक
चंदौली

ऐतिहासिक जामा मस्जिद,
मुरादाबाद

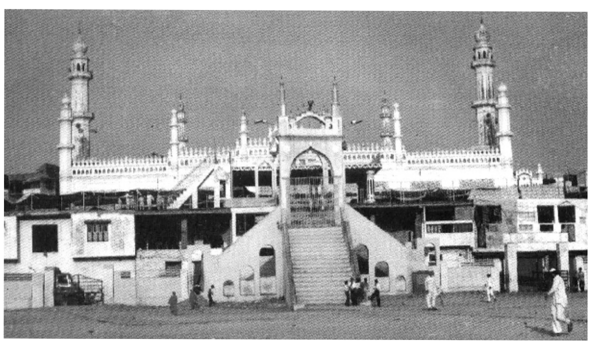

लार्ड कार्नवालिस का मकबरा
गाजीपुर

घंटाघर, बुलंदशहर

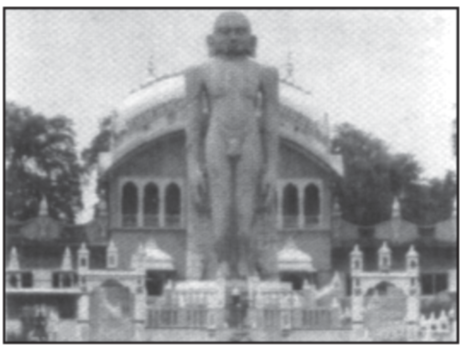

जैन मन्दिर- फिरोजाबाद

श्री सनातन धर्म मन्दिर
गौतमबुद्ध नगर

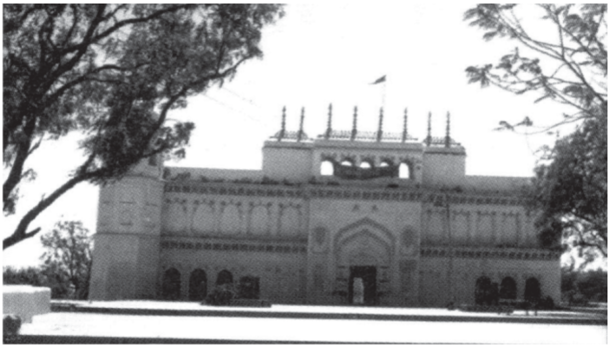

देवकली मन्दिर, औरैय्या

विक्टोरिया हाल,
घण्टाघर, हरदोई

यज्ञशाला, बागपत

प्रसिद्ध मन्दिर
महामायानगर

मुगल घाट, कम्पिल
फर्रुखाबाद

अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी,
अलीगढ़

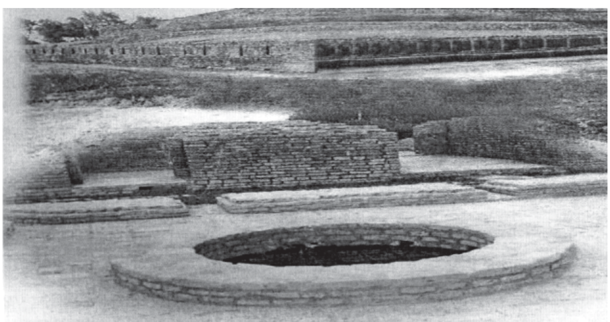

Buddha Stupa at Piprahwa, Kapilvastu

बुद्धा स्तूप, पिपरहवा
कपिलवस्तु

औघड़नाथ मन्दिर
सरधना, मेरठ

देवा शरीफ, बाराबंकी

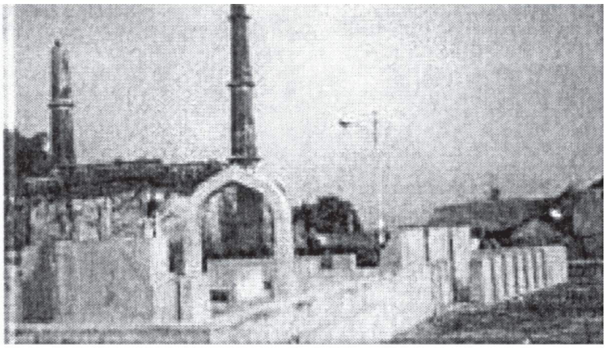

जायसी स्मारक, रायबरेली

अशफाक उल्ला की मजार शाहजहाँपुर

श्री दाओजी महाराज
हसायन, हाथरस

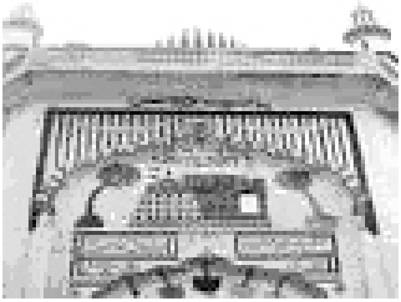

किछौछा शरीफ, अम्बेडकर नगर

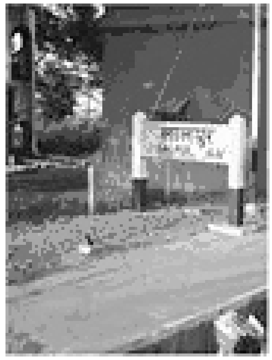

लालपुर
रेलवे स्टेशन
जालौन

प्राचीन श्री गंगा मन्दिर
गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद

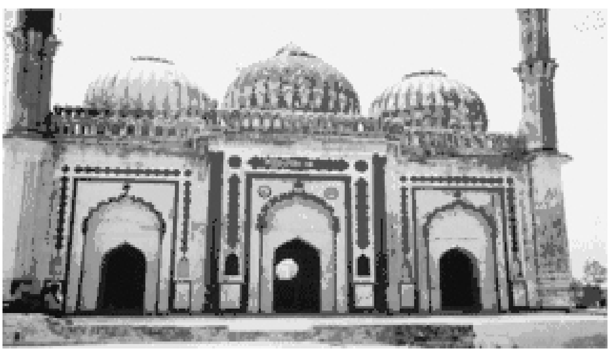

बादशाही मस्जिद, सुल्तानपुर

आनन्द आश्रम, बरेली

कल्पवृक्ष, हमीरपुर

बौद्ध स्तूप, सिद्धार्थनगर

माता शाकुम्बरी देवी मन्दिर,
सहारनपुर

जायसी स्मारक,
छत्रपति शाहूजी महाराज नगर

नदरई का पुल,
कांशीरामनगर

हिन्दी साहित्य और उर्दू अदब

उत्तर प्रदेश में पछुआ और पुरवा दोनों हवाएँ तेज़ चलती हैं, जो यहाँ की जलवायु और संस्कृति को वैविध्यपूर्ण बनाती हैं। भस्म कर देने वाली लू और हड्डियों को कंपाने वाली, ख़ून जमा देने वाली ठंडक, यहाँ के संस्कृतिकर्मियों और रचनाकारों को न तो अधिक भावुक बनाती है और न अधिक वस्तुवादी। तटस्थ होकर जीवन और जगत के प्रश्नों पर सोचने-विचारने की गहरी सम्पृक्ति उत्तर प्रदेश, जो कि मध्यदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, में मिलती है। अमीर खुसरो से लेकर अब्दुल बिस्मिल्लाह तक में खुश्की और तरी का मत आश्चर्यजनक जादू का काम करता है, और फिर यह मत ऐन्द्रजालिकता, 'मुगलों ने सल्तनत बख्श दी', के तम्बू की तरह फैलता ही जाता है। आगरा, मेरठ और बुलन्दशहर की भाषा कैसे काव्य भाषा बनी ? उसमें राजसत्ताओं की भौतिक आवश्यकताएँ और बाजार का तर्क तो है ही इसके अलावा संतों-सूफियों और भक्तों द्वारा विकसित किया जा रहा एक ऐसा भाषा का माध्यम भी है जो प्रमुख सांस्कृतिक कारण है। समाज की छोटी-छोटी इकाइयों के भेदों को बिना समाप्त किये, एक बड़े माध्यम और मूल्य के लिए जीना सिखाती है। अमीर ख़ुसरो की क़व्वालियाँ, शेर और मुकरियाँ, कबीर की साखियों और पदों, तुलसी के दोहा-चौपाइयों और कवित्त, सवैयों तथा मुल्ला दाउद, कुतुबन और जायसी की सूफी रचनाओं ने यही किया। अपनी कृतियों के द्वारा इन रचनाकारों ने केवल उत्तर प्रदेश को ही नहीं, बल्कि हिन्दी को भी गौरवान्वित किया है। कबीर ने काव्यभाषा हिन्दी के प्राक् रूप का प्रयोग किया। कबीर ने अपने समय की वर्णाश्रम धर्म आश्रित विषमतामूलक संस्कृति, नैतिक और सामाजिक संस्था और विचार तंत्रों को चुनौती दी। तत्कालीन सत्ता के सोपानात्मक ढांचे के आधार को ही उन्होंने हिला दिया। प्रेम की अनन्यता और सर्वोपरिता को स्थापित करते हुए कबीर ने अपने अनुभव से प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हुए हर प्रकार की पोथियों को वास्तविकता से दूर मानते हुए अपने समय के निर्गुण मुहावरे में साखियों और सबदों की ऐसी सहज और निश्छल बानी प्रवाहित की कि वे बनारस की सीमाओं को लाँघकर पूरे भारत वर्ष को प्रभावित करने लगे। कबीर सामाजिक आन्दोलन के अगुआ के रूप में प्रमुखता से आगे दिखते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर की 'गीतांजलि' से ही नहीं एजरा पाउन्ड द्वारा उनकी कविताओं के किए गए अनुवाद से भी उस प्रभाव का पता चलता है। तुलसीदास समग्र हिन्दी भाषी जनता के कंधे पर हाथ रखने वाले ऐसे सजग कवि हैं जो लोक कल्याण को जीवन-मूल्यों के रूप में स्थापित करते हैं। अपने मूल्यों के प्रति तुलसी भी आग्रही हैं। कवित्त और सवैया छन्दों को उन्होंने हिन्दी का जातीय छंद बना दिया। कवि के रूप में अपने पात्रों के प्रति पूर्ण समर्पण तुलसी के अतिरिक्त शायद कहीं नहीं मिलता। जायसी हिन्दू-मुसलमान को एक साथ रहने और निरर्थक लड़ाई से विरत रहने का मानवीय संदेश देते हुए 'पद्मावत' में अत्यन्त विषादपरक ढंग से पृथ्वी के झूठे होने का संकेत करते हैं। 'पद्मावत' का सारा संकेत समग्र जीवन्तता, आश्चर्यजनक जागतिकता, अलाउद्दीन का आक्रमण आदि "लीन्ह उठाई छार इकमूठी दीन्ह उड़ाई पिरथिवी झूठी" में समाप्त होता है। अर्थात् अकाट्य यथार्थ यदि यह है तो धर्म, वासना, अहंकार, सत्ता, चीख-पुकार किसलिए ? क्यों आपस में लड़ते हो, अपने स्वधर्म का पालन करो। सूफियों ने प्रेम की पीर का जो शास्त्र रचा और लौकिक विश्वासों तथा मान्यताओं को मिलाकर जैसा आख्यान रचा, निश्चय ही उसने हिन्दी भाषी क्षेत्र की जनता को काफी सहनशील और मिली-जुली संस्कृति वाला बनाया। जौनपुर के शर्की राजाओं के काल में सूफियों द्वारा रचे गये आख्यान साहित्य ने हिन्दी को ही नहीं बांग्ला आदि भाषाओं को भी प्रभावित किया। बंगाल

में 'पद्मावत' का व्यापक प्रभाव पड़ा है। विजयदेव नारायण साही तो 'जायसी' को हिन्दी का सबसे बड़ा कवि मानते हैं। जायसी एकमात्र कवि हैं जो अपने समय के इतिहास और मिथक तथा लोक और अलोक के प्रश्नों से मानव परिस्थितियों के संदर्भ में एक कवि के रूप में जूझते हैं। 'सूरदास' के लिए प्रेमैक्यता ही मुख्य विषय है। प्रेम-स्वीकृत समाज ही सत्य है। शायद ही दुनिया में कोई कवि होगा जो माता और बालक दोनों के हृदय का इतना मार्मिक ज्ञाता हो। बाल सुलभ चेष्टाओं का इतना सहज और संवेदनशील वर्णन दुर्लभ है। बाल-मनोविज्ञान को समझने के लिए सूरदास पहले कवि हैं जो सहायक सिद्ध हुए हैं। उत्तर प्रदेश के भक्तिकालीन इन रचनाकारों के अलावा रसखान, केशवदास, रहीम, मुल्ला दाउद, मंझन उस्मान और नूर मुहम्मद की रचनाएँ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। कहा जाता है कि अब्दुल रहीम ख़ानख़ाना ने जौनपुर की सूबेदारी के समय में ही 'बरवै नायिका भेद' ग्रंथ की रचना की। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास पर कविताएँ लिखी हैं और तुलसी को कवियों का कवि कहा है। रचना का ग्रंथ बनना आसान नहीं है। केशवदास– जिन्हें गालियाँ ही मिलीं, भाषा के सजग कवि थे। केशव ने व्यवस्थित रूप से कविता का शास्त्र रचा। रामचन्द्र शुक्ल के आरोपों के बावजूद 'रामचंद्रिका' में कौशल्या, लक्ष्मण और दशरथ आदि का चरित्रांकन केशव ने मानवीय धरातल पर करने का आश्चर्यजनक प्रयत्न किया है, बल्कि काफी सीमा तक देवत्वकरण को समाप्त किया। शब्द के प्रति कवि की खोज का जो उल्लेख केशव ने ''सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर'' कहकर किया है, उसकी दाद तो अज्ञेय ने 'केशव की कविताई' लेख में दी ही है। एक अर्थ में केशव प्रयोगवादियों के आचार्य हैं।

बुलंदशहर के रहने वाले सेनापति, पद को चुन-चुनकर रचने का उल्लेख इस गर्व के साथ करते हैं कि उनकी कविता में श्लेष के माध्यम से कर्म अर्थ में है। चमत्कार के इस प्रदर्शन के अलावा प्रकृति के अनेक पक्षों का यथार्थपरक जो चित्र सेनापति ने प्रस्तुत किया है, वह पूरे रीतिकाल में नहीं है।

हिन्दी गद्य को धार्मिक टीकाओं और खतों-फरमानों से अलग व्यावहारिक प्रयोगों के लिए विकसित करने का श्रेय मुंशी इंशा अल्ला ख़ाँ (लखनऊ), लल्लू जी लाल (आगरा) और सदासुख लाल नियाजी (प्रयाग) को है। 'भाखापन' और 'मुअल्लापन' से अलग ठेठ हिन्दी में लिखी कहानी 'रानी केतकी की कहानी', 'प्रेमसागर' और राजनीति तथा 'सुखसागर' ने लगभग 19वीं शताब्दी भर हिन्दी गद्य को मानकीकृत करने का प्रयत्न किया। 'प्रेमसागर' वर्षों तक सरकारी विद्यालयों में पाठ्यपुस्तक बना रहा। इनके बाद दूसरा प्रमुख साहित्यिक प्रयत्न 'इटावा' से राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा मूल संस्कृत से हिन्दी में 'शकुन्तला' के अनुवाद द्वारा शुरू हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद 'सितारे हिन्द' ने हिन्दी भाषा को विकसित और समृद्ध करने का कार्य किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने गुरु शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह से हटकर हिन्दी भाषा को साहित्य और संस्कृति के साथ विमर्श की भाषा बनाने का अप्रतिम प्रयास किया। आगरा, बरेली, वाराणसी और प्रयागराज में स्थापित सभाओं, समाजों और इन्स्टीट्यूटों ने जातीय जागरण के लिए हिन्दी को अधिकाधिक प्रयुक्त करने का व्यापक प्रयत्न किया। भारतेन्दु और उनके युग के रचनाकारों में बालकृष्ण भट्ट (प्रयागराज), राधाचरण गोस्वामी (मथुरा), राधा मोहन गोकुल (आगरा), काशीनाथ खत्री (प्रयागराज), राधाकृष्ण दास (वाराणसी), श्री निवास दास (मथुरा), रतनानाथ (इटावा), राम गोपाल विद्यान्त (लखनऊ), प्रताप नारायण मिश्र (कानपुर), बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' (मिर्ज़ापुर), राधा चरण गोस्वामी (मथुरा), तोताराम वर्मा (अलीगढ़) ने हिन्दी भाषा और साहित्य को न केवल समृद्ध किया, बल्कि हिन्दी जाति को नये सामाजिक-राजनैतिक प्रश्नों तथा परिवर्तनों के प्रति सजग और सचेष्ट भी किया। इन लेखकों ने हिन्दी क्षेत्र में लेखों, पर्चों, नाटकों के अभिनयों, बहसों और टिप्पणियों से हिन्दी को सारे उत्तर भारत में राष्ट्रीय जागरण के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। इन लेखकों ने ब्रज भाषा, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेज़ी से हिन्दी में रूपान्तरण करके उसकी व्यापकता की वृद्धि की तथा राष्ट्रीय भावनाओं को धारण करने में समर्थ किया।

भारतेन्दु के समय में ही ब्रजभाषा में बल्लभ, चैतन्य, निम्बार्क, राधावल्लभी हित हरिवंश आदि सम्प्रदाय

के अनेक कवि या तो पैदा उत्तर प्रदेश में हुए या यहीं आकर बस गये। इन रचनाकारों ने सामान्य गृहस्थों के जीवन से लेकर सामंती जीवन तक की अनेक स्थितियों को आदर्शीकृत कर दिया। मध्यकाल के कठोर सेन्सरशिप के युग में दोहरी अर्थ व्यंजना की इस आश्चर्यजनक पद्धति का आविष्कार योरोपीय मध्यकाल के अनेक कवियों में भी मिलता है। शृंगार और अध्यात्म का यह संकेतात्मक रचना-विधान, कृष्ण लीलाओं के बहुमुखी रूपों में पाया जाता है। रस-मुहावरे का उत्तर प्रदेश में जन्म तो नहीं हुआ परन्तु अनेक रूपों में विकास यहीं हुआ।

रीतिकाल को प्रायः दरबारी और रूढ़िबद्ध लक्ष्यपरक काव्य कहकर हेय और त्याज्य माना गया है, परन्तु यही वह काल है जिसने कला माध्यम के द्वारा एक प्रकार की आश्चर्यजनक धर्मनिरपेक्षता विकसित की। पूरे हिन्दी क्षेत्र में एक ही काव्यभाषा में कवित्त और सवैया छंदों में ऐन्द्रिय बोध का ऐसा काव्य रचा गया, जिसको पढ़कर यह पता ही नहीं चलता है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ अनेक धार्मिक मतावलम्बी हैं। ऐहिकता को रचना का माध्यम इस सीमा तक बनाना कि अज्ञानी और अशिक्षित से लेकर पढ़े-लिखे पंडित तक रसिकता में डूब जायें इसी समय संभव हुआ। संगीत चित्र और काव्य कलाओं की पारस्परिकता से विकसित इस काल के रचनाकारों में बिहारी (मथुरा), देव (मैनपुरी), चिन्तामणि (कानपुर), मतिराम (कानपुर), भिखारीदास (प्रतापगढ़), भूषण (कानपुर), पद्माकर (बांदा), ग्यास (मथुरा), तोष (प्रयागराज), कुलपति मिश्र (आगरा), बेनी (असनी, फतेहपुर), सुरति मिश्र (आगरा), सुखदेव मिश्र (डुमरियागंज, रायबरेली), श्रीधर उपाध्याय (प्रयागराज), श्रीपति (कालपी, जालौन), रसलीन (बिलग्राम, हरदोई), दूलह (अवध), जगत सिंह (गोण्डा), प्रताप शाही (चरखारी), बेनी प्रवीन (लखनऊ), मुबारक अली (बिलग्राम, हरदोई), गुरुदत्त सिंह भूपति (अमेठी, सुल्तानपुर) आदि कवियों ने रीतिकालीन कविताओं द्वारा ऐसा वातावरण विकसित किया कि कविता सर्व संभव ही नहीं बनी बल्कि शादी-विवाह में एक रस्म के रूप में कला मर्मज्ञता और काव्य कला के ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए रूढ़ि तक बन गई। उत्तर प्रदेश की कुछ जातियों से स्वरचित या किसी अन्य कवि की कवित्त-कविता या सवैया सुनाना वर-कन्या के लिए अनिवार्य सा बन गया। इस प्रकार का काव्य 20वीं शताब्दी तक रचा जाता रहा। डॉ. जगदीश गुप्त की छंदशती में नवीन उद्भावनाएँ और बिम्ब विधान भी हैं। भक्ति के बरक्स इस प्रकार के धर्म निरपेक्ष काव्य का सृजन अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। श्रीधर पाठक (प्रयागराज), मिश्रबन्धु (लखनऊ) और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सतर्क तेजस्विता के साथ गद्य और पद्य की भाषा एक होनी चाहिए इस तर्क से तो रीतिवाद का विरोध किया ही, कविता से अलंकार, शृंगार रस और नायिका भेद की परम्परा के बहिष्कार पर भी लिखा। सबसे पहले श्रीधर पाठक ने हिन्दी प्रदीप में एक लेख लिखकर देश प्रेम आदि आधुनिक विषयों पर लिखने और इसे छोड़ने का आग्रह किया। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिन्दी में प्रकृति को नये रूप में प्रस्तुत करने वाले 'नयी चाल' के कवि ही नहीं हैं, बल्कि पहले स्वछंदतावादी रचनाकार हैं जिन्होंने कांग्रेस के पहले 'जयहिन्द' का नारा दिया जैसा कि हरिवंशराय बच्चन ने लिखा है। पाठक जी के प्रयागराज स्थित पद्मकोट में ही एक प्रकार से स्वच्छन्दतावाद से छायावाद का विकास हुआ। सुमित्रानन्दन पंत और महादेवी वर्मा प्रायः यहाँ आते रहते थे। पंत और पाठक जी का संबंध 1909 से ही बहुत गहरा था। मैथिलीशरण गुप्त (चिरगांव, झांसी) के प्रकृति वर्णन और पाठक जी के प्रकृति-वर्णन में अंतर को ध्यान से देखने पर हिन्दी कविता के प्रारम्भ में विद्यमान संभावनाओं का पता लगता है। भाषा को मानकीकृत और व्यवस्थित करने के साथ ही साथ देशप्रेम, राष्ट्रीयता और नये विचारों के प्रति ग्राह्यशीलता का नवजागरणकालीन आग्रह महावीर प्रसाद द्विवेदी की 'सरस्वती' का अग्रणी तत्त्व था। मैथिलीशरण गुप्त की कविताओं का सती तत्त्व और प्रेमचन्द का सत्याग्रही व यथार्थवादी तत्त्व– दोनों ने मिलकर हिन्दी भाषा और कथा-साहित्य को लोकोन्मुखी बनाया। लोक-जागरण के साहित्य को सशक्त माध्यम बनाने का कार्य और राष्ट्रीय आन्दोलन को पूर्णतः राजनैतिक स्वतंत्रता की ओर उन्मुख करने का प्रबल आग्रह एक साथ सक्रिय हुआ। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, रूप नारायण पांडे, जगदम्बा प्रसाद हितैषी,

पढ़ीस, राय देवी प्रसाद पूर्ण और कवि मौन आदि की रचनाएँ बकौल निराला खड़ी बोली को समर्थ काव्यभाषा बनाने वाली रचनाएँ हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' के 'प्रिय प्रवास' की राधा, 'साकेत' की सीता, 'कामायनी' की श्रद्धा, 'सेवासदन' की सुमन, 'गोदान' की मालती, 'कर्मभूमि' की सुखदा आदि स्त्रियाँ भारतीय समाज के आदर्शवादी यथार्थवादी दौर का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रेमचन्द और मैथिलीशरण गुप्त दोनों अपने समय को जिस रूप में परिभाषित करते हैं वह सत्याग्रह युग की ही प्रश्नाकुलता का परिणाम है। प्रेमचन्द के 'गबन' और 'गोदान' तथा 'सद्‌गति', 'गुल्लीडंडा', 'आहुति', 'कफ़न', 'पूस की रात', 'नशा', 'ठाकुर का कुंआ', 'सवा सेर गेहूँ' आदि कहानियों में सामाजिक यथार्थ का जो आन्तरिक उद्‌घाटन होता है वह हिन्दी क्षेत्र में नहीं हिन्दी के बाहर भी अन्तर्ध्वनित होता है। हिन्दी के कथा साहित्य पर प्रेमचन्द की छायाएँ आज भी छायी रहती हैं यद्यपि प्रेमचन्द के औपन्यासिक शिल्प और सामाजिक समझ से भिन्न उपन्यास भगवतीचरण वर्मा, यशपाल और अज्ञेय ने लिखे। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी ने मानव मन को केन्द्र में रखकर अनेक उपन्यास लिखे। जैनेन्द्र ने कथा-साहित्य को समर्थ भाषा दी और जोशी ने मन के उद्‌घाटन की शक्ति। इन कथाकारों ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में अनेक नैतिक और सामाजिक प्रश्नों को जिस रूप में रखा, उसके पहले वे उस रूप में नहीं थे। 'त्यागपत्र', 'चित्रलेखा', 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते', 'झूठा सच', और 'शेखर एक जीवनी' की दुनिया, प्रेमचंद, प्रसाद की दुनिया नहीं है। कथा साहित्य के क्षेत्र में हिन्दी में लखनऊ का एक खासा दबदबा रहा है। अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ल, भगवती बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी के कथा समयों का वैसे ही निर्माण किया है जैसे प्रेमचंद ने। उत्तर प्रदेश के शिव प्रसाद सिंह का 'अलग-अलग वैतरणी', विवेकी राय का 'बबूल', राम दरश मिश्र का 'जल टूटता हुआ' तथा अब्दुल बिस्मिल्लाह का 'झीनी झीनी बीनी चदरिया' देशकाल की फांस की ओर संकेत करने वाले उपन्यास हैं। गिरिराज किशोर, बी.राजन, मदन मोहन, देवेन्द्र, प्रियंवद, मुद्राराक्षस, कामतानाथ, अखिलेश आदि ने अपनी रचनाओं से राष्ट्रीय स्तर पर न केवल अपनी छवि निर्मित की है बल्कि अपने प्रयोगों को मनुष्य के सामाजिक और आत्मिक संकट की विसंगतियों सहित रूपायित करने का प्रयत्न किया है। ये वे रचनाकार हैं जिन्होंने अपने भौगोलिक समय और स्थान को फैलाया है। संजीव का 'धार', शैलेश मटियानी का 'मुठभेड़', विभूतिनारायण राय का 'कफ़्र्यू' और कमलाकांत द्विवेदी का 'पातीघर', नीलकांत का 'बंधुआ मजदूर रामदास', राजकृष्ण मिश्र का 'दारुलशफ़ा', मैत्रेयी पुष्पा का 'इदन्नमम', वीरेन्द्र सारंग का 'वज्रांगी' महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिनसे पाठक संपृक्त और सजग हुआ है। ऐसे दर्जनों लेखक व उनकी रचनाएँ हैं पर उनका नामोल्लेख न कर पाना हमारी स्थान सीमा है।

हिन्दी नवजागरण के महान रचनाकारों और छायावाद के उन्नायकों में सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानन्दन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा ने उत्तर प्रदेश और हिन्दी दोनों को अपनी रचनाओं से एक प्रकार सनातनत्व प्रदान किया। पंत का पद विन्यास, निराला की क्रान्तिकारी प्रयोगधर्मिता और मौलिकता, जयशंकर प्रसाद का समरसतावादी समाधान और नाटकों में व्याप्त समतावादी राष्ट्रीय जागरण की गहरी दृष्टि तथा महादेवी की मानवीय नारीपरक व यथार्थवादी आध्यात्मिक दृष्टि, गहरी सामाजिक राजनैतिक अन्तर्दृष्टि ने पूरी सृष्टि को मानवीय बना डाला। सब कुछ में प्राण संचार करने वाली हिन्दी के रस छायावाद की भूमि, जिसे काव्य पारिभाषिक दृष्टि से मुश्किल से बहुत छोटा छह-सात वर्ष ही माना जा सकता है, उत्तर प्रदेश ही हो सकता था। 'सरस्वती', 'इन्दु', 'हिन्दी प्रदीप', 'ब्राह्मण', 'भारतेन्दु', 'कवि वचन सुधा', 'बाला बोधिनी', 'स्त्रीदर्पण', 'विज्ञान', 'व्यापार', 'हरिश्चन्द्र मैगजीन', 'स्वराज्य', 'मर्यादा', अभ्युदय', 'माधुरी', 'चांद', सुधा, 'हंस', 'रूपाभ', 'स्वदेश', 'माडर्न', 'दिव्य', 'प्रवासी' आदि पत्रिकाओं ने देश भर में एक ऐसे बौद्धिक वर्ग का निर्माण किया जो व्यापक अर्थ में मानवीय था। ये पत्रिकाएँ छठीं शताब्दी से लेकर स्वतंत्रता के पूर्व के हिन्दी मानस और कुछ सीमा तक भारतीय मानस का निर्माण करती रही हैं।

'क्षितिज के उस पार' या 'कौन तम के पार रे' आदि प्रश्नों को टालकर इस पार को महत्व देने वाले प्रत्यक्षवादियों ने हिन्दी काव्य को नई दिशा दी। बच्चन, नरेन्द्र शर्मा, अंचल और भगवती चरण वर्मा ने वर्जित

रचना क्षेत्र जैसा रवैया छोड़ दिया; उन्मुक्तता और सहजता को कविता के मर्म में स्थापित किया। उत्तर प्रदेश के इन रचनाकारों के गीतों में चिंतनशीलता के बजाय आवेग, स्वच्छंदता और तड़प है। यथार्थ को निरावृत रूप में मन की मौज में ग्रहण करने के कारण इन कवियों ने भाषा में एक विशेष प्रकार की सोच और आकर्षण पैदा किया। हिन्दी को नये प्रतीक प्रदान किये। निराला और पंत की कविताओं में भी युगान्त और युगवाणी की ध्वनि गूँजी। 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन के बाद जिसे प्रेमचन्द ने सम्बोधित किया था हिन्दी कविता में भारतीय समाज के शोषण और अत्याचार के विविध चित्रों को प्रस्तुत किया गया। प्रगतिशील रचनाकारों में त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शीलजी उस समय के प्रसिद्ध लेखकों में हैं जिन्होंने हिन्दी काव्य को निरंतर प्रौढ़ बनाया। शमशेर बहादुर सिंह प्रारंभ में इसी दौर से सम्बद्ध थे। अज्ञेय को यदि जन्मस्थान (कुशीनगर) की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का मान लिया जाय तो कहा जा सकता है कि इस दौर के प्रभाव में वे भी थे। इन कवियों ने हिन्दी भाषा को तद्भव शब्दों और नयी अनुभूतियों से सम्पन्न किया। पत्र-पत्रिकाओं ने भी इसमें महत्त्वपूर्ण योगदान किया। 'प्रतीक' (प्रयागराज) के प्रकाशन के साथ हिन्दी कविता में नया दौर प्रारम्भ होता है। 'तार सप्तक' का प्रकाशन एक घटना है, इसमें रामविलास शर्मा, भारतभूषण अग्रवाल उत्तर प्रदेश के रचनाकार हैं परंतु दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक में प्रदेश के कई महत्वपूर्ण रचनाकार शामिल हैं। बल्कि कहा जा सकता है कि दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक तक प्रयोगवाद और नयी कविता के दौर के अनेक लेखन-आन्दोलन ही चूँकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्रारंभ हुए, इसीलिए वे रचनाकार इसी प्रदेश के हैं। शमशेर, नरेश मेहता (जन्म मध्य प्रदेश, रचना क्षेत्र- प्रयागराज), कुँवर नारायण, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर, रघुवीर सहाय, विजयदेव नारायण साही, लक्ष्मीकांत वर्मा, विपिन कुमार अग्रवाल, मलयज, केदारनाथ सिंह इस प्रदेश की ही विभूतियाँ हैं, जिनके कारण यह प्रान्त अपनी सीमा के बाहर भी जाना जाता है।

छठे दशक के इन रचनाकारों का प्रभाव इधर लिख रहे अनेक रचनाकारों में पाया जाता है। देवेन्द्र कुमार, श्रीराम वर्मा, शिवकुटी लाल वर्मा, अजित कुमार, कीर्ति चौधरी आदि रचनाकारों ने कविता को सम्पन्न करने का कार्य किया परन्तु धूमिल ने कविता के स्थिर मुहावरे को तोड़ा। धूमिल ने यथार्थ के स्थिर और अपेक्षाकृत आदर्शीकृत काव्यात्मक मुहावरे के स्थान पर अनुभव और संवेदना के द्वन्द्वात्मक रिश्ते से विकसित एक नया मुहावरा दिया, जिससे कविता कटघरे में खड़े आम आदमी का बयान करने लगती है। धूमिल के मुहावरे की अपनी सीमा थी परन्तु उसका प्रभाव सातवें और आठवें दशक पर व्यापक रूप से पड़ा। विशेषकर उन पर जो कविता को क्रान्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानते रहे हैं। भावुक प्रतिक्रियाओं के इस दौर के बाद हिन्दी में अनेक नये कवि इस प्रदेश में आठवें और नवें दशक में हैं। कविता के क्षेत्र में कवि कम कवि यशः प्रार्थी अधिक हैं। नीलाभ, प्रभात, राजेश, वीरेन डंगवाल, नरेश सक्सेना, देवी प्रसाद मिश्र, बोधिसत्व, मान बहादुर सिंह, कात्यायनी, बद्रीनारायण, हरीशचन्द्र पाण्डे, अनिल श्रीवास्तव जैसे सैकड़ों कवियों ने अपनी कविताओं से अपने समय के संकट और सामर्थ्य को चिन्तनशील भावना के साथ व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश का योगदान अधूरा ही माना जाएगा अगर कविता और साहित्य को प्रतिष्ठान का रूप देने वाले उन अनेक गीतकारों और रचनाकारों का उल्लेख न हो जिन्होंने गीत विधा में विविध प्रयोग करके उसे सम्मेलनी स्तर से उठाकर महज गले का कमाल नहीं रहने दिया है। विसंगतियों, विद्रूपों और व्यंजनाओं का गहरी सम्प्रेषण क्षमता के साथ प्रयोग इन कवियों ने किया है। इसमें उमाकान्त मालवीय, रमानाथ अवस्थी, मोहन अवस्थी, नीरज, रामस्वरूप सिन्दूर, सोम ठाकुर, महेश्वर तिवारी, के.पी. सक्सेना, कैलाश गौतम, उमाशंकर तिवारी, गुलाब सिंह, यश मालवीय, अमरनाथ श्रीवास्तव विशेष उल्लेखनीय हैं। इन रचनाकारों ने बाजारूपन और कृत्रिम गंभीरता से कविता को यथासंभव बचाया है। हिन्दी गजल को एक विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले दुष्यन्त कुमार उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वैसे प्रयोग तो भारतेन्दु ने भी किया और निराला ने भी परन्तु दुष्यंत के अलावा शमशेर, विजयदेवनारायण साही, अदम गोंडवी, गोरख पांडे और एहतराम इस्लाम ने हिन्दी में ग़ज़ल को व्यापक

अर्थवत्ता प्रदान की है। शमशेर और साही तो काफिया रदीफ की दृष्टि से भी अत्यंत चौकन्ने गजल लिखने वाले हैं। संसार की अन्य भाषाओं की तरह आत्मविमर्शात्मक स्वरूप वाली अनेक महत्वपूर्ण कविताएँ हिन्दी में भी हैं। इन्हें भक्ति अध्यात्म या धर्मानुभूति के खांचे में डालना कठिन है। निराला के आराधना और अर्चना के गीतों से लेकर गोविन्द चन्द्र पांडे की 'किसका', केशव कालीधर की 'समर्थ रीति', लक्ष्मीकांत वर्मा की 'कंचनमृगा', नरेश मेहता की 'उत्सवा' तक एक भिन्न प्रकार का आस्वाद है जो समकालीन प्रश्नों का शाश्वत उत्तर देने का प्रयत्न है।

कहानी विधा एक अर्थ में अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित उत्तर प्रदेश में ही हुई। प्रेमचन्द से लेकर दीपक श्रीवास्तव तक उसका सर्जनात्मक तेवर वाला इतिहास है। प्रेमचन्द्र, प्रसाद, यशपाल, अश्क, अज्ञेय आदि पूर्वजों के बाद कहानी विधा विविध आन्दोलनों और परिवर्तनों के दौर से गुजरती रही है। इस दौर में जिन्होंने इसे सम्पन्न बनाया उन लोगों में उत्तर प्रदेश के लेखकों को यदि प्रदेश के माध्यम से जाना जाता हुआ माना जाय– तो मार्कण्डेय, राजेन्द्र यादव, कमलेश्वर, अमरकान्त, शैलेश मटियानी, रामलाल, शेखर जोशी, हृदयेश, दूधनाथ सिंह, विभूतिनारायण राय, ज्ञानरंजन, गिरिराज किशोर, गोविन्द मिश्र, मैत्रेयी पुष्पा, नीलकान्त, शिवमूर्ति, संजीव, शिवानी, ममता कालिया, नमिता सिंह, शिव प्रसाद सिंह, काशीनाथ सिंह, कामतानाथ, रघुवीर सहाय, वसु मालवीय, शैलेन्द्र सागर, प्रियंवद, अखिलेश, मुद्राराक्षस, मनोज पाण्डे, वीरेन्द्र सारंग, लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक', से.रा. यात्री तथा अन्य दर्जनों नाम, ने अपनी कहानियों से कहानी को सर्जनात्मक विधा ही नहीं बनाये रखा, बल्कि इस विधा के माध्यम से मनुष्य और यथार्थ दोनों को न केवल उद्घाटित किया, बल्कि संवेदनाओं के ऐसे क्षेत्रों की ओर संकेत किया जो बिल्कुल नया था। ऐसे अंधेरे की ओर संकेत किया जहाँ मणियाँ थीं और ऐसे प्रकाशित स्थलों को दिखाया, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। नये कथ्य, नयी भाषा और नये यथार्थ और नये शिल्प की दृष्टि से इन रचनाकारों का स्थायी योगदान है। इधर कहानियों में सूचनाओं के जंजाल का तंत्र लक्षणवादी तंत्र से अधिक विकसित हुआ है। कुछ ऐसे लेखक, कवि जो उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से बस गए हैं उनमें से मास्टर कहानीकार उपेन्द्रनाथ अश्क, बलवन्त सिंह, रवीन्द्र कालिया, सतीश जमाली और ज्ञानेन्द्रपति का उल्लेख आवश्यक है। इनमें से कालिया और सतीश के लगभग सभी संकलन उत्तर प्रदेश आवास के बाद छपे हैं। अश्क और बलवन्त सिंह के उपन्यासों और कहानियों से हिन्दी भाषा समृद्ध ही नहीं हुई, बल्कि कथा-साहित्य में जीवनानुभव के विस्तृत वर्णन और रोमांस से यथार्थ का एक नया ही रूप उद्घाटित हुआ है।

नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का योगदान अग्रणी है। बालकृष्ण भट्ट, देवकीनन्दन त्रिपाठी, शीतला प्रसाद, गोपाल दास, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राधाकृष्ण दास और माधव शुक्ल हिन्दी नाटक और रंगमंच के प्रजापति हैं। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी के रंगकर्मियों ने विक्टोरिया और अलबर्ट थियेटर कम्पनियों के समानांतर रंगमंच का विकास किया। 1870 के आस-पास प्रयाग रेलवे थियेटर में 300 दर्शकों के प्रमाण मिलते हैं। लखनऊ की विद्यान्त नाट्यशाला में बंगला से अनूदित और मूल हिन्दी नाटकों के 1877 तक खेले जाने के प्रमाण हैं। 1885 में भारतेन्दु के हरिश्चन्द्र के पांच प्रदर्शन हो चुके थे। माधव शुक्ल ने तो कलकत्ता में भी हिन्दी रंगमंच का आन्दोलन चलाया। इन नाटककारों के सामाजिक, समस्यामूलक, ऐतिहासिक, प्रतीकात्मक और देशप्रेमपरक नाटकों के बाद प्रसाद के नाटकों का दौर आता है, जो पठनीय अधिक, अभिनेय कम माने जाते हैं। प्रसाद के नाटकों का अनुकरण बड़े पैमाने पर नहीं हुआ परन्तु वे नाटक राष्ट्र जागरण के ही नहीं राजनैतिक स्वतंत्रता के नाटक हैं। 'ध्रुवस्वामिनी' तो सामाजिक स्वतंत्रता का भी नाटक है। प्रसाद के बाद के समय में ही लक्ष्मीनारायण मिश्र और भुवनेश्वर के नाटक छप रहे थे। इन दोनों ने हिन्दी नाटक को सामाजिक प्रश्नों के सामने खड़े होने और मनुष्य तथा समाज में होने वाले मानसिक भौतिक परिवर्तनों को केन्द्र में रखकर नाटक की भाषा और विधान को बदला। पश्चिम के इब्सन, गाल्सवर्दी और शॉ का प्रभाव ग्रहण कर राम कुमार

वर्मा, जगदीशचन्द्र माथुर, लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीनारायण लाल, विपिन कुमार अग्रवाल ने हिन्दी नाटक में अनेक संभावनाओं का विस्तार किया। नाटक में अभिनय संभावनाओं का विस्तार भुवनेश्वर से प्रारंभ हुआ। विपिन कुमार, मुद्राराक्षस, लक्ष्मीनारायण लाल, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, उर्मिल कुमार थपलियाल, राजेश कुमार, सुलतान अहमद रिज़वी और सत्यव्रत सिन्हा ने उसे समर्थ और समकालीन बनाया। सुरेन्द्र वर्मा, मोहन राकेश के बाद जो सर्वाधिक चर्चित नाटककार हैं वे भी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे हैं।

विष्णु प्रभाकर वैसे तो उपन्यासकार और कहानीकार हैं, 'अर्द्धनारीश्वर' पर साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला है परन्तु प्रसिद्धि उन्हें नाटकों से ही मिली है। लगभग 10 खंडों में नाटक प्रकाशित हैं। नेमिचंद जैन और गिरीश रस्तोगी का नाट्य आन्दोलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। 'नटरंग' के बगैर नाटक के विकास की चर्चा अधूरी रह जाती है। सत्यमूर्ति और कृष्णनारायण कक्कड़ को भी रंगकर्म और नाटकों के लिए भुलाना असंभव है। गो कि कक्कड़ जी ने कविता आलोचना, चित्रकला-विमर्श, चित्रकला-अनुवाद में भी समान रूप से योगदान दिया। नाटक के माध्यम से रंगमंच पर सत्य को परिभाषित करने का कार्य जो भारतेन्दु के समय से प्रारंभ हुआ उसे इस प्रदेश के रंगकर्मियों और नाटककारों ने सीमाहीन क्षेत्रों में फैलाया।

आलोचना और पुस्तक समीक्षा दोनों की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई। भारतेन्दु, बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन' और बालकृष्ण भट्ट इसके आरंभकर्ता हैं। संयोगिता स्वयंवर नाटक जिसकी पहली समीक्षा हिन्दी में लिखी गई, उसके लेखक श्रीनिवास दास मथुरा के थे। प्रसिद्ध आलोचक मिश्र बन्धु और रामचन्द्र शुक्ल ने न केवल हिन्दी आलोचना की भाषा विकसित की बल्कि पहली बार व्यवस्थित रूप से कुछ मान (कैनन) भी विकसित किये जिसका लोहा लोग आज भी मानते हैं। रामबिलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद गुप्त, नामवर सिंह, विजयदेव नारायण साही, लक्ष्मीकान्त वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉ. रघुवंश, दूधनाथ सिंह, परमानन्द श्रीवास्तव, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, राजेन्द्र कुमार, डॉ. अजय तिवारी, मधुरेश, विश्वनाथ त्रिपाठी, नित्यानंद तिवारी, अजित कुमार, वागीश शुक्ल, वीरेन्द्र यादव, सुशील सिद्धार्थ, पंकज चतुर्वेदी, कृष्णमोहन, अनिल सिन्हा, प्रणय कृष्ण और मूलचन्द गौतम ने हिन्दी आलोचना को अनेक रूपों में समृद्ध किया है। रामविलास शर्मा जलती मशाल की तरह विद्वत्ता और मूल्यांकन की अद्भुत क्षमता से युक्त समर्थ ऐतिहासिक आलोचक हैं। 'निराला की साहित्य साधना' तो जीवनी और आलोचना दोनों का प्रमाण है ही। नयी कविता और अस्तित्ववाद, स्थायी मूल्य और साहित्य रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी आलोचना, 'भारतेन्दु और हिन्दी भाषा की विकास परम्परा' रामचन्द्र शुक्ल के बाद सबसे समर्थ आलोचना के गौरवग्रंथ हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को मानकीकृत करके हिन्दी को गद्य और पद्य की एक भाषा ही नहीं बनाया, बल्कि हिन्दी भाषियों की चेतना का अपूर्व संस्कार किया। उन्होंने मनोरंजन और उद्देश्य दोनों को साहित्य का लक्ष्य माना। समीक्षाएँ लिखीं भी और लिखवायीं भी। मिश्र बन्धुओं के 'हिन्दी नवरत्न' की समीक्षा आधुनिक रचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी के प्रमुख शिष्य नन्ददुलारे वाजपेयी (उन्नाव) ने शुक्ल जी से हटकर छायावाद की प्रमुख कृतियों का ही नहीं 'साकेत', 'शेखर एक जीवनी', 'कामायनी', 'गोदान' आदि पर महत्वपूर्ण निबंध लिखे। छायावाद को प्रतिष्ठित करने का कार्य तो किया ही हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी की विवृत्ति आलोचना का महत्वपूर्ण प्रतिमान है। सच तो यह है कि शुक्ल जी के बाद वाजपेयी जी कला मर्मज्ञ सामाजिक दृष्टि के सबसे सशक्त आलोचक हैं।

साही की 'जायसी और छठवां दशक', नामवर सिंह की 'कविता के नये प्रतिमान', विपिन कुमार की 'आधुनिकता की पहल', रामस्वरूप चतुर्वेदी की 'भाषा और संवेदना', रमेश कुंतल मेघ का 'अथातो सौन्दर्य जिज्ञासा', परमानन्द श्रीवास्तव की 'शब्द और मनुष्य' तथा वागीश शुक्ल के 'पूर्वग्रह' तथा 'आलोचना' में प्रकाशित लेख प्रतिमानात्मक कृतियाँ हैं। काल्पनिक और अकाल्पनिक गद्य में हिन्दी आलोचना प्रायः दरिद्र है। उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने प्रयत्न किया है जैसे जगदीश नारायण श्रीवास्तव का 'उपन्यास की शर्त', नेमिचंद जैन (आगरा) की प्रसिद्ध पुस्तक 'अधूरे साक्षात्कार' अभी भी आदर्श बनी हुई है।

यात्रावृत्तान्त, आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण आदि विधाओं में ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में पैदा हुए रचनाकार अग्रणी रहे हैं। श्यामसुन्दर दास की 'मेरी आत्म कहानी' कई अर्थों में आत्मकथा विधा का व्यवस्थित स्वरूप है। हरिवंश राय बच्चन की चार खंडों में प्रकाशित 'क्या भूलूँ क्या याद करूँ', 'नीड़ का निर्माण', 'बसेरे से दूर' और 'दशद्वार से सोपान तक' एक प्रकार से महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। रचनाकारों ने आत्मकथाएँ प्रायः कम लिखी हैं। यात्रा वृत्तान्तों की दृष्टि से अज्ञेय का 'अरे यायावर रहेगा याद', भाषा की संक्षिप्तता और सटीकता तथा वस्तु की जीवंतता का चरम उदाहरण है। जीवनी की दृष्टि से प्रारम्भ तो भारतेन्दु युग में हो चुका था परन्तु इस विधा की व्यवस्थित और प्रभावपूर्ण प्रयोग 'आवारा मसीहा' में विष्णु प्रभाकर ने किया है। अमृत राय का 'कलम का सिपाही', उस अर्थ में और भी महत्वपूर्ण है कि प्रेमचन्द लेखक के पिता भी थे, लेखक के लिए आवश्यक दूरी बनाना कठिन था। यद्यपि इसके पहले चरित्रों और वृत्तान्तों की लम्बी परम्परा मिलती है परन्तु नरेन्द्र शर्मा लिखित 'महात्मा गांधी', राधामोहन गोकुल लिखित 'नेपोलियन बोनापार्ट', रामचन्द्र वर्मा लिखित 'महात्मा गांधी'। हिन्दी लेखकों की जीवनियों की महत्वपूर्ण शुरुआत श्याम सुन्दर दास ने 'हिन्दी कोविद रत्नमाला' से की। इधर डॉ. रामकमल राय ने प्रसिद्ध कवि अज्ञेय पर 'शिखर से सागर तक' शीर्षक से महत्वपूर्ण और एक अर्थ में एकमात्र प्रमाणित जीवनी लिखी है। संस्मरणों में बनारसी दास चतुर्वेदी, श्रीनारायण चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर', रामनरेश त्रिपाठी और अज्ञेय का विशेष महत्व है। एक प्रकार से इन रचनाकारों ने इसे सर्जनात्मकता प्रदान की। अमृतराय की 'जिनकी याद सदा हरी रहेगी' तथा जगदीश माथुर की 'जिन्होंने जीना जाना' ऐसी पुस्तकें हैं जो भाषा के सांकेतिक और सटीक प्रयोग के कारण संस्मरण में गहरी संवेदनात्मक क्षमता पैदा करती हैं। रेखाचित्रों में महादेवी जी की 'अतीत के चलचित्र' और 'स्मृति की रेखाएँ' अभी भी अन्यतम हैं। एक शब्द का भी अनावश्यक प्रयोग नहीं मिलेगा।

रवीन्द्र कालिया, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह शिवमूर्ति के इधर प्रकाशित संस्मरणों में सर्जनात्मक ऊर्जा के कारण पाठक को आनन्द मिलता है। दूधनाथ सिंह का 'लौट आ ओ धार' और काशीनाथ सिंह का 'काशी का अस्सी' संस्मरण से हटकर एक प्रकार का संस्मरणात्मक गल्प है। यह पुस्तक विधात्मक नयेपन के कारण ही नहीं अपनी बुनावट के कारण भी लीक से हटकर है।

सृजनात्मक चिंतन और ललित निबंधों की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ, विवेकी राय, कन्हैया लाल मिश्र 'प्रभाकर', डॉ. रघुवंश, युगेश्वर और कृष्णनाथ का योगदान अविस्मरणीय है। आचार्य द्विवेदी जैसी मर्मवेधनी मानवीय दृष्टि और शोषितों तथा गरीबों के प्रति सहानुभूति का तो अभाव हुआ है, परन्तु प्रकृति मात्र के प्रति व्यापक दृष्टि तथा मानवीय चिन्ता निबंधकारों का मुख्य विषय है।

रचनाकार किसी भी प्रदेश के हों वे मूलतः किसी न किसी भाषा के लेखक होते हैं और भाषाएँ भारत में एक भाषिक क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण एक दूसरे को कितना कुछ सम्पन्न करती रहती हैं, कहना कठिन है। इस अर्थ में हिन्दी क्षेत्र का व्यापक महत्व है। हिन्दी के अधिसंख्य लेखक उत्तर प्रदेश के हैं परन्तु हिन्दी को इतना व्यापक बनाने का श्रेय उन लेखकों को अपेक्षाकृत अधिक है जो अन्य भाषा क्षेत्रों से हैं। उत्तर प्रदेश के रचनाकारों में से भी अनेक अन्य प्रान्तों में बसे हैं, फलतः बहुआयामों के कारण अनुभव और भाषा का नया संश्लेष पैदा कर सके हैं।

उर्दू अदब

उर्दू भाषा के विकास में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान रहा है। तेरहवीं सदी में यद्यपि अमीर ख़ुसरो ने, जिनका जन्म पटियाली (जिला एटा) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था, कुछ पद्यात्मक रचनायें कीं पर उर्दू गद्य का वास्तविक विकास अठारहवीं सदी से प्रारम्भ हुआ था। उर्दू के महान शायर ग़ालिब, मीर तथा नज़ीर अकबराबादी, जिनका दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष रहा, का जन्म स्थान आगरा था। मीर ने अपने आखिरी दिन लखनऊ में बिताये थे। नज़ीर अकबराबादी आगरा में ही रहे और वहीं उनका देहान्त हुआ। आसिफ़ुद्दौला स्वयं उच्चकोटि के शायर

थे, फलतः लखनऊ उर्दू शायरी का केन्द्र बन गया।

उधर दिल्ली से लखनऊ बहुत सारे शायर आए क्योंकि दिल्ली दरबार उजड़ रहा था। ऐसे आने वाले महान शायरों में फ़ुगाँ, मीर तक़ी मीर, सौदा, मीर ज़ाहिक़ और मीर हसन का उल्लेख किया जा सकता है। इनके बाद मुसहफी, इंशा और जुरअत आये। समय और स्थान के परिवर्तन का प्रभाव यह हुआ कि दिल्ली शायरी की नैराश्यमय एवं उपालम्भपूर्ण शैली का स्थान लखनऊ की सुगम, अलंकारिक एवं ललित शैली ने ले लिया। लखनऊ शैली के दो प्रमुख शायर थे, नासिख़ और आतिश। ग़ज़ल के अतिरिक्त उर्दू शायरी की अन्य विधाओं जैसे मसनवी का सुन्दर उदाहरण मीर हसन, दयाशंकर 'नसीम', नवाब मिर्ज़ा 'शौक़' तथा अहमद अली शौक क़िदवई ने प्रस्तुत किया। इनकी रचनाओं के नाम हैं– 'सहरूलबयान', 'गुलज़ारे नसीम', 'ज़हरे इश्क' और 'आलमेख़्याल'। रेख़ती में जान साहब ने कमाल दिखाया तथा एक पूरा दीवान यादगार छोड़ा। कुछ उर्दू शायरों को रामपुर, फ़र्रुखाबाद में आश्रय मिला। दाग़, असर, अमीर, जलाल और तस्लीम उन प्रसिद्ध शायरों में से थे, जिन्हें रामपुर दरबार की तरफ से मदद मिली।

उर्दू शायरी की एक विधा 'मर्सिया' है जिसे मीर अनीस एवं मिर्ज़ा दबीर और उनके समकालीन शायरों ने उत्कर्ष पर पहुँचाया। अब इस विधा को एक नया आयाम देते हुए जदीद मर्सिये लिखे जा रहे हैं। जोश मलिहाबादी, अली मेंहदी बलरामपुरी, समर हतनौरी, तय्यब काज़मी, तबस्सुम ऐजाज़ी, नासिर लखनवी ने नये मर्सिये को नया रंग दिया। उर्दू नाटककारों में अवध नरेश वाजिद अली शाह 'अख़्तर' ने 'राधा-कन्हैया' का रहस्य लिखकर तथा आगा हसन अमानत ने 'इन्द्रसभा' लिखकर उर्दू साहित्य के इतिहास में नाम पैदा किया। आधुनिक युग में आग़ा हश्र कश्मीरी ने सुविख्यात एवं लोकप्रिय नाटक लिखे। इस परम्परा को विलायत जाफ़री, ज़ैनुद्दीन आदि आगे बढ़ा रहे हैं।

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में बृजनारायण 'चकबस्त', सफ़ी, अज़ीज, साक़िब और जलाल ने अपनी ग़ज़लों और नज़्मों में नये विषयों का समावेश किया तथा लखनवी शायरी को नयी दिशा दी । ब्रजनारायण 'चकबस्त' इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, क्योंकि उन्होंने उर्दू शायरी में राष्ट्र प्रेम की भावना का सूत्रपात किया। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य प्रख्यात शायरों में सुरूर जहानाबादी, मौ. मोहम्मद अली 'जौहर', बिशन नारायण दर, नौबतराय नज़र, द्वारिका प्रसाद उफ़ुक़, हसरत मोहानी, यगाना चंगेज़ी, असगर गोंडवी, अकबर इलाहाबादी, आरज़ू लखनवी, फ़ानी बदायूंनी, रियाज़ खैराबादी, मुज़तर खैराबादी, जाफ़र अली खां 'असर' और सिराज लखनवी आदि उल्लेखनीय हैं। इन सब शायरों ने उर्दू ग़ज़ल और शायरी को नया आयाम दिया। उर्दू शायरी में उपालम्भों की शुरुआत और उक्त शैली का विकास भी उत्तर प्रदेश में हुआ।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से 'अवधपंच' में उपहासात्मक कवितायें तथा लेखादि छपा करते थे। इस कोटि के सबसे सफल कवि अकबर इलाहाबादी तथा ज़रीफ़ लख़नवी थे। बाद में गद्य लिखने वालों में रशीद अहमद सिद्दीक़ी, शौकत थानवी, अहमद जमाल पाशा, वजाहत अली सन्दीलवी आदि ने नाम कमाया।

उर्दू गद्य को भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण देन रही है। गद्य लिखने वाले सर्वप्रथम लेखकों में लखनऊ के मिर्ज़ा रजब अली बेग 'सुरूर' का नाम आता है। उन्होंने अवध के शासक नसीरुद्दीन हैदर के शासनकाल में 'फ़सान-ए-अजायब' लिखा। कतिपय अन्य रचनायें भी इनके नाम से हैं। इनकी शैली अलंकारिक और दुरूह है। शब्दाडम्बर भी अधिक है।

सन् 1857 के स्वतंत्रता आन्दोलन के बाद मौलाना अब्दुल हलीम 'शरर' तथा पण्डित रतननाथ 'सरशार' के उपन्यासों में उर्दू गद्य लेखन की सरल शैली दिखायी पड़ी। उर्दू साहित्य में नयी परम्परायें प्रारम्भ करने वालों में मिर्जा हादी 'रुसवा', मुंशी सज्जाद हुसैन, मौलाना शिबली, अल्लामा नियाज़ फ़तेहपुरी, अब्दुल माजिद दरियाबादी आदि ने साहित्य और अन्य विषयों पर जो कुछ लिखा, वह अविस्मरणीय है। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले सर सैय्यद अहमद खां, जो दिल्ली के रहने वाले थे, किन्तु उत्तर

प्रदेश में बस गये थे, ने अपने लेखों आदि में अनेक विषयों का समावेश कर उर्दू साहित्य को नयी दिशा प्रदान की तथा भाषा को सरल और आसान बनाया। उन्होंने समाज सुधार, इतिहास, जीवनी, शिक्षा, राष्ट्रीयता और राजनीति से सम्बद्ध विविध विषयों पर लेख लिखे। उनके विस्तृत ज्ञान की उनके समकालीन लेखक अवहेलना नहीं कर सके। इस प्रकार लेखकों के सामने ऐसे विषय आये, जिनकी तरफ पहले उनका ध्यान ही नहीं गया था। इतिहासकारों में इसी प्रदेश के कमालुद्दीन हैदर हसनी उल हुसैनी, राजा दुर्गा प्रसाद मेहर संदीलवी और मौलवी नजमुल ग़नी रामपुरी ने अवध के इतिहास पर बुनियादी कार्य किया तथा उच्चकोटि की पुस्तकें यादगार के रूप में छोड़ीं। देश के उर्दू पुस्तकों का सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन केन्द्र मुंशी नवल किशोर ने लखनऊ में स्थापित किया था। उर्दू के प्रति इस प्रकाशक की सेवायें अविस्मरणीय हैं। इन्होंने ही 'अवध अखबार' जारी किया था। पं. रतननाथ सरशार का सुविख्यात उपन्यास 'फसान-ए-आज़ाद' इसी अखबार में किश्तवार छपा करता था। सैय्यद जालिब का सुविख्यात अख़बार 'हमदम' लखनऊ से प्रकाशित होता था।

उत्तर प्रदेश से बहुत सारे अदबी रिसाले भी प्रकाशित होते थे। इनमें खदंग-ए-नज़र, उर्दू-ए-मुअल्ला, दिलगुदाज़, ज़माना, अदीब, अल-नाज़िर, निगार, माअरिफ़, नया दौर और किताब उल्लेखनीय हैं। इनमें से 'माअरिफ़' और सूचना विभाग से प्रकाशित 'नया दौर' आज भी प्रकाशित हो रहे हैं।

उर्दू में प्रगतिशील साहित्य को बढ़ावा देने में भी उत्तर प्रदेश आगे रहा है। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम कांफ्रेंस 1936 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सुविख्यात उर्दू-हिन्दी कहानीकार मुंशी प्रेमचन्द ने की थी। प्रगतिशील साहित्य में मजदूरों, किसानों और समाज के अन्य दबे-कुचले वर्गों की समस्याओं के चित्रण पर बल दिया गया और साहित्य द्वारा जनता में अपनी मौलिक समस्याओं और अपने अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने के चित्रण पर ज़ोर दिया गया। साथ ही साहित्य द्वारा जनता की मौलिक समस्याओं के निराकरण की कोशिश की गई। प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापकों में सज्जाद ज़हीर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो एक महत्वपूर्ण साहित्यकार भी थे। इनका संबंध भी उत्तर प्रदेश से था। सुप्रसिद्ध प्रगतिशील समालोचक प्रो. सैय्यद एहतेशाम हुसैन रिज़वी भी उत्तर प्रदेश के थे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश ने ही उर्दू साहित्य को प्रो. मसूद हसन रिज़वी अदीब, मजनूँ गोरखपुरी, प्रो. एजाज़ हुसैन, डॉ. मसीहउज़्ज़मा, प्रो. आले अहमद सुरूर, प्रो. फ़ज़ले इमाम, अली सरदार जाफ़री और डॉ. इबादत बरेलवी जैसे आलोचक भी दिये। जो अन्य महत्वपूर्ण साहित्यकार, कहानीकार और कवि उत्तर प्रदेश ने उर्दू को दिये, उनमें क़ुअर्तुल ऐन हैदर, इसमत चुगताई, अली अब्बास हुसैनी, उपेन्द्रनाथ अश्क, बलवंत सिंह, हयातुल्लाह अन्सारी, रामलाल, चौधरी मोहम्मद अली, जोश मलिहाबादी, मजाज़, फिराक़ गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, वामिक़ जौनपुरी, अली सरदार जाफ़री, मोइन एहसन जज़बी, बाक़र मेंहदी, ख़लीलुर्रहमान आज़मी, सलाम मछली शहरी, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी, बेकल उत्साही, नज़ीर बनारसी, इरफान सिद्दीकी, शहरयार, बशीर बद्र, वसीम बरेलवी, एहसन रिज़वी, उमर अंसारी, गुलाम रिज़वी गर्दिश, कृष्ण बिहारी 'नूर' और ख़ुमार बाराबंकवी, मन्ज़र सलीम, दाराबबानो 'वफ़ा' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उर्दू शायरी के सशक्त प्रतिनिधि के रूप में इरफ़ान सिद्दीकी ने पिछले एक दशक में अपना लोहा मनवाया। भारत ही नहीं पूरी उर्दू दुनिया में उनकी शायरी आधुनिक और प्रगतिशीलता के समागम के रूप में प्रसिद्ध हुई। 'ज्ञानपीठ' से पुरस्कृत 'उमराव जान' फिल्म के गीतकार एवं मशहूर शायर 'शहरयार' ने भी उर्दू शायरी में प्रदेश का नाम बुलन्दियों तक पहुँचाने में बड़ा योगदान दिया।

उत्तर प्रदेश के लिए यह भी कम गर्व का विषय नहीं है कि साहित्य के सर्वोच्च सम्मान 'ज्ञानपीठ' से पुरस्कृत होने वली उर्दू की चार महान विभूतियाँ हैं। उर्दू शायरी को उत्कर्ष पर पहुँचाने वाली महान शख़्सियत व मशहूर शायर 'फ़िराक़' गोरखपुरी, विख्यात उपन्यासकार व कथाकार क़ुअर्तुल ऐन हैदर, मशहूर प्रगतिशील शायर अली सरदार जाफ़री एवं शहरयार भी उत्तर प्रदेश के ही हैं।

इसके बाद जिन दो साहित्यकारों को 'सरस्वती सम्मान' से नवाज़ा गया वे भी उत्तर प्रदेश के हैं। इनमें पुरस्कृत समालोचक, लेखक शम्सुर्रहमान फ़ारूकी को पहले और उसके बाद मशहूर कथाकार नैय्यर मसूद को सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। भारत में अभी तक किसी भी अन्य प्रदेश के उर्दू साहित्यकार को सरस्वती सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। इनके अलावा और भी महान एवं महत्वपूर्ण लेखक तथा कवि उत्तर प्रदेश ने उर्दू को दिये हैं।

सन् 1960 में और उसके पश्चात् भारत के उर्दू साहित्य में आधुनिक अभिव्यक्ति (जदीदियत) की जो बात चली, उसे आगे बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली उर्दू की साहित्यिक पत्रिका 'शबखून' का रहा। इस पत्रिका के माध्यम से सुविख्यात आधुनिक साहित्यकार शम्सुर्रहमान फ़ारुकी ने, जो उत्तर प्रदेश के ही हैं, आधुनिकता की व्याख्या की और उसे आगे बढ़ाया। आधुनिकता के अन्तर्गत साहित्य में प्रतीकात्मक और एब्सट्रेक्ट अभिव्यक्ति पर ज़ोर दिया गया और कहानी, कविता और ग़ज़ल में आज के युग के व्यक्ति की सामाजिक समस्याओं पर कम, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के चित्रण पर अधिक ज़ोर दिया गया।

उर्दू साहित्य में शोध कार्य करने वालों तथा समालोचकों में प्रो. महमूद इलाही, प्रो. नूरुल हसन हाशमी, काज़िम अली खाँ, डॉ.सै.मु.अकील रिजवी, डॉ.जाफर रजा, प्रो. शारिब रुदौलवी, प्रो. मुजाविर हुसैन रिज़वी, अली जवाद जैदी तथा डॉ. मुहम्मद हसन, प्रो. कमर रईस, प्रो. हनीफ़ नकवी, प्रो. अकबर हैदरी कश्मीरी, वारिस किरमानी, अनीस अशफाक, वक़ार नासिरी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार नैयर मसूद, आबिद सुहेल, बशेषर प्रदीप, ज़ुबेर रिज़वी, मलिक ज़ादा मन्ज़ूर अहमद, वक़ार नासिरी, मसरूर जहाँ, अनीस अंसारी, अम्बर बहराइची, फय्याज रफत, विलायत जाफ़री, मुनव्वर राना (जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी के एवार्ड से सुशोभित किया गया है), रबाब रशीदी, तसनीम फारुक़ी, बशीर फ़ारुकी, इक़बाल मजीद, काज़ी अब्दुल सत्तार, तारिक़ छतारी, खालिद जावेद, सबीहा अनवर, आयशा सिद्दीक़ी, तसकीन ज़ैदी आदि कहानीकार एवं शायर उर्दू अदब की खिद्मत कर रहे हैं। नए साहित्यकारों में कई अहम नाम सामने आए। मसलन शायरी में अज़रा परवीन, कमर अदीब, आमिर रियाज, शाहिद कमाल, संजय मिश्रा 'शौक' और कहानी में गज़ाल जैगम उल्लेखनीय रहीं। इनके अलावा मोहसिन खाँ, शाहिद अख़्तर, इश्रत जफ़र, आरिफ़ अय्यूबी, सुहेल वहीद, क़ायद हुसैन कौसर, असरार जोधा आदि ने कई अच्छे अफसाने लिखकर अपना नाम दर्ज कराया है। अनुवाद कार्य में हैदरी जाफरी सैय्यद और शकील सिद्दीक़ी का नाम विशेष तौर पर लिया जा सकता है। डॉ. वज़ाहत हुसैन रिज़वी, डॉ. रेशमा परवीन, डॉ. अतहर मसूद आदि ने भी तहक़ीक़ व आलोचना के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

इस तरह हम देखते हैं कि उर्दू भाषा एवं साहित्य के विकास और उसकी समृद्धि में उत्तर प्रदेश ने हर युग में योगदान दिया है और अपनी विशेष भूमिका निभाई है। विशेष रूप से उर्दू भाषा को निखारने, संवारने और सुन्दर बनाने में लखनऊ का जो योगदान रहा है, वह अविस्मरणीय है। उर्दू साहित्य की समृद्धि में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका निभा रहा है। यहाँ के कतिपय समालोचकों, लेखकों और शायरों का उर्दू साहित्य में बड़ा ऊँचा स्थान है। यह प्रदेश उर्दू के पालन-पोषण का एक मुख्य केन्द्र रहा है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है और उर्दू के विकास एवं प्रसार के लिए आवश्यक क़दम उठाये हैं। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।

●

हिन्दी और उर्दू पत्रकारिता

हिन्दी पत्रकारिता की प्रथम किरण बंगाल में प्रस्फुटित हुई। हिन्दी का प्रथम पत्र 30 मई, 1826 को कोलकाता से निकला, जिसका नाम 'उदन्त मार्तण्ड' था। यह साप्ताहिक था। इसके सम्पादक पंडित युगुल किशोर शुक्ल कानपुर के थे। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता का ऐतिहासिक अध्ययन करते समय निम्न काल विभाजन करना उपयुक्त होगा– (1) प्रारम्भिक युग (1845-1867 तक), (2) भारतेन्दु युग (1867-1900 तक), (3) द्विवेदी युग (1900 से 1920 तक), (4) गांधी युग या छायावाद युग (1920-1947 तक), (5) स्वातन्त्र्योत्तर युग (1947 से आज तक)।

प्रारम्भिक युग (1845-1867 तक)

उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में 'बनारस अखबार' पहला हिन्दी पत्र (साप्ताहिक) था। यह जनवरी 1845 में काशी (वाराणसी) से प्रकाशित हुआ। यह हिन्दी भाषी प्रान्तों का प्रथम हिन्दी पत्र था। इसे राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' ने प्रकाशित कराया था। इसके सम्पादक थे– श्री गोविन्द रघुनाथ थत्ते। राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' उर्दू के हिमायती थे। इसी कारण हिन्दी का पत्र होने पर भी 'बनारस अख़बार' की भाषा हिन्दी न होकर उर्दू थी। 'बनारस अख़बार' के बाद काशी (वाराणसी) से ही 1850 ई. में श्री तारामोहन मित्र द्वारा 'सुधाकर' (साप्ताहिक) का प्रकाशन हुआ। यह साप्ताहिक पत्र बंगला तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। तीन वर्ष बाद यह केवल हिन्दी में प्रकाशित होने लगा। आगरा से 'बुद्धिप्रकाश' का प्रकाशन पत्रकारिता की दृष्टि से ही नहीं, भाषा एवं शैली के विकास के विचार से भी विशेष महत्त्व रखता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1852 है। इसके सम्पादक थे– मुंशी सदासुखलाल। आगरा से 'सर्वहितकारक' नामक साप्ताहिक का प्रकाशन 1855 में हुआ। इसके सम्पादक थे– शिवनारायण। इसमें हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाएँ रहती थीं पर हिन्दी ही इसकी मुख्य भाषा थी।

शिक्षा के प्रचार-प्रसार के फलस्वरूप हिन्दी पत्रकारिता का विकास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (1857) तक उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी अपेक्षा थी। इसी समय 13 जून, 1857 को प्रेस सम्बन्धी एक कानून जिसे 'गैंगिग ऐक्ट' कहते हैं, लागू किया गया। 1857 की क्रांति की विफलता के परिणामस्वरूप भारतीयों की मनःस्थिति अवसादमय हो गयी थी। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के साथ ही साथ हिन्दी पत्रकारिता के विकास पर भी पड़ा। दमनकारी प्रेस सम्बन्धी कानून की अवधि समाप्त होने एवं राजनीतिक भूकम्प के शान्त होने पर उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता में नई जागृति उत्पन्न हुई। 1861 में उत्तर प्रदेश से कई पत्र निकले। इनमें 'सूरज प्रकाश' आगरा से प्रकाशित हुआ। सम्पादक थे– गनेशीलाल। इस पत्र के उर्दू भाग का नाम था– 'आफ़ताबे आलमताब'। 'सर्वोपकारक' और 'ज्ञानप्रकाश' भी आगरा से निकले। 'सर्वोपकारक' के सम्पादक थे– शिवनारायण। 1865 में सर्वोपकारक का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व कायम हो गया। इसी वर्ष इटावा से 'प्रजाहित' का प्रकाशन हुआ। यह पाक्षिक था। सम्पादक थे– हकीम जवाहरलाल। इसके उर्दू और अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित हुए। 'लोकमित्र' का प्रकाशन 1 जनवरी, 1863 को आगरा से हुआ। यह ईसाइयों का मासिक पत्र था। इसका प्रकाशन शुद्ध हिन्दी में होता था। 1864 में आगरा से 'भारतखण्डामृत' नाम का पत्र निकला। इसके हिन्दी अंश का नाम 'भारतखण्डामृत' और उर्दू का नाम 'आबेहयात' हुआ। सम्पादक थे– पंडित वंशीधर वाजपेयी। 1865 में बरेली से 'तत्वबोधिनी पत्रिका' का प्रकाशन हुआ। यह

गुलाब शंकर के संपादकत्व में निकली। यह शुद्ध हिन्दी पत्रिका थी। पत्रिका ब्रह्म समाज के सिद्धान्तों का प्रचार करती थी।

भारतेन्दु युग (1867-1900)

1867 ई. में आगरा से 'सर्वजनोपकारक' का प्रकाशन हुआ। पंडित पूर्णचन्द्र इसके सम्पादक थे। इसी वर्ष आगरा से एक और पत्र 'धर्मप्रकाश' निकला। ज्वाला प्रसाद सम्पादक थे। यही 1890 में रुड़की से हिन्दी, उर्दू और संस्कृत में निकलने लगा। 1913 में यह जालौन जिले के कोंच से निकला और 1921 में इसका प्रकाशन कानपुर से होने लगा। भारतेन्दु युग में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने सहधर्मियों का एक मंडल बनाया, जिसे 'भारतेन्दु मंडल' कहा गया। तभी से हिन्दी पत्रकारिता के विकास को नई गतिशीलता प्राप्त हुई। 15 अगस्त, सन् 1867 ई. को भारतेन्दु ने काशी से 'कविवचन सुधा' मासिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया। इसके प्रकाशन के साथ ही हिन्दी पत्रकारिता के नये युग का सूत्रपात हुआ। आरम्भ में इसमें प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का प्रकाशन होता था। भारतेन्दु इसके माध्यम से भारतीय जनता को हिन्दी कविता की परम्परा से परिचित कराना चाहते थे। यह पत्रिका कुछ ही दिनों के बाद मासिक से पाक्षिक हो गई। पाक्षिक 'कविवचन सुधा' में आधुनिक विषयों तथा समाज नीति, राजनीति पर लेख एवं समाचार भी प्रकाशित होते थे। 1875 में यह साप्ताहिक हो गई। 1868 में प्रयाग से विविध विषय भूषित 'वृत्तान्त दर्पण' नामक पत्र सदासुखलाल के सम्पादकत्व में निकला। यह मासिक था। दो वर्ष बाद ही यह कानून का पत्र बना दिया गया। 1869 में 'मंगल समाचार' मेरठ से प्रकाशित हुआ। सम्पादक थे ठाकुर गिरिप्रसाद सिंह। यह हिन्दी-उर्दू में एक साथ निकलता था। इसी वर्ष आगरा से 'जगत्समाचार', जगदानंद और 'पापमोचन' हिन्दी-उर्दू का पत्र था। इसके सम्पादक कृष्णचन्द्र थे। इसका अपना लीथो प्रेस था। 'जगत्प्रकाश' मुरादाबाद से निकला। पाक्षिक 'विद्यादर्श' और 'समय विनोद' भी इसी वर्ष निकले। 'विद्यादर्श' मेरठ से प्रकाशित होता था। इसका उर्दू संस्करण भी था। इसमें विद्या की चर्चा रहती थी।

'आगरा एजूकेशनल गजट' का प्रकाशन भी 1869 में हुआ। इसके उर्दू संस्करण के सम्पादक यूसुफ अली और हिन्दी संस्करण के सम्पादक अमीरउद्दीन थे। उर्दू की 150 और हिन्दी की 50 प्रतियाँ छपती थीं। 'ब्रह्मज्ञान प्रकाश' ब्रह्मसमाजी विचारों का पत्र बरेली से निकला था। सम्पादक थे– केशवचन्द्र सेन। 'आगरा अखबार' और 'आर्य दर्पण' का प्रकाशन आगरा तथा शाहजहाँपुर से हुआ। आर्य दर्पण के सम्पादक थे– मुंशी बख्तावर सिंह। यह मासिक पत्र था। आर्य समाज आन्दोलन को गति देने के लिए इसका प्रकाशन किया गया। इन दोनों पत्रों का प्रकाशन वर्ष 1870 था। 1871 में प्रकाशित होने वाले पत्र थे– 'हिन्दू प्रकाश' (कानपुर), 'प्रयाग दूत' (प्रयाग), 'बुन्देलखण्ड अखबार' (ललितपुर), 'म्यूरगजट (मेरठ) और 'सोल्जर्स गजट' (सहारनपुर)। 'प्रेम पत्र' का प्रकाशन 1872 में आगरा से हुआ। यह पाक्षिक था। इसके सम्पादक पंडित रुद्रदत्त शर्मा थे। 'प्रेमपत्र' ही वह प्रथम पत्र है जिससे पंडित रुद्रदत्त का सम्पादकीय जीवन आरम्भ हुआ। 'हरिश्चन्द्र मैगज़ीन', 'हरिश्चन्द्रिका', 'भारत-पत्रिका' और 'मर्यादा परिपाटी समाचार' पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष 1873 है। इनमें 'हरिश्चन्द्र मैगज़ीन' हिन्दी भाषा और साहित्य की प्रमुख पत्रिका थी। यह मासिक थी। 15 अक्टूबर, 1873 को इसका प्रथम अंक निकला। इसमें पुरातत्व, उपन्यास, कविता, आलोचना, ऐतिहासिक, राजनैतिक, साहित्यिक तथा दार्शनिक लेख, कहानियाँ एवं व्यंग्य आदि का प्रकाशन होता था। इसका प्रकाशन स्थल काशी ही था। 'हरिश्चन्द्रिका' साप्ताहिक हिन्दी पत्रिका थी। इसके अतिरिक्त पत्रिका में राजनीतिक लेख और समाचार भी छपते थे। इसके सम्पादक जयराम थे। 'भारत पत्रिका' का प्रकाशन लखनऊ से हुआ। यह उर्दू-हिन्दी में निकलता था। पत्र का प्रकाशन अवध के ताल्लुकेदारों की संस्था– 'ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन' ने किया था। 'मर्यादापरिपाटी समाचार' नामक मासिक पत्र का प्रकाशन आगरा से हुआ। यह हिन्दी और संस्कृत में निकलता था। सम्पादक थे पंडित दुर्गाप्रसाद शुक्ल। यह सनातनी पत्र पुरानी मर्यादा की रक्षा हेतु प्रकाशित किया गया।

'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका', 'बालाबोधिनी', 'नाटक प्रकाश', 'नागरी प्रकाश' और 'भारत बंधु' का प्रकाशन स्थल क्रमशः काशी, प्रयाग, मेरठ और अलीगढ़ है। इसके अलावा 'सुदर्शन समाचार', 'प्रयाग धर्मपत्रिका' का प्रकाशन प्रयागराज से हुआ। इन पत्रों का प्रकाशन वर्ष 1874 है। इनमें 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका', 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' का संशोधित नाम है। यह पत्रिका भी अत्यधिक लोकप्रिय हुई। पत्रिका ने साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रीय सम्मान की भावना जगाने, साहित्यिक रुचि फैलाने, हिन्दी साहित्य के विविध भागों को समृद्ध करने और हिन्दी भाषा को देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में उचित स्थान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सरकार इसकी सौ प्रतियाँ खरीदती थी। 'बालाबोधिनी' पत्रिका का प्रकाशन 1 जून, 1874 को हुआ। यह स्त्रीजनों की प्यारी मासिक पत्रिका स्त्री शिक्षा के प्रचारार्थ प्रकाशित की गई थी। 'नाटक प्रकाश' 26 जून, 1874 को प्रयागराज से निकला था। यह नाटकों का मासिक पत्र था। इसके सम्पादक प्रयागराज हाईकोर्ट के वकील रतनचन्द्र थे। 'नागरी प्रकाश' का प्रकाशन मेरठ से हुआ। यह मासिक पत्र था। इसका उद्देश्य नागरी या हिन्दी अक्षरों का विकास करना था। 'भारतबन्धु' साप्ताहिक के सम्पादक तोताराम वर्मा थे। यह मोटे और भद्दे टाइप में छपता था। पत्र का स्वर राजनीतिक अधिक और साहित्यिक कम था। 'धर्म प्रकाश' (प्रयाग), 'आनंद लहरी' (बनारस), 'सुदर्शन समाचार' (प्रयागराज), 'आर्य पत्रिका' (मिर्जापुर), 'मंगल समाचार' (अलीगढ़), 'काशी पत्रिका' (वाराणसी) का प्रकाशन वर्ष 1875 था। 'आनंद लहरी' और 'काशी पत्रिका' साहित्यिक थीं। 'काशी पत्रिका' का प्रकाशन भारतेन्दु की ही प्रेरणा से हुआ था। इसमें 'सत्य हरिश्चन्द्र', 'कर्पूर मंजरी' आदि हरिश्चन्द्र के कई नाटक छपे। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। सम्पादक थे– बालेश्वर प्रसाद। 'प्रयाग धर्म प्रकाश' (प्रयागराज) और 'आर्यभूषण' (शाहजहाँपुर) का प्रकाशन 1876 ई. में हुआ।

'अजाब' (शाहजहांपुर), 'हिन्दी प्रदीप' (प्रयागराज) से दोनों पत्र 1877 में निकले। 'हिन्दी प्रदीप' मासिक पत्र का प्रकाशन भारतेन्दु मंडल के वरिष्ठ सदस्य पंडित बालकृष्ण भट्ट ने किया। यह साहित्यिक पत्र था। पत्रकारिता की दृष्टि से 'हिन्दी' का जन्म हिन्दी साहित्य के इतिहास में क्रांतिकारी घटना है। इसने पत्रकारिकता को नयी दिशा दी। भट्ट जी का राजनीतिक दर्शन भारतेन्दु की तरह राष्ट्रीयता और स्वदेशी से परिपूर्ण था। उसमें अकाल, बेरोजगारी एवं सांस्कृतिक संघर्षों पर भी लेख होते थे। इसके अतिरिक्त नाटक, प्रहसन, निबंध और कविताएँ भी प्रकाशित होती थीं। 'हिन्दी प्रदीप' का राष्ट्रीय स्वर निर्भीकता तथा तेजस्विता से परिपूर्ण था। हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में 'हिन्दी-प्रदीप' का बराबर सहयोग रहा। 'कायस्थ समाचार' (प्रयाग), 'ज्ञानचन्द्र' (प्रयागराज), 'आर्यमित्र' (काशी), 'दिनकर प्रकाश' (लखनऊ) और 'शुभचिंतक' (कानपुर) का प्रकाशन 1878 ई. में हुआ। 1879 ई. में 'सज्जनकीर्ति सुधाकर' (आगरा) और 'भारतसुदशा प्रवर्तक' फर्रुखाबाद से निकले। प्रवर्तक के सम्पादक थे– पंडित गणेश प्रसाद शर्मा। इसमें वैदिक धर्म प्रचार, सामाजिक कुरीतियों का निवारण, दलितोद्धार, स्त्री-शिक्षा और मादक द्रव्य निवारण आदि विषयों पर लेख छपते थे। 1881 ई. में 'भारती विलास' (आगरा), 'भारतदीपिका' (लखनऊ) और 'आनन्द कादम्बिनी' (मिर्जापुर) पत्र निकले, जिनका हिन्दी पत्रकारिता में विशिष्ट स्थान है। 'आनंद कादम्बिनी' के सम्पादक थे– पंडित बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमधन', 'आनन्दकादम्बिनी' के स्तम्भ बड़े आकर्षक और साहित्यिक हुआ करते थे। यथा– सम्पादकीय, 'सम्मति समीर', 'साहित्य सौदामिनी', 'वृतान्त बलाकावली' और 'प्राप्ति स्वीकार' अथवा 'समालोचना सीकर' आदि। पत्रिका के प्रकाशन का मूल उद्देश्य था– साहित्य, समाज, धर्म, राजनीति आदि में परिवर्तन लाना। 1882 में 'प्रयागराज समाचार' (प्रयागराज), 'बालदर्पण' (प्रयागराज), 'देवनागरी प्रचारक' (मेरठ), 'भारतेन्दु' (वृन्दावन) आदि पत्र निकले।

'काशी समाचार' (काशी), 'सत्य प्रकाश' (बरेली), 'दिनकर प्रकाश' (लखनऊ) और 'ब्राह्मण' (कानपुर) का प्रकाशन 1883 में हुआ। 'ब्राह्मण' का प्रथम अंक होली के दिन (15 मार्च, 1883) निकला। पत्र का सिद्धान्त वाक्य था– ''शमोरपिगुणावाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि''। इसमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों पर बड़े उत्कृष्ट लेख होते थे। यह अपने समय का निर्भीक पत्र था। इसने देशोन्नति में बाधक

विचारों और कार्यों की कटु आलोचना करने का व्रत ले रखा था। पत्रिका के सम्पादक थे– प्रसिद्ध निबन्धकार पंडित प्रतापनारायण मिश्र।

सन् 1885 से 1895 के बीच प्रकाशित होने वाले महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं में 'हिन्दोस्थान' (कालाकांकर), 'नागरी नीरद' (मिर्जापुर), 'भारतप्रकाश' (मुरादाबाद), 'भारतोदय' (कानपुर), 'रसिक पंच' एवं 'प्रयाग मित्र' (प्रयागराज), 'विचार पत्र' (इटावा), 'भारत भानु' (बनारस), 'बुद्धि प्रकाश' (लखनऊ), 'हिन्दी मंच' (अलीगढ़), 'देवनागरी गजट' (मेरठ), 'खिचड़ी समाचार' (मिर्जापुर), 'भारतहितैषी' (फर्रुखाबाद), 'ब्रजवासी' (मथुरा), 'भारत प्रताप' (मुरादाबाद), 'रसिक पत्रिका' एवं 'रसिक पंच' (कानपुर), 'भारतभूषण' (बनारस), 'बुन्देलखण्ड पंच' एवं 'संसार दर्पण' (झाँसी), तथा 'स्वतंत्र' (लखनऊ), 'सनाढ्योपकारक' (आगरा), 'माहेश्वरी' (हापुड़), 'वनिता हितैषी' (कानपुर), 'नाट्यपत्र' (प्रयागराज), 'सर्वहितैषी' (मुरादाबाद), 'वैश्यहितकारी' (मेरठ), 'जैन गजट' (सहारनपुर), 'जैन समाचार' (लखनऊ), 'ब्राह्मण समाचार' (हरदोई), 'दीनबन्धु' (फर्रुखाबाद), 'प्रश्नोत्तर' और 'कुसुमांजलि' (काशी), 'एलोपैथिक डाक्टर' (प्रयाग), 'विश्वकर्मा' (मथुरा), 'चतुर्वेदी' (आगरा) आदि पत्र प्रकाशित हुए। इन पत्रों में दैनिक 'हिन्दोस्तान' और 'नागरी नीरद' दोनों ने अपनी महत्ता के लिए पत्रकारिता के इतिहास में अक्षुण्ण भूमिका अदा की है। पत्र का प्रथम अंक 1885 में निकला। महामना पंडित मदनमोहन मालवीय इसके प्रधान सम्पादक थे। दैनिक हिन्दोस्तान पत्र का वार्षिक मूल्य रुपये दस था। दैनिक 'हिन्दोस्तान' के माध्यम से महामना मालवीय जी ने हिन्दी पत्रकारिता को मूल्यवान बना दिया। हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि का सबल समर्थन इस पत्र द्वारा निरंतर होता रहा।

इसी वर्ष 'नागरी-नीरद' नामक साप्ताहिक पत्र 'प्रेमधन' जी ने मिर्जापुर से निकाला। पत्रिका के स्तम्भों के नाम साहित्य, वर्षा और ऋतु सम्बन्धित हुआ करते थे। यथा– 'सम्पादकीय समिति समीर', 'हास्य हरितांकुर', 'काव्यामृतवर्षा', 'विज्ञापन वीर बहूटियाँ', 'नियम निर्घोष', 'सौदामिनी संदेश', 'अनुवादाम्बुप्रवाह', 'संग्रहसुरेन्द्रायुध' आदि। पत्र में राजनीति, सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षणिक आदि विषय चर्चित होते थे। हास-परिहास के लिए प्रहसन, चुटकुले तथा प्रश्नोत्तर होते थे। नागरी का प्रचार इस पत्र का मुख्य उद्देश्य था। 'गौड़ हितकारक' (मुरादाबाद), 'सनातन धर्मपताका' (मुरादाबाद), 'कवि और समालोचक' (बलिया), 'चन्द्रिका' (लखनऊ), 'त्रिवेणी तरंग' (प्रयागराज) का प्रकाशन वर्ष 1886 है। 1897 में 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' का प्रकाशन हुआ। यह शोध पत्रिका थी इसने हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य को नया जीवन प्रदान किया। यह त्रैमासिक थी। 1898 में 'आर्यमित्र' (मुरादाबाद) और 'कान्यकुब्ज हितकारी' (कानपुर) का प्रकाशन हुआ। 1899 में 'मथुरा-वैश्य सुखदायक' (मथुरा) और 'देशहितकारी' (मेरठ) पत्र निकले।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इस युग की पत्रकारिता ने युग चेतना का पर्याय बनकर नये युग का प्रवर्तन किया। हिन्दी भाषा के उत्थान-विकास और भारतीय समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अर्थात् समग्र चेतना के विकास में इस युग की पत्रकारिता का योगदान स्तुत्य है।

द्विवेदी युग (1900-1920)

हिन्दी साहित्य का द्विवेदी युग (महावीर प्रसाद द्विवेदी) अपनी साहित्यिक आदर्शवादिता के लिए प्रसिद्ध हुआ। इस युग की हिन्दी पत्रकारिता का मूल स्वर साहित्यिक होते हुए भी राष्ट्रीयता के उन्नयन की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रहारात्मक और राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण था। इस युग की साहित्यिक पत्रिका 'सरस्वती' का प्रकाशन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना है। तीसरे वर्ष में इसके सम्पादन का भार पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उठा लिया। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका का सम्पादन लगभग पन्द्रह वर्षों तक किया। उनके सम्पादन काल में 'सरस्वती' का सर्वांगीण विकास हुआ। यह वही अवधि है जिसको बाद में द्विवेदी युग की संज्ञा दी गई। 'सरस्वती' का प्रकाशन लगभग 80 वर्षों तक होता रहा। इसके अन्य सम्पादकों में– पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पंडित देवीदत्त शुक्ल और पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी प्रमुख हैं।

'सरस्वती' ने हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया। इसने लेखकों को लिखने की

कला का प्रशिक्षण दिया। सम्पादन तकनीक से लोगों को अवगत कराया। साहित्य, समाज और राजनीति से सम्बन्धित समस्त विषयों के लेखों का प्रकाशन किया। इस वर्ष के अन्य प्रकाशित पत्रों के नाम हैं– 'काव्यकलानिधि' (मिर्जापुर), 'सुदर्शन' (काशी), 'अवध समाचार' (लखनऊ), 'कर्तव्यसुधानिधि' (प्रयागराज), 'नूतन व्यापारी' (मेरठ), 'मित्र' (बनारस), 'जाट हितकारी' (आगरा), 'भारतहितोपदेशक मित्र' (बाराबंकी) और 'गोपाल पत्रिका' (लखनऊ) आदि। 'वसुन्धरा' का प्रकाशन वाराणसी से 1902 में हुआ। सम्पादक थे– रामदास वर्मा। सन् 1903 में 'कायस्थ कुल भास्कर' (इटावा), 'धर्मोपदेशक (बरेली), 'वाणिज्य सुखदायक' (काशी), 'रसिक लहरी' (कानपुर), 'सिपाही' (कानपुर), 'अंबला हितकारक' (मुरादाबाद), 'स्त्री दर्पण' (प्रयागराज), 'कवीन्द्र वाटिका' (प्रयागराज), 'धर्मपंच' (मेरठ), 'ब्राह्मण सर्वस्व' (इटावा) आदि पत्र निकले। सन् 1906 ई. में 'कनवजिया' (कानपुर), 'कलवार गजट' (मिर्जापुर), 'रसिक रहस्य' (जौनपुर), 'विनोद वाटिका' (काशी), 'छात्रहितैषी' (अलीगढ़), 'बालप्रभाकर' (बनारस), 'संसार मित्र' और 'वैदिक सर्वस्व' (प्रयाग) से प्रकाशित हुए।

सन् 1907 में प्रयागराज से मदनमोहन मालवीय के सम्पादकत्व में 'अभ्युदय' साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ। 'अभ्युदय' प्रदेश में उदार विचारों का प्रमुख पत्र बन गया था। कालान्तर में यह स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रवाह में प्रवाहित होकर क्रांतिकारियों का पक्षधर बन गया। इस पत्र के सम्पादकों में मालवीय जी के अलावा– पुरुषोत्तम दास टण्डन, सत्यानंद जोशी, कृष्णकांत मालवीय, वेंकटेशनारायण तिवारी, पद्मकांत मालवीय और पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी इसके सम्पादक रहे। 'अभ्युदय' ने अनेक राष्ट्रभक्त पत्रकारों को प्रशिक्षण प्रदान किया। इसी वर्ष 'अभ्युदय' के अतिरिक्त साप्ताहिक 'आनन्द' का प्रकाशन लखनऊ से हुआ। सम्पादक थे– पंडित शिवनाथ शर्मा। ये बड़े आनन्दी व्यक्ति थे। हँसी-दिल्लगी का लेख लिखने वाला उनके समान कोई नहीं हुआ। 1917 में यह दैनिक हो गया था। इस वर्ष अन्य प्रकाशित पत्रों में 'दयानन्द पत्रिका' (मेरठ), 'नागरीप्रचारक' (लखनऊ), 'सदुपकारी' (बरेली) और 'भारतभूमि' (मुरादाबाद) आदि हैं।

'सम्राट' (कालाकांकर), 'कलवार मित्र' (प्रयाग), 'खत्री हितकारी' (काशी), 'क्षत्रिय' (मेरठ) तथा 'व्यापारी व कारीगर' (काशी) पत्र सन् 1908 में निकले। सन् 1909 में 'कर्मयोगी' (प्रयागराज), 'देहाती' (आगरा), 'जहावी' (चुनार), 'कवि' (गोरखपुर), 'स्त्रीधर्मशिक्षक' (प्रयाग), और 'इन्दु' (वाराणसी) का प्रकाशन हुआ। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को उग्र स्वर प्रदान करने वाले पंडित सुन्दरलाल हैं। इन्हीं के सम्पादकत्व में 'कर्मयोगी' निकला। इसमें ऐसी रचनाएँ छपती थीं, जिसमें भूतकाल के भारत की महानता और उसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाया गया हो। 'इन्दु' मासिक का प्रथम अंक 1909 में निकला। यह उच्च कोटि का साहित्यिक पत्र था। सम्पादक थे– प्रसाद जी के भांजे श्री अंबिका प्रसाद गुप्त। 'इन्दु' पत्रिका को हिन्दी-साहित्यिक-संसार में लाने का श्रेय 'प्रसाद जी' को है, क्योंकि यह उन्हीं की प्रेरणा का फल था। प्रसाद का अधिकांश प्रारम्भिक साहित्य इसी पत्रिका के माध्यम से सामने आया। इसमें उनकी कविताएँ, लेख, कहानी, नाटक आदि प्रकाशित हुए। यहीं से उनके स्वच्छन्दतावादी जीवन-दर्शन एवं काव्यान्दोलन का निर्माण होता है। प्रसाद की काव्य साधना के विकास में 'इन्दु' का अविस्मरणीय योगदान है। इसने हिन्दी कविता की नई धारा के पथ को प्रशस्त किया। इसलिए हिन्दी काव्य विकास की धारा को ठीक से समझने के लिए 'इन्दु' की फाइलों का अनुशीलन अनिवार्य है।

'प्रताप' (कानपुर), 'कुलश्रेष्ठ' (अलीगढ़), 'नवजीवन' (काशी), 'प्रजाबंध' (मथुरा), 'सुधांश' (आगरा) का प्रकाशन सन् 1910 में हुआ। इसमें 'प्रताप' एक तेजस्वी पत्र था। इसके सम्पादक बाबू गणेश शंकर विद्यार्थी उत्साही नवयुवक थे। उन्होंने कुछ साथियों की सहायता से इसे निकाला था। थोड़े ही समय में 'प्रताप' ने हिन्दी पत्रकारिता में अपना स्थान बना लिया था। प्रताप का आफिस क्रान्तिकारियों का अड्डा था। अपने नीति-विषयक आदर्शों एवं उद्देश्यों से प्रतिबद्ध 'प्रताप' ने आगे चलकर ब्रिटिश शासन को कदम-कदम पर चुनौती दी और इसके लिए दण्ड भी भोगा।

'श्री सरयूपारीण' (प्रयागराज), 'वैष्णव सर्वस्व' (वृन्दावन), 'जमीनदार' (काशी), 'स्त्रीचिकित्सक' (प्रयागराज), 'भास्कर' (मेरठ), 'जीवन' (कानपुर), 'मर्यादा' (प्रयागराज) का प्रकाशन वर्ष सन् 1911 है। 'मर्यादा' का प्रकाशन पंडित मदन मोहन मालवीय के पुत्र कृष्णकान्त मालवीय ने किया था। कृष्णकान्त ही 'मर्यादा' के प्रथम सम्पादक थे। यह पत्रिका अपने नाम के गुणानुसार सामाजिक मर्यादा और राष्ट्रीय समस्याओं को अभिव्यक्त करते हुए विज्ञान विषयक सामग्री का भी प्रकाशन करती थी। 'आकाश दर्शन' स्तम्भ में ज्योतिष के आधार पर ग्रह नक्षत्रों की गणना मासिक रूप में की जाती थी। पत्रिका को नया स्वरूप प्रदान किया था बाबू सम्पूर्णानन्द ने। इनके द्वारा लिखे गये राजनीतिक लेख उस समय बहुत चर्चित हुए। इन्होंने छद्म नाम से भी लिखा। 'मर्यादा' में छपने वाले विशिष्ट नाम हैं– अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध', प्रेमचन्द, महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, रामदास गौड़ और कृष्णबिहारी मिश्र। जब सम्पूर्णानन्द जेल गये तो इसके सम्पादन का दायित्व प्रेमचन्द ने उठाया। प्रेमचन्द ने अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से 'मर्यादा' के कलेवर को सँवारा। पत्रिका का प्रकाशन सन् 1923 में बंद हो गया। सन् 1912 में 'प्रेम' (वृन्दावन), 'साहित्य समालोचक' (गोरखपुर) और 'वैश्य' (कानपुर) का प्रकाशन हुआ।

'कानपुर गजट' (कानपुर), 'यादवमित्र' (शिकोहाबाद), 'भारत महिला' (मेरठ), 'भारत नारी हितकारी' (मैनपुरी), 'स्त्री शिक्षा' (कानपुर), 'कन्या मनोरंजन' (प्रयागराज), 'कन्या सर्वस्व' (प्रयागराज), 'आरोग्य सिन्धु' (अलीगढ़), 'वनौषधि प्रकाश' (मेरठ), 'सम्मेलन पत्रिका' (प्रयागराज), 'देहाती' (उरई), 'प्रियंवदा' (मिर्जापुर) और 'हिन्दी साहित्य' (काशी) का प्रकाशन सन् 1913 ई. में हुआ। इन पत्रिकाओं में 'सम्मेलन पत्रिका' और 'प्रभा' का योगदान अविस्मरणीय है। यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से पंडित रामनरेश त्रिपाठी के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुई। पत्रिका की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसका प्रकाशन आज भी अबाध गति से हो रहा है। यह शोध पत्रिका है। इसका लोक संस्कृति विशेषांक बहुत ही चर्चित हुआ। इसके विशेषांकों में 'कला विशेषांक', 'गांधी-टण्डन स्मृति विशेषांक', 'श्रद्धांजलि विशेषांक', 'साहित्य-संस्कृति भाषा विशेषांक', 'जन्मशती विशेषांक' प्रमुख हैं। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पंडित कामता प्रसाद गुरु और पंडित पद्मसिंह शर्मा आदि साहित्य की अमूल्य निधि हैं।

'प्रभा' मासिक राजनीतिक पत्रिका थी। इसके सम्पादकों में गणेश शंकर विद्यार्थी, देवदत्त शर्मा और कृष्णदत्त पालीवाल थे। सन् 1914 में 'अवधवासी' (लखनऊ), 'राजभक्त' (काशी), 'अवध केसरी' (अयोध्या), 'देवनागर' (मेरठ), 'विद्यार्थी' (प्रयागराज), 'डिस्ट्रिक्ट गजट' (बुलन्दशहर), 'हलवाई वैश्य हितैषी' (काशी), 'गूजर हितकारी' (सहारनपुर), 'कृषि सुधार' (मैनपुरी) और 'कलाकुशल' (प्रयागराज) का प्रकाशन हुआ।

'प्रहलाद' (काशी), 'ब्रह्मभट्ट हितैषी' (कानपुर), 'हलवाई वैश्य संरक्षण' (काशी), 'पालीवाल ब्रह्मणोदय' (आगरा), 'चतुर्वेदी' (आगरा), 'विज्ञान' (प्रयागराज), 'डाक्टर' (मथुरा), 'सत्य समाचार' (वृन्दावन), 'तरंगिणी' (काशी), 'व्यापारी' (कानपुर) और 'बालबोध' (बनारस) का प्रकाशन 1915 में हुआ। 'विज्ञान' सार्वजनिक हित का एक अच्छा मासिक पत्र था। इसके सम्पादक थे– कवि पंडित श्रीधर पाठक। इस पत्रिका के अन्य सम्पादकों में– गोपाल प्रसाद भार्गव, ब्रजराज, रामदास गौड़, सत्यप्रकाश युधिष्ठिर भार्गव और गोरखनाथ के नाम हैं। इसका प्रकाशन प्रयागराज की विज्ञान परिषद् करती थी। हिन्दी भाषा वालों को विज्ञान का ज्ञान कराने में पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान है।

सन् 1916 में 'मथुरा समाचार' (मथुरा), 'वैद्य सम्मेलन पत्रिका' (प्रयागराज), 'सुधावर्षक' (अलीगढ़), 'सर्वशिक्षक' (प्रयागराज), 'माथुर वैश्य हितकारी' (आगरा), और 'जैन मार्तण्ड' (हाथरस) पत्र निकले। 'आनन्द' दैनिक (लखनऊ), 'निर्बल सेवक' (बिजनौर), 'भारतबन्धु' (हाथरस), 'बालसखा' (प्रयागराज), 'समाज' (प्रयागराज), 'स्कूल मास्टर' (अलीगढ़), और 'चिकित्सक' (कानपुर) पत्रों का प्रकाशन वर्ष सन् 1917 है। सन् 1918 में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम हैं– 'सूर्य' (काशी), 'आनन्द प्रचारक' (मथुरा), 'कानपुर समाचार' (कानपुर), 'ब्रह्मऋषि' (मेरठ), 'उत्साह' (जालौन), 'मथुरा गजट' (मथुरा), 'सत्यसेतु'

(शाहजहाँपुर), 'कालिन्दी' (रामनगर, बनारस), 'भारतीय' (लखनऊ), 'ललिता' (मेरठ), 'विश्वविद्या प्रचारक' (लखनऊ), 'ब्रह्मशक्ति' (बनारस), 'आर्य महिला' (बनारस), 'सत्यवादी' (आगरा), 'अहीर समाचार' (शिकोहाबाद), 'जैनपथ प्रदर्शक' (आगरा), 'जैसवाल जैन' (आगरा), 'कायस्थ महिला हितैषी' (अयोध्या) आदि। 'भविष्य' (प्रयागराज), 'गौड़ समाचार' (मैनपुरी), 'संन्यासी' (प्रयागराज), 'व्यापार' (लखनऊ), 'अग्रवाल बन्धु' (आगरा), 'बरनवाल चन्द्रिका' (मुरादाबाद), 'त्यागी ब्राह्मण' (मेरठ), 'धर्माभ्युदय' (आगरा), 'बिजली' (इटावा), 'सेवा' (प्रयागराज), 'संसार' (कानपुर), 'किसान' (फतेहपुर), 'प्रहलाद' (काशी), 'औदुम्बर' (काशी), 'स्वदेश' (गोरखपुर) आदि पत्र 1919 में निकले। इसी वर्ष के उल्लेखनीय मासिकों में– काशी से 'स्वार्थ' और कानपुर के 'हिन्दी मनोरंजन' का हिन्दी पत्रकारिता में विशिष्ट स्थान है।

राष्ट्रीय आन्दोलन को वाणी देने वाला पत्र 'स्वदेश' का प्रकाशन 6 अप्रैल, 1919 को गोरखपुर से हुआ। उग्र विचारों एवं स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की भावना के कारण 'स्वदेश' को जन्म से मृत्यु तक सरकारी कोप दृष्टि का शिकार होना पड़ा। प्रकाशन के पूर्व ही इससे 500 रुपये की जमानत माँगी गई थी। इस प्रकार द्विवेदी युगीन हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास से अधिक निकट है। इस युग ने आन्दोलन के विभिन्न स्वरूपों यथा– समाचारों, नेताओं के संदेशों, दमन और अत्याचारों और स्वयंसेवकों की गिरफ्तारियों के विवरण के प्रकाशन के साथ ही हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में उत्प्रेरित करने वाले लेखों, कविताओं, कहानियों और सम्पादकीय टिप्पणियों, अग्रलेखों के माध्यम से लोक भावना को उत्तेजित कर उसे स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का श्रेय प्राप्त किया। इस युग की हिन्दी पत्रकारिता ने साहित्य के क्षेत्र में भी नये-नये प्रयोग किये।

गांधी या छायावाद युग (1920-1947)

सन् 1920 में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम हैं– 'आज' (वाराणसी)), 'वर्तमान' (कानपुर), 'लोकमत' (कानपुर), 'सुधाकर' (आगरा), 'हिन्दुस्तानी अखबार (प्रयागराज), 'स्वराज्य' अर्द्धसाप्ताहिक (बिजनौर), 'जुझोतिया प्रभा' (झाँसी), ''वैश्यबन्धु' (काशी), 'अग्रवाल लोहिया हितैषी' (आगरा), 'स्वार्थ' (काशी), 'प्रेमबन्धु' (कानपुर), 'विश्वभूषण' (अयोध्या), 'किसान' (उन्नाव), 'आर्यदर्श' (बस्ती), 'अहिंसा समाचार' (काशी) और 'अवध प्रकाश' या 'स्वदेशेन्दु' (अयोध्या), 'भविष्य दैनिक' (प्रयागराज) आदि।

उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को उन्नत और विकसित करने, उसके आदर्श स्वरूप की प्राप्ति करने तथा स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में पूर्ण आहुति देने हेतु काशी से हिन्दी दैनिक 'आज' का प्रकाशन 5 सितम्बर 1920 को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इसके जन्मदाता श्री शिवप्रसाद गुप्त थे। गुप्तजी 'आज' को लंदन के 'टाइम्स' जैसा बनाना चाहते थे। पत्र के प्रथम सम्पादक थे श्रीप्रकाश जी। उन्होंने दो वर्षों तक इसका सम्पादन किया। इसके बाद बाबूराव विष्णु पराड़कर ने 1923 से 1955 की जनवरी तक सम्पादन कार्य संभाला। तत्पश्चात् पत्र के सम्पादकों में थे– पंडित कमलापति त्रिपाठी, श्रीकांत ठाकुर, रामकृष्ण, रघुनाथ खाडिलकर, विद्याभास्कर, सत्येन्द्र कुमार गुप्त और शार्दूल विक्रम गुप्त। दैनिक 'आज' राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख पत्र था। सन् 1920 से 1947 तक के बीच यह स्वतंत्रता आन्दोलन का एक दस्तावेज है। 'आज' हिन्दी भाषा और वर्तनी में एकता लाने हेतु सतत प्रयत्नशील था। पत्रकारिता में समाचार लिखने की समस्त तकनीक का जीता-जागता उदाहरण है 'आज'। केवल काशी से निकलने वाला 'आज' अब लगभग एक दर्जन स्थानों से निकल रहा है। ज्ञान मण्डल काशी से निकलने वाला 'स्वार्थ' भी अद्वितीय पत्र था। पत्र का विषय अर्थशास्त्र से सम्बन्धित हुआ करता था। इससे पूर्व इस विषय पर कोई स्वतंत्र पत्र नहीं था। सम्पादक थे– पंडित जीवन शंकर याज्ञिक।

'वर्तमान' दैनिक के सम्पादक– पंडित रमाशंकर अवस्थी थे। सरकारी सूत्र के अनुसार 'वर्तमान' का प्रकाशन 22 अक्टूबर, 1920 को असहयोग आन्दोलन को व्यापक समर्थन प्रदान करने हेतु हुआ था। सरकार ने इस पत्र को उग्रवादी पत्रों की सूची में रखा था। यह उग्रवादी प्रकाशनों के लिए विख्यात था। राजनीतिक जागृति के परिणामस्वरूप जहाँ पत्रों के प्रकाशन में तेजी आई वहीं उनकी प्रसार संख्या में भी वृद्धि हुई। 1920

में 'आज' और 'भविष्य' की दो-दो हजार तथा 'प्रताप' और 'वर्तमान' की तीन-तीन हजार प्रसार संख्या हो गई थी। फलस्वरूप जन-जीवन में राजनीतिक जागरूकता की वृद्धि हुई। 'कर्तव्य' (इटावा), 'किसान' (प्रयागराज), 'महिला समाचार' (फतेहपुर), 'नाई मित्र' (झाँसी), 'राष्ट्रीय अध्यापक' (कानपुर), 'नाई ब्राह्मण' (कानपुर), 'तिलक' (आगरा) और 'शिल्प समाचार' (कन्नौज) पत्र सन् 1921 में निकले। इनमें ऐसा कोई पत्र नहीं था, जिसकी दृष्टि का विस्तार विस्तीर्ण हो। सन् 1922 में 'अध्यापक' (मुरादाबाद), 'ब्रजवासी' (मथुरा), 'हिन्दुस्तान' (अलीगढ़), 'जैन केसरी' (हाथरस), 'जीवन' (मथुरा), 'क्षत्रिय वीर' (पौड़ी), 'लोकमान्य' (बाँदा), 'लोकमत' (उरई), 'मातृभूमि' (कानपुर), 'सत्यवादी' (अलीगढ़), 'विक्रम' (कानपुर), 'कवि' (गोरखपुर), 'निर्भय' (मैनपुरी), 'परिवर्तन' (कानपुर), 'नवयुग' (प्रयागराज), 'हिन्दू गजट' (सहारनपुर), 'देवेन्द्र' (लखनऊ), 'हिन्दी आउटलुक' (लखनऊ), 'स्वाधीन' (झाँसी), 'देवदर्शन' (प्रयाग), 'महान लोधी राजपूत धर्मपताका' (आगरा), 'झाँसी समाचार' (झाँसी), 'मिर्जापुर समाचार' (मिर्जापुर), 'भारत धर्मनेता' (काशी), 'रजकबन्धु' (प्रयागराज), 'मस्ताना जोगी' (कानपुर), 'कपटसखा' (कानपुर), 'छात्र हितैषी' (अलीगढ़), 'उद्यम' (झाँसी), 'मार्तण्ड' (कानपुर), 'मुनि' (झाँसी), 'माधुरी' (लखनऊ) और 'चाँद मासिक' (प्रयागराज) का प्रकाशन हुआ था।

स्वदेशी और असहयोग आन्दोलन के समर्थन में हुआ था 'ब्रजवासी' का प्रकाशन। पत्र की नीति उदारवादी होते हुए भी कभी-कभी उग्र हो जाती थी। 'कवि' मासिक एक साहित्यिक पत्रिका थी। 'लोकमान्य' राजनीति प्रधान पत्र था। सम्पादक थे, नंदकिशोर वर्मा। उन्हें असहयोग आन्दोलन के प्रसंग में एक वर्ष के कारावास का दण्ड मिला था। 'लोकमत' और 'नवयुग' दोनों असहयोग आन्दोलन तथा गांधी जी के आन्दोलन के प्रसार हेतु निकले थे। इसी वर्ष जुलाई, 1922 से मासिक पत्रिका 'माधुरी' का प्रकाशन लखनऊ से हुआ। नवलकिशोर प्रेस के मालिक विष्णुनारायण भार्गव की प्रेरणा से यह पत्रिका निकली। पत्रिका पूर्णरूपेण साहित्यिक थी। इसका उद्देश्य था– उच्च कोटि के स्थायी साहित्य को प्रस्तुत करना। पत्रिका के मुखपृष्ठ पर 'विविध विषय– विभूषित, साहित्य-सम्बन्धी सचित्र मासिक' लिखा जाता था। साप्ताहिक 'चाँद' इसी वर्ष नवम्बर से मासिक हो गया था। मासिक 'चाँद' के प्रथम सम्पादक श्री रामरख सिंह सहगल थे और संचालिका थी– श्रीमती विद्यावती सहगल। यह प्रयाग से निकला था। पत्र के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था।

पत्र के सम्पादकों के नाम हैं– श्री नन्द किशोर तिवारी, शुकदेवराय, चण्डीप्रसाद 'हृदयेश', मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव और महादेवी वर्मा। चाँद ने प्रथम बार विशेषांकों की धूम मचा दी थी। इनमें प्रमुख विशेषांक हैं– 'गेल्पांक', 'महिला अंक', 'विधवांक', 'शिशु अंक', 'प्रवासी अंक', 'अछूतांक', 'पत्रांक', 'फाँसी अंक', 'मारवाड़ी विशेषांक', 'विदुषी अंक' और 'भारत वर्ष अंक' आदि। 'चाँद' ने साहित्यिकता के आवरण में राजनीतिक, स्त्री-शिक्षा, सामाजिक सुधार आदि विषयों पर उत्कृष्ट सामग्रियों का प्रकाशन कर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता में एक नये कीर्ति स्तम्भ की स्थापना की। प्रारम्भ में पत्र का स्वर राजनीतिक कम, सामाजिक सुधार का अधिक था, परन्तु बाद में स्वतंत्रता संग्राम के उग्र प्रवाह में यह क्रांतिकारी विचारों की प्रमुख पत्रिका हो गई। पत्र के 'फाँसी अंक' का प्रकाशन एक ऐतिहासिक घटना थी।

सन् 1923 में प्रकाशित होने वाले पत्र हैं– 'वंदे मातरम्' (फतेहपुर), 'लक्ष्मण' (लखनऊ), 'उत्साह' (झाँसी), 'बुन्देलखण्ड केसरी' (बाँदा), 'स्वच्छन्द' (अलीगढ़), 'स्वाधीन' (फर्रुखाबाद), 'सुखमार्ग' (अलीगढ़), 'अरुणोदय' (मिर्जापुर), 'राष्ट्र' (लखनऊ), 'पुरुषार्थ' (बाराबंकी), 'नैया' (झाँसी), 'नवयुग' (आगरा), 'महिला सुधार' (कानपुर), 'कृषक राजबंधु' (सीतापुर), 'भारतवर्ष' (गोरखपुर), 'झाँसी समाचार' (झाँसी), 'ग्रामवासी' (इलाहाबाद), 'हमदर्द' (कानपुर), 'देशभक्त' (आगरा), 'देहाती' (उरई), 'दीपक' (अयोध्या), 'मातृभूमि' (मेरठ), 'भारत धर्म' (काशी) आदि। 'प्रेत' (लखनऊ), 'मजदूर' (कानपुर), 'किसान' (कानपुर), 'वीर' (बिजनौर), 'साहस' (झाँसी), 'ब्राह्मण हितैषी' (मैनपुरी), 'देशदूत' (काशी), 'कैलाश' (मुरादाबाद), 'ब्रजवासी' (मथुरा), 'भविष्य' (कानपुर), 'महावीर' (सहारनपुर), 'लोकमान्य' (बाँदा), 'वीरेन्द्र' (जालौन), 'हलधर'

(इटावा), 'स्वाधीन' (झाँसी), 'नवयुग' (कानपुर), 'स्वास्थ्य', 'आरोग्य' (कानपुर), 'सिविल सर्जन' (सहारनपुर), 'अध्यापक' (बाराबंकी), 'भूगोल' (प्रयागराज), 'कवीन्द्र' और 'सहारनपुर' (कानपुर), 'हिन्दी पुष्कर' (बरेली), 'रंगमंच' (बरेली), 'मनोरमा' (प्रयागराज), 'साम्यवादी' (कानपुर), 'महिलासर्वस्व' (अलीगढ़), 'उत्साह' (काशी), 'योग प्रचारक' (काशी), 'साहित्य' (कानपुर), 'कृषक राज बन्धु' (लखनऊ), 'मजदूर' (कानपुर), 'शैतान' (लखनऊ) आदि पत्र सन् 1924 में प्रकाशित हुए।

इन पत्रों में 'मनोरमा' साहित्यिक पत्रिका थी। इसके सम्पादक थे श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल'। यह विविध विषय विभूषित 'सचित्र मासिक' पत्रिका थी। इस पत्रिका में लेखों के विषय अत्यन्त गंभीर होते थे। शिक्षाप्रद कविताएँ, सुन्दर तिरंगे भावपूर्ण चित्र, कार्टून तथा पहेलियाँ, मनोरंजक कहानियाँ, वैज्ञानिक विचार और प्रहसन इत्यादि अधिक सुन्दर और मनोरंजक निकलते थे। महिलाओं और बालकों के मनोरंजन हेतु इसमें विशेष सामग्री प्रकाशित होती थी। पत्रिका में प्रकाशित होने वाले स्तम्भों के नाम हैं – बालवाटिका, कुसुमकुंज, वनिता विनोद, संगीत आदि।

सन् 1925 में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम हैं– 'आर्यमित्र' (आगरा), 'नवयुग' (कानपुर), 'जाटवीर' (आगरा), 'प्राणरक्षा' (मथुरा), 'जीवन' (मथुरा), 'सैनिक' (आगरा), 'यादव' (गोरखपुर), 'अध्यापक' (मुरादाबाद), 'ग्राम सुधार' (मैनपुरी), 'मिर्जापुर गजट' (मिर्जापुर), 'भारत पुत्र' (हाथरस), 'हरदोई डिस्ट्रिक्ट गजट' (हरदोई), 'कुर्मी क्षत्रिय दिवाकर' (काशी), 'मौर्य भाष्कर' (लखनऊ), 'माथुर पत्रिका', 'माथुर क्षत्रिय' (आगरा), 'विश्वकर्मा' (कानपुर), 'वैश्यहितकारी' (मेरठ), 'आयुर्वेद केसरी' (कानपुर), 'आयुर्वेद समाचार' (मेरठ), 'धनवन्तरि' (अलीगढ़), 'वैद्यकल्पद्रुम' (हमीरपुर), 'आधुनिक धन्वन्तरि' (कानपुर), 'राजवैद्या' (प्रयाग), 'डाक्टर' (बरेली), 'कला-कौशल' (कानपुर), 'मातृभूमि' (झाँसी), 'खद्दर' (कानपुर), 'व्यापारिक संसार' (हाथरस) आदि।

इन पत्रों में 'सैनिक' का निकलना हिन्दी पत्रकारिता के लिए गौरव की बात है। 'सैनिक' का प्रकाशन आगरा से श्री कृष्णदत्त पालीवाल ने जून, 1925 को आरम्भ किया था। प्रारम्भ में इसका स्वरूप साप्ताहिक था और यह स्वराज्य पार्टी का पत्र था। इसमें राजनीतिक एवं किसान सभा के विवरण प्रकाशित होते थे। कालान्तर में यह स्वतंत्रता संग्राम का संवाहक बना। सरकार की निगाह इस पत्र पर लगी रहती थी। इस विचार-धारा के पोषक अन्य पत्र थे– 'नवयुग', 'भारतपुत्र', 'मातृभूमि' और 'खद्दर' आदि। सन् 1927 में निकलने वाले प्रमुख पत्रों के नाम हैं– 'सुधा', 'विवेक', 'भारतवर्ष', 'समय'। 'सुधा' का प्रथम अंक अगस्त, 1927 में प्रकाशित हुआ था। यह मासिक पत्रिका थी। सम्पादक थे– पंडित रूपनारायण पाण्डेय और दुलारेलाल भार्गव। यह मुख्यतः साहित्यिक पत्रिका थी, पर राजनीतिक, सामाजिक आदि विषयों पर भी लेख छपते थे। 'सुधा' के प्रत्येक महीने में व्यंग्य-चित्रावली अवश्य रहती थी। इनके विषय कभी सामाजिक, कभी साहित्यिक एवं कभी धार्मिक और कभी संस्कृति से संबंधित होते थे। यह पत्रिका राजनीति के प्रति कितनी जागरूक थी, इसका पता उसके 'कार्टून विशेषांक' का अवलोकन करने से पता चलता है। वैसे तो इस विशेषांक में लेख, कहानी, कविता एवं हास्य-व्यंग्य पर सामग्री पर्याप्त रूप से थी, फिर भी कार्टूनों (व्यंग्य चित्रों) की अधिकता ने इस अंक को 'कार्टून विशेषांक' बना दिया। राष्ट्रीय भावधारा का प्रबल समर्थक साप्ताहिक 'समय' का प्रकाशन जौनपुर से बाबू रामेश्वर प्रसाद सिंह के सम्पादकत्व में 25 अक्टूबर, 1927 को हुआ था। 'समय' एक प्रगतिशील राजनीतिक विचारों का संवाहक पत्र था।

सन् 1928 में पत्रकारिता के प्रकाशन में एक नया निखार आया जिसके नाते प्रदेश के विभिन्न अंचल से अनेक उत्कृष्ट पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। इसी वर्ष लीडर प्रेस प्रयागराज से 'भारत' (साप्ताहिक), बलिया से 'बलिया गजट', उरई से 'लोकमत', इटावा से 'सुधाकर', मिर्जापुर से 'माधव' और झाँसी से धार्मिक पत्र 'अहिंसा' का प्रकाशन हुआ था। काव्य पत्रिका 'सुकवि' का प्रकाशन भी इसी वर्ष अप्रैल 1928 में शुरू हुआ। पत्रिका में उच्च कोटि के कवियों की कविताएँ प्रकाशित होती थीं। कुछ दिनों बाद 'सुकवि' स्वतंत्रता संग्राम

के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवादी एवं स्वतंत्रता प्रेमियों का मंच बन गया। उग्र कविताओं का प्रकाशन होता था। वैसे तो 'सुकवि' पूर्ण काव्य पत्रिका थी। पर तत्कालीन पत्रिकाओं ने अपने समय की आवश्यकता के अनुरूप अनेक विषयों से संबंधित सामग्री प्रकाशित की। साप्ताहिक 'मजदूर' का प्रकाशन वर्ष 1928 ही है। सम्पादक थे– गणेश शंकर विद्यार्थी। यह साम्यवादी विचारों से प्रभावित पत्र था। इसी वर्ष झाँसी से 'क्रान्तिकारी' का प्रकाशन हुआ। सम्पादक कृष्ण गोपाल शर्मा के प्रकाशित निम्न विचारों से पत्र की रुझान समझ में आ जाती है– ''हम क्रान्तिकारी हैं। हम क्रान्ति की शपथ ले चुके हैं। अब हम विश्व में एक नई आग को दहकायेंगे। हम अन्याय के शासन को उखाड़ फेकेंगे और पाप की नौका को समुद्र में डुबा देंगे। भाइयों जागो ! बहुत सो चुके। आलस्य छोड़ो और हमारे झण्डे के नीचे आओ। विरोधियों ध्यान रहे, हमारे सामने मत आओ, हमारे मार्ग में व्यवधान मत बनो।'' हिन्दी पत्रकारिता के विकास की दृष्टि से सन् 1929 का वर्ष और ही अनुकूल माना गया। इस वर्ष प्रकाशित होने वाले पत्र हैं– 'कांग्रेस समाचार' (प्रयागराज), 'खिचड़ी समाचार' एवं 'लहरी' (काशी), मासिक 'माया' (प्रयागराज), 'मतवाला' (मिर्जापुर), 'समय' (जौनपुर), 'संसार' (बलिया), 'सुदर्शन' (एटा) और 'श्रीकृष्ण संदेश' (काशी) आदि। सन् 1930 में 'हंस' (काशी), 'सत्याग्रह समाचार' (प्रयागराज), 'भविष्य' (प्रयागराज) और साइक्लोस्टाइल क्रान्तिकारी पत्रों में 'रणभेरी' (बनारस), 'रणडंका', 'रणचण्डी', 'बहिष्कार', 'चण्डिका', 'ज्वालामुखी', 'चिनगारी', 'तूफान', 'शंखनाद' आदि का प्रकाशन हुआ।

'हंस' का सम्पादन मार्च, 1930 में बनारस से लोकमानस को परखने वाले कथाकार प्रेमचन्द के सम्पादकत्व में हुआ। इसके सम्पादकों में श्रीमती शिवरानी देवी, जैनेन्द्र कुमार और श्रीपत राय प्रमुख थे। 'हंस' का जन्म भी स्वाधीनता के उद्देश्य से प्रेरित था। इस पत्रिका के तीन विशेषांक– 'आत्मकथांक', 'काशी अंक' और 'आचार्य द्विवेदी अभिनन्दनांक' अपने में एक से बढ़कर एक हैं। इसके 'रेखाचित्रांक', 'स्वदेशांक' नामक दो विशेषांक और प्रकाशित हुए। 'हंस' अपने प्रारम्भिक दो दशकों तक निकलता रहा। तदोपरान्त बंद होने पर फिर 1985 से बराबर निकल रहा है। 'सत्याग्रह समाचार' का प्रकाशन मार्च-अप्रैल 1930 में इलाहाबाद से हुआ था। सत्याग्रह कमेटी, प्रयागराज का यह दैनिक पत्र था। सम्पादक श्री बैजनाथ कपूर थे। ये कानून के विशेषज्ञ थे। पत्र की साप्ताहिक प्रसार संख्या 1500 थी। इसकी अधिसंख्य प्रतियाँ ग्रामीण अंचलों में प्रसारित होती थीं। इसका मुख्य उद्देश्य सस्ते मूल्य पर गाँवों में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समाचारों को प्रसारित करना और कांग्रेस की गतिविधियों के प्रति जनसमर्थन जुटाना था।

इसी वर्ष साप्ताहिक 'भविष्य' का प्रकाशन प्रयागराज से श्री रामरख सिंह सहगल के सम्पादकत्व में हुआ। पत्र प्रकाशन का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में आहुति देना था। सन् 1930 में ही प्रेस आर्डिनेन्स के परिणामस्वरूप सभी हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन स्थगित हो गया था। उस समय प्रदेश के विभिन्न अंचलों से जनता को देश-दशा से अवगत रखने एवं प्रेरणा देने के लिए भूमिगत पत्रकारिता प्रारम्भ की गई। 1930 में जमानत माँगे जाने के फलस्वरूप 'आज' और 'सत्याग्रह समाचार' नाम से निकले तो, पर ये साइक्लोस्टाइल रूप में थे। प्रान्तीय सरकार ने साइक्लोस्टाइल 'सत्याग्रह समाचार' से भी 9 जून 1930 को 2,000 रुपये की जमानत माँगी। बाद में जब इस तरह के साइक्लोस्टाइल पत्रों से भी संबंधित एक और प्रेस अध्यादेश की घोषणा की गई। इसके अनुसार सरकारी अधिकारियों को तलाशी, पत्र-पत्रिकाओं की जब्ती, उन्हें नष्ट करने और अघोषित छापाखानों को जब्त करने आदि का भी अधिकार प्रदान किया गया। साइक्लोस्टाइल पत्रों में सर्वाधिक महत्व 'रणभेरी' का है। 'रणभेरी' का समस्त मैटर पराड़कर जी लिखते थे। दाम एक पैसा था। इसके संचालन एवं लेखन मंडल में – रामचन्द्र वर्मा, विश्वनाथ शर्मा, दुर्गा प्रसाद खत्री, दिनेश दत्त झा, उमाशंकर, आचार्य नरेन्द्र देव और कालिका प्रसाद तथा अन्य रूप से सम्बद्ध कई लोग थे। 'रणभेरी' पत्र और उसके उपकरण का पता लगाने के लिए पुलिस ने एड़ी-चोटी का पसीना एक कर दिया था, परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। बनारस से ही 'रणडंका' का भी प्रकाशन हुआ था। इसका सम्पादक एक सैनिक था।

'चिनगारी' पत्र ने भी युवकों का आह्वान किया था– ''समर की रणभेरी बज रही है। वीर सैनिक तिरंगा

राष्ट्रीय झंडा लिए हुए युद्ध क्षेत्र में वीरतापूर्वक बढ़ रहे हैं। भारत के नवयुवकों को यह निश्चय करना है कि युद्ध क्षेत्र में उनका स्थान कहाँ है ? और उस स्थान पर डट जाना है। इसलिए प्रश्न है कि भारत माँ का बंधन कौन काटेगा ? कौन रोती माँ के आँसू पोछेगा।'' इस प्रकार स्वतंत्रता आन्दोलन में इन साइक्लोस्टाइल पत्रों का योगदान अविस्मरणीय है। स्वतंत्रता प्राप्ति की अदम्य लालसा ने उत्तर प्रदेश के हिन्दी पत्रों को कष्ट सहन करने की अद्‌भुत शक्ति और साहस प्रदान कर दिया था जिसके नाते सन् 1932 में उत्तर प्रदेश से 11 पत्रों का प्रकाशन हुआ– 'आदर्श' (खीरी), 'आदेश' (आगरा), 'जागरण' (बनारस), 'जाग्रति' (गोरखपुर), 'कुमार' (कालाकांकर), 'अवध' (प्रतापगढ़), 'प्रताप दैनिक' (कानपुर), 'संदेश' (मेरठ), 'त्रिशूल' (कानपुर), 'वीरभूमि' (झाँसी) और 'वोटर' (कानपुर)। इसमें पाक्षिक एवं साप्ताहिक 'जागरण' का विशेष महत्व है। पाक्षिक 'जागरण' का प्रकाशन 11 फरवरी सन् 1932 को हुआ। सम्पादक थे– आचार्य शिवपूजन सहाय। इसके मुखपृष्ठ पर 'साहित्यिक-पाक्षिक पत्र' लिखा होता था। पाक्षिक 'जागरण' एक वर्ष निकलने के बाद साप्ताहिक रूप में प्रेमचन्द के सम्पादकत्व में निकला। पत्र का प्रकाशन स्थल काशी था। साप्ताहिक 'जागरण' का प्रथम अंक 22 अगस्त, 1932 को निकला। राजनीतिक विचारों के प्रकाशन के लिए इसमें कहानियाँ प्रकाशित होती थीं। 26 अक्टूबर, 1932 के अंक में 'उसका अंत' शीर्षक क्रांतिकारी कहानी प्रकाशन के कारण 'जागरण' से भी जमानत माँगी गई। इस वर्ष हिन्दी के 24 पत्रों का प्रकाशन हमेशा के लिए बंद हो गया। 'जागरण' साप्ताहिक भी अधिक दिनों तक नहीं चल सका। 21 मई, 1934 को वह हमेशा के लिए बन्द हो गया। 'जागरण' अपने दोनों रूपों में शुद्ध साहित्यिक पत्र था।

सन् 1933 में उत्तर प्रदेश से 31 नयी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिनमें प्रमुख हैं– 'अभिनव' (कानपुर), 'अधिकार' (लखनऊ), 'आशा' (अलीगढ़), 'विशनोई समाचार' (बिजनौर), 'बुन्देलखण्ड केशरी', 'दलितोदय' (कानपुर), 'हिन्दू' (कानपुर), 'जन्मभूमि' (इटावा), 'क्षत्रिय सेवक' (आगरा), 'क्षत्रिय वीर' (आगरा), 'मदारी' (प्रयागराज), 'मातृभूमि' (झाँसी), 'मिलन' (बुलन्दशहर), 'निर्भीक' (हरदोई), 'निष्काम' (मेरठ), 'पालीवाल एवं प्रभात' (अलीगढ़), 'प्रभात' (बलिया), 'राजपूत' (आगरा), 'स्वदेशी' (प्रयागराज), 'तपोभूमि' (मेरठ), 'विकास' (सहारनपुर), 'विश्वबंधु' (सहारनपुर), 'विश्ववाणी' (शाहजहाँपुर) आदि। हिन्दी पत्रकारिता के विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष 1936-37 है। इस वर्ष 41 पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिसमें प्रमुख हैं– 'आजकल' (प्रयागराज), 'आलोक' (सहारनपुर), 'बिगुल' (लखनऊ), 'चन्द' (सहारनपुर), 'दिग्विजय' (इटावा), 'दूत' (प्रयागराज), 'ग्रामसेवक' (खीरी), 'हिन्दी मिलाप' (बाराबंकी), 'जीवन' (आगरा), 'कर्मधर्म' (झाँसी), 'किसान बंधु' (गोरखपुर), 'नई दुनिया' (आगरा), 'अवधवासी' (बाराबंकी), 'प्रभाकर' (आगरा), 'प्रभात' (मेरठ), 'प्रेमसुधा' (आगरा), 'पंच' (प्रयागराज), 'रोटी' (बिजनौर), 'सत्यवक्ता' (झाँसी), 'शंकर' (गोरखपुर), 'स्वतंत्र' (प्रयागराज), 'उदय' (कानपुर), 'उत्थान' (प्रयागराज), 'वसुंधरा' (बनारस), 'विजय' (लखनऊ) आदि महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाएँ हैं। सन् 1937 ई. में उत्तर प्रदेश से हिन्दी के अनेक पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिनमें– 'दरबार' (प्रयागराज), 'दर्शक' (उरई), 'ग्राम संदेश' (रायबरेली), 'संग्राम' (उन्नाव), 'संघर्ष' (लखनऊ), 'शंखनाद' (कानपुर), 'विश्वबन्धु' (सुलतानपुर) एवं 'विश्वास' (सहारनपुर) आदि पत्र-पत्रिकाएँ उल्लेखनीय हैं। ये सभी पत्र कांग्रेस नीति के समर्थक थे।

1938 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों से अत्यधिक महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। इस वर्ष दैनिक 'आज' का साप्ताहिक रूप 18 जुलाई, 1938 से श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव के सम्पादकत्व में निकला। साप्ताहिक 'आज' उस समय का सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक पत्र था, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर लेख होते थे। विदेशी समाचारों से सम्बन्धित दो नेताओं या प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र होते थे। व्यंग्य चित्रों का प्रकाशन भी होता था। इस वर्ष का दूसरा साप्ताहिक पत्र 'देशभक्त' प्रयाग से श्रीनाथ सिंह के सम्पादकत्व में निकला। पत्र के प्रथम अंक में पत्र की नीति का निर्धारण करते हुए लिखा– ''इसमें संसार के समाचारों का सार, विचारों का निचोड़ और व्यक्तियों आदि की चर्चा के साथ-साथ भारत के राष्ट्रीय और प्रगतिशील जीवन की झाँकी रहेगी।''

पत्र के विशेषांकों में प्रमुख विशेषांक हैं– 'किसान अंक', 'कांग्रेस अंक', 'साक्षरता अंक'। प्रयागराज से इसी वर्ष प्रकाशित होने वाले अन्य पत्र हैं– 'पंच', 'विजय', 'न्याय'। इस वर्ष 'अधिकार' साप्ताहिक का प्रकाशन फतेहगढ़ से हुआ। इसके मुखपृष्ठ पर तिलक का उद्घोष 'स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' मुद्रित होता था। यह किसानों और मजदूरों की पत्रिका थी, जिसमें क्रान्तिकारी के चित्र तथा उन पर विशेष सामग्री का प्रकाशन होता था। 'विप्लव' का प्रकाशन भी इसी वर्ष हुआ। यह लखनऊ से प्रसिद्ध क्रान्तिकारी यशपाल के सम्पादकत्व में निकली। यह अति उग्र विचारों की राजनीतिक पत्रिका थी जिसके मुखपृष्ठ पर 'तुम करो शांति-समता प्रसार, विप्लव का अपना अनल गान' नीति वाक्य छपता था। पत्र का 'चन्द्रशेखर आजाद अंक' जो क्रांति गाथाओं से परिपूर्ण था, निःसंदेह संग्रहणीय है। इसका प्रकाशन अप्रैल 1940 तक होता रहा है।

सन् 1939 में 'कर्मयोगी' का प्रकाशन प्रयागराज से रामरख सहगल के सम्पादकत्व में हुआ। यह मासिक पत्र था। साप्ताहिक 'वीरभारत' का प्रकाशन बस्ती से हुआ। इसमें राष्ट्रीय विचारों के लेख एवं कविताएँ प्रकाशित होती हैं। मुखपृष्ठ पर 'आवो प्यारे वीरों आवो, मातृभूमि पर बलि-बलि जावो' शीर्षक पंक्तियाँ पत्र की राष्ट्रीय भावना की परिचायक हैं। इस वर्ष के अन्य पत्रों में– 'कमला', 'अग्रगामी', 'मेरठ टाइम्स' (मेरठ), 'नवसंदेश' (आगरा), 'चकल्लस' (लखनऊ), 'हलचल' (गोण्डा), 'प्रकाश' (लखनऊ), 'ताजा तार' (आगरा), 'सत्यप्रकाश' (काशी) आदि महत्वपूर्ण हैं। सन् 1940 में अनेक हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हुईं। इन पत्रिकाओं में प्रमुख हैं– 'सिद्धांत' (काशी), 'अग्रगामी' (सीतापुर), 'चातक' (प्रतापगढ़), 'स्वदेश' (अलीगढ़), 'जीवन' (सहारनपुर), 'सूत्रधार' (सीतापुर), 'आनन्द' (उरई), 'अखंड ज्योति' (आगरा), 'मेल' (काशी) और 'विप्लवी ट्रैक्ट' (लखनऊ) आदि। 'सूत्रधार' साप्ताहिक राष्ट्रीय विचारों का पत्र था। 'मेले' दैनिक पत्र 14 मई, 1940 को काशी से निकला। इसके सम्पादक महावीर प्रसाद गहमरी थे। इसका प्रकाशन केवल एक माह हुआ था। 'काशी समाचार' (काशी), 'अमृत' (लखनऊ), 'नवीन भारत' (एटा) और 'संदेश' (आगरा) का प्रकाशन सन् 1941 में हुआ। इस युग की हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का इतिहास स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौर में जनमत का निर्माण कर जनता की आकांक्षाओं को उजागर करने में महान् योगदान किया। इस आन्दोलन में पत्रों ने एक जागरूक सैनिक की भूमिका निभाई। पत्र-पत्रिकाओं ने दिशा-निर्देशन के साथ-साथ जनचेतना को भी झंकृत किया। साहित्य की नवीन विधाओं की स्थापना भी की इन पत्रिकाओं ने।

स्वातन्त्र्योत्तर युग (1947 से आज तक)

स्वतंत्रता के बाद केवल सामाजिक परिवेश ही नहीं बदला बल्कि लोक कर्तव्यों और अधिकारियों को नवीन दिशा बोध भी हुआ। इस समय देश के सामने राष्ट्र-निर्माण का महान कार्य उपस्थित हुआ। इस कार्य को सफल बनाने के लिए जनमत-निर्माण आवश्यक था। परिणामतः सबसे अधिक भार पत्रकारों पर आया। राष्ट्र जीवन के सभी अंगों के विकास में समुचित सहायता प्रदान करना पत्रकारों का दायित्व बन गया। इससे पत्र-पत्रिकाओं की संख्या में और उनकी प्रसार संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य में देखने से पता चलता है कि यहाँ के दैनिक पत्रों ने पत्रकारिता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वैसे तो आजादी से पहले निकलने वाले पत्रों में 'आज' का एक प्रमुख स्थान है। यह 1920 से लेकर आज तक हिन्दी पत्रकारिता की श्रीवृद्धि कर रहा है। 1947 से लेकर अब तक जिन प्रतिष्ठित हिन्दी दैनिक पत्रों का प्रकाशन उत्तर प्रदेश से हो रहा है, या हुआ है वे हैं– 'आज', 'स्वतंत्र भारत', 'दैनिक जागरण', 'नवजीवन', 'अमर उजाला', 'नवभारत टाइम्स', 'राष्ट्रीय सहारा', 'कुबेर टाइम्स', 'हिन्दुस्तान', 'अमृत प्रभात', 'जनसत्ता', 'जनसत्ता-एक्सप्रेस', 'वायस आफ लखनऊ', 'गाण्डीव', 'जनमोर्चा', 'राष्ट्रीय स्वरूप आदि। इनके अतिरिक्त सांध्य दैनिकों की भी संख्या काफी है।

उत्तर प्रदेश में साहित्य तथा पत्रकारिता के एक बड़े हिस्से के आधार भी धर्म और अध्यात्म रहे हैं जिनसे पुरातन भारतीय सांस्कृतिक चेतना के प्रसार में मदद मिली। प्रदेश की पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत करना था। 'कल्याण' तथा 'अखण्ड ज्योति' का प्रकाशन धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में

बेजोड़ घटना है। कल्याण का प्रथम अंक अगस्त 1926 में बम्बई (मुम्बई) से प्रकाशित हुआ था। इसका पहला विशेषांक श्री भगवन्नामांक में महात्मा गांधी का राम-नाम की महत्ता पर सारगर्भित लेख छपा था। 'कल्याण' ने लागत से भी कम मूल्य पर हिन्दू संस्कृति अंक, गोअंक, तीर्थांक, संत अंक, भक्त चरितांक तथा विभिन्न पुराणों का विशेषांक रूप में प्रकाशन कर धर्म तथा अध्यात्म के क्षेत्र में जो सेवा की, उसे भुलाया नहीं जा सकता। 'कल्याण' ने 70 से अधिक विशेषांक प्रकाशित किए हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्वामी तथा स्वामी रामसुख दास जी जैसी विभूतियों ने 'कल्याण' का सम्पादन किया। स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित धार्मिक पत्र हैं– 'भक्त भारत' (वृन्दावन), 'भैरवी' (काशी), 'श्री अमर भारती' (आगरा), 'श्रीकृष्ण संदेश' (मथुरा-1965), 'अध्यात्म ज्योति' (कानपुर-1966), 'भागवत पत्रिका' (मथुरा), 'भगवत दर्शन' (वृन्दावन), 'धर्मदूत' (पिलखुवा-1982), 'आचार्य' (बरेली), 'श्री शंकराचार्य संदेश' (प्रयाग), 'मानस हंस' (हाथरस) आदि। 'अखण्ड ज्योति' का प्रकाशन शान्ति कुंज, मथुरा से होता रहा है। ये सभी धार्मिक पत्र-पत्रिकाएँ अपने आप में एक संस्था हैं। कई तो अब सम्बद्ध संस्थान की पत्र-पत्रिकाएँ हैं– संस्थानों की अपनी अलग भूमिकाएँ हैं।

मानव के लिए सबसे आवश्यक है– स्वास्थ्य। इस क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन नये-नये अनुसंधान हो रहे हैं। इसकी जानकारी हेतु अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश से निकलने वाले प्रमुख पत्र हैं– 'आरोग्य' (गोरखपुर-1957), 'आयुर्वेद संदेश' (लखनऊ-1967), 'आपका स्वास्थ्य' (वाराणसी-1987), 'प्राकृतिक जीवन' (लखनऊ-1991) और 'धनवंतरी' (अलीगढ़-1988) आदि। उद्योग में नित नये-नये उद्योग धंधों का आविष्कार हो रहा है। पर, उत्तर प्रदेश में उसके प्रचार-प्रसार हेतु ठोस इंतजाम नहीं है। हिन्दी भाषा के माध्यम से कुछ पत्रिकाएँ निकल रही हैं– 'अलीगढ़ उद्योग समाचार' (अलीगढ़), 'व्यापार संदेश' और 'उद्योग विकास' (गाजियाबाद-1993) आदि। अमर उजाला समूह ने हिन्दी का सर्वप्रथम वृहद रूप में आर्थिक दैनिक अखबार 'अमर उजाला कारोबार' निकाला। इन दिनों समूह ने इसके प्रकाशन को स्थगित कर रखा है। समय को देखते हुए इस क्षेत्र में अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा सकता है। 'बाल पत्रकारिता' के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश का ही है, क्योंकि सर्वप्रथम बाल पत्र सन् 1882 में प्रयागराज से प्रकाशित 'बाल दर्पण' मासिक था। भारतेन्दु युग का पत्र बच्चों के लिए एक नवीन प्रयोग था। 1891 में लखनऊ से 'बाल हितकारक' मासिक निकला था। इलाहाबाद से ही फिर 1902 में 'आर्य बाल हितैषी' पत्र प्रकाशित हुआ। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश से अनेक बाल पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ है जिनमें प्रमुख हैं – 'लल्ला' (प्रयागराज-1948), 'जीवन शिक्षा' (वाराणसी-1957), 'राजा बेटा' (वाराणसी-1958), 'बेसिक शिक्षा' (सहारनपुर-1959), 'विज्ञान लोक' (आगरा-1960), 'ज्ञान भारती' (लखनऊ-1962), 'शिशु बंधुर' (लखनऊ-1966), 'मनमोहन' (प्रयागराज-1967), 'बच्चों की पुकार' (लखीमपुर खीरी-1968), 'चमाचम' (लखनऊ-1972), 'बालरुचि' (लखनऊ-1975), 'बालदर्शन' (कानपुर-1975), 'चिल्ड्रन टाइम्स' (लखनऊ-1981), 'नन्हीं मुस्कान' (कानपुर-1981), 'बालनगर' (प्रयागराज-1982), 'लल्लू जगधर' (लखनऊ-1982), 'अच्छे भइया' (प्रयागराज-1986) आदि।

स्वतंत्रता से पूर्व कृषि को केवल पेट भरने का एक साधन माना जाता था, पर आज कृषि कार्य प्रत्येक देश में सर्वोत्तम माना जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्थान के लिए अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विश्वविद्यालयों में नित नये शोध कार्य किये जा रहे हैं। इन शोध कार्यों के विषय में जनमानस को जानकारी देने के लिए अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। कृषि और ग्रामीण पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी भी कोई संतोषजनक कार्य नहीं हुआ है। स्वतंत्रता के बाद कृषि पत्रों में प्रमुख हैं– 'कृषि सेतु' (सुल्तानपुर-1978), 'खेती किसानी' (अयोध्या-1972), 'किसानोत्थान' (लखनऊ-1972), 'गाँव की बात' (कानपुर-1991), 'देहाती' (आजमगढ़-1933) और कृषक क्रांति (मेरठ-1994) आदि। सन् 1947 के बाद राजनीति के विषय को लेकर बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। उत्तर प्रदेश से निकलने वाले राजनीतिक पत्र हैं– 'माया' (प्रयागराज), 'विकास' (सहारनपुर), 'नया जीवन' (सहारनपुर), 'पाञ्चजन्य' (लखनऊ), 'अवकाश' (वाराणसी),

'जन' (अयोध्या), 'दायित्वबोध' (लखनऊ) आदि। 'सांस्कृतिक पत्रकारिता' द्वारा संस्कृति की रक्षा एवं उसका प्रचार-प्रसार किया जाता है। उ.प्र. की संस्कृति और उसकी सांस्कृतिक पत्रकारिता दोनों ही अपने-आप में बेजोड़ हैं। इन पत्रिकाओं में प्रमुख हैं– 'नीहारिका' (आगरा-1962), 'साथी' (मुरादाबाद-1960), 'संगीत' (हाथरस) 'गीत संगीत' (प्रयागराज-1987), 'पुराकल्प' (वाराणसी-1992), 'मालिनी' (प्रयाग-1995), 'संस्कृति' (लखनऊ-1995) समकालीन जनमत (प्रयागराज, 2002) 'कलादीर्घा' (लखनऊ 2000) और 'कला वसुधा' (लखनऊ) आदि। साहित्यिक पत्रकारिता के अन्तर्गत इस पत्रकारिता का भी समावेश हो सकता है, पर साहित्य के अन्तर्गत इसने एक विधा के रूप में अपना अस्तित्व बना रखा है, इसलिए ऐसे पत्रों का एक संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है– 'गुरू जासूस' (प्रयागराज), 'घीसूलाल' (झाँसी), 'घुटाला' (झाँसी), 'घोटाला' (आगरा), 'उखाड-पछाड़' (मथुरा), 'अंगड़ाई' (आगरा), 'क्या कहाँ' (अलीगढ़), 'काक दृष्टि' (कानपुर), 'खुल्लमखुल्ला' (गाजीपुर), 'चर्चिका' (हरदोई), 'जीजी' (जालौन), 'जागो और जगाओ' (बुलन्दशहर), 'झकझक' (मेरठ), 'झुनझुना' (आगरा), 'टहलमहल' (कानपुर), 'डरो मत' (हाथरस), 'फक्कड़' (कानपुर), 'बम बम' (कानपुर), 'भड़ते' (मथुरा), 'लतियाव' (रामपुर), 'लाल बुझक्कड़' (बलिया), 'भ्रष्टभूत' (हरदोई), 'आफतमेला' (अलीगढ़) आदि पत्रों ने स्थानीय नागरिकों का मनोरंजन किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उ.प्र. की हास्य-व्यंग्य पत्रकारिता अपने ढंग की निराली है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रिकाओं की संख्या में निरंतर अभिवृद्धि होती गई। लघु पत्रकारिता आन्दोलन भी इसी समय आया। साहित्य की विधि-विधाओं को मंडित करने में 'कथा' (मार्कण्डेय, प्रयागराज), 'कथानक' (सुनील, कानपुर), 'कथा दशक' (सतीश जमाली, प्रयागराज), 'जन संस्कृति' (अवधेश प्रधान, वाराणसी), 'कहानीकार' (कमलगुप्त, वाराणसी), 'नयी रचना' (मदन मोहन, गोरखपुर), 'प्रयोजन' (वीरेन्द्र यादव, लखनऊ), 'वर्तमान साहित्य' (विभूति नारायण राय, गाजियाबाद), 'दस्तावेज' (डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, गोरखपुर), 'जनपक्ष' (शैलेश मटियानी, प्रयागराज), 'सम्पर्क' (रामस्वरूप द्विवेदी, प्रयागराज), 'प्रतिज्ञा प्रतीक' (डॉ. सावित्री मिश्र, प्रयागराज), 'तेजस्वी' (बालकृष्ण पाण्डेय, प्रयागराज), 'अतएव' (हिन्दी संस्थान, लखनऊ), तद्भव (अखिलेश, लखनऊ) 'कथ्यरूप' (अनिल श्रीवास्तव, प्रयागराज), 'निष्कर्ष' (गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, गोरखपुर), 'समकालीन दस्तावेज' (प्रशांत कुमार, लखनऊ), 'साखी' (केदारनाथ सिंह, गोरखपुर), 'कुंदनशील' (सतीश राज पुष्करणा, मेरठ), 'समकालीन तीसरी दुनिया' (आनंद स्वरूप वर्मा, नोएडा, गाजियाबाद), कथाक्रम (शैलेन्द्र सागर, लखनऊ), 'समकालीन एकलव्य' (लखनऊ), 'समकालीन सोच' (गाजीपुर), 'संदर्श' (शाहजहाँपुर), 'कथासमवेत' (शोभानाथ शुक्ल, सुलतानपुर), (सरवर हसन, गाजियाबाद), 'अन्तर्दृष्टि' (विनोददास), प्रिय संपादक (उग्रनाथ नागरिक, लखनऊ), नागरिक उत्तर प्रदेश (लखनऊ), सामधेनी (राज बहादुर विकल, शाहजहाँपुर), रचना संवाद (पंकज मिश्र, शाहजहाँपुर) पत्रकार सदन (अफ़ज़ाल अंसारी, लखनऊ), विश्व पत्रकार सदन (आबिद हुसैन, मुख्य संपादक- योगीन्द्र द्विवेदी लखनऊ), दलित एशिया, ड्डे (सुरेश पंजक, लखनऊ), अकार (गिरिराज किशोर, कानपुर), परिवेश (मूलचंद गौतम, मुरादाबाद), भारतीय लेखक (भीमसेन त्यागी, नोएडा), अभिनव कदम (जयप्रकाश धूमकेतु, मऊनाथ भंजन), परख (कृष्ण मोहन, प्रतापगढ़), उन्नयन (श्री प्रकाश मिश्र, प्रयागराज), आशय, (बी.के. सोनकिया, लखनऊ), थाती (यतीन्द्र मिश्र, अयोध्या), कल के लिए (डॉ0 जयनारायण, बहराइच), नया मानदण्ड (वाराणसी), उज्ज्वल ध्रुवतारा (जी.पी. मिश्र, कानपुर) आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। इन पत्रिकाओं के अतिरिक्त कुछ और साहित्यिक पत्रिकाएँ भी प्रकाशित हुई हैं या हो रही हैं। जिनकी सूची न दे पाना स्थान की सीमा है।

इस विवरण व विवेचना से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न रुचि, योग्यता, उद्देश्य आदि से प्रेरित होकर प्रज्ञा क्षेत्र के विभिन्न व्यक्तित्व अपनी पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन से हिन्दी पत्रकारिता के विविध आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त सैकड़ों दैनिक व साप्ताहिक पत्र अपने जिलावार व क्षेत्रवार विभिन्न संस्करण

प्रकाशित कर उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को कस्बाई, स्थानीय व राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। पत्रकारिता से सम्बद्ध दैनिकों, साप्ताहिकों के विविध प्रयोग व समय-समय पर बढ़ते संस्करण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में धन का काफी लाभ है तथा सरकार और जनता (पाठक वर्ग) दोनों ही इस लाभ में सकरात्मक भूमिका का निर्वाह करते हैं। सरकार पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार की आर्थिक मदद देने का प्रयास करती रहती है पर अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विज्ञापन ज्यादा आकर्षण का केन्द्र व उद्यम हैं।

आज के समय में जब 'संचार क्रान्ति' का बिगुल भारत में भी बजने लगा है तब केवल अख़बारों, पत्र-पत्रिकाओं (प्रिन्ट मीडिया) पर चर्चा करने से ही पत्रकारिता पर बात पूरी नहीं होती। अब जरूरी है कि ब्राडकास्ट व विजुअल मीडिया का भी सामान्य-सा परिचय ले लिया जाय। दरअसल अब मीडिया (पत्रकारिता) का क्षेत्र इतना बड़ा और विविध हो गया है कि उसके आयामों का विस्तार हुआ है। अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि विज्ञापन के क्षेत्र में काम करने वाले भी अपने को मीडिया क्षेत्र का ही मानते हैं। पत्रकारिता, विज्ञापन व प्रसार विभाग अब एक दूसरे में हस्तक्षेप करते हैं और पत्रकारिता की स्वीकृत व प्रचलित परम्परा को अपने ढंग से रूप देने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आज कई संस्थानों में 'ब्राण्ड मैनेजर्स' की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है। सम्पादक क्रमशः मैनेजर के रूप में सगर्व तब्दील हो गये हैं। संचार क्रान्ति के इस युग में अब खबर संस्थानों में काम करने वालों के पदों के नाम बदल गए हैं और सम्पादकों का अस्तित्व बदल गया है। इसीलिए विजुअल मीडिया (दृश्य समाचार माध्यम) व ब्राडकास्टिंग मीडिया (श्रवण व उद्घोषणा समाचार माध्यम) के बारे में भी दो-चार परिचयात्मक बातें कर लेना जरूरी लगता है।

ब्राडकास्टिंग मीडिया यानी बोलचाल की भाषा में रेडियो की अवधारणा बिल्कुल दूसरी तरह की थी। वह एक साथ समाचार, मनोरंजन, विविध प्रकार की जानकारियाँ देने का एक सम्पूर्ण माध्यम था लेकिन उसे मीडिया का दर्जा प्राप्त नहीं था। जब से दृश्य माध्यमों (टी.वी.) के सम्पूर्ण खबरिया चैनलों ने अपने को ब्राडकास्टिंग यानी रेडियो (आकाशवाणी) की भूमिका में लाना शुरू किया है तब से मीडिया को ब्राडकास्टिंग मीडिया का स्वरूप दिया जा रहा है। टी.वी. के खबरिया चैनलों के कार्यक्रमों पर हम ध्यान दें तो लगेगा हम एक तरह से रेडियो देख रहे हैं (रेडियो सुन नहीं रहे हैं)। यह परिवर्तन ही हमें इस ओर ध्यान दिलाता है कि लखनऊ आकाशवाणी के अतिरिक्त प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर आदि तमाम केन्द्रों ने किस प्रकार राष्ट्रीय व स्थानीय समाचारों की शृंखला तैयार कर और राजनीति तथा समाज के तमाम मुद्दों पर परिचर्चाएँ आयोजित कर पूरे उत्तर प्रदेश में अपने ढंग से समाचारों व मुद्दों को पहुँचा रहे हैं, साथ ही जब डाक तार विभाग की मदद से इसकी शुरुआत मुम्बई में 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' ने शुरू कराई तो केवल संगीत का ही बहुत सीमित क्षेत्रों में प्रसारण शुरू हो सका। दूसरे विश्वयुद्ध से पहले 1933 में एक बार इसका स्वरूप बदला, फिर दूसरे विश्वयुद्ध के समय और 1947 के बाद स्वाधीनता मिलने पर और आज तो इसका स्वपरूप, कार्यक्रम, विस्तार और प्रभाव सब कुछ बदल चुका है। इस दृष्टि से इसने पत्रकारिता का बिल्कुल नया स्वरूप सामने लाकर रख दिया है। यह पत्रकारिता का एक ऐसा माध्यम शुरू से ही रहा जिसने चाहे यह जब निजी हाथों में था या फिर सरकार के हाथ में इसने अपने चलाने वालों को लाभ-ही-लाभ पहुँचाया। आज रेडियो (ब्राडकास्टिंग) पत्रकारिता का विस्तार सबसे ज्यादा है और सम्भवतः सरकार को वित्तीय लाभ भी सबसे ज्यादा !

दृश्य माध्यम की पत्रकारिता (टी.वी. के खबरिया चैनल)

इस माध्यम की पत्रकारिता का विकास लगभग उसी तरह हुआ जैसे रेडियो का हुआ। बड़ा फर्क यह आया कि इस माध्यम ने सबसे तेजी से विकास किया और पूँजीवादी बाजार तथा भूमंडलीकरण के प्रयासों के कारण भारत सरकार को दूरदर्शन के अलावा अनेकानेक पूँजीपतियों को निजी तौर पर अपने चैनल चलाने की छूट दे दी। आज पूरा अंतरिक्ष विभिन्न सैटेलाइट, वेबसाइट से भरा हुआ है। यह एक तरह से अंतरिक्ष खरीदने

की होड़ का समय है तो इस माध्यम की पत्रकारिता भी इस होड़ से प्रभावित, संचालित है।

भारत में टी.वी. की शुरुआत यूनेस्को के प्रयासों या कि दबावों से सितम्बर 1959 में हुआ। इसके पीछे फोर्ड फाउन्डेशन की मूल परिकल्पना थी। शिक्षा के विस्तार के नाम पर यहाँ टी.वी. माध्यम की शुरुआत हुई– टी.वी. क्लब बने जो इसके मूल-संचालक शक्ति थे– बिरादरी पूँजीपतियों को भी सहयोग सरकार का था– आज ये दोनों बिरादियाँ अपने खुले तौर पर सफलता का जश्न मना रही हैं।

इस शुरुआत की सीमा थी, बहुत कम क्षेत्रों में टी.वी. की पहुँच हो पाई। चूँकि यूनेस्को का प्रयास था और नेहरू का जमाना था इसलिए शिक्षा के व्यापक प्रसार के नाम पर टी.वी. कार्यक्रम स्कूलों से शुरू हुए फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने का और कृषि-समस्याओं को बताने-समझाने का प्रयास हुआ। सन् 1959 के बाद इसके कार्य क्षेत्र के पड़ाव सन् 1961, 1963, 1965, 1972, 1975, 1976, 1982, 1984 रहे।

सीमित क्षेत्रों में सही पर 1965 से भारत में रेगुलर टी.वी. सर्विस (सेवा) शुरू हुई। 1972 में बम्बई टी.वी. स्थापित हुआ, 1973 में श्रीनगर, अमृतसर, 1975 में लखनऊ, मद्रास व कलकत्ता। टी.वी. के भारतीय इतिहास में 1976 इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस साल से टी.वी. पर कामर्शियल (विज्ञापन) सेवा शुरू हुई और 15 अगस्त 1982 से 'नेशनल प्रोग्राम' आने शुरू हुए तथा टी.वी. रंगीन हुई और कार्यक्रम भी।

सन् 1984 भारत में टी.वी. सेवा का रजत जयन्ती वर्ष था। इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाला था– सबकुछ का रंगीन प्रसारण मीडिया-लोक का एक रंगीन समय था। सन् 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक अनेकानेक कमेटियों के सुझावों, बहसों, सेमिनारों आदि के बाद 'दूरदर्शन' अपने नए कदम बढ़ा रहा था। कहना चाहिए कि 'यूनेस्को' की दृश्य-अदृश्य जकड़बन्दी से मुक्त हुआ लेकिन इन पच्चीस वर्षों में सरकार, व्यापारियों, पूँजीपतियों तथा जनता को पता लग चुका था कि दूरदर्शन (टी.वी.) का प्रभाव व महत्त्व क्या है। गौर करें तो पता चलेगा कि दूरदर्शन तथा तमाम टी.वी. चैनलों का बड़ी तीव्र गति से सन् 1984 के बाद से ही विकास शुरू हुआ है।

जिस तरह आकाशवाणी अपनी प्रारम्भिक अवस्था पार करते हुए आज एक निश्चित स्वरूप ले चुका है और हर केन्द्र हर घंटे समाचार प्रसारण के साथ आकाशवाणी के राष्ट्रीय क्रम के अन्तर्गत के समाचारों के साथ स्थानीय समाचार, कृषि समाचार, बातचीत, शिक्षा समाचार आदि देते रह रहे हैं उसी तरह दूरदर्शन ने भी समाचारों की अपनी श्रृंखला बनाई है। अब तो दूरदर्शन ने चौबीस घंटे समाचार देने वाले चैनल बना रखे हैं (दूरदर्शन समाचार, डी.डी. न्यूज)। इस कारण समाचार-संकलनकर्ताओं की एक बड़ी फौज दूरदर्शन ने तैयार की है, ठीक उसी तरह जिस तरह आकाशवाणी ने किया है। इस तरह दूरदर्शन ने समाचार-संकलन के लिए एक जाल बिछा रखा है जो समाचार पत्र (प्रिंट मीडिया) नहीं कर सका है। यहाँ पत्रकारिता की गुणवत्ता की बात नहीं की जा रही है उसकी व्यापकता व कार्यविधि से परिचित हुआ जा रहा है। प्रिन्ट मीडिया अभी फैक्स, इण्टरनेट के जरिये खबरें इकट्ठा कर लेता है पर दूरदर्शन और तमाम टी.वी. के खबरिया चैनलों के पास ओबीसी वैन (आउटडोर ब्राडकास्टिंग वैन) जैसे समाचार संकलन उपकरण हैं जिनके द्वारा उनके पत्रकार (संवाददाता) खबरों और सम्बद्ध तस्वीरों से चैनल को अपडेट किए रहते हैं।

लखनऊ दूरदर्शन और अन्य स्थानों के ट्रान्समिटिंग केन्द्रों के द्वारा उत्तर प्रदेश में दृश्य माध्यम से यहाँ की जनता को अन्तर्राष्ट्रीय, स्थानीय समाचार तो मिल ही रहे हैं इनके अतिरिक्त विभिन्न ज्वलन्त मुद्दों पर बातचीत व बहसें भी मिल रही हैं। यानी समाचार और विचार (मनोरंजन आदि के अतिरिक्त) दोनों ही लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। उनके विकास के कई कार्यक्रमों पर अभी विचार भी जारी है। लोकसभा चैनल का अपना अलग महत्त्व है।

ऐसे सरकारी खबरिया चैनल या कार्यक्रमों के अतिरिक्त निजी पूँजीपतियों के खबरिया चैनल आज बहुतायत से उपलब्ध हैं, जो समाचार देने में हम आगे का हर समय दावा करते हुए 'ब्रेकिंग न्यूज' दिखाते रहते हैं। ऐसे कुछ खबरिया चैनल हैं– एन.डी.टी.वी., सी.एन.एन., आई.बी.एन.-7, आज तक, स्टार न्यूज,

जी.टी.वी. न्यूज,, इंडिया टी.वी., राष्ट्रीय सहारा, सहारा उ.प्र., ई.टी.वी., जनमत, जैन टी.वी., बी.बी.सी. न्यूज,, सी.एन.एन., स्टार वर्ल्ड, सी.एन.बी.सी., न्यूज़ नेशन, समाचार प्लस, न्यूज़ एक्सप्रेस इत्यादि हैं। इनके अतिरिक्त पूर्णतः खेल और व्यापार पर आधारित चैनल भी हैं जैसे ईएसपीएन, टेनस्पोर्टस आदि। इनके अतिरिक्त चैनलों में घुसे कुछ खबरों के कार्यक्रम जैसे– 'आँखों देखी'। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इनके मालिकों ने आधे घंटे का समय अपनी ख़बर दिखाने के लिए खरीद रखे हैं।

वास्तव में टी.वी. चैनल पर खबरें देने का तरीका प्रिन्ट मीडिया की तुलना में दूसरी तरह का है। खबरों का एक चंक बनता है जो कुछ घंटे लगातार विज्ञापनों के बीच-बीच में चलता रहता है। यानी खबरें फिर विज्ञापन फिर खबरें– कुल मिलाकर विज्ञापनों और खबरों का प्रतिशत बराबर रहता है या विज्ञापनों का प्रतिशत ज्यादा। टीवी संवाददाताओं की कलमें हैं आमतौर पर फोन, ओबी वैन, अत्याधुनिक कैमरा आदि। इनकी शब्दावली भी प्रिन्ट मीडिया से भिन्न है जैसे– आउटपुट, रन डाउन, इनपुट, एसाइनमेंट, डेक, पैकेज, बाइट, वीओ, फोनो, टिकटैक, इनजस्ट आदि इत्यादि। पदों के नाम भी अलग हैं जैसे असिस्टेंट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मैनेजिंग एडीटर, एंकर, एक्जीक्यूटिव एडीटर, सी.ई.ओ., डायरेक्टर (न्यूज़) आदि-इत्यादि। गनीमत है कि अभी संवाददाता पद यहाँ पर बचा हुआ है और अधिकारियों के आगे एडीटर शब्द भी जुड़ा है। वास्तविकता यह है कि अखबार संस्थानों ने जब से पत्रकारों के लिए बनाए गए कानून के अन्तर्गत और पालेकर अवार्ड आदि की रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत सम्पादकीय विभाग के पदनामों को अस्वीकार कर स्वतन्त्र वेतनमान, सेवा शर्तें और सम्पादकीय कर्मियों के पदनाम अपने ढंग से नये रूप में लेकर आए उन्होंने नए पदनाम, वेतनमान व सेवाशर्तें लागू कीं। विजुअल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसने पत्रकारिता के सारे स्थापित मानक तोड़ दिए और बंधुआ पत्रकारों की एक नई जमात पैदा की जिसको हमेशा इस आशंका में जीना पड़ता है कि थकान उतारने या घर के बहुत जरूरी काम के लिए दो दिन भी लगातार छुट्टी लेनी पड़ी तो वह ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, उसका प्रमोशन, नौकरी सब कुछ दाँव पर। इन कार्य स्थितियों का प्रभाव इन पत्रकारों के काम और स्वास्थ्य दोनों पर ही पड़ रहा है। यानी विजुअल मीडिया जान हथेली पर रखवाकर काम करा रहा है। इससे हो यह रहा है कि वास्तव में जिन आम जनों की जान हथेली पर है। पत्रकार उनकी हकीकत बयान नहीं कर पाते। दृश्य मीडिया एक तरह से लीपापोती की पत्रकारिता के आदर्शों को निभाते हुए काम करने की अपार संभावनाएँ हैं, खुले रास्ते हैं पर लीपापोती में जो सुख और लाभ हैं वे हकीकत में जाने में कहाँ ! इसलिए दृश्य मीडिया के बिल्कुल एक नए ढंग की पत्रकारिता के लिए आम लोगों को अभ्यस्त होना होगा, जिसकी शुरुआत हो गई है। इस तरह विजुअल मीडिया हमें एक और नए भूमंडलीकरण तथा नए बाजार की चकाचौंध वाली पत्रकारिता में ले जा रहा है इसीलिए पेज थ्री का कान्सेप्ट पत्रकारिता में आया है जहाँ कारपोरेट घरानों की पत्रकारिता है।

इस पत्रकारिता का विस्तार तेजी से हो रहा है। 'ईटीवी' उ.प्र., 'सहारा समय', 'ज़ी न्यूज उ.प्र.', 'न्यूज़ नेशन', 'न्यूज़ 24', 'समाचार प्लस' एवं 'एपीएन' इत्यादि इसके प्रमाण के तौर पर हैं। अखबारों के ग्रामीण संस्करणों की तरह वे छोटे-छोटे शहरों-कस्बों तक में घुसकर खबरें निकाल लाते हैं। इसलिए वह पत्रकारिता के नए दर्शक भी बना रहा है। आप उत्तर प्रदेश की छोटी-छोटी जगहों में घुसकर इक्कीसवीं शताब्दी के विज्ञान-विकसित समय की हकीकत दे सकते हैं।

यहाँ हर ख़बरिया चैनल के विवरण में जाने की जगह नहीं है केवल पत्रकारिता के बदलते चेहरे से परिचित होना है। उत्तर प्रदेश की नई पत्रकारिता ऐसी है जो देश की पत्रकारिता की ही झलक पेश करती है। भारत की सभी भाषाओं में विजुअल खबरिया चैनल का जाल फैला है या ऐसी पत्रकारिता वहाँ पहुँच रही है इसलिए ऐसा नहीं है कि यह स्थिति केवल उत्तर प्रदेश की है। दरअसल अब बिल्कुल नई पत्रकारिता का युग है चाहे वह किसी विधा में हो– प्रिन्ट या इलेक्ट्रानिक (रेडियो, टीवी)। इसके पत्रकारों के नाम

गिनाना उचित नहीं।

उत्तर प्रदेश में उर्दू पत्रकारिता

हमारे सांस्कृतिक इतिहास की यह अजब विडम्बना है कि 'उर्दू' का पहला अख़बार 'जामे जहांनुमा' उर्दू भाषा व साहित्य के किसी परम्परागत प्रतिष्ठित केन्द्र अर्थात् लखनऊ, हैदराबाद या दिल्ली से नहीं बल्कि बांग्ला बहुल क्षेत्र कोलकाता से निकला। यह घटना मार्च 1822 ई. की है। यद्यपि इन सभी जगहों पर प्रेस मौजूद थे। यह बात दीगर है कि इसके संस्थापक-सम्पादक सदासुख लाल उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के रहने वाले थे, जहाँ से बाद में कई अख़बार निकले, मुख्यतः नागरी लिपि में; इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आन्दोलन तथा विभिन्न सामाजिक-बौद्धिक आन्दोलनों में अग्रणी भूमिका निभाने वाली उर्दू पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय आज विराट हिन्दी क्षेत्र के रूप में बार-बार चर्चा में आने वाले उत्तर प्रदेश को जाता है। इसे संयोग कहिये या ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दूरअंदेश अधिकारियों की सुनियोजित कोशिश कि हिन्दी का पहला नागरी लिपिधारी समाचार पत्र 'उदंत मार्तण्ड' प्रथम उर्दू अखबार के चार साल बाद (मई 1826) कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ। इसके संस्थापक-संपादक पं. जुगल किशोर शुक्ल भी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के निवासी थे। यानी उर्दू-हिन्दी दोनों के प्रथम प्रकाशन का श्रेय उत्तर प्रदेश को ही है। 'जामे जहांनुमा' तो कलकत्ता में था लेकिन उसके कान लखनऊ की आहटों पर लगे रहते थे। लखनऊ के समाचार उसमें प्रमुखता से छपते थे।

इसी प्रकार थोड़े अर्से बाद ही बम्बई और फिर पंजाब के पेरिस माने जाने वाले शहर लाहौर से प्रकाशित होने वाले क्रमशः दो और एक अख़बारों के सम्पादकों का सम्बन्ध भी उत्तर प्रदेश से था। यह भी इस प्रदेश के अवध क्षेत्र से। खास तौर से बम्बई के 'अखबारे सिकन्दरी', यह था तो फ़ारसी का अख़बार लेकिन उसमें कुछ पृष्ठ 'उर्दू' के लिए मख़्सूस होते थे, लखनऊ की गतिविधियाँ उसमें प्रमुखता से जगह पाती थीं।

उर्दू का पहला अखबार हैदराबाद, दिल्ली से या मुम्बई से या लखनऊ से क्यों नहीं निकला, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि उर्दू पत्रकारिता की प्रस्थान यात्रा प्रतिरोध तथा जन सम्बद्धता की तीखी आँच में तपकर अस्तित्व में आई थी। वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी की बर्बर लूट तथा दमन की क्रूरतापूर्ण कार्यवाहियों के ख़िलाफ जन भावनाओं का उत्तेजक बयान बनकर उभरी थी। वह अपनी सीमाओं में एक सांस्कृतिक अभियान की तरह तो थी ही, स्वाधीनता के पक्ष में गुलामी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया भी थी। 'जामे जहांनुमा' के बाद जिसकी सर्वाधिक मुखर नुमाइन्दगी उर्दू के पहले बाकायदा अख़बार 'दिल्ली उर्दू अखबार' ने की, जिसका प्रकाशन मई 1837 ई. से प्रारम्भ हुआ। साहित्य के सामाजिक उद्देश्य का प्रारम्भिक दौर दर्शा देने वाले विशिष्ट साहित्यकार मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के विद्वान पिता मौलवी मोहम्मद बाक़र इसके सम्पादक थे। इस अखबार ने अपने स्वरूप से 'उत्तर प्रदेश' की उर्वर भूमि से भविष्य में विकसित होने वाली उर्दू पत्रकारिता के लिए कुछ सिद्धान्त निर्धारित कर दिये थे। यह अख़बार भी लखनऊ के घटनाक्रम पर गहरी नजर रखता था।

इस अख़बार ने अवध के बारे में और भी खबरें छापीं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारनामा 1857 के महासंग्राम में ज़ालिम अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक मुस्तक़िल मोर्चा खोल देना था। इससे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारी इतना क्षुब्ध हुए कि उन्होंने मौलवी मोहम्मद बाक़र को दिल्ली गेट में सरेआम फाँसी पर लटका दिया। इस जुनूनी कृत्य के पीछे 'दिल्ली उर्दू अखबार' के सम्पादक को अंग्रेज विरोध का दण्ड तो देना ही था, साथ ही उस काल में अंग्रेज़ों के अत्याचार का विरोध करने वाले अखबारों को आतंकित करना भी था, जो संभव नहीं हो पाया। मौलवी मोहम्मद बाक़र अभिव्यक्ति की आज़ादी के पहले शहीद थे। उनके द्वारा चिह्नित स्वतंत्रता एवं प्रतिरोध की दिशा ही उत्तर प्रदेश में विकसित हुई और पत्रकारिता की विशिष्ट पहचान बनी। इसमें सामाजिक एकता का पक्ष अवश्य बाद में बहुत मज़बूत हुआ। इस आधार के निर्माण में उर्दू के पहले अख़बार 'जामे जहांनुमा' की उन साहसपूर्ण अभिव्यक्तियों का उल्लेख भी आवश्यक है जो उसने मैसूर विजय के बाद लार्ड

वेलेजली द्वारा प्रेस पर बोले गये हमले तथा देशी भाषाओं के नये अख़बारों के प्रकाशन पर लगाई गई पाबन्दी के ख़िलाफ शब्दबद्ध की थी। इस मुद्दे पर अवध के सदासुख लाल तथा बंगाल के ब्रह्मसमाजी राजा राममोहन राय एक स्वर थे। भारत में फ़ारसी का पहला अखबार इन्हीं ब्रह्मसमाजी महाशय राजा राममोहन राय ने निकाला था। बाद में वह वाजिद अली शाह के दूत बनकर लन्दन भी गये थे। अवध तथा देश के दूसरे हिस्सों से भी नये अखबार 'दिल्ली उर्दू अखबार' के समान 1836 ई. में नये अखबारों के प्रकाशन पर लगी पाबन्दी हटने के बाद ही निकल सके। इसमें कुछ योगदान 'जामे जहांनुमा' का ज़रूर है।

उत्तर प्रदेश से उर्दू का पहला अखबार 'सदरुल अखबार' 1848 में आगरा कालेज के प्रोफेसर सीफेन्क ने आगरा से ही जारी किया। यह सहकारिता के आधार पर निकाला गया पहला अखबार था। आगरा से ही 1847 में मुंशी क़मरुद्दीन ने नहले पर दहला मारते हुए 'असदुल अखबार' साप्ताहिक पत्र जारी किया, ये दोनों अखबार अवध के नवाब की गतिविधियों के समाचार प्रमुखता से छापते थे। दृष्टिकोण में कुछ भिन्नता अवश्य थी।

भाषा के मामले में 'हिन्दुस्तानी' के प्रबल पक्षधर राजा शिव प्रसाद 'सितारे हिन्द' ने 'बनारस अख़बार' के नाम से नागरी लिपि में उर्दू का पहला अखबार जारी करके उर्दू पत्रकारिता को नई दिशा दिखाई। यह 1845 की घटना है। वर्तमान में 'जदीद मरकज़' लखनऊ इसी दिशा का पथिक है। यद्यपि अनेक विद्वान नागरी लिपि में होने के कारण 'बनारस अखबार' को हिन्दी अखबार मानते हैं। बहरहाल– 1850 में 'सुधाकर' इसकी प्रतिक्रिया में ही निकला था।

यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि उर्दू-हिन्दी दोनों भाषाओं की पत्रकारिता को गहरे संकट के समय उन लोगों ने बहुत सहारा दिया, परम्परा से जिनकी भाषा उर्दू या हिन्दी नहीं थी। 'बनारस अख़बार' के सम्पादक यदि मराठी भाषी गोविन्द नाथ थत्ते थे तो 'सुधाकर' के सम्पादक बंगभाषी तारामोहन मैत्रेय। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में उर्दू पत्रकारिता को सहारा देने वालों में यदि एक ओर अंग्रेजी भाषी सीफेन्क हैं तो दूसरी ओर वे लोग, जिनकी मातृभाषाएँ अवध, ब्रज, डोगरी या भोजपुरी हैं। यह परम्परा बहुत आगे नहीं बढ़ सकी लेकिन 1847 ई. में लालजी ने लखनऊ से उर्दू का पहला अखबार 'लखनऊ अखबार' तथा 1858 में मुंशी नवल किशोर ने 'अवध अखबार' जैसा महत्वपूर्ण अखबार निकालकर उर्दू पत्रकारिता के जो आयाम निर्मित किये, उनके विशद अध्ययन की आवश्यकता है। इसी प्रकार 1849 में लखनऊ के सभी छापेखाने बन्द कर दिये जाने का शाही हुक्म क्यों जारी हुआ, इसकी पड़ताल भी जरूरी है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर देखें तो तत्कालीन सामाजिक जीवन तथा पत्र जगत में जैसा तहलका 'अवध पंच' ने पहली बार अंग्रेजी अख़बारों की नक़ल में कार्टून छापने का सिलसिला शुरू कर किया वह यादगार क़दम था।

लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से यों तो बीसवीं सदी आरम्भ होने से पहले कई अखबार निकले, लेकिन मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल पक्षधर सर सैय्यद अहमद खाँ के साइंटिफिक सोसाइटी (1866 ई.) तथा 'तहज़ीबुल अख़लाक' (1870 ई.) अलीगढ़ ने एक बड़े शून्य को तो भरा ही, उर्दू-भाषी मुस्लिम समाज तथा उर्दू पत्रकारिता के लिए नयी राहें भी खोलीं। सर सैय्यद के अख़बार उनके द्वारा आरम्भ किये गये आधुनिक शिक्षा के ऐतिहासिक आन्दोलन का अनिवार्य हिस्सा थे, जो एक खास लयबद्धता की तड़प लिए हुए थे। सर सैय्यद के शिक्षा आन्दोलन के समान यथास्थितिवादी तथा निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा उनके अख़बारों का भी विरोध किया गया। कानपुर से 'नूरुल आफ़ाक़' और 'नूरुल अनवार', मुरादाबाद से 'लौहे महफूज' तथा आगरा से 'तेरहवीं सदी' नामक पत्र सर सैय्यद के आन्दोलन की काट के उद्देश्य से ही प्रकाशित हुए पर सर सैय्यद कहाँ हार मानने वाले थे।

मुक्ति के पक्ष में निर्मित हुई आधुनिकता की यह थाती तो 'मुस्लिम ग़ज़ट' तथा 'हमदम' का संबल पाकर अधिक सुदृढ़ तथा आभामयी हुई। ये दोनों अखबार लखनऊ से निकलते थे। अपने समय के विशिष्ट पत्रकार

हसन वासिफ उसमानी का मानना था कि ''लखनऊ की पत्रकारिता में एक महत्वपूर्ण स्थान 'मुस्लिम ग़ज़ट' का है। मीर जान साहब के इस पत्र ने गंभीर विचारों एवं साहित्यिक लेखों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।'' मुस्लिम ग़ज़ट ने सामाजिक जीवन में उठने वाली जिज्ञासाओं को तो मंच दिया ही, रूढ़िगत शब्दावली से पत्रकारिता की भाषा को मुक्त करने का प्रयास भी किया।

इसी प्रकार दैनिक 'हमदम' (अक्टूबर 1916) ने, जो अपने समय का निश्चित ही बड़ा अखबार था, जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए समाचारों की प्रस्तुति में आधुनिक मापदण्डों को प्राथमिकता दी। 'हसन वासिफ उसमानी' ने ठीक ही लिखा है कि– ''उर्दू पत्रकारिता में धर्म, हंगामी राजनीति एवं भावुकता के स्थान पर चिंतन और दृष्टि को स्वीकृति दिलाने में 'मुस्लिम गजट' और 'हमदम' ने लाहौर के 'पैसा अखबार' की तरह समकालीन मानदण्डों को बढ़ावा दिया। समकालीन ज्ञान के सम्प्रेषण को अपना ध्येय और मिशन बनाया। पढ़ने वालों की रुचि बनाये रखने के लिए और उनकी जेहनी तरबियत के लिए साहित्यिक कृतियों के अंश भी प्रकाशित किये और हास्य-व्यंग्य के कालम भी शुरू किये।'' उन्हीं के अनुसार लखनऊ के दैनिक 'हक़ीक़त' व 'हक' ने भी इस परम्परा को आगे बढ़ाया।

विचारणीय तथ्य है कि 1857 के बाद विशेष रूप से 20वीं सदी के आरम्भिक दशकों में समूचे उत्तर भारत में पंजाब सहित मौलाना आजाद के 'अलहिलाल' तथा 'ज़फ़र अली खाँ' के 'ज़मींदार' का जोर था। ऐसे में उत्तर भारत के उर्दू अखबारों ने जो भूमिका निभाई वह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उर्दू अखबारों का साम्राज्यवाद विरोधी तेवर अधिक रचनात्मक हो सका।

आगे चलकर साम्राज्यवाद विरोधी तेवर अधिक तीखा और व्यापक हुआ। 1857 के संग्राम की कड़वाहट शेष थी, तो इस्लामी मुल्कों में जो कुछ घट रहा था, उसका असर भी उर्दू अखबारों पर पड़ रहा था। उर्दू अखबारों की दुनिया में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अब्दुल हलीम शरर, शिबली नोमानी, सैय्यद जालिब, खलीक हसन निजामी, मोहम्मद मजीद हसन बिजनौरी, नियाज़ फ़तेहपुरी, मुंशी दया नारायण निगम और सरदार दीवान सिंह मफ़्तून जैसी बड़ी शख्सियतें सक्रिय थीं। साथ ही वहीदुद्दीन, अनीस अहमद अब्बासी, अब्दुल रऊफ अब्बासी तथा अब्दुल माजिद दरियाबादी भी।

इस महाप्रभामण्डल में उत्तर प्रदेश का वैशिष्ट्य यह है कि 'उर्दू-ए-मुअल्ला' जैसी पत्रिका (1903), 'मुस्तक़िल' जैसे दैनिक (1928) और इनके सम्पादक मौलाना हसरत मोहानी ने, जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्नातक थे, अत्यन्त दृढ़ता से राष्ट्रवाद को व्यापक स्वीकृति दिलाने की मुहिम चलाकर साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण को अधिक प्रखर बनाया। रूस की सर्वहारा क्रान्ति का उत्साहपूर्वक स्वागत करने वाले इन महाशय ने आधुनिक चेतना के विस्तार को भी अपनी मुहिम से जोड़ा तथा गैर धार्मिक जनान्दोलनों से एकजुटता प्रदर्शित की। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लगातार सक्रिय रहने के कारण हसरत मोहानी तथा उनके प्रकाशनों को बार-बार दमन का निशाना बनना पड़ा पर किंचित डिगे या घबराये नहीं। उन्होंने दृढ़ निश्चय का परिचय दिया।

ख़िलाफत आन्दोलन ने उर्दू पत्रकारिता के सम्मुख नई चुनौतियाँ प्रस्तुत कीं, उसके विकास की नई संभावनाएँ भी निर्मित कीं, साथ ही उर्दू पत्रकारिता में भावनात्मक अतिरेक की प्रवृत्ति भी बढ़ी। जो अखबार सर सैय्यद के दृष्टिकोण का अनुकरण करते हुए ब्रिटिश शासन की खुली आलोचना से बच रहे थे, उन्हें भी अपना रवैया बदलना पड़ा। बिजनौर से 1 मई, 1912 को प्रारम्भ होने वाला 'मदीना' ऐसा ही अखबार था। यह अखबार कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाले जंगे आजादी का हमनवा था। इसने विशाल पाठक वर्ग तो तैयार किया ही, साथ ही मौलाना आज़ाद व मौलाना हसरत मोहानी के अखबारों के समान अलगाववादी प्रवृत्ति के प्रभाव से भी अपने को बचाकर रखा। डॉ. इक़बाल, अकबर इलाहाबादी, जफर अली खाँ, हसरत मोहानी वगैरा तो इसमें नियमित रूप से लिखते ही थे, साथ ही उस दौर के तक़रीबन सभी बड़े शायरों की रचनाएँ भी इसमें बराबर छपती थीं। यह अखबार भी उर्दू के अन्य अखबारों के समान स्वदेशी तहरीक का ज़बरदस्त हिमायती था। अपनी

साहसिक अभिव्यक्तियों के कारण इसे भी कई बार सरकारी दमन का शिकार बनना पड़ा। पंजाब प्रान्त में इसके प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। महिला रचनाकारों की रचनाएँ भी अक्सर इसमें जगह पाती थीं। बिजनौर से 'दस्तूर' व 'अलअमान' जैसे अखबार भी निकले।

सूफीवादी अध्यात्म पर अपने महत्वपूर्ण काम के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठा अर्जित करने वाले ख़लीक हसन निजामी ने मेरठ से 'तौहीद' (अप्रैल 1913) निकालकर उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। सुहैल वहीद ने अपनी चर्चित पुस्तक 'सहाफती ज़बान' में इस अखबार की विस्तार से चर्चा की है। उनका मानना है कि इस पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सम्पादन में प्रकाशित होने वाले 'कामरेड' तथा 'हमदर्द' का खासा प्रभाव था। मौलाना मोहम्मद अली विद्वान व्यक्ति थे, उस वक्त के सभी बड़े अंग्रेजी समाचार पत्रों में उनके लेखादि छपा करते थे, अतः वह उर्दू अखबारों को भी अंग्रेजी अखबारों की ऊँचाई देने के आकांक्षी थे, जिसकी प्रारम्भिक कोशिशें लखनऊ के 'अवध अखबार' तथा सर सैय्यद के 'तहज़ीबुल एख़लाक़' कर चुके थे। जिस प्रकार उपनिवेशवाद विरोधी लेखन में तीखापन बढ़ते जाने के कारण मौलाना मोहम्मद अली तथा उनके सम्पादन में निकलने वाले साप्ताहिकों को लगातार सरकारी दमन का शिकार होना पड़ा, उसी प्रकार 'तौहीद' पर भी सेंसर बिठा दिया गया। परिणामस्वरूप अखबार बन्द हो गया।

1918 में मुरादाबाद से जारी होने वाले 'रहनुमा' ने इस परम्परा को अधिक समृद्ध किया। मोहम्मद अशफ़ाक हुसैन इसके सम्पादक थे। यह पाक्षिक अखबार था तथा समाचारों की अपेक्षा विचार पर अधिक जोर देता था। स्वाधीनता के पक्ष में उर्दू अखबारों द्वारा साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद विरोधी परम्परा को इस अखबार ने भी आगे बढ़ाया। पत्रकारिता के लिए अधिक सृजनात्मक भाषा के निर्माण की दिशा में भी इस अखबार ने उल्लेखनीय काम किया।

उर्दू पत्रकारिता को समृद्ध करने, विशेष रूप से इसके कलात्मक व वैचारिक पक्ष तथा जागरण में इसकी भूमिका को धारदार बनाने में उत्तर प्रदेश के जिन अन्य अखबारों का उल्लेख ज़रूरी है, वह हैं 'दिलगुदाज़' (अब्दुल हलीम शरर), 'खदंगेनज़र' (मुंशी नौबतराय), 'अलनदवा' (मौलाना अबुल कलाम आजाद), 'मंजिल' (हसरत मोहानी), 'मसावत चिंगारी' (सज्जाद ज़हीर), 'हिन्दुस्तान वीकली' (हयातुल्लाह अंसारी), 'रिफार्मर' (ला. मेहर दयाल) और 'स्वराज वीकली'। स्वराज प्रयागराज से और रिफार्मर लखनऊ से प्रकाशित होता था। जफ़रुल मुल्क अलवी के 'अलनाजिर तथा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी के साप्ताहिकों– सच, सिद्क़ तथा सिद्केजदीद की चर्चा भी ज़रूरी है। अलनाज़िर ने जहाँ साहित्यिक पत्रकारिता को नई ऊँचाई दी, वहीं अब्दुल माजिद दरियाबादी ने उर्दू पत्रकारिता को गद्य का नया वैभव दिया। हसन वासिफ उसमानी ने इन्हें राष्ट्रीय स्तर का अख़बार माना है। पूर्वी संस्कृति के भावुक पक्षधर बनते हुए इन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के सांस्कृतिक आयाम का प्रवक्ता बनने का प्रयास भी किया, जिसके सन्दर्भ निश्चित ही सीमित थे।

सामाजिक जीवन में पत्रकारिता के हस्तक्षेप को व्यापक और प्रभावपूर्ण बनाने तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में उसकी भूमिका के सैद्धान्तिक आधार को सुदृढ़ करने की उर्दू अखबारों द्वारा बीसवीं सदी के आरम्भ में कायम की गयी रिवायत को दो साहित्यिक पत्रिकाओं– 'ज़माना' (मुंशी दया नारायण निगम) तथा 'निगार' (नियाज़ फतेहपुरी) ने नये आयामों को सम्पन्न करने की हर संभव कोशिश की। इन्होंने किसी हद तक उर्दू पत्रकारिता की बौद्धिक धारा को नये ज्ञान की तपिश दी। साहित्यिक पत्रकारिता के शिखर तो इन्होंने निर्मित किए ही, भावनात्मकता पर विवेक को प्रमुखता दिलाने के क्रम में इन दो पत्रिकाओं ने जो कोशिशें कीं, उसे भी भुलाया नहीं जा सकता।

प्रतिरोध की क्षमता को तीव्र करते तथा वैचारिक अभियानों को शक्ति व ऊर्जा देते हुए उर्दू पत्रकारिता जिस गहरे भाव से भाषा व साहित्य के सरोकारों से सम्बद्ध हुई, वह भारतीय पत्रकारिता के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, उसमें भी राजधानी लखनऊ के योगदान का उल्लेख प्रमुखता से हुआ

है। 'अवध अख़बार' द्वारा स्थापित पत्रकारिता और साहित्य के रिश्तों को मजबूत करने की परम्परा का अनुकरण बंगलौर के धार्मिक अख़बार 'नशेमन' को छोड़कर भारत के सभी अख़बारों ने किया। भाषा में संवेदनात्मक लालित्य के हस्तक्षेप की परम्परा भी लखनऊ के अखबारों ने विकसित की और यह पत्रकारिता के सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए, भाषा के अपेक्षानुरूप गढ़ने-बनाने के साथ हुआ। अन्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की भाषा भी उत्तरोत्तर बदलती गई। पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से 1945 में लखनऊ से जारी हुए दैनिक 'क़ौमी आवाज़' का योगदान इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक महत्व रखता है। सदी के चौथे दशक में उभरे बहुचर्चित कथाकार हयातुल्ला अंसारी लम्बे काल तक इसके सम्पादक रहे। साम्प्रदायिक उबाल वाले कठिन दिनों में उन्होंने इसे न सिर्फ मुस्लिम लीग की नकारात्मक राजनीति का विकल्प बनाया, बल्कि अंग्रेजी अख़बारों के समक्ष खड़े हो सकने वाले एक उर्दू दैनिक की कमी को भी पूरा किया। उन्होंने विचार और टेक्नोलॉजी, दोनों की आधुनिकता को अखबारी तंत्र का हिस्सा बनाया। सामान्य पाठकों तक में सम्पादकीय के प्रति ख़बर जैसी जिज्ञासा उत्पन्न करने तथा स्तरीयता के नये शिखरों को छूते हुए अख़बार को समूचे परिवार की जरूरत बनाने का महान कार्य भी उन्होंने किया। यह पहला अख़बार था, जिसने साप्ताहिक परिशिष्ट निकाला तथा इसके लिए योग्य सम्पादक जुटाये। अन्सारी साहब के बाद इशरत अली सिद्दीकी और उनके बाद उस्मान ग़नी ने क़ौमी आवाज़ के सम्पादक की ज़िम्मेदारी संभाली और अंसारी साहब की परम्परा को आगे बढ़ाया।

उर्दू पत्रकारिता को समूची दुनिया के घटनाक्रम से जोड़ने का श्रेय भी क़ौमी आवाज़ को जाता है। आज़ादी के बाद बदले हुए हालात में इस अखबार ने जिस रचनात्मक पत्रकारिता का सुबूत दिया, वह भी याद रखा जाने वाला कारनामा है। अफसोस कि यह अखबार 1997 में बन्द हो गया है।

आज पत्रकारिता के मापदण्ड बदल गये हैं। एक दौर था जब अकबर इलाहाबादी का यह शेर लोगों की ज़बान पर था और उस पर पत्रकार अमल भी करते थे।

'खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो,
जब तोप मुक़ाबिल हो, तो अख़बार निकालो।'

उत्तर प्रदेश की उर्दू पत्रकारिता की चर्चा करते हुए सामाजिक एकता, भारतीय जनवाद, लोकतंत्र तथा स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में इसकी सेवाओं को भी रेखांकित किये जाने की आवश्यकता है। धार्मिक सवालों पर कुछ खास क्षणों में भावुक हो उठने के बावजूद उर्दू अखबारों ने धार्मिक-जातीय द्वेष और घृणा को कभी शक्ति नहीं दी। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के अखबारों 'वहदत' (दिल्ली), 'मंशूर' (कानपुर) को कभी वैसी लोकप्रियता नहीं मिल सकी, जैसी मुस्लिम लीग विरोधी राष्ट्रवाद समर्थक उर्दू अखबारों ने अर्जित की। ठीक उसी तरह जैसे मुस्लिम लीग के आन्दोलन को बड़े मुस्लिम नेताओं और उलेमा का वैसा समर्थन नहीं मिल सका, जैसा राष्ट्रवादी आन्दोलन को मिला। यही कारण है कि सामाजिक एकता के पक्ष में तथा रूढ़िवाद के खिलाफ़ उर्दू अख़बारों ने जो मुहिम चलाई, वो कुछ विशेष क्षणों में भले क्षीण होती तो दिखाई पड़ी हो पर रुकी कभी नहीं।

निःसंदेह अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों के समान उर्दू अखबारों ने भी भारतीय समाज की कुछ त्रासद वास्तविकताओं की अनदेखी की। फिर भी स्त्री शिक्षा को सामाजिक स्वीकृति दिलाने के अभियान से जुड़कर उन्होंने अपनी सामाजिक भूमिका को विस्तार दिया। उत्तर प्रदेश के उर्दू अखबारों ने न केवल स्त्री रचनाओं को प्रकाश में आने का अवसर दिया बल्कि स्त्री शिक्षा के पक्ष में लेख-टिप्पणियाँ भी छापीं। महिला पत्रिकाओं के प्रकाशन का सिलसिला भी यहीं से शुरू हुआ। इस सम्बन्ध में 'अंगारे' की प्रसिद्ध कथाकार रशीद जहाँ के पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला (अलीगढ़) द्वारा जुलाई, 1904 में आरम्भ की गई मासिक पत्रिका 'ख़ातून' का उल्लेख आवश्यक है। मुस्लिम लड़कियों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला स्कूल (1907) भी इस पत्रिका के सम्पादक द्वारा ही स्थापित किया गया, जो आज स्त्री शिक्षा का बड़ा केन्द्र है।

यह भी रोचक संयोग है कि धार्मिक पत्रकारिता के उच्चादर्श यहाँ कायम हुए। यहाँ के धार्मिक पत्रों ने बहुत स्तरीय व गंभीर पत्रकारिता की मिसालें पेश की हैं। इसका कारण शायद इन अख़बारों में मौलाना आज़ाद, शिबली नोमानी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, सुलेमान नदवी, खलीक़ हसन निज़ामी, मौलाना अबुल हसन अली नदवी तथा मोहम्मद आसिफ किदवई जैसे अनेक विद्वानों का सम्बद्ध होना था। इस पत्रकारिता ने भी उर्दू गद्य को समृद्ध किया तथा विश्व की बड़ी भाषाओं से उर्दू में श्रेष्ठ और आसान अनुवाद की परम्परा को मजबूत बनाया। अलनदवा, सिद्के जदीद, सरफ़राज, तामीरे हयात तथा निदाये मिल्लत, तौहीद, इत्यादि साप्ताहिकों के नाम इस सम्बन्ध में प्रमुखता से लिये जा सकते हैं। वाराणसी से प्रकाशित मासिक पत्रिका 'अलजवाद' एवं लखनऊ से प्रकाशित 'इस्लाह' और 'शोआएअमल' भी महत्व रखते हैं।

उर्दू अख़बारों ने अपने पाठकों को सीमित संदर्भों वाला सही पर अन्तर्राष्ट्रीय बोध अवश्य दिया। हम इन अख़बारों की आलोचना या प्रशंसा करते हुए इस पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस समय प्रदेश से राष्ट्रीय सहारा, सहाफ़त, इन दिनों, सियासत जदीद, अवधनामा, आग, इन्क़लाब, अखबारे मश्रिक, अनवारे क़ौम, आवाज़े मुल्क, जदीद अमल, वारिसे अवध मताए आख़रत आदि उर्दू दैनिक अखबार भी प्रकाशित हो रहे हैं। यह अखबार हिन्दी एवं अंग्रेजी अखबारों की भाँति पत्रकारिता के सिद्धान्तों को पूरी तरह बरत रहे हैं। साथ ही नये कलेवर एवं आधुनिक टेक्नालजी से परिपूर्ण नज़र आते हैं।

इसी कड़ी में उर्दू दैनिक 'राष्ट्रीय सहारा' के बहुसंस्करणीय श्रृंखला में लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों से 'इंकलाब' दैनिक का प्रकाशन भी उर्दू पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान साबित हुआ है। 1947 से मुम्बई से प्रकाशित होने वाले 'इंकलाब' ने उर्दू पत्रकारिता के नये-नये आयाम गढ़े हैं। उत्तर भारत में जो हैसियत उर्दू दैनिक 'कौमी आवाज़' की रही है, वही स्थान 'इंकलाब' का महाराष्ट्र में हो रहा है। इसने भी उर्दू के कई बड़े पत्रकारों को स्थापित किया है। दैनिक 'अवधनामा' और 'आग' में अन्तर्राष्ट्रीय खबरों विशेषकर मध्य पूर्व की ख़बरों का संकलन भी उर्दू पत्रकारिता में योगदान कहा जाएगा।

जहाँ तक साहित्यिक पत्रिकाओं का सम्बन्ध है, इस क्रम में पिछले 70 वर्षों से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित उर्दू मासिक पत्रिका 'नया दौर' अपने स्तर को बरकरार रखते हुए उर्दू भाषा, साहित्य एवं सांस्कृतिक विरासत की तर्जुमानी करती आ रही है। हाल ही में 'नया दौर' के द्वारिका प्रसाद 'सफ़ुन्द' और अली बिदरान विशेषांक ने पत्रकारिता के मैदान में अपना विशिष्ट स्थान स्थापित किया है। 'नया दौर' के लगभग सभी विशेषांक एक दस्तावेज़ की हैसियत रखते हैं। उत्तर प्रदेश से निकलने वाली अन्य पत्रिकाओं में शबख़ूं, तहजीबुल अख़्लाक, इमकान, लारैब, सबक-ए-उर्दू, ख़बरनामा, गुलबन आदि हैं।

उर्दू पत्रकारिता के क्षेत्र में अनीस अब्बासी (हक़ीक़त), नसीम इन्हौन्वी (हरीम), सलामत अली मेहदी, जमील मेहदी (अज़ाएम), इसहाक इल्मी (सियासत), वजीहउद्दीन (पैग़ाम), मसीहउलहसन रिजवी, ज़ोय अंसारी, हसन वासिफ़ उस्मानी, मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी, परवाना रुदौलवी, हफीज़ नोमानी, अहमद इब्राहीम अल्वी, हसन कमाल, हारुन रशीद, आलिम नकवी, चौधरी सिब्ते मोहम्मद नक्वी, आबिद सुहेल, हसन अब्बास 'फ़ितरत', शाहनवाज़ कुरैशी, हुसैन अमीन, शाफ़े किदवाई, क़ुतुबुल्लाह, ओबेदुल्लाह नासिर, अल्लामा ज़मीर नक़वी, हुसैन अफ़सर, तारिक क़मर, डॉ. वज़ाहत हुसैन रिज़वी आदि का उल्लेख न करना नाइंसाफी होगी।

●

सांस्कृतिक विरासत

संगीत

इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश संस्कृति, धर्म और राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। आर्यों के आगमन से आज तक धर्म, राजनीति और संस्कृति के क्षेत्रों में जितने उतार-चढ़ाव उत्तर प्रदेश ने देखे, उतने किसी और प्रदेश को नहीं देखने पड़े। बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद उत्तर प्रदेश के संगीत ने देश की सांस्कृतिक गतिविधियों में अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाया है। गंगा और यमुना के बीच का यह क्षेत्र, जो प्राचीन समय में 'तपोभूमि' या 'ऋषि-मुनियों की कर्मभूमि' के रूप में जाना जाता रहा, वैदिक काल से ही 'स्वर गुंजार' का केन्द्र रहा है। ऋग्वेद की ऋचाओं ने यहीं 'सामवेद' का रूप ले लिया। वाल्मीकि से यहीं शिक्षा पाकर लव-कुश ने वीणा पर राम का चरित्र गाया था, जिसे सुनकर अयोध्यावासी अभिभूत हो उनके पीछे चल पड़े थे। यहीं कृष्ण की वंशी ने जड़-चेतन यानी समस्त चराचर जगत में प्राण फूँके। रास-नृत्य, भाव-नृत्य यहीं उपजे, पनपे। गुप्त और हर्ष के काल में भारतीय संगीत अपने शिखर पर था। इस विषय पर अनेक पुस्तकें भी लिखी गई हैं। इसी कालखण्ड में विश्व में अपने ढंग की एकमात्र पुस्तक 'भरतमुनि का नाट्यशास्त्र' की रचना हुई जो उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल है।

मुस्लिम काल में संगीत दो अलग-अलग शैलियों में बँट गया। एक को दरबारों से प्रोत्साहन मिला और यह शैली राज्याश्रय में विकसित हुई, जबकि दूसरी का आधार भक्ति था, जिसे सामान्य जन ने अपनाया क्योंकि वह लोगों के लिए जीवन की प्रेरणा देने वाला संगीत था। उस समय के दरबारी संगीत, जिसे उस काल का शासकीय संगीत भी कह सकते हैं– के केन्द्र थे आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, अयोध्या, बाँदा, दतिया और अन्य कई राजाओं के दरबार। भक्तिकाल के प्रमुख केन्द्रों में मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या आदि थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि सम्प्रदाय की स्थापना की जिसमें उपासना का मुख्य विषय 'कृष्णलीला' था। आठ वीणाओं के स्वर प्रार्थना में उठे। इनमें से सबसे मधुर स्वर सूरदास की वीणा का था। कृष्णलीला के सुन्दर गीत रचकर सूरदास ने उन्हें अपनी सुमधुर आवाज दी। इस तरह सूरदास ने साकार भक्ति के अनुरूप स्वरूप को अभिव्यक्ति दी।

ये शैलियाँ आज भी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं हालांकि बदलती परिस्थितियों के साथ-साथ इनके स्वरूप और क्षेत्र में भी परिवर्तन आते रहे हैं। बनारस, लखनऊ, रामपुर, प्रयागराज के साथ कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ आदि शास्त्रीय संगीत के प्रमुख केन्द्र कहे जा सकते हैं। भजन गीतों की, जो आज भी उत्तर प्रदेश की विशेषता है, अपनी विशिष्टताएँ और खूबियाँ हैं। तुलसी के 'रामचरित मानस' को इतनी अधिक शैलियों में इतनी अधिक बार, इतने भिन्न-भिन्न तरीकों से गाया गया है कि अगर इसकी सारी धुनें इकट्ठी करने लगें तो संगीत का एक अलग ग्रंथ ही तैयार हो जायेगा। शास्त्रीय और भक्ति संगीत के अलावा उत्तर प्रदेश में लोक संगीत का प्रचुर खजाना मौजूद है। सामान्य आदमी के लिए इस विराट खजाने के विस्तार का अनुमान तक लगाना कठिन है। यहाँ के हरेक क्षेत्र में लोकगीतों का ऐसा अद्‌भुत खजाना मौजूद है कि मोटे तौर पर भी इनका लेखा-जोखा संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोकगीतों को कला की दृष्टि से भी लिपिबद्ध करना जरूरी है क्योंकि इनमें संगीत के विभिन्न तत्त्व पाये जाते हैं जैसे 'नौटंकी' और 'रास' जो बड़े 'लोक ऑपेरा' हैं और जिनकी परम्परा बड़ी पुरानी है। होली, बारहमासा, कजली, रसिया आदि ने शास्त्रीय संगीत में अपना योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत ने काफी, पीलू, वृंदावनी, सारंग जैसे रागों को जन्म दिया है। इसलिए, यह कहना सर्वथा

उचित होगा कि संगीत के क्षेत्र में अपने बहुरंगी, बहुआयामी और मूल्यवान योगदान के कारण उत्तर प्रदेश का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है।

यह सच है कि वर्तमान संगीत के पुनर्जागरण की अलख जगाई महाराष्ट्र में पं. विष्णु दिगम्बर पलुस्कर और पं. विष्णुनारायण भातखण्डे ने, परन्तु उनका प्रयास फलीभूत हुआ उत्तर प्रदेश में। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा न केवल प्राचीनतम है बल्कि सबसे अधिक समृद्ध भी। उत्तर प्रदेश में देशी और मार्गी दोनों संगीत परम्पराएँ मिलती हैं। एक ओर आगरा, रामपुर, बनारस, लखनऊ (अवध) संगीत को आश्रय देने वाली प्रमुख रियासतें थीं तो दूसरी ओर भरतपुर, प्रयागराज, दतिया, फर्रुखाबाद, मेरठ आदि संगीत के केन्द्र थे। काशी, मथुरा, अयोध्या के मन्दिरों में भक्ति प्रधान ध्रुवपद गायन, भजन-कीर्तन की समृद्ध परम्परा मिलती है। लोक-जीवन तो जीवन के प्रत्येक क्षण में संगीतमय हो उठता है– चाहे वर्षा की फुहार हो, चाहे होली का फाग हो, चाहे चैत की बयार हो और चाहे फसल की बहार। सम्भवतः यही रहा है संगीत की समृद्धि का रहस्य। प्रदेश के अड़ोस-पड़ोस में भी संगीत कला के प्रमुख आश्रयदाताओं एवं पारखी महाराजों की रियासतें थीं जैसे ग्वालियर, दिल्ली, रीवाँ, मैहर, खैरागढ़, दरभंगा आदि जहाँ प्रदेश में संगीतज्ञों के आने-जाने का क्रम बना रहता था।

भारतीय मिथक परम्परा में देवी-देवताओं को जो स्वरूप दिया गया है उसमें कृष्ण ने संगीत को सहज मार्ग रूप में प्रतिपादित किया है। सम्मोहिनी वंशी के रूप में कृष्ण स्वयं संगीत के प्रतिरूप थे। स्वभावतः उनकी जन्म एवं लीलाभूमि मथुरा-वृन्दावन में संगीत प्रधान अर्चना पद्धति प्रचलित एवं लोकप्रिय हुई। वल्लभाचार्य ने संगीतबद्ध भजन, पदों के गायन को मन्दिरों में अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित किया। उनके शिष्य विट्ठलनाथ ने कृष्ण लीला गान सम्प्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की। इन कवियों में उल्लेखनीय थे– सूरदास, नन्ददास, परमानन्ददास, कुम्भनदास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविन्द स्वामी एवं कृष्णदास। यह सभी भक्त रचनाकार एवं संगीतकार दोनों थे, जो गेय पदों की रचना करने के साथ सुर-ताल निबद्ध रूप में गाते भी थे। कृष्णभक्ति सम्प्रदाय में अष्टप्रहर उपासना का विशेष प्रचलन हुआ। प्रत्येक प्रहर की लीला के पद अवसर एवं समयानुकूल रागों, तालों में निबद्ध करके गाये जाते थे। स्वरों एवं भावों का यह मणिकांचन संयोग अद्भुत था। प्रातःकालीन पद भैरवी (जागो मोहन प्यारे), भैरव, ललित (उठे नन्दलाल...) आसावरी आदि रागों में गाये जाते तो परवर्ती पद बिलावल, रामकली आदि राग-रागिनियों में निबद्ध किये जाते थे। मध्याह्नकालीन लीला सम्बन्धी पद सारंग जैसे रागों में मिलते तो संध्याकालीन पद यमन, धनाश्री, पूरिया धनाश्री, केदार, मालकौस, कान्हरा आदि राग-रागिनियों में निबद्ध होते थे। यही नहीं, इन पदों को सरपरदा, साजगिरि, झीलफ जैसी राग-रागिनियों में बाँधा गया। केवल 'सूरसागर' के लिए ही समीक्षकों का कहना है, ऐसी कोई राग-रागिनी न होगी जो छूट गयी हो। सूरदासी मल्हार के प्रणेता स्वयं सूरदास माने जाते हैं। इन पदों का कहरवा, दादरा, तीनताल में गायन होता था परन्तु ध्रुवपद शैली की प्रधानता थी। इस प्रकार ध्रुवपद गायन शैली, मात्र मृतप्राय शैली न होकर सम्मान प्राप्त एवं जीवन्त शैली का रूप थी। संगीत प्रधान अर्चना पद्धति इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि अन्य कृष्ण भक्तों ने राग एवं तालबद्ध ध्रुवपद गायन को धार्मिक अर्चना का अभिन्न अंग बना लिया।

परमानन्द दास के गायन से वल्लभाचार्य के और गोविन्द स्वामी के गायन माधुर्य से तानसेन के आत्मविभोर होने का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण स्वामी हितहरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता था। हितहरिवंश ने 84 पदों को 14 राग-रागनियों में निबद्ध किया।

निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास संगीत एवं मथुरा-वृन्दावन दोनों के पर्याय आज भी माने जाते हैं। उन्होंने स्वयं 'श्रीकेलिमाल' तथा 'अष्टादश' पदों की रचना की। उनकी रचनाओं में संगीत का व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है। उनके द्वारा रचित 110 पदों का राग विभाजन निम्न प्रकार है :–

कान्हरा 30, मल्हार 22, गौड़ 2, कल्याण 12, बसंत 5, सारंग 11, गौरी 6, विभास 10, नट 2, बिलावल 2।

इसी प्रकार अष्टादश पदों में 4 विभास, 1 बिलावल, 7 आसावरी तथा 6 कल्याण राग में निबद्ध हैं। अनेक विद्वान स्वामी हरिदास को ध्रुवपद की डागुर बानी का प्रवर्तक ही नहीं मानते बल्कि उनकी मान्यतानुसार स्वामी हरिदास ने मन्दिरों में ध्रुवपद गायन द्वारा अर्चना-पद्धति का श्रीगणेश किया। आज भी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को हरिदास जयन्ती समारोह कई दिन चलता है जिसमें विरक्त साधु परम्परागत ध्रुवपद की शैली में गाते हैं। इन संगीतज्ञ भक्तों ने ब्रजभाषा प्रधान ध्रुवपदों को परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया।

स्वामी हरिदास को राग-रागिनियाँ सिद्ध थीं। कहते हैं उनके दीपक राग गाने से दीपक स्वयं प्रदीप्त हो उठते तो मेघ से बादल असमय भी घुमड़ कर बरसने लगते, 'श्री' राग में गायन करते ही प्रकृति पर बसन्त की बहार छा जाती। उनके संगीत से प्रसन्न होकर बाँके बिहारी ने मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी संवत् 1567 को निधिवन में उन्हें दर्शन दिया था, यह किंवदन्ती आज भी प्रचलित है। श्री बाँके बिहारी के प्राकट्य की वह तिथि आज भी विहार पंचमी अथवा श्री पंचमी नाम से प्रसिद्ध है, इसी दिन निधिवन में विशेष संगीत समारोह होता है। कहते हैं स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक, बैजू बावरा को मेघ और गोपाल नायक को मालकौंस में सिद्धि शक्ति दी थी। हरिदासी सम्प्रदाय के पाँच मुख्य संगीत अर्चना केन्द्र थे :–

(1) बाँके बिहारी का मन्दिर– जहाँ स्वामी हरिदास को दर्शन हुए; (2) निधिवन– स्वामी हरिदास तथा उनके शिष्यों के आश्रम एवं स्वामी जी की समाधि; (3) गोरेलाल का मन्दिर– स्वामी जी की शिष्य परम्परा में नरहरि देव के उपास्य; (4) श्री रसिक बिहारी– स्वामी रसिक देव के ठाकुर; (5) थट्टी स्थान– स्वामी ललित मोहिनी देव द्वारा स्थापित।

स्वामी जी के पदों से तत्कालीन संगीत परम्परा का परिचय मिलता है। तत् वाद्यों में किन्नरी, वीणा, अर्द्धवीणा, अवनद्ध वाद्यों में मृदंग, डफ, घनवाद्यों में झाँझ-मजीरा एवं सुषिर वाद्यों का उल्लेख है। औघट ताल की चर्चा मिलती है। वाद्यों के संदर्भ में स्वामी जी ने लाग, डाट, टिरिप, चन्द्रागति, घात, नृत्य के प्रसंग में ताण्डव, लास्य, भेद-विभेद, अंगहार जैसे पारिभाषिक शब्दों, नृत्य के बोलों 'ता थेई, तत्ता थेई' का विस्तृत उल्लेख किया है। कथक नृत्य को कृष्ण लीला प्रसंगों की प्रेरणा संभवतः इसी संगीतमय लीला पद्धति से मिली होगी। स्वामी हरिदास की परम्परा में अनेक संत-संगीतज्ञ हुए जिन्होंने अर्चना के माध्यम से संगीत परम्परा को समृद्ध किया। इनमें श्री विट्ठल विपुल देव, स्वामी बिहारी शरण, सरसदेव, नरहरि देव, रसिक देव, ललित किशोरी देव तथा ललित मोहिनी देव अष्टाचार्य नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त स्वामी पीताम्बर देव जी, रूपसखी, चरणदास, किशोरदास, रसिकदेव, बिहारी बल्लभ, शीतलदास, सहचरिशरण, गोवर्द्धन शरण देव, हरिकृष्ण शरण, राधाशरण देव, राधा प्रसाद देव, स्वामी अग्रदास ने मन्दिरों में पल्लवित संगीत परम्परा को समृद्ध किया। आज भी कृष्ण लीला का वर्णन होता है। मथुरा में स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन एवं ध्रुवपद मेला होता है जिसमें श्रेष्ठ संगीतज्ञ दूर-दूर से बड़ी श्रद्धापूर्वक भाग लेने के लिए आते हैं।

मीरा की भाँति ब्रज में कृष्ण भक्ति से ओत-प्रोत ताज बेगम का नाम प्रसिद्ध है जो श्री विट्ठलनाथ से दीक्षा लेकर गिरिधर के रंग में ऐसी रंग गयी कि ब्रज में ही बस गयी और एक दिन होली के अवसर पर श्रीनाथ जी के सम्मुख धमार गाते-गाते श्रीनाथ जी की प्रतिमा में लुप्त हो गयी। बल्लभ सम्प्रदाय के मन्दिरों में आज भी होली के अवसर पर ताज द्वारा रचित ध्रुवपद एवं धमार गायी जाती है।

उपर्युक्त संत परम्परा के साथ अनेक श्रेष्ठ संगीतज्ञ हो गये हैं जिनमें ग्वारिया बाबा, भूरे उस्ताद रासधारी, मदनमोहन पखावजी, मक्खन लाल पखावजी, गणेशी लाल चौबे, गजानन मिश्र, चौथ्या रासधारी, भवानी दास, जीवन लाल, बालकृष्ण, गोपाल लाल, घनश्याम लाल, बौली बाबा उल्लेखनीय हैं। अम्बा जी चतुर्वेदी तो दाऊजी के मन्दिर में नियमित रूप से कीर्तन-भजन गाया करते थे। उनके पुत्र चन्दन चौबे ने ध्रुवपद गायन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। बाला जी, राजा भइया, कमलनयन ने भी मथुरा की ध्रुवपद परम्परा को समृद्ध किया।

वाराणसी में मन्दिरों की अर्चना और संगीत का अभिनव सम्बन्ध रहा है। वाराणसी में बल्लभ सम्प्रदाय,

अष्टछाप, अष्टाचार्य जैसे संत कवियों, गायकों की नियमित परम्परा नहीं रही है, परन्तु आराध्य के चरण कमलों में कला का पूर्ण समर्पण, साधना की चरम परिणति मानी जाती रही है। कलाकारों ने इस मान्यता का अपने जीवन में निरन्तर अनुशीलन किया है। फलस्वरूप काशी के मन्दिरों में श्रेष्ठतम कलाकार भी आराध्य के सम्मुख घंटे-दो-घंटे नियमित अथवा यदा-कदा ही गाने-बजाने में अपने को कृतकृत्य अनुभव करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ के पूर्वज और बिस्मिल्ला खाँ स्वयं डुमराँव के बाला जी मन्दिर में प्रतिदिन प्रातःकाल नियमपूर्वक शहनाई वादन करते थे। काशी विश्वनाथ मन्दिर में प्रातःकाल शहनाई वादन की परम्परा आज भी प्रचलित है। सत्यनारायण मन्दिर, संकटमोचन, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, विश्वनाथ मन्दिर में समारोह प्रायः होते रहते हैं जिनमें कलाकार विशुद्ध आराधना के भाव से स्वयं आकर निःशुल्क कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और श्रोता बिना किसी शुल्क, भक्ति भाव से शास्त्रीय संगीत का आनन्द लेते हैं। सावन में तो प्रत्येक मन्दिर में विशेषतः हर सोमवार के दिन विशेष शृंगार होता है और इसके साथ गायन, वादन एवं नृत्य के श्रेष्ठ कार्यक्रम भी। संकटमोचन मंदिर के महन्त अमरनाथ जी अपने युग के श्रेष्ठ पखावज वादकों में से एक थे। संकटमोचन मन्दिर में आज भी प्रत्येक वर्ष तीन दिनों का विशाल संगीत सम्मेलन होता है जिसमें काशी के अतिरिक्त दूर-दूर से आए श्रेष्ठ कलाकार भाग लेते हैं। गत अनेक वर्षों से अस्सी घाट के खुले प्रांगण में गंगा तट पर स्व. डॉ. लालमणि मिश्र एवं उनके सहयोगियों के प्रयास से आरम्भ किया गया ध्रुवपद मेला आज भी शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होता है। यह संगीत समारोह अपने ढंग का अद्‌भुत है। ध्रुवपद जैसी तथाकथित अप्रचलित शैली का सम्मेलन, कोई टिकट नहीं, परन्तु पारखी रसिक श्रोताओं का अपार समूह जो स्वयं ताल एवं स्वर ज्ञान में पारंगत है मंच पर पं. रविशंकर, बलराम पाठक, गजानन राव, सियाराम तिवारी, फहीउद्दीन डागर, पागलदास पखावजी आदि जैसे उच्च कोटि के परन्तु निःशुल्क कार्यक्रम देने वाले कलाकार। सारी रात चलने वाला संगीत सम्मेलन। यह परम्परा आज भी जीवन्त है।

अयोध्या वैष्णव भक्ति परम्परा में रामभक्ति शाखा का प्रमुख केन्द्र रही है। यद्यपि राम का चरित्र पराक्रम प्रधान है उसमें वंशी, संगीत के लिए कोई स्थान नहीं है तथापि कृष्ण भक्ति सम्प्रदाय की संगीतात्मकता ने राम भक्ति धारा को भी प्रभावित किया और राम मन्दिरों में भी संगीतमय भजन, कीर्तन की पद्धति चल पड़ी। वैसे रामायण काल में भी अयोध्या की सम्पन्न संगीत परम्परा, नट, नर्तकों-गायकों, वीणा, माल, वाद्य, विशारद, विलम्बित, मध्य, द्रुत गतियों का उल्लेख मिलता है जो गुप्तकाल तक फलती-फूलती रही। बाद में आराध्य की अष्टयाम (प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक) संगीतात्मक उपासना का शुभारम्भ हुआ जो वल्लभ सम्प्रदाय के नामी भक्तों में अब भी प्रचलित है। रामानन्द के शिष्य सुरसुरानन्द जी ने 500 ध्रुवपद बन्दिशों की रचना की थी जो आज भी रामानन्दी ध्रुवपद नाम से प्रचलित है। सुरसुरानन्द जी के सम्बन्ध में प्रचलित है कि वह दीपक राग गाते थे तो आरती के दीपक स्वयं प्रज्ज्वलित हो उठते थे, फिर दीपक राग द्वारा प्रदीप्त दीपों से वह आराध्य की आरती करते थे। बड़ी छावनी तथा विद्याकुण्ड में आज भी इनके अनुयायी हैं जो गले में मृदंगार कंठी दानों की माला धारण करते हैं और ध्रुवपद धमार शैली में ही गाते हैं। बरेली के सुप्रसिद्ध ध्रुवपद गायक राम पदारथ जी अयोध्या क्या आए कि बस यहीं रम गये। तत्कालीन अयोध्या नरेश राजा ददुआ ने राजाश्रय दिया। संत-संगीतज्ञ राम पदारथ जी ने पं. संत शरण, बलदेव चतुर्वेदी तथा बाबा धनुषधारी को संगीत की शिक्षा दी। बाबा धनुषधारी इतने प्रतिभा सम्पन्न थे कि उनका गायन अयोध्या के कोने-कोने में प्रचलित हो गया। अयोध्या के विरक्त साधु आज भी बाबा धनुषधारी द्वारा रचित तथा उन्हीं की शैली में बधाई, नवाह, मानस गायन आदि प्रेम से प्रस्तुत करते हैं। बाबा धनुषधारी ने बधाई, मानस गायन को शास्त्रीय संगीत का पुट दिया। उनके शिष्यों सियाराम दास, छेदा सूर, संतशरण ने ध्रुवपद धमार के क्षेत्र में बड़ा यश अर्जित किया। अन्य ध्रुवपद धमार गायकों में थे लालजी भाई सत्य स्नेही, बाबा गौरी शंकर, राम आसरे शरण, चन्द्र प्रकाश मिश्र जो साधु-संतों की भाँति रहते थे। कोदऊ सिंह मृदंगवादक बहुत समय तक अयोध्या में रहे। उनके शिष्य मनमोहन उपाध्याय दतिया में मृदंग, पखावज सीखकर अयोध्या आए जहाँ राजा अयोध्या ने दर्शनेश्वर मन्दिर में उन्हें नियुक्त कर दिया। कोदऊ सिंह के दूसरे अन्य शिष्य वैरागी रामकुमार दास ने अवध बिहारी मन्दिर में सात वर्षों तक मृदंग वादन की अनवरत

साधना की और हनुमान गढ़ी में रहते थे। राम कुमार दास जी ने मृदंग के अतिरिक्त अवध की पखावज एवं तबलावादन परम्परा का सूत्रपात किया। रामकुमार दास के तीन प्रमुख शिष्य थे स्वामी रामदास, ठाकुर दास तथा राममोहिनी शरण। रामदास जी की शिष्य परम्परा में रामध्यान दास तथा छत्रपति सिंह और ठाकुर दास के शिष्यों में श्री महाबीर दास, गोपाल दास एवं पागलदास उल्लेखनीय हैं। ठाकुर दास के अन्य शिष्य यमुना चौधरी (दरभंगा), गोपालदास (मुंगेर), जगदीश सिंह एवं भीषम सिंह (रायगढ़) बाहर बस गये। राममोहिनी शरण के शिष्यों में स्वामी भगवान दास तथा किशोरी दास का नाम लिया जाता है। बाद में स्वामी पागलदास भी इन्हीं के शिष्य हो गये तथा देश के सर्वोच्च पखावज वादकों में उनका स्थान है। अन्य शिष्यों में सरयूदास तथा वसुमित्र शास्त्री तथा इनके अतिरिक्त अवध किशोर चतुर्वेदी उल्लेखनीय हैं। इटावा के कल्लू उस्ताद के ही अनेक शिष्य अयोध्या में रहते थे। शास्त्रीय गायन वादन की यह परम्परा बीसवीं शताब्दी पूर्वार्द्ध में शिथिल होने लगी। मंदिरों में ध्रुवपद धमार गायन का स्थान जै सियाराम जै-जै सियाराम कीर्तन तथा मानस ने गान ले लिया। कुछ दिन कीर्तन अपनी विशिष्ट कीर्तन लोक शैली में होते थे परन्तु इधर फिल्मी प्रभाव के कारण कीर्तन भी फिल्मी गीतों की धुन की पैरोडी बनते जा रहे हैं। कीर्तन सुनकर लगता है कि भक्ति संगीत की अपेक्षा फिल्मीगीत सुन रहे हैं। झूलन आदि उत्सवों पर गायन के साथ नृत्य की परम्परा भी अयोध्या में प्रचलित रही है। नर्तक राम कथा को लेकर चार-जामा पहिने तथा शलमा लगाकर कथक नृत्य करते थे परन्तु इसका स्वरूप शास्त्रीय नहीं था। इधर संत गोपाल मिश्र स्वर्गद्वार के निकट कथक कला केन्द्र खोलकर नृत्य की शिक्षा देने में लगे रहे। पुराने कथक कलाकारों में लोटन जी, नानक जी उल्लेखनीय हैं। कुछ कथक परिवारों का सम्बन्ध वीरू मिश्र, अनोखेलाल तथा अच्छन महाराज से भी है। अयोध्या के तीन मन्दिर शास्त्री नगर, स्वर्गद्वार तथा बेतिया– कथक परिवारों के पास हैं। इसके अतिरिक्त रामप्रिया दास, गुलाब दास, सरस्वती दास, लालदास, तुलसीदास (तपसी छावनी), भगवतदास (रामलीला विहार कुंज), हनुमान दास ने रामलीला थियेटर कम्पनियों द्वारा नाट्य संगीत का प्रचार किया। अयोध्या में शास्त्रीय संगीत की विशुद्ध घराना परम्परा के रूप में प्रतिष्ठा का श्रेय धनुषधारी जी तथा स्वामी रामशंकर दास उर्फ पागलदास को तथा उनके अनेक योग्य शिष्यों को है जिन्होंने अयोध्या में शास्त्रीय संगीत का वातावरण बनाया।

उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा के मध्यकालीन इतिहास में तीन नगण्य स्थानों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गाँव में सन् 1223 ई. में अमीर खुसरो का जन्म हुआ। विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन बलबन के ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद सुल्तान, अवध के सूबेदार अमीर अली कैकुवाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब मुबारकशाह तथा पंजाब के गाजी खाँ गयासुद्दीन के दरबारों में नौकरी की तथा विभिन्न विषयों पर लगभग सौ पुस्तकें लिखीं। अमीर खुसरो की पुस्तकों में लगभग 22 फारसी ग्रन्थ तथा कुछ फुटकर रचनाएँ ही आज प्राप्त हैं।

अमीर खुसरो ने संगीत पर भी अनेक पुस्तकें लिखीं जो प्राप्त नहीं हैं। प्रचलित मान्यतानुसार अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों में भारतीय प्रचलित रागों का मिश्रण करके अनेक श्रुतिमधुर रागों का आविष्कार किया जो आज भी बड़े लोकप्रिय हैं। पूर्वी, गौड़, कांगली तथा एक अन्य राग के सम्मिश्रण से साजगिरी अथवा साजगरी, हिंडोल तथा नैरेज के मिश्रण से प्रस्तुत यमन, सारंग, पतवल और रास्त को मिलाकर बनाये सरपरदा शाहनाज, पटराग के मिश्रण से बने ज़ीलफ अथवा ज़िल्फ, गारा आदि ऐसे आविष्कारों में उल्लेखनीय हैं। खुसरो ने ईरानी शैली के अंदाज में कव्वाली, तराना, कौलकलबाना, नक्शेगुल आदि शैलियों का प्रचलन किया। उनके द्वारा बनाये गये झूमरा आदि ताल आज भी प्रचलित एवं लोकप्रिय हैं। खुसरो को ही तबला तथा सितार वाद्यों के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। खुसरो के पुत्र फ़ीरोज़ खाँ ने सितार वादन को अपनाया और उनके पौत्र मसीत खाँ ने सितार की मसीतखानी (विलम्बित) वादन शैली का प्रचलन किया। खुसरो ने ही अपने समय में प्रचलित ध्रुवपद गायन शैली में उल्लेखनीय ईरानी संगीत का मिश्रण, संशोधन करके नयी शैली का प्रचलन किया जो उनके जीवन काल के पश्चात् ख्याल गायन शैली के नाम से न केवल लोकप्रिय हुई बल्कि जिसने आगे चलकर ध्रुवपद का स्थान ले लिया। बिलावल सप्तक पर आधारित इस नयी शैली ने भारतीय संगीत पद्धति को

अपनी विशेषताओं के कारण दो भिन्न गायन-वादन पद्धतियों में विभाजित कर दिया; उत्तर भारत में प्रचलित हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति तथा दक्षिण भारत में प्रचलित कर्नाटक संगीत पद्धति। उत्तर प्रदेश के एटा जैसे नगण्य स्थान में जन्म लेने वाले अमीर खुसरो ने संगीत को समृद्ध करने के साथ वर्तमान रूप दिया। इसी प्रकार जौनपुर के सुलतान हुसैन शर्की ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप में लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का प्रचलन किया जिसे संगीतज्ञों ने विशेष उत्साह के साथ अपनाया।

निधिवन, वृन्दावन (मथुरा) के स्वामी हरिदास के केलिमाल संग्रह के माध्यम से अर्चना प्रधान ध्रुवपद गायन तथा अपनी शिष्य परम्परा से संगीत को समृद्ध किया। स्वामी हरिदास ने कृष्णोपासना प्रधान ध्रुवपद शैली को परिष्कृत तथा आध्यात्मिक रूप में सुरक्षित रखा। ग्रंथ 'नाद विनाद' में स्वामी हरिदास के आठ शिष्यों का उल्लेख किया गया है : बैजू, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, तानसेन, सौरसेन। स्वामी हरिदास ने प्रचलित वीणा में अठारह के स्थान पर बाइस अथवा चौबीस परदे लगाकर इसके चार तारों पर मध्य, मन्द तथा तार सप्तक के स्वरों को बजाने की शैली तथा शुष्क वादन (अलापचारी) गीतांगय, नृत्यांगय तथा नृत्य एवं संगीत गायन के साथ वीणावादन शैली प्रचलित की। थट्टी सम्प्रदाय के श्याम-श्यामा उपासक स्वामी हरिदास के शिष्यों में तानसेन तथा बैजू विभिन्न दरबारों से सम्बद्ध रहे। तानसेन ने स्वामी हरिदास से वीणा वादन की भी शिक्षा प्राप्त की। तानसेन के संदर्भ में ग्वालियर घराने तथा ग्वालियर में बनी उनकी समाधि का उल्लेख करते हुए उन्हें मध्य प्रदेश से जोड़ा जाता है परन्तु उनकी संगीत शिक्षा-दीक्षा वृन्दावन के निधिवन में स्वामी हरिदास द्वारा हुई तथा उनकी साधना स्थली, कर्मभूमि बनी आगरा की धरती, जहाँ अकबर के दरबार में तानसेन का संगीत परवान चढ़ा और वह अन्तिम समय तक आगरा में ही रहे। सोनिया अथवा बीनकार घराना नाम से प्रसिद्ध उनकी शिष्य परम्परा में नौबत खाँ, नियामत खाँ (सदारंग), वजीर खाँ, हाफिज अली खाँ, अलाउद्दीन खाँ के नाम लिये जा सकते हैं। इसी प्रकार तानसेन घराने की गायकी परम्परा प्रचलित हुई। इन दोनों परम्पराओं के आदि स्रोत निधिवन, वृन्दावन के स्वामी हरिदास ही थे।

सुप्रसिद्ध ध्रुवपद संगीतज्ञों डागर परिवार का सम्बन्ध डागुर बानी गायक स्वामी हरिदास से जोड़ा जाता है। इस मत के समर्थक स्वामी हरिदास की शिष्य परम्परा में स्वामी सत्यदेव, गोपाल स्वामी, गिरधर स्वामी, शिवदत्त, ब्रज नारायण, इमाम बख्श, बहराम खाँ, मुहम्मद जान खाँ, अलाबन्दे खाँ तथा जाकिरुद्दीन, मोइनुद्दीन डागर आदि से डागर बन्धुओं का सम्बन्ध जोड़ते हैं। अनेक विद्वान मानते हैं कि डागुर बानी के गायक हरिदास अकबरकालीन स्वामी हरिदास से भिन्न हैं, स्वामी हरिदास का सम्बन्ध डागुर बानी से था ही नहीं। स्वामी हरिदास की ध्रुवपद गायन शैली गोबरहार थी जिसे उनके शिष्य तानसेन ने सर्वोपरि माना। हरिदास डागुर स्वामी हरिदास से भिन्न तथा तानसेन के परवर्ती शाहजहाँ, औरंगजेब के समकालीन माने गये हैं तो कतिपय अन्य विद्वान हरिदास डागुर को ग्वालियर वासी ज्ञान खाँ का शिष्य मानते हैं। विषय, रचना, शैली, रचना-पद्धति की दृष्टि से भी दोनों में पर्याप्त अंतर है। इसी क्रम में अन्य विद्वान डागर परिवार शिष्य परम्परा का सम्बन्ध आदि गुरु हरिदास डागुर से जोड़ते हैं। शाहजहाँ के समकालीन कालिदास डागुर की शिष्य परम्परा में मसनद अली खाँ, फतेह अली खाँ, रहीमुद्दीन खाँ, फहीमुद्दीन खाँ डागर आदि कलाकार हुए। रसिक शिरोमणि स्वामी हरिदास तथा हरिदास डागुर अथवा कालिदास डागुर भले ही अलग-अलग व्यक्ति हों, परन्तु इससे इनके वृन्दावन, उत्तर प्रदेश वासी होने के सम्बन्ध में कोई मतभेद, विवाद अब तक सामने नहीं आया है। इस दृष्टि से नासिरुद्दीन खाँ, बहराम खाँ, अलाबंदे खाँ, डागर बन्धुओं ज़िया फहीमुद्दीन खाँ डागर की सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय शिष्य परम्परा उत्तर प्रदेश संगीत परम्परा की महत्वपूर्ण देन है।

फैज़ाबाद के नवाब अवध की राजधानी बनने पर अयोध्या के अनेक कलाकार अवध दरबार में आ गये। नवाब शुजाउद्दौला के समय तक यहाँ कलाकारों का अच्छा-खासा जमघट हो गया। इनमें उल्लेखनीय थे शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली की प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले कथक खुशी महाराज, पंजाब के शोरी मियाँ। आसफुद्दौला द्वारा राजधानी लखनऊ ले जाने के बाद भी यहाँ की संगीत परम्परा पनपती रही। अयोध्या में मेंहदी उस्ताद, रहीमुद्दीन खाँ, मुश्तरी बाई जैसे श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। शम्भू महाराज ने रहीमुद्दीन खाँ से अनेक वर्षों तक

ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की। मलिकाए ग़ज़ल बेगम अख्तर ने विश्व के संगीत जगत में अयोध्या का सम्मान बढ़ाया।

वाराणसी की संगीत परम्परा प्रदेश में सबसे अधिक बहुमुखी एवं समृद्ध रही है। इसका कारण है काशी की माटी, जिसका कण-कण संगीत के रस से सराबोर है और है संगीत पारखी आश्रयदाता काशीराज का दरबार। यही कारण है कि काशी की स्थानीय परम्परा के अतिरिक्त वाराणसी ने दूर-दूर से कलाकारों को आकर्षित किया। जो काशी में एक बार आया तो आने वाली पीढ़ियों तक के लिए वहीं बस गया। सुप्रसिद्ध सारंगीवादक मीरजापुर के पंडित शम्भूनाथ मिश्र काशी में आकर बस गये तो कालिका प्रसाद जी हंडिया तहसील, प्रयागराज छोड़कर वाराणसी में रहने लगे। नृत्याचार्य सुखदेव महाराज ने नेपाल छोड़ा तो काशी को अपना घर बना लिया। दिल्ली दरबार छोड़कर ध्रुवपदिये उस्ताद निसार अली खाँ, बीनकार उस्ताद वारिस अली खाँ, ख्याल गायक उस्ताद सादिक अली खाँ, टप्पा गायक उस्ताद अकबर अली खाँ, तानसेन घराने के प्यार खाँ, भूपत खाँ, नेपाल से ही मुहम्मद खाँ (बड़कू मियाँ), लखनऊ से निर्मलशाह काशी आकर इस नगरी पर ऐसे रीझे कि बस यहीं के होकर रह गये। बिस्मिल्ला खाँ के मन में काशी ऐसी बसी कि डुमराँव गाँव पीछे छूट गया। जो काशी छोड़कर बाहर भी रहने लगा उसके तन-मन में काशी ऐसी रम गयी कि अन्तिम क्षण तक उसने काशी को नहीं छोड़ा। सुप्रसिद्ध सुरबहार वादक मुश्ताक अली खाँ भले ही कलकत्ता में जाकर बसे थे परन्तु वह सदैव अपने को ठेठ बनारसी कहते थे। उस्ताद मुश्ताक अली खाँ के पूर्वज सेनिया घराने के बीनकार वारिस अली खाँ, टप्पा गायक अकबर अली खाँ, ध्रुवपद गायक निसार अली खाँ तथा ख्याल गायक सादिक अली खाँ, अन्तिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के समय में ही बनारस आकर बस गये थे। मुश्ताक अली खाँ, सेनिया घराने के बरकतुल्ला के शिष्य आशिक अली खाँ के सुपुत्र थे। उदयशंकर, रविशंकर संसार के किसी कोने में भ्रमण करते रहे हों परन्तु काशी उनके मन में हर क्षण बसी रही, कभी ओझल नहीं होने पाई। पंडित रविशंकर ने तो 'रिम्पा' के रूप में काशी को अपने कार्यक्रमों का केन्द्र बनाया।

काशी की गायिकाओं की अपनी विशिष्ट परम्परा रही है। ये गायिकायें मन्दिरों में भी गाती थीं, दरबार और रईसों की महफिलों में भी। ठुमरी, टप्पा से लेकर ख्याल, ध्रुवपद धमार की कठिन बन्दिशें प्रस्तुत करने में ये गायिकायें बेजोड़ थीं। इन गायिकाओं में विद्याधरी, सरस्वती, छोटी मैना, बड़ी मैना, मोती केसर, राजेश्वरी, बड़ी मोती, गौहर, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णदेवी, गिरिजा देवी, शान्ती देवी की प्राचीन परम्परा रही है। सितारा देवी तथा अलखनन्दा ने कथक नृत्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया।

काशी की वर्तमान संगीत परम्परा लगभग दो सौ वर्ष पुरानी है। ध्रुवपद धमार गायन में पं. रामसेवक मिश्र, पशुपति नाथ, शिवसेवक मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, शिवनारायण मिश्र, प्रसिद्ध मनोहर, शिवा-पशुपति युगल कलाकारों की विशेष ख्याति रही है। आज भी राजन-साजन तथा अमरनाथ-पशुपतिनाथ अपने युगल गायन के लिए संगीत जगत में लोकप्रिय हैं। काशी के कथक परिवारों में पं. शिवनन्दन मिश्र, उनके पुत्र बड़े रामदास, रामदास जी के श्वसुर पंडित जैकरन मिश्र, छोटे रामदास, पं. हरिशंकर मिश्र, पं. महादेव प्रसाद मिश्र का गायन के ध्रुवपद, धमार, ख्याल के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। स्थानीय कथक परिवारों ने संगीत, नृत्य के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हस्तियाँ दी हैं। जैसे उदाहरणार्थ नाम बताने के ख्याल से– कथक में अभयशंकर मिश्र, तबला तथा संगीत समीक्षा में पं. विजय शंकर मिश्र, सितार में अशोक मिश्र जैसे नाम लिए जा सकते हैं। अभय अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के कथक नर्तक हैं। इनके अतिरिक्त अन्य नगरों से काशी में आकर रहने वाले और कुछ बस जाने वाले संगीतज्ञों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें उल्लेखनीय हैं– भावे बुवा, भैयाजी लाडे, सोमनाथ, गरुड़कर, सोमनाथ बेहरे, वेदमूर्ति नारायण भट्ट, मुकुन्द विष्णु कालविन्त, अघोर चक्रवर्ती, दामोदर विष्णु कालविन्त, भालचन्द्र चिन्तामणि दामले, उपेन्द्र बाबू। जगदीप जी तथा मौजुद्दीन खाँ द्वारा आंगिक अभिनय की अपेक्षा स्वर माधुरी, बनारसी पुट, भाव प्रधान पूरब अंग की ठुमरी शैली इस ढंग से प्रस्तुत की गयी कि सारे देश पर छा गयी। इधर टप्पा के सुप्रसिद्ध गायक अकबर अली खाँ और शोरी मियाँ के शागिर्द गम्मू खाँ और उनके पुत्र शादे खाँ ने टप्पा का वाराणसी में प्रचार किया। शादे खाँ ने इमाम बाई तथा चित्रा बाई को टप्पा

गायन की शिक्षा दी और टप्पा बनारसी गायकी का अभिन्न अंग बन गया। लक्ष्मी प्रसाद मिश्र, शिव सेवक मिश्र तथा रामसेवक मिश्र के पास टप्पे की दुर्लभ बंदिशों का अपार भण्डार था। बड़े रामदास जी ठुमरी गायकी, ख्यालों की तानों की तैयारी के लिए टप्पे का अभ्यास कराते थे। रसूलन बाई टप्पा गायन के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध थीं। इमामबादी के पुत्र रमजान खाँ तथा उनके शिष्य नागेन्द्रनाथ भट्टाचार्य ने टप्पा को काशी से कलकत्ते तक पहुँचाया। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग खुल जाने के कारण बाहर से अनेक संगीतज्ञ संगीताध्यापन के लिए यहाँ आकर रहने लगे जिनका संगीत परम्परा में योगदान उल्लेखनीय है। इस परम्परा में अनेक नाम लिये जा सकते हैं – पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, बलवन्तराय भट्ट, डॉ. लालमणि मिश्र, प्रदीप कुमार दीक्षित, डॉ. एम.आर. गौतम, डॉ. पाटेकर, श्रीकान्त ठकार, डॉ. (कुमारी) प्रेमलता शर्मा, श्रीमती एन.राजम।

खुले चक्करदार बोल, परन, गतों, लड़ियों की प्रधानता के लिए प्रसिद्ध बनारसी राग की परम्परा का प्रवर्तन पंडित राम सहाय द्वारा सन् 1830 के आस-पास माना जाता है। राम सहाय जी ने तबलावादन शैली को ऐसा रूप दिया कि स्वतंत्र वादन के अतिरिक्त ध्रुवपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, नृत्य, सितार, सरोद सभी के साथ समान रूपेण सफल संगत की जा सके। रामसहाय जी द्वारा बनाई चक्करदार टेढ़ी परनों में गज परन, सिद्ध परन, चक्करदार परन, कृष्ण परन, रासलीला परन, काली परन, दुर्गा परन, शंकर परन, गणेश परन उल्लेखनीय हैं। राम सहाय जी की शिष्य परम्परा में जानकी सहाय, गौरी सहाय, गौरी सहाय के सुपुत्र भैरव सहाय, बलदेव सहाय, बलदेव सहाय के पुत्र दुर्गादास सहाय, भाँजे पंडित कंठे महाराज, पंडित किशन महाराज, शारदा सहाय के नाम उल्लेखनीय हैं। दूसरी ओर तिरकिट-घिरकिट की कड़ी के लिए प्रसिद्ध तीन चार हजार कायदों, गतों, फर्द, पेशकार, रेलों, टुकड़ों पर पूरा अधिकार रखने वाले भैरव प्रसाद जी के लगभग 400 शिष्यों में प्रमुख थे पंडित मौलवी राम मिश्र, बागेश्वर प्रसाद, पंडित अनोखे लाल, महावीर भट्ट। प्रताप अथवा परतप्पू महाराज की शिष्य परम्परा में उनके पुत्र जगन्नाथ जी, पौत्र शिव सुन्दर और प्रपौत्र बलमोहन महाराज तबले के खलीफा माने जाते थे। कहते हैं शिवसुन्दर के अनुज वाचा मिश्र ने देवी को तबला वादन से प्रसन्न करके तबला वादन में सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वाचा मिश्र के पुत्र पंडित सामता प्रसाद गुदई महाराज ने पिता के अतिरिक्त बिस्सू मिश्र जी से भी संगीत शिक्षा प्राप्त की। गुदई महाराज के प्रमुख शिष्यों में हुए कुमार मिश्र, कैलाश मिश्र। पंडित भगवान प्रसाद के पुत्र एवं विश्वनाथ जी के शिष्य पंडित वीरू मिश्र ने तबला वादन, बनारसी बाज में दूर-दूर तक प्रसिद्धि प्राप्त की। अनेक संगीत सम्मेलनों, रियासतों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। कबीर चौरा के मौलवी राम मिसिर का बनारसी राज अपना अलग था। भैरव प्रसाद मिश्र की परम्परा को इधर प्रतिष्ठा मिली पं. अनोखे लाल द्वारा जिनकी तैयारी, सफाई और नाधिन धिन्ना बोलों का जवाब नहीं था। इनके अतिरिक्त बनारसी राज के युवा कलाकारों में सर्वश्री ईश्वरलाल मिश्र, छोटे लाल मिश्र तथा रामजी मिश्र के नाम लिये जा सकते हैं। तबले के अतिरिक्त ध्रुवपद धमार की लोकप्रियता के कारण काशी में पखावजवादन की समृद्ध परम्परा रही है। इनमें प्रमुख थे मन्नू जी, भोलानाथ पाठक, वृन्दावन दास, मदन मोहन, रामदेव पाण्डेय, संकट मोचन मन्दिर के महन्त पंडित अमरनाथ मिश्र।

तबले की भाँति काशी में सारंगी वादन के तीन घराने प्रचलित रहे हैं– पंडित राम बख्श जिनके पुत्रों गणेश जी, शीतल जी तथा आगे चलकर पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र एवं गोपाल मिश्र ने अपने श्रेष्ठ सारंगीवादन से देश-विदेश में सारंगी और बनारस घराने की धाक जमा दी। मीरजापुर से वाराणसी में आकर बसे पंडित श्यामधर मिश्र के पुत्रों सुमेरू (सुमेरनाथ) तथा सियाजी ने सारंगी वादन से सारे देश में प्रसिद्धि प्राप्त की। रामनारायण मिश्र की अपनी सारंगी वादन शैली अलग थी। इनके पुत्रों भवानी भीख जी तथा शम्भूनाथ मिश्र के पुत्र पण्डित सरयू प्रसाद मिश्र तथा पौत्रों पण्डित विश्वनाथ मिश्र, गोपीनाथ मिश्र तथा बैजनाथ मिश्र ने सारंगीवादन परम्परा को समृद्ध किया। बनारस के अन्य श्रेष्ठ सारंगी वादन कलाकारों में तमाकू जी, नारायण मिश्र, भगवान मिश्र, बिरई जी, ठाकुर प्रसाद, सीताराम, पन्नालाल मिश्र, मुंशीराम, आशिक अली खाँ, वंशी महाराज, काशी प्रसाद किन्नर आदि के नाम लिये जा सकते हैं जो स्वतंत्र वादन के अतिरिक्त ध्रुवपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी

की चतुरंग एवं सफल संगत करने में सिद्धहस्त थे। इन कलाकारों के सम्बन्ध में अनेक किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। सियाजी महाराज की सारंगी पालकी में राजसी ठाठ के साथ जहाँ भी वे जाते, ले जायी जाती। तबला एवं मृदंग वादकों के लिए प्रसिद्ध था कि वह गजपरन बजा कर पागल हाथी को शान्त कर देते थे।

वायलिन वादन में श्रीमती एन. राजम तथा सितारवादक राजभान सिंह के बिना काशी की चर्चा अधूरी रहेगी जो अब काशी में ही रहने लगे हैं। शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ बनारस के पर्याय रहे हैं। उनके अतिरिक्त पंडित नन्दलाल, ख़ादिम अली ने वाराणसी की संगीत परम्परा को समृद्ध किया। पंडित रविशंकर, उस्ताद मुश्ताक अली खाँ ने सितार में, श्री उदयशंकर एवं गोपीकृष्ण ने नृत्य के क्षेत्र में वाराणसी का गौरव बढ़ाया। डॉ. लाल मणि मिश्र ने स्वयं विचित्र वीणा वादक होने के साथ देश-विदेश में ध्रुवपद प्रचार-प्रसार, संगीताध्ययन एवं शिक्षा को अधिक वैज्ञानिक, शोधपरक और रचनात्मक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिय। ठाकुर जयदेव सिंह दर्शन एवं धर्म के अतिरिक्त संगीत शास्त्र के भीष्म पितामह के रूप में सम्मानित किये जाते हैं। वाराणसी की संगीत परम्परा आज भी जीवन्त एवं समृद्ध है।

रामपुर रियासत के नवाब हामिद अली स्वयं संगीत प्रेमी थे और स्वयं तत्कालीन मूर्धन्य संगीतज्ञ उस्ताद वजीर खाँ के शिष्य थे। वजीर खाँ सुप्रसिद्ध ख्याल गायक बड़े मुहम्मद खाँ के भाँजे तथा उस्ताद निज़ाम खाँ के सुपुत्र थे जो अपने युग के श्रेष्ठतम ध्रुवपद गायक थे। वज़ीर खाँ ने पिता से ध्रुवपद गायन और मामा से ख्याल गायन की शिक्षा प्राप्त की। उस समय रामपुर में देश के कोने-कोने से आए श्रेष्ठतम संगीतज्ञों का जमघट था जो उस्ताद वजीर खाँ से सीखते थे। इनमें उल्लेखनीय थे उस्ताद मुहम्मद हुसैन, उस्ताद अलाउद्दीन खाँ, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खाँ, उस्ताद सादिक अली खाँ आदि। उस समय रामपुर दरबार का संगीत के क्षेत्र में वही स्थान था जो संस्कृत एवं धर्मशास्त्र के क्षेत्र में काशी पण्डित समाज का स्थान था। रामपुर में कलाकारों को मुँहमाँगा पुरस्कार मिलता था।

आसफुद्दौला द्वारा अवध की राजधानी अयोध्या से लखनऊ ले जाने के साथ अनेक कलाकार लखनऊ जाकर बस गये। नवाब वाजिद अली शाह न केवल संगीत मर्मज्ञ, कला प्रेमी बल्कि स्वयं श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। उनके राज्य काल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। बिन्दादीन जैसे कथक नृत्य के आचार्य, कोदऊ सिंह जैसे पखावजी वाजिद अली शाह के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। दरबार में ठुमरी, भाव एवं शृंगार प्रधान बन्दिशों का विशेष प्रचलन था जो अधिकतर भैरवी, खम्माज, काफी, देश, झिंझोटी आदि राग-रागिनियों तथा दीपचन्दी (14 मात्रा) जल ताल, कहरवा आदि तालों में गाई जाती थीं।

ख्याल, ध्रुवपद गायन की दृष्टि से लखनऊ संगीत का प्रमुख केन्द्र रहा है जहाँ देश के मूर्धन्य कलाकारों का जमघट होता था। उस्ताद सादिक अली खाँ के शिष्य उस्ताद खुर्शेद अली खाँ, लखनऊ गायकी के पितामह माने जाते हैं। उनके शिष्यों में प्रमुख थे लखनऊ के राजा नवाब अली, गुलाम हुसैन, बब्बन साहब, चिन्मय लाहिड़ी, भैया गनपत राव, नसीर खाँ, श्री कृष्ण रातंजकर आदि। ख्याल गायकी को लखनऊ में लोकप्रिय बनाने वाले श्रेष्ठ कलावन्तों में उल्लेखनीय हैं सूरज खाँ, चाँद खाँ, मुराद अली, अमीर अली, छज्जू खाँ, बासत खाँ, हैदर खाँ, गुलाम हुसैन, दूल्हे खाँ, अहमद खाँ, मुहम्मद खाँ, नवाब कासिम अली, अमराव खाँ, तारब अली, रहीम खाँ, यूसुफ खाँ, वजीर खाँ आदि। गुलाम रसूल के पुत्र मियाँ गुलाम नबी शोरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया। लखनऊ परम्परा के अनेक संगीतज्ञों ने उनसे टप्पा गायन सीखा। लखनऊ परम्परा को अनेक गायिकाओं ने भी समृद्ध किया। इनमें रहीमन बाई, शराफो बाई, धन्नो बाई, जयसुख बाई, खुर्शेद बाई, चन्द्रा बाई, जसोबाई के नाम लिये जा सकते हैं।

लखनऊ बाज की अपनी विशेषता, शैली रही है। प्यार खाँ, जाफर खाँ, बासत खाँ, बहादुर खाँ, काजिम अली जैसे रबाबिये हुए तो गुलाम मुहम्मद, रहीम सेन, गुलाम हुसैन खाँ, बरकत अली, हसन खाँ डाढ़ी, नवाब अली, वकी खाँ, हशमत जंग, हामिद हुसैन जैसे श्रेष्ठ सितारवादकों को लोग आज भी आदर से याद करते हैं। लखनऊ के ही रज़ा खाँ ने सितार की मध्य, द्रुतलय, प्रधान रजाखानी गत शैली का प्रवर्तन किया। सादिक अली खाँ वीणावादन तथा एवज़ अली खाँ सारंगी वादन में बेजोड़ थे। उस्ताद सुधार खाँ के पौत्रों मोदू

खाँ तथा बख्शूर खाँ (पुत्र मम्मन खाँ) ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया। मोदू खाँ के प्रिय शिष्य पण्डित रामसहाय ने बनारस बाज घराने का प्रवर्तन किया। मम्मन खाँ के तीसरे पुत्र उस्ताद मुहम्मद खाँ के पुत्र मुन्ने खाँ खलीफा की परम्परा में वाजिद हुसैन खाँ, आफाक हुसैन खाँ हुए तो दूसरी ओर आबिद हुसैन की शिष्य परम्परा में वीरू मिश्र, जहाँगीर खाँ, हीरेन्द्र गांगुली, महबूब खाँ आदि जैसे ख्याति प्राप्त तबला वादक हुए। लखनऊ में कोदऊ सिंह, पण्डित सखा राम, पण्डित अयोध्या प्रसाद जैसे पखावजी प्रसिद्ध हुए।

वाजिद अली शाह 'रहस' नृत्य का विशाल आयोजन करते और कृष्ण की भूमिका स्वयं प्रस्तुत करते थे। उन्होंने कैसरबाग में विशाल बारादरी, नहरें, फव्वारे, उद्यान बनवाए जो हर समय केसर की फुहार से गमकते और नूपुरों की झंकार से गूँजते रहते। इसी युग में कथक नृत्य और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। नवाबी प्रभाव के कारण लखनऊ की गायकी में ग़ज़ल एवं शायरी की प्रधानता थी। नृत्य ही नहीं वाजिद अली शाह ने स्वयं 'अख्तर पिया' और बिन्दादीन ने 'सनद पिया' उपनाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें तैयार कीं। इसी समय अन्य कलावन्तों ने कदरपिया, चाँदपिया, ललनपिया नाम से ठुमरी की बन्दिशें तैयार कीं, जो बड़ी लोकप्रिय हुईं। अवध दरबार में होलिकोत्सव विराट संगीत समारोह के रूप में मनाया जाता जो दिन-रात चलता रहता। बिन्दादीन के अतिरिक्त शम्भू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज ने लखनऊ कथक शैली को नई दिशा दी। इधर श्रीकृष्ण रातंजकर को मौरिस कॉलेज का प्रधानाचार्य बनाया गया। इसी क्रम में उस्ताद दूल्हे खाँ, उस्ताद सखावत हुसैन खाँ (सरोद), सादिक अली खाँ (बीनकार), उमर खाँ, इलियास खाँ (सितार), जी.एन. गोस्वामी (वायलिन), युसुफ अली खाँ, ध्रुवतारा जोशी (सितार), डॉ. सुरेन्द्र शंकर अवस्थी ने लखनऊ की संगीत परम्परा को समृद्ध किया। शासकीय स्तर पर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कलाकारों को सहायता-सम्मान देने की दिशा में कार्य करती है। लखनऊ महोत्सव में संगीत-सम्मेलन का आयोजन होता है।

आगरा मुगलकाल में संगीत का सबसे बड़ा केन्द्र था। मुगल बादशाह अधिकतर आगरा में ही रहते थे। आगरा के पड़ोस में एक ओर ग्वालियर रियासत थी तो दूसरी ओर दिल्ली दरबार जहाँ से संगीतज्ञों का आना-जाना लगा रहता था। अतः जहाँ ग्वालियर घराने के नत्थन खाँ, पीर बख्श, हद्दू खाँ, हस्सू खाँ, मुहम्मद खाँ, रहमत खाँ, कृष्णराव शंकर, विनायक राव पटवर्द्धन, मेंहदी हुसैन खाँ, नज़ीर खाँ, हफीज़ खाँ, कल्लन खाँ, बालकृष्ण बुआ, इचलकरंजीकर, बन्ने खाँ, गनपत राव आदि जैसे संगीतज्ञों की दमदार, गम्भीर गायकी और तैयारी ने आगरे की गायकी को प्रभावित किया वहीं दूसरी ओर दिल्ली दरबार के संगीतज्ञ थे जिनकी ध्रुवपद एवं ख्याल गायकी अपने ढंग की थी। दिल्ली घराने के संगीतज्ञों में लाल खाँ, बाबा रामदास, हाजी सुजान खाँ, सदारंग, अदारंग, काले मिर्जा, तानरस खाँ, उमराव खाँ, हुसैन अली, फतेह अली की गायकी ने आगरा घराने की गायकी को बहुत अधिक प्रभावित किया। मथुरा पड़ोस में होने के कारण ब्रज भाषा और कृष्णलीला की आगरा घराने की बन्दिशों पर स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होती है। आगरा घराने का सूत्रपात श्यामरंग और सरसरंग से माना जाता है। आगरा घराने के संगीतज्ञों में घग्घे खुदाबख्श, सुप्रसिद्ध ख्याल गायक शेर खाँ, गुलाम अब्बास, गुलाम हैदर खाँ (कल्लन खाँ), नत्थन खाँ, नन्हें खाँ कड़क एवं चमक वाली तानों के लिए प्रसिद्ध मुहम्मद सिद्दीक खाँ, तसद्दुक हुसैन खाँ, अनवर हुसैन खाँ, लताफत हुसैन खाँ, विलायत हुसैन खाँ, स्वामी बल्लभदास, भास्कर बुवा बारवले, दिलीप चन्द्र वेदी, श्री कृष्ण रातंजनकर, जगन्नाथ बुवा पुरोहित के नाम लिये जाते हैं। परन्तु आगरा घराने की गायकी को सबसे अधिक यश मिला आफताबे मौसी की उस्ताद फैय्याज खाँ की लोकप्रियता के कारण। वैसे तो उस समय देश में रज्जब अली खाँ, अल्लादित्ता खाँ, अब्दुल करीब खाँ, बन्दे अली खाँ जैसे अनेक श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे परन्तु ख्याल, ध्रुवपद, होरी, धमार सभी शैलियों पर समान अधिकार, अलाप, बढ़त, राग-रागिनी के स्वरूप की अवधारणा और मधुर भावाभिव्यक्ति आदि दृष्टियों से फैयाज खाँ अद्वितीय थे। भैरवी में ''बाजूबन्द खुल-खुल जाय'' और ''ब्रज होली खेलन को रसिया'' से लेकर ध्रुवपद ख्याल तक जब फैयाज खाँ प्रस्तुत करते तो रस की फुहारों से श्रोता भावविभोर हो जाते। आगरा घराने की दूसरी शाखा में ख्याल एवं ठुमरी गायन की प्रधानता थी। इस परम्परा में इमदाद खाँ, हमीद खाँ, प्यार खाँ, लतीफ खाँ के नाम लिये जा सकते हैं। आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। वैसे तो फैय्याज खाँ अपने

गायन के बीच-बीच में ''हाँ, हाँ, अरे हाँ'' जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते थे, जो ख्याल गायन शैली का नहीं है, परन्तु कव्वाल बच्चों का अपना अलग घराना था जो तानों की पेंचदार फिरत, बल एवं फन्दे वाली तानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस घराने के प्रतिनिधियों में मुहम्मद खाँ, रहमत खाँ, मुबारक अली खाँ, सादिक अली खाँ, फजले अली खाँ, करम अली, दिलावर अली उल्लेखनीय हैं।

मुगलकाल में, विशेषतः अकबर-काल में फतेहपुर सीकरी का आगरे अथवा दिल्ली की अपेक्षा अधिक महत्व था और अकबर का अधिकांश समय फतेहपुर सीकरी में ही व्यतीत होता था। अतः फतेहपुर सीकरी में संगीतज्ञों का जमघट और परम्परा का सूत्रपात स्वाभाविक था। इस घराने के संगीतज्ञों में जैनू खाँ, जोरावर खाँ, गुलाम रसूल खाँ, छोटे खाँ पखावजी, मदारबख्श के नाम लिये जाते हैं।

सहारनपुर घराने के प्रवर्तक खलीफा मुहम्मद जमाँ सूफी सन्त थे तथा गायन के अतिरिक्त बीन, रबाब और सितार वादन में अद्वितीय माने जाते थे। सहारनपुर के गुलाम तकी खाँ और गुलाम जाकिर खाँ होरी ध्रुवपद गायन के लिए संगीत जगत में प्रसिद्ध थे। बन्दे अली खाँ के जोड़ के बीनकार पूरे देश में इने-गिने थे। इस परम्परा के गुलाम आज़म, गुलाम कासिम, गुलाम जामिन, बहराम खाँ की ख्याति दूर-दूर तक थी। बहराम खाँ ने भारतीय संगीत के अध्ययन की दृष्टि से हिन्दी-संस्कृत का अध्ययन किया और उन्हें पण्डित की उपाधि से अलंकृत किया गया। बहराम खाँ की शिष्य परम्परा में गौसी बाई, फरीद खाँ, मौला बख्श सांखड़ वाले तथा जाकिरुद्दीन खाँ एवं अलाबन्दे खाँ थे। जाकिरुद्दीन खाँ तथा अलाबन्दे खाँ के ध्रुवपद एवं होरी गायन की पूरे देश में धूम थी। सभी रियासतों से इन दोनों के लिए प्राप्त होने वाले निमंत्रण पत्रों का ताँता लगा रहता था। सन् 1915-16 में बड़ौदा संगीत सम्मेलन के मंच पर जब क्लीमेण्ट ने अपना बनाया हारमोनियम प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि उनके हारमोनियम में सभी श्रुतियाँ निकल सकती हैं तो उनकी चुनौती जाकिरुद्दीन खाँ एवं अलाबन्दे खाँ ने सफलतापूर्वक स्वीकार की और गाकर बतलाया कि श्रुतियाँ गले से ही निकल सकती हैं। इनमें गले की हरकतें हारमोनियम पर निकालने में असफल होने पर श्री क्लीमेण्ट ने अपना वाद्य और दावा वापस ले लिया। वस्तुतः वर्तमान ध्रुवपद परम्परा को इस घराने का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। अलाबन्दे खाँ के पुत्रों नसीरुद्दीन खाँ, रहीमुद्दीन खाँ, इमामुद्दीन खाँ डागर एवं मोहनुद्दीन डागर ने ध्रुवपद, धमार, होरी गायन के क्षेत्र में सहारनपुर घराने की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। अब्बन खाँ गायन के साथ संगीत शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान थे। उन्होंने अनेक राग-रागिनियों पर शोध कार्य भी किया था।

बहादुर हुसैन खाँ तथा हद्दू खाँ के शिष्य इनायत हुसैन खाँ सहसवान घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनायत हुसैन नेपाल, ग्वालियर, रामपुर, हैदराबाद दरबार में रहे और सम्मानित किये गये। इनके शिष्यों रामकृष्ण, बाजे बुआ, छज्जू खाँ, नजीर खाँ ने सहसवान की संगीत परम्परा को समृद्ध किया। इमदाद खाँ, मुश्ताक हुसैन खाँ, फिदा हुसैन के पुत्र उस्ताद निसार हुसैन खाँ, मुश्ताक हुसैन खाँ के पुत्र इश्तियाक हुसैन और हारमोनियम नवाज़ इशाक हुसैन के कारण सहसवान संगीत परम्परा का नाम आदर के साथ लिया जाता है।

जब तक रसिक पारखी चाँद खाँ और काले खाँ का ध्रुवपद धमार गायन के क्षेत्र में नाम रहेगा, अतरौली घराने का नाम भी अमर रहेगा। इनके पूर्वज शाण्डिल्य गोत्र के ब्राह्मण थे जिन्होंने आगे चलकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस परम्परा के दुल्लू खाँ और छज्जू खाँ ध्रुवपद की गोबरहार अथवा गोहार बानी के लिए प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय थे। हुसैन खाँ, शाहाब खाँ, ध्रुवपद धमार गायन में बेजोड़ थे तो मानतोल खाँ डागुर बानी के विशेषज्ञ कलाकार माने जाते थे। गुलाम गौस खाँ के परिवार में गोहार बानी की परम्परा चल रही थी परन्तु गुलाम गौस खाँ की रुचि डागुर बानी में थी। अतः उन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से डागुर बानी के संगीतज्ञों में शीर्षस्थ स्थान प्राप्त किया। खैराती खाँ के खण्डारी बानी को ध्रुवपद गायन में अपनाया। करीम बख्श ने भी खण्डारी बानी का अभ्यास किया। चिम्मन खाँ, करीम बख्श खाँ, जहाँगीर खाँ, जुहूर खाँ ने ध्रुवपद धमार के साथ ख्याल गायन के क्षेत्र में भी अतरौली घराने का सम्मान बढ़ाया। जहूर खाँ तो इतना अच्छा गाते थे कि एक बार रास्ते में इन्हें डाकुओं ने घेर लिया लूटने के लिए। तानपूरा देखकर डाकुओं ने गाने के लिए कहा। जहूर बख्श का गायन सुनकर डाकू ऐसे मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने न केवल क्षमा माँगी बल्कि भारी धनराशि देकर

सुरक्षित पहुँचा दिया। भूपत खाँ, इमाम बख्श, गुलाम खाँ, हस्सू खाँ, दौलत खाँ, अतरौली वाले अल्लादिया खाँ, अली अहमद खाँ, ख्वाजा अहमद खाँ, अज़मत हुसैन खाँ ने ध्रुवपद, धमार, होरी, ख्याल, दादरा सभी शैलियों में भागलपुर, मुंगेर, बनारस, पटना, कलकत्ता दूर-दूर तक अनेक रियासतों में यश प्राप्त किया।

बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद में रमज़ान खाँ, कुतुब बख्श, मुहम्मद अली खाँ, अजमत उल्ला खाँ, कुदरत उल्ला खाँ, जहूर खाँ, फिदा हुसैन खाँ, बदरुज्ज़माँ मुजफ्फर खाँ जैसे श्रेष्ठ ध्रुवपद एवं ख्याल गायकों का जमघट था। कुतुबबख्श सितारवादन में भी प्रवीण थे। कुतुब अली खाँ के कार्यक्रम के पश्चात् किसी अन्य कलाकार का कार्यक्रम जमना कठिन होता था। मुहम्मद अली खाँ को राजसी सम्मान प्राप्त था। कुदरत उल्ला खाँ, तराने की गायकी के अतिरिक्त कव्वाली गायन में सारे देश में बेजोड़ थे तथा अपनी सुरीली, बुलन्द एवं पाटदार आवाज के लिए संगीत जगत में प्रसिद्ध थे। भास्कर बुवा बारवले इनके प्रिय शिष्य थे। बदरुज्ज़माँ शास्त्रीय संगीत के अतिरिक्त ठुमरी, दादरा आदि ऐसे सुरीले ढंग से गाते कि सुनने वाले ठगे से रह जाते।

खुर्जा (अलीगढ़) घराने का आरम्भ नत्थे खाँ के पुत्र जोधे खाँ से माना जाता है जो दिल्ली दरबार से आकर खुर्जा में बस गये। इमाम खाँ, गुलाम हुसैन खाँ, ज़हूर खाँ, अलताफ हुसैन खाँ, गुलाम हैदर खाँ ऐसे संगीतज्ञ थे जिनका ध्रुवपद, धमार, ख्याल, तराना, ठुमरी, टप्पा, तिरवट, चतुरंग पर समान अधिकार था तथा इन लोगों की गायकी बुलन्द परन्तु पेंचदार मानी जाती थी। ज़हूर खाँ की बनाई ध्रुवपद, ख्याल छन्द, प्रबन्ध, चतुरंग, सरगम की अनेक बंदिशें अभी तक प्रचलित हैं। इसी घराने के गफूर बख्श श्रेष्ठ सितारवादक थे। ये सभी कलाकार अपने को खुर्जा घराने का प्रतिनिधि कहने में गर्व का अनुभव करते थे। ऐसा लगता है कि दिल्ली दरबार की स्थिति डाँवाडोल होने पर कलाकार आस-पास खुर्जा, अतरौली, बुलन्दशहर आदि स्थानों में बसते गये। वहाँ संगीत परम्परा ने जन्म लिया। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की के संगीत में योगदान से सभी सुपरिचित हैं।

मथुरा के ध्रुवपद में कृष्णभक्ति सम्प्रदाय मन्दिरों, विरक्त साधुओं के अतिरिक्त सूबेदार नवाब अली खाँ के दरबार से संगीतज्ञों की अलग परम्परा मिली है। कौड़ी रंग और पैसारंग दोनों भाई ध्रुवपद धमार एवं ख्याल के बड़े प्रसिद्ध गायक थे। पानखाँ को इन सभी शैलियों पर समान अधिकार था और नवाब से इन्हें ज़ागीर मिलती थी। बुलाकी खाँ श्रेष्ठ गायक होने के साथ संगीत शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान थे और अधिकतर मथुरा के मन्दिरों में ही गाते थे। मथुरा के ही अहमद खाँ (गुलदीन खाँ) सितारवादन में इतने निपुण थे कि गुजरात के लूनावडा दरबार में एक-एक स्वर सटीक लगाने पर एक दिन के कार्यक्रम में इन्हें कई महीनों, वर्ष भर का वेतन पुरस्कार स्वरूप मिल जाता। काले खाँ ने 'सरस पिया' नाम से ख्याल ठुमरी, ध्रुवपद की अनेक रचनाएँ कीं जो आज भी लोकप्रिय एवं प्रचलित हैं। गुलाम रसूल खाँ ने अपने संगीत शिक्षण की यात्रा का शुभारम्भ मथुरा से ही किया लेकिन जाकर बस गए बड़ौदा दरबार में। फैयाज़ खाँ सितार वादन में अद्वितीय थे। मुन्नन खाँ ने भी सितारवादन में बड़ी ख्याति अर्जित की लेकिन मुर्शिदाबाद अपने श्रेष्ठ गायन के लिए देश भर में प्रसिद्ध थे। दोनों संस्कृति के अच्छे विद्वान थे। कहते हैं आज से ८०-९० वर्ष पूर्व इन कलाकारों को नेपाल आदि स्थानों में एक-एक कार्यक्रम के लिए एक लाख रुपये तथा बहुमूल्य हीरे-जवाहरात पुरस्कार स्वरूप मिलते थे।

उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद की अपनी विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण संगीत परम्परा रही है। इसके परवर्ती प्रतिभा सम्पन्न कलाकार उस्ताद इनायत खाँ के गौरीपुर रियासत (बंगाल) में बस जाने के कारण सितार वादन का यह अनूठा घराना गौरीपुर घराना के नाम से भी प्रसिद्ध था। विशिष्ट वाद्य शैली के श्रेष्ठ प्रतिनिधि इमदाद खाँ की लोकप्रियता के कारण पारखी संगीत प्रेमी इसे इमदादखानी बाज नाम से भी जानते थे। सितार वाद्य पर गायकी, विशेषतः किराने घराने की गायकी, हूबहू प्रस्तुत करने के कारण अनेक संगीत समीक्षक इस परम्परा को किराना घराना के अन्तर्गत मानते हैं। 'बाज एक, नाम अनेक' इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।

इटावा की सितार वादन संगीत परम्परा सात पीढ़ियों से भी अधिक पुरानी है। इस घराने के पूर्वजों में मलूकदास के राजपूत वंशज सुरजन सिंह, सुरजन सिंह के पुत्र तुराब खाँ, पौत्र साहबदाद खाँ, प्रपौत्र इमदाद खाँ, इमदाद खाँ के दो पुत्र इनायत खाँ, वहीद खाँ, इनायत खाँ के पुत्र विलायत खाँ, इमरत खाँ तथा वंशजों में रईस

खाँ उल्लेखनीय हैं। ध्रुवतारा जोशी इसी परम्परा के प्रतिनिधि हैं। बीनकार अंग के फलस्वरूप सितार सुरबहार पर ग्वालियर, आगरा तथा किराने घराने की गायकी सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने की अद्‌भुत क्षमता के अतिरिक्त इटावा संगीत परम्परा की इस बात की अपनी विशेषताएँ रही हैं। विशुद्ध बाज अंग, मींड़ का विस्तार, झाले की विविधता तथा माला जैसी लड़ी, स्वरों की शुद्धतायुक्त तैयारी, सपाट तान, कूटतान, तिहाई आदि संगीत के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण तथा साधुसंत जैसा उदासीन जीवन इस संगीत परम्परा की दूसरी विशेषता रही है।

उस्ताद विलायत खाँ ने अपनी अथक साधना तथा विलक्षण प्रतिभा से इटावा की संगीत परम्परा को विशेष समृद्ध किया। उनकी लगभग तेरह-चौदह वर्ष की आयु थी, जिस समय पिता उस्ताद इनायत खाँ के आकस्मिक निधन से घराने तथा उसकी विशिष्ट शैली परम्परा के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग गया। उस्ताद विलायत खाँ ने चुनौती स्वीकार की, वर्षों अपने को कमरे में बन्द करके पूर्वजों और उनके बाज का मनन करते हुए पन्द्रह-सोलह घंटे प्रतिदिन सितार सुरबहार पर रियाज (अभ्यास) करते रहे और अन्ततः संगीत में जैसे सिद्धि प्राप्त कर ली। उन्होंने सितार सुरबहार में दो के स्थान पर एक ही तुम्बा रखा। सितार सुरबहार पर हृदयस्पर्शी, सुमधुर, सटीक मींड़ लेने में उस्ताद विलायत खाँ अद्वितीय हैं। एक ही परदे पर पूरे सप्तक की मींड़ लेने, अद्‌भुत लयकारी, अति द्रुत लय के बावजदू माधुर्य, स्वरों की शुद्धता उनकी विशेषता है। विलायत खाँ के दादा इमदाद खाँ इन्दौर में रहे तो चाचा वहीद खाँ कलकत्ता में और पिता इनायत खाँ गौरीपुर में रहे। शहनाई जैसे गायकी प्रधान सुषिर वाद्य के साथ अपने वाद्य सितार की अनेक वाद्यगत सीमाओं तथा कठिनाई को पार करते हुए बिस्मिल्ला खाँ के साथ सही अर्थों में सफल जुगलबंदी उस्ताद विलायत खाँ की विलक्षण प्रतिभा की द्योतक है। यदि बिस्मिल्ला खाँ ने हेय समझे जाने वाले लोकवाद्य को शास्त्रीय संगीत वाद्यों के सर्वोच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया तो विलायत खाँ ने सितार सुरबहार वादन को नया अनुकरणीय आयाम दिया। मुम्बई में कई दशक रहने के पश्चात् महानगरी की चमक-दमक, प्रचार-प्रसार, चकाचौंध छोड़कर नगर के कोलाहल से दूर उत्तर प्रदेश के देहरादून के सुरम्य वनखण्ड, प्रकृति के बीच संगीत के माध्यम से एकान्तवास, आध्यात्मिक साधना, नाद ब्रह्म चिंतन के रूप में जीवन में शान्ति की रसात्मक साधना में तल्लीन विलायत खाँ ने इटावा परम्परा विशेषतः अपने पिता, पितामह के जीवन दर्शन का अनुशीलन किया।

कासगंज (एटा) के ख्वाजा बख्श श्रेष्ठ गायक होने के साथ प्रसिद्ध सितारवादक भी थे और दिल्ली दरबार के पतन तक बहादुरशाह जफर के दरबार में ही रहे।

शाहजहाँपुर घराना सरोद वादन के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध रहा है। उस्ताद काजिम अली के शिष्य, इंसाफ अली रबाबिया तथा इनायत अली खाँ सरोदिया ने अपने-अपने क्षेत्र में बड़ी ख्याति अर्जित की। इनायत खाँ के पौत्र सखावत खाँ (पुत्र शफात खाँ) ने उस्ताद मीरू खाँ, उस्ताद करामत उल्ला तथा प्रोफेसर कौकभ से सीखकर सरोदवादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त की तथा भातखण्डे संगीत विद्यालय, लखनऊ में अध्यापन कार्य करते रहे। उस्ताद सखावत खाँ के पुत्र उस्ताद इलियास खाँ सितारवादन के क्षेत्र में प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता का कीर्तिमान रहे हैं। इलियास खाँ की शिष्य परम्परा में सितार तथा सरोद वादन की परम्पराएँ चल रही हैं।

बनारसी अंग और लखनऊ कथक नृत्य शैलियों की भाँति तबले की वादन शैलियों ने तबले के विभिन्न घरानों का रूप लिया। चाँटी स्याही के अधिक प्रयोग, पेशकार, कायदों-तिनक तिन, केन, धिनगिन, धिड़ान आदि बोलों की बहुलता के कारण मेरठ जनपद के अजराड़ा घराने ने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। इस शैली के प्रवर्तकों, प्रमुख कलाकार प्रतिनिधियों मुहम्मदी बख्श, कल्लू खाँ, चाँद खाँ, हस्सू खाँ, शम्भू खाँ और हबीबुद्दीन खाँ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

इसी प्रकार दिल्ली से आकर उस्ताद मोदू खाँ और बख्शू खाँ लखनऊ में बस गये। उन्होंने कथक नृत्य के अनुरूप परन, नृत्य की आत्मा लिए चक्करदार टुकड़ों, धिड़नग, धतिन्न आदि बोलों की प्रधानता के साथ विशिष्ट शैली का प्रचलन किया जो लखनऊ शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। खलीफा मम्मू खाँ, मुहम्मद खाँ, मुन्ने खाँ, वाजिद हुसैन खाँ (खलीफा पूरब), आबिद हुसैन खाँ, वीरू मिश्र, जहाँगीर खाँ, महबूब खाँ की समृद्ध परम्परा के कारण लखनऊ के बाज को तबला वादन के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उधर बख्शू खाँ ने टुकड़ों,

रेलों, परनों के अतिरिक्त त्तिधिड़ान, किट, धिड़नग, दिनतक, धिंता आदि बोलों के साथ बोलों की तैयारी, सफाई और मिठास को महत्व दिया। उनकी शैली फर्रुखाबाद घराने के नाम से प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हुई। फर्रुखाबाद के घराने के कलाकारों में हाजी खाँ, हुसैन अली खाँ, मुनीर खाँ, अहमद जान थिरकवा, अमीर हुसैन, गुलाब हुसैन, नन्हें खाँ, मसीत खाँ तथा करामत हुसैन के नाम लिये जा सकते हैं। पहले कलाकार अशिक्षित अवश्य होते थे परन्तु गुणी एवं अपनी कला में पारंगत थे। कहते हैं रामपुर के बहादुर हुसैन खाँ, छम्मन साहब और जानी साहब ने थाट पद्धति, आधारभूत कल्याण थाट, पूर्वांग, उत्तरांग, राग वर्गीकरण के सिद्धान्त का बहुत पहले प्रतिपादन किया था जो भातखण्डे थाट एवं राग सिद्धान्त पद्धति से बहुत कुछ मिलता-जुलता है।

प्रयागराज कोई रियासत नहीं थी परन्तु संगीत प्रेम, रईस ज़मींदारों के कारण यहाँ देश भर के शीर्षस्थ संगीतज्ञों का जमघट बना रहता। विलायत खाँ, बिस्मिल्ला खाँ आदि जैसे कलाकारों ने मंच प्रदर्शन का शुभारम्भ प्रयाग के संगीत सम्मेलन से किया। देश का शायद ही कोई ऐसा श्रेष्ठ संगीतज्ञ होगा जिसने प्रयागराज के संगीत सम्मेलन में भाग न लिया हो। जिसे प्रयागराज संगीत सम्मेलन के पारखी श्रोताओं की 'वाह-वाह' मिल गयी, वह देश का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ बन गया। यही कारण है कि सभी संगीतज्ञ प्रयागराज के संगीत सम्मेलन में अवसर मिलने के लिए लालायित रहते और प्रदर्शन का अवसर मिलने पर गर्व का अनुभव करते। यहाँ संगीत सम्मेलन चार-पाँच दिनों तक दिन-रात चलते। न कलाकार थकते और न श्रोता। प्रयागराज के संगीत प्रेमी शिक्षित समाज के प्रयास का ही फल था कि शिक्षित एवं सम्भ्रान्त परिवारों में अस्पृश्य एवं त्याज्य समझी जाने वाली संगीत कला एवं कलाकार को प्रतिष्ठित स्थान मिला। प्रयाग संगीत समिति आज परीक्षार्थियों तथा केन्द्रों की संख्या की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी संगीत संस्थाओं में से एक है।

प्रयागराज में गायक-गायिकाओं की अपनी परम्परा रही है। टीपदार, तेज परन्तु मीठी आवाज वाली जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी के मोहक संगीत को संगीत के पारखी आज तक भूल नहीं सके हैं। जानकी बाई प्रयागराज की शान थीं। बिस्मिल शायर ने उनके लिए ठीक ही लिखा था :–

हर ग़ज़ल अब ख़त्म हो इस टीप पर उस्ताद की,
मेरा नाम जानकी बाई और इलाहाबाद की।

यह मिसरा जानकीबाई को इतना पसन्द आया कि जब उनके गायन की कोई रिकार्डिंग होती तो वह उस राग व ताल विशेष में निबद्ध बोल के पहिले गातीं ''मेरा नाम जानकीबाई इलाहाबाद'' और फिर अपना गायन आरम्भ करतीं। यही मिसरा उनके रिकार्ड की पहचान (ट्रेड मार्क) जैसा बन गया था। उन दिनों जब रेकार्ड बनाने का प्रचलन नहीं हुआ था जानकी बाई के सैकड़ों रेकार्ड बन गये थे। इनके रेकार्ड्स के विज्ञापनों में लिखा रहता ''जिनका गायन सुनकर मुर्दे जिंदा हो गये'' और सचमुच उनका गायन ऐसा ही बतलाया जाता है। बनारसी अंग की गायिकायें विद्याधरी, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी, गौहरजान (कलकत्ता) बराबर प्रयागराज आया करती थीं। पंडित विष्णु दिगम्बर के शिष्य विष्णु ए. कशालकर, बी.एन. ठकार प्रयाग में ही बस गये और आजीवन यहीं रहे। श्री एन.एल. गुणे (गायन), एस.आर. मावलंकर (सितार) ने प्रयाग को अपना स्थायी निवास बनाया। सरोदवादन में उस्ताद करामत उल्ला खाँ का घराना प्रसिद्ध था जिनके शिष्यों में उस्ताद चुन्ने खाँ तथा पंडित गणेश प्रसाद द्विवेदी, बनवारी लाल सितार में उल्लेखनीय हैं। तबलावादन के क्षेत्र में उस्ताद यूसुफ खाँ, प्रोफेसर लाल जी के नाम लिये जा सकते हैं। सारंगी वादन में नजीर खाँ का नाम उल्लेखनीय है। तबलावादन के क्षेत्र में उस्ताद यूसुफ खाँ, प्रोफेसर लालजी के नाम लिये जा सकते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया तथा रघुनाथ सेठ ने बाँसुरीवादन में बम्बई और देश के कोने-कोने तक प्रयाग की संगीत परम्परा का सम्मान बढ़ाया है।

अन्य पुराने कलाकारों में तत्कालीन ख़लीफा पण्डित भोला भट्ट का नाम आता है जो अलोपीबाग में रहते थे। भट्ट के पास ध्रुपद, होरी, ख्याल, ठुमरी, टप्पा की दुर्लभ बन्दिशों का अपार भण्डार था। गगन बाबू वायलिन वादन में अद्वितीय थे। लय पर उनका अभूतपूर्व अधिकार था। उनके शिष्यों में श्रीराम श्रीवास्तव तथा

जोई श्रीवास्तव ने वायलिन वादन के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की। हारमोनियम वादक नीलू बाबू को लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने इतना अधिक अभ्यास किया था कि अभ्यास करते-करते हाथों की उंगलियाँ टेढ़ी हो गयी थीं। किसी समय में केसरबाई की समस्त रियासतों के संगीत सम्मेलनों में धाक थी। वह जानकी बाई के साथ गाती थीं। पैंसठ वर्ष से भी अधिक आयु वाली कृष्णा देवी सात वर्ष की आयु से ही गायन द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करने लगी थीं। उन्होंने लोकप्रियता का कीर्तमान स्थापित किया। अब तक बादशाही मण्डी स्थित उनके निवास से कभी भोर में तैरती पंक्तियाँ ''कब लोगे खबर मोरी राम'' मन को स्पर्श कर जाती हैं और स्वर्णिम अतीत की याद दिलाती हैं। किराना घराने के हबीब खाँ की शिष्या मुनीर खातून बेगम ने न केवल अपने देश के कोने-कोने में बल्कि पाकिस्तान एवं अन्य देशों में अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त की।

प्रयाग में संगीत सम्मेलनों की परम्परा संगीत कला की प्रतिष्ठा एवं संगीत समिति की स्थापना में मेजर रंजीत सिंह, बैजनाथ सहाय तथा डी.आर. भट्टाचार्य का विशेष योगदान रहा है। श्री प्रोजेश बनर्जी ने संगीत की दिशा में पर्याप्त कार्य किया तो श्री महेश नारायण सक्सेना ने संस्थागत पद्धति के लिए भी शास्त्र पर अनेक पुस्तकें लिखीं। संगीत सदन से संगीत संबंधी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

उत्तर प्रदेश का प्रत्येक अंचल संगीत के अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र के अपने लोकगीत हैं। ब्रज की होली, रासनृत्य, मीरजापुर-बनारस की कजरी, बिरहा, कानपुर में श्रीकृष्ण पहलवान और हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परम्परा, प्रदेश के ग्रामों में आल्हा, सावन आदि जैसी शैलियाँ, रामलीला मण्डलियाँ, पर्वतीय प्रदेश का संगीत– इन सबसे समस्त प्रदेश संगीत रस से आप्लावित होता रहता है। वस्तुतः उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा अत्यन्त प्राचीन और देश में सबसे अधिक समृद्ध रही है अतः इसे सरस प्रदेश कहना उपयुक्त प्रतीत होता है।

उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा की अपनी विशेषताएँ रही हैं और योगदान भी ऐतिहासिक रहा है। शायद इसका कारण इस प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसकी माटी के कण-कण में बसी संगीतात्मकता है। इटावा, अतरौली, सहसवान, किराना से लेकर रामपुर, आगरा, बनारस, लखनऊ, प्रयागराज तक और इनके अतिरिक्त मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या के कोने से सुरीले स्वरों की झंकार, उसकी अनुगूँज सुनाई देती है। शायद इस कारण इस प्रदेश का संगीतज्ञ पारसमणि कहा जाता है, जिसे जिसने स्पर्श कर लिया वह लोहे से सोना बन गया।

लखनऊ परम्परा के जनक गुलाम रसूल के प्रपौत्र (पुत्र उस्ताद मक्खन खाँ), नत्थन पीर बख्श ग्वालियर चले गये तथा लखनऊ की गायन शैली में अपने ढंग से परिवर्तन करके नयी शैली के साथ ग्वालियर घराने का सूत्रपात किया, जिसने हद्दू खाँ, हस्सू खाँ जैसे संगीतज्ञों के कारण संगीत की घराना गायकी में अपना प्रमुख स्थान बना लिया। नत्थन पीर बख्श के प्रपौत्र हस्सू खाँ के शिष्य पंडित वासुदेव राव जोशी तथा जोशी के शिष्य पंडित बालकृष्ण बुवा, इचलकरंजीकर की शिष्य परम्परा में पंडित विष्णु दिगम्बर जी के यशस्वी शिष्य हुए। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के नत्थन पीर बख्श से ग्वालियर घराने तथा पण्डित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर की शिष्य परम्परा का सूत्रपात हुआ। गुलाम रसूल के दूसरे प्रपौत्र (पुत्र उस्ताद शक्करा खाँ) बड़े मुहम्मद खाँ जयपुर चले गये।

उस्ताद बड़े मुहम्मद खाँ तथा उनके पुत्र मुबारक अली खाँ की गायकी ने उस्ताद अल्ला दित्ता खाँ को बड़ा प्रभावित किया, वह उनके शिष्य बन गये। इस परम्परा में केसर बाई केरकर, भुर्जी खाँ, मंजी खाँ, मल्लिकार्जुन मंसूर, किशोरी अमोनकर जैसे श्रेष्ठ संगीतज्ञ हुए। वैसे उस्ताद अल्लादित्ता खाँ स्वयं अतरौली (जिला अलीगढ़) के थे और आगे चलकर बम्बई में रहने लगे। सहारनपुर के सुप्रसिद्ध ध्रुवपद, होरी गायक सूफी संत खलीफ मुहम्मद जमा की शिष्य परम्परा में बीनकार बन्दे अली खाँ, ध्रुवपद गायकों नासिरुद्दीन खाँ, जाकिरुद्दीन खाँ, रहीमुद्दीन खाँ, नसीर मोइनुद्दीन, नसीर अमीनुद्दीन तथा नसीर फैयाजुद्दीन के नाम उल्लेखनीय हैं। सहारनपुर के निकट किराना नामक ग्राम निवासी अब्दुल वसीम खाँ ने जिस गायकी का प्रचलन किया, वह किराना घराने के नाम से लोकप्रिय हुई। इसी घराने में बालकृष्ण बुवा, हीराबाई बड़ौदकर, बहरे बुवा, रामभाऊ

कुंदगोलकर, श्रीमती गंगूबाई हंगल, सुरेश बाबू माने, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी जैसे यशस्वी संगीतज्ञ हुए। इसी प्रकार मुरादाबाद जिले में बिजनौर में उस्ताद दिलावर हुसैन के पुत्र छज्जू खाँ, नजीर खाँ तथा खादिम हुसैन खाँ बम्बई के भिण्डी बाजार मुहल्ले में जाकर बस गये। उनके हृदयग्राही अलाप, सूत, मींड, गमक, मेरुखण्ड पद्धति पर आधारित तानों के कारण यह लोकप्रिय गायकी भिण्डी बाजार घराना नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घराने की शिष्य परम्परा में मम्मन खाँ, शमीर खाँ (शिष्य उस्ताद अमीर खाँ), मुहम्मद खाँ, कप्तान बख्श, झण्डे खाँ, जान खाँ, चाँद खाँ, अंजनीबाई मालपेकर, अमान अली खाँ, रमेश नादकर्णी, बसन्त राव देशपाण्डे जैसे श्रेष्ठ कलाकार हुए।

स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने अमान अली से कई वर्षों संगीत की शिक्षा प्राप्त की। भिण्डी बाजार घराने से संबंधित प्रकाशन में इसका उल्लेख किया गया है। इटावा के सितार नवाब इनायत खाँ गौरीपुर (बंगाल) चले गये तो सितार का गौरीपुर घराना प्रचलित हो गया जिसके प्रमुख प्रतिनिधि हुए उस्ताद इनायत खाँ, उस्ताद विलायत खाँ, जयपुर के पंडित जयलाल जी ने पंडित बिन्दादीन जी से दस वर्ष कथक नृत्य की शिक्षा प्राप्त की तथा लौटने पर बिन्दादीन जी द्वारा सिखलाई शैली में तोड़ा, परन की प्रधानता का समावेश करके कथक के जयपुर घराने का नाम दिया। इस घराने की शिष्य परम्परा उल्लेखनीय है– सोहन लाल, मोहन लाल, दुर्गा लाल, रोशन कुमारी, कार्तिकेय। इस प्रकार यह कथन कि ''वर्तमान हिन्दुस्तानी संगीत मुख्यतः उत्तर प्रदेश की देन है'' कहना अनुचित न होगा और न अतिशयोक्तिपूर्ण।

रंगकर्म

उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों की बोली, बानी और संस्कृति की विविधता ने लोकनाट्य एवं लोक संगीत (गायन, वादन, नर्तन) को अनन्तरूपता प्रदान कर प्रदेश की संस्कृति को अनगिनत रूपों में सजा-सँवार कर हमें वैभवशाली सांस्कृतिक संपदा का स्वामी बनाया है। नागरसभा, भरथरी, धोबिया राग, स्वांग सपेड़ा, रावला, गुलाबो-सिताबो (पुतुल नाट्य), ख्याल, स्वांग, भगत, सांगीत (नौटंकी), धनुष यज्ञ, रामलीला, रासलीला आदि प्रदेश के विविध पारम्परिक नाट्य रूपों में से बीसवीं शताब्दी के अंत तक शनैः शनैः अनेक रूपों का क्षरण हो चला और उन्हें लुप्तप्राय की संज्ञा से अभिहित किया जाने लगा– उपभोक्ता संस्कृति, भूमंडलीकरण और इलेक्ट्रानिक मीडिया के आतंक की मार खाते हुए 21वीं सदी की देहरी में जिन रूपों को लेकर हम दाखिल हो सके हैं उनमें मुख्यतः रामलीला, रासलीला और नौटंकी ही प्रदेश के प्रतिनिधि लोकनाट्य के रूप में अभिहित किये जा सकते हैं। रामलीला का अपना कोई एक मानक रूप नहीं है। प्रदेश की प्राचीन एवं प्रतिनिधि रामनगर (वाराणसी) की रामलीला आज भी पूरे नगर के विभिन्न क्षेत्रों को अपनी लीला स्थली बना लेती है– रामलीला समिति प्रायः प्रदेश के छोटे-बड़े सभी नगरों में होती है कुछ नगरों में मंच बनाकर किसी एक केन्द्रीय स्थल पर एक ही रामलीला समिति द्वारा और किन्हीं नगरों में अनेक समितियों द्वारा अलग-अलग रामलीलाएँ होती हैं। रासलीला आज भी अपनी रूढ़िगत परम्परा एवं अनुशासन से बंधे होने के कारण अपनी गायकी और अभिनय की पारम्परिक शैली में ही निबद्ध है।

नौटंकी का स्वरूप मूलतः वीथि नाटक का है, किन्तु पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध से शनैः शनैः इसके प्रदर्शन औपचारिक प्रेक्षागृह और मंच पर भी होने लगे हैं। फिल्म और टी.वी. की बढ़ती हुई लोकप्रियता की चकाचौंध में इस विधा ने आधुनिकता का जामा फूहड़पन के साथ ओढ़ना शुरू कर दिया जिसके फलस्वरूप इस विधा और इसके कलाकारों के अस्तित्व पर भी संकट के घने बादल घिरने लगे हैं। नौटंकी कलाकारों के वजूद को कायम रखने के लिए **नौटंकी कला केन्द्र** नामक संस्था सचेष्ट है।

उत्तर प्रदेश के आधुनिक रंगेतिहास की चर्चा करते समय प्रायः 1843 में लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा लिखित **किस्सा राधा कन्हैया** तथा 1853 में उन्हीं के संरक्षण में सैय्यद आगा हसन अमानत लखनवी कृत **इन्दरसभा** के मंचन का जिक्र किया जाता है किन्तु भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का यह मत निर्विवाद लगता है कि विशुद्ध नाटक रीति से पात्र-प्रवेशादि नियम रक्षण द्वारा उनके पिता बाबू गोपालचन्द्र (उपनाम गिरधरदास)

द्वारा 1857-58 में लिखित भाषा का प्रथम नाटक **नहुष** था। वाराणसी में 3 अप्रैल, 1868 को शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत **जानकी मंगल** के मंचन को आधुनिक विधि से सम्पन्न प्रथम मंच प्रयोग कहना सर्वमान्य है। हिन्दी नाट्यलेखन के साथ ही नाटकों के मंच प्रयोग की परम्परा के पहले अलमबरदार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ही थे अतः उन्हें आधुनिक हिन्दी रंगमंच का जनक कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। उनकी प्रेरणा से कानपुर में पंडित प्रतापनारायण मिश्र ने रंगमंच का अलख जगाया। 1870 में वाराणसी में जन्मे आगा मुहम्मद शाह ने जब होश संभाला तो उन्होंने नौटंकियाँ भी देखीं, भारतेन्दु के नाटक भी देखे और व्यावसायिक पारसी थियेट्रिकल कंपनियों के नाटक भी देखे और कालान्तर में नाट्यलेखक के रूप में वे आगा हश्र काश्मीरी के नाम से व्यावसायिक रंगमंच के क्षेत्र में यशस्वी हुए। उनकी देखरेख में चरखारी (महोबा) के महाराज ने चरखारी (महोबा) में एक थियेटर कम्पनी कायम की जो कुछ दिन चली। उनके समकालीन पंडित राधेश्याम कथावाचक तथा नारायण प्रसाद बेताब ने भी नाटककार के रूप में यश अर्जित किया तथा पारसी हिन्दी रंगमंच की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया। इसके विपरीत 1881 को प्रयागराज में जन्मे कवि-सेनानी पंडित माधव शुक्ल ने अपने नाट्यलेखन एवं विशिष्ट नाटकों के सफल निर्देशन द्वारा राष्ट्रीय भावधारा को अग्रसारित करने के साथ ही विभिन्न नगरों में हिन्दी नाट्य समितियों की स्थापना की। निस्संदेह हिन्दी रंगमंच के द्वितीय उत्थान काल में उनके योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें हिन्दी रंगमंच का उन्नायक कहना सटीक है। 19वीं शताब्दी के सातवें दशक में पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों के अतिरिक्त बंगला के नाट्य दलों द्वारा भी वृन्दावन, आगरा, कानपुर, प्रयागराज और लखनऊ आदि में नाट्य प्रदर्शन करने के संदर्भ मिलते हैं– छतर मंजिल, लखनऊ में कलकत्ता के **ग्रेट नेशनल थियेटर** द्वारा 1875 में बंगला नाटक **नीलदर्पण** के प्रदर्शन के दौरान एक अंग्रेज द्वारा नाट्य दल के कलाकारों से हुई मारपीट, 1876 की ड्रामा परफारमेन्स एक्ट लागू होने का एक कारण बनी। मजे की बात यह है कि लखनऊ की इस घटना के 78 वर्ष बाद 1953 में लखनऊ के रिफ़ा-ए-आम क्लब के हॉल में इप्टा, लखनऊ द्वारा खेले गए मुंशी प्रेमचंद की कहानी **ईदगाह** के बेगम रज़िया सज्जाद ज़हीर कृत नाट्य रूपान्तर के अमृतलाल नागर के निर्देशन में हुए मंचन के विरुद्ध तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा इसी ड्रामा परफारमेन्स एक्ट के तहत चलाये गए मुकदमे का ऐतिहासिक फैसला 1956 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति, प्रसिद्ध शायर पंडित आनन्दनारायण मुल्ला ने किया और स्वाधीनता के बाद इस धारा को निरस्त करने की व्यवस्था दी।

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के चौथे दशक में बोलपट (सिनेमा) के आने तक लखनऊ, वाराणसी, प्रयाग, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, मेरठ आदि में पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों का ही बोलबाला रहा। नाटकों का मंचन शौकिया रंगमंच के रूप में कतिपय नाट्य संस्थाओं अथवा स्कूलों कॉलेजों एवं कुछ विश्वविद्यालयों के वार्षिकोत्सवों में ही होता रहा, बोलपट के आते ही थियेट्रिकल कम्पनियों का बाजार खत्म हो गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद 1943 में वामपंथी एवं प्रगतिशील कलाकारों तथा बुद्धिजीवियों द्वारा स्थापित इप्टा (भारतीय जननाट्य संघ) की शाखाएँ आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ आदि नगरों में राजेन्द्र सिंह रघुवंशी, महावीर स्वामी, ललितमोहन अवस्थी, बाबूलाल वर्मा, गोकुलचन्द्र रस्तोगी आदि के प्रयास से कायम हुई जो प्रायः छठे दशक तक अधिक सक्रिय रहीं। प्रेमचन्द की कहानियों और उपन्यासों के नाट्य रूपान्तर इप्टा की शाखाओं द्वारा खूब खेले गए। इस काल में कुछ अपवादों को छोड़कर आमतौर से नाटककार मंचन के लिए नहीं पाठ्यक्रम के लिए ही नाटक लिखते रहे। कालेजों के शौकिया मंच की आवश्यकता प्रायः रामकुमार वर्मा, उपेन्द्रनाथ अश्क, जगदीश चन्द्र माथुर, लक्ष्मीनारायण लाल तथा कृष्ण चन्दर आदि के नाटक ही पूरी करते रहे। आल इण्डिया रेडियो के लिए लिखे गए विष्णु प्रभाकर और चिरंजीत के नाटक भी मंच पर खेले गए।

स्वाधीनता के बाद भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत गीत नाट्य प्रभाग कायम किये गए इन्हीं की तर्ज़ पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा भी नाटक एवं रंगमंच की गतिविधियाँ आरम्भ हुईं जिनमें नाटक प्रतियोगिता तथा प्रचार-प्रसार हेतु नाट्य दल की स्थापना मुख्य है, 1963 में उ.प्र. संगीत नाट्य भारती (राज्य की संगीत नाटक

अकादमी) कायम हुई जो अप्रैल 1968 के पूर्व रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय न हो सकी। 1961 में रवीन्द्र शतवार्षिकी के उपलक्ष्य में भारत सरकार के सहयोग से राज्यों में आरम्भ की गई रवीन्द्र रंगशालाओं के निर्माण की योजना के अन्तर्गत 1964 में प्रदेश की राजधानी में निर्मित रवीन्द्रालय ने राजधानी के रंगान्दोलन को गति प्रदान करने में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। प्रायः इन्हीं-आठवें दशकों में इलाहाबाद में मेहता प्रेक्षागृह, वाराणसी में नागरी नाट्य मंडली का प्रेक्षागृह, आगरा में सूरसदन, कानपुर में लाजपत भवन आदि सर्वसुविधा सम्पन्न प्रेक्षागृह तैयार हुए। प्रेक्षागृहों के निर्माण के फलस्वरूप रंगकर्मी उत्साहित हुए, सभी नगरों में नाट्य संस्थाएँ गठित होने लगीं, राज्य अकादमी द्वारा आयोजित नाट्य कार्यशालाओं, नाट्य प्रतियोगिताओं, समारोहों के आयोजनों, केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय (अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय), उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं ने रंगमंच की गतिविधियों को विगत चार दशकों में बहुत बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाट्य कला के स्नातकों तथा 1975 में उत्तर प्रदेश में स्थापित भारतेन्दु नाट्य अकादमी में प्रशिक्षित नाट्यकर्मियों द्वारा नित नए नाट्य प्रयोगों से रंगचेतना के विकास में सहयोग मिला। आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, गोरखपुर सदृश महानगर ही नहीं वरन् मथुरा, उरई, रायबरेली, उन्नाव, अयोध्या, बस्ती, गाजीपुर, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, गाजियाबाद आदि अनेक नगरों में रंगमंच की गतिविधियाँ प्रायः होती रहती हैं– इन नाट्य केन्द्रों में एकाधिक सक्रिय नाट्य संस्थाएँ कार्यरत हैं। दर्पण, भारतीय जननाट्य संघ, मेघदूत, यायावर, थियेटर आर्ट्स वर्कशाप नव चेतना सांस्कृतिक संगठन (लखनऊ), रूपान्तर (गोरखपुर), भारतीय जननाट्य संघ (आगरा), स्वास्तिक (मथुरा), नागरी नाट्य मंडली, श्री नाट्यम (वाराणसी), समानान्तर इटीमेट थियेटर, प्रयाग रंगमंच दस्ता, (प्रयागराज), माध्यम नाट्य संस्थान (गाजीपुर), साधना नाट्य कला केन्द्र (गाजियाबाद) आदि संस्थाएँ अपने कार्यकलापों के स्तर और नैरंतर्य को बनाए रखने में सचेष्ट दिखती हैं। उत्तर प्रदेश में विगत दशकों में प्रतिभाशाली रंगकर्मियों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है– प्रथम पंक्ति के जिन नाट्य निर्देशकों ने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है और जो रंगमंच के विकास में सक्रिय हैं उनमें उर्मिल कुमार थपलियाल, राज बिसारिया, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ (लखनऊ), श्रीमती गिरीश रस्तोगी (गोरखपुर) के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रादेशिक स्तर पर ख्याति अर्जित करने वाले नाट्य निर्देशकों एवं अभिनेता-अभिनेत्रियों के नामों की सूची बहुत बड़ी है।

पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध में रंगमंच की कसौटी पर खरी उतरने वाली नाट्य कृतियाँ देने वाले उत्तर प्रदेश के नाट्य लेखकों में सत्यव्रत सिन्हा, लक्ष्मीनारायण लाल, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, गोविन्दबल्लभ पन्त, शम्भुनाथ सिंह, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना तथा सर्वश्री विनोद रस्तोगी, सिद्धेश्वर अवस्थी, उर्मिल कुमार थपलियाल, राजेश कुमार, मुद्राराक्षस, नरेश सक्सेना, नीलाभ, अजित पुष्कल, गिरिराज किशोर, सुशील कुमार सिंह, रंजीत कपूर, परिमल दत्ता, श्याम नारायण, श्रीमती मृणाल पाण्डेय उल्लेखनीय हैं। स्वाधीनता के उपरान्त उत्तर प्रदेश के नाट्यान्दोलन को गति प्रदान करने में जिन रंगकर्मियों ने अपनी संगठन क्षमता अथवा कल्पनाशीलता अथवा समीक्षाओं अथवा अन्य प्रकार से उल्लेखनीय भूमिका अदा की उनमें अमृतलाल नागर, द्विजेन्द्रनाथ सान्याल, सत्यमूर्ति, हरिमोहन सैम्पसन, सरनबली श्रीवास्तव तथा सर्वश्री कुंवर नारायण, डॉ. भानुशंकर मेहता, कृष्णनारायण कक्कड़, के.बी. चन्द्रा, स्वदेश बन्धु, डॉ. शरद नागर, दयाप्रकाश सिन्हा, डॉ. शिवमूरत सिंह, डॉ. अनिल रस्तोगी, डी. बैकुण्ठनाथ शर्मा, सतीश चित्रवंशी के नाम उल्लेखनीय हैं।

उत्तर प्रदेश में नुक्कड़ नाटकों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है जिसने यहाँ के मात्र मनोरंजक व फूहड़ नाटकों पर हमला करते हुए जाति-विद्वेष, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, व्यक्तिवाद, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कुरीतियों के विरुद्ध जनता को तैयार किया, संदेश दिया ताकि आदमी-आदमी के बीच प्रेम का व्यवहार पैदा हो तथा विसंगतियों, विडम्बनाओं व शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा हो। प्रतिबद्धता ही नुक्कड़ नाटकों की असली पहचान है। प्रयागराज, वाराणसी गोरखपुर, लखनऊ, आजमगढ़, अलीगढ़, जौनपुर, कानपुर सहित

उ.प्र. के विभिन्न छोटे व ग्रामीण इलाकों में बनी विभिन्न नाट्य व सांस्कृतिक संस्थाओं ने वर्षों तक नुक्कड़ नाटक किये स्थिति यहाँ तक आई कि नवचेतना सांस्कृतिक संगठन की नाट्य टीम द्वारा निशातगंज सब्जी मंडी (लखनऊ) के पास नुक्कड़ नाटक करते समय निशातगंज (लखनऊ) पुलिस ने रंगकर्मियों के सीने पर बंदूक रख दी और गाजियाबाद क्षेत्र में 'सहमत' के सफदर हाशमी को गुंडों ने मौत के घाट उतार दिया। नुक्कड़ नाटकों का राष्ट्रीय नाटक समारोह वर्षों तक नैनीताल (जब वह उ.प्र. में था) में होता रहा जिसकी सर्वत्र चर्चा होती थी। कुछ समय के विराम के बाद नुक्कड़ नाटकों का दौर फिर इन्हीं जगहों पर शुरू होता दिखायी दे रहा है जिसे हम उ.प्र. के नाटय आंदोलन में एक नया चरण मान सकते हैं। दूसरी तरफ भारतेन्द्र नाटय अकादमी (बी.एन.ए.) के छात्रों व अकादमी की ओर से भी नाट्य गतिविधियाँ (मंचन, निर्देशन संगोष्ठी आदि) बढ़ी हैं बहुत सारे सरकारी प्रचारात्मक कार्यक्रमों को लेकर भी नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, जो विधा को बढ़ाने की दृष्टि से एक शुभ संकेत है।

लगभग 25 वर्षों से प्रदेश में बाल रंगमंच को एक अलग पहचान देने की दिशा में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा पहल की गई, केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तथा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने भी विगत दो दशकों से इस ओर ध्यान दिया जिसके फलस्वरूप बाल रंगमंच के विकास के लिए अनेक संस्थाओं द्वारा कुछ नगरों में ग्रीष्मावकाश में नाट्य शिविरों आदि के आयोजन होते रहते हैं। इन संस्थाओं में भारतीय जन नाट्य संघ (आगरा), साधना नाट्यकला केन्द्र (गाजियाबाद), यायावर (लखनऊ), साक्षात्कार का बाल रंगमंच प्रभाग, ए.बी.सी.डी., तथा नेहरू बाल भवन प्रयागराज, अभिनय ज्योति (वाराणसी) उल्लेखनीय हैं। इन संस्थाओं तथा बाल रंगमंच के प्रति जागरूक प्रदेश के वयोवृद्ध नाट्यकर्मी ललितमोहन थपलियाल (गाजियाबाद) तथा बाल रंगमंच विशेषज्ञ श्रीमती रेखा जैन एवं अनुभवी पोखरिया, चित्रा मोहन (लखनऊ) आदि ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उत्तर प्रदेश में रंग प्रयोगों की विशद समीक्षाएँ छठे-सातवें दशक तक अंग्रेजी के अखबारों लीडर, द पायोनियर और नेशनल हेराल्ड में ही प्रकाशित होती थीं। 1964-65 से दैनिक नवजीवन में कुशीलव की विशद समीक्षाएँ प्रकाशित होने लगीं। शनैः शनैः प्रदेश के हिन्दी-अंग्रेजी के प्रायः सभी दैनिक समाचार पत्रों में रंग गतिविधियों की सचित्र चर्चा प्रमुखता से होने लगीं। उत्तर प्रदेश से रंगमंच विषयक पहली डिमाई आकार की पत्रिका 1953-54 में इप्टा (भारतीय जननाट्य संघ) आगरा ने **रंगमंच** शीर्षक से प्रकाशित की जो बाद में **अभिनय** के नाम से प्रकाशित हुई। 1972 में नक्षत्र, लखनऊ ने पहले चक्र मुद्रित पत्र **रंगमंच समाचार** शुरू किया जिसके कुछ अंक टैबलायड आकार में छपे। अगस्त 1973 से इसका प्रकाशन डॉ. ज्ञ.ला. सुल्तानिया 'अज्ञात' के सम्पादन में मासिक पत्रिका **रंगभारती** के रूप में हुआ। दर्पण संस्था ने काफी समय तक **दर्पण दृश्य** अंतर्देशीय नाट्य पत्र प्रकाशित किया। 1976 में बन्धु कुशावर्ती ने **बाल रंगमंच** का प्रकाशन आरम्भ किया। नौटंकी कला केन्द्र ने डॉ. कृष्णमोहन सक्सेना के सम्पादन में नौटंकी एवं लोक प्रदर्शनकारी कलाओं पर केन्द्रित पत्रिका **नौटंकी कला** का प्रकाशन किया। इन सभी पत्रिकाओं का जीवन कुछ महीनों से लेकर चंद सालों का ही रहा। जुलाई 1977 से उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने प्रदर्शनकारी कलाओं को समर्पित त्रैमासिक **छायानट** आरम्भ किया जिसका प्रकाशन अब तक नियमित रूप से हो रहा है– भारतेन्दु नाट्य अकादमी ने अपने रजत जयंती वर्ष (2000 ई.) से **भरतरंग** अर्द्धवार्षिक का प्रकाशन आरम्भ किया है– सुदूर गाजीपुर से **माध्यम नाट्य संस्थान** की ओर से डॉ. शिवमूरत सिंह के सम्पादन में वार्षिक नाट्य पत्रिका **रंगप्रभा** का प्रकाशन कुछ वर्षों से हो रहा है। 2000 ई. में **वर्तमान साहित्य (गाजियाबाद)** द्वारा संग्रहणीय शताब्दी नाटक विशेषांक प्रकाशित किया गया। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ.प्र. की मासिक पत्रिका **उत्तर प्रदेश** भी प्रदेश की रंग गतिविधियों को प्रायः प्रमुखता से रेखांकित कर रही है, एक अल्पविराम के बाद 2001 ई. में इसका 29वें वर्ष में प्रवेश अभिनन्दनीय है। इसी वर्ष (2001 ई.) से प्रमुख संस्कृति कर्मी शाखा वंद्योपाध्याय के सम्पादन में प्रदर्शनकारी कलाओं पर केन्द्रित सुंदर साज-सज्जा एवं सारगर्भित सामग्रीयुक्त

त्रैमासिक **कला वसुधा** की सांस्कृतिक मंच पर आमद स्वागत योग्य है। इसमें रंगकर्म पर भी सामग्री रहती है।

कला

ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश में कला-परम्परा का लम्बा और प्राचीन इतिहास है। होशंगाबाद, जोगीमारा, मिर्जापुर की सोनकढ़ा, रियासत रायगढ़, मानिकपुर आदि विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ जो कई राज्यों के बीच से गुजरती हुई गई हैं, उनकी गुफाओं में शैल चित्रकला का प्राचीन और वैभवशाली विकास देखने को मिलता है। इसी तरह ग्रामीण लोक कलाओं में भी संस्कृति व रीति-रिवाजों के अनुसार चित्रकला का भारतीय स्वरूप देखने को मिलता है जिसमें ईश्वर से लेकर समाज में फैले विभिन्न रूपों व प्रतीकों की छवि मिलती है। विभिन्न स्थानों पर प्रस्तर प्रतिमाएँ व टेराकोटा के रूप भी दिखाई देते हैं। वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, कुमायूँ, गढ़वाल (अब उत्तराखंड राज्य में), अवध क्षेत्र– पूर्वांचल और पश्चिमांचल, प्रयागराज, मिर्जापुर आदि विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कला जगत का विशिष्ट भारतीय गुणों व चरित्रों, परम्पराओं व रूढ़ियों, अंधविश्वासों व प्रतीकों से भरा कला का एक विशिष्ट, निजी व पुरातन इतिहास बिखरा पड़ा है। कहते हैं जीने के लिए विभिन्न उपाय करने की जब जरूरत मनुष्य को पड़ी तब आदिकाल से उसकी कल्पना शक्ति व जीवन की जरूरतों ने विभिन्न प्रकार के आविष्कार व निर्माण की ओर प्रेरित किया। मनुष्य की इसी कल्पना शक्ति ने उसे बाद में विभिन्न रीति-रिवाजों को प्रस्तुत करने व उनका आनन्द लेने के लिए मूर्तियों, चित्रों, गीतों व संगीत की रचना की प्रेरणा दी। प्रारम्भ में उनमें अनगढ़ता चाहे जितनी रही हो पर जीवन के स्पंदन से वह खदबदाता रहता था। जीवन में ऐसी रुचि लेने और उसे निरंतर आनंदमय बनाने की स्वाभाविक प्रेरणा ने मनुष्य से चित्रकला व मूर्तिकला का विकास करवाया। विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति के विकास के साथ-साथ इन कलाओं का रूप भी बदलता गया। आज जिसे हम आधुनिक कला या चित्रकला के नाम से जानते हैं उस कला की जड़ें यहाँ प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में मौजूद रही हैं। कला हर समय में आधुनिक रही है। जो भी नया रचा जाता है वह आधुनिक होता है। राजपूत, मुगल व पहाड़ी शैलियों में उसका बीसवीं सदी से विकास हुआ जिसे हम आधुनिक चित्रकला के नाम से जानते हैं।

ब्रिटिश शासकों ने यहाँ की मेधा के दोहन के लिए एकेडेमिक व इण्टेलेक्चुअल अभियान शुरू किये। इसी अभियान के तहत उन्होंने 1907 में औद्योगिक कांफ्रेन्स की जिनमें विविध बौद्धिक जगत में प्रवेश के लिए संस्थाओं की स्थापना पर विचार किया गया। राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ की 1911 में स्थापना के उद्देश्य के पीछे अंग्रेजों की यही मंशा थी बाद में स्वाधीनता के बाद यह संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय हो गया है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कला के क्षेत्र में आधुनिकता का प्रवेश होता है। इस महाविद्यालय की स्थापना के बाद भारतीय चित्रकला का आधुनिक दुनिया में लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश का भी, प्रवेश होता है। लेकिन यहाँ हम जिस हिस्से पर संकेत करेंगे वह है प्राचीन और आधुनिक कला परिदृश्य का वह हिस्सा जो स्वाधीनता के बाद शुरू होता है।

मानव सभ्यता के विकास में संस्कृति एक ऐसा आयाम है जिसे काल के अनुसार बिल्कुल अलग करके नहीं देखा जा सकता। यानी पिछले अध्याय, पिछली प्रवृत्तियाँ, पिछली अभिरुचियों का प्रभाव अगले अध्याय पर पड़ता-ही-पड़ता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इसीलिए जब हम स्वाधीनता के बाद के उत्तर प्रदेश की कला के पचास वर्षों पर नजर डालते हैं तो उसे पिछली कला-परम्पराओं और प्रभावों से बिल्कुल मुक्त या अकेला नहीं पाते। वास्तव में यह कला की जीवंतता व विकास का प्रमाण भी है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश की कला पिछले पचास वर्षों में अपना विशिष्ट विकास करते हुए भी अपने अतीत की छाया या प्रभाव से बिल्कुल मुक्त नहीं है। पिछली छायाओं, प्रभावों से सर्वथा मुक्त हुआ भी नहीं जा सकता। इनमें से बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के शासनकाल से उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कालेज आफ आर्ट्स एण्ड क्रॉफ्ट, लखनऊ से काम शुरू किया और स्वाधीनता के बाद इनके काम में नया परिवर्तन आया। उनकी जो कला-धारा

थी वह अपने अनुसार ही विकसित होती रही। जैसे वीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेढ़, बी.एन. जिज्जा, सुधीर रंजन खास्तगीर इत्यादि। इन सभी चित्रकारों ने उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी प्रदेश की सीमा लांघकर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कला जगत में अपना स्थान बनाया। इस संदर्भ में चित्रकार एन. खन्ना का एक उद्धरण दृष्टव्य है– ''प्रदेश की कला में आधुनिक आयामों की ऊर्जा के लिए लखनऊ कला महाविद्यालय की एक बहुत बड़ी भागीदारी रही है। 1911 से 1925 तक नेथोलियन हर्ड ने प्रधानाचार्य के पद पर रहकर भी अंग्रेजी सत्ता से देशज कला को आहत नहीं होने दिया। 1925 में प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य के रूप में आचार्य असित कुमार हाल्दार का आगमन हुआ। उस समय उनकी हैसियत आधुनिक भारतीय कला में पहली पंक्ति के मजबूत स्तम्भ सी थी। उन्होंने नए प्रयोगों के लिए वाश व टेम्परा माध्यम से सरलता व सादगी के अस्तित्व का मंत्र दिया। बंगाल की राष्ट्रीय चेतना से चले हाल्दार से पहले 1918 में लघु दृश्य चित्रों के प्रख्यात वीरेश्वर सेन (1897-1974) विद्यालय में पहले ही आ चुके थे। सौभाग्य से 1945 में वहीं की शाखा के ललित मोहन सेन (1900-1954) को प्राचार्य का पद संभालने को मिला। दस वर्षों तक पदीय सेवा के दौरान, उन्होंने पेस्टल व ऑयल पेस्टल से नैसर्गिक सौन्दर्य तथा आकृतियों, विशेषकर मुखाकृतियों में सजीव बोधगम्यता के लिए प्रयोगों की दिशाओं में विस्तार किया। उन्होंने ग्राफिक के तकनीकी पक्ष एवं रचना प्रक्रिया में बौद्धिक चिंतन का सूत्र दिया। फिर दो वर्षों तक ललित कला विभाग के अध्यक्ष प्रो. हरिहर लाल मेढ़ (1909-1974) जो स्वयं प्राकृतिक सौन्दर्य एवं छविचित्रों के अध्यापन के लिए प्रख्यात थे, ने उस समय पुनः 1963-64 में कार्यकारी प्राचार्य के रूप में कार्य किया। 1956 में दून स्कूल से आमंत्रित सुधीर रंजन खास्तगीर (1907-1974) के आगमन से विद्यालय को स्वर्णकाल का सूर्य मिला।

इससे स्पष्ट है कि स्वाधीनता के समय तक उत्तर प्रदेश में कला का एक मुकम्मिल वातावरण बन चुका था और पूरे देश में अपनी विशिष्टता के कारण यहाँ का कला स्कूल अपनी पहचान बना चुका था। स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व से ही उत्तर प्रदेश में आधुनिक कला प्रवृत्तियों ने प्रवेश करना शुरू किया था। वास्तव में यह नया कला आन्दोलन था। कला उपकरणों का विकास तो हो ही रहा था लेकिन कला के काम में आधुनिक जीवन की समस्याएँ व विसंगतियाँ प्रवेश करने लगी थीं। दो विश्व युद्धों को झेल लेने के बाद कला परिदृश्यों में चिंतन का विकास एकदम से यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं तथा त्रासदी के आधार पर शुरू हो गया था। कला का काम केवल रम्य रचना नहीं है, वह केवल विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है बल्कि वह कुछ सामाजिक दायित्व भी निभाती है। इस तरह कला की दुनिया में एक नए धरातल ने अपनी जगह बनाई जिसमें मनुष्य और उसका यथार्थ, उसका शोषण व संघर्ष, उसकी बदहाली व मानसिक दशा सब कुछ आ गया। एक तरफ प्रकृति का सुरम्य सौन्दर्य था तो दूसरी ओर भूख-पीड़ा, उपेक्षा, आक्रमण की दशाओं की अभिव्यक्ति भी कला के काम में आना शुरू हो गई थी। यानी कला के काम की विषय वस्तु में परिवर्तन हुआ, उसके सरोकार और सामाजिक उत्तरदायित्व बदले।

इन सारी स्थितियों का प्रभाव उत्तर प्रदेश के कला-विकास को भी एक रूप देता है। उत्तर प्रदेश में कला की चाहे विभिन्न परम्पराएँ विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही मौजूद रही हों लेकिन स्वाधीनता के बाद एक नया आयाम इस प्रकार आया कि लखनऊ कला महाविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से निकले हुए तमाम कलाकार प्रदेश के विभिन्न भागों में छा गए। विभिन्न निजी और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कला शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। वे नौकरी भी करते रहे और अपना मूल काम चित्रकला, मूर्तिकला आदि भी करते थे और नई विषय-वस्तु, कला-तकनीक आदि के साथ सामने आ रहे थे। उन्हें बढ़ने में या स्वयं को और विकसित करने में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने भी अपने राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, शिविरों, छात्रवृत्तियों आदि के द्वारा विभिन्न अवसर दिए।

दरअसल स्वाधीनता के बाद उत्तर प्रदेश में कला का विकास विभिन्न माध्यमों से हुआ। मुख्य माध्यम तो लखनऊ का कला और शिल्प महाविद्यालय ही था। कला के क्षेत्र में इसकी एक महत्वपूर्ण परम्परा रही है। इसी तरह विभिन्न विश्वविद्यालयों में कला के विभाग खुले। चित्रकला, मूर्तिकला और व्यावसायिक कला की पढ़ाइयाँ

शुरू हुईं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कला का एक पूरा विभाग ही खुला। इसी प्रकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, पंतनगर आदि में कला-शिक्षण का काम शुरू हुआ। औद्योगिक नगर होने के बावजूद कानपुर और अलीगढ़ में भी कला के विभाग खुले और विभिन्न स्तरों पर कला-शिक्षण आरम्भ हुआ। स्कूलों, इंटर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालय स्तर पर कला शिक्षण का जो विकास स्वाधीनता के बाद हुआ उसने उत्तर प्रदेश में कला-विकास किया। इनके अतिरिक्त विभिन्न नगरों में विभिन्न कलाकारों के सामूहिक और निजी प्रयास से कई संस्थाएँ स्थापित हुईं जिनमें वरिष्ठ चित्रकारों/कलाकारों से लेकर युवतर कलाकारों की भी किसी-न-किसी रूप में हिस्सेदारी रही। इन संस्थाओं ने कला को एक नया परिदृश्य देने, युवा कलाकारों में काम करने की ऊर्जा भरने में बड़ी मदद की।

राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय ललित कला अकादमी की तरह यहाँ भी कल्चरल अफेयर्स एण्ड साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट उ.प्र. की देखरेख में 8 फरवरी 1962 को एक स्वायत्त कला संस्था यू.पी. स्टेट ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में हुई जिसका मूल उद्देश्य प्रदेश में कला एवं कलाकारों की प्रोन्नति करना था। अकादमी आज भी अपने कार्य में समर्पित है। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉ. सम्पूर्णानन्द थे।

यही नहीं केन्द्रीय ललित कला केन्द्र ने भी 1984 में अपना क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया जिसका मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कला के एक नए वातावरण का सृजन, कलाकारों को काम करने की जगह उपलब्ध कराना, उनकी कलाओं की सामूहिक तथा एकल प्रदर्शनी आयोजित करना, देश के विभिन्न भागों की कला विशिष्टताओं, नए कलाकारों से यहाँ के कलाकारों का परिचय कराना, विभिन्न राज्यों के युवा कलाकारों को अत्यन्त सामान्य नियमों के आधार पर केन्द्र में दाखिला देकर काम करने की जगह व अवसर प्रदान करना आदि था।

जाहिर था उत्तर प्रदेश में कलाकारों की संख्या जिस तरह बढ़ रही थी और कलाकार अपना काम आम दर्शकों के बीच भी ले जाना चाहते थे तथा अन्य राज्यों के युवा तथा वरिष्ठ चित्रकारों, कलाकारों के काम से परिचित होना चाहते थे उनके लिए उ.प्र. राज्य ललित कला अकादमी तक राष्ट्रीय ललित कला केन्द्र पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। उनकी अपनी सरकारी सीमाएँ, नियम-कानून थे और पूरी तरह कला का वातावरण तैयार करना तथा निरन्तर कला गतिविधियों की खोज करते हुए, नए कलाकारों को प्रोत्साहित करते रहना संभव नहीं था।

इन स्थितियों में युवा चित्रकारों/कलाकारों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यह आवश्यक हो गया था कि यहाँ भी कुछ लोग निजी प्रयासों से कला दीर्घाओं को चालू करें। इसकी एक बड़ी परम्परा भारत के महानगर मुम्बई, दिल्ली, मद्रास आदि में पहले ही स्थापित हो चुकी थी। अतः उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों जैसे– लखनऊ में 'सृष्टि आर्ट गैलरी' का उद्घाटन अगस्त 1994 में हुआ और बाद में– 'गैलरी डी आर्ट' नाम से एक कला दीर्घा 11 मई 1997 को उद्घाटित हुई। इनमें से 'सृष्टि' बन्द हो गई है। वाराणसी में भी इस ढंग के कुछ कला केन्द्र निजी, सामूहिक व छात्रों के प्रयासों से सक्रिय हैं; जैसे ए.बी.सी. आर्ट गैलरी, कला केन्द्र, आर्य भाषा संस्थान, वर्किंग आर्टिस्ट्स-आफ वाराणसी आदि। कानपुर की संस्थाएँ– चिकितुषी, शिल्पी कला केन्द्र आदि। गोरखपुर की संस्था– 'सृजन' आदि। इसी तरह आगरा की संस्था– 'संकल्प आर्ट सोसाइटी' और अलीगढ़ की संस्था– 'उत्कर्ष फनकार सोसाइटी', प्रयागराज की जैसी विभिन्न संस्थाएँ इस प्रदेश में हैं जो अपने स्तर से विभिन्न कला गतिविधियाँ करती हैं।

स्वाधीनता के बाद के उत्तर प्रदेश के कला परिदृश्य को देखने के लिए मुख्य रूप से तीन-चार बिन्दुओं पर गौर करना जरूरी है। पहली बात है कि स्वाधीनता के बाद उत्तर प्रदेश (विशेष तौर पर लखनऊ) में कला के जितने सरकारी, गैर सरकारी व निजी संस्थान स्थापित हुए उन्होंने क्या गतिविधियाँ कीं ? यहाँ से कितने कलाकार बाहर गए ? यहाँ कला प्रशिक्षण करते हुए कलाकारों ने किस ढंग से काम किया तथा आत्मशिक्षित कलाकारों की क्या भूमिका रही ? फ्रीलांस आर्टिस्ट के रूप में कलाकारों की क्या भूमिका रही ? फिर कला

संबंधी कोई पत्र-पत्रिका प्रकाशित हुई कि नहीं तथा यहाँ दैनिक पत्र-पत्रिकाओं में कला-समीक्षाओं की क्या स्थिति रही ? किस दिशा व कितनी वस्तुपरकता के साथ वे सामने आईं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिछले पचास वर्षों में उत्तर प्रदेश में कला गतिविधियों के विकास के अनेकानेक चरण रहे हैं।

राज्य ललित कला अकादमी ने यहाँ से 'कला त्रैमासिक' नाम से पत्रिका कुछ वर्षों तक निकाली। लगभग छह साल के बाद यह स्थगित हो गई और अब फिर निकलना शुरू हुई है। इसके शुरुआती दौर के संपादक मंडल में पी.सी. लिटिल, कृष्णनारायण कक्कड़ आदि थे। इस पत्रिका से प्रदेश की विभिन्न कला गतिविधियों की एक झलक मिलती थी और कई बार कला संबंधी कुछ सूचनात्मक व महत्वपूर्ण लेख भी सामने आते थे, जिनसे उत्तर प्रदेश का कला परिदृश्य समझने में कुछ सहायता मिलती थी। इधर 'कला दीर्घा' नामक कला पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू हुआ है। वैसे साहित्यिक पत्रिका भी कला को स्थान देती हैं। पत्रिका के बाद उन गतिविधियों का महत्व होता है जो विभिन्न कला संस्थाएँ करती रहती हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि प्रदेश में कला और कलाकार की दिशा क्या है तथा वे किस ढंग से काम करते हैं।

स्वाधीनता के प्रारंभिक काल में शांति निकेतन, कलकत्ता, मद्रास, मुम्बई, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि देश के प्रमुख कला केन्द्रों में ज्यादातर कलाकारों ने यथार्थवादी व प्रभाववादी शैली में आकृतिमूलक या दृश्य चित्रों को लेकर ही विभिन्न प्रयोग किए। भारतीय चित्रकला पर ईरानी, जापानी, चीनी, तिब्बती और बाद में यूरोपीय कलाओं का प्रभाव रहा है। इससे प्रभावित होकर यहाँ के वरिष्ठ व शताब्दी के शुरुआती दौर के चित्रकारों ने काफी काम किए लेकिन बाद में अपनी निजी शैली व विषयवस्तु का प्रयोग भी शुरू किया। उत्तर प्रदेश में भी कला का परिदृश्य चूँकि वही था इसीलिए इन सारे प्रभावों व प्रयोगों के बावजूद यहाँ के चित्रकारों, कलाकारों ने अपने ढंग से काम किया। इन पर आधुनिक कला परिदृश्य और निजी प्रयास स्पष्ट है। वरिष्ठ चित्रकार मदनलाल नागर ने ठीक टिप्पणी की है कि– ''उत्तर प्रदेश में भी सन् 1949-50 ई. के लगभग कुछ नयी पीढ़ी के कलाकार लीक से हटकर नये प्रयोगों की ओर अग्रसर हुए।'' ऐसे कलाकारों में हम सुरेश्वर सेन, विश्वनाथ खन्ना, रमेश चन्द्र साथी, आर.एस. बिष्ट, मदनलाल नागर, विजय चक्रवर्ती, कांजीलाल, नित्यानंद महापात्र, अजमत शाह, एस.पी. चड्डा, बी.एन. आर्य, फ्रैंक वैसली, योगेन्द्रनाथ योगी– जैसे तत्कालीन पुराने नए कलाकारों का नाम ले सकते हैं। इनमें मूर्तिकार जयनारायण सिंह का अपना एक विशेष महत्व है। अवतार सिंह पँवार शांति निकेतन से आए थे। राम किंकर बैज का उन पर प्रभाव था। उन्होंने मूर्तिकला में नयी शैली ईजाद की। 1945 में उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था साथ ही न्यूड फोटोग्राफी में कलात्मक प्रयोग किए। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास की तस्वीर वास्तव में लखनऊ कला महाविद्यालय तथा विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी कला संस्थाओं, ग्रुपों व निजी कला दीर्घाओं में विभिन्न कलाकारों के काम की होने वाली प्रदर्शनी से पता चलता है।

शुरू में लखनऊ कला महाविद्यालय में होने वाली वार्षिक कला-प्रदर्शनी का विशेष महत्व रहा है। इन्हीं कलाकारों में से ज्यादातर कलाकार बाहर निकले हैं या अपने काम को विशिष्ट बनाते हुए राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के हुए हैं। ऐसी संस्थाओं में उत्तर प्रदेश कलाकार संघ का एक विशेष महत्व है जो 1936 में स्थापित होकर अपनी कुछ गतिविधियाँ चलाकर फिर निष्क्रिय पड़ गया पर 1948 में यह पुनः सक्रिय हो गया और सभी कलाकारों ने इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाई। इसके अन्तर्गत लखनऊ सहित आगरा, वाराणसी, कानपुर, अल्मोड़ा, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल आदि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कलाकारों के काम की प्रदर्शनियाँ आयोजित होती रहीं जिनसे स्पष्ट हुआ कि यहाँ के कलाकार किस ढंग से काम में जुटे हुए हैं। बल्कि ऐसे ही कलाकारों में एक रणदा उकील भी अपने विशिष्ट काम और बाद में दिल्ली में चित्रकला स्कूल की स्थापना के लिए प्रसिद्ध हुए। यह एक ऐसा विशिष्ट स्कूल सिद्ध हुआ जिसमें कई महत्वपूर्ण चित्रकारों ने अभ्यास किया, दीक्षा ली। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण चित्रकार कवि शमशेर बहादुर सिंह ने भी यहाँ चित्रकला की शिक्षा ली और यथार्थवादी चित्रकला परम्परा में काफी महत्वपूर्ण काम किया। वह हिन्दी के अत्यन्त महत्वपूर्ण कवि हैं अतः जब उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया (अनियमित रूप से) तो उनके काम में गहरी संवेदना, मानव-जीवन के विभिन्न

यथार्थवादी और सेन्सुअस चित्र मिलते हैं। टूटी खाट, एक छोटा सा कमरा, एक छत, एक रेल क्रासिंग से लेकर पुष्ट स्तनों का सौन्दर्य उनके चित्रों में देखते बनता है। उनका महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने स्वाधीनता के इन पचास वर्षों में एक-एक कर मानों अपने कवि कर्म के लिए विशेष ऊर्जा लेने के लिए चित्रकला के काम किये। एक अद्‌भुत लयात्मकता से उनका काम भरा है जहाँ मानव जीवन के विभिन्न रूप अपनी पूरी ऊष्मा के साथ मौजूद हैं। कवि-चित्रकार की चर्चा चल रही है तो दो-तीन अन्य महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा के बिना उत्तर प्रदेश का कला इतिहास कभी पूरा नहीं हो सकता। ये हैं– महादेवी वर्मा, बिपिन कुमार अग्रवाल, जगदीश गुप्त, श्रीपत राय, घनश्याम रंजन आदि।

जब हम कला संस्थाओं की बात करते हैं तो कानपुर के इन्टरनेशनल सेंटर, लखनऊ की 'सोशल वेल्फेयर सोसाइटी', विजुअल आर्ट सोसाइटी, ग्रुप आफ नाइन आर्टिस्ट्स आदि को भुलाया नहीं जा सकता। सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक सदस्य व सचिव थे गजनफर हुसैन सिद्दीकी और संयुक्त सचिव जे.एन. सिंह। समाज कल्याण के साथ इस संस्था ने कला के क्षेत्र में भी अपने ढंग से बिल्कुल अलग काम किया। विभिन्न शहरों में अनेक कला-प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं जिनमें जे.एन. सिंह की कृतियों की प्रदर्शनी पोलिश कला प्रदर्शनी, ब्रिटिश मास्टर पीसेज थ्रू द एजेज, रूमानियन शिल्प के अन्तर्गत विशिष्ट प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं और सुधीर खास्तगीर की एकल प्रदर्शनी भी आयोजित की। इन आयोजनों से उत्तर प्रदेश में कला को लेकर एक विशिष्ट प्रकार की चेतना व उत्सुकता का विकास हुआ। दुनिया की विभिन्न कला शैलियों से यहाँ के कलाकार परिचित हुए, वाश शैली की विशिष्टता व कोमलता को आत्मसात किया और अपने काम के लिए नई ऊर्जा, तकनीक व विषय वस्तु प्राप्त किए। ग्रुप-5, लखनऊ ने 1969 में प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं फिर 1970 में ग्रुप-9 की स्थापना करके गतिविधियाँ कीं। इन दोनों ग्रुपों के संस्थापक सदस्य जे.एन. सिंह, घनश्याम रंजन, सतीश द्विवेदी, के.के. श्रेष्ठ आदि मुख्य थे। लखनऊ ग्रुप की स्थापना 1981 में हुई थी। वाराणसी में वर्किंग आर्टिस्ट आफ वाराणसी का गठन 90 के दशक में किया था। फिर लखनऊ में यू.पी. वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर, 2000 में हुई थी।

आज उत्तर प्रदेश में जितने चित्रकार/मूर्तिकार काम कर रहे हैं उन सबका नामोल्लेख करना तो संभव नहीं है लेकिन स्वाधीनता के इन पचास वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों का नाम लिए बिना यहाँ का कला-परिदृश्य व सांस्कृतिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट नहीं होगी। इसलिए ऐसे कुछ नाम इस प्रकार हैं– क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार, सी. बरतरिया, सुखवीर सिंहल, श्रीराम वैश्य, सुधीर खास्तगीर, रामचन्द्र शुक्ल, मदनलाल नागर, आर.एस. बिष्ट, बी.एन. आर्य, सतीश चन्द्र, जयकृष्ण, मोहम्मद सलीम, अजमत शाह, डी.पी. धूलिया, श्रीमुनि सिंह, नारायण कुमार मिश्र, रणवीर सक्सेना, सुमानव, रथिन मित्रा, दिलीप दास गुप्ता, आर.सी. साथी, आर.एस. धीर, असद अली, पम्पीलाल, पी.सी. लिटिल, श्रीपत राय, नरेन्द्रनाथ राय, एस. दास गुप्त, नन्द किशोर खन्ना, गोपाल कृष्ण, गज्जर, सतीश द्विवेदी, शंखो चौधरी, तूफान रफाई, गोपाल मधुकर चतुर्वेदी, एस.एन. सक्सेना, मो. हनीफ, नित्यानंद महापात्र, अवतार सिंह पवार, विमला विष्ट, कृष्ण शंकर, प्रभा पंवार, सुधा अरोड़ा, बलवीर सिंह कट्ट, अखिलेश निगम, घनश्याम रंजन, बालादत्त पाण्डेय, एन. खन्ना। ये स्वाधीनता बाद के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने विविध शैली में अपने काम किए और उ.प्र. की एक खास पहचान बनाई। राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल की। आज भी इनमें से ज्यादातर कलाकार अपने काम में लगे हुए हैं।

इनके बाद चित्रकारों की अगली पीढ़ी आई जिसने अपने काम को नए आयाम दिये। पहले की तुलना में इस पीढ़ी में मूर्तिकार भी ज्यादा थे और चित्रकार भी। इनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने समय-परिवर्तन और बाजार की स्थिति को देखते हुए मूर्तियाँ बनाईं। इनमें ओम झिंगरन (1994 में निधन, 37 साल की उम्र में), पवन कुमार 'निर्धन', उमेश सक्सेना, नानक वर्मा, मो. शकील, शरद पाण्डेय, राजेन्द्र प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद गोण्ड, बी.एन. शुक्ला, डी.पी. मोहन्ती, अजीत वर्मा, अवधेश मिश्र, राजीव मिश्र, आर.एस. शाक्या, आशुतोष निगम, सनत कुमार चैटर्जी, राम कंवर, राजेन्द्र 'करन', नवाज, कृष्ण कुमार सिंह, विमल बालचन्द्र, राजीव मंडल, विमल रमैया, वंदना राजदान, विश्वनाथ, सैयद, आजाद सोनकर, अनीता नारायण, रीना पंवार,

चन्द्रकांत कुमार पालीवाल, खालिद अहमद, दशरथ, अरुण कुमार गुप्ता, रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, धर्मेन्द्र कुमार, अशोक भौमिक, रमेश राय, मकबू अंसारी, बृजेश कटियार, जफर, रोशन, योगेन्द्र देव सिंह, विनोद कुमार सिंह, रातुलचन्द्र गोगोई, मुकुल पंवार, अरविन्द कुमार सिंह, अमित कुमार जायसवाल, अभय, अरुण सिंह, अशोक कुमार उपाध्याय, राघवेन्द्र प्रताप सिंह, अमित कुमार शर्मा, अजीत कुमार सिंह, असित कुमार पटनायक, ईश्वर चन्द्र गुप्ता, उमेन्द्र प्रताप सिंह, कमलेश कुमार, चंदन कुमार, टंकेश कुमार, दलसिंगार प्रजापति, दिनेश कुमार, नवीन श्रीवास्तव, नरेन्द्रजीत सिंह, पंकज शर्मा, पंकज सरोज, प्रह्लाद सिंह, बी.आर. नरेन्द्र, भारतभूषण, राजेन्द्र प्रसाद यादव, शिवनाथ राम, शत्रुघ्न प्रसाद, शशि प्रकाश, सुनतराम चौधरी, संजय कुमार साहनी, संतोष कुमार खन्ना, हृदय गुप्ता, ज्ञानेन्द्र कुमार मिश्र, सुशील कन्नौजिया, आलोक कुमार, पुरुषोत्तम सिंह, प्रदीप शर्मा, शिवेन्द्र सिंह, तिलोक कुमार शर्मा, संजय कुमार, नवरतन लाल गुप्ता, रामहृदय, पंकज, पी. मदन गुप्ता, धर्मराज सिंह, दिलीप कुमार, ब्रह्म स्वरूप, शिव बालक, राम बाबू आदि अनेकानेक चित्रकारों/मूर्तिकारों के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें से अधिसंख्य कलाकार ऐसे हैं जो फ्रीलांस भी हैं और पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार उपरोक्त कलाकार पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचलित कला प्रवृत्ति की एक तस्वीर पेश करते हैं, उसी प्रकार महिला कलाकारों की भी एक लम्बी परम्परा यहाँ विकसित हुई। उत्तर प्रदेश में काफी पहले से ही कला की तरफ एक विशेष रुचि महिलाओं में दिखाई पड़ी। बल्कि कहना तो यह चाहिए कि विशिष्ट और यथार्थ की गहरी पकड़, उपेक्षित समाज व महिला वर्ग की गहरी संवेदना की चित्रकार अमृता शेरगिल गोरखपुर की ही थीं। उनके पति वहाँ डॉक्टर थे। अप्रत्यक्ष रूप से अमृत शेरगिल का प्रभाव आधुनिक भारत के बहुत सारे चित्रकारों पर पड़ा है। प्रभा पंवार, सुधा अरोड़ा, विमला बिष्ट, अपर्णा सचान, चित्रलेखा सिंह, पुष्पा गुप्ता, किरन राठौर, करुणा सिब्बू, अलकनंदा मुखर्जी, अर्चना वर्मा, अनुसूया सिंह, अनीता नारायण, आराधना, इंदिरा पुनिया, कृष्णा बैराठी, कुसुम दास, कीर्ति वर्मा, प्रेरणा सिंह, प्रेमा मिश्रा, पुष्पा खन्ना, पूर्णिमा तिवारी, प्रेम कुमारी श्रीवास्तव, पुष्पा सिंह, मृदुला सिन्हा, मंजू प्रसाद, मंजुला चतुर्वेदी, मनीषा दोहरे, मंजू शुक्ला, मालविका कपूर, दीपा पाठक, नीता कुमार, नीलम यादव, निशी कुमारी, रंजना शर्मा, रेशमा जाफरी, रेखा कक्कड़, रेखा निगम, रोली सिंह, रूपम त्रिपाठी, वर्षा जौहरी, वसुधा योगी, वंदना, वंदना राजदान, शीला, संध्या जायसवाल, सिरताज सालेहा, फातिमा काजमी, सुषमा अग्रवाल, साधना लाल, इन्दु रस्तोगी, रेणु सिंह, प्रेमलता सिंह, सीमा जावेद, सावित्री पाल, दीपा खरे, ज्योति शुक्ला, किक्षा श्रीवास्तव, रुकइया सुल्ताना, विभावरी सिंह, विधि निगम, रेखा यादव, स्नेह मोहन, संगीता शर्मा, रंजना सिन्हा, वीणा श्रीवास्तव, मीना सिंह, इंदु रस्तोगी, शुभ्रा नाग, सारिका बाला, हेमा पांडेय, श्वेता शर्मा, अमृत मेहरोत्रा इत्यादि अनेक उल्लेखनीय नाम हैं जिन्होंने अपने-अपने ढंग से कला विकसित की है।

यहाँ जितने भी कलाकारों के नाम लिए गए हैं उनमें आकारादि क्रम और उम्र का ध्यान नहीं रखा गया है। वे कहाँ के हैं यह भी नहीं लिखा है लेकिन लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, बरेली, मिर्जापुर, सीतापुर आदि स्थानों के कलाकार हैं। यानी स्वाधीनता के बाद ये पूरे-पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1947 के बाद जैसे-जैसे वर्ष आगे निकलते गए और लखनऊ के कलाकारों का परिचय तथा जानकारी बाहर के कलाकारों, उनके काम और गतिविधियों से हुआ इन कलाकारों ने जीवन, समाज, राजनीतिक और मनोलोक की विभिन्न स्थितियों को पकड़ने की कोशिश की है। अकारण नहीं है कि इनके कार्यों की प्रदर्शनियाँ ललित कला अकादमी दीर्घा से लेकर सृष्टि कला दीर्घा, गैलरी दी आर्ट तक में आए दिन लगती रहती हैं। इनको देखने से लगता है कि उत्तर प्रदेश में काम काफी हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी पहचान बन रही है। अफसोस है कि 'सृष्टि' आर्ट गैलरी बन्द हो गई और गैलरी 'द आर्ट' लगभग कला वस्तुओं की एक दुकान में बदल चुकी है।

उत्तर प्रदेश में, खास तौर से लखनऊ में, कला-समीक्षाएँ भी नियमित होती हैं। यहाँ के प्रमुख कला समीक्षकों में कृष्ण नारायण कक्कड़, अनिल सिन्हा, अखिलेश निगम, घनश्याम रंजन, एन. खन्ना आदि हैं

जिन्होंने कला-समीक्षा को व्यावहारिक व ठोस आधार दिया है तथा उत्तर प्रदेश की कला की व्याख्या कर रहे हैं। वैसे यहाँ के सभी दैनिक पत्रों में कला प्रदर्शनियों पर संवाद लिखने वाले नए-पुराने उत्सुक और उत्कर्ण संवाददाता हैं जो निरंतर अपने को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। कला-समीक्षक वास्तव में उस उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं जिससे प्रदेश की आधुनिक कला व सांस्कृतिक परिदृश्य तथा विकास की तस्वीर स्पष्ट होती है। इनमें खास तौर से दो-एक ऐसे कला समीक्षक हैं जिन्होंने कला-समीक्षा का, एक तरह से उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है और समीक्षा की एक सर्वथा नई स्थापना की है, जिससे केवल कला प्रदर्शनियों का विवरण ही नहीं मिलता बल्कि कला के आधुनिक संदर्भ में जितने भी सवाल पैदा हो सकते हैं उन्हें वे उठाते रहे हैं और उन पर चर्चा करते रहते हैं। आज यह परिदृश्य बदल गया है। 2007 तक आते-आते कला समीक्षा की स्थिति समाप्तप्राय है। शेष अखबारों में कला-प्रदर्शनी की सूचनाएँ छपती हैं।

उत्तर प्रदेश का कला परिदृश्य तथा इसके विकास की रेखाएँ किस प्रकार फैली हैं इसे इस तथ्य से भी जाना जा सकता है कि यहाँ से कितने कलाकार बाहर गए और महत्वपूर्ण कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए, उदाहरण के तौर पर श्याम शर्मा पटना में हैं, बलदेव गंभीर अमृतसर में, सुरेन्द्र जोशी और राम अवतार जायसवाल जयपुर में, अशोक भौमिक, मामून नोमानी व राजीव लोचन, रमेश बिष्ट, मुकुल पंवार, श्याम शर्मा (चित्रकार) दिल्ली में, संपत कुमार शांति निकेतन में तो हरीश राम शिमला कला महाविद्यालय के प्राचार्य। यह चर्चा अधूरी रह जाएगी अगर चित्रकार यशोधर मठपाल की चर्चा न की जाय। एक आदर्शवादी भूदानी की तरह यशोधर मठपाल ने स्वयं तो समय-समय पर चित्रकला का उत्कृष्ट काम किया ही है भीमताल में इन्होंने अपना एक बड़ा व विविध कला-संग्रहालय भी स्थापित किया है जो इनके अथक परिश्रम और खोजी दृष्टि का परिणाम है। पहाड़ क्षेत्र की कलात्मक संपदा और कलात्मक प्रतिमाओं का संयोजन, संकलन इनके संग्रहालय का उद्देश्य है। वास्तव में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में स्वाधीनता के बाद कला और संस्कृति का जो विकास हुआ है उसकी एक झलक यहाँ मिलती है। वास्तव में यह एक 'कला आश्रम' है।

यही नहीं उत्तर प्रदेश के कलाकार फिल्मी दुनिया व राजनीति में भी गये और अपनी जगह बनाई। मिसाल के तौर पर ललित नाग और मुजफ्फर अली को लिया जा सकता है। नाग ने फिल्मों में कला निर्देशन किया और कार्टून फिल्मों के निर्माण में महारथ हासिल की। मुजफ्फर अली की गहरी रुचि चित्रकला में थी, शुरू में काफी काम उन्होंने किए, कई प्रदर्शनियों में शामिल हुए तथा उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी से पुरस्कृत भी हुए। बाद में राजनीति और फिल्म में सक्रिय हुए लेकिन आज भी उनके मन में चित्रकला के लिए गहरा लगाव है।

ये सारी स्थितियाँ स्पष्ट करती हैं कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विकास के साठ वर्ष किन-किन राहों से गुजरे हैं। 1957-58 में बनी 'फोर आर्टिस्ट ग्रुप' (फैग) तथा 1960 में ग्रुफ आफ यंग पेंटर्स एंड स्कल्पटर्स (जिण्स)। सूचना विभाग की तत्कालीन सहायक निदेशक सरला साहनी ने फैग और विभिन्न कलाकारों श्री मुनि सिंह, विजय चक्रवर्ती, एस.जी. श्रीखण्डे आदि का अपूर्व योगदान रहा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कला का एक वातावरण तैयार किया। चित्रकार अखिलेश निगम, जो अपनी प्रिंटाज शैली के रूप में विशेष तौर पर जाने जाते हैं, कहते हैं– ''1975-76 में क्रमशः दो और कला संस्थाओं ने, 'विजुअल आर्ट सोसाइटी' और 'यू.पी. आर्ट कौंसिल'– के नाम से जन्म लिया परन्तु क्रमशः ललित कला अकादमी की कला वीथिका में (दस चित्रकारों और मूर्तिकारों की कृतियों की) एक-एक प्रदर्शनी आयोजित कर ये संस्थाएँ आगे न बढ़ सकीं। अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष में 'तरनी' नाम से प्रभा पंवार की अध्यक्षता में एक महिला चित्रकार संस्था का जन्म हुआ जिसने काफी समय तक प्रदर्शनियों सहित कला संबंधी कई कार्यक्रम आयोजित किये। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन-वाराणसी, राज्य संग्रहालय-लखनऊ, अल्मोड़ा के अतिरिक्त म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी, लखनऊ और लोक कला संग्रहालय लखनऊ का महत्वपूर्ण योगदान है।

इस विवेचन से यह तस्वीर उभरती है कि आजादी के बाद के उत्तर प्रदेश की कला चेतना ने कई तरह की विकास रेखाएँ पार की हैं जिनमें उ.प्र. राज्य ललित कला अकादमी, केन्द्रीय ललित कला केन्द्र, सृष्टि कला

दीर्घा सहित अनेक कला संस्थाओं का योगदान है। अकादमी ने अपने 23 सूत्रीय कार्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिभाशाली कलाकारों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ, कला आयोजन के लिए आर्थिक सहायता, कला संबंधी पुस्तकों-पत्रिकाओं, मोनाग्राफ, पोर्टफोलियो, पिक्चर पोस्ट कार्ड, पोस्टर आदि के प्रकाशन सहित डॉ. राधाकमल मुखर्जी व्याख्यानमाला तथा व्याख्यान, सेमिनार व कला गोष्ठियों आदि से उत्तर प्रदेश में कला के विकास के लिए बहुमुखी कार्य किए जाते हैं। इसी तरह राष्ट्रीय ललित कला केन्द्र में जहाँ बाहर के और स्थानीय कलाकार काम करते हैं, वहीं प्रदर्शनियाँ, कार्यशालाएँ और मदनलाल नागर व्याख्यानमाला साठ वर्षों का यह संक्षिप्त कला परिदृश्य अभी अन्य आयामों में विकसित होगा, इसकी पूरी संभावना है क्योंकि नयी-नयी कला शैलियाँ विकसित हो रही हैं। जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में कला के विविध आयामों पर स्वतंत्र रूप से कार्य योजनाएँ बनाई जाएँ।

कलाकर्म के इस विकास में कलाकारों के सामने आर्थिक समस्याएँ या कि जीवन यापन की समस्याएँ विकराल रूप में सामने आ रही हैं इसलिए उन्हें छद्म काम करने, ठेके पर काम लेने, महत्त्वपूर्ण चित्रों की अनुकृति बनाने, चित्रकार/मूर्तिकार बनने की अद्म्य व शौक रखने वाले पैसे वाले लोगों के लिए काम कर देने उत्सव/मेले/त्यौहारों को ध्यान में रखकर मूर्तियाँ बनाने, लकड़ी में कला को सँवारने, कुछ चित्रकारी का काम करने की मजबूरी पैदा हो रही है। कुछ समय तक इस मजबूरी में काम करने के बाद ऐसे कलाकारों की आदत व स्वभाव में ये चीजें घर करती जा रही हैं जिनसे उबरना उनके लिए संभव दिखायी नहीं देता। उत्तर प्रदेश के कला परिदृश्य पर पिछले दो दशकों से छाए व घने होते जा रहे इस घुंधलके ने यहाँ की गरिमा को काफी क्षति पहुँचायी है। इसका एक अन्य बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी तथा केन्द्रीय ललित कला केन्द्र के स्वायत्त चरित्र का निरंतर गिरते हुए लगभग एक सरकारी संस्थान में बदल जाना। चित्रकार सतीश चंद्र के अकादमी अध्यक्ष रहते हुए अकादमी जो नई कला दीर्घाएँ बनी तथा पुरानी का नवीनीकरण किया गया तथा अकादमी की वित्तीय सहायता राशि बढ़ी और कला-गतिविधियाँ भी, वे अब वहीं रुकी हुई हैं बल्कि वित्तीय सहायता में तो निरंतर कटौती हो रही है; छवि कुछ ऐसी बन गई है कि अकादमी के पास कला गतिविधियों की परिकल्पना करना मुश्किल हो रही है इसलिए स्वीकृत राशि भी पूरी तरह खर्च नहीं हो पा रही तो वित्तीय कटौती का आधार बन गयी। यही कारण है कि अकादमी में कला गतिविधियों के नाम पर अपना रजिस्टर पूरा कर रही है। लगभग ऐसा ही हाल राष्ट्रीय ललित कला केन्द्र की लखनऊ शाखा का भी है सिवा इसके कि 47वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के अवसर पर यहाँ कुछ आधुनिक कला दीर्घाएँ उद्घाटित की गई जिनमें कला गतिविधियाँ जारी रहने की उम्मीद है। 2005 के लिए उ.प्र. कला जगत को केन्द्र की ओर से यह एक वस्तु परक तोहफा है। कला गतिविधियों का स्वरूप, निरंतरता ही इस तोहफे को सार्थक बना सकती है। इसकी उम्मीद केन्द्र की इस शाखा से बनी हुई है।

●

उत्तर प्रदेश और सिनेमा

बीसवीं शताब्दी में सिनेमा भारतवर्ष में सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया। मनोरंजन-उद्योग होने के नाते इसने देश के लोगों के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित किया है। जन संस्कृति के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सिनेमा के साथ उत्तर प्रदेश की भागीदारी विकास काल से रही है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ फिल्मों का सबसे ऊँचा बाजार है। इसी कारण हर वर्ष फिल्मों में छाया रहता उत्तर प्रदेश का रंग। उत्तर प्रदेश और मुम्बई फिल्म नगरी दोनों ही एक दूसरे पर काफी हद तक आश्रित हैं। अगर हम इस आशय को नापतौल कर देखें तो उत्तर प्रदेश का ही पलड़ा भारी पड़ेगा। राज्य की विशाल जनसंख्या मुम्बई फिल्म नगरी को हिन्दी फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार तो उपलब्ध कराती ही है, साथ ही वहाँ काम करने वालों में एक बड़ा प्रतिशत उत्तर प्रदेश का ही है। कहा जाता है कि एक समय बॉलीवुड में दखल के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल नम्बर पर था। फिल्मों में शायद ही कोई क्षेत्र अछूता बचा हो जहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी सार्थक मौजूदगी दर्ज न करायी हो।

उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए अत्यन्त मनोरम स्थल भी हैं लेकिन अब तक अधिकांश फिल्मों की शूटिंग यहाँ नहीं होती थी परन्तु पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यहाँ शूटिंग कार्य शुरू हो गया, जिनमें सबसे सफलतम फिल्मों के रूप में 'गदर', 'इश्कजादे', 'बुलेट राजा', 'तनु वेड्स मनु' रहीं। हाल के वर्षों में राजधानी लखनऊ में तथा आसपास, दावत-ए-इश्क, बाबर, रंगदारी, डेढ़ इश्किया, जॉली एलएलब्री-2, दोस्ती जिन्दाबाद रेड, आईएम. नॉट ए देवदास बनारस में राझड़ा, टप्पा आदि प्रमुख फिल्मों की शूटिंग हुई है। यानी उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग का दौर भी लौट रहा है। आज हमारे पास तकनीकी ज्ञान, नयी मशीनें व अत्याधुनिक कैमरे उपलब्ध हैं। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बॉलीवुड बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। प्रदेश में फिल्म निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 'फिल्म बन्धु' का गठन किया गया है जिसमें फिल्म निर्माण में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया जा रहा है। 'फिल्म बन्धु' के माध्यम से क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए अवस्थापना सुविधा प्रदान की जा रही है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने बड़ा दिल दिखाते हुए हिन्दी और उसकी सहयोगी भाषाओं ही नहीं अपितु तमिल, तेलुगू सहित दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग प्रदेश में करने पर फिल्म बन्धु अनुदान देगा। इस शुभ समाचार के बाद तमिल फिल्म की शूटिंग प्रदेश के आंगन में सम्पन्न हो चुकी है।

माना जाता है कि 'आलम आरा' (1931) के निर्देशक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले बी.पी. मिश्रा थे। एक बार पृथ्वीराज कपूर ने पत्रकारों के समक्ष यह स्वीकार किया था कि बी.पी. मिश्रा ही 'आलम आरा' के निर्देशक थे। 'इम्पीरियल' फिल्म कम्पनी ने इसका निर्माण किया था। यह कम्पनी इससे पहले मूक फिल्मों का निर्माण किया करती थी और बी.पी. मिश्रा इसी कम्पनी के जाने-माने निर्देशक थे। मूक फिल्मों के जमाने में उनके निर्देशन में 'मिड नाइट राइडर', 'नाहर सिंह डाकू', 'शीशमहल', 'अलीबाबा चालीस चोर' आदि फिल्में इम्पीरियल कम्पनी में बनी थीं। दुर्भाग्य से असमय ही उनकी मृत्यु हो गयी।

सन् 1931 में चलती फिरती तस्वीरों को स्वर भी मिल गये। 'आलम आरा' से आरम्भ हुआ आवाज का यह सफल अभियान अब तक भारत की लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओं में गूँजता रहा है। लेकिन अब जब बात लोकप्रियता की हो तो हिन्दी फिल्मों का कोई सानी नहीं है। उत्तर प्रदेश ने सिनेमा को सिर्फ दर्शक ही नहीं

दिये बल्कि गुणी और प्रतिभावान कलाकार भी दिये हैं जो पर्दे पर और पर्दे के पीछे अथक मेहनत से सिल्वर स्क्रीन में रंग भरते रहे हैं। हिन्दी सिनेमा को पहाड़ी सान्याल, मोतीलाल, अजीत जैसा खलनायक, चित्रगुप्त तथा रवि जैसे संगीतकार व देवेन्द्र गोयल, भीमसेन तथा बासु चटर्जी, त्रिलोक जेटली आदि निर्माता-निर्देशक इसी प्रदेश ने दिये हैं। यहाँ के विभिन्न लोकनृत्य, शास्त्रीय नृत्य और गीत की शैलियों ने हिन्दी सिनेमा के गीत-संगीत को समृद्ध किया है। इन दिनों अमेठी के मनोज मुंतशिर के गीतों की धूम मची हुई है। जोश मलिहाबादी, पंडित नरेन्द्र शर्मा, मजाज लखनवी, शकील बदायूँनी, इंदीवर, कैफी आज़मी, मजरूह सुल्तानपुरी, हरिवंशराय बच्चन, जॉ निसार अख्तर, शैलेन्द्र, नीरज, अन्जान, खुमार बाराबंकवी, योगेश, समीर, अली सरदार जाफरी, हसन कमाल, अन्जुम पीलीभीती, शहरयार, संतोष आनन्द, देव कोहली, शबनम गोरखपुरी, नूर बिजनौरी, शबाब मेरठी, बहजाद लखनवी, जलाल मलिहाबादी, अहमद वसी, प्रवीण भारद्वाज, फैज अनवर, पंछी जालौनवी, मनोज यादव, नितिन रैकवार, राम भारद्वाज प्रसिद्ध गीतकारों में हैं। गीतकार, पटकथाकार जावेद अख्तर का बचपन लखनऊ में अपनी ननिहाल में बीता। शकील बदायूँनी ने 'मदर इण्डिया', 'आन' और 'उड़न खटोला' के अमर गीत लिखे। झाँसी के शशिधर मुखर्जी, शंकर मुखर्जी और सुबोध मुखर्जी ने फिल्मकार के तौर पर हिन्दी सिनेमा को समृद्ध किया। जैनेन्द्र कुमार ने लेखन तथा इफ्तिखार ने पुलिस अधिकारी के रूप में स्क्रीन पर अपनी प्रभावपूर्ण उपस्थिति दर्ज करायी। मजरूह सुल्तानपुरी ने बोलती फिल्मों के प्रारम्भिक दौर से गीत लिखना शुरू किया था। आगे चलकर पॉप गीतों के जमाने में भी उनकी कलम का जादू कम नहीं हुआ। ए.आर. कारदाह की 'शाहजहाँ' से लेकर अपने बेटे अन्दलीब की फिल्म 'जानम समझा करो' तक के लम्बे सफर में मजरूह सुल्तानपुरी ने 'धीरे-धीरे वो हमारे दिल' और नौजवानों के लिए 'पापा कहते हैं' जैसे गीतों से हर फिल्मी दृश्य को सँवारते रहे। उत्तर प्रदेश से हिन्दी सिनेमा को कई कहानीकार, पटकथा लेखक में मिले। नरोत्तम व्यास, पं. राधेश्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, मुंशी प्रेमचन्द, भगवतीचरण वर्मा, अमृतलाल नागर, उपेन्द्रनाथ 'अश्क', भगवती प्रसाद बाजपेयी, धर्मवीर भारती, इस्मत चुगताई, शौकत कैफी, डॉ. राही मासूम रजा, कमलेश्वर, ज्ञान अग्निहोत्री, राजेन्द्र यादव, कुशवाहा कान्त, गुलाब रत्न बाजपेयी गुलाब, जैनेन्द्र जैन, माया गोविन्द, गौहर कानपुरी, डॉ. अचला नागर, अतुल तिवारी, के.पी. सक्सेना, कमल पाण्डेय उत्तर प्रदेश के ख्याति प्राप्त पटकथा लेखकों में से हैं।

अभिनय के सरताज बने अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के हैं। यहाँ की मीठी बोली का असर उनकी संवाद अदायगी की शैली बन गया जिसने उन्हें बुलन्दियों पर बैठा दिया। 'ताजमहल' की नायिका बीना राय लखनऊ के ही आई.टी. कालेज की छात्रा थीं। अभिनय कला में संस्थान बन चुके नसीरुद्दीन शाह का सम्बन्ध भी उत्तर प्रदेश से है। गुलजार की फिल्म 'माचिस' में अभिनय के जौहर दिखाने वाले चन्द्रचूड़ सिंह अलीगढ़ के रहने वाले हैं। फैजाबाद में जन्मी अनुष्का शर्मा, कानपुर में पूनम ढिल्लो, बरेली में पली-बढ़ी प्रियंका चोपड़ा, इटावा की पिया बाजपेयी जैसे अनेक नाम हैं। निर्देशक रामगोपाल वर्मा की बहुचर्चित फिल्मों 'सत्या' और 'कौन' के खूबसूरत छायांकन के बाद लखनऊ के मजहर कामरान का नाम अब फिल्मी दुनिया में नया नहीं है। 'सत्या' की सिनेमैटोग्राफी पहले एक हालीवुड के छायाकार कर रहे थे। मेरे महबूब, मेरे हुजूर, चौदहवीं का चाँद, शतरंज के खिलाड़ी, पाकीजा, उमराव जान को देखना तो वैसे लखनऊ शहर को एक शताब्दी पहले देखना जैसा है। लखनऊ के अलावा अन्य कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी हिन्दी फिल्मों के प्रिय शूटिंग स्थल हैं। आगरा के ताजमहल के दर्शन तो बहुत सी फिल्मों में होते रहे हैं। इस शहर के अन्दर की तस्वीर बासु भट्टाचार्य की 'सारा आकाश' में दिखती है। वाराणसी का चित्रण अनगिनत फिल्मों में हुआ है। मर्चेन्ट आइवरी की अंग्रेजी फिल्म 'द गुरू' की कहानी वाराणसी के इर्द-गिर्द घूमती है। महाश्वेता देवी के उपन्यास पर आधारित 'संघर्ष' वाराणसी के पण्डों के आपसी वैमनस्य की कहानी थी। प्राकृतिक, सांस्कृतिक हर तरह से समृद्ध होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में शूटिंग उन शहरों में न होकर वैसे ही सेट लगाकर, माहौल तैयार कर, कर ली जाती है। पिछले कुछ समय से मुम्बई के बड़े निर्माताओं ने सरकार की पहल पर यहाँ आकर प्रदेश की फिल्म नीति से जुड़े

मसलों पर चर्चा की थी। इन फिल्मकारों ने इसमें दिलचस्पी दिखाकर उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण की संभावना को पुख्ता किया है। नये छविगृहों का निर्माण कराना, सस्ते दामों पर मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा रचनात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण फीचर फिल्मों के निर्माण को ध्यान में रखकर 10 सितम्बर 1975 को उ.प्र. चलचित्र निगम की स्थापना की गयी थी। गाजियाबाद और दिल्ली के बीच स्थित नोएडा छोटी फिल्म नगरी मानी जाती है। क्षेत्रीय सिनेमा के रूप में भोजपुरी फिल्मों को पूर्वांचल के गोरखपुर, वाराणसी मंडलों में विस्तार मिला है।

फिल्म वितरण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश क्षेत्र, दिल्ली, यू.पी. सर्किल के नाम से मशहूर है। सर्वाधिक दर्शकों वाले इस क्षेत्र में मनोरंजन कर सबसे अधिक है। फिल्म नीति पर सरकार और फिल्म प्रतिनिधियों के बीच गहन विचार-विमर्श हुआ। शादी में जरूर आना, मंजूनाथ, रामभजन, इश्क के परिन्दे, मिलियन डॉलर आर्मी सहित अनेक फिल्मों की शूटिंग राजधानी के आस-पास हुई है।

पिछले कुछ वर्षों की सरकारी पहल को देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ दर्शक और कलाकार ही नहीं देगा बल्कि स्वयं उद्देश्यपूर्ण फिल्मों का निर्माता बनने की ओर अग्रसर होगा।

उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख सिने व्यक्तित्व

उत्तर प्रदेश में जन्मे या यहाँ की मिट्टी में रहकर बॉलीवुड में अपना तथा प्रदेश का नाम रोशन करने वाले विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कुछ लोगों की सूची इस प्रकार भी है :–

आर.एन. शुक्ला, के. आसिफ, बासु चटर्जी, भीमसेन, कमाल अमरोही, ए.एन. अंसारी, त्रिलोक जेटली, देवी शर्मा, रवि नगाईच, शंकर मुकर्जी, सुबोध मुकर्जी, नासिर हुसैन, नजीर हुसैन, अनवर हुसैन, ताहिर हुसैन, प्रकाश मेहरा, रामशंकर चौधरी, शेखर, आर चन्द्रा, सिप्ते हसन रिजवी, याकुब हसन रिजवी, आर.डी. माथुर, अनिल शर्मा, गोविन्द मूनिस, शिव कुमार, मुजफ्फर अली, सुधीर मिश्रा, विशाल भारद्वाज, बोनी कपूर, अनुराग कश्यप, तिग्मांशु धुलिया, माहरूख मिर्जा, शहरूख सुल्तान, मेराज सुनील बत्रा, राकेश साहू, चन्दू सिंह, सनोज मिश्रा, अनुभव सिन्हा, राम बुन्देला, चन्द्रपाल सिंह आदि।

नरगिस, तलत महमूद, निर्मला देवी, शमा जैदी, जद्दन बाई, रेहाना सलमा सिद्दीकी, कुन्दनलाल सहगल, मदन सहगल मुकेश, गोपीकृष्ण, भारत भूषण, लच्छू महाराज, हरि प्रसाद चौरसिया, सुजीत कुमार, हीरालाल, कन्हैयालाल, लीला मिश्रा, शबाना आजमी, कुमकुम, उमादेवी (टुनटुन), सितारा देवी, यूनुस परवेज, रेहाना सुल्तान, राज बब्बर, सुरेन्द्र पाल, राजा बुन्देला, रंजीत कपूर, अन्नू कपूर, सुल्तान अहमद, हुमायूँ मिर्जा, नसीरूद्दीन शाह, संतोष सरोज, के.के. सिंह, मंदाकिनी, निशा गोयल, दीप्ती भटनागर, लारा दत्ता, मंसूर खान, आमिर खान, शक्तिमान, हसन कमाल, मुशीर रियाज, प्रेम कपूर, मोतीसागर, प्रीति सागर, नाजनीन, तारिक, नदीन खान, अदिति शर्मा, जोया अफरोज, पूजा बत्रा, श्वेता तिवारी, साहिल शेख, पुलकित सिंह, संदीप नाथ, इंदर ठाकुर, राकेश पाण्डेय, साधना सिंह, आयुष कुमार, विश्वनाथ मिश्रा, शाहीन सुल्ताना, ब्रज गोपाल, मोहन भण्डारी, राजकुमार त्रिवेदी, राजेन्द्रनाथ मिश्रा, विनय श्रीवास्तव, कविता चौधरी, रहमान, नौशाद, समीर, रानी मुखर्जी, जया भट्टाचार्या, राम गोविन्द, ललित तिवारी, सपना अवस्थी, राजेश कुमार सिंह, रवीन्द्र जैन, अपूर्व अग्निहोत्री, अरुण गोविल, सूरज कुमार वर्मा, मुश्ताक अली, अनूप जलोटा, बाबा आजमी, स्नेहा सांगवान, सुनिधि चौहान, कनिका कपूर, मालिनी अवस्थी, रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश यादव निरहुआ, मनोज मिहिर, अनुपम श्याम, राजू श्रीवास्तव, तनवीर जैदी, सौरभ दुबे, राजपाल यादव, आदित्य शर्मा, उदय यादव, कैलाश खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बीरेन्द्र सक्सेना, मुकुल नाग आदि।

उ.प्र. फिल्म बन्धु तथा फिल्म नीति

प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, इसकी वैभवपूर्ण वास्तुकला तथा स्थानीय संस्कृतियों की विविधता आदि फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक तत्व के सदुपयोग से पर्यटन विकास को नये आयाम मिले तथा रोजगार सृजन के नये साधन उपलब्ध कराने हेतु यद्यपि 1999 में फिल्म नीति की घोषणा की गयी थी,

तथापि इसमें अन्य आवश्यक सुसंगत प्रावधानों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय संशोधन किए गये हैं, ताकि उ.प्र. में उपलब्ध असीम संभावनाओं को फिल्मांकित करने का समुचित उपयोग हो सके। उ.प्र. में न केवल बड़े पैमाने पर शूटिंग का कार्य सम्पन्न हो सके, बल्कि फिल्म निर्माण के विविध पक्षों से जुड़ी गतिविधियों का भी समग्र विकास हो सके। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु एक सुसंगठित ढाँचा एवं उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित हो सके। प्रदेश के अद्‌भुत मनोहारी तथा रमणीय पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी मिले, एवं पर्यटकों को आकर्षित करना। प्रदेश की सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक विरासत एवं गौरवशाली परम्परा को देश एवं विदेश में प्रचारित-प्रसारित किया जा सके। प्रदेश में अभिनय व फिल्म निर्माण की प्रतिभाओं को विकास के अवसर मिलें। प्रदेश में रोजगार सृजन के अवसर सुलभ हों। फिल्म उद्योग के माध्यम से अतिरिक्त पूँजी निवेश आकर्षित करने के साथ साथ देश व प्रदेश की जनता को स्वस्थ एवं अपेक्षाकृत सस्ता मनोरंजन उपलब्ध हो सके। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उ.प्र. फिल्म बन्धु का गठन किया गया है। प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त वातावरण सृजन करने के लिए निम्न प्रयास किये जायेंगे– प्रशासनिक सहायता, वित्तीय प्रोत्साहनों का आकर्षण पैकेज, अपेक्षित सुविधाएँ उपलब्ध कराना, सुयोग्य प्रकरणों में वित्तीय समर्थन की आकर्षक प्रणाली तथा सिनेमा के प्रचार-प्रसार से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना आदि। फिल्मों के विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना को सामान्य तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शूटिंग तथा फिल्म निर्माण के लिए अवस्थापना जैसे स्टूडियो एवं प्रोसेसिंग प्रयोगशालाएँ। फिल्म प्रदर्शन के लिए अवस्थापना उपकरण, कलाकारों, तकनीशियनों तथा विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रशिक्षण सुविधाएँ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में नोएडा में फिल्म सिटी का विकास किया गया था जो शनैः शनैः अब उत्तरी भारत में बन रहे टी.वी. सीरियल्स फिल्म नगरी में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि यह फिल्म नगरी उत्तरी भारत में फिल्म निर्माण के केन्द्र के रूप में विकसित हो सके। प्रदेश में उपलब्ध संभावनाओं को पूर्ण सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ एजेन्सी के माध्यम से एक सम्भाव्यता अध्ययन कराया जाएगा। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में नवीन फिल्म नगरी/नगरियों/फिल्म लैबोरेटरी की स्थापना के लिए सम्भावनाओं का मूल्यांकन करना होगा। यह अध्ययन 'फिल्म बन्धु' द्वारा कराया जाएगा तथा इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर उसे क्रियान्वयन हेतु निजी क्षेत्रों को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनायी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से क्रियाशील फिल्म नगरी/नगरियों की स्थापना होने तथा स्थानीय सिनेमा उद्योग का पर्याप्त विकास होने तक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों यथा– शिक्षा, सूचना तथा संस्कृति में उपलब्ध उपकरण फिल्म निर्माताओं को किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। फिल्म निर्माताओं की आवश्यकता के अनुरूप इन उपकरणों के वर्तमान भण्डार को बढ़ाया जायेगा। इन उपकरणों के अर्जन तथा उनके रखरखाव के लिए 'फिल्म विकास निधि' का उपयोग किया जाएगा। इस कार्य हेतु फिल्म बन्धु, 'नोडल एजेंसी' के रूप में कार्य करेगा तथा समस्त उपकरणों का एक 'पूल', फिल्म बन्धु में स्थापित किया जाएगा। उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'फिल्म बन्धु' शासकीय विभागों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी पूल बना सकेगा।

शूटिंग स्थलों का विकास

प्रदेश में उपलब्ध प्रचुर नैसर्गिक सुन्दरता, समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं तथा ऐतिहासिक स्मारकों की पृष्ठभूमि का पर्यटन विभाग निरन्तरता के आधार पर प्रदेश में आउटडोर शूटिंग के लिए स्थलों का चयन कर उनका विकास करेगा तथा सक्रियता से प्रचार करेगा। इसके लिए ट्रांसपैरेन्सीज, लघु फिल्में, प्रचार-साहित्य, जैसे– ब्रॉशर्स इत्यादि विकसित किये जायेंगे। प्रदेश में नयी 'पर्यटन नीति' के तहत निजी क्षेत्र को इस बात के

लिए उत्प्रेरित किया जाएगा कि वे इन शूटिंग स्थलों पर होटल्स, मोटल्स, रेस्टोरेन्ट तथा कैम्पिंग सुविधाओं की स्थापना करें।

कलाकारों तथा तकनीशियनों का प्रशिक्षण

फिल्म उद्योग के उपयुक्त विकास के लिए यह परम आवश्यक है कि प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार तथा प्रशिक्षित तकनीशियन सुगमता से उपलब्ध हों। उत्तर प्रदेश में फिल्म तथा टेलीविजन इंस्टीट्यूट की एक शाखा खोलने के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार से समन्वय स्थापित करेगी ताकि उन प्रतिभाशाली नवयुवकों की आकांक्षा पूर्ति हो सके जो कि देश के उत्तरी भाग में फिल्मों को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस शाखा की स्थापना होने तक प्रदेश की प्रख्यात भारतेन्दु नाट्य अकादमी का विकास, 'राज्य फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान' के रूप में किया जायेगा।

फिल्म तकनीशियनों को चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जायेगा। इस उद्देश्य से सम्बन्धित पाठ्यक्रम कुछ संस्थानों में प्रारम्भ किए जाएँगे। राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को भी फिल्म सम्बन्धी व्यवसायों एवं पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे तथा सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों को वार्षिक छात्रवृत्ति रु. 25,000/- दी जाएगी। छात्रवृत्तियों की अधिकतम संख्या दोनों संस्थानों में प्रत्येक के लिए अलग-अलग होगी। इस कार्य पर व्यय होने वाली धनराशि का वहन 'फिल्म विकास निधि' से किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 'परफॉर्मिंग आर्ट्स' के पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे ताकि प्रदेश के युवा वर्ग को अपनी प्रतिभा विकसित एवं मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके।

फिल्म इकाइयों के लिए आवासीय सुविधा

प्रदेश में आउटडोर शूटिंग करने वाली इकाइयों को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल्स/मोटल्स में कमरों के किराए में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा सिंचाई विभाग एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के अतिथि गृह/विश्रामालय भी इन फिल्म इकाइयों को नियमित भुगतान पर उपलब्ध होंगे।

सरकारी हवाई पट्टियों का प्रयोग

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित हवाई पट्टियों के प्रयोग की सुविधा आउट-डोर शूटिंग करने वाली फिल्म इकाइयों को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अनुमन्य करायी जा सकें।

फिल्मों का वित्त पोषण

फिल्म उद्योग के विकास में फिल्मों का वित्त पोषण एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत सरकार फिल्मों को उद्योग का दर्जा देने के लिए राजी हो गयी है तथा व्यावसायिक बैंकों से फिल्मों के वित्त पोषण की प्रक्रिया निर्धारण करने हेतु 'कानन समिति' का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्य वित्तीय संस्थाएँ पहले से ही स्टूडियो तथा उपकरणों जैसे– हार्डवेयर के लिए नियमित व्यावसायिक शर्तों पर वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध करा रही है। 'कानन समिति' की अनुशंसाएँ प्रस्तुत होने पर तथा भारत सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लेने पर राज्य सरकार उन्हें अंगीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'कानन समिति' की रिपोर्ट आने तक फिल्मों का वित्त पोषण 'फिल्म बन्धु' द्वारा 'फिल्म विकास निधि' के माध्यम से किया जायेगा। प्रदेश 'नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन' पिकप अथवा बैंकों के साथ संयुक्त ऋण योजना में प्रतिभागी बनेगा, किन्तु यह वित्त पोषण केवल उन्हीं फिल्मों को अनुमन्य होगा जो 75 प्रतिशत से अधिक उत्तर प्रदेश में फिल्मांकित की जायेंगी तथा प्रदेश की छवि को उभारेंगी।

फिल्म निधि

फिल्म तथा फिल्म सम्बन्धी अवस्थापना के विकास की विभिन्न योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए

सिनेमा टिकटों पर 50 पैसे का शुल्क चार्ज किया जायेगा। यह शुल्क प्रत्येक जिले के कोषागार में फिल्म निधि के नाम से जमा किया जायेगा। इस प्रकार से एकत्र की गयी धनराशि समेकित रूप में कर एवं निबन्धन विभाग से ज्ञात कर उसके समतुल्य धनराशि प्रत्येक वर्ष सूचना विभाग के आय-व्ययक में अलग लेखा शीर्षक खोलकर प्रावधानित करायी जायेगी तथा उसे अनुदान के रूप में 'फिल्म बन्धु' को स्वीकृत की जायेगी जिसे फिल्म बन्धु के अधीन स्थापित फिल्म विकास निधि में जमा किया जायेगा। इसका संचालन ''उत्तर प्रदेश फिल्म बन्धु'' द्वारा किया जायेगा। इसके साथ ही फिल्म विकास निधि में अनुदान के अतिरिक्त फिल्म उपकरणों के किराये, फिल्म महोत्सव के आयोजन में टिकटों से होने वाली आय को भी जमा किया जायेगा।

सूचना विभाग

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि, साहित्यिक, औद्योगिक, ग्राम्य विकास तथा अन्य विकास सम्बन्धी विषयों पर वृत्त चित्र एवं वर्तमान घटना क्रम पर समाचार चित्र निर्मित करने का कार्य किया जाता है। अधिसंख्य वृत्त चित्र तथा समाचार चित्र का फिल्मांकन प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में किया जाता है। अब तक इस विभाग द्वारा 95 समाचार चित्र तथा 165 वृत्त चित्र तैयार किये जा चुके हैं। इनमें 28 रंगीन वृत्त चित्र सम्मिलित हैं। उल्लेखनीय है कि इस विभाग द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश समाचार संख्या 54 को 26वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1979 में पुरस्कृत भी किया गया है। इस विभाग द्वारा निर्मित वृत्त चित्र 'फूलों की घाटी' तथा 'बदरी-केदार' पर बने चित्रों को देश की 14 भाषाओं में डबिंग कराकर अखिल भारतीय सर्किट में विभिन्न सिनेमा घरों में प्रदर्शित किया गया। अब तक निर्मित वृत्त चित्रों में 'कार्बेट नेशनल पार्क', 'लखनऊ मेरा लखनऊ', 'महात्मा गांधी और उत्तर प्रदेश', 'चोर-चोर', 'फूलों की घाटी', 'बदरी-केदार', 'नैमिषारण्य', 'ब्रज में होली', 'ग्राम्या', 'कुम्भ मेला', 'भागीरथी', 'सुमित्रानन्दन पंत', 'महादेवी वर्मा', 'प्रेमचन्द', 'बुन्देलखण्ड', 'विकास की चमक हर आँख में' इत्यादि वृत्त चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

फिल्म पत्रकारिता

उत्तर प्रदेश में फिल्म पत्रकारिता का जहाँ तक प्रश्न है तो इस क्षेत्र में पहला नाम 1930 के दशक में उमाशंकर जोशी का उभरता है। इसके बाद फिर रामकृष्ण, कपिलकुमार, धर्मेन्द्र गौड़, ओंकार शरद, विनोद भारद्वाज, कुंवर नारायण, सतीश सिंह, जिनेन्द्र जैन, महादेव शर्मा, नेत्र सिंह रावत ने फिल्म पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाया मंगलेश डबराल, मोहित थपलियाल, धीरेन्द्र अस्थाना, राजेन्द्र प्रसाद काण्डपाल, ओम प्रकाश गुप्ता, विवेक चटर्जी, प्रवीण श्रीवास्तव, हेमंत शुक्ल, वीर विनोद छाबड़ा, अवधेश नारायण 'प्राण', सुरेन्द्र अग्निहोत्री, गौतम चटर्जी आदि ने।

●

दर्शनीय स्थल, मेले एवं प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति

युगों की प्राचीन परम्परा के इस प्रदेश में बहुत से ऐसे स्थान हैं, जिनका धार्मिक महत्व है। बहुत से ऐसे स्थल भी हैं, जिन्हें तीर्थ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से उनका बड़ा महत्व है। हमारा प्रदेश ऐसे सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार के कुछ स्थान इस प्रकार हैंः–

सोरों (जिला एटा)– सोरों या शूकर क्षेत्र की गणना भारत के पवित्र तीर्थों में होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम पृथ्वी का आविर्भाव यहीं हुआ था। इस तीर्थ में वराह भगवान का एक अति प्राचीन दर्शनीय मन्दिर है। इस मन्दिर में भगवान वराह की विशाल प्रतिमा स्थापित है और निकट ही हरिपदी पर वराह घाट है। शूकर क्षेत्र में प्राचीन काल से भगवान वराह की पुण्य स्मृति में मार्गशीर्ष का मेला लगता है।

काशी (वाराणसी)– यह भारत के ही नहीं, संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है। यह नाम वरुणा और अस्सी, दो नदियों से मिलकर बना है। वर्तमान काशी में दर्शनीय मन्दिर विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, संकटमोचन, दुर्गा मन्दिर, तुलसी मानस मन्दिर, विश्वविद्यालय का विश्वनाथ मन्दिर, आदि विश्वेश्वर, साक्षी विनायक और पांचरत्न आदि हैं। कुण्डों तथा वापियों में दुर्गा कुण्ड, पुष्कर कुण्ड, पिशाचमोचन, कपिलधारा, लोलार्क, मानसरोवर तथा मन्दाकिनी उल्लेखनीय हैं। यहाँ घाटों की संख्या बहुत है। इनमें अस्सी, तुलसी, हरिश्चन्द्र, अहिल्याबाई, दशाश्वमेध तथा मणिकर्णिका घाट आदि विशेष प्रसिद्ध हैं।

देवबन्द (जिला सहारनपुर)– मुजफ्फरनगर से 24 कि.मी. दूर देवबंद रेलवे स्टेशन है। यहाँ दुर्गा जी का मन्दिर है। मन्दिर के समीप देवी कुण्ड सरोवर है।

शाकम्भरी देवी– यह मन्दिर सहारनपुर से 41.6 कि.मी. दूर है। शाकम्भरी देवी का मन्दिर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ नवरात्र में मेला लगता है।

हस्तिनापुर (जिला मेरठ)– यह नगरी मेरठ से 35.2 कि.मी. दूर है। यह पाण्डवों की राजधानी थी। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है। यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी है। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव जी को राजा श्रेयांस ने यहीं इक्षुरस का दान दिया था। इसलिए इसे 'दानतीर्थ' कहा जाता है। यहाँ से पास ही भसूमा गाँव में प्राचीन जैन प्रतिमाएँ हैं।

गढ़मुक्तेश्वर (जिला गाजियाबाद)– मेरठ से 42 कि.मी. दूर गंगा के दाहिने तट पर स्थित गढ़मुक्तेश्वर प्राचीन काल में हस्तिनापुर नगर का एक मोहल्ला था। यहाँ मुक्तेश्वर शिव का मन्दिर है। मन्दिर के पास ही झारखंडेश्वर नाम का एक प्राचीन शिवलिंग है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है।

शृंगीरामपुर– यह फर्रुखाबाद जिले में गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है। यहाँ शृंगी ऋषि का मन्दिर है। कार्तिक पूर्णिमा तथा दशहरा को यहाँ मेला लगता है।

शृंगवेरपुर– जिला प्रयागराज से 48 कि.मी. दूर राम चौरा रोड स्टेशन से 3 मील की दूरी पर शृंगवेरपुर है। यहीं पर भगवान राम ने वन जाते हुए निषादराज का आग्रह मानकर रात्रि में विश्राम किया था।

विन्ध्याचल (जिला मिर्जापुर)– यहाँ विन्ध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है। नवरात्र में यहाँ मेला लगता है।

लोधेश्वर– यह बाराबंकी जिले में है। यहाँ लोधेश्वर जी का मन्दिर है।

देवीपाटन (जिला गोण्डा)– यहाँ पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर देवी की स्थापना महाराज विक्रमादित्य ने की थी। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है।

मगहर (जिला बस्ती)– कबीरदास जी ने यहीं पर शरीर छोड़ा था। संत कवि कबीर की समाधि और मजार, हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में यहीं स्थित है। उनके पुत्र कमाल की समाधि भी यहीं है। कबीर पंथियों का यह पवित्र तीर्थस्थल है।

भृगु मन्दिर (बलिया)– ब्रह्माजी के पुत्र भृगु के शिष्य दरदर मुनि की यह तपस्थली रही है। इन्हीं के नाम पर यहाँ भारत का विख्यात ददरी मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष लगता है।

मथुरा– सप्त महापुरियों में इसकी गणना होती है। इसका प्राचीन नाम मथुरा था। वर्तमान मथुरा के समीप मधुवन में पहले मधु और उसके पुत्र लवण का शासन था। मधु के नाम पर मधुरी या मधुपुरी नगरी बसी थी। श्रीराम के भाई शत्रुघ्न ने लवण को मारकर इस नगरी को नया रूप दिया था। चन्द्रवंश की यादव शाखा में श्रीकृष्ण का जन्म यहीं हुआ था। मथुरा में द्वारिकाधीश मन्दिर और विश्राम घाट के दर्शन के लिए लाखों यात्री प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। मथुरा में निम्न दर्शनीय स्थल हैं-

- **वृन्दावन** (जिला मथुरा) – वृन्दावन, मथुरा से 9.6 कि.मी. पर स्थित है। यहाँ करीब 4 हजार मन्दिर, घाट और सरोवर हैं। गोविन्द देव मन्दिर बड़ा भव्य और सुन्दर है। जयपुर के महाराज मानसिंह ने सन् 1590 में इसे बनवाया था। गोविन्द देव मन्दिर के सामने द्रविण शैली में निर्मित सफेद पत्थर का बना रंगनाथ का विशाल मन्दिर स्थित है। बिहारी जी का मन्दिर, राधाबल्लभ जी का मन्दिर, राधारमण जी का मन्दिर, गोपीनाथ जी का मन्दिर, शाहजी का मन्दिर, अष्टसखी मन्दिर आदि वृन्दावन के प्रसिद्ध मन्दिर हैं। निधिवन और सेवाकुंज प्रसिद्ध वन स्थलियाँ हैं। वंशीवट, कालीदह और केशघाट यमुना के प्रसिद्ध घाट हैं।
- **नन्दगाँव** (जिला मथुरा)– मथुरा से 48 कि.मी. उत्तर-पूर्व में एक पहाड़ी की तलहटी में नंदगाँव स्थित है। नंद बाबा का घर जिस स्थान पर था, वहाँ पहाड़ी के ऊपरी भाग में एक विशाल मंदिर स्थित है। यह हिन्दुओं का एक पवित्र स्थल है।
- **गोवर्धन** (जिला मथुरा)– गोवर्धन, मैदान से सौ फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यह मथुरा से 23 कि.मी. दूर पड़ता है और मथुरा से डीग (भरतपुर) जाने वाली सड़क पर स्थित है। यहाँ के विशाल पक्के सरोवर (पवित्र मानसी गंगा) के पास हरिदेव का मनोहर मन्दिर है, जिसे अकबर के राज्यकाल में अम्बर के राजा भगवान दास ने बनवाया था।
- **बरसाना** (जिला मथुरा)– बरसाना गाँव गोवर्धन से 24 कि.मी. उत्तर में कोसी (आगरा-दिल्ली सड़क पर) के 16 कि.मी. दक्षिण में स्थित है। इसे भगवान कृष्ण की प्रिया राधाजी का जन्मस्थान होने का गौरव प्राप्त है। बरसाना का मूल नाम ब्रह्मासारिणी था। यह एक पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। पहाड़ी के चार प्रमुख शिखर चतुर्मुखी देवत्व के प्रतीक माने जाते हैं और लाड़ली जी, जो राधाजी का स्थानीय नाम है, के सम्मान में निर्मित मन्दिरों से सुशोभित है। यहाँ प्रतिवर्ष राधाष्टमी के अवसर पर मेला लगता है।
- **दाऊजी** (जिला मथुरा)– दाऊजी मथुरा से लगभग 21 कि.मी. की दूरी पर है। नगर के मध्य में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ (दाऊजी) का प्रसिद्ध मन्दिर बना हुआ है। यहाँ वर्ष में दो मेले लगते हैं। इनमें एक भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को लगता है, जिसे देवछठ कहते हैं तथा दूसरा अगहन की पूर्णिमा को लगता है।

बिठूर (जिला कानपुर) – कानपुर नगर से लगभग 24 कि.मी. उत्तर-पश्चिम में गंगा के किनारे बसा हुआ यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है। यहीं रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बताया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है।

चित्रकूट– (जिला बाँदा) बाँदा से झाँसी-मानिकपुर रेलवे लाइन द्वारा चित्रकूट लगभग 75 कि.मी. दक्षिण-पूरब में स्थित है। चित्रकूट के पास मन्दाकिनी बहती है। वन जाते समय श्रीराम यहाँ ठहरे थे। जनश्रुति के

अनुसार महर्षि वाल्मीकि भी यहाँ रहे थे। बहुत से पवित्र स्थल, छोटी-छोटी पहाड़ियाँ मन्दाकिनी के किनारे पाई जाती हैं। मन्दाकिनी, जिसे पयस्विनी भी कहते हैं, चित्रकूट के सुरम्य जंगलों से होकर बहती है। इस नदी के बायें तट पर कामतानाथ से लगभग 2.4 कि.मी. पर सीतापुर है, जहाँ नदी के किनारे-किनारे 24 घाट हैं। इनमें से राघव प्रयाग, कैलाश घाट, रामघाट और घृतकल्प घाट विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं। सीतापुर में अनेक प्राचीन मन्दिर हैं। रामघाट के समीप स्थित पर्णकुटी के विषय में कहा जाता है कि राम ने यहाँ निवास किया था। यहाँ से लगभग 30 कि.मी. की दूरी पर सती अनुसूया और महर्षि अत्रि का आश्रम है। एक पहाड़ी के अंचल में अनुसूया, अत्रि, दत्तात्रेय और हनुमान जी के मंदिर हैं। इसे मन्दराचल कहते हैं। यहीं से मन्दाकिनी निकलती है। सीतापुर से 3.30 कि.मी. की दूरी पर रमणीक जानकी कुण्ड है। यहाँ नदी की धारा श्वेत पत्थरों के ऊपर से होकर बहती है। जानकी कुण्ड से 3.2 कि.मी. पर स्फटिक शिला है। यहाँ दो बड़ी चट्टानें हैं। कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने यहाँ पर विश्राम किया था। चित्रकूट में भरत कूप भी है। इसके सम्बन्ध में कथा यह है कि श्रीराम के राजतिलक हेतु सभी पवित्र नदियों से एकत्र जल को इस कुँए में डाला गया था।

राजापुर (जिला बाँदा) – बाँदा से 99.2 कि.मी. और चित्रकूट से 38.4 कि.मी. की दूरी पर राजापुर नामक स्थान है। कहा जाता है कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म यहीं हुआ था। यहाँ तुलसी स्मारक समिति की ओर से एक सुन्दर स्मारक का निर्माण हुआ है।

देवा शरीफ (जिला बाराबंकी) – बाराबंकी से लगभग 12 कि.मी. दूर स्थित देवा में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में देवा में एक बड़ा मेला लगता है।

महोबा- चन्देलों के वैभवशाली समय में वर्तमान बुन्देलखण्ड का नाम 'जेजाक युक्ति' था तथा इसकी राजधानी महोबा थी। इसी महोबा में वीर शिरोमणि आल्हा और ऊदल का जन्म हुआ था। **दर्शनीय-** कीरत सागर, चन्देल कालीन स्मारक।

बहराइच– यहाँ सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आये थे।

गोला गोकर्णनाथ (जिला लखीमपुर खीरी) – त्रेता युग में रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को लंका में शिवलिंग स्थापित करने का आदेश दिया था। शिवलिंग को भूमि पर रखना निषेध था। रावण ने मार्ग में शिवलिंग को एक भक्त के पास कुछ देर के लिए छोड़ा, लेकिन वह उसका भार सहन न कर सका और उसने उस शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। लौटकर रावण यह देखकर क्रोधित हुआ और लिंग को अंगूठे से दबा दिया जो कान के आकार का हो गया। इसी आधार पर इस स्थान का नाम गोला गोकर्णनाथ पड़ा। यह स्थान लखीमपुर-खीरी से लगभग 35 कि.मी. दूर है।

कम्पिल (जिला फर्रुखाबाद)– अपने अंतःस्थल में देश के लम्बे इतिहास की रहस्यपूर्ण रोचकता छिपाये हुए यह छोटी सी भाव-मुग्धा नगरी अति प्राचीन काल से आज तक दर्शन, धर्म और संस्कृति की मनोहर मंजूषा के रूप में विख्यात रही है। विष्णु पुराण, जातक, रामायण तथा उत्तराध्ययन सूत्र एवं अनेक ग्रन्थों व रिपोर्टों में इस नगरी का उल्लेख विभिन्न रूपों, प्रसंगों और परिवेशों में किया गया है। पतित पावनी गंगा नदी के दायें तट पर कायमगंज तहसील के कस्बे से 10 कि.मी. पश्चिम में सड़क द्वारा सम्बद्ध यह तीर्थ स्थान जैन धर्म के प्रवर्तक तेरहवें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ, महासती द्रौपदी तथा गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। द्रौपदी का स्वयंवर भी यहीं हुआ था। हमारी अमूल्य सांस्कृतिक निधि के प्रमुख दिग्दर्शक, जो कम्पिल में विद्यमान हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

- ***मुगलघाट***– द्रौपदी कुण्ड के समीप ही मुगल बादशाह औरंगजेब ने गंगा नदी के किनारे गुम्बदनुमा चार घाटों का निर्माण कराया था।
- ***कपिलमुनि का आश्रम***– यहाँ खुदाई करते समय एक गुफा मिली है, जिसमें कुछ मूर्तियाँ और पूजा-पाठ की सामग्री उपलब्ध हुई है।
- ***रामेश्वरधाम मन्दिर***– कहा जाता है कि भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न ने भगवान राम द्वारा लंका से लाये

शिवलिंग को, जिसकी पूजा सीताजी लंका निवास के समय अशोक वाटिका में प्रतिदिन करती थीं, इसी स्थान पर प्रतिष्ठित किया था।

- ***जैन श्वेताम्बर मन्दिर***– इस भव्य मन्दिर के मूल नायक भगवान विमलनाथ हैं जो मन्दिर में ऊँचे आसन पर विराजमान हैं। मंदिर के चारों कोनों पर चार कल्याणकों के स्मारक हैं।
- ***जैन दिगम्बर मन्दिर***– इसमें भगवान विमलनाथ की मूल नायक प्रतिमा विद्यमान है। अनुमान है कि यह प्रतिमा कई सौ वर्ष पुरानी है।
- ***भेदकुण्ड***– कम्पिल ग्राम से 3 मील पूर्व में स्थित है। कहा जाता है कि अर्जुन ने इसी स्थान पर द्रौपदी के वरण हेतु मीन वेध किया था। हमारी संस्कृति के प्रतीक इन मन्दिरों के अतिरिक्त कम्पिल में अनेक छोटे-छोटे मंदिर, खण्डहर, प्राचीन कुँए आदि हैं, जो पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, शिल्पियों, शोध-छात्रों आदि के लिए आकर्षण और महत्व के केन्द्र हैं।
- ***संकिस्सा–*** प्राचीन काल में इसे संकास्य कहते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसका उल्लेख 'कपित्थ' नाम से किया है। वर्तमान संकिस्सा जिला फर्रुखाबाद में है। इसके एक टीले पर, जो पूर्व से पश्चिम तक 455 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 303 मीटर है, कतिपय भग्नावशेष हैं। बौद्ध मतानुयायियों के अनुसार भगवान बुद्ध देवलोक से पृथ्वी पर यहाँ अवतरित हुए थे। यह स्थान हिन्दुओं के लिए भी पवित्र है। प्रतिवर्ष यहाँ श्रावणी मेला लगता है।

नैमिषारण्य (जिला सीतापुर)– पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्तासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि से प्रार्थना की थी। नैमिषारण्य आध्यात्मिक विकास का केन्द्र रहा है। यह अट्ठासी हजार ऋषियों की तपस्थली रही है। यहाँ तीस हजार तीर्थस्थल हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर साधना करने वाले की सिद्धि-प्राप्ति निश्चित है। नैमिषारण्य में अनेक पुण्य तीर्थ हैं जिनकी यात्रा के लिए भारत के कोने-कोने से लाखों यात्री आते हैं। महर्षि दधीचि की पुण्य स्मृति में चौरासी कोस की परिक्रमा फाल्गुन महीने की अमावस्या से प्रारम्भ होकर पूर्णिमा को मिश्रिख में समाप्त होती है। यहाँ के कुछ तीर्थ हैं :–

- ***चक्रतीर्थ***– नैमिष के तीर्थों में चक्रतीर्थ सर्वोपरि है। इसके समान पृथ्वी तल पर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। प्रसिद्ध है कि ब्रह्माजी की मानसिक शक्ति से निर्मित दिव्य चक्र के पृथ्वी पर गिरने से एक गोलाकार कुण्ड बन गया जो चक्रतीर्थ कहलाया।
- ***व्यास गद्दी***– चक्रतीर्थ के निकट व्यास गद्दी तीर्थ है, जहाँ व्यास ने वेद को चार भागों में विभाजित किया तथा पुराणों की रचना की थी।
- ***सूत गद्दी***– यहाँ सूत और शौनक संवाद हुआ था।
- ***श्री ललिता देवी का मन्दिर*** – यह स्थान चक्रतीर्थ के निकट ही है। कहते हैं कि ब्रह्माजी के आदेश से यहाँ ललिता नामक शक्ति ने अवतरित होकर ब्रह्मा जी के चक्र की शिखा पकड़कर उसे स्तंभित कर दिया था। भक्तजनों में इस मंदिर का बहुत महत्व है।
- ***श्री हनुमान गढ़ी एवं पंच पाण्डव***– यहाँ हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। जनश्रुति के अनुसार हनुमान जी अहिरावण का वध कर श्रीराम तथा लक्ष्मण को लेकर इसी स्थान पर पाताल तोड़कर प्रकट हुए थे। यहीं पर पाण्डवों का भी मंदिर है। पाण्डवों ने अज्ञातवास के समय यहीं निवास किया था।
- **मिश्रिख**– नैमिषारण्य से 10 कि.मी. दूरी पर मिश्रिख स्थित है। कथा है कि यहाँ पर महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थि दान करने के पूर्व समस्त तीर्थों के जल से स्नान किया था, जिससे इसका नाम मिश्रित अथवा मिश्रिख पड़ा। यहाँ महर्षि दधीचि आश्रम और सीताकुण्ड दर्शनीय है।

गोरखनाथ मन्दिर (गोरखपुर)– जिस स्थान पर महायोगी गोरखनाथ जी ने खिचड़ी का प्रसाद बाँटा था और चमत्कार दिखाया था, उसी स्थान पर गोरखनाथ जी का मन्दिर स्थापित है। इस नगर का नाम तभी से महायोगी के नाम पर गोरखपुर पड़ा। महायोगी जी की यह तपस्थली है और नाथ सम्प्रदाय की सिद्धपीठ है।

शुक्रताल (जिला मुजफ्फरनगर)– यहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठकर महर्षि शुक्राचार्य जी ने राजा परीक्षित को महाभारत की कथा सुनाई थी। कार्तिक में पूर्णमासी एवं एकादशी पर हजारों भक्त दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। प्रायः प्रत्येक मास में भागवत सप्ताह का आयोजन होता है। यहाँ अनेक धर्मों के अनुयायियों के मन्दिर हैं।

भरत कुण्ड– जिला अयोध्या से 25 कि.मी. दूर नन्दिग्राम के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ पर भरत जी ने श्री रामचन्द्र जी के वनवास की अवधि में 14 वर्ष तक तपस्या की थी।

किछौछा (जिला अयोध्या)– यहाँ मुस्लिम संत सैयद महमूद शाह अशरफ जहाँगीर की दरगाह है।

बांगरमऊ– यह जिला उन्नाव में एक छोटा सा कस्बा है। इसकी प्रसिद्धि का कारण यहाँ स्थित राजराजेश्वरी श्री विद्या का मन्दिर है। इसमें जगदम्बा की एक बड़ी सुन्दर प्रतिमा है, जो अष्ट धातुओं के मिश्रण से बनी है। मन्दिर कुण्डलिनी-योग विचारधारा पर आधारित है तथा स्थापत्य कला की दृष्टि से विशिष्ट महत्व का है।

बांसा– बाराबंकी से लगभग 16 कि.मी. दूर स्थित बांसा मुसलमानों के लिए सुप्रसिद्ध सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह के कारण एक तीर्थ स्थान बन गया है।

बाराबंकी– लखनऊ से लगभग सत्ताइस कि.मी. की दूरी पर जनपद बाराबंकी है, जहाँ महादेवा, किन्तूर, कोटवाधाम आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। यहाँ महादेव की स्थापना, कहा जाता है कि स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने की थी। किन्तूर ग्राम में महारानी कुन्ती द्वारा स्थापित कुन्तेश्वर मन्दिर है। इसी जनपद के ग्राम बदोसराय में हिन्दू-मुस्लिम एकता की प्रतीक सलामत शाह की मजार है।

अतरंजीखेड़ा : अतरंजीखेड़ा उत्तर प्रदेश में काली नदी के तट पर एटा जिले में स्थित है। यहाँ से गैरिक मृदभाण्ड संस्कृति से लेकर गुप्त युग तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ह्वेनसांग (चीनी यात्री) ने अपने यात्रा विवरण में 'अतरंजीखेड़ा' को 'पि-लो-शा-न' कहा है। अतरंजीखेड़ा से गैरिक मृदभाण्ड तथा कृष्ण लोहित मृद्भाण्ड संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेष मुख्यतया चित्रित धूसर मृद्भाण्ड संस्कृति से सम्बद्ध हैं। इस युग में 1000 ई.पू. के लौह-प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुण्ड तथा कटे निशान वाले पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। इस युग को उत्तर वैदिक युग से सम्बद्ध स्वीकार किया जाता है। उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के चरण में अतरंजीखेड़ा एक नगर के रूप में उभरा था। यहाँ के लोग प्रायः कृषिजीवी और स्थिर प्रवृत्ति के थे। अतरंजीखेड़ा से शुंगों, कुषाणों तथा गुप्तों से सम्बद्ध अवशेष भी प्राप्त हुए हैं।

अयोध्या : अयोध्या उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले में सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम अयाज्सा था। अयोध्या उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदान में स्थित है, इस कारण अयोध्या की एक आर्थिक पृष्ठभूमि भी रही है। यही कारण है कि अयोध्या में उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति से लेकर गुप्तकाल तक के साक्ष्य मिले हैं। महाजनपद युग में अयोध्या कोशल जनपद की प्रमुख नगरी थी। बौद्ध परम्परा के अनुसार यहाँ अशोक ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। जैन ग्रन्थों में आदिनाथ सहित पाँच तीर्थंकरों का जन्मस्थल अयोध्या को ही माना गया है। अयोध्या नगरी भारत की सप्तमहापुरियों में से एक है। इस नगरी को भगवान श्री राम के जन्म स्थान का गौरव प्राप्त है। यह नगरी बहुत समय तक इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की राजधानी रही। इस नगरी में श्री राम, सीता और दशरथ से सम्बन्धित अनेक स्थान हैं। अयोध्या पर बैक्ट्रियाई यूनानियों के आक्रमण हुए थे। अयोध्या से पुष्यमित्र शुंग का एक लेख प्राप्त हुआ है। गुप्तों के काल में अयोध्या प्रमुख नगरी थी। साकेत इस क्षेत्र का ही नाम है। ह्वेनसांग ने अयोध्या में अनेक बौद्ध मन्दिरों का उल्लेख किया है।

अहिच्छत्र : अहिच्छत्र की समता (पहचान) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित रामनगर से की गयी है। उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदान में स्थित होने के कारण अहिच्छत्र में नागरिक विकास के तत्व उभरे थे, इस कारण यहाँ से मृद्भाण्ड संस्कृतियों से लेकर गुप्तोत्तर युग तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अहिच्छत्र से चित्रित धूसर मृद्भाण्ड तथा लाल मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष मिले हैं। महाजनपद युग में यह उत्तरी

पांचाल की राजधानी थी। अशोक ने यहाँ एक स्तूप का निर्माण कराया था। ई.पू. 100 से 300 ई. के मध्य वाले स्तरों से मृण्मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी समय के 'मित्र' उपाधि वाले राजाओं के सिक्के भी मिले हैं। कुषाणों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। गुप्तकाल में अहिच्छत्र एक नगर के रूप में प्रसिद्ध था। अहिच्छत्र के शासक अच्युत को सम्राट समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। यहाँ से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। 350 ई. से 750 ई. के मध्य के मन्दिर, देवकक्ष भी प्राप्त हुए हैं।

आलमगीरपुर : आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ के समीप स्थित है। आलमगीरपुर के उत्खनन से प्राप्त अवशेष सैन्धव सभ्यता के पूर्वी विस्तार की पुष्टि करते हैं। यह स्थल उत्तर-हड़प्पा सभ्यता का भी केन्द्र था। आलमगीरपुर से कपास उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

आगरा : आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित महानगर है। आगरा की स्थापना 1504 ई. में सुल्तान सिकन्दर लोदी ने की थी, उसने इसे सामयिक महत्व का स्थान घोषित कर सैनिक-राजनीतिक केन्द्र बनाया था। मध्य युग में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक-आर्थिक-व्यापारिक महत्व स्थापित था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया था। मुगल सम्राट अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब की भी यह राजधानी रही थी। जहाँगीर के काल में नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता एत्मादद्दौला का शानदार मकबरा निर्मित कराया था। शाहजहाँ ने किले में अनेक भव्य भवन निर्मित कराकर आगरा को वैभव प्रदान किया था। इन भवनों में जहाँगीरी एवं अकबरी महल प्रमुख थे। शाहजहाँ द्वारा निर्मित ताजमहल एवं मोती मस्जिद स्थापत्यकला के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक हैं। मुगलकाल में आगरा मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। यह व्यावसायिक केन्द्र के रूप में समस्त भारत में चर्चित था। आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में नील की खेती होती थी। सभी यूरोपियन यात्रियों (राल्फ फिच, बर्नियर, आदि) ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है।

कन्नौज : प्राचीन भारत में कान्यकुब्ज के नाम से चर्चित कन्नौज उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों में स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में यह प्रदेश का जनपदीय नगर है और गंगा नदी तट पर स्थित है। गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित होने के कारण कन्नौज का आर्थिक महत्व ईसा पूर्व शताब्दियों से रहा था। कन्नौज का उल्लेख टॉलेमी के 'द ज्योग्राफी' एवं पतंजलि के महाभाष्य तथा सभी पुराणों, महाभारत एवं चीनी यात्रियों (फाह्यान, ह्वेनसांग) के यात्रा-विवरणों में प्राप्त होता है। कन्नौज में पहली बस्ती के साक्ष्य उत्तरी काले मद्भाण्ड युग से कुषाण युग तक के प्राप्त हुए हैं। गुप्तों और मौखरियों के समय यह प्रमुख नगर था। पुष्यभूति शासक हर्षवर्द्धन के समय कन्नौज की सर्वांगीण उन्नति हुई थी। ह्वेनसांग ने तत्कालीन वैभव की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उस समय कन्नौज 'नगरमहोदय श्री' कहलाता था। हर्षोत्तर युग में कन्नौज पर अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए गुर्जर-प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुए त्रिदलीय संघर्ष का कारण इस नगर का वैभव व आर्थिक-राजनीतिक महत्ता थी। प्रतिहारों ने सर्वाधिक समय तक अपना प्रभुत्व कन्नौज में स्थापित रखा था। 1018-1019 ई. में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। मुहम्मद गोरी के समय कन्नौज का शासक जयचन्द गहड़वाल था। कन्नौज शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का ऐतिहासिक केन्द्र लगभग 1000 वर्षों तक बना रहा था। यहाँ हिन्दू व बौद्ध दोनों प्रकार की शिक्षा-विधि प्रचलित रही थी। यहाँ के बौद्ध महाविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन-अध्यापन किया था। राजशेखर, भवभूति, वाण कन्नौज से सम्बद्ध रहे थे। ह्वेनसांग के अनुसार कन्नौज में अशोक ने स्तूप निर्मित कराया था। इस प्रकार कन्नौज प्राचीन व मध्यकाल का चर्चित नगर था। यहाँ हजारों वर्ष पुराने खण्डहर, मंदिर और मस्जिद पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र हैं। इनमें से कुछ हैं :-

क्षेमकली देवी का मन्दिर– यह अब भी जिले के पूर्वी किनारे पर एक चबूतरे पर सुशोभित है। क्षेमकली देवी राजमहल की प्रमुख देवी थीं। इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही कोई कार्य प्रारम्भ किया

जाता था। इसी स्थान पर सम्राट जयचन्द्र की तोप रखी रहती थी।

पद्मावती सती मन्दिर– कन्नौज से 5 कि.मी. की दूरी पर दक्षिण-पश्चिम दिशा में देवरिया ताल के पूर्वी तट पर लाखन की रानी पद्मावती सती हुई थीं जिनकी पुण्य स्मृति में पद्मावती सती मन्दिर बना हुआ है। सावन के महीने में यहाँ मेले का आयोजन भी होता है।

जयचन्द्र के किले के अवशेष– राजा जयचन्द्र के किले की अवशेष यहाँ पाये जाते हैं।

राजा जयचन्द्र की सोलहद्वारी तथा बारहद्वारी– कन्नौज से 3 कि.मी. की दूरी पर यह वह स्थान है जहाँ आल्हा और ऊदल की कचहरी लगती थी। यहाँ आज भी प्राचीन भवनों के अवशेष उपलब्ध हैं। चिन्तामणि मन्दिर, गौरीशंकर मन्दिर, मकदून जहानियाँ की मस्जिद, हाजी शरीफ मंदिर, अजयपाल, जामा मस्जिद, बालापीर, फूलवती देवी का मंदिर आदि दृष्टव्य हैं।

कपिलवस्तु : कपिलवस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा से की गयी है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी (नेपाल) इसके समीप ही है। यह क्षेत्र तराई में है। कपिलवस्तु के विषय में पालि एवं संस्कृत ग्रन्थों तथा पुरातात्विक अवशेषों से विशेष प्रकाश पड़ता है। कपिलवस्तु का अर्थ कपिल ऋषि के वास (स्थान) से लगाया गया है। बौद्धकाल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। यहाँ उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने इस पवित्र स्थल की यात्रा की थी। कुषाणों के सिक्के कपिलवस्तु के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। कपिलवस्तु श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग तथा वैशाली-पुरुषपुर मार्ग का प्रमुख केन्द्र स्थल रहा था, इसलिए कपिलवस्तु में आर्थिक-व्यापारिक सक्रियता के साक्ष्य मिलते हैं। महावस्तु के अनुसार कपिलवस्तु में अनेक प्रकार के शिल्प प्रचलित थे।

कुशीनगर : कुशीनगर की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित कसिया स्थल से की गयी है। दिव्यादान, दीघनिकाय, अशोक के आठवें वृहद् शिलालेख, कनिष्क के सिक्कों तथा फाहियान एवं ह्वेनसांग के यात्रा-विवरणों से कुशीनगर की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण (483 ई.पू.) कुशीनगर में ही हुआ था। गुप्तकाल तथा कुशीनगर का प्रमुख महत्व स्थापित रहा था। श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग का प्रमुख केन्द्र होने के कारण इसका आर्थिक-व्यापारिक महत्व स्थापित था। प्रमुख बौद्ध नगरी होने के कारण अशोक के समय में कुशीनगर में अनेक स्थापत्य कृतियाँ निर्मित हुई थीं। यह स्थापत्य निर्माण गुप्तकाल में भी खूब रहा था। अशोक ने यहाँ स्तूप व विहार निर्मित कराये थे। कुशीनगर से कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के समय हरिबल ने भी स्तूप एवं विहार निर्मित कराये थे। कुशीनगर के व्यापारियों एवं शिल्पियों के द्वारा मुद्रा-परिचालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हूणों के कुशीनगर पर आक्रमण के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं।

कौशाम्बी : कौशाम्बी की पहचान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के समीप यमुना नदी के तट पर स्थित कोसम नामक गाँव से की गयी है। वर्तमान में यह जनपद के रूप में जाना जाता है। जैन, बौद्ध साहित्य तथा पुरातात्विक अवशेषों से कौशाम्बी पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। फाहियान तथा ह्वेनसांग के यात्रा-विवरणों में कौशाम्बी की विस्तृत चर्चा की गयी है। कौशाम्बी को आद्य-नगरीय स्थल भी स्वीकार किया जाता है। महाजनपद युग में कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पश्चात् कौशाम्बी आर्थिक तथा धार्मिक महत्व का केन्द्र स्थल बन गयी थी। कौशाम्बी उत्तरापथ और दक्षिणापथ का पड़ाव स्थल थी। मौर्योत्तर युग तक यह महत्वपूर्ण नगर रहा था; यहाँ से विमकडफिसस तथा कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मघों ने कौशाम्बी को राजधानी बनाकर दूसरी-तीसरी शताब्दी ई. में इसे राजनीतिक-आर्थिक महत्व प्रदान किया था। कौशाम्बी को हूण नेता तोरमाण के आक्रमण से विशेष क्षति पहुँची थी। इस प्रकार दीर्घकाल तक कौशाम्बी का सांस्कृतिक-आर्थिक-राजनीतिक-सामयिक महत्व स्थापित रहा था। बुद्ध की यह कार्यस्थली के रूप में सदैव चर्चित रही थी। यह थेरपन्थ का प्रमुख केन्द्र

थी। घोषितारामविहार, अशोक का प्रयाग स्तम्भ इसके सांस्कृतिक महत्व के साक्ष्य हैं।

कड़ा : कड़ा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से 64 किमी. पश्चिम में गंगा तट पर स्थित है। गंगा-यमुना दोआब तथा प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित होने के कारण कड़ा का आर्थिक महत्व रहा था। इस कारण सल्तनत काल एवं मुगल काल में कड़ा महत्वपूर्ण इक्ता (सूबा) था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। कड़ा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ई. में अपना सफल अभियान (देवगिरि अभियान) सम्पन्न किया था। 1296 ई. में ही कड़ा में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी और अपने को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया था। कड़ा क्षेत्र में सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना की थी। शाहजादा सलीम ने 1602 ई. में अकबर के विरुद्ध विद्रोह करके कड़ा दुर्ग में ही शरण ली थी। 1765 ई. में सन्धि के अनुसार अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेज कम्पनी को कड़ा सौंप दिया था। भक्त सन्त मलूकदास की जन्मस्थली कड़ा थी।

कालिंजर : उत्तर प्रदेश के बाँदा जनपद में कालिंजर दुर्गीकृत स्थल है। पूर्वमध्य युग में कालिंजर में राजपूतों का शासन था। बारहवीं शताब्दी के बाद से कालिंजर तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमणों से प्रभावित रहा था। 1022 ई. में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रान्त किया था। 1202 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चन्देल शासक परमार्दिदेव को कालिंजर में पराजित किया था। 1545 ई. में कालिंजर के सैन्य अभियान में बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गयी थी। मुगल सम्राट अकबर ने 1569 ई. में कालिंजर के शासक रामचन्द्र को पराजित कर कालिंजर पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। कालिंजर का सदैव सामयिक महत्व स्वीकार किया जाता रहा था।

कालपी : काल्पी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। गंगा-यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसका आर्थिक महत्व स्वीकार किया जाता रहा था। दसवीं शताब्दी ई. में काल्पी में चन्देलों का शासन स्थापित था। बारहवीं शताब्दी के अन्त में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काल्पी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। फीरोजशाह तुगलक के पश्चात् काल्पी एक स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य बन गया था। 1435 ई. में मालवा के हुशंगशाह ने काल्पी पर अधिकार कर लिया था। अकबर के समय काल्पी प्रमुख नगर था। राजा बीरबल काल्पी के ही थे। काल्पी में बीरबल का रंगमहल तथा मुगल टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

कोइल : कोइल अथवा कोल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोइल पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ई. में कोइल पर अधिकार स्थापित किया था। इब्नबतूता कोइल के नगर वैभव की प्रशंसा करता है। सुल्तान बहलोल लोदी के समय कोइल का स्थानीय शासक ईसा खाँ था, जिसने बहलोल की अधीनता स्वीकार कर ली थी।

गढ़कुण्डार : उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले में अवस्थित गढ़कुण्डार मध्यकालीन अवशेषों, ऐतिहासिक साक्ष्यों को संजोए हुए है। पूर्व मध्यकाल में परमारों ने गढ़कुण्डार पर आधिपत्य स्थापित कर रखा था। आठवीं शताब्दी के अन्त में यहाँ चन्देलों का शासन हो गया; पृथ्वीराज चौहान के समय गढ़कुण्डार का चन्देल शासक परमाल था। चन्देलों को पराजित कर पृथ्वीराज ने गढ़कुण्डार पर अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान के सेनानायक खेतसिंह ने यहाँ खंगार राज्य की स्थापना की थी। सुल्तान बलबन के समय (1265-1287 ई.) गढ़कुण्डार पर बुन्देलों ने अधिकार कर लिया था। 1531 ई. तक गढ़कुण्डार बुन्देलों की राजधानी रही थी।

गढ़वा : गढ़वा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्त शासकों, कुमारगुप्त प्रथम के दो शिलालेख तथा स्कन्दगुप्त का एक लेख प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के शिलालेखों में गुप्त संवत् 98 की तिथि अंकित है। शिलालेखों से दानगृह को दान देने की सूचना प्राप्त होती है। स्कन्दगुप्त के

शिलालेखों में गुप्त संवत् 148 की तिथि अंकित है। इस लेख से विष्णु की प्रतिमा की स्थापना एवं पूजा के लिए दान दिये जाने की सूचना मिलती है।

चुनार : चुनार उत्तर प्रदेश में विन्ध्य के पहाड़ी क्षेत्र में गंगानदी के तट पर मिर्जापुर जिले में स्थित है। मध्यकाल में चुनार सामयिक महत्व के कारण सदैव चर्चित रहा था; चुनार से पूर्वी भारत पर नियन्त्रण रखा जा सकता था। चौदहवीं शताब्दी में चुनार में चन्देलों का शासन स्थापित था। मुगल सम्राट बाबर ने चुनार पर अधिकार कर लिया था। शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूँ ने चुनार के किले की घेराबन्दी की थी परन्तु शेरशाह ने ही चुनार पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया था। यहाँ के दुर्ग में आदि विक्रमादित्य का बनवाया हुआ भर्तृहरि का मन्दिर है। पास ही बल्लभ सम्प्रदाय का कूप मन्दिर है, जहाँ श्री विट्ठलनाथ जी की गद्दी है।

जौनपुर : उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के तट पर स्थित जौनपुर जिला मुख्यालय है। जौनपुर की स्थापना सुल्तान फीरोजशाह तुगलक ने 1358 ई. में मुहम्मद तुगलक उर्फ जौना खाँ के सम्मान में की थी। तुगलक वंश के पतन के समय जौनपुर मलिक हुसैन शर्की के नेतृत्व में स्वतन्त्र हो गया और शर्की सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई। 1492 में सिकन्दर लोदी ने पुनः जौनपुर को दिल्ली सल्तनत को अंग बना लिया था। जौनपुर अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों एवं स्थापत्य कला के लिए चर्चित रहा था। साहित्य, स्थापत्य कला (अटाला मस्जिद), संगीत कला के लिए जौनपुर के शर्की सुल्तानों का योगदान चिरस्मरणीय रहा। इसी विशेषता के कारण जौनपुर को 'शीराज-ए-हिन्दी' कहा जाता था।

झाँसी : उत्तर प्रदेश का जिला नगर झाँसी मध्यकालीन नगर है; झाँसी की स्थापना 1613 ई. में ओरछा शासक बीर सिंह बुन्देला ने की थी। 1732 ई. में जैतपुर युद्ध के बाद झाँसी स्थानीय ओरछा शासक छत्रसाल द्वारा पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दी गयी थी। तत्पश्चात् झाँसी पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित रहा था। रानी लक्ष्मीबाई झाँसी के स्वतन्त्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 ई. के महान् विद्रोह में अपनी वीरता व साहस का लोहा अंग्रेजों से स्वीकार कराकर भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में वीरगति प्राप्त की थी। झाँसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मन्दिर, मेंहदी बाग प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक अवशेष सुरक्षित हैं।

देवगढ़ : देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। देवगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्तकाल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्तिकला संस्कृति की जानकारी ज्ञात होती है। देवगढ़ में मूर्तियों सहित मन्दिर प्राप्त हैं जो गुप्तकालीन हैं। इनमें दशावतार मन्दिर सर्वाधिक उल्लेखनीय है, यह भगवान विष्णु का मन्दिर ईंट-स्थापत्य का सुन्दर प्रतीक है। देवगढ़ से जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा उत्कीर्णित लिपियों का अभिलेख मिला है। यहाँ से चन्देलों के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं।

प्रयागराज : प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद) उत्तर प्रदेश में गंगा-यमुना के संगम पर स्थित है। मौर्योत्तर युग के पश्चात् के कालखण्ड में जब व्यापारिक ठहराव की स्थति रही, उस समय दोआब की उपजाऊ भूमि में स्थित प्रयाग का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक महत्व बहुत बढ़ता चला गया। गुप्त युग से प्रयाग का धार्मिक-राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया था। प्रयागराज से अशोक स्तम्भ पर हरिषेण द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है। प्रयाग-प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की सैनिक एवं कलात्मक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। एस.आर. गोयल का कथन है कि पाटलिपुत्र के पूर्व प्रयागराज गुप्त सामन्तों की राजधानी भी रही थी। गुप्तों के सम्राट बनने के उपरान्त प्रयाग उनकी धार्मिक-सांस्कृतिक राजधानी बनी रही। गुप्तों के पतन के पश्चात् हर्षवर्द्धन गुर्जर-प्रतिहारों, चन्देलों, गहड़वालों का आधिपत्य प्रयागराज पर स्थापित रहा था। अकबर बादशाह ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर 'इलाहाबाद' नाम दिया जो आज सर्वाधिक प्रचलित-चर्चित है। प्रयागराज का धार्मिक महत्व (त्रिवेणी संगम) के कारण सदैव रहा है। इसे तीर्थराज कहा जाता है। हर्षवर्द्धन प्रति पाँचवें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद् का आयोजन करता था। कालिदास, कल्हण, अल्बरूनी ने प्रयागराज के धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व की चर्चा की है।

फतेहपुर सीकरी : फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा के समीप स्थित है। मध्यकाल में अकबर ने इसे प्रसिद्धि प्रदान की थी; अकबर यहाँ के प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती के कारण इसको पवित्र भूमि मानते थे। सलीम (जहाँगीर) का जन्म यहीं हुआ था। तत्पश्चात् अकबर ने यहाँ शानदार स्थापत्य स्मारक बनवाये। 1573 ई. से 1588 ई. तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। फतेहपुर सीकरी के शानदार स्थापत्य प्रतीकों में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलन्द दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंच महल, आदि बहुत प्रसिद्ध हैं।

बाँसखेड़ा : उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित बांसखेड़ा से प्राप्त हर्षवर्द्धन का 628 ई. का ताम्रदानपट्ट लेख इतिहास स्रोत है। इससे हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। बांसखेड़ा, अभिलेख में पुष्यभूति के अतिरिक्त हर्ष के समस्त पूर्वजों का उल्लेख है। राज्यवर्द्धन के सैनिक अभियानों का भी वर्णन है। इस अभिलेख में प्रशासनिक इकाइयों, अधिकारियों एवं दातव्य गाँवों पर लगने वाले करों की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में हर्षवर्द्धन द्वारा अहिच्छत्र भुक्ति के मर्कटसागर गाँव को कर-मुक्त करके दो ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख है, साथ ही इस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है।

बदायूँ : बदायूँ उत्तर प्रदेश का जिला मुख्यालय है। दिल्ली सल्तनत काल में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता स्वीकार की जाती थी। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूँ का ही इक्तादार था। सूफी सन्त शेख निजामुद्दीन औलिया बदायूँ के ही थे। अकबर के समय का प्रमुख इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूँनी भी बदायूँ का था। दिल्ली-लखनौती मार्ग का यह प्रमुख केन्द्र स्थल था अतः इसका व्यापारिक-आर्थिक महत्व था। दोआब का प्रमुख क्षेत्र होने के कारण इसका कृषि उपज में भी महत्व स्थापित था।

बरन : वरन उत्तरप्रदेश के बुलन्दशहर जिले में स्थित है। यहाँ के राजपूत शासकों ने मुस्लिम आक्रान्ताओं का डटकर मुकाबला किया था। 1018 ई. में महमूद गजनवी ने बरन को पदाक्रान्त किया था। 1193 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन के शासक को पराजित कर अधिकार कर लिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बरन का ही निवासी था।

भीतरगाँव : भीतरगाँव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है; इसका सम्बन्ध गुप्तकालीन मन्दिर निर्माण शैली से है। गुप्तकाल में छोटी-पकी ईंटों एवं पत्थरों से निर्मित यहाँ का मन्दिर का अवशेष ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह मन्दिर चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बना था। भीतरगाँव के मन्दिर की उल्लेखनीय विशेषता इसमें शिखर का होना तथा ऊँचे चबूतरे पर निर्मित होना है। मन्दिर की छत पिरामिडाकार है, इसकी बाहरी दीवारों को देवी-देवताओं की मूर्तियों से उकेरा गया है।

मेरठ : उत्तर प्रदेश के जिला नगर के रूप में चर्चित मेरठ प्राचीन काल से ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बद्ध रहा है। मध्यकाल में राजपूत सरदार हरदत्त ने यहाँ एक किला निर्मित कराया था। बारहवीं शताब्दी के अन्त में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया था। फीरोजशाह तुगलक ने अशोक स्तम्भ मेरठ से उठवाकर दिल्ली में स्थापित कराया था। 10 मई, 1857 को भारत के महान विद्रोह का विस्फोट मेरठ से ही हुआ था।

राजघाट : राजघाट उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। राजघाट ऐतिहासिक महत्व से युक्त जानकारियों से सम्बद्ध पुरातात्विक प्रमाण प्रस्तुत करता है। वर्तमान में राजघाट वाराणसी नगर का उपभाग है। राजघाट से उत्तरी काले मृद्‌भाण्ड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वाराणसी महाजनपद युग में काशी महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ के शिल्प और व्यापारी समृद्ध थे, जिन्होंने नगर में अपने सिक्के प्रचलित किये थे। विविध प्रकार के शिल्पों का यहाँ विकास हुआ था। पतंजलि ने यहाँ के रेशम-वस्त्र शिल्प का उल्लेख किया है। यह मध्य एशिया और यूनानी-रोमन संसार से व्यापारिक सम्पर्क रखता था। ह्वेनसांग ने भी यात्रा-विवरण में इसका विस्तृत उल्लेख किया है। गुप्तकाल में इसका

अत्यधिक राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक महत्व था। शिक्षा, दर्शन का केन्द्र स्थल थाः अल्बरूनी भी इसके सांस्कृतिक प्रभाव से मुग्ध था।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती तट पर स्थित है। जनश्रुति है कि इस नगर को भगवान श्रीराम के भाई लक्ष्मण ने बसाया था और इसका प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी था। यहाँ एक पुराना टीला है, जो लक्ष्मण टीला के नाम से प्रसिद्ध है। लखनऊ की प्रसिद्धि उत्तर मुगल काल से प्रारम्भ हुई, जब अवध के सूबेदार सआदत खाँ ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की थी। नवाब आसफउद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी और तब से 1856 ई. तक (वाजिद अली शाह तक) लखनऊ सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र रही थी। आसफुद्दौला ने रूमी दरवाजा और इमामबाड़ा बनवाया। आसफी मस्जिद, दौलतखाना, रेजीडेंसी, बिबियापुर कोठी और चौक बाजार का निर्माण भी आसफुद्दौला ने ही करवाया था। गाजीउद्दीन हैदर ने शाहनजफ, मोतीमहल, मुबारक मंजिल, सआदत अली और खुर्शीदजादी के मकबरे बनवाये। उसने नगर के दक्षिण में एक नहर भी बनवायी। मोहम्मद अली शाह ने हुसैनाबाद का इमामबाड़ा, बड़ी जामा मस्जिद, हुसैनाबाद बारादरी आदि इमारतें बनवाईं। प्रसिद्ध छतर मंजिल का निर्माण नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया। स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के सम्मान में यहाँ बनवाया गया शहीद स्मारक, चिड़ियाघर और नेशनल बोटेनिकल गार्डन भी दर्शनीय हैं। यहाँ प्रसिद्ध मुस्लिम संत शाहमीना की मजार है। शाहमीना लगभग 500 वर्ष पूर्व दिवंगत हुए और मुस्लिम महीने 'रजब' के प्रथम गुरुवार को इनका वार्षिक उर्स मनाया जाता है। हिन्दू और मुसलमान, दोनों ही उनके भक्त हैं। बसन्त पंचमी को आयोजित 'बसन्त की नौचन्दी' में दोनों ही भाग लेते हैं। कत्थक का यह केन्द्र रहा है। 1857 के महान् विद्रोह की प्रमुख वीरांगना बेगम हजरत महल ने इतिहास रचा था। लखनऊ महानगर शिया सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र है। ईरान में इस्लामी क्रान्ति के नेता इमाम खुमैनी के पूर्वज लखनऊ से ईरान गये थे। हिन्दुस्तान में रहने के कारण उन्हें ईरान में 'हिन्दल' कहा जाता था। आज भी लखनऊ, बाहर से आने वाले शिया सम्प्रदाय के लिए एक पवित्र नगर है।

दर्शनीय स्थल

लखनऊ में 21वीं सदी के प्रथम दशक में सौन्दर्य के नये प्रतिमान जुड़े हैं। इनमें प्रमुख रूप से डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विहार, समतामूलक चौक, सामाजिक परिवर्तन गैलरी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मारक दृश्य स्थल, सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल, डॉ. राममनोहर लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल हैं।

- **डॉ. राममनोहर लोहिया पार्क, गोमती नगर**

लखनऊ की प्रतिष्ठित गोमतीनगर योजना के विपिन खण्ड में लगभग 80 एकड़ क्षेत्रफल पर डॉ. राममनोहर लोहिया पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क में 100 से अधिक प्रजाति के वृक्ष लगाये गये हैं तथा शरद, वसन्त एवं वर्षा ऋतु के समय 50 से अधिक प्रजाति के पक्षी इस पार्क में निवास करते हैं। पार्क में विशाल वाटरबाडी, वृहद् लॉन, फाउन्टेन व म्यूजिकल फाउन्टेन इसके स्वरूप को नया आयाम प्रदान करते हैं। महान समाजवादी डॉ. राममनोहर लोहिया की स्मृति में विकसित इस विशाल पार्क का मुख्य भ्रमण पथ एक किमी. लम्बाई में पार्क के उत्तरी छोर को दक्षिण-पश्चिमी छोर से जोड़ता है। मुख्य भ्रमण पथ पर रफ कोटा स्टोन फिनिश तथा शेष सभी पाथवे पर विट्रीफाइड टाइल्स लगायी गयी हैं। पार्क के मध्य में एक विशालकाय पैडेस्टल पर डॉ. राम मनोहर लोहिया की 18 फीट ऊँची कांस्य प्रतिमा स्थापित है, जिसके पार्श्व में 25 मीटर ऊँचाई के चार पिलर स्थापित किए गये हैं, जो कि डॉ. लोहिया के चौखम्भा सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हैं। मुख्य स्मारक के निकट विकसित अर्द्ध चन्द्र पथ पर डॉ. लोहिया के छह निकट सहयोगियों के जीवन वृत्तान्त अंकित करते हुए स्मृति स्तम्भ निर्मित किए गए हैं। पार्क में बच्चों के प्रयोग हेतु झूले, जन सुविधाओं

के दृष्टिकोण से टायलेट, बेंच आदि सुविधाएँ स्थापित की गयी हैं। सभी पाथवे पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गयी है, जिस पर प्रातः व सायंकाल भ्रमण के समय कर्णप्रिय एवं मधुर संगीत बजाया जाता है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला माननीय श्री मुलायम सिंह यादव, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उ.प्र. द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 2004 को रखी गयी थी। परियोजना के नियोजन व क्रियान्वयन में मा. श्री अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके मार्गदर्शन में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा चार माह की रिकार्ड अवधि में पार्क के विकास का कार्य पूर्ण किया गया, जबकि स्थलीय स्थिति अत्यन्त खराब व दुष्कर थी।

डॉ. राममनोहर लोहिया पार्क का लोकार्पण मा. श्री मुलायम सिंह यादव, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उ.प्र. के कर-कमलों से दिनांक 23 मार्च, 2005 को सम्पन्न हुआ।

प्रमुख विशेषताएँ– 1. चार प्रवेश प्लाजा, 2. मुख्य भ्रमण पथ, 3. फ्लेम पाथ, 4. अर्द्ध चन्द्र पथ, 5. वाटर बाडी, 6. मुख्य स्मारक व प्रतिमा, 7. पुष्प वाटिका, 8. योग व स्वाध्याय केन्द्र, 9. सूर्योदय उद्यान, 10. म्यूजिकल फाउन्टेन, 11. मुख्य भ्रमण पथ पर ध्वनि प्रणाली, 12. भ्रमण पथ पर प्रकाश व्यवस्था, 13. किड् जोन, 14. जन सुविधाएँ।

● **जनेश्वर मिश्र पार्क, लखनऊ**

गोमती नगर विस्तार योजना भाग-1ए लखनऊ के अन्तर्गत 376 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत ग्रीन बेल्ट पर महान समाजवादी नेता स्व. श्री जनेश्वर मिश्र जी को समर्पित 'जनेश्वर मिश्र लखनऊ पार्क' प्रस्तावित है। इसे विश्व के विशालतम एवं विश्व प्रसिद्ध हाइड पार्क, लंदन से भी बेहतर विकसित किये जाने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा विधानसभा के पिछले बजट-सत्र में 'जनेश्वर मिश्र लखनऊ पार्क' को शासन की वरीयता प्राप्त योजनाओं के रूप में घोषित किया गया है।

इस परियोजना हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से दिनांक 8 अगस्त 2012 को अनुमोदन एवं प्राधिकरण बोर्ड की 149वीं बैठक दिनांक 31 अगस्त 2012 द्वारा विकसित किये जाने हेतु निर्णय लिया जा चुका है।

परियोजना के वास्तुविद नियोजन एवं विस्तृत विवरण हेतु लैण्डस्केपिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध देश की प्रमुख संस्था योजना तथा वास्तुकला विद्यालय (स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्कीटेक्चर), नयी दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के बहुमूल्य दिशा-निर्देशों के क्रम में तैयार किया जा रहा है। क्षेत्रफल के अनुपात में एक विशाल एवं आकर्षक वाटर बाडी, पाथवे, जागिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, कांग्रेसन ग्राउण्ड, खुला क्षेत्र एवं ग्रीन लॉन, किड्स जोन एवं चिल्ड्रेन प्ले एरिया, जन सुविधाएँ एवं संगठित तथा सजावटी वृक्षारोपण आदि इस पार्क के लैण्डस्केपिंग के भाग होंगे।

परियोजना स्थल गोमती नदी के अति समीप स्थित है, जिसके कारण योजना में प्रस्तावित वाटर बॉडी एवं इसके वाटर बजटिंग की उपयुक्तता एवं स्थिरता हेतु योजना स्थल का हाइड्रो-जियोलॉजिकल अध्ययन, आाई.आई.टी. कानपुर द्वारा किया जा रहा है।

● **डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल**

लखनऊ में गोमती नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल' 107 एकड़ (4,33,417 वर्ग मी.) क्षेत्रफल में निर्मित है। स्मारक से बढ़कर निकलने पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, सामाजिक परिवर्तन गैलरी और सामाजिक परिवर्तन स्तम्भ दर्शनीय है।

● **श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल**

श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल 60 एकड़ (2,42,811 वर्ग मी.) में विकसित है जिसका मुख्य

स्मारक भवन मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक है, जिसे 2.5 एकड़ (10,500 वर्ग मी.) में निर्मित किया गया है। इसका ऊँचा क्यूपोला (Cupola) जिसका व्यास 125 फीट है, इस प्रकार के विस्तृत निर्माण में से एक है।

- **बौद्ध विहार शान्ति उपवन**

31 एकड़ (1,25,710 वर्ग मी.) के क्षेत्रफल में विकसित यह उपवन 1.2 कि.मी. की लम्बाई में है और शारदा नहर तथा वी.आई.पी. रोड के पार्श्व में है। इस उपवन के किनारे पर संरचनाएँ और विस्तृत बगीचे हैं। इसके पार्श्व में मेल खाती हुयीं सामाजिक परिवर्तन के नायकों की प्रतिमाएँ हैं। इससे आबद्ध ध्यान कक्ष और विस्तृत पुस्तकालय है।

- **श्री कांशीराम जी ग्रीन (इको) गार्डेन**

श्री कांशीराम जी स्मारक के समीप श्री कांशीराम जी ग्रीन (इको) गार्डेन है। लगभग 112 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित इस गार्डेन के अन्दर भ्रमण हेतु आने वाले आगन्तुकों की सुरक्षा एवं सुरक्षित हरित क्षेत्र उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। पार्क के अन्दर प्रवेश, पूर्वी एवं पश्चिमी चहारदीवारी पर स्थित विशाल एवं भव्य प्रवेश द्वारों द्वारा नियंत्रित किया गया है। सेन्ट्रल माउन्ड के चारों ओर एक विशाल जलाशय बनाया गया है, जिसमें फौव्वारे एवं पशु-पक्षियों की 500 से अधिक प्रतिमायें लगायी गयी हैं।

- **राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन**

राजधानी दिल्ली से सटे जनपद गौतमबुद्ध नगर के अतिमहत्वपूर्ण नोएडा के सेक्टर-95 में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डेन यमुना नदी के किनारे 3.32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में महान सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर-सम्मान में बनाया गया है। पार्क के मध्य भाग में भारत के संविधान निर्माता परम् पूज्य भारत रत्न डॉ.भीमराव अम्बेडकर प्लाजा के अन्तर्गत ब्रान्ज निर्मित उनकी 18 फीट ऊँची स्टैच्यू स्थापित की गयी है। पार्क के एक हिस्से में कॉलम प्लाजा, जिसमें 35 मीटर ऊँचा ग्रेनाइट का मुख्य स्तम्भ और उसके चारों तरफ 11 महान संतों की ब्रान्ज क्की 18 फीट ऊँची प्रतिमायें स्थापित हैं। उद्यान में विभिन्न प्रजाति के 7500 पेड़ और लगभग डेढ़ लाख श्रब लगाई गयी हैं।

प्रमुख विशेषताएँ– 1. स्व. श्री जनेश्वर मिश्र जी की प्रतिमा, 2. वाक-वे (11 किमी.), 3. जागिंग ट्रैक (9 किमी.), 4. साइकिल ट्रैक (6 किमी.), 5. संगठित वृक्षारोपण एवं ग्रास लॉन, 6. जलाशय (वाटर बाडी) का विकास, 7. चिल्ड्रेन प्ले-एरिया, 8. जन सुविधाएँ (बेंच, शौचालय आदि)। (स्रोत अधि.अभियंता, लविप्रा)

सरायनाहर राय : सरायनाहर राय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस स्थानीय सभ्यता की तिथि लगभग 8000 ई.पू. मानी गयी है। मध्यपाषाण युग तथा स्तम्भगर्त के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिले हैं।

श्रावस्ती : श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का जिला है। श्रावस्ती की पहचान बहराइच-गोण्डा जिलों के मध्य सेहट-मेहट गाँव से हुई है। श्रावस्ती से महाजनपद युग से गुप्तोत्तर युग तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाजनपद युग में कोशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती तीन प्रमुख व्यापारिक मार्गो (उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ) के केन्द्र में स्थित होने के कारण आर्थिक, सामयिक एवं राजनीतिक महत्व रखती थी। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी थी। यहाँ के साहूकार अनाथपिण्डक ने जेतवनमहाविहार बौद्धों को अनुदान में दिया था। जैन तीर्थंकर सम्भवनाथ एवं चन्द्रप्रभु श्रावस्ती से सम्बद्ध थे। आजीवक सम्प्रदाय के महान् प्रवर्तक मक्खलि

गोसाल की जन्मस्थली श्रावस्ती थी। श्रावस्ती से कनिष्क के दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। फाहियान तथा ह्वेनसांग ने अपने यात्रा-विवरणों में श्रावस्ती का विस्तृत उल्लेख किया है।

सारनाथ : उत्तर प्रदेश में वाराणसी नगर से 12 किमी. दूर स्थित सारनाथ प्राचीनकाल में इसिपतन मिगदाय (ऋषिपत्तन मृगदाव) के रूप में प्रसिद्ध था। यह बौद्ध सम्प्रदाय एवं मौर्यकला से सम्बद्ध स्थल है। भगवान बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह-शीर्ष प्रस्तर स्तम्भ बनवाया था। स्वतन्त्र भारत का राज चिह्न इसी सिंह-शीर्ष को अपनाया गया है। यह मौर्य प्रस्तर कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सारनाथ के स्तम्भ पर अशोक का लघु लेख भी उत्कीर्ण है। फाहियान ने सारनाथ की यात्रा की थी, इसका विस्तृत उल्लेख उसने अपने यात्रा-विवरण में दिया है। ह्वेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केन्द्र था; अपने यात्रा-विवरण में ह्वेनसांग ने इसका वर्णन किया है। मध्य युग में गहड़वाल शासक की रानी कुमारदेवी ने यहाँ विहार और संघाराम बनवाये थे। उत्खनन में सारनाथ से गुप्तकालीन धमेख स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

सोहगौरा : सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। यहाँ से उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के तथा मौर्योत्तर काल के सिक्के भी मिले हैं। कुषाणों के सिक्के तथा लौह वस्तुएँ भी प्राप्त हुई हैं।

सम्भल : उत्तर प्रदेश सम्भल जिला मध्यकालीन भारत में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल था। सल्तनत काल में यह महत्वपूर्ण इक्ता मानी जाती थी। मुगलकाल में भी सम्भल महत्वपूर्ण स्थल था, इसका सामयिक महत्व सदैव बना रहा था। बाबर की मृत्यु के बाद सम्भल का क्षेत्र हुमायूँ ने अपने भाई अस्करी को प्रदान कर दिया था। बाबर ने यहाँ एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया था।

सामूगढ़ : उत्तर प्रदेश में आगरा से 16 किमी पूर्व में स्थित सामूगढ़ शाहजहाँ के उत्तराधिकार संघर्ष का प्रमुख स्थल रहा था। 29 मई, 1658 ई. को यहाँ हुए युद्ध में औरंगजेब-मुराद की संयुक्त सेना को विजय प्राप्त हुई थी तथा दारा के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय हो गयी थी; युद्ध में विजय प्राप्त होने के उपरान्त औरंगजेब ने शाहजहाँ को आजीवन नजरबन्द कर दिया था तथा अपने को बादशाह घोषित कर दिया था।

सिकन्दरा : उत्तर प्रदेश में आगरा के समीप स्थित सिकन्दरा मुगल बादशाह अकबर के मकबरे के लिए चर्चित है। अकबर ने अपने जीवनकाल में इसका निर्माण प्रारम्भ कर दिया था परन्तु 1613 ई. में इसे जहाँगीर के राज्यकाल में पूरा निर्मित किया जा सका था। इस मकबरे में बौद्ध कला की स्थापत्य शैली का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है।

हुलास : हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से उतर हड़प्पा युग से सम्बद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के प्रमाण भी मिले हैं। शुंगों और कुषाणों के समय में भी हुलास में आवासीय बस्तियाँ थीं।

हुलासखेड़ा : हुलासखेड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में स्थित है। हुलासखेड़ा से कुषाणकाल से गुप्त युग तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुषाणकालीन अवशेषों में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं- 200 मीटर लम्बी सड़क, सुनियोजित जल-निकासी की व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्णप्रतिमा, चाँदी के आहत सिक्के और तीन कुषाण शासकों के ताम्र सिक्के। हुलासखेड़ा से जो गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें दुर्ग के भग्नावशेष, ताँबे-चाँदी के सिक्के, गुप्तलिपि में लिखी कुछ मुहरें, हाथीदाँत की कंघी, मोहर छापे, 17 छड़ों वाली लोहे की अण्डाकार वस्तुएँ प्रमुख हैं।

पर्व और मेले

प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में लगभग 2,250 मेले लगते हैं। सबसे अधिक मथुरा में (86) और उसके बाद कानपुर में (79) तथा हमीरपुर में (79) मेले लगते हैं। झाँसी में 78, आगरा में 72 तथा फतेहपुर में 70 मेले प्रतिवर्ष लगते हैं।वाराणसी नगर महापालिका में फातमा (चेतगंज) में लगभग 1,00,000 आदमी मुहर्रम के दसवें दिन एकत्र होते हैं।

प्रति बारहवें और छठे वर्ष कुम्भ एवं अर्द्ध कुम्भ मेला प्रयागराज तथा हरिद्वार में लगता है। इनमें बहुत विशाल संख्या में लोग आते हैं।

सूर्य एवं चन्द्र-ग्रहण के अवसरों पर गंगा स्नान के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में लोग वाराणसी एवं अन्य तीर्थ स्थानों पर एकत्र होते हैं।

राज्य में विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों द्वारा लगभग 40 त्योहार मनाये जाते हैं। हिन्दुओं द्वारा मनाये जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं :– शीतला-अष्टमी, रक्षाबन्धन, वैशाखी पूर्णिमा, बरगदी अमावस्या, ज्येष्ठ दशहरा, गुरु पूर्णिमा, नाग पंचमी, हलषष्ठी, कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, अनन्त चतुर्दशी, पितृ विसर्जनी अमावस्या, दुर्गा-नवमी, दशहरा, करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भय्या दूज, देवोत्थानी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, सकट चौथ, मकर संक्रांति, वसन्त पंचमी, शिवरात्रि और होली।

बौद्ध बुद्ध पूर्णिमा, जैन महावीर जयन्ती तथा सिख गुरु नानक जन्मदिवस मनाते हैं। इन त्योहारों में हिन्दू भी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं।

मुसलमानों के प्रमुख त्योहार हैं– रमजान, ईदुज्जुहा, मोहर्रम, ईदुलफितर, बारावफात और शब-ए-बरात। ईसाइयों के मुख्य पर्व हैं– नववर्ष दिवस, गुड-फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस।

पर्यटन उत्सवों पर लगने वाले मेले

	स्थान	उत्सव		स्थान	उत्सव
1.	लखनऊ	लखनऊ महोत्सव	2.	वाराणसी	वाराणसी पर्यटन उत्सव
3.	वाराणसी	संकट मोचन संगीत उत्सव	4.	वाराणसी	गंगा महोत्सव
5.	प्रयागराज	कुम्भ मेला	6.	प्रयागराज	अर्द्धकुम्भ मेला
7.	प्रयागराज	माघ मेला	8.	प्रयागराज	वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
9.	प्रयागराज	पर्यटन उत्सव	10.	आगरा	ताज महोत्सव
11.	आगरा	कैलाश मेला	12.	आगरा	बटेश्वर मेला
13.	आगरा	राम बारात	14.	बटेश्वर (आगरा)	ऊँट मेला
15.	मथुरा	होलिकोत्सव	16.	मथुरा (मथुरा सर्किल गोकुल)	श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
17.	वृन्दावन (मथुरा)	मुड़िया मेला	18.	बरसाना ब्रज (मथुरा)	लट्ठमार होली
19.	अयोध्या	परिक्रमा मेला	20.	अयोध्या	रामायण मेला अयोध्या
21.	देवा (बाराबंकी)	देवा मेला	22.	मगहर (बस्ती)	कबीर मेला
23.	कम्पिल (फर्रुखाबाद)	कम्पिल पर्यटनोत्सव	24.	फर्रुखाबाद	राम नगरिया मेला श्रमीरामपुर मेला
25.	कन्नौज	कन्नौज पर्यटनोत्सव	26.	चित्रकूट	रामायण मेला
27.	मेरठ	नौचँदी मेला	28.	सरधाना (मेरठ)	सरधाना महोत्सव
29.	झाँसी	झाँसी आयुर्वेद महोत्सव	30.	बाँदा	कालिन्जर मेला

31. कानपुर	बिठूर गंगा महोत्सव	32. एटा	सोरों मेला
33. गोरखपुर	खिचड़ी मेला	34. उत्तर प्रदेश	गंगा दशहरा
35. उत्तर प्रदेश	नकैया चेतगंज	36. सैफई (इटावा)	सैफई महोत्सव

उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति

कबीर : कबीर का जन्म 1425 ई. में वाराणसी में हुआ था। कहते हैं वे एक विधवा ब्राह्मणी की सन्तान थे, जिन्हें लोकलाज के भय से उन्हें जन्मते ही लहरतारा तालाब के समीप छोड़ दिया गया था। निःसन्तान जुलाहा दम्पति (नीरू व नीमा) ने उसे पाला-पोसा और उसका नाम 'कबीर' रखा था जिसका अर्थ होता है 'महान'; इस प्रकार कबीर का प्रारम्भिक जीवन मुस्लिम परिवेश में व्यतीत हुआ। कबीर की शिक्षा किसी विद्यालय में नहीं हुई थी, उनका ज्ञान जीवन के गहन अनुभवों पर आधारित था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वामी रामानन्द को अपना गुरु बनाया। कबीर ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर कठोर आघात किया तथा समाज-सुधार करने की लोगों को प्रेरणा दी थी। मध्ययुगीन समाज-सुधारकों में कबीर का व्यक्तित्व व कृतित्व अनुपम रहा था। वे मात्र भक्त ही नहीं अपितु एक युगस्रष्टा, समाज-सुधारक, महात्मा तथा उच्च गुणों से युक्त महामानव थे। कबीर ने युग-युग से प्रताड़ित समाज के निम्न वर्ग को अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा सम्मानजनक स्थान तक पहुँचाने की चेष्टा की थी, उनके आत्म-सम्मान को जगाया था।

निजामुद्दीन औलिया : निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूँ में हुआ था। 1236 ई. में जन्मे निजामुद्दीन औलिया का प्रारम्भिक जीवन कष्टप्रद था। 1256 ई. में निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य बन गये थे। उन्हीं के प्रभाव से निजामुद्दीन औलिया ने चिश्ती सम्प्रदाय को अपनाया तथा उसका प्रचार करना प्रारम्भ किया। शेख निजामुद्दीन औलिया ने सभी वर्ग के व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया था, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके यहाँ के दरवाजे खुले थे। निजामुद्दीन औलिया ने अपना सम्पूर्ण जीवन सूफी धर्म के प्रचार में लगाया था। 1325 ई. में शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गयी।

बाणभट्ट : बाणभट्ट हर्षवर्द्धन के दरबार में सम्मानित कवि व विद्वान के रूप में इतिहास में चर्चित हैं। बाणभट्ट ने 'हर्षचरित' व 'कादम्बरी' नामक ग्रन्थों की रचना की थी, दोनों ग्रन्थों में तत्कालीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। समकालीन इतिहास को जानने के लिए ये दोनों ग्रन्थ महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कन्नौज में रहने वाले इस महान् विद्वान की प्रशंसा स्वयं सम्राट हर्षवर्द्धन तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग ने की थी।

जियाउद्दीन बरनी : जियाउद्दीन बरनी बरन (बुलन्दशहर जिले में स्थित) का निवासी था, उसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना तारीख-ए-फीरोजशाही' 1265 ई. से लेकर 1358 ई. तक के इतिहास की घटनाओं को अभिव्यक्त करती है। इतिहासकार बरनी के सम्बन्ध सुल्तानों से रहे थे, मुहम्मद तुगलक, फीरोज तुगलक के सम्पर्क में वह रहा था, अतः उसकी कृति समकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। अधिकांश घटनाओं का वह चश्मदीद साक्षी रहा था। बरनी की दूसरी महत्वपूर्ण कृति 'फतवा-ए-जहांदारी' तत्कालीन राज्य-व्यवस्था का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है।

अमीर खुसरो : अमीर खुसरो का जन्म 1253 ई. में पटियाली में हुआ था। वह फारसी भाषा का महान् कवि व इतिहासकार था, उसने हिन्दी (हिन्दवी) में भी रचनाएँ की थीं। वह अपने को भारतीय तोता कहता था। उसे भारतीय होने का गर्व था। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। वह सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा था। वह सम्पूर्ण भारत का भ्रमण कर चुका था। उसकी प्रसिद्ध रचनाएँ तत्कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये रचनायें हैं- केरानुस्सादैन, मिफताहुल फुतूह, नूह सिपेहर, दिवलरानी-खिज्र खाँ, तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह।

शेख फैजी : शेख फैजी का जन्म 1547 ई. में आगरा में हुआ था। अकबरकालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख मुबारक का पुत्र था। वह बचपन से कविता करने लगा था। मुगल सम्राट अकबर शेख फैजी की प्रशंसा से मुग्ध हो गया था। अकबर ने शीघ्र ही शेख फैजी को दरबार में स्थान प्रदान किया। शेख फैजी स्वतन्त्र

विचारों वाला विद्वान था। धर्मान्धता का विरोध होने के कारण अकबर का कृपापात्र था। शेख फैजी अकबर के काल का श्रेष्ठ कवि व विद्वान था। बदायूँनी ने फैजी की अत्यधिक प्रशंसा की है तथा उसे काव्य, इतिहास, चिकित्साशास्त्र निबन्ध रचना में अद्वितीय बताया है। अकबर द्वारा स्थापित दीन-ए-इलाही का शेख फैजी सदस्य था। 1595 ई. में शेख फैजी की मृत्यु हो गयी थी।

अबुल फजल : अबुल फजल का जन्म 1550 ई. में आगरा में हुआ था। अबुल फजल शेख मुबारक का पुत्र व शेख फैजी का छोटा भाई था। अबुल फजल बहुत योग्य था तथा अपनी योग्यता के कारण ही वह अकबर का परामर्शदाता बन गया था। अबुल फजल की दो प्रमुख रचनाएँ 'अकबरनामा' व 'आइने-अकबरी' अकबरकालीन इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। अबुल फजल तुर्की, फारसी, संस्कृत, अरबी, हिन्दी का विद्वान था। अबुल फजल ने दक्षिणी अभियान का अकबर के साथ नेतृत्व किया था। 1602 ई. में दक्षिण से वापसी के मार्ग में वीरसिंह बुन्देला ने, शाहजादा सलीम के परामर्श से जो उसका विरोधी था, अबुल फजल की हत्या कर दी थी।

राजा टोडरमल : राजा टोडरमल का जन्म सीतापुर जिले के लहरपुर गाँव में हुआ था। वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था अतः युवा होने पर शेरशाह सूरी की सेवा में कार्यरत हो गया था। सूरवंश के पतन के पश्चात् उसने मुगलों की सेवा प्रारम्भ की तथा अपनी योग्यता से वह अकबर का दीवान बन गया था। अन्ततः अकबर उसकी राजस्व व्यवस्था से प्रभावित हुआ और उसे प्रधानमन्त्री का पद प्रदान किया। टोडरमल ने अपनी योग्यता व परिश्रम से मुगलों की भू-व्यवस्था को नवीन स्वरूप प्रदान कर व्यवस्थित किया। इसी कार्य से वह इतिहास में चर्चित हो गया। टोडरमल ने दहसाला बन्दोबस्त व्यवस्था स्थापित की थी। भूमि की नाप कराकर, उपज का सही मूल्यांकन करने के लिए उसका वर्गीकरण किया गया था। भूमि के आधार पर ही भूमिकर निर्धारित किया गया था, इस भू-व्यवस्था से किसानों को लाभ प्राप्त हुआ और राजस्व में वृद्धि हुई। टोडरमल एक योग्य वित्तमन्त्री के साथ-साथ कुशल सैन्य संचालक भी था। 1565 ई. में उसने उजबेगों के दमन में, 1568 ई. के रणथम्भौर अभियान में उसने अपनी सैन्य प्रतिभा का परिचय दिया था। टोडरमल 1589 ई. को इस संसार से विदा हो गया और अपनी अक्षयकीर्ति को सदैव के लिए छोड़ गया था।

बीरबल : बीरबल का जन्म काल्पी (जिला जालौन) में 1528 ई. में हुआ था। वह जन्म से ब्राह्मण थे, उनका मूल नाम महेशदास था। वह प्रारम्भ से ही तीक्ष्ण बुद्धि का कवि हृदय का हास्यप्रिय व्यक्ति थे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित रीवां नरेश रामचन्द्र बघेल ने उनको अपने दरबार में स्थान दिया था तत्पश्चात् उन्हें आमेर के राजा भगवानदास ने आश्रय दिया, जहाँ से वह अकबर के दरबार में नौ-रत्नों में सम्मिलित किये गये थे। बीरबल ने दीन-ए-इलाही को स्वीकार कर लिया था। 1583 ई. में बीरबल दीवानी न्याय विभाग के प्रमुख अधिकारी नियुक्त किये गये। अकबर ने बीरबल की सेवा से प्रसन्न होकर 2,000 का मनसबदार बनाया था तथा 'कविराज' की उपाधि दी थी। 1586 ई. में बीरबल युसुफ जाइयों के साथ युद्ध में मारे गये।

तात्या टोपे : तात्या टोपे का मूल नाम 'रामचन्द्र' था। तात्या उन्हें स्नेह से कहा जाता था, अतः वह तात्या कहे जाने लगे। बिठूर में अंग्रेजों द्वारा पेन्शन प्राप्त पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उनका पालन-पोषण किया था; वे उन्हें तात्या टोपे कहते थे, इसी नाम से वे चर्चित हुए। पेशवा बाजीराज द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब मोरोपन्त की पुत्री मनु (लक्ष्मीबाई के नाम से चर्चित) भी पेशवा बाजीराव द्वितीय के महल (बिठूर में) में रहती थी अतः तीनों को साथ-साथ अपना बचपन बिताने का अवसर प्राप्त हो गया; उन तीनों में एक-दूसरे के प्रति असीम स्नेह उत्पन्न हो गया था और वे सदैव एक साथ सहयोगी की भाँति रहे थे। तात्या टोपे ने सदैव नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई की सेवा की थी। 1857 ई. के महासमर में उसने (तात्या टोपे ने) अपनी गनीमी कावा रणनीति (छापामार रणनीति), अद्वितीय साहस वीरता से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। अन्ततः अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लिया तथा नरवर के राजा मानसिंह की

सहायता से तात्या टोपे को छल से 7 अप्रैल, 1859 ई. को गिरफ्तार कर लिया और 15 अप्रैल, 1859 ई. को शिवपुरी के सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाकर 18 अप्रैल, 1859 ई. को फाँसी पर चढ़ा दिया। निःसन्देह कानपुर, बिठूर, झाँसी, काल्पी सभी स्थानों पर उसने अंग्रेजों को 1857 ई. के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में धूल चटा दी थी। अंग्रेज उसके नाम से थर्राते थे। भारत के इतिहास में तात्या टोपे का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा।

महारानी लक्ष्मीबाई : महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। उनका पालन-पोषण बिठूर के महल में पेशवा बाजीराव द्वितीय की देख-रेख में हुआ था। वह मोरोपन्त की पुत्री थी। पेशवा बाजीराव स्नेह से 'छबीली' कहते थे; पेशवा के स्नेह से ही उसने घुड़सवारी, तलवार चलाने की कला सीखी। सयानी होने पर उसका विवाह झाँसी के महाराज गंगाधर से हो गया और तब मनू (मणिकर्णिका) का नाम महारानी लक्ष्मीबाई हो गया। परन्तु वह कुछ ही समयोपरान्त विधवा हो गयीं; अंग्रेज गवर्नर जनरल डलहौजी ने अपनी 'हड़प नीति' द्वारा झाँसी राज्य को उत्तराधिकार से वंचित करते हुए 7 मार्च, 1854 को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी स्वीकार कराने का कम्पनी सरकार से प्रयास किया परन्तु असफल रहीं। अतः वे अंग्रेजों के प्रति क्षोभ व क्रोध से दग्ध हो गयी थीं। अन्ततोगत्वा 1857 ई. के महासमर में उन्होंने झाँसी में अंग्रेजों को भयंकर टक्कर दी। 7 जून, 1857 ई. को झाँसी पर महारानी लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया। लगभग दस माह बाद मार्च 1858 ई. में नये अंग्रेज सेनानायक जनरल ह्यूरोज ने पुनः संघर्ष प्रारम्भ किया। महारानी लक्ष्मीबाई ने अद्वितीय साहस व वीरता का परिचय दिया, इसमें अंग्रेज जनरल बहुत प्रभावित हुआ। परन्तु अल्प साधनों द्वारा वे अधिक समय तक विस्तृत अंग्रेजी साधनों का सामना करने में असमर्थ हो गयीं; फिर भी उसने आत्म-समर्पण नहीं किया, अन्ततः उनके इस महासंघर्ष में सभी सैनिक शहीद हुए और महारानी लक्ष्मीबाई ने भी 18 जून, 1858 ई. को युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। भारतीय इतिहास में इस वीरांगना का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। उसने अपने देश की रक्षा व गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी; रानी लक्ष्मीबाई की वीरता व साहस से अंग्रेज भी प्रभावित थे। महारानी लक्ष्मीबाई के वीरगति प्राप्त होने की जानकारी मिलने पर स्वयं उनके विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने कहा था, "विद्रोहियों में अगर कोई जवांमर्द था तो वह झाँसी वाली रानी थी।"

नाना साहब : नाना साहब का नाम भारतीय राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य संघर्ष में चिरस्मरणीय है। नाना साहब का प्रारम्भिक नाम गोविन्द था परन्तु वे अपने परिवार में 'घोड़ोपन्त' के नाम से चर्चित थे। उनका पालन-पोषण बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में किया था तथा प्यार में वे 'नाना' कहलाने लगे थे। पेशवा बाजीराव को प्राप्त पेन्शन से नाना को वंचित कर दिया गया था, अतः उन्होंने कम्पनी सरकार के विरुद्ध अपील करने हेतु अजीमुल्ला को इंग्लैण्ड भेजा परन्तु असफलता ही हाथ लगी, फलस्वरूप 1857 के महासमर में उन्होंने अंग्रेजों से डटकर संघर्ष किया। अंग्रेज सरकार ने नाना को पकड़ने हेतु एक लाख रुपये की घोषणा की थी, परन्तु उन्हें पकड़ा नहीं जा सका; वे अन्तिम दौर तक संघर्षरत रहे यद्यपि अंग्रेजों के विस्तृत साधनों के समक्ष वे सफल न हो सके। अन्ततः वे नेपाल के जंगलों की ओर पलायन कर गये, परन्तु अपनी वीरता, साहस की गाथा अपने भारतीय लोगों के लिए छोड़ गये जो उन्हें अनुप्राणित करती रही और सदैव प्रेरित करती रहेगी।

बेगम हजरत महल : 1857 ई. के सैनिक विद्रोह व प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व अवध की महारानी बेगम हजरत महल ने किया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह अंग्रेजों की कैद में कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में थे, अतः अवध के प्रशासन की बागडोर बेगम हजरतमहल के हाथों में थी। उसने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ कर दिया। इस संघर्ष में बेगम हजरतमहल ने अवध के किसानों तथा जमींदारों का अपूर्व सहयोग प्राप्त किया था। अवध में 30-31 मई, 1857 ई. को भीषण संघर्ष का

सूत्रपात हो गया; संघर्ष व्यापक हो गया और अंग्रेजों को भागना पड़ गया। परन्तु बेगम हजरत महल के साधन अल्प थे, अंग्रेजों को पंजाब व नेपाल से सहायता प्राप्त हो गयी और उन्होंने सितम्बर 1858 ई. में लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल ने पराजित होने पर भी आत्म-समर्पण नहीं किया, वे नेपाल पलायन कर गयीं, परन्तु अपनी वीरता, साहस तथा देशभक्ति से सम्पूर्ण भारतवासियों को गौरव पथ पर चलने के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गयीं। इतिहास में वे सदैव स्वर्णअक्षरों में अंकित रहेंगी।

अजीजन बेगम : 1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम की बलिदानी महिलाओं में कानपुर की नाचने-गाने वाली महिला अजीजन बेगम का नाम विशेष चर्चित है। उनका जन्म लखनऊ में हुआ था, दुर्भाग्य की थपेड़ों से वे कानपुर आईं और उस समय की मशहूर तवायफ उमराव जान अदा के साथ नाचने-गाने का काम करने लगीं; यहीं उनका सम्पर्क क्रान्तिकारियों से हुआ। नाना साहब के आह्वान पर अजीजन बेगम ने अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए महिलाओं को संगठित किया; शीघ्र ही वे महिला सशस्त्र दल की नेता बन गयीं। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार सर जॉर्ज ट्रेवेलियन ने अजीजन बेगम को एक योद्धा के रूप में वर्णित करते हुए लिखा है, ''घोड़े पर सवार सैनिक वेश-भूषा में अनेक तमगे लगाये और हाथ में पिस्तौल लिए अजीजन बिजली की तरह अंग्रेज सैनिकों को रौंदती चली जाती थी, उसके साथ महिलाओं की घुड़सवार टुकड़ी भी घूमा करती थी। सैनिकों को हथियार देना, प्यासे सैनिकों को पानी पिलाना एवं घायलों की देखभाल करना, उसके प्रमुख कार्य थे।'' पं. सुन्दरलाल ने अपनी पुस्तक 'भारत में अंग्रेजी राज' में लिखा है कि कानपुर पर विद्रोहियों का अधिकार होने के बाद बंदी अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों की हत्या के लिए विद्रोहियों को उकसाने वाली अजीजन बेगम ही थी। सम्भवतः ऐसा उसने अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचारों के कारण क्रोध और घृणा के आवेश में किया होगा। अन्ततः अजीजन को गिरफ्तार कर अंग्रेज कमाण्डर सर हेनरी हेवलाक के समक्ष लाया गया। एक मुस्लिम क्रान्तिकारी (अजीमुल्ला खाँ) का पता बताने की शर्त पर उसे माफी देने का वायदा किया गया। अजीजन ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया फलस्वरूप उसे गोली से उड़ा दिया गया। गोली लगने से ठीक पहले उसने जयघोष किया, ''हिन्दुस्तान अमर रहे'' और फिर शहीदों की टोली में मिल गयीं।

सर सैयद अहमद खाँ : सर सैयद अहमद खाँ का जन्म 1817 ई. में दिल्ली में हुआ था। 1839 ई. में उन्होंने आगरा के अंग्रेज कमिश्नर की अधीनता में सेवा प्रारम्भ की। 1857 ई. में वह सदर अमीन नियुक्त थे। 1876 ई. में सर सैयद अहमद खाँ सरकारी सेवा से निवृत्त होकर समाज-सुधारक बने। वे मुस्लिम समाज में सुधार चाहते थे। मुसलमानों में नयी शिक्षा का प्रसार चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन ऐंग्लो ओरियंटल स्कूल स्थापित किया व 1878 ई. में मोहम्मडन ऐंग्लो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खाँ ने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आन्दोलन चलाया था। 1898 ई. में उनकी मृत्यु हो गयी।

मोतीलाल नेहरू : पं. मोतीलाल नेहरू का जन्म 1861 ई. में हुआ था। उन्होंने शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') में वकालत प्रारम्भ की, जिसमें वे पूर्ण सफल हुए। उनकी गणना भारत के महान् वकीलों में की जाती थी। स्वदेशी आन्दोलन के दौर में उन्होंने राजनीति में सक्रियता प्रदर्शित की थी। 1919 ई. में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। असहयोग आन्दोलन के अन्तर्गत उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। असहयोग आन्दोलन के स्थगित हो जाने के उपरान्त उन्होंने स्वराज दल गठित किया। साइमन कमीशन के विरोध करने के पश्चात् नेहरू रिपोर्ट तैयार की जो आधुनिक संविधान का ब्लू प्रिण्ट स्वीकार की जाती है। 1930 ई. में उनकी मृत्यु हो गयी थी। मृत्यु से पूर्व उन्होंने कहा था, ''मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था, परन्तु मेरी इच्छा पूर्ण न हो सकी।''

पं. मदन मोहन मालवीय : पं. मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में 27 दिसम्बर, 1861 ई. को हुआ था; शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त वे शिक्षक बने तथा समाज सेवा भी प्रारम्भ की। 1902 ई. में वे संयुक्त प्रान्त की विधान परिषद् के लिए निर्वाचित हुए थे। 1910 ई. से 1920

ई. तक वे केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रहे थे। उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (लन्दन में आयोजित) में भाग लिया था। 1934 ई. में 'साम्प्रदायिक निर्णय' का उन्होंने घोर विरोध किया था। मालवीय जी देशभक्ति को धर्म का एक अंग मानते थे। मालवीय जी भारत के पिछड़ेपन का कारण भारतीयों की निरक्षरता को मानते थे अतः उन्होंने भारतीयों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने बनारस (अब 'वाराणसी') में 'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय' की स्थापना की (1918 ई. में)। 1946 ई. में मालवीय जी की मृत्यु हो गयी थी।

पं. जवाहरलाल नेहरू : स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवम्बर, 1889 ई. को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था। उनके पिता पं. मोतीलाल नेहरू भारत के प्रतिष्ठित वकील थे। पं. जवाहरलाल नेहरू पर उनके शिक्षक ब्रुक्स का बहुत प्रभाव था। ब्रुक्स ने उन्हें मानवता का पाठ बहुत लगन से पढ़ाया था। जवाहरलाल की उच्च शिक्षा इंग्लैण्ड में हुई थी; उन्होंने इंग्लैण्ड से बी.ए. तथा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। छात्र जीवन से ही उन्हें राजनीति में रुचि थी। 1912 ई. में भारत वापस आकर इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में वकालत प्रारम्भ की व इसी समय से उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होना प्रारम्भ कर दिया। 1916 ई. में उनका विवाह कमला से हुआ व इसी वर्ष वे महात्मा गांधी के सम्पर्क में आये। 1923 ई. में जवाहरलाल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। 1927 ई. में उन्होंने रूस की यात्रा की जिससे उनके समाजवादी विचारों में दृढ़ता आयी। 1928 ई. में लखनऊ में साइमन आयोग के बहिष्कार के दौरान वे लाठियों से मर्माहत हुए। 1929 ई. में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया जहाँ उन्होंने घोषणा की "हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है। स्वाधीनता का अर्थ है- पूर्ण स्वतन्त्रता।" जवाहरलाल ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में तथा 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया तथा जेल गये। 1946 ई. में उन्होंने भारत की अन्तरिम सरकार का गठन किया तथा भारत के स्वतन्त्र होने पर स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस पद पर वे मृत्यु-पर्यन्त (27 मई, 1964 ई.) कार्यरत रहे। पं. जवाहरलाल नेहरू एक राजनीतिज्ञ, प्रशासक, देश भक्त तथा उच्च कोटि के लेखक थे। उन्होंने 'भारत की खोज', 'विश्व इतिहास की झलक', 'आत्मकथा' लिखीं जो साहित्य व इतिहास की अमूल्य निधियाँ हैं। वे समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। उनका विश्वास था कि आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता अधूरी है। डॉ. राधाकृष्णन ने उनके बारे में लिखा था, "स्वाधीनता संग्राम के योद्धा के रूप में वे यशस्वी थे और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका योगदान अभूतपूर्व था।"

लालबहादुर शास्त्री : लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर, 1904 ई. को मुगलसराय में हुआ था। महात्मा गान्धी से प्रभावित होकर उन्होंने 1921 ई. में राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया था। 1951 ई. में लालबहादुर शास्त्री कांग्रेस के महामन्त्री बने थे, उसके उपरान्त उन्होंने अनेक पदों पर कार्य किया। पं. जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु (1964 ई.) के पश्चात् वे भारत के प्रधानमन्त्री बने थे। 1965 ई. में भारत-पाक युद्ध में विजय श्री प्राप्त करने का श्रेय उन्हें प्राप्त है। 11 जनवरी, 1966 ई. को ताशकन्द में उनकी मृत्यु हो गयी थी

चन्द्रशेखर आजाद : चन्द्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई, 1906 ई. को हुआ था। उन्होंने काशी (अब 'वाराणसी') में संस्कृत का अध्ययन किया था। वे महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन से प्रभावित हुए और अपनी शिक्षा को रोककर आन्दोलन रत हो गये, उस समय उनकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी। इस आन्दोलन में गिरफ्तार होने पर वे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये गये जहाँ अपनी वीरता व साहस की देदीप्यमान मिसाल से वे लोकप्रिय तथा चर्चित हो गये। कलेक्टर के पूछने पर उन्होंने अपना

नाम 'आजाद', पिता का नाम 'स्वतन्त्र', निवास स्थान 'जेल' बतलाया; इस पर क्रोधित होकर मजिस्ट्रेट ने 15 बैंत मारने का आदेश दिया। प्रत्येक बैंत पर वे 'वन्देमातरम्' व 'महात्मा गांधी की जय' के नारे लगाते रहे थे। इस घटना के पश्चात् वे सम्पूर्ण भारत में सर्वाधिक प्रिय बन गये थे। उन्होंने शीघ्र ही अंग्रेजों के विरुद्ध क्रान्तिकारियों का एक संगठन बनाया जिसे 'हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन' कहा गया। इस संगठन में शचीन्द्रनाथ सान्याल, योगेशचन्द्र चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, इत्यादि प्रमुख क्रान्तिकारी सम्मिलित थे। संगठन को धन की आवश्यकता अनुभव होने पर सितम्बर 1925 ई. में सरकारी खजाने को लूट लिया जो 'काकोरी घटना' के नाम से इतिहास में अंकित है। पुलिस उन्हें बन्दी नहीं बना सकी थी। 1928 ई. में पुलिस अधिकारी साण्डर्स की हत्या में वे संलग्न थे क्योंकि इस पुलिस अधिकारी ने निर्दोष भारतीयों का बर्बरता से उत्पीड़न किया था; इस बार भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर सकी और वे क्रान्तिकारियों तथा आन्दोलनकर्ताओं को सहयोग करते रहे थे। परन्तु 27 फरवरी, 1931 ई. को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के अल्फ्रेड पार्क में वे पुलिस की गोलियों से घिर गये तथा बन्दी बनाये जाने के पूर्व ही उन्होंने अपनी पिस्टल से स्वयं को गोली मार ली और शहीद हो गये। अन्त तक वे आजाद रहे। इस साहस व वीरता तथा अटूट देशभक्ति की भावना से वे प्रत्येक भारतीय के लिए परम आदरणीय बन गये तथा भारत के स्वातन्त्र्य संघर्ष के इतिहास में देदीप्यमान नक्षत्र की भाँति जगमगाते रहेंगे।

●

अर्थव्यवस्था/आर्थिक समीक्षा

उत्तर प्रदेश भारत के विशालतम राज्यों में से एक है जो कि 25°-31° उत्तरी अक्षांश तथा 77°-84° पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थिति है। इसके उत्तर में नेपाल राष्ट्र एवं उत्तराखण्ड राज्य, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार एवं झारखण्ड तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान की सीमाएं मिलती हैं। इस प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी. है, जो भारत के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 3287 हजार वर्ग किमी. का 7.33 प्रतिशत है। क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान (10.41 प्रतिशत), महाराष्ट्र (9.36 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (9.03 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश (8.37 प्रतिशत) के बाद उत्तर प्रदेश (7.33 प्रतिशत) का स्थान भारत के पाँचवे विशाल राज्य के रूप में है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998 लाख है, जो भारत की वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या (12106 लाख) का 16.5 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश में 18 मण्डल हैं तथा इन मण्डलों में कुल 75 जनपद हैं। प्रदेश को नियोजन के दृष्टिकोण से चार आर्थिक क्षेत्रों यथा- पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय एवं बुन्देलखण्ड में विभक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान तथा ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 851 सामुदायिक विकास खण्ड (जिसमें 821 संचालित तथा 30 विकासखण्ड नये घोषित) भी बनाये गये हैं।

उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सम्बन्धी आर्थिक सम्भागवार कुछ प्रमुख संकेतक

क्र. सं.	मद	आर्थिक सम्भाग				
		पूर्वी	बुन्देलखण्ड	पश्चिमी	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश
1.	जनसंख्या का घनत्व (2011)	931	329	930	785	829
2.	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (2011)	19.12	27.19	24.28	24.17	22.34
3.	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (2011)	59.42	69.44	51.28	59.51	56.74
4.	फसल सघनता	142.44	198.10	149.14	155.61	157.53
5.	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत (2014-15)	157.82	142.07	163.95	154.69	157.53
6.	प्रति हेक्टेयर सकल बोये गये क्षेत्रफल पर कुल उर्वरक वितरण किलोग्राम (2015-16)*	160.53	137.50	170.03	161.87	161.78

7. प्रति व्यक्ति कृषि उपज का सकल मूल्य रु. प्रचलित भावों पर (2014-15) आधार वर्ष (2011-12)	6459	15254	13029	8120	9631
8. प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन का सकल मूल्य ह. रु. (2013-14)	4366	3345	32002	13205	16208
9. प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों में लगे व्यक्तियों की संख्या (2013-14)	111	101	891	354	445
10. कुल उपभुक्त विद्युत में से कृषि से उपभुक्त विद्युत का प्रतिशत (2016-17)	21.27	26.78	20.87	13.56	19.94
11. प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की मात्रा (कि.वा. प्रति घं.) (2016-17)	239.82	311.81	497.85	353.90	360.03
12. ऋण जमा अनुपात (मार्च 2017)	27.11	53.62	50.87	34.01	39.41
13. प्रति लाख जनसंख्या पर संस्थानुसार स्कूलों की संख्या (2016-17)					
क. जूनियर बेसिक**	54	71	46	55	52
ख. सीनियर बेसिक**	21	33	19	21	21
ग. हायर सेकेण्डरी	12	10	12	11	12
14. प्रति लाख जनसंख्या पर संस्थानुसार विद्यार्थियों की संख्या (2016-17)					
क. जूनियर बेसिक**	11314	11228	10595	11016	10988
ख. सीनियर बेसिक**	5187	5373	4809	4706	4969
ग. हायर सेकेण्डरी	6920	5124	6122	5750	6328
15. प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या (2016-17)	2.48	3.19	2.05	2.00	2.27
16. प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या (2016-17)	40.18	51.06	34.92	46.56	39.87
17. प्रति हजार आबाद मजरों पर नल द्वारा पेयजल युक्त मजरों की सं. (2016-17)	1000	1000	1000	1000	1000
18. प्रति लाख जनसंख्या पर लोक नि.वि. के अधीन पक्की सड़कों की लम्बाई कि.मी. (2015-16)	117.93	142.79	92.27	95.49	105.54

* सकल बोया गया क्षेत्रफल वर्ष 2014-15 पर आधारित है।

** केवल परिषदीय विद्यालय सम्मिलित हैं।

19. प्रति हजार वर्ग किमी. क्षेत्रफल पर लोक नि.वि. की पक्की सड़कों की लम्बाई (2015-16)	1220.38	498.35	925.11	715.98	938.32
20. विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत (2016-17) 2001 के आबाद ग्रामों के आधार पर	99.99	100.00	99.98	100.00	99.99

स्रोत :- सांख्यिकीय डायरी उ.प्र. 2017, अर्थ एवं संख्या प्रभाग उ.प्र.

राज्य की अर्थव्यवस्था

राज्य आय के वर्ष 2016-17 के जारी त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2016-17 में स्थिर (2011-12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर 7.2% रही है। वर्ष 2016-17 में स्थिर (2011-12) भावों में सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर क्रमशः 10.4%, 4.0%, 7.5% रही है। प्रचलित भावों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) के सन्दर्भ में वर्ष 2016-17 की प्रति व्यक्ति आय रु. 50203 आंकलित हुई है जो गत वर्ष से 8.5% की वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्ष 2016-17 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) का खण्डवार वितरण इस प्रकार है- (क) प्राथमिक खण्ड-27.9%, (ख) द्वितीयक खण्ड-23.2% तथा (ग) तृतीयक खण्ड- 48.9%। प्रदेश के राज्य आय के वर्ष 2016-17 के जारी त्वरित अनुमानों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है :

सकल राज्य मूल्य वर्धन (स्थायी भावों पर)

आधार वर्ष 2011-12 पर जारी वर्ष 2016-17 के त्वरित अनुमानों के अनुसार बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12 में रु. 681895 करोड़, वर्ष 2012-13 में रु. 716339 करोड़, वर्ष 2013-14 में रु. 754331 करोड़, वर्ष 2014-15 में रु. 780937 करोड़, वर्ष 2015-16 में रु. 836997 करोड़ तथा वर्ष 2016-17 में रु. 898546 करोड़ रहा है, जो वर्ष 2012-13 में 5.1%, वर्ष 2013-14 में 5.3%, वर्ष 2014-15 में 3.5%, वर्ष 2015-16 में 7.2%, तथा वर्ष 2016-17 में 7.4% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 में क्रमशः 4.4%, 2.8% तथा 6.8%, वर्ष 2013-14 में क्रमशः (-) 0.1%, 7.9% तथा 7.1%, वर्ष 2014-15 में क्रमशः (-) 0.9%, (-) 2.0% तथा 9.2%, वर्ष 2015-16 में क्रमशः 5.5%, 7.1% तथा 8.1%, तथा वर्ष 2016-17 में 10.4%, 4.0% तथा 7.5% रही है।

खण्डवार विश्लेषण

प्राथमिक खण्ड : इसके अन्तर्गत कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन तथा खनन और उत्खनन उपखण्ड शामिल हैं। नवीन शृंखला में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुमान पृथक-पृथक आंकलित किये गये हैं जबकि पुरानी शृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अन्तर्गत एक साथ आंकलित किये जाते थे।

- प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में फसल उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में क्रमशः 5.0%, (-) 2.3%, (-) 5.4%, 4.9%, तथा 12.2% की वृद्धि हुई है।
- पशुपालन उपखण्ड के अन्तर्गत प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में क्रमशः 4.9%, 4.7%, 5.6%, 3.7%, तथा 2.3% की वृद्धि हुई है।

- मत्स्य उपखण्ड के अन्तर्गत प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में क्रमशः 4.7%, 3.3%, 6.4%, 2.1%, तथा 22.4% की वृद्धि हुई है।
- खनन एवं पत्थर निकालना उपखण्ड के अन्तर्गत प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में क्रमशः (-) 0.6%, 10.1%, 28.2%, 30.3%, तथा 35.1% की वृद्धि हुई है।

माध्यमिक खण्ड : माध्यमिक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण, विद्युत गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं निर्माण कार्य उपखण्ड शामिल हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में द्वितीयक खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में क्रमशः 2.8%, 7.9%, (-) 2.0%, 7.1%, तथा 4.0% की वृद्धि हुई है।

प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माण उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में क्रमशः 4.1%, 13.7%, (-) 10.0%, 11.1%, तथा 1.3% की वृद्धि हुई है।

प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विद्युत गैस तथा जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में क्रमशः 5.8%, 13.0%, 6.0%, 2.8%, तथा 12.0% की वृद्धि हुई है।

प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में निर्माण उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में क्रमशः 1.0%, 1.1%, 6.5%, 3.5%, तथा 5.9% की वृद्धि हुई है।

तृतीयक खण्ड : अर्थव्यवस्था के तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत "परिवहन-संचार-व्यापार", "वित्त तथा स्थावर सम्पदा" एवं "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उपखण्ड सम्मिलित हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में क्रमशः 6.8%, 7.1%, 9.2%, 8.1%, तथा 7.5% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक वृद्धि 18.5% संचार तथा प्रसारण सम्बन्धी सेवायें उपखण्ड में परिलक्षित हुई है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन (प्रचलित भावों पर)

बुनियादी मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12 में रु. 681895 करोड़ तथा वर्ष 2012-13 में रु. 777206 करोड़, वर्ष 2013-14 में रु. 885565 करोड़ तथा वर्ष 2014-15 में रु. 948993 करोड़, वर्ष 2015-16 में रु.1035835 करोड़ तथा वर्ष 2016-17 में रु. 1132560 करोड़ रहा है।

प्राथमिक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में क्रमशः रु.189787 करोड़, रु. 219964 करोड़, रु. 246724 करोड़, रु. 254845 करोड़, रु. 281771 करोड़, तथा रु. 315641 करोड़ रहा है।

द्वितीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में क्रमशः रु. 181781 करोड़, रु. 200719 करोड़, रु. 231544 करोड़, रु. 238000 करोड़, रु. 253867 करोड़ तथा रु. 262306 करोड़ रहा है।

तृतीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में क्रमशः रु. 310326 करोड़, रु. 356522 करोड़, रु.407297 करोड़, रु. 456148 करोड़, रु. 500196 करोड़ तथा रु. 554613 करोड़ अनुमानित रहा है।

अर्थव्यवस्था की खण्डीय संरचना

राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न खण्डों के अंशदानों एवं निश्चित अवधि में हुए परिवर्तनों से यह बोध होता है कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्र किस प्रकार विकसित हो रहे हैं। वर्ष 2016-17 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्राथमिक खण्ड का स्थायी (2011-12) भावों पर राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान जो वर्ष 2011-12 में 29.0 प्रतिशत था, वो घटकर वर्ष 2016-17 में 26.4 प्रतिशत रह गया है। इस अवधि में राज्य की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक खण्ड में कृषि (फसल) का योगदान 18.5 प्रतिशत से घटकर 15.8 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2016-17 में पशुपालन खण्ड का योगदान 6.8 प्रतिशत तथा वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना खण्ड का योगदान 1.6 प्रतिशत है। इस प्रकार प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल खण्ड का योगदान अभी भी सर्वाधिक है।

माध्यमिक खण्ड का राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011-12 में 25.9 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2016-17 में 24.0 प्रतिशत हो गया है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में विनिर्माण उपखण्ड का योगदान 11.0 प्रतिशत तथा निर्माण उपखण्ड का योगदान 12.2 प्रतिशत रहा है।

तृतीयक खण्ड का राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011-12 में 45.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 49.6 प्रतिशत हो गया है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक योगदान स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक उपखण्ड का 13.6 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2016-17 में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का योगदान 11.3 प्रतिशत तथा परिवहन संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान 8.5 प्रतिशत आंकलित हुआ है। खण्डीय संरचना के इस परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि वर्ष 2011-12 से राज्य की अर्थव्यवस्था कृषीय से अकृषीय की ओर निरन्तर अग्रसर होती जा रही है तथापि राज्य की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है।

प्रति व्यक्ति आय

वर्ष 2016-17 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 में रु. 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2016-17 में रु. 50203 हो गयी है। वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 9.4% तथा 8.5% प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है। प्रदेश की निवल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 में रु. 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2016-17 में रु. 38884 हो गयी है। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 6.6 प्रतिशत तथा 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है जैसे कि निम्न तालिका में दृष्टव्य है:

तालिका

प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय (रु.में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	गतवर्ष में प्रतिशत वृद्धि	स्थायी भावों पर	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
2011-12	32002	-	32002	-
2012-13	35812	11.9	32908	2.8
2013-14	40124	12.0	34044	3.5
2014-15	42267	5.3	34583	1.6
2015-16	46253	9.4	36850	6.6
2016-17	50203	8.5	38884	5.5

प्रदेश के राज्य आय तथा अखिल भारतीय राष्ट्रीय अनुमानों का विश्लेषण

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के वर्ष 2016-17 के अनन्तिम अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित भावों पर वर्ष 2011-12 में प्राथमिक तथा द्वितीयक खण्ड का योगदान क्रमशः 21.7 प्रतिशत व 29.3 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2016-17 में 19.6 प्रतिशत व 26.6 प्रतिशत हो गया है। इसके विपरीत तृतीयक खण्ड का योगदान वर्ष 2011-12 में 49.0 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2016-17 में 53.8 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2016-17 में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान 16.5 प्रतिशत विनिर्माण खण्ड का है। उक्त अवधि में प्रदेश में भी प्राथमिक खण्ड के योगदान में कमी आई है जबकि तृतीयक खण्ड का योगदान 45.5 प्रतिशत से बढ़कर 49.0 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2016-17 में राज्य की अर्थव्यवस्था में अभी भी कृषि खण्ड की प्रधानता है।

वर्ष 2016-17 में स्थायी (2011-12) भावों पर सकल घरेलू उत्पाद में अखिल भारतीय स्तर पर 7.1 प्रतिशत तथा राज्य स्तर पर 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है।

वर्ष 2011-12 से वर्ष 2016-17 की अवधि में प्रचलित भावों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय निवल घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में रु. 32002 से बढ़कर 50203 हो गयी जबकि अखिल भारतीय स्तर पर रु. 63462 से बढ़कर रु. 103219 हो गयी है। वर्ष 2011-12 से वर्ष 2016-17 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय का लगभग 50 प्रतिशत रही है।

लोक निधि-

प्रदेश की विकासशील अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण संसाधनों की सृजन क्षमता सीमित है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के विकासात्मक गतिविधियों हेतु सीमित संसाधनों के दृष्टिगत प्रदेश का विकास किया जाना एक बड़ी चुनौती है। वर्ष 2017 में प्रदेश में गठित नयी सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वांगीण विकास को सबसे अधिक महत्ता प्रदान की गयी है।

1. राजस्व प्राप्ति-

राज्य के संसाधन मुख्य रूप से राज्य के अपने संसाधन तथा केन्द्र सरकार से संक्रमण के आधार पर प्राप्त होते हैं। राज्य के राजस्व आय के प्रमुख स्रोत हैं- कर, करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र सरकार से संक्रमण। संक्रमण के स्रोत हैं केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश में राज्य का अंश तथा केन्द्र से अनुदान। वर्ष 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश को रु. 2,69,406.86 करोड़ के कुल राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व से रु. 1,17,793.41 करोड़ तथा केन्द्र से करों के विभाज्य अंश में तथा केन्द्रीय अनुदानों के रूप में रु. 1,51,613.45 करोड़ प्राप्त हुआ। राज्य के गत पाँच वर्षों की राजस्व प्राप्तियों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति से आय के स्रोत का प्रतिशत (करोड़ रु. में)

वर्ष	राज्य का स्वयं का राजस्व		केन्द्रीय संक्रमण		कुल राजस्व प्राप्तियाँ
	राज्य कर तथा शुल्क	राज्य करेत्तर राजस्व	केन्द्रीय करों में अंश	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	
2012-13	58098.36	12969.98	57497.85	17337.79	145903.98
2013-14	66582.11	16449.81	62776.66	22405.17	168213.75
2014-15	74172.98	19934.80	66622.35	32691.48	193421.61
2015-16	81106.29	23134.66	90973.66	31861.33	227075.94
2016-17(पु.अ.)	90218.70	27574.71	102649.91	48963.54	269406.86

(नोट - वर्ष 2014-15 से केन्द्रीय योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सीधे विभागों को उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान को राज्य सरकार के बजट के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है जिस कारण अप्रत्याशित वृद्धि केन्द्रीय अनुदान में परिलक्षित हो रही है।)

राज्य की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष 2016-17 में 43.7 प्रतिशत था अर्थात राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 44 प्रतिशत अंश राज्य अपने संसाधनों से ही एकत्रित करता है। संसाधनों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

2. राजस्व व्यय-

राजस्व व्यय के मुख्य भाग हैं- राज्य करों की वसूली पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय। वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 की अवधि में राजस्व प्राप्ति तथा सामान्य, सामाजिक, आर्थिक सेवाओं एवं स्थानीय निकायों के अनुदान पर होने वाले व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

राजस्व व्यय के मुख्य घटक **(करोड़ रु. में)**

वर्ष	कुल राजस्व व्यय	राजस्व व्यय के घटक			
		सामान्य सेवायें	सामाजिक सेवायें	आर्थिक सेवायें	स्थानीय निकायों को अनुदान
2012-13	140723.64	59906.73	53300.32	21337.35	6179.24
2013-14	158146.87	61983.49	60756.28	25710.72	9696.38
2014-15	171027.33	64305.73	60905.78	34885.24	1093.58
2015-16	212735.95	72227.92	82486.46	47881.28	10140.29
2016-17 (पु.अ.)	244900.90	91028.76	95442.60	47742.02	10687.52

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर होने वाला व्यय विकासात्मक श्रेणी में तथा सामान्य सेवाओं पर किया जाने वाला राजस्व व्यय विकासेत्तर व्यय कि श्रेणी में आता है। वर्ष 2012-13 में राजस्व व्यय का विकासात्मक कार्यों में किया जाने वाला व्यय 53.0 प्रतिशत था जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 61.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है यद्यपि वर्ष 2016-17 में इसके घटकर 58.5 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय को इस प्रकार समायोजित किया जाना चाहिये कि इसका अधिकांश उपयोग विकास कार्यों में किया जा सके।

3. वेतन, पेंशन, ब्याज-

राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में व्यय हो जाता है। यह राज्य सरकार का वचनबद्ध व्यय है जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य है। इन मदों में किये जाने वाले व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर राजस्व व्यय (करोड़ रु. में)

वर्ष	वेतन	पेंशन	ब्याज	वेतन + पेंशन + ब्याज
2012-13	52,231.57	17,920.61	16,920.59	87,072.77
2013-14	54,363.41	19,521.21	17,412.44	91,297.06
2014-15	61,557.74	22,304.61	18,864.44	1,02,726.72
2015-16	73,795.79	24,149.57	21,447.87	1,19,393.23
2016-17 (पु.अ.)	82,590.91	28,358.64	27,379.10	1,38,328.65

वर्ष 2012-13 में जहाँ वचनबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 61.9 प्रतिशत था वहीं वर्ष 2015-16 में यह घटकर 56.1 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है यद्यपि वर्ष 2016-17 में इसके आंशिक रूप से बढ़कर 56.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसी प्रकार राजस्व प्राप्ति से भी इसके प्रतिशत अंश में भी कमी आई है जो वर्ष 2016-17 में 51.3 प्रतिशत तक आने का अनुमान है। यह दर्शाता है कि राज्य के राजस्व की वृद्धि दर वचनबद्ध व्यय की तुलना में काफी अधिक रही है जिस कारण प्रतिशतता गिर रही है।

4. पूँजीगत परिव्यय

पूँजीगत परिव्यय राज्य की विकासात्मक गतिविधि को प्रदर्शित करने वाला व्यय है तथा प्रदेश का विकास पूँजीगत परिव्यय पर ही निर्भर होता है। पूँजीगत परिव्यय का यद्यपि कोई मानक निर्धारित नहीं किया जाता है अपितु यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जितना अधिक होगा, उतना राज्य के लिए बेहतर माना जाता है। वर्ष 2012-13 में पूँजीगत परिव्यय में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 3.27 प्रतिशत के स्तर पर था जो वर्ष 2016-17 में 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

5. ऋण का उपयोग-

परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा कतिपय माध्यमों से ऋण लिया जाता है तथा वित्तीय अनुशासन के अभाव में लिया जाने वाला ऋण अनियंत्रित होकर पूरी अर्थव्यवस्था को चरमरा सकता है। लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यय को वहन करने के लिए ऋण लेना बुरा नहीं है। बशर्ते उस ऋण का उपयोग परिसम्पत्तियों के सजन के लिए किया जाये।

6. राजकोषीय घाटा-

किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति को आंकने का सबसे महत्त्वपूर्ण संकेतक राजकोषीय घाटा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत होता है जिसमें उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित हो रहा है। वर्ष 2012-13 में यह 2.64 प्रतिशत के स्तर पर था जो वर्ष 2015-16 में भी लगभग समान स्तर अर्थात 2.63 प्रतिशत के स्तर पर रहा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 की अवधि हेतु 13वें वित्त आयोग द्वारा 3.0 प्रतिशत की सीमा भी निर्धारित की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा आयोग की संस्तुति के अनुसार उक्त वर्षों में राजकोषीय घाटा को निर्धारित 3 प्रतिशत के स्तर से नीचे ही बनाये रखे जाने के प्रयास किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 से 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनः 3 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गयी परन्तु दो शर्तों यथा- ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत से कम होने तथा ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति के 10% से कम होने पर आगामी वर्ष

में क्रमशः 0.25-0.25 प्रतिशत की लोचनीयता प्रदान की गयी अर्थात शर्त पूर्ण करने की स्थिति में राज्य अधिकतम 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटा की सीमा तक जा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इसके 3.22 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

7. राज्य की कुल ऋण ग्रस्तता–

प्रदेश में विकासात्मक योजनाओं एवं सामाजिक उत्थान के अनेक कार्यों हेतु राज्य सरकार को अपने सीमित संसाधनों के दृष्टिगत ऋण लेने की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश राज्य की व्यवस्था विकासशील है जिस कारण अनेक स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की उगाही की जाती है। राज्य सरकार की कुल ऋणग्रस्तता को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

राज्य की कुल ऋण ग्रस्तता (करोड़ रु. में)

वर्ष	बाजार ऋण	अल्प बचत	भविष्य एवं पेंशन निधियाँ	अन्य*	कुल ऋण ग्रस्तता
2012-13	84,103.42	56,351.56	41,935.55	42,733.06	2,25,123.59
2013-14	89,157.44	59,119.36	44,297.81	49,111.26	2,41,685.87
2014-15	1,02,666.91	65,444.26	45,480.38	53,229.14	2,66,820.69
2015-16	1,27,967.87	69,782.94	47,014.66	79,170.19	3,23,935.66
2016-17 (पु.अ.)	1,65,334.29	65,251.36	51,048.91	93,140.01	3,74,774.57

*अन्य में वित्तीय संस्थाओं से ऋण, पॉवर बाण्डस, भारत सरकार से ऋण, जमा एवं अग्रिम अन्य देयतायें शामिल हैं।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल ऋण ग्रस्तता लगातार बढ़ती जा रही है, परन्तु किसी भी राज्य की ऋण ग्रस्तता का आंकलन उसकी कुल ऋण ग्रस्तता से नहीं अपितु सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में किये जाने पर ही राज्य की सही स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कतिपय केन्द्रीय वित्त आयोगों द्वारा राज्य एवं संघ के लिए ऋण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए निर्धारित अनुपात की संस्तुति की जाती रही है तथा यदि राज्य अथवा संघ अपने निर्धारित प्रतिशत अनुपात की सीमा के अन्दर हैं तो राज्य की ऋण स्थिति उचित मानी जाती है। 13वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए भी राज्य का ऋण प्रतिशत निर्धारित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य का अनुपात, 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुपात से प्रत्येक वर्ष काफी कम रहा है। जो इस तथ्य का द्योतक है कि राज्य की ऋण स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। वर्ष 2015-16 से 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ लागू हो गयी हैं तथा राज्य की ऋण स्थिति 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ही है।

प्रदेश में बैंकिंग नेट वर्क

प्रदेश में मार्च 2017 तक कुल 18258 बैंक शाखायें कार्यरत हैं जिनके माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 तक कुल कार्यरत बैंक शाखायें

क्र.सं.	बैंक का प्रकार	बैंक शाखाओं की संख्या
1.	सार्वजनिक बैंक	11132
2.	निजी बैंक	1210
3.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4241
4.	सहकारी बैंक	1675
	कुल	**18258**

बैंकों की वार्षिक जमा- प्रदेश में व्यवसायिक बैंकों (ग्रामीण बैंकों सहित) में मार्च 2017 तक रु. 875456.86 करोड़ की धनराशि जमा है।

बैंकों की वार्षिक ऋण योजना- कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में ऋण वितरण करने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए प्रतिवर्ष वार्षिक ऋण योजना तैयार करायी जाती है। वर्ष 2016-17 के दौरान वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में रु.168397.66 करोड़ के ऋण वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष मार्च 2017 तक रु. 137451.78 करोड़ (82 प्रतिशत) का ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया गया।

कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा

कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने, जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने, राज्य को राष्ट्र के खाद्य भण्डार के रूप में सम्पन्न बनाने तथा ग्रामीण जनता की आर्थिक उन्नति एवं सम्पन्नता सुनिश्चित कर ग्राम्य जीवन में गुणवत्तायुक्त सुधार लाने के लिए कृषि नीति के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा सप्तक्रान्ति प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबन्धन, विपणन, मशीनीकरण एवं शोध तथा कृषि विविधीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है।

राज्य आय के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2016-17 में प्रचलित भावों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद 1232566 करोड़ रु. में कुल कृषीय फसलों का अंश 198844 करोड़ रुपये था। वर्ष 2016-17 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्र का योगदान 26.5 प्रतिशत रहा जिसमें कृषीय फसलों का योगदान 17.6 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2015-16 में स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2016-17 में 8.9 प्रतिशत हो गयी है। इसी प्रकार फसलों की वृद्धि दर जो कि वर्ष 2015-16 में 4.9 प्रतिशत थी वर्ष 2016-17 में 12.2 प्रतिशत हो गयी।

कृषि में कार्यरत कर्मकरों की स्थिति

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल 658.15 लाख कर्मकर थे, जिसमें 190.58 लाख कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। कुल कर्मकरों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश 59.3 था। वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों की संख्या तथा उनका प्रतिशत विवरण

क्र. सं.	मद	इकाई	कर्मकरों की संख्या		कर्मकरों का प्रतिशत	
			वर्ष 2001	वर्ष 2011	वर्ष 2001	वर्ष 2011
1.	कृषक	लाख	221.68	190.58	41.1	29.0
2.	कृषि श्रमिक	लाख	134.01	199.39	24.8	30.3
3.	पारिवारिक उद्योग	लाख	30.31	38.99	5.6	5.9
4.	अन्य	लाख	153.84	229.19	28.5	34.8
	योग		**539.84**	**658.15**	**100.0**	**100.0**

उक्त तालिका में दो जनगणना वर्षों के आंकड़ों की तुलना से स्पष्ट है कि कृषकों की संख्या घट रही है तथा कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है।

भूमि उपयोगिता

वर्ष 2014-15 के भू-उपयोग सांख्यिकीय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 24170 हजार हेक्टेयर है जिसमें 1659 हजार हे. वन क्षेत्र, 462 हजार हे. ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि, 3046 हजार हे. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि, 405 हजार हे. कृष्य बेकार भूमि, 65 हजार हे. स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई की भूमि, 305 हजार हे. अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि की भूमि, 1122 हजार हे. वर्तमान परती तथा 509 हजार हे. भूमि अन्य परती की है। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 26147 हजार हे. कुल बोया गया क्षेत्रफल है जिसमें 16598 हजार हे. वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल तथा 9549 हजार हे. एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल है।

जोतों का आकार

कृषि गणना 2005-06 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में एक हे. से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 78.0 था जो कि वर्ष 2010-11 में बढ़कर 79.5 प्रतिशत हो गया। स्पष्ट है कि प्रदेश में जोतों का औसत आकार घटता जा रहा है। वर्ष 2010-11 की कृषि गणना के अनुसार प्रदेश में कुल कृषकों की संख्या 233.25 लाख है जिसमें से 215.68 लाख (92.5 प्रतिशत) कृषक लघु एवं सीमान्त श्रेणी के हैं। उनके पास प्रदेश के कुल कृषित क्षेत्रफल का 64.8 प्रतिशत कृषि क्षेत्रफल है अर्थात प्रदेश के कृषि विकास का भविष्य प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है किन्तु इन कृषकों की जोतों का आकार छोटा है अतः गहन खेती को बढ़ावा देकर कृषि को लाभप्रद बनाया जा सकता है। प्रदेश में कृषक परिवार तथा उनके अधीन जोतों के क्षेत्रफल की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् हैः

तालिका

प्रदेश में कृषक परिवार तथा उनके अधीन जोतों का क्षेत्रफल

क्र.सं.	वर्गीकरण	कृषक परिवार (लाख)	क्षेत्रफल (लाख हे. में)	क्षेत्रफल प्रति परिवार (हे.)
01.	सीमान्त कृषक	185.32	71.71	0.39

	क. सीमान्त कृषक (0.5 हे. से कम)	135.70	36.99	
	ख. सीमान्त कृषक (0.5 हे.-0.1 हे. से कम)	49.62	34.72	
02	लघु कृषक (0.1 हे.,-0.2 हे. तक)	30.35	42.43	0.27
	लघु कृषक (0.2 हे. तक)	215.68	114.13	
03	अन्य कृषक (0.2 हे. व उससे अधिक)	17.58	62.08	3.53
	कुल योग	**233.35**	**176.22**	**0.76**

प्रदेश में वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2016-2017 तक फसलों के अन्तर्गत आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है :

तालिका

फसल	आच्छादन (लाख हे.)		उत्पादन (लाख मी. टन में)		उत्पादकता कु./हे.	
	वर्ष 2001-01	वर्ष 2016-17	वर्ष 2001-01	वर्ष 2016-17	वर्ष 2001-01	वर्ष 2016-17
चावल	59.4	59.66	116.72	143.96	19.77	24.13
गेहूँ	92.39	98.85	251.68	349.71	27.24	25.38
धान्य	176.16	179.52	405.76	533.52	23.03	29.72
दलहन	26.92	25.09	21.61	23.94	8.03	9.54
खाद्यान्न	203.08	204.61	427.37	557.46	21.04	27.25
तिलहन	8.92	11.00	7.10	12.40	8.25	9.35

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि धान्य फसलों का कुल आच्छादन वर्ष 2000-01 में 176.16 लाख हे. था, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 179.52 हे. हो गया। दलहनी फसलों का आच्छादन वर्ष 2000-01 के 26.92 लाख हे. से घटकर वर्ष 2016-17 में 25.09 लाख हे. हो गया जबकि तिलहन के अन्तर्गत आच्छादन 8.92 लाख हे. से बढ़कर 11.00 हे. हो गया।

इन फसलों के उत्पादन की स्थिति का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि धान्य फसलों का उत्पादन वर्ष 2000-01 के 405.76 लाख मी. टन से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 533.52 लाख मी. टन हो गया। दलहन के औसत उत्पादन में वृद्धि हुई है और यह वर्ष 2001-01 के 21.61 लाख मी. टन से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 23.94 लाख मी. टन हो गया। तिलहन के अन्तर्गत उत्पादन विगत 17 वर्षों में बढ़ा है। यह वर्ष 2000-01 के 7.10 लाख मी. टन से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 12.40 लाख मी. टन हो गया है।

इसी प्रकार इन फसलों की उत्पादकता की स्थिति का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि धान्य फसलों की उत्पादकता वर्ष 2000-01 में 23.03 कुन्टल प्रति हे. से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 29.72 कुन्टल प्रति हे. हो गयी। दलहन फसलों की उत्पादकता वर्ष 2000-01 के 8.03 कु. प्रति हे. से बढ़कर 9.54 कु. प्रति हे. हो गयी तथा तिलहन फसलों की उत्पादकता वर्ष 2000-01 के 8.25 कु. प्रति हे. से बढ़ाकर 9.35 कु. प्रति हे. हो गयी।

उर्वरक

कृषि उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों की पर्याप्त आवश्यकता के साथ ही साथ रासायनिक

उर्वरकों का भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग वांछित है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015-16 में 42.30 लाख मी. टन रासायनिक उर्वरकों का उपभोग किया गया जो वर्ष 2016-17 (अनन्तिम) में बढ़कर 47.35 लाख मी. टन हो गया। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरकों की खपत का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका

उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की खपत

(हजार मी.टन में)

वर्ष	नाइट्रोजन (एन.)	फास्फेट (पी.)	पोटाश (के.)	योग
2011-12	3067	1024	167	4258
2012-13	3352	1166	133	4651
2013-14	2972	765	105	3842
2014-15	3169	915	187	4272
2015-16	2930	1098	202	4230
2016-17*	3347	1141	247	4735

*अनन्तिम

बीज वितरण

कृषि उत्पादन में वृद्धि उन्नतिशील बीजों पर निर्भर करती है। उन्नतशील बीजों के उत्पादन के साथ-साथ इनका ससमय वितरण भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015-16 में 6310.0 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 4812.80 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया, वहीं वर्ष 2016-17 में 5553.00 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 5093.59 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया। वर्ष 2017-18 में 5563.60 हजार कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य है।

वन

वृक्षों से ही भूमि संरक्षण, जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियों का वन प्राकृतिक वास है। उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल 21,505 वर्ग किमी. है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी. के सापेक्ष मात्र 8.93 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के मानक स्तर 33.33 प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014-15 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 241.70 लाख हे. था। वनों का क्षेत्रफल प्रदेश के प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 6.9 प्रतिशत है जबकि भारत में यह लगभग 23 प्रतिशत है। सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2016-17 (त्वरित अनुमान के अनुसार) में वनों का अंश रु.14052.05 करोड़ है, जो कि सकल राज्य आय का 1.2 प्रतिशत है। वर्ष 2016-17 में वन क्षेत्र की विकास दर 0.2 प्रतिशत है।

प्रदेश में मुख्य/गौण वनोपज

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 में 249 हजार घन मीटर इमारती लकड़ी, 5 हजार घन मी. चट्टा

जलाने की लकड़ी, 35 हजार कौड़ी बांस, 180 हजार मानक बोरी तेंदू पत्ता तथा 2 हजार कुन्तल भाभड़ घास का उत्पादन हुआ। विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका

उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

मद	वर्ष 2011-12	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17#
1. इमारती लकड़ी (हजार घन मी.)	193	228	212	249
(क) साल	27	32	15	18
(ख) सागौन	8	8	5	6
(ग) शीशम	12	14	12	15
(घ) खैर	3	3	2	3
(च) असना	-	1	1	2
(छ) यूकेलिप्टस	111	112	125	145
(ज) विविध	32	58	52	60
2. जलाने की लकड़ी (हजार घन मी.)	3	4	1	5
3. बांस (हजार कौड़ी)	40	25	29	35
4. तेंदू पत्ता (हजार मानक बोरी)	175	186	161	180
5. भाभड़ घास (हजार कुन्तल)	2	1	0	2

अनुमानित

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में सभी इमारती लकड़ियों का उत्पादन बढ़ा है। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 में गत वर्ष 2015-16 की अपेक्षा बांस तथा तेंदू पत्ता का उत्पादन भी बढ़ा है।

पशुधन

पशु सम्पदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक समृद्ध राज्य है। देश के कुल पशुधन का 13.4 प्रतिशत पशु सम्पदा उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश की लगभग 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण अंचल में निवास करती है जिसके जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। वर्ष 2016-17 के त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2016-17 में स्थायी भावों पर पशुपालन खण्ड की वृद्धि दर 2.3 प्रतिशत रही है, जबकि वर्ष 2015-16 में 3.7 प्रतिशत थी। वर्ष 2011-12 में प्रचलित भावों पर राज्य के निवल मूल्य वर्धन में पशुधन क्षेत्र का योगदान 7.1 प्रतिशत था, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गया।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 की पशु गणनानुसार कुल पशुओं की संख्या 687.16 लाख थी। इसमें गायों की संख्या 90.69 लाख तथा भैसों की संख्या 154.32 लाख थी, जो कुल पशुधन का क्रमशः 13.2 प्रतिशत व 22.5 प्रतिशत है। कुल गायों एवं भैसों की संख्या में दूध देने वाली गायों एवं भैसों की संख्या क्रमशः 64. 9 प्रतिशत तथा 68.3 प्रतिशत रही। वर्ष 2007 एवं 2012 की पशुगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पशुधन को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका

उत्तर प्रदेश में पशुधन संख्या

(हजार में)

मद	वर्ष 2007	वर्ष 2012	वृद्धि दर प्रतिशत में
1. कुल गोजातीय	19097	19557	2.41
(क) गाय*	6558	9069	38.29
1. दूध दे रही	4546	5883	29.41
2. दूध नहीं दे रही	1404	2372	68.95
2. कुल महिष जातीय	26440	30625	15.83
(ख) भैंस*	12869	15432	19.92
1. दूध दे रही	9186	10538	14.72
2. दूध नहीं दे रही	2575	3412	32.50
3. भेड़	1400	1354	(-)3.29
4. बकरी	14829	15586	5.10
5. सूकर	1987	1334	(-)32.86
6. अन्य पशुधन	212	260	22.64
कुल पशुधन	63966	68716	7.43
कुल कुक्कुट	17880	18668	4.41

* इसमें दुधारू, एक बार न व्यायी तथा अन्य मादाएं सम्मिलित हैं।

प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवा

वर्तमान में प्रदेश में पशु चिकित्सा एवं नस्ल सुधार हेतु 2202 पशु चिकित्सालय, 2575 पशु सेवा केन्द्र, 268 द श्रेणी पशु औषधालय, 25 सचल पशु चिकित्सालय, 05 पालीक्लीनिक, 01 केन्द्रीय प्रयोगशाला, 10 मण्डलीय प्रयोगशाला, 5043 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 03 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पाद केन्द्र एवं 01 पशु जैविक औषधि उत्पादन संस्थान मुख्य रूप से पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालकों को अपनी सेवायें प्रदान कर रहे हैं।

पशु उत्पाद एवं उत्पादकता

प्रदेश में वर्ष 2012-13 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 308 ग्राम थी, जो वर्तमान में बढ़कर 312 ग्राम प्रति दिन हो गयी है। उत्तर प्रदेश माँस उत्पादन में देश में अग्रणी प्रदेश है जिसके द्वारा लगभग देश का 60 प्रतिशत मांस का निर्यात किया जाता है। विभिन्न वर्षों में पशु उत्पादों की प्रगति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

उत्पादकता की तुलनात्मक स्थिति

उत्पाद	उत्पादकता की स्थिति		
	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
1. दूध (लाख कुन्तल)	2519.7 (4.1)	2638.7 (4.7)	2759.2 (4.6)

2.	अण्डा (लाख)	20774.50 (14.6)	21928.5 (5.6)	22889.4 (4.4)
3.	ऊन (हजार किग्रा.)	1494.0 (1.5)	1264.0 (-15.4)	1286.1 (1.7)
4.	माँस (लाख किग्रा.)	13971.84 (10.8)	14178.8 (1.5)	13461.1 (-5.1)

कोष्ठक में वृद्धि दर दर्शायी गयी है।

मत्स्य पालन

उत्तर प्रदेश का कुल अन्तर्स्थलीय मत्स्य उत्पादन 4.94 लाख मीट्रिक टन रहा है, जो आन्ध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के बाद भारत में तीसरा स्थान है। मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार पड़ी कृषि हेतु अनुपयुक्त भूमि/तालाब/पोखरों/जलाशयों का उपयोग करके अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है तथा ग्रामीण अंचल में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार का साधन जुटाने तथा सामाजिक व आर्थिक दशा सुधारने का एक अच्छा अवसर सुलभ कराया जा सकता है।

प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में समस्त स्रोतों से आंकलित मत्स्य उत्पादन 4.50 लाख मी. टन था जो 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के तृतीय वर्ष 2015-16 में 5.05 लाख मी.टन तथा वर्ष 2016-17 में 6.18 लाख मी. टन के स्तर तक पहुँच गया। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की त्रैमासिक गणना की जाती है। वर्ष 2017-18 में वार्षिक लक्ष्य 6.50 लाख मी.टन मत्स्य उत्पादन के सापेक्ष प्रथम त्रैमास में 2.52 लाख मी. टन मत्स्य उत्पादन हुआ।

तालिका

अनुमानित मत्स्य उत्पादन एवं औसत मत्स्य उत्पादकता

वर्ष	अनुमानित मत्स्य उत्पादन (लाख मी.टन) उपलब्धि	औसत मत्स्य उत्पादकता (किग्रा./हे./वर्ष) उपलब्धि
2011-12	4.30	3335
2012-13	4.50	3402
2013-14	4.64	3600
2014-15	4.94	4140
2015-16	5.04	4140
2016-17	6.18	4155

औद्योगिक विकास

प्रदेश सरकार द्वारा जारी राज्य आय के वर्ष 2016-17 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में विर्निमाण क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 4.1%, 13.7%, (-) 10.0%, 11.1% तथा 1.3% रही है। वर्ष 2016-17 में संगठित एवं असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में क्रमशः 1.8 प्रतिशत तथा 0.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्ष

2016-17 में कुल विनिर्माण में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र का योगदान क्रमशः 69.8 प्रतिशत एवं 32.2 प्रतिशत आंकलित किया गया है। प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में क्रमशः 12.9%, 12.3%, 12.8%, 11.1%, 11.1% तथा 10.4% रहा है। जब कि खनन क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2016-17 में योगदान क्रमशः 1.3 प्रतिशत तथा 10.9 प्रतिशत दृष्टिगोचर हुआ है। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में क्रमशः (-) 0.6, 10.1, 28.2, 30.3 तथा 35.1 प्रतिशत रही है। वहीं निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में क्रमशः 1.0 प्रतिशत, 1.1 प्रतिशत, 6.5 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत तथा 5.9 प्रतिशत रही है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी मदों में हुई प्रगति का आंकलन करने के लिए निम्नतालिका दी गई है। तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश का व्यापक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2004-05= 100) वर्ष 2015-16 में 132.73 था जो 1.7 प्रतिशत कम होकर वर्ष 2016-17 में 130.43 हो गया। सबसे अधिक वृद्धि (5.5 प्रतिशत) खाद्य विनिर्माण वर्ग में हुई। गत वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में सूती कपड़ा, रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त), मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग, यातायात उपकरण एवं पुर्जे तथा अन्य वर्ग के उत्पादन सूचकांकों में कमी परिलक्षित हुई।

तालिका

उत्तर प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2004-05= 100)

क्रमांक	उद्योग वर्ग	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		2015-16	**2016-17**	**प्रतिशत वृद्धि**
1.	खाद्य विनिर्माण	201.94	212.98	5.5
2.	पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	134.60	140.39	4.3
3.	सूती कपड़ा	129.02	124.43	(-)3.6
4.	रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त)	122.09	111.34	(-)8.8
5.	मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग	100.76	102.48	1.7
6.	यातायात उपकरण एवं पुर्जे	229.07	207.53	(-)9.4
7.	अन्य	98.76	94.15	(-)4.7
	विनिर्माण सूचकांक	**132.73**	**130.43**	**(-)1.7**

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

सीमेंट, चीनी, वनस्पति एवं वस्त्र उद्योग आदि की गिनती प्रदेश के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्यागों में की जाती है। ये उद्योग लोगों को रोजगार तो सुलभ कराते ही हैं, साथ ही उनके उत्पाद से दैनिक जीवन की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन उद्योगों का सुदृढ़ होना प्रदेश के आर्थिक स्तर को ऊँचा करता है। इन मदों से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दृष्टिगत हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

वर्ष	चीनी# (हजार मी.टन)	सीमेन्ट (हजार मी.टन)	वनस्पति तेल** (हजार मी.टन)	सूती कपड़ा (लाख वर्ग मी.)	सूत (हजार मी.टन)
2004-05	5037	4228	301	263	83
2005-06	5784	4881	283	268	51
2006-07	8475	5141	258	252	51
2007-08	7320	5298	261	122	46
2008-09	4064	6033	302	43	38
2009-10	5179	5875	200	6	41
2010-11	5887	7052	145	-	-
2011-12	6974	7021	113	-	-
2012-13	7485	-	-	51	40
2013-14	6495	-	-	49	40
2014-15	7100	-	-	30	39
2015-16	8773	-	-	43	42

\+ केवल मिल क्षेत्र

\# अक्टूबर से सितम्बर तक

** नवम्बर से अक्टूबर तक

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि चीनी के उत्पादन में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही है। चीनी के उत्पादन में वर्ष 2015-16 (8773 हजार मी.टन) में वर्ष 2014-15 (7100 हजार मी.टन) की तुलना में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार सीमेन्ट का उत्पादन वर्ष 2004-05 से वर्ष 2008-09 तक निरन्तर वृद्धि को प्रदर्शित करता है। सीमेन्ट के उत्पादन में वर्ष 2009-10 (5875 हजार मी.टन) में वर्ष 2008-09 (6033 हजार मी.टन) की तुलना में तथा वर्ष 2011-12 (7021 हजार मी. टन) में वर्ष 2010-11 (7052 हजार मी.टन) की तुलना में कमी आई है। वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 को छोड़कर वनस्पति तेल का उत्पादन विगत वर्षों की तुलना में कमी को प्रदर्शित करता है। प्रदेश में सूती कपड़े एवं सूत के उत्पादन में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही है।

खनिज

आर्थिक विकास में खनिजों का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में मुख्य खनिजों तथा उप खनिजों के खनन के फलस्वरूप प्रदेश को न केवल भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो रही है, अपितु बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थों के अन्तर्गत बाक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूने का पत्थर, मेग्नेसाइट ओकर (गेरू), फास्फोराइट, पायरोफाइलाइट सिलिका सैण्ड, गन्धक, स्टीटाइट तथा कोयला आदि की गणना की जाती है, जबकि साधारण बालू, इमारती पत्थर, ईंट बनाने की मिट्टी, मौरंग, बजरी, कंकड़

शोरा, संगमरमर तथा लाइमस्टोन की गणना उप खनिज पदार्थों के अन्तर्गत की जाती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र.सं.	खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य (लाख रु.में) वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत	परिमाण ('000 मी.टन) वर्ष		गतवर्ष की की अपेक्षा प्रतिशत
		2015-16	2016-17*	वृद्धि	2015-16	2016-17*	वृद्धि
1.	स्टीटाइट	-	-	-	-	-	-
2.	गन्धक	-	-	-	47836	42013	(-)12.17
3.	कोयला	136930	155405	13.50	12689	14401	13.49
4.	चूने का पत्थर	3965	3776	(-)4.77	2596	2443	(-) 5.89

* अनन्तिम

उप खनिज पदार्थों की भी अपनी महत्ता है। इन पदार्थों की उपलब्धता भी देश/प्रदेश के आर्थिक स्तर के लिए काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इनके उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में उप खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र. सं.	उप खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य (लाख रु.में) वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत	परिमाण (लाख घन मी.) वर्ष		गतवर्ष की की अपेक्षा प्रतिशत
		2015-16	2016-17*	वृद्धि	2015-16	2016-17	वृद्धि
1.	साधारण बालू	36453.14	13061.70	(-)64.2	165.70	36.28	(-)78.1
2.	स्लैब स्टोन	2295.85	3204.00	39.6	0.79	0.71	(-)10.1
3.	मिट्टी	306408.83	578653.22	88.9	480.57	526.05	9.5
4.	ग्रेनाइट	3911.17	4961.25	26.8	0.24	0.18	(-)25.0
5.	ईंट बनाने की मिट्टी	195375.0	395622.50	102.5	488.44	791.25	62.0
6.	मौरंग	46835.48	23169.65	(-)50.5	62.45	23.17	(-)62.9
7.	बजरी	1194.29	286.36	(-)76.0	3.14	0.38	(-)87.9

* अनन्तिम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में

साधारण बालू, मौरंग तथा बजरी को छोड़कर शेष उप खनिज पदार्थों के उत्पादन के मूल्य में वृद्धि परिलक्षित हुई है। सर्वाधिक (102.5 प्रतिशत) ईंट बनाने की मिट्‌टी के मूल्य में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में साधारण बालू, स्लैब स्टोन, ग्रेनाइट, मौरंग एवं बजरी को छोड़कर शेष खनिज पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

सेवा क्षेत्र

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन संग्रहण तथा संचार, व्यापार होटल एवं जलपान गृह, बैंक व्यापार तथा बीमा, स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं खण्ड सम्मिलित हैं।

सेवा खण्ड का निष्पादन

आधार वर्ष 2011-12 पर जारी प्रदेश के वर्ष 2016-17 के त्वरित अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय के वर्गीकरण के तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, का प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में स्थायी भावों पर लगभग 50.1 प्रतिशत का अंशदान है जबकि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 25.4 प्रतिशत तथा 24.5 प्रतिशत है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र का महत्त्व स्वयं सिद्ध है। वर्ष 2015-16 व वर्ष 2016-17 में इस क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 8.1 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत रही है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12 में 45.5 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2016-17 में 49.0 प्रतिशत हो गया है।

प्रदेश में सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर तथा प्रतिशत वितरण

स्थायी भावों पर

मद	वर्ष					
	2011-12	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16***	**2016-17#**
वृद्धि दर	-	6.8	7.1	9.2	8.1	7.5
प्रतिशत वितरण	45.5	46.3	47.0	49.6	50.0	50.1

* अनन्तिम   # त्वरित अनुमान

परिवहन

परिवहन एवं व्यापार सम्बन्धी क्रिया-कलापों का विकास एवं विस्तार सड़कों के विकास पर निर्भर करता है। कृषि एवं औद्योगिक विकास में सड़क एवं संचार जैसी अवस्थापनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कच्चे मालों की आपूर्ति तथा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिए परिवहन का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

सड़क

सड़क नेटवर्क अर्थव्यवस्था के निरन्तर और समावेशी विकास के लिए महत्त्वपूर्ण घटक है। यह देश भर में यात्रियों की आवाजाही और माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करता है। परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सड़क परिवहन अपनी लास्टमाईल कनेक्टीविटी की भूमिका की वजह से महत्त्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में भारत में यात्रियों की आवाजाही तथा माल की ढुलाई का कार्य तेजी से सड़क परिवहन क्षेत्र की ओर स्थानान्तरित हुआ है।

प्रदेश के विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्गों एवं सेतुओं की विशेष भूमिका है। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत मार्गों की कुल लम्बाई सम्बन्धी आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका
रोड नेटवर्क की वर्तमान स्थिति

क्र. सं.	मार्ग का वर्गीकरण	31.3.2014 तक	31.3.2015 तक	31.3.2016 तक	वर्तमान स्थिति
1.	राष्ट्रीय मार्ग (किमी.)	7550	7572	7572	7633
2.	राज्य मार्ग (किमी.)	7543	7597	7147	7202
3.	प्रमुख जिला मार्ग (किमी.)	7338	7338	7637	7486
4.	अन्य जिला मार्ग (किमी.)	42434	43512	46006	47576
5.	ग्रामीण मार्ग (किमी.)	141593	149193	163035	169051
	योग	**206458**	**215212**	**231397**	**238948**

स्रोत- लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

सड़क परिवहन

सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेशवासियों को सस्ती एवं सुगम परिवहन सेवायें सुलभ कराने के उद्देश्य से उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गयी है। इन सेवाओं से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका
उत्तर प्रदेश में राजकीय सड़क परिवहन परिचालन के आंकड़े

क्र. सं.	मद	वर्ष				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में प्रतिशत वृद्धि
1.	औसत परिचालित बसें (सं.)	9318	9128	9269	10526	13.56
2.	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्ग (सं.)	2403	2384	2357	2711	15.02
3.	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की औसत लम्बाई (किमी.)	241	236	224	251	12.05
4.	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की कुल लम्बाई (हजार किमी.)	580	562	529	681	28.73
5.	दैनिक कुल परिचालित दूरी (हजार किमी.)	3220	3169	3238	3703	14.36
6.	प्रतिदिन ले जाये गये यात्री (लाख)	14.67	14.90	15.19	15.47	1.84
7.	दुर्घटनाएं (प्रति लाख किमी.)	0.08	0.08	0.07	0.06	(-)14.29
8.	कुल दुर्घटनाएं (सं.)	766	726	630	648	2.86

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के कारण आवागमन एवं यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में राजकीय एवं निजी क्षेत्रों की गाड़ियों से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका

उत्तर प्रदेश में सड़क पर चल रही मोटर गाड़ियां

क्र.सं.	मद	मोटर गाड़ियों की संख्या 31 मार्च को वर्ष 2014-15	2015-16	2016-17*	वर्ष 2015-16 की अपेक्षा वर्ष 2016-17 में प्रतिशत वृद्धि
1.	मोटर साइकिल	17398458	19258791	21127282	9.7
2.	कार	2063230	2330459	2594197	11.3
3.	बस	51866	57939	75309	30.0
4.	टैक्सी	350855	380024	429245	13.0
5.	ट्रक	445675	494714	549526	11.1
6.	ट्रैक्टर	1197985	1276927	1338243	4.8
7.	अन्य	127461	137512	151444	10.1
	कुल	**21635530**	**23936366**	**26265246**	**9.7**

*अनन्तिम

विद्युत

विद्युत सुविधा की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था के बिना समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। राज्य सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में इस मद हेतु 49839.95 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत है जिसमें उक्त मद पर वर्ष 2013-14 में 6975.00 करोड़ रुपये व्यय किये गये। वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में उक्त मद पर व्यय (आंतरिक संसाधनों एवं अन्य स्रोतों से व्यय सम्मिलित) क्रमशः 7486.52 करोड़ रुपये, 10052.66 करोड़ रुपये एवं 15169.36 करोड़ रुपये रहा। उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग

क्र.सं.	मद	वर्ष 2015-16	2016-17	गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
1.	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	6159.0	7159.0	16.2
2.	उपभोग (मिलियन यूनिट)	68825.1	78307.7	13.8
3.	कुल उत्पादन (मिलियन यूनिट)	28043.5	30172.5	7.6
4.	उपभोक्ताओं की संख्या (हजार में)	17169.0	18013.5	4.9

5.	राजस्व वसूली (करोड़ रु.)	31487.9	532886.8	4.4
6.	विद्युत बकाया (करोड़ रु.)	25029.5	31274.5	25.0

स्रोत- उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नियोजन स्कन्ध, लखनऊ

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016-17 में उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड की विद्युत अधिष्ठापित क्षमता 7159.0 मेगावाट है जो गत वर्ष 2015-16 की अधिष्ठापित क्षमता 6159.0 मेगावाट की तुलना में 16.2 प्रतिशत अधिक है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 में कुल विद्युत उत्पादन 30172.5 मिलियन यूनिट है जो गत वर्ष 2015-16 के कुल उत्पादन 28043.5 मिलियन यूनिट की तुलना में 7.6 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 2016-17 में 18013.5 हजार है जो गतवर्ष 2015-16 के उपभोक्ताओं की संख्या 17169.0 हजार से 4.9 प्रतिशत अधिक है।

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग की संख्या सम्बन्धी आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाय गये हैः

तालिका

उत्तर प्रदेश एवं भारत के कुछ अन्य प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग की संख्या सम्बन्धी आंकड़े वर्ष 2015-16

क्र. सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन (कि. वाट घंटा)	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (कि. वाट घंटा)
1.	आन्ध्र प्रदेश	536	1230
2.	बिहार	2	258
3.	झारखण्ड	266	884
4.	गुजरात	1509	2248
5.	हरियाणा	878	1936
6.	कर्नाटक	808	1242
7.	केरल	196	704
8.	मध्य प्रदेश	840	929
9.	छत्तीसगढ़	1682	2022
10.	महाराष्ट्र	1030	1318
11.	ओडिशा	672	1564
12.	पंजाब	1159	1919
13.	राजस्थान	762	1164
14.	तमिलनाडु	729	1688
15.	पश्चिम बंगाल	375	660
16.	उत्तर प्रदेश	226	524
17.	उत्तराखण्ड	722	1431
18.	हिमांचल प्रदेश	1567	1339
19.	असम	59	322
20.	गोवा	0	2738
	भारत	920	1075

विद्युतीकृत ग्राम

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों (राजस्व) की संख्या वर्ष 2016-17 में 97921 है। 24 x 7 पावर फार आल के अन्तर्गत मार्च 2019 तक प्रदेश में समस्त ग्रामों को 24 घण्टे बिजली दिये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं द्वारा अविद्युतीकृत ग्रामों को विद्युतीकृत किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति बस्तियों की दशा सुधारने के लिए उनमें विद्युतीकरण हेतु यथोचित प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2016-17 के अन्त तक 99462 अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण कार्य कराया जा चुका है।

वैकल्पिक ऊर्जा

ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों में निरन्तर कमी होने एवं उनके अधिकाधिक उपयोग से बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या के निदान हेतु ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के उपयोग को प्रभावी बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1983 में प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण (यू.पी. नेडा) का गठन किया गया। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अभिकरण द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण जैसे अनेक ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकी के विकास एवं प्रचार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012-2017) में रु.1500 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत है जिसमें से वर्ष 2012-13 में रु. 33.82 करोड़, वर्ष 2013-14 में रु 41.35 करोड़, वर्ष 2014-15 में रु. 99.30 करोड़, वर्ष 2015-16 में रु. 452.67 करोड़ एवं वर्ष 2016-17 में रु 259.60 करोड़ रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों में व्यय की गयी।

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2013 प्रख्यापित की गयी। इस नीति के अन्तर्गत मार्च 2017 तक कुल 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की अधिस्थापना लक्षित है जिसके सापेक्ष प्रदेश में कुल 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2016-17 में कुल 60 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनायें स्थापित की गयीं। वर्ष 2017-18 में 30 सितम्बर 2017 तक सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा 100 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनायें स्थापित की गयीं।

संचार

संचार माध्यमों के अन्तर्गत डाकघरों का अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि इनके माध्यम से जनसामान्य को सस्ती एवं सुलभ संदेशवाहन सेवा उपलब्ध होने के साथ ही अल्प बचत कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायता मिलती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011-12 में कुल डाकघरों की संख्या 17669 थी जिनमें 1925 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15744 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थे। वर्ष 2016-17 में इनकी संख्या बढ़कर 17670 हो गई जिनमें 1935 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15735 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध थे। उत्तर प्रदेश में डाकघरों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका

उत्तर प्रदेश डाकघरों की संख्या (31 मार्च को)

मद	वर्ष				
	2011-12	**2012-13**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
डाकघरों की संख्या	17669	17680	17655	17662	17670
(क) नगरीय	1925	1933	1925	1933	1935
(ख) ग्रामीण	15744	15747	15730	15729	15735

दूरभाष

दैनिक जीवन में तथा व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक क्रियाकलापों में दूरभाष सेवाओं का बड़ा महत्त्व है। वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश में कुल 654806 बेसिक टेलीफोन तथा 3103 टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत थे। वर्ष 2016-17 में बेसिक टेलीफोन कनेक्शन तथा टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या घटकर क्रमशः 619110 एवं 3087 हो गयी। मोबाइल सेवा के बृहद् विस्तार के परिणाम स्वरूप ही बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या में कमी होना प्रतीत होता है। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 में प्रदेश में इन्टरनेट सब्सक्राइबर एवं मोबाइल कनेक्शन की संख्या क्रमशः 276766 तथा 12099 हजार थी जो वर्ष 2016-17 में क्रमशः 192569 एवं 15311 हजार हो गयी। उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इण्टरनेट सब्सक्राइबर एवं मोबाइल कनेक्शन की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइबर एवं मोबाइल कनेक्शन की स्थिति

वर्ष	बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या	टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या	इन्टरनेट सब्सक्राइबर की संख्या	मोबाइल कनेक्शन की संख्या (हजार में)
2015-16	654806	3103	276766	12099
2016-17	619110	3087	192569	15311

शिक्षा

प्रदेश के विकास में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को वास्तविक गति प्रदान कर सकते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है जिसमें पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत 77.3 तथा महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत 57.2 है जबकि इसी अवधि में भारत का साक्षरता प्रतिशत 73.0 है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार देश में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक केरल राज्य में (94.0 प्रतिशत) रहा, जो भारत के साक्षरता प्रतिशत (73.0) से भी अधिक है। अन्य राज्यों हिमांचल प्रदेश (82.8 प्रतिशत), महाराष्ट् 82.3 प्रतिशत), तमिलनाडु (80.1 प्रतिशत) एवं उत्तराखंड (78.8 प्रतिशत) आदि की तुलना में उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत (67.7 प्रतिशत) कम है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इनमें विषमताएं देखने को मिलती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में (69.3) तथा सबसे कम पूर्वी क्षेत्र में (67.4) है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में सुधार हुआ है- जहाँ वर्ष 1991 में उ.प्र. में साक्षरता 40.07 प्रतिशत थी वहीं 15.06 प्वॉइन्ट बढ़कर वर्ष 2001 में 56.03 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में 67.7 प्रतिशत हो गयी किन्तु अभी भी प्रदेश एवं राष्ट्र स्तर की साक्षरता में 5.3 प्रतिशत प्वॉइन्ट का अन्तर है।

तालिका

उत्तर प्रदेश विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत

क्र.सं.	आर्थिक क्षेत्र	साक्षरता प्रतिशत वर्ष 2001			साक्षरता प्रतिशत वर्ष 2011		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1.	पूर्वी	54.3	68.6	39.1	67.4	78.1	56.2
2.	पश्चिमी	57.4	68.8	44.0	67.5	76.5	57.2
3.	केन्द्रीय	57.6	68.1	45.5	68.3	76.3	59.3
4.	बुन्देलखण्ड	59.3	73.1	43.1	69.3	79.9	57.1
	उत्तर प्रदेश	56.3	68.8	42.2	67.7	77.3	57.2
	भारत	64.8	75.3	53.7	73.0	80.9	64.6

प्रदेश में शिक्षण सुविधायें

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015-16 में जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या 168913 थी जो वर्ष 2016-17 में घटकर 167049 हो गयी। इसी प्रकार सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या वर्ष 2015-16 में 76909 थी जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 77284 हो गयी। वर्ष 2015-16 में हायर सेकेन्डरी विद्यालयों की संख्या 24647 थी जो वर्ष 2016-17 में 5.07 प्रतिशत बढ़कर 25896 हो गयी।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015-16 में जूनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 422 हजार थी जो वर्ष 2016-17 में 59.24 प्रतिशत बढ़कर 672 हजार हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 में सीनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 260 हजार थी जो वर्ष 2016-17 में 24.23 प्रतिशत बढ़कर 323 हजार हो गयी। वर्ष 2015-16 में हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 286 हजार थी जो वर्ष 2016-17 में 3.5 प्रतिशत बढ़कर 296 हजार हो गयी।

प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विद्यालयों/विद्यार्थियों की संख्या

वर्ष 2016-17 में प्रति लाख जनसंख्या पर जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक 71 थी, जबकि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में यह सबसे कम 54 थी और इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या 52 थी।

इसी प्रकार वर्ष 2016-17 में प्रति लाख जनसंख्या पर सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक 33 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम 19 पश्चिमी क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 21 रही। वर्ष 2016-17 में प्रति लाख जनसंख्या पर हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों की संख्या पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्र में 12 तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सबसे कम 10 रही जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 12 थी।

वर्ष 2016-17 में जूनियर बेसिक विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (37) केन्द्रीय क्षेत्र में तथा सबसे कम (35) पश्चिमी क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 36 रही। सीनियर बेसिक विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक (34) पश्चिमी एवं केन्द्रीय क्षेत्र में तथा सबसे कम (27) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 33 रही। वर्ष 2016-17 में हायर सेकेन्ड्री विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (51) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (42) केन्द्रीय क्षेत्र में रही, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 47 रही।

तालिका

उत्तर प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों/ प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या (2016-17)

क्र.सं.	आर्थिक क्षेत्र	प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या			प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या		
		जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री
1.	पूर्वी	54	21	12	36	33	51
2.	बुन्देलखण्ड	71	33	10	32	27	46
3.	पश्चिमी	46	19	12	35	34	44
4.	केन्द्रीय	55	21	11	37	34	42
	उत्तर प्रदेश	52	21	12	36	33	47

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी है जो देश के समृद्ध भविष्य का निर्माण करती है। प्रदेश सरकार ने बालक एवं बालिकाओं की शैक्षिक गुणवत्ता के सम्वर्द्धन हेतु प्रासंगिक पाठ्यक्रम तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनेक अभिनव प्रयास किये हैं जिससे माध्यमिक शिक्षा उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कर सके। माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा (आधारिक शिक्षा) एवं उच्च शिक्षा के बीच सेतु के रूप में कार्य करती है। यहाँ बालक बालिकाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों हेतु, सुशिक्षित, चरित्रवान सुयोग्य मानव संसाधन के रूप में विकसित कर आगे बढ़ाने का कार्य सम्पन्न किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 2109 राजकीय, 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 19275 वित्त-विहीन कुल 25896 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

उच्च शिक्षा

प्रदेश के नियोजित विकास में उच्च शिक्षा का विशेष योगदान है। सरकार उच्च शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु कटिबद्ध है। लोक कल्याण को वरीयता देते हुए शैक्षिक रूप से अविकसित तथा पिछड़े क्षेत्र में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है। प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों को आधुनिकतम संसाधनों से परिपूर्ण किया जा रहा है, साथ ही इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि छात्र/छात्राओं को व्यवसायपरक एवं कौशल विकास से परिपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाये जिससे प्रदेश का युवा वर्ग स्वावलम्बी बन सके। प्रदेश में स्नातक एवं परास्नातक स्तर के शिक्षण संस्थान एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित आंकड़े निम्नवत् हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में डिग्री स्तर की शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या

क्र.सं.	संस्था	वर्ष		
		2014-15	2015-16	2016-17
1.	विश्वविद्यालयों की संख्या	36	38	45
	(क) राज्य विश्वविद्यालय	13	14	16
	(ख) मुक्त विश्वविद्यालय	01	01	01

	(ग) डीम्ड विश्वविद्यालय	01	01	01
	(घ) निजी विश्वविद्यालय	21	22	27
2.	महाविद्यालयों की संख्या	4746	5158	5866
	(क) राजकीय महाविद्यालय	138	138	158
	(ख) अशासकीय महाविद्यालय	331	331	331
	(ग) स्ववित्त पोषित महाविद्यालय	4277	4689	5377
3.	महाविद्यालय में छात्र संख्या (हजार में)	4137	5188	5519
	(क) छात्र	2405	2462	2726
	(ख) छात्राएं	1732	2726	2793

प्राविधिक शिक्षा

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्कर्षकाल है। नित्य नई प्राविधियाँ विकसित हो रही हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्धा से श्रेष्ठता व गुणवत्ता के नवीन आयाम जन्म ले रहे हैं। विकास के ऐसे क्रान्तिक परिदृश्य में प्राविधिक शिक्षा की विशेष प्रासंगिकता है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा उभरती हुई प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार किये जाने एवं उपलब्ध मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग किये जाने की प्रबल संस्तुति की गयी है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, जेण्डर गैप को कम करने तथा अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति के लोगों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी संस्थाएं स्थापित किये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र स्तर की त्रिस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

इसके अतिरिक्त दिव्यांगों एवं अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ राज्य के विभिन्न जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान (एम.एस.डी.पी.) के अन्तर्गत केन्द्र के आर्थिक सहयोग से पालीटेक्निक स्थापित किये जा रहे हैं। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी पालीटेक्निकों की स्थापना की जा रही है।

तालिका

उत्तर प्रदेश में डिग्री/डिप्लोमा स्तर के प्राविधिक संस्थाओं की प्रगति

क्र.सं.	संस्थाएं	वर्ष		
		2014-15	**2015-16**	**2016-17**
1.	इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या	10	13	12
	(क) प्रवेश क्षमता	2660	2949	3518
	(ख) वास्तविक प्रवेश	2404	2507	3021
2.	डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं की संख्या	118	120	145
	(क) प्रवेश क्षमता	37770	37170	37170
	(ख) वास्तविक प्रवेश	27412	29672	34890

विभिन्न राज्यों के साथ अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक स्थिति में प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है जिसे निम्न तुलनात्मक विवरण में द ाया गया हैः

तालिका

अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्थाओं की संख्या (राजकीय एवं सहायता प्राप्त)	स्थान/ रैंक
1.	कर्नाटक	147	प्रथम
2.	उत्तर प्रदेश	145	द्वितीय
3.	आन्ध्र प्रदेश	86	तृतीय
4.	तमिलनाडु	85	चतुर्थ
5.	महाराष्ट्र	77	पंचम
6.	पंजाब	37	षष्टम्

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

लोक कल्याणकारी राज्य की मुख्य प्राथमिकता जनसाधारण को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निरन्तर विस्तार हो रहा है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्डिकेटर की दृष्टि में प्रदेश

प्रदेश सरकार के सतत प्रयास से स्वास्थ्य एवं जनांकिकीय संकेतकों में पर्याप्त सुधार आया है। अभी भी उत्तर प्रदेश इन संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से पीछे है, जैसा कि निम्न तालिका से परिलक्षित हो रहा है:

तालिका

प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

क्र.सं.	मद	वर्ष			
		2015		2016	
		उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत
1.	जन्म दर	26.7	20.8	26.2	20.4
2.	मृत्यु दर	7.2	6.5	6.9	6.4
3.	शिशु मृत्यु दर	46	37	43	34

स्रोत : एस.आर.एस. बुलेटिन महारजिस्ट्रार, भारत सरकार।

प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर में कमी लाना सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है। मातृत्व मृत्यु दर से तात्पर्य प्रतिवर्ष एक लाख जीवित जन्म पर माताओं की मृत्यु दर से है। अद्यतन एस.आर.एस. बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर मातृत्व मृत्यु दर वर्ष 1997-98 में क्रमशः 606 एवं 398 थी जो घटते हुए वर्ष 2011-2013 में क्रमशः 285 तथा 167 हो गयी। स्पष्ट है कि प्रदेश में मातृत्व दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

तालिका
भारत एवं प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

वर्ष	मातृत्व मृत्यु दर	
	उत्तर प्रदेश	भारत
1997-98	606	398
1999-01	593	327
2001-03	517	301
2004-06	440	254
2007-09	359	212
2010-12	292	176
2011-13	285	167

वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 3.19 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सब से कम 2.00 केन्द्रीय क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक 51.06 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सबसे कम 34.92 पश्चिमी क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 2.93 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सबसे कम 1.42 पश्चिमी क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक 9.27 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सबसे कम 4.18 पश्चिमी क्षेत्र में रही। जैसा कि तालिकागत आंकड़ों से स्पष्ट है:

तालिका
प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या (2016-17)

आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/ यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/ यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या
1. पूर्वी	2.48	40.18	2.02	5.54
2. बुन्देलखण्ड	3.19	51.06	2.93	9.27
3. पश्चिमी	2.05	34.92	1.42	4.18
4. केन्द्रीय	2.00	46.56	1.88	5.89
उत्तर प्रदेश	2.27	39.87	1.82	5.27

उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं

प्रदेश के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों का विवरण

क्र.सं.	मद	एलोपैथिक		आयुर्वेदिक एवं यूनानी		होम्योपैथिक	
		वर्ष					
		1.1.16	1.1.17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
1.	चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या	5112	5117	2370	2370	1575	1575
2.	शैय्याओं की संख्या	86399	86729	11077	11077	388	388
3.	चिकित्सित रोगियों की संख्या (हजार में)	106241	117165	37994	30525	26116	25697

परिवार कल्याण

बढ़ती हुई जनसंख्या देश एवं प्रदेश के विकास में एक प्रमुख अवरोधक है। अतः इसको नियंत्रित करने तथा जन सामान्य को इससे होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु परिवार नियोजन एवं मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 में कुल 294.32 हजार व्यक्तियों ने नसबन्दी करायी जो वर्ष 2015-16 के 252.17 हजार की तुलना में 16.5 प्रतिशत अधिक था। इनमें वर्ष 2016-17 में नसबन्दी कराने वाले पुरुषों की संख्या 8.22 हजार थी जो गत वर्ष 3.10 हजार की तुलना में 165.2 प्रतिशत अधिक था। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 में महिला नसबन्दी की संख्या 286.10 हजार थी जो गतवर्ष 249.61 हजार की तुलना में 14.6 प्रतिशत अधिक था।

प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में वर्ष 2015-16 में लूप निवेशन तथा कापर टी, ओरल पिल्स एवं सी.सी. का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः 1431.88 हजार, 362.96 हजार तथा 807.85 हजार थी। वर्ष 2016-17 में लूप निवेशन तथा कापर टी, ओरल पिल्स एवं सी.सी. का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः 1441.97 हजार, 345.03 हजार तथ 600.44 हजार हो गयी।

महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को टिटनेस एवं बच्चों को काली खांसी, पोलियो इत्यादि के टीके लगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015-16 में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 46.91 लाख टी.टी., 43.92 लाख डी.टी.पी., 45.05 लाख पोलियो, 49.95 लाख बी.सी.जी. एवं 45.86 लाख मीजिल्स के टीके लगाये गये। वर्ष 2016-17 में टिटनेस, पोलियो, बी.सी.जी. एवं मीजिल्स के टीकों की संख्या क्रमशः 45.77 लाख, 43.95 लाख, 49.57 लाख एवं 45.46 लाख हो गयी।

स्वच्छ पेयजल एवं जलोत्सारण सुविधा

जन सामान्य के स्वस्थ जीवन हेतु स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ वातावरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 में पेयजल सुविधा युक्त नगरों की संख्या 631 तथा इससे लाभान्वित

जनसंख्या 441 लाख थी। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 में पेयजल सुविधायुक्त पूर्ण आच्छादित मजरों की संख्या 260110, आंशिक आच्छादित मजरों की संख्या शून्य तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 1698 लाख थी। प्रदेश में वातावरणीय स्वच्छता हेतु जलोत्सारण सुविधायुक्त नगरों की संख्या 55 तथा इनसे लाभान्वित जनसंख्या 40 लाख थी।

श्रम शक्ति एवं सेवायोजन

श्रम शक्ति का अभिप्राय 15-59 वय वर्ग की जनसंख्या से लगाया जाता है और इसी वय वर्ग के व्यक्तियों से रोजगार हेतु उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है।

प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 658.15 लाख कुल कर्मकर थे, जिनमें 190.58 लाख कृषक, 199.39 लाख कृषि श्रमिक, 38.99 लाख पारिवारिक उद्योगों तथा 229.19 लाख अन्य कार्यों में लगे कर्मकार थे। कुल कर्मकरों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या क्रमशः 446.35 लाख तथा 211.79 लाख थी।

प्रदेश में कुल कर्मकारों का विवरण (2011 जनगणनानुसार) तालिका में दिया जा रहा है-

मद	कर्मकर	कर्मकरों का प्रतिशत
1	2	3
1. कृषक (लाख)	190.58	29.0
2. कृषि श्रमिक (लाख)	199.39	30.3
3. पारिवारिक उद्योग (लाख)	38.99	5.9
4. अन्य (लाख)	229.19	34.8
कुल कर्मकर	**658.15**	**100.00**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों में 29.0 प्रतिशत कृषक के रूप में, 30.3 प्रतिशत कृषि श्रमिक के रूप में, 5.9 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग धन्धों में तथा 34.8 प्रतिशत अन्य कार्यों में कर्मकर लगे हैं।

सेवायोजन सेवा

सेवायोजन सेवाओं के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालयों द्वारा मुख्य रूप से बेरोजगार अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु पंजीयन तथा उन्हें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में वैतनिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचित रिक्तियों की पूर्ति हेतु सम्प्रेषित करना, व्यवसाय मार्ग निर्देशन कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार बाजार में उपलब्ध प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा के अवसरों के सम्बन्ध में बेरोजगार अभ्यर्थियों को सम्यक् एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना, स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना एवं ऋण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करना, समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवानियोजकता तथा कौशल में वृद्धि करना, रोजगार/बेरोजगारी के विभिन्न आयामों के सम्बन्ध में सूचनाओं का एकत्रीकरण, संकलन, प्रचार एवं प्रसार आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में 106 सेवायोजन कार्यालय, 16 जनपदों में विकलांगों हेतु विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय, 13 विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र, 03 नगर सेवायोजन कार्यालय तथा मुख्यालय स्तर पर 01 व्यवसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवा-योजन कार्यालय स्थापित हैं। सेवायोजन से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका
उत्तर प्रदेश में सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार सृजन सम्बन्धी आंकड़े

क्र.सं.	मद	वर्ष		गतवर्ष की अपेक्षा
		2015-16	**2016-17**	**प्रतिशत वृद्धि**
1.	पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	757637	619704	(-)18.2
2.	अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	1631	963	41.0
3.	अधिसूचित रिक्तियों में सम्प्रेषण	30098	9459	68.6
4.	सवेतन रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	43025	68521	(-)59.3
5.	स्वतः रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	827	325	(-)60.7
6.	वर्ष के अन्त में सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या (हजार में)	3403	3178	(-)6.6

प्रदेशवासियों को सवैतनिक रोजगार सुलभ कराने में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में सेवायोजनाओं से सम्बन्धित आंकड़ा निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका
उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च 2015	**मार्च 2016**	**प्रतिशत वृद्धि**
1.	केन्द्र सरकार	726	722	(-)0.55
2.	राज्य सरकार	8383	8379	0.00
3.	अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	5563	5571	0.14
4.	अर्द्ध सरकार (राज्य)	1603	1602	(-)0.06
5.	स्थानीय निकाय	1325	1326	(-)0.08
	योग	**17600**	**17600**	**0.00**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में मार्च 2015 से मार्च 2016 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल अधिष्ठानों की संख्या अपरिवर्तित रही। प्रदेश में मार्च 2015 के अन्त में 17600 अधिष्ठान सेवायोजक पंजिका पर उपलब्ध थे, जो मार्च 2016 में भी यथावत 17600 ही रहे। आलोच्य वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र में अर्द्ध सरकार (केन्द्र) के अधिष्ठानों की संख्या में सर्वाधिक 0.14 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

तालिका
उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च 2015	**मार्च 2016**	**प्रतिशत वृद्धि**
1.	केन्द्र सरकार	318644	307875	(-)3.38

2.	राज्य सरकार	701319	701507	0.03
3.	अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	162710	160258	(-)1.51
4.	अर्द्ध सरकार (राज्य)	332148	333142	0.30
5.	स्थानीय निकाय	109958	108687	(-)1.16
	योग	**1624779**	**1611469**	**(-)0.82**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में मार्च 2015 से मार्च 2016 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 0.8 प्रतिशत की कमी आई है। सर्वाधिक कमी केन्द्र सरकार (-) 3.38 केन्द्र सरकार के क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में हुई है।

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में मार्च 2016 में गत वर्ष 2015 की अपेक्षा 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े निम्नतालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च 2015	मार्च 2016	प्रतिशत वृद्धि
1.	एक्ट अधिष्ठान	588215	618807	5.2
2.	नान एक्ट अधिष्ठान	48470	49369	1.8
	योग	**636685**	**668170**	**4.9**

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारी

औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में मार्च 2016 में गत वर्ष की अपेक्षा कुल कर्मचारियों की संख्या में 0.8 प्रतिशत की कमी हुई है। इन कर्मचारियों का विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च 2015	मार्च 2016	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
'ए'	कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य	39016	38645	(-)0.95
'बी'	खान एवं उत्खनन	4625	4622	(-)0.06
'सी'	उत्पादन	96967	93298	(-)3.78

'डी'	विद्युत, गैस, वाष्प एवं वातानुकूलन आपूर्ति	47218	46545	(-)1.43
'ई'	जल आपूर्ति	22015	21800	(-)0.98
'एफ'	निर्माण	128384	128915	0.41
'जी'	थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटर गाड़ी एवं मोटर साइकिल की मरम्मत	15961	15204	(-)4.74
'एच'	परिवहन एवं भण्डारण	243003	233184	(-)4.04
'आई'	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	351	397	13.11
'जे'	सूचना एवं संचार	22888	22892	0.02
'के'	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	102936	102981	(-)0.04
'एल'	रियल स्टेट क्रियायें	0	0	0
'एम'	व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	20506	20244	(-)1.28
'एन'	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	357	476	33.33
'ओ'	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	541183	540869	(-)0.06
'पी'	शिक्षा	230910	234648	1.62
'क्यू'	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	102753	101320	(-)1.39
'आर'	कला, मनोरंजन एवं आमोद-प्रमोद क्रियायें	2155	2151	(-)0.19
'एस'	अन्य सेवा कार्य	3551	3278	(-)7.69
'टी'	नियोजक के रूप में घरेलू कार्य	0	0	0.00
'यू'	एक्स्ट्रा टेरीटोरियल संगठनों एवं बॉडीस की क्रियायें	0	0	0.00
	योग	**1624779**	**1611469**	(-)**0.82**

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारी- औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार निजी क्षेत्र में मार्च 2016 में गत वर्ष की अपेक्षा कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 4.94 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई हैं। इन कर्मचारियों का विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत कर्मचारियों की संख्या मार्च 2015	मार्च 2016	गतवर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
'ए'	कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य	867	615	(-)7.80
'बी'	खान एवं उत्खनन	62	62	0
'सी'	उत्पादन	315750	333049	5.48
'डी'	विद्युत, गैस, वाष्प एवं वातानुकूलन आपूर्ति	5383	5729	6.43
'ई'	जल आपूर्ति	0	0	0

'एफ'	निर्माण	364	430	18.13
'जी'	थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटर गाड़ी एवं मोटर साइकिल की मरम्मत	11911	11896	(-)0.13
'एच'	परिवहन एवं भण्डारण	3178	2983	(-)6.14
'आई'	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	9059	9219	1.77
'जे'	सूचना एवं संचार	10551	11281	6.92
'के'	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	7479	8676	16.00
'एल'	रियल स्टेट क्रियायें	25976	24826	(-)4.43
'एम'	व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	379	379	0.0
'एन'	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	29479	42522	44.25
'ओ'	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	0	0	0
'पी'	शिक्षा	204328	203740	(-)0.29
'क्यू'	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	10018	10685	6.66
'आर'	कला, मनोरंजन एवं आमोद-प्रमोद क्रियायें	781	747	(-)4.35
'एस'	अन्य सेवा कार्य	1322	1331	0.68
'टी'	नियोजक के रूप में घरेलू क्रियायें	0	0	0
'यू'	एक्स्ट्रा टेरीटोरियल संगठनों एवं बॉडीस की क्रियायें	0	0	0
	योग	**636687**	**668170**	**4.94**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य, परिवहन एवं भण्डारण, थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटर गाड़ी एवं मोटर साइकिल की मरम्मत, रियल स्टेट क्रियायें, कला, मनोरंजन एवं आमोद-प्रमोद क्रियाएं तथा शिक्षा वर्ग को छोड़कर शेष सभी वर्गों में मार्च 2016 में कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और सर्वाधिक वृद्धि प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें वर्ग में 44.25 प्रतिशत हुई।

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारी

प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या मार्च 2016 में गत वर्ष 2015 की अपेक्षा 0.7 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र में 7.4 प्रतिशत अधिक रही जबकि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर देखने से इनमें उक्त अवधि में गत वर्ष की अपेक्षा 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। गत वर्ष की अपेक्षा निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियो की संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या से तुलनात्मक रूप से अधिक वृद्धि परिलक्षित हुई। इन्हें निम्न तालिका से देखा जा सकता है-

तालिका

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या

क्र. सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च 2015	मार्च 2016	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
1.	सार्वजनिक क्षेत्र	204959	206424	0.7
2.	निजी क्षेत्र	92846	99734	7.4
	योग	**297805**	**306158**	**2.8**

प्रदेश के विकास की चुनौतियाँ तथा रणनीति

केन्द्र सरकार की भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी 'सबका साथ-सबका विकास' की तर्ज पर कार्य कर रही है। समाज के सभी वर्गों और राज्य के प्रत्येक नागरिक व क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कृत संकल्प है। प्रदेश के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न सेक्टरों के अंतर्गत चुनौतियों को चिन्हित करते हुए विकास की रणनीति बनाया जाना अपेक्षित है। विकास में प्रदेश की समस्त जनता की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश वासियों को उत्कृष्ट एवं प्रभावी जनसेवाएं उपलब्ध कराना है।

इसके अन्तर्गत एक ओर जहाँ प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाये जाने के साथ-साथ भारत सरकार की महत्त्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करके उसको सही ढंग से लागू किया जाना सम्मिलित है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण हेतु रणनीति, निजी निवेश अर्जित करने का प्रयास, जनसामान्य के लिए विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, नगरीय सुविधाएं, श्रम एवं ग्राम विकास सेक्टरों के विशिष्ट कार्य बिन्दुओं, समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा प्रशासन तंत्र को प्रभावी बनाए जाने के साथ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लोने के लिए तंत्र विकसित करने का प्रयास अपेक्षित है।

समग्र विकास हेतु विभिन्न सेक्टरों के अन्तर्गत चिन्हित चुनौतियों तथा प्रदेश विकास की रणनीति निम्नवत प्रस्तुत हैंः

चुनौतियाँ

- **कृषि तथा सम्वर्गीय क्षेत्र**

1. कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी किया जाना।
2. किसानों की आय में वृद्धि कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना।
3 किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों की आपूर्ति सुनिश्चित करना। मृदा स्वास्थ्य में गिरावट को रोकना।
4. विभिन्न फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि करना।
5. कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत को कम करना।
6. छोटी जोतों को लाभकारी बनाना।
7. कृषि पर निर्भरता कम करने हेतु रोजगार सृजन के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना।
8. कृषि उत्पादों विशेषकर औद्योगिक फसलों का समुचित विपणन तथा भण्डारण।
9. औद्यानिक फसलों के आच्छादन, उत्पादन आदि का आंकड़ा आधार खाता तैयार करना।
10. प्रदेश में वन क्षेत्र का विस्तार तथा वृक्षारोपण का आच्छादन बढ़ाना प्रमुख चुनौती है।
11. प्रदेश में वनों के अवैध कटान की रोकथाम चुनौती पूर्ण कार्य है।

- **पशुपालन तथा सम्वर्गीय क्षेत्र**

1. पशु आहार/पशु चारा का उत्पादन बढ़ाना।
2. कुक्कुट तथा मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना।

3. अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन बढ़ाना।
4. सहकारी क्षेत्र की डेयरियों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करना।
5. दुग्ध उत्पादन एवं विपणन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

- **उद्योग**
  1. निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करना।
  2. औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना।
  3. निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
  4. कुशल मानव संसाधन का विकास करना।
  5. औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
  6. हस्तशिल्प तथा दस्तकारी इकाइयों को जीवनक्षम बनाना।
  7. सम्यक रूप से औद्योगिक वातावरण में सुधार।
- **सेवा क्षेत्र**
  1. विभिन्न सेवाओं के मूल्य वर्धन का आंकलन।
  2. सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न आर्थिक क्रिया-कलापों में संलिप्त इकाइयों का आंकड़ा आधार तैयार करना।
  3. सेवा क्षेत्र में संलग्न श्रम शक्ति का कौशल विकास।
- **अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार तथा परिवहन**
  1. प्रदेश में सड़क घनत्व को राष्ट्रीय स्तर तक लाना।
  2. नये विद्युत उत्पादन इकाइयों के निर्माण की बाधाओं को दूर करना।
  3. पारेषण लाइनों का विस्तार।
  4. विद्युत आपूर्ति में सुधार।
  5. लाइन हानियों में कमी लाना।
  6. क्रियाशील विद्युत उत्पादन इकाइयों की क्षमता में वृद्धि।
  7. वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देना।
  8. नगरीय यातायात को सुविधाजनक एवं सरल बनाना।
- **ग्राम्य विकास**
  1. पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना।
  2. ग्रामीण समाज के समस्त वर्गों की पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी सुनिश्चित करना।
  3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता हेतु जागरूकता उत्पन्न करना।
  4. ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना संसाधनों का निर्माण।
  5. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना।
  6. योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ लक्षित समूह/जनसामान्य को पहुँचाना।
  7. योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाना।

- **शिक्षा**
  1. 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना।
  2. विभिन्न वर्गों में साक्षरता अन्तराल को कम करना।
  3. ड्राप आऊट दर को कम करना।
  4. प्राथमिक शिक्षा की पहुँच में सुधार करना।
  5. विद्यालय के प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय भागीदारिता सुनिश्चित करना।
  6. शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक, शैक्षिक तथा लैंगिक भेद को समाप्त करना।
- **माध्यमिक शिक्षा**
  1. प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय विषमता को दूर करना।
  2. प्रत्येक विकास खण्ड में बालिकाओं हेतु कम से कम एक हाईस्कूल स्तर का विद्यालय खोला जाना।
  3. समग्र शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि।
- **उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा**
  1. शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं विस्तार।
  2. शिक्षा को रोजगार से जोड़ना।
  3. ई-लर्निंग/स्मार्ट क्लासेस।
  4. समग्र शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि।
- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य**
  1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार।
  2. जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर तथा मातृत्व मृत्युदर में कमी लाना।
  3. सुरक्षित प्रसव।
  4. प्रदेश में उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों की स्थापना।
  5. चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना।
  6. लिंगानुपात को बढ़ावा।
  7. टीकाकरण का विस्तार।
- **सामाजिक कल्याण**
  1. छात्रवृत्ति तथा पेंशन सम्बन्धी लाभार्थी परक योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाना।
  2. समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना।
- **लोक निधि**
  1. सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों तथा लघु एवं सीमान्त किसानों को फसली ऋण माफी योजना आदि के कारण राज्य सरकार पर बढ़े वित्तीय व्यय-भार के फलस्वरूप प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा आदि वित्तीय संकेतकों को नियन्त्रण में रखना कठिन चुनौती है।
  2. प्रदेश में निवेश हेतु बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जाना।
  3. प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करना।

विकास की रणनीति

- **कृषि तथा सम्वर्गीय क्षेत्र**

1. उत्तर प्रदेश को फूड पार्क राज्य के रूप में विकसित किया जाना।
2. फसली ऋण माफी योजनान्तर्गत 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों के अधिकतम रु. 1 लाख तक के फसली ऋण माफ किये गये।
3. किसानों से शत-प्रतिशत गेहूँ खरीद तथा गेहूँ मूल्य के तत्काल भुगतान योजनान्तर्गत गेहूँ खरीद लक्ष्य को 40 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर लगभग 80 लाख मीट्रिक टन किया गया।
4. रु.10 प्रति कुन्तल अतिरिक्त भुगतान लोडिंग- अनलोडिंग के लिए 5,105 गेहूँ क्रय केन्द्र स्थापित।
5. गत वर्ष की कुल खरीद से लगभग 4.5 गुना अधिक 36.99 लाख मी. टन गेहूँ खरीद की गयी।
6. मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रु. 1,625 प्रति कुन्तल गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया।
7. किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं, खाद्यान्न, दलहन, फल, सब्जी, दूध, दही, गुड़, नमक आदि जी.एस.टी. में कर मुक्त।
8. आलू नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
9. खाद्यान्न उत्पादन में प्रजाति प्रतिस्थापन दर में वृद्धि हेतु प्रभावी कार्यवाही।
10. कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता हेतु कृषि यन्त्रीकरण के लिए मैकेनाईजेशन मिशन तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार विशेषकर औद्यानिक फसलों हेतु नेशनल मिशन ऑन माइक्रोइरीगेशन का प्रभावी कार्यान्वयन।
11. सोलर फोटोवोल्टैइक इरीगेशन पम्पों की स्थापना।
12. कृषकों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब एवं नवीन मण्डियों की स्थापना, किसान बाजार का विकास किया जाना आदि।
13. गन्ने के बीज की उन्नत प्रजातियों का विकास।
14. भण्डार गृहों का निर्माण।
15. पारदर्शी किसान योजना का कार्यान्वयन।
16. कृषक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।

- **पशुपालन तथा सम्वर्गीय क्षेत्र**

1. पशुधन विकास हेतु बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा क्लीनिक का संचालन।
2. कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन बढ़ाना।
3. गो तस्करी पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना।
4. अवैध पशु वधशालाओं पर रोक।
5. गुणवत्ता युक्त ब्रीड/बीज भण्डार केन्द्र विकसित किये जायें।
6. उत्तर प्रदेश ब्रीडिंग एक्ट, 2017 लागू करना।
7. वर्तमान में स्थापित पशुचिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण एवं अधिक से अधिक पशुचिकित्सालयों की स्थापना।

8. चारा एवं चरागाह विकास हेतु उत्तर प्रदेश चारा सुरक्षा नीति बनाया जाना।
9. सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना।
10. मत्स्य विकास नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
11. पशु मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने हेतु पशुपालकों को पशु बीमा कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।

- **उद्योग**

1. प्रदेश के औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने, उद्यमियों की जिज्ञासाओं व समस्याओं को विभिन्न सम्बन्धित विभागों से निराकरण कराने एवं स्वीकृतियाँ प्रदान कराने हेतु एकल मेज व्यवस्था का कार्यान्वयन।
2. जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण।
3. औद्योगिक इकाइयों हेतु भूमि आवंटन नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
4. उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014 का प्रभावी कार्यान्वयन।
5. राज्य से निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2015 का प्रभावी कार्यान्वयन।
6. मेगा लेदर क्लस्टर योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
7. उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2016 के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने एवं प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना" का संचालन।
8. कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु 39 असेवित तहसीलों में प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से एक-एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।
9. एम.एस.एम.ई. पोर्टल विकसित किया जाना।

- **अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार तथा परिवहन-**

1. प्रदेश की समस्त सड़कों को गड्ढा-मुक्त किया जाना।
2. 500 से अधिक आबादी के असंतृप्त बसावटों को शत प्रतिशत सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाना।
3. जिला मुख्यालयों को चार लेन की सड़कों से जोड़ना।
4. ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण की नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
5. अधूरे सेतुओं तथा रेल उपरिगामी सेतुओं एवं अधूरे उपरिगामी सेतुओं को पूर्ण किया जाना।
6. प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए हैलीकाप्टर सेवा शुरू करना।
7. प्रदेश के अन्य शहरों में एयरपोर्ट बनाने का काम किया जाना।
8. लखनऊ में मेट्रो रेल का संचालन तथा इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर तथा झाँसी नगरों में भी मेट्रो चलाने के लिए डी.पी.आर. तैयार करने के निर्देश।
9. हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील मुख्यालय में 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
10. शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे के अन्दर क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित करना।

11. प्रदेश की तहसीलों में 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण करना।
12. 10,000 सोलर पम्प लगाने की योजना का शुभारम्भ।
13. रूफटॉप सोलर पॉलिसी का प्रभावी कार्यान्वयन।
14. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए सब्सिडाइज्ड सोलर पैक की व्यवस्था किया जाना जिससे कुछ आवश्यक घरेलू उपकरण चल सकें।
15. ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था किया जाना।
16. जल संरक्षण के कार्यों को अभियान के रूप में चलाया जाए।
17. आगरा में ताजगंज क्षेत्र के विकास की परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
18. मैत्रेय परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
19. विश्व बैंक सहायतित प्रो-पुअर टुरिज्म योजना का कार्यान्वयन।

- **शिक्षा**

1. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु नीति निर्धारण करते हुए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया जाना।
2. उच्च शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम परिवर्धन के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार।
3. उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम परिवर्धन के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि करते हुए उन्हें रोजगारपरक बनाया जाना।
4. ई-लर्निंग को बढ़ावा दिया जाना।
5. समस्त प्राविधिक संस्थाओं में एकेडमिक मॉनिट्रिंग की एकीकृत व्यवस्था।
6. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षामित्रों का मानदेय 10,000 रु. प्रतिमाह कर दिया गया है।
7. मेधावी छात्र-छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार सम्मान।
8. 220 दिनों का शैक्षिक कैलेन्डर लागू करने का निर्णय।
9. कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु 39 असेवित तहसीलों में प्रशिक्षण प्रस्तावों के माध्यम से एक-एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य**

1. सस्ती दर पर उपलब्ध होने वाली जेनेरिक दवाओं की 3 हजार दुकानें खोलने की व्यवस्था की जा रही है।
2. जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित 150 एम्बुलेंस की 'एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा' का शुभारम्भ।
3. नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/नये जनपदों में जिला चिकित्सालयों का निर्माण।
4. निमार्णाधीन अस्पतालों /सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों को पूर्ण कर क्रियाशील करना।
5. ट्रामा सेन्टरों के भवनों का निर्माण एवं उन्हें क्रियाशील किया जाना।
6. जिला चिकित्सालयों में प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट का निर्माण एवं उन्हें क्रियाशील किया जाना।

7. चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश अर्जित करने हेतु नीति निर्धारित करते हुए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार।
8. एम्स के तर्ज पर उच्च चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों तथा चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना।

- **ग्राम्य विकास तथा सामाजिक कल्याण**

1. छात्रवृत्ति पेंशन आदि सम्बन्धी समस्त योजनाओं का इंटरनेट आधारित प्रणाली द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण।
2. वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या को उनके आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। ताकि योजना में पारिदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
3. डॉ. राममनोहर लोहिया समग्र विकास योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
4. जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
5. प्रदेश को खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु हर घर में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
6. एण्टी रोमियो स्क्वायड का गठन।

- **लोक निधि**

1. 'एक कर, एक देश, एक बाजार', एक परिकल्पना को साकार करते हुए 01 जुलाई से जी.एस.टी. प्रणाली का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी सूत्रपात।
2. प्रदेश के विकास हेतु वाह्य सहायतित परियोजनाओं में अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त कर प्रभावी कार्यान्वयन।
3. प्रदेश में विकास हेतु कर एवं करेत्तर राजस्व के रूप में अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन जुटाया जाना।

आर्थिक क्षेत्रवार जनपदों की सूची

आर्थिक क्षेत्र	सम्मिलित जनपद					
1	2					
1. पश्चिमी क्षेत्र	1.	सहारनपुर	2.	बुलन्दशहर	3.	मेरठ
	4.	गाजियाबाद	5.	मुजफ्फर नगर	6.	अलीगढ़
	7.	मथुरा	8.	आगरा	9.	मैनपुरी
	10.	एटा	11.	बरेली	12.	बिजनौर
	13.	बदायूँ	14.	मुरादाबाद	15.	शाहजहाँपुर
	16.	पीलीभीत	17.	रामपुर	18.	फर्रुखाबाद
	19.	इटावा	20.	फिरोजाबाद	21.	गौतमबुद्धनगर
	22.	हाथरस	23.	अमरोहा	24.	कन्नौज
	25.	बागपत	26.	औरैया	27.	कासगंज
	28.	शामली	29.	हापुड़	30.	संभल

2. केन्द्रीय क्षेत्र	1. कानपुर (नगर)	2. कानपुर देहात	3. फतेहपुर
	4. लखनऊ	5. उन्नाव	6. रायबरेली
	7. सीतापुर	8. हरदोई	9. खीरी
	10. बाराबंकी		
3. पूर्वी क्षेत्र	1. प्रयागराज	2. वाराणसी	3. मिर्जापुर
	4. जौनपुर	5. गाजीपुर	6. बलिया
	7. गोरखपुर	8. देवरिया	9. बस्ती
	10. आजमगढ़	11. अयोध्या	12. गोण्डा
	13. बहराइच	14. सुल्तानपुर	15. प्रतापगढ़
	16. सोनभद्र	17. महराजगंज	18. सिद्धार्थनगर
	19. मऊ	20. संत रविदास नगर (भदोही)	21. कुशीनगर
	22. अम्बेडकरनगर	23. कौशाम्बी	24. चन्दौली
	25. बलरामपुर	26. श्रावस्ती	27. संत कबीरनगर
	28. अमेठी		
4. बुन्देलखण्ड क्षेत्र	1. बाँदा	2. हमीरपुर	3. जालौन
	4. झाँसी	5. ललितपुर	6. महोबा
	7. चित्रकूट		

●

सामाजिक स्थिति

उत्तर प्रदेश भारतीय सभ्यता का उद्‌गम स्थल रहा है। अति प्राचीन समय से विभिन्न जाति एवं सामाजिक समूह इस क्षेत्र में आये और यहीं बस गये। इस राज्य में भारतवर्ष की जनसंख्या का 16.51 प्रतिशत भाग निवास करता है तथा भौगोलिक दृष्टि से यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं आन्ध्र प्रदेश राज्यों के पश्चात पाँचवे स्थान पर है। इसका भौगोलिक क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 7.3 प्रतिशत है। इसका सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र 2,40,928 वर्ग किमी0 है।

प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश 17 मण्डलों में विभाजित है जिसमें 75 जनपद, 915 नगर एवं नगर क्षेत्र, 17 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद्, 438 नगर पंचायतें, 59019 ग्राम पंचायतें, 821 विकास खण्ड, 97814 आबाद ग्राम, 350 तहसीलें, 17670 डाकघर एवं 3087 टेलीफोन एक्सचेंज हैं।

राजनैतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सदस्य, राज्यसभा में 31 सदस्य, विधानसभा में 404 सदस्य तथा विधान परिषद् में 100 सदस्य चुनकर भेजता है। आर्थिक दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में कार्य करने वालों का प्रतिशत 23.7 है जिनमें से 65.9 प्रतिशत कृषक तथा 5.6 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति राज्य आय (नवीन शृंखला) (बाजार मूल्यों पर) वर्ष 2011-12 के स्थायी भावों पर वर्ष 2016-17 (त्वरित अनुमान) प्रति व्यक्ति आय रु. 38884 है। इस प्रकार औद्योगिक एवं आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है तथा क्षेत्रीय असंतुलन से भी ग्रसित है क्योंकि इसका पश्चिमी क्षेत्र कृषि उत्पादन की दृष्टि से अच्छा क्षेत्र है तथा अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक उद्योग एवं शहरी क्षेत्रों से युक्त है जबकि अन्य क्षेत्र विशेषकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र कम कृषि उत्पादन, कम संख्या में औद्योगिक इकाइयाँ, औद्योगिक उत्पाद के कम निवल मूल्य इत्यादि समस्याओं से ग्रस्त है। प्रदेश का यह आर्थिक पिछड़ापन इसकी सामाजिक स्थिति पर खराब प्रभाव डालता है।

जनसंख्या

जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998 लाख है जो भारत की वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या 12106 लाख का 16.5 प्रतिशत है।

जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के 29 प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश है। विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या सम्बन्धी सूचना तालिका में दृष्टिगत है-

भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों का क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं घनत्व-2011

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रफल 2011 (हजार वर्ग किमी०)	जनसंख्या 2011 हजार में	घनत्व 2011 (प्रति वर्ग किमी०)
1	आन्ध्र प्रदेश	275	84581	308

2	अरुणाचल प्रदेश	84	1384	17
3	असम	78	31206	398
4	बिहार	94	104099	1106
5	गोवा	4	1459	394
6	गुजरात	196	60440	308
7	हरियाणा	44	25351	573
8	हिमाचल प्रदेश	56	6865	123
9	जम्मू एवं कश्मीर	222	12541	124
10	कर्नाटक	192	61095	319
11	केरल	39	33406	860
12	मध्य प्रदेश	308	72627	236
13	महाराष्ट्र	308	112374	365
14	मणिपुर	22	2570	115
15	मेघालय	22	2967	132
16	मिजोरम	21	1097	52
17	नागालैण्ड	17	1979	119
18	ओड़िशा	156	41974	270
19	पंजाब	50	27743	551
20	राजस्थान	342	68548	200
21	सिक्किम	7	611	86
22	तमिलनाडु	130	72147	555
23	त्रिपुरा	10	3674	350
24	उत्तर प्रदेश	241	199812	829
25	पश्चिमी बंगाल	89	91276	1028
26	उत्तराखण्ड	53	10086	189
27	झारखण्ड	80	32988	414
28	छत्तीसगढ़	135	25545	189
29	दिल्ली	1	16788	11320
योग	भारत	3287*	1210570	382

* 120849 वर्ग किमी0 विवादित क्षेत्र भी सम्मिलित है।

जनसंख्या घनत्व

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1991 में प्रति वर्ग किमी0 पर 548 व्यक्ति थे जो कि 2001 में 690 तथा 2011 में 829 प्रति वर्ग किमी0 हो गये जो कि राष्ट्रीय औसत 382 से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से भी व्यक्तियों का भार प्रति किमी0 क्षेत्र के अनुसार बढ़ रहा है।

जनसंख्या वृद्धि

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001-11 की अवधि में कुल जनसंख्या की दशकीय

वृद्धि में प्रदेश का भारत के राज्यों में गत दशक की भाँति ग्यारहवाँ स्थान रहा। 2001-11 की अवधि में उ.प्र. की कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में (20.23 प्रतिशत) थी जबकि उक्त अवधि में भारत की दशकीय वृद्धि (17.7 प्रतिशत) से अधिक रही। 1991-2001 की अवधि में उक्त वृद्धि (25.8 प्रतिशत) थी जो उक्त अवधि में भी भारत की दशकीय वृद्धि 21.5 प्रतिशत से अधिक थी।

उत्तर प्रदेश के कुछ मदों के आर्थिक क्षेत्रवार आँकड़े

उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों यथा- पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बाँटा गया है। आर्थिक क्षेत्रवार कुछ मदों के आँकड़े निम्न तालिका में दृष्टिगत हैं-

उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के जनगणना 2011 के कुछ प्रमुख मदों के आँकड़े

	आर्थिक क्षेत्र	कुल जनसंख्या (लाखों में)	जनसंख्या का प्रतिशत	भौगोलिक क्षेत्रफल हजार वर्ग किमी०	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग किमी.)	प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या
1	पूर्वी	804	40.0	86(35.6)	931	952
2	पश्चिमी	743	37.2	80(33.2)	930	884
3	केन्द्रीय	355	18.0	46(19.0)	785	895
4	बुन्देलखण्ड	97	4.8	29(12.2)	329	877
	उत्तर प्रदेश	1998	100.0	241(100.00)	829	912

नोट - कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या 40.0 प्रतिशत है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसके बाद क्रमशः पश्चिमी क्षेत्र (37.2 प्रतिशत) व केन्द्रीय क्षेत्र (18.0 प्रतिशत) तथा सबसे बाद बुन्देलखण्ड क्षेत्र (4.8 प्रतिशत) आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी प्रदेश के क्षेत्रफल का 35.6 प्रतिशत भाग पूर्वी क्षेत्र में है, जो प्रथम स्थान पर तथा इसके बाद क्रमशः पश्चिमी क्षेत्र (33.2 प्रतिशत) केन्द्रीय क्षेत्र (19.0 प्रतिशत) तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र (12.2 प्रतिशत) क्षेत्रफल का स्थान है।

लिंगानुपात की प्रवृत्ति

स्त्री-पुरुष अनुपात से तात्पर्य प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से है। वर्ष 1901 से 2011 की अवधि में स्त्री-पुरुष अनुपात के आँकड़े तालिका में दर्शाये गये हैं-

तालिका

उत्तर प्रदेश एवं भारत के स्त्री-पुरुष अनुपात के आँकड़े

वर्ष	उत्तर प्रदेश		भारत	
	समस्त आयु वर्ग	0-6 वर्ष आयु वर्ग	समस्त आयु वर्ग	0-6 वर्ष आयु वर्ग
1	2	3	4	5
1901	938	-	972	-
1911	916	-	964	-

1921	908	-	955	-
1931	903	-	950	-
1941	907	-	945	-
1951	908	-	946	-
1961	907	-	941	976
1971	876	923	930	964
1981	882	935	934	962
1991	876	927	927	945
2001	898	916	933	927
2011	912	902	943	919

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या वर्ष 1901 की जनगणनानुसार 938 थी इसके पश्चात् वर्ष 1991 तक इसमें कमी एवं मिश्रित प्रवृत्ति रही। वर्ष 2001 से इसमें पुनः वृद्धि आरम्भ हुई और यह बढ़ते हुए वर्ष 2001 एवं 2011 में क्रमशः 898 एवं 912 हो गयी। भारत में वर्ष 2011 में यह संख्या 943 है जब कि वर्ष 2001 में यह 933 ही थी। शिशु लिंगानुपात में निरन्तर गिरावट की प्रवृत्ति चिन्तनीय है।

साक्षरता प्रतिशत

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरों की संख्या 1144 लाख है जिनमें 682 लाख पुरुष तथा 462 लाख महिला साक्षर हैं तथा प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है जो भारत के संगत अवधि के साक्षरता प्रतिशत 73.0 से कम है जबकि वर्ष 2001 में यह प्रतिशत 56.3 था जो भारत के संगत अवधि में साक्षरता प्रतिशत 64.8 से कम था।

उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 4157514 कुल विकलांग व्यक्ति हैं जिसमें 763988 दृष्टिहीनता, 266586 मूक, 1027835 बहरापन, 677713 गति, 76603 मानसिक, 181342 मानसिक मंदता, 946436 अन्य एवं 217011 बहु विकलांगता की श्रेणी में आते है। प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत 2.08 है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या (1998.12 लाख) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमशः 413.58 लाख एवं 11.34 लाख थी जो कुल जनसंख्या की क्रमशः 20.7 प्रतिशत तथा 0.6 प्रतिशत थी जबकि इसी अवधि में भारत में यह प्रतिशत क्रमशः 16.6 एवं 8.6 था।

उत्तर प्रदेश में प्रमुख धर्मानुसार जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 1593.1 लाख (79.8 प्रतिशत) हिन्दू, 384.8 लाख (19.3 प्रतिशत) मुस्लिम, 3.6 लाख (0.2 प्रतिशत) ईसाई, 6.4 लाख (0.3 प्रतिशत) सिक्ख, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) बौद्ध, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) जैन एवं 6.0 लाख (0.3 प्रतिशत) अन्य एवं अवर्णित धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं।

उत्तर प्रदेश धर्मानुसार जनसंख्या 2011

	धर्म	जनसंख्या	कुल जनसंख्या प्रतिशत में
1.	हिन्दु	159312654	79.73
2.	मुस्लिम	38483967	19.26
3.	ईसाई	356448	0.18
4.	सिक्ख	643500	0.32
5.	बौद्ध	206285	0.10
6.	जैन	213267	0.11
7.	अन्य तथा अवर्णित धर्म	596220	0.30
	कुल जनसंख्या	199812341	100.00

जन्म दर, मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर

एम.आर.एस. बुलेटिन भारत सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2000 में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर क्रमशः 32.8, 10.3, 83 थी जो निरंतर गिरते हुए वर्ष 2013 में क्रमशः 27.2, 7.7, एवं 50 हो गयी है एवं पुनः गिरते हुए वर्ष 2015 में क्रमशः 26.7, 7.2 एवं 46.0 हो गयी है एवं पुनः गिरते हुए वर्ष 2016 में क्रमशः 26.2, 6.9 एवं 43.0 हो गयी है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2013 में उक्त संख्या क्रमशः 21.4, 7.0, 40 एवं वर्ष 2015 में उक्त संख्या क्रमशः 20.8, 6.5 एवं 37.0 है एवं 2016 में उक्त संख्या क्रमशः 20.4, 6.4 एवं 34.0 है।

प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर सम्बन्धी आँकड़े (प्रति हजार)

मद	वर्ष 2013		वर्ष 2015		वर्ष 2016	
	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत
1	2	3	4	5	6	7
जन्म दर	27.2	21.4	26.7	20.8	26.2	20.4
मृत्यु दर	7.7	7.0	7.2	6.5	6.9	6.4
शिशु मृत्यु दर	50.0	40.0	46.0	37.0	43.0	34.0

प्रदेश के महत्त्वपूर्ण तथ्यात्मक आँकड़े

• क्षेत्रफल	-	240928 वर्ग किमी0
• जिलों की संख्या	-	75
• मण्डलों की संख्या	-	18
• कुल जनसंख्या (वर्ष 2011)	-	199812341
पुरुष	-	104480510
महिला	-	95331831
• 2001-2011 में जनसंख्या में कुल वृद्धि	-	33614420

- 2001-2011 में जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर - 20.23
- 2001-2011 में ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर - 18.0
- 2001-2011 में नगरीय जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर - 28.8
- नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अंश (2011) - 22.3
- जनसंख्या घनत्व - 829
- लिंगानुपात - 912 : 1000
- कुल जनसंख्या में 0-6 आयु वर्ग की बाल जनसंख्या का प्रतिशत
  - कुल बच्चे - 18.35 प्रतिशत
  - बालक - 18.18 प्रतिशत
  - बालिकाएँ - 18.54 प्रतिशत
- साक्षरता दर 7 वर्ष व अधिक की जनसंख्या के लिए (2011)
  - कुल - 67.7 प्रतिशत
  - पुरुष - 77.3 प्रतिशत
  - महिला - 57.2 प्रतिशत

सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जनपद-2011 (जनसंख्या हजार में)

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	**जनपद**	**कुल जनसंख्या**	**क्र.सं.**	**जनपद**	**कुल जनसंख्या**
1	प्रयागराज	5954	1	महोबा	876
2	आजमगढ़	4614	2	चित्रकूट	992
3	लखनऊ	4589	3	हमीरपुर	1104
4	कानपुर नगर	4581	4	श्रावस्ती	1117
5	जौनपुर	4494	5	ललितपुर	1222

सर्वाधिक व न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	**जनपद**	**क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)**	**क्र.सं.**	**जनपद**	**क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)**
1	खीरी	7680	1	संत रविदास नगर	1015
2	सोनभद्र	6905	2	गाजियाबाद	1179
3	हरदोई	5986	3	गौतमबुद्ध नगर	1282
4	सीतापुर	5743	4	बागपत	1321

5	प्रयागराज	5482	5	वाराणसी	1351

सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति/वर्ग किमी.)	क्र.सं.	जनपद	जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति/वर्ग किमी.)
1	गाजियाबाद	3971	1	ललितपुर	242
2	वाराणसी	2395	2	सोनभद्र	270
3	लखनऊ	1816	3	हमीरपुर	275
4	संत रविदास नगर	1555	4	महोबा	279
5	कानपुर नगर	1452	5	चित्रकूट	308

सर्वाधिक व न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत	क्र.सं.	जनपद	दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत
1	गौतमबुद्ध नगर	49.11	1	कानपुर नगर	9.92
2	गाजियाबाद	41.27	2	हमीरपुर	11.12
3	श्रावस्ती	30.54	3	बागपत	11.95
4	बहराइच	29.10	4	फतेहपुर	14.05
5	बलरामपुर	27.72	5	देवरिया	14.25

सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	लिंगानुपात	क्र.सं.	जनपद	लिंगानुपात
1	जौनपुर	1024	1	महोबा	851
2	आजमगढ़	1019	2	चित्रकूट	861
3	देवरिया	1017	3	हमीरपुर	861
4	प्रतापगढ़	998	4	श्रावस्ती	862
5	सुल्तानपुर	983	5	ललितपुर	863

सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	साक्षरता दर	क्र.सं.	जनपद	साक्षरता दर
1	गौतमबुद्ध नगर	80.12	1	श्रावस्ती	46.74
2	कानपुर नगर	79.65	2	बहराइच	49.36
3	औरय्या	78.95	3	बलरामपुर	49.51

4	इटावा	78.41	4	बदायूँ	51.29
5	गाजियाबाद	78.07	5	रामपुर	53.34

सर्वाधिक व न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	**जनपद**	**पुरुष साक्षरता दर**	**क्र.सं.**	**जनपद**	**पुरुष साक्षरता दर**
1	गौतमबुद्ध नगर	88.26	1	श्रावस्ती	57.16
2	औरय्या	86.11	2	बहराइच	58.34
3	इटावा	86.06	3	बलरामपुर	59.73
4	गाजियाबाद	85.42	4	बदायूँ	60.98
5	झाँसी	85.38	5	रामपुर	61.40

सर्वाधिक व न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	**जनपद**	**महिला साक्षरता दर**	**क्र.सं.**	**जनपद**	**महिला साक्षरता दर**
1	कानपुर नगर	75.05	1	श्रावस्ती	34.78
2	लखनऊ	71.54	2	बलरामपुर	38.43
3	गौतमबुद्ध नगर	70.82	3	बहराइच	39.18
4	औरय्या	70.61	4	बदायूँ	40.09
5	गाजियाबाद	69.79	5	रामपुर	44.44

●

नियोजन

प्रदेश के नियोजित विकास हेतु नियोजन प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार के साथ प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने तथा योजना निर्माण हेतु आधारभूत आँकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही अन्य तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। प्रमुख सचिव नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन इस संस्थान के पदेन अध्यक्ष हैं। वर्ष 2017-2018 में इस संस्थान के अन्तर्गत निम्न प्रभाग कार्यरत हैं :-

1. अर्थ एवं संख्या प्रभाग
2. विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग
3. मूल्यांकन प्रभाग
4. प्रशिक्षण प्रभाग
5. क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग
6. दीर्घकालीन योजना प्रभाग
7. जनशक्ति नियोजन प्रभाग
8. योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग
9. प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग

संस्थान के उपर्युक्त प्रभागों में योजना निर्माण हेतु आधारभूत आँकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, प्रकाशन एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं प्रदेश की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन एवं समीक्षा का महत्त्वपूर्ण कार्य अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रदेश में कार्यान्वित विकास कार्यक्रमों, योजनाओं के सामयिक मूल्यांकन का कार्य मुख्यतः मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया जाता है।अग्रगामी प्रयोगों द्वारा ग्रामीण विकास के शोध एवं अध्ययन का कार्य विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रयोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय परिस्थितियों में नये विकास कार्यक्रमों की सम्भाव्यता आदि का परीक्षण भी किया जाता है। संस्थान के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा नियोजन प्रक्रिया, प्रायोजना रचना तथा विकास योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी तथा विभिन्न विकास विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता में अभिवृद्धि करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रदेश की अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन एवं विशेष क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने का कार्य क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रदेश में जनशक्ति सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन एवं विश्लेषण कार्य जनशक्ति नियोजन प्रभाग द्वारा तथा दीर्घकालीन योजनाओं हेतु अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन एवं विश्लेषण तथा दीर्घकालीन योजना की संरचना का कार्य दीर्घकालीन योजना प्रभाग द्वारा किया जाता है।

प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं निगमों की चयनित वृहद् परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं परियोजनाओं की लागत प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता, तकनीकी सम्भाव्यता तथा आर्थिक एवं सामाजिक लाभप्रदता के परीक्षण का कार्य किया जाता है तथा विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों के माध्यम से प्रदेश में विनियोजन हेतु परियोजनाओं का अनुमोदन कराया जाता है।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग

उत्तर प्रदेश में आँकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित करने, संकलित करने एवं शासन को उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस प्रभाग की स्थापना वर्ष 1931 में ''ब्यूरो आफ स्टैटिस्टिक्स् एण्ड इकोनामिक रिसर्च'' नाम से की गयी थी। बीच में अनेक बार इस विभाग को पुनर्गठित किया गया। वर्ष 1947 में आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक का पद सृजित कर इसे एक सम्पूर्ण विभाग का स्वरूप प्रदान किया गया। वर्ष 1961 में इस विभाग को अर्थ एवं संख्या निदेशालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अंततः वर्ष 1971 में नियोजन के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना की गयी तथा उक्त स्थापना के साथ ही यह विभाग अर्थ एवं संख्या प्रभाग के रूप में जाना जाने लगा।

प्रभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य

1. प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नियमित समीक्षा करना तथा उसके निष्कर्षों से राज्य सरकार को अवगत कराना एवं परामर्श देना।
2. प्रदेश के आर्थिक नियोजन हेतु विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर आँकड़ों का एकत्रीकरण, प्रशोधन, विश्लेषण एवं प्रकाशन।
3. राज्य सरकार की नियोजन प्रक्रिया में वांछित सहयोग देना।
4. केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकतानुसार आँकड़ों की आपूर्ति।
5. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सांख्यिकीय कार्यों में सामन्जस्य स्थापित करना तथा व्यवस्थित एवं तार्किक आधार पर सांख्यिकीय कार्यों को समुचित दिशा प्रदान करना।
6. विकास कार्यक्रमों की प्रगति का संकलन, सत्यापन एवं अनुश्रवण कार्य में सहयोग देना।
7. जिला योजनाओं की संरचना एवं अनुश्रवण।

विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग

विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। इस प्रभाग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को चिन्हित करके, क्रियात्मक शोध पद्धति अपनाते हुये पायलेट प्रोजेक्ट बनाना तथा क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों में उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए जनसहभागिता को अपनाते हुए उसका क्रियान्वयन करके उपयुक्त माडल विकसित करना है। सफल कार्यक्रमों को शासन के सम्बन्धित विभागों को व्यापक प्रचार तथा ''रेप्लीकेशन'' हेतु हस्तान्तरित किया जाता है।

मूल्यांकन प्रभाग

प्रभाग का गठन एवं उद्देश्य

उत्तर प्रदेश में मूल्यांकन संगठन की स्थापना कार्यकारी दल की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष

1965 में की गयी थी। इस प्रदेश में मूल्यांकन संगठन स्थापित करने में कार्यकारी दल की संस्तुतियों का पूर्ण रूपेण अनुसरण किया गया है। मूल्यांकन संगठन की नीति एवं कार्यक्रमों के निर्धारण तथा मूल्यांकन अध्ययनों के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय राज्य मूल्यांकन सलाहकार परिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गयी थी, ताकि मूल्यांकन सलाहकार परिषद मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य का प्रभावकारी ढंग से सम्पादन कर सके। तत्पश्चात् वर्ष 1972 से मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र. की स्थापना के फलस्वरूप एक प्रभाग के रूप में स्थापित है।

प्रभाग का कार्य

प्रदेश के विकास में मूल्यांकन प्रभाग की अहम भूमिका है। योजनाएं अपने उद्देश्यों की पूर्ति में किस हद तक सफल रही हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/दिशा–निर्देशों के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं एवं योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों की वास्तविक स्थिति क्या है, आदि को ज्ञात करने के उद्देश्य से मूल्यांकन दल द्वारा चयनित जनपदों में जाकर लाभान्वितों से साक्षात्कार कर आवश्यक तथ्य संकलित किये जाते हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों से विचार–विमर्श कर योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाती है। उपरोक्त समस्त तथ्यों का समावेश करते हुए अध्ययन प्रतिवेदन को अन्तिम रूप प्रदान किया जाता है। अध्ययन प्रतिवेदन में मूल्यांकनोपरान्त प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव/संस्तुतियाँ की जाती हैं।

कार्य व्यवस्था

मूल्यांकन कार्य का सम्पादन निदेशक के नेतृत्व में गठित विभिन्न मूल्यांकन दलों द्वारा किया जाता है। संयुक्त निदेशक द्वारा समय–समय पर मूल्यांकन दलों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के अतिरिक्त तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया जाता है।

कार्य प्रणाली

मूल्यांकन अध्ययनों का सम्पादन छह चरणों में किया जाता है–

(1.) **अध्ययन का स्रोत (Source of Evaluation Studies)**

- विभिन्न शासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष
- नियोजन विभाग
- वित्त विभाग
- मा. मुख्यमंत्री जी

(2.) **क्षेत्र कार्य**

मूल्यांकन अध्ययन हेतु प्रभाग के अधिकारियों द्वारा योजनान्तर्गत लाभान्वित लाभार्थियों के साक्षात्कार अथवा निर्मित परिसम्पत्तियों का अवलोकन कर तथ्य संकलित किये जाते हैं। साथ ही जनपद स्तरीय/विकास खण्ड स्तरीय/ग्राम स्तरीय अधिकारियों से विचार-विमर्श किये जाने के अतिरिक्त निर्धारित रूप-पत्र पर द्वैतिक सूचनाएँ भी प्राप्त की जाती हैं।

(3.) अध्ययन का नियोजन (Planning of Evaluation Studies)

- विभागों से प्राप्त अध्ययन प्रस्तावों को प्रमुख सचिव नियोजन द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- अनुमोदनोपरान्त मूल्यांकन अध्ययनों को प्रभाग के अधिकारियों को आवंटित किया जाता है।
- अध्ययन में अपेक्षित सहयोग व विचार-विमर्श/सूचनाओं के संकलन हेतु सम्बन्धित विभाग से रिसोर्स परसन का नामांकन कराया जाता है।
- अध्ययनगत परियोजना/कार्यक्रम के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रकाशित साहित्य, राजाज्ञायें, प्रगति इत्यादि विवरण प्राप्त किये जाते हैं।
- अध्ययन हेतु जनपदों का चयन न्यादर्श पद्धति के अनुसार करते हुए चयनित जनपदों का भ्रमण कर प्राथमिक एवं द्वैतिक सूचनाएँ एकत्रित की जाती हैं।

(4.) अध्ययन परिकल्प रचना (Preparation of Design)

अध्ययन परिकल्प में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जाता हैः-

- भूमिका
- योजना के उद्देश्य
- अध्ययन की आवश्यकता
- भौतिक/वित्तीय प्रगति
- अध्ययन के उद्देश्य
- अध्ययन पद्धति
- अध्ययन के संयंत्र
- समय सारिणी

अध्ययन परिकल्प तैयार कर सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया जाता है तथा विभागीय आख्या प्राप्त कर इसे अन्तिम रूप दिया जाता है।

(5.) उपकरण की रचना (Preparation of Schedule)

प्राथमिक एवं द्वैतिक सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु सामान्यतः निम्न संयंत्र विकसित किये जाते हैं-

1. राज्य स्तरीय रूप-पत्र
2. जनपद स्तरीय रूप-पत्र
3. विकास खण्ड स्तरीय रूप-पत्र
4. लाभार्थी हेतु अनुसूची
5. अवलोकन शीत (आवश्यकतानुसार)

(6.) विश्लेषण (Analysis) एवं प्रतिवेदन लेखन (Report Writing)

प्राथमिक एवं द्वैतिक सूचनाओं का सारणीय **(Tabulation)** के अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप तालिकायें तैयार की जाती हैं एवं उनका विश्लेषण किया जाता है। साथ ही कार्यक्रम की उपयोगिता के सम्बन्ध के निष्कर्ष व सुधार हेतु सुझाव भी दिये जाते हैं।

प्रतिवेदन की स्वीकृति एवं संस्तुतियों का क्रियान्वयन

मूल्यांकन प्रतिवेदन का लेखन कार्य पूर्ण होने के पश्चात्, प्रतिवेदन का प्रथम ड्राफ्ट निदेशक के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है। तदुपरान्त इसे सम्बन्धित विभाग को प्रेषित कर इस पर विभागीय आख्या प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रभाग द्वारा अध्ययनों का प्रस्तुतीकरण प्रमुख सचिव (नियोजन)/मुख्य सचिव महोदय के समक्ष भी किया जाता है। विभागीय आख्या प्राप्त होने के उपरान्त इसे अन्तिम रूप प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण प्रभाग

प्रशिक्षण प्रभाग की स्थापना 1981 में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत की गयी थी। प्रशिक्षण प्रभाग का मुख्य उद्देश्य नियोजन प्रयासों में वृद्धि करने हेतु एक नई कार्य संस्कृति तथा वातावरण बनाने के साथ-साथ आधुनिकतम नियोजन की तकनीकों एवं प्रक्रियाओं के प्रति जागरुकता लाना तथा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को ज्ञात कर विभिन्न विकास विभागों के अधिकारियों के उपयोगार्थ विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित कर उनका आयोजन करना है, जिससे आधुनिक तकनीकों का ज्ञान विभिन्न विकास विभागों के प्रत्येक स्तर के अधिकारियों को हो सके। इसके अतिरिक्त प्रभाग प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु भी कार्यक्रम विकसित करता है, जिससे प्रशिक्षण की नई-नई विधियों से प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत प्रशिक्षकों को समुचित लाभ उपलब्ध कराया जा सके। प्रशिक्षण प्रभाग के संक्षिप्त में निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

(1) विकास, प्रशासन तथा राज्य एवं राष्ट्रीय नियोजन से सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

(2) राज्य नियोजन संस्थान तथा राज्य योजना के नवनियुक्त अधिकारियों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(3) राज्य स्तर के विकास विभागों हेतु परामर्शी सेवायें एवं उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित करना।

(4) वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए सेमिनार तथा वर्कशाप आयोजित करना।

प्रमुख कार्य योजना

प्रशिक्षण प्रभाग की कार्ययोजना के अन्तर्गत नियोजन विभाग, राज्य योजना आयोग, भूमि उपयोग परिषद तथा राज्य नियोजन संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं प्रदेश के विभिन्न विकास विभागों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप सम्बन्धित विषयों तथा परियोजना नियोजना एवं प्रबन्धन, विकेन्द्रित नियोजन, मानव विकास एवं जेण्डर इशूज, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एवं पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग

प्रदेश में संतुलित सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971 में की गयी। इस प्रभाग का प्रमुख कार्य प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर व्याप्त क्षेत्रीय विषमताओं एवं समस्याओं को अभिज्ञानित करने हेतु अध्ययन करना है। प्रभाग के प्रमुख कार्यकलापों का विवरण निम्नवत् है :-

1. अखिल भारत, अन्य राज्यों, प्रदेश तथा प्रदेश के आर्थिक सम्भागों की तुलनात्मक स्थिति को विकास संकेतकों के माध्यम से दर्शाने हेतु नियोजन एटलस उत्तर प्रदेश की प्रतिवर्ष संरचना करना।
2. शासन के निर्देशानुसार विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं के स्थलीय सत्यापन/निरीक्षण के आधार पर उसके प्रभाव को अभिज्ञानित करने विषयक अध्ययन सम्पादित करना।
3. प्रदेश में जनपदवार पिछड़े विकास खण्डों का अभिज्ञान।
4. प्रदेश की अन्तर्क्षेत्रीय एवं अन्तर्जनपदीय विषमताओं को अभिज्ञानित करना।

दीर्घकालीन योजना प्रभाग

दीर्घकालीन योजना प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971-72 में की गयी थी। प्रभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास हेतु एक उपयुक्त दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार करना है, जिसकी पृष्ठभूमि में लघु अवधीय विकास की प्राथमिकतायें तथा उसका स्वरूप निर्धारित किया जा सके। इस उद्देश्य के अनुरूप राष्ट्रीय विकास परिप्रेक्ष्य से तालमेल स्थापित करते हुए प्रदेश की क्षेत्रकीय एवं समग्र (सेक्टोरल एण्ड ओवर आल) अर्थव्यवस्था हेतु अपेक्षित वृद्धि दर, आवश्यक विनियोग एवं योजना परिव्यय, सम्भावित रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन आदि के अनुमान तैयार करना प्रभाग की सहवर्ती प्रतिबद्धतायें हैं। इन्हीं उद्देश्यों एवं अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु समग्र अर्थव्यवस्था एवं उसके विभिन्न क्षेत्रकों के प्रमुख बैरियबुल्स (उत्पादन, उपभोग, विनियोग, बचत आदि) की संरचना तथा कतिपय विशिष्ट पैरामीटर्स/पहलुओं (श्रम-उत्पादन, अनुपात, पूँजी-उत्पादन अनुपात, विकास-रणनीति आदि) से सम्बन्धित बहुआयामी अध्ययनों का सतत् सम्पादन प्रभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य है।

जनशक्ति नियोजन प्रभाग

जनशक्ति नियोजन प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971 में राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना के साथ की गयी थी। इसका कार्य ऐसे अध्ययनों को करना है जिनसे प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्मिकों की उपलब्धता समय से एवं आवश्यकतानुसार सुनिश्चित हो सके तथा बेरोजगारी की समस्या को कम करने हेतु सुझाव दिये जा सकें। साथ ही शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में आवश्यक सुधार लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाने तथा उपलब्ध जनशक्ति का विकास कार्यों में अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित कर, मानव संसाधन विकास में योगदान प्रदान करना है। प्रभाग द्वारा किये गये अध्ययनों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. महत्त्वपूर्ण श्रेणी के तकनीकी कार्मिकों का स्टॉफ तथा मांग एवं पूर्ति का आंकलन।
2. विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्रदेश की जनशक्ति का आंकलन, रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति तथा इनमें हो रहे परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन।
3. विकास कार्यक्रमों का रोजगार के दृष्टिकोण से विश्लेषण तथा रोजगारपरक योजनाओं का लाभार्थियों की आय एवं रोजगार पर प्रभाव।
4. प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थाओं की उपयुक्तता तथा प्रशिक्षित जनशक्ति का उपयोग।

योगदान एवं उपयोग

(1) जनशक्ति नियोजन प्रभाग की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं एवं वार्षिक योजनाओं की संरचना

में विशेष भूमिका रही है। नियोजन विभाग द्वारा प्रकाशित प्रत्येक वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं में प्रदेश में जनसंख्या, श्रमशक्ति, रोजगार, बेरोजगारी की स्थिति के संदर्भ में एक विस्तृत अध्याय तैयार कर सम्मिलित किया जाता है। साथ ही विभिन्न योजनागत कार्यक्रमों के अन्तर्गत सृजित होने वाले रोजगार एवं स्वतः रोजगार का आंकलन भी प्रभाग द्वारा किया जाता है। इस अध्याय तथा रोजगार सृजन के आंकलन पर भारत सरकार के योजना आयोग में गठित श्रम एवं रोजगार डिवीजन के सलाहकार के स्तर पर विस्तृत विचार-विमर्श भी होता रहा है।

(2) प्रभाग द्वारा रोजगारपरक तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का प्रभाव जानने हेतु कुछ विशिष्ट अध्ययन भी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/निगमों में रोजगार सृजन के लक्ष्य एवं उपलब्धियों के आंकलन एवं विश्लेषण सम्बन्धी कार्य भी प्रभाग द्वारा किये जाते हैं। प्रदेश में प्रशिक्षित जनशक्ति की मांग एवं पूर्ति, प्रदेश में प्रशिक्षित जनशक्ति का स्टॉक एवं उपयोग तथा रोजगार संरचना में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन कर, उपलब्ध जनशक्ति को और अधिक उपयुक्त बनाने एवं उसकी गुणवत्ता में सुधार लाकर रोजगारपरक बनाने हेतु प्रभाग द्वारा समय-समय पर अध्ययन किये जाते हैं।

(3) प्रभाग द्वारा विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों हेतु आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं की उपयुक्तता एवं उपयोग तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों में समय का अपव्यय आदि से सम्बन्धित अध्ययन भी किये जाते हैं जिसके माध्यम से प्रभाग, प्रदेश में मानव संसाधन विकास हेतु अपना योगदान प्रदान करता है।

योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग

नियोजन विभाग के अन्तर्गत योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग का सृजन मई, 1973 में इस उद्देश्य से किया गया था कि यह प्रभाग प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई गयी चयनित परियोजनाओं की प्रगति पर दृष्टि रखेगा तथा उनके क्रियान्वयन में आने वाले अवरोधों, समस्याग्रस्त क्षेत्रों तथा कमी के सम्बन्ध में शासन को नियमित रूप से अवगत करायेगा। साथ ही प्रभाग से यह भी अपेक्षा की गयी है कि वह परियोजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा, उनके निर्धारित लक्ष्यानुसार पूर्ण न हो पाने के कारण, भविष्य में सम्भावित अवरोधों की जानकारी तथा लागत एवं समयवृद्धि पर अंकुश आदि के सम्बन्ध में सुझावात्मक टिप्पणी सहित वस्तुस्थिति से शासन एवं उच्च प्रबन्धन को अनुश्रवण टिप्पणी के माध्यम से नियमित रूप से अवगत करायेगा।

यह प्रभाग अपने उद्देश्यों के अनुरूप सीमित साधनों एवं जनशक्ति का उपयोग करते हुए तत्परता से अपेक्षानुसार अपने उत्तरदायित्वों का निष्पादन कर रहा है। वर्तमान में प्रभाग द्वारा निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं :-

1. विभिन्न विकास विभागों की वार्षिक योजनाओं तथा व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित रु.5.00 करोड़ से अधिक लागत की समस्त निर्माणाधीन परियोजनाओं, जिनमें/लागत वृद्धि हुई हो के कारणों सहित समीक्षात्मक टिप्पणी तैयार करना तथा प्रमुख सचिव नियोजन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठकें आयोजित कर वस्तु स्थिति से उच्च स्तर को अवगत कराया जाना।
2. रु.1.00 करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं का नियमित मासिक अनुश्रवण टिप्पणी तैयार कर सम्बन्धित विभागों के अवगतार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना। इन रिपोर्टो के अन्तर्गत परियोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन में निर्धारित लक्ष्यों के विपरीत प्रगति में जो

कमी पायी जाती है, उसका उल्लेख कर कठिनाइयों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव भी दिये जाते हैं।

3. विभिन्न विकास विभागों की रु. 5.00 करोड़ से अधिक लागत के मार्ग पेयजल, सीवर/डेनेज परियोजनाएं तथा रु. 1.00 करोड़ से अधिक लागत के अन्य परियोजनाओं का विवरण एवं माइलस्टोन्स का विवरण नव विकसित ई-परियोजना प्रबन्धन की वेबसाइट पर अपलोड कराना तथा अपलोड की गयी परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति नियमित रूप से वेबसाइट पर अपडेट कराने सम्बन्धी समस्त कार्य।
4. आवश्यकतानुसार परियोजनाओं का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण भी किया जाना तथा निरीक्षण आख्या सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना।
5. समय-समय पर निमार्णाधीन परियोजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठकें आहूत करना।
6. परियोजनाओं की लागत पुनरीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु सेतु एवं भवन सूचकांकों का निर्धारण किया जाना

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग का गठन राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत दिनांक 29.05.1972 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की विभिन्न विकास प्रायोजनाओं हेतु पूँजी विनियोग के प्रस्तावों की वित्तीय सहायता, तकनीक सम्भाव्यता तथा आर्थिक एवं सामाजिक लाभ प्रदता का मूल्यांकन करना है।

प्रभाग का कार्यक्षेत्र

- व्यय वित्त समिति सचिवालय
- पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पी.आई.बी.) सचिवालय

व्यय वित्त समिति का संगठन तथा कार्यक्षेत्र

- व्यय के महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों के सभी पहलुओं पर जाँच करके तत्परता से अन्तिम निर्णय लिये जाने के उद्देश्य से दिनाँक 22 अप्रैल 1977 द्वारा व्यय वित्त समिति का गठन किया गया था।
- इस समिति की सदस्यता, कार्य प्रक्रिया, कर्तव्य व कार्य क्षेत्र आदि के सम्बन्ध में दिनाँक 24 जुलाई, 1998 द्वारा आंशिक संशोधन किया गया।

समिति का कार्यक्षेत्र

- योजनाओं/परियोजनाओं में व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्व के परीक्षण का स्तर निम्नवत है–

क्र.सं.	परियोजना के व्यय के प्रस्ताव	व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं उनके औचित्य का प्रशिक्षण
1.	रु. 5.00 करोड़ तक	प्रशासकीय विभाग
2.	रु. 5.00 करोड़ से अधिक एवं रु. 25.00 करोड़ तक	प्रशासकीय विभाग (जिस प्रशासकीय विभाग में मुख्य अभियन्ता तैनात हो।)

3.	रु. 5.00 करोड़ से अधिक एवं रु. 25.00 करोड़ तक	पी.एफ.ए.डी. तथा प्रशासकीय विभाग (जिस प्रशासकीय विभाग में मुख्य अभियन्ता न हो)।
4.	रु. 25.00 करोड़ से अधिक	पी.एफ.ए.डी. तथा प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित व्यय वित्त समिति।

व्यय वित्त समिति के सदस्य

1.	प्रमुख सचिव/सचिव वित्त	- अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन	- सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव पर्यावरण	- सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव प्रशासकीय विभाग	- सदस्य
5.	लोक निर्माण के प्रमुख अभियन्ता अथवा सदस्य उनके द्वारा नामित अधिकारी जो मुख्य अभियन्ता के स्तर से कम न हो	- सदस्य
6.	निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान	- सदस्य संयोजक
7.	निर्माण एजेन्सी के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता	- विशेष आमंत्री

पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड एवं उसकी स्थाई समिति का संगठन तथा कार्यक्षेत्र

1. प्रदेश में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड का गठन जनवरी, 1977 में राज्य सरकार द्वारा किया गया था।
2. पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड का मुख्य कार्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में किये जाने वाले पूँजी विनियोग प्रस्तावों का परीक्षण करके अनुमोदन/संशोधन/अस्वीकृत हेतु अपनी संस्तुति देना है।
3. पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड प्रदेश में नये नियमों की स्थापना की आवश्यकता का भी परीक्षण करता है।
4. बोर्ड के विचारार्थ प्राप्त विनियोजन प्रस्तावों की संख्या में काफी अधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सितम्बर 1985 में एक स्थाई समिति का सृजन किया गया था जिसे पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड की स्थाई समिति कहा गया।

जिला योजना की संरचना

भारत का संविधान की धारा-243ZD में प्रत्येक जनपद की एक जिला योजना समिति गठित किये जाने तथा जनपदों की विकास योजना की संरचना किये जाने का प्रावधान है। प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार उ.प्र. जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 तथा उ.प्र. जिला योजना समिति नियमावली, 2008 के माध्यम से प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति गठित है तथा जनपदों की जिला योजना की संरचना की जा रही है। इसे हेतु राज्य के संसाधनों से जिला योजना हेतु उपलब्ध परिव्यय की जनपदवार फांट के साथ ही जनपदों को विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किये जाते हैं। उक्त मार्ग-निर्देशों के क्रम में जनपदों द्वारा तैयार की गयी जिला विकास योजना पर जिला योजना समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और अनुमोदित जिला योजना नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाती है।

वित्त

बजट 2018-2019 की विशेषताएं

बजट का आकार/प्राप्तियां

- बजट का आकार रु. 4.28 लाख करोड़ रुपये है, जो गत वर्ष से 11.4 प्रतिशत अधिक है।
- 14,342 करोड़ रुपये की व्यय की नई मद का सृजन किया गया है।
- बजट में कुल 4.21 लाख करोड़ की प्राप्तियां अनुमानित हैं जिसमें राजस्व प्राप्ति में रु. 3.49 लाख करोड़ तथा पूंजीगत प्राप्ति रु. 0.72 लाख करोड़ है।

ऋणग्रस्तता

- राज्य की कुल ऋणग्रस्तता वित्तीय वर्ष के अन्त तक 4.43 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।
- वित्तीय वर्ष में कुल लगभग 57,115 करोड़[1] रुपये का ऋण लिया जाना अनुमानित है।

वित्तीय अनुशासन

- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम (एम.आर.बी.एम.) के दायरे में रहते हुये तीनों महत्त्वपूर्ण निम्न संकेतक नियन्त्रण में हैं :-
    - राजस्व अधिशेष (सरप्लस) की स्थिति बनी हुयी है;
    - राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत के अन्दर (2.96 प्रतिशत) है;
    - कुल ऋणग्रस्तता 30.5 प्रतिशत से कम (29.8 प्रतिशत) है।
- राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण के शत प्रतिशत से भी अधिक (168 प्रतिशत) का उपयोग पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन में किया जायेगा अर्थात राजस्व सरप्लस के एक बड़े अंश का उपयोग भी परिसम्पत्तियों के सृजन में किया जायेगा।

प्रमुख विकासात्मक व्यय

- अर्थव्यवस्था के उत्पादन आधार को विस्तृत करने के लिये 74,244 करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है जो गत वर्ष से 39.4 प्रतिशत अधिक है।
- विकास की प्रक्रिया में गति लाने हेतु अवस्थापना विकास हेतु 29.9 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो गत वर्ष से 54 प्रतिशत अधिक है।
- किसानों के विकास के लिये सिंचाई परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी और अनुरक्षण के लिये पिछले वर्ष आवंटित धनराशि 54 प्रतिशत बढ़ाकर 10.9 हजार करोड़ प्राविधानित की गयी है।

---

[1] रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से अर्थोपाय अग्रिम 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि सम्मिलित नहीं।

- ग्राम्य विकास हेतु गत वर्ष के मुकाबले 28.8 प्रतिशत की वृद्धि करके 22.1 हजार करोड़ का बजट आवंटन किया गया है।
- पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये 16 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 17.2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन के लिये 14.7 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में व्यापक सुधार हेतु 21.2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- शिक्षा की स्थिति में गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से 68.3 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- मूलभूत ढांचा के सुदृढ़ीकरण हेतु सड़क एवं सेतुओं के बजट प्रावधान में 22 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

राज्य के संसाधन के स्रोत एवं व्यय की स्थिति
(2018-19 आय-व्ययक अनुमान)

(रु. करोड़ में)

संसाधन के स्रोत	धनराशि (रु. करोड़ में)	प्रतिशत वितरण	व्यय की मुख्य मदें	धनराशि (रु. करोड़ में)	प्रतिशत वितरण
1	2	3	4	5	6
1. राज्य का स्वयं कर राजस्व	122700.00	28.7	1. पूँजीगत परिव्यय	74243.61	17.3
2. राज्य करेत्तर राजस्व	28821.66	6.7	2. वेतन (सरकारी कर्मचारी)	54766.84	12.8
3. केन्द्रीय करों में राज्यांश	133548.40	31.1	3. वेतन (सहायता प्राप्त कर्मचारी)	48497.03	11.3
4. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	63549.31	14.8	4. पेंशन (सरकारी कर्मचारी)	25023.41	5.8
5. लोक ऋण*	67115.00	15.6	5. पेंशन (सहायता प्राप्त संस्थायें)	20472.09	4.8
6. ऋण और अग्रिमों की वसूली	5165.09	1.2	6. ब्याज	32433.75	7.6
			7. स्थानीय निकायों को समानुदेशन	12187.52	2.8
			8. ऋणों का प्रतिदान *	30546.74	7.1
			9. ऋण एवं अग्रिम	2073.90	0.5
			10. सब्सिडी	11563.54	2.7
			11. सहायता अनुदान (गैर वेतन)	41940.50	9.8
			12. अन्य राजस्व व्यय	74635.59	17.4
कुल प्राप्तियाँ	**420899.46**	**98.1**	**कुल व्यय**	**428384.52**	**99.9**
7. लोक लेखा (शुद्ध)	8100.00	1.9	13. नकद आहरण (शुद्ध)	614.94	0.1
8. आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	0.00	0.0			
कुल प्राप्तियाँ (शुद्ध)	**428999.46**	**100.0**	**कुल व्यय (शुद्ध)**	**428999.46**	**100.0**

* प्रतिशत अंश में अर्थोपाय अग्रिम की धनराशि सम्मिलित नहीं है।

प्रमुख विभागों के व्यय की नई मांग
(आय–व्यवक 2018–19)

(रु. करोड़ में)

विभाग का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	पूँजी लेखे का व्यय पूँजीगत	पूँजी लेखे का व्यय ऋण	योग
1	2	3	4	5
1. आवास विभाग	–	450.00	–	450.00
2. लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन	351.00	–	–	351.00
3. भारी एवं मध्यम उद्योग	69.20	1200.00	–	1269.20
4. ऊर्जा	4901.72	75.00	–	4976.72
5. ग्राम्य विकास	220.05	150.00	–	370.05
6. पशुधन	133.08	96.60	–	229.68
7. चीनी उद्योग	25.00	–	867.00	892.00
8. पुलिस	29.80	108.52	–	138.32
9. नागरिक उड्डयन	150.00	–	–	150.00
10. नियोजन	–	1000.00	–	1000.00
11. पर्यटन	75.50	167.94	–	243.44
12. महिला एवं बाल कल्याण	120.87	–	–	120.87
13. लोक निर्माण (सेतु, सड़कें)	–	1654.57	–	1654.57
14. प्राथमिक शिक्षा	–	505.01	–	505.01
15. माध्यमिक शिक्षा	80.96	80.00	–	160.96
16. अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	22.88	427.21	–	450.09
17. सिंचाई विभाग	1.53	621.19	–	622.72
18. अन्य	353.48	403.77	–	757.25
योग :	**6535.07**	**6939.82**	**867.00**	**14341.89**

प्रदेश की प्राप्तियाँ, व्यय एवं प्रमुख वित्तीय संकेतक

(रु. करोड़ में)

मद	2014–15	2015–16	2016–17	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय-व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4	5	6
1. समेकित निधि–					
क. प्राप्तियाँ					
(क) राजस्व लेखा	193421.61	227075.94	256875.15	305028.87	348619.37
(1) स्वयं का कर राजस्व	74172.98	81106.29	85966.25	94958.92	122700.00
(2) केन्द्रीय करों में अंश	66622.35	90973.66	109427.96	121406.51	133548.40
(3) करेत्तर राजस्व	19934.80	23134.66	28944.07	17502.12	28821.66
(4) केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	32691.48	31861.33	32536.87	71161.32	63549.31
(ख) पूंजी लेखा	35782.76	75239.21	67943.86	55136.91	72280.09
(1) ऋणों से प्राप्तियाँ	35520.28	74513.58	67685.07	54852.72	*67115.00
(2) ऋणों और अग्रिम की वसूलियां	262.48	725.63	258.79	284.19	5165.09
योग, प्राप्तियां	**229204.37**	**302315.15**	**324819.01**	**360165.78**	**420899.46**
ख. व्यय					
(क) राजस्व लेखा	171027.33	212735.95	236592.26	286513.57	321520.27
(1) सामान्य सेवायें	64305.73	72227.92	88254.82	107367.01	136244.33
(2) सामाजिक सेवायें	60905.79	82486.46	91861.12	95314.70	110663.85
(3) आर्थिक सेवायें	34885.24	47881.29	45834.16	72253.71	62424.57
(4) स्थानीय निकायों को समनुदेशन	10930.57	10140.28	10642.16	11578.15	12187.52
(ख) पूंजी लेखा	64581.13	91213.39	96832.88	81887.47	106864.25
(1) पूंजीगत परिव्यय	53297.28	64422.72	69789.12	57343.92	74243.61
(2) ऋणों का प्रतिदान	9411.21	17672.76	20302.67	22014.32	*30546.74
(3) ऋण और अग्रिम	1872.64	9117.91	6741.09	2529.23	2073.90
योग, व्यय	**235608.46**	**303949.34**	**333425.14**	**368401.04**	**428384.52**
समेकित निधि में-बचत(+)/घाटा(-)	**(-)6404.09**	**(-)1634.19**	**(-)8606.13**	**(-)8235.26**	**(-)7485.06**
2. आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	(-) 202.60	157.21	(-) 176.04	100.00	0.00
3. लोक लेखा (शुद्ध)	6753.73	1076.92	8910.85	7600.00	8100.00
4. राजस्व बचत	22394.28	14339.99	20282.89	18515.30	27099.10
5. राजकोषीय घाटा	32513.16	58475.01	55988.53	41073.66	44053.32
6. शुद्ध राजकोषीय घाटा (डिस्काम के पुनर्गठन प्रभाव को हटा कर	32513.16	28872.41	41187.24	41073.66	44053.32
7. प्राथमिक घाटा	13648.72	37027.14	29052.86	10795.92	11619.57
8. शुद्ध प्राथमिक घाटा (डिस्काम के पुनर्गठन प्रभाव को हटा कर	13648.72	8154.73	14251.57	10795.92	11619.57

*** भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम की रु. 10,000 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है।**

राजस्व प्राप्ति

(केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का अंश तथा राज्य का स्वयं का कर राजस्व)

(रु. करोड़ में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	पुनरीक्षित अनुमान 2017-18	आय-व्ययक अनुमान 2018-19
1	2	3	4	5	6
क. केन्द्रीय करों में राज्य का अंश	66622.35	90973.66	109427.96	121406.51	133548.40
योग, (क)	**66622.35 (47.32)**	**90973.66 (52.87)**	**109427.96 (56.00)**	**121406.51 (56.11)**	**133548.40 (52.12)**
ख. राज्यकर तथा शुल्क					
(1) भू-राजस्व	527.23	505.31	760.04	800.00	800.00
(2) स्टाम्प और निबन्धन शुल्क	11803.34	12403.72	11564.01	12590.00	18000.00
(3) राज्य उत्पाद शुल्क	13482.57	14083.54	14273.49	15700.00	23000.00
(4) वाणिज्य कर (वैट)	42934.56	47692.40	51882.88	28603.13	22078.00
(5) वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)	-	-	-	28602.70	49422.00
(6) वाहनों एवं माल तथा यात्री पर कर	3797.58	4410.53	5148.36	6400.00	7400.00
(7) विद्युत कर और शुल्क	1085.44	1338.26	1555.83	1500.00	2000.00
(8) मनोरंजन कर *	498.39	622.26	725.79	704.00	-
(9) पर्यटन कर *	43.87	50.27	55.85	59.09	-
योग, (ख)	**74172.98 (52.68)**	**81106.29 (47.13)**	**85966.25 (44.00)**	**94958.92 (43.89)**	**122700.00 (47.88)**

* माह जुलाई, 2017 से प्रदेश में जी.एस.टी. व्यवस्था लागू होने से मनोरंजन कर एवं पर्यटन कर जी.एस.टी. में समाहित हो गये हैं।

राजस्व प्राप्ति
(राज्य का करेत्तर राजस्व)

(रु. करोड़ में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	पुनरीक्षित अनुमान 2017-18	आय-व्ययक अनुमान 2018-19
1	2	3	4	5	6
राज्य करेत्तर राजस्व	**19934.80**	**23134.66**	**28944.07**	**17502.12**	**28821.66**
(क) राजकोषीय सेवायें, ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ	**2310.96**	**675.48**	**1251.29**	**828.30**	**852.03**
(ख) अन्य करेत्तर राजस्व (1+2+3)	**17623.84**	**22459.18**	**27692.78**	**16673.82**	**27969.63**
1. सामान्य सेवायें	**7122.15**	**6113.74**	**5993.32**	**5546.88**	**13805.09**
(क) पुलिस व जेल	259.36	394.26	336.80	431.16	452.58
(ख) लेखन सामग्री तथा मुद्रण	16.46	22.34	49.39	38.88	40.07
(ग) लोक निर्माण-कार्य	82.95	92.25	60.99	70.00	75.00
(घ) विविध सामान्य सेवायें	6400.41	4949.22	4460.40	4542.00	12758.33
(ङ) अन्य	362.97	655.67	1085.74	464.84	479.11
2. सामाजिक सेवायें	**6513.98**	**11264.36**	**14653.22**	**1067.08**	**971.91**
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	5798.52	10652.08	14092.31	*532.01	520.00
(ख) चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	168.66	242.54	185.93	190.86	196.73
(ग) अन्य	546.80	369.75	374.98	344.21	255.18
3. आर्थिक सेवायें	**3987.71**	**5081.08**	**7046.24**	**10059.86**	**13192.63**
(क) फसल कृषि कर्म	59.18	98.74	63.88	65.00	75.00
(ख) पशुपालन, डेरी विकास व मत्स्य पालन	45.42	43.74	43.66	79.21	49.49
(ग) वानिकी तथा वन्य प्राणी	415.06	629.79	252.97	450.00	475.00
(घ) सहकारिता	9.80	167.50	20.74	23.40	24.12
(ङ) अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	325.85	129.75	70.28	59.90	61.74
(च) लघु, मध्यम तथा वृहद सिंचाई	396.75	651.40	781.80	900.00	1670.00
(छ) विद्युत	967.87	1325.50	2938.85	4551.09	5700.00
(ज) उद्योग	1089.92	1283.30	1846.36	3065.49	4067.50
(झ) सड़क तथा सेतु	587.41	652.48	929.48	750.00	950.00
(ञ) अन्य	90.45	98.87	98.22	115.77	119.78
योग : राज्य करेत्तर राजस्व	**19934.80**	**23134.66**	**28944.07**	**17502.12**	**28821.66**

* वर्ष 2017-18 से सर्वशिक्षा अभियान सम्बन्धी प्रतिपूर्ति धनराशि मुख्यशीर्ष के सकल व्यय में समायोजित हाने के कारण इस मद में अब प्रदर्शित नहीं की जाती है।

राजस्व प्राप्ति
(केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान)

(रु. करोड़ में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	पुनरीक्षित अनुमान 2017-18	आय-व्ययक अनुमान 2018-19
1	2	3	4	5	6
1. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	**6808.88**	**8273.90**	**9334.94**	**10958.05**	**11833.08**
(अ) 13वें/14वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार	**5900.76**	**8273.90**	**9334.94**	**10958.05**	**11833.08**
(क) शहरी स्थानीय निकाय/ नगर विकास विभाग	821.98	491.80	1667.60	2613.48	2336.99
1. सामान्य बुनियादी अनुदान	493.63	491.80	1268.80	2158.60	1820.41
2. सामान्य निष्पादन अनुदान	328.35	-	398.80	454.88	516.58
(ख) ग्रामीण स्थानीय निकाय/ पंचायती राज विभाग	2121.81	3852.59	6034.35	6973.57	8050.34
1. सामान्य बुनियादी अनुदान	1636.30	3852.59	5334.60	6179.65	7148.74
2. सामान्य निष्पादन अनुदान	485.51	–	699.75	793.92	901.60
(ग) आपदा राहत (एस.डी.आर.एफ.)	361.33	3381.65	531.75	558.00	582.75
(घ) आपदा राहत (एस.डी.आर.एफ.)	–	–	1062.09	813.00	863.00
(च) अन्य	2595.64	548.16	39.15	–	–
(छ) अन्य वापसियाँ	–	–0.30	–	–	–
(ब) अन्य अनुदान	908.12	–	–	–	–
2. केन्द्र द्वारा समर्थित योजनायें (सी.एस.एस.)	**19289.21**	**21637.97**	**22913.54**	**48627.71**	**48971.23**
3. राज्य योजनायें	**6576.02**	**1933.16**	**232.33**	**11568.87**	**2710.89**
(क) केन्द्रीय सड़क निधि	234.26	225.39	219.71	8000.00	2200.00
(ख) अन्य	6341.76	1707.77	12.62	3568.87	510.89
4. केन्द्रीय योजनायें	**17.37**	**16.30**	**56.06**	**6.69**	**34.11**
कुल योग :	**32691.48**	**31861.33**	**32536.87**	**71161.32**	**63549.31**

13वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 है जबकि 14वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि 2015-16 से 2019-20 है।

राजस्व प्राप्ति

(केन्द्र द्वारा समर्थित प्रमुख योजनाओं (सी.एस.एस.) के लिए प्राप्त सहायता अनुदान)

(रु. करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18 आय-व्यक अनुमान	2017-18 31मार्च 2018 तक प्राप्ति*	आय-व्यक अनुमान 2018-19
1	2	3	4	5	6
(क) प्रमुख केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं					
1. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	1127.60	1746.80	1651.00	1519.06	2050.00
2. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	2695.73	792.67	1575.00	983.48	1524.60
3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएसकेएसवाई) (पूर्व ए.आई.बी.पी.)		73.70	1109.72	447.59	1257.52
4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	619.62	1234.87	1794.53	910.30	1723.69
5. प्रधानमंत्री आवास योजना	1583.13	2329.35	7500.00	4880.05	8230.34
(क) ग्रामीण	1583.13	2272.86	4500.00	4224.60	6900.00
(ख) शहरी		56.49	3000.00	655.45	1330.34
6. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	490.31	701.95	500.00	472.53	750.00
7. स्वच्छ भारत मिशन	562.51	853.33	2395.50	3747.51	3452.00
(क) ग्रामीण	562.51	853.33	1953.00	3155.37	2994.00
(ख) शहरी			442.50	592.14	458.00
8. राष्ट्रीय आजीविका मिशन	71.44	64.04	671.25	357.48	390.85
(क) ग्रामीण	54.02	41.38	540.00	312.73	250.80
(ख) शहरी	17.42	22.66	131.25	44.75	140.05
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	2082.28	3172.61	3838.13	3794.24	4640.35
10. सर्वशिक्षा अभियान	4799.82	4208.63	11683.30	4249.81	10931.39
11. मध्याह्न भोजन (एमडीएम)	861.93	1017.36	1240.69	1004.75	1228.96
12. एकीकृत बाल विकास सेवायें (आंगनवाड़ी एवं पोषाहार मिशन सहित)	2826.36	2416.45	3554.20	2271.80	4024.02
13. महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा			137.64	15.34	

14. शहरी पुनरुद्धार मिशन (अमृत-अटल पुनरुद्धार और शहरी रूपांतरण मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन)		520.63	1851.00	689.23	2062.50
15. हरितक्रान्ति (आर.के.वी.वाई. सहित)	177.41	414.82	764.51	274.85	1346.40
16. पर्यटन (डेस्टिनेशन सर्किट)		0.00	2044.12	0.00	55.66
17. अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम	377.94	222.53	1034.66	207.35	1055.33
जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम			215.24	112.05	1055.33
18. सी.आर.एफ.	225.39	219.71	8000.00	890.24	2200.00
19. विशेष केन्द्रीय सहायता (सी.ए.एस.पी.)	–	–	–	917.20	–
योग (क) :	**18501.48**	**19989.45**	**51145.25**	**27632.81**	**46923.61**
(ख) अन्य केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें	**5085.95**	**3212.47**	**5949.01**	**1954.90**	**4792.62**
योग (क + ख)	**23587.43**	**23201.92**	**57094.26**	**29587.71**	**51716.23**
(ग) वित्त आयोग अनुदान					
(1) स्थानीय निकाय (ग्रामीण)	3852.60	6034.35	6973.57	6179.66	8050.34
(2) स्थानीय निकाय (शहरी)	491.80	1667.61	2613.48	2111.57	2336.99
(3) एस.डी.आर.एफ.	3381.65	531.75	558.00	558.00	582.75
(4) एन.डी.आर.एफ.	-	1062.09	813.00	119.67	863.00
(5) अन्य अनुदान	547.85	39.15	0.00	0.00	0.00
योग (ग) :	**8273.90**	**9334.95**	**10958.05**	**8968.90**	**11833.08**
महायोग (क + ख + ग)	**31861.33**	**32536.87**	**68052.31**	**38556.61**	**63549.31**

* दिनांक 31 मार्च, 2018 को राज्य सरकार को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार।

राजस्व व्यय

(रु. करोड़ में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	पुनरीक्षित अनुमान 2017-18	आय-व्ययक अनुमान 2018-19
1	2	3	4	5	6
(क) सामान्य सेवायें					
1. करों से वसूली	**2828.95**	**2993.33**	**3470.89**	**4158.27**	**4844.49**
2. ब्याज संदाय एवं ऋण परिशोधन	**23364.44**	**28414.65**	**37708.02**	**42509.96**	**58837.70**
3. सामान्य प्रशासनिक सेवायें	**38112.34**	**40819.93**	**47075.92**	**60698.78**	**72562.14**
1. विधान मण्डल, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद तथा निर्वाचन	539.63	487.70	834.46	879.69	1124.34
2. लोक सेवा आयोग, सचिवालय सामान्य सेवाएं	420.48	509.10	545.40	712.69	763.06
3. जिला प्रशासन व कोषागार	858.22	912.61	1004.64	1234.09	1465.70
4. न्याय प्रशासन	1356.77	1490.17	1647.11	2171.56	2570.62
5. जेल	499.13	559.24	565.46	630.86	700.63
6. पुलिस	10345.11	10792.38	12195.91	13781.85	15972.19
7. लोक निर्माण	670.41	697.35	512.39	2233.92	2633.09
8. पेंशन तथा विविध सामान्य सेवायें	22340.55	24184.45	28270.19	37383.75	45542.89
9. अन्य	1082.04	1186.93	1500.35	1670.37	1789.62
(ख) सामाजिक तथा आर्थिक सेवायें	**95791.02**	**130367.74**	**137695.28**	**167568.41**	**173088.42**
1. शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	33949.05	45077.35	52219.91	44662.75	55161.09
2. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	6138.91	6730.26	7898.23	10029.54	12400.85
3. श्रम तथा रोजगार	1032.30	514.10	635.91	1188.59	1261.06
4. सहकारिता	1128.53	461.24	508.68	438.09	641.75
5. कृषि एवं अन्य कृषि कार्यक्रम आदि	2450.42	2544.61	2754.93	29074.80	8765.08
6. लघु सिंचाई, भू-एवं जल संरक्षण व कमान क्षेत्र विकास	2435.25	2372.63	2352.37	2830.39	3184.08
7. पशुपालन, डेरी विकास व मछली पालन	841.26	899.91	1141.10	1482.69	1852.21
8. वानिकी एवं वन्य जीवन	524.24	529.32	560.01	701.73	824.39
9. ग्राम्य विकास	6292.02	7714.16	13848.25	17888.15	19864.92
10. उद्योग और खनिकर्म	1001.39	3082.17	672.51	1961.25	3172.70
11. मुख्य एवं मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं ऊर्जा	15935.66	25722.27	18288.06	12586.64	18685.66
12. परिवहन	3173.23	3572.60	4825.92	3979.76	4431.09
13. अन्य	20888.76	31147.12	31989.40	40744.03	42843.54
(घ) स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन*	**10930.57**	**10140.29**	**10642.16**	**11578.15**	**12187.54**
योग (क+ख+ग+घ+ङ)	**171027.32**	**212735.95**	**236592.26**	**286513.57**	**321520.27**

* राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार।

राजस्व व्यय

(विकास एवं विकासेत्तर व्यय)

(रु. करोड़ में)

मद	2016-17		2017-18		2018-19	
	वास्तविक व्यय	प्रतिशत वितरण	पुनरीक्षित अनुमान	प्रतिशत वितरण	आय-व्ययक अनुमान	प्रतिशत वितरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास व्यय (क+ख)	**137695.28**	**58.21**	**167568.41**	**58.49**	**173088.42**	**53.84**
क. सामाजिक सेवायें	**91861.12**	**38.83**	**95314.70**	**33.27**	**110663.85**	**34.42**
ख. आर्थिक सेवायें	**45834.16**	**19.38**	**72253.71**	**25.22**	**62424.57**	**19.42**
1. कृषि और सम्बद्ध क्रिया-कलाप	5599.29	2.37	32425.45	11.32	13050.45	4.06
2. ग्रामीण विकास	13848.25	5.85	17888.15	6.24	19864.92	6.18
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	11.98	0.01	254.72	0.09	159.25	0.05
4. सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं ऊर्जा	20005.86	8.46	14688.90	5.13	20902.71	6.50
5. उद्योग और खनिज	672.51	0.28	1961.25	0.68	3172.70	0.99
6. परिवहन	4825.92	2.04	3979.76	1.39	4431.09	1.38
7. विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	62.65	0.03	65.90	0.02	69.66	0.02
8. सामान्य आर्थिक सेवायें	807.70	0.34	989.58	0.35	773.79	0.24
2. विकासेत्तर व्यय- सामान्य सेवायें-	**88254.82**	**37.31**	**107367.01**	**37.47**	**136244.33**	**42.37**
1. राज्य के अंग	2481.57	1.05	3051.25	1.06	3694.96	1.15
2. राजकोषीय सेवायें	3470.89	1.47	4158.27	1.45	4844.50	1.51
3. ब्याज संदाय और ऋण परिशोधन	37708.02	15.94	42509.96	14.84	58837.70	18.30
4. प्रशासनिक सेवायें	16324.14	6.90	20263.77	7.07	23324.28	7.25
5. पेंशन और विविध सामान्य सेवायें	28270.19	11.95	37383.75	13.05	45542.89	14.16
योग (1+2)	**225950.10**	**95.52**	**274935.42**	**95.96**	**309332.75**	**96.21**
3. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	10642.16	4.48	11578.15	4.04	12187.52	3.79
कुल योग (1+2+3)	**236592.26**	**100.00**	**286513.57**	**100.00**	**321520.27**	**100.00**

राजस्व व्यय
(वेतन पर व्यय का वर्गीकरण)

(रु. करोड़ में)

मद	2016-17		2017-18 (पु०अनु०)		2018-19 (आ०अनु०)	
	व्यय	राजस्व व्यय से प्रतिशत	व्यय	राजस्व व्यय से प्रतिशत	व्यय	राजस्व व्यय से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
क. राज्य कर्मचारी						
1. मूल वेतन	20089.31	8.49	41900.22	14.62	45283.97	14.08
2. भत्ते	17457.74	7.38	4536.27	1.58	6681.78	2.08
2.1 महंगाई भत्ता	15918.09	6.73	2624.97	0.92	4495.95	1.40
2.2 अन्य भत्ते	1539.65	0.65	1911.30	0.67	2185.83	0.68
3. पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	–	–	–	–	2801.09	0.87
योग (1+2+3)	**37547.05**	**15.87**	**46436.49**	**16.21**	**54766.84**	**17.03**
ख. राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की वेतन हेतु सहायता	**47044.80**	**19.88**	**39483.12***	**13.78**	**48497.03**	**15.08**
कुल योग (क+ख)	**84591.85**	**35.75**	**85919.61**	**29.99**	**103263.87**	**32.12**

* परिषदीय विद्यालयों के बेसिक शिक्षा के कुल वितरित वेतन के सापेक्ष विभाग द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को वेतन के लिए की जाने वाली प्रतिपूर्ति रु. 16,100 करोड़ को वर्ष 2017-18 में न लेकर प्राथमिक शिक्षा विभाग के मुख्य शीर्ष में प्रदर्शित वेतन के सकल व्यय से वापसियों में दर्शा कर समायोजित किये जाने के कारण 7वें वेतन आयोग के प्रभाव के बाद भी वृद्धि परिलक्षित नहीं हो रही हैं।

राजस्व व्यय

(कृषि तथा सम्बद्ध कार्य-कलाप)

(रु. करोड़ में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	पुनरीक्षित अनुमान 2017-18	आय-व्ययक अनुमान 2018-19
1	2	3	4	5	6
1. फसल कृषि कर्म	2130.91	2197.29	2329.46	28518.98	8198.27
2. मृदा तथा जल संरक्षण	682.13	647.91	634.57	728.14	967.03
3. पशुपालन तथा मछली पालन	760.76	810.14	1020.77	1395.01	1742.32
4. वानिकी तथा वन्य जीवन	524.24	529.32	560.01	701.73	824.39
5. खाद्य भंडारण तथा भण्डारागार	146.76	162.85	222.97	308.54	275.29
6. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	155.23	170.14	182.20	221.02	259.44
7. सहकारिता	1128.53	461.24	508.68	438.09	641.75
8. अन्य	98.02	118.94	140.63	113.94	141.96
योग	**5626.58**	**5097.83**	**5599.29**	**32425.45**	**13050.45**

राजस्व व्यय

(शिक्षा)

निम्नलिखित तालिका में आय-व्ययक शीर्षक ''शिक्षा'' के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की शिक्षा पर किये जाने वाले राजस्व व्यय को दर्शाया गया है। इसमें अन्य शीर्षकों जैसे- कृषि, उद्योग, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत शिक्षा कार्यक्रमों पर व्यय की गयी धनराशि सम्मिलित नहीं हैं।

(रु. करोड़ में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	पुनरीक्षित अनुमान 2017-18	आय-व्ययक अनुमान 2018-19
1	2	3	4	5	6
1. प्राथमिक शिक्षा	23401.12	31616.74	38729.59	29833.56	38512.28
2. माध्यमिक शिक्षा	6394.31	7034.60	7388.70	7940.23	9029.82
3. उच्च शिक्षा	1643.05	1735.92	1840.73	2160.78	2456.18
4. तकनीकी शिक्षा	243.42	270.65	289.72	356.90	410.49
5. अन्य	146.77	189.69	-83.76	-104.42	-133.79
योग	**31828.67**	**40847.60**	**48164.98**	**40187.05**	**50274.98**

राजस्व व्यय
(चिकित्सा एवं परिवार कल्याण)

(रु. करोड़ में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	पुनरीक्षित अनुमान 2017-18	आय-व्ययक अनुमान 2018-19
1	2	3	4	5	6
1. एलोपैथिक	3651.93	3905.13	4393.49	5314.97	6680.07
2. आयुर्वेदिक एवं यूनानी	491.55	551.46	609.18	895.84	1060.82
3. होम्योपैथिक	235.65	248.19	284.37	355.63	404.80
4. परिवार कल्याण	3415.60	3542.55	3925.25	4813.49	5303.93
5. राज्य कर्मचारी बीमा योजना	121.98	133.73	129.76	148.57	145.41
6. चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण	1179.24	1381.92	1927.26	2528.60	3163.35
7. सार्वजनिक स्वास्थ्य	359.14	375.74	413.71	611.72	733.23
8. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना	620.64	1056.49	1178.51	1205.19	1395.93
योग	**10075.73**	**11195.21**	**12861.53**	**15874.01**	**18887.54**

पूँजीगत प्राप्ति

(राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाला ऋण व प्रदत्त ऋण की वसूली)

(रु. करोड़ में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	पुनरीक्षित अनुमान 2017-18	आय-व्ययक अनुमान 2018-19
1	2	3	4	5	6
(क) राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	35034.30	73919.72	66653.99	53652.72	65615.00
1. बाजार कर्ज़	17500.00	30000.00	41050.00	41646.46	49603.00
2. नाबार्ड	1747.73	1893.44	2000.00	1500.00	5800.00
3. राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	8626.38	7752.05	–	–	–
4. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	1731.95	4498.55	8695.05	10000.00	10000.00
5. अन्य संस्थाओं से कर्ज	5428.24	29775.68	14908.94	506.26	212.00
(ख) केन्द्रीय सरकार से बाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए ऋण	485.98	593.86	1031.08	1200.00	1500.00
(ग) ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	262.48	725.63	258.79	284.19	5165.09
1. सरकारी कर्मचारियों आदि	96.61	100.27	102.41	124.00	113.18
2. अन्य	165.87	625.36	156.38	160.19	5051.91*
(घ) आकस्मिकता निधि से अन्तरण	–	157.21	–	–	–
योग (क+ख+ग+घ)	**35782.76**	**75396.42**	**67943.86**	**55136.91**	**72280.09**

* इसमें विद्युत वितरण कम्पनियों को 'उदय' योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत बंध पत्रों से प्राप्त धनराशि के 25 प्रतिशत अंश के समतुल्य स्वीकृत ब्याज सहित ऋण रु. 4891.72 करोड़ की वापसी की धनराशि शामिल है।

पूँजीगत व्यय

(रु. करोड़ में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	पुनरीक्षित अनुमान 2017-18	आय-व्ययक अनुमान 2018-19
1	2	3	4	5	6
क. पूँजीगत परिव्यय	**53297.28**	**64422.72**	**69789.12**	**57343.92**	**74243.61**
ख. ऋणों का प्रतिदान	**9411.21**	**17672.76**	**20302.67**	**22014.32**	**30546.74**
अ. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	**8050.64**	**16275.46**	**18862.99**	**20567.61**	**29100.07**
1. बाजार से	3987.37	4699.16	4145.58	4422.72	12693.33
2. नाबार्ड	1123.47	1295.98	1418.55	1396.60	1451.70
3. राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	2301.48	3413.37	4531.58	4643.05	4871.64
4. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0.00	6230.50	8695.05	10000.00	10000.00
5. अन्य	638.32	636.45	72.23	105.24	83.40
ब. केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम	**1360.57**	**1397.30**	**1439.68**	**1446.71**	**1446.67**
ग. ऋण और अग्रिम	**1872.64**	**9117.91**	**6741.09**	**2529.23**	**2073.90**
1. आवास एवं शहरी विकास	135.00	175.00	1014.00	460.05	200.00
2. समेकित राज्य योजनागत कर्ज (12वें वित्त आयोग की संस्तुति अनुसार)	1063.82	1063.82	1063.82	1063.82	1063.82
3. सहकारिता	24.90	576.19	11.05	10.00	4.26
4. विद्युत परियोजनाएं	0.00	6083.12	3700.32	0.00	0.00
5. सरकारी कर्मचारियों आदि	102.74	106.79	91.54	121.84	121.34
6. अन्य	546.18	1112.99	860.36	873.52	684.48
घ. आकस्मिकता निधि को विनियोग	–	–	–	–	–
योग (क+ख+ग+घ)	**64581.13**	**91213.39**	**96832.87**	**81887.47**	**106864.25**

पूँजीगत व्यय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम
(विकास एवं विकासेत्तर)

(रु. करोड़ में)

मद	2016-17		2017-18		2018-19	
	वास्तविक व्यय	प्रतिशत वितरण	पुनरीक्षित अनुमान	प्रतिशत वितरण	आय-व्ययक अनुमान	प्रतिशत वितरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास व्यय (क+ख)	**70686.76**	**92.37**	**55840.46**	**93.27**	**71738.92**	**94.01**
क. सामाजिक सेवायें	**18495.35**	**24.17**	**18056.87**	**30.16**	**22948.71**	**30.07**
ख. आर्थिक सेवायें	**52191.41**	**68.20**	**37783.59**	**63.11**	**48790.21**	**63.94**
1. कृषि और सम्बद्ध क्रिया-कलाप	4736.13	6.19	975.30	1.63	884.47	1.16
2. ग्रामीण विकास	2249.22	2.94	3261.92	5.45	3621.85	4.75
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	698.02	0.91	998.84	1.67	854.41	1.12
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	5200.76	6.80	4234.76	7.07	7979.59	10.46
5. ऊर्जा	15435.40	20.17	8142.99	13.60	12981.86	17.01
6. उद्योग तथा खनिज	775.22	1.01	1342.83	2.24	1243.30	1.63
7. परिवहन	22703.08	29.67	16271.11	27.18	20542.46	26.92
8. अन्य	393.58	0.51	2555.84	4.27	682.27	0.89
2. विकासेत्तर व्यय	**5843.45**	**7.63**	**4032.69**	**6.73**	**4578.59**	**5.99**
योग (1+2)	**76530.21**	**100.00**	**59873.15**	**100.00**	**76317.51**	**100.00**

पूँजीगत व्यय

(पूँजीगत परिव्यय)

(रु. करोड़ में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	पुनरीक्षित अनुमान 2017-18	आय-व्ययक अनुमान 2018-19
1	2	3	4	5	6
क. सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय	**4008.67**	**5259.08**	**5727.30**	**3831.69**	**4377.59**
1. पुलिस	749.40	1014.66	1264.83	651.44	576.13
2. लोक निर्माण कार्य	972.32	1285.20	1113.53	1673.67	1461.83
3. अन्य	2286.95	2959.22	3348.94	1506.58	2339.63
ख. सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय	**12754.72**	**11706.76**	**17150.47**	**17292.10**	**22443.91**
1. शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	1385.17	1130.44	2018.30	1787.05	2073.08
2. चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	1900.71	2256.01	2922.30	2420.08	2757.33
3. जलापूर्ति तथा सफाई	2615.73	2257.00	3109.02	4391.62	2422.50
4. आवास	4996.26	3695.27	6662.12	7098.36	12377.69
5. शहरी विकास	871.48	1334.21	886.46	207.70	913.90
6. समाज कल्याण तथा पोषण	601.46	662.17	1109.70	698.72	915.09
7. अन्य	383.91	371.66	442.57	688.57	984.32
ग. आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय	**36533.89**	**47456.88**	**46911.35**	**36220.13**	**47422.11**
1. कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप	1406.46	2271.78	3921.13	770.49	817.20
2. ग्रामीण विकास	4442.94	4756.88	2249.22	3261.92	3621.85
3. सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण	4093.03	5051.88	5200.76	4234.76	7979.59
4. ऊर्जा	15959.96	18809.10	11735.08	8142.99	12981.86
5. उद्योग और खनिज	54.74	91.85	152.03	106.02	63.80
6. परिवहन	14337.73	15715.45	22653.08	16271.11	20542.46
7. अन्य सेवाओं पर	1239.03	759.94	1000.06	3432.84	1415.35
योग (क+ख+ग)	**53297.28**	**64422.72**	**69789.12**	**57343.92**	**74243.61**

राज्य की कुल ऋण ग्रस्तता तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की अदत्त धनराशियां

(रु. करोड़ में)

मद	31 मार्च को शेष				
	2015	2016	2017	पुनरीक्षित अनुमान 2018	आय-व्ययक अनुमान 2019
1	2	3	4	5	6
1. राज्य की कुल ऋणग्रस्तता					
क. लोक ऋण					
स्थायी ऋण					
1. बाजार ऋण	102666.91	127967.87	164872.26	201450.26	238359.93
2. वित्तीय संस्थाओं से ऋण	9280.93	8270.25	8910.12	9414.66	13891.64
3. भारत सरकार से ऋण	79894.50	83419.57	78479.40	73589.64	68771.33
अ. केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	65444.26	69782.94	65251.36	60608.32	55736.67
ब. केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम	14450.24	13636.63	13228.04	12981.32	13034.66
1. 12वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार दिनांक 31.03.2004 को अवशेष समेकित कर्ज	9652.16	8588.34	7524.53	6460.71	5396.89
2. बाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए कर्ज	–	–	3192.13	4292.13	5692.13
3. अन्य	4798.08	5048.29	2511.38	2228.48	1945.64
योग, (क)	**191842.34**	**219657.69**	**252261.78**	**284454.56**	**321022.90**
ख. अन्य दायित्व					
1. पावर बाण्ड	5857.32	34872.73	49674.02	49674.02	49674.02
2. भविष्य निधियाँ	45480.38	47014.66	48733.64	50962.89	53719.49
3. जमा और अग्रिम	23617.64	22367.46	22747.89	21382.84	18946.11
4. अन्य देयतायें	23.01	23.12	0.00	0.00	0.00
योग, (ख)	**74978.35**	**104277.97**	**121155.55**	**122019.75**	**122339.62**
कुल योग, (क+ख)	**266820.69**	**323935.66**	**373417.33**	**406474.31**	**443362.52**
2. राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम की अदत्त धनराशियां	14066.36	22458.64	28940.94	31185.99	28094.80

आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत नाबार्ड से ऋण

1. नाबार्ड में रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड (आर.आई.डी.एफ.) का गठन भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु किया गया।

2. प्रदेश में आर.आई.डी.एफ. से प्राप्त ऋणों का 48 प्रतिशत सिंचाई एवं जल निकासी परियोजनाओं पर, 10 प्रतिशत बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर, 29 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण पर, 07 प्रतिशत वर्षा जल प्रबन्धन पर तथा 06 प्रतिशत पशु चिकित्सालय एवं वानिकी के क्षेत्र में उपयोग किया गया है।

(आर.आई.डी.एफ. से वित्त पोषित स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण)

(रु. करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4
1. सिंचाई की परियोजनायें	859.44	1427.77	1164.15
2. ग्रामीण सड़कें	335.47	249.99	262.45
3. ग्रामीण सेतु	33.67	82.86	280.06
4. डेरी विकास की परियोजनायें	983.22	–	–
5. पशुपालन	–	131.91	–
योग (स्वीकृत परियोजनायें) :	**2211.80**	**1892.53**	**1706.66**

एल.टी.आई.एफ. (दीर्घ कालीन सिंचाई निधि)

1. एल.टी.आई.एफ. का सृजन नाबार्ड के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में किया गया।
2. लम्बे समय से अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निधि का गठन किया गया।
3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत प्रदेश की तीन सिंचाई परियोजनाओं - सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना तथा मध्य गंगा नहर परियोजना- द्वितीय चरण हेतु नाबार्ड की दीर्घकालीन सिंचाई निधि से ऋण लेकर पूर्ण किया जाना है।
4. वर्ष 2018-19 के बजट में उक्त तीनों परियोजनाओं के लिये एल.टी.आई.एफ. से रु. 3600 करोड़ का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है।

(एल.टी.आई.एफ. से वित्त पोषित स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण)

(रु. करोड़ में)

मद	प्रारम्भ वर्ष/ स्वीकृत वर्ष	अपेक्षित कुल ऋण		परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य	2018-19 में प्रावधान	अभ्युक्ति
		केन्द्र सरकार से अनुदान	एल.टी. आई.एफ.			
1	2	3	4	5	6	7
1. सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना	1982	1166.57	2450.67	दिसम्बर 2019	1613.86	पूर्वी उ.प्र. में 14 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा।
2. अर्जुन सहायक परियोजना	2009	100.00	1479.86	दिसम्बर 2019	741.14	बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 14,381 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा।
3. मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण	2007	92.00	3310.81	दिसम्बर 2020	1701.40	पश्चिमी उ.प्र. में अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा।

ऋणों का भुगतान (ऋण सेवा)

(रु. करोड़ में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	पुनरीक्षित अनुमान 2017-18	आय-व्ययक अनुमान 2018-19
1	2	3	4	5	6
1. ऋणों का प्रतिदान*					
1. आन्तरिक ऋण	**8050.64**	**10044.96**	**10167.94**	**10567.61**	**19100.07**
1. बाजार से	3987.37	4699.16	4145.58	4422.72	12693.33
2. नाबार्ड	1123.47	1295.98	1418.55	1396.60	1451.70
3. राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	2301.48	3413.37	4531.58	4643.05	4871.64
4. अन्य	638.32	636.45	72.23	105.24	83.40
2. केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम	**1360.57**	**1397.30**	**1439.68**	**1446.71**	**1446.67**
3. ऋण और अग्रिम	**1872.64**	**9117.91**	**6741.09**	**2529.23**	**2073.90**
योग (1)	**9411.21**	**11442.26**	**11607.62**	**12014.32**	**20546.74**
2. ब्याज					
1. बाज़ार कर्ज	7562.78	9060.99	11540.26	14250.90	17208.31
2. आर.बी.आई. द्वारा दिये गये अल्पकालिक ऋण	–	3.78	4.28	5.00	5.00
3. राज्य भविष्य निधि	3450.67	3532.99	3427.50	3600.00	3450.00
4. अल्प बचत ऋण	5795.48	6332.57	6440.62	6264.10	5815.14
5. बीमा तथा पेंशन निधि	200.48	207.69	217.58	227.67	214.05
6. केन्द्रीय सरकार से लिये गये उधार और अग्रिम	1125.01	1024.16	927.48	840.06	734.50
7. अन्य देनदारियाँ	730.02	1285.69	4377.95	5090.01	5006.74
योग- 2 :	**18864.44**	**21447.87**	**26935.67**	**30277.74**	**32433.74**
ऋण सेवा (1+2)	**28275.65**	**32890.13**	**38543.29**	**42292.06**	**52980.48**
राजस्व प्राप्ति	**193421.61**	**227075.94**	**256875.15**	**305028.87**	**348619.37**
ऋण सेवा/राजस्व प्राप्ति	**14.6%**	**14.5%**	**15.0%**	**13.9%**	**15.2%**

* ऋणों का प्रतिदान, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर प्रदर्शित किया गया है।

सकल राजकोषीय घाटा के घटक

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व घाटा(+)/ बचत(-)	पूँजीगत परिव्यय	ऋण और अग्रिम की वसूली (शुद्ध)	सकल राजकोषीय घाटा (2+3+4)	सकल राजकोषीय (डिस्काम के लिए एफ.आर.पी. को घटाकर)	सकल राज्य* आय (प्रचलित भावों पर)	5 का 6 से प्रतिशत	5 का 7 से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2001-2002	6181.80	3555.56	160.77	9898.13	—	190249	5.20%	—
2002-2003	5117.32	3794.39	585.20	9496.91	—	206855	4.59%	—
2003-2004	◈18583.15	*9320.35	-11255.39	16648.11	—	226972	7.33%	—
2004-2005	6992.91	5653.34	351.36	12997.61	—	248851	5.22%	—
2005-2006	1267.99	8711.23	98.79	10078.01	—	276969	3.64%	—
2006-2007	-4900.62	13984.12	531.92	9615.42	—	309834	3.10%	—
2007-2008	-3449.26	16950.38	293.35	13794.47	—	344346	4.01%	—
2008-2009	-1861.84	22345.72	28.92	20512.80	—	400711	5.12%	—
2009-2010	-7047.34	25091.23	648.77	18692.66	—	452803	4.13%	—
2010-2011	-3508.15	20272.80	483.05	17247.70	—	574124	3.00%	—
2011-2012	-6984.53	21573.96	842.40	15431.83	—	637789	2.42%	—
2012-2013	-5180.34	23834.29	584.44	19238.39	—	728342	2.64%	—
2013-2014	-10066.88	32862.65	883.77	23679.54	—	855135	2.77%	—
2014-2015	-22394.27	53297.28	1610.16	32513.17	—	955953	3.40%	—
2015-2016	-14339.99	64422.72	8392.28	58475.01	28872.41	1098912	5.32%✱	2.63%
2016-2017	-20282.89	69789.12	6482.30	55988.53	44187.24	1247658	4.49%✱	3.30%+
2017-2018 (पुनरीक्षित अनुमान)	-18515.30	57343.92	2245.04	41073.66	—	1378643	2.98%	—
2018-2019 (आय-व्ययक अनुमान)	-27099.10	74243.61	-3091.19	44053.32	—	1488934	2.96%	—

* वर्ष 2004-05 से आधार वर्ष परिवर्तित हो गया है।

◈ निवर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् पर बकाया शासकीय ऋण रु. 12277.40 करोड़ जो बट्टे खाते में डाला गया है, को सम्मिलित करते हुये।

* पूँजीगत परिव्यय में पावर बाण्ड्स के लिये प्राविधानित धनराशि रु. 5871.86 करोड़ भी सम्मिलित है।

✱ उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेन्स योजना 'उदय' के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्संरचना के लिए वर्ष 2015-16 में रु. 29602.60 करोड़ तथा वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में रु. 14801.29 करोड़ के बाण्ड्स सम्मिलित हैं, जिसे केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम 2004 (यथा संशोधित) में संगत वर्ष के लिये निर्धारित वार्षिक ऋण सीमा से बाहर रखा गया है।

+ एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत सम्बन्धी शर्त पूर्ण करने के कारण वर्ष 2016-17 के लिये राज्य सरकार को 3.25 प्रतिशत की सीमा अनुमन्य है।

प्रमुख सहकारी संस्थाओं, निगमों एवं कम्पनियों इत्यादि में राज्य सरकार का पूँजी निवेश

(रु. करोड़ में)

संस्था का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	पुनरीक्षित अनुमान 2017-18	आय-व्ययक अनुमान 2018-19
1	2	3	4	5	6
क. सहकारी संस्थायें	**517.92**	**2773.99**	**506.26**	**959.42**	**1345.41**
1. सहकारी समितियां	23.04	1853.78	12.24	16.00	472.56
2. सहकारी चीनी मिलें	494.88	918.21	490.07	936.02	867.00
3. सहकारी कताई मिल संघ	–	2.00	3.95	7.40	5.85
ख. निगम एवं कम्पनियां	**5147.04**	**24575.40**	**10503.96**	**6032.07**	**6830.79**
1. रुग्ण-निगम में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना	–	86.79	34.57	100.00	100.00
2. प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन	10.00	0.02	–	0.02	–
3. कोऑपरेटिव डेरी फेडरेशन	–	313.82	803.96	194.80	63.00
4. स्थानीय निकायों में अवस्थापना सुविधा रिवाल्विंग फण्ड	696.95	–	–	–	–
5. उ.प्र. विद्युत निगम	1282.00	1561.48	1451.38	3979.20	1824.00
6. उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम	108.50	1129.51	788.00	697.44	1252.76
7. जल विद्युत उत्पादन निगम	1.39	–	–	0.01	0.15
8. उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन	1177.00	1150.00	1395.00	500.00	1604.66
9. उ.प्र. पावर कारपोरेशन	1871.00	20333.38	6030.65	550.00	1975.62
10. उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	0.20	0.40	0.40	10.60	10.60

राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी

(रु. करोड़ में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	पुनरीक्षित अनुमान 2017-18	आय-व्ययक* अनुमान 2018-19
1	2	3	4	5	6
1. लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन	33.92	32.29	35.24	34.16	33.63
2. खादी एवं ग्रामोद्योग	38.46	78.08	49.11	39.05	27.55
3. हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग	15.85	184.76	7.00	305.00	156.00
4. भारी एवं मध्यम उद्योग	1.09	4.06	9.39	812.80	620.00
5. ऊर्जा	5297.00	5200.00	5673.00	5260.00	6200.00
6. औद्यानिक एवं रेशन विकास	65.83	67.05	66.47	177.82	326.65
7. कृषि	1211.90	1148.37	1129.07	1931.70	2281.21
8. भूमि विकास एवं जल संसाधन	126.41	224.29	120.69	192.60	192.60
9. ग्राम्य विकास	290.10	106.10	253.67	932.01	912.01
10. लघु सिंचाई	159.21	179.31	176.22	151.63	163.76
11. पंचायती राज	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
12. पशुधन	12.19	28.26	66.96	124.30	63.80
13. दुग्ध विकास	48.62	15.39	31.95	17.37	17.88
14. मत्स्य	26.44	10.63	4.05	4.04	4.04
15. सहकारिता	208.18	257.53	307.53	179.00	305.27
16. खाद्य एवं रसद	0.00	0.00	3.43	2.45	47.99
17. गन्ना विकास	1.99	2.18	2.57	2.60	2.60
18. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	72.66	152.86	108.53	210.93	208.54
19. नगर विकास	0.00	0.20	0.11	0.00	0.00
योग, व्यय	**7660.62**	**7691.36**	**8044.99**	**10377.46**	**11563.53**

* ग्रान्ट 81 (जनजाति कल्याण) व ग्रान्ट 83 (अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना) में प्रदत्त सब्सिडी को सम्बन्धित विभाग की सब्सिडी में सम्मिलित कर लिया गया है।

ऊर्जा

(रु. करोड़ में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	पुनरीक्षित अनुमान 2017-18	आय-व्ययक अनुमान 2018-19
1	2	3	4	5	6
1. राजस्व व्यय					
1. सब्सिडी	5297.00	5200.00	5847.27	5969.76	6200.00
2. ब्याज भुगतान	43.92	38.46	4083.00	4652.45	3856.78
3. पेंशन निधि को सहायता अनुदान	1820.00	1800.00	600.00	–	100.00
4. ऋण सेवा हेतु अनुदान	1643.55	1457.67	444.83	867.10	961.74
5. उदय योजना के अन्तर्गत यू.पी.पी.सी.एल. को सहायता अनुदान	–	12166.24	7400.65	–	–
6. उदय योजना के अन्तर्गत ऋण परिवर्तन हेतु सहायता अनुदान	–	–	–	–	4891.72
7. यू.पी.पी.सी.एल. को घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु सहायता अनुदान	5301.89	3090.00	–	–	–
योग 1 : राजस्व व्यय	**14106.36**	**23752.37**	**18375.75**	**11489.31**	**16010.24**
2. पूँजीगत व्यय					
1. विद्युत वितरण	4034.74	16483.92	9713.38	6834.12	9511.91
2. विद्युत पारेषण	1229.78	1450.00	1695.00	708.22	2047.04
3. ताप विद्युत	351.90	1129.51	788.00	686.39	1252.76
4. जल विद्युत	0.00	0.00	0.80	0.80	0.15
5. यू.पी.पी.सी.एल. को ऋण	–	6083.12	3700.32	–	–
6. ऋण का प्रतिदान	38.33	36.56	37.32	44.79	59.15
योग 2 : पूँजीगत व्यय	**5654.75**	**25183.11**	**15934.82**	**8274.32**	**12871.01**
योग (1)+(2)	**19761.11**	**48935.48**	**34310.57**	**19763.63**	**28881.25**

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/02/2015-एन.आई.एफ./एफ.आर.पी. दिनांक 20-11-2015 द्वारा राज्यों के विद्युत वितरण निगमों के वित्तीय तथा कार्यात्मक सुधार हेतु उज्ज्वल डिस्कॉम्स एश्योरेन्स योजना (उदय) प्रख्यापित की गयी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना अंगीकृत की गयी। उदय योजना के अन्तर्गत- (1) विद्युत वितरण निगमों पर दिनांक 30 सितम्बर, 2015 के बकाया ऋण रुपये 53,935.06 करोड़ में से रुपये 24,332.74 करोड़ वित्तीय वर्ष 2015-16 में तथा रुपये 14,801.29 करोड़ वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से निर्गत प्रतिभूतियों द्वारा अधिग्रहित किया गया। विद्युत वितरण निगमों द्वारा रुपये 10,376.29 करोड़ के बन्ध पत्र निर्गत किये गये। (2) उदय योजना के अन्तर्गत निर्गत बन्ध पत्रों तथा वर्ष 2012 की ऊर्जा क्षेत्र के निगमों की वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफ.आर.पी.) के अधीन निर्गत बंध पत्रों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में ब्याज मद में रुपये 4028.51 करोड़ का भुगतान किया जाना है। मूलधन की अदायगी वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रारम्भ होगी। वर्ष 2019-20 में ब्याज (रुपये 4028.51 करोड़) तथा मूलधन (रुपये 6163.47 करोड़) को मिलाकर कुल रुपये 10,191.98 करोड़ का भुगतान किया जाना होगा।

मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति, 2018

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.), 2004 (यथा संशोधित) के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष एक मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति (एम.टी.एफ.आर.पी.) राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत की जाती है जिसमें राजकोषीय सूचकों के साथ आने वाले तीन वर्षों के पूर्वानुमान का निर्धारण किया जाता है। एम.टी.एफ.आर.पी. 2018 के चल लक्ष्य निम्नवत् हैं:-

वित्तीय स्थिति

(रु. करोड़ में)

क्र.	मद	2017-18 पुनरीक्षित अनुमान	2018-19 बजट अनुमान	अगले तीन वर्षों के लिये		
				2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7
1.	**राजस्व प्राप्तियाँ**	**305028.87**	**348619.37**	**387453.41**	**432862.63**	**483704.46**
(i)	स्वयं का कर राजस्व	94958.92	122700.00	137424.00	153914.88	172384.67
(ii)	केन्द्रीय करों में राज्यांश	121406.51	133548.40	149574.21	168270.98	189304.86
(iii)	स्वयं का करेत्तर राजस्व	17502.12	28821.66	30550.96	32384.02	34327.06
(vi)	केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान	71161.32	63549.31	69904.24	78292.75	87687.88
2.	**पूँजीगत प्राप्तियाँ**	**55136.91**	**72280.09**	**78007.99**	**79427.90**	**86370.69**
(i)	ऋण एवं अग्रिम की वसूलियाँ	284.19	5165.09	5181.49	318.75	350.62
(ii)	लोक ऋण	54852.72	67115.00	72826.50	79109.15	86020.07
	कुल प्राप्तियाँ	**360165.78**	**420899.46**	**465461.40**	**512290.53**	**570075.15**
3.	**राजस्व व्यय**	**286513.57**	**321520.27**	**351909.41**	**385189.64**	**427560.50**
4.	**पूँजी व्यय जिसमें**	**81887.47**	**106864.25**	**121668.29**	**136344.31**	**153092.72**
(i)	पूँजीगत परिव्यय	57343.92	74243.61	87607.46	100748.58	115860.87
(ii)	ऋण का प्रतिसंदाय	22014.32	30546.74	31779.54	33086.32	34471.50
(iii)	उधार और अग्रिम	2529.23	2073.90	2281.29	2509.42	2760.36
	कुल व्यय	**368401.04**	**428384.52**	**473577.70**	**521533.95**	**580653.22**
5.	**राजस्व बचत**	**18515.30**	**27099.10**	**35544.00**	**47672.99**	**56143.96**
6.	**राजकोषीय घाटा**	**41073.66**	**44053.32**	**49163.26**	**55266.25**	**62126.64**
7.	**प्राथमिक घाटा**	**10795.92**	**11619.57**	**13810.47**	**16731.72**	**20123.99**
8.	**ऋणग्रस्तता**	**406474.31**	**443362.52**	**492525.78**	**547792.03**	**609918.67**
9.	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	**1378643**	**1488934**	**1695261**	**1881740**	**2088731**

मध्यकालिक राजकोषीय पुन:संरचना नीति, 2018
(राजकोषीय संकेतक)

क्र.	मद	2017-18 पुनरीक्षित अनुमान	2018-19 बजट अनुमान	अगले तीन वर्षों के लिये		
				2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7
10.	स्वयं का कर राजस्व/ स.रा.घ.उ.	6.9%	8.2%	8.1%	8.2%	8.3%
11.	स्वयं का करेत्तर राजस्व/ स.रा.घ.उ.	1.3%	1.9%	1.8%	1.7%	1.6%
12.	राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ.	2.98%	2.96%	2.90%	2.94%	2.97%
13.	कुल ऋणग्रस्तता/ स.रा.घ.उ.	29.5%	29.8%	29.1%	29.1%	29.2%
14.	वेतन+पेंशन+ब्याज/ राजस्व प्राप्ति	50.3%	52.0%	51.2%	49.0%	48.2%
15.	वेतन+पेंशन+ब्याज/ राजस्व व्यय	53.6%	56.4%	56.4%	55.1%	54.5%
16.	ऋण सेवा*/ राजस्व प्राप्ति	13.9%	15.2%	14.7%	14.2%	13.7%
17.	पूँजीगत परिव्यय/ राजकोषीय घाटा	139.6%	168.5%	178.2%	182.3%	186.5%
18.	राजस्व बचत/ राजस्व प्राप्ति	6.1%	7.8%	9.2%	11.0%	11.6%

स.रा.घ.उ.: सकल राज्य घरेलू उत्पाद
*** अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित नहीं**

राज्य के कर राजस्व का प्रति व्यक्ति भार और प्रति व्यक्ति आय में उसका प्रतिशत

क्र.	राज्य	वर्ष 2015-2016		
		प्रति व्यक्ति कर भार (रु. में)	प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित भावों पर) (रु. में)	प्रति व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति कर भार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	13123	108163	12.13
2.	असम	7739	60526	12.79
3.	बिहार	5710	31454	18.15
4.	गुजरात	13440	141504	9.50
5.	हरियाणा	14093	162034	8.70
6.	कर्नाटक	14652	142906	10.25
7.	केरल	15103	147190	10.26
8.	मध्य प्रदेश	9786	62334	15.70
9.	महाराष्ट्र	12925	147399	8.77
10.	ओडिशा	10495	68293	15.37
11.	पंजाब	11969	119261	10.04
12.	राजस्थान	10455	82325	12.70
13.	तमिलनाडु	14401	137837	10.45
14.	उत्तर प्रदेश	8053	46253	17.41
15.	पश्चिम बंगाल	7181	अप्राप्त	अप्राप्त

स्रोत:- स्तम्भ 3 के लिए अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश के योजना व्यय में राष्ट्रीय बचत का योगदान तथा वार्षिक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय बचत संग्रह

(रु. करोड़ में)

योजनावधि/ वर्ष	राष्ट्रीय बचत का लक्ष्य	शुद्ध संग्रह	प्रदेश का योजना व्यय/ परिव्यय	राष्ट्रीय बचत संग्रह के आधार पर ऋण सहायता	योजना व्यय में ऋण सहायता का प्रतिशत	वार्षिक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय बचत शुद्ध संग्रह (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	8000.00	1133.51	25000.00	1955.69	7.82	67.96
2008-09	4600.00	1347.86	34000.00	1212.75	3.57	81.10
2009-10	2600.00	6252.44	37212.00	4985.01	13.40	376.46
2010-11	4200.00	5608.51	41421.00	6860.12	16.56	337.46
2011-12	5500.00	2585.57	47000.00	2229.36	4.74	129.54
2012-13	4000.00	4267.98	57800.00	4571.92	7.91	213.83
2013-14	5000.00	6053.43	69200.00	5008.64	7.24	302.97
2014-15	5500.00	6528.22	113500.00	8626.38	7.60	326.72
2015-16	6000.00	10716.56	120000.00	4916.86	4.10	536.33
2016-17	6000.00	12422.22	141295.70	–	–	621.70
2017-18	6000.00	*4104.75	–	–	–	205.44

स्रोत:- राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उत्तर प्रदेश

* माह 30 सितम्बर 2017 तक जमा शुद्ध धनराशि

●

राजस्व

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। औद्योगिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी विकास होने के बावजूद आज भी प्रमुख उद्यम कृषि ही है जिससे इस देश की बहुसंख्यक जनता सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। कृषि तथा कृषि पर आधारित अन्य व्यवसायों के लिए भूमि सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है। भूमि सम्बन्धी अभिलेखों के समुचित रख-रखाव, बिखरे जोतों की चकबन्दी, कृषि उपज सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन, कृषकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, भूमि विवादों के निपटारे, भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों का सृजन एवं उनका क्रियान्वयन तथा प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के लिए विभिन्न देयों की वसूली जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन राजस्व विभाग के प्रमुख दायित्व हैं।

सामान्य जनता, कृषक, निर्बल वर्ग से सीधे जुड़े होने के कारण राजस्व विभाग प्रदेश शासन के मेरुदण्ड की भाँति है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी कानून बनाने एवं उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाने का कार्य भी राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु वर्तमान में निम्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों के माध्यम से कार्य हो रहा है जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निम्नवत् हैः

राजस्व परिषद

उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना प्रयागराज में सन् 1831 में तत्समय विद्यमान एवं प्रचलित पूर्व व्यवस्थाओं को समाप्त करके की गयी थी, तब से यह परिषद शासन में महत्त्वपूर्ण इकाई के रूप में क्रियाशील है। सन् 1932 में परिषद को नायब तहसीलदारों, तहसीलदारों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण करने तथा जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों के कार्य पर नियंत्रण के अधिकार प्रदान किये गये। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को पृथक किया गया। न्यायिक कार्यों का मुख्यालय इलाहाबाद तथा प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय लखनऊ रखा गया। न्यायिक कार्य के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्य के लिए आई.सी.एस. संवर्ग के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सदस्य नियुक्त किये गये। सन् 1947 से 1955-56 तक भूमि व्यवस्था आयुक्त का पद सृजित था जिसे समाप्त करके वर्ष 1956-57 में प्रशासनिक सदस्य के रूप में सदस्य (कर) तथा सदस्य (भूमि व्यवस्था) की नियुक्ति परिषद मुख्यालय में की गयी।

वर्ष 1957-58 में परगना अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट, बिक्री कर अधिकारी की नियुक्ति व स्थानान्तरण के अधिकार परिषद को प्राप्त हुए। साथ ही आबकारी, निबन्धन, मनोरंजन कर व चकबन्दी अधिकारी के कार्यों पर परिषद का नियन्त्रण रहा, जिसे राज्य सरकार द्वारा बाद में वापस ले लिया गया।

वर्तमान समय में राजस्व परिषद द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के अन्तर्गत भूमिहीन, आवासहीन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कृषि भूमि तथा आवास स्थलों का आवटंन तथा पट्टाधारकों की भूमि पर दबंग व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जों को हटाकर वास्तविक पट्टाधारकों को कब्जा दिलाने की कार्यवाही, मुख्य देय एवं विविध देयों की वसूली, सीलिंग से अतिरिक्त घोषित भूमि का पात्र व्यक्तियों को आवंटन करने तथा तहसील दिवसों में प्राप्त जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण, जनपद/मण्डल स्तर पर विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों को शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश, कृषक दुर्घटना बीमा योजना आम आदमी बीमा योजना का कार्यान्वयन, तहसीलों/जनपदों/मण्डलों के कार्यालयों में कम्प्यूटर आदि उपलब्ध कराने तथा आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण आदि की कार्यवाही त्वरित गति से चलाई जा रही है।

राजस्व विभाग के प्रमुख कार्य

राजस्व विभाग के प्रमुख कार्य प्रदेश के भूमि सम्बन्धी आंकड़ों का समुचित रखरखाव, कृषि उपज सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन, भूमि विवादों के निपटारे, भूमि सुधार सम्बन्धी जनकल्याणकारी विभिन्न कार्यक्रमों का सृजन एवं उनके क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के लिए कर एवं करेत्तर देयों सहित राजस्व देयों की वसूली करना है। शासन द्वारा निर्धारित विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों में मुख्य देयों तथा विविध देयों की वसूली, अवैध कब्जेदारों को हटाकर वास्तविक पट्टेदारों का कब्जा दिलाया जाना, कृषि एवं आवास भूमि का चिह्नीकरण एवं आवंटन, खतौनी का कम्प्यूटरीकरण, तहसील दिवस, लोक शिकायत तथा एकल खिड़की से प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है। भूमि सुधार कार्यक्रमों को त्वरित व प्रभावी ढंग से लागू करना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सहयोग, अन्य विभागों की सामाजिक, आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन के साथ-साथ दैवीय आपदा में भी राजस्व विभाग की प्रमुख भूमिका है। राजस्व विभाग द्वारा किये जाने वाले मुख्य क्रियाकलाप निम्नवत हैंः

भूमि सुधार कार्यक्रम

भूमि सुधार एक गतिशील प्रक्रिया है। भूमि जैसी दैव प्रदत्त आर्थिक सम्पदा का सम्यक लाभ समाज के सभी वर्ग के लोगों को मिले इसके लिये उ.प्र. सरकार ने समय की मांग के अनुरूप कुछ व्यवहारिक, संतुलित एवं जनोपयोगी कदम उठाये हैं। भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत हैः

- **कृषि एवं आवास पट्टे में सभी गरीबों को समानता**

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 में कृषि योग्य भूमि पट्टे पर आवंटित करने के लिये संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुये जिनकी मृत्यु हुई हो, ऐसे व्यक्ति के परिवारजन को प्रथम वरीयता एवं संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुये पूर्णतया विकलांग व्यक्ति को द्वितीय वरीयता तथा इसके उपरान्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन कृषि श्रमिक या गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले को सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों से उच्च वरीयता प्रदान की गयी है।

- **ग्रामीण आवास स्थल आवंटन**

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों एवं ग्रामीण कारीगरों के परिवारों को जिनके पास पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 की धारा–64 के अन्तर्गत आवास स्थल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। आबादी स्थलों के आवन्टनों में विधवा और विकलांग व्यक्तियों को अधिमान दिये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

- **मत्स्य पालन हेतु ताल पोखरों का आवंटन**

मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को मत्स्य पालन हेतु तालाबों एवं पोखरों का आवंटन रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु किया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत राजाज्ञा में संशोधन करते हुये विस्तृत योजना राजाज्ञा संख्या-3736/1-2/95, दिनांक 17-10-95 में लागू की गयी थी। वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के अन्तर्गत मत्स्य पालन हेतु पट्टों का आवंटन किया जा रहा है।

- **कुम्हारी कला एवं मूर्ति कला के प्रोत्साहन हेतु कुम्हार जाति एवं इस व्यवस्था में लगे व्यक्तियों को मिट्टी उपलब्ध कराये जाने हेतु मिट्टी का आवंटन**

कुम्हारी कला के व्यवसाय में लगे परिवारों की आर्थिक उन्नति एवं उनके व्यवसाय के लिये ताल, पोखरों एवं अन्य स्थलों, जहां कुम्हारी कला हेतु उपयुक्त चिकनी मिट्टी उपलब्ध हो, का आवंटन शासनादेश संख्या-4317/1-2/93-रा0-2, दिनांक 23 दिसम्बर, 1993 द्वारा जनवरी, 1994 से किया जा रहा है।

- **वृक्षारोपण हेतु पट्टे**

वृक्षारोपण हेतु हरियाली कार्यक्रम क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में भूमि का पट्टा दिये जाने का शासनादेश संख्या-103-57/34/80-85-रा0-2, दिनांक 30-12-1985 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत वृक्षारोपण करने वाले व्यक्तियों को केवल वृक्षों के उपयोग तथा उपज व उनसे होने वाले लाभ हेतु पट्टा दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उत्तराधिकार में महिलाओं के अधिकार में वृद्धि

कुछ वर्ष पूर्व विधवा को, पुत्रों के समतुल्य अधिकार प्रदान कर तथा पट्टों में पति-पत्नी का नाम संयुक्त रूप से दर्ज करने की व्यवस्था कर, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिंग भेद कम करने की दिशा में जो शुरुआती ठोस कदम उठाया था उसे बढ़ाते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 में निर्धारित उत्तराधिकार के क्रम को संशोधित कर इसे महिलाओं के मालिकाना हक के अनुकूल बनाया गया है।

वर्तमान में विवाहिता पुत्री को भाइयों, अविवाहित बहन एवं भतीजों से उच्च वरीयता प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त अविवाहित बहन को भी भाइयों और भतीजों के समतुल्य अधिकार दिया गया है। पितामही–पितामह को उत्तराधिकार हेतु अब एक श्रेणी में कर दिया गया है। किसी महिला को उत्तराधिकार में पिता से प्राप्त कृषि भूमि में अब उस महिला की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्रों एवं अविवाहिता पुत्री का बराबर का अधिकार होगा।

विकलांगों के लिये आवासीय पट्टों की व्यवस्था

निःशक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा–43 के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को वरीयता के आधार पर रियायती दर पर आवास भूमि आवंटन करने के संकल्प को मूर्तरूप देने के लिये उ.प्र. सरकार ने राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले खेतिहर मजदूर, ग्रामीण शिल्पी एवं अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति के अन्य व्यक्ति, जिनके पास आवास हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, के लिये आवासीय भूमि आवंटित करने की व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 की धारा 64 (1) में आबादी स्थलों के आवन्टन के लिए निर्धारित वरीयता क्रम में प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अधिमान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

अनाधिकृत कब्जे/अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही

शासनादेश संख्या-402/1-2-2017-1 (सामान्य)/ 2017 दिनांक 01-05-2017 द्वारा ग्राम सभा/सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं अतिक्रमणकर्ताओं/भू-माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश में चार स्तरीय क्रमशः राज्य, मण्डल, जनपद व तहसील स्तर पर एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु एंटी भू-माफिया पोर्टल का विकास किया गया है।

खतौनी पुनरीक्षण एवं सहखातेदारों का अंश निर्धारण

खतौनी पुनरीक्षण व उ.प्र. राजस्व संहिता-2006 यथासंशोधित-2016 की धारा-31 (2) तथा उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-28 के अनुरूप खतौनी में सहखातेदारों के गाटों के अंश का निर्धारण किये जाने का प्रावधान किया गया है।

इन प्रावधानों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में परिषदादेश संख्या-आर-1314/जी-5-3ए/2015, दिनांक 02-06-2017 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे।

खतौनी में सहखातेदारों के गाटों के अंश का निर्धारण किये जाने से निम्न लाभ होंगे।

1. खतौनी में सहखातेदारी के गाटों के अंश का निर्धारण किये जाने से कोई भी खातेदार अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय नहीं कर सकेगा।
2. सहखातेदारों के अंश निर्धारण के बटवारे के वादों में कमी आयेगी।
3. अंश के निर्धारण से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिल सकेगा।

राजस्व संहिता-2016

राजस्व प्रशासन तथा राजस्व न्यायालयों के संचालन में जनता की कठिनाइयों के दृष्टिगत उ.प्र., राजस्व संहिता, 2006 को सरल बनाकर तथा उसमें व्याप्त त्रुटियों का निराकरण करके राजस्व संहिता-2016 का प्रख्यापन किया गया है। इस नई संहिता में राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण हेतु न्यायिक कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों के पदों का सृजन, कलेक्टर के निर्देशों का अनुपालन न करने पर संबंधित कर्मचारी को जेल भेजने के स्थान पर शास्ति अभिरोपित करने, खतौनी में प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से का उल्लेख करने और मिनजुमला नम्बरों का भौतिक विभाजन नक्शे (शजरा) में किए जाने,

अधिकार विलेख (खतौनी), खसरा या मानचित्र की किसी फर्जी या कपटपूर्ण प्रविष्टि को ठीक करने, आबादी का सर्वेक्षण और आबादी का अभिलेख तैयार करने, भूमि आंवटन के लिए भूमि के अनिवार्यतः रिक्त होने, आवंटित भूमि में पत्नी को बराबर का हिस्सेदार बनाने, पट्‌टे के पात्र व्यक्तियों के गृहस्थल का बन्दोबस्त करने, तहसील स्तर पर भी समेकित ग्राम निधि की स्थापना करने, भूमि प्रबन्धक समिति को उसके अधिकार से वंचित करने के पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान करने, स्थायी अधिवक्ताओं एवं नामिका वकीलों के कार्यों की निगरानी एवं मूल्यांकन की व्यवस्था करने, आसामी को असंक्रमणीय अधिकार प्रदान करने, आवश्यकतानुसार भूमि की श्रेणी बदलने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करने, वास्तविक रूप से अकृषिक प्रयोजन में भूमि के प्रयोग होने के उपरान्त ही कृषिक भूमि को अकृषिक घोषित करने, धारा 80 के अन्तर्गत घोषणा के बाद ही अन्तरण एवं विरासत के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित करने, सीलिंग सीमा से अधिक भूमि के क्रय पर प्रतिबन्ध विधिक व्यक्तियों पर भी लागू करने, कृषि कार्य करने में असमर्थ व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पट्‌टे पर देने, अनुसूचित जाति के भूमिधर द्वारा विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर की अनुमति से गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अन्तरण करने का अधिकार देने, आवश्यकतानुसार लोक उपयोगिता की भूमि के विनिमय हेतु राज्य सरकार को सशक्त करने, अविवाहित पुत्री को पुत्र या विधवा के साथ प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी बनाने, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व प्राप्त करने को प्रतिबन्धित करने, पचास हजार रुपये से कम के बकाया की वसूली पर गिरफ्तारी पर रोक, वादों, अपीलों तथा निगरानियों में कैवियट की व्यवस्था, व्यथा निवारण हेतु ग्राम राजस्व समिति के गठन इत्यादि का प्रावधान किया गया है।

सीलिंग से प्राप्त भूमि का आवंटन

उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सींलिग भूमि आवंटन का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में माह जनवरी 2018 तक 917.8325 एकड़ भूमि का आवंटन 8994 आवंटियों को किया गया, जिसमें से अनुसूचित जाति के 6037 आवंटियों को 6505.675 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया।

सीलिंग भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता

सीलिंग भूमि आवंटियों को आवंटित भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु एक हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत सीलिंग भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता हेतु शासन द्वारा रु. 1,00,000/- का बजट प्रावधान किया गया है।

उ.प्र. के खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना

प्रदेश के 2.50 करोड़ खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिये कृषक दुर्घटना बीमा योजना का आरम्भ योजना वर्ष 2004-2005 में हुआ था। इस योजना के अन्तर्गत कृषक का तात्पर्य राजस्व अभिलेखों अर्थात् खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदार से है, जिसके आयु न्यूनतम 12 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष हो।

इस बीमा का लाभ उन खातेदार/सहखातेदार कृषकों को अनुमन्य होता है, जिनकी मृत्यु यदि आग,

बाढ़, बिजली गिरने, करेन्ट लगने, साँप के काटने एवं जीव-जन्तु द्वारा काटने/मारने, नदी, तालाब, पोखर व कुएँ में डूबने, मकान गिरने, वाहन दुर्घटना, डकैती, दंगा, मारपीट तथा आतंकवादी घटना आदि अप्राकृतिक कारणों अथवा किसी अन्य प्रकार की दुर्घटना से होती है। अप्राकृतिक मृत्यु के प्रकार, प्रकृति इत्यादि के सम्बन्ध में बीमा कम्पनी द्वारा कोई विवाद उठाये जाने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। शासनादेश संख्या-2885/1-9-12- राज.-9 दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 से बीमा का आवरण अधिकतम 5.00 लाख रुपये किया गया है।

मा. मुख्य सचिव के पत्र संख्या-681/क.नि.-6/20बी (4)/2015 दिनांक 15 सितम्बर, 2016 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि ''समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना'' दिनांक 14 सितम्बर, 2016 प्रातः 10.00 बजे से लागू हो गयी है। समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना लागू होने के पश्चात दिनांक 14 सितम्बर, 2016 प्रातः 10.00 बजे से राजस्व विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश के खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना समाप्त हो गयी है। वर्तमान में यह योजना संस्थागत वित्त महानिदेशालय द्वारा संचालित की जा रही है।

आम आदमी बीमा योजना

भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत पूर्व से संचालित आम आदमी बीमा योजना के 18-50 आयु वर्ग के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अभिसरित करते हुए उपरोक्तानुसार प्रदेश में भी नयी योजना 01 जनवरी, 2018 से लागू की गयी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा आवरण प्रदान किये जाने के लिए वार्षिक प्रीमियम रु. 330/- प्रति सदस्य की दर से (रु. 165/- केन्द्रांश तथा रु. 165/- राज्यांश) तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा आवरण प्रदान किये जाने हेतु वार्षिक प्रीमियम रु. 12/- प्रति सदस्य की दर से (रु. 6/- केन्द्रांश तथा रु. 6/- राज्यांश) कार्यदायी संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम को दिया जायेगा।

- आयु वर्ग 51 से 59 वर्ष के सदस्य जो पूर्व में आम आदमी बीमा योजना में बीमित थे उनको आम आदमी बीमा योजना के पूर्व सुनिश्चित लाभ ही मिलेंगे। इस समूह में नये सदस्यों का नामांकन नहीं किया जायेगा।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमित सदस्य की सामान्य मृत्यु/स्थाई अथवा आंशिक अपंगता की दशा में रु. 2.00 लाख का बीमा आवरण प्रदान किया जायेगा।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु/स्थाई अथवा आंशिक अपंगता की दशा में होने की दशा में रु. 2.00 लाख अतिरिक्त का बीमा आवरण प्रदान किया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत बीमित सदस्य के दो बच्चों को (कक्षा 9 से 12 तक) अध्ययनरत होने पर रु. 100 प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सम्मिलित होने के लिए परिवार का ऐसा मुखिया/कमाऊ सदस्य पात्र होगा जिसकी आयु सीमा 18-50 वर्ष के मध्य हो तथा बी.पी.एल./एम.बी.पी.एल. (मार्जिनल एब व बी.पी.एल.) श्रेणी का हो एवं भारत सरकार द्वारा

निर्धारित 48 व्यवसायों में से किसी एक में लगा हो।

- वित्तीय वर्ष 2017-2018 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु रु. 7043.86 लाख, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेतु रु. 256.14 लाख एवं आम आदमी बीमा योजना हेतु रु. 1200.00 लाख की धनराशि (कुल धनराशि रु. 8500.00 लाख) स्वीकृत की जा चुकी है।
- वित्तीय वर्ष 2018-2019 में योजना में रु.14535.00 लाख व्यय होना अनुमानित है।

राजकीय देयों की वसूली

राजकीय देयों के अन्तर्गत वसूली करके शासन की आय में राजस्व विभाग महत्त्वपूर्ण योगदान करता है। वर्तमान समय में राजकीय देयों की वसूली की स्थिति निम्नवत् है :

(1) मुख्य देय

मुख्य देय के अन्तर्गत मुख्य रूप से भू-राजस्व, सिंचाई देय, भूमि विकास कर तकावी एक्ट-12 व तकावी एक्ट-19 इत्यादि देय शामिल हैं। मुख्य देयों की चार वर्षों की स्थिति निम्नवत् है :

वित्तीय वर्ष	मांग (करोड़ में)	क्रमिक वसूली (करोड़ में)
2014-2015	42.05	28.82
2015-2016	29.75	29.09
2016-2017	69.91	40.42
2017-2018 (दिनांक 01-04-2017 से दिसम्बर 2017 तक)	30.77	3.13

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य देयों के अन्तर्गत भू-राजस्व की शासनादेश संख्या-1335/एक-10-2017-33 (72)/2017 दिनांक 7-8-2017 द्वारा बाढ़ से प्रभावित 22 जनपदों की भू-राजस्व देयों की वसूली दिनांक 31-3-2018 तक स्थगित की गयी है तथा सिंचाई देय की शासनादेश संख्या-3367/12-27-9-32एसएवी/12 दिनांक 27-12-2012 में सिंचाई देय की खरीफ जमाबन्दी 2012 से लागू वसूली पर रोक लगायी गयी है। उक्त शासनादेश के अनुपालन में ही सिंचाई देय की बकाया धनराशि वसूली जा रही है।

(2) विविध देय

विविध देयों के अन्तर्गत मुख्यतः चकबन्दी देय, बी.जे.के., वाणिज्य कर, वन देय, आबकारी, मोटर देय, गन्ना क्रय, विकास कर, उद्योग ऋण, बैंक देय, मनोरंजन इत्यादि देय सम्मिलित हैं। विविध देयों की चार वर्षों की स्थिति निम्नवत् है :

वित्तीय वर्ष	मांग (करोड़ में)	क्रमिक वसूली (करोड़ में)
2014-2015	3275.80	3202.27
2015-2016	2838.44	2746.83

2016-2017	3050.17	2926.04
2017-2018 (दिनांक 01-04-2017 से दिसम्बर 2017 तक)	1958.10	1886.79

(3) कर-करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ

कर-करेत्तर राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत मुख्य रूप से भू-अर्जन, भू-राजस्व, कलेक्शन चार्ज तथा पुनर्ग्रहण इत्यादि मद सम्मिलित हैं। कर-करेत्तर राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत चार वर्षों की प्राप्तियों का विवरण निम्नवत् है :

वित्तीय वर्ष	वार्षिक लक्ष्य (करोड़ में)	क्रमिक प्राप्तियाँ (करोड़ में)
2014-2015	925.00	527.24
2015-2016	870.00	505.32
2016-2017	660.00	760.05
2017-2018 (दिनांक 01-04-2017 से दिसम्बर 2017तक)	706.21	897.60

राजस्व वादों का निस्तारण एवं राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण

राजस्व न्यायालयों में बड़ी संख्या में लम्बित वादों के त्वरित निस्तारण का कार्य शासन के विकास एजेण्डा में शामिल है। यह कार्य शासन की शीर्ष प्राथमिकता में है। शासन के निर्देशानुसार परिषद द्वारा ''राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली'' नाम से एक नए पोर्टल का विकास कराया गया है। प्रदेश में तहसील जनपद एवं मण्डल तथा राजस्व परिषद् स्तर पर राजस्व न्यायालय स्थापित एवं कार्य कर रहे हैं। इस कार्य हेतु साफ्टवेयर एन.आई.सी. राज्य एकक, उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित किया गया है। इस साफ्टवेयर में आम जनता/अधिवक्ता, पीठासीन अधिकारी, पेशकार व प्रवर न्यायालयों के अवलोकन एवं कार्य दिवस वार कार्यों के कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था है।

वादकारियों हेतु

- वाद की तिथि अथवा वाद सूची इण्टरनेट पर 24 x 7 उपलब्ध, इसके लिये न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं।
- वाद में पारित आदेशों को इण्टरनेट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
- वाद से संबंधित सभी पक्षों को उनके मोबाइल पर अग्रिम सुनवाई की सूचना उपलब्ध कराना।

पीठासीन अधिकारियों/कार्मिकों हेतु

- न्यायालयों पर प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था।
- पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर न्यायालय से सम्बन्धित समस्त आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

- वादों के महत्ता के आधार पर सुनवाई हेतु दैनिक वाद सूची में प्राथमिकता तय करने का विकल्प उपलब्ध कराना।
- तकनीक के उपयोग से न्यायालय कार्मिकों के श्रमसाध्य कार्यो का सरलीकरण जिससे अधिक गुणवत्ता के कार्यों पर अधिक समय व ऊर्जा लगायी जा सके।

जन सामान्य हेतु

- कोई भी व्यक्ति गांव/पक्षकारों के नाम/ अधिनियम/वर्ष/नियत तिथि/वाद संख्या के आधार पर वाद की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर सकता है।

अन्य लाभ

- उच्च प्राधिकारी द्वारा अवर न्यायालयों के वादों की स्थिति को अवलोकित किया जा सकता है। इस प्रणाली के माध्यम से राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों का प्रभावी अनुश्रवण किया जा सकता है।
- इस प्रणाली में वाद से सम्बन्धित पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं द्वारा मोबाइल नंबर अंकित कराये जाने पर वाद से संबंधित सूचना एस.एम.एस. से दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। परिषद् द्वारा उक्त प्रणाली का ''मोबाइल एप'' भी तैयार कर प्रभावी कराया जा चुका है।

सम्पूर्ण समाधान दिवस

जन समस्याओं के निस्तारण, प्रमाण पत्रों/चेकों/अन्य सुविधाओं के वितरण केन्द्र के रूप में प्रत्येक तहसील में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को सभी जनपदों में तहसील दिवस का आयोजन किया जा रहा है।

तहसील दिवस के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उसके सफल संचालन हेतु वेबसाइट संचालित की जा रही है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने से लेकर उसके निस्तारण तक की समस्त कार्यवाही तहसील दिवस की वेबसाइट से अपनी शिकायत पर फीड किया जाना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति तहसील दिवस की वेबसाइट से अपनी शिकायत पर की गयी कार्यवाही की जानकारी/प्रिंट आउट प्राप्त कर सकता है। तहसील दिवस के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उसके सफल संचालन हेतु शासन स्तर पर नियमित समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी तहसील दिवस की समीक्षा की जाती है। जनसामान्य की सुविधा के लिये शासन द्वारा काल सेन्टर की स्थापना भी की गयी है। इसके माध्यम से तहसील दिवस के संदर्भों पर की गयी कार्यवाही का फीड बैक भी लिया जाता है।

कम्प्यूटराइजेशन

1. खतौनी का कम्प्यूटरीकरण

- प्रदेश के समस्त कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार की शत-प्रतिशत वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रदेश की तहसीलों के चकबन्दी से बाहर के 99,949 ग्रामों की खतौनियों के अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत कर लिया गया है। इस महत्त्वपूर्ण कार्य के होने पर अब किसानों को तहसील केन्द्र से कम्प्यूटरीकृत खतौनी के उद्धरण की प्रतिलिपि रु. 15/- शुल्क लेकर

उपलब्ध करायी जा रही है तथा हस्तलिखित खतौनी उद्धरण की व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है।

- कृषकों एवं हितबद्ध व्यक्तियों को उनके अभिलेखों को देखने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कम्प्यूटरीकृत खतौनी को इन्टरनेट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से भी कृषकों एवं हितबद्ध व्यक्तियों को डिजिटल हस्ताक्षरित खतौनी उद्धरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
- कम्प्यूटरीकृत खतौनी को रियल टाइम एवं वेबबेस बनाने की दिशा में एन.आई.सी. के माध्यम से साफ्टवेयर परिशोधन एवं डिजिटल बनाये जाने का कार्य किया जा चुका है। यह साफ्टवेयर प्रदेश की समस्त तहसीलों में लागू कर दिया गया है। इस साफ्टवेयर के लागू होने से खतौनी में किसी भी तरह का परिवर्तन तत्काल इण्टरनेट पर उपलब्ध हो जाता है।

2. नामान्तरण प्रार्थना पत्र को आन-लाइन किया जाना

नामान्तरण प्रक्रिया को सरल, सुगम, त्वरित एवं स्वचालित बनाये जाने की दशा में राजस्व संहिता की धारा-34 के अन्तर्गत उत्तराधिकार एवं अन्तरण के मामलों में खतौनी में नामान्तरण किये जाने का प्रावधान है। अन्तरिती व्यक्ति द्वारा नामान्तरण के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र को आन-लाइन किये जाने हेतु साफ्टवेयर में व्यवस्था कर दी गयी है।

लाभ

क- धारा-34 के अन्तर्गत नामान्तरण प्रक्रिया को आन-लाइन किये जाने से नामान्तरण की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध होगी, जिससे जनसामान्य को त्वरित लाभ प्राप्त होगा और उसे न्यायालयों में अनावश्यक भाग-दौड़ से निजात मिलेगी।

ख- नामान्तरण प्रार्थना-पत्र दर्ज होने के साथ ही वह राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रणाली (आरसीसीएमएस) से लिंक हो जायेगा और आवेदनकर्ता को अपने मुकदमें के बारे में अद्यतन स्थिति एस.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त हो जायेगी।

ग- राजस्व संहिता की धारा-80(1) के अन्तर्गत किसी संक्रमणीय भूमिधर को अपनी कृषिक भूमि को गैर कृषि उपयोग में लाये जाने के फलस्वरूप उस भूमि को गैर कृषिक उद्घोषित किये जाने का प्रावधान है। हितबद्ध व्यक्तियों की सुगमता हेतु भूमिधर द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर आवेदन को आन-लाइन प्राप्त किये जाने के लिए राजस्व द्वारा एक पोर्टल का विकास किया गया है। इससे राजस्व संबंधी कार्यों को पारदर्शी, प्रौद्योगिकी अनुकूल बनाकर हितबद्ध व्यक्तियों को सहज व त्वरित रूप से सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

3. खतौनी में आधार सीडिंग

खतौनी में प्रत्येक यूनिक गाटे को आधार नम्बर से लिंक कराये जाने की योजना है, जिसके लिए साफ्टवेयर में व्यवस्था कर दी गयी है। इसके अन्तर्गत रोस्टर के अनुसार 1/6 आच्छादित ग्रामों की खतौनियों के पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य चल रहा है, उनमें खातेदार की सहमति से उसका नम्बर सीड किया जा रहा है।

लाभ

क- आधार नम्बर की सीडिंग पूर्ण होने पर प्रदेश के प्रत्येक खातेदार द्वारा धारित कुल भूमि ज्ञात हो सकेगी। इससे यह ज्ञात किया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति के पास सीलिंग से अधिक भूमि है या नहीं।

ख- आधार नम्बर की सीडिंग से कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की भूमि का फर्जी विक्रय नहीं कर सकेगा।

ग- आधार सीडिंग के पश्चात किसी भी व्यक्ति/खातेदार द्वारा धारित कुल भूमि के आधार पर पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

घ- आधार सीडिंग होने के पश्चात फर्जी खातेदारों पर अंकुश लग सकेगा।

च- प्रत्येक गाटे को यूनिक नम्बर प्रदान किये जाने से राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रणाली (आरसीसीएमएस) के माध्यम से उक्त गाटे के विवादित अथवा वाद रहित होने की स्थिति ज्ञात हो सकेगी।

जनहित गारण्टी अधिनियम-2011

जन सामान्य की सुविधा के लिये शासन द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अंतर्गत राजस्व विभाग की 06 सेवाएं (आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, किसान बही (मूल), किसान बही (डुप्लीकेट) एवं भूमि का अविवादित नामान्तरण) प्रदान की जा रही हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत सेवाओं के समयबद्ध निस्तारण की समय-सीमा निर्धारित करते हुये तहसीलदार/उपजिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी को निस्तारण हेतु अधिकृत किया गया है। सेवाओं का समयान्तर्गत निस्तारण न हो पाने की दशा में जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से जनमानस की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है।

चकबन्दी

प्रदेश में चकबन्दी योजना वर्ष 1954 से प्रारम्भ की गयी। इस योजना का भूमि सुधार, हरित क्रान्ति एवं ग्राम विकास से सीधा सम्बन्ध है। चकबन्दी का उद्देश्य कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों का जीवन स्तर ऊँचा करना है। इस योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत बिखरे हुए खेतों को इकजाई करके चक प्रदिष्ट किये जाते हैं तथा चकमार्ग, सम्पर्क मार्ग, सिंचाई की नाली, सामान्य आबादी, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिये आबादी एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु भूमि आरक्षित की जाती है। इस प्रकार चकबन्दी क्रियाओं के चलते हरित क्रान्ति के साथ-साथ सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन हुआ है। विशेष रूप से समाज में उपेक्षित वर्ग को गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने में इस योजना का उल्लेखनीय योगदान है। सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि का आरक्षण ग्रामवासियों के लिये एक उपलब्धि से कम नहीं है।

सीमांकन/कब्जा परिवर्तन

प्रदेश में चल रही चकबन्दी प्रक्रिया में वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 01-04-2017 से

15-07-2017 तक सीमांकन/कब्जा परिवर्तन हेतु 374 ग्रामों का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष दिनांक 31-06-2017 तक 292 ग्रामों में सीमांकन/कब्जा परिवर्तन कराया जा चुका है।

भूमि अध्याप्ति निदेशालय

भूमि अध्याप्ति निदेशालय की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-7-4(9)/86-114-रा.-13, दिनांक 04 जुलाई, 1987 द्वारा राजस्व परिषद के अधीन की गयी। इस शासनादेश द्वारा निदेशक, भूमि अध्याप्ति को भूमि अध्याप्ति सम्बन्धी मामलों में निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया गया है एवं रूटीन मामलों में सीधे शासन से पत्र व्यवहार करने हेतु अधिकृत किया गया है। नीति विषयक मामले राजस्व परिषद के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

शासनादेश संख्या-824/1-13-2008-7-4(9)/86-114-रा.-13, दिनांक 11 जून, 2008 द्वारा 4 जुलाई, 1987 शासनादेश में संशोधन करते हुए प्रदेश में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम के अन्तर्गत गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी, जो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी से निम्न स्तर के न हों, को निदेशक, भूमि अध्याप्ति में निहित समस्त भू-अध्याप्ति कार्यों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया गया है।

भारत सरकार द्वारा पुराने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 को निरसित करते हुये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या–30 सन् 2013) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग–2 खण्ड–1 में दिनांक 27.09.2013 को प्रकाशन कराये जाने के पश्चात् दिनांक 01-01-2014 से प्रवृत्त हो गया है।

प्रदेश में भूमि अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 की अधिसूचना सरकारी गजट में दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को प्रकाशित की गयी है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–51 की उपधारा (1) और (2) के अन्तर्गत ''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण'' की स्थापना शासन के राजस्व अनुभाग–13 की अधिसूचना संख्या–907/एक–13–2015–7क (6)/14 दिनांक 03.12.2015 द्वारा किया जा चुका है। कार्यो के सुगम संचालन हेतु प्रदेश के 12 मण्डलों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर में प्राधिकरण की स्थापना की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में (माह अप्रैल से मई 2017 तक) रु0 10192.86 लाख राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं में प्रतिकर के रूप में वितरित किये गये हैं तथा रु.1693008.65 लाख भारत सरकार की विभिन्न परियोजनाओं में प्रतिकर के रूप में वितरित किये गये हैं।

जिला गजेटियर विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्यकलापों एवं योजनाओं की उपलब्धियों का अद्यावधिक विवरण

गजेटियर्स किसी भी स्थान का परिचयात्मक अभिलेख होते हैं, अतः ब्रिटिश शासनकाल में प्रदेश

के सभी जिलों के जिला गजेटियर्स लिखे गये थे। देश की स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा भी इस परम्परा को आगे बढ़ाते हुये सभी प्रदेशों के गजेटियर्स को पुनरीक्षित करने की योजना प्रारम्भ की गयी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1957 में जिला गजेटियर विभाग की स्थापना के साथ इस योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया तथा केन्द्र सरकार द्वारा पोषित इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा अब तक प्रदेश के तत्कालीन सभी 54 जिलों के जिला गजेटियर्स एवं 08 जनपदों के पूरक अंक (सप्लीमेन्ट्री वाल्यूम्स) अंग्रेजी भाषा में तैयार कर प्रकाशित कराये गये। जिला गजेटियर विभाग ने प्रदेश का प्रथम वृहद ''राज्य गजेटियर'' पाँच खण्डों में तैयार कर प्रकाशित कराया है।

वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों के गजेटियर्स का पुनरीक्षण/लेखन हिन्दी भाषा में कराये जाने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि सर्वप्रथम उन जिलों के गजेटियर्स प्रथमतः तैयार कराये जायें जो कि नवसृजित हैं तथा उन जिलों के गजेटियर्स को पुनरीक्षित किया जाये जिन जिलों से ये नवसृजित जिले सृजित हुये हैं। इस श्रृंखला में गाजियाबाद, मेरठ, ललितपुर, कानपुर देहात तथा फिरोजाबाद के गजेटियर लिखे तथा प्रकाशित कराये जा चुके हैं तथा बिक्री हेतु राजकीय मुद्रणालय में उपलब्ध हैं। झाँसी जिले का गजेटियर प्रेस से प्राप्त डमी प्रति से इण्डेक्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर मुद्रण हेतु प्रेस भेज दिया गया था, जो मुद्रणोपरान्त विभाग को प्राप्त हो चुका है। वर्तमान समय में 25 जिलों (1–संतकबीर नगर, 2–महराजगंज, 3–औरय्या, 4–संतरविदास नगर, 5–अमेठी, 6–अम्बेडकरनगर, 7–मऊ, 8–कुशीनगर, 9–कन्नौज, 10–सोनभद्र, 11–चंदौली, 12–चित्रकूट, 13–हापुड़, 14–गौतमबुद्ध नगर, 15–कौशाम्बी, 16–महोबा, 17–शामली, 18–बागपत, 19–श्रावस्ती, 20–अमरोहा, 21–संभल, 22–हाथरस, 23–कासगंज, 24–सिद्धार्थ नगर, 25–बलरामपुर) के गजेटियर लेखन हेतु लक्ष्य निर्धारित कर प्रश्नावली प्रेषित करते हुए सूचना की माँग की गयी है, जिसमें से कन्नौज, महराजगंज, महोबा, हाथरस, चंदौली, अमेठी एवं चित्रकूट, कुल 07 जनपदों की सूचना विभाग को प्राप्त हो चुकी है, जिसका परीक्षण संकलन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

राहत आयुक्त संगठन

राहत आयुक्त संगठन द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं (बाढ़ भूकम्प/सुनामी, सूखा, चक्रवात, कोहरा/शीतलहरी, अग्निकांड, कीट आक्रमण, हिम–स्खलन, ओलावृष्टि, बादल फटना, भू–स्खलन) एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित राज्य–स्तरीय आपदा–बेमौसम भारी वर्षा, आकाशीय विद्युत, आँधी–तूफान तथा लू–प्रकोप से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत/सहायता प्रदान किये जाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया जाता है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि हेतु निर्धारित मानक एवं दरों के आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा राहत प्रदान किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत की जाती है। राहत आयुक्त संगठन द्वारा इन कार्यों के अलावा आपदा की पूर्व सम्भावना, आपदा आने की स्थिति तथा आपदा के पश्चात की स्थिति में कन्ट्रोल रूम का संचालन किया जाता है जिसके माध्यम से जिलाधिकारीगण/संबंधित अधिकारियों को राहत आदि के संबंध में दिशा–निर्देश दिये जाते हैं।

उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 तथा उ.प्र. सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 पारित किया गया है। उक्त अधिनियम में किए

गए प्रावधान के तहत मा. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया गया है तथा मा. राजस्व मंत्री, उ.प्र. शासन प्राधिकरण के पदेन उपाध्यक्ष नामित किए गए हैं। मुख्य सचिव उ.प्र. शासन, उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के पदेन मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा सचिव एवं राहत आयुक्त द्वारा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है।

आपदा प्रबंधन विभाग

आपदा प्रबंधन के वर्तमान में दो मुख्य आयाम हैं :-

- आपदा के पूर्व आपदा जोखिम का अनुमान व आकलन करना, उनके बचाव व न्यूनीकरण के लिए उपाय, नीति व योजना तैयार करना तथा इस संबंध में आवश्यक पूर्व तैयारी व क्षमता संवर्धन संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
- आपदा के उपरान्त खोज बचाव एवं राहत (आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार राहत प्रदान किया जाना) प्रदान किया जाना व बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था।

उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का कार्य

- उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का कार्य प्रदेश में आपदा जोखिम की पहचान करना, जोखिम न्यूनीकरण के उपाय करना, आपदा से पूर्व तैयारी करना, आपदा से बचाव हेतु लोगों को प्रशिक्षित व जागरूक करना तथा आपदा से बचाव के क्षमता संवर्धन संबंधी योजनाएं इत्यादि तैयार करना है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के प्रावधान के अनुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का मुख्य कार्य जनपद में आपदा जोखिम की पहचान करना, जोखिम न्यूनीकरण के उपाय करना, आपदा से पूर्व तैयारी करना, आपदा से बचाव हेतु लोगों को प्रशिक्षित व जागरूक करना तथा आपदा से संबंधित योजनाएं आदि तैयार करना है।

  आपदा के उपरान्त खोज, बचाव एवं राहत हेतु राज्य स्तर पर निम्न व्यवस्थाएं की गयी हैं :

- उ.प्र. शासन के राजस्व विभाग के अधीन राहत आयुक्त संगठन का गठन किया गया है। राजस्व विभाग, राहत आयुक्त संगठन एवं जनपद स्तर पर प्रशासन के समन्वित प्रयास से आपदा के उपरान्त खोज, बचाव एवं राहत के कार्य सुचारु रूप से सम्पादित किए जाते हैं। खोज, बचाव एवं राहत के कार्य हेतु प्रदेश स्तर पर राज्य आपदा मोचक निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर गठित राज्य आपदा मोचक निधि (एस.डी.आर.एफ.) का वित्त पोषण 75 प्रतिशत भारत सरकार तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
- सुदृढ़ आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत खोज, बचाव एवं राहत के कार्यों को सुचारु रूप से निष्पादित किए जाने हेतु तथा राज्य आपदा मोचक निधि (एस.डी.आर.एफ.) की धनराशि को व्यय किए जाने हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपदा राहत समिति का गठन किया गया है।

●

आबकारी

आबकारी विभाग प्रदेश का राजस्व अर्जित करने वाला प्रमुख विभाग है। आबकारी विभाग पर होने वाला कुल व्यय इस विभाग द्वारा अर्जित सकल राजस्व का लगभग एक प्रतिशत है। इस प्रकार विभाग द्वारा अर्जित किये गये राजस्व का लगभग 99 प्रतिशत भाग राज्य की विकास योजनाओं के लिये प्रयुक्त किया जाता है। मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण ही आबकारी विभाग के मूल उद्देश्य हैं। साथ ही विभाग का लक्ष्य है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व अर्जित किया जाये तथा अवैध एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री को प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही द्वारा समूल नष्ट किया जाये। राजस्व अर्जन के साथ-साथ विभाग द्वारा शीरा एवं अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के नीति निर्धारण एवं नियंत्रण से प्रदेश के औद्योगिक विकास में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में मदिरा व्यवसाय के एकान्तिक अधिकार के हस्तान्तरण से प्रदेश के राजस्व में आशानुरूप वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय-समय पर आबकारी नीति में यथावश्यक परिवर्तन/संशोधन किया जाता है। इस प्रकार व्यवस्था में सुधारों से जहाँ एक ओर राज्य के लिये अधिकाधिक राजस्व अर्जन होता है, वहीं दूसरी ओर जनता को मानक गुणवत्तायुक्त मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, जिससे जन स्वास्थ्य व जनहित सुरक्षित रहता है।

आबकारी विभाग का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश में नये उद्यमियों एवं व्यवसायियों को मदिरा व्यवसाय में प्रवेश के अवसर उपलब्ध कराने, उपभोक्ताओं को मानक गुणवत्ता की मदिरा उचित दाम पर उपलब्ध कराने व प्रदेश के राजस्व में समुचित वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित व्यवस्था में यथावश्यक संशोधन कर वर्ष वर्ष 2018-19 के लिए आबकारी नीति घोषित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत राजस्व वृद्धि के मुख्य उद्देश्य के साथ-साथ निम्न आनुषंगिक बिन्दुओं को समाविष्ट किया गया है-

क- कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन तथा गन्ना उत्पादकों को उचित गन्ना मूल्य का भुगतान।

ख- चीनी एवं अल्कोहल उत्पादक इकाइयों का आधुनिकीकरण एवं नवीनतम तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि जिससे औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिल सके।

ग- एथनाल के उत्पादन से भारत सरकार की विदेशी मुद्रा की बचत।

घ- मदिरा- उद्योग-व्यवसाय से हितबद्ध अनुज्ञापियों द्वारा किये गये पूँजी निवेश पर समुचित लाभार्जन एवं उपभोक्ता-सन्तुष्टि।

ङ- प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

गन्ने से शीरा उत्पादन

प्रदेश के कृषि उपज में गन्ने का एक बहुत बड़ा भाग है। इस गन्ने का पूर्णता से उपभोग राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए नितान्त आवश्यक है। गन्ने से चीनी के अतिरिक्त उप उत्पाद के रूप में शीरा भी प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण होने के साथ-साथ आग्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ईस्ट निर्माण, पशु एवं कुक्कुट आहार, कोयला टिकली उद्योग तथा कार्बन एवं ढलाई उद्योगों में किया जाता है। अब प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या 158 हो गयी है। इन सभी चीनी मिलों में इस महत्त्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद शीरे को संरक्षित करने के लिए लगभग 296.494 लाख कु. संचय क्षमता उपलब्ध है।

शीरे का सुरक्षित भण्डारण एवं अधिकतम लाभकारी उपयोग

शीरा सत्र 2016-17 में प्रदेश में कुल स्थापित चीनी मिलों की संख्या 158 है। चीनी मिलों से निकलने वाले शीरे की खपत के लिए शीरे पर आधारित आसवनियों व अन्य उद्योग पहले प्रदेश में उपयुक्त संख्या में स्थापित नहीं हुए थे। इसके परिणाम-स्वरूप चीनी मिलों को अपनी फैक्ट्री में उत्पादित किन्तु भारी मात्रा में अप्रयुक्त शीरे को फैक्ट्री परिसर से उठाकर बाहर फिंकवाने के लिए अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ता था। शीरे के निस्तारण की समस्या और इस निस्तारण से उत्पन्न प्रदूषण से बचने के लिए विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ शीरे पर आधारित आसवनियाँ एवं अन्य उद्योग स्थापित हुये, जिससे अब वर्तमान में चीनी मिलों में उत्पादित सम्पूर्ण शीरे का सदुपयोग हो रहा है। अतः शीरे जैसे बहुउपयोगी कच्चे माल का सुरक्षित भण्डारण प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। शीरा सत्र 2017-18 (1 नवम्बर 2017 से 31 जनवरी 2018 तक) में 244.17 लाख कुन्तल शीरे का उत्पादन हुआ है।

प्रदेश में शीरे के उत्पादन के दो स्रोत हैं :–

1. वैक्यूम पैन पद्धति से चीनी बनाने वाली चीनी मिलों द्वारा।
2. खाण्डसारी इकाइयों द्वारा।

अभी तक प्रदेश में खाण्डसारी इकाइयों द्वारा उत्पादित शीरे पर आबकारी विभाग का सीधे कोई नियंत्रण नहीं है, परन्तु खाण्डसारी इकाइयों द्वारा शीरा निर्यात किये जाने हेतु शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 एवं उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 के अन्तर्गत चीनी मिलों में उत्पादित शीरे पर राज्य सरकार नियंत्रण रखती है तथा प्रदेश के आबकारी आयुक्त, शीरा नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। नियमानुसार शक्कर के किसी कारखाने का प्रत्येक अध्यासी कारखाने के भू-गृहादि के भीतर उतनी संख्या और आकार की संग्रहण टंकियाँ रखेगा जिससे कि एक बार में कारखाने के लिए तत्समय रजिस्ट्रीकृत पूर्ण पेराई क्षमता के अनुसार 140 कार्यदिवसों में पेरे जाने वाले सम्पूर्ण गन्ने के 4 प्रतिशत के हिसाब से संगणित शीरे के कुल उत्पादन का कम से कम पचास प्रतिशत या पिछले चार वर्ष के सर्वाधिक कुल उत्पादन का पचास प्रतिशत, जो भी अधिक हो, की व्यवस्था अनिवार्य है। 31-12-2017 तक प्रदेश में कुल 158 वैक्यूम पैन वाली चीनी मिलें थीं, जिसमें से उक्त तिथि तक 42 चीनी मिलें बिल्कुल नहीं चली थीं जिससे प्रदेश में शीरा वर्ष 2017-18 में चालू चीनी मिलों की संख्या 116 थी। ये बन्द चीनी मिलें– रामपुर, कठकुंइयां, गौरीबाजार, आनन्दनगर, नवाबगंज, नन्दगंज, महोली, बरेली, बाराबंकी, छितौनी, मुन्डेरवा, हरदोई,

मलियाना, घुघली, औराई, धुरियापार, खलीलाबाद, भटनी, बुढ़वल, देवरिया, बैतालपुर, पिपराइच, रामकोला-के, शाहगंज, छाता, दरियापुर, घाटमपुर, लक्ष्मीगंज, कमलापुर, मझोला, दया, सराया, मझोली, रसड़ा, आनन्द एग्रोकेम, बस्ती, मोहिद्दीनपुर, बघौली, अमरोहा, विडवी, बुलन्दशहर, शाकुम्भरी व पडरौना थीं।

इन बन्द चीनी मिलों में से 3 भारत सरकार की, 23 उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की एवं 04 उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की तथा 12 निजी क्षेत्र की चीनी मिलें थीं।

नई शीरा नीति वर्ष 2017-18 के मुख्य प्रावधान

- गत वर्ष के अवशेष आरक्षित शीरे को अग्रेनीत करते हुए इस वर्ष की आवश्यकता में समायोजित किया गया है जिससे आरक्षण प्रतिशत 20 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत हुआ है।
- आरक्षित तथा अनारक्षित शीरे की निकासी के मध्य अनुपात 1:7.3 रखा गया है जो माहवार निकासी पर लागू रहेगा।
- चीनों मिलों को पेराई सत्र के दौरान आरक्षित शीरे को संचित रखते हुए अनारक्षित शीरे के निस्तारण की सुविधा दी गयी हैं।
- गत वर्ष के अग्रेनीत शीरे का निस्तारण माह अप्रैल 2018 तक करने की छूट प्रदान की गई है।
- शीरा सम्भरण को सुगम बनाने के लिये मांग पत्रों को ऑन लाइन व्यवस्था के अन्तर्गत निस्तारण की व्यवस्था की गयी है।
- प्रत्येक माह कुल देय आरक्षित शीरे के कम से कम 7 प्रतिशत आरक्षित शीरे का निस्तारण चीनी मिलों के लिये आवश्यक है।
- देशी मदिरा निर्माण के लिए अन्य आसवनियों से देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों को आपूर्ति की गयी ई.एन.ए. के समतुल्य मात्रा का आरक्षित शीरा देशी शराब निर्माता आसवनियों को आवंटित आरक्षित शीरे में से समायोजित करके ई.एन.ए. आपूर्तक आसवनी को किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- अन्य राज्यों को शीरे के निर्यात की अनुमति शीरा नियंत्रक के स्तर से प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- शीरे पर प्रशासनिक शुल्क गत वर्ष की भांति रु. 11/- तथा निर्यात पर रु. 15/- प्रति कुन्तल रखा गया है।
- समस्त आसवनियों में शीरे एवं इससे उत्पादित अल्कोहल के सभी चरणों की कार्यवाहियों को वेब कैम व अन्य अत्याधुनिक तकनीकी के माध्यम से रिकॉर्ड रखे जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु उन्मुख होने का प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे विभाग की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का समावेश होगा तथा व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।

अल्कोहल

आबकारी विभाग देशी/विदेशी मदिरा, बीयर और भांग से राजस्व अर्जित करने वाला विभाग समझा जाता है। वास्तव में प्रदेश में उत्पादित अल्कोहल का 60 से 76 प्रतिशत भाग औद्योगिक विकास हेतु

प्रदेश के उद्योगों द्वारा जनोपयोगी महत्त्वपूर्ण पदार्थों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है अथवा प्रदेश/देश के बाहर निर्यात किया जाता है। प्रदेश के बाहर अल्कोहल के निर्यात से राज्य को राजस्व प्राप्त होने के साथ-साथ कम अल्कोहल उत्पादन वाले राज्यों को राजस्व अर्जन में सहायता मिलती है। वहीं देश के बाहर अल्कोहल निर्यात से देश की प्रगति के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कराने में प्रदेश को एक महत्त्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त हुआ है।

आबकारी विभाग के राजस्व का मुख्य स्रोत अल्कोहल है जो आसवनियों द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस समय प्रदेश में 63 आसवनियाँ शीरे एवं 01 आसवनी गैर शीरा (अनाज) पर आधारित है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 64 आसवनियाँ हैं। इनमें से 05 आसवनी पेय, 31 आसवनी औद्योगिक, 25 मिश्रित एवं 03 रासायनिक उद्योगों की सह-आसवनियाँ हैं। प्रदेश में 09 आसवनियाँ सरकारी/सहकारी क्षेत्र में तथा 55 आसवनियाँ निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में बीयर उत्पादन हेतु 06 यवासवनियाँ हैं।

वर्ष 2018-19 हेतु घोषित नयी आबकारी नीति के महत्वपूर्ण तथ्य

विशिष्ट जोन, मेरठ के अन्तर्गत सभी 18 जनपदों में स्थित समस्त दुकानों का अनुज्ञापन एक ही अनुज्ञापी को प्रदान किये जाने की पूर्व में प्रचलित सामान्य से भिन्न व्यवस्था को समाप्त करते हुए प्रदेश में एक समान आबकारी नीति लागू की गयी है। इसके अन्तर्गत अनुज्ञापियों के चयन हेतु ऑन लाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर ई-लाटरी के माध्यम से अनुज्ञापियों का चयन किये जाने की प्रणाली लागू की गयी है। मदिरा के व्यवसाय में एकाधिकार समाप्त करने के उद्देश्य से एक अनुज्ञापी को किसी जनपद में दो से अधिक दुकानें आवंटित न किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा आबकारी अनुज्ञापन हेतु आवेदक को हैसियत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं विगत वर्ष की आयकर विवरणी संलग्न करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे छद्म नामों से अनुज्ञापन प्राप्त करने की दुष्प्रवृत्ति पर रोक लग सके तथा वास्तविक नाम से अनुज्ञापन प्राप्त किया जा सके। देशी शराब के एम.जी.क्यू. से अधिक उठान करने पर अतिरिक्त बेसिक लाइसेंस फीस लिये जाने की पूर्व प्रचलित व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, जिससे अनुज्ञापी एम.जी.क्यू. से अधिक निकासी लेने के प्रति उदासीन न हो तथा अवैध स्रोतों से मदिरा प्राप्त कर विक्रय करने पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सके। इसी अनुक्रम में वर्ष 2018-19 के अनुज्ञापियों के लिए अगले वर्ष हेतु नवीनीकरण की व्यवस्था लागू की गयी है, जो राज्य को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व का भुगतान करते हैं। उत्पादन से लेकर फुटकर अनुज्ञापन स्तर तक मदिरा के आवागमन एवं अन्तरण पर सतर्क दृष्टि रखने तथा करापवंचन को रोकने के उद्देश्य से ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली लागू की जा रही है।

देशी मदिरा की थोक आपूर्ति में अधिक से अधिक आसवनियों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु तथा थोक आपूर्तकों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने व मदिरा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु उत्पादक आसवनियों के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों को भी अनुज्ञापन स्वीकृत करने की व्यवस्था लागू की गयी है। देशी शराब की ओवर रेटिंग पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु देशी मदिरा के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य को रु. 5 के गुणक में तथा विदेशी मदिरा तथा बीयर के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य को रु. 10 के गुणक में निर्धारित किया गया है। विदेशी मदिरा तथा बीयर का प्रतिफल शुल्क के निर्धारण हेतु श्रेणियों

की संख्या को कम किया गया है। देशी शराब के विक्रय हेतु विभिन्न धारिताओं के स्थान पर मात्र 200 एम.एल. की धारिता में बिक्री किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आबकारी अपराधों के छोटे प्रकरणों को प्रशमित करने हेतु आबकारी निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को सशक्त किया गया है। इससे न्यायालयों में आबकारी विभाग के मुकदमों की संख्या को कम किया जा सकेगा। अनुज्ञापियों द्वारा अनुज्ञापन शर्तों के विभिन्न प्रकार के उल्लंघन के लिये उनकी गम्भीरता के अनुसार पृथक-पृथक धनराशि नियत कर दी गयी है।

अल्कोहल पर आधारित उद्योग तथा निर्माणशालाएँ

अल्कोहल पर आधारित रासायनिक उद्योगों को उनकी कार्य-प्रणाली एवं अनुज्ञापन दिये जाने की दृष्टि से निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है :–

1. एफ.एल.-39 प्रकार के उद्योग : इस श्रेणी में ऐसे उद्योग आते हैं जो अल्कोहल को अन्य रासायनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं अथवा उत्पादन प्रक्रिया में अल्कोहल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है और अन्तिम उत्पाद के रूप में अल्कोहल से एसिटिक एसिड, ईथर, स्टाइरिन, ब्यूटाइल एसीटेट, पाली इथलीन, इथलीन ग्लाइकाल, विनायल एसीटेट मोनीमर, इथाइलीन ऑक्साइड, डेरीवेटिव्स आदि का उत्पादन करने वाले उद्योग आते हैं। प्रदेश में ऐसे 16 अनुज्ञापन कार्यरत हैं जिन्हें कुल 4059.99 लाख बल्क लीटर एस.डी.एस. का कोटा आवंटित है।

2. एफ.एल.-40 प्रकार के उद्योग : इस श्रेणी में ऐसे उद्योग आते हैं, जिसमें अल्कोहल का प्रयोग विलायक के रूप में अथवा माल तैयार करने में प्रयोग किया जाता है और इस उत्पाद में अल्कोहल नहीं होता है जिसे सामान्यतया पुनः प्रयोग के लिए प्राप्त किया जाता है। इस श्रेणी में सेल्यूलोज और उसके डेरीवेटिव्स, पेक्टिन, लिवर एक्स्ट्रेक्ट आदि निर्माण करने वाले उद्योग आते हैं। प्रदेश में ऐसे 11 उद्योग कार्यरत हैं, जिन्हें 39.69 लाख बल्क लीटर स्पेशल डिनेचर्ड स्प्रिट का कोटा आवंटित है।

3. (क) एफ.एल.-41 प्रकार के उद्योग : इस श्रेणी में ऐसे उद्योग आते हैं, जिसमें अल्कोहल का प्रयोग अन्तिम उत्पाद के एक घटक अथवा वेहिकिल के रूप में किया जाता है और अन्तिम उत्पाद में अल्कोहल उपस्थित रहता है। इस श्रेणी में अल्कोहल से पेण्ट, थिनर, लेकर्स, पालिश इत्यादि निर्माण करने वाले उद्योग आते हैं। प्रदेश में ऐसे 12 उद्योग कार्यरत् हैं, जिन्हें कुल 50.54 लाख बल्क लीटर स्पेशल डिनेचर्ड स्प्रिट का कोटा आवंटित है।

3. (ख) एफ.एल.-41 (पेट्रोलियम इकाइयों हेतु) : भारत सरकार द्वारा इंडियन पावर अल्कोहल एक्ट-1948 को रिपील कर दिये जाने के क्रम में शासन ने पेट्रोलियम इकाइयों को पी.ए.-5 के स्थान पर एफ.एल.-41 स्वीकृत किये जाने का निर्णय लेते हुए अधिसूचना संख्या-3285/दो-805 ए/ गैसो हाल/मिसलेनियस दिनांक 22.7.2003 जारी की। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में स्थित 33 पेट्रोलियम डिपो को एफ.एल.-41 अनुज्ञापन निर्गत किए गये जिन्हें उक्त अनुज्ञापन के अन्तर्गत 3421.44 लाख लीटर पावर अल्कोहल का कोटा आवंटित किया जा चुका है। वर्तमान में पेट्रोल में 10.0 प्रतिशत इथनॉल का मिश्रण किया जा रहा है।

अल्कोहल, भांग तथा नारकोटिक पदार्थयुक्त औषधियों की निर्माणशालाएँ : अल्कोहल, भांग व नारकोटिक पदार्थ युक्त औषधियों व सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रियों का निर्माण करने वाली फार्मेसियों को

मेडिसीनल एण्ड ट्वायलेट प्रिपरेशन (एक्साइज ड्यूटीज) नियमावली, 1956 के प्राविधानानुसार एल.-1, पार्ट टाइम एल.-1 तथा एल.-2 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाते थे। एम.एण्ड.टी.पी. ऐक्ट-1955 निरसित हो जाने के पश्चात वर्तमान में ऐसी इकाइयों को अल्कोहल तथा भांग का कोटा आवंटन के संबंध में औषधीय एवं प्रसाधन निर्मितियों के विनिर्माण हेतु नियमावली 2018 विचाराधीन है। उक्त ऐक्ट के निरसित होने से पूर्व एल.-1 की 20, तथा पार्ट टाइम एल.-1 की 45 तथा एल.-2 की 26 इकाइयाँ कार्यरत थीं। ऐक्ट के निरसन होने से जून 2017 तक इन इकाइयों द्वारा रुपये 1.65 करोड़ अभिकर जमा किया गया था। वर्तमान में ऐसी इकाइयाँ जी.एस.टी. प्रणाली के अन्तर्गत अभिकर जमा कर रही हैं।

पावर अल्कोहल से गैसोहाल बनाने की योजना

पावर अल्कोहल का गैसोहाल के रूप में व्यापक इस्तेमाल करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-2002 हेतु पायलट योजना प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत पेट्रोल में 5 प्रतिशत् पावर अल्कोहल का मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संकल्प संबंधी राजपत्र दिनांक 20.09.2006 द्वारा दिनांक 01.11.2006 से 20 राज्यों एवं चार संघीय राज्यों के समस्त टर्मिनल/डिपो पर पेट्रोल में पावर अल्कोहल मिश्रण किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में आबकारी विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में अल्कोहल के मिश्रण हेतु विभिन्न तेल कंपनियों के 33 डिपो को एफ.एल.-41 अनुज्ञापन स्वीकृत किए गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	जनपद का नाम
1.	इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	मथुरा, गोण्डा, आगरा, देवरिया, कानपुर नगर, इलाहाबाद, मेरठ, लखनऊ, झाँसी, चन्दौली, बरेली, बिजनौर एवं शाहजहाँपुर।
2.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	मथुरा, देवरिया, गोण्डा, बिजनौर, बरेली, झाँसी, चन्दौली, शाहजहाँपुर एवं कानपुर नगर।
3.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	गोण्डा, मेरठ, बिजनौर, देवरिया, झाँसी, चन्दौली, मथुरा, बरेली, कानपुर देहात एवं लखनऊ।
4.	रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	कानपुर देहात।

भारत सरकार द्वारा पेट्रोल में अल्कोहल मिश्रण की योजना के अंतर्गत 5 प्रतिशत पॉवर अल्कोहल पेट्रोल में मिश्रित किया जा रहा था, जो वर्तमान में पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथनाल का मिश्रण भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 02.01.2013 के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। तदनुसार डिपो को 10 प्रतिशत इथनाल पेट्रोल में मिलाये जाने की अनुमति प्रदान की चुकी है। इस प्रकार प्रदेश में पावर अल्कोहल/अब्सोल्यूट अल्कोहल की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 9756.5 लाख लीटर हो गयी है।

कार्य क्षेत्र

आबकारी विभाग द्वारा निम्नांकित विषयों से सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत कार्य किये जाते हैं।

क्र.सं.	कार्य क्षेत्र	सुसंगत अधिनियम व नियम
1.	देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, भांग तथा अन्य पदार्थ जो मादक घोषित हों।	संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 एवं तत्सम्बन्धी नियमावलियाँ

2. (अ)	अफीम का क्रय-विक्रय एवं उसका दवाओं के लिए उपयोग	स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 एवं तत्संबंधी नियमावलियाँ
(ब)	नारकोटिक पदार्थों पर नियंत्रण	तदैव
(स)	अफीम, चरस एवं गांजा का मादक पदार्थ के रूप में निषेध	तदैव
3.	चीनी मिलों में उत्पादित शीरे का संग्रहण, श्रेणीकरण, सम्भरण व वितरण	उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 तथा तत्सम्बन्धी नियमावलियाँ
4.	चलचित्र प्रदर्शन द्वारा और सार्वजनिक स्थानों पर दीवारों, भवनों तथा विज्ञापन पटों पर मादकपान के विज्ञापन को प्रतिबद्ध करने तथा उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिये	उत्तर प्रदेश मादकपान (आपत्ति जनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976
5.	मिथाइल अल्कोहल नामक घातक विष को कब्जे में रखने व उसके क्रय पर नियंत्रण व इससे विषाक्त मदिरा काण्डों की रोकथाम	विष अधिनियम, 1919 तथा उत्तर प्रदेश प्वॉयजन्स (रेगुलेशन ऑफ पजेशन एण्ड सेल) नियमावली, 1994

प्रवर्तन कार्य

आबकारी विभाग प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राजस्व अर्जक विभाग है, जो मादक पदार्थों के वैध उपभोग एवं व्यापार से राजस्व अर्जन करते हुए अवैध उपभोग एवं अवैध व्यापार का शमन करता है। सम्प्रति प्रदेश में 14,212 देशी मदिरा की, 5,582 विदेशी मदिरा की, 4,778 बीयर की, 386 मॉडल शॉप्स एवं 2,587 भांग की अनुज्ञापित दुकानें हैं। जहाँ एक तरफ अनुज्ञापित दुकानों से मादक पदार्थों की बिक्री होती है, वहीं दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों द्वारा भी अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की जाती है, जिससे राजस्व एवं जनस्वास्थ्य की हानि के अतिरिक्त समय-समय पर अवैध शराब पीने से विषाक्त काण्ड द्वारा जन हानि भी हो सकती है। कतिपय अराजक तत्वों द्वारा जाने-अनजाने मिथाइल अल्कोहल विष का प्रयोग भी कर लिया जाता है जिससे जन हानि सम्भव है। अपराध शमन कार्य हेतु प्रत्येक जनपद की आवश्यकतानुसार अपराध निरोधक क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसमें आबकारी निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं। इनके पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जनपद में जिला आबकारी अधिकारी, मण्डल में उप आबकारी आयुक्त व जोन स्तर पर संयुक्त आबकारी आयुक्त नियुक्त हैं। उक्त के अतिरिक्त केवल अपराध निरोधक कार्य हेतु ही प्रत्येक मण्डल में सहायक आबकारी आयुक्त के अधीन दो आबकारी निरीक्षक, दो हेड कान्स्टेबिल एवं दस कान्स्टेबिल को सम्मिलित कर एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया है।

विषाक्त शराब से होने वाली मौतों की रोकथाम के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही

मिथाइल अल्कोहल एक अत्यन्त विषैला रसायन है जो प्रदेश में गाजियाबाद की दो एवं बाराबंकी, कानपुर, इलाहाबाद तथा बुलन्दशहर जनपदों में स्थित एक-एक औद्योगिक इकाइयों से सह उत्पादन के रूप में निकलता है। मिथाइल अल्कोहल का रंग, गन्ध, बनावट आदि पेय मदिरा में प्रयुक्त होने वाले इथाइल अल्कोहल (रेक्टीफाइड स्प्रिट) से मिलता-जुलता है जिसके कारण भ्रम की स्थिति में कभी-कभी

इसका उपयोग अवैध स्थलों पर बिकने वाली अवैध मदिरा के रूप में भी किया जाता है। विषाक्त काण्ड को देखते हुए आबकारी अधिनियम में संशोधन कर धारा 60क जोड़ी गई है जिसमें अपायकर पदार्थों को मादक वस्तु में मिश्रित कर बेचने के फलस्वरूप विकलांगता या उपहति या मृत्यु होती है तो उसे मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास और जुर्माना जो रू. 10 लाख तक हो सकता है किन्तु 5 लाख से कम नहीं होगा, का प्रावधान किया गया है।

आबकारी नीति 2018-19 में प्रवर्तन अनुभाग से सम्बन्धित विवरण

1. आबकारी अपराधों से सम्बन्धित छोटे मुकदमों के त्वरित निस्तारण एवं न्यायालयों में संख्या कम करने के दृष्टिकोण से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा-74(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग हेतु आबकारी निरीक्षक से अन्यून स्तर के अधिकारियों को सशक्त किये जाने तथा अन्तर्ग्रस्त मादक पदार्थों (नारकोटिक पदार्थों को छोड़कर) की अधिकतम सीमा, मदिरा के लिये 20 लीटर व भांग के लिये 5 किलोग्राम निर्धारित किये जाने एवं इस संबंध में शमन फीस अवैध शराब के मामलों में रु. 250 प्रति लीटर तथा भांग के प्रकरणों में रु. 200 प्रति किलोग्राम से कम नहीं होगी, का प्रावधान नई आबकारी नीति वर्ष 2018-19 में किया गया है।

2. संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा-74 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु सशक्त अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा-34(1) की उपधारा-(क) व (ख) के अन्तर्गत लाइसेंस, परमिट अथवा पास के निरस्तीकरण अथवा निलम्बन के बदले क्षतिपूर्ति स्वीकार करने अथवा धारा-64 व धारा-68 के अन्तर्गत अभियोगों को प्रशमित करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आबकारी विभाग के सहायक आबकारी आयुक्त स्तर तक के अधिकारियों को सशक्त किया गया है, परन्तु ऐसे अधिकार प्राप्त अधिकारियों में संयुक्त आबकारी आयुक्त सम्मिलित नहीं हैं। नई आबकारी नीति 2018-19 में शासकीय कार्यहित में संयुक्त आबकारी आयुक्त स्तर के अधिकारियों को भी इस धारा के अन्तर्गत सशक्त किया गया है।

3. नई आबकारी नीति वर्ष 2018-19 में संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा-74 के अन्तर्गत प्रशमनीय अनियमितताओं के प्रकरणों में प्रशमन धनराशि में एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से निम्नानुसार प्रशमन धनराशि का आरोपण किये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये जाने का प्रावधान किया गया है :-

क्र. सं.	अनियमितता/उल्लंघन का प्रकार	प्रथम बार (रु. में)	द्वितीय बार (रु. में)	तृतीय बार (रु. में)
1	2	3	4	5
1.	निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात दुकान का खुला पाया जाना।	2,500	3,000	5,000
2.	अनधिकृत विक्रेता द्वारा बिक्री करते हुए पाया जाना	5,000	7,000	10,000
3.	स्टाक रजिस्टर मांगने पर न प्रस्तुत करना	10,000	15,000	20,000
4.	स्टाक रजिस्टर अद्यतन न भरा जाना	5,000	10,000	15,000

5.	बोतलों और पौव्वों या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली अथवा बार कोड पिल्फर प्रूफ कैप या सील से बिगाड़ करना	10,000	15,000	20,000
6.	अनुज्ञापित परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, सुरक्षा प्रणाली/श्रिंक स्लीव अथवा बारकोड, लेबुल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य अपायकर सामग्री का पाया जाना।	20,000	30,000	50,000
7.	बिक्री में वृद्धि हेतु ग्राहक को प्रलोभन देना, जुआ अथवा नृत्य का आयोजन करना।	5,000	7,000	10,000
8.	ड्यूटी पेड स्टाक को अनधिकृत परिसर/गोदाम में संचित करना	20,000	25,000	30,000
9.	लेखानुसार मात्रा से अधिक ड्यूटी पेड स्टाक का पाया जाना	25,000	30,000	50,000
10.	मदिरा का जलापमिश्रण/तनुकरण पाया जाना/ उच्च श्रेणी की मदिरा में निम्न श्रेणी का मदिरा अपमिश्रण।	40,000	50,000	निरस्तीकरण की कार्यवाही
11.	खुली मदिरा की बिक्री किया जाना।	5,000	10,000	15,000
12.	मद्य निषेध दिवसों/बन्दी के दिनों में मदिरा की बिक्री किया जाना।	30,000	40,000	50,000
13.	बिना अनुमति परिसर में परिवर्तन करना।	20,000	25,000	30,000
14.	निर्धारित एम.आर.पी. से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय।	10,000	20,000	30,000
15.	अनुज्ञापित परिसर के बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड न लगा पाया जाना। साइन बोर्ड में आवश्यक सूचना अंकित न करना अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित करना।	5,000	10,000	20,000
16.	दुकान में सफाई की समुचित व्यवस्था न पाया जाना।	2,000	5,000	10,000
17.	अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक 1 से 16 तक अंकित न हो।	2,000	5,000	10,000

आबकारी दुकानों की बन्दी

महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थानों यथा– वृन्दावन, अयोध्या, चित्रकूटधाम, मिश्रिख (नैमिषारण्य), देवाशरीफ तथा देवबन्द के धार्मिक स्थलों में शराब बन्दी लागू है। काशी विश्वनाथ मन्दिर वाराणसी, श्री कृष्ण जन्म स्थल मथुरा एवं इलाहाबाद में संगम की परिधि के चारों ओर के एक किलोमीटर के अन्तर्गत शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। राष्ट्रीय महत्त्व के दिवसों यथा– गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), डॉ. भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस (14 अप्रैल), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) तथा महात्मा गाँधी जन्म दिवस (2 अक्टूबर) को शराब की दुकानें पूर्णतया बन्द रहती हैं। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के आदेशानुसार वर्ष में तीन दिन समस्त आबकारी दुकानें बन्द रखी जा सकती हैं।

विगत 5 वर्षों में प्राप्त आबकारी राजस्व व व्यय का तुलनात्मक विवरण

गत पाँच वर्षों की आबकारी राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस विभाग ने न्यूनतम व्यय पर अधिकतम राजस्व अर्जित करके कार्य क्षमता एवं दक्षता के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्धारित राजस्व लक्ष्य	0039 राज्य उत्पाद शुल्क (कुल प्राप्तियाँ)	गतवर्ष की अपेक्षा वृद्धि (प्रतिशत में)	विभाग पर किया गया कुल व्यय	व्यय कुल राजस्व के विरुद्ध (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
2012-13	10070.00	9782.86	20.19	118.51	1.21
2013-14	12500.00	11643.80	19.02	120.26	1.03
2014-15	14500.00	13482.32	15.78	134.89	1.00
2015-16	17500.00	14083.88	4.46	149.49	1.06
2016-17	19250.00	14273.42	1.34	165.20	1.16
2017-18	20595.00	12651.26 (जनवरी 18 तक)	8.47	144.03 (जनवरी 18 तक)	1.14

●

संस्थागत वित्त

दिसम्बर, 1968 में राष्ट्रपति शासन काल के दौरान तत्कालीन श्री राज्यपाल द्वारा यह महसूस किया गया कि व्यावसायिक बैंकों एवं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदेश में पर्याप्त विनियोजन न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाये जो इन वित्तीय संस्थाओं एवं व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक विभागों/सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रीय संस्थाओं की परियोजनाओं और विकास कार्यक्रमों के लिए धनराशि जुटाने हेतु समन्वय का कार्य कर सके। तद्नुसार प्रारम्भिक चरण में फरवरी, 1969 में वित्त विभाग में एक ''संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया तथा कार्य की बढ़ोत्तरी के साथ इसे वर्ष 1972 में पूर्णकालिक एवं स्वतंत्र विभाग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया जिसके अधीन यह निदेशालय कार्य कर रहा है।

राज्य के विभिन्न निर्बल वर्गों के कल्याणार्थ प्रतिपादित तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं के राज्य स्तर पर सुचारु रूप से समन्वयन तथा उनकी प्रगति का समुचित अनुश्रवण कराये जाने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप जनवरी, 1990 में राज्य सरकार के शासनादेश के माध्यम से संस्थागत वित्त निदेशालय, उ.प्र. का नाम बदल कर संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, उ.प्र. कर दिया गया। फील्ड स्तर पर इस निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः वाराणसी, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा एवं गोरखपुर में स्थापित हैं। पुनः वर्ष 2015 में वाह्य सहायतित परियोजना विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं से संबंधित कार्यों को समावेश करते हुए निदेशालय का नाम संस्थागत वित्त बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय उत्तर प्रदेश कर दिया गया है।

प्रमुख उत्तरदायित्व एवं कार्य योजनायें

- वित्तीय समावेशन/बैंक शाखा प्रसार की प्रगति का नियमित अनुश्रवण करना।
- केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं/व्यावसायिक बैंकों एवं प्रशासकीय विभागों तथा सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्रीय संस्थाओं के मध्य समन्वय का कार्य करना। विभिन्न कल्याणकारी एवं रोजगारपरक योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में वित्त पोषण से सम्बन्धित मामलों में कार्यदायी/प्रशासकीय विभागों को सहायता देना।
- कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रोजगार सृजन के संसाधन जुटाये जाने के परिप्रेक्ष्य में बैंक क्रेडिट से सम्बद्ध योजनाओं को उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें राज्य पुरोनिधानित घोषित करना।
- सेवा क्षेत्र अवधारणा के अन्तर्गत जनपद के आर्थिक विकास के लिए अग्रणी बैंकों के माध्यम से वार्षिक ऋण योजनायें बनवाना एवं उसके अन्तर्गत वित्त पोषण का सतत् अनुश्रवण करना ताकि

सुनियोजित ढंग से प्रदेश का आर्थिक विकास हो सके एवं विभिन्न कार्यक्रमों एवं रोजगारपरक कार्यक्रमों के अन्तर्गत बजटीय भार कम हो सके।

- अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत गठित विभिन्न जनपद एवं राज्य स्तरीय समितियों की बैठकों में प्रतिभाग करना।
- त्रैमासिक अन्तराल पर होने वाली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैठकों हेतु समन्वय करना तथा उनमें प्रतिभाग करना।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रदेशीय स्तर पर समन्वय करना तथा उनके द्वारा की गयी प्रगति का अनुश्रवण करना।
- बैंकों के ऋण जमानुपात का अनुश्रवण करना एवं बैंकों से सम्बन्धित प्राप्त लोक शिकायतों का निस्तारण कराना।
- वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष बैंक के बकायों की वसूली में सहायता प्रदान करना। दैवीय आपदाओं की दशा में बैंक ऋणों की रिशिड्यूलिंग कराने में बैंकों से समन्वय करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/भारत सरकार से संस्थागत वित्त संबंधी नीति विषयक मामलों को उठाया जाना एवं उनका हल खोजना।
- नाबार्ड की माइक्रोफायनेसिंग योजनाओं के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों/कृषक क्लब आदि के गठन में आवश्यक सहायता प्रदान करना ताकि प्रदेश में अधिकाधिक संस्थागत वित्त सुलभ हो सके।
- विभिन्न निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से लिए गये ऋण के अतिदेय को एकमुश्त समाधान के माध्यम से निस्तारित कराये जाने में समन्वय की भूमिका अदा करना।
- सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं का अनुश्रवण एवं अनुसरण कर उनमें गतिशीलता लाना एवं इन्हें और अधिक जनोन्मुखी, व्यापक, सरल एवं व्यवहारिक बनाने हेतु समय-समय पर सम्बन्धित बीमा कम्पनियों/कार्यदायी विभागों को सुझाव देना।

वित्तीय वर्ष 2017-18 की उपलब्धियाँ एवं 2018-19 की कार्य योजना

संस्थागत वित्त विभाग द्वारा संचालित एवं अन्य शासकीय बैंक वित्त पोषण की योजनाओं में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप शत्-प्रतिशत बैंक वित्त पोषण सुनिश्चित करने हेतु अनुश्रवण का कार्य किया जाता है। विभाग द्वारा किये गये प्रभावी प्रयासों एवं अनुश्रवण के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रमुख उपलब्धियाँ एवं वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य निम्नवत् हैं-

विभाग द्वारा अनुश्रवण किये जाने वाले कार्यक्रम

1. **ग्राम स्वराज अभियान**

   प्रथम चरण (14 अप्रैल, 2018 से 05 मई, 2018 तक) - भारत सरकार के निर्देशन में दिनांक 14.04.2018 से 05.05.2018 तक चलाये गये ''ग्राम स्वराज अभियान'' में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में पात्र सभी व्यक्तियों को आवृत्त किये जाने के निमित्त प्रदेश के 74 जनपदों में तीनों योजनाओं के अन्तर्गत संतृप्तीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है।

द्वितीय चरण (01 जून, 2018 से 15 अगस्त, 2018 तक) - ग्राम स्वराज अभियान के द्वितीय चरण में पूर्व चयनित सम्भावनाशील 115 जनपदों में भारत सरकार द्वारा उक्त अभियान 01 जून, 2018 से 15 अगस्त, 2018 तक लागू किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 08 जनपद : चित्रकूट, बलरामपुर, बहराइच, सोनभद्र, श्रावस्ती, चन्दौली, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर के 5130 गांवों को संतृप्त किया जाना है।

2. बैंक शाखा विस्तार

प्रदेश को सुगम बैंकिंग सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त विभाग के प्रभावी अनुश्रवण के फलस्वरूप मार्च, 2018 तक प्रदेश में व्यवसायिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको सहित) की 16736 शाखाएं खोली जा चुकी हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 25000 गांवों में बैंक शाखायें खोले जाने के निर्णय की पूर्ति हेतु राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिये संस्थागत वित्त विभाग द्वारा बैंकों के साथ निरन्तर फालोअप किया जा रहा है। संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ.प्र. से प्राप्त सूचनानुसार योजना के प्रथम चरण में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले चयनित 571 ग्रामों में बैंक शाखा/बैंकिंग आउटलेट स्थापित किये जा चुके हैं।

योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत 5000 से अधिक जनसंख्या वाले 1643 बैंक रहित केन्द्रों पर बैंक शाखा/बैंकिंग आउटलेट स्थापित करने हेतु एस0एल0बी0सी0 द्वारा समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों को जनपद स्तर पर अनन्तिम रोडमैप तैयार करने हेतु सूची प्रेषित की गयी है। जनपद स्तर से डी0सी0सी0 के माध्यम से संस्तुत रोडमैप प्राप्त होने पर संयोजक, एस0एल0बी0सी0, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा राज्य स्तर पर संकलित कर अन्तिम रोडमैप क्रियान्वयन हेतु तैयार किया जायेगा।

3. लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु फसल ऋण मोचन योजना-

संस्थागत वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 24 जून 2017 के माध्यम से लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना प्रसारित की गयी।

- योजनान्तर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा दिनांक 31 मार्च 2016 तक ऋण प्रदाता संस्थाओं से लिये गये फसल ऋण की धनराशि में से वर्ष 2016-17 में प्रति भुगतान की गयी धनराशि को घटाते हुए अवशेष धनराशि का रु. 1.00 लाख की सीमा तक ऋण मोचन का प्रावधान किया गया।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु एन0आई0सी0 द्वारा वेब पोर्टल (http:upkisankarjrahat.upsdc.gov.in) विकसित किया गया।
- फसल ऋण मोचन योजना में विभाग द्वारा जिला सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित प्रदेश के 74 बैंकों से उक्त पोर्टल पर कुल 66,06,980 कृषकों एवं एनपीए समाधान योजनान्तर्गत 13.37 लाख कृषकों का डिजिटली हस्ताक्षरित डाटा प्राप्त करते हुए कृषि विभाग को उपलब्ध कराया गया।
- योजनान्तर्गत पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु फसल ऋण खातों की भूलेख पोर्टल से शत-प्रतिशत मैपिंग करायी गयी तथा 48,07,645 फसल ऋण खातों को आधार से जोड़ा गया।
- योजनान्तर्गत पोर्टल पर शिकायत पंजीकरण का प्रावधान है, जिसके माध्यम से कृषकों द्वारा सीधे ऑन लाइन शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।

4.. वार्षिक ऋण योजना

प्रदेश के एक समान विकास की अवधारणा से कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में बैंकों से ऋण वितरण कराये जाने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए प्रति वर्ष वार्षिक ऋण योजना तैयार करायी जाती है। संस्थागत वित्त विभाग के गहन अनुश्रवण/अनुसरण के फलस्वरूप वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत कृषि, उद्योग एवं सेवाक्षेत्र में ऋण वितरण वर्ष 2017-18 में बढ़कर रु. 167611 करोड़ हो गया। जो विगत वर्ष 2016-17 को समाप्त समान अवधि में वितरित धनराशि रु. 137452 करोड़ से लगभग रु. 30160 करोड़ अधिक है। वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत रु. 229656.38 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित है। योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की शत्–प्रतिशत पूर्ति हेतु बैंकों से सघन अनुसरण एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

5. ऋण जमानुपात

प्रदेश में व्यवसायिक बैंकों (ग्रामीण बैंकों सहित) का ऋण जमानुपात मार्च, 2018 के अन्त की स्थिति के अनुसार 53.23% रहा। जिसमें गत वर्ष मार्च, 2017 के ऋण जमानुपात 46.21% के सापेक्ष 7% की वृद्धि हुई। प्रदेश के ऋण जमानुपात में अभिवृद्धि हेतु बैंकों से गहन अनुसरण/अनुश्रवण किया जा रहा है।

6. वित्तीय समावेशन

प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के सम्बन्ध में भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाये गये वित्तीय समावेश कार्यक्रम/प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जून, 2018 तक लगभग 4.83 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिसके सापेक्ष 3.82 करोड़ खातों को रूपे डेबिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं इनमें से 3.53 करोड़ खातों को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है। **विशेष रूप से प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत संस्थागत वित्त विभाग के सक्रिय सहयोग के फलस्वरूप प्रदेश को सर्वाधिक संख्या में बैंक खाता विहीन व्यक्तियों के खाते खोलने हेतु, सर्वाधिक महिला खाते खोलने हेतु एवं सर्वाधिक जमा प्राप्त करने सहित कुल 06 श्रेणियों में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।**

7. वित्तीय साक्षरता एवं परामर्श केन्द्र

आम जनमानस को वित्तीय सेवाओं/उत्पादों के बारे में सलाह प्रदान करने, ऋणी हेतु आवश्यकतानुसार ऋण पुनर्संरचना प्लान बनाने, ऋणों एवं अन्य विभिन्न प्रकार के वित्तीय क्षेत्रों के लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करने एवं वित्तीय समावेशन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वित्तीय साक्षरता एवं परामर्श केन्द्रों की स्थापना भी बैंकों के माध्यम से करायी गयी है।

संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 17260458000.00 का बजट आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष वास्तविक व्यय रु. 14552954200.00 रहा है।

●

वाणिज्य कर

1 जुलाई 2017 से अप्रत्यक्ष कर की अत्यन्त सरलीकृत जी.एस.टी. व्यवस्था लागू की गयी।

- दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर कर की दरों में कमी के कारण खाद्यान्न, दलहन, मसाले आदि के दामों में भारी कमी दर्ज की गयी।
- तंबाकू और उसके उत्पादों को छोड़कर शेष वस्तुओं पर जी.एस.टी. की अधिकतम दर 28 के स्थान पर 18 प्रतिशत की गयी।
- प्राकृतिक गैस पर अतिरिक्त वैट समाप्त करने से यूरिया के दामों में कमी।
- कर की पारदर्शी व्यवस्था से राजस्व में भारी वृद्धि। गत वर्ष माह अक्टूबर-2017 तक रु. 31042 करोड़ के सापेक्ष संगत वर्ष माह अक्टूबर तक रु. 42076 करोड़ राजस्व की प्राप्ति एवं 35.54 प्रतिशत की वृद्धि दर अर्जित की गयी।
- पंजीयन की सरलीकृत व्यवस्था के कारण जुलाई-2017 से अक्टूबर-2018 तक रिकार्ड 7.26 लाख नये व्यापारियों को पंजीकृत कराया गया।
- पेट्रोल व डीजल पर वैट की दरों में कमी करते हुये आम जनता को राहत प्रदान की गयी।
- छोटे व्यापारियों की सुविधा हेतु 'वाणिज्य कर विभाग आपके द्वार योजना' का संचालन किया गया जिसमें 1.62 लाख से अधिक व्यापारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उनकी समस्याओं का निदान कराया गया।
- रु. 1 करोड़ टर्न ओवर के व्यापारियों के लिए समाधान योजना लागू तथा इस योजना के अन्तर्गत रिकार्ड 3.50 लाख व्यापारी लाभान्वित।
- रिफण्ड के रिकार्ड प्रार्थनापत्रों का निस्तारण करते हुये रु. 302 करोड़ का रिफण्ड व्यवसायियों व उद्यमियों को उपलब्ध कराया गया।
- वर्षों पुराने न्यायिक विवाद का निरोकरण कराते हुये वर्ष 2001 से 2011 तक के प्रवेश कर की बकाया धनराशि रु. 3693 करोड़ जमा करायी गयी।
- जी.एस.टी. रिटर्न की ऑनलाइन व्यवस्था के फलस्वरूप 85 प्रतिशत से अधिक व्यापारियों के रिटर्न दाखिल कराये गये।
- व्यापारी दुर्घटना बीमा की धनराशि रु. 5 लाख से बढ़ाकर रु. 10 लाख की गयी।

मनोरंजन कर

मनोरंजन कर विभाग की उपलब्धियों से संबंधित विवरण

- माह जून, 1017 तक मनोरंजन कर का क्रमिक लक्ष्य रु. 154.88 करोड़ के सापेक्ष माह जून,

2017 तक रु. 186.95 करोड़ की राजस्व प्राप्त हुयी, जो क्रमिक लक्ष्य का 121 प्रतिशत है। दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रदेश में जी.एस.टी. प्रणाली लागू होने के बाद मनोरंजन कर, माल और सेवा कर में समाहित हो गया है, जून, 2017 तक के बकाया मनोरंजन कर व ब्यास के मद में 01 जुलाई, 2017 से माह जनवरी, 2018 तक रु. 43.91 करोड़ की वसूली की गयी है।

- **सिनेमा निर्माण एवं संचालन हेतु समेकित योजना**

  प्रदेश में बन्द सिनेमाघरों को पुनः संचालित कराने, संचालित सिनेमाघरों का पुनर्निर्माण/रिमाडल करवाने, मल्टीप्लेक्स विहीन 58 जनपदों में यथाशीघ्र मल्टीप्लेक्स खुलवाने, एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं संचालित सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना जारी। इसके अन्तर्गत सिनेमा/मल्टीप्लेक्स के 18 स्क्रीन के निर्माण के आवेदन पत्र प्राप्त। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 08 स्क्रीन के निर्माण की अनुमति/स्वीकृति प्रदान की गई।

- **उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017**

  विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हुए तीव्र विकास एवं निर्माण की तकनीकी में हुए परिवर्तन के कारण उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 में अधिसूचना संख्या- 2722/79-वि.-1-17-1(क)24/2017 दिनांक 06 जनवरी, 2018 के माध्यम से संशोधन करते हुए सिनेमा/मल्टीप्लेक्स के निर्माण की अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकरण एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य लघु सिनेमा के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु मिनी सिनेमा को परिभाषित किया गया है। मनोरंजन के साधनों को अनुमति दिये जाने हेतु प्रावधान का समावेश तथा सिनेमा/मल्टीप्लेक्सेज के लाइसेंस तथा अन्य मनोरंजन की अनुमति की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए इस हेतु आनलाइन व्यवस्था तथा उसे समयबद्ध किये जाने सम्बन्धी प्रावधान किया गया है।

- **उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) (पांचवा संशोधन) नियमावली, 2018**

  उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 में (पांचवा संशोधन) को मा. मंत्रि परिषद द्वारा दिनांक 20.02.2018 को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, जिसके द्वारा लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए आनलाइन किया जा रहा है तथा इसके समयबद्ध निस्तारण का प्रावधान भी किया गया है ताकि ऐसे प्रकरण अनिश्चित समय तक लम्बित न रहें। स्थायी वीडियो सिनेमा को एक बार में अधिकतम 03 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष हेतु लाइसेंस स्वीकृत/नवीनीकृत किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था की जा रही है। जिससे व्यवसायियों को सुविधा प्राप्त हो सके। वीडियो सिनेमा के स्थायी भवन के निर्माण हेतु असंगत प्रावधानों को निकाल कर इसे भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों के अनुरूप किया जा रहा है।

- **जनोपयोगी एवं बहुमूल्य संदेश देने वाली फिल्मों में प्रवेश हेतु, देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में नीति**

  जनोपयोगी एवं समाज के लिये पथ-प्रदर्शक एवं सार्थक सन्देश देने वाली फिल्मों का प्रदर्शन समय-समय पर होता रहता है और ऐसी फिल्मों को कम टिकट दरों पर दर्शकों को उपलब्ध कराये जा सकने पर समाज के अधिकांश हिस्से तक इन्हें प्रसारित किये जाने तथा अपेक्षित संदेश अधिक

से अधिक लोगों के उद्देश्य से दर्शकों को राज्य माल और सेवा कर से टिकट मूल्य में राहत देने तथा इसकी प्रतिपूर्ति मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर स्वामियों को किये जाने के सम्बन्ध में नीति जारी।

उक्त नीति के अन्तर्गत हिंदी फीचर फिल्म ''टायलेट-एक प्रेम कथा'' को राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय।

- **विभिन्न क्रिकेट प्रतियोगिताओं को कर के दायरे में लाया जाना-**

प्रदेश में आयोजित होने वाली विभिन्न क्रिकेट प्रतियोगिताओं यथा- अन्तर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच, टी-20 मैच एवं आई.पी.एल. के टी.-20 मैच पर मनोरंजन कर अधिरोपित किये जाने का निर्णय।

उल्लेखनीय है कि उक्त के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर में आयोजित हुए आई.पी.एल. क्रिकेट मैच हेतु रु. 87.95 लाख की धनराशि राजकोष में माह जनवरी, 2018 में जमा हुई।

स्टाम्प एवं निबंधन

भूमिका

उत्तर प्रदेश सरकार हेतु राजस्व संग्रह करने वाले प्रमुख विभागों, वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन, आबकारी, मनोरंजन कर, परिवहन कर आदि में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग का एक महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है।

अठारहवीं सदी में लेखपत्रों के निबन्धन का कार्य शहर के काजी के द्वारा किया जाता था। वर्ष 1773 से सर्वप्रथम निबन्धन प्रणाली आरम्भ की गयी। वर्ष 1864 में निबन्धन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कुछ लेखपत्रों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किये जाने की व्यवस्था की गयी। समय-समय पर इस प्रणाली में परिवर्तन होता रहा है। मुख्य रूप से वर्ष 1908 में निबन्धन अधिनियम को संहिताबद्ध किया गया, जो आज तक प्रभावी है।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग जनता से सीधे सम्पर्क में आने वाला तथा उन्हें सेवायें प्रदान करने वाला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विभाग है। प्रत्येक वर्ष इस विभाग द्वारा लगभग तीस लाख से अधिक लेखपत्रों का पंजीयन होता है, जिसमें लगभग दो करोड़ लोग विभाग के सम्पर्क में आते हैं।

पक्षकारों के मध्य होने वाले संव्यवहारों में निष्पादित बैनामा, गोदनामा, इकरारनामा, वसीयत आदि विभिन्न प्रकार के लेखपत्रों, जिसमें विवाहों के घोषणा पत्र सम्मिलित हैं, का पंजीकरण एवं इन्हें चिरकाल तक सुरक्षित रखने का कार्य निबन्धन विभाग द्वारा किया जाता है। साथ ही इन लेखपत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क की प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। निबन्धन विभाग राज्य सरकार के लिए राजस्व अर्जन की दृष्टि से वाणिज्य कर एवं आबकारी विभाग के पश्चात् तीसरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विभाग है।

निबन्धन विभाग के उद्देश्य

लेखपत्रों के निबन्धन की एक ऐसी व्यवस्था सृजित करना, जिसमें किसी विशेष सम्पत्ति के अन्तरण विषय, पक्षकारों के बीच अधिकारों/दायित्वों की संविदा को सामान्य जनता को सुलभ एवं सार्वजनिक कराना, अनन्त काल तक इनके रिकार्डों को जन सामान्य हेतु सुरक्षित रखना तथा इसके माध्यम से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा सामाजिक विद्वेष को समाप्त करना क्योंकि जहाँ भी सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होते हैं, वहां सम्बन्धित सम्पत्ति के बैनामा, वसीयत आदि के द्वारा विवादों का तुरन्त समाधान किया जाता है। बैनामा वसीयत आदि के माध्यम से ही पक्षकारों के मध्य निष्पादित लेखपत्रों को वैधानिक महत्त्व प्रदान किया जाना तथा धोखाधड़ी की कार्यवाही को रोकना तथा साथ ही लेखपत्रों को निबन्धन के पश्चात न्यायालयों में वैधानिक साक्ष्य हेतु ग्राह्य भी बनाना संभव है। स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग इस व्यवस्था को उत्तरोत्तर पारदर्शी, त्वरित, आधुनिक, सरल एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने हेतु कटिबद्ध है। ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन इस दिशा में विभाग का एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसके अन्तर्गत न सिर्फ लेखपत्रों का ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन होगा बल्कि आम जनता घर बैठे निबन्धित विलेखों के सम्बन्ध में सूचना, नकलों तथा

भारमुक्त प्रमाण-पत्र को भी प्राप्त कर सकेगी।

विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें

1. लेखपत्रों का पंजीकरण	उप निबन्धक कार्यालयों तथा जिला निबन्धक कार्यालयों द्वारा
2. स्टाम्प शुल्क का निर्धारण	कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करने वाले अधिकारियों द्वारा
3. स्टाम्प पत्रों/ई-स्टाम्प पत्रों की बिक्री	कोषागार, स्टाम्प विक्रेताओं तथा SHCIL ई-स्टाम्प के माध्यम से
4. दस्तावेज लेखन	विभाग से लाइसेन्स प्राप्त दस्तावेज लेखकों द्वारा
5. सम्पत्ति का मूल्याँकन	जिला कलेक्टर कार्यालयों द्वारा
6. पंजीकृत लेखपत्रों की प्रतिलिपि	उप निबन्धक कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराना
7. भार मुक्ति प्रमाण-पत्र	उप निबन्धक कार्यालयों द्वारा जारी करना
8. विवाह के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना	उप निबन्धक कार्यालयों द्वारा
9. वसीयतनामा जमा करना	जिला निबन्धक कार्यालयों द्वारा

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की प्रमुख कार्य योजनायें

विभाग द्वारा अपने अधिष्ठान व्यय के अलावा मुख्य रूप से न्यायिक और न्यायिकेत्तर स्टाम्पों की छपाई एवं ढुलाई सम्बन्धी लागत एवं उनकी बिक्री तथा निवेश प्रमाणपत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि समिति को संक्रमण, वाटर मार्क पेपर की बिक्री आदि पर व्यय का वहन भी किया जाता है। निवेश प्रमाण पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि को संक्रमण पर होने वाले व्यय को सीधे शासन स्तर से ही न्याय विभाग को संक्रमित कर दिया जाता है।

स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के आय-व्ययक अनुमान को मुख्यतः तीन उप शीर्षकों में विभाजित किया गया है-

1. स्टाम्प न्यायिक

इसके अन्तर्गत निदेशन तथा प्रशासन शीर्षक से विभिन्न कोषागारों में कार्यरत प्रेस मैन तथा शासन में कार्यरत ओ.एस.डी. कार्यालय का अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टाम्पों की लागत शीर्षक से न्यायिक स्टाम्पों की छपाई एवं ढुलाई पर होने वाला व्यय किया जाता है तथा स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय शीर्षक से न्यायिक स्टाम्पों की स्टाम्प वेण्डरों के माध्यम से होने वाली बिक्री पर स्टाम्प वेन्डरों को देय 1 प्रतिशत कमीशन का व्यय किया जाता है।

2. स्टाम्प न्यायिकेत्तर

इसके अन्तर्गत निदेशन तथा प्रशासन शीर्षक से मुख्यालय पर कार्यरत स्टाम्प अनुभाग के कार्मिकों का अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टाम्पों की लागत शीर्षक से न्यायिकेत्तर स्टाम्पों की छपाई एवं ढुलाई पर होने वाला व्यय किया जाता है तथा स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय शीर्षक से न्यायिकेत्तर स्टाम्पों की स्टाम्प वेण्डरों के माध्यम से होने वाली बिक्री पर स्टाम्प वेन्डरों को देय 1 प्रतिशत कमीशन का व्यय किया जाता है। साथ ही स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के माध्यम से होने वाले ई-स्टाम्पों की बिक्री पर संस्था को देय 0.5 प्रतिशत कमीशन का व्यय किया जाता

है। निवेश प्रमाण पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि को संक्रमण पर होने वाला व्यय भी इसी मद के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

3. पंजीकरण

इसके अन्तर्गत निदेशन तथा प्रशासन शीर्षक को दो योजनाओं क्रमशः मुख्यालय तथा जिला व्यय में वर्गीकृत किया गया है। मुख्यालय योजना से स्टाम्प एवं पंजीयन मुख्यालय/शिविर कार्यालय तथा मंडलों एवं जनपदों के उप महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालयों के अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय किये जाते हैं। इसी प्रकार जिला व्यय योजना से उप निबन्धक कार्यालयों के अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय किये जाते हैं।

राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व व्यय की भाँति ही स्टाम्प पंजीकरण विभाग की राजस्व प्राप्तियों को भी स्टाम्प न्यायिक, स्टाम्प न्यायिकेत्तर तथा पंजीकरण तीन शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित कर प्रदर्शित किया जाता है। विगत पाँच वर्षों की राजस्व प्राप्तियों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है-

(धनराशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य	सकल राजस्व प्राप्ति
1	2	3	4
1	2013-14	11230.00	10491.52
2	2014-15	12900.00	11858.41
3	2015-16	15000.00	12463.12
4	2016-17	16320.00	11613.84
5	2017-18	17458.34	13367.25

वित्तीय वर्ष 2017-18 की उपलब्धियाँ

राजस्व प्राप्तियाँ

वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभाग के लिए सकल राजस्व प्राप्तियों हेतु रु. 17458.34 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के सापेक्ष रु. 13367.25 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई।

जनोपयोगी कार्य

- विभाग के द्वारा ई-विवाह पंजीकरण प्रारम्भ कर दिया गया है तथा जन सामान्य की सुविधा के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण हेतु सम्बन्धित के विकल्प के अनुसार उप निबन्धक कार्यालय में पंजीकरण सुविधा प्रदान की गयी है।
- 05 दिसम्बर, 2017 से प्रदेश में सम्पत्ति के विलेखों के पंजीकरण की ऑन लाइन प्रक्रिया का शुभारम्भ मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। सम्प्रति समस्त उप निबन्धक कार्यालयों में ऑन लाइन रजिस्ट्री की जा रही है।
- विभाग द्वारा स्टाम्पवादों के त्वरित निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या -01/2018/771/94/ स्टा0-नि-02-2017-700(01)/2015 दिनांक 10.01.2018 द्वारा स्टाम्प समाधान योजना

का प्रस्ताव जनहित में पुनः लागू किया गया है, जिससे जनसामान्य को त्वरित एवं सहज रूप से शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके।

- शासनादेश संख्या -05/2018/175/94/स्टा0नि0-2-2018-700(454)/2017 दिनांक 12.02.2018 द्वारा उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सेल्स, टेक्सटाइल एण्ड गारमेटिंग नीति 2017 के प्रस्तर-3.1.1 में उपबन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्टाम्प शुल्क में प्रयोजन के अनुसार 50 से 100 प्रतिशत तक स्टाम्प छूट प्रदत्त की गयी।
- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2017 के सम्बन्ध में विभिन्न प्रयोजनों हेतु शासनादेश संख्या-02/2018/169/94-स्टा0नि0-2-2018-700(965)/2016 दिनांक 12.02.2018 द्वारा 50 से 100 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया।
- उत्तर प्रदेश सौर उर्जा नीति-2017 के स्तम्भ-2 में उल्लिखित प्रयोजनार्थ विद्युत उत्पादन हेतु सौर उर्जा इकाई स्थापित करने के लिए 100 प्रतिशत तक छूट शासनादेश संख्या -06/2018/341/स्टा0नि0-2-2018-700(454)/2017 दिनांक 23.03.2018 द्वारा प्रावधानित की गयी।
- जैव उर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत इकाई की संस्थापना हेतु भूमि क्रय करने के लिए 100 प्रतिशत स्टाम्प छूट प्रदान की गयी।
- अप्रयुक्त स्टाम्पों के वापसी के सम्बन्ध में स्टाम्प नियमावली के नियम-218 में जन सामान्य की सुविधा के दृष्टिगत जिले स्तर पर ही वापसी की व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या 12/2017/1385/94-स्टा0नि0-2-2017-700(265)/2016 दिनांक 20.12.2017 निर्गत किया गया।
- स्टाम्प पंजीकरण विभाग द्वारा उन व्यक्तियों को जो किसी समुचित कारण से निबन्धन कार्यालय में उपस्थिति होकर रजिस्ट्री कराने में असमर्थ हैं, जेल में निरुद्ध हैं अथवा अपने निजी आवास पर रजिस्ट्री का कार्य कराना चाहते हैं, उनसे निर्धारित शुल्क लेकर निबन्धन कार्यालय के बाहर दस्तावेजों की रजिस्ट्री कराने हेतु कम्प्यूटरीकृत उप निबन्धक कार्यालयों में लैपटॉप की सुविधा प्रदान की गयी है।

नियम-विनियम

- विभागीय कानूनों एवं नियमों की समीक्षा करते हुए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नियम बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपना स्टाम्प अधिनियम बनाया जा रहा है तथा इसी सन्दर्भ में ई-स्टाम्पिंग नियमावली, प्रभावी हो गयी है।
- विभागीय कानूनों एवं नियमों की समीक्षा करते हुए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप स्टाम्प अधिनियम के शिड्यूल-1 बी में स्टाम्प दरों में संशोधन प्रस्तावित है। जिससे जहां एक ओर जनता को भी सुविधा होगी वहीं राजस्व के विभिन्न स्रोतों से सरकारी राजस्व भी सुगमता से प्राप्त हो सकेगा।
- प्रदेश में सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु उ.प्र. स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 को अधिसूचना संख्या 495/11-क.नि.-7-2013-700(81)/13 दिनांक 28/05/2013 तक उ.प्र. स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2013 को अधिसूचना संख्या 29/2015/1322/94-स्टा.नि.-2-2015-700(81)/2013 टी.सी. दिनांक 01-12-2015 प्रवृत्त करते हुए द्विवार्षिक के स्थान पर वार्षिक आधार पर सम्पत्तियों के मूल्यांकन

की सूची तैयार की जा रही है जिससे राजस्व अर्जन में वृद्धि हो रही है। इसी क्रम में सामयिक आवश्यकता के दृष्टिगत सम्पत्तियों के मूल्यांकन नियमावली में संशोधन भी प्रस्तावित हैं।

आंतरिक तकनीकी परीक्षण प्रकोष्ठ

स्टाम्प शुल्क के करापवंचन की रोकथाम हेतु स्टाम्प व पंजीकरण विभाग द्वारा आंतरिक तकनीकी परीक्षण प्रकोष्ठ का गठन पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया गया है, जिसके द्वारा प्रत्येक जिले में निबन्धित विलेखों की जांच एवं निरीक्षण किया जा रहा है। आंतरिक तकनीकी परीक्षण प्रकोष्ठ के सक्रिय प्रयास से अप्रैल, 2017 से माह मार्च, 2018 तक धनराशि रु. 12.47 करोड़ के इंगित कमी स्टाम्प के प्रकरण प्रकाश में लाये गये।

कम्प्यूटरीकरण

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में, जन सामान्य को आधुनिकतम तकनीकी तथा सरलीकरण प्रक्रिया द्वारा विश्वस्तरीय कम्प्यूटर आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। विभाग का यह प्रयास है कि जनता को अपने विलेखों के पंजीयन कराने में अधिक समय न लगे।

विभाग के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों में कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, तथा सम्पूर्ण प्रदेश में लेखपत्रों के निबन्धन का कार्य पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से हो रहा है। विभाग के द्वारा अपनी वेबसाइट http://igrsup.gov.in का निर्माण कर दिया गया है जिसमें एम0आई0सी0 (मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम) के द्वारा विभागीय अधिकारियों एवं जन सामान्य के लिए विभागीय सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तावित योजनायें

राजस्व प्राप्ति

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्टाम्प पंजीकरण के लिए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रु. 18000 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसके लिए विभाग द्वारा प्रभावी कार्ययोजना निर्मित की गयी है। अवशेष वसूली, स्टाम्पवादों का त्वरित निस्तारण, करापवंचन की रोकथाम करते हुए उक्त निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

पंजीकृत विलेखों की स्कैनिंग तथा डिजिटाइजेशन

स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग में डाक्यूमेन्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए विलेखों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने हेतु स्कैनिंग कराये जाने की आवश्यकता है। विभाग के उप निबन्धक कार्यालयों में निबन्धित लेखपत्रों को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे भविष्य में जन सामान्य को इन्टरनेट आधारित सेवाओं द्वारा अभिलेख सुलभ कराया जा सके। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में लेखपत्रों के स्कैनिंग एवं इनडैक्सिंग कार्य हेतु धनराशि रु. 2,50,000/- हजार रुपये का प्रावधान किया गया था।

कार्यालय भवन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में अनावासीय कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है।

●

कृषि

उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद

प्रदेश में विभिन्न कृषि जलवायुवीय परिस्थितियों में कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्न पांच कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हैं :

1. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद।
3. सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ।
4. बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय।
5. सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, नैनी, इलाहाबाद।

कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में अनुसंधान हेतु शोध परियोजनायें संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से विश्वविद्यालयों में फसल सुधार, सस्य व पौध सुरक्षा तकनीक, बीज उत्पादन कर सम्यक कृषि उपयोग तकनीकी के विकास को गति दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न फसलों की शस्य विधियाँ, उर्वरक प्रबन्ध, फसल सुरक्षा, फसल पद्धति, बारानी खेती, दियारा व ऊसर भूमि सुधार, सब्जी एवं उद्यान के क्षेत्र में तकनीक विकसित की जाती है।

उन्नतशील फसल प्रजातियों एवं तकनीकों के प्रचार-प्रसार हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक जनपद में कम से कम एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रावधान है। प्रदेश में कुल 75 जनपदों में से वर्तमान में 67 जनपदों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित हैं।

महानिदेशक, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में गठित क्राप वेदर वाच ग्रुप की बैठकें आयोजित कर ग्रुप संस्तुतियों को कृषकों के उपयोगार्थ समाचार पत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन, एस.एम.एस. एवं सम्बन्धित विभागों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रचारित-प्रसारित किया जा रहा है।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद

कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 के अधीन 251 मुख्य मण्डियाँ एवं 373 उप मण्डियाँ विनियमित हैं। प्रत्येक विनियमित मण्डी के लिए एक मण्डी समिति की स्थापना है। मण्डी समितियों द्वारा मण्डियों के विनियमन के साथ-साथ किसानों एवं व्यापारियों हेतु सुख-सुविधा युक्त नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण कराया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 218 मुख्य मण्डी स्थलों, 94 उपमण्डी स्थलों,

72 फल/सब्जी मण्डी स्थलों, 05 दुग्ध मण्डी स्थल, 05 मत्स्य बाजारों, 225 हाट-पैठ, 238 ग्रामीण गोदाम, 87 कृषक सेवा केन्द्रों, 04 किसान बाजार, 132 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र, 06 विशिष्ट मण्डी स्थल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 20,149 किमी. लम्बाई के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।

नूतन अभिनव कार्य

- जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अन्तर्गत अब तक 6894 ग्रामों की स्वीकृतियां प्रदान की गयीं, जिसमें से 6770 ग्रामों को संतृप्त किया जा चुका है। उक्त योजना के अन्तर्गत सी.सी. रोड, नाली का निर्माण एवं विद्युत कार्य कराया जाता है।
- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत विशिष्ट मण्डियों के निर्माण कराये जाने की शृंखला में 07 विशिष्ट मण्डियों हेतु कुल रु. 433.94 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गयी, जिसमें से 06 मण्डियों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है एवं एक का निर्माण कार्य प्रगति पर है, इसी प्रकार 133 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों (रिनों) हेतु रु. 219.31 करोड़ की परियोजनायें स्वीकृत की गयी हैं। 132 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों (रिनों) का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है जिसमें से 132 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों (रिनों) को क्रियाशील कर दिया गया है।
- प्रदेश में मण्डी परिसरों के घनत्व को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक 100 वर्ग किमी. में एक मण्डी परिसर की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से 1643 एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा 1300 एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब संचालित कराये गए हैं।
- कृषकों को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 07 जनपदों यथा- लखनऊ, सैफई (इटावा), कासगंज, कन्नौज, हरदोई, बहराइच तथा झांसी में किसान बाजार बनाये जाने की योजना के अन्तर्गत लखनऊ, कासगंज, सैफई (इटावा) एवं झांसी में किसान बाजार का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है तथा उसके संचालन की प्रक्रिया गतिमान है। कन्नौज, हरदोई, बहराइच में कार्य प्रगति पर है।
- मण्डी परिषद द्वारा 20149 किमी. सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जा चुका है।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, उपभोक्ताओं को मिलावट रहित शुद्ध वर्गीकृत कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने तथा किसानों का विपणन, मण्डी विनियमन एवं मण्डी विकास की विभिन्न योजनाओं की जानकारी करके, उनके निदान हेतु सुझाव देने के कार्यों हेतु विभाग द्वारा विपणन परिज्ञान, कृषि उपज के वर्गीकरण तथा सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के कार्य प्रदेश में आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं से कराये जा रहे हैं। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित हैं :

क- कृषि उत्पादन का क्रय-विक्रय संगठन।

ख- बाजार विनियमन एवं प्रशिक्षण केन्द्र।

ग- कृषि विपणन से संबंधित मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यालयों की स्थापना।

कृषि उपजों/उत्पादों के विदेश व्यापार को बढ़ावा देने, किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य

दिलाने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने आदि के उददेश्य से निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य कराये जा रहे हैं :

क- निर्यातकों एवं उत्पादकों को विभिन्न सुविधाओं हेतु समन्वय करना।

ख- कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यातकों की गोष्ठियाँ एवं सेमिनार आदि आयोजित करना।

ग- निर्यात को बढ़ावा देने हेतु फील्ड स्तर पर निर्यात योग्य आधिक्य की संभावनाओं का पता लगाना एवं समय-समय पर आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु समुचित सुझाव देना।

उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम

अच्छे बीजों का उत्पादन कर कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 29.06.2001 को उ.प्र. बीज विकास निगम की स्थापना का निर्णय हुआ तथा दिनांक 10.12.2002 से निगम द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ किया गया। निगम द्वारा प्रदेश में बीजों का उत्पादन/वितरण/बीज व्यवस्था के उद्देश्य से 14 क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत 39 शाखा कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश के 72 जनपदों में लगभग 14200 बीज उत्पादकों के माध्यम से बीज उत्पादन के कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

वर्तमान में निगम द्वारा खरीफ एवं रबी की 20 फसलों की 197 प्रजातियों का उत्पादन कराया जा रहा है। वर्ष 2017-18 में निगम द्वारा 31456 कु. बीज खरीफ में तथा 370141 कु. रबी में बीज उपलब्ध किया गया। वर्ष 2018-19 में खरीफ में 26145 कु. तथा रबी में 560585 कु. बीज उपलब्धता का लक्ष्य है।

उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था

भारतीय बीज अधिनियम-1966 की धारा-8 के अधीन दिनांक 05.10.1976 को बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की गयी तथा संस्था द्वारा खरीफ वर्ष 1977 से बीज प्रमाणीकरण कार्य प्रारम्भ किया गया। संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्रमाणित बीजों की अनुवांशिक व भौतिक शुद्धता, अंकुरण क्षमता को मानक के अनुरूप रखते हुए बीज जनित बीमारियों को नियंत्रित कर प्रदेश के कृषकों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज सुलभ कराना है।

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ

इस संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित की गयी कृषि की नवीनतम तकनीकियों को प्रदेश में कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कृषकों को प्रशिक्षित करना है जिससे समय की आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप कृषि उपज/उत्पाद तैयार किये जा सकें।

यू.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड

प्रदेश के कृषकों को रासायनिक उर्वरकों, प्रमाणित बीज, कीटनाशक दवाओं, विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र एवं कृषि रक्षा उपकरण आदि को उचित मूल्य पर आसानी से उपलब्ध कराने तथा कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए दिनांक 29 मार्च, 1967 को निगम की स्थापना की गयी। वर्तमान में निगम द्वारा मुख्य रूप से उन्नत कृषि यंत्रों/उपकरणों का निर्माण, मरम्मत एवं वितरण, संतुलित पशु आहारों का

उत्पादन एवं वितरण, खाद्यान्नों का क्रय, जिप्सम/माइक्रोन्यूट्रियन्ट की आपूर्ति तथा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्प के रिबोर का कार्य कराया जा रहा है।

कृषि

जीवन यापन में भोजन की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए कृषि विभाग की वर्ष 1875 में स्थापना की गयी। प्रारम्भ में कृषि विभाग का कार्य कृषि सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन तथा आदर्श प्रक्षेत्रों की स्थापना तक ही सीमित था। वर्ष 1880 में कृषि विभाग को भू-अभिलेख विभाग से सम्बद्ध कर दिया गया। गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट-1919 के पारित होने के उपरान्त कृषि क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन हो जाने के फलस्वरूप कृषि विभाग को 01 दिसम्बर, 1919 से एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया तथा 1 मई, 1920 को इसकी विधिवत् स्थापना हुई। विभाग के तत्कालीन क्रियाकलापों में कृषि क्षेत्र यथा– उपज पालन, भूमि संरक्षण, गन्ना उत्पादन, उद्यान एवं कोलोनाइजेशन सम्बन्धी गतिविधियों का समावेश था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् गन्ना विभाग के गठन के फलस्वरूप गन्ना उत्पादन सम्बन्धी कार्य नवगठित विभाग में समाहित कर दिया गया। कालान्तर में उद्यान एवं कृषि विपणन को भी कृषि विभाग से अलग किया गया है।

कृषि विभाग अपने वर्तमान स्वरूप में विविध संस्थाओं यथा– उ.प्र. बीज विकास निगम, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, यू.पी. एग्रो, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान, रहमानखेड़ा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आदि के सम्मिलित प्रयास से कृषि उत्पादन सम्बन्धी क्रियाकलापों को गति प्रदान करने में प्रयासरत है।

दायित्व

कृषि विभाग प्राकृतिक संसाधनों यथा– मृदा, जल एवं जैव विविधता के समुचित संरक्षण, देश/प्रदेश की कृषि उत्पादन नीतियों के विनिर्माण एवं क्रियान्वयन तथा संसाधनों को अक्षुण्ण बनाये रखते हुये उत्तरोत्तर वृद्धि परक उत्पादन के आयाम विकसित करने के लिये सतत् प्रयासरत है। कृषि विभाग का उत्तरदायित्व, क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के अनुसार तकनीकी प्रसार एवं कृषि निवेश प्रबन्धन के माध्यम से विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रदेश में कृषि विकास की दर को तीव्र गति प्रदान करना है। इस हेतु राज्य सरकार, भारत सरकार, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से उपयोगी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का दायित्व कृषि विभाग पर है।

उद्देश्य

कृषि विभाग का मूल उद्देश्य कृषि विकास की दर को गति प्रदान करने के साथ-साथ फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है, जिससे प्रदेश के कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर उनके जीवन-स्तर को ऊपर उठाया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए क्षेत्र विशेष के लिये उपयुक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एवं कृषकों को रोजगार के नये अवसर प्रदान करना है।

उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किये जा रहे प्रयास

- कृषि उत्पादन की विकास दर प्रति वर्ष 5.1 प्रतिशत बनाये रखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृषि की नवीन तकनीकी का प्रचार-प्रसार तथा कृषकों की कृषि से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान।

- कृषकों को विभिन्न पारिस्थितिकीय परिस्थितियों में उपयुक्त फसलों से अधिक उत्पादन लेने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तकनीकी प्रदर्शनों का आयोजन एवं उनके परिणामों से कृषकों को परिचित कराना।
- विभाग द्वारा विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- कृषि निवेशों की आपूर्ति निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप कृषकों के मध्य उपलब्ध कराना।
- कृषि उत्पादन में प्राकृतिक आपदाओं, कीट/रोग आदि जोखिम के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति के लिये प्रदेश में संचालित कृषि बीमा योजनाओं को व्यापकता प्रदान करना।
- कृषि उत्पादन के लिए अपरिहार्य विभिन्न कृषि निवेशों की गुणवत्ता नियंत्रण पर सतत् निगरानी रखना।
- दैवी आपदाओं यथा– बाढ़, सूखे की स्थिति आदि में उन परिस्थितियों के अनुसार आकस्मिक योजनाएं बनाकर कृषकों को सही समय पर उचित जानकारी देकर एवं उसी के अनुरूप कृषि निवेशों की व्यवस्था कराना।
- प्रदेश की समस्याग्रस्त भूमि यथा- जलमग्न, ऊसर, बंजर, बीहड़ आदि को उपचारित करके उपजाऊ बनाकर कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि करना।

कृषि विभाग के नवीन संकल्प

- वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दो गुना करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार करना, जिसमें ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, विपणन एवं कृषि विविधीकरण पर फोकस करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी इच्छुक एवं जरूरतमंद किसानों तक पहुँचाना।
- आगामी वित्तीय वर्ष के अन्त तक सभी कृषकों को स्वायल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराना।
- 50 लाख किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई से लाभान्वित कराना।
- प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में गठित राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से पंजीकृत कृषकों को मानक के अनुसार उनके उत्पादों का प्रमाणन कराना।
- वर्मी कम्पोस्ट तथा गोबर गैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विशेष अनुदान उपलब्ध कराना।

कृषि विभाग के कार्यक्रम

विभाग द्वारा कार्यक्रमों के नियमित संचालन के लिए क्षेत्रीय भू-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार खरीफ, रबी एवं जायद में कार्यक्रमों का निरूपण, नियोजन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार करने एवं इसे निर्धारित समय-सीमा में क्रियान्वित करने की कार्यवाही की जाती है। कृषि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत कृषि निदेशालय स्तर पर मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशकों के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों/मा. कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा की जाती है। मण्डल एवं जनपद स्तर पर भी नियमित समीक्षा की व्यवस्था है। सूचना तकनीकी एवं इंटरनेट के माध्यम

से क्षेत्रीय अधिकारियों से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से भी समीक्षा की जाती है।

खाद्यान्न उत्पादन

कृषकों को समय से कृषि निवेशों की आपूर्ति कराकर वर्ष 2015-16 में 439.97 लाख मै. टन एवं वर्ष 2016-17 में 557.46 लाख मै. टन का खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त किया गया। वर्ष 2017-18 में 558.13 लाख मै.टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015-16 में दैवीय परिस्थितियाँ कृषि के अनुकूल नहीं थीं।

गत वर्षों में किये गये प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त विवरण

- **लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान-** प्रदेश के लगभग 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक लिये गये फसली ऋण के सापेक्ष दिनांक 31.03.2017 तक की अवशेष राशि में से रु. एक लाख तक की अदायगी राज्य सरकार द्वारा किये जाने की व्यवस्था हेतु कुल रु. 36000.00 करोड़ बजट प्रावधान कराया गया। योजना का उद्देश्य कृषकों के कन्धे के ऊपर बकाया बोझ को उतारने के साथ-साथ उनकी साख को बढ़ाकर उन्हें भविष्य में बैंकों से ऋण प्राप्त करने में मदद करते हुए साहूकारों के दुष्चक्र से भी बचाने की तरफ एक अभिनव कदम है। जनवरी 2018 तक कुल 3410423 अर्ह कृषकों के बैंक खातों में कुल रु. 20596.91 करोड़ की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है।
- कृषि के क्षेत्र में निरन्तर हो रहे अनुसंधानों से यह संज्ञान में आया कि प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट होती जा रही है। इस समस्या के स्थायी निदान के उपाय स्वरूप जनपद/तहसील स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करके इसके माध्यम से कृषकों के खेतों की मिट्टी की जाँच करने के उपरान्त संतुलित उर्वरक प्रयोग की संस्तुति प्रदान किये जाने की निरन्तर व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। वर्ष 2015-16 से नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन.एम.एस.ए.) के अन्तर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के द्वारा प्रदेश के प्रत्येक कृषक को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2017 तक कुल 1889021 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को उपलब्ध कराये गये।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन के आधार पर जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर कृषि विकास की योजनायें तैयार कर महत्त्वपूर्ण फसलों के उत्पादन क्षमता एवं उसके वास्तविक उपज के अन्तर को कम करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजनान्तर्गत पश्चिमी उ.प्र. के जनपदों में फसल विविधीकरण कार्यक्रम, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम, पशुपालन, सिंचाई, मत्स्य, उद्यान, गन्ना, डास्प, रेशम, कृषि शोध इत्यादि जैसे महत्त्वपूर्ण कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रदेश की आवश्यकतानुसार संचालित किया जा रहा है।
- **पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति** के विस्तार की उप योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से पोषित) वर्ष 2010-11 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य चावल एवं गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, सिंचाई क्षमता सृजन

एवं जल के कुशल उपयोग, कृषि यंत्रीकरण, ऊसर क्षेत्रों में जिप्सम का प्रयोग, सामुदायिक भण्डारण योजना तथा खेती की लागत को कम करने हेतु उन्नत कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाना है। चयनित जनपदों में फसलों की उत्पादकता में उत्साहवर्द्धक वृद्धि के आँकड़े प्राप्त हो रहे हैं।

- **नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड एण्ड ऑयलपाम-** इस योजना के संचालन का मुख्य उद्देश्य तिलहनी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना तथा प्रदेश को खाद्यान्न तेलों में आत्मनिर्भर बनाने का सतत् प्रयास करना है।
- **नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन-** प्रदेश में गेहूँ, चावल एवं दलहन के उत्पादन की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलायी जा रही है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 से जूट, कपास एवं गन्ना जैसी व्यवसायिक फसलों को भी सम्मिलित किया गया है।
- **नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी-** इस योजनान्तर्गत चार सब मिशन यथा- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकनाइजेशन, सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल एवं स्ट्रेन्थनिंग एण्ड मार्डनाइजेशन आफ पेस्ट मैनेजमेन्ट एप्रोच, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं नेशनल ई-गवर्नेस प्लान एग्रीकल्चर भी इस मिशन से संचालित किये जा रहे हैं।
- **नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर-** नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न मुख्य घटक हैं :

  अ- रेनफ्रेड एरिया डेवलपमेन्ट (आर.ए.डी.)

  ब- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एस.एच.एम.)

  1- स्वायल हेल्थ

  2- स्वायल हेल्थ कार्ड

  स- परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-** भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2016-17 से प्रदेश के सभी जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना खरीफ एवं रबी की अधिसूचित फसलों को दैवीय आपदा के विरुद्ध बीमा प्रदान करने, कृषि में नयी तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देना, फसली ऋण के प्रभाव को बनाये रखने एवं आपदा वर्षों में कृषकों की आय को स्थिर रखने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

  पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना : प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से फसलों के नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित जनपदों में चयनित औद्यानिक फसलों- केला एवं मिर्च फसल को अधिकूचित करते हुए योजना संचालित की जा रही है।
- **प्रमाणित बीजों पर अनुदान सम्बन्धी योजना-** इस योजना के माध्यम से कृषकों को खरीफ एवं रबी की फसलों के गुणवत्ता युक्त बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस

पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वहन किया जाता है।

- **संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना-** देश एवं प्रदेश की खाद्य सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाये रखने, अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन को प्राप्त करने के साथ-साथ प्रदेश के 90 प्रतिशत से अधिक लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय में वृद्धि को लक्षित करते हुए प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से अधिक उपज देने वाली हाईब्रिड बीजों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करा रही है।
- **सोलर फोटो वोल्टिक इरीगेशन पम्प की स्थापना-** वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने, पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ पर्यावरणीय अनुकूलता के दृष्टिगत इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
- **कृषि प्रशिक्षित उद्यमी स्वावलम्बन (एग्री जंक्शन) योजना-** कृषि स्नातकों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए किसानों को उनके फसल उत्पादों एवं कृषि निवेशों के लिए कृषि केन्द्र (एग्री जंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधाएं ''वन स्टाप शॉप'' के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करायी जा रही है।
- **विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण की योजना -** रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से दृष्टिगोचर दुष्प्रभावों को कम करने हेतु चलायी जा रही है। योजना के अन्तर्गत बायो एजेन्ट्स, बायो पेस्टीसाइड्स एवं एकीकृत नाशी जीव प्रबन्धन जैसी तकनीकों के प्रयोग से कीट/रोग नियंत्रण किये जाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- **कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के अन्तर्गत पारदर्शी किसान सेवा योजना/डी.बी.टी. योजना-** किसान पारदर्शी योजना के अन्तर्गत कृषि निवेश प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा विभाग की वेबसाइट/पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकृत कृषकों को ही विभाग द्वारा अनुदान एवं अन्य सुविधा देय है। डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे अनुदान की धनराशि नकद स्थानान्तरित करने के पश्चात लाभ प्राप्त करने वाले कृषक के खाते में तीन दिन के अन्दर धनराशि कोषागार/बैंक से अन्तरित किया जा रहा है।

भूमि संरक्षण मद के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जो मुख्यतः इस प्रकार हैं :

- **नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ-** योजना को भविष्य की चुनौतियों एवं घटते जल स्रोत को दृष्टिगत रखते हुए भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है।
- **प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु मृदा स्वास्थ्य का सुदृढ़ीकरण योजना-** मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम के वितरण की योजना एवं जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
- भूमि एवं जल संरक्षण में आर.ए.डी. योजना तथा नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 8300 हे. समस्याग्रस्त भूमि का उपचार किया गया।

- **अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी- क्रिटिकल विकासखण्डों में स्प्रिंकलर सिचाई प्रणाली वितरण की योजना-** अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी-क्रिटिकल विकासखण्डों में जल की समस्या के आलोक में उपलब्ध जल का समुचित उपयोग करते हुए सिंचाई की लागत को कम करने तथा कम जल से अधिक क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध कराते हुए फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ की गयी।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना-** राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने तथा कृषकों को वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के प्रति जागरूक करने के लिए, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ की गयी।
- **पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना-** प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपद एवं विन्ध्य क्षेत्र के मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चंदौली जनपद को छोड़कर शेष 65 जनपदों में समस्याग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जल भराव क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों की आवंटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु वित्तीष वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ की गयी।
- वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों की आय वर्ष 2022 तक की अवधि में दो गुना किये जाने के संकल्प के दृष्टिगत प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों की दो-दो ग्राम सभाओं में किसानों को ''किसान पाठशाला'' (द मिलियन फार्मर्स स्कूल) के माध्यम से प्रशिक्षण का समन्वित माड्यूल तैयार कर पांच दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण द्वारा मृदा स्वास्थ्य के संरक्षण, फसलोत्पादन, खाद्यान्न फसलों की उन्नत खेती, उद्यान, पशु-पालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, सूकर पालन, गन्ना की खेती, विपणन, खाद्य प्रसंस्करण, स्टोरेज तथा मूल्य संवर्द्धन की विभिन्न विधाओं से परिचित कराया गया।
- कृषि विभाग की वेबसाइट **''यूपी.एग्रीपारदर्शी.जीओवी.इन''** के नाम से संचालित है। जिसके अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन विभाग की वित्तीय प्रगति, विभाग का सिटीजन चार्टर, जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय सेवायें, विभागीय सकफ़्लर एवं अन्य सूचनाओं के साथ ही साथ कृषकों के ज्ञान के लिए विभिन्न विषयों पर प्रश्नोत्तरी की सुविधा उपलब्ध है जिससे कृषक इस वेबसाइट पर जाकर कृषि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं कृषि से सम्बन्धित प्रश्नोत्तरी को देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं।

नई योजनाएं

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

उद्देश्यः क्षेत्रफल तथा उत्पादकता वृद्धि को टिकाऊ बनाते हुए उत्पादन में वृद्धि करना, भूमि की उर्वरता तथा उत्पादकता को बढ़ाना तथा कृषि प्रक्षेत्रों के स्तर पर लाभकारी परिदृश्य स्थापित करना।

कार्यक्षेत्र

चावल घटक 23 जनपद : अलीगढ़, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर,

मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, अमेठी, बलरामपुर, बहराइच तथा श्रावस्ती।

दलहन घटक : समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

गेहूँ घटक 31 जनपद : हाथरस, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सन्त कबीर नगर, लखनऊ, फैजाबाद, अमेठी, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती।

मोटा अनाज 20 जनपद : बुलन्दशहर, बदायूँ, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, ललितपुर, जालौन, हरदोई, गोण्डा, बहराइच।

व्यवसायिक फसलें 33 जनपद (जूट-5, कपास-4, गन्ना-24)

जूट : सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती।

कपास : आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस।

गन्नाः सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती एवं फैजाबाद।

कृषकों को दी जाने वाली सुविधायें वर्ष 2018-19

धनराशि रु. में

क्र. सं.	मद का नाम	इकाई	चावल घटक	गेहूँ घटक	दलहन घटक	मोटा अनाज	व्यवसायिक फसलें
1.	**क्लस्टर प्रदर्शन (प्रत्येक 100 हे.) (निःशुल्क)**	रु./हे.	7500	7500	7500	5000	7000/ 8000/ 9000
2.	**फसल पद्धति प्रदर्शन (निःशुल्क)**	रु./हे.	12500	12500	12500	-	-
3.	**बीज/प्रमाणित बीज वितरण**						
	उन्नतशील प्रजातियों के बीज	रु./कु.	1000	1000	2500	1500	-
	संकर बीज	रु./कु.	5000	-	-	5000	-
4.	**बीज उत्पादन (दलहन)**	रु./कु.	-	-	2500	-	-

5. कृषि रक्षा/भूमि रक्षा प्रबन्धन

सूक्ष्म पोषक तत्व	रु./हे.	500	500	500	-	-
जिप्सम/सल्फर	रु./हे.	-	750	750	-	-
कृषि रक्षा रसायन/ बायोएजेन्ट	रु./हे.	500	500	500	-	-
जैव उर्वरक	रु./हे.	-	-	300	-	-
खरपतवार नाशी	रु./हे.	500	500	500	-	-

6. स्रोत संरक्षण तकनीकी/ यन्त्र/ऊर्जा प्रबन्धन

कोनोवीडर	रु./मशीन	600	-	-	-	-
हस्तचालित स्प्रेयर	रु./मशीन	600	600	600	-	-
पावर नैपसैक स्प्रेयर	रु./मशीन	3000	3000	3000	-	-
सीडड्रिल/मल्टीक्राप प्लान्टर/जीरोटिल सीडड्रिल/जीरो टिल मल्टी क्राप प्लान्टर/रिज फरो प्लान्टर/पावर वीडर	रु./मशीन	15000	15000	15000	-	-
ड्रम सीडर	रु./मशीन	1500	-	-	-	-
रोटावेटर	रु./मशीन	35000	35000	35000	-	-
लेजर लैण्ड लेवलर	रु./मशीन	150000	150000	150000	-	-
पैडी थ्रेशर/मल्टाक्राप थ्रेशर	रु./मशीन	40000	40000	40000	-	-
सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी ट्रान्सप्लान्टर	रु./मशीन	75000	-	-	-	-
चीजलर	रु./मशीन	-	8000	8000	-	-
ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर	रु./मशीन	-	10000	10000	-	-

7. सिंचाई प्रबन्धन

पम्पसेट	रु./मशीन	10000	10000	10000	-	-
स्प्रिंकलर सेट	रु./सेट	-	10000	10000	-	-
मोबाइल स्प्रिंकलर रेनगन	रु./रेनगन	-	15000	15000	-	-

पानी ले जाने हेतु पाईप	रु.50/मी.- एच.डी.पी.ई. पाइप/ रु. 35/मी.-पी.वी.सी. पाइप रु. 20 एच.डी.पी.ई. लैमिनेटेड ले-फ्लैट ट्यूब अधिकतम रु. 15000 प्रति कृषक	15000	15000	15000	-	-
8. **प्रशिक्षण**- फसल पद्धति आधारित	रु./प्रशिक्षण	14000	14000	14000	-	-
स्टाफ/कृषक प्रशिक्षण	रु./प्रशिक्षण	-	-	-	-	40000
9. **लोकल इनीशिएटिव**						
सामुदायिक थ्रेसिंग फ्लोर	रु./इकाई	170000	170000	170000	-	-
बड़ा तिरपाल	रु./इकाई	1325	1325	1325	-	-
छोटा तिरपाल	रु./इकाई	350	350	350	-	-
सामुदायिक गोदाम	रु./इकाई	-	9477000	9477000	-	-
मिनी दाल मिल	रु./इकाई	-	-	40000	-	-

नोट : 1. क्रमांक 3 से 7 तक एवं 9 के अन्तर्गत बड़ा तिरपाल, छोटा तिरपाल एवं मिनी दाल मिल पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य होगा।

2. चावल, गेहूँ तथा मोटा अनाज की 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली उन्नतशील प्रजातियों के बीजों पर ही अनुदान अनुमन्य।

3. दलहन में 15 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली उन्नतशील प्रजातियों के बीजों पर ही अनुदान अनुमन्य।

4. समस्त अनुदान लाभार्थी कृषकों के बैंक खाते में डी.बी.टी. प्रक्रिया के माध्यम से हस्तान्तरित किया जायेगा।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति की योजना

उद्देश्य :

- आधुनिकतम फसल उत्पादन तकनीकी को अपनाते हुए चावल एवं गेहूँ के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- फसल सघनता एवं किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से चावल-परती (राइस फोलो एरिया) क्षेत्र में खेती को प्रोत्साहन करना।
- सिंचाई जल का कुशलतापूर्वक उपयोग।

- कटाई उपरान्त तकनीकी एवं विपणन सुविधा को बढ़ावा तथा कृषि उत्पादों के भंडारण हेतु भंडारण क्षमता में बढ़ोत्तरी।

नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम (एन.एम.ओ.ओ.पी.)

नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम (एन.एम.ओ.ओ.पी.) योजना वर्ष 2014-15 से क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत दो मिनी मिशन संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :

अ- मिनी मिशन- I (तिलहन कार्यक्रम)

1. **योजना की आवश्यकता** : प्रदेश की तिलहन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु।
2. **उद्देश्य :**

- प्रदेश में तिलहनी फसलों के क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर तिलहनी फसलों का क्षेत्र विस्तार।
- प्रदेश की मांग के अनुरूप खाद्य तेलों की आवश्यकता की पूर्ति करना।
- लघु एवं सीमान्त/अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/महिला कृषकों को इन फसलों के माध्यम से अधिक आय दिलाना।
- तिलहनी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषकों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना।

3. **कार्यक्षेत्र** : प्रदेश के समस्त 75 जनपद।
4. **फन्डिंग पैटर्न** : 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश।
5. **मिनी मिशन-I के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु कृषकों को कई सुविधाएं दी जाती हैं।**

ब- मिनी मिशन- III वृक्षजनित तेल कार्यक्रम

1. **उद्देश्य** :- बंजर भूमि, परती एवं अन्य अनुपयोगी भूमि का उपयोग कर तेलजनित वृक्षों के माध्यम से तेल उत्पादन में वृद्धि करना।
2. **फन्डिंग पैटर्न** :- 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश।
3. **कार्यक्षेत्र** :- झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट एवं हरदोई।
4. **मिनी मिशन-III के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु भी कृषकों को कई सुविधाएं दी जाती हैं।**

1. **प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्द्धन योजना**
प्रदेश में 7 बड़े प्रक्षेत्र, सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र से सम्बद्ध 13 प्रक्षेत्र, 3 कृषि विद्यालय प्रक्षेत्र, 01 भूमि संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र तथा 140 सामान्य बीज सम्वर्द्धन प्रक्षेत्र कुल 164 राजकीय कृषि प्रक्षेत्र स्थापित हैं। जिनका कुल क्षेत्रफल 6935 हे. एवं कृषित क्षेत्रफल 5162 हे. है। इन प्रक्षेत्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समस्त कृषि फसलों का आधारीय/प्रमाणित बीजोत्पादन करना है। इसके अतिरिक्त सम्भागीय कृषि प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र से

सम्बद्ध प्रक्षेत्रों पर देश/प्रदेश के विभिन्न मौलिक अनुसंधान केन्द्रों द्वारा विकसित उन्नत प्रजातियों एवं कृषि तकनीक का अपने कार्य क्षेत्र की शस्य जलवायु के अन्तर्गत तकनीक की उपादेयता का परीक्षण कर अनुकूल संस्तुतियाँ कृषकों को सुलभ कराना भी है।

वर्ष 2018-19 में प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज सम्वर्द्धन प्रक्षेत्र योजना आयोजनेत्तर में रु. 5616.62 लाख का बजट है।

2. **प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान**

उद्देश्य : प्रदेश के कृषकों को धान, गेहूँ, जौ एवं दलहन, तिलहन की प्रमोशनल एवं मेन्टीनेन्स प्रजातियों पर अतिरिक्त अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराकर उक्त प्रजातियों के बीज की बुवाई अधिक से अधिक क्षेत्र में करने हेतु प्रेरित करना।

कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

कृषको को दी जाने वाली सुविधाएं :

खरीफ/रबी 2018-19 में भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी वितरित किये जाने वाले बीजों पर निम्न विवरणानुसार अनुदान अनुमन्य होगा।

(धनराशि रु./कुं. में)

	फसलें	प्रमोशनल (10 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियों पर)	मेनटेंस (15 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियों पर)	फेजआउट (15 वर्ष से अधिक की अधिसूचित प्रजातियों पर)
1.	धान/गेहूँ/जौ	600	200	शून्य
2.	दलहन (उर्द, मूँग, अरहर)	0	2000	शून्य
	(चना, मटर एवं मसूर)	0	1500	शून्य
3.	तिलहन (मूंगफली, तिल, अलसी, सोयाबीन	0	1500	शून्य
4.	राई, सरसों/तोरिया	0	800	शून्य
5.	तिल (झाँसी, चित्रकूट मण्डल के जनपद के साथ-साथ फतेहपुर, मिर्जापुर एवं सोनभद्र) के जनपदों में विशेष अनुदान	0	0	मूल्य का 40 प्रतिशत या रु. 5000/- प्रति कुं. जो भी कम हो समस्त प्रजातियों पर देय होगा।

3. **संकर बीज वितरण पर अनुदान**

उद्देश्य : वर्ष 2018-19 में प्रदेश को संकर धान, मक्का एवं बाजरा के प्रमाणित/ट्रुथफुल बीज जिनकी कृषकों में अच्छी मांग/लोकप्रियता तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित हों, की विभिन्न

प्रजातियों पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराकर उक्त प्रजातियों के बीज की बुवाई अधिक से अधिक क्षेत्र में करने हेतु प्रेरित करना।

कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

खाद तथा उर्वरक

प्रदेश के उत्पादकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में प्रदेश स्तर पर सहकारिता, गन्ना संघ, यू.पी. स्टेट एग्रो एवं निजी संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया गया है।

वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित लक्ष्य का विवरण निम्नवत् है :

(मात्रा 000 टन में)

वर्ष		नत्रजन	फास्फोरस	पोटाश	योग
2018-19	लक्ष्य	3764	1466	444	5674

●

ग्राम्य विकास

उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या की दृष्टि से काफी बड़ा प्रदेश है। भौगोलिक, आर्थिक तथा स्थानीय विशिष्टताओं की दृष्टि से विभिन्नताएं हैं। यद्यपि प्रदेश में अपार भौतिक एवं प्राकृतिक सम्पदाएं हैं, परन्तु समुचित उपयोग के अभाव में जनसामान्य को यथोचित लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है। विशेषकर ऐसे दूरस्थ गांव, जो प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र (अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय) पर स्थिति हैं तथा आजादी के बाद से अभी तक इन ग्रामों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है तथा वनटांगिया, मुसहर एवं थारू जनजाति आदि वर्गों के बाहुल्य वाले ग्रामों में अस्थापना एवं लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूर्णतः नहीं मिल पाया है। इन पिछड़े राजस्व ग्रामों (मजरे, पुरवे, टोले-बसावट सहित) में अवस्थापना, लाभार्थीपरक व विकास योजनाओं को प्राथमिकता पर आच्छादित करने हेतु उत्तर प्रदेश में प्रथम बार 24 जनवरी 2018 को आयोजित किये गए 'यू.पी. दिवस' के अवसर पर ''मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना'' का शुभारम्भ किया गया है। इसी प्रकार देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्द्धसैनिकों के ग्रामों एवं भौगोलिक संरचनाओं की दृष्टि से अत्यंत विषम परिस्थितियों से घिरे अति पिछड़े ग्रामों को भी इस योजना से आच्छादित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थायी पात्रता सूची में छूटे हुए पात्र परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु ''मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण'' लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा, कालाजार प्रभावित क्षेत्रों, जापानी एन्सेफलाइटिस/अक्यूट एन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम (जे.ई./ए.ई.एस.), तथा वनटांगिया, मुसहर जनजाति प्रभावित परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा।

प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के लिए ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित आर्थिक विकास, अवस्थापना-संसाधनों के निर्माण तथा रोजगार के सतत् अवसर सृजित करने को प्रमुखता प्रदान की गई है।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनायें/ कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। योजनाओं की गतिशीलता एवं लक्ष्योन्मुख सफलता हेतु कार्य स्वभाव से सम्बन्धित विभागों का कार्यान्वयन में योगदान प्राप्त किया जा रहा है। योजनाओं का प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष लाभ जनसामान्य को मिल सके, इस हेतु ग्रामीण विकास योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं की भी भागीदारी प्राप्त की जा रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य में रहने वाले लोगों की गरीबी उन्मूलन एवं उन्नति के प्रति बचनबद्ध

है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम. की मुख्य धारणा है कि निर्धनों में गरीबी से उबरने की सहज क्षमता और सशक्त इच्छा होती है। अतः वर्ष 2011 में उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संस्था का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन/परियोजना (एन.आर.एल.एम./पी.) के राज्य में क्रियान्वयन हेतु ग्राम्य विकास विभाग के संरक्षण में एक स्वायत्त संस्था के रूप में गठन किया गया है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित कर एन.आर.एल.एम. को लांच किया गया है और यह 1 अप्रैल 2013 से समस्त भारत में कार्यान्वित की जा रही है।

एन.आर.एल.एम. एक महत्त्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों तक पहुंच बना कर उन्हें सतत आजीविका के अवसरों से जोड़ना है।

यू.पी.एस.आर.एल.एम. का मिशन- जमीनी स्तर पर निर्धनों की सशक्त एवं स्थायी संस्था बनाकर ग्रामीण परिवारों को लाभप्रद रोजगार एवं हुनरमंद मजदूरी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में समर्थ बनाते हुए गरीबी को घटाना जिसके फलस्वरूप उनकी आजीविका में निरन्तर उत्तरोत्तर प्रगति हो सके।

यू.पी.एस.आर.एल.एम. का लक्ष्य- वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के 821 विकास खण्डों में 1.08 करोड़ ग्रामीण परिवारों के 9.8 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुये स्वतः रोजगार के अवसर देकर गरीबी के स्तर को अत्यन्त कम करना।

एन.आर.एल.एम. की मुख्य विशेषताएं

- ◆ सर्वव्यापी सामाजिक मोबिलाईजेशनः
- एनआरएलएम सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार में से कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध ढंग से स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में लाया जाए। एनआरएलएम समाज के निर्बल वर्गों का पर्याप्त आच्छादन सुनिश्चित करेगा जिससे कि गरीब परिवारों के शत-प्रतिशत कवरेज के अंतिम लक्ष्य के मद्देनजर गठित होने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों में कम से कम 50 प्रतिशत एससी/एसटी, 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक और 3 प्रतिशत दिव्यांग लाभार्थियों की भागीदारी रहे।
- ◆ सामुदायिक संस्थाओं को बढ़ावाः
- गरीबों की सुदृढ़ संस्था यथा- स्वयं सहायता समूह और उनके ग्राम स्तरीय तथा उच्च स्तरीय परिसंघ गरीबों के लिए भूमिका और संसाधन उपलब्ध कराने और वाहय एजेंसियों पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एनआरएलएम अधिक उत्पादन, हर संभव सहायता, सूचना ऋण, प्रौद्योगिकी, बाजार आदि उपलब्ध कराकर विशिष्ट संस्थाओं यथा- आजीविका समूहों, उत्पादन कंपनियों, सहकारी संघों का बढ़ावा देगा।
- ◆ प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन :
- लक्षित परिवारों, स्वयं-सहायता समूहों, उनके परिसंघों, सरकारी कर्मियों, बैंकरों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य मुख्य साझेदारों के लिए बहु-सूत्रीय दृष्टिकोण की संकल्पना की गई है।

परिक्रामीनिधि, सामुदायिक निवेश निधि और ब्याज सब्सिडी

- 03 माह पुराने पात्र स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन राशि के रूप में परिक्रामी निधि रु. 15000 एक बार में उपलब्ध करायी जाती है।

- 06 माह पुराने पात्र स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के रूप में प्रत्येक रु. 1,10,000 की दर से सामुदायिक निवेश निधि एक बार उपलब्ध करायी जाती है।
- इसके अतिरिक्त एनआरएलएम के अंतर्गत सभी पात्र स्वयं सहायता समूह जो तत्काल ऋण अदायगी के आधार पर मुख्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किये हों, को शर्त के अनुसार ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान है।

सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन

- एनआरएलएम सभी गरीब परिवारों, स्वयं सहायता समूहों एवं संघों को मूलभूत बैंकिग सुविधाओं के अतिरिक्त सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन हासिल करने के लिए प्रेरित करता है।

अवसंरचना सृजन और विपणन सहायता

- एनआरएलएम यह सुनिश्चित करेगा कि गरीबों की आजीविका संबंधी मुख्य क्रिया-कलापों के लिए अवसंरचनात्मक आवश्यकताएं पूर्णतः पूरी हों। एनआरएलएम गरीबों की संस्थाओं को विपणन सहायता भी उपलब्ध कराएगा।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर सेटी)

- एनआरएलएम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को देश के सभी जिलों में ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर सेटी) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आर सेटी संस्थानों के माध्यम से जिले के बेरोजगार ग्रामीण युवाओं/युवतियों को स्वावलम्बी व स्व-रोजगारी उद्यमियों के रूप में विकसित किया जाता है, जिसके लिए आवश्यकता आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं व्यवस्थित हैंडहोल्डिंग सपोर्ट का उपयोग किया जाता है।

पंचायती राज संस्थाओं के साथ संपर्क

- ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायतों तथा निर्धनों की संस्थाओं के बीच पारस्परिक लाभप्रद संबंधों को यू.पी.एस.आर.एल.एम. विकसित करेगा। पारस्परिक सलाह, सहायता एवं संसाधनों में हिस्सेदारी हेतु निर्धनों की संस्थाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं के बीच नियमित परामर्श के लिए आवश्यक रूप से एक औपचारिक तंत्र स्थापित किया जायेगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम

योजना का प्रारम्भ – प्रथम चरण 2 फरवरी, 2006 से 22 जनपदों में, दूसरा चरण 15 मई, 2007 से 17 अतिरिक्त जनपदों में तथा तीसरा चरण 1 अप्रैल, 2008 से सभी जनपदों में।

उद्देश्य – इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारण्टीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है।

वित्त पोषण – भारत सरकार द्वारा अकुशल मजदूरी पर शत-प्रतिशत अंश। सामग्री अंश पर भारत सरकार का 75 प्रतिशत अंश एवं राज्य सरकार का 25 प्रतिशत अंश।

योजना के मुख्य बिन्दु

- माँग आधारित योजना। परिवारों का पंजीकरण ग्राम पंचायत में किया जाता है।

- ग्राम पंचायतें/कार्यक्रम अधिकारी रोजगार आवंटित करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- श्रमिक को रोजगार उसके निवास के 05 किमी. के अन्दर दिया जायेगा। उससे अधिक दूरी होने पर 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी का भुगतान श्रमिक को देय होगा।
- 15 दिन के अन्दर रोजगार न दिये जाने पर नियमानुसार बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- प्रदेश में मजदूरी दर रु. 175/- प्रति मानव दिवस निर्धारित है।

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य

- कंटूर ट्रेंच (समान गहराई वाली खाईं), समोच्च बांध, पत्थर के रोक बांध (बोल्डर चौक), बेलनाकार संरचनाएँ, भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, रोक बांध तथा स्प्रिंगशेड विकास सहित जल संरक्षण एवं जल संचय;
- सूखे से बचाव के लिए वनरोपण और वृक्षारोपण;
- सिंचाई के लिए सूक्ष्म और लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण;
- अनुसूची-1 के प्रस्तर 1ग में निर्दिष्ट परिवारों द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधाओं, खेत में बनाए गए तालाब, बागवानी, पौधरोपण, खेत बांध और भूमि विकास का प्रावधान;
- परम्परागत जल निकायों के पुनर्जीवीकरण सहित जलाशयों की गाद निकालना,
- भूमि विकास,
- बाढ़ नियन्त्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएँ जिनमें जलभराव से ग्रस्त इलाकों में पानी की निकासी, बाढ़, नालों (चैनलों) को गहरा करना और मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए स्टोर्मवाटर ड्रेनों का निर्माण शामिल है;
- ग्रामों के भीतर जहाँ भी आवश्यक हो, पुलियों और सड़कों की व्यवस्था सहित बारहमासी सड़क संपर्कता मुहैया कराने के लिए ग्रामीण सड़क संपर्कता;
- ब्लॉक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण
- कृषि से सम्बन्धित कार्य जैसे कि एनएडीईपी कम्पोस्टिंग, वर्मी-कम्पोस्टिंग, तरल-जैव खाद;
- पशुधन सम्बन्धी कार्य जैसे कि मुर्गीपालन शेल्टर, बकरी शेल्टर, पक्का फर्श निर्माण, यूरिन टैंक तथा पशुओं के लिए चारे की गाद, पशु आहार पूरक के रूप में अजोला;
- मत्स्यपालन सम्बन्धी कार्य जैसे कि सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मछली पालन;
- तटवर्ती क्षेत्रों में कार्य जैसे कि मछली सुखाने के यार्ड, बेल्ट वेजीटेबल क्षेत्र;
- ग्रामीण पेयजल सम्बन्धी कार्य जैसे कि सोख्ता गड्ढ़ा, रिचार्ज पिट्स,
- ग्रामीण स्वच्छता सम्बन्धी कार्य जैसे कि वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय, विद्यालय शौचालय, आंगनबाड़ी शौचालय, ठोस व तरल अपशिष्ट सामग्री प्रबन्धन,
- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण आवास के निर्माण में 90 मानव दिवस का श्रमांश

- खाद्य गोदामों का निर्माण,
- आंगनबाड़ी केन्द्रों का संनिर्माण
- खेल के मैदानों का निर्माण
- राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले कोई अन्य कार्य
- माह जुलाई, 2014 से भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार योजनान्तर्गत कुल व्यय का 60 प्रतिशत व्यय कृषि से संबंधित कार्यों के लिए किया जायेगा।

वर्ष 2017-18 की प्रगति

वर्ष 2017-18 में रोजगार सृजन हेतु वार्षिक भौतिक लक्ष्य 1800.00 लाख मानव दिवस निर्धारित किया गया। दिनांक 05 फरवरी 2018 तक रु. 3494.14 करोड़ की धनराशि व्यय करके 1391.34 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

ग्रामीण आवास योजना की उत्पत्ति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी-1980) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी-1983) के मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से हुई थी क्योंकि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों के निर्माण की अनुमति दी जाती थी। जून, 1985 से आरएलईजीपी की उप-योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के मकानों के निर्माण के लिए निधियों का निर्धारण किया गया। जब अप्रैल, 1989 में जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) शुरू की गई थी तब इसकी 6 प्रतिशत निधियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के मकानों के निर्माण के लिए आवंटित की जाती थी। (वर्ष 1993-94) में जेआरवाई के अंतर्गत मकानों के लिए निर्धारित निधियों को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करते हुए गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया। अतिरिक्त 4 प्रतिशत निधियों का उपयोग गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए किया जाना था।

जनवरी 1996 से इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को एक स्वतंत्र कार्यक्रम बना दिया गया जिसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों की मकान सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करना था। यद्यपि ग्रामीण आवास की कमी की पूर्ति हुई है तथापि इसके क्रियान्वयन के 30 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी कार्यक्रम के अंतर्गत, कवरेज के सीमित दायरे को देखते हुए ग्रामीण आवास परिदृश्य में अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

- वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार वचनबद्ध है। ग्रामीण आवास परिदृश्य में इस कमी को दूर करने तथा सरकार की इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए करने के लिए आईएवाई योजना को वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के रूप में पुनर्गठित किया गया है। पीएमएवाई-जी के अन्तर्गत सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी

सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्य विशेषताएं

- आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया है जिसमें स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है।
- मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता को रु. 70,000/- से रु. 1,20,000/- और आई.ए.पी. जिलों (चन्दौली, सोनभद्र तथा मिर्जापुर) में रु. 75,000/- से बढ़ाकर रु. 1,30,000/- किया गया है।
- केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच इकाई (आवास) सहायता लागत का वहन 60:40 के आधार पर किया जाता है।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एमबीएम-जी) व मनरेगा के साथ तालमेल के जरिए या किसी अन्य समर्पित स्रोत से शौचालयों के लिए सहायता (रु. 12000) का प्रावधान है।
- इकाई सहायता के अलावा आवास के निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत 90/95 दिनों की अकुशल मजदूरी का प्रावधान किया गया है।
- ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में दर्शाए गए सामाजिक मानदण्डों के आधार पर।
- बुनियादी सुविधाओं अर्थात् शौचालय, पेयजल, बिजली, स्वच्छ व एफिसियेंट ईंधन, ठोस और तरल अपशिष्ट का शोधन इत्यादि की व्यवस्था के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल करना।
- लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खातों में इलेक्ट्रानिक तरीके से सभी तरह का भुगतान किए जाने का प्रावधान जिसमें वे खाते भी शामिल हैं जिनमें उनकी सहमति से आधार संख्या सम्बद्धता कर दी गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 अर्थात दो वर्षों के लक्ष्य एक ही वर्ष में पूरा करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत मार्च 2018 तक 8.85 लाख आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 02-02-2018 तक शत-प्रतिशत आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं, 8.81 लाख आवासों (99.5 प्रतिशत) के लिए प्रथम किश्त, 8.38 लाख आवासों (94.6 प्रतिशत) के लिए द्वितीय किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। 61.362 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
- राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों को दूसरी किस्त 40 हजार की जगह 70 हजार दी जायेगी ताकि वो शीघ्रता से अपने आवास पूर्ण कर सकें।
- प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 90 दिन का अकुशल श्रम रोजगार (रु. 175 प्रति दिवस की दर से) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से दिये जाने की व्यवस्था की गई।

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना के क्रियान्वयन हेतु रु. 11500.00 करोड़ का बजट प्रावधान है।
- उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों के 210 अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम योजना में चयनित हैं। योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से रु. 44.10 करोड़ प्राप्त हुए।
- विकास कार्यों को कराते हुए रु. 28.42 करोड़ धनराशि व्यय करके 140 आदर्श ग्राम के रूप में विकसित कर दिये गये हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

- प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन पूर्णतः केन्द्र पोषित योजना के रूप में दिनांक 25-12-2000 से प्रदेश में किया गया था। योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र में 500 अथवा उससे अधिक आबादी (2001 की जनगणना के आधार पर) की बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ना था। नक्सल प्रभावित जनपदों में सम्पर्क मार्गों के चयन हेतु आबादी का न्यूनतम मानक 250 है। साथ ही पूर्व में निर्मित ग्रामीण सम्पर्क मार्ग (अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग) के उच्चीकरण के कार्य भी योजनान्तर्गत अनुमन्य किये गये थे। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर चिह्नित 500 या उससे अधिक आबादी की समस्त जुड़ सकने योग्य ग्रामीण बसावटों को पक्के मार्गों से एकल सम्पर्कता के आधार पर आच्छादित करने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। नक्सल प्रभावित जनपदों में 250 या उससे अधिक आबादी की ग्रामीण बसावटों को योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने का लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया गया है।
- प्रदेश की उक्त उपलब्धियों के कारण ही इसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण (पी.एम.जी.एस.वाई-2) के क्रियान्वयन हेतु देश में चयनित किये गये मात्र 08 राज्यों (पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम एवं उत्तर प्रदेश) के साथ सम्मिलित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा पी.एम.जी.एस.वाई-2 के अन्तर्गत पूर्व निर्मित व जर्जर मार्गों के सुधार के कार्य अनुमन्य किये गये हैं।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा फण्डिंग पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है जिसके अनुसार केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत है। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2015-16 से ही लागू कर दी गयी है।
- इस योजना के सुचारु रूप से संचालन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन राज्य स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यू.पी.आर.आर.डी.ए.) का एक पंजीकृत समिति के रूप में गठन किया गया है। प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः दो कार्यदायी संस्थाओं- लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के 42 जनपदों में तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा शेष 33 जनपदों में योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रत्येक जनपद में कार्य की मात्रा के आधार पर कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाइयों का गठन किया गया है।

भौतिक प्रगति

- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 15.01.2018 तक 1829.00 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं जबकि विगत पूरे वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1959.44 किलोमीटर सड़कें बनायी गयी थीं। इस वर्ष हेतु 2373.52 किलोमीटर सड़कें निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है, फिर भी यह प्रयास है कि वर्षान्त तक 3000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई जायें जो विगत वर्ष से 53 प्रतिशत अधिक हैं।
- योजना के अन्तर्गत प्रदेश में प्रथम बार नई तकनीकों का प्रयोग कर 1741.60 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जायेगा जिसमें वेस्ट प्लास्टिक-612.76 किमी., कोल्ड मिक्स-561.82 किमी., नैनों टेक्नोलोजी-457.59 किमी., जूट जियो टेक्सटाईल्स-53.76 किमी. फ्लाई ऐश-21.85 किमी., लाइम स्टेब्लाइजेशन- 1.50 किमी., सी.सी. लाक-52.51 किमी. सम्मिलित हैं। योजनान्तर्गत प्रदेश में वर्तमान वर्ष में माह दिसम्बर 2017 तक नई तकनीकों का प्रयोग कर अब तक 208.51 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य किया जा चुका है एवं अन्य कार्य प्रगति पर हैं।
- योजना में निर्मित सड़कें जो लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी थीं उनमें से जो सड़कें निर्माण के बाद 6वें, 7वें, 8वें वर्ष में है उनका पीरियाडिक रिन्यूवल पीएमजीएसवाई द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान वर्ष में ऐसी 1017 अर्ह सड़कें, लम्बाई 2937.04 किलोमीटर का पीरियाडिक रिन्यूवल का कार्य माह मार्च 2018 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। इन कार्यों पर रु. 287.09 करोड़ व्यय अनुमानित है।
- नक्सल प्रभावित जनपद चन्दौली तथा सोनभद्र के 12 अन्य जिला मार्गों के डीपीआर तैयार कर भारत सरकार से स्वीकृत कराये गये, जिनकी लम्बाई 233.88 किमी. तथा लागत रु. 133.10 करोड़ है।
- भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर पूर्व वर्षों में निरस्त हुए मार्गों के स्थान पर अन्य क्षतिग्रस्त मार्गों के उच्चीकरण हेतु 233 मार्गों, लम्बाई 2466.02 किमी. तथा लागत रु. 1698.62 करोड़ के डीपीआर तैयार कराकर भारत सरकार की स्वीकृत हेतु प्रेषित किए गये।
- प्रगति- 05-09-2018 तक 20.00 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष 9.90 करोड़ का मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में सड़क निर्माण हेतु रु. 2872.81 करोड़ का बजट प्रावधान है। प्रारम्भिक शेष रु. 1372.04 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है जिसके सापेक्ष माह अगस्त 2018 तक रु. 553.14 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी। कार्यदायी विभागों द्वारा 472 सड़कों को पूर्ण करने तथा लम्बाई 1953.61 किमी. निर्मित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.)

कार्यक्रम का विवरण

प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु केन्द्र सहायतित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का संचालन केन्द्र एवं राज्य द्वारा 50:50 प्रतिशत वित्त पोषण के आधार पर किया जा रहा था। इस कार्यक्रम का संचालन एवं अनुश्रवण, ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत गठित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की गाइडलाइन में 01 नवम्बर 2018 से संशोधन के उपरान्त प्रदेश को कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि को दो भागों में बांटा गया है- सस्टेनेबिलिटी (क्रियाशीलता) मद एवं सामान्य मद (प्रतिपूर्ति के आधार पर)।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को पीने, भोजन बनाने एवं घरेलू मूलभूत आवश्यकताओं हेतु शुद्ध पेयजल निरन्तरता के आधार पर उपलब्ध कराना है। राजीव गांधी मिशन, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु प्रस्तावित दिशा निर्देश में वर्णित प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं-

- ग्रामीण क्षेत्र की समस्त बस्तियों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- पेयजल प्रणाली तथा स्रोत सस्टनेबिलिटी सुनिश्चित करके आपूर्ति एवं उपभोग, दोनों बिन्दुओं पर निर्धारित मानकों के अनुरूप इसके संपूर्ण योजना अवधि में प्रणाली द्वारा सेवाओं की आपूर्ति।
- जल की गुणता एवं पर्यवेक्षण हेतु ढांचा विकसित कर पेयजल की गुणता संरक्षित करना।

पेयजल आपूर्ति की स्थिति

वर्तमान में प्रदेश में कुल 27.71 लाख इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जिनके माध्यम से लगभग प्रत्येक 60 आबादी हेतु एक सुरक्षित पेयजल स्रोत की उपलब्धता है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु हैण्डपम्प ही मुख्य स्रोत है किन्तु घरेलू स्तर पर पेयजल उपलब्ध कराने के दृष्टिगत पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया जा रहा है। अभी तक प्रदेश में 4438 पाइप पेयजल योजनायें निर्मित की जा चुकी हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के लगभग 14,500 ग्रामों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इस प्रकार पाइप पेयजल के माध्यम से प्रदेश की लगभग 12 प्रतिशत आबादी को आच्छादित किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में प्रदेश में कुल 1595 पाइप पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनको पूर्ण करने के लिए लगभग रु. 2000 करोड़ की आवश्यकता है। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर लगभग 3700 ग्रामों को पाइप पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करायी जा सकेगी।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताएं

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार अब राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों, सांसद आदर्श ग्राम तथा स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अन्तर्गत ओ.डी.एफ. ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त किसी अन्य ग्राम हेतु नई पाइप पेयजल योजना का निर्माण नहीं कराया जाना है तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का उपयोग वर्तमान में निर्माणाधीन ऐसी योजनायें जिनमें 25 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है, में किया जाना है।

वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं :

- आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना।
- ए.ई.एस./जे.ई. से प्रभावित ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना।
- पूर्व से निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराया जाना।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराया जाना।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अन्तर्गत ओ.डी.एफ. ग्राम पंचायतों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (आच्छादन)

प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी पेयजल हेतु पूर्णतः हैण्डपम्प पर निर्भर है, परन्तु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत हैण्डपम्प के स्थान पर पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में गुणता प्रभावित पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में यह निर्णय लिया गया है कि जे.ई./ए.ई.एस. एवं आर्सेनिक/फ्लोराइड बस्तियों की उन निर्माणाधीन योजनाओं, जिनमें 75 प्रतिशत या उससे अधिक कार्य कराया जा चुका है, उन्हें सर्वप्रथम पूर्ण कर लक्षित ग्राम पंचायतों में पेयजल उपलब्ध कराया जाये। वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन 358 योजनाओं पर पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की गयी।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (गुणवत्ता प्रभावित बस्तियाँ)

- प्रदेश के काफी बड़े क्षेत्र में भूजल में पेयजल की गुणवत्ता की समस्या है। भूजल स्तर में लगातार गिरावट के कारण तथा भूजल की गुणवत्ता की समस्याओं के कारण काफी संख्या में हैण्डपम्प या तो निष्क्रिय हो रहे हैं अथवा इनसे मिलने वाला पेयजल पीने योग्य नहीं रह गया है।
- वर्ष 2004 के सर्वेक्षण में चिह्नित गुणवत्ता से प्रभावित कुल 8667 बस्तियाँ (1225 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों सहित) में से 8499 बस्तियों को मार्च 2017 तक सुरक्षित पेयजल व्यवस्था से लाभान्वित किया जा चुका है। शेष 168 गुणता प्रभावित बस्तियों को वर्ष 2017-18 में लाभान्वित करने का लक्ष्य है। प्रदेश की जल परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा कराये जा रहे नियमित जल परीक्षण कार्यों के अन्तर्गत कुछ नई बस्तियाँ भी चिह्नित हुई हैं जिनको सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- प्रदेश में गुणता प्रभावित बस्तियों की स्थिति की जानकारी पूर्व में कराये गये सैम्पिल सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित है किन्तु विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी तथा समय-समय पर कराये जा रहे परीक्षणों के फलस्वरूप अन्य क्षेत्रों में भी गुणता की समस्या सामने आ रही है। वास्तविक स्थिति के आकलन हेतु प्रदेश में पेयजल स्रोतों का वृहद् स्तर पर गुणवत्ता सर्वेक्षण एवं जी.पी.एस. मैपिंग कराया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने पर नयी गुणत्ता प्रभावित

बस्तियाँ चिह्नित की जा सकेंगी।

ए.ई.एस./जे.ई. से प्रभावित ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

- प्रदेश में कुल 20 जनपद यथा- गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बहराइच, गोण्डा, श्रावस्ती, बलरामपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर देहात एवं सहारनपुर जे.ई./ए.ई.एस. संक्रमण से प्रभावित हैं।
- सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हेतु ए.ई.एस./जे.ई. से सर्वाधिक प्रभावित जनपदों की प्रत्येक ऐसी बस्ती में जिसमें पिछले 03 वर्षों में कोई मरीज चिह्नित हुआ हो, एक मिनी पाइप पेयजल योजना तथा एक इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प का अधिष्ठापन किया जाना था, जिसके सापेक्ष सर्वाधिक प्रभावित गोरखपुर एवं बस्ती मण्डलों के 07 जनपदों की 2734 बस्तियों में 18295 नये इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन तथा कुल 2592 मिनी पेयजल योजनाओं का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। 142 योजनाओं पर विद्युत संयोजन को छोड़कर अन्य समस्त कार्य पूर्ण हैं।
- ए.ई.एस./जे.ई. प्रभावित ग्रामीण बस्तियों हेतु वर्तमान में 20 जनपदों में कुल लागत रु. 761.53 करोड़ की 344 पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं। जिन्हें पूर्ण किये जाने हेतु रु. 382.05 करोड़ की आवश्यकता है।
- इनमें से 75 प्रतिशत से अधिक प्रगति वाली 139 योजनाओं पर रु. 136.35 करोड़ आवंटित किये गये हैं तथा इनमें से 107 योजनाओं पर कार्यपूर्ण है। अवशेष 32 परियोजनाओं को मार्च 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

राज्य ग्रामीण पेयजल योजना

राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से पेयजल आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश में राज्य ग्रामीण पेयजल योजना आरम्भ की गयी।

- योजना के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं एवं हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन/रिबोरिंग के कार्य किये गये हैं। राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में कोई बजट प्राविधानित नहीं है।
- पूर्व स्वीकृत एवं निर्माणाधीन 161 पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने हेतु अवशेष आवश्यक धनराशि हेतु वर्ष 2018-19 में रु. 120.00 करोड़ का प्रावधान है।

बैच-1 (वर्ष 2014-2017)

- सम्मिलित जनपद- कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, गोण्डा, प्रयागराज, बस्ती, बहराइच, बलिया एवं गाजीपुर।

बैच-2 (वर्ष 2017-2020)

- सम्मिलित जनपद- कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, गोण्डा, प्रयागराज, बस्ती, बहराइच, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, फतेहपुर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर तथा संत कबीर नगर।

परियोजना प्रगति

- इस परियोजना के प्रथम बैच में प्रदेश के पूर्वी अंचल के जे.ई./ए.ई.एस. एवं आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित जनपद कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, गोण्डा, इलाहाबाद, बस्ती, बहराइच, बलिया एवं गाजीपुर लिए गए हैं। द्वितीय बैच में जनपद सोनभद्र, फतेहपुर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर तथा संत कबीर नगर को भी सम्मिलित किया गया है।
- फरवरी, 2014 से शुरू होने वाले प्रथम बैच में कुल 1476 बसावटों के लिए 220 एकल बसावट एवं एकल ग्राम पंचायत योजना तथा 13 बहुल ग्राम पंचायत पाइप पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।
- प्रथम बैच की 220 एकल ग्राम एवं 13 बहुल ग्राम योजनाओं के सापेक्ष 98 एकल ग्राम एवं 08 बहुल ग्राम योजनाएं पूर्ण कर ली गयी हैं। शेष सभी योजनाएं मार्च 2018 तक पूर्ण कर ली जायेंगी।

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत मात्र उन्हीं लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है, जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार बेघर हों, एक या दो कमरे के कच्ची दीवार एवं कच्ची छत युक्त मकानों में निवास कर रहे हों। यह पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में अनेक परिवार प्राकृतिक आपदा के कारण छतविहीन एवं आश्रयविहीन हो जाते हैं, अनेक परिवार कालाजार से प्रभावित हैं/ वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के (जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित)हैं/जापानी एन्सेफलाइटिस (जे.ई.)/अक्यूट एन्सेफलाइटिस सिनड्रोम (ए.ई.एस.) से प्रभावित हैं और ऐसे परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित हैं, परंतु सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों पर आधारित आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं हैं, इस कारण आवास का आवंटन किया जाना संभव नही हो पा रहा है, उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को प्रारंभ किया गया है।

यह योजना शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी। आवास का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर परिवार के महिला सदस्य अथवा संयुक्त रूप से पति-पत्नी के नाम से होगा। यदि परिवार में महिला उपलब्ध न हो अथवा उसका देहांत हो गया हो, तो मात्र पुरुष के नाम पर भी आवास का आवंटन किया जा सकता है। आवास का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होगा, जिसमें रसोई घर के लिये भी स्थान चिन्हित होगा। आवास की इकाई लागत सामान्य क्षेत्र में रु. 1.20 लाख तथा नक्सल प्रभावति जनपदों (चन्दौली, मिर्जापुर एवं सोनभद्र) में रु. 1.30 लाख होगी। आवास हेतु अनुदान की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में तीन किश्तों में अंतरित की जायेगी। लाभार्थियों को मनरेगा से 90 दिन (नक्सल प्रभावित जनपदों में 95 दिन) का रोजगार दिये जाने की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। आवास के साथ शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.)/ मनरेगा से कराया जायगा।

आवास का निर्माण अधिकतम 12 माह में लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना के क्रियान्वयन हेतु रु. 200.00 करोड़ का बजट प्रावधान है।

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना

प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र (अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय) पर स्थित तथा आजादी के बाद से अभी तक इन ग्रामों का सर्वांगीण विकास न होने व बनटांगिया, मुसहर एवं थारू आदि वर्गों के बाहुल्य वाले ग्रामों में अवस्थापना एवं लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं से प्राथमिकता पर आच्छादित कर समेकित एवं स्थायी विकास की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश के इन पिछड़े ग्रामों (मजरे, पुरवे, टोले-बसावट सहित) में सर्वांगीण विकास किए जाने के ध्येय से मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना लागू की गयी है।

- ऐसी बस्तियाँ, जो सम्पर्क मार्ग/सड़क, विद्युतीकरण, पेयजल, ग्राम के अन्दर खड़न्जा/नाली निर्माण, कल्याणकारी लाभार्थीपरक योजनाएं- पेंशन, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, कौशल विकास-आजीविका एवं कृषि योजनाएं आदि बुनियादी सुविधाओं से वंचित हों एवं सीमावर्ती क्षेत्र (अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय) में स्थित हों तथा जहां समाज के वंचित वर्ग के लोग अधिसंख्य में निवास करते हों, का भी योजनान्तर्गत विकास किए जाने की व्यवस्था है।
- देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के सैनिकों के ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित किया जाए और यदि ग्राम सम्पर्क मार्ग से नहीं जुड़ा है, तो पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा। मार्ग को ''गौरव पथ'' नाम दिया जाएगा। ग्राम में तोरण द्वार तथा शहीद हुए सैनिक की मूर्ति की स्थापना करायी जाएगी।
- योजनान्तर्गत चयनित राजस्व ग्राम में 17 कार्यदायी विभागों के 24 कार्यक्रम संचालित हैं।
- योजनान्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों (मजरे/पुरवे/टोले-बसावटें सहित) में संचालित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, संबंधित कार्यदायी विभागों द्वारा अभिसरण (कन्वर्जेस) के माध्यम से प्राथमिकता प्रदान करते हुए, कराया जाएगा।
- प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत ऐसे कार्यक्रमों, जिनका संतृप्तीकरण राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से नहीं हो सकेगा, को विधायक निधि/ अन्य निधियों के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों से यथा मार्ग-निर्देशों के अनुसार कराए जाने की व्यवस्था बनाए जाने पर विचार किया जा सकेगा।
- प्रथम चरण में 1265 राजस्व ग्रामों को संतृप्त करने का लक्ष्य है।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि)

- विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा. सदस्यों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अनुभूत स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा संतुलित विकास हेतु निधि का संचालन किया जाता है।
- प्रत्येक माननीय सदस्य को अपने विधान सभा/विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी कार्यों हेतु प्रति वर्ष रु. 150.00 लाख की धनराशि दिये जाने का प्रावधान है।
- सड़क, पुल, पुलिया, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षण संस्थाओं में कक्ष निर्माण, पुस्तकालय, सरकारी अस्पतालों के लिए एक्स-रे मशीन, एम्बुलेन्स सुविधा, फायर ब्रिगेड वाहन एवं अन्य उपकरण क्रय किये जाने आदि जैसे कार्य उक्त निधि के अन्तर्गत अनुमन्य हैं।

- विधायक निधि से अग्निकांड, दुर्घटना एवं असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रु. 25.00 लाख की सीमा तक सहायता किये जाने की व्यवस्था है।
- वर्ष 2017-18 में रु. 762.00 करोड़ की बजट व्यवस्था के सापेक्ष रु. 758.05 करोड़ धनराशि अवमुक्त की गयी। गत वर्षों की अवशेष धनराशि को सम्मिलित करते हुये दिनांक 02-02-2018 तक रु. 272.08 करोड़ की धनराशि व्यय करके 1979 परियोजनायें पूर्ण करायी गयीं।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना के क्रियान्वयन हेतु रु. 756.00 करोड़ का बजट प्रावधान है।
- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत मा. सदस्य को उनके क्षेत्र के विकास हेतु वार्षिक रु. 2.40 करोड़ की धनराशि उपलब्ध होगी।
- योजना के अन्तर्गत सड़क, पुल, पुलिया, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षण संस्थाओं में कक्ष निर्माण, पुस्तकालय, सरकारी अस्पतालों के लिए एक्सरे मशीन, एम्बुलेन्स सुविधा, फायर ब्रिगेड वाहन एवं अन्य उपकरण क्रय किये जाने आदि जैसे कार्य अनुमन्य।

अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना (ए.वी.आर.वाई.)

- यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप बहुआयामी स्वरोजगार हेतु परियोजनाओं के संचालन पर बल दिया जाता है। सभी वर्ग, धर्म, जाति के लोगों को लाभान्वित किया जाता है। ग्रामीणों में रोजगार हेतु ग्राम से शहरों की ओर होने वाले पलायन की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से रोजगार परक योजना संचालित है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है।
- योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को प्रति इकाई लागत का 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10,000/- रु. अन्य लाभार्थियों के लिए 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 7,500/- तक राज्य सहायता/शासकीय अनुदान देय है।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 में योजना के क्रियान्वयन हेतु रु. 12.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु. 9.07 करोड़ की धनराशि व्यय कर के 10665 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- वर्ष 2016-17 के बजट में रु. 12.00 करोड़ की व्यवस्था की गई। योजना की गाइडलाइन (1991) में संशोधन प्रक्रियाधीन होने के कारण कोई धनराशि व्यय नहीं की जा सकी।
- वर्ष 2017-18 के बजट में रु. 12.00 करोड़ की व्यवस्था की गई। योजना की गाइडलाइन (1991) में संशोधन प्रक्रियाधीन होने के कारण जनवरी 2018 तक कोई धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त नहीं की गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना के क्रियान्वयन हेतु रु. 12.00 करोड़ का बजट प्रावधान है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना प्रदेश में वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ की गई है।

- वित्तीय संसाधन व्यवस्था शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित। भारत सरकार द्वारा अब तक प्रदेश के चयनित 210 ग्रामों में 44.10 करोड़ अवमुक्त किये गये हैं।
- उद्देश्य-50 प्रतिशत अनुसूचित जाति अथवा अधिक आबादी वाले चयनित ग्रामों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाना जहाँ आधारभूत भौतिक व सामाजिक अवस्थापना सुविधाएँ समाज के प्रत्येक वर्ग हेतु उपलब्ध हो सकें।
- भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 04 जनपदों के 210 ग्राम योजनान्तर्गत चयनित किये गये हैं, जिसमें जनपद पीलीभीत में 05 ग्राम, सुलतानपुर में 05 ग्राम, लखनऊ में 60 ग्राम तथा सीतापुर में 140 ग्रामों का चयन किया गया है।
- भारत सरकार व प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों यथा- ग्राम्य विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला एवं बाल कल्याण एवं पंचायतीराज विभाग आदि द्वारा चलायी जा रही विभिन्न चिह्नित योजनाओं से कन्वर्जेस व गैंप फिलिंग कम्पोनेंट द्वारा चयनित ग्रामों का तीन वर्षो की तय सीमा में निर्धारित मानकों पर विकास किया जाना।

क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के कार्य

1. ग्राम्य विकास कार्यक्रमों से जुड़े हुए सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान को अद्यावधिक कर इनमें व्यवसायिक क्षमता विकसित करना तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया में दक्ष बनाने के लिये पूर्व सेवाकालीन एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. प्रदेश की क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये स्थानीय बोलचाल की भाषा एवं परिवेश में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
3. सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण, केस स्टडी, विकास की क्षेत्रीय आवश्यकताओं का विश्लेषण तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रतिबद्धता एवं समर्पण जैसे गुणों का विकास करना।
4. गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचारों/सुझावों को आमंत्रित करना तथा तद्नुसार योजनाओं के लिये दिशा निर्देशक सुझाव प्रस्तुत करना।
5. विकास की विभिन्न योजनाओं का कार्यपरक अध्ययन तथा तथ्यपरक मूल्यांकन करना तथा सफलता एवं असफलता के बिन्दुओं का विश्लेषण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
6. ग्रामीण विकास से सम्बन्धित समस्त योजनाओं तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी के मुख्य कार्य विधाओं पर निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रदर्शन आयोजित करना।
7. ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के लिये आवश्यकतानुसार परामर्शी सेवाएं प्रदान करना तथा जनसाधारण की कठिनाइयों/समस्याओं को नीति निर्माताओं तक पहुंचाना तथा समस्याओं की ही दिशा में किये जाने वाले प्रयासों को जनसाधारण को बताना।

8. शासन द्वारा संचालित, प्रचलित नये कार्यक्रमों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप सन्दर्भ/प्रसार साहित्य का सृजन करना।
9. प्रशिक्षण एवं प्रसार/प्रचार के विभिन्न दृश्य-श्रव्य साधनों का उपभोग करते हुये इनके प्रयोग का प्रशिक्षण देना तथा सरल/सुबोध ढंग से कार्यक्रमों की बातों को जन साधारण में लोकप्रिय बनाना।

मिशन अंत्योदय

1. भारत सरकार द्वारा मिशन अन्त्योदय में उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जनपदों में 10783 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया।
2. योजना का उद्‌देश्य चयनित ग्राम पंचायतों के ग्रामीण परिवारों विशेष रूप से एस.ई.सी.सी. सर्वे में विभिन्न वंचित (डिप्रीवेशन) श्रेणियों के परिवारों की सर्वे के पश्चात् 1000 दिनों में गरीबी दूर करते हुए उनकी जीवन दशा में सही मायने में सुधार लाना।

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में नवम्बर 1980 में आयोजित एक बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश में राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना दिनांक 01अप्रैल, 1982 को बख्शी का तालाब, लखनऊ में की गयी। इस संस्थान को प्रदेश में ग्राम्य विकास से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के अधीन सभी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्शीय सेवाओं, साहित्य प्रकाशन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय हेतु शीर्ष संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है।

शासनादेश संख्या-5370/38-6-91-51(टी)/टी.सी., दिनांक 13 नवम्बर, 1991 द्वारा राज्य ग्राम्य विकास संस्थान का नाम ''दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान'' कर दिया गया। शासनादेश संख्या-1026/38-6-91-51(टी)/टी.सी., दिनांक 30 जुलाई, 1994 द्वारा संस्थान का नाम पुनः परिवर्तित करके ''दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान'' कर दिया गया।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

योजना का प्रारम्भ

योजना का प्रारम्भ केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 सितम्बर, 2015 को रु. 5142.08 करोड़ के परिव्यय से पूरे भारत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) को अनुमोदित किया गया है।

उद्‌देश्य

राष्ट्रीय रूर्बन मिशन (एनआरयूएम) का उद्‌देश्य अगले 03 वर्षों में देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का निर्माण करना है। इस मिशन का उद्‌देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुव्यवस्थित रूर्बन क्लस्टरों का सृजन करना है।

वित्त पोषण

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रूर्बन क्लस्टरों का वित्तपोषण किया जायेगा। ऐसे रूर्बन क्लस्टरों के निर्माण में मदद करने के लिये आवश्यक पूरक वित्तपोषण (सीजीएफ) के रूप में मैदानी क्षेत्रों में प्रति क्लस्टर रु. 30 करोड़ या परियोजना लागत

की 30 प्रतिशत तक की राशि, इनमें से जो भी कम हो तथा मरूभूमि, पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में प्रति क्लस्टर रु. 15 करोड़ या परियोजना लागत की 30 प्रतिशत राशि जो भी कम हो की अतिरिक्त वित्तपोषण सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। योजनान्तर्गत क्रिटिकल गैप फण्डिंग का 60 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

योजना के मुख्य बिन्दु

- ग्रामीण शहरी अन्तर को समाप्त करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी पर बल देते हुए स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- क्षेत्र में विकास का प्रसार करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना।

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य

- आर्थिक कार्यकलापों से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण।
- कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा, भण्डारण और वेयर हाउसिंग।
- डिजिटल साक्षरता।
- स्वच्छता।
- ठोस अपशिष्ट ट्रीटमेन्ट/वर्मी कम्पोस्ट पिट।
- स्ट्रीट लाइट्स।
- हर समय (24 X 7) पाइप द्वारा जलापूर्ति।
- ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन।
- गांव की नालियां और गलियां बनाना।
- पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट।
- प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन।
- गांव के बीच सड़क सम्पर्क एवं सार्वजनिक परिवहन।
- नागरिक केन्द्रित सेवाएं/ई-ग्राम संपर्कता संबंधी इलेक्ट्रानिक सेवा प्रदायगी के लिए नागरिक सेवा केन्द्र।
- एलपीजी गैस कनेक्शन/विकसित चूल्हे।
- आवश्यकतानुसार अन्य नवोन्मेष कार्य।

●

लोक सेवा प्रबन्धन

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग का गठन एवं जारी कार्य।

- लोक सेवा प्रबन्धन विभाग का गठन सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1 (अधि0) के कार्यालय ज्ञाप-दिनांक 13.01.2011 में किया गया।
- लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत जनसामान्य को समयबद्ध रूप से सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 लागू किया गया। इस विभाग में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावनानुसार सेवायें अधिसूचित किये जाने का कार्य किया जाता है।
- उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त अब तक 34 विभागों की 228 तथा समस्त विभागों की 10 सेवाएं अर्थात् कुल 238 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सेवाओं से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों का है।
- उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 में जनसामान्य से प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग में नामित किये गये पदाभिहित अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी द्वारा समयबद्ध रूप से किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के अधीन कोई जिला स्तरीय कार्यालय/निदेशालय स्थापित नहीं है। फलस्वरूप इस विभाग में कोई बजट प्राविधानित नहीं है। न ही कोई योजना संचालित होती है।

●

पंचायती राज

प्रदेश के सर्वांगीण विकास और प्रदेश की पंचायतों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सबल बनाने के लिये उन्हें सुदृढ़ करना शासन की प्राथमिकता है।

विभाग की प्रमुख योजनाएं एवं उपलब्धियाँ

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत परियोजना के प्रारम्भ से माह 31 दिसम्बर, 2017 तक भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश कुल रु. 580309.48 लाख तथा राज्य सरकार राज्यांश के रूप में रु. 366166.931 लाख अवमुक्त किया गया। इस प्रकार कुल उपलब्ध रु. 946476.411 लाख से माह 31 दिसम्बर, 2017 तक रु. 900669.801 लाख व्यय कर कुल 15131626 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया। उक्त के अतिरिक्त 101614 आंगनवाड़ी शौचालयों, 243573 स्कूल शौचालयों तथा 2366 सामुदायिक (महिला) शौचालय काम्पलेक्सों का भी निर्माण कराया गया। वर्ष 2018-19 में रु. 500000.00 लाख (केन्द्रांश व राज्यांश) का प्रावधान है।

बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)

ग्राम पंचायतों के कार्यालयों, उनकी बैठकों के आयोजन तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके आवास की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 1400.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था, जिसमें प्रदेश के 79 पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में 1000 पंचायत भवनों के निर्माण के लिए रु. 1400.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों में नागरिक अवस्थापना उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा अन्त्येष्टि स्थलों के विकास का निर्णय लेते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 10000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

डॉ. राममनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना

राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना के स्थान पर डॉ. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना चलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 541.28 लाख का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

पंचायतीराज विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार देने की घोषणा की गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 2000.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

प्रत्येक न्याय पंचायत में दो चन्द्र शेखर आज़ाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना

प्रदेश की प्रत्येक न्याय पंचायत में पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु दो चन्द्र शेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 2000.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

राज्य वित्त आयोग

पंचायतों की आर्थिक स्थिति त्वरित गति से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश के कुल करों की शुद्ध आय का 5.5 प्रतिशत अंश पंचायतों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 487500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

14वाँ वित्त आयोग

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 714874.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में परफार्मेन्स ग्रान्ट की धनराशि रु. 118798.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये रु. 90160.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग

वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 1548.30 का लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

●

सिंचाई एवं जल संसाधन

मानव जाति के आर्थिक विकास में प्राकृतिक परिस्थितियों एवं भौगोलिक विशेषताओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रकृति ने मानव के भरण-पोषण हेतु अनेक प्राकृतिक स्रोत भी उपलब्ध कराये हैं, जिनका सदुपयोग कर मानव समाज अधिकाधिक लाभान्वित होने का प्रयत्न करता है। उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतों में जल का प्रमुख स्थान है, जिसके अभाव में केवल मानव ही नहीं वरन् सामान्यतः सम्पूर्ण जीव-जन्तु एवं वनस्पतियों का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है। खाद्यान्न उत्पादन हेतु कृषि कार्यों की जल की पूर्ति सामान्यतया वर्षा के जल से ही होती है, किन्तु अनावर्षण, असामयिक अथवा अपर्याप्त वर्षा की स्थिति में समय अनुसार कृत्रिम साधनों द्वारा जल उपलब्ध कराकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है एवं सम्भावित क्षति को पर्याप्त मात्रा में कम किया जा सकता है। प्रदेश के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत स्थित है एवं उसके हितकारी प्रभाव के फलस्वरूप प्रचुर जल सम्पदा उपलब्ध है, जिसका सदुपयोग आर्थिक विकास हेतु अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

नीति

एक कल्याणकारी शासन प्रणाली में यह निहित होता है कि प्रदेश के कल्याण हेतु ऐसी नीति अपनाई जाये जिसके फलस्वरूप जनता को अधिकाधिक सुविधायें उपलब्ध हो सकें। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त प्रदेश के सन्तुलित विकास के लिये यह आवश्यक था कि प्रदेश में उपलब्ध जल स्रोतों का कृषि उत्पादन के लिये अधिकाधिक उपयोग किया जाये, भले ही शासन को इस उपयोग में कोई प्रत्यक्ष लाभ न हो सके। अतः प्रदेश के चतुर्मुखी विकास हेतु प्रत्येक अंचल में उपलब्ध सभी स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग कर पर्याप्त सिंचन क्षमता सृजित कर उत्पादन में वृद्धि एवं कृषि में स्थिरता लाने हेतु शासन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई कार्यों के निर्माण पर बल दे रहा है।

दायित्व

प्रदेश में वृहद्, मध्यम एवं राजकीय लघु सिंचाई परियोजनाओं का अनुसंधान एवं निर्माण कर सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व प्रदेश के सिंचाई विभाग का है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास योजनाओं तथा पावर कारपोरेशन द्वारा वित्त पोषित जल विद्युत परियोजनाओं के सिविल कार्यों के निर्माण कार्यों का सम्पादन एवं अनुरक्षण भी इसी विभाग के द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा निर्मित एवं अन्य संस्थाओं द्वारा पूर्ण किये गये कार्यों, जो शासन द्वारा स्थानान्तरित किये जाते हैं, के परिचालन एवं अनुरक्षण का कार्य भी सिंचाई विभाग करता है।

लखनऊ में गोमती नदी का चैनेलाइजेशन

गोमती नदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मध्य से गुजरती है तथा उसकी जीवन-रेखा है। लखनऊ की जीवन रेखा होने के बावजूद यह नदी अविकसित है तथा इसका पानी भी काफी गन्दा है। विगत वर्षों में भूगर्भ जल के गिरते जल-स्तर एवं जल संसाधनों के अनियमित दोहन से इसके अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया है। गोमती नदी में जल की कमी एवं पर्याप्त बहाव न होने के कारण जलीय प्रदूषण के कारण पर्यावरण को भी गम्भीर हानि हो रही है। वर्तमान में भैंसाकुण्ड के समीप निर्मित बैराज के अपस्ट्रीम में नदी में गऊघाट से पीने के पानी की शहर को आपूर्ति किये जाने के कारण नदी में जल का स्तर बनाये रखा जाता है, जिसके कारण नदी के इस भाग में लगभग 30 वर्ष से कभी सफाई नहीं हो पायी है, जिससे यह भाग एवं इसमें प्रवाहित हो रहा पानी काफी गन्दा हो गया है।

लखनऊ में गोमती नदी का चैनेलाईजेशन (हार्डिंग ब्रिज से वियर तक) की पुनरीक्षित परियोजना जिसकी लागत रु. 1513.51 करोड़ है जो लेखाशीर्षक 4700 के अन्तर्गत व्यय–वित्त समिति से स्वीकृत है। प्रस्तावित परियोजना में गोमती नदी को हार्डिंग ब्रिज से वियर तक डायाफ्राम वाल निर्मित कर चैनेलाईजशन के साथ-साथ नदी के दोनों तटों पर गोमती बैराज के डाउनस्ट्रीम में साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक तथा लैण्ड स्केपिंग, रबर डैम, इण्टरसेप्टिंग ट्रंक ड्रेन का निर्माण, ग्रीनरी का कार्य, म्यूजिकल फाण्उन्टेन आदि के कार्य का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पुलों/बैराज आदि का इल्यूमिनेशन एवं लक्जरी पैसेन्जर बोट का क्रय भी सम्मिलित है। इस पुनरीक्षित परियोजना पर लागत रु. 1513.51 करोड़ के सापेक्ष रु. 1447.83 करोड़ का व्यय हो चुका है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त परियोजना हेतु रु. 6587.58 लाख का बजट प्रावधान आय–व्ययक अनुमान में उपलब्ध है।

सरयू नहर परियोजना

बस्ती, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, गोरखपुर व महाराजगंज जनपदों के क्षेत्र में सिंचाई साधनों का नितान्त अभाव होने के कारण उस क्षेत्र के 14.00 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय जल आयोग की 72वीं बैठक में सरयू नहर परियोजना को रु. 2765.16 करोड़ की लागत पर अनुमोदित किया गया, तद्नुसार यह परियोजना निर्माणाधीन है। इसके अन्तर्गत घाघरा नदी के बायें तट से 360 घ.मी. प्रति सेकेण्ड क्षमता की 47.135 किमी. लम्बी एक योजक नहर निकाली गयी है, जो घाघरा नदी के पानी को सरयू नदी में लायेगी। सरयू तथा राप्ती नदियों पर एक-एक बैराज बनाया गया है। वहाँ से निकाली गई नहरें उक्त जनपदों में सिंचन सुविधा उपलब्ध करायेंगी। इस परियोजना के अन्तर्गत अयोध्या पम्प नहर, गोला पम्प नहर, उत्तरौला पम्प नहर, डुमरियागंज पम्प नहर 3600 नये नलकूपों व 9000 किमी. नाले का निर्माण एवं साढ़े चार करोड़ वृक्ष लगाने का प्रावधान है, जिससे भू–स्तरीय तथा भूमिगत जलों का सदुपयोग हो सके तथा जलभराव की आशंका न रहे।

इस परियोजना पर कुल 12.00 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। 117 प्रतिशत तीव्रता पर लगभग 9.00 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई खरीफ में तथा 4.8 लाख हे. भूमि की सिंचाई रबी में प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 24000 हे. भूमि में गन्ना उत्पादन को भी प्रश्रय मिलेगा। वर्तमान में सरयू नहर

परियोजना के समस्त कार्यों (लखनऊ में सिंचाई संग्रहालय का निर्माण तथा अयोध्या पम्प कैनाल हेतु एप्रोच चैनल के निर्माण को सम्मिलित करते हुये) की परियोजना रु. 7270.32 करोड़ केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार तकनीकी सलाहकार समिति की 103वीं बैठक दिनांक–11.03.2010 तथा राज्य वित्त समिति की बैठक दिनांक–16.07.2010 द्वारा अनुमोदित है। इस परियोजना का वित्त पोषण भारत सरकार के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। उक्त परियोजना पर कार्यों की पुनरीक्षित लागत रु. 727032.00 लाख है। प्रश्नगत परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत सम्मिलित है। जिसमें बजट फन्डिंग पैटर्न केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु इस परियोजना पर रु. 125187.00 लाख का प्रावधान है।

बाण सागर बांध परियोजना

उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र के बेलन घाटी में स्थित मीरजापुर एवं इलाहाबाद जनपद कृषि उपज के दृष्टिगत अत्यन्त पिछड़े जिले हैं। यहाँ की भूमि खेती के लिए उपजाऊ है परन्तु सिंचाई के पानी की अतिआवश्यकता है। इन जनपदों में विश्वसनीय सिंचाई के साधनों की कमी है। बारिश आमतौर पर अक्टूबर एवं नवम्बर महीनों में न के बराबर होती है जिससे खरीफ एवं रबी फसल की उपज कम हो जाती है जिसके कारण संकर बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि का प्रयोग अनावश्यक बढ़ जाता है। सिंचाई संसाधनों का दोहन एवं सिंचाई से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए घाटी के भीतर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना ही इस परियोजना का उद्देश्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाणसागर बांध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर निर्मित है। सोन नदी के पानी को उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में निर्मित जलाशयों (अदवा, मेजा एवं जिरगो जलाशय) के लिए उपलब्ध कराया जायेगा, जहाँ से यह पानी मीरजापुर और इलाहाबाद जिलों के मौजूदा एवं नहरी कमाण्ड क्षेत्र में उपयोग किया जायेगा।

बाणसागर परियोजना तीन राज्यों अर्थात म.प्र., उ.प्र. एवं बिहार के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित करायी जाने वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना है। दिनांक 16 सितम्बर 1973 को म.प्र., उ.प्र. एवं बिहार राज्य द्वारा बाणसागर परियोजना के निर्माण हेतु आपसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये, तदुपरान्त बाणसागर परियोजना, योजना आयोग के पत्र सं.- 11-2(28)/77-1 एण्ड सी.ए.डी., दिनांक 10.08.1978 द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस समझौते के अनुसार बाणसागर परियोजना (बांध एवं संयुक्त जल वाहिनी की पुनर्वास लागत सहित) की लागत के लिए लाभार्थी राज्यों द्वारा साझा एवं उपयोग किये जाने वाली पानी की मात्रा के अनुपात (2:1:1) में वहन किया जायेगा। उ.प्र. के हिस्से में जल वितरण निम्नानुसार है :-

बाणसागर जलाशय से	- 1234 एम.सी.एम.	(1.00 एम.ए.एफ.)
कनहर सब-बेसिन से	- 309 एम.सी.एम.	(0.25 एम.ए.एफ.)
योग :	1533 एम.सी.एम.	1.25 एम.ए.एफ.

बाणसागर जलाशय से उ.प्र. के हिस्से का पानी अर्थात 1234 एम.सी.एम. के सापेक्ष 271

एम.सी.एम. (0.22 एम.ए.एफ.) जल पहले से ही सोन पम्प कैनाल के माध्यम से उपभोग किया जा रहा है, जो कि योजना आयोग द्वारा दिनांक 23.02.1974 द्वारा अनुमोदित किया गया था, शेष 963 एम.सी.एम. (0.78 एम.ए.एफ.) बाणसागर पोषक नहर के माध्यम से म.प्र. द्वारा उ.प्र. को पानी दिया जायगा। म.प्र. द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले 963 एम.सी.एम. पानी से मौजूदा सिंचाई के अलावा इलाहाबाद एवं मीरजापुर जिलों में अतिरिक्त क्षेत्र 150132 हे. की सिंचाई के लिए उपयोग किया जायेगा।

बाणसागर बांध, संयुक्त जल वाहिनी लम्बाई 22.00 किमी. क्षमता 185 क्यूसेक, संयुक्त पोषक नहर (सिंहावल) लम्बाई 15.24 किमी. क्षमता 72.74 क्यूसेक का निर्माण कार्य म.प्र. सरकार द्वारा निष्पादित किया गया है। उ.प्र. सरकार द्वारा 16.03.1969 के समझौते के आधार पर अंशदान का भुगतान म.प्र. सरकार को किया गया है। उ.प्र. सरकार द्वारा 71.494 किमी. लम्बी बाणसागर पोषक नहर क्षमता 46.46 क्यूसेक जिसमें 2.047 किमी. लम्बी सुरंग क्षमता 46.46 क्यूसेक, अदवा मेजा लिंक नहर, मेजा जिरगो लिंक नहर, मेजा कोटा पोषक नहर का निर्माण एवं जल के कुशल उपयोग के लिए मीरजापुर व प्रयागराज जिले के मौजूदा नहर प्रणाली के पुनरोद्धार का कार्य सम्मिलित है।

कनहर सिंचाई परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी एवं अद्यतन स्थिति

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की दुद्धी तहसील अनवरत सूखाग्रस्त रहती है, यहाँ की जनसंख्या आदिवासी बाहुल्य है तथा सिंचाई का कोई साधन नहीं है। इस तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कनहर नदी पर 39.90 मीटर ऊँचा तथा 3.24 किमी. लम्बा बांध बनाकर 0.15 मिलियन एकड़ फीट जल उपयोग करने हेतु कनहर सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। इस परियोजना में 107.10 किमी. मुख्य नहरें एवं शाखायें तथा 191.00 किमी. लम्बी राजवाहों एवं अल्पिकाओं के माध्यम से 26075 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में दोनों फसलों को मिलाकर कुल 35467 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से दुद्धी एवं चोपन विकास खण्डों के लगभग 108 ग्रामों के परिवारों की जनसंख्या लाभान्वित होगी तथा सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित 12 बन्धियों को भी अतिरिक्त जल उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में परियोजना पर रु. 180.00 करोड़ के व्यय का प्रावधान शासन द्वारा किया गया है, जिसके सापेक्ष माह 12/2017 तक रु. 100.00 करोड़ व्यय किया जा चुका है। परियोजना की भौतिक प्रगति लगभग 60 प्रतिशत है। अवशेष कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु इस परियोजना पर रु. 50000.00 लाख का प्रावधान है।

इटावा शाखा के किमी. 44.00 से किमी. 126.00 (सैफई से अछल्दा तक) पक्की सड़क निर्माण की परियोजना

निचली गंगा नहर प्रणाली के अन्तर्गत निचली गंगा नहर के किमी. 98.150 से इटावा शाखा निकलती है। इस शाखा का किमी. 44.00 से किमी. 126.00 तक का भाग जनपद इटावा एवं औरय्या में आता है। इस रीच की बायीं पटरी पर बनी सर्विस रोड आँशिक रूप से कच्ची है तथा पूर्व में बनी पक्की सड़क भी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। नहर की कच्ची सर्विस रोड पर बरसात के दिनों में शाखा का निरीक्षण करने में कठिनाई होती है तथा क्षेत्रवासियों एवं मा. जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्त पटरी को पक्का करने हेतु निरन्तर माँग की जा रही थी।

इस परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2015-16 तक रु. 4175.29 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटित धनराशि रु.1345.23 लाख सहित परियोजना पर कुल रु.5520.52 लाख व्यय हो चुके हैं। कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। परियोजना को वित्तीय रूप से पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 291.00 लाख की माँग की गई है, जो कि प्रतीक्षित है।

जसराना नवीन नहर परियोजना

जनपद फिरोजाबाद में जसराना तहसील के अन्तर्गत शेखपुर हथवन्त एवं शिकोहाबाद ब्लाक में सेंगर एवं सिरसा नदी के मध्य भाग नहरी सिंचाई सुविधा से वंचित हैं एवं इस क्षेत्र के अधिकांश भाग में भू-जल भी खारा है। फिरोजाबाद शहर में भी पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की काफी कमी है। क्षेत्र में नहर द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मा. जनप्रतिनिधियों द्वारा निरन्तर माँग होती रही थी। मा. जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयासों से मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत क्षेत्रीय जनता की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से जसराना नवीन नहर परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इस परियोजना के क्रियान्वयन से जसराना तहसील के अन्तर्गत शेखपुर हथवन्त एवं खेरगढ़ क्षेत्रों के 40 ग्रामों में लगभग 9520 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के साथ-साथ फिरोजाबाद शहर को 50 क्यूसेक पेयजल आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी। इस परियोजना की लागत रु. 131.2479 करोड़ आकलित की गई थी, जो भूमि की दरों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी के कारण संशोधित परियोजना व्यय वित्त समिति से रु. 197.7899 करोड़ की धनराशि अनुमोदित हुई है।

इस परियोजना को मार्च 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा तथा कृषकों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार आयेगा। क्षेत्र में नहर निर्मित होने एवं चलने से भू-गर्भ जल स्तर में भी आशातीत सुधार आयेगा।

परियोजना हेतु स्थलीय समरेखन व एलाइंगमेन्ट के अनुसार 118.500 हेक्टेयर कृषक भूमि व 30.690 हेक्टेयर राजकीय भूमि की आवश्यकता है। 114.501 हेक्टेयर कृषक भूमि का बैनामा कराया जा चुका है। इस परियोजना के अन्तर्गत कार्यों की स्थिति निम्नवत है :

1. मुख्य नहर की लम्बाई 36.120 किमी. के सापेक्ष 36.000 किमी. नहर निर्मित हो चुकी है, शेष .120 किमी. लम्बाई में कार्य प्रगति में है।

2. किमी. 0.00 से 21.00 एवं किमी. 22.871 से 27.54 तक लाइनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष रीच में लाइनिंग कार्य प्रगति में है।

3. जसराना फीडर नहर से निकलने वाली शेखपुर हाथवन्त माइनर के हेड से 10.00 तक, जुलाहा माइनर के हेड से किमी. 5.400 तक, प्रतापपुर जखारा माइनर के हेड से किमी. 6.100 तक एवं फरीदा वरौली माइनर के हेड से किमी. 6.500 तक नहर का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार इन चार माइनरों की कुल लम्बाई 29.260 किमी. के सापेक्ष 28.00 किमी. लम्बाई में खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है।

4. मुख्य नहर पर 4 एक्वाडक्ट, एक साइफन एवं 22 पुलों व हैड रेगूलेटर का कार्य पूर्ण हो चुका है।

5. नहर के किमी. 25.200 पर निगम को पानी देने हेतु प्रस्तावित हेड रेगुलेटर कार्य, जुलाहा माइनर एवं शेखपुर हाथवन्त माइनर के हेड रेगुलेटर के निर्माण का कार्य एवं जसराना नवीन नहर के किमी. 25.325 पर क्रास रेगुलेटर के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

6. अवशेष समस्त कार्य मार्च 2018 तक कराया जाना प्रस्तावित है।

इस परियोजना की संशोधित लागत रु. 197.7899 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 तक रु. 150.2479 करोड़ व्यय हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 30.00 करोड़ का धनावंटन प्राप्त हुआ है जिसके सापेक्ष अब तक रु. 5.00 करोड़ का व्यय हुआ है, इस प्रकार परियोजना पर अब तक कुल रु. 155.2479 करोड़ व्यय हो चुका है। परियोजना के अन्तर्गत कार्य लगभग 94.50 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस परियोजना हेतु रु. 200.00 लाख का बजट प्रावधान आय-व्ययक अनुमान में उपलब्ध है।

बरनाहल नवीन नहर परियोजना

जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद एवं जनपद मैनपुरी की तहसील करहल का क्षेत्र मुख्य रूप से भोगनीपुर शाखा के बांयी ओर पड़ता है। भोगनीपुर शाखा की लम्बाई 171.400 किमी. तथा शीर्ष क्षमता 2000 क्यूसेक है। भोगनीपुर शाखा के बायीं ओर का क्षेत्र सेंगर एवं सिरसा नदी के बीच फैला हुआ है। इस क्षेत्र में जलस्तर बहुत नीचे है। क्षेत्र की जनता एवं मा. जनप्रतिनिधियों द्वारा ब्लाक बरनाहल में बरनाहल नवीन नहर के निर्माण की माँग निरन्तर की जा रही थी।

इस परियोजना का कमाण्ड क्षेत्र 2028 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है, जिससे लगभग 1166 हे. क्षेत्र को खरीफ में तथा 972 हे. को रबी में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। विश्व बैंक पोषित उ.प्र. वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के अन्तर्गत भोगनीपुर शाखा को हेड से 2000 क्यूसेक से बढ़ाकर 2450 क्यूसेक की क्षमता से रिमॉडल किया जाना प्रस्तावित है, जिससे बरनाहल नवीन नहर हेतु 40 क्यूसेक जल उपलब्ध कराया जायेगा।

बरनाहल नवीन नहर की संशोधित परियोजना रु. 3254.44 लाख की ऑकलित की गई थी, जो व्यय वित्त समिति द्वारा रु. 2980.95 लाख की अनुमोदित की गई है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से जनपद फिरोजाबाद के मदनपुर ब्लाक के 08 गाँव तथा जनपद मैनपुरी के बरनाहल ब्लाक के 12 गाँव लाभान्वित होंगे तथा इस डार्क एरिया के भूजल स्तर में भी सुधार होगा, जिससे क्षेत्र के निवासियों का हित संरक्षित होगा तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक एवं गुणात्मक सुधार आयेगा।

उक्त परियोजना के कार्यों के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 तक रु. 1967.16 लाख व्यय हो चुके हैं तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 863.79 लाख सहित कुल रु. 2830.95 लाख व्यय हो चुके हैं। अवशेष धनराशि रु. 150.00 लाख का बजट प्रावधान वित्तीय वर्ष 2017-18 में है, जिसके सापेक्ष धनराशि की मांग प्रेषित है, आवंटन अभी प्रतीक्षित है।

जनपद कन्नौज के विकास क्षेत्र तालग्राम एवं जलालाबाद (डार्कजोन) में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में परियोजना

''जनपद कन्नौज के तालग्राम व जलालाबाद ब्लाक में सतही सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बेवर नहर 150

क्यूसेक क्षमता की प्रणाली से लगभग 30 किमी. नई नहर बनायी जायेगी'' की घोषणा संख्या एवाई-10/2015 कम्प्यूटर क्रमाँक जीएच 110001003 मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई है।

जनपद कन्नौज के अन्तर्गत छिबरामऊ तहसील के ब्लाक जलालाबाद एवं तालग्राम में सिंचाई विभागीय एवं निजी नलकूपों के माध्यम से हो रही है, जिससे इस क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर काफी गिर गया है तथा दोनों ब्लाक डार्कजोन के अन्तर्गत आ गये हैं। जलालाबाद एवं तालग्राम ब्लाक में सी.सी.ए. क्रमशः लगभग 7751 हेक्टे. एवं 27392 हेक्टेयर है।

गंगा नदी पर नरौरा (जनपद बुलन्दशहर) स्थित निर्मित बैराज से निकली निचली गंगा नहर के किमी. 63.33 पर बायें पटरी से बेवर शाखा निकलती है, जिसकी कुल लम्बाई 92.50 किमी. एवं हैड डिस्चार्ज 900 क्यूसेक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत इस शाखा का डिस्चार्ज 900 क्यूसेक से बढ़ाकर 1325 क्यूसेक किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद एटा में मोहर घाट पर काली नदी से बैराज बनाकर एक बेवर फीडर चैनल पूर्व से निर्मित है, जिसकी लम्बाई 64.32 किमी. एवं परिकल्पित डिस्चार्ज 350 क्यूसेक है। यह फीडर चैनल बेवर शाखा को किमी. 73.44 पर फीड करती है, यहाँ पर डिस्चार्ज 266 क्यूसेक परिकल्पित है।

परियोजना के अन्तर्गत 75.45 किमी. नई नहरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 14.000 किमी. में लम्बाई में कार्य प्रगति में है। उक्त परियोजना के अन्तर्गत आपसी समझौते से 121.6765 हेक्टेयर भूमि अर्जित किये जाने का प्रावधान है, जिसके सापेक्ष 47.00 हेक्टेयर भूमि अर्जित कर ली गई है। उक्त नहरों पर प्रस्तावित कुल 137 पक्के कार्यों के सापेक्ष 15 पक्के कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं तथा 06 पक्के कार्य प्रगति में हैं। परियोजना के अन्तर्गत बेवर फीडर के पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा बेवर फीडर चल रही है। परियोजना के अन्तर्गत शेष कार्य प्रगति में है। परियोजना के कार्य पूर्ण होने पर 3800 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

इस परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित धनराशि रु. 20.00 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 61.0154 करोड़ सहित कुल रु. 81.0154 करोड़ व्यय हो चुके हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम त्रैमास हेतु रु. 10.00 करोड़ का धनावंटन प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष रु. 192.00 लाख व्यय हुआ है, परियोजना की भौतिक प्रगति 55.00 प्रतिशत व वित्तीय प्रगति 51.40 प्रतिशत है। अवशेष कार्य प्रगति में है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस परियोजना हेतु रु. 1000.00 लाख का बजट प्रावधान आय-व्ययक अनुमान में उपलब्ध है।

उ.प्र. वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना (द्वितीय चरण)

उ.प्र. वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना प्रथम चरण

- कार्य प्रारम्भ की तिथि 27 मार्च, 2002
- कार्य पूर्ण होने की तिथि 31 अक्टूबर, 2011

परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ एवं जौनपुर जनपदों में पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में हैदरगढ़ शाखा नहर (किमी. 22,980 तक) तथा जौनपुर शाखा नहर प्रणालियों के अन्तर्गत 3.43 लाख हैक्टयर कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र में नहरों एवं

नालों का पुनरोद्धार/आधुनिकीकरण के कार्य पूर्ण कराये गये हैं। कुल संशोधित स्वीकृत लागत रु. 747.03 करोड़ के सापेक्ष रु. 735.82 करोड़ का व्यय हुआ। उक्त जनपदों में कमाण्ड क्षेत्र में स्थित नालों के अन्दर विभिन्न कार्य कराकर ड्रेनेज प्रणाली में सुधार कर जल प्लावन समस्या का भी समाधान किया गया है। सिंचाई विभाग की सूचना प्रबन्ध प्रणाली को भी विकसित कर कार्य किया गया है।

उ.प्र. वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना द्वितीय चरण

परियोजना से सम्बन्धित रिहैबिलिटेशन एवं आधुनिकीकरण के प्रोजेक्ट रिपोर्ट एण्ड इम्प्लीमेन्टेशन प्लान (पी.आई.पी.) दिनांक 28.01.2013 को व्यय वित्त समिति द्वारा धनराशि रु. 3563.2 करोड़ मात्र की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। विश्व बैंक द्वारा परियोजना द्वितीय चरण के कार्यो हेतु रु. 2835.0 करोड़ हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है। विश्व बैंक तथा भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग की सहमति से परियोजना के द्वितीय चरण की सहमत लागत 2835 करोड़ के सापेक्ष 70 प्रतिशत (1984 करोड़) का ऋण विश्व बैंक तथा 30 प्रतिशत (851 करोड़) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

लाभान्वित जनपद

परियोजना के अन्तर्गत लाभान्वित 16 जनपदों का विवरण निम्न प्रकार है–

- **शारदा सहायक कमाण्ड (हैदरगढ़ ब्रान्च किमी. 22.980 डी/एस)**

  1. जनपद (3 अदद) - बाराबंकी, रायबरेली एवं अमेठी

- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र (रोहिनी, जामिनी एवं सजनम बाँध कैनाल प्रणाली)**

  1. जनपद (1 अदद) - ललितपुर

- **निचली गंगा नहर प्रणाली**

  1. जनपद (12 अदद) – एटा, फिरोजाबाद, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरय्या, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर एवं कौशाम्बी।

परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य एवं सम्बन्धित प्रगति

- समानान्तर निचली गंगा नहर (पी.एल.जी.सी.) की क्षमता पुनर्स्थापना के कार्य के अन्तर्गत नहर के आन्तरिक सेक्शन का कार्य पूर्ण कर नहर को सिंचाई के कार्य हेतु दिनांक 21.06.2014 से संचालित किया जा चुका है। इस कार्य के पश्चात नहर की क्षमता 4200 क्यूसेक से बढ़ाकर 6480 क्यूसेक हो गयी है। समानान्तर निचली गंगा नहर की लाइनिंग के कार्यों हेतु 10 लॉट में कुल लागत रु. 1104 करोड़ के अनुबन्ध गठित किये जा चुके हैं। लाइनिंग के कार्य की प्रगति 42 प्रतिशत है। लाइनिंग के पश्चात समानान्तर निचली गंगा नहर (पी.एल.जी.सी.) की क्षमता 8900 क्यूसेक हो जाएगी।
- हैदरगढ़ शाखा के किमी. 22.98 डाउन प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार कार्य प्रगति पर हैं। कार्य की प्रगति 88 प्रतिशत है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ललितपुर जनपद के अन्तर्गत रोहिनी, जामिनी एवं सजनम बाँध नहर प्रणालियों के आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार कार्य हेतु अनुबन्ध गठित किया गया था, जिसे माह जुलाई 2015

में पूर्ण होना था। परन्तु ठेकेदार द्वारा मात्र 19 प्रतिशत कार्य कराया गया। वांछित प्रगति न होने के कारण अनुबन्ध रद्द किया गया। अवशेष कार्यों को 5 लॉटो में पूर्ण करने हेतु अनुबन्ध किया जा चुका है। कार्य की कुल प्रगति 41 प्रतिशत है।

- परियोजना अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा परियोजना क्षेत्र (I एण्ड II) में वर्ष 2020 तक कुल 5220 फार्मर वाटर स्कूल स्थापित करने के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2016-17 में 240 फार्मर वाटर स्कूल स्थापित एवं एडिप्टिवट्रायल कर किसानों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2017-18 हेतु 1160 फार्मर वाटर स्कूल स्थापित किये जाने की प्रक्रिया प्रगति में है।
- परियोजना द्वितीय चरण क्षेत्र में 1024 माइनर लेवल जल उपभोक्ता समिति स्थापित किये जाने के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक बुन्देलखण्ड जिले में 51 माइनर लेवल जल उपभोक्ता समिति स्थापित किया जा चुका है। बाराबंकी, रायबरेली एवं अमेठी जिले में 180 माइनर लेवल जल उपभोक्ता समिति के गठन हेतु निर्वाचन प्रक्रिया प्रगति में है।

  वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुमान में इस परियोजना हेतु रु. 27200.00 लाख का प्रावधान है।

अर्जुन सहायक परियोजना

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के महोबा व हमीरपुर जनपद में अर्जुन बांध, चन्द्रावल बांध व कबरई बांध से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, परन्तु विगत 25 वर्षों में उपरोक्त बांधों को मात्र 4 बार ही पूरा भरा जा सका है। शेष वर्षों में कम पानी भरा गया है जिससे क्षेत्र की सींच प्रभावित हो रही है। धसान नदी में लहचूरा बांध के शीर्ष आधुनिकीकरण से वर्षाकाल के अनुपयोगी जल से अर्जुन व चन्द्रावल बांध को पूर्ण भरे जाने तथा कबरई बांध की भण्डारन क्षमता में 13025 हेक्टेयर मी. की क्षमता वृद्धि हेतु अर्जुन सहायक परियोजना तैयार की गयी है जिससे लगभग 25418 हे. रबी में तथा 18963 हे. खरीफ में कुल 44381.00 हे. अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हमीरपुर, महोबा एवं बाँदा जनपद में हो सकेगा।

इस परियोजना के अन्तर्गत चौधरी चरण सिंह लहचूरा बांध से 73.60 क्यूसेक डिस्चार्ज की अर्जुन फीडर नहर निर्मित की जायेगी जिससे अर्जुन बाँध को पानी दिया जा सकेगा। तत्पश्चात् अर्जुन बाँध से 62.32 क्यूसेक डिस्चार्ज की कबरई फीडर नहर निकाल कर चन्द्रावल तथा कबरई बाँध को पानी दिया जा सकेगा तथा कबरई बाँध की ऊंचाई 9.30 मी. बढ़ाते हुए जल भंडारण क्षमता में वृद्धि की जायेगी। कबरई बाँध से 50 किमी. की कबरई मुख्य नहर व 110 किमी. इसकी वितरण प्रणाली द्वारा नये कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

परियोजना पर मार्च/2017 तक कुल रु. 89065.44 लाख व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष मार्च/ 2017 तक 1719.19 हेक्टेयर भूमि परियोजना कार्यों हेतु क्रय की गयी।

श्रमिक, सामग्री एवं भूमि की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण परियोजना का पुनरीक्षण वर्ष 2015 में धनराशि रु. 259393.04 लाख का किया गया है, जिसमें कार्यों की लागत धनराशि रु. 246568.58 लाख है। परियोजना की तकनीकी स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के पत्रांकः- 16/27/201-6-पी.एन.(एन.)/245-246, दिनांक 05-02-2016 द्वारा प्रदान की गयी है। परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति शासन के पत्र संख्या :- 122/1655/16-27-सिं-9-137/ एस.एस.वी./13, दिनांक 27-06-2016 एवं वित्तीय स्वाकृति शासन के पत्रांकः- 132/1789/16-

27-सिं-9-57/एसएसवी/09, दिनांक 25-07-2016 द्वारा प्राप्त हो चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में परियोजना कार्यों हेतु धनराशि रु. 144737.94 लाख का निर्माण कार्यक्रम प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु धनराशि रु. 58394.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

बदायूँ सिंचाई परियोजना

बदायूँ सिंचाई परियोजना एक वृहद सिंचाई परियोजना है। परियोजना केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली के विभिन्न निदेशालयों से स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अन्तर्गत जनपद बरेली में रामगंगा नदी पर 617 मी. लम्बाई में बैराज का निर्माण एवं 469.30 किमी. नहरों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत मुख्य नहर 15.60 किमी. शाखायें 73.60 किमी. तथा 380.00 किमी. राजवाहों एवं अल्पिकाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के अन्तर्गत जनपद बरेली की सदर एवं आंवला तहसील में 6708 हे. एवं जनपद बदायूँ की तहसील सदर व दातागंज में 30745 हे. कुल सिंचित क्षेत्र 37.453 हे. प्रस्तावित है। मुख्य नहर के शीर्ष पर अधिकतम डिस्चार्ज 56 क्यूसेक प्रस्तावित है। परियोजना की लागत मूल आधार वर्ष 2011 पर रु. 630.04 करोड़ तथा लाभ लागत अनुपात 1.36:1 है। परियोजना व्यय वित्त समिति की दिनांक 27.04.2012 की बैठक में स्वीकृत की गयी थी।

परियोजना का वित्त पोषण नाबार्ड के पत्र एन.बी.यू.पी.आर.ओ./224/आर.आई.डी.एफ.-18 (यू.पी.)/128 पी.एस.सी./2012-13 दिनांक 28.08.2012 के द्वारा पांच वित्तीय वर्षों के लिए रु. 537.283 करोड़ की स्वीकृति उ.प्र. शासन को प्रदान की है।

बैराज निर्माण का कार्य प्रगति में है। बदायूँ सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन रामगंगा बैराज की कुल प्रस्तावित लम्बाई 617.00 मी. है, जिसमें कुल 30 अद्द बेज हैं। प्रत्येक बे का क्लीयर स्पेन 18.00 है। बैराज के प्रस्तावित कार्यों में दोनों किनारों के अपस्ट्रीम व डाउन स्ट्रीम गाइड बंध, मुख्य नहर हैड रेगुलेटर, 02 लेन पुल का निर्माण एवं अन्य सहयोगी कार्य सम्मिलित हैं।

भौंरट बाँध परियोजना

भौंरट बाँध परियोजना जनपद ललितपुर के तहसील महरौनी के विकास खण्ड, महरौनी के ग्राम भैरा के समीप जामनी नदी जो कि बेतवा नदी की सहायक नदी है, पर वर्तमान जामनी बाँध के लगभग 49 किमी. डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित है। प्रस्तावित बाँध की लम्बाई 4.750 किमी. तथा अधिकतम ऊँचाई 22.08 मी. तथा डेम टॉप का लेविल 365.25 मी. है। प्रस्तावित भौंरट बाँध हेतु जलग्रहण क्षेत्र 335.40 वर्ग किमी. तथा रन-आफ-फेक्टर (75 प्रतिशत निर्भरता पर) 0.18 एम.सी.एम. प्रति वर्ग किमी. है। बाँध के स्पिलवे का एस.पी.एफ. 5000 क्यूसेक है, उक्त परिकल्पित बाढ़ निस्सारण हेतु सीमेन्ट कंक्रीट की स्पिलवे 165 मी. लम्बाई का बनाया जाना प्रस्तावित है। बाँध का एच.एफ.एल. 361.80 मी. है। जिसमें 10 मी. X 6.5 मी. के 13 नं. गेट लगाए जाने प्रस्तावित हैं। स्पिलवे का क्रेस्ट लेविल 354.55 मी. है तथा इसका एफ.आर.एल. 360.90 मी. है। परियोजना का डिजाइन संबंधी कार्य आई.आई.टी., रुड़की द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

भौंरट बाँध परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत रु. 30000.00 लाख का बजट प्रावधान है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय पथरई बाँध पुनरीक्षित परियोजना

पं. दीनदयाल उपाध्याय पथरई बाँध का निर्माण जनपद झाँसी की तहसील टहरौली के ग्राम

चढ़रऊधवारी के पास पथरई नदी पर कराया गया है। बाँध की लम्बाई 4.016 किमी. एवं ऊंचाई 15.10 मी. है। इस बाँध के निर्माण से रबी में 1598 हेक्टेयर एवं खरीफ में 1400 हे. कुल 2998 हे. रकबा भूमि की सींच होगी। इस बाँध से दायीं मुख्य नहर 15.400 किमी. लम्बी, बायीं मुख्य नहर 9.400 किमी. लम्बी एवं चढ़रऊधवारी मुख्य नहर 2.200 किमी. लम्बी कुल 27.00 किमी. मुख्य नहर एवं इनसे निकलने वाली माइनर घाट–रजवारा, रजवारा एवं दुगारा माइनर निकलती हैं जिसकी कुल लम्बाई 10.600 किमी. है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु रु. 600.00 लाख का बजट प्रावधान है।

लघु डाल सिंचाई योजना

राजकीय लघु सिंचाई उठाऊ योजनाएं

प्रदेश के प्रत्येक अंचल में वृहद एवं मध्यम योजनाओं के अन्तर्गत नहर प्रणालियों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। इनके अतिरिक्त जिन स्थानों पर राजकीय नलकूपों का निर्माण किया जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है वहाँ सिंचाई हेतु जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लघु डाल सिंचाई की व्यवस्था ही एक मात्र विकल्प है जिस हेतु लघु डाल नहरों का निर्माण महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 250 लघु डाल नहरों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही हैं।

कार्यरत लघु डाल नहरों का आधुनिकीकरण

वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 1800.00 लाख की प्रस्तावित बजट व्यवस्था से 2.00 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना हेतु आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है।

देउम पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित)

जनपद प्रतापगढ़ में देउम पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित) क्षमता 40 क्यूसेक, लागत रु. 1728.59 लाख है। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर 1300 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त परियोजना के अन्तर्गत धनराशि रु. 750.00 लाख व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि रु. 500.00 लाख से परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अदसड न्यू पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित)

जनपद चन्दौली में अदसड न्यू पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित) क्षमता 50 क्यूसेक, लागत रु. 3733.80 लाख है। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर 2679 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 तक उक्त परियोजना पर धनराशि रु.1050.00 लाख व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि रु. 1000.00 लाख की प्राविधानित बजट व्यवस्था से परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

चारी न्यू पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित)

जनपद चन्दौली में चारी न्यू पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित) क्षमता 50 क्यूसेक, लागत धनराशि रु. 3277.39 लाख है। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर 2347 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 तक उक्त परियोजना के अन्तर्गत धनराशि रु. 1530.52 लाख व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि रु. 1000.00 लाख की प्राविधानित बजट व्यवस्था से परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

धुरियाघाट पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित)

जनपद मिर्जापुर में धुरियाघाट पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित) क्षमता 20 क्यूसेक, लागत धनराशि रु. 1393.24 लाख है। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर 2040 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 तक उक्त परियोजना के अन्तर्गत धनराशि रु. 650.00 लाख व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि रु. 500.00 लाख की प्राविधानित बजट व्यवस्था से परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

12 लघु डाल नहरों पर ब्रिक लाइनिंग की परियोजना (नाबार्ड पोषित)

जनपद वाराणसी में 12 लघु डाल नहरों पर ब्रिक लाइनिंग की परियोजना (नाबार्ड पोषित) लागत धनराशि रु. 1307.21 लाख है। वित्तीय वर्ष 2016-17 तक उक्त परियोजना के अन्तर्गत धनराशि रु. 600.00 लाख व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि रु. 500.00 लाख की प्राविधानित बजट व्यवस्था से परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बाढ़ प्रबंधन कार्य

बाढ़ नियंत्रण योजनायें

उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240.96 लाख हे. है। प्रदेश का लगभग 73.36 लाख हे. क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, जो देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 346.16 लाख हे. का लगभग 21 प्रतिशत है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सापेक्ष 14.64 लाख हे. वन व अन्य क्षेत्र हैं तथा 58.72 लाख हेक्टेयर को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। अब तक प्रदेश में बाढ़ से सुरक्षा हेतु लगभग 523 अदद तटबंध कुल लम्बाई 3868 किमी. एवं 1302 अदद कटाव निरोधक कार्य (स्टड, स्पर, पिचिंग, डैम्पनर इत्यादि) का निर्माण किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप प्रदेश के कुल 22.24 लाख हे. क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित किया जा सका है, जबकि लगभग 35.78 लाख हे. क्षेत्र अभी सुरक्षित किया जाना है।

12वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012-17)

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास के अन्तर्गत कुल रु. 2949.9467 करोड़ का आवंटन किया गया है जिसके सापेक्ष प्रदेश में तटबंध निर्माण, कटाव निरोधक कार्य तथा जलोत्सारण कार्यों की परियोजनाओं पर कार्य कराया गया।

वार्षिक योजना (वर्ष 2017-18)

वार्षिक योजना 2017-18 में चलित परियोजनाओं हेतु रु. 677.9668 करोड़ का पुनरीक्षित बजट प्रावधान स्वीकृत है, जिसमें से ए.आई.बी.पी. पोषित मद के अन्तर्गत रु. 161.2404 करोड़ की बजट व्यवस्था स्वीकृत है। उक्त बजट व्यवस्था के सापेक्ष अब तक रु. 33.2667 करोड़ का आवंटन किया गया, नाबार्ड पोषित मद के अन्तर्गत रु. 203.5197 करोड़ की बजट व्यवस्था स्वीकृत है। उक्त बजट व्यवस्था के सापेक्ष अब तक रु. 108.9536 करोड़ का आवंटन किया गया एवं राज्य पोषित मद के अन्तर्गत रु. 313.2067 करोड़ की बजट व्यवस्था स्वीकृत है। उक्त बजट व्यवस्था के सापेक्ष जब तक रु. 180.5271 करोड़ का आवंटन किया गया, दिनांक 31.01.2018 तक कुल 322.7474 लाख का आवंटन किया गया।

●

पशुधन

पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना वर्ष 1944 में की गयी थी। पशुधन के सर्वांगीण विकास, पशुचिकित्सा, रोग नियंत्रण, प्रजनन एवं चारा विकास आदि कार्यक्रमों को सुनियोजित ढंग से आरम्भ किया गया। वर्तमान में प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभागीय कार्यक्रमों को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़कर कृषि के साथ-साथ पशुपालन वृहत्तर योगदान कर रहा है। पशुधन विकास के चार प्रमुख आयाम– उन्नत पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रबन्धन एवं पशु पोषण के क्षेत्र में समग्र प्रयास, पशुधन के चहुँमुखी विकास का प्रमुख आधार है। देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

मुख्य उद्देश्य

1. प्रदेश में दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस उत्पादन में वृद्धि कर प्रदेश को स्वावलम्बी बनाना।
2. समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा एवं चिकित्सा कार्यक्रमों की क्षमता का उपयोग कर पशुओं को स्वस्थ रखना।
3. विभिन्न पशु महामारियों के नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु समग्र एवं सघन प्रयास करना।
4. प्रदेश के लिए निर्धारित पशु प्रजनन नीति के अनुसार उन्नत प्रजनन एवं कार्यक्रम का संचालन करना।
5. विभिन्न लघु पशुओं (भेड़/बकरी/सूकर आदि) का विकास एवं लघु पशु उत्पादन क्षेत्र में स्वरोजगार का सृजन एवं गरीब ग्रामीणों का आर्थिक स्वावलम्बन सुनिश्चित करना।
6. पशुधन हेतु पर्याप्त चारे एवं पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
7. चयनित पैरावेटों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
8. गौशालाओं का विकास करना, गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन को रोकने एवं गोवध निवारण अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सहयोग प्रदान करना।
9. पशु चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का समावेश।
10. पशुपालन विभाग के कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
11. उद्यमिता विकास से सम्बन्धित योजनाओं को संचालित करना।

पशुपालन विभाग के प्रमुख कार्यक्रम :-

1. पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें। 2. गाय एवं भैंस विकास। 3. कुक्कुट विकास। 4. भेड़-बकरी विकास। 5. सूकर विकास। 6. अन्य पशुधन विकास। 7. चारा और चरागाह विकास। 8. गौशाला एवं गो सदनों का विकास। 9. गो सेवा आयोग का सुदृढ़ीकरण। 10. पशुपालन प्रचार एवं प्रसार का कार्यक्रम। 11. प्रशासनिक अन्वेषण एवं सांख्यकीय। 12. बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष

योजनाएं। 13. उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद का कार्यान्वयन। 14. उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के अन्तर्गत पशुपालन कार्यक्रम। 15. वेटनरी काउन्सिल का कार्यान्वयन। 16. 20वीं पशुगणना कार्यक्रम। 17. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनायें।

उपलब्धियाँ

- प्रदेश में वर्ष 2016-17 में 275.53 (अनन्तिम) लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2016-17 में 2288.95 (अनन्तिम) मिलियन अण्डे एवं 12.86 (अनन्तिम) लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन किया गया।
- प्रदेश माँस उत्पादन एवं निर्यात में भी प्रथम स्थान पर है।
- प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में प्रतिवर्ष 6 माह के अन्तराल पर दो चरणों में शत-प्रतिशत पशुओं को खुरपका-मुँहपका रोग का टीका लगाकर रोग मुक्त क्षेत्र की स्थापना के लिये प्रयास किया जा रहा है।
- प्रदेश में गोवंशीय एवं महिषवंशीय दुधारू पशुओं में बढ़ती हुई बांझपन की समस्या के निराकरण हेतु विशेष योजना लागू कर 03.17 लाख पशुओं की वर्ष 2016-17 में बांझपन चिकित्सा से आच्छादित कर पशुओं को प्रजनन के योग्य बनाकर दुग्ध उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोत्तरी प्राप्त की गयी है। वर्ष 2017-18 में लक्ष्य 12000 के सापेक्ष अद्यतन 7042 बाँझ पशुओं की चिकित्सा भी की गई है।
- पशु एवं कुक्कुट आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अत्याधुनिक परिवेश की न्यूट्रीशन प्रयोगशाला लखनऊ मुख्यालय पर स्थापित कर क्रियाशील है।
- ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से ग्राम पंचायत स्तर पर पैरावेट्स का चयन करते हुए पशु प्रजनन क्षेत्र में प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- कामधेनु योजना (100 दुधारू गाय/भैंस), मिनी कामधेनु (50 दुधारू गाय/भैंस) एवं माइक्रो कामधेनु (25 दुधारू गाय/भैंस) योजनान्तर्गत मार्च 2017 तक लक्ष्य क्रमशः 300, 1500 एवं 2500 इकाइयों की स्थापना के सापेक्ष 286, 1443 एवं 2052 इकाइयाँ स्थापित हुई हैं। इस योजना से प्रदेश में 7.32 लाख लीटर अतिरिक्त दूध का उत्पादन प्रतिदिन है। इसके अन्तर्गत 14067 व्यक्तियों को रोजगार का सृजन हुआ है तथा इसके साथ-साथ रु. 1646.00 करोड़ का निवेश हुआ है। उच्च गुणवत्ता युक्त गायों/भैंसों से योजना के आरम्भ से अद्यतन कुल 632560 संतति प्राप्त हुई है। योजनान्तर्गत पशुपालकों को रु. 43.75 करोड़ ब्याज की प्रतिपूर्ति की गई है।
- कुक्कुट विकास नीति 2013 के अन्तर्गत माह, 12/2017 तक 3000 पक्षी क्षमता के कामर्शियल लेयर फार्म के क्रमिक लक्ष्य 238 इकाइयों के लक्ष्य के सापेक्ष 185 इकाइयाँ तथा 10000 पक्षी क्षमता की 516 इकाइयों के लक्ष्य के सापेक्ष 130 इकाइयाँ क्रियाशील हैं। जिनसे प्रदेश में 60.28 लाख अण्डों का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। इस कार्यक्रम को लागू किये जाने से प्रदेश में 22820 व्यक्तियों को स्वरोजगार प्राप्त हुआ है। योजनान्तर्गत प्रदेश में रु. 529.76 करोड़ का निवेश हुआ है।
- प्रदेश अन्तर्गत बैकयार्ड कुक्कुट योजना में 15000 इकाइयों की स्थापना से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुक्कुट पालकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

- जन समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु पशुधन समस्या निवारण केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसका टोल फ्री नं. 1800/ 180/ 5141 एवं लैंड लाइन 0522-2741991 है।

पशुपालन का वर्तमान स्तर :-

प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 339 ग्राम प्रतिदिन है। प्रति गाय अथवा प्रति भैंस औसत दैनिक उत्पादन क्रमशः 3.785 तथा 4.332 किलोग्राम है। इस प्रकार प्रदेश में प्रति पशु दुग्ध उत्पादन वृद्धि की असीम सम्भावनायें हैं।

प्रदेश, सकल अण्डा उत्पादन में देश में आठवें स्थान पर है। प्रदेश में उत्पादित कुल अण्डे का 35 प्रतिशत अण्डा निजी क्षेत्रों से तथा 65 प्रतिशत बैकयार्ड पोल्ट्री से प्राप्त होता है। प्रदेश में पक्षियों से प्रति पक्षी औसत वार्षिक अण्डा उत्पादन की संख्या 190.5 है। अण्डा/मांस के उत्पादन-खपत के अन्तर को पूरा करने के लिये लगभग 45 लाख अण्डा और 0.30 लाख ब्रायलर पक्षियों का प्रतिदिन निकटस्थ प्रदेशों से आयात करना होता है। इस प्रकार कुक्कुट पालन व्यवसाय के निजी क्षेत्रों में विकास की पूर्ण संभावनायें है।

प्रक्रियात्मक रणनीति :-

समस्त विभागीय कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु बल दिया गया है :–

- पशुपालन के क्षेत्र में गुणात्मक एवं मात्रात्मक मानव संसाधन विकास हेतु पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।
- संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिये सघन टीकाकरण का संचालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।
- पशुओं में अनुर्वरता निवारण शिविरों का आयोजन करना।
- उन्नत पशु प्रजनन को 32.5 प्रतिशत (128.40 लाख) के स्तर से 66 प्रतिशत (176 लाख) तक वर्ष 2018-19 में बढ़ाना।
- कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिये बैकयार्ड कुक्कुट इकाइयों एवं कामर्शियल लेयर इकाइयों की स्थापना।
- कुक्कुट उद्यमिता का विकास करना।
- सूकर एवं भेड़, बकरी पालन को बढ़ावा देकर गरीब ग्रामीणों का आर्थिक उत्थान करना।
- पशुओं को उचित पोषण सुनिश्चित करने हेतु चारा एवं चरागाह विकास कार्यक्रम संचालित करना।
- स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।

वर्ष 2018-19 हेतु प्राथमिकताएँ

- दुधारू पशुओं की तस्करी रोकने में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।
- अवैध कत्लखानों को पूरी कठोरता से बन्द किये जाने हेतु नगर निगम विभाग से सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- फसलों की क्षति को रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि आरक्षित कर पशु संरक्षण की योजना।

- प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों को गोधन योजना अन्तर्गत गाय व अन्य दुधारू पशु उपलब्ध कराने की योजना।
- कृषकों की आय को दुगुना किये जाने में पशुपालन की अहम भूमिका के दृष्टिगत सहयोग प्रदान करना।
- विभिन्न कार्यक्रमों, यथा– पशु प्रजनन, पशु चिकित्सा तथा स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार लाया जाना एवं पशुपालन सेवाओं का विस्तार करना।
- किसानों को अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप पशुपालन की योजनाएँ तैयार करना तथा उनके क्रियान्वयन में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित कराना।
- उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2013 का विस्तारीकरण करना।
- ब्रीडिंग एक्ट को लागू करना।
- नयी प्रजनन नीति-2017 को लागू करना।
- चारा सुरक्षा नीति को लागू करना।

कार्यों का विवरण एवं निर्वहन

- **पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथाम**

  पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथाम हेतु 2202 पशु चिकित्सालय, 267 'द' श्रेणी पशु औषधालयों तथा 2575 पशु सेवा केन्द्रों से निरन्तर सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। पशुपालकों को पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उनके समीप में उपलब्ध कराने, प्रभावी रोग नियंत्रण एवं किसी संक्रामक/महामारी रोग के फैलने की स्थिति मे तत्काल रोकथाम, पशुओं में शत-प्रतिशत बांझपन शिविरों के आयोजन, टीकाकरण आदि सुविधायें पशुपालकों को उपलब्ध कराने हेतु 667- सचल इकाइयां भी क्रियाशील हैं। वर्तमान में लगभग 20,000 पशु संख्या पर एक पशु चिकित्सालय स्थापित है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रत्येक 5000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय की स्थापना की जानी थी। परन्तु सीमित संसाधन एवं धनाभाव के कारण उत्तर प्रदेश में उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वर्ष 2017-18 में नवीन पशु चिकित्सालयों की स्थापना, बाउन्ड्रीवाल का निर्माण, अधूरे/जर्जर/भवन विहीन पशु चिकित्सालयों के निर्माण के साथ-साथ नवीन पशु सेवा केन्द्रों के खोले जाने व पशु सेवा केन्द्रों के बाउन्ड्रीवाल, अधूरे/जर्जर/भवन विहीन चिकित्सालयों के निर्माण का प्रस्ताव है।

- **पशु चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण**

  (पशु चिकित्सालयों का पुनरुद्धार तथा अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था)– 75 प्रतिशत सम्प्रति 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक चरण में चिह्नित जनपदों के अनुमोदित 150 तहसील स्तरीय पशु चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त योजना के द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य 81 तहसील स्तरीय पशु चिकित्सालयों में सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण। वित्तीय वर्ष- 2017-18 में पशु चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत 92- पशु चिकित्सालयों के निर्माण कार्य एवं 50-पशु चिकित्सालयों के अतिरिक्त उपकरणों से व्यवस्थित किये जाने का प्रस्ताव है।

- **पालीक्लीनिक की स्थापना**

  वर्तमान में विषय विशेषज्ञों द्वारा विशेष पशुचिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु पाँच पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक क्रमशः गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौत-बागपत तथा सैफई-इटावा में कार्यरत हैं। जिनके माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट, सर्जन एवं गायनोकोलाजिस्ट द्वारा विशेष रोग निदान सेवाएँ (विषय विशेषज्ञों द्वारा) आधुनिक उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। जनपद गौतमबुद्ध नगर में नवीन पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक बादलपुर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2014-15 में जनपद बस्ती में नवीन पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक का निर्माण अन्तिम चरण में है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश के अन्य 15-मण्डलीय जनपदों के मुख्यालयों पर नाबार्ड द्वारा वित्त-पोषित योजना-ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) अन्तर्गत एक-एक नवीन पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना कराये जाने की कार्य-योजना अनुमोदित है। उक्त के सापेक्ष 08-पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक का वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवशेष 07-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिकों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

- **रोग निदान तथा बीमारियों की खोज**

  उक्त कार्य हेतु एक केन्द्रीय प्रयोगशाला निदेशालय पर तथा 10 मंडलीय प्रयोगशालाएँ मंडलों पर कार्यरत हैं। जिनके द्वारा पशुरोगों की जाँच एवं डायग्नोसिस की सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

- **पशु रोगों के नियंत्रण का कार्यक्रम**

  पशुपालन विभाग द्वारा आलोच्य वर्ष 2017-18 से पशुओं के रोगों के नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के रोग निरोधक टीकाकरण का कार्य निशुल्क किया जा रहा है।

पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता एस्कैड- 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत समस्त जनपदों में विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्ययोपरान्त अवशेष केन्द्रांश का वर्ष 2017-18 में रिवैलीडिशन की धनराशि के सापेक्ष प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में एच.एस. रोग निरोधक टीकाकरण का कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अनुमोदित एच.एस. टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में सम्प्रति एच.एस. टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता-एस्कैड- योजनान्तर्गत पशुओं की विभिन्न रोगों से सुरक्षा हेतु पशुपालकों को जागरूक करते हेतु विविध कार्यक्रम एवं पशुचिकित्साविदों व पैरावेटेनरी कार्मिकों को समय-समय पर आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का कार्य भी किया जाता है।

पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (एस्कैड) योजनान्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में, कुत्तों के काटने से पशुओं में होने वाले रैबीज रोग की रोकथाम हेतु रैबीज रोग निरोधक टीकाकरण एवं पशुओं को अन्तः परजीवी से सुरक्षित रखने हेतु अभियान के रूप में दवापान की व्यवस्था किये जाने के लिए इण्डो पैरासिटिक कंट्रोल कार्यक्रम नामक दो नवीन कार्यक्रमों का प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वयन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में समस्त 75 जनपदों में भारत सरकार के निर्देशानुसार पी.पी.आर.

टीकाकरण एक पृथक कार्यक्रम पी.पी.आर.-सी.पी. (60 प्रतिशत के.पो.) के अन्तर्गत किया जा रहा है।

साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृषि योजना में अनुमोदित पी.पी.आर. टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में सम्प्रति पी.पी.आर. टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2013-14 तक खुरपका-मुँहपका, रोग नियंत्रण कार्यक्रम 17 जनपदों सम्प्रति 20 जनपदों में कुल 15 चरणों का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में खुरपका-मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफ.एम.डी.-सी.पी.) के विस्तारीकरण के समक्ष वर्ष 2014-15 में प्रश्नगत कार्यक्रम का प्रदेश के समस्त 75 जनपदों को आच्छादित कर 16वें चरण के रूप में निःशुल्क एफ.एम.डी. टीकाकरण अभियान का कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 21वें चरण के रूप में निःशुल्क एफ.एम.डी.-टीकाकरण अभियान दिनांक 15 सितम्बर 2017 से चलाया गया है। उक्त अभियान के पूर्ण होने के उपरान्त निर्धारित अवधि के अन्तराल पर आगामी चरणों में एफ.एम.डी.-टीकाकरण का नियमित अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है।

नेशनल प्रोजेक्ट ऑन रिन्डरपेस्ट सर्विलान्स एण्ड मानिटरिंग (एन.पी.आर.एस.एम.)

यह 100 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश को जानवरों के पोकनी रोग से मुक्त घोषित किया गया है। परन्तु पूरे प्रदेश में ''रिन्डरपेस्ट'' जैसी घातक बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्देश्य से रूट सर्च एवं विलेज सर्च का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत रोग से ग्रस्त सम्भावित पशुओं को डे-बुक रजिस्टर में अंकित करना तथा पशुओं पर व्यापक निगरानी रखने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आर.पी. रोग वर्तमान समय में नहीं है, परन्तु यह रोग वायरस द्वारा फैलने वाला बहुत ही भयानक रोग है जिसके संचारित होने की सदैव सम्भावना बनी रहती है, इसलिये इस पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु निरन्तर निगरानी आवश्यक है।

प्रक्रियात्मक रणनीति

पशु चिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु बल दिया गया है–

- रोग नियंत्रण सम्बन्धी सभी कार्यक्रमों के महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं को चिह्नित कर वार्षिक, त्रैमासिक तथा मासिक लक्ष्यों को निर्धारित कर तदनुसार समीक्षा, मूल्यांकन तथा कार्यक्रम में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु त्वरित प्रभावी कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गई है।
- पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी तथा पशुओं में रोगों के रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रमों को पशुपालकों में लोकप्रिय बनाने तथा उन्हें आधुनिकतम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पशुपालन प्रचार-प्रसार को और सुदृढ़ किया जा रहा है।

कृषि कार्य में रासायनिक खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरता शक्ति लगातार घटती जा रही है जिससे उत्पादन भी प्रभावित होता है। कृषि उपज में वृद्धि लाने, भूमि की उर्वरता शक्ति को बरकरार रखने एवं पौष्टिक खाद्यान्न पैदा करने हेतु पशुपालन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पशुपालन से जैविक खाद की उपलब्धता तथा इसके उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तथा पशुओं से प्रचुर मात्रा में दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थों की उपलब्धता भी होगी। विभाग द्वारा जनमानस में प्रचार-प्रसार, कृषकों एवं

पशुपालकों को सामयिक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान रणनीति के साथ-साथ समय की मांग, क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप योजनाओं को तैयार करने हेतु रणनीति भी तैयार की जा रही है।

पशु रोगों के नियंत्रण के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य/पूर्ति का विवरण

(संख्या लाख में)

	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18 (माह-नवम्बर 2017 तक)	
कार्यक्रम	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
टीकाकरण	1766.04	1116.742	1655.800	1595.52	1655.800	1188.95
चिकित्सा	302.86	341.714	302.860	354.73	318.08	219.05

रोगों से बचाव हेतु टीकों का उत्पादन

स्वस्थ पशु देश की चल सम्पत्ति हैं। रोगों के निदान से बेहतर बचाव के सिद्धान्त को मानते हुए पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव के लिए पशु जैविक औषधि संस्थान द्वारा उत्पादित टीका बहुत प्रभावकारी है। पशु-पक्षियों में विभिन्न रोगों के रोकथाम हेतु टीकों के उत्पादन का कार्य निदेशालय स्थित पशु जैविक औषधि संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ में विभिन्न प्रकार की विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से बचाव हेतु विभिन्न प्रकार के टीकों (वैक्सीनों) का उत्पादन प्रदेश के 'ड्रग्स' एवं 'कास्मेटिक्स एक्ट' के अनुसार विधिवत् निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है। संस्थान में इनके उत्पादन के पश्चात् प्रयोगात्मक पशुओं पर इनका परीक्षण तथा विश्लेषण होता है, उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित होने पर ही वितरण हेतु इन्हें जारी किया जाता है। प्रदेश के जनपदों से प्राप्त मांग के अनुसार उत्पादित वैक्सीनों का वितरण संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

प्रदेश में प्रजनन नीति

पशु प्रजनन नीति के अन्तर्गत प्रजनन योग्य पशुओं के चरणबद्ध रूप से 50-75 प्रतिशत (प्रत्येक गर्मी में आये पशु को) पशुओं को प्रजनन की सुविधा द्वारा आच्छादित करने के लिए विभाग कृत संकल्प है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान एवं दूरस्थ ग्रामों में नैसर्गिक अभिजनन की सुविधा प्रदत्त की जा रही है। इसके लिए क्षेत्रवार निम्नवत् नस्ल के सांड़ों के वीर्य का उपयोग अनुमोदित है :-

1. दुग्ध विकास हेतु प्रदेश के गोवंश को विदेशी नस्ल के साड़ों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कराकर संकर नस्ल तैयार कर दुग्ध की मात्रा बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। इसके लिये बुन्देलखण्ड, मिर्जापुर मण्डल हेतु जर्सी व जर्सी क्रास तथा अन्य क्षेत्रों हेतु होलिस्ट्रीन फ्रीजियन व इनका क्रास अनुमोदित है।
2. विशुद्ध भारतीय मूल के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु इनके उच्चवर्गीकरण के लिये शुद्ध भारतीय नस्ल के सांड़ों के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है।
3. विदेशी रक्त को 50 प्रतिशत बनाए रखने के लिये स्वदेशी सांड़ों का वीर्य, संकर प्रजनन हेतु प्रयोग किया जा रहा है तथा संकर नस्ल के सांड़ों से गर्भित कराया जा रहा है।

4. महिषवंश के उच्चवर्गीकरण हेतु मुर्रा व भदावरी नस्ल के सांड़ों के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है।
5. वर्ष 2004-05 से विभाग में वायफ के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के आर्थिक विकास/उन्नयन हेतु जनपदों में 512 केन्द्रों पर कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन केन्द्रों पर अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जा रहा है।
6. वर्ष 2011-12 से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 120 केन्द्र एवं अन्य जनपदों में वायफ द्वारा 232 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र संचालित करने हेतु शासन के ग्राम विकास विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।

पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चालू योजनायें

1. गायों/भैसों में कृत्रिम गर्भाधान तथा पशु प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जिला योजना)
2. गाय/भैंसों में पशु अनुर्वरता एवं बांझपन की योजना (राज्य योजना)
3. गाय एवं भैंस विकास डेयरी काम्पलेक्स की स्थापना (राज्य योजना)
4. कामधेनु इकाइयों की ब्याजमुक्त ऋण योजना।
5. अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र की योजना।

बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम

यह अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए कार्यक्रम है, जो समाज कल्याण विभाग से वित्त पोषित है। इसके अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन करके उन्हें कुक्कुट पालन ट्रेड में एक सप्ताह का प्रशिक्षण समीप के पशु चिकित्सालय पर दिया जाता है, उन्हें 50 चूजों की एक इकाई खुलवायी जाती है। प्रति इकाई रु. 3000.00 मात्र का पैकेज व्यय आता है, जो पूर्णतः अनुदान है। पैकेज के अन्तर्गत 50 चूजे, कुक्कुट आहार, दवा, छप्पर की व्यवस्था, प्रशिक्षण एवं चूजों का लाभार्थी के द्वार तक यातायात सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में 15000 इकाइयाँ खोले जाने का लक्ष्य था। (प्रति जनपद 200 कुक्कुट इकाई) इसके सापेक्ष शत-प्रतिशत 15000 इकाइयाँ खोली गयीं। चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में 30000 इकाइयाँ खोले जाने का लक्ष्य था। प्रदेश के समस्त जनपदों में (जनपदवार) निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की शत-प्रतिशत पूर्ति कर ली गई है तथा अनुसूचित जाति के निर्धन/गरीब लाभार्थियों को अवस्थापना कर रोजगार का सृजन किया गया।

रूरल बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम (60 प्रतिशत केन्द्र पोषित)

यह 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित बी.पी.एल. लाभार्थियों के लिए कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत मदर यूनिट खोलकर प्रति मदर यूनिट से 300 बी.पी.एल. लाभार्थियों को लिंक करके प्रति लाभार्थी 45 एक माह के चूजे दिये जाते हैं। प्रति मदर यूनिट स्थापना के लिए रु.60000.00 का अनुदान तथा चूजों के शेल्टर/आहार के लिए रु.1500.00 प्रति लाभार्थी दिया जाता है। वर्ष 2016-17 में 251 मदर यूनिट खोलकर 75300 बी.पी.एल. लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। योजना की कुल लागत रु. 2974.35 लाख है। वर्ष 2016-17 में सामान्य मद में 400.00 लाख का बजट स्वीकृत किया गया जिसके सापेक्ष 40 मदर यूनिट स्थापित कर 9600 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

चारा तथा चरागाह विकास

पशुओं कें स्वास्थ्य एवं उनकी उत्पादकता तथा प्रतिरोधकता बनाए रखने के लिए भारत सरकार

तथा राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग के माध्यम से कृषकों को उन्नतिशील प्रमाणित चारा बीज उपलब्ध कराना तथा अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना एवं कुट्टी काटकर चारा आपूर्ति सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 में पशुओं के आहार पूर्ति हेतु विभाग द्वारा निम्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में चारा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(अ) राज्य योजनाएं

1. चारा एवं चरागाह विकास की योजनान्तर्गत ''अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम'' (रा0यो0)।
2. ''अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना''। (रा0यो0)।
3. वर्ष 2018-19 हेतु नई योजना ''साइलेज निर्माण इकाई की स्थापना'' (रा0यो0)।

(ब) केन्द्र पोषित योजनाएं

1. पूँजीगत मद के अन्तर्गत ''राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों/गोसदनों की परती भूमि पर चरागाह विकास की योजना'' (60 प्रति0/40 प्रति0)।
2. राजस्व मद के अन्तर्गत ''राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों/गोसदनों की परती भूमि पर चरागाह विकास की योजना'' (60 प्रति0/40 प्रति0)।

पशुधन विकास कार्यक्रमों का प्रचार एवं प्रसार

परिचयात्मक/उद्देश्य

प्रदेश में संचालित विभिन्न पशुपालन के कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार अति आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को नवीनतम तकनीकी को ग्राह्य करवाना तथा जन सामान्य को पशुधन पदार्थो की उपलब्धता बढ़ाना है। इसके साथ ही प्राचीन रूढ़ियों को समाप्त कर पशुपालन के विभिन्न आयामों को लाभप्रद दिशा प्रदान करना है।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न कार्यक्रम निर्धारित हैः-

1. अखिल भारतीय पशुधन एवं कुक्कुट प्रदर्शनी तथा अन्य पशुधन प्रदर्शनियों में भाग लेना।
2. मण्डल/जनपद स्तर की पशुधन प्रदर्शनियों, कॉफरैली, पशुपालन गोष्ठियों का आयोजन।
3. प्रचार-प्रसार, साहित्य का प्रकाशन, प्रेक्ष्य निर्माण एवं प्रदर्शन आदि।
4. गोष्ठी, पशुपालक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन।

परिचयात्मक/उद्देश्य

1. पशुधन विकास कार्यक्रमों की प्रगति का आंकलन एवं अनुश्रवण तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार पशुगणना कराना एवं आंकड़ों का विश्लेषण कर उपयोगी बनाना एवं रख-रखाव करना।
2. राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों की गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं के प्रजनन आंकड़ों का विश्लेषण तथा राज्य में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान हेतु रखे गये सांड़ों के अभिलेख का रख-रखाव करना।
3. विभागीय योजनाओं से सम्बन्धित आंकड़ों के त्वरित विश्लेषण हेतु कम्प्यूटर सेल की स्थापना।
4. वार्षिक सर्वेक्षण की जनपदवार योजना (भारत सरकार की 50 प्रतिशत आयोजनागत योजना) के अन्तर्गत पशुजन्य पदार्थों यथा- दूध, अण्डा, ऊन एवं माँस उत्पादन के अनुमानों को तैयार कर प्रकाशित कराना तथा पशुधन की प्रबन्ध प्रणालियों का अध्ययन करना।

वर्ष 2017-18 में किये जाने वाले कार्य

1. विभागीय प्रगति पुस्तिका का प्रकाशन तथा आधारभूत आंकड़ों का संकलन एवं भौतिक लक्ष्य का जनपद/मण्डल/राज्य स्तरीय निर्धारण कर शासन एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा। चार चिन्हित कार्यक्रमों टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, चिकित्सा एवं बधियाकरण का अनुश्रवण किया जायेगा।

2. 20वीं पशुगणना 2017 हेतु अनुसूचियों एवं अनुदेश पुस्तिका को जनपदों में वितरण करवाना एवं वास्तविक क्षेत्रीय गणना कराकर डाटा इन्ट्री कर सेन्टरों को उपलब्ध कराना।

3. वार्षिक सर्वेक्षण योजनान्तर्गत जनपदों का क्षेत्रीय कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा अनुमानों को अंतिम रूप देकर भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराना तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2015-16 का प्रकाशन कराना।

4. राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों के वर्ष 2016-17 का प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा, तथा 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार कार्यरत सांड़ों के विवरण की पुस्तिका तैयार की जायेगी।

गौशाला विकास

पशुपालन विभागान्तर्गत वर्तमान में राज्य सेक्टर में गोसदनों एवं जिला सेक्टर के अन्तर्गत गौशालाओं के विकास एवं गोसेवा आयोग की स्थापना संबंधी योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित योजनायें चलाई जा रही हैं-

1. योजना का नाम : उ.प्र. गोसेवा आयोग द्वारा गोसदन/गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण एवं स्थापना की योजना (राज्य योजना)

योजना का उद्देश्य : इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्थापित गोसदनों एवं गौशालाओं का सुदृढ़ीकरण कर उन पर संरक्षित एवं पकड़ कर लाये गये गोवंशीय पशुओं को संरक्षण प्रदान किया जाना है। गोसदनों में ऐसे पशुओं का संरक्षण करने के साथ ही उन्हें चरने हेतु चरागाह एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। सम्पूर्ण प्रदेश में गोवध निषेध संबंधी अधिनियम लागू है। अतः ऐसी स्थिति में अवैध परिवहन एवं वध हेतु ले जाते समय पकड़े गये गोवंशीय पशुओं को गौशालाओं/गोसदनों में रखकर उनके प्राणों की रक्षा की जाती है। प्रदेश में गोसदनों की स्थापना कई वर्षों पूर्व होने के कारण गोसदन भवन इत्यादि अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। इस प्रकार गोसदनों के सुदृढ़ीकरण उनमें गौवंशीय पशुओं हेतु चरही, नांद, जल की व्यवस्था इत्यादि आवश्यक मूलभूत जरूरतों के दृष्टिगत धनराशि की आवश्यकता है। वर्ष 2017-18 हेतु रु. 6,69,925.00 हजार का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया जिसके सापेक्ष रु. 51,600 हजार का प्रावधान किया गया है।

2. योजना का नाम : उ.प्र. प्रदेश गोसेवा आयोग को सहायता दिया जाना

योजना का उद्देश्य : प्रदेश में भारतीय नस्ल के गोवंश के संरक्षण/सम्वर्धन तथा विकास को सुनिश्चित करने गो-कल्याण संबंधी अधिनियमों, उ.प्र. गोवध निवारण अधिनियम व पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 1999 में उ.प्र. गोसेवा आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग द्वारा गोशालाओं को स्वावलम्बी बनाने तथा इन्हें सूत्रबद्ध करते हुये इनके कार्यकलापों में विविधीकरण लाते हुये गति प्रदान की जा रही है और इन्हें आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होने में पथ-प्रदर्शन किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत आयोग के कार्यालय के

संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु आयोग को सहायता दी जाती है।

उ.प्र. गोसेवा आयोग के कार्य संचालन के अन्तर्गत मुख्यतः कार्यालय के संचालन आयोग से मा. अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सम्मानित सदस्यों के यात्रा भत्ता, लेखन सामग्री, फार्मो की छपाई, टेलीफोन बिल एवं अन्य मशीनों एवं संयंत्रों का क्रम के साथ-साथ व्यवसायिक और विशेष सुविधाएं हेतु भुगतान इत्यादि सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु रु. 41.50 लाख का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया, जिसके अनुक्रम में रु. 41.50 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है। जिसके सापेक्ष रु. 20.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

3. योजना का नाम : गौशालाओं का सुधार (जिला योजना)

योजना का उद्देश्य : प्रदेश में गौशालाओं का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण कर उन पर संरक्षित एवं पाले जा रहे पशुओं/गोवंश का संरक्षण-संवर्धन करने के साथ ही उन्हें उत्तम आहार चारा-पेयजल की सुविधा तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना। साथ ही चूंकि सम्पूर्ण प्रदेश में गोवध निषेध अधिनियम लागू है। अतः ऐसी स्थिति में अवैध परिवहन एवं वध हेतु ले जाते समय पकड़े गये गोवंश/पशुओं को भी गौशालाओं/गोसदनों पर रखकर उनके प्राणों की रक्षा की जाती है और उनके खानपान आदि की व्यवस्था की जाती है।

चर्म शोधन एवं पशु शव के उपयोग

परिचयात्मक/उद्देश्य

मृत पशुओं से वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिये पशुपालन विभाग द्वारा मृत पशुओं को वैज्ञानिक विधि से पूर्ण उपयोग करने की योजना चलाई जा रही है। प्रायः मृत पशुओं की खाल उतारकर शेष पशुशव को यों ही छोड़ दिया जाता है जिससे वातावरण प्रदूषण के साथ ही पशुशव से प्राप्त हो सकने वाले अनेक उपयोगी पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं। तथा पशुशव पर मडराने वाले पक्षियों से वायुयान दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी रहती है। मुख्यतः पशु शव से प्राप्त हड्डी से उर्वरक, खाद, मांस से पौष्टिक कुक्कुट आहार, पूँछ के बाल से ब्रश, तांत से रैकेट, सींग व खुर से कंघी व बटन, चर्बी से साबुन आदि तथा प्राप्त चमड़े से बहुमूल्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं।

चूंकि किसी उद्योग के लिये कुशल कारीगरी की अहम भूमिका होती है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पशुपालन विभाग, उ.प्र. द्वारा चर्म से सम्बन्धित प्रशिक्षण देने एवं चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन के उद्देश्य से सन् 1960 में आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ की स्थापना की गयी। इस केन्द्र पर निम्न प्रकार से प्रशिक्षण एवं उत्पादन कार्य किये जाते हैं-

प्रशिक्षण कार्य

1. पशु शव उपयोग प्रशिक्षण,
2. चर्म शोधन प्रशिक्षण,
3. चर्म पादुका/चर्म सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण।

●

दुग्ध विकास

दुग्ध विकास विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना वर्ष 1976 में हुई। इससे पूर्व दुग्ध विकास कार्यक्रम सहकारिता विभाग का एक अंग था। वर्ष 1976 में ही राज्य दुग्ध परिषद का गठन उ.प्र. दुग्ध अधिनियम 1976 की धारा-3 के अधीन एक निगमित निकाय के रूप में किया गया। इसका प्रमुख कार्यकलाप मुख्यतः दुग्ध संघों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, क्षेत्र आरक्षण, दुग्ध मूल्य निर्धारण एवं दुग्ध उत्पाद विनियमन आदेश लागू करना आदि निर्धारित किया गया।

प्रारम्भ में दुग्ध विकास कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेरी फेडरेशन (पीसी.डी.एफ.) का एक शीर्ष दुग्ध सहकारी संस्था के रूप में उ.प्र. सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत गठन किया गया।

वर्तमान में सहकारिता के माध्यम से दुग्ध विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि., लखनऊ क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यरत है। इसके माध्यम से सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के दुग्ध संघों का विलयन करते हुए 19 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत सहकारी दुग्ध समितियों का गठन, पुनर्गठन, उनसे दुग्ध उपार्जन व प्रक्रिया उपरान्त नगरीय उपभोक्ताओं को दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

दुग्ध विकास विभाग के उद्देश्य

दुग्ध विकास विभाग का मूल उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के निर्बल वर्ग के किसानों, कृषक मजदूरों एवं भूमिहीनों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना, उनके गांव में ही उन्हें अतिरिक्त रोजगार देना एवं अधिकतम दुग्ध उपार्जन कर नगरीय क्षेत्र तथा अन्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ, शुद्ध एवं विसंक्रमित दूध और विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। प्रदेश में दुग्धशाला विकास के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कराना है। दुग्ध उपार्जन एवं विपणन का क्रियान्वयन दुग्ध सहकारिताओं के माध्यम से कराना है।

दुग्धशाला विकास विभाग के सहकारी कार्यकलाप त्रिस्तरीय ढाँचे के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादक सदस्यों की दुग्ध समितियां गठित कर उन्हें दुग्ध उत्पादन का उचित मूल्य, उपार्जन के लिए सहायता एवं सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं, उनसे जनपद स्तर पर संचालित दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध क्रय किया जाता है।

दुग्ध सहकारिताओं की व्यावसायिक कार्यकुशलता एवं क्षमता में वृद्धि

सहकारिता के क्षेत्र में दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। सर्वप्रथम

वर्ष 1917 में 'कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद' की स्थापना के साथ प्रदेश में ही नहीं वरन् देश में भी यह पहला अवसर था कि जब दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ परन्तु अगले दो दशकों में इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। वर्ष 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ 'लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.' की स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई। इसके बाद इलाहाबाद 1941, वाराणसी 1947, कानपुर 1948, हल्द्वानी जनपद नैनीताल 1949 (अब उत्तराखण्ड राज्य में) तथा मेरठ 1951 में सहकारी दुग्ध संघ स्थापित होते रहे।

अतः स्पष्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 1961 तक दुग्धशाला विकास कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में कोई विशेष महत्त्व नहीं मिला और प्रारम्भ से अब तक मात्र रु. 72.34 लाख की आर्थिक सहायता शासन द्वारा इस कार्यक्रम को उपलब्ध करायी गयी।

प्रदेश में दुग्धशाला विकास को गतिशील बनाने की दिशा में वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेरी फेडरेशन लि. की स्थापना एक तकनीकी सलाहकार संस्था के रूप में की गयी थी। वर्ष 1970-71 में आपरेशन फ्लड-1 योजना प्रदेश के 8 जनपदों में लागू की गयी, जिसकी क्रियान्वयन एजेन्सी इस संस्था को बनाया गया। योजनान्तर्गत मेरठ व वाराणसी में एक-एक लाख लीटर दैनिक दुग्ध हैण्डलिंग क्षमता की दो फीडर बैलेन्सिंग दुग्धशालायें एवं 100-100 मीट्रिक टन क्षमता की दो पशु आहार निर्माणशालायें तथा रायबरेली में जर्सी गौ प्रजनन इकाई की स्थापना की गयी।

वर्ष 1975 में गायों की नस्ल सुधार एवं उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से ''फ्रीडम फ्राम हंगर कैम्पेन, ब्रिटेन'' एवं ''प्रदेश सरकार'' के आर्थिक सहयोग से फेडरेशन द्वारा वर्ष 1970 में एक संकर पशु प्रजनन परियोजना प्रारम्भ की गयी।

मात्र 8 जनपदों में सीमित होने के कारण आपरेशन फ्लड-1 योजना का इस कार्यक्रम पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। फलतः उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान दुग्धशाला विकास के विस्तारीकरण की ओर गया और दुग्धशाला विकास कार्यक्रम को गतिशील बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा ''उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976'' पारित कर वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई। वर्ष 1976 में ही सहकारिता विभाग से अलग करते हुए एक पृथक विभाग के रूप में दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना कर दुग्ध आयुक्त का पद सृजित किया गया। दुग्ध आयुक्त को सहकारी अधिनियम एवं इसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत दुग्ध सहकारिताओं के संबंध में निबन्धक के अधिकार प्रदत्त किये गये तथा इन्हें विभागाध्यक्ष व राज्य दुग्ध परिषद का सचिव भी नियुक्त किया गया।

उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला प्रदेश है। दुग्धशाला विकास कार्यक्रम को गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और प्रदेश के त्वरित औद्योगीकीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखते हुये प्रत्येक स्तर पर प्रोत्साहित कर रोजगार सृजित किया जाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रम त्रिस्तरीय ढाँचे के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में जहाँ प्रदेश में कार्यरत समितियों के लगभग 3 लाख से अधिक ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को, जिनमें अधिकांशतः सीमान्त, भूमिहीन अथवा लघु कृषक हैं, दूध का बेहतर एवं लाभकारी मूल्य दिलाना सम्भव हुआ। वहीं शहरी उपभोक्ताओं को समुचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता का तरल दुग्ध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद उपलब्ध

कराने में भी सफलता मिली है। दुग्धशाला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी दुग्ध समितियों के गठन/ पुनर्गठन, उत्पादकों के प्रशिक्षण, दुग्ध उपार्जन, परिवहन, प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादों का उत्पादन, तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद विपणन अर्थात् ''प्री-प्रोडक्शन टू पोस्ट मार्केटिंग'' की समग्र व्यवस्था है।

राज्य दुग्ध परिषद का गठन

''उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम, 1976'' की धारा-3 के अन्तर्गत एक निगमित निकाय के रूप में 'उ.प्र. राज्य दुग्ध परिषद' का गठन किया गया। इसे प्रदेश में दुग्धशाला विकास कार्यक्रम को गतिशील बनाने का दायित्व सौंपा गया। परिषद को प्रथम बार वर्ष 1990 में गैर आपरेशन फ्लड जनपदों, जिन्हें दुग्ध परिषद जनपद कहा गया, में दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया। इस प्रकार दुग्ध संघों पर प्रभावी नियंत्रण के फलस्वरूप विकास कार्यों में आशातीत सफलता मिली। वर्ष 2004 में दुग्ध विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व व्यावसायिक कार्यों का संचालन समान रूप से आपरेशन फ्लड जनपदों एवं गैर आपरेशन फ्लड जनपदों में करने हेतु प्रादेशिक को-ऑपरेटिव डेरी फेडरेशन को क्रियान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया। परिषद के कार्यकलापों में क्षेत्र आरक्षण, दुग्ध मूल्य निर्धारण एवं दुग्ध उत्पाद विनिमय आदेश लागू करना मुख्य है।

कार्यक्रमवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :

क्र. सं.	मद का नाम	इकाई	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर 2017 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कार्यरत समिति	(सं. क्रमिक)	16703	7288	15491	6768	14195	6801
2.	समिति सदस्यता	(लाख में) क्रमिक	7.02	3.09	5.93	3.06	5.97	3.06
3.	दुग्ध उपार्जन	(लाख में) कि.ग्रा. प्रतिदिन	8.50	4.02	7.34	3.49	10.73	3.36
4.	दुग्ध बिक्री	(लाख में) लीटर प्रतिदिन	5.50	2.17	3.92	1.92	4.37	1.702

केन्द्र पुरोनिधानित योजना

1. दुग्ध विकास की राष्ट्रीय योजना (एनडीडीपी)

वर्ष 2014-15 में पूर्व संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं का पुनर्गठन कर भारत सरकार द्वारा दुग्ध विकास की राष्ट्रीय योजना संचालित की जा रही है। दुग्ध विकास हेतु राष्ट्रीय योजना के उद्देश्य

निम्नवत हैं :

- गुणवत्तायुक्त दुग्ध उत्पादन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण तथा कोल्ड चेन की स्थापना जिससे कि कृषकों को उपभोक्ताओं से जोड़ना।
- दुग्ध उपार्जन प्रसंस्करण तथा विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना।
- दुग्ध उत्पादकों हेतु प्रशिक्षण अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना।
- गांव स्तर पर दुग्ध सहकारी समितियों/उत्पादक कम्पनियों का सुदृढ़ीकरण।
- तकनीकी निवेश सुविधाओं यथा- पशुआहार, मिनरल मिक्सचर उपलब्ध कराते हुए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।
- दक्ष/योग्य (वायबिल) दुग्ध संघों/फेडरेशन के पुनर्जीवीकरण में सहयोग प्रदान करना।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0 के तहत डेरियों की मजबूती तथा प्रयोगशालाओं के बुनियादी विकास के कार्य किये जा रहे हैं।

1. दुग्ध विकास कार्यक्रम हेतु ग्रामीण अवस्थापना सुविधा

(क) बल्क मिल्क कूलर की स्थापना (सामान्य)

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में नई गठित, पुनर्गठित समितियों में पाँच से दस समितियों को क्लस्टर यूनिट बनाने हेतु बल्क मिल्क कूलर लगाना ताकि दूध की तत्काल चिलिंग की प्रक्रिया होने से दूध की गुणवत्ता बनी रहे।

(ख) आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (सामान्य)

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु नवगठित/पुनर्गठित दुग्ध समितियों को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दूध की नाप तौल, परीक्षण व दुग्ध मूल्य की जानकारी तत्काल दुग्ध उत्पादक को डिस्प्ले यूनिट पर प्राप्त कराने व पारदर्शिता समिति के प्रति विश्वास उत्पन्न होने हेतु आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट की स्थापना व दूध की गुणवत्ता को बनाये रखने के उद्देश्य से बल्क मिल्क कूलर की स्थापना।

2. सूचना तकनीकी एवं कम्प्यूटरीकरण योजना

इस योजना में दुग्धशाला विकास विभाग के अन्तर्गत आच्छादित समस्त दुग्ध संघों, प्रशिक्षण केन्द्रों, क्षेत्रीय मार्केटिंग कार्यालयों, कार्यदायी संस्थाओं एवं मुख्यालय आदि के क्रियाकलापों में आधुनिक पद्धति पर एकरूपता लाने हेतु संचार एवं कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था करते हुए मुख्यालय से सभी संस्थानों/कार्यालयों में नेटवर्क स्थापित किये जाने का कार्यक्रम चल रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त मद में अनुदान संख्या-16 में रु. 150.00 लाख प्रस्तावित है।

3. दुग्ध उत्पादक सदस्यों को सहकारिताओं के अन्तर्गत प्रोत्साहित करना (गोकुल पुरस्कार)

प्रदेश के जनपदो में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित कर दुग्ध समिति के माध्यम से दुग्ध संघों को सर्वाधिक दूध विक्रय करने वाले दुग्ध उत्पादक को जनपद स्तर पर रु. 51000.00 नकद एवं प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित करने वाले प्रथम दो प्रथम उत्पादकों को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार क्रमशः

रु.1.50 लाख एवं रु. 1.00 लाख नकद तथा गाय-बछड़ा के साथ श्री कृष्ण की मूर्ति की एक शील्ड प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 में रु. 54.00 लाख का प्रावधान है।

4. जनपद कानपुर में मिल्क पाउडर प्लाण्ट की स्थापना हेतु पी.सी.डी.एफ. को ऋण

कानपुर दुग्धशाला में 20 मी0 टन दैनिक क्षमता के पाउडर प्लाण्ट की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त मद में अनुदान संख्या-16 में मूल बजट प्रावधान रु. 3570.50 लाख एवं पुनर्विनियोग के माध्यम से आय-व्ययक में धनराशि रु. 809.00 लाख, इस प्रकार कुल प्राविधानित धनराशि रु. 4379.50 लाख के सापेक्ष रु. 4379.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त मद में अनुदान संख्या- 16 में रु. 0.01 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

5. पी.सी.डी.एफ. के सुदृढ़ीकरण हेतु ऋण

दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नये डेयरी प्लाण्टों की स्थापना एवं पुनरुद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या 16 में रु. 3800.00 लाख की धनराशि का प्रावधान है।

6. विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ स्थित पराग केन्द्र के आधुनिकीकरण हेतु पी.सी.डी.एफ. को ऋण

वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ स्थित पराग केन्द्र के (वेव सिनेमा हाल के बगल में) आधुनिकीकरण के लिये पी.सी.डी.एफ. को पूँजीनिवेश/ऋण के रूप में अनुदान संख्या-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु. 0.01 लाख उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 0.01 लाख की धनराशि का प्रावधान है।

7. सी0जी0 सिटी, लखनऊ में नवनिर्मित प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर लैब की स्थापना

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में सी0जी0 सिटी लखनऊ में नवनिर्मित प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुदान संख्या-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु. 70.00 लाख के सापेक्ष शत-प्रतिशत वित्तीय स्वीकृति निर्गत हो चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये अनुदान संख्या-16 में रु. 0.01 लाख का बजट है।

8. दुग्ध संघों/समितियों के सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तार (जिला योजना) (सामान्य/एस.सी.पी.)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में दुग्ध उत्पादक सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने हेतु दुग्ध संघों/समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में दुग्ध सहकारी समितियों को गठित व बन्द दुग्ध समितियों को पुनर्गठित कर ग्रामीण दुग्ध समितियों को संचालित करने के लिए कार्यशील पूँजी, प्रबन्धकीय अनुदान, यातायात अनुदान, हेड लोड अनुदान, दुग्ध केन्द्रों एवं समिति पर वांछित अन्य आवश्यक उपकरण, वाहन, दुग्धशाला/अवशीतन केन्द्रों की स्थापना, विस्तार एवं भूमि क्रय आदि की व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त मद में अनुदान संख्या-16 व 83 में क्रमशः रु. 4150.00 लाख एवं रु. 1575.00 लाख का प्रावधान है।

9. दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजना (जिला योजना) (सामान्य/एस0सी0पी0)

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों के दुधारू पशुओं तकनीकी निवेश सुविधायें (पशु प्रजनन एवं पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम) यथा- डीवार्मिंग, टीकाकरण, नस्ल सुधार कार्यक्रम, प्रचार-प्रसार, काफरैली आदि सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनके पशुओं के स्वास्थ्य, नस्ल सुधार करके दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाया जाना है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों के दुधारू पशुओं को तकनीकी निवेश कार्यक्रम (टी0आई0पी0) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों के पशुओं को स्वस्थ रखने एवं बीमारियों से बचाने हेतु डिर्वमर, मैस्टाइटिस एवं टिक कन्ट्रोल आदि की दवायें वितरित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त मद में अनुदान संख्या-16 व 83 में क्रमशः रु. 250.00 लाख एवं रु. 63.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

10 कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सामान्य/एस.सी.पी.)

दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं में ए0आई0 कार्यकर्ता, प्रबन्ध कमेटी सदस्य, ए0आई0 रिफ्रेसर, प्रोग्रेसिव प्रोड्यूसर, क्लीन मिल्क प्रोड्यूसर, मार्केटिंग स्टाफ, ए0एम0सी0यू0 व बी0एम0सी0 आपरेटर आदि के प्रशिक्षण कार्य चल रहे हैं। साथ ही उपभोक्ताओं एवं दुग्ध उत्पादकों के जागरूकता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2018-19 में 150.00 लाख व रु. 110.80 लाख का प्रावधान है।

नयी योजनाएं

वित्तीय वर्ष 2018-19 से कतिपय बहुउद्देशीय निम्न नवीन योजनाओं का शुभारम्भ किये जाने की योजना है :

11. नन्द बाबा पुरस्कार

यह देशी नस्ल की गाय के माध्यम से दुग्ध उत्पादन करने वाले दुग्ध उत्पादक सदस्यों के लिए है। इस योजना के तहत प्रदेश के 75 जनपदों में सहकारी दुग्ध समितियों को सर्वाधिक देशी नस्ल की गाय के दुग्ध की आपूर्ति करने वाले 75 दुग्ध उत्पादकों को (नन्द बाबा पुरस्कार) से सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में देशी नस्ल की गाय से सर्वाधिक दूध, दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध संघ को विक्रय करने वाले उत्पादक को जनपद एवं प्रदेश स्तर पर क्रमशः रु. 51.00 हजार तथा रु. 1.00 लाख एवं प्रत्येक लाभार्थी को प्रमाण पत्र एवं प्रतीक चिह्न दिया जाता है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में उक्त मद में रु. 52.01 लाख का प्रावधान है।

12. डेरी विकास फण्ड की स्थापना

दुग्ध विकास से संबंधित गतिविधियों को एक नवीन आयाम व दिशा प्रदान किये जाने की दृष्टि से डेरी विकास फण्ड की स्थापना। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान संख्या- 16 में रु. 1500.00 लाख की धनराशि का प्रावधान है।

●

मत्स्य विभाग

परिचय :

पौष्टिक खाद्य पदार्थों की श्रेणी में मछली की अपनी विशेष उपयोगिता है, जिसमें उच्चकोटि का प्रोटीन एवं विभिन्न विटामिन तथा अन्य पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन आदि का मिश्रण पाया जाता है, जो जन स्वास्थ्य के लिए विशेष उपयोगी है। प्रदेश में मत्स्य विकास हेतु पर्याप्त जल संसाधन की उपलब्धता है जिसका समुचित उपयोग कर जन सामान्य को पौष्टिक मत्स्य आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा इस कार्यक्रम से जुड़े व्यक्तियों विशेषतः मछुआ समुदाय के व्यक्तियों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान विभाग का मुख्य उद्देश्य है। मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार पड़ी कृषि हेतु अनुपयुक्त भूमि/तालाब/पोखरों/जलाशयों का उपयोग करके अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है तथा ग्रामीण अंचल में बेरोजगार व्यक्तियों के रोजगार का साधन जुटाने तथा सामाजिक तथा आर्थिक दशा सुधारने का एक अच्छा अवसर सुलभ कराया जा सकता है। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु शासन द्वारा विजन एण्ड पर्सपेक्टिव प्लान फार द डेवलेपमेन्ट ऑफ फिशरीज सेक्टर 2013 का अवधारण करते हुए दस वर्षीय कार्यक्रमों को लागू कराने का संकल्प लिया है, जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करते हुए उसके प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

मत्स्य विकास कार्यों को सुनियोजित रूप से सम्पादित किये जाने की दृष्टि से वर्ष 1947 में उ.प्र. मत्स्य विभाग की स्थापना पशुपालन विभाग के अन्तर्गत की गयी थी। वर्ष 1966 में मत्स्य विभाग पशुपालन विभाग से पृथक हुआ और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् कुछ तालाब मत्स्य विभाग को हस्तान्तरित हुए जिनमें विकास कार्य प्रारम्भ किया गया। प्रदेश में मत्स्य बीज की बढ़ती माँग की पूर्ति के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के द्वारा 09 बड़े आकार की हैचरियों की स्थापना करायी गयी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के सभी जनपदों में मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की स्थापना करायी गयी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में उपरोक्त समस्त केन्द्र पुरोनिधानित/केन्द्र पोषित योजनाओं को एक अम्ब्रैला में लाते हुये नयी सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ''ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट ऑफ फिशरीज'' आरंभ की गयी, जिसके अन्तर्गत मत्स्य विकास के विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

विभाग के मूल उद्देश्य व कार्यक्रमों की भौतिक प्रगति

विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए मत्स्य उत्पादन के साथ-साथ रोजगार के अतिरिक्त साधनों का सृजन तथा स्वःरोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक

उत्थान हेतु आवास/बीमा/ऋण आदि की सुविधायें भी सुलभ करायी जाती हैं।

प्रदेश में उपलब्ध वृहद एवं मध्यमाकार जलाशयों, प्राकृतिक झीलों तथा ग्रामीण अंचलों के तालाबों का कुल 5.34 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है। इन जल संसाधनों की उपलब्धता तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाये गये जल क्षेत्र से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है-

बंधा हुआ जल संसाधन	कुल उपलब्ध जलक्षेत्र (लाख हे. में)	मत्स्य/मत्स्य पालन के अन्तर्गत उपयोग में लाया गया जलक्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	प्रतिशत
वृहद एवं मध्यमाकार जलाशय	2.28	2.26	99.12
प्राकृतिक झीलें	1.33	0.20	15.03
ग्रामीण अंचल के तालाब	1.73	1.20	69.36
योग	**5.34**	**3.66**	**68.53**

ग्रामीण अंचल में मत्स्य पालन को बढ़ावा

प्रदेश में मत्स्य विकास योजनाओं को लागू किये जाने से पूर्व मत्स्य उत्पादकता 600 किग्रा. / हेक्टेयर /वर्ष थी, अब 12वीं पंचवर्षीय योजना के चतुर्थ वर्ष 2016-17 तक 4200 किग्रा./हेक्टेयर/ वर्ष के स्तर तक बढ़ाया जा चुका है। वर्ष 2018-19 में नयी सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ''ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज'' के माध्यम से प्रदेश की मत्स्य उत्पादकता 4500 किग्रा./हेक्टेयर/वर्ष करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण

तालाबों में उत्तम मत्स्य प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का संचय मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक है। मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित 09 बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य विभाग के 37 प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकार की 216 हैचरियों द्वारा किया जा रहा है तथा प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार की नीली क्रान्ति योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र में एक मिनी हैचरियों की स्थापना हेतु रु. 25.00 लाख इकाई लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है, जिसमें (60 प्रतिशत केन्द्रांश + 40 प्रतिशत राज्यांश) जो कि सामान्य वर्ग रु. 10.00 लाख की सीमा में केन्द्रांश रु. 6.00 लाख तथा राज्यांश रु. 4.00 लाख शेष रु. 15.00 लाख लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है।

वर्ष	अंगुलिका/मत्स्य बीज वितरण संख्या (लाख में)		अंगुलिका/मत्स्य बीज संचय संख्या (लाख में)		मत्स्य बीज उत्पादन संख्या (लाख में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2015-16	18089.00	17653.23	761.20	646.03	18850.20	18299.26
2016-17	19239.00	26272.46	761.20	762.67	20000.20	27035.13

2017-18 (जनवरी,18 तक)	27095.00	25985.72	781.20	787.80	27876.20	26773.52

जलाशयों में मत्स्य विकास

मत्स्य विकास व मत्स्य आखेट की दृष्टि से विभागीय जलाशयों को 4 श्रेणी में विभक्त किया गया है तथा उन्हें विभिन्न अवधि हेतु नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जाने की व्यवस्था है। मत्स्य विभाग, उ.प्र. मत्स्य विकास निगम लि. एवं उ.प्र. मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि. के प्रबंधन के अन्तर्गत श्रेणी 1 एवं 2 के जलाशय तीन वर्ष की अवधि के लिए तथा श्रेणी 3 व 4 के जलाशय पाँच वर्ष की अवधि के लिए निस्तारित किये जाते हैं। इन जलाशयों का निस्तारण ई-टेण्डरिंग/ई-नीलामी के माध्यम से कराये जाने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मत्स्य विभाग की प्रबन्ध व्यवस्था में 357 जलाशय उ.प्र.मत्स्य विकास निगम की प्रबन्ध व्यवस्था में 25 जलाशय तथा उ.प्र. मत्स्य जीवी सहकारी संघ की प्रबन्ध व्यवस्था में 09 जलाशय हैं।

मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ कार्यक्रम

पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर मछुआ समुदाय के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन व पंजीकरण, मछुआ दुर्घटना बीमा एवं आवास विहीन मछुआरों के लिए ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के तहत मछुआ आवास योजना क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश में 1081 प्राथमिक समितियां, 22 जनपद स्तरीय संघ एवं एक प्रदेशीय संघ की स्थापना की गयी है।

मत्स्य उत्पादन

प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में समस्त स्रोतों से आंकलित मत्स्य उत्पादन 4.50 लाख मी. टन के स्तर तक पहुँच चुका है। इस स्तर को 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल के चतुर्थ वर्ष 2016-17 में 6.18 लाख मी. टन उत्पादन प्राप्त किया गया है जिसका स्तर वर्ष 2017-18 में 6.50 लाख मी.टन के स्तर तक पहुँचाया जाना प्रस्तावित है।

ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट ऑफ फिशरीज योजना

वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा पूर्व संचालित विभिन्न केन्द्र पोषित/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के स्वरूप को एक ही योजना में समाहित करते हुए उनके स्थान पर संशोधित नई योजना सेन्ट्रल सेक्टर योजना ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैंनेजमेंट ऑफ फिशरीज (नीली क्रान्ति) के अधीन संचालित की गयी है, तत्क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा उक्त परियोजना में वर्ष 2016-17 में पाण्ड एवं रिजर्वायर, इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा वेलफेयर (मछुआ आवास) आदि मदों में उपयोजनावार रु. 1760.85 लाख की केन्द्रीय सहायता अवमुक्त की गई है। ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा लाभार्थीपरक योजनाओं में 50 प्रतिशत केन्द्रांश, 25 प्रतिशत राज्यांश तथा 25 प्रतिशत लाभार्थी अंश सम्मिलित हैं। योजना प्रोजेक्ट बेस पर आधारित है। वर्ष 2017-18 हेतु उक्त परियोजना में रु. 2000.00 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके सापेक्ष माह-फरवरी, 2018 तक कुल रु. 839.23 लाख की धनराशि का व्यय किया गया है, परन्त भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के मध्य

सत्र में प्रश्नगत योजना के फंडिंग पैटर्न में परिवर्तन किया गया है। इसके कारण केन्द्र सरकार लाभार्थीपरक उपयोजनाओं में परियोजना हेतु निर्धारित इकाई लागत की अधिकतम सीमा के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 24 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता, 16 प्रतिशत सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किये जाने तथा कमजोर वर्ग यथा महिला एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थी को परियोजना लागत का 36 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता, 24 प्रतिशत राज्यांश तथा 40 प्रतिशत सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किये जाने की व्यवस्था की गयी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सन्दर्भित योजनान्तर्गत कुल रु. 2000.00 लाख का बजट प्रावधान है।

मत्स्य बीज उत्पादन

मस्त्य पालन कार्यक्रम की सफलता गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज पर निर्भर है। मत्स्य बीज उत्पादन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम द्वारा 9 बड़े आकार की हैचरियों का निर्माण कराया गया है तथा मत्स्य विभाग के प्रबन्धान्तर्गत 37 विभागीय प्रक्षेत्र/हैचरियां स्थापित हैं। इस कार्यक्रम में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से बैंक ऋण/पूंजी निवेश से कुल 226 मिनी हैचरियों का निर्माण कराया जा चुका है, जिसमें से 216 वर्तमान में सक्रिय हैं। वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत 28,000.00 लाख गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज के उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

मत्स्य बीज वितरण एवं संचय

मछली के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से उत्तम प्रजाति का मत्स्य बीज मत्स्य पालकों को उनकी माँग पर निर्धारित मूल्य पर वितरित किया जाता है। मत्स्य बीज वितरण की व्यवस्था जिला स्तरीय मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से की जाती है। वर्ष 2018-19 में 27200.00 लाख मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है। वर्ष 2018-19 में 800.00 लाख मत्स्य बीज संचय कराये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

मछुआ समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु सहकारी समितियों का गठन

मत्स्य व्यवसाय से जुड़े मछुआ जाति के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु सहकारिता के माध्यम से उन्हें अत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया है। प्रदेश स्तर पर मत्स्य जीवी सहकारी संघ, जनपद स्तर पर जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन फेडरेशन तथा न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक मत्स्य जीवी सहकारी समितियाँ गठित की गई हैं। वर्तमान में 1081 प्राइमरी समितियाँ, 22 जिला फेडरेशन व 01 प्रादेशिक मत्स्य सहकारी संघ प्रदेश में कार्यरत हैं।

मछुआ दुर्घटना बीमा योजना

प्रदेश में मछुआ दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 1985-86 से प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2016-17 में योजनान्तर्गत आच्छादित सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता की दशा में रु.2.00 लाख तथा दुर्घटना में आंशिक स्थाई अपंग होने की दशा में रु. 1.00 लाख बीमित राशि का भुगतान किया जाता है। बीमा धनराशि का प्रीमियम रु. 2.88 (रु. 1.44 भारत सरकार व रु. 1.44 राज्य सरकार) प्रति सदस्य की दर से राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि. नई दिल्ली के माध्यम से बीमा कम्पनी को भुगतान

किया जाता है। लाभार्थी को कोई भी धनराशि स्वयं वहन नहीं करनी पड़ती है। वर्तमान में उपरोक्त योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लागू है। आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में सन्दर्भित योजनान्तर्गत 193000 व्यक्तियों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है।

मछुआ सहकारी समितियों के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

मछुआ समितियों के पदाधिकारियों की शैक्षिक योग्यता प्रायः कम होने के कारण समितियों के संचालन में कठिनाई उत्पन्न होती है, जिसके निवारण हेतु उनकी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

मछुआ आवासों का निर्माण

मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत आवास विहीन मछुआरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के समान दर पर प्रति आवास रुपये 1.20 लाख की सुविधा अनुमन्य है। भारत सरकार के सहयोग से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा प्रदेश में वर्ष 2016-17 तक कुल 23585 मछुआ आवास निर्मित कराये जा चुके है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में सन्दर्भित योजनान्तर्गत 666 मछुआ आवासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

ई गवर्नेन्स के क्रियान्वयन की प्रगति

समस्त जनपदों में ई-मेल, व्हाट्सएप और एस.एम.एस. के माध्यम से विभिन्न पटलों द्वारा सूचनायें प्राप्त करने व भेजने की सुविधा है। मत्स्य पालकों की सुविधा एवं समस्या निवारण हेतु टॉल फ्री नम्बर-1800 180 5661 की भी सुविधा दी गयी है। किसानों की योजनाओं की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.nic.in विकसित करायी गयी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत तालाबों का डाटाबेस तैयार कराया गया है।

मोबाईल फिश पार्लर योजना

राज्य सरकार के शत-प्रतिशत वित्त पोषण से संचालित मोबाइल फिश पार्लर (सचल मत्स्य एवं मत्स्य व्यंजन बिक्री केन्द्र) की योजना के अन्तर्गत बाहरी क्षेत्र में मछलियों से बने विभिन्न व्यंजनों को तैयार करके उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र में अनुदान की सहायता से योजना क्रियान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी 10 मोबाइल फिश पार्लर की स्थापना हेतु रु. 16.50 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

जलप्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण की योजना

जलप्लावन के फलस्वरूप निष्प्रयोज्य हुई अकृषक भूमि को तालाब के रूप में विकसित कराकर मत्स्य पालन कार्यक्रमों को बढ़ावा दिये जाने की इस योजना के लिए निर्धारित इकाई लागत रु.1.25 लाख प्रति हे. के सापेक्ष्य सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 80 प्रतिशत तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत अनुदान की सुविधा अनुमन्य करायी जाती है। वर्ष 2018-19 में इस योजना के लिए रु. 200.00 लाख का प्रावधान है।

तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास

नवीन योजना के रूप में प्रदेश के तालाबों की मत्स्य क्षमता का विकास कराये जाने हेतु तालाबों के 10 प्रतिशत जलक्षेत्र पर नर्सरियों का निर्माण कराते हुए गुणवत्तायुक्त बड़े आकार की मत्स्य अंगुलिकाओं के उत्पादन से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत वर्ष 2017-18 में रु. 187.50 लाख का बजट स्वीकृत था। वर्ष 2018-19 के लिए रु. 187.50 लाख का बजट प्रावधान है।

प्रादेशिक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना

प्रदेश के जनपद अम्बेडकरनगर, मऊ, सोनभद्र, भदोही, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज एवं कुशीनगर तथा कानपुर व आजमगढ़ मण्डल के कार्यालयों की स्थापना ग्रामीण अंचलों के तालाबों में मत्स्य पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देने व मत्स्य उत्पादन बढ़ाये जाने के उद्देश्य से की गयी है। राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन के लिए वर्ष 2018-19 के लिए रु. 21.30 लाख का बजट है। इसी प्रकार प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2018-19 में रु. 3.50 लाख का बजट है।

मत्स्य पालक कल्याण फण्ड

शत प्रतिशत राज्य सरकार के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2018-19 में नई योजना के रूप में यह योजना संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के लिए वर्ष 2018-19 में रु. 2500.00 लाख की धनराशि का बजट प्रावधान किया गया है।

●

सहकारिता

भारत के ग्रामीण अंचलों में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ करते हुये सहकारिता के माध्यम से आसान शर्तों पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था की आधिकारिक रूप से शुरुआत वर्ष 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम बनने से हुई, जो सहकारिता की दिशा में पहला कदम था। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ में केवल दो प्रकार (शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों) की समितियों का गठन किया गया। इस अधिनियम के पारित होते ही इसके प्रावधानों को उत्साह के साथ लागू करते हुए विभिन्न प्रान्तीय सरकारों द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किये गये और सहकारिता के सम्बन्ध में प्रभावी शैक्षिक कार्यक्रम चलाये गये, जिससे वर्षानुवर्ष सहकारी आन्दोलन में प्रगति उभर कर आने लगी। इस अधिनियम में आगे चलकर कुछ कमियाँ भी दृष्टिगोचर हुईं, जिन्हें दूर करते हुए तथा सहकारिता के कार्य क्षेत्र में वृद्धि लाते हुए वर्ष 1912 में नया सहकारी अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गठित की जाने वाली समिति के अन्तर को समाप्त कर दिया गया तथा सहकारिता आन्दोलन के प्रसार को समुचित संरक्षण मिल जाने से ऋण देने के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए भी सहकारी समितियों का गठन सम्भव हो सका। तत्पश्चात् सहकारी आन्दोलन के बहुमुखी प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1965 में नया सहकारी अधिनियम लागू किया गया। वर्तमान में इसी अधिनियम के अधीन समस्त सहकारी समितियाँ अपने कार्यों का निष्पादन कर रही हैं।

यह विभाग समितियों के लिये एक मित्र, विचारक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है तथा उनके कार्यों में आवश्यक निर्देश देता है एवं पर्यवेक्षण करता है। सहकारी समितियाँ सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने एवं निर्बल वर्ग के लोगों को समितियों की अंशपूँजी में विनियोजन हेतु ऋण देने के अतिरिक्त कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विधायन एवं संग्रहण में सहायता करती हैं और क्रय-विक्रय की व्यवस्था कर उत्पादकों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाने में भी सहयोग प्रदान करती हैं। यह समितियाँ किसानों को कृषि कार्य के प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि निवेशों को उन्हें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती हैं तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं सुलभ कराती हैं। वर्तमान में प्रदेश में 7479 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (पैक्स) हैं।

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन विभागीय अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत भुगतान किया जाता है। प्रदेश में संचालित विभागीय योजनाओं हेतु अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत उपलब्ध होता है।

अधिसूचित सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के चयन, अनुशासनिक नियंत्रण एवं सेवा सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु वर्ष 1972 से उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल गठित है।

सहकारी समितियों में धन के गबन/व्ययहरण के मामले की शीघ्र जाँच एवं निस्तारण करने हेतु सहकारिता विभाग के अन्तर्गत विशेष पुलिस अनुसंधान शाखा का गठन किया गया।

सहकारी समितियों के लेखों के सम्प्रेक्षण एवं उनके रखरखाव के सम्बन्ध में उचित मार्गदर्शन का कार्य मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित किया जाता है, जो सम्प्रेक्षण के उपरान्त धन के अपहरण, गबन आदि गम्भीर मामलों को निबन्धक एवं समिति पदाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करते हैं।

सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उ.प्र. सहकारी न्यायाधिकरण का गठन भी 1971 में किया गया है।

सहकारिता विभाग के कार्यकलापों को इन्टरनेट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी वेबसाइट इस प्रकार है- cooperative.up.nic.in

कार्य योजना

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में वर्ष 2017-18 में दिनांक 31.12.2017 तक 0.95 लाख नये सदस्य बनाये गये। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7.70 लाख नये सदस्यों को सहकारिता आन्दोलन से जोड़ने का लक्ष्य है। सदस्यों के साथ-साथ पदाधिकारियों को भी विस्तृत प्रशिक्षण देने तथा समितियों की व्यवस्था को पारदर्शी बनाकर अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित किये जाने की योजना है।

वर्ष 2018-19 में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से अनन्तिम रूप से रु. 3369.42 करोड़ अल्पकालीन ऋण वितरित किये जाने की योजना है। सहकारी उर्वरक बिक्री केन्द्रों के माध्यम से 32.50 लाख मैट्रिक टन उर्वरक तथा 1.30 लाख कुन्टल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में क्रमशः रु. 335.84 करोड़ तथा रु. 98.88 करोड़ मूल्य की उपभोक्ता वस्तुएं भी जनसामान्य को वितरित किए जाने की योजना है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) द्वारा पुरोनिधानित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं एवं उनके सदस्यों के विकास की विभिन्न योजनायें 21 जनपदों-हाथरस, मेरठ, अमरोहा, पीलीभीत, झाँसी, शाहजहाँपुर, मऊ, इटावा, बलिया, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, बाँदा, एटा, इलाहाबाद, कौशाम्बी, अम्बेडकरनगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं कासगंज में संचालित की जा रही हैं।

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु तथा कृषकों के हितों के लिए नियमित भुगतान/प्रतिदान करने वाले कृषकों को 3 प्रतिशत की दर से फसली ऋण वितरित करने की योजना है। सामान्य ब्याज दरों में छूट दिये जाने के फलस्वरूप होने वाले अन्तर की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में किए जाने की व्यवस्था है।

कार्यक्रमों एवं वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

(लाख रु. में)

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18			आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19		
राजस्व	पूँजीगत	योग	राजस्व	पूँजीगत	योग
33139.92	1600.01	34739.93	50630.39	5087.20	55717.59

सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(लाख रु. में)

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18			आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19		
राजस्व	पूँजीगत	योग	राजस्व	पूँजीगत	योग
17900.00	1600.01	19500.01	33623.46	5087.20	38710.66

(क) सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना

कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में इस योजना की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों/कृषकों को कृषि उत्पादन ऋण, उर्वरक, बीज तथा कीटनाशक दवाएं आदि उपलब्ध कराती हैं। उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा सिंचाई कार्यों तथा कृषि संयंत्रों आदि के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 1984-85 से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को समितियों का अधिक से अधिक सदस्य बनाकर उन्हें सहकारी ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

(क-1) पैक्स के माध्यम से कृषकों को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु नियमित भुगतान/प्रतिदान करने वाले कृषकों को 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से तथा अन्य को 7 प्रतिशत की दर से पैक्स के माध्यम से फसली ऋण वितरित करने की योजना है, ब्याज दरों में छूट प्रदान करने के फलस्वरूप होने वाले अन्तर की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत रु. 20000.00 लाख का प्रावधान है।

(क-2) गैर लाइसेन्स प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैकिंग लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु सहायता

प्रदेश में स्थापित कुल 50 जिला सहकारी बैकों में से 50 जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के पूर्ण करने के फलस्वरूप लाइसेन्स प्राप्त हैं। 16 कमजोर बैंकों के सुदृढ़ीकरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 2500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

(क-3) पैक्स कम्प्यूटराइजेशन हेतु

केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत पैक्स कम्प्यूटराईजेशन किया जाना है, जिससे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पैक्स का तकनीकी उन्नयन हो सके और वो जिला सहकारी बैंकों के सी.बी.एस. साफ्टवेयर से जुड़ सकें। इस योजनान्तर्गत कुल व्यय का 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा एवं 40 प्रति राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2580 समितियों का कम्प्यूटराइजेशन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए रु. 7740.00 लाख का व्यय सम्भावित है, इसमें से 60 प्रतिशत रु. 4644.00 लाख केन्द्र सरकार द्वारा, 40 प्रतिशत रु. 3096.00 लाख राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत रु. 3096.00 लाख का प्रावधान है।

(ख) सहकारी कृषि-निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजना

सहकारी कृषि निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजना के कार्यक्रम सीधे खेती एवं दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक किसानों से जुड़े हैं। प्रदेश की हरित क्रांति की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषि निवेशों के वितरण में सहकारिता का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि उत्पादन में यथेष्ट वृद्धि लाने के लिए खरीफ तथा रबी अभियान के अन्तर्गत सहकारी समितियों/संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं अल्पकालीन ऋण का वितरण किया जा रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक उत्पादकों विशेष कर इफको एवं कृभकों द्वारा सहकारी विक्रय केन्द्रों को सीधे उर्वरकों की आपूर्ति किए जाने की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में समय से उचित दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता के फलस्वरूप कृषि उत्पादन की वृद्धि से प्रदेश के किसानों की स्थिति में सुधार हो रहा है। वर्तमान में सहकारी क्षेत्र में 8496 सहकारी विक्रय केन्द्रों द्वारा प्रमाणित बीज, कृषि रक्षा रसायन तथा रासायनिक उर्वरकों का वितरण नकद एवं ऋण के रूप में खरीफ एवं रबी अभियानों के अन्तर्गत किया जा रहा है।

(ख-1) पी.सी.एफ. द्वारा उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु अनुदान

रबी एवं खरीफ अभियान के अन्तर्गत यूरिया, डी.ए.पी. एवं एन.पी.के. उर्वरकों की सहकारी समितियों की मांग के अनुरूप समय से आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः ऑफ सीजन में रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण कर समस्या के निदान हेतु पी.सी.एफ. को उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण शुल्क, ब्याज की प्रतिपूर्ति तथा उर्वरकों के परिवहन हेतु अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 10000.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत रु. 10000.00 लाख का प्रावधान है।

(ग) एकीकृत सहकारी विकास योजना

समस्त प्रकार की सहकारी समितियों के समग्र विकास के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) द्वारा पुरोनिधानित एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना के अनुसार अवस्थापना वृद्धि एवं व्यवसायिक क्षमता में वृद्धि हेतु ऋण एवं अंशधन प्रदान किया जाता है, ताकि समितियाँ अपने व्यवसाय में वृद्धि कर सुदृढ़ एवं स्वाश्रयी हो सकें।

एन.सी.डी.सी द्वारा राज्य को अल्पविकसित राज्य की श्रेणी में रखते हुए निर्माण कार्य की योजनाओं हेतु 20% अनुदान, 30% अंशधन एवं 50% ऋण रूप में सहायता दिए जाने का पैटर्न निर्धारित किया गया है।

सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण एवं विस्तार कार्यक्रम

सहकारी आन्दोलन को स्वस्थ दिशा प्रदान करने हेतु सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार आवश्यक है। इन्हीं उद्देश्यों के दृष्टिगत प्रदेश की समस्त पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को महत्त्व दिया जाता रहा है। उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लि. लखनऊ (पी.सी.यू.) उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए शीर्ष संस्था है। जिसके द्वारा संचालित मुख्य कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित है :-

- सचल इकाइयों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों/कार्मिकों को स्थलीय प्रशिक्षण देना।
- सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।
- सामान्य योजना के अन्तर्गत आन्दोलन को बढ़ाने हेतु प्रचार-प्रसार कार्यक्रम करना। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु पी.सी.यू. द्वारा स्थापित एवं संचालित 6 प्रशिक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त इन्स्टीट्यूट ऑफ कोआपरेटिव एवं कारपोरेट मैनेजमेन्ट रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, लखनऊ।

इसके अतिरिक्त ऋण एवं अधिकोषण योजना से सम्बन्धित विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि. द्वारा संचालित सहकारी कृषि स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ एवं उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा संचालित उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ कार्यरत है।

(क) प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान हेतु अनुदान

सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत जनपद स्तरीय सहकारी संस्थाओं में विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित ''की पर्सनल'' के अभाव में भी आन्दोलन की प्रगति को धक्का लगा है। इसको दूर करने के लिए एक प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान (आई.सी.सी.एम.आर.टी.) का संचालन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस पर वर्ष 2017-18 में रु.10.00 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2018-19 रु. 10.00 लाख का प्रावधान है।

सहकारी समिति अधिनियम का प्रशासन

सहकारी संस्थाओं का संगठन एवं उनके कार्यकलाप उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 से नियंत्रित किये जाते हैं। अधिनियम की धाराओं तथा नियमों के अनुपालन कराए जाने के क्रम में क्षुब्ध पक्ष को न्याय दिलाने हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। इसी प्रकार अधिसूचित सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के चयन, अनुशासनिक नियंत्रण एवं सेवा सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल गठित है।

(क) उत्तर प्रदेश सहकारी न्यायाधिकरण

उत्तर प्रदेश सहकारी न्यायाधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत वर्ष 1971 में किया गया है, जिसका मुख्य कार्य अपीलों की सुनवाई करके निर्णय देना है। शासनादेश दिनांक 24 जुलाई, 1995 द्वारा अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उ.प्र. को पूर्ण रूप से विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। सहकारी न्यायाधिकरण द्वारा सहकारी समिति अधिनियम-1965 की धारा 97 व 98 के प्रावधान के अन्तर्गत आदेश, निर्णय एवं अभिनिर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई की जाती है।

(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल

उ.प्र. सहकारी समिति, अधिनियम 1965 की धारा -122 के अन्तर्गत उ.प्र. सहकारी संस्थागत सेवामण्डल का गठन मार्च, 1972 में किया गया। सेवामण्डल के कार्य क्षेत्र में, प्रदेश की समस्त शीर्ष संस्थायें, जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी संघ एवं केन्द्रीय या प्रारम्भिक समितियाँ, जिनका कार्य क्षेत्र

एक से अधिक जिलों या राज्य में है, आते हैं। सेवामण्डल संस्थाओं द्वारा उनके कर्मचारियों हेतु बनाये गये सेवा नियमों का अनुमोदन भी करता है।

विशेष अनुसन्धान शाखा (सहकारिता) उत्तर प्रदेश का गठन

वर्ष 1971-72 से सहकारिता विभाग में विशेष अनुसन्धान शाखा (सह.) की स्थापना करते हुये इसे सी.बी.सी.आई.डी. उ.प्र. से सम्बद्ध किया गया। विशेष अनुसन्धान शाखा (सहकारिता) के द्वारा की जाने वाली विवेचनाओं को सुनियोजित करने के लिये शासनादेश दिनांक 15 जनवरी, 2003 निर्गत कर रु. एक लाख से अधिक गबन के उन मुकदमों का अन्वेषण करने की शक्ति इस शाखा को प्रदत्त की गई है।

विशेष अनुसन्धान शाखा (सहकारिता) का प्रशासनिक नियन्त्रण पुलिस अधीक्षक के अधीन है। शाखा के कार्य संचालन, जाँच एवं अभियोजन एवं प्रशासनिक नियन्त्रण को दृष्टि में रखकर इसके 09 क्षेत्रीय कार्यालयों की क्रमशः लखनऊ, फैजाबाद, मेरठ, बरेली, कानपुर, गोरखपुर, झाँसी, आगरा व वाराणसी में स्थापना की गई है। यह क्षेत्रीय कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी के अधीन कार्यरत हैं।

उ.प्र. राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग का गठन

आयोग द्वारा सहकारी समितियों के निर्वाचन में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराये जाने के उद्देश्य से कतिपय संशोधन प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये थे, जिसके क्रम में उ.प्र. सरकार द्वारा अधोलिखित संशोधन सम्बन्धी अधिसूचनायें प्रख्यापित की गयी हैं-

- उ.प्र. राज्य सहकारी समिति निर्वाचन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 दिनांक 26.05.2017 द्वारा उ.प्र. राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली-2014 के नियम-45 में संशोधन।
- उ.प्र. राज्य सहकारी समिति निर्वाचन (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2017 दिनांक 18.07.2017 द्वारा उ.प्र. राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली-2014 के नियम-12 में संशोधन।
- उ.प्र. राज्य सहकारी समिति निर्वाचन (तिरपनवाँ संशोधन) नियमावली, 2017 दिनांक 08.09.2017 द्वारा उ.प्र. राज्य सहकारी समिति नियमावली-1968 के नियम-87, 89, 229, 230, 240, 393, 398, 406, 444-क, 445, 447 एवं 450 में संशोधन करते हुये नियम-449 प्रतिस्थापित किया गया तथा निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धित नियम हटाये गये।

निदेशन तथा प्रशासन

(लाख रु. में)

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19		
राजस्व	पूँजीगत	योग
13724.14	0.00	13724.14

उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग 5 स्तरों पर कार्य करता है :-

1. प्रदेश स्तर

2. मण्डल स्तर
3. जिला स्तर
4. तहसील स्तर
5. खण्ड स्तर

प्रदेश स्तर

सहकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ.प्र. हैं। इनका कार्यालय प्रदेश स्तर पर है जो मुख्यालय कहलाता है।

मण्डल स्तर

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 18 राजस्व मण्डल हैं, जिनमें से 17 मण्डलों में प्रथम श्रेणी के अधिकारी नियुक्त हैं, जिनके कार्यक्षेत्र में सहकारी योजनाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य आते हैं तथा इन्हीं की देखरेख में सम्पन्न होते हैं।

जिला स्तर

जिले में प्रशासनिक संगठन तथा उसकी देख-रेख हेतु प्रत्येक जिले में एक सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक तथा कुछ जिलों में उनके सहायतार्थ एक अतिरिक्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक नियुक्त हैं।

तहसील स्तर

तहसील स्तर पर सहकारी आन्दोलन की देख-रेख एवं समितियों के सफल संचालन हेतु सहकारी निरीक्षक वर्ग-1/अपर जिला सहकारी अधिकारी नियुक्त है। ये अधिकारी अपने तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त सहकारी समितियों एवं योजनाओं के प्रति उत्तरदायी है।

विकास खण्ड स्तर

विकास खण्डों में प्रशासनिक संगठन तथा उसकी देख-रेख हेतु प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में एक सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)/निरीक्षक वर्ग-II नियुक्त है। यह सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक के प्रति विभागीय कार्यों हेतु उत्तरदायी होता है।

●

वन एवं वन्य जीव

उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल 22,121 वर्ग किमी. है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी. के सापेक्ष मात्र 9.18 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के मानक स्तर 33.33 प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में वनों का समुचित ढंग से प्रबन्धन करने हेतु वन विभाग की स्थापना वर्ष 1855 में की गई थी। उत्तर प्रदेश की निरन्तर बढ़ती आबादी एवं अन्य विकास कार्यों के लिए भूमि की बढ़ती मांग के फलस्वरूप जहां एक ओर प्रदेश में राष्ट्रीय वन नीति के अपेक्षित स्तर 33.33 प्रतिशत भू-भाग को वनों से आच्छादित करने की सम्भावनाएँ कम हैं, वहीं दूसरी ओर इस घनी आबादी वाले प्रदेश में आम जनता की ईंधन, चारापत्ती, इमारती लकड़ी तथा लघु एवं अन्य कुटीर उद्योगों के लिए वन उपज की माँग एवं सीमित वन संसाधनों से आपूर्ति के बीच अन्तर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है।

प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु यह आवश्यक है कि उपलब्ध वनों का वैज्ञानिक पद्धति से सघन प्रबन्ध किया जाये। वृक्षों से भूमि संरक्षण तथा जल संरक्षण के साथ-साथ मानव जीवन हेतु शुद्ध पर्यावरण की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। पर्यावरणीय समस्याओं के निवारण हेतु वन विभाग की यह रणनीति रही है कि वन क्षेत्र के बाहर सामुदायिक, सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी भूमि पर अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण किया जाये। इस उद्देश्य से प्रदेश में वृक्षाच्छादन बढ़ाने के लिए अवनत वन भूमि, सामुदायिक भूमि, रेल, सड़क व नहर के किनारे खाली पड़ी भूमि, शहरी क्षेत्रों के पार्कों में, राजकीय तथा अन्य रोपण योग्य तथा कृषकों की अनुपजाऊ निजी भूमि पर अधिकाधिक वृक्षारोपण करने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की विविधतापूर्ण भौगोलिक संरचना एवं जलवायु में पाये जाने वाले वन्य जीवों व जैव विविधता संरक्षण हेतु विभाग द्वारा प्रदेश में स्थापित 1 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव विहारों, 1 आरक्षित संरक्षण क्षेत्र तथा 3 प्राणि उद्यानों का प्रबन्धन भी किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के वन-एक दृष्टि

उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र, वनावरण तथा वृक्षावरण निम्न प्रकार है-

क्षेत्रफल वर्ग किमी.

अ.	वन क्षेत्र	
1.	उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	2,40,928
2.	अभिलिखित वन क्षेत्र	16,582
	क. आरक्षित वन क्षेत्र	12,071

	ख. संरक्षित वन क्षेत्र	1,157
	ग. अवर्गीकृत वन क्षेत्र	3,354
3.	वनावरण	14,679
	क. अति घना वन क्षेत्र	2,617
	ख. घना वन क्षेत्र	4,069
	ग. खुला वन क्षेत्र	7,993
4.	वृक्षावरण	7,442
5.	वनावरण एवं वृक्षावरण	22,121
6.	भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत	918
ब.	**वन्य जीव परिरक्षण**	
1.	प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क	1
2.	प्रदेश में वन्य जीव विहारों की संख्या	26
3.	आरक्षित संरक्षण क्षेत्र	1
4.	प्रदेश में प्राणि उद्यान	3

स्रोतः- स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017

वृक्षारोपण योजनायें

राज्य पोषित एवं केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही बागान योजनाओं का विवरण निम्नवत है-

सामाजिक वानिकी योजना

सामाजिक वानिकी योजना प्रदेश के ग्रामवासियों को प्रकाष्ठ, ईधन एवं चारा पत्ती तथा लघु वन उपज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध ग्राम समाज एवं सामुदायिक भूमि तथा अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के समुदाय को लाभ पहुँचाने हेतु स्पेशल कम्पोनेट प्लान तथा अनुसूचित जनजाति हेतु ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत बजट प्रावधान किया जाता है जिससे उन्हें दैनिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त जलौनी लकड़ी, फल–फूल तथा पशुओं के लिए चारा–पत्ती आदि सुविधापूर्वक उपलब्ध हो सके।

शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी योजना

यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यान्वित की जा रही है। वृक्षारोपण पर होने वाला व्यय पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के समस्त शहरों/नगरों में कल कारखानों तथा वाहनों से हो रहे वायु प्रदूषण को रोकना, मार्गों एवं नगरों का सौन्दर्य बढ़ाना तथा पथिकों को छाया उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रमुख रूप से इमली, नीम, पीपल, बरगद, आम, कदम, अशोक, गुलमोहर, अकेसिया तथा अन्य शोभाकार प्रजातियाँ रोपित की जाती हैं।

हरित पट्टी विकास योजना

यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में पर्यावरण सुधार हेतु क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में कराये गये कार्यों में सुरक्षा एवं सिंचाई की व्यवस्था विशेष रूप से सुनिश्चित की जाती है।

टोटल फारेस्ट कवर योजना

यह योजना जनपद मैनपुरी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, बदायूँ, रामपुर, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, फैजाबाद, आजमगढ़, ललितपुर तथा चित्रकूट को पूर्ण रूप से हरा-भरा किये जाने हेतु कार्यान्वित की जा रही है।

वनावरण सम्वर्द्धन परियोजना

अवनत वन एवं खुले वन क्षेत्रों में वनावरण संवर्द्धन के उद्देश्य से प्रदेश के 18 जनपदों (आगरा, अलीगढ़, शाहजहाँपुर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, झाँसी, बांदा, कानपुर नगर, लखनऊ, फैजाबाद, गोण्डा, वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, बस्ती एवं आजमगढ़) में नाबार्ड के वित्त पोषण से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

पौधशाला प्रबन्धन योजना

यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में आगामी वर्षों के वृक्षारोपण हेतु पौधशालाओं में उच्च गुणवत्ता के पौध तैयार किये जाते हैं। वर्ष 2018-19 में रु. 815.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

भारत सरकार से प्राप्त मार्ग निर्देश के अनुसार जन सहयोग से वनों की सुरक्षा एवं सम्वर्द्धन के कार्य हेतु प्रदेश के प्रत्येक वन प्रभाग में वन विकास अभिकरण (एफ.डी.ए.) का गठन किया गया है। यह योजना वर्ष 2000-01 से कार्यान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर गठित वन विकास अभिकरण (एफ.डी.ए.) के द्वारा अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर जनसहभागिता के माध्यम से वानिकी कार्य सम्पादित किया जाता रहा है। भारत सरकार से प्राप्त नवीन मार्ग निर्देशों के अनुसार वर्ष 2010-11 में प्रदेश स्तर पर ''राज्य वन विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश'' का गठन किया गया है। वर्तमान में यह योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से चलाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा ''राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम'' के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि के अनुसार केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार के माध्यम से ''राज्य वन विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश'' को उपलब्ध करायी जा रही है, जिसके द्वारा प्रभाग स्तर पर गठित वन विकास अभिकरणों को कार्ययोजना के अनुसार धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2014-15 तक इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 72 वन प्रभागों में 2223 संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों के माध्यम से रु. 28,888.28 लाख की केन्द्रीय सहायता अवमुक्त हुई जिससे 1,40,285 हे. में वृक्षारोपण व अन्य विकास कार्य कराये गये। वर्ष 2015-16 से यह योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2015-16 में रु. 347.40 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2016-17 में रु. 576.04 लाख का व्यय किया गया है। जिससे 1763 हे. क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराया गया है। वर्ष 2017-18 में रु. 191.35 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2018-19 में रु. 96.46 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

सम्वर्द्धक योजनायें

इन्टेन्सीफिकेशन ऑफ फारेस्ट मैनेजमेन्ट (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)

भारत सरकार तथा राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से वनों की सुरक्षा के उद्देश्य से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत वनों की अग्नि से सुरक्षा, वनों की सुरक्षा हेतु आवश्यक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं प्रबन्ध योजना का निरूपण, फील्ड सर्वे, सीमांकन आदि से सम्बन्धित कार्य कराये जाते हैं। वर्ष 2017-18 भारत सरकार द्वारा नए मार्ग निर्देश जारी हो गये हैं। नवीन मार्ग निर्देश के अनुसार योजना का नाम परिवर्तित करके 'फारेस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट स्कीम' कर दिया गया है। वर्ष 2018-19 में रु. 247.89 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

गौरा हरदो आजममढ़ में वन विहार पार्क का विकास

जनपद आजमगढ़ में बूढ़नपुर तहसील के गौरा हरदो में वन विहार (पार्क) के निर्माण हेतु 'गौरा हरदो आजमगढ़ में वन विहार पार्क का विकास' योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में वर्ष 2018-19 में रु. 100.93 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

जनपद मऊ में वन देवी जैव विविधता क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास व वन देवी पार्क का जीर्णोद्धार तथा वन देवी में गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य की योजना

मऊ जनपद के एकमात्र वन मनोरंजन पार्क का जीर्णोद्धार करके, यहां की जनता को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने, जनपद के स्कूली बच्चों को पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने तथा विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गयी। वन देवी स्थित वन क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए वन विश्राम गृह का निर्माण कराया जाना है। इस योजना हेतु वर्ष 2017-18 में रु. 100.00 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2018-19 में रु0 100.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

वन्य जीव परिरक्षण योजनायें

प्रोजेक्ट टाइगर

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत सरकार की योजना- ''प्रोजेक्ट टाइगर'' से वर्ष 1987 में आच्छादित किया गया। कालान्तर में किशनपुर वन्य जीव विहार कतर्नियाघाट वन्य जीव विहार, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, बिजनौर तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी इसके साथ रख कर इसे संयुक्त रूप से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ''प्रोजेक्ट टाइगर'' योजना के अन्तर्गत लाया गया। वर्तमान में रिजर्व क्षेत्र का प्रबन्धन मुख्यतः ''प्रोजेक्ट टाइगर'' योजना से वित्त पोषित है। यह योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से बाघ एवं उसके प्राकृतवास के संरक्षण हेतु चलायी जा रही है। वर्ष 2018-19 में रु. 784.32 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स

यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से प्रदेश के समस्त पक्षी विहारों एवं वन्य जीव विहारों के विकास हेतु क्रियान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 202.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

प्रोजेक्ट एलीफैन्ट

यह योजना भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की संयुक्त सहायता से ''उत्तर प्रदेश एलीफैन्ट रिजर्व'' हेतु चलाई जा रही है। योजना के अन्तर्गत हाथी के प्राकृतवास की सुरक्षा व संरक्षण, अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों, मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थितियों के अल्पीकरण, स्थानीय समुदायों में वन्य जीव संरक्षण के प्रति चेतना व जागरूकता उत्पन्न करना आदि कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है।

नेशनल प्लान फार कन्जर्वेशन आफ एक्वेटिक ईको सिस्टम

यह योजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नेशनल वेटलैण्ड कन्जरवेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत चलाई जा रही है। योजना भारत सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से चलायी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य संरक्षित तथा गैर संरक्षित वेटलैंण्ड की सुरक्षा, प्राकृत वास सुधार, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, शोध, स्थानीय समुदायों के साथ भागीदार प्रबंध एवं जलगुणवत्ता अनुश्रवण आदि मदों में सहायता पहुंचाना है।

जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास

इस योजना का औचित्य जन सामान्य के लिए वन्य जीव संरक्षण एवं सम्वर्द्धन के प्रति जागरूकता उत्पन्न किया जाना है। वर्तमान में एशियन बब्बर शेर का अस्तित्व खतरे में है तथा इनके प्राकृतवास मात्र गिर फारेस्ट, गुजरात तक सीमित रह गये हैं। अतः इन्हें उपयुक्त वासस्थल का विकास करके संरक्षण प्रदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इटावा जनपद में लायन सफारी की स्थापना से बब्बर शेरों के लिए वैकल्पिक वास स्थल विकसित होगा। क्षेत्र की स्थानीय जलवायु के अनुसार वनस्पतियों का संरक्षण एवं सम्वर्द्धन कर क्षेत्र को बब्बर शेरों के प्राकृतिक वासस्थल के रूप में विकसित करना है।

दुधवा नेशनल पार्क के वन विश्राम गृहों तथा आन्तरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण

दुधवा नेशनल पार्क के वन विश्राम गृहों तथा आन्तरिक सड़कों का सुदृढ़ीकरण कर इसे सुसज्जित किये जाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

दुधवा नेशनल पार्क में टूरिज्म के विकास एवं वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये परीक्षणोपरान्त यथोचित कार्य किये जायेंगे।

संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यजीवों का प्रबन्ध

उत्तर प्रदेश में संरक्षित क्षेत्र जहाँ वन्यजीवों की अधिकता है, के संरक्षण एवं इनके प्राकृतिक वास के विकास को समुचित रूप से करने के उद्देश्य से संसाधन उपलब्ध कराया जाना तथा निरन्तर विकास के कारण वन्यजीव के प्राकृत वास पर बढ़ते जैव दबाव के कारण समग्र प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती हुई घटनाओं के निराकरण के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ की गयी है।

ईको पर्यटन का विकास

इस योजना के माध्यम से प्रदेश में ईको पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। यह योजना प्रदेश के उन क्षेत्रों में लागू की जा रही है जहाँ प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा हो, वन एवं वन्य जीवों की बहुतायत हो और पर्यटकों के लिए क्षेत्र आकर्षक हो। परियोजना के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना

इस योजना के अन्तर्गत वन्य जीवों के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के उद्‌देश्य से जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान का निर्माण किया जा रहा है।

बर्ड फेस्टिवल का आयोजन

उत्तर प्रदेश राज्य में पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने एवं विद्यार्थियों को इन जीवों के वास स्थल, क्रियाकलाप तथा विदेशी पक्षियों के माइग्रेशन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस बर्ड फेस्टिवल के आयोजन में वन विभाग के अतिरिक्त उ.प्र. पर्यटन विभाग, सूचना विभाग, एफ.आई.सी.सी.आई. गैर-सरकारी संस्थाओं एवं स्थानीय जनता को भी शामिल किया जाता है।

नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ में तितली पार्क

तितलियों का पर्यावरण संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह फूलों के परागण एवं बीजों के अंकुरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तितलियों की संख्या कम होती जा रही है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ में इस तितली पार्क के माध्यम से आम जन-मानस में तितलियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जायेगी।

कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर में तितली पार्क

तितलियों का पर्यावरण संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह फूलों के परागण एवं बीजों के अंकुरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तितलियों की संख्या कम होती जा रही है। कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर में इस तितली पार्क के माध्यम से आम जन-मानस में तितलियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जायेगी।

मूसाबाग वन क्षेत्र, लखनऊ का विकास एवं संरक्षण

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित अवध वन प्रभाग के लखनऊ रेंज के अन्तर्गत एल.आई.टी. (मूसाबाग) वन ब्लाक मूसाबाग वन क्षेत्र में वर्ष 1970 के दशक में स्थापित एल.आई.टी. वन विश्राम गृह, वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय, कर्मचारी आवासीय परिसर, दर्शकों के मनोरंजन हेतु वन चेतना केन्द्र, चिल्ड्रेन पार्क, कैन्टीन तक पहुंचने हेतु आर.सी.सी. पुल, पुरुष एवं महिला शौचालय, पेयजल सुविधा, पौधशाला, वाटर चैनल को इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु यह योजना क्रियान्वित की जायेगी।

आचार्य नरेन्द्र देव स्मृति पार्क की स्थापना

जन साधारण को वानिकी कार्यों की जानकारी देने व उसमें अभिरुचि पैदा करने तथा उन्हें मानसिक शान्ति प्रदान करने हेतु जनपद सीतापुर में इलियाससग्रांट वन भूमि में आचार्य नरेन्द्र देव स्मृति पार्क की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2018-19 में रु. 20.00 लाख आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

दुधवा टाइगर रिजर्व का विकास

वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य हेतु रिजर्व के फ्रन्ट लाइन कर्मचारी (वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक, वन दरोगा तथा उपराजिक) वन क्षेत्र में स्थित वन चौकियों पर रहते हैं। इन कर्मचारियों के परिवार तथा बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु सेना में सीमा पर तैनात जवानों की भांति फील्ड हास्टल जैसी सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दुधवा टाइगर

रिजर्व के अन्तर्गत ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में रु. 200.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना

वृन्दावन जनपद मथुरा में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए एक मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2018-19 में रु. 19.54 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

वन्य जीव प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों, गैर राजकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा विद्यार्थियों को वन्य जीव संरक्षण, मानव-वन्य जीव संघर्ष तथा वन्य जीव रेस्क्यू से सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु लखनऊ मण्डल में ''वन्य जीव प्रशिक्षण केन्द्र'' की स्थापना की जानी है।

शेखा झील, अलीगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकास

पक्षियों के संरक्षण एवं उनके प्राकृतिक वास के सुधार तथा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शेखा झील, अलीगढ़ को राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जाना है। वर्ष 2018-19 में रु. 50.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

वेटलैण्ड्स का पारिस्थितिकीय एवं अवस्थापना विकास

प्रदेश के विभिन्न वेटलैण्ड्स के पारिस्थितिकीय विकास हेतु वेटलैण्ड्स की सफाई, हानिकारक खर-पतवार निकालना, पौध रोपण एवं बीज बुआन, बन्धों का निर्माण तथा अवस्थापना का विकास सम्बन्धी कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2018-19 में रु. 50.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

अन्य कार्य

वन विभाग के श्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा योजना

उक्त योजना का क्रियान्वयन विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिकों के सामूहिक बीमा हेतु आरम्भ किया गया था। वित्तीय वर्ष 2010-11 के पश्चात् विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना समाप्त हो जाने के कारण उक्त योजना के अन्तर्गत कोई व्यय नहीं किया गया है। इस योजना को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग में कार्यरत दैनिक श्रमिकों के बीमा हेतु संचालित किये जाने की मंशा के फलस्वरूप रु.2.35 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

जोखिम भरे कार्य करते समय गम्भीर रूप से घायल अथवा मृत सरकारी सेवकों को मिलने वाली आर्थिक सहायता

इस योजना का औचित्य विभाग के फील्ड कर्मियों, जो कि ड्यूटी के समय गम्भीर रूप से घायल अथवा मृत हो जाते हैं, को आर्थिक सहायता पहुँचाना है। वर्ष 2018-19 में रु. 0.50 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

हिंसक वन पशुओं द्वारा मारे/घायल किये गये व्यक्तियों एवं मवेशियों के मालिकों को मुआवजा प्रदान किया जाना

इस योजना का उद्देश्य हिंसक वन पशुओं द्वारा मारे गये/घायल किये गये व्यक्तियों एवं मवेशियों के मालिकों को मुआवजा प्रदान किया जाना है। दुर्घटना की स्थिति में मृत हुये व्यक्तियों को रु.5.00 लाख एवं गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को रु.1.00 लाख की अनुग्रह धनराशि मुआवजे के रूप में प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 में रु. 100.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

वनों की सुरक्षा

इस योजना का उद्देश्य वन क्षेत्रों का सीमांकन एवं सीमा स्तम्भ लगाना आदि है। इस योजना के राजस्व मद एवं पूँजीगत मद को जोड़ते हुए वर्ष 2018-19 में रु. 70.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

सामाजिकी वानिकी

विभाग में संचालित सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपण के अनुरक्षण के उद्देश्य से उक्त योजना क्रियान्वित है। वर्ष 2018-19 में रु. 10.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

इमारती लकड़ी, कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज

इस योजना का मुख्य उद्देश्य वन उत्पादों के संग्रहण पर होने वाले व्यय को वहन किया जाना है। विभाग में राजस्व संग्रहण हेतु 'रवन्ना बुकों' की छपाई आदि पर होने वाले व्यय को भी इसी योजना के अन्तर्गत वहन किया जाता है। वर्ष 2018-19 में रु. 10.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

वन पार्कों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण

इस योजना के अन्तर्गत विभाग के अन्तर्गत स्थित वन पार्क/वन चेतना केन्द्र यथा- सारनाथ स्थित पार्क, विनोद वन गोरखपुर, नवाबगंज पक्षी बिहार उन्नाव आदि तथा अन्य वन चेतना केन्द्रों के रखरखाव पर व्यय किया जाता है। वर्ष 2018-19 में रु. 33.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान लखनऊ को अनुदान

इस योजना का उद्देश्य लखनऊ चिड़ियाघर जो कि प्रदेश के महत्त्वपूर्ण चिड़ियाघरों में एक है, को वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाना है। वर्ष 2018-19 में रु. 600.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

कानपुर प्राणि उद्यान

प्रदेश के महत्त्वपूर्ण प्राणि उद्यान के रखरखाव तथा अन्य व्यय हेतु योजना कार्यान्वित है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु.100.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

औद्योगिक एवं पल्पवुड वृक्षारोपण

इस योजना में पूर्व संचालित औद्योगिक एवं पल्पवुड वृक्षारोपण के अन्तर्गत कार्यरत स्टाफ जोकि

मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, बिजनौर, पीलीभीत, इटावा, झाँसी, लखीमपुर खीरी, गोण्डा, गाजियाबाद, लखनऊ, अमरोहा एवं चित्रकूट जनपदों में तैनात हैं, के वेतन भत्तों का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2018-19 में रु. 764.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

उक्त योजना के अन्तर्गत पूर्व संचालित योजना के अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपण एवं पौधालयों में पौध उगाने हेतु भी व्यय किया जाता है। वर्ष 2018-19 में रु. 40.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

नई योजनाएं

सब मिशन आन एग्रो फारेस्ट्री

सब मिशन आन एग्रो फारेस्ट्री एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश का प्रावधान है। योजना का उद्देश्य कृषकों को कृषि वानिकी हेतु प्रोत्साहित कर वृच्छादन बढ़ाना है। इस योजना के मुख्य कार्यों में कृषि वानिकी हेतु उच्चगुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री हेतु पौधशालाओं का विकास, खेतों की मेड़ सीमा पर पंक्ति वृक्षारोपण, कृषि भूमि पर ब्लाक वृक्षारोपण, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास तथा प्रचार-प्रसार सम्मिलित है। योजना में कृषकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आय सृजन के अतिरिक्त साधन तथा ग्रामीण परिवारों विशेष रूप से छोटे किसानों की आजीविका के संसाधनों में वृद्धि होगी। इस हेतु वर्ष 2018-19 में रु. 2000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

कुकरैल वन क्षेत्र के अन्तर्गत इको पर्यटन एवं जैव विविधता केन्द्र की स्थापना

कुकरैल वन क्षेत्र में स्थित पिकनिक स्पाट क्षेत्र लखनऊ वासियों एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों के साथ-साथ बाहरी पर्यटकों के लिए भी एक अत्यन्त आनन्दमयी स्थान है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में दर्शक/पर्यटक यहां मनोरंजन एवं मानसिक शान्ति के हेतु आते हैं। मनोरंजन के साथ-साथ स्कूल एवं कालेजों से आने वाले विद्यार्थियों को पेड़-पौधों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आर्बोरेटम बनाने की योजना तैयार की गयी है। भारत में पाये जाने वाले वृक्षों की अधिक से अधिक प्रजातियों को एक ही स्थान पर लगाया जायेगा, जिससे पेड़-पौधों में रूचि रखने वाले विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं को अध्ययन में सुविधा मिल सके। पर्यटकों की रुचि को बनाए रखने एवं उन्हें स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेचर ट्रेल व घास का मैदान/लॉन का रखरखाव कार्ययोजना में समावेश किया गया है। इस हेतु वर्ष 2018-19 में रु. 500.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

●

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल

लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत कृषकों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराकर व तकनीकी मार्गदर्शन देकर निजी लघु सिंचाई साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्रदेश में लगभग 78 प्रतिशत सिंचाई निजी लघु सिंचाई संसाधनों से होती है। अतः प्रदेश के कृषि विकास एवं कृषि उत्पादन में निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम का विशेष महत्त्व है।

लघु सिंचाई विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों को सिंचाई के मामले में आत्म निर्भर बनाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में मुख्यतः निःशुल्क बोरिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बुन्देलखण्ड तथा प्रदेश के पठारी, कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में रिग मशीनों से गहरी बोरिंग तथा एल्यूवियल क्षेत्रों में मध्यम गहराई के नलकूपों के निर्माण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु सामूहिक नलकूपों की योजना भी संचालित है। लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित हैं जिनका विवरण निम्नवत है :-

● **निःशुल्क बोरिंग**

निःशुल्क बोरिंग योजना फरवरी 1985 से संचालित है। वर्तमान में इस योजना में सामान्य श्रेणी के लघु, सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु बोरिंग की अनुदान सीमा क्रमशः रु. 5000/-, रु. 7000/- एवं रु. 10000/- जो भी कम हो, अनुमन्य की जा रही है। इसके अतिरिक्त पम्पसेट की स्थापना पर सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को पम्पसेट की वर्तमान इकाई लागत रु. 18000/- के आधार पर इकाई लागत का क्रमशः 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 4500/-, 33.33 प्रतिशत अधिकतम रु. 6000/- एवं 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 9000/- अनुदान देय है। उक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त 25 प्रतिशत लाभार्थियों को जल वितरण हेतु 90 एम0एम0 व्यास का 30 से 60 मी. एच.डी.पी.ई. पाइप सिंचाई सिस्टम, लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 3000/- के अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यह अनुदान सीमा सभी श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये है।

इस योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्धारित लक्ष्य 74395 के सापेक्ष माह जनवरी 2018 तक 76863 निःशुल्क बोरिंग पूर्ण करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु इस योजना में रु. 7453.00 लाख का बजट प्रावधान है।

● **मध्यम गहराई के नलकूप की योजना**

प्रदेश में वर्ष 2003-04 तक निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यतः दो योजनायें क्रमशः

उथले नलकूप की निःशुल्क बोरिंग योजना व गहरे नलकूप की योजना चल रही थी। निःशुल्क बोरिंग योजना में लगभग 30 मीटर तक की गहराई में हैंड बोरिंग सेट द्वारा बोरिंग की जाती है। गहरे नलकूप की योजना में हैवी रिंग मशीन द्वारा 60 मीटर से अधिक गहराई की बोरिंग की जाती है। प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जहां पर 31-60 मीटर तक की गहराई में भूजल ग्राही स्रोत मिलते हैं, के लिए मध्यम नलकूप योजना वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ की गई है। जिसमें नलकूप की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 75000.00 तथा जल वितरण की स्थापना पर रु. 10000.00 अतिरिक्त अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रु. 0.68 लाख) अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो, को वर्ष 2012-13 से अनुमन्य कराया जा रहा है। यह धनराशि नलकूप के छिद्रण होने के पश्चात् नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु लाभार्थी के नाम सहित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना के अन्तर्गत रु. 5870.57 लाख के बजट प्रावधान से निर्धारित लक्ष्य 3837 के सापेक्ष माह जनवरी, 2018 तक रु. 3715.78 लाख व्यय करते हुये 2427 बोरिंग पूर्ण करायी गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु इस योजना में रु. 5870.70 लाख का बजट प्रावधान है।

● **हैवी रिग मशीन द्वारा गहरे नलकूपों का निर्माण**

पठारी, गहरे एवं कठिन स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में विभागीय/प्राइवेट/अन्य सरकारी संस्थाओं की हैवी रिग मशीनों से बोरिंग करके नलकूप निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इस पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 1,00,000/- का अनुदान कृषकों को देने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण की समस्या के दृष्टिगत उक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रु. 0.68 लाख) अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो, को वर्ष 2012-13 से अनुमन्य कराया जा रहा है। यह धनराशि नलकूप के छिद्रण होने के पश्चात् नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु लाभार्थी के नाम सहित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना में उपरोक्त अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर जल वितरण के लिए एच.डी.पी.ई. पाइप सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 0.10 लाख का अनुदान पृथक से दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना के अन्तर्गत रु. 1849.42 लाख के बजट प्रावधान से निर्धारित लक्ष्य 1040 के सापेक्ष माह जनवरी, 2018 तक रु. 1083.01 लाख व्यय करते हुये 659 बोरिंग पूर्ण करायी गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु इस योजना में रु. 1849.42 लाख का प्रावधान है।

● **डॉ. राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना**

डॉ. राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कृषक बाहुल्य समूह को नलकूप निर्माण (ड्रिलिंग, एसेम्बली, सबमर्सिबल पम्प, पम्प हाउस, हौदी इत्यादि) हेतु वास्तविक लागत अधिकतम रु. 4.02 लाख जल वितरण प्रणाली हेतु एच.डी.पी.ई. पाइप सिंचाई सिस्टम के लिये वास्तविक लागत अधिकतम रु. 0.30 लाख तथा ऊर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रु. 0.68 लाख) अथवा वास्तविक लागत जो

भी कम हो, का अनुदान पृथक-पृथक देय है। यह धनराशि नलकूप के छिद्रण होने के पश्चात् नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु समूह के नाम सहित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जा रही है।

सामान्य श्रेणी के लघु/सीमान्त कृषक बाहुल्य समूह हेतु नलकूप निर्माण (ड्रिलिंग एसेम्बली, सबमर्सिबल पम्प, पम्प हाउस, हौदी इत्यादि) हेतु वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 3.015 लाख जल वितरण प्रणाली हेतु एच.डी.पी.ई. पाइप सिंचाई सिस्टम के लिये वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 0.225 लाख तथा ऊर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रु. 0.68 लाख) अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो, का अनुदान पृथक-पृथक देय है। यह धनराशि नलकूप के छिद्रण होने के पश्चात् नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु समूह के नाम सहित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजनान्तर्गत रु. 500.00 लाख तथा सामान्य योजनान्तर्गत रु. 215.60 लाख कुल उपलब्ध बजट प्रावधान रु. 715.60 लाख से निर्धारित लक्ष्य 155 नलकूप निर्माण के सापेक्ष माह जनवरी, 2018 तक रु. 283.98 लाख व्यय करते हुये 70 नलकूपों का निर्माण पूर्ण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना में रु. 715.60 लाख का बजट प्रावधान है।

● **ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग अन्तर्गत चेकडैम का निर्माण**

प्रदेश में वर्षा जल के इष्टतम उपयोग तथा सिंचाई के साथ-साथ भूगर्भ जल रिचार्ज में अभिवृद्धि हेतु विशेष रूप से बुन्देलखण्ड एवं अन्य पठारी क्षेत्रों में स्थानीय नदी/नालों पर चेकडैम बनाकर यह कार्य किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना के अन्तर्गत रु. 4000.00 लाख के बजट प्रावधान से 161 चेकडैमों के निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना में रु. 4000.00 लाख का बजट प्रावधान है।

● **लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुदृढ़ीकरण/निर्माण**

प्रदेश स्तर पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा किये जा रहे कार्य के प्रशिक्षण हेतु लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान का परिसर बख्शी का तालाब, जनपद-लखनऊ में राज्य ग्राम्य विकास संस्थान परिसर के बगल में 2.60 हे. क्षेत्र में स्थित है। इस केन्द्र की स्थापना वर्ष 1962 से वर्ष 1965 के मध्य हुई थी। उक्त परिसर में प्रशिक्षण कक्ष, हॉस्टल, प्रशासनिक भवन, वर्कशाप एवं आवासीय भवन हैं। भवनों की दीवार का निर्माण मिट्टी के गारे से तथा छत आर.बी.डब्ल्यू. की है। विभिन्न चरणों में धन की उपलब्धता के अनुसार इसका सुदृढ़ीकरण किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना में रु. 235.00 लाख का बजट प्रावधान के सापेक्ष सुदृढ़ीकरण/निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना में रु. 200.00 लाख का बजट प्रावधान है।

● **क्षेत्रीय लघु सिंचाई प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना**

लघु सिंचाई कार्यक्रम में हो रहे सर्वोन्मुखी विस्तार के दृष्टिगत प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था, जिसके लिये लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान का परिसर बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ में स्थापित है, अपर्याप्त है। निरन्तर बढ़ते जा रहे संकटग्रस्त विकास खण्डों एवं भूजल परिदृश्य के गम्भीर होते जाने के परिणामस्वरूप वर्षा जल संचयन, सतही जल के इष्टतम सदुपयोग एवं जल संरक्षण हेतु विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों को लगातार प्रशिक्षित करने तथा कृषकों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश के पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन एवं बुन्देलखण्ड में एक-

एक क्षेत्रीय लघु सिंचाई प्रशिक्षण संस्थान परिकल्पित किया गया है। पूर्वी क्षेत्र में कृषि उत्पादकता में वृद्धि पर केन्द्र सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश को सम्मिलित किया गया है। अतः इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जियोहाइड्रोलॉजिकल दशाओं के दृष्टिगत जल प्रबन्धन में अनवरत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है। विभिन्न चरणों में धन की उपलब्धता के अनुसार संस्थान की स्थापना की कार्यवाही की जायेगी।

- **बोरिंग गोदाम**

लघु सिंचाई विभाग द्वारा मुख्यतः कृषकों की बोरिंग का कार्य कराया जाता है। यह बोरिंग कार्य विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं की देख-रेख में बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के द्वारा कराया जाता है। इन बोरिंगों के कराने हेतु उपकरण एवं संयंत्रों के रख-रखाव तथा भण्डारण हेतु विकास खण्ड स्तर पर बोरिंग गोदाम की नितान्त आवश्यकता होती है। विभाग का लक्ष्य है कि सभी विकास खण्डों में तथा जिन जनपदों में विभाग को शासकीय भूमि आवंटित हो गयी है वहाँ जनपद स्तरीय बोरिंग गोदामों का निर्माण कराया जाये। उक्त हेतु विभाग द्वारा बोरिंग गोदाम मद में धनराशि का प्रावधान प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना में रु. 48.00 लाख का बजट प्रावधान के सापेक्ष कार्य कराये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना में रु. 50.00 लाख का बजट प्रावधान है।

नई योजना

सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल निर्माण

सौर ऊर्जा चालित नलकूपों को बढ़ावा देने हेतु विभाग द्वारा एक नई योजना प्रस्तावित की गयी है जिसके अन्तर्गत सौर ऊर्जा चालित 5 हार्स पावर के पम्पसेट द्वारा नलकूपों का निर्माण किया जायेगा। यह योजना प्रथम चरण में प्रायोगिक तौर पर प्रारम्भ करते हुए लघु एवं सीमान्त कृषकों के समूह हेतु प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत 5 हार्स पावर के सोलर चालित 342 नलकूप 02 वर्षों में निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित योजना के अधीन प्रदेश के प्रत्येक जनपद में (बागपत, महोबा, सहारनपुर, सन्तरविदास नगर एवं शामली को छोड़कर) दो वर्ष में तीन-तीन नलकूप बनाये जाने का प्रस्ताव है जो सौर ऊर्जा से चालित होंगे। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में प्रस्तावित 342 नलकूपों हेतु डी0पी0आर0 बनाकर समूहों का गठन करके निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। द्वितीय वर्ष में मूल्यांकन किया जायेगा। मूल्यांकन में सार्थक परिणाम आने पर योजना का विस्तार किया जायेगा। योजना की कुल लागत रु. 1514.73 लाख आंकलित की गयी है, इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 504.19 लाख का बजट प्रावधान है। जिससे प्रदेश के प्रत्येक जनपद में (बागपत, महोबा, सहारनपुर, सन्तरविदास नगर एवं शामली को छोड़कर) एक-एक सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल का निर्माण किया जायेगा।

वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन

वर्तमान में प्रदेश के 113 अतिदोहित एवं 59 क्रिटिकल विकास खण्ड हैं। उक्त विकास खण्डों के अतिदोहित/क्रिटिकल की श्रेणी में आ जाने के कारण भूजल स्रोतों की निरंतरता को कायम रखना प्रदेश के कृषि विकास के लिए अति आवश्यक है। अतः यह अपरिहार्य हो जाता है कि इन विकास खण्डों

में भूगर्भ जल उपलब्धता की संकटाकीर्ण स्थिति को वर्षा जल संचयन एवं रिचार्जिंग योजनाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से सुधारा जाए। प्रदेश के 45 सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों को सुधारने के उपाय भी किये जाने होंगे, ताकि वह समय के साथ अतिदोहित/क्रिटिकल श्रेणी में आने से बचे रहें। दिन-प्रतिदिन भूजल के गहराते संकट के दृष्टिगत वर्षा जल संचयन, भूजन संवर्द्धन एवं जल संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। योजनान्तर्गत सामुदायिक तालाबों का पुनर्विकास एवं प्रबन्धन का कार्य भी किया जाना है। उक्त योजना प्रारम्भ में 03 वर्षों हेतु कुल रु. 4140.00 लाख की प्रस्तावित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत 03 वर्षों में 01 हेक्टेयर से 05 हेक्टेयर क्षेत्रफल के तालाबों का पुनर्विकास एवं प्रबन्धन किया जायेगा। जिससे आच्छादित क्षेत्रफल 207 हेक्टेयर अनुमानित है। योजना के अन्तर्गत वर्तमान में प्रति हेक्टेयर औसत इकाई लागत प्रति हेक्टेयर रु. 20.00 लाख आगणित की गयी है। जो तालाब के आकार एवं स्थलीय परिस्थितियों के अनुसार तथा सामग्री की दरों में वृद्धि के कारण परिवर्तनीय होगी। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 2380.00 लाख का बजट प्रावधान है। जिससे लगभग 59 सामुदायिक तालाबों (औसत क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर प्रति तालाब मानते हुए) का पुनर्विकास एवं प्रबन्धन कार्य योजना बनाकर किया जायेगा।

भूगर्भ जल विभाग, उ.प्र.

भूगर्भ जल विभाग की स्थापना वर्ष 1975 में एक पृथक विभाग के रूप में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. के प्रशासनिक नियंत्रण में की गयी। राज्य में भूगर्भ जल संसाधनों के निरन्तर बढ़ते महत्त्व एवं इसके प्रभावी प्रबंधन के दृष्टिगत भूगर्भ जल विभाग को प्रदेश की भूजल सम्पदा के सर्वेक्षण, अनुसंधान, नियोजन, विकास व प्रबन्धन तथा भूगर्भ जल दोहन के नियंत्रण एवं भूगर्भ जल संरक्षण, संचयन व विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही रिचार्ज योजनाओं के समन्वय तथा अनुश्रवण हेतु वर्ष 2004 में 'नोडल एजेंसी' घोषित किया गया।

विभाग के मुख्य कार्य दायित्व प्रदेश की भूजल सम्पदा का सर्वेक्षण, आंकलन, प्रबंधन व नियोजन तथा उससे जुड़ी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन, भूगर्भ जल दोहन पर नियंत्रण, भूजल संरक्षण, संचयन तथा रिचार्ज योजनाओं का तकनीकी समन्वय व अनुश्रवण करना है।

भूगर्भ जल विभाग की पूर्व से संचालित योजनाएं एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम निम्नवत है-

1. भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढ़ीकरण

इस योजना के अन्तर्गत विगत वर्षों में किये गये कार्य एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नवत् है :

अ- हाइड्रोग्राफ स्टेशन नेटवर्क पर भूजल स्तर अनुश्रवण

भूजल स्तर आंकड़ों की आवश्यकता एवं महत्ता के आधार पर भूजल स्तर मापन वर्ष में चार बार यथा- माह जनवरी, मई/जून, अगस्त तथा अक्टूबर/नवम्बर में किया जाता है। वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में स्थापित हाइड्रोग्राफ स्टेशन पर नियमित भूजल स्तर मापन किया गया। वर्ष 2018-19 में 821 विकास खण्डों एवं 75 शहरी क्षेत्रों में स्थापित हाइड्रोग्राफ स्टेशनों पर भूजल स्तर मापन किया जाना प्रस्तावित है।

ब- विकास खण्डवार भूजल संसाधनों का आंकलन

भूगर्भ जल के नियोजित विकास व प्रबंधन हेतु विकास खण्डवार भूगर्भ जल संसाधन का आंकलन तथा विकास खण्डों का अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी-क्रिटिकल तथा सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकरण, भूजल आंकलन समिति-97 (जी0ई0सी0-97) एवं केन्द्रीय भूजल बोर्ड, भारत सरकार की संशोधित गाइडलाइन (जी0ई0सी0-2015) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए नवीन निर्देशों के अन्तर्गत अब यह आंकलन प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर किया जाता है, परन्तु इस वर्ष यह आंकलन भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 31.03.2017 के आँकड़ों के आधार पर किये जा रहे हैं।

ब-1 जनपदीय भूजल रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2016-17 में 75 जनपदों के जनपदीय समग्र भूजल प्रतिवेदन प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2017-18 में मण्डलीय भूजल रिपोर्ट तैयार करके प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपदीय भूजल प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है।

ब-2 भूजल से सम्बन्धित तकनीकी प्रकाशन

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जियोफिजिकल सर्वे आधारित रिपोर्ट, लीथोलॉजिकल डाटा रिपोर्ट, रिमोट सेन्सिंग एवं आइसोटोप से सम्बन्धित अध्ययन कर विभिन्न प्रतिवेदनों को प्रकाशित किया गया। भूजल संसाधनों के विविध आयामों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश के समस्याग्रस्त क्षेत्रों को केन्द्रित करते हुए विभिन्न अध्ययनों के आधार पर भूजल से सम्बन्धित तकनीकी डाक्यूमेन्ट्स तैयार कर प्रकाशित कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

ब-3 हाइड्रोग्राफ स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण

वर्ष 2016-17 में पीजोमीटर के रख-रखाव के अन्तर्गत 250 का रख-रखाव/अनुश्रवण एवं अक्रियाशील हाइड्रोग्राफ स्टेशनों के स्थान पर 100 नये पीजोमीटर के निर्माण का लक्ष्य था। वर्ष 2017-18 में 300 पीजोमीटर के रख-रखाव एवं अक्रियाशील हाइड्रोग्राफ स्टेशनों के स्थान पर 100 नये पीजोमीटर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2018-19 में 300 पीजोमीटर के रख-रखाव एवं अक्रियाशील हाइड्रोग्राफ स्टेशनों के स्थान पर 100 नये पीजोमीटर की स्थापना का कार्य प्रस्तावित है।

ब-4 भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं संरक्षण हेतु जन-जागरण एवं भूजल सप्ताह का आयोजन

प्रदेश में भूगर्भ जल के महत्त्व एवं उस पर आसन्न संकट को देखते हुए इसके संरक्षण, प्रबन्धन, विवेक पूर्ण उपयोग एवं विकास तथा विनियमित दोहन के प्रति जन-मानस को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 16 से 22 जुलाई के मध्य भूजल सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तत्क्रम में वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में प्रदेश में उक्त अवधि में भूजल सप्ताह का आयोजन एक जन-जागरूकता अभियान के रूप मे सम्पन्न किया गया। इसके साथ-साथ प्रचार-प्रसार की सामग्री का प्रकाशन एवं वितरण किया गया।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में 75 जनपदों में ''भूजल सप्ताह'' का आयोजन किया जाएगा। इसके

साथ ही भूजल कार्यशालायें/गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाना प्रस्तावित है।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढ़ीकरण योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्व पक्ष में रु. 6937.00 लाख तथा पूँजीगत पक्ष में रु. 45.00 लाख का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2018-19 में राजस्व पक्ष में रु. 7260.00 लाख एवं पूँजीगत पक्ष में 60.00 लाख का बजट प्रावधान है।

2- शासकीय भवनों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली

प्रदेश के कतिपय विभागों द्वारा अपने संसाधनों से विभागीय भवनों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना की जा रही है, किन्तु पृथक-पृथक ढंग से इस कार्य को किये जाने से इस प्रणाली की स्थापना का कार्य पूर्व निर्मित समस्त शासकीय भवनों में सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। बड़ी संख्या में अभी भी विभिन्न विभागों के पूर्व निर्मित शासकीय भवनों पर प्रणाली की स्थापना होना शेष है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 10 शहरों में आगरा, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), गाजियाबाद, इलाहाबाद एवं वाराणसी में 30000 वर्ग मीटर पर शासकीय भवनों में रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। इसी प्रकार 2018-19 में उक्त 10 शहरों में लगभग 30,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल को आच्छादित करने हेतु यह कार्य प्रस्तावित है।

वर्ष 2017-18 में 2702-राजस्व एवं पूँजीगत पक्ष में रु. 300.00 लाख प्रस्तावित किया गया था, जिसके सापेक्ष 2702-राजस्व पक्ष में रु. 3.00 लाख एवं 4702-पूँजीगत पक्ष में रु. 175.00 लाख बजट का प्रावधान है। वर्ष 2018-19 में 2702-राजस्व पक्ष में रु. 3.50 लाख एवं 4702-पूँजीगत पक्ष में रु. 96.50 लाख, इस प्रकार रु. 100.00 लाख का बजट प्रावधान है।

3- भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग

प्रदेश में भूजल गुणवत्ता की समुचित जानकारी का अभाव है और विभिन्न विभाग अलग-अलग स्तर पर भूजल गुणवत्ता की जाँच कर रहे हैं। अभी तक मुख्य रूप से पेयजल स्रोतों के गुणवत्ता की जाँच हो रही है और सिंचाई नलकूपों के जल नमूनों की गुणवत्ता की जाँच नहीं हो रही है। प्रदेश के अनेक जनपदों में भूजल गुणवत्ता विभिन्न रासायनिक धातुओं से प्रभावित है और ऐसे प्रदूषित भूजल के दुष्प्रभाव जन स्वास्थ्य पर पड़ रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भूजल गुणवत्ता मानीटरिंग स्टेशन चिह्नित किया जाना प्रस्तावित है और इन मानीटरिंग स्टेशनों से भूजल के नमूनें प्राप्त कर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित उच्चकोटि की प्रयोगशालाओं यथा- आई0आई0टी0आर0, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, केन्द्रीय/राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के अधीन प्रयोगशालाएं इत्यादि के माध्यम से विभिन्न रासायनिक पैरामीटर्स की जाँच नियमित रूप से की जायेगी। अन्य उच्चकोटि संस्थानों के साथ ही विभागीय प्रयोगशालाओं को आधुनिक उपकरणों से सृदृढ़ करके विभाग स्तर पर आधुनिक तकनीक से विश्लेषण कार्य को आरम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है।

4- भूजल जनजागरूकता एवं प्रचार-प्रसार योजना

भूजल जनजागरूकता की आवश्यकता को देखते हुए यह योजना सतत् रूप से संचालित की जा रही है। स्कूली छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स, गैर सरकारी संगठनों सहित जनसामान्य को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भूगर्भ जल के आसन्न संकट, बढ़ते भूजल प्रदूषण के प्रति जागरूक करना,

भूजल संरक्षण के महत्त्व के प्रति शिक्षित करने के साथ इस प्राकृतिक सम्पदा को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह योजना प्रस्तावित है, जिसमें जनजागरूकता की विभिन्न गतिविधियों के साथ प्रत्येक जनपद में गठित 'भूजल सेना' के संचालन हेतु तकनीकी प्रचार-प्रसार सामाग्रियों को तैयार कर वितरण करना भी प्रस्तावित है।

5- राज्य भूजल संरक्षण मिशन

विगत वर्षो में जिस तेजी से प्रदेश की भूजल स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उसे देखते हुए सस्टनेवल भूजल प्रबन्धन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से समेकित रूप से नियोजित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस परिकल्पना को मूर्त करने के उद्देश्य से भूजल संसाधनों के समग्र प्रबन्धन एवं संरक्षण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर ''राज्य भूजल संरक्षण मिशन'' योजना स्वीकृत की गई है। राज्य भूजल संरक्षण मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के (113 अतिदोहित, 59 क्रिटिकल, 45 सेमीक्रिटिकल एवं बुन्देलखण्ड तथा विन्ध्य क्षेत्र के शेष 54 सुरक्षित विकास खण्ड) कुल 271विकास खण्डों एवं 22 शहरों में क्षेत्रवार माइक्रो प्लानिंग के आधार पर भूजल संसाधनों के समग्र अध्ययन एवं जल संचयन व प्रबन्धन के विविध उपायों को समेकित रूप से क्रियान्वित किये जाने की योजना है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 25 विकास खण्डों, जिसमें बुन्देलखण्ड के 15 विकास खण्ड, पूर्वी क्षेत्र के 07 विकास खण्ड, पश्चिमी क्षेत्र के 03 विकास खण्डों को राज्य भूजल संरक्षण मिशन योजना में सम्मिलित किया गया है। उक्त 25 विकास खण्डों में समग्र डाटाबेस के विकास हेतु आकड़ों का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं मानचित्रीकरण कार्य, एक्यूफर पैरामीटर्स का आंकलन, यूनिट ड्राफ्ट का आंकलन तथा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करना आदि कार्यों का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2017-18 में मिशन की गतिविधियों में 271 विकास खण्डों का मास्टर प्लान तैयार किया गया। साथ ही उक्त 25 विकास खण्डों की भूजल संरक्षण एवं प्रबन्धन हेतु मॉडल डी0पी0आर0 एवं एक्शेनेवल डी0पी0आर0 (मिशन एक्शन प्लान) तैयार की गई है। साथ ही 04 उन्मुखीकरण कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में 40 विकास खण्डों, जिसमें बुन्देलखण्ड के 32 विकास खण्ड, पूर्वी क्षेत्र के 04 विकास खण्ड तथा पश्चिमी क्षेत्र के 04 विकास खण्डों तथा 03 नगरीय क्षेत्र को मिशन योजना में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 366.50 लाख का बजट प्रावधान है तथा 2018-19 हेतु रु. 391.50 लाख का बजट प्रावधान है।

●

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

प्रदेश की समृद्ध जलवायु, जैव विविधता और प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक उत्पादन प्राप्त होने के कारण बागवानी फसलों की निरन्तर बढ़ती मांग के फलस्वरूप यह प्राथमिकता का क्षेत्र बनता जा रहा है। प्रदेश की जनता को पोषण सुरक्षा प्रदान करने, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन में इस सेक्टर का योगदान महत्त्वपूर्ण है। प्रदेश की अधिकांश जोतें छोटी हैं, जिनके लिए बागवानी फसलें वरदान स्वरूप हैं। बागवानी फसलों के मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण के द्वारा न केवल तुड़ाई उपरान्त होने वाली क्षतियों में कमी आती है अपितु उत्पादक को अपने उत्पादन का अधिक मूल्य प्राप्त होता है। औद्यानिक क्षेत्र बहुआयामी है जिसके अन्तर्गत विविध प्रकार के फल, शाकभाजी, पुष्प, मसाले, औषधीय और सगंध फसलें, पान, मशरूम, मौनपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर सम्मिलित हैं। बागवानी का क्षेत्र कृषि के विविधीकरण के लिए एक सक्षम क्षेत्र के रूप में उभरा है जो उत्पादकता में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार तथा रोजगार सृजन, पर्यावरण संतुलन करने में सहायक होने के साथ ही प्रसंस्करण उद्योगों के स्थापित होने का अवसर उपलब्ध करा सकता है।

प्रदेश की प्रमुख बागवानी फसलों में फलों के अन्तर्गत आम, अमरूद, आंवला, नींबू वर्गीय फल, लीची, केला, कटहल, बेर, बेल, पपीता, खरबूजा, तरबूज, आदि तथा शाकभाजी फसलों के अन्तर्गत आलू, टमाटर, बैंगन, गोभी वर्गीय सब्जियां, सब्जी मटर, परवल, कद्दूवर्गीय सब्जियां, सेम, ग्वार, लोबिया, फ्रेन्चबीन, प्याज, पत्ते वाली सब्जियां आदि, मसाले जैसे- धनिया, मेथी, लहसुन, हल्दी, अदरक आदि, पुष्पीय फसलों में गुलाब, जरबेरा, ग्लैडियोलाई रजनीगंधा, गेंदा आदि, सगंध फसलों में मेंथा, दमिश्क रोज, औषधीय फसलों में तुलसी, एलोवेरा (घृतकुमारी) आदि तथा अनुपूरक औद्यानिकी में मशरूम उत्पादन, शहद उत्पादन एवं पान की खेती आदि के संहत क्षेत्र विद्यमान है।

आलू उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख आलू उत्पादक राज्य है। प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का लगभग 35 से 40 प्रतिशत आलू उत्पादित होता है। अनुमानों के आधार पर वर्ष 2017-18 में प्रदेश में 6.15 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 160 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन सम्भावित है। वर्ष 2018-19 में प्रदेश में 6.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 164 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग प्रदेश में फल, शाकभाजी, आलू, मसाले, पुष्प, सगंध आदि बागवानी फसलों के विकास, फल-सब्जी संरक्षण विधियों के प्रचार-प्रसार के साथ मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, कुकरी, बेकरी, मेंथा, पान तथा मशरूम की खेती हेतु प्रशिक्षण प्रदान कराने के अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं को सुनियोजित ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

औद्यानिक योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य

(1) औद्यानिक फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु उपलब्ध नवीनतम तकनीकी को कृषकों तक पहुँचाना तथा उनको अपनाने हेतु प्रेरित करना।

(2) औद्यानिक फसलों के सघनीकरण एवं फसल-चक्र में परिवर्तन कर उत्पादकों को उनके श्रम एवं कम निवेश पर अधिक लाभ पहुँचाना।

(3) वैज्ञानिक संस्तुतियों के अनुसार आवश्यक निवेशों का सामयिक एवं वैज्ञानिक उपयोग कराना।

(4) औद्यानिक फसलों का उचित मूल्य दिलाने तथा सतत् आपूर्ति हेतु भण्डारण, विधायन एवं विपणन की सुविधाओं का विकास करना, प्राथमिक औद्यानिक सहकारी समितियों का गठन कराकर उन्हें प्रभावी बनाना।

(5) फल एवं सब्जी संरक्षण, कुकरी, बेकरी, खाद्य प्रसंस्करण, मशरूम तथा मौन पालन में अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण देकर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना तथा पान विकास के लिए कार्यक्रम चलाना।

(6) बागवानों की तकनीकी समस्याओं का समाधान ढूँढ़ना तथा प्रायोगिक परिणामों को जन साधारण तक पहुँचाना।

(7) सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कृषकों को नवीनतम् तकनीकी विधाओं में प्रशिक्षण देकर तकनीकी हस्तांतरण को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराना।

(8) क्षेत्र आधारित रणनीति के माध्यम से, जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, विस्तार, फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन शामिल हैं, बागवानी क्षेत्र को सर्वांगीण विकास प्रदान करना।

रणनीति

(1) फल शाकभाजी तथा आलू की खेती में प्रति इकाई क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि।

(2) अधिक मूल्यवान फलों (आम, अमरूद, केला, आंवला, लीची, शरीफा, नींबू प्रजाति आदि) तथा शाकभाजी (टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, भिण्डी, गोभी कुल, लता वाली तथा अन्य प्रमुख सब्जियों) के उत्पादन पर समयबद्ध कार्यक्रमों द्वारा विशेष बल।

(3) बागवानी विकास के लिए चल रहे विभिन्न योजनाबद्ध कार्यक्रमों को आपस में सहक्रियाशील रूप से सहयोगी बनाना।

(4) निर्यात योग्य फलों, पुष्पों, मसाले तथा शाकभाजी का संहत क्षेत्रों में विकास। इस हेतु विशिष्ट फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रों को चयनित कर उनके विकास की सुविधायें उपलब्ध कराना।

(5) उन्नत, शुद्ध तथा रोगमुक्त फलदार पौधे, उन्नतशील एवं प्रमाणित शाकभाजी बीज, आधारीय एवं प्रमाणित आलू बीज के उत्पादन में वृद्धि तथा इसमें कृषकों एवं बागवानों को भागीदार बनाना।

(6) प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में इस कोटि के कृषकों एवं लघु-सीमान्त कृषकों के खेतों में फल, शाकभाजी एवं पुष्प विकास को बढ़ावा देकर उनकी आय में वृद्धि कराना।

(7) जल संचयन एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादन की दृष्टि से ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को अधिक ग्राह्य बनाना।

(8) औद्यानिक फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषकों तथा बागवानों को क्षेत्र स्तर पर नवीनतम विकसित तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।

(9) फल एवं सब्जी का संरक्षण, मशरूम एवं पान उत्पादन, मौनपालन, कुकरी व बेकरी में प्रशिक्षण देकर कुटीर उद्योगों के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में वृद्धि कराना।

(10) कृषि का अधिक आय देने वाली औद्यानिक फसलों में विविधीकरण कर आय एवं रोजगार में वृद्धि कराना।

(11) पुराने, अल्प उत्पादक तथा अनुत्पादक बागों का जीर्णोद्धार कराना।

(12) फसल तुड़ाई के उपरान्त हो रही क्षति को कम किये जाने हेतु तकनीकी हस्तान्तरण का कार्य।

(13) संरक्षित खेती, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तथा एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन प्रणाली के व्यापक रूप से ग्राह्यता बढ़ाने के कार्यक्रम नियोजित कराना जिससे पर्यावरण, मृदा एवं उत्पादक की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार हो सके।

(14) औद्यानिक फसलों के विपणन हेतु सहकारिता के सिद्धान्त पर प्राथमिक औद्यानिक विपणन सहकारी समितियों का गठन कर उन्हें क्रियाशील बनाना।

कृषकों को प्रदत्त सुविधाओं का विवरण

(1) बागवानी फसलों- फल, शाकभाजी, मसाले, आलू एवं अलंकृत बागवानी के लिए उन्नत रोग रहित प्रमाणित रोपण सामग्री- पौध, बीज आदि लाभ-हानि रहित मूल्य पर औद्यानिक उत्पादकों को उपलब्ध कराना।

(2) सघन फल विशेष के क्षेत्रों में फल-पट्टी (आम, अमरूद, आंवला) की घोषणा एवं उनका सर्वांगीण विकास।

(3) औद्यानिक फसलों की खेती, बागों के रेखांकन, कीट-व्याधि के बचाव सम्बन्धी नवीनतम् तकनीक को स्थल विशेष पर उपलब्ध करा कर सहयोग देना।

(4) मौन पालन, मशरूम की खेती तथा पान की खेती हेतु प्रशिक्षण एवं अनुदान की सुविधा।

(5) विभाग के अधीन राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों पर फल-सब्जी संरक्षण कार्य के साथ ही विभिन्न अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं ग्रामीण शिविरों का आयोजन करना।

(6) राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों पर फल संरक्षण, कुकरी व बेकरी, कन्फेक्शनरी आदि के अल्प-कालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण की सुविधा।

(7) औद्यानिक फसलों की खेती हेतु प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान की सुविधा।

(8) प्राथमिक औद्यानिक विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से उ.प्र. राज्य औद्यानिक विपणन संघ (हॉफेड) के द्वारा श्रेणीकरण, संग्रहण, विपणन आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(9) लाभार्थी कृषकों के लिए नवीनतम उत्पादन तकनीकों, पुराने बागों के जीर्णोद्धार, फसल तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन एवं विपणन पर स्थानीय रूप से तथा औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम आयोजित कराना।

(10) विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चयनित औद्यानिक फसलों के विकास के कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान की सुविधा।

(11) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु अनुदान/राज्य सहायता की सुविधा।

पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र-महोबा

पान एक बहुवर्षीय बेल है। भारत के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों में यथा- थाइलैण्ड, फिलीपीन्स एवं इण्डोनेशिया में पान एक महत्त्वपूर्ण व्यवसायिक फसल है। भारत वर्ष में लगभग 40 हजार हेक्टेयर भूमि में पान की व्यवसायिक खेती की जाती है। यह फसल कृषि एवं व्यापार से जुड़े लोगों के जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन है।

भारत में पान मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसकी खेती लगभग ढाई हजार हेक्टेयर में की जाती है। उत्तर प्रदेश के 24 जनपदों में इसकी व्यवसायिक खेती की जाती है। जिसमें मुख्य रूप से महोबा, ललितपुर, बांदा, इलाहाबाद, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर देहात, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़ एवं बाराबंकी प्रमुख हैं।

पान की प्रमुख प्रजातियाँ

1. महोबा देशावरी, 2. कलकतिया, 3. कपूरी, 4. बंगला, 5. सागर बंगला, 6. सांची, 7. नोवाकटक, 8. आयुर्वेदिक बंगला, 9. पन्ना बंगला, 10. ककेर, 11. पाली देशी, 12. कपूरी मीठा, 13. सौंफिया, 14. जैसवारी।

संचालित पौध कार्यक्रम

1. पान की विभिन्न प्रजातियों का संकलन : इस प्रयोग में पान की 14 प्रजातियों का संकलन किया गया है, जिसमें महोबा देशी, कपूरी, बंगला एवं कलकतिया प्रचलित प्रजातियां हैं, जिसकी खेती प्रदेश के कृषकों द्वारा की जा रही है।

2. पान में लगने वाली प्रमुख बीमारी फ्रूट राट एवं लीफ राट का प्रबन्धन : यह पान का प्रमुख फफूंदी से लगने वाला भूमिजनित रोग है, इसके प्रबन्धन के अभाव में 80 से 90 प्रतिशत फसल नष्ट हो जाती है। इसके प्रबन्धन हेतु विभिन्न दवाओं का प्रयोग किया गया, जिसमें बोर्डो मिश्रण 1 प्रतिशत, कॉपर आक्सी क्लोराइड 0.5 प्रतिशत का प्रयोग रोग के प्रबन्धन में प्रभावी पाया गया है, जिसे कृषक अपनाकर उक्त रोग की रोकथाम सफलतापूर्वक कर निरोग एवं स्वस्थ पान का उत्पादन कर रहे हैं।

3. जीवाणु जनित बैक्टीरियल ब्लाइट एवं ब्लैक स्पॉट का प्रबन्धन : यह बैक्टीरिया जनित रोग है जो पान के पत्तों एवं तनों में लगता है, जिससे फसल के उत्पादन में लगभग 60 से 65 प्रतिशत की क्षति होती है। केन्द्र में उक्त रोग की रोकथाम हेतु विभिन्न दवाओं का प्रयोग किया गया, जिसमें रोग के सफल प्रबन्धन हेतु स्ट्रैप्टोसाइक्लीन 200 पी0पी0एम0 का छिड़काव वर्षा ऋृतु में प्रभावी पाया गया, जिसे कृषकों को संस्तुत किया गया है जिसे अपनाकर कृषक निरोग पान उत्पादित कर रहे हैं।

4. पान की मकड़ी का प्रबन्धन : पान की फसल में लगने वाला यह प्रमुख कीट है, जिसका प्रकोप

अक्टूबर से जनवरी माह तक होता है। इसके प्रकोप के कारण पत्तों का रंग लाल एवं पत्तों में गन्धक की कमी हो जाती है, इसे पान कृषक 'रंगा' रोग के नाम से पहचानते हैं। उक्त रोग के प्रबन्धन हेतु केन्द्र में विभिन्न दवाओं के परीक्षण किये गये, जिसमें डाइकोफॉल 0.2 प्रतिशत का छिड़काव एवं 3 ग्राम घुलनशील गन्धक प्रति ली0 का छिड़काव प्रभावी पाया गया, जिसके प्रयोग से उक्त कीट/रंगा रोग का प्रबन्धन सरलता से हो जाता है एवं कृषक स्वस्थ पान उत्पादन करने में सफल होते हैं।

5. औषधीय एवं सगन्ध पौधों का संकलन : इसके अन्तर्गत केन्द्र में सतावर, एलोवेरा, अश्वगंधा, तुलसी, नींबू घास सर्पगन्धा, हरजोड़, गिलोय, पीपली, अडूसा आदि का संकलन किया गया है, जिसे प्रशिक्षण के दौरान कृषकों को जागरूक करने हेतु प्रदर्शन कर, उत्पादन हेतु प्रेरित किया जाता है। जनपद महोबा में वर्तमान में तुलसी, एलोवेरा एवं सतावर की खेती में कृषक रुचि ले रहे हैं।

6. जैविक दवाओं का निर्माण एवं प्रयोग : इसके अन्तर्गत विभिन्न वनस्पतियों (नीम, अण्डी, शरीफा, करन्ज, पपीता, तम्बाकू आदि) गौमूत्र, गोबर को मिलाकर ब्रह्मास्त्र, अग्निशस्त्र, नीमास्त्र, मटका खाद एवं दसपर्णी अर्क तरल दवायें/खाद का निर्माण केन्द्र में कराकर इसका प्रयोग पान, फलदार पौधों, शोभाकार पौधों के अच्छे उत्पादन एवं इनमें लगने वाले रोग/कीट के प्रबन्धन में किया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। केन्द्र में प्रशिक्षण के दौरान कृषकों को भ्रमण कराकर उक्त की जानकारी देकर प्रेरित किया जा रहा है जिसे कृषक अपनाकर प्रयोग कर रहे हैं।

7. सर्वेक्षण कार्य : इसके अन्तर्गत महोबा में स्थित पान बरेजों का स्थलीय सर्वेक्षण कर बरेजों/भीट में व्याप्त समस्याओं जैसे- रोग/कीट, पोषण आदि के सम्बन्ध में मौके पर ही कृषक को निदान के उपाय बताये जाते हैं। अब तक 475 कृषकों से सम्पर्क कर जानकारी प्रदान की गयी है।

आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आलू उत्पादकों को उच्चकोटि के रोग रहित आलू बीज उपलब्ध करा कर प्रदेश में आलू उत्पादन तथा उत्पादकता में अभिवृद्धि कराना है। उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। विभाग द्वारा भारत सरकार के केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला (हि.प्र.) से ब्रीडर आलू बीज प्राप्त करके उसका संवर्धन चयनित राजकीय प्रक्षेत्रों पर आधारित प्रथम एवं आधारित द्वितीय श्रेणी में कराया जाता है। इस प्रकार उत्पादित आलू बीज का वितरण आलू उत्पादकों में जनपदीय उद्यान अधिकारियों के माध्यम से कराया जाता है।

प्रदेश के आलू उत्पादकों में गुणवत्तायुक्त आलू बीज का वितरण करने हेतु विभागीय प्रक्षेत्रों पर उत्पादित आलू बीज जनपदीय उद्यान अधिकारियों के माध्यम से वितरित कराया जाता है।

प्रदेश में स्थित शीतगृहों पर प्रभावी नियंत्रण एवं उनके सफलतापूर्वक संचालन तथा कृषकों के हितों की रक्षा हेतु उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 लागू है। जिसके अनुसार समस्त शीतगृहों का संचालन एवं नियंत्रण किया जाता है। प्रदेश में आलू भण्डारण के लिये कुल कार्यरत 1708 शीतगृह हैं, जिनकी कुल भण्डारण क्षमता लगभग 130.26 लाख मीट्रिक टन है। वर्तमान में शीतगृहों की कुल भण्डारण क्षमता कुल आलू उत्पादन का लगभग 84 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में आलू भण्डारण क्षमता की कोई समस्या नहीं है।

शाकभाजी एवं मसाला विकास

कृषकों को उचित मूल्य पर आधारीय प्रमाणित/सत्यबीज (ट्रुथफुल लेवल) उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय राजकीय प्रक्षेत्रों/औद्यानिक इकाइयों पर रबी, खरीफ एवं जायद मौसम की विभिन्न प्रजातियों के शाकभाजी बीजों के सम्वर्धन का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है। विगत वर्षों में राजकीय प्रक्षेत्रों पर उत्पादन कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है :

मौसमवार शाकभाजी बीज सम्वर्धन कार्यक्रम

(क्षेत्रफल-हे0 में, उत्पादन-कुन्टल में)

वर्ष	रबी		खरीफ		जायद		कुल योग	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
2013-14	131.13	1355.00	3.80	14.52	47.00	188.00	181.93	1557.52
2014-15	126.35	1150.00	3.00	15.00	38.00	93.09	167.35	1258.09
2015-16	108.00	1150.00	10.25	34.00	52.75	126.50	171.00	1310.50
2016-17	103.00	427.00	08.00	15.43	63.50	105.00	174.50	577.43
2017-18 (सम्भावित)	100.00	1200.00 (सम्भावित)	14.03	64.00	67.00	257.00 (सम्भावित)	181.03	1521.00
2018-19 (प्रस्तावित)	100.00	1150.00	14.00	64.00	68.00	257.00	182.00	1481.00

लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों हेतु संकर शाकभाजी का उत्पादन एवं प्रबन्धन की योजना

उत्तर प्रदेश की जलवायु, जैव विविधता एवं कृषि जलवायु की परिस्थितियाँ विभिन्न प्रकार के औद्यानिक फसलों के उत्पादन हेतु सर्वथा उपयुक्त है। प्रदेश में औद्यानिक फसलों यथा- फल, शाकभाजी, मसालें, पुष्प, आलू, औषधीय एवं सगंध पौधे आदि के व्यापक क्षेत्र हैं। इन फसलों का प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आय प्राप्त करने, पोषण सुरक्षा प्रदान करने तथा आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन में विशेष महत्त्व है। प्रदेश में 90 प्रतिशत से अधिक लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषक हैं। इन कृषकों के लिए खरीफ, रबी एवं जायद मौसम में शाकभाजी की फसल सघनता में वृद्धि कर, अधिक उत्पादन प्राप्त कर इकाई क्षेत्र से अधिक आय प्राप्त करने में लाभकारी है। अतः लघु एवं सीमान्त कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु योजना प्रस्तावित की गयी है। योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रु0 2500.00 लाख (रुपये पच्चीस करोड़) की व्यवस्था की गई है।

योजना का उद्देश्य

(1) अल्प अवधि में शाकभाजी उत्पादन से प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आमदनी प्राप्त करना।

(2) शाकभाजी फसलों से खरीफ, रबी एवं जायद मौसम में फसल सघनता वृद्धि।

(3) छोटी जोत के लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों के लिए बहुपयोगी व्यवस्था।

(4) शाकभाजी उत्पादन में वृद्धि, पोषण स्तर में सुधार तथा लघु सीमान्त कृषकों के लिए छोटी जोत से निरन्तर आय सृजन।

आच्छादित जनपद - प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा।

अनुमन्य क्षेत्रफल - योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों को न्यूनतम 0.1 हे. से अधिकतम 2.0 हे. सीमा के अन्तर्गत अनुदान अनुमन्य होगा।

अनुदान पैटर्न - मिशन फॉर इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ हार्टीकल्चर की आपरेशनल गाइड-लाइन में संकर शाकभाजी उत्पादन की इकाई लागत प्रति हे. धनराशि रु0 50000 निर्धारित है। इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रु0 20000 प्रति हे. संकर टमाटर, संकर पातगोभी, संकर कुकरबिट्स, संकर भिण्डी, संकर फूलगोभी एवं संकर बैगन पर अनुदान अनुमन्य है।

फल पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा दिये जाने की योजना

प्रदेश की भूमि एवं जलवायु फलदार पौधों के लिए उपयुक्त है। प्रदेश के कतिपय जनपदों के क्षेत्र विशेष उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त हैं। इन क्षेत्रों में फल विशेष के गुणवत्तायुक्त उत्पादन तथा क्षेत्र विस्तार को प्रोत्साहित करने हेतु फल पट्टी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रदेश में 3 फलों- आम, अमरूद एवं आंवला के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा फल पट्टी घोषित की गयी है। आम फलपट्टी के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या तथा बाराबंकी के 31 विकास खण्ड आच्छादित हैं। अमरूद फलपट्टी हेतु जनपद कौशाम्बी एवं बदायूँ के 06 विकास खण्ड लिये गये हैं तथा आंवला फलपट्टी के अन्तर्गत प्रतापगढ़ के 2 विकास खण्ड अंगीकृत किये गये हैं। फल विशेष के गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं क्षेत्र विस्तार हेतु फल पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा देने हेतु योजना का प्रारम्भ वर्ष 2017-18 से किया गया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रु. 50.00 लाख की व्यवस्था की गई है।

योजना के उद्देश्य

(1) संहत क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त फल उत्पादन तथा क्षेत्र विस्तार करना।

(2) पुराने अल्प उत्पादक बागों का जीर्णोद्धार एवं कैनोपी प्रबन्धन।

(3) विपणन/भण्डारण की सुगमता हेतु प्लास्टिक क्रेट्स का वितरण।

(4) आम की तुड़ाई से क्षति को बचाने हेतु मैंगो हार्वेस्टर को उपलब्ध कराना।

(5) फलों के भण्डारण/ग्रेडिंग हेतु आनफार्म पैक हाउस निर्माण कराना।

(6) कीट/व्याधि रसायनों से होने वाले प्रदूषण/हानियों से सुरक्षा हेतु आई0पी0एम0/आई0एन0एम0/ पैकेज को प्रोत्साहित करना।

(7) कीट नाशक रसायनों के छिड़काव हेतु पावर स्प्रेयर का वितरण।

(8) फलोत्पादन की तकनीकों एवं तुड़ाई के उपरान्त क्षतियों को कम करने आदि के सम्बन्ध में कृषकों/ बागवानों को प्रशिक्षित करना।

(9) योजना के प्रचार-प्रसार हेतु गोष्ठियों का आयोजन करना।

आच्छादित जनपद - प्रदेश के 15 जनपदों में योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा।

औषधीय जड़ी-बूटियों के विकास हेतु हर्बल गार्डेन की योजना

इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 2002-2003 में हुआ जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय हो रही महत्त्वपूर्ण औषधीय जड़ी बूटियों की खेती को बढ़ावा देना, उनको संरक्षित करना व उनके बीज/पौध रोपण सामग्री का उत्पादन करना है ताकि महत्त्वपूर्ण औषधीय फसलों को संरक्षित किया जा सके और उनकी खेती में वृद्धि हो सके। दसवीं पंचवर्षीय योजनाकाल समाप्त हो जाने के पश्चात् यह योजना जिला एवं मण्डलीय कार्यालय की योजना में स्थानान्तरित हो गयी है। यह योजना वर्ष 2010-11 से प्रदेश के 18 जिलों बाराबंकी, मथुरा, सोनभद्र, हरदोई, पीलीभीत, हमीरपुर, बलरामपुर, गाजीपुर, बहराइच, बस्ती, मुजफ्फरनगर, महराजगंज, बलिया, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, झाँसी एवं अयोध्या जनपदों में चलाई जा रही है। इस योजना में सतावर तथा सर्पगन्धा के क्षेत्र विस्तार के अन्तर्गत 0.2 हे. क्षेत्रफल की इकाई पर फसल प्रदर्शन हेतु अनुदान क्रमशः रु. 2500/- एवं रु. 6250/- प्रति प्रदर्शन निवेश के रूप में लाभार्थी कृषकों को दिया जाता है।

पर्यावरणीय उद्यान/पार्क की स्थापना

पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने के उद्देश्य से उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना कराये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई।

लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद कन्नौज एवं इटावा में की गई। वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद गाजीपुर में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका लोकार्पण वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद जौनपुर में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना की गई जो वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनोपयोग में लाया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 के निमित्त धनराशि रु. 205.06 लाख का प्रावधान कराया गया था, जिसमें रु. 55.06 लाख का पूर्व में स्थापित हो चुके लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्कों के रख-रखाव तथा एक नये लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना करने के लिये धनराशि रु. 150.00 लाख का प्रावधान है। आलोच्य वर्ष 2017-18 में प्राविधानित एक नये पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना जनपद गोरखपुर में किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कृषकों हेतु औद्यानिक विकास

औद्यानिक फसलों के उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु औद्यानिक विकास (राज्य सेक्टर) योजना प्रदेश के सभी जनपदों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक प्रक्षेत्रों पर शाकभाजी, पुष्प, मसालों की खेती, मौनपालन तथा एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन (आई0पी0एम0) आदि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को कार्यक्रमानुसार लागत का 75 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सहायता/अनुदान डी0बी0डी0 के माध्यम से अनुमन्य है।

बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास की योजना

बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्रों का विकास करने, पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने, माइक्रो क्लाइमेट में सुधार करने तथा भूमिगत जल में वृद्धि करने के साथ-साथ कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने

के उद्देश्य से अधिकाधिक संख्या में कम अवधि में फल देने वाले उद्यानों का रोपण कराया जाना सर्वथा अनुकूल विकल्प है।

उक्त के दृष्टिगत कृषकों एवं बागवानों द्वारा उनके क्षेत्र/जनपद की भूमि, जल संसाधन एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार अपनी इच्छानुसार फलों का चयन करके उनके द्वारा स्वयं नवीन उद्यानों का रोपण किये जाने को प्रोत्साहित किये जाने की कार्ययोजना तैयार की गयी है। योजनान्तर्गत कृषकों द्वारा उनके स्वयं के द्वारा रोपित उद्यानों के रख-रखाव के फलस्वरूप पौधों की जीवितता सुनिश्चित किये जाने पर प्रति माह निर्धारित धनराशि अनुदान/प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध करायी जाती है। योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नवत हैं :

योजना अवधि : वर्ष 2015-16 से लागू।

देय अनुदान : योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों द्वारा रोपित कराये गये नवीन उद्यानों में पौधों की जीवितता मानक के अनुसार पाये जाने की स्थिति में अधिकतम रु. 3000 प्रति माह प्रति हे. की दर से 36 माह (बाग के फलत में आने की स्थिति) तक लाभार्थी कृषक को अनुदान प्रदान किया जायेगा।

- नवीन उद्यान रोपण हेतु प्रति कृषक 0.2 हे. से 1.0 हे. क्षेत्रफल तक की अनुमन्यता।
- फल उद्यानों के सम्बन्ध में कृषकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुविधा प्रदान किया जाना।
- मण्डल : झाँसी, चित्रकूटधाम एवं मिर्जापुर।
- जनपद : झाँसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं भदोही।
- क्षेत्र विस्तार हेतु चयनित ब्लाकों की संख्या : 59 ब्लाक।
- क्षेत्र विस्तार हेतु चयनित औद्यानिक फसलें : अमरूद, कागजी नींबू, मौसमी, आंवला, अनार, बेल, बेर, आम।
- नवीन उद्यान रोपण का अनुमानित लक्ष्य : 3615 हे.।
- फलत से पूर्व आय हेतु बागों के भीतर शाकभाजी एवं मसालों की इन्टरक्रापिंग : 3615 हे.।
- इन्टरक्रापिंग से आय : अनुमानित रु. 40000 से 60000 तक प्रति वर्ष।
- बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में व्यवसायिक फलों अमरूद, आम, आंवला, नींबू वर्गीय फल, बेर, बेल एवं अनार के अनुमानित 3615 हे. में नवीन उद्यानों की स्थापना से लगभग 4,00,000 पौधों का रोपण।
- जैविक प्रमाणीकरण के लिए लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना।
- बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के वातावरण में हरित क्षेत्र को विकसित किया जाना।
- बेराजगार युवाओं को कृषि/औद्यानिकी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- पारम्परिक रूप से अपनायी जा रही खेती को अधिक उत्पादन वाले औद्यानिक फसलों में परिवर्तन से कृषकों की आय में वृद्धि।
- लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों के जीवन स्तर में सुधार।

- योजना के पाँचवें वर्ष में विभिन्न फसलों में इन्टरक्रापिंग एवं मुख्य फसल से प्रतिवर्ष अधिक आय प्राप्त कराना।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

पूर्व में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2005-06 से प्रथम चरण में प्रदेश के 26 जनपदों में प्रारम्भ हुआ। प्रदेश में राज्य औद्यानिक मिशन समिति का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1860, संख्या-21 के अधीन दिनांक 07-09-2005 को किया गया तथा जनपदों में उक्त अधिनियम के अंतर्गत जिला औद्यानिक मिशन समिति का पंजीकरण किया गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में प्रदेश के 14 जनपदों तथा वर्ष 2009-10 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 5 जनपदों यथा- ललितपुर, महोबा, जालौन, हमीरपुर एवं चित्रकूट में योजना को विस्तारित करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। वित्तीय वर्ष 2009-10 से यह योजना निम्नानुसार प्रदेश के चयनित 45 जनपदों में संचालित की जा रही है।

वर्तमान में यह योजना वर्ष 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के रूप में संचालित है। योजना से आच्छादित 45 जनपदों का विवरण निम्नवत् है :

सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, बलिया, कुशीनगर, महराजगंज, सन्तकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, एवं फर्रूखाबाद (प्रथम चरण के 26 चयनित जनपद) सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर, हाथरस, कानपुर नगर, अयोध्या, झाँसी, बरेली, मुरादाबाद, सीतापुर, बाँदा, बाराबंकी, बुलन्दशहर एवं मुजफ्फरनगर (द्वितीय चरण के 14 चयनित जनपद) महोबा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट एवं ललितपुर (तृतीय चरण के 05 चयनित जनपद)।

उद्देश्य

(क) प्रत्येक राज्य/क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ और उसके भिन्न कृषि-जलवायु विशेषताओं के अनुरूप क्षेत्र आधारित भिन्न कार्य नीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना, जिसमें अनुसंधान, तकनीकी संवर्धन, विस्तार, कटाई-पश्चात प्रबन्धन, प्रसंस्करण एवं विपणन शामिल हैं।

(ख) बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना, पोषण सुरक्षा और कृषि परिवारों को आय समर्थन प्रदान करना।

(ग) बागवानी विकास हेतु जारी तथा योजना कार्यक्रमों के मध्य अभिसारण तथा समन्वय स्थापित करना।

(घ) परम्परागत विवेक और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के सीमा-रहित मिश्रण से बागवानी विकास हेतु तकनीकियों को बढ़ावा देना, विकसित करना तथा उनका प्रसार करना।

(ङ) कुशल तथा अकुशल व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन अवसरों को उत्पन्न करना।

औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत आच्छादित फसलें

फलदार - आम, आंवला, अमरूद तथा केला।

पुष्प - ग्लैडियोलस, गेंदा, रजनीगंधा, गुलाब, जरबेरा आदि।

मसाले - हल्दी, मिर्च, लहसुन व प्याज।

प्रमुख कार्यक्रम

1. उत्कृष्ट पौधरोपण सामग्री का उत्पादन।
2. आलू एवं शाकभाजी बीज उत्पादन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास।
3. अलंकृत/शोभाकार, मसाले एवं सगन्ध पौधों का विकास।
4. आम, अमरूद, लीची, बेर, नींबू वर्गीय फल, केला तथा पपीता को क्षेत्र विस्तार व पुराने रोपित बागों का रख-रखाव।
5. पुराने अनुत्पादक आम, अमरूद, आंवला उद्यानों का जीर्णोद्धार एवं छत्र प्रबन्धन (कैनोपी मैनेजमेंट)।
6. संरक्षित खेती हेतु ग्रीन हाउस, शेड नेड, मल्चिंग आदि की स्थापना को प्रोत्साहन।
7. जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण।
8. मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन।
9. फल, शाकभाजी उत्पादन हेतु आई0पी0एम0 को प्रोत्साहन, बायो कन्ट्रोल लैब, डिज़ीज फोरकास्टिंग इकाई, प्लान्ट हेल्थ कलीनिक, लीफ टिश्यू एनालिसिस लैब की स्थापना।
10. मानव संसाधन विकास एवं कौशल अभिवृद्धि हेतु विभिन्न अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा अन्य प्रदेशों में बागवानी विकास को देखने हेतु भ्रमण कार्यक्रम।
11. मशरूम इकाइयों की स्थापना तथा स्पॉन उत्पादन को प्रोत्साहन।
12 बागवानी में मशीनीकरण का उपयोग।
13. **तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन-** पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज यूनिट, रेफ्रीजेरैटेड वैन, प्याज भण्डारगृह, राइपेनिंग चैम्बर, मिनीमल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रो इरीगेशन)

प्रदेश में माइक्रो इरीगेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंगलर सिंचाई को प्रोत्साहित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू है जिसके उपघटक ''पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रो इरीगेशन'' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश नोडल एजेन्सी नामित है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश इस योजना के एक उपघटक ''पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रो इरीगेशन'' का क्रियान्वयन विभाग है।

कार्यक्रम के मुख्य घटक : (अ) टपक (ड्रिप) सिंचाई, (ब) स्प्रिंकलर सिंचाई, (स) प्रशिक्षण।

कार्य क्षेत्र : योजना का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद हैं जिसमें प्राथमिकता पर प्रदेश के चिह्नित अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमीक्रिटिकल एवं लघु सिंचाई विभाग के अदर इण्टरवेन्शन्स के क्लस्टर्स को केन्द्रित करते हुए क्रियान्वित किया जा रहा है।

अनुदान पैटर्न : भारत सरकार के मार्ग निर्देश 2017 के अनुसार निर्धारित इकाई लागत पर केन्द्रांश एवं राज्यांश सम्मिलित कर लघु सीमांत कृषकों को कुल 55 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को कुल 45

प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। इकाई लागत के सापेक्ष अनुदान के अतिरिक्त शेष 45 से 55 प्रतिशत धनराशि कृषकों द्वारा स्वयं वहन करना पड़ता है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का कार्य अधिक लागत जन्य होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त राज्यांश अनुदान (टॉप-अप) दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। निर्धारित केन्द्रांश, अनिवार्य राज्यांश तथा अतिरिक्त राज्यांश अनुदान निम्नवत है :

लाभार्थी श्रेणी	केन्द्रांश (60%)	अनिवार्य राज्यांश (40%)	अतिरिक्त राज्यांश (टॉप-अप)	कुल राज्यांश (3+4)	कृषकों को उपलब्ध कुल अनुदान प्रति.	लाभार्थी अंश
लघु एवं सीमांत कृषक	33	22	35	57	90	10
अन्य कृषक	27	18	35	53	80	20

पात्रता

- व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 5 हे. की सीमा तक अनुदान देय होगा, जिसके लिए लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिये।
- योजना का लाभ सरकारी समितियों के सदस्यों, सेल्फ हेल्प ग्रुप इन कार्पोरेटेड कम्पनीज, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, ट्रस्ट्स, उत्पादक कृषकों के समूह के सदस्यों को भी अनुमन्य।
- ऐसे लाभार्थियों/संस्थाओं को भी योजना का लाभ अनुमन्य होगा जो संविदा खेती (कान्ट्रेक्ट फार्मिंग) अथवा न्यूनतम 07 वर्ष के लीज एग्रीमेन्ट की भूमि पर बागवानी/खेती करते हैं।
- सिंचाई के लिए लाभार्थी के पास पानी का स्रोत उपलब्ध हो।
- लाभार्थी कृषक अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के स्रोत से अथवा ऋण प्राप्त कर वहन करने हेतु सक्षम व सहमत हो।
- एक लाभार्थी कृषक/संस्था को उसी भू-भाग पर दूसरी बार 07 वर्ष के पश्चात ही योजना का लाभ अनुमन्य होगा।

उपलब्धियाँ एवं प्रस्तावित कार्यक्रम

माइक्रो इरीगेशन के अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को ग्राह्य बनाये जाने हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय क्रियान्वयन समिति (डी0एल0आई0), प्रदेश स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में अन्तर्विभागीय कार्यकारी दल (आई0डी0डब्ल्यू0जी0) तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0सी0) का गठन नोडल विभाग (कृषि विभाग) द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार योजना का सतत् अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।

राज्य में मधुमक्खी पालन की योजना

मधुमक्खी पालन या मौनपालन एक अत्यन्त लाभप्रद व्यवसाय है। मधुमक्खी पौष्टिक खाद्य पदार्थ

शहद का उत्पादन करती हैं। मधुमक्खियाँ मधु के अलावा मोम, प्रोपोलिस, रायल जेली तथा डंक विष प्रदान करती हैं एवं सभी औद्यानिक फसलों में पर-परागण कर पैदावार बढ़ाने में सबसे अधिक भूमिका निभाती हैं। पर-परागण प्रक्रिया के बाद फसलों का वजन बढ़ता है एवं पौष्टिकता अपेक्षाकृत अच्छी होती है। प्रदेश के कृषकों एवं बागवानों को मौनपालन व्यावसायिक रूप से अपनाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मौनपालन प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश में निम्नांकित मौनपालन केन्द्र एवं उपकेन्द्र संचालित हैं :

(क) केन्द्र - 1. प्रयागराज, 2. सहारनपुर, 3. बस्ती, 4. मुरादाबाद।

(ख) उपकेन्द्र - 1. लखनऊ, 2. प्रयागराज, 3. गोरखपुर, 4. आगरा, 5. बरेली, 6. वाराणसी, 7. सुल्तानपुर, 8. गाजीपुर, 9. जौनपुर, 10. अयोध्या, 11. कानपुर नगर, 12. आजमगढ़।

राजकीय मौनपालन प्रशिक्षण केन्द्रों पर वर्ष में एक दीर्घकालीन प्रशिक्षण सत्र तीन माह का (16 सितम्बर से 15 दिसम्बर तक) तथा तीन अल्पकालीन डेढ़-डेढ़ माह के (16 दिसम्बर से 31 जनवरी तक, 1 फरवरी से 15 मार्च तक, 2 अप्रैल से 16 मई तक) प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मौनपालन केन्द्रों/उपकेन्द्रों पर 6 दिवसीय आकस्मिक ज्ञानार्जन शिविरों का आयोजन करके मौनपालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी केन्द्रों/उपकेन्द्रों पर राजकीय मधु उत्पादन के साथ उन्नतिशील मौनवंशों का संवर्धन किया जाता है। केन्द्रों/उपकेन्द्रों पर तैनात तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को मौनपालन अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है तथा व्यक्तिगत मौनपालकों के मौनवंशों की देखरेख एवं तकनीकी मार्ग-निर्देश विभागीय कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा कैटरिंग संस्थानों में समुचित प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को खाद्य विज्ञान सम्बंधी विधाओं में प्रशिक्षण देकर दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। प्रदेश में होटल उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा शिक्षित बेरोजगारों को खाद्य पदार्थों के विभिन्न प्रसंस्करण विधाओं में प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रदेश के 10 महानगरों वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, कानपुर नगर, फैजाबाद, आगरा, बरेली तथा मुरादाबाद में एक-एक राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं। इन राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों पर खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी एवं कन्फेक्शनरी तथा पाककला पाठ्यक्रम में एक वर्षीय रोजगारपरक ट्रेड डिप्लोमा एवं एक मासीय अल्पकालीन बेकरी एवं कन्फेक्शनरी, पाक कला के सम्मिलित पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

फूड एक्सपो, मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन करने सम्बन्धी योजना

इस योजना के अन्तर्गत एग्री एक्सपो, फूड एक्सपो, फूड एण्ड टेक्नोलॉजी एक्सपो, विभिन्न मेले एवं प्रदर्शनियों में खाद्य प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग से सम्बन्धित आयोजनों में सहभागिता तथा इनमें उत्तर प्रदेश के उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा प्रदेश के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को प्रचारित करने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजनान्तर्गत रु. 41.00 लाख की धनराशि उपलब्ध है। वर्ष 2018-19

में योजनान्तर्गत रु. 10.00 लाख की धनराशि व्यवस्थित है।

खाद्य प्रसंस्करण शाखा में संचालित योजनाएं

खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण की योजना

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमिता विकास की असीम सम्भावनायें हैं। अतः इस क्षेत्र में बेरोजगार नवयुवक-युवतियों को खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु प्रेरित करना प्राथमिकता का क्षेत्र है ताकि उन्हें आय का स्रोत सुलभ हो सके। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से जन सामान्य को स्वरोजगार उपलब्ध कराने, पोस्ट हार्वेस्ट क्षतियों को कम करने तथा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं कृषि और औद्यानिक उत्पादों के नष्ट होने से बचाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की जा सकती है।

ढाबा/फास्ट फूड/रेस्टोरेन्ट प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार सृजन की योजना

वर्तमान समय में जनसंख्या की बढ़ती आबादी की मांग के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खान-पान में कम समय में पौष्टिकतायुक्त अल्पाहार/भोजन की बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में अल्पकालीन साप्ताहिक प्रशिक्षण देकर छोटी खाद्य प्रसंस्करण एवं ढाबा, फास्टफूड आदि की स्थापना की जा सकती है। अतः पोषणयुक्त विभिन्न व्यंजनों की व्यवहारिक एवं प्रशिक्षण जानकारी युवाओं एवं महिलाओं को उपलब्ध कराना नितान्त आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रों हेतु रु. 25.00 लाख की धनराशि आवंटित है। जिसमें 50 कार्यक्रम संचालित कर 1500 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना है, जिसे शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2018-19 में रु. 30.00 लाख व्यवस्थित है।

उ.प्र. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017

कृषकों को उनकी आय का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाना, कच्चे उत्पाद का मूल्य संवर्धन, प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने, उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य पर प्रसंस्कृत उत्पाद सुलभ कराना, रोजगार के नये अवसर सृजित कराना, उपलब्ध मानव शक्ति की क्षमता एवं कौशल में वृद्धि करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 शासनादेश संख्या-33/2017/1105/58-2-2017-600(7)/2017 दिनांक 27.10.2017 द्वारा घोषित की गयी है। योजना के दिशा-निर्देश व ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु वेबपोर्टल का लोकार्पण किया जा चुका है। योजनान्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार सुविधायें/रियायतें अनुमन्य हैं :

- खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्लाण्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 50.00 लाख का पूँजीगत अनुदान।
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत प्रदेश के स्वीकृत मेगा फूड पार्क हेतु पात्र परियोजना लागत का 10 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुमन्य अनुदान धनराशि के अतिरिक्त पूँजीगत अनुदान।
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत प्रदेश के फल एवं शाक-भाजी आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्वीकृत परियोजना प्रस्तावों हेतु प्लाण्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य का 10 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुमन्य अनुदान धनराशि के अतिरिक्त पूँजीगत अनुदान।
- सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्लाण्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर्स

पार्ट्स हेतु बैंक से लिये गये ऋण के ब्याज दर की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति अधिकतम 05 वर्षों तक।

- अन्य मध्यम एवं वृहद इकाइयों को प्लाण्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर्स पार्ट्स हेतु लिए गये ऋण के ब्याज की दर का 07 प्रतिशत अधिकतम रु. 50 लाख प्रतिवर्ष 05 वर्षों के लिए प्रतिपूर्ति।
- रीफर वाहन के क्रय हेतु लिये गये ऋण की ब्याज दर पर 07 प्रतिशत अधिकतम रु. 50 लाख की प्रतिपूर्ति।
- खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जागरूकता, उद्यमिता के विकास हेतु न्याय पंचायत स्तर तक प्रशिक्षण कार्यकमों का संचालन एवं इच्छुक अभ्यर्थी को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण देकर इकाई स्थापना हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 01 लाख का अनुदान।
- गुणवत्ता सुधार एवं मानकीकरण यथा- आई0एस0ओ0 14001, 22000 एच0ए0 सी0सी0पी0, सेनेटरी एवं फाइटो सेनेटरी प्रमाणीकरण हेतु शुल्क एवं टेस्टिंग चार्जेज का 50 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख की प्रतिपूर्ति।
- पेटेण्ट/डिजाइन पंजीकरण हेतु किये गये व्यय का 75 प्रतिशत का अधिकतम 1.50 लाख की प्रतिपूर्ति।
- बाजार विकास हेतु सैम्पुल को विदेश भेजने के व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 02 लाख की प्रतिपूर्ति।
- निर्यात प्रोत्साहन हेतु परिवहन व्यय का 25 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख प्रतिवर्ष 03 वर्षों तक।
- खाद्य प्रसंस्करण सम्बन्धी परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 05 लाख।

राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ

इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1949 में राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान के नाम से निम्नलिखित उद्द्श्यों की पूर्ति हेतु की गयी थी :

(1) व्यापक देशहित में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की क्षमता में वृद्धि तथा सहयोग प्रदान करना।

(2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के तीव्र विकास हेतु पोस्ट हार्वेस्ट एवं प्रसंस्करण समस्याओं पर शोध करना।

(3) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को पर्यवेक्षणीय एवं मध्यम प्रबंधन स्तर के प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराते हुए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों हेतु अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना।

(4) गृहणियों, फल एवं सब्जी उत्पादकों एवं अन्य को स्थानीय उत्पादों के उपयोग हेतु उन्हें लघु अवधि का प्रशिक्षण प्रदान करना।

(5) उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा तथा उपयोग हेतु प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं पोषकता पर ध्यान देना।

औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, मलिहाबाद (लखनऊ)

लखनऊ जनपद के विकासखण्ड माल, मलिहाबाद, काकोरी एवं बख्शी का तालाब आम फल

उत्पादन विख्यात हैं। फलों के क्षेत्र में नवीन शोध एवं फल पौध उत्पादन में नवीन तकनीकी को विकसित कर बागवानों को जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी।

इस केन्द्र के प्रमुख उद्देश्यों में क्षेत्रीय आम उत्पादकों की समस्याओं पर शोध प्रयोग कर निराकरण, औद्यानिक प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से उद्यानपतियों को नवीन तकनीकी उपलब्ध कराना है तथा शुद्ध आनुवांशिक उच्च गुणवत्तायुक्त फल पौध उत्पादित कर कृषकों में वितरित करना आदि प्रमुख है। इस केन्द्र पर 72 से अधिक आम की प्रजातियों का जैविक संग्रह है। जिसमें स्थानीय, चयनित एवं संकर प्रजातियां सम्मिलित हैं। केन्द्र पर आम, अमरूद, आंवला, लीची के पौधों का स्थानीय जलवायु में उपयुक्तता को दृष्टिगत रखते हुए कलमी पौधे तैयार कर बागवानों/कृषकों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

केन्द्र की प्रमुख उपलब्धियाँ

(1) आम में गुजिया कीट नियंत्रण हेतु पॉलीथीन बाइंडिंग सबसे अच्छी पाई गई, जिसका प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण व प्रचार-प्रसार किया गया है तथा आम फलपट्टी के अधिकांश उद्यानपतियों द्वारा इसे अपनाया जा रहा है। आम, अमरूद में आई.पी.एम. विधि का लाभ लिया जा रहा है।

(2) आम के घने एवं अलाभकारी उद्यान को लाभ में लाने हेतु प्रयोग चलाये गये, जिसमें पौधों की तने से चार मी0 की ऊँचाई से काटने व आवश्यक देखभाल से उद्यान पुनः दो साल बाद लाभ में आने लगे हैं।

(3) समय-समय पर उद्यानों का सर्वेक्षण कर मौके पर ही कृषकों को कीट/व्याधियों की पहचान कराकर उचित कीटनाशक रसायनों का समय से छिड़काव करने की सलाह दी जा रही है, जिससे कृषकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है।

(4) इस केन्द्र पर तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मैंगो पैक हाउस, रहमानखेड़ा से नवाब ब्राण्ड का निरीक्षण, ग्रेडिंग, डिसेपिंग, राइपनिंग, ट्रीटमेंट एवं पैकिंग आदि के कार्य सम्पादित किये गये। फल, सब्जियां एवं फूलों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु फाइटोसेनेटरी (पी.एस.सी.) प्रमाण पत्र जारी कर प्रदेश एवं देश के बाहर निर्यात हेतु सहयोग प्रदान किया गया जिससे कृषकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है।

(5) आम के फल को ईथरेल में पकाने की विधि का प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार किया गया जिससे आम में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग कम हुआ, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ईथरेल के प्रयोग से आम समान रूप से पके तथा अच्छा रंग, मिठास व स्वाद एवं भण्डारण क्षमता अधिक होने से बाजार में अच्छे मूल्य के कारण कृषकों को लाभ हो रहा है।

(6) लीची पौध प्रसारण में रूट ट्रेनर के प्रयोग से नर्सरी व फील्ड में पौध जीवितता अधिक पायी गयी।

(7) विगत वर्षों में प्रदेश एवं देश में आयोजित आम महोत्सव में भाग लेकर उच्चकोटि के आम प्रदर्शों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें सराहनीय प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिह्न प्राप्त हुए।

(8) इस जनपद की आम फलपट्टी क्षेत्र की बलुई भूमि एवं पुराने उद्यान में गमोसिस तथा अन्य दैहिक व्याधियों से पौधे प्रभावित होते हैं, जिनमें कृषकों को 250 ग्राम कापर सल्फेट, 250 ग्राम जिंक सल्फेट एवं 250 ग्राम बोरेक्स तथा 275 ग्राम बुझा हुआ चूना डालने की सलाह उद्यानपतियों को दी गई, इन तत्वों के प्रयोग से कृषकों को लाभ हो रहा है।

(9) केन्द्र पर आम की प्रजातियों के अतिरिक्त आम की संकर किस्मों का भी संकलन है, जिसमें कई

संकर प्रजातियां फलत में आ गयी हैं।

(10) आम में लगने वाले भुन्गा कीट के नियंत्रण हेतु थायोमेथक्जाम- 0.005 प्रतिशत प्रभावी पाया गया, जिसके छिड़काव हेतु किसानों को सलाह दी गयी।

(11) आम में लगने वाले गुजिया कीट के नियंत्रण हेतु कार्बोसल्फान-0.05 प्रतिशत का पर्णीय छिड़काव प्रभावी पाया गया। जिसकी किसानों को संस्तुति की गयी।

(12) आम में लगने वाले फल मक्खी के नियंत्रण हेतु फीरोमोन ट्रेप के प्रभाव का अध्ययन किया गया। परीक्षणों में पाया गया कि फल मक्खी की सक्रियता माह जुलाई में सबसे अधिक देखी गई।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का संचालन वर्ष 2007-08 से विभाग में प्रारम्भ किया गया। योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है। योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को पृथक-पृथक परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

योजनान्तर्गत नर्सरी सीडलिंग रेजिंग इन लोटनल पॉलीनेट एण्ड प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू वेजीटेबल्स परियोजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में 1662 हे. के सापेक्ष 1606 हे., वर्ष 2015-16 में 3838 हे. के सापेक्ष 3094 हे. तथा वर्ष 2016-17 में 7217 हे. के सापेक्ष 7268 हे. की पूर्ति करायी गयी, तथा परियोजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में 5439 हे. लक्ष्य के सापेक्ष माह जनवरी, 2018 तक 4433 हे. की पूर्ति करायी गयी है।

वेजीटेबल इनीशिएटिव इन पेरी अरबन क्लस्टर्स
(राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना)

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि योजना की उप योजना के अन्तर्गत वेजीटेबिल इनिशियेटिव इन पेरी अरबन क्लसटर्स के रूप में निम्न उद्देश्यों के साथ संचालित की गयी है :

(1) शहरी जनता को उचित मूल्य पर सुरक्षित एवं अच्छी गुणवत्ता की सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(2) उन्नत शाकभाजी उत्पादन तकनीकी, शोध, प्रचार-प्रसार, तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन, संरक्षण एवं बाजार सुविधाओं को क्षेत्र विशेष की दृष्टि से समुन्नत करते हुए औद्यानिकी क्षेत्र में विशेष कर सब्जी उत्पादन को सही दिशा में गति प्रदान करना।

(3) सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही कृषकों को पोषण सुरक्षा एवं प्रति व्यक्ति अधिक आमदनी सुनिश्चित करना।

(4) पुरानी एवं परम्परागत खेती तकनीकी के स्थान पर नवीन एवं अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी के प्रयोग हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करना।

(5) बेरोजगार युवकों हेतु योग्यतानुसार कुशल एवं अकुशल रोजगार की सम्भावनायें पैदा करना।

(6) अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर सब्जी उत्पादन के साथ-साथ उसके तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन, भण्डारण एवं विपणन आदि से संबंधित ढांचागत सुविधाओं का भी विकास करना।

उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014

प्रदेश में आलू की खेती के विकास, उत्पादन एवं विपणन को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य

से ''उ.प्र. आलू विकास नीति-2014, का प्रख्यापन उ.प्र. शासन द्वारा किया गया है।

आलू विकास नीति के उद्देश्य

1. आलू की खेती के लिए गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन कराना।
2. आलू के गुणवत्तायुक्त उत्पादन को प्रोत्साहित कराना।
3. आलू की खेती की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना।
4. प्रदेश में बीज एवं खाने के आलू का समुचित भण्डारण सुनिश्चित कराना।
5. बाजार विकास एवं प्रदेश से बाहर आलू के विपणन/निर्यात को प्रोत्साहित करना।
6. आलू आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
7. उत्पादन की वैज्ञानिक विधियों को कृषकों तक पहुँचाने के लिए तकनीकी हस्तान्तरण एवं दक्षता विकास।

आलू विकास नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों हेतु अनुदान/रियायतें दिये जाने का प्रावधान/व्यवस्था है

1. देश के अन्य प्रान्तों में आलू के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु एक दिवसीय आलू प्रदर्शनी एवं बॉयर-सेलर मीट के आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा उ.प्र. राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हॉफेड) को प्रति कार्यक्रम रु. 3.00 लाख देय है।
2. आलू की ग्रेडिंग, पैकिंग हेतु फंक्शनल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा के सृजन हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अन्तर्गत इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 6.00 लाख अनुदान देय है।
3. देश के बाहर ''ताज ब्राण्ड'' से आलू निर्यात किये जाने पर सभी निर्यातकों को परिवहन भाड़ा सहायता के रूप में रु. 200 प्रति कुन्टल का अनुदान मण्डी परिषद के माध्यम से देय है।
4. आलू के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु निर्यातकों को ''ताज ब्राण्ड'' से निर्यात की गयी मात्रा पर ब्राण्ड प्रोत्साहन हेतु रु. 50 प्रति कुन्टल की दर से मण्डी परिषद के माध्यम से अनुदान देय है।
5. क्वालिटी कन्ट्रोल एनालिसिस लैब की स्थापना हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रु. 200 लाख तथा निजी क्षेत्र में 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 100 लाख अनुदान देय है।
6. उक्त के अतिरिक्त ''उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014'' में निहित प्रावधानों के अनुसार अन्य अनुमन्य अनुदान/रियायतें नियमानुसार अनुमन्य हैं।

●

परती भूमि विकास

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का संक्षिप्त विवरण

अपघटित भूमि के स्थायी सुधार तथा अकृष्य भूमि जैसे- ऊसर, बंजर एवं बीहड़ को कृषि योग्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1978 को ''उ.प्र. भूमि सुधार निगम'' की स्थापना की गयी थी। प्रथमतया कृषि विभाग के पास उपलब्ध 03 ऊसर ग्रस्त प्रक्षेत्र (जहाँ कोई उत्पादन नहीं होता था) जैसे– पीपरसन्ड, रसूलपुर तथा शिवरी में ऊसर भूमि का सुधार निगम द्वारा प्रारम्भ किया गया। निगम इन प्रक्षेत्रों को सुधार कर बीज उत्पादन का कार्य कर रहा है।

इसके अलावा निगम कृषि विभाग द्वारा संचालित ऊसर सुधार एवं अन्य परियोजनाओं के लिए जिप्सम व पायराइट (मृदा सुधारक) के आपूर्ति कराने का कार्य करता रहा है। वर्ष 1992-93 से प्रदेश में विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना प्रथम एवं द्वितीय व यूरोपिन इकनोमिक कम्युनिटी (ई0ई0सी0) सहायतित उत्तर प्रदेश अल्कलाइन लैण्ड रिक्लेमेशन एण्ड डेवलेपमेंट परियोजना की स्वीकृति प्राप्त हुई। प्रदेश शासन ने इसके निष्पादन का दायित्व निगम को देने का निर्णय लिया। इसके फलस्वरूप निगम के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई। इस प्रकार वर्ष 1992-93 से विभिन्न परियोजनाएं निगम द्वारा संचालित की जा चुकी है। उ.प्र. भूमि सुधार निगम द्वारा वर्तमान में विश्व बैंक पोषित उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना संचालित की जा रही है।

निगम के 'मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन' के अनुसार इसके निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं :

भूमि सुधार, भूमि संरक्षण, भूमि की उपयोगिता बढ़ाने तथा जल स्रोतों को संरक्षित करने के उचित उपाय करना, जैसे :

1. ऊसर सुधार, बीहड़ एवं जल कटाव से प्रभावित भूमि सहित सभी प्रकार की भूमि का सुधार।
2. सतही एवं भूमिगत जल निकास।
3. भूमि क्षरण को रोकने तथा सुधार के उपाय।
4. बंजर एवं रेगिस्तानी भूमि पर वृक्षारोपण का नियोजन एवं देखभाल।
5. बाढ़ एवं सूखे से भूमि के बचाव के उपाय।
6. चरागाहों का सुधार एवं पशुओं द्वारा चराई को नियंत्रित करना।
7. समतलीकरण, लैण्ड शेपिंग तथा ग्रेडिंग।
8. जल प्रबन्ध, सिंचाई स्रोतों का संरक्षण, स्प्रिंकलर सेट एवं गेट पाइन का प्रयोग तथा वाटर हारवेस्टिंग के उपाय।

निगम का प्रशासनिक ढांचा

उ.प्र. भूमि सुधार निगम उ.प्र. सरकार का उपक्रम है जो कि कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त हैं। प्रमुख सचिव (परती), प्रमुख सचिव (कृषि) के साथ-साथ प्रमुख सचिव (वित्त), प्रमुख सचिव (सार्वजनिक उद्यम), प्रमुख सचिव (सिंचाई), प्रमुख सचिव (नियोजन), प्रमुख सचिव/सचिव (वाह्य सहायतित परियोजना), प्रमुख सचिव (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), उ.प्र. शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों के अतिरिक्त महानिदेशक (उपकार), कृषि निदेशक तथा प्रबन्ध निदेशक सहित इसके कुल बारह सदस्य हैं।

निगम की वर्तमान गतिविधियाँ

उ.प्र. भूमि सुधार निगम द्वारा पूर्व में संचालित उ.प्र. सोडिक लैण्ड प्रथम परियोजना तथा उ0प्र0 सोडिक लैण्ड द्वितीय परियोजना की उपलब्धियों के दृष्टिगत् विश्व बैंक वित्त पोषण से उ.प्र. सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना प्रदेश के 32 जिलों (भदोही, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरय्या, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, बुलन्दशहर, कासगंज, अम्बेडकर नगर, अमेठी, कौशाम्बी एवं फिरोजाबाद) में संचालित की जा रही हैं। 12 जनपदों में जैसे- इटावा, औरय्या, फिरोजाबाद, बाराबंकी, प्रयागराज, कौशाम्बी, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर एवं सुल्तानपुर, फतेहपुर एवं कानपुर देहात, में बीहड़ सुधार परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत 1.30 लाख हे. ऊसर भूमि का सुधार तथा 0.05 लाख हे. बीहड़ क्षेत्र के सुधार के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है। विस्तृत विवरण निम्नवत् है :

उ.प्र. सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना (संक्षिप्त परिचय)

परियोजना का लक्ष्य

ऊसर सुधार	- 1,30,000 हेक्टेयर
बीहड़ पायलट परियोजना	- 5000 हेक्टेयर (फतेहपुर एवं कानपुर देहात)

परियोजना का कार्यक्षेत्र

परियोजना के अन्तर्गत ऊसर सुधार के लिए रिमोट सेसिंग एप्लीकेशन सेन्टर चिह्नित ऊसर बाहुल्य वाले 32 जनपद जैसे- आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, सन्त रविदास नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरय्या, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बुलन्दशहर, अयोध्या, वाराणसी एवं शाहजहांपुर, चयनित किये गये हैं।

परियोजना अवधि	**- 18 सितम्बर, 2009 से 29 दिसम्बर, 2018**
परियोजना की मूल लागत	**- 1332.81 करोड़**
विश्व बैंक अंश	**- 965.30 करोड़**

विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता की शर्तें-

विश्व बैंक से आर्थिक सहायता आई.डी.ए. (इन्टरनेशलन डेवलेपमेन्ट एसोसिएशन) क्रेडिट के रूप में प्राप्त होगी। आई.डी.ए. के अन्तर्गत प्रतिदान की शर्तें निम्नांकित हैं–

1. 10 वर्ष की अवधि तक कोई प्रतिदान नहीं।
2. 11 से 20 वर्ष तक प्रति छमाही 1.25 प्रतिशत।
3. 21 से 35 वर्ष तक प्रति छमाही 2.5 प्रतिशत।

परियोजना के कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाले लाभ :

1. परियोजना के लाभार्थी

- परियोजना से अनुमानतः 2.40 लाख कृषक लाभान्वित होंगे, जिनमें 33 प्रतिशत अनु.जा. एवं अनुसूचित जनजाति के कृषक तथा 47 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के कृषक सम्भावित हैं।

उत्पादकता में अनुमानित वृद्धि :

'सी' श्रेणी की ऊसर भूमि में उत्पादकता में वृद्धि :

- धान : लगभग शून्य से 35 कुन्तल प्रति हे. तक
- गेहूँ : लगभग शून्य से 30 कुन्तल प्रति हे. तक

योजना का लाभ लेने की पात्रता

1. कृषक परियोजनान्तर्गत आच्छादित जनपदों के चयनित ग्राम में रहता हो।
2. वह ऊसर भूमि का स्वामी/पट्टेदार हो।
3. वह बटाई पर खेती न करता हो।
4. वह समूह में कार्य करने को इच्छुक हो।

परियोजना के प्रमुख घटक

परियोजना को मुख्य रूप से पाँच घटकों में विभाजित किया गया है। ये निम्नवत हैं-

क्र. सं.	प्रमुख घटक	सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/विभाग	प्रस्तावित प्रमुख कार्य
1.	प्रक्षेत्र विकास एवं भूमि का उपचार	उ.प्र. भूमि सुधार निगम	निगम द्वारा चयनित ग्रामों में लाभार्थियों के सहयोग से स्थल क्रियान्वयन समिति एवं जल उपयोग समूहों का गठन करना व प्रक्षेत्र विकास, बोरिंग विकास, ऊसर सुधार का कार्य व फसलोत्पादन सुनिश्चित करना है। इसके अन्तर्गत निगम द्वारा प्रस्तावित बीहड़ भूमि के उपचार हेतु पायलट परियोजना भी सम्मिलित है।

		रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर	कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु परियोजना ग्रामों के उपग्रही मानचित्र उपलब्ध कराये जायेंगे तथा मृदा सुधार, भूगर्भ जल एवं पर्यावरणीय प्रभावों का वैज्ञानिक पद्धति से अनुश्रवण किया जा रहा है।
2.	जल निकास प्रणाली का सुधार	सिंचाई विभाग	कार्यदायी संस्था द्वारा जल निकास नालों का पुनरोद्धार एवं अनुरक्षण किया जा रहा है।
3.	कृषि सहयोगी सेवाएं	1. कृषि विभाग	कार्यदायी संस्था द्वारा फसल उत्पादन तकनीकी प्रदर्शन, एक्सपोजर विजिट एवं क्षमता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि प्रसार सेवाओं को परियोजना ग्रामों तक पहुँचाना सुनिश्चित करते हुये टिकाऊ कृषि के साथ-साथ खाद्यान्न एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।
		2. पशुपालन विभाग	कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना ग्रामों में पशु प्रबन्धन के अन्तर्गत चारा विकास, पशु प्रजनन के अन्तर्गत नैसर्गिक/कृत्रिम गर्भाधान तथा अवर्णित गो-वंशीय नर पशुओं का बधियाकरण द्वारा क्षेत्र में दुग्ध विकास, पशु चिकित्सा कैम्प के माध्यम से टीकाकरण, कृमिनाशक दवापान, गर्भ परीक्षण, अनुपयोगी/प्रजनन रोगों से ग्रसित दुधारू पशुओं की समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करना, पशुपालक प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट द्वारा पशुपालकों को नवीन तकनीकी ज्ञान को इसके अतिरिक्त परियोजना ग्रामों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं भूमिहीन कृषक मजदूरों को बकरी पालन, सूकर पालन की विधाओं से प्रशिक्षित कर सहायता दी जायेगी।
4.	बाजार व्यवस्था हेतु संस्थागत सुदृढ़ीकरण	पंचायतीराज विभाग	इस घटक के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के कृषकों एवं महिलाओं द्वारा अपनाई जा रही आर्थिक गतिविधियों के विस्तार हेतु उन्हें विभिन्न समूहों के माध्यम से संगठित करते हुए महिला

	एवं क्षमता विकास		स्वयं सहायता समूह एवं उत्पादक समूहों का गठन किया जाता है तथा इन समूहों का फेडरेशन भी तैयार कराया जाता है। इसके अलावा किसानों को विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से पंचायतीराज विभाग के माध्यम से सोडिक हाटों का विकास किया जा रहा है।
5.	परियोजना प्रबन्धन	उ.प्र. भूमि सुधार निगम	निगम द्वारा उपरोक्त घटकों पर कार्यवाही सम्पादित कराने हेतु प्रबन्धकीय व्यवस्था करना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन एवं सहभागी प्रबन्धन का कार्य एवं परियोजना क्षेत्र में विशेष अध्ययन कराने का कार्य किया जा रहा है।

ग्रामीण अभियंत्रण

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की स्थापना, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के नाम से 01 जुलाई 1972 में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सामुदायिक विकास मन्त्रालय के समस्त निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु की गयी थी। तत्समय सामुदायिक विकास मंत्रालयान्तर्गत ग्राम विकास मन्त्रालय एवं पंचायती राज मन्त्रालय सम्मिलित थे। कालान्तर में ग्राम विकास एवं पंचायतीराज पृथक-पृथक स्थापित हो जाने के फलस्वरूप इन विभागों के कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को मिलना कम हो गया।

बजट

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के पास अपना कोई विभागीय बजट नहीं है तथा यह विभाग निर्माण कार्य हेतु अन्य प्रशासनिक विभागों के डिपाजिट कार्य पर निर्भर है। वर्ष 2011-12 में विभाग का नाम परिवर्तित करके ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के स्थान पर ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कर दिया गया। विभाग के पास पक्के मार्गों एवं छोटे बड़े हर प्रकार के भवनों के निर्माण कार्य का अनुभव है तथा विभाग के पास पर्याप्त संख्या में तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध हैं।

योजनावार विवरण

1. **सामान्य योजना-** इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न निधियों/योजनाओं से डिपाजिट के रूप में प्राप्त कार्य आते हैं। वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्र, माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मॉडल स्कूल एवं नवीन हाईस्कूल के भवनों का निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत जनपद-कुशीनगर में दो आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत जनपद-प्रतापगढ़ में पर्यटन स्थलों का विकास, न्याय विभाग के अन्तर्गत अधिवक्ता कल्याण हेतु शेड का निर्माण एवं जनपद स्तर पर जिला योजना से प्राप्त विभिन्न प्रशासनिक विभागों के भवन निर्माण कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त विधायक निधि, सांसद निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट एवं त्वरित आर्थिक विकास मद से इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 मार्गो का निर्माण एवं लेपन स्तर तक के मार्गों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
2. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-** भारत सरकार सहायतित योजना का मुख्य उद्देश्य आरम्भ में 1000 से अधिक एवं कालान्तर में 500 से अधिक आबादी के मजरों को सर्वऋतु मार्ग से जोड़कर बारहमासी आवागमन की सुविधा प्रदान करना है।
3. **आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण-** इस योजना के अन्तर्गत पंचायतीराज विभाग, मनरेगा एवं आई0सी0डी0एस0 के कन्वर्जेंस से प्राप्त धनराशि से आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जाता है।

विगत 01 वर्ष की उपलब्धियाँ

1. **विभाग में निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू करनाः**
विभाग में समस्त निर्माण कार्यों की निविदायें ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित किये जाने हेतु दिनांक 05-5-2017 को शासनादेश जारी किया गया।

2. **विभाग द्वारा निर्मित मार्गों को गड्ढा मुक्त किया जानाः**
प्रथम चरण- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत चिन्हित 249 मार्गो को दिनांक 15.6.2017 तक गड्ढा मुक्त किया गया।
द्वितीय चरण- वर्षा ऋतु के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत चिन्हित 227 मार्गों को दिनांक 31-12-2017 तक गड्ढामुक्त किया गया, जो एक विशेष उपलब्धि है।

3. **प्रथम बार टेक्निकल आडिट सेल में तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करनाः**
प्रदेश के ख्याति प्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों एवं आई0आई0टी0 के विशेषज्ञों की सेवायें निर्माण कार्यों के गुणवत्ता परीक्षण हेतु लेने का निर्णय लिया गया जिससे जाँच कार्यों में अधिक पारदर्शिता आयी है एवं गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

4. विभाग द्वारा सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियन्त्रण के उद्देश्य से परिमण्डल स्तर पर प्रयोगशाला स्थापित की गयी है एवं अब तक 2234 परीक्षण किये गये हैं।

5. **विभाग द्वारा कराये गये महत्त्वपूर्ण निर्माण कार्यः**
(i) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दिनांक 25.02.2018 तक 78 मार्गों का निर्माण कराया गया तथा प्रथम बार 470 मार्गों (1332 किमी0) का नवीनीकरण कराया जा रहा है।
(ii) आई0सी0डी0एस0, मनरेगा एवं पंचायत राज के कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत 3149 ऑगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया गया।
(iii) विधायक निधि, सांसद निधि, पूर्वांचल विकास निधि, पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि, बार्डर एरिया एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत 3624 संपर्क मार्गों का निर्माण कराया गया।
(iv) सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि, जिला योजना के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, खेल कूद विभाग, पर्यटन विभाग एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत 1284 भवनों का निर्माण कार्य कराया गया।

6. पूर्व में परिमण्डल के अधीन समूह 'ग' एवं 'घ' (अवर अभियन्ताओं सहित) के कर्मचारियों का स्थानान्तरण निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा किया जाता था। सरलीकरण की दृष्टि से परिमण्डल के अधीन समूह 'ग' एवं 'घ' (अवर अभियन्ताओं के अतिरिक्त) के कर्मचारियों का स्थानान्तरण अधीक्षण अभियन्ताओं तथा जोन के अन्दर एक परिमण्डल से दूसरे परिमण्डल में संबंधि मुख्य अभियन्ता द्वारा किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 17.8.2017 द्वारा निर्णय लिया गया।

7. पूर्व में विकास खण्डों में अवर अभियन्ताओं की तैनाती अधिशासी अभियन्ता के प्रस्ताव पर मुख्य विकास अधिकारी की सहमति से अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा की जाती थी। सरलीकरण की दृष्टि से विकास खण्डों में अवर अभियन्ताओं की तैनाती का अधिकार अधिशासी अभियन्ताओं को दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 17.8.2017 द्वारा निर्णय लिया गया।

8. विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों को उनके सामान्य तथा विशिष्ट क्रियाकलापों के सम्पादन हेतु

क्षमता संवर्धन एवं तकनीकी ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश एवं देश में प्रतिष्ठित संस्थानों इंजीनियरिंग कालेजों में प्रशिक्षण दिलाया गया।

विभाग के विभिन्न क्रियाकलापों में कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट द्वारा सूचना के आदान-प्रदान पर बल दिया जा रहा है। इस हेतु विभाग में पर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ कार्मिकों को यू0पी0डेस्को में प्रशिक्षण दिलाया गया।

वर्ष 2018-19 की कार्य योजना

वित्तीय लक्ष्य करोड़ रु. में

क्र0 सं0	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य संख्या मार्ग	भौतिक लक्ष्य संख्या भवन	वित्तीय लक्ष्य	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	250	-	600.00	147 मार्ग लागत रु. 765.00 करोड़ भारत सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।
2.	ऑगनबाड़ी केन्द्र	-	4000	300.00	केन्द्रों का निर्माण मनरेगा, आई.सी.डी.एस. एवं पंचायतीराज के कन्वर्जेन्स से धनराशि प्राप्त कर कराया जायेगा।
3.	विधायक/सांसद निधि, पूर्वान्चल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि आदि	4500	1000	600.00	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग का कोई विभागीय बजट नहीं है। डिपाजिट के रूप में प्राप्त धनराशि से कार्य कराया जाता है। कॉलम सं0-2 में वर्णित निधियों से धनराशि प्राप्त होते ही निर्माण कार्य कराये जायेंगे।
4.	माध्यमिक/व्यवसायिक/उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग पर्यटन विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यान विभाग, ग्राम्य विकास विभाग एवं राजस्व विभाग आदि में भवन निर्माण	-	200	100.00	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग का कोइ विभागीय बजट नहीं है। डिपाजिट के रूप में प्राप्त धनराशि से कार्य कराया जाता है। कॉलम सं0-2 में वर्णित विभागों से धनराशि प्राप्त होते ही निर्माण कार्य कराये जायेंगे।
5.	अन्य योजनाओं के कार्य जैसे- क्रिटिकल गैप, अधिवक्ता कल्याण निधि, बाढ़ राहत एवं बार्डर एरिया इत्यादि।	500	300	200.00	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग का कोइ विभागीय बजट नहीं है। डिपाजिट के रूप में प्राप्त धनराशि से कार्य कराया जाता है। कॉलम सं0-2 में वर्णित योजनाओं से धनराशि प्राप्त होते ही निर्माण कार्य कराये जायेंगे।
	योग	**5250**	**5500**	**1800.00**	

●

बेसिक शिक्षा

"सभी सुशिक्षित सभ्य बनें, जन-जन का कल्याण करें" के सर्वमान्य सिद्धान्त के लिए शिक्षा, एक अत्यन्त सशक्त एवं प्रभावकारी माध्यम है। शिक्षा ही मानव को सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाकर एक प्रगतिशील आदर्श समाज का निर्माण करती है, जो संविधान के प्रति निष्ठा, धर्म निरपेक्षता एवं लोकतंत्र के आदर्श मूल्यों की प्राप्ति में मार्ग दर्शन कर सहायता करती है। बौद्धिक सम्पन्नता एवं राष्ट्रीय आत्म निर्भरता की आधारशिला शिक्षा ही है।

वर्ष 1972 तक शिक्षा निदेशक के अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण स्तर की शिक्षा संचालित थी। शिक्षा के बढ़ते कार्यों, विद्यालयों एवं नये-नये प्रयोगों के कुशल संचालन तथा कार्यक्रम को अधिक गतिशील एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1972 से शिक्षा निदेशालय के विभाजन का निर्णय शासन स्तर पर किया गया, जिसके अन्तर्गत शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) एवं उच्च शिक्षा निदेशक, के पदों का सृजन कर इसे तीन खण्डों में विभाजित किया गया किन्तु 1975 में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा का एकीकरण कर दिया गया जबकि उच्च शिक्षा विभाग यथावत अलग चलता रहा। वर्ष 1985 में बेसिक शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं गतिशील बनाने के लिए पृथक से बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई।

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण तथा शोध कार्यक्रमों को अधिक गतिशील और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अलग-अलग निदेशालय स्थापित किए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को कक्षा-1-8 तक की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 300 की आबादी और 1.00 किमी. की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की सुविधा तथा 03 किमी. की दूरी एवं 800 आबादी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का मानक निर्धारित करते हुए विद्यालयों की स्थापना की गई है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के बालक/बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलाने में विशेष बल दिया जाता है। कक्षा-1 से 8 तक के सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं 02 सेट यूनीफार्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त छात्र-छात्राओं को पका पकाया पौष्टिक मध्यान्ह भोजन नियमित रूप से देने की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय

वर्ष 2016-17 में छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ की गई जिसे 2018-19 में भी संचालित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कक्षा 1-8 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क 1 जोड़ी जूता एवं 2 जोड़ी मोजा तथा 1 स्वेटर उपलब्ध कराये जाने की नवीन योजना है, तथा इसे वर्ष 2018-19 में भी संचालित किया जायेगा।

छात्र नामांकन एवं अध्यापक-छात्र अनुपात

शैक्षिक सत्र 2017-18 में प्राप्त यू-डायस के कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त एवं गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1-8 में छात्र-छात्राओं का कुल नामांकन लगभग 328 लाख है। इसमें से परिषदीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं का नामांकन 154 लाख है तथा अन्य समस्त विद्यालयों में छात्र नामांकन 174 लाख है।

विगत वर्षों के आकड़ों के विश्लेषण में यह पाया गया कि परिषदीय विद्यालयों में छात्र नामांकन में लगभग 2 लाख की वृद्धि हुयी है। शैक्षिक सत्र 2013-14 में छात्र नामांकन 1.70 लाख था। शैक्षिक सत्र 2016-17 में छात्र नामांकन घटकर 1.52 लाख हो गया है। इस प्रकार परिषदीय विद्यालयों में छात्र नामांकन में विगत पाँच वर्षों में 8 लाख की गिरावट हुई है। शैक्षिक सत्र 2017-18 में वर्तमान सरकार द्वारा 6-14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराने का लक्ष्य रखा गया है और इस हेतु दिनांक 01-31 जुलाई, 2017 की अवधि में समस्त जनपदों में 'स्कूल चलो अभियान' एवं 'खूब पढ़ो खूब बढ़ो' कार्यक्रम संचालित किया गया। 'स्कूल चलो अभियान' के अन्तर्गत विभाग द्वारा जनपदों में चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराने के वृहद प्रयास किये गये तथा नामांकन में आने वाली गिरावट को स्थिर किया गया।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में दिये गये प्रावधानों एवं मानकों के अनुसार विद्यालयों में अध्यापक-छात्र अनुपात स्थापित करने हेतु विगत चार वर्षों में लगभग 2.80 लाख अध्यापकों की भर्ती की गयी है। बड़ी संख्या में अध्यापकों की भर्ती के फलस्वरूप प्रदेश स्तर पर औसत रूप से प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक-छात्र अनुपात 1:29 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में औसत अध्यापक-छात्र अनुपात 1:21 हो गया है किन्तु विभिन्न जनपदों में अथवा एक ही जनपद के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापाक-छात्र अनुपात में विगत वर्षों में विषमता उत्पन्न हुई। विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती करने में छात्र संख्या के मानक का पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रखा गया जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में विभिन्न विद्यालयों में 66000 अध्यापक छात्र संख्या मानक से अधिक तैनात हैं। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते राज्य सरकार द्वारा साफ्टवेयर आधारित ऑन लाइन प्रक्रिया के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था अपनाते हुए अध्यापकों के समायोजन एवं स्थानान्तरण की नीति जारी की जा चुकी है, जिसके अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को असहायिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाये जाने की योजना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिलाये जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। उक्त योजनान्तर्गत गैर सहायता प्राप्त अशासकीय

विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2013-14 में प्रारम्भ की गई। इस योजनान्तर्गत अपवंचित एवं गरीब परिवार के बच्चों को भी प्रतिष्ठित विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। वर्ष 2013-14 में इस प्रक्रिया से मात्र 60 बच्चों का प्रवेश हुआ। वर्ष 2016-17 में कुल प्रवेशित बच्चों की संख्या 17136 थी तथा वर्ष 2017-18 में यह संख्या बढकर 27662 हो गयी। वर्ष 2018-19 में इस अधिनियम के अन्तर्गत 50,000 छात्रों के प्रवेश का लक्ष्य है।

उक्त योजना के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त करने वाले अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के छात्र-छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2016-17 में पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकायें एवं 02 सेट यूनीफार्म क्रय किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक छात्र-छात्रा को रु. 5000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई। वर्ष 2017-18 के बजट में रु. 8,00,00,000/- का प्रावधान किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये रु. 800.00 लाख का बजट प्राविधान है।

साथ ही साथ अलाभित समूह के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की शिक्षा पर आने वाले व्यय (शुल्क प्रतिपूर्ति) का भी प्रावधान है, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 400.00 लाख का बजट प्रावधान है।

सर्व शिक्षा अभियान

उद्देश्य

- 6-14 वर्ष के सभी बच्चों का नामांकन।
- जेण्डर गैप एवं सोशल गैप को समाप्त करना।
- कक्षा 1-8 तक की गुणवत्तापरक शिक्षा पर बल।
- ड्राप आउट समाप्त करना।

केन्द्र-राज्य अंशदान का प्रतिशत

सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना है एवं राज्य के सभी जनपदों में संचालित है। वित्तीय पोषण का स्वरूप- भारत सरकार का अंश 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का अंश 40 प्रतिशत है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी जनपद आच्छादित हैं।

प्रगति

परिषदीय विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों के बैठने की व्यवस्था हेतु वर्ष 2017-18 में 912 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण की स्वीकृत के सपेक्ष 37 कक्षा-कक्षों का निर्माण पूर्ण कराया गया है। शेष निर्माण कार्य गतिमान है।

शौचालयों का निर्माण- विद्यालयों में बालक/बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालयों की व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 6158 शौचालयों के स्वीकृति के सापेक्ष 656 शोचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। शेष निर्माण कार्य गतिमान है।

बालिका शिक्षा

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में स्थापित किये गये हैं। प्रदेश

में कुल 756 के.जी.बी.वी. संचालित है। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में अपवंचित वर्ग की कभी भी विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में पढ़ायी छोड़ देने वाली 11-14 वय वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 6-8 तक आवासीय शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था है! वर्तमान में 73710 बालिकाएं अध्ययनरत हैं।

नवाचार बालिका शिक्षा

- वर्ष 2018-19 में मीना मंच की सुगमकर्ता का 1 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर आयोजित किया जायेगा।
- वर्ष 2018-19 में पॉवर एंजिल का चयन व प्रशिक्षण जनपद स्तर पर 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन प्रस्तावित है।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम का संचालन हेतु प्रस्ताव।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 10 जनपदों में समुदाय के साथ कार्यक्रम कला जत्था, माता समूहों का प्रशिक्षण व मॉनिटरिंग आदि प्रस्तावित है।

समेकित शिक्षा

- निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुपालन में 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चों के चिन्हीकरण हेतु स्पेशल हाउस होल्ड सर्वे किया जायेगा।
- वाक्-श्रवण दिव्यांग व दृष्टि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु आवासीय एक्सीलेरेटेड लर्निंग कैम्प प्रस्तावित किये जायेंगे।
- विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों चिकित्सीय दल द्वारा प्रमाणीकरण हेतु मेडिकल एसेसमेण्ट कैम्प आयोजित किये जायेंगे।
- एक्सीलेरेटेड लर्निंग कैम्प में पंजीकृत बच्चों को शैक्षिक भ्रमण कराया जायेगा।
- एलिम्को, कानपुर के सहयोग से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को निःशुल्क उपस्कर एवं उपकरण उपलब्ध कराने हेतु मेजरमेण्ट एवं डिस्ट्रीब्यूशन कैम्पस प्रस्तावित किये जायेंगे।
- दृष्टि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के लिए 'ब्रेल पाठ्य पुस्तकें' उपलब्ध करायी जायेंगी।
- अध्यापकों के ब्रेल, पठन-पाठन, साइन लैंग्वेज, बौद्धिक दिव्यांगता तथा सूचना एवं संचार तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण कराया जायेगा।
- दिव्यांग बच्चों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान कर रहे रिसोर्स पर्सन को स्पेशल टी.एल.एम. ग्रांट उपलब्ध करायी जायेगी।
- दिव्यांग बच्चों को सम्पूर्ण पुनर्वास सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रति जनपद दो रिसोर्स सेन्टर स्थापित किये जायेंगे।
- विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों यथा- दृष्टि दिव्यांग/बौद्धिक अक्षम/सेरेब्रल पाल्सी तथा जापानीज इन्सेफलाइटिस (जे.ई.) एवं एक्यूट इनसेफलाइटिस सिन्ड्रोम (ए.ई.एस.) से प्रभावित बच्चों हेतु एस्कार्ट सुविधा प्रस्तावित है।

निःशुल्क यूनिफार्म वितरण

- राजकीय/परिषदीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कक्षा 1-8 तक अध्ययनरत् समस्त बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बी.पी.एल. परिवारों के बालकों को रु. 200/- प्रति सेट की दर से निःशुल्क यूनीफार्म के 02 सेट वितरित किये जायेंगे।

निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण

- राजकीय/परिषदीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कक्षा 1-8 तक अध्ययनरत् समस्त बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें वितरित की जायेंगी।

सामुदायिक सहभागिता

- विद्यालय स्तर पर प्रबंध समितियों के 5 सदस्यों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु संदर्भ- (एस.एम.सी. सचिव+ 1 अध्यापक न्याय पंचायत से)।
- ब्लॉक स्तर पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं स्थानीय प्राधिकारी का एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रस्तावित है।
- जिला स्तर पर जिला परियोजना समिति की बैठक आयोजित करना स्कूल चलो अभियान एवं उपस्थिति अभियान की रणनीति तैयार करना।
- स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराने का लक्ष्य है, जिसमें विद्यालय प्रबंध समितियों का सहयोग लिया जायेगा।
- हाऊस होल्ड सर्वे में स्थानीय प्रशासन, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग, आई.सी.डी.एस., नगर विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा, विकलांग जन विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, सिविल डिफेन्स सोसाइटी एवं रोटरी क्लब, लाइन्स क्लब तथा अन्य स्वयं सेवी संगठनों (एन.जी.ओ.) का सहयोग लिये जाने का प्रस्ताव है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

- प्राथमिक स्तर पर लर्निंग आउटकम के आधार पर हिन्दी, गणित, पर्यावरण अध्ययन को समायोजित करते हुए परिषदीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के समस्त शिक्षकों का क्षमता संबर्धन प्रशिक्षण किया जाना प्रस्तावित है।
- उच्च प्राथमिक स्तर पर लर्निंग आउटकम के आधार पर गणित विषय का परिषदीय विद्यालय, के.जी.बी.बी. एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के संबंधित विषय (विज्ञान/गणित) के शिक्षकों का क्षमता संबर्धन प्रशिक्षण किया जाना प्रस्तावित है।
- उच्च प्राथमिक स्तर पर लर्निंग आउटकम के आधार पर सामाजिक विज्ञान का परिषदीय विद्यालय, के.जी.बी.बी. एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के संबंधित विषय/कला वर्ग के शिक्षकों का क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण किया जाना प्रस्तावित है।
- अधिकतम उन्नयन हेतु संस्थात्मक क्षमता संवर्धन (डी.पी.ओ/डॉयट/बी.आर.सी.) किया जाना प्रस्तावित है।
- समस्त सह समन्वयकों का लर्निंग आउटकम, शैक्षिक गुणवत्ता, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं मोबाईल एप के माध्यम से कक्षावलोकन पर अभिमुखीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

- कक्षा शिक्षण हेतु सहायक शिक्षण सामग्री का विकास किया जाना प्रस्तावित है।
- सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।
- कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा कार्यक्रम व राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अन्तर्गत सभी 75 जिलों में कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाने, विज्ञान एवं गणित विषय में बच्चों की दक्षता एवं रुचि बढ़ाने हेतु कम्प्यूटर सेवित विद्यालय को लर्निंग सी.डी. उपलब्ध किया जाना प्रस्तावित है।
- भारत सरकार द्वारा विकसित शाला सिद्धि कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाना प्रस्तावित है।

मध्यान्ह-भोजन योजना

मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को दिये गये निर्देश के क्रम में प्रदेश में दिनांक 01 सितम्बर, 2004 से पका-पकाया भोजन, प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने की योजना आरम्भ कर दी गयी। योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुये अक्टूबर 2007 से इसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े, ब्लॉकों में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू किया गया एवं 01 अप्रैल, 2008 से समस्त ब्लॉकों में वितरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राजकीय/स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के कक्षा-8 तक के छात्रों, मदरसों में भी योजना आच्छादित है। राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना अन्तर्गत संचालित विशेष श्रमिक विद्यालयों में भी योजना को वर्ष 2010-11 में लागू किया गया।

योजना के क्रियान्वयन से भिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मध्यान्ह- भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश का गठन अक्टूबर, 2006 में निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है-

1. प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों, ई.जी.एस. एवं ए.आई.ई. केन्द्रों तथा अनुदानित मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराना।
2. पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना।
3. विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाना।
4. प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों में विद्यालय में रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्रॉप आउट रेट कम करना।
5. बच्चों में भाईचारे की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मों के मध्य के अन्तर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठाकर भोजन कराना ताकि उनमें अच्छी समझ पैदा हो।

योजनान्तर्गत पके-पकाये भोजन की व्यवस्था

इस योजनान्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यावकाश के समय छात्र-छात्राओं को स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 04 दिन चावल से बने भोज्य पदार्थ तथा 02 दिन गेहूँ से बने भोज्य पदार्थ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

- प्राथमिक विद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिदिन 150 ग्राम खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।
- खाद्यान्न से भोजन पकाने के लिए परिवर्तन लागत की दर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर हेतु (60

केन्द्रांश तथा 40 राज्यांश) क्रमशः रु. 4.13 व रु. 6.18 प्रति छात्र प्रतिदिन है, जिससे सब्जी, तेल मसाले एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है।

- प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध कराये जा रहे भोजन में 450 कैलोरी ऊर्जा एवं 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध होना चाहिये। परिवर्धित पोषण मानक के अनुसार मेन्यू में परिवर्तन कर वर्तमान में नया मेन्यू 02 दिसम्बर, 2015 से लागू किया गया है।
- मध्यान्ह- भोजन योजनान्तर्गत दिनांक 15 जुलाई, 2015 से छात्रों को अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश की योजना से आच्छादित समस्त विद्यालयों में सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को प्रत्येक छात्र को 200 मि.ली. दूध उपलब्ध कराया जाना प्रारम्भ तथा दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 से नवीन संशोधित मेन्यू लागू किया गया है।
- प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं के संसाधनों से मध्यान्ह- भोजन योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं को भोजन परोसने में एकरूपता लाने, सम्मान के साथ भोजन ग्रहण करने तथा छात्रों की सुविधा के दृष्टिगत प्रति छात्र एक अच्छी गुणवत्ता के स्टेनलेस स्टील के खानों वाली थाली एक -एक स्टेनलेस स्टील का गिलास उपलब्ध कराया गया है।

खाद्यान्न की व्यवस्था

मध्यान्ह- भोजन योजना के अन्तर्गत भोजन बनाने का कार्य ग्राम पंचायतों/वार्ड समितियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं की देख-रेख में किया जा रहा है। भोजन बनाने हेतु आवश्यक खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) जो भारतीय खाद्य निगम द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है, उसे सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से प्राप्त कर ग्राम पंचायत द्वारा अपनी देख-रेख में विद्यालय परिसर में बने किचेन-शेड में भोजन तैयार कराया जाता है। भोजन बनाने हेतु लगने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने का दायित्व भी ग्राम पंचायत का ही है। इस हेतु परिवर्तन लागत भी उपलब्ध करायी जाती है। नगर क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर भोजन बनाने का कार्य स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।

योजना का आच्छादन

वर्तमान में प्रदेश के मध्यान्ह- भोजन योजनान्तर्गत लगभग 1.14 लाख प्राथमिक विद्यालय व 0.54 लाख उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत 1.78 करोड़ बच्चे आच्छादित हैं।

विद्यालयों की संख्या

	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
राजकीय	27	503
परिषदीय	1,13,335	45,697
सहायता प्राप्त	566	7,719
मदरसा	71	475
एन.सी.एल.पी.	126	
कुल	1,14,125	54,394
	1,68,519	

रसोइयों का मानदेय

योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों को प्रतिमाह रु. 1,000.00 मानदेय दिये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसका केन्द्रांश रु. 600.00 है जबकि राज्यांश रु. 400.00 है। योजनान्तर्गत वर्तमान में जनपदों में कुल 3,97,829 रसोइये कार्यरत हैं।

योजनान्तर्गत अनुश्रवण व्यवस्था

योजना के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गयी है। राज्य स्तर के मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा तथा जिला एवं ब्लाक स्तर पर क्रमशः जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अधिकारियों की टास्क फोर्स गठित है। उक्त टास्क फोर्स द्वारा प्रत्येक माह निरीक्षण किये जाते हैं तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित आहूत मासिक टास्क फोर्स बैठक में योजना का पर्यवेक्षण किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त योजना के अनुश्रवण एवं सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि हेतु प्रत्येक विद्यालय में 'माँ समूह' का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में छह माताओं (जिनके बच्चे विद्यालय में अध्ययनरत हैं) के समूह का गठन किया गया है, जिनमें से रोस्टर के आधार पर एक माता द्वारा प्रत्येक विद्यालय दिवस में विद्यालय आकर मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता आदि का अनुश्रवण किया जाता है।

आई.वी.आर.एस. प्रणाली आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली

मध्यान्ह- भोजन योजना के दैनिक आधार पर प्रभावी अनुश्रवण को सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2010-11 से आई.वी.आर.एस. आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली आरम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत प्रतिदिन अध्यापकों को कम्प्यूटर जनित मोबाईल कॉल भेजकर अध्यापकों से उनके विद्यालयों में उस दिन भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की सूचना प्राप्त की जाती है। इस प्रणाली के दैनिक अनुश्रवण से योजना के नियमित संचालन में सुध ाार परिलक्षित हुआ है, जिस हेतु इस प्रणाली को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुये हैं।

अन्य बिन्दु

1. जनपद मथुरा में पूर्व से ही अक्षयपात्र संस्था द्वारा मशीनीकृत केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से 1.78 लाख बच्चों को गरम पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. जनपद लखनऊ में अक्षयपात्र संस्था द्वारा मशीनीकृत केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से 1 लाख बच्चों को गरम पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

साक्षरता कार्यक्रम

साक्षर भारत कार्यक्रम

साक्षर भारत योजना को औपचारिक रूप से 8 सितम्बर, 2009 को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर शुभारम्भ किया है। योजना को भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर, 2009 से देश में लागू किया गया है।

साक्षर भारत योजना के अन्तर्गत देश के उन 365 जनपदों का चयन किया गया है, जहाँ वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश में उपर्युक्त आधार पर 70 जनपदों (औरैया, गाजियाबाद, लखनऊ एवं कानपुर नगर एवं हापुड़ को छोड़कर) का चयन किया गया है। योजनान्तर्गत मुख्यतः 15+ वयवर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है।

उत्तर प्रदेश में उपर्युक्त वयवर्ग में 182 लाख निरक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें 26 लाख पुरुष एवं 156 लाख महिलाएं सम्मिलित हैं।

योजना का उद्देश्य

- 15+ वयवर्ग के अवसाक्षरों को बेसिक साक्षरता (कार्यात्मक साक्षरता) प्रदान करना।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक लोक शिक्षा केन्द्र की स्थापना करना, जिसके माध्यम से कार्यक्रम की गतिविधियों का संचालन करना, सतत् शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था कराना, विकास कार्यक्रमों की जानकारी देना एवं खेलकूद मनोरंजन की गतिविधियों को अभियोजित करना है।
- नवसाक्षरों को उनकी साक्षरता को बनाये रखने के लिए बेसिक साक्षरता के उपरान्त समतुल्यता कार्यक्रम के माध्यम से औपचारिक शिक्षा से जोड़ा जाना।
- नवसाक्षरों को व्यावसायिक साक्षरता में जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- नवसाक्षरों को जीवन-पर्यन्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लर्निग सोसाइटी तैयार कर विभिन्न कार्यक्रमों के अवसर प्रदान करना।

लक्ष्य

- 80 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करना।
- जेण्डर गैप के वर्तमान अन्तर को 10 प्रतिशत तक लाना।
- सामाजिक, क्षेत्रीय, जेण्डर भेदभाग में कमी लाना।

साक्षर भारत मिशन की प्रगति

- राज्य स्तर- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का पुनर्गठन करते हुए मा. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में साधारण सभा का एवं मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है।
- जनपद स्तर- जनपद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसकी साधारण सभा मा. जिला अध्यक्ष, पंचायत राज की अध्यक्षता में तथा कार्यकारिणी समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है।
- ब्लाक स्तर - ब्लाक स्तर पर ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लाक लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसमें खण्ड शिक्षा अधिकारी की समिति का सदस्य-सचिव बनाया गया है।
- ग्राम पंचायत स्तर- ग्राम प्रधान अध्यक्षता में ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसका सदस्य सचिव, ग्राम पंचायत स्तर पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के वरिष्ठ प्रधानाध्यापक को सदस्य-सचिव बनाया गया है।
- भारत सरकार द्वारा योजना में वित्तीय प्रबन्धन हेतु फण्ड फ्लो मैनेजमेण्ट के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक को नोडल बैंक बनाया है, जिसके माध्यम से राज्य से ग्राम पंचायत तक कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी समितियों के खातों में धनराशि दी जायेगी।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी स्तरों पर समितियों का गठन करते हुए ग्राम पंचायतों में लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर केन्द्रों का संचालन किया गया है।
- असाक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से 15+ वयवर्ग के असाक्षरों को सर्वेक्षण के

माध्यम से चिन्हित करते हुए साक्षरता केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ कर लिया गया है।

- योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष में दो बार आयोजित साक्षरता परीक्षा में अभी तक 133.53 लाख लोग सम्मिलित हुए हैं, जिनमें 102.37 लाख प्रतिभागी सफल घोषित हुए हैं। इस प्रकार सफलता का 76.66 प्रतिशत रहा है। इस सभी सफल प्रतिभागियों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिये गये हैं।
- वर्ष 2017-18 में माह 18 जून, 2017 तथा 16 दिसम्बर, 2017 को आयोजित की गई। साक्षरता परीक्षा में कुल 34.71 लाख प्रतिभागी सम्मिलित हुये, जिनका परिणाम अभी अपेक्षित है।
- इस प्रकार योजनान्तर्गत 168.24 लाख लोगों को साक्षरता परीक्षा में कार्यक्रम के प्रारम्भ से अभी तक सम्मिलित कराया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य 182 लाख का 92.44 प्रतिशत है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ

भारत सरकार की शैक्षिक नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गयी है। परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य शैक्षिक शोध, सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का विकास तथा उनका संशोधन एवं पुनरीक्षण आदि है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों यथा- समाजवाद, धर्म-निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मकता एवं अन्य घटकों जैसे- सांस्कृतिक धरोहर, मानवीय मूल्य लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण आदि का विकास तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास आदि क्रियान्वित करना है।

परिषद के उद्देश्य और प्रमुख कार्य

- शिक्षा के गुणात्मक-उन्नयन की दृष्टि से क्रियात्मक अनुसंधान करना, अनुसंधानों का समन्वयन करना, क्रियान्वयन करना तथा उन्हें प्रोत्साहन देना।
- सेवा पूर्व/सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन तथा शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को आवश्यक परामर्श एवं निर्देशन देना।
- नवीनतम शिक्षण विधियों तथा विशिष्ट कार्यक्रमों एवं उनके क्रियान्वयन से सम्बन्धित योजना को विद्यालयों तथा शैक्षिक आयोजकों तक पहुँचाना।
- शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु राज्य के शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं और कतिपय अभिकरणों से सहयोग प्राप्त करना।
- विद्यालयीय शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने की दृष्टि से राज्य प्रशासन तथा अन्य अभिकरणों को परामर्श देना।
- पाठ्यक्रम-पाठ्यपुस्तक, शिक्षक-संदर्शिका, प्रशिक्षण पैकेज, शिक्षण-सामग्री तथा अन्य उपयोगी साहित्यों का विकास, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार करना।
- परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी प्रकार के आवश्यक कार्यों का सम्पादन।
- सरकार द्वारा संदर्भित शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संबंधी अन्य कार्यक्रमों का आयोजन।

●

माध्यमिक शिक्षा

''सभी सुशिक्षित सभ्य बनें, जन-जन का कल्याण करें'' के सर्वमान्य सिद्धान्तों के लिए शिक्षा, एक अत्यन्त सशक्त एवं प्रभावकारी माध्यम है। शिक्षा राष्ट्र के वर्तमान एवं भविष्य निर्माण का अनुपम साधन है। शिक्षा ही मानव को सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाकर एक सुन्दर आदर्श समाज का निर्माण करती है, जो संविधान के प्रति निष्ठा, धर्म निरपेक्षता एवं लोकतंत्र के आदर्श मूल्यों की प्राप्ति में मार्ग दर्शन कर सहायता करती है। बौद्धिक सम्पन्नता एवं राष्ट्रीय आत्म निर्भरता की आधारशिला शिक्षा ही है। व्यक्ति और समाज के बहुमुखी विकास के लिए शिक्षा की उपादेयता निर्विवाद है।

वर्ष 1972 तक शिक्षा निदेशक के अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्रशिक्षण स्तर की शिक्षा संचालित थी। शिक्षा के बढ़ते कार्यों, विद्यालयों एवं नये-नये प्रयोगों के कुशल संचालन कार्यक्रम को अधिक गतिशील एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1972 से शिक्षा निदेशालय के विभाजन का निर्णय शासन स्तर पर किया गया। जिसके अन्तर्गत बेसिक शिक्षा निदेशक एवं उच्च शिक्षा निदेशक के पदों का सृजन कर इसे तीन खण्डों में विभाजित किया गया, किन्तु वर्ष 1975 में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा का एकीकरण कर दिया गया। जबकि उच्च शिक्षा यथावत अलग चलता रहा। वर्ष 1985 में बेसिक शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं गतिशील बनाने के लिए पृथक से बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। उक्त तीन निदेशालयों के अतिरिक्त प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं को प्रभावी नियंत्रण एवं प्रशासन देने के उद्देश्य से वर्ष 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई तथा इसके लिए भी अलग से एक निदेशक नियुक्त किए गए।

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा उर्दू एवं प्राच्य भाषा प्रशिक्षण एवं शोध कार्यक्रमों को अधिक गतिशील और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अलग-अलग निदेशालय स्थापित किये गये हैं। इन पाँच निदेशालयों हेतु एक आय-व्ययक सम्मिलित रूप से बनता था। विभिन्न कार्यक्रमों की जनधारणा, नीति, स्वरूप एवं आकार तथा इसके नियोजन और कार्यान्वियन व आवश्यकताओं आदि को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया कि वर्ष 1986-87 से प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध कार्यक्रमों का अलग-अलग आय-व्ययक तैयार हो। उर्दू का आय-व्ययक माध्यमिक शिक्षा में शामिल कर बनाया जाता है।

केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य 14 से 18 आयु वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति.अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्र-छात्राओं को माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापरक एवं व्यय भार-वहन योग्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस हेतु शैक्षिक अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है। अभियान

अवधि में माध्यमिक स्तर पर निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है-

- उचित दूरी पर माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराया जाना, जो माध्यमिक विद्यालय के संदर्भ में 5 किमी0 तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु 7 से 10 किमी0 है।
- वर्ष 2018-19 तक सकल छात्र नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है।
- वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव।
- माध्यमिक शिक्षा की पहुँच, विशेषकर समाज के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों के समस्त बालक/बालिकाओं एवं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले विशेषकर विकलांग बच्चों तथा अपवंचित श्रेणी जैसे– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की जाएगी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद् का गठन कर निम्नांकित 5 केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है:-

1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
2. सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सूचना एवं जनसूचना प्रौद्योगिकी योजना।
3. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के व्यवसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेडों का संचालन।
4. बालिका छात्रावास योजना।
5. विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना।

इनके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण योजनायें संचालित की गयी हैं:-

1. सैनिक स्कूल की स्थापना।
2. मण्डल/जिला स्तर पर शिक्षा कार्यालय तथा आवासीय भवनों का निर्माण।
3. राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण तथा भूमि/भवन क्रय।

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना

अशासकीय मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों तथा अध्यापकों की नियुक्ति/प्रोन्नतियों हेतु वर्ष 1982 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया। कालान्तर में आयोग को विघटित करते हुए क्षेत्रीय चयन बोर्डों की स्थापना प्रयागराज, वाराणसी तथा मेरठ में की गई। पुनः इन तीनों क्षेत्रीय चयन बोर्डों को समाप्त करते हुए अधिसूचना संख्या- 1891/15-7-1 (72) 98 दिनांक 22-4-98 द्वारा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा– सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया। चयन बोर्ड वर्तमान में प्रयागराज में स्थापित हैं।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 6-8 व 9-12 में विभिन्न योग्यता छात्रवृत्ति छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहित करने तथा अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों की दयनीय आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सहायता देने हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है।

शिक्षा निदेशालय स्तर पर खेल प्रकोष्ठ का गठन

शाासनादेश संख्या– 1667/15–10–07–03 शा0शि0/2005 दिनांक 11 मार्च, 2008

द्वारा सहायक शिक्षा निदेशक (एन0एफ0सी0) के पद को परिवर्तित कर सहायक शिक्षा निदेशक (खेल) कर दिया गया है तथा शिविर कार्यालय में खेल प्रकोष्ठ का गठन कर दिया गया है।

राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान फैजाबाद की स्थापना

इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेलकूद तथा पाठ्येत्तर कार्यक्रमों के प्रति अभिरुचि तथा मानसिक विकास के साथ-साथ चरित्र निर्माण में सहयोग, जीवन के प्रति सद्भावना तथा कर्तव्य निष्ठा की भावना जागृत करना है। इसके अन्तर्गत जनपद, मण्डल, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं का संचालन किया जाता है।

प्रदेश स्तर पर चुने हुए प्रतिभावन छात्र/छात्रा खिलाड़ियों का नवीनतम तकनीक द्वारा खेलकूद का प्रशिक्षण बढ़ाने की दृष्टि से अयोध्या में राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान, अयोध्या की स्थापना की गई है।

केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय

इस पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1940 मे हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि पुस्तकालय में शिक्षा संबंधी पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं का अच्छा संकलन किया जाय। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत प्रदेश में प्रकाशित पुस्तकों का संकलन भी इस पुस्तकालय में किया जाता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस पुस्तकालय के नये भवनों का निर्माण कराया गया। वर्ष 2018-19 मे वेतनादि मदों में रु. 286.93 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

पुस्तकालय की नीति एवं पद्धति का विकास

सचिवालय स्तर पर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक पुस्तकालय प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1980-81 में की गई है। इस प्रकोष्ठ का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रदेश के लिए आधुनिक पुस्तकालय पद्धति के विषय में आवश्यक परियोजनाएं बनायें और प्रशासनिक तथा तकनीकी कार्य करे। वर्ष 2018-19 में रु. 24.53 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, लखनऊ के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु शासन ने राजस्व पक्ष में वर्ष 2018-19 में रु. 83.54 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान

सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान नामक इस योजना के अन्तर्गत पुस्तकालयों को पुस्तकीय सहायता तथा भवन निर्माण एवं फर्नीचर क्रय हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रतिवर्ष अधिक से अधिक सार्वजनिक पुस्तकालय इस परियोजना से लाभ उठाते हैं। वर्ष 2018-19 में रु. 10.00 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

सार्वजनिक पुस्तकालयों को बाल पुस्तकालयों के विकास हेतु अनुदान

वर्ष 1983-84 में एक नयी परियोजना के माध्यम से प्रदेश के सार्वजनिक पुस्तकालयों को बाल पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं ताकि बालक एवं बालिकाओं में स्वाध्याय में रुचि जागृत की जा सके। वर्ष 2018-19 में रु. 1.10 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में रु. 653.12 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

असेवित विकासखण्डों में निजी प्रबंधतंत्रों द्वारा कन्या विद्यालयों की स्थापना

वर्ष 1994-95 में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में बालिकाओं हेतु कम से कम एक हाईस्कूल स्तर का विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998 तक निर्धारित मानक के पूर्ण करने पर कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए निजी प्रबन्ध तंत्र को रु. 5-5 लाख की दो समान किश्तों को रु. 10 लाख अनावर्तक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था थी।

सरकार द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 1998 से अनावर्तक अनुदान को बढ़ाकर रु. 20.00 लाख कर दिया गया जिसके अन्तर्गत 10-10 लाख की दो समान किश्तों में धनराशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया।

असेवित विकास खण्ड में निजी प्रबन्ध तंत्र द्वारा कन्या माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान योजना के अन्तर्गत 376 कन्या माध्यमिक विद्यालयों को आच्छादित किया गया है।

माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण तथा भूमि, भवन क्रय योजना-

विद्यालय के भवन की शैक्षिक वातावरण तैयार करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। यदि विद्यालय का भवन और उसके आस-पास का वातावरण शान्त और आनन्ददायक नहीं होगा तो पढ़ाने में चाहे जितने भी आधुनिक तरीके अपनाये जायें तो भी छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं कर पायेंगे। वर्तमान में प्रदेश के समस्त जनपदों में अभी भी ऐसे राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं जिनके पास या तो अपने निजी भवन नहीं हैं अथवा उनके भवन अपर्याप्त तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिनके निर्माण/पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में उक्त योजना हेतु रु. 1200.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है तथा इसके सापेक्ष रु. 442.17 लाख वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है एवं वर्ष 2018-19 में रु. 1200.00 लाख की धनराशि का बजट प्रस्तावित है।

उ.प्र. में व्यावसायिक शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश में केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अनुसार वर्ष 1989-90 से प्लस दो स्तर पर (इण्टरमीडिएट) प्रारम्भ की गयी थी, जिसमें प्रथम चरण में 200 विद्यालय तथा षष्टम चरण तक 892 माध्यमिक विद्यालयों को इस योजना से आच्छॉदित किया जा चुका है। चयनित विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा 35 ट्रेडों में से प्रत्येक विद्यालय में दो या तीन उपयोगी ट्रेड स्वीकृत किये गये हैं। योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्रत्येक विद्यालय में वर्कशेड निर्माण हेतु रु. 2.00 लाख तथा ट्रेड उपकरण के क्रय हेतु भी रु. 2.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं। सम्प्रति 892 माध्यमिक विद्यालयों में वर्कशेड निर्मित हैं।

व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को हिन्दी अनिवार्य के साथ-साथ वैकल्पिक विषय, सामान्य आधारित विषय तथा व्यावसायिक ट्रेडों में से एक ट्रेड लेना होता है।

शाासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार दिसम्बर 2008 से मानदेय, इण्टर स्तर पर रु. 350.00 प्रति व्याख्यान, अधिकतम 10000.00 प्रति माह कर दिया गया है, इसी प्रकार हाई स्कूल

स्तर पर रु. 250.00 प्रति व्याख्यान तथा अधिकतम 8000.00 प्रति माह कर दिया गया है।

राजकीय/सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना

केन्द्र पुरोनिधानित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0) योजना 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में संचालित है। योजनान्तर्गत प्रथम चरण के 2500 राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बूट मॉडल के आधार पर निष्पादित अनुबंध के अनुसार चयनित संस्थाओं द्वारा संचालित की गयी प्रथम चरण की योजना का कार्यकाल माह नवम्बर 2014 में समाप्त हो गया। द्वितीय चरण वर्ष 2010-11 में योजनान्तर्गत 1500 माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया। जिसमें योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0, लखनऊ, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को लखनऊ तथा मे0 टी0सी0आई0एल0, नई दिल्ली के मध्य त्रिपक्षीय अनुबन्ध दिनांक : 20.12.2010 को निष्पादित किया गया। द्वितीय चरण में चयनित 1500 विद्यालयों से सम्बन्धित आई0सी0टी0 योजना माह दिसम्बर 2015 में समाप्त हो चुकी है। योजनान्तर्गत तृतीय चरण में 1608 माध्यमिक विद्यालयों में योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है। योजना संचालन हेतु वर्ष 2017-18 में उक्त योजनान्तर्गत रु. 5000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है एवं वर्ष 2018-19 में रु. 1608.00 लाख का बजट प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

यह केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जो 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में संचालित है। भारत सरकार की सहायता से 14-18 आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं को माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापरक एवं व्ययभार-वहन योग्य शिक्षा उपलब्ध कराने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्र-छात्राओं की शिक्षा के विशेष उपाय किये जाने हेतु योजना वर्ष 2009-10 से संचालित है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार इस योजना को प्रदेश में लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से हाईस्कूल के छात्र-छात्राओं के लिए 05 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक स्तरीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना, माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण गुणवत्ता-विकास तथा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन है।

बालिका छात्रावास योजना

यह केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जो 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में संचालित है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 680 विकासखण्डों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण कराया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से वर्ष 2010-11 में 141 छात्रावासों की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से 50 छात्रावासों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल स्वीकृत 191 छात्रावासों के सापेक्ष वर्तमान में 52 छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। शेष छात्रावास निर्माणाधीन हैं।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना (आई0ई0डी0एस0एस0)

यह योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, इसे 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश से

संचालित किया जाता है। योजना का मुख्य उद्‌देश्य विकलांग बच्चों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समुचित वातावरण एवं सुविधा उपलब्ध कराया जाना है।

रिवाइज्ड केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा योजना (नवीन योजना)

यह योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है यह 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में संचालित है। योजना को रिवाइज्ड करने हेतु एक प्रस्ताव शासन के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, इस योजना में 200 राजकीय विद्यालयों का चयन कर सूची शासन को प्रेषित की गई है। इस योजना हेतु 5 नवीन ट्रेडों (रिटेल, आटोमोबाइल, सिक्योरिटी, आई0टी0, हेल्थ केयर) का प्रस्ताव किया गया है। इन ट्रेडों का पाठ्यक्रम एवं इन ट्रेडों में आमंत्रित अतिथि विषय विशेषज्ञों की शैक्षिक योग्यता का निर्धारण माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा किया जा चुका है।

उर्दू निदेशालय

उर्दू भाषा की शिक्षा एवं उर्दू के विकास का कार्य

प्राथमिक स्तर

प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यकों के बच्चों को अपनी मातृभाषा के माध्यम से शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक विद्यालयों में एक कक्षा में 5 से अधिक छात्र उपलब्ध होने पर उर्दू के अध्यापक की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने के लिए अग्रिम छात्र पंजिका रखने तथा उसे भरे जाने हेतु पूर्व से ही स्थायी निर्देश हैं जिसके नये सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के समय उसको भाषा पढ़ाने विषयक विवरण अंकित कर सके। सम्प्रति अग्रिम छात्र पंजिका प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा तथा जिस भाषा के माध्यम से छात्र पढ़ना चाहता है, के संबंध में सूचना देने का प्रावधान किया गया है। विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने हेतु समय-सारिणी में पृथक से व्यवस्था की जाती है।

परिषदीय सीनियर बेसिक स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक त्रिभाषा सूत्र योजनान्तर्गत उर्दू भाषा को एक विषय के रूप में पढ़वाने की व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है।

उर्दू शिक्षा संबंधी अन्य सुविधाएं

उर्दू प्रवीणता परीक्षा

राजकीय, स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों को उर्दू सीखने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्‌देश्य से प्रति वर्ष उर्दू की दो प्रवीणता परीक्षायें जूनियर हाई स्कूलस्तर तथा हाईस्कूल स्तर की रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उ.प्र., इलाहाबाद द्वारा संचालित होती है। इन परीक्षाओं में हाईस्कूल स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण कर्मचारियों को रुपये 700.00 द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण कर्मचारियों को रुपये 500.00 तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण कर्मचारियों को रुपये 400.00 तथा जूनियर हाई स्कूलस्तर की उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर क्रमशः रु. 300, रु. 200 तथा रु. 100 का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है।

●

उच्च शिक्षा

भूमण्डलीकरण के वर्तमान परिदृश्य में हमारे सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यों एवं मान्यताओं में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। परम्परागत मूल्यों एवं मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव शिक्षा तथा विशेष रूप से उच्च शिक्षा पर पड़ा है। शिक्षा मानव व्यक्तित्व के निर्माण में विनियोजन तथा व्यक्ति के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र के निर्माण एवं विकास की आधारशिला है। सर्वमान्य सत्य है कि ज्ञान-विज्ञान तथा वैश्वीकरण के इस दौर में एक शक्तिशाली एवं सर्वांग विकसित राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक निर्णायक भूमिका शिक्षा जगत की ही है। उच्च शिक्षा ज्ञानार्जन, विश्लेषण, शोध, और अनुप्रयोग की प्रविधियों से आकार पाती है, इसका उद्देश्य ज्ञान-विज्ञान से समृद्ध ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है, जो उच्चतम मानवीय मूल्यों यथा- समता, समरसता, धर्मनिरपेक्षता, परकल्याण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता आदि से युक्त हो। इन्हीं उच्चादर्शों की पूर्ति के लिये यह अपेक्षित एवं अपरिहार्य है कि समाज के युवा वर्ग को शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा उच्च कोटि का समाजोपयोगी प्राणी बनाया जाये। मनुष्य के सतत् सामाजिक और आर्थिक, प्रगति हेतु शिक्षा का क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। उच्च शिक्षा समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं औद्योगिक विकास की रीढ़ है। ऐसे में उच्च शिक्षा जगत् की महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है।

उच्च शिक्षा के तीन प्रमुख उद्देश्य- शिक्षण, शोध एवं प्रसार वैश्विक पर्यावरण निर्माण का आधार निर्मित करते हैं। वर्तमान समय में व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रगति के लिए विश्वस्तरीय ज्ञान से युक्त होना तथा उसके अनुप्रयोग की क्षमता रखना अति आवश्यक है।

इसी प्रकार उच्च स्तरीय संस्थानों एवं संगठनों के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि वे ऐसी कार्य शक्ति और क्षमता वाले कुशल नवयुवकों से युक्त हों जो विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम हों। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय तथा अध्ययन केन्द्र ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रदान कर सकने वाले उद्गम स्रोत की भूमिका निभा सकते हैं। आज सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था विशेष रूप से उच्च शिक्षा के विविध आयाम विश्वदृष्टि से प्रभावित हैं। इसने नवीन प्राविधियों जैसे- ई-लर्निंग, फ्लेक्जिबिल लर्निंग, वर्चुवल लर्निंग तथा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम आदि को प्रोत्साहित किया है।

प्रदेश के सर्वांगीण, सुनियोजित एवं समग्र विकास में उच्च शिक्षा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। शासन उच्च शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु कटिबद्ध है। शासन द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा की संस्थाओं को आधुनिकतम संसाधनों से परिपूर्ण उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध हो, साथ ही इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि छात्र/छात्राओं को व्यवस्थापक कौशल विकास शिक्षा प्रदान की जाये, जिससे प्रदेश का युवा वर्ग स्वावलम्बी बन सके। शिक्षित युवाओं

के सरकारी सेवाओं पर निर्भरता में उत्तरोत्तर कमी और उनका देश की समृद्धि में योगदान सुनिश्चित करने के लिए रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के विकास पर बल दिया जा रहा है। साथ ही निरोग रहने हेतु योग को एक विषय के रूप में शिक्षा प्रदान करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समय शासन विशेष सक्रियता के साथ सुयोग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति, भवन निर्माण/विस्तार, ई-पुस्तकालयों की स्थापना, महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, सुसज्जित प्रयोगशाला तथा सूचना क्रान्ति की चुनौतियों से निपटने के लिए महाविद्यालयों के कम्प्यूटरीकरण, पुस्तकालयों में मुफ्त वाई-फाई की व्यवस्था वर्चुवल क्लास रूम की स्थापना पर बल दे रहा है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं के विस्तार एवं नये महाविद्यालयों के भवन निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी पूँजी निवेश एवं सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए असेवित क्षेत्रों में महाविद्यालयों की स्थापना पर भी बल दिया जा रहा है। गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा के विकास के लिए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करते हुए मानक निर्धारित किये गये हैं।

उच्च शिक्षा निदेशालय के दायित्व एवं कर्तव्य

1. प्रदेश के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों तथा समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्रबन्धन, नियन्त्रण तथा उनके विकास कार्य का दायित्व।
2. प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शासकीय व्यवस्था के माध्यम से वेतन वितरण एवं उससे सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक कार्य तथा समय-समय पर पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण।
3. सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों तथा आने वाले शिक्षा सत्र के अन्तर्गत संभावित रिक्तियों की सूचना महाविद्यालय से प्राप्त करना तथा सूचित रिक्तियों की विषयवार समेकित सूची उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज को विज्ञापन एवं चयन हेतु प्रेषित करना।
4. उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित एवं संस्तुत अभ्यर्थियों को रिक्तियों की निर्दिष्ट सूची में से आसन-व्यवस्था हेतु प्रबन्धतन्त्र को नियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु नाम प्रेषित करना।
5. सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम एवं अन्तिम भुगतान की स्वीकृति।
6. सेवानिवृत्त होने पर पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करना।
7. उच्च शिक्षा से सम्बन्धित न्यायालयीय वादों का निस्तारण कराना।
8. विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय रखते हुए उच्च शिक्षा के नियमों, परिनियमों एवं अधिनियमों तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के दायित्व का निर्वहन।
9. शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों के अभिलेखों का मुख्यालय की ऑडिट इकाई द्वारा आन्तरिक सम्प्रेक्षण।
10. महाविद्यालयों में उद्घाटित प्रबन्धकीय एवं वित्तीय अनियमितताओं का निवारण।

11. प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक/प्रशासक नियुक्त कराये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही।

12. प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के तीन वर्ष से अधिक समय से रिक्त पदों को पुनर्जीवित करते हुये अनुज्ञा प्रदान करना तथा शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन एवं विकास

- राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर/स्नातक प्राचार्यों की काफी समय से लम्बित पदोन्नति प्रक्रिया को पूर्णकर 34 स्नातकोत्तर प्राचार्यों एवं 79 स्नातक प्राचार्यों को पदोन्नत किया गया है, जिससे राजकीय महाविद्यालयों में पठन-पाठन को व्यवस्थित एवं नियमित किया जा सके।

- राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं की स्थानान्तरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु प्रदेश में प्रथम बार ऑनलाइन स्थानान्तरण व्यवस्था प्रारम्भ की गयी।

- प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों के लिए राज्य पुरस्कार की योजना संचालित है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों तथा स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में कार्यरत उत्कृष्ट एवं योग्य शिक्षकों को शोध एवं शिक्षण कार्य हेतु पुरस्कार प्रदान करना है। वर्ष 2016 एवं 2017 हेतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए शासन द्वारा चयनित शिक्षकों को 'सरस्वती पुरस्कार' एवं 'शिक्षक श्री' पुरस्कार से दिनांक 05 सितम्बर, 2017 को मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया है।

- जनसामान्य के लिए उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ एवं गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए प्रदेश शासन कृत संकल्प है। इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद-प्रयागराज के फूलपुर संसदीय क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना, जनपद-गोरखपुर के विकास खण्ड-जंगल कौड़िया में एक राजकीय महिला महाविद्यालय तथा जनपद-मथुरा के नगला चंन्दभान में एक राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में शहीद हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय जनपद चंदौली में 07 विषयों में (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने तथा पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय पलही पट्टी वाराणसी में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है।

- राज्य विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से शिक्षण कार्य लिये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किया जा चुका है।

- समस्त राज्य विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दिये गये हैं कि विदेशी भाषाओं के अध्ययन/अध्यापन की कार्य योजना विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुलपति के नेतृत्व में तैयार की जाये तथा आगामी शैक्षणिक सत्र से विदेशी भाषाओं का अध्ययन/अध्यापन सभी राज्य विश्वविद्यालयों में प्रारम्भ किया जाये।

- राजकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों को सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु समस्त

आवश्यकतायें पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। राजकीय महाविद्यालयों में आधुनिक लाइब्रेरी की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

- महाविद्यालय के शिक्षकों की कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम एवं इसके अधीन पदोन्नति हेतु विगत सेवाओं की गणना के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन 2010 के प्रावधान दिनांक 28 मई, 2015 के स्थान पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 से लागू कर दिया गया है, अर्थात ऐसे शिक्षक जिनकी प्रोन्नति दिनांक 28 मई, 2015 को अथवा उसके पूर्व देय है किन्तु उनके द्वारा रिफ्रेशर/ओरिएन्टेशन, कोर्स 28 मई 2015 के पश्चात् किया गया है, को यू0जी0सी0 रेगुलेशन, 2010 के अन्तर्गत ए.पी.आई. से छूट प्रदान करते हुए प्रोन्नति अनुमन्य होगी, किन्तु रिफ्रेशर/ओरिएन्टेशन कोर्स पूर्ण करने की तिथि 31 दिसम्बर, 2017 अथवा इसके पूर्व हो।
- विभाग से सम्बन्धित सभी सूचनाओं को सर्व सुलभ बनाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग की नवीन बेवसाइट प्रारम्भ की गयी है।
- शोध, नवाचार एवं गुणवत्ता में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में रिसर्च एवं डेवलपमेण्ट को विशेष महत्त्व दिया जा रहा है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 400.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है। इसके अतिरिक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में भाऊ राव देवरस शोध पीठ की स्थापना हेतु रु. 200.00 लाख तथा 15 राज्य विश्वविद्यालयों में दीन दयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 900.00 लाख की धनराशि का बजट प्रावधान किया गया है।
- शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक कैलेण्डर का निर्धारण किया गया तथा समस्त राज्य विश्वविद्यालयों को अनुपालन हेतु प्रेषित किया गया।
- राज्य विश्वविद्यालयों में नकल विहीन परीक्षा कराया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-04/2018/101/सत्तर-1-2018-16(9)/2018 दिनांक 01.02.2018 निर्गत किया गया।
- उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षकों की गुणवत्ता एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता के मानक स्थापित करने हेतु प्रदेश में राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में शासन द्वारा समिति का गठन किया गया है।
- उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन हेतु विधिक परामर्शदाता मा. राज्यपाल/कुलाधिपति की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। निजी विश्वविद्यालयों हेतु अम्ब्रेला अधिनियम बनाया जाना विचाराधीन है।
- उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यो/प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की गयी है।

- कार्यालयों/महाविद्यालयों में टेण्डर व्यवस्था को पारदर्शी बनाने हेतु ई-टेंडरिंग की व्यवस्था की गयी है।
- अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के अन्तर्गत छात्राओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी। स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय परिसर तथा राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दिये जाने सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालय एवं छात्रा कॉमन रूम में निःशुल्क वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है।
- संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शासकीय सुधार हेतु महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की मान्यता को पारदर्शी ऑनलाइन सम्बद्धता हेतु सॉफ्टवेयर यू.पी.एन.आई.सी. द्वारा तैयार किया जा रहा है।
- महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दार्शनिक एवं चिंतक बालगंगाधर तिलक के ''स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा'' विषयक उद्घोष के 101वें वर्ष के उपलक्ष्य में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, शासकीय, अशासकीय, स्ववित्तपोषित, व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थानों के कुल 14 ग्रुप बनाकर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 30 दिसम्बर, 2017 को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया।
- प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में प्रथम बार 24 जनवरी, 2018 को 'उत्तर प्रदेश दिवस' मनाया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में विकास की संभावनाएं विषय से छात्र/छात्राओं को जोड़ते हुए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन प्रजेन्टेशन के द्वारा 11 विषयों पर विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्य, जोन/राज्य स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 11 थीमों में से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाली 33 टीमों को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल तथा माननीय उपमुख्यमंत्री जी के करकमलों से पुरस्कार धनराशि प्रदान की गई।

राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, प्रयागराज

वर्तमान परिदृश्य

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में पुस्तकालय का प्रान्तीयकरण करते हुए इसे उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में शामिल किया गया। पुस्तकालय के व्यवस्थित संचालन हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा मण्डलायुक्त प्रयागराज मण्डल की अध्यक्षता में दस सदस्यीय पुस्तकालय प्रबन्ध समिति का गठन किया गया है। पुस्तकालय के व्यवस्थित संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत धनराशि रु. 132.22 लाख का प्रावधान किया गया है। पुस्तकालय में विभिन्न श्रेणियों के कुल 26 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 22 कर्मचारी कार्यरत हैं। पुस्तकालय में विभिन्न विषय क्षेत्रों एवं भाषाओं में लगभग 60 पत्रिकायें एवं 22 समाचार पत्र पाठकों के सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध हैं। गत वर्ष लगभग 42 हजार पाठकों द्वारा 53943 पाठ्य सामग्रियों का उपयोग किया गया। पाठकों की मांग पर लगभग 2756 छायाप्रतियां उपलब्ध कराई गईं।

पुस्तक संग्रह

पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय भवन की भांति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यहाँ पर महत्वपूर्ण दुर्लभ पाठ्य सामग्री के साथ ही नवीन पुस्तकों का ऐसा विपुल भण्डार है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। पुस्तकालय के संग्रह में लगभग सभी विषय क्षेत्रों से सम्बन्धित हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, फ्रेन्च व अन्य भाषाओं में पुस्तकों की विस्तृत शृंखला उपलब्ध है। पुस्तकालय के संग्रह में विभिन्न विषयों पर लगभग 1.25 लाख पुस्तकें उपलब्ध हैं।

पुस्तकालय द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

इन्टरनेट, सोशल मीडिया तथा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों की चुनौतियों के बावजूद विगत वर्षों में इस पुस्तकालय की पाठक संख्या में प्रति वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है तथा वर्तमान समय में यह उत्तर भारत के सर्वाधिक पाठक संख्या वाले पुस्तकालयों में से एक है।

प्रसिद्ध ऑनलाइन जर्नल "द सिटीजन" द्वारा जारी विवरण के अनुसार यह पुस्तकालय देश के दस सर्वाधिक सुन्दर पुस्तकालयों में शामिल है।

इण्डिया टुडे द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट में इस पुस्तकालय को देश में छठवां स्थान प्राप्त है।

विश्वविद्यालय ऑनलाइन ज्ञानकोश विकीपीडिया द्वारा इस पुस्तकालय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है।

विश्व प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सूचना डायरेक्टरी "यूरोपा वर्ड ऑफ लर्निंग" द्वारा भी इस पुस्तकालय को स्थान प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रदेश में भारत सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय सेवा योजना वर्ष 1969-70 में प्रथम बार लागू की गयी। सर्वप्रथम यह योजना स्नातक स्तर के 2500 छात्र/छात्राओं पर लागू की गई जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सामान्य कार्यक्रमों के लिए रु. 250/- प्रति छात्र और विशेष शिविरों के कार्यक्रमों के लिए रु. 450/- प्रति छात्र सात दिवसीय विशेष शिविर हेतु अनुदान दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के सफल संचालन के लिए सचिवालय स्तर पर एक कोष्ठक का पुनर्गठन किया गया है जिसका शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस हेतु वर्ष 2018-19 में रु. 84.95 लाख की व्यवस्था की गई है।

●

प्राविधिक शिक्षा

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्कर्षकाल है। नित्य नई प्राविधियाँ विकसित हो रही हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्द्धा से श्रेष्ठता व गुणवत्ता के नवीन आयाम जन्म ले रहे हैं। विकास के ऐसे क्रान्तिक परिदृश्य में प्राविधिक शिक्षा के स्वरूप व स्तर की प्रासंगिकता का विशेष महत्त्व है। प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा सम्बन्धित विकास के लक्ष्यपरक संकल्प व प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा प्रणाली की क्षमता में सुधार, प्रसार तथा गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार की प्रतिबद्धता के साथ उच्च स्तर के तकनीशियन विकसित करके कार्य क्षेत्र की आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी सुसंगत आपूर्ति करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिये तकनीकी शिक्षा की मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु समय-समय पर इंजीनियरिंग कालेजों एवं डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं की स्थापना कर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों को तकनीकी जनशक्ति की आपूर्ति एवं क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की दिशा में प्राविधिक शिक्षा विभाग निरन्तर कार्यशील रहा है। प्राविधिक शिक्षा विभाग प्रौद्योगिकी के आधुनिक विषयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं विकलांग छात्र/छात्राओं को प्राविधिक शिक्षा में सहभागी बनाने के लिये सतत् प्रयत्नशील है।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन 14 स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरीय संस्थायें तथा 565 डिप्लोमा स्तरीय संस्थाएं संचालित हैं। इनके अतिरिक्त 38 डिप्लोमा स्तरीय राजकीय संस्थायें अवस्थापना की स्थिति में हैं। प्राविधिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार एवं त्वरित् विकास हेतु शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों की परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद तथा छात्रों के प्रवेश हेतु सुयोग्य छात्रों के चयन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद का गठन किया गया है।

डिग्री स्तर

डिग्री स्तर की संस्थाओं का प्रशासनिक नियंत्रण

प्राविधिक विश्वविद्यालय

पूर्ववर्ती महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर तथा गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को मर्ज कर दिनांक 01.11.2013 को उ.प्र. प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की गयी। वर्तमान में यह डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ.प्र. लखनऊ के नाम से जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य प्रदेश में स्थापित ऐसे निजी एवं सरकारी संस्थान जो बी0टेक0/बी0फार्मा0/बी0आर्क0/एम0बी0ए0/एम0सी0ए0/होटल मैनेजमेंट/एम0फार्मा0 एवं एम0टेक0 पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, को सम्बद्धता प्रदान करना, प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, पाठ्यक्रम को निर्धारित करना तथा परीक्षा के उपरान्त अध्ययनरत छात्रों को डिग्री प्रदान करना है।

मदन मोहन मालवीय इंजीनिरिंग कालेज, गोरखपुर को रूड़की विश्वविद्यालय की भांति मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय, गोरखपुर बनाया गया है जो दिनांक 01.12.2013 से क्रियाशील है।

हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (एच.बी.टी.आई.), कानपुर को उपर्युक्त की भांति हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर बनाया गया है जो दिनांक 01.09.2016 से क्रियाशील है।

डिग्री स्तर की संस्थाओं का गठन

शासकीय सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों की व्यवस्था तथा संचालन का दायित्व संस्था प्रमुख का होता है। उसकी सहायता के लिए रजिस्ट्रार तथा वित्त अधिकारी के पद सृजित हैं।

विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-द्वितीय चरण (टेकिप-III)

भारत सरकार के विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का तीसरा चरण (टेकिप-।।।) वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ है। तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के द्वितीय चरण में मुख्यतः दो सब-कम्पोनेन्ट हैंः- सब-कम्पोनेन्ट 1.1 तथा सब-कम्पोनेन्ट 1.2। टेकिप-।। कार्यक्रम परास्नातक एवं अनुसंधान पर केन्द्रित है।

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना चरण (टेकिप-।।।) वर्ष 2017 में प्रारम्भ हुआ। राज्य परियोजना कार्यान्वयन यूनिट (एसपीआईयू) के सभी मंत संस्थानों को फण्ड के आवंटन, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए तीसरी तिमाही से प्रारम्भ हुआ। कोई भी संस्थान प्रत्यक्ष लाभार्थी नहीं हैं वे पहले पी0एफ0एम0एस0 पर पंजीकरण करते हैं और पी0एफ0एम0एस0 से सभी विक्रेताओं/लाभार्थियों को भुगतान करते हैं।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना

यह योजना भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 65:35 प्रतिशत वित्त पोषित थी परन्तु वर्तमान में भारत सरकार ने अनुदान का प्रतिशत परिवर्तित कर 60:40 प्रतिशत कर दिया है। इस योजना से सम्बन्धित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) के साथ प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था तथा इस योजना का उद्‌देश्य महाविद्यालय/तकनीकी संस्थानों में शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता वृद्धि करना पर्याप्त संख्या में तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना है जिससे युवाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध करायी जा सके। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजनान्तर्गत 02 राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बस्ती एवं गोण्डा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त में प्रति संस्था रु. 2.11 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की गई है। जिसमें राज्यांश सम्मिलित कर शासनादेश दिनांक 28.01.2016 द्वारा कुल रु. 10.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा प्रति संस्थान हेतु द्वितीय किस्त के रूप में रु. 9.58 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके सापेक्ष शासनादेश दिनांक 07.02.2018 द्वारा प्रत्येक संस्थान हेतु रु. 7.26 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर को तकनीकी विश्वविद्यालय में उच्चीकृत करने हेतु भारत सरकार द्वारा रु. 55.00 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किस्त में 16.50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा मदन मोहन मालवीय प्रौद्यागिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर को अतिरिक्त रूप से रु. 7.50 करोड़ की धनराशि संस्थान के विकास एवं

सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत की जा चुकी है। इस योजना द्वारा तकनीकी शिक्षा की अभिवृद्धि हेतु अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है।

पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया

डिग्री स्तर की संस्थाओं में छात्रों का प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य अभियंत्रण प्रवेश परीक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित किया जाता है जिसमें सम्मिलित होने के लिये न्यूनतम योग्यता विज्ञान/गणित विषयों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष है।

शिक्षण सत्र 2003-04 तक बी0टेक0, बी0फार्मा, बी0आर्क तथा होटल मैनेजमेंट से सम्बन्धित संस्थाओं में प्रवेश यू0पी0 सीट के माध्यम से किये गये थे तथा एम0सी0ए0 एवं एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश यू0पी0एम0 कैट द्वारा कराया गया था। माह दिसम्बर, 2003 में यू.पी. सीट एवं यू0पी0एम0 कैट को भंग कर प्रवेश का कार्य डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ को सौंपा गया। फलस्वरूप डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2017-18 हेतु उ.प्र. राज्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर बी0टेक0, बी0फार्मा, बी0आर्क तथा होटल मैनेजमेंट के पाठ्यक्रमों हेतु चयन कराकर 16,075 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिलाया गया।

ई-गवर्नेन्स

डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ से लगभग 592 संस्थान सम्बद्ध हैं जिनमें लगभग तीन लाख छात्र अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध संस्थाओं में बी0टेक0, बी0फार्मा, बी0आर्क, बैचलर आफ होटल मैनेजमेण्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, एम0बी0ए0, एम0बी0ए0 (रूरल डेवेलपमेंट), एम0सी0ए0, एम0फार्मा एवं एम0टेक0 आदि पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं की शैक्षिक गतिविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण करने के लिये विश्वविद्यालय ने एक इन्टरैक्टिव वेब एप्लीकेशन की संरचना की है जिसके अन्तर्गत प्रमुख रूप से निम्न कार्य सम्पन्न कराये जा रहे हैं-

1. समस्त छात्रों की कक्षाओं में मासिक उपस्थिति का प्रेषण वेबसाइट के माध्यम से संस्थाओं द्वारा किया जाता है एवं विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की उपस्थिति के आधार पर वांछित कार्यवाही की जाती है।
2. छात्रों के परीक्षा फार्म इन्टरनेट के माध्यम से जमा कराये जाते हैं।
3. छात्रों की सैत्रिक परीक्षा के अंक का संस्थाओं द्वारा आनलाइन सबमिशन (प्रेषण) किया जाता है।
4. समस्त संस्थाओं द्वारा थ्योरी एवं प्रैक्टिकल विषयों के सैत्रिक अंकों का वेबसाइट के माध्यम से प्रेषण कराया जाता है।
5. प्रायोगिक परीक्षा के अंकों का भी प्रेषण संस्थाओं द्वारा वेबसाइट के माध्यम से किया जा रहा है।
6. विश्वविद्यालय द्वारा सभी छात्रों की परीक्षा के प्रवेशपत्र संस्थाओं के लिये सत्यापन एवं रोललिस्ट आदि संस्थाओं को नेट के माध्यम से प्राप्त करायी जाती है।
7. सभी संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा वेबसाइट के माध्यम से जमा कराया जाता है।
8. परीक्षाफल प्राप्त होने के उपरान्त परीक्षाफल पंजिका वेबसाइट के माध्यम से संस्थाओं को प्राप्त

कराये जाते हैं।

9. परीक्षाफल की घोषणा एवं छात्रों के परीक्षाफल एवं इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा समस्त छात्रों एवं संस्थाओं से किये जाने वाले सामान्य पत्राचार प्रायः वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है।
10. प्रश्न पत्रों का प्रेषण आनलाइन किया जाता है।
11. उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन कराया जाता है।

इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा अन्य सामान्य कार्य एवं प्रवेश परीक्षा के उपरान्त विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश हेतु आनलाइन काउंसिलिंग का कार्य आदि विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे हैं। इस कांउसिलिंग की पद्धति के कारण छात्र विभिन्न स्थानों पर अनावश्यक यात्रा एवं असुविधाओं से बच जाते हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा अपने से सम्बद्ध संस्थाओं के शैक्षिक नियंत्रण हेतु इस वेब एप्लीकेशन का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है।

भौतिक उपलब्धियाँ

विगत पांच वर्षों में शासकीय एवं सहायता प्राप्त डिग्री स्तरीय संस्थाओं के प्रवेश लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक प्रवेश की स्थिति निम्नवत् है-

वर्ष	डिग्री	
	स्वीकृति प्रवेश क्षमता	वास्तविक प्रवेश
2013-2014	4055	3372
2014-2015	4172	3683
2015-2016	4744	4046
2016-2017	3518	3021
2017-2018	4133	3595

डिप्लोमा सेक्टर

डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं का प्रशासनिक नियंत्रण

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय

प्रदेश में चल रही डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के प्रशासन तथा संचालन का सम्पूर्ण दायित्व प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर का है, जिसके प्रमुख निदेशक प्राविधिक शिक्षा हैं।

उक्त के अतिरिक्त चार क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, लखनऊ, दौराला, (मेरठ) एवं झाँसी में हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक हैं, जिनकी सहायता के लिए एक-एक वित्त एवं लेखाधिकारी का पद सृजित है। इनका मुख्य कार्य क्षेत्रीय डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं का पर्यवेक्षकीय नियंत्रण है।

प्राविधिक शिक्षा परिषद

इस कार्यालय का प्रमुख, परिषद का सचिव होता है तथा इसके अध्यक्ष/उपाध्यक्ष शासन द्वारा

नामित किये जाते हैं।

प्राविधिक शिक्षा परिषद का कार्य प्रदेश की पालीटेक्निकों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की परीक्षा आयोजित कराना तथा निजी क्षेत्र की पालीटेक्निकों को सम्बद्धता प्रदान करना है।

शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान

संस्थान का प्रमुख संस्था का निदेशक होता है।

संस्थान का कार्य संकाय प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या विकास/प्रशिक्षण, पाठ्य संसाधन विकास एवं शैक्षिक व तकनीकी कार्य करना है।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद

यह एक स्वशासी स्ववित्त पोषित संस्था है तथा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत है। इस परिषद का विभागाध्यक्ष निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् होता है तथा प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ.प्र. शासन इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

यह संस्था प्रदेश की सभी पालीटेक्निकों में प्रवेश के लिये प्रदेश स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराती है।

डिप्लोमा स्तर की संस्थायें

प्रदेश में विभाग के अधीनस्थ 136 राजकीय, 19 अनुदानित एवं 410 निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा इनके अतिरिक्त 38 राजकीय पालीटेक्निक संस्थाएं अभी अवस्थापना प्रक्रिया में हैं।

मल्टी प्वाइंट इन्ट्री एण्ड क्रेडिट सिस्टम प्रणाली

मल्टी प्वाइंट इन्ट्री एण्ड क्रेडिट सिस्टम प्रणाली प्रदेश के चार पॉलीटेक्निकों क्रमशः राजकीय महिला पॉलीटेक्निक लखनऊ, राजकीय पॉलीटेक्निक कानपुर, डॉ0 अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फार हैण्डीकैप्ड कानपुर तथा एन0आर0आई0पी0टी0 प्रयागराज में लागू है।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम में व्याख्यान, प्रयोगात्मक कार्य, गृह कार्य तथा औद्योगिक स्थल की यात्रा एवं स्वाध्याय के माध्यम से प्रशिक्षण पूर्ण कराया जाता है। प्रत्येक विषय को एक निश्चित महत्त्व दिया जाता है। मल्टी प्वाइंट इन्ट्री एण्ड क्रेडिट सिस्टम प्रणाली से डिप्लोमा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को यह वेटेज प्राप्त करने होते हैं। प्रत्येक विषय को दिये गये वेटेज को ही क्रेडिट सिस्टम कहा गया है।

छात्र को क्रेडिट तभी प्रदान किये जाते हैं जब वह सफलतापूर्वक विषय की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेता है। प्रत्येक छात्र को पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने होते हैं तभी छात्र सम्बन्धित पाठ्यक्रम में डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु अर्ह होता है।

विकलांगों के लिए प्राविधिक शिक्षा

डॉ0 अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फार हैण्डीकैप्ड, कानपुर

राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति-1986 तथा विकलांगजन (अवसरों की समानता, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम-1995 के अनुपालन स्वरूप राज्य के शारीरिक विकलांगता से ग्रसित

नवयुवकों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ कर उनकी समाज के लिये उपादेयता में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1997 में तत्कालीन विश्व बैंक सहायतित परियोजना के अंतर्गत कानपुर में डॉ0 अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी फार हैण्डीकैप्ड (ए0आई0टी0एच0) की स्थापना की गई है। प्रथम चरण में तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ इस संस्थान का शुभारम्भ सत्र 1998-99 से किया गया।

विकलांगजन हेतु अन्य पालीटेक्निक संस्थाओं में व्यवस्था

उक्त विशिष्ट संस्था- ए0आई0टी0एच0 के अतिरिक्त भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत ''स्कीम फार इन्टीग्रेटिंग परसन्स विद डिसएबिलिटीज इन दि मेन स्ट्रीम ऑफ टेक्निकल एण्ड वोकेशनल एजूकेशन'' के अंतर्गत राजकीय पालीटेक्निक झाँसी एवं राजकीय महिला पालीटेक्निक मुरादाबाद में भी विकलांग छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, इसके अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं में भी प्रवेश हेतु 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा अनुमन्य है।

महिला पालीटेक्निकों की स्थापना

विभाग तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने व नवीनतम तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदेश की महिलाओं तक पहुँचाने की दिशा में प्रयासरत है।

तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं तकनीकी शिक्षा के आधुनिक विषयों में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में महिलाओं के प्रशिक्षण, विकास एवं नई संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया गया है। वर्ष 1982-83 तक प्रदेश में महिलाओं के प्रशिक्षण प्रदान करने की एक मात्र संस्था लखनऊ में थी, जिनकी संख्या वर्ष 1996-97 तक बढ़कर 13 हो गयी। वर्ष 1997-98 में महिलाओं के लिए 04 नई संस्थायें कुम्हारहेड़ा (सहारनपुर), बादलपुर (गौतमबुद्ध नगर), मेजा (प्रयागराज) तथा अयोध्या में स्वीकृत की गई। वर्ष 1999-2000 में महिलाओं हेतु राजकीय महिला पालीटेक्निक, बलिया में स्वीकृत की गई। नवम्बर, 2000 में उत्तरांचल राज्य गठन के फलस्वरूप 02 संस्थाएं उत्तरांचल राज्य में स्थानान्तरित हो गईं। वर्ष 2001-2002 में शासन द्वारा दौराला (मेरठ), में एक राजकीय महिला पालीटेक्निक स्वीकृत की गई। वर्ष 2007-2008 में शासन द्वारा चरखारी (महोबा) में एक राजकीय महिला पालीटेक्निक खोले जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप प्रदेश में महिला संस्थाओं की संख्या 18 हो गयी है, उन सभी में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2015-2016 में इन महिला संस्थाओं की प्रवेश क्षमता 5005 थी परन्तु 05 राजकीय महिला पालीटेक्निकों यथा- अमेठी, बादलपुर, (दौराला) मेरठ, बरेली एवं सहारनपुर में जहाँ द्वितीय पाली संचालित की जानी थी, में ए0आई0सी0टी0ई0 से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण शैक्षिक सत्र 2016-17 में इन संस्थाओं में द्वितीय पाली में छात्राओं को प्रवेश देना सम्भव न हो सका। उपरोक्त तारतम्य में अंततः द्वितीय पाली की प्रवेश क्षमता हटाते हुये शैक्षिक सत्र 2016-17 में महिला संस्थाओं की प्रवेश क्षमता 4345 रह गयी है।

डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से सह-शिक्षा पालीटेक्निक संस्थाओं में महिलाओं को प्रवेश में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा शैक्षिक सत्र 2002-2003 से प्रदान की गई है। छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सहभागी बनाने हेतु प्रदेश

की पालीटेक्निक संस्थाओं में चल रहे उपयोगी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं रोजगार के अवसरों की जानकारी देने हेतु राजकीय महिला पालीटेक्निक मुरादाबाद, प्रयागराज, लखनऊ तथा राजकीय पालीटेक्निक कानपुर में कैरियर काउन्सिलिंग सेन्टर्स स्थापित किये गये हैं, जिन्हें और अधिक सुदृढ़ एवं कार्यशील बनाने हेतु विभाग प्रयासरत है।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना

कम्युनिटी डेवलेपमेंट थ्रू पालीटेक्निक स्कीम

यह योजना भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों के निवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये स्थानीय आवश्यकतानुसार अल्पकालीन रोजगारपरक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा लाभ पहुँचाना है। वर्ष 2009-10 में भारत सरकार द्वारा 53 संस्थाओं में योजना संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है और वर्ष 2010-11 में 06 संस्थाओं को सी0डी0टी0पी0 योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकरण में वर्तमान में कुल 59 संस्थाओं में सी0डी0टी0पी0 योजना संचालित है।

वर्ष 2017-18 में उपर्युक्त 59 संस्थाओं में जनशक्ति विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 31.12.2017 तक कुल 1066 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 2523 प्रशिक्षार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षणरत हैं।

कम्युनिटी कालेज

कम्युनिटी कालेज शैक्षिक पद्धति की एक पूरक व्यवस्था है जिसके माध्यम से भारत सरकार की एन0वी0ई0क्यू0एफ0 (नेशनल वोकेशनल एजूकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क) योजना के अन्तर्गत समाज के व्यक्तियों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाये जाने की योजना है। विभिन्न आयुवर्ग के नवयुवक/युवतियों को कौशल विकास हेतु प्रारम्भिक स्तर पर जागरूक करने एवं रोजगारपरक बनाने हेतु कम्युनिटी कालेज योजना का संचालन किया जा रहा है। कम्युनिटी कालेज योजना के अन्तर्गत शैक्षिक पठन-पाठन का कार्य संस्था द्वारा तथा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण का कार्य उद्योग पार्टनर अथवा स्किल नॉलेज प्रोवाइडर द्वारा किया जा रहा है। ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा 15 सेक्टर्स को कम्यूनिटी कालेज हेतु स्पेशलाइजेशन के रूप में चिह्नित किया गया है जिसमें प्रति लेवल 1000 घण्टे का प्रशिक्षण निर्धारित है।

कम्युनिटी कालेज का मुख्य उद्देश्य मॉड्यूलर कोर्स की सहायता से युवक/युवतियों में गुणवत्तापरक शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान कर स्किल गैप को दूर किया जाना है। कम्युनिटी कालेज योजना हेतु स्कूल, कालेज, पालीटेक्निक, आई0टी0आई0 एवं इंजीनियरिंग कालेज तथा कौशल ज्ञान प्रदान करने हेतु उद्योग, सर्विस सेक्टर्स, पालीटेक्निक, आई0टी0आई0 एवं इंजीनियरिंग कालेज को चयनित किया गया है।

पाठ्यचर्या ए0आई0सी0टी0ई0, स्किल नालेज प्रोवाइडर एवं संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है। अंक एवं क्रेडिट संस्था तथा स्किल नालेज प्रोवाइडर द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र., लखनऊ को दिया जाता है। कोर्स का सर्टिफिकेशन प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. लखनऊ द्वारा किया जाता है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिये सुविधायें

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चल रही समस्त डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में प्रवेश हेतु

अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 21 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 02 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के पात्र छात्रों को समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/प्रतिरक्षा कर्मचारी आश्रित छात्रों को रु. 25/- प्रतिमाह की दर से कुल 10 माह के लिये तथा रु. 50/- पुस्तकीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रथम वर्ष में प्रवेश क्षमता अथवा वास्तविक प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत छात्रों को मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति प्रवेश की तिथि से रु. 25/- प्रतिमाह की दर से साढ़े दस माह के लिये दी जाती है। प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित करके योग्यता/परिवार नियोजन 02 बच्चों तक सीमित तथा साधनों के मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत की जाती है।

●

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण

चिकित्सा शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य उच्चकोटि की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ पर्याप्त प्रशिक्षित चिकित्सक, चिकित्सा शिक्षक एवं पैरामेडिकल स्टाफ आदि मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। वस्तुतः बिना लोक स्वास्थ्य में सुधार किये मानव जीवन स्तर को उच्च नहीं किया जा सकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग को उन्नत किया जाना अत्यावश्यक है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए वर्ष 1984 से चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया है।

प्रदेश में 13 राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर, आजमगढ़, बांदा एवं बदायूँ, 02 चिकित्सा विश्वविद्यालय- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा, 05 स्वायत्तशासी संस्थान-संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान, नोएडा एवं सेन्टर आफ बायोमेडिकल मैगनेटिक रेजोनेन्स (सी0बी0एम0आर0), लखनऊ संचालित हैं। सभी मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालय भी हैं, जहां रोगियों को चिकित्सा सुविधायें भी प्रदान की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त जनपद जौनपुर में भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थापित 05 जिला चिकित्सालयों, बस्ती बहराईच, शाहजहाँपुर, अयोध्या एवं फिरोजाबाद को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज बनाये जाने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग का प्रमुख कार्य उच्च कोटि की एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु मेडिकल एवं पैरामेडिकल मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विशिष्ट चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सम्बन्धी व्यवस्था करना है। एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस. तथा स्नातकोत्तर स्तर की डिप्लोमा, एम.डी. एम.एस. तथा एम.डी.एस. उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेषताओं में अति विशिष्ट उपचार पाठ्यक्रम (डी.एम./एम.सी.एच) भी संचालित हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा उच्च कोटि की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ पर्याप्त प्रशिक्षित चिकित्सक, चिकित्सा शिक्षक एवं पैरामेडिकल स्टाफ आदि मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कॉलेजों में भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालय भी हैं, जहां रोगियों को चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके साथ ही हृदय, कैंसर रोग से पीड़ित गंभीर रोगियों के इलाज के लिए क्रमशः हृदय रोग संस्थान, कानपुर, जे.के. कैंसर संस्थान, कानपुर स्थापित हैं। उपचारिकाओं के विशेष प्रशिक्षण हेतु कॉलेज आफ नर्सिंग, कानपुर भी इस विभाग के अधीन स्थापित है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश सरकार के अधीन संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान भी स्थापित है, जिसमें गंभीर रोगियों को अति विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, साथ ही यहाँ स्नातकोत्तर तथा अति विशिष्टता की डिग्री भी प्रदान की जाती है। शोध की उपयुक्त व्यवस्था है।

शासन द्वारा निजी क्षेत्र में पैरामेडिकल डिग्री कोर्स यथा- नर्सिंग, फार्मेसी, लैबोरेट्री टैक्नोलॉजी इत्यादि खोलने तथा उनके मानक पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नीतिगत निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इन पाठ्यक्रमों को राज्य की स्टेट मेडिकल फैकल्टी के माध्यम से नियंत्रित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, आगरा

सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, आगरा सम्पूर्ण भारत में सबसे प्राचीनतम तीन मेडिकल स्कूलों में से एक है, जिसकी स्थापना सन् 1854 में ब्रिटिश काल में हुई थी, जिसे थॉमसन हास्पिटल के नाम से जाना जाता था। जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के चिकित्सकों को प्रशिक्षण देना था। सन् 1872 से जन सामान्य के चिकित्सा छात्रों को एल.एम.पी. पाठ्यक्रम में प्रवेश देने हेतु खोल दिया गया, जिसको उ.प्र. राज्य चिकित्सा संस्थान द्वारा बाद में एल.एस.एम.एफ. के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। सन् 1939 में इस मेडिकल स्कूल को उच्चीकृत कर चिकित्सा महाविद्यालय का मूर्तरूप प्रदान किया गया। जिसका नामकरण उ.प्र. की प्रथम महिला राज्यपाल एवं स्वतन्त्रता सेनानी भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू के नाम पर सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय किया गया। सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध है, जो पूर्व में आगरा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था।

यह चिकित्सा महाविद्यालय भारतीय मानक परिषद से मान्यता प्राप्त है और इसमें चिकित्सा क्षेत्र के स्नातक एवं परास्नातक छात्र शिक्षण/प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। साथ ही इस संस्था द्वारा नर्सिंग तथा अन्य पैरामेडिकल कोर्स भी संचालित किये जाते हैं। जिसमें उच्चस्तरीय शिक्षण-प्रशिक्षण के साथ-साथ विभिन्न शोध कार्य विश्वसनीय एवं विश्व स्तर पर सम्पादित किये जाते हैं। इस चिकित्सा महाविद्यालय में लगभग 25 विभाग हैं जिसमें विशिष्टता के आधार पर स्नातक/परास्नातक, प्रयोगशाला प्रावैधिज्ञ, रश्मि किरण प्रावैधिज्ञ, औषधि शास्त्र प्रावैधिज्ञ, उपचारिका पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया जाता है। जिसके फलस्वरूप यहाँ के प्रशिक्षित छात्र देश-विदेशों में ख्याति प्राप्त संस्थाओं में अपनी उत्कृष्ट सेवायें प्रदान कर रहे हैं।

गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज, कानपुर

गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त है। इसकी स्थापना कानपुर नगर के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. श्री गणेश

शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर हुई। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित होने वाला यह पहला मेडिकल कॉलेज है।

इस मेडिकल कालेज का उद्घाटन 13 दिसम्बर, 1959 को उ0प्र0 के मुख्यमंत्री माननीय डॉ0 सम्पूर्णनन्द जी के कर कमलों द्वारा हुआ। प्रारम्भ में यह कालेज लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था लेकिन वर्ष 1968 में जब कानपुर विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, तब यह कालेज कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हुआ। तब से लेकर आज तक यह कालेज चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और विभिन्न शोध कार्यों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहा है।

इस मेडिकल कॉलेज में प्रतिवर्ष स्नातक एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में 190 विद्यार्थी और परास्नातक पाठ्यक्रम में 113 विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। इसके साथ ही साथ 4 विद्यार्थी डी.एम. कार्डियोलॉजी और 2 विद्यार्थी एम.सी.एच. कार्डियो-थोरेसिक सर्जरी के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाते हैं। मेडिकल पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त इस कॉलेज में फार्मेसी में डिप्लोमा, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन तथा विभिन्न विभागों (विषयों) में पीएच0डी0 जैसे पाठ्यक्रम भी कॉलेज द्वारा संचालित होते हैं। इस मेडिकल कालेज का उद्देश्य विद्यार्थियों को सम्पूर्ण शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ उनका चारित्रिक विकास करना है।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के क्रम में मेडिकल कालेज, कानपुर में न्यूरोलॉजी सेण्टर के उच्चीकरण का कार्य प्रगति पर है।

मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज

मोती लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए सम्पूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त है। इसकी स्थापना स्वतंत्र भारत के प्रथम महामहिम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के कर कमलों द्वारा 5 मई, 1961 को ब्रिटिश काल के राजभवन में की गयी थी तथा इसी तिथि को 778 बेड वार्ड, 17 वार्ड तथा 06 शल्य कक्षों सहित सम्बद्ध स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय की स्थापना मलाका जेल के स्थल पर की गयी थी जहाँ अन्य शहीदों के साथ शहीद रोशन सिंह को फाँसी दी गयी थी। स्त्री एवं प्रसूति रोग के उपचार एवं शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु कमला नेहरू चिकित्सालय तथा नेत्र के उपचार हेतु मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय एवं सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय को इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध किया गया था। प्रारम्भ में इस चिकित्सा महाविद्यालय में 50 स्नातक छात्रों से इस कालेज में शिक्षण कार्य के साथ प्रारम्भ हुआ जो वर्तमान समय में ऑल इण्डिया कोटा सहित 150 स्नातक, 61 परास्नातक एवं 01 डी0एम0 (गैस्ट्रोइन्ट्रालॉजी) छात्रों को शिक्षित किया जा रहा है। यह चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित होने की तिथि से आज तक निरन्तर अपनी उपलब्धियों के कारण ख्यातिलब्ध है। इस चिकित्सा महाविद्यालय में विभिन्न विशिष्ट विशेषताओं में निरन्तर शोध कार्य के साथ ही स्नातक/स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन का कार्य सराहनीय रहा है। यहाँ से अध्ययन प्राप्त छात्र/छात्राएँ स्वदेश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी इस चिकित्सा महाविद्यालय को गौरवान्वित कर रहे हैं।

लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज, मेरठ

मेडिकल कॉलेज, मेरठ की स्थापना का कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में अक्टूबर वर्ष 1962 में

प्रारम्भ किया गया है। मेडिकल कॉलेज का नाम महान स्वतन्त्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी के नाम पर रखा गया है।

इस महाविद्यालय में 1040 पलंग का एक चिकित्सालय इसी महाविद्यालय के प्रागंण में संचालित है जिसका नाम भी महान स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व गृहमंत्री भारत सरकार माननीय सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है।

महाविद्यालय में एम.बी.बी.एस. की प्रवेश क्षमता वर्तमान में 150 सीट तथा डिग्री/डिप्लोमा की 70 सीटें स्वीकृत हैं। डी.एम. (इन्डोक्राईनोलॉजी) की एक सीट स्वीकृत है जिन पर प्रतिवर्ष प्रवेश किये जाते हैं। साथ ही साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी/मेडिकल लैब टैक्नीशियन/डिप्लोमा इन एक्सरे टैक्नीशियन का पाठ्यक्रम संचालित है।

वर्तमान में मेडिकल कॉलेज, मेरठ में आवश्यक आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कुल 24 विभाग संचालित हैं जिनका विवरण निम्नवत है–

एनाटोमी, बायोकैमिस्ट्री, फोरेन्सिक मेडिसिन, माइक्रोबायलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एस.पी.एम., मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, टी.बी. एण्ड चैस्ट, स्किन वी.डी., मानसिक रोग, सर्जरी (जनरल सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी/न्यूरो सर्जरी), आर्थोपेडिक्स, आफथलमोलॉजी, ई.एन.टी., गायनोकोलॉजी, रेडियोडायग्नोसिस, एनेस्थीसिया, डेन्टल सर्जरी, एच.एम.ई. रेडियोथिरेपी, फार्मेसी।

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झाँसी

उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन यह मेडिकल कॉलेज, झाँसी कानपुर रोड पर झाँसी रेलवे स्टेशन से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कॉलेज का नाम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी झाँसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई।

वर्ष 1968 में मेडिकल कॉलेज, झाँसी के लिये 50 छात्रों को प्रथमतः प्रवेश दिया गया तथा इनका पठन-पाठन मेडिकल कॉलेज, मेरठ में प्रारम्भ हुआ। वर्ष 1971 में प्रवेशित छात्रों का पठन-पाठन इसी कॉलेज में प्रारम्भ हुआ।

वर्ष 1980 से कॉलेज में एनाटामी, फिजियालॉजी, फार्माकोलॉजी, एस.पी.एम., पैथोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑबस्टेट्रिक एवं गायनाकोलॉजी, ऑफ्थैलमोलॉजी, रेडियोलॉजी, एनस्थीसियालॉजी, ऑर्थोपैडिक्स, ई.एन.टी., पीडियाट्रिक्स विभागों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.डी./एम.एस./डिप्लोमा) प्रारम्भ हुये।

इस मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सालय में 719 शैय्याएं हैं, आपरेशन थियेटर तथा रोगियों के उपचार से सम्बन्धित अत्याधुनिक उपकरण हैं। सेन्ट्रल आक्सीजन युक्त आई0सी0सी0यू0 तथा आई0सी0यू0 है। कैंसर के रोगियों के लिये कोबाल्ट मशीन स्थापित है तथा रेडियोथेरेपी की सुविधायें रोगियों को प्रदान की जा रही हैं।

बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गोरखपुर में बाबा राघवदास मेडिकल कालेज का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व0 चन्द्र भानु गुप्त द्वारा नवम्बर 1969 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पूर्वान्चल की जनता को भरपूर स्वास्थ्य सेवा मिल सके।

बाबा राघव दास मेडिकल कालेज, गोरखपुर की विकास यात्रा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लिए ही नहीं बल्कि बिहार व नेपाल के लिए भी काफी लाभदायक रही है। मस्तिष्क ज्वर के बीमार नवजातों के उपचार के लिए यह प्रमुख संस्थान है। इस मेडिकल कालेज में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के रोगी आते हैं। साथ ही बिहार के 5 जिलों और नेपाल के 2 जिलों के रोगियों की चिकित्सा सुविधा के लिए यह संस्थान प्रमुख है। इस संस्थान में मस्तिष्क ज्वर के मरीजों के लिए चिकित्सीय सुविधाएं एवं दवाएं मुफ्त में उपलब्ध करायी जाती हैं।

वर्तमान में इस संस्थान में न्यूरोलॉजी, कार्डियालॉजी, नेफ्रोलॉजी, एवं ट्रामा से संबंधित मरीजों को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस चिकित्सालय में कैंसर जैसी घातक बीमारी के इलाज की सुविधा है। इस संस्थान में सेन्ट्रल पैथालॉजी में 24 घंटे सभी चिकित्सीय परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं, साथ ही ब्लड बैंक भी 24 घंटे सुचारु रूप से कार्यरत है तथा जापानी मस्तिष्क ज्वर जैसी गंभीर बीमारी से विकलांग हुए मरीजों के समुचित इलाज के लिए पी.एम.आर. सेंटर की अलग से स्थापना की गयी है। असाध्य रोगों के इलाज के लिए बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में सभी चिकित्सीय सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध हैं। मेडिसिन विभाग के अन्तर्गत एच.आई.वी./एड्स से संबंधित मरीजों की जाँच ए.आर.टी. सेंटर में उपलब्ध हैं। इस संस्थान में मनोविकास केन्द्र एवं नशा मुक्ति केन्द्र भी उपलब्ध हैं।

हृदय रोग संस्थान, कानपुर

कानपुर में हृदय रोग संस्थान की स्थापना वर्ष 1975 में की गयी। संस्थान भवन का निर्माण जे.के. चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दान स्वरूप किया गया और इस संस्थान का लक्ष्मीपति सिंहानिया हृदय रोग संस्थान नामकरण किया गया।

संस्थान के समग्र रूप से संचालन हेतु संस्थान के प्रोफेसर-निदेशक को पूर्ण वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदान किये गये तथा संस्थान के निदेशक को चिकित्सा अधीक्षक भी घोषित किया गया। संस्थान के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार साज-सज्जा, उपकरणों एवं मशीनों की स्थापना की गयी तथा नये पदों का सृजन किया गया। इस तरह प्रदेश में हृदय रोग संस्थान, कानपुर पहला हृदय रोग चिकित्सा का केन्द्र बनकर विकसित हुआ। हृदय रोग संस्थान, कानपुर की स्थापना का उद्देश्य सुपर स्पेशियलिटी शिक्षण-प्रशिक्षण तथा हृदय रोग का उपचार एवं निदान कार्य है।

जे.के. कैंसर संस्थान, कानपुर

जे.के. कैंसर संस्थान की स्थापना वर्ष 1955 में जे.के. चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उदारपूर्ण दान देने के उपरान्त हुई थी। संस्थान की स्थापना जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज, कानपुर में की गई।

संस्थान की आधार शिला प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न महामहिम डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा 24 मई 1956 को रखी गई तथा संस्थान वर्ष 1961 में बनकर तैयार हुआ।

जे.के. कैंसर संस्थान का विधिवत उद्घाटन 12 मई 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहर लाल नेहरू के कर कमलों द्वारा किया गया।

इस संस्थान का प्रारम्भिक उद्देश्य कैंसर उपचार से संबंधित अध्ययन तथा शोध को बढ़ावा देना था। प्रारम्भ से ही इस संस्थान में कैंसर ग्रसित रोगियों का उपचार, शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी तथा

रेडियोथेरेपी द्वारा किया जाता रहा है। रेडियोथेरेपी दो तरह से दी जाती थी : ब्रेकोथेरेपी (रेडियम 226 कोबाल्ट 60 नीडिल्स ट्यूब्स) तथा टेलोथेरेपी (सुपरफिशियल, डीप एक्सरे तथा कोबाल्ट यूनिट) द्वारा की जाती रही है)।

आधुनिक रेडियोथेरेपी उपकरण जैसे- कोबाल्ट 60 (फिनिक्स, थ्रेट्रान 780 ई), लीनियर एक्सीलिरेटर, मैनुअल तथा रिमोट आफ्टर लोडिग ब्रेकोथेरेपी, 2-डी तथा 3-डी ट्रीटमेन्ट प्लानिंग सिस्टम तथा अन्य आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता के कारण रेडियोथेरेपी उपचार में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। इससे न सिर्फ रोगियों के ठीक होने के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी हुई है अपितु रोगियों के जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ी है। जे0के0 कैंसर संस्थान द्वारा गरीब तथा अनाथ रोगियों का उपचार उ0प्र0 सरकार के निर्देशों के अनुरूप निःशुल्क किया जाता है। संस्थान का सम्पूर्ण प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण उ0प्र0 सरकार के अधीन है।

नर्सिंग कॉलेज, कानपुर

प्रदेश की विशाल जनसंख्या की स्वास्थ्य परिचर्या की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित उपचारिकाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कॉलेज आफ नर्सिंग, कानपुर की स्थापना का निर्णय शासनादेश संख्या 201/चिकित्सा-चार-2119/69 दिनांक 22-3-1972 के द्वारा किया गया। प्रारम्भ में इसका संचालन पृथक भवन के निर्माण होने तक लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर से सम्बद्ध पोस्ट सर्टिफिकेट स्कूल में प्रारम्भ हुआ।

वर्तमान समय में जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज, कानपुर की भूमि पर पृथक कॉलेज भवन, छात्रावास, निर्मित हो चुका है और कॉलेज स्वतन्त्र रूप से अपने परिसर में प्रशिक्षण दे रहा है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं सुपर फैसलिटी हास्पिटल, आजमगढ़

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल में चिकित्सा सुविधाओं की कमी को देखते हुए दिनांक-08.05.2006 को एक शासनदेश द्वारा 500 शैय्यायुक्त राजकीय मेडिकल कालेज एवं सुपर फैसलिटी हास्पिटल की स्थापना की कार्यवाही आजमगढ़ शहर से 18 किमी0 दूर चक्रपानपुर-कनैला ग्राम सभा, जो कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन की जन्मभूमि है, वहां 85 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर प्रारम्भ की गई। मेडिकल कालेज में 100 छात्रों के प्रवेश हेतु एम0सी0आई0 से निरीक्षणोपरान्त वर्ष 2013 में प्रवेश हेतु अनुमति (एल0ओ0पी0) प्राप्त कर सितम्बर 2013 में 100 मेडिकल छात्रों (प्रथम बैच) के प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर इनके शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में पंचम बैच के प्रवेश हेतु एम0सी0आई0 से अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, कन्नौज

इस चिकित्सा महाविद्यालय को वर्ष 2012 में एम.बी.बी.एस. के छात्रों के प्रवेश हेतु मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त हुई। जिससे इस चिकित्सा महाविद्यालय में एम.बी.बी.एस. के 100 छात्रों का प्रवेश हुआ। चिकित्सालय में वाह्य रोगी विभाग की शुरुआत वर्ष 2009 में एवं अन्तः रोगी विभाग की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई। जिससे कन्नौज एवं समीपवर्ती जनपदों के निवासियों को चिकित्सकीय सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

इस चिकित्सा महाविद्यालय में मरीजों की शल्य क्रिया, प्रसव रक्त की जाँच, रक्तकोष, एक्स-रे, अल्ट्रासाउण्ड, सी.टी. स्कैन आदि की सुविधायें मुहैया करायी जा रही हैं। गरीब मरीजों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधायें जैसे कि बी.पी.एल. कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज एवं जननी सुरक्षा योजना आदि की सुविधायें भी प्रदान की जा रही हैं।

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, जालौन (उरई)

राजकीय मेडिकल कॉलेज, जालौन (उरई) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत प्रारम्भ किया गया था, जिसका शिलान्यास वर्ष 2006 में हुआ था एवं ओ.पी.डी. का शुभारम्भ अप्रैल, 2009 से कर दिया गया था। राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन (उरई) उ0प्र0 की स्थापना से लगभग एक करोड़ से ज्यादा की आबादी के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधायें मिलना शुरू हो गयी हैं। वर्तमान में इस राजकीय मेडिकल कालेज में एम0बी0बी0एस0 के चतुर्थ वर्ष के छात्र अध्ययनरत हैं।

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, अम्बेडकर नगर

इस चिकित्सा महाविद्यालय को वर्ष 2011 में एम0बी0बी0एस0 के छात्रों के प्रवेश हेतु मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त हुई। जिससे इस चिकित्सा महाविद्यालय में एम0बी0बी0एस0 के 100 छात्रों का प्रवेश हुआ। वर्तमान में 300 छात्र/छात्राएं इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं। चिकित्सालय में वाह्य रोगी सेवा संचालित है। जिससे अम्बेडकर नगर एवं समीपवर्ती जनपदों के निवासियों को चिकित्सकीय सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, सहारनपुर

इस चिकित्सा महाविद्यालय को वर्ष 2015 में एम.बी.बी.एस. के छात्रों के प्रवेश हेतु मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त हुई। जिससे इस चिकित्सा महाविद्यालय में एम.बी.बी.एस. के 100 छात्रों का प्रवेश हुआ। वर्तमान में 100 छात्र/छात्राएं इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत् हैं। चिकित्सालय में वाह्य एवं अंतःरोगी सेवा संचालित हैं। जिससे सहारनपुर एवं समीपवर्ती जनपदों के निवासियों को चिकित्सकीय सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, बाँदा

राजकीय मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय बाँदा का उद्घाटन 12 मार्च, 2015 को मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार द्वारा किया गया।

- राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा में मरीजों को चिकित्सालय में उच्च गुणवत्ता वाली मशीनों से एक्स-रे, पैथोलॉजी जाँचें एवं औषधियों की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा में एम0सी0आई0 नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2016-17 में एम0बी0बी0एस0 प्रथम वर्ष हेतु मान्यता प्रदान की गयी।
- राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा में एम0बी0बी0एस0 प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं के एडमीशन/ प्रवेश कर कक्षायें संचालित की जा रही हैं।

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, बदायूँ

इस चिकित्सा महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से संचालित किये जाने हेतु कार्यवाही

प्रक्रियाधीन है। भवन निर्माण हेतु निरीक्षणोपरान्त सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी को यथाशीघ्र कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निदेशित किया जा चुका है। वर्तमान में ओ0पी0डी0 संचालित है।

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की स्थापना वर्ष 1983 में उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम के अधीन टर्सरी रोगी परिचर्या, शिक्षण एवं शोध संस्थान के राज्य विश्वविद्यालय के रूप में की गई है।

संस्थान के उद्देश्य निम्नवत् निर्धारित हैं-

(क) चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान अतिविशिष्ट विषयों के लिए और ऐसे अन्य विषयों के लिए जिनका भविष्य में आविर्भाव हो, चिकित्सा परिचर्या, शिक्षा एवं उच्च स्तर की शोध सुविधाओं की जिसके अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा को जारी रखना भी है, व्यवस्था करने के लिए एक उत्कृष्ट केन्द्र का सृजन करना है।

(ख) अति विशिष्ट विषयों में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में प्रशिक्षण के प्रतिरूपों का विकास करना जिससे चिकित्सा शिक्षा का उच्च स्तर स्थापित हो सके।

(ग) पैरामेडिकल और सम्बद्ध क्षेत्रों में विशेष रूप से अतिविशिष्ट विषयों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

संस्थान में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 19 ऑपरेशन थियेटर क्रियाशील हैं जिनमें सर्जिकल गैस्ट्रोइन्टोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, इन्डो सर्जरी, सामान्य अस्पताल, आफ्थलमोलॉजी एवं ई.एन.टी. की शल्य क्रियाएँ सफलता से संचालित की जा रही हैं। संस्थान द्वारा पूर्णरूपेण समाहित चिकित्सा सेवाओं का परिणाम है कि संस्थान में प्रदेश की जनता ही नहीं वरन प्रदेश के समीपवर्ती राज्यों जैसे- मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान के भी काफी संख्या में रोगी अपने उपचार के लिए संस्थान में आते हैं। उक्त के अतिरिक्त संजय गाँधी संस्थान में समीपवर्ती देशों, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एवं पाकिस्तान से भी रोगी अपनी चिकित्सा के लिए आते हैं जिन्हें संस्थान द्वारा विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को उच्चीकरण किये जाने हेतु चयनित किया गया है व उक्त हेतु रु0 100.00 करोड़ (चिकित्सा उपकरण व निर्माण कार्य हेतु) की धनराशि भारत सरकार तथा रु0 20.00 करोड़ की धनराशि उ0प्र0 सरकार द्वारा आवंटित की गयी है।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान वर्ष 2006 से एक सोसाइटी के रूप में स्थापित होकर शासन की एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्यरत है। संस्थान चिकित्सालय में इन्डोर एवं आउटडोर की चिकित्सा सेवायें सुचारु रूप से संचालित हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान में डी.एम., एम.सी.एच., एम.डी., एम.एस., पीएच.डी. जैसे - स्नातकोत्तर एवं परास्नातकोत्तर (पोस्ट पी.जी.) कोर्स संचालित हैं जिनमें छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एवं एम0सी0आई0 से प्राप्त अनुमति के क्रम में वर्ष 2017-18 में 150 सीट का एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ हो रहा है।

- संस्थान में सम्प्रति विविध 19 विभाग (न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोसर्जरी, सर्जिकल आंकोलॉजी, रेडिएशन आंकोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोडायग्नोसिस, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, सी.वी.टी.एस., एनस्थीसियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकैमेस्ट्री, गैस्ट्रोमेडिसिन, मेडिकल आंकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इमरजेन्सी मेडिसिन, फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैब्लिटेशन) कार्यशील हैं।
- शासन द्वारा डॉ0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय का संस्थान में विलय करते हुये इसे संयुक्त चिकित्सा शिक्षा संस्थान के रूप में स्थापित करने का निर्णय वर्ष 2014 में लिया जा चुका है।
- आगामी वर्ष से संस्थान में बी.एससी. नर्सिंग कोर्सेज शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।
- नये विभाग जैसे- इन्डोक्रायनोलॉजी, तथा हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया है।
- साथ ही साथ विभिन्न श्रेणियों में जैसे- बैरियाट्रिक सर्जरी, न्यूरोनैवीगेशन, रीनल ट्रान्सप्लान्ट, इमरजेन्सी इन्टरवेन्शनल कार्डियालॉजी, स्ट्रोक क्लीनिक तथा इण्टरवेन्शनल रेडियोलॉजी इत्यादि में उच्च श्रेणी की चिकित्सा सुविधा प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
- संस्थान में कुल 350 बेड क्रियाशील हैं, जिसमें आई0सी0यू0 के 14 बेड आई0सी0सी0यू0 के 21 बेड, के0टी0यू0 के 08 बेड एवं न्यूरो आई0सी0यू के 20 बेड सम्मिलित हैं।

सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, उ.प्र., लखनऊ

इस शोध एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना वर्ष 2001 में एस0जी0पी0जी0आई0 के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त वित्तीय सहायता से की गयी थी। इस केन्द्र द्वारा किये जा रहे शोध एवं अनुसंधान संबंधी कार्यों के महत्त्व तथा सर्वसमाज के कल्याणार्थ इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2006 में इस केन्द्र को सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत कराकर स्वायत्तशासी केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया है।

जिन मुख्य उद्देश्यों के लिये सेन्टर की स्थापना की गयी है, वे निम्नलिखित हैं :

1. स्नायुतंत्र के रोग एवं विकार, मानव व्यवहार और जैविक एवं नैदानिक उपयोग की ओर जाने वाले रासायनिक पहलुओं से जुड़े आधारभूत और नैदानिक विज्ञान में उच्च क्षमता के अनुसंधान का दायित्व ग्रहण करना, सहायता करना, उसे प्रोन्नत करना, विकास करना, उसमें मार्गदर्शन करना और समन्वय करना तथा इस अग्रणी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर यथेष्ट मानव संसाधन का भी विकास करना।
2. सेन्टर और आधारभूत पहलुओं से लेकर मानव व्यवहार तक आणविक अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा अनुसंधान संस्थाओं, निकायों, अभिकरणों के मध्य प्रभावी संयोजन, सहयोग एवं सम्बद्धता को प्रोन्नत, प्रोत्साहित एवं संवर्धित करना।
3. इस सेन्टर को राष्ट्र में जैव चिकित्सीय और अन्तर-विषय अनुसंधान एवं संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय शीर्ष सेन्टर के रूप में विकसित करना और अन्य संस्थाओं, अभिकरणों और उद्योगों को परामर्श सेवा उपलब्ध कराना।
4. इस सेन्टर के उद्देश्यों की दक्षतापूर्ण प्राप्ति के लिये देश के विभिन्न क्षेत्रों की सेवा हेतु एक या उससे अधिक सेटेलाइट केन्द्रों की स्थापना करना।

5. आंकड़े और सूचना को एकत्र करना, सम्मिलित करना, प्रकाशित करना तथा वैज्ञानिक समुदाय में प्रचारित करना।
6. अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को संचालित करने के लिये अत्याधुनिक सुविधाओं एवं डाटाबेस की स्थापना करना, उनका प्रचालन करना एवं अनुरक्षण करना एवं पूरे देश एवं विदेश से ऐसी सुविधायें एवं डाटाबेस वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध कराना।
7. ज्ञान की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें सेन्टर समझे, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
8. विधा के अभिवर्धन एवं ज्ञान के प्रसार के लिये उन्नत अनुसंधान एवं विकास संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराना।
9. सोसाइटी के विकास में योगदान करने के लिए बहिर्विश्वविद्यालयी अध्ययन, प्रस्तार कार्यक्रमों एवं क्षेत्र से बाहर के भी कार्यकलापों को प्रारम्भ करना।
10. जैविक, भौतिक, रासायनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और नैदानिक पहलुओं के संबंध में अनुसंधान प्रशिक्षण, परामर्श या मार्गदर्शन की सेवायें प्रदान करने में प्रोत्साहन प्रदान करना, विकास करना, सहयोग प्रदान करना या अन्य प्रकार से सहायता प्रदान करना।

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा

विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के अधिनियम-1983 की धारा-3 के अधीन सैटेलाइट केन्द्र के रूप में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्थान के रूप में की गयी थी। वर्ष 2016 में उक्त संस्थान को दिनांक 05.06.2016 को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा के रूप में परिवर्तित किया गया है।

विश्वविद्यालय के कार्यकलाप- उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा के कार्यकलापों को पांच संकायों में विभाजित किया गया है :

1. चिकित्सा संकाय।
2. नर्सिंग संकाय।
3. फार्मेसी संकाय।
4. पैरामेडिकल संकाय।
5. दन्त संकाय।

उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा में एक हजार से अधिक बेड का चिकित्सालय (150 शैय्या का इमरजेन्सी ट्रामा एवं बर्न सेन्टर को सम्मिलित करते हुये) संचालित है।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ.प्र., लखनऊ

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ पूर्व में किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ के रूप में अक्टूबर 1911 में 5 विभागों के साथ स्थापित हुआ था। 16 सितम्बर 2002 में इसे उच्चीकृत करते हुए छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ कर दिया गया। वर्तमान में नाम परिवर्तित कर किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ कर दिया गया है। चिकित्सा विश्वविद्यालय का उद्देश्य चिकित्सा/दन्त विज्ञान के क्षेत्र में विकसित नई विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना करना एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स केन्द्र सृजित करना एवं सुपर

स्पेशियलिटी के विभागों की स्थापना, ट्रामा सेन्टर, परिचर्या प्रशिक्षण केन्द्र का विकास करना, पुनः उत्पादक एवं जनसंख्या नियंत्रक अनुसंधान का विकास करना, जेनेटिक्स विभाग विकसित करना, पर्यावरण एवं प्रदूषण संस्थान विकसित करना, ट्रान्सफ्यूजन चिकित्सा का विकास एवं अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये केन्द्र आदि की स्थापना करना। चिकित्सा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल/डेण्टल कॉलेज एवं पैरामेडिकल कोर्सों के लिये सम्बद्धता का प्राधिकार प्रदान किया है।

चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध गाँधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में लगभग 3069 शैय्याओं की व्यवस्था है। चिकित्सा विश्वविद्यालय में (दंत संकाय सहित) वर्तमान में 46 विभाग क्रियाशील हैं और अपनी-अपनी विशिष्टताओं के अनुसार रोगियों का उपचार कर रहे हैं। चिकित्सा विश्वविद्यालय में दी जा रही सेवाओं से देश/प्रदेश की जनता लाभान्वित हो रही है।

सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान, सेक्टर-30 नोएडा

संस्थान में माह अक्टूबर, 2013 से वाह्य रोगी सेवायें संचालित हो रही हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 600 रोगी लाभान्वित हो रहे हैं। संस्थान में अन्तः रोगी सेवाएं 01 अप्रैल, 2016 से संचालित हो रही हैं जिससे प्रतिदिन 60-80 मरीज भर्ती रहते हैं। संस्थान में इमरजेन्सी, आई0सी0यू0, एन0आई0सी0यू0, सी0सी0यू0, सी0टी0वी0एस0-आई0सी0यू0 एवं एस0आई0सी0यू0 की सेवायें संचालित हो रही हैं, जिनमें गम्भीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। संस्थान में 20 विभाग क्रियाशील हैं एवं सभी विभागों में संकाय सदस्य मरीजों को अपनी सेवायें दे रहे हैं।

राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

संस्थान का संचालन तीन चरणों में सम्पादित किया जा रहा है। प्रथम चरण के अन्तर्गत वाह्य रोगी विभाग का संचालन, द्वितीय चरण में न्यूनतम 500 बेड के चिकित्सालय का संचालन तथा तृतीय चरण में शैक्षणिक सत्र का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में संस्थान व सम्बद्ध चिकित्सालय के अन्तर्गत चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनियुक्ति पर तैनात पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के विषय विशेषज्ञों के द्वारा ओ0पी0डी0 का संचालन दिनांक 02 अप्रैल, 2013 से किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः मेडिसिन, नेत्र रोग, सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, बाल रोग, दन्त रोग, नाक-कान व गला रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग, चर्म रोग के विभाग सम्मिलित हैं। मार्च 2017 तक लगभग 644387 रोगियों को चिकित्सीय सुविधायें प्रदान की जा चुकी हैं वाह्य रोगी विभाग से प्रतिदिन लगभग 1000-1200 रोगी लाभन्वित हो रहे हैं। वाह्य रोगी विभाग द्वारा मरीजों को चिकित्सीय सुविधाओं के साथ-साथ औषधियों की सुविधा, एवं ई0सी0जी0 की सुविधा नियमित रूप से प्रदान की जा रही है। चिकित्सालय में आकस्मिक चिकित्सीय सेवाये एवं आई0पी0डी0 का संचालन 15 अगस्त, 2014 से किया जा रहा है। 30 शैय्यायुक्त आकस्मिक एवं सामान्य वार्ड क्रियाशील हैं तथा प्रसव की सुविधायें भी उपलब्ध हैं। चिकित्सालय में रोगियों को 08 काउन्टर पर औषधि का वितरण नियमित रूप से किये जाने की सुविधा उपलब्ध की गई है।

सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल, चक गंजरिया, लखनऊ

जनपद-लखनऊ के चक गंजरिया में 100 एकड़ भूमि पर उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान का निर्माण सिग्नेचर बिल्डिंग के रूप में कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक-26.02.2015 द्वारा रु0 854.5145 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी। निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है। कैंसर संस्थान, लखनऊ में ओ0पी0डी0 सेवायें प्रारम्भ कर दी गयी हैं।

●

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

प्रदेश की युवा शक्ति को कुशल कर्मकार के रूप में तैयार करने और उन्हें व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार योग्य बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 में दिनांक : 13 फरवरी, 2010 को पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन किया था। वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभाग के नाम में कौशल विकास शब्द को सम्मिलित करते हुए विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग कर दिया गया है। विगत 05 वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व गुणात्मक सुधार करते हुए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक नवीन परियोजनायें एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित कराया है।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं मुख्य, कार्य एवं उपलब्धियाँ निम्नवत हैं–

1. प्रदेश में कुल 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। जिनमें से 48 संस्थानों में महिला शाखा भी संचालित हैं। इन राजकीय औद्योगिक संस्थानों की कुल प्रशिक्षण क्षमता 1,25,940 सीटों की है।
2. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सत्र अगस्त/सितम्बर, 2017 में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.वी.टी) के माध्यम से कुल उपलब्ध अधिकतम 1,15,880 सीटों के विरुद्ध 95,071 सीटों पर अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया है।
3. प्रदेश के 115 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भारत सरकार सहायतित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) योजना के अन्तर्गत उद्योगों की सहभागिता से उच्चीकरण कराया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत उच्चीकरण हेतु भारत सरकार से प्रति संस्थान रु. 2.50 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है।
4. निजी क्षेत्र में 2650 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (गैर अनुदानित) स्थापित हैं जिनमें प्रशिक्षण क्षमता 3,85,000 से अधिक सीटों की है।
5. विगत 05 वर्षों से प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार करते हुये 62,000 से अधिक प्रशिक्षण सीटों की वृद्धि नये व पूर्व से संचालित संस्थानों में की गयी है।
6. प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ई-कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की गयी है।

7. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत 06 विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के द्वारा प्रदान किये जा रहे अल्पकालीन कौशलपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एकीकृत कर प्रारम्भ किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने अपने गठन से वर्तमान तक लगभग 6.45 लाख युवाओं को प्रवेशित किया गया है। कुल प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों में से 4.42 लाख से अधिक को प्रशिक्षित कर 3.52 लाख से अधिक युवाओं को दक्षता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जा चुका है तथा इनमें से 2.03 लाख युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया गया है।

8. प्रदेश के 30 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 40 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित कराकर संचालित किये गये हैं।

9. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता संवर्धन के उद्देश्य से 144 आई.टी. लैब तथा 237 स्मार्ट क्लास रूम स्थापित कराये गये हैं।

10. प्रदेश के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षार्थियों को वर्दी/डांगरी तथा बुक बैंक के माध्यम से निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराकर प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है।

11. शिशुक्षुता प्रशिक्षण योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को उद्योगों में अधिक से अधिक संख्या में नियोजित कर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कराने के उद्देश्य से योजना को राष्ट्रीय शिशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एन.ए.पी.एस.) के रूप में ऑन-लाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

12. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, साकेत-मेरठ तथा करौंदी-वाराणसी को केन्द्र सरकार के सहयोग से मॉडल आई.टी. के रूप में विकसित किया जा रहा है।

13. प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों में प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न व्यावसायिक कौशलों का ज्ञान आई.टी.आई. में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगों/अधिष्ठानों यथा– एन.टी.पी.सी., भारत इलेक्ट्रानिक्स लि. मेजा ऊर्जा, रिलायन्स पावर, टाटा मोटर्स, मारुति-सुजुकी, टोयोटा मोटर्स, इण्डिया यामहा मोटर्स प्रा0लि0, नोयडा, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0 तथा रॉयल एनफील्ड आदि से एम.ओ.यू. के माध्यम से सहभागिता की गयी है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित गतिविधियाँ

भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.टी.) नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक अधिष्ठानों तथा राजकीय व निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं का संचालन व क्रियान्वयन किया जाता है :

- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सी.टी.एस.)
- शिशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (ए.टी.एस)
- शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सी.आई.टी.एस.)
- अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित

● शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योजना है, जो कि वर्तमान एवं भविष्य की जनशक्ति की आवश्यकताओं की मांग के अनुरूप पूर्ति करने के लिये शिल्पकारों को तैयार कर रही है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सम्पूर्ण रूप से उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन में दिन-प्रतिदिन के प्रशासन व अनुश्रवण की जिम्मेदारी एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना विभाग का दायित्व एवं जिम्मेदारी है। साथ ही एन.सी.वी.टी. से सम्बद्धता प्राप्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित प्रशिक्षण का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण भी विभाग द्वारा सम्पादित कराये जाते हैं। प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का कार्य भी उनसे वर्तमान मांग के आधार पर किया जाता है, जिससे वर्तमान में उद्योगों, प्रतिष्ठानों की जरूरतों के अनुसार उन्हें दक्ष कामगार उपलब्ध हो सकें।

वर्तमान में प्रदेश के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत 69 अभियान्त्रिकी/गैर-अभियान्त्रिकी व्यवसायों में 01/02 वर्षीय एवं राज्य स्तरीय अल्प-कालिक व्यवसायों में 03/06 माह का प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन के लिये नीति, मापदण्ड, मानक, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, प्रमाणीकरण आदि पूरे देश में एक समान है।

उद्देश्य

1. घरेलू उद्योगों के लिये विभिन्न व्यवसायों में कुशल कारीगरों की नियमित रूप से पूर्ति करते रहना।
2. व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता एवं उत्पादन बढ़ाना।
3. उद्योगों एवं बाजार से तालमेल के आधार पर उनके मांग के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
4. रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर शिक्षित युवाओं के समक्ष व्याप्त बेरोजगारी कम करना।
5. युवा पीढ़ी में तकनीकी एवं औद्योगिक रुझान का विकास एवं पोषण करना।

● शिशिक्षुता प्रशिक्षण योजना

इस योजना का संचालन शिशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अन्तर्गत किया जाता है। विद्यमान व्यवस्था में शिशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न माध्यमों तथा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के कार्यालयों द्वारा विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए किया जा रहा है। राज्य सरकार के पक्ष में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा व्यावसायिक शिशिक्षुओं का कार्यक्रम नियन्त्रित किया जाता है। वर्ष 2014 व 2015 में भारत सरकार द्वारा योजना को और प्रभावी बनाने तथा इसका लाभ अधिक से अधिक युवाओं तथा उद्योगों को प्राप्त कराने के दृष्टिगत शिशिक्षु अधिनियम, 1961 में अनेक संशोधन किये गये हैं।

अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण किया जाता है तथा उनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में अधिनियम में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार शिशिक्षुओं के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व नियोजक का होता है। शिशिक्षुओं की नियुक्ति के समय नियोजक तथा शिशिक्षु के मध्य एक कॉन्ट्रेक्ट भरा जाता है। प्रशिक्षण समाप्ति के साथ ही यह कॉन्ट्रेक्ट भी समाप्त हो जाता है। जिसके बाद नियोजक तथा शिशिक्षु दोनों स्वतन्त्र हो जाते हैं।

प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। गैर प्रशिक्षित फ्रेशर अभ्यर्थी जो निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, का आधारभूत प्रशिक्षण संस्थानों में दिया जाता है।

व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिशिक्षुओं को पूर्ण दक्ष कारीगर बनाने के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक ज्ञान देने हेतु सम्बन्धित अनुदेश अनिवार्य रूप से दिये जाने की भी व्यवस्था है। इसके लिए शिशिक्षु को निर्धारित सम्बन्धित अनुदेश केन्द्रों पर भेजा जाता है। प्रदेश में इस समय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, लखनऊ, झाँसी, आगरा, गाजियाबाद, मीरजापुर, अयोध्या एवं अलीगढ़ में सम्बन्धित अनुदेश केन्द्र संचालित हैं।

शिशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है। विकलांगों, समाज के कमजोर वर्ग, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को भी नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाती है।

शिशुक्षु प्रशिक्षण योजना को अधिक प्रभावी रूप में संचालित किये जाने के क्रम में प्रदेश के युवाओं को उद्योगों में अधिक से अधिक संख्या में नियोजित कर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कराने के उद्देश्य से योजना का राष्ट्रीय शिशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एन.ए.पी.एस) के रूप में ऑन-लाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

शिशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि छात्रवृत्ति की दर

क्र0 सं0	प्रशिक्षण वर्ष	छात्रवृत्ति दर/प्रतिमाह (रु0 में)
01	प्रथम	राज्य/केन्द्र शासित सरकारों द्वारा अर्द्ध-कुशल कार्मिक हेतु निर्धारित न्यनूतम मजदूरी का 70 प्रतिशत।
02	द्वितीय	राज्य/केन्द्र शासित सरकारों द्वारा अर्द्ध-कुशल कार्मिक हेतु निर्धारित न्यनूतम मजदूरी का 80 प्रतिशत।
03 04	तृतीय चतुर्थ	राज्य/केन्द्र शासित सरकारों द्वारा अर्द्ध-कुशल कार्मिक हेतु निर्धारित न्यनूतम मजदूरी का 90 प्रतिशत।

- **शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना**

देश एवं प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुशल अनुदेशकों की कमी को पूर्ण करने के उद्देश्य से एन.सी.वी.टी. द्वारा शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सी.आई.टी.एस.) को प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशकों तथा सी.टी.एस. प्रमाण- पत्र धारकों को एन.सी.वी.टी. के निर्दिष्ट व्यवसायों में 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है।

योजना के अन्तर्गत समस्त प्रशिक्षार्थियों को ट्रेड टेक्नोलॉजी में 06 माह का उच्च स्तरीय आधारभूत एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन के सिद्धान्तों पर 06 माह का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है।

प्रदेश में सी.आई.टी.एस. योजना के अन्तर्गत प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र,

अलीगंज, लखनऊ में 03 व्यवसायों यथा- फिटर, इलेक्ट्रीशियन तथा मैकेनिक रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर-कन्डीशनिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। महिलाओं हेतु 01 नये व्यवसाय सीविंग टेक्नोलॉजी में सी.आई.टी.एस. का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने हेतु एन.सी.वी.टी. से सम्बन्धन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगतिमान है। एन.सी.वी.टी. से सम्बन्धन प्राप्त होने की दशा में प्रशिक्षण सितम्बर 2018 के सत्र से प्रारम्भ कराया जायेगा।

- **अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम**

प्रदेश की युवा शक्ति के कौशल में वृद्धि कर उनके माध्यम से प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि किये जाने तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाये जाने के उद्देश्य से रोजगारपरक क्षेत्रों में अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित योजनायें

1. केन्द्र पुरोनिधानित योजना (डोमेस्टिक फण्डिंग) के अन्तर्गत प्रदेश के 10 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों- गोरखपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, बहराइच, बरेली, मेरठ, नोएडा एवं आगरा का उच्चीकरण सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के रूप में कराया गया है। इस योजना का व्ययभार विभाजन 75 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 25 प्रतिशत राज्यांश था।

2. केन्द्र पुरोनिधानित योजना (विश्व बैंक फण्डिंग) के अन्तर्गत प्रदेश के 16 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों- बलिया, बस्ती, वाराणसी, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, झाँसी, लखीमपुर खीरी, इटावा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रायबरेली, गाजियाबाद, रामपुर, अलीगढ़, सहारनपुर एवं बुलन्दशहर का उच्चीकरण सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के रूप में कराया गया है। इस योजना का व्यय भार विभाजन 75 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 25 प्रतिशत राज्यांश है।

3. प्रदेश के 115 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों- मैनपुरी, आजमगढ़, गोण्डा, एटा, शाहजहाँपुर, अयोध्या, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, चारबाग- लखनऊ, चौकाघाट-वाराणसी, मऊ चन्दौसी, बदायूँ, फर्रुखाबाद, उरई, देवरिया, बाँदा, मथुरा, पीलीभीत, प्रतापगढ़ महोबा, किला रामपुर, जौनपुर, बिजनौर, गुलावटी- बुलन्दशहर, घाटमपुर-कानपुर नगर, विश्व बैंक (महिला)-आगरा, बच्चापार्क- मेरठ, विश्व बैंक (महिला)- मेरठ, सिम्भावली-हापुड़, विश्व बैंक (महिला)-बरेली, सिविल लाइन-बरेली, अतरौली-अलीगढ़, विश्व बैंक (महिला)-अलीगंज लखनऊ, महिला-रायबरेली, विश्व बैंक (महिला)-कानपुर नगर, कटरा-प्रयागराज, विश्व बैंक (महिला)-प्रयागराज, विश्व बैंक (महिला) चौकाघाट-वाराणसी, रेलवे कालोनी-गोरखपुर, ऑवला-बरेली, बाराबंकी, विश्व बैंक (महिला)-झाँसी, विश्व बैंक (महिला)-गोरखपुर, रसड़ा-बलिया, चरखारी-महोबा, कादीपुर-सुल्तानपुर, अमेठी, जगदीशपुर-अमेठी, गौरीगंज-अमेठी, सिराथू-कौशाम्बी, कैम्पियरगंज-गोरखपुर, खजनी-गोरखपुर, सरसावां-सहारनपुर, मनकापुर-गोण्डा, पट्टी-प्रतापगढ़, महराजगंज, चन्दौली, जेवर-नोयडा, सलोन-रायबरेली, सेवरही-कुशीनगर, नौरंगिया-कुशीनगर, माधोनगर-महराजगंज, मोहम्मदाबाद गोहना-मऊ, ललितपुर, लालगंज-आजमगढ़, पडरौना-कुशीनगर, मुसाफिरखाना-अमेठी, शाहगंज-जौनपुर, सैदपुर-गाजीपुर, फूलपुर-आजमगढ़, फरीदपुर-बरेली, हाथरस, महिला

शाखा-सुल्तानपुर, कासगंज, इब्राहिमाबाद-बलिया, छानवे-मिर्जापुर, सम्भल, अतरौली-हरदोई, चन्दन चौकी-लखीमपुर खीरी, मोहम्मदी-लखीमपुर खीरी, गोदलामऊ-सीतापुर, हसनगंज-उन्नाव, आलापुर-अम्बेडकरनगर, जहाँगीरगंज-अम्बेडकरनगर, अकबरपुर-अम्बेडकरनगर, टाण्डा-अम्बेडकरनगर, नवाबगंज-बाराबंकी, फतेहपुर-बाराबंकी, जमुनहा-श्रावस्ती, रेहवां मंसूर महसी-बहराइच, नानपारा-बहराइच, चारबाग (महिला शाखा)- लखनऊ, लखना-इटावा, कन्नौज, मांडा-प्रयागराज, बिहार-प्रतापगढ़, मानिकपुर-चित्रकूट, बिल्हौर-कानपुर, खेकड़ा-बागपत, लिसाढ़-शामली, कैराना-शामली, दादरी-नोयडा, बिल्सी-बदायूँ, पुवांया-शाहजहाँपुर, कोल-अलीगढ़, जलेसर-एटा, आनन्दपुर जारखी-फिरोजाबाद, धामपुर-बिजनौर, नजीबाबाद-बिजनौर, बड़हलगंज-गोरखपुर, मेहदावल-संतकबीर नगर एवं भदोही सन्त रविदास नगर का उच्चीकरण केन्द्र सरकार द्वारा संचालित पब्लिक प्राइवेट-पार्टनरशिप योजना के अन्तर्गत हो रहा है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा संस्थानों में उद्योगों एवं संस्थान की सम्मिलित इन्स्टीट्यूट मैनेजमेण्ट कमेटी सोसायटी को ब्याज मुक्त रु. 2.5 करोड़ का ऋण दिया गया है जिसे प्राप्ति वर्ष के 10 वर्षों के स्थगनकाल के उपरान्त उसके आगामी 20 वर्षों में इन्स्टीट्यूट मैनेजमेण्ट कमेटी द्वारा वापस किया जायेगा।

4. केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 02 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, यथा-साकेत-मेरठ एवं करौंदी-वाराणसी को मॉडल आई.टी.आई. के रूप में विकसित कर उच्चीकृत किया जा रहा है। इस परियोजना में 70 प्रतिशत धनराशि केन्द्रांश के रूप में तथा 30 प्रतिशत राज्यांश के रूप में है।
5. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़े रखने के उद्देश्य से एल.डब्लू.ई. योजना को संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के जनपद सोनभद्र की तहसील घोरावल में 01 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा जनपद के नक्सल बाहुल्य क्षेत्र चकरिया तथा पीपरखाड़ में एक-एक कौशल विकास केन्द्र स्थापित कर संचालित किया गया है।
6. शिशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा सम्पूर्ण योजना को राष्ट्रीय शिशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एन.ए.पी.एस.) के रूप में ऑन-लाईन पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रवेशित होने वाले प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों एवं राज्य सरकार द्वारा डी.बी.टी.एल. के अन्तर्गत आधार कार्ड के माध्यम से छात्रवृत्ति सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है।
7. प्रशिक्षार्थियों को रीयल टाइम व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के क्रम में ''ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग'' योजना को प्रदेश के 05 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों एवं अधिष्ठानों के साथ एक एम.ओ.यू. किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी अपने सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि की अंतिम छमाही में व्यावहारिक प्रशिक्षण एम.ओ.यू. किये गये औद्योगिक इकाइयों एवं अधिष्ठानों में प्राप्त करेंगे।

राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.वी.टी.)

भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मन्त्रालय के अन्तर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय के नवीन दिशा-निर्देशों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.वी.टी.)

की स्थापना की गयी है। एस.सी.वी.टी. को सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है एवं इसका मुख्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ के परिसर में निर्मित नवीन भवन में स्थापित है। इस संस्था के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं–

1. एन.सी.वी.टी. के प्रशिक्षण कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत जारी किये गये दिशा-निर्देशों को प्रदेश में स्थापित व संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लागू कराना।
2. व्यावसायिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्त प्रकार की परीक्षाओं के लिये परीक्षा बोर्ड का गठन तथा परीक्षाओं का सफल सम्पादन, परीक्षाफल घोषित करना, इत्यादि।
3. प्रदेश में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित एन.सी.वी.टी. के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुश्रवण के दृष्टिगत सतत् निरीक्षण करा कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उच्च स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रभावी कदम उठाना।
4. एन.सी.वी.टी. के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित कर सफल प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध कराना।
5. एस.सी.वी.टी के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित कर सफल प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध करना।
6. प्रदेश के उद्योगों, संस्थानों एवं संस्थाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप नये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास एवं निर्माण करना तथा उनके सम्बन्धन की कार्यवाही को सम्पादित करना।

प्रादेशिक स्टॉफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ परिसर में निर्मित किये गये प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र के भवन में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.टी.) द्वारा संचालित शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.आई.टी.एस.) के अन्तर्गत 03 व्यवसायों यथा-फिटर, इलेक्ट्रीशियन व मैकेनिक रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर-कन्डीशनिंग में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एन.सी.वी.टी. से सम्बन्धन प्राप्त किया गया है। तीनों स्वीकृत व्यवसायों हेतु एन.सी.वी.टी. के मानकों के अनुसार आधुनिक तकनीकी से परिपूर्ण आवश्यक मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र को क्रय कर स्थापित किया गया है। केन्द्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारम्भ कर संचालित करने के दृष्टिगत विभिन्न श्रेणी के कुल 56 पदों का सृजन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में सी.आई.टी.एस. के अन्तर्गत तीन स्वीकृत व्यवसायों में प्रशिक्षण सत्र सितम्बर, 2015 में कुल 60 प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश प्रदान कराया गया है, जिसमें 30 प्रशिक्षार्थी प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशक हैं। प्रशिक्षण सत्र सितम्बर, 2016 में तीन स्वीकृत व्यवसायों में कुल 60 प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश प्रदान कराया गया है, जिसमें 24 प्रशिक्षार्थी प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से कार्यरत अनुदेशक हैं। प्रशिक्षण सत्र सितम्बर, 2017 में तीन स्वीकृत व्यवसायों में कुल 148 प्रशिक्षार्थियो को प्रवेश प्रदान कराया गया है, जिसमें 50 प्रशिक्षार्थी प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशक हैं।

सी.आई.टी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र के द्वारा

विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों, प्रशिक्षण कार्मिकों तथा अन्य कार्मिकों में से 240 से अधिक को आधुनिक तकनीकी व प्रबन्धन के क्षेत्र में अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस केन्द्र में महिलाओं हेतु 01 नये व्यवसाय सीविंग टेक्नोलॉजी, में सी.आई.टी.एस. के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिये एन.सी.वी.टी. से सम्बन्धन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगतिमान हैं। सम्बन्धन प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों को सितम्बर, 2018 के सत्र से प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

उ.प्र. कौशल विकास मिशन

उ.प्र. शासन द्वारा प्रदेश में कौशल विकास नीति को जुलाई 2013 से लागू किया गया है। उ.प्र. देश का प्रथम राज्य है जहाँ इस नीति के अन्तर्गत केन्द्र सहायतित (जिससे राज्यांश भी सम्मिलित हैं) 5 योजनाओं तथा राज्य सरकार की एक योजना को समेकित रूप से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। मिशन द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा 14 से 35 आयु वर्ग के युवाओं (जिनमें महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से अक्षम, गरीब और कम पढ़े लिखे लोग सम्मिलित हैं) को प्रशिक्षित करते हुए उन्हें रोजगार प्रदान कराने में हर सम्भव सहायता प्रदान की जाती है। उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा निम्न योजनाओं को एकीकृत रूप से मानकीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है–

1. स्किल डेवलपमेंट इनीशिएटिव योजना (एस.डी.आई.),
2. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डी.डी.यू.-जी.के.वाई.),
3. स्पेशल सेन्ट्रल एसिस्टेंस टू शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान (एस.सी.ए. टू एस.सी.पी.),
4. मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान (एम.एस.डी.पी.),
5. बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (बी.ए.डी.पी.), बिल्डिंग एण्ड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (बी.ओ.सी.डब्लू.) इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण दर निर्धारित की गयी है। योजनाओं के लिए केन्द्र/राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि के अतिरिक्त आवश्यक धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए स्टेट स्किल डेवलपमेंट फंड (एस.एस.डी.एफ.) राज्य सरकार की सहायता से बनाया गया है।

रोजगारपरक और इन्डस्ट्रीज की मांग के अनुरूप कोर्सेज का चयन

मिशन स्तर पर प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे एम.ई.एस. कोर्सेज और इन्डस्ट्रीज की मांग के अनुरूप राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) भारत सरकार के क्वालीफिकेशन पैक्स/नेशनल आक्यूपेशनल स्टैन्डर्ड आधारित कोर्सेज में कुल 53 सेक्टर्स में 654 कोर्सेज को चयनित किया गया है।

प्रशिक्षार्थियों के मूल्यांकन (एसेसमेंट) और प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेशन) की व्यवस्था

मिशन द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षार्थियों का मूल्यांकन और प्रमाणीकरण राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थाओं प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार अथवा एन.एस.डी.सी. द्वारा कराया जाता है।

एम.ई.एस. कोर्स का मूल्यांकन प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय शिशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, कानपुर के माध्यम से कराया जाता है। क्वालीफिकेशन पैक्स/नेशनल आक्यूपेशनल स्टैन्डर्ड कोर्सेज का एसेसमेंट कराने के लिए एन.एस.डी.सी. से उ.प्र. कौशल विकास मिशन ने अनुबन्ध किया है। संबंधित प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण हेतु अभी तक 28 सेक्टर स्किल काउन्सिल (एस.एस.सी.) से सर्विस लेवल एग्रीमेंट किया जा चुका है। अन्य संबंधित एस.एस.सी. के साथ अनुबन्ध की कार्यवाही की जा रही है।

प्रशिक्षण प्रदाताओं का आबद्धीकरण

वर्तमान तक 133 निजी प्रशिक्षण प्रदाता, 247 राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता और 20 फ्लैक्सी एम.ओ.यू. प्रशिक्षण प्रदाता मिशन के साथ आबद्ध किए जा चुके हैं।

प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

मिशन द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं के कुल 3375 प्रशिक्षण केन्द्रों को अनुमोदित किया जा चुका है।

अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

- उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदेश की प्रत्येक तहसील में एक-एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र को स्थापित कर संचालित कराया जा रहा है।
- कई बड़ी औद्योगिक इकाइयों यथा- रेमण्ड प्रा.लि. की संस्था स्किल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट द्वारा रेमण्ड, मुम्बई, कैफे-कॉफी डे, बंगलूरू, फ्यूचर कार्पोरेट रिसोर्स लि. की संस्था फ्यूचर शार्प स्किल्स लि., मुम्बई, श्री लक्ष्मी कॉटसिन, कानपुर, टी.एन.एस., नोएडा, जी.4एस., गुड़गाँव, सुपर हाउस, कानपुर, जायकाम इलेक्ट्रानिक्स सिक्योरिटी सिस्टम की संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस सिक्योरिटी ट्रेनिंग एण्ड मैनेजमेंट, मुम्बई, कार्वी डेटा मैंनेजमेंट सर्विसेज लि., हैदराबाद, लावा तथा इन्टैक्स के साथ फ्लैक्सी एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। जिससे आगामी 5 वर्षों में लगभग 50-60 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही जावेद हबीब हेयर एण्ड ब्यूटी लि. ट्रान्सपोर्टेशन क्षेत्र की विख्यात कम्पनी ओला कैब (ए.एन.आई. टेक्नोलॉजी प्रा. लि.) तथा स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रसिद्ध कम्पनी मिडमार्क कार्पोरेशन लि. यू.एस.ए. की सहायक कम्पनी जनक हेल्थकेयर के साथ भी फ्लैक्सी एम.ओ.यू. किया गया है। इसके अतिरिक्त लक्जरी क्राफ्ट में प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु हैण्ड डिजाइन प्रा.लि. के साथ भी फ्लैक्सी एम.ओ.यू. किया गया है। यशोदा हॉस्पिटल, गाजियाबाद के साथ हेल्थ सेक्टर में फ्लैक्सी एम.ओ.यू. किया गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के दृष्टिगत उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा ''स्किल कनेक्ट'' नामक मोबाइल एप को लॉन्च किया गया है। इस एप के माध्यम से समस्त उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक स्कूलों की उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ जियो टैगिंग कर दी गई है। इस एप का लाभ यह होगा कि प्रशिक्षण केन्द्र अपनी परिधि के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को कौशल प्रशिक्षण केन्द्र व उनमें संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

- उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा ''स्किल मित्र'' नामक मोबाइल एप को लॉन्च किया गया है। इस एप के माध्यम से मिशन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किसी भी पाठ्यक्रम में पंजीकरण की कार्यवाही को ऑन-लाइन पूर्ण कर सकता है।
- उ0प्र0 कौशल विकास मिशन प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में लगातार रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा लगभग सेवायोजित कराये गये लगभग 10000 युवाओं की सेवाओं का सत्यापन कराया जा रहा है।
- प्रथम चरण में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों में से 101 महिला प्रशिक्षणार्थियों को जनवरी, 2015 को नियुक्ति पत्र दिलाया गया।
- वर्ष 2015 में विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई के अवसर पर 111 प्रशिक्षार्थियों को लखनऊ में तथा 220 प्रशिक्षार्थियों को जनपद झाँसी में आयोजित युवा रोजगार मेले के अवसर पर नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। जनपद आगरा में मिशन से प्रशिक्षित 1000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किये गये हैं।
- मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन द्वारा समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन एवं विभागाध्यक्ष को निर्देश जारी किये गये हैं कि आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों में उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षित एवं प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाये।
- ऊर्जा विभाग, उ.प्र. शासन की मांग के अनुरूप मीटर रीडर के पद के लिए मिशन द्वारा पाठ्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है। इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों में से योग्य पाये गये अभ्यर्थियों को ऊर्जा विभाग द्वारा सेवायोजित किया जायेगा।
- संस्था सरल रोजगार (टेक महिन्द्रा) और सेलेक्ट जॉब्स नामक रोजगार प्रदान करने वाली कम्पनियों के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है।
- उ.प्र. में स्थापित लघु उद्योगों के लिए लाभकारी प्रशिक्षण योजनाओं को संचालित कराये जाने पर विचार किया जा रहा है ताकि स्थानीय स्तर पर ही युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें। इसके लिए टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज, मुम्बई से स्किल गैप स्टडी कराई गई है और उक्त स्टडी की एनालिसिस करके सेलेबस और मैनुअल तैयार किया गया है। जनपद लखनऊ में चिकनकारी, मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स और वाराणसी में सिल्क हैण्डलूम क्षेत्र में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का कार्यक्रम चल रहा है।
- मिशन द्वारा संचालित किये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सहभागिता सुनिश्चित करने और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए माह अक्टूबर, 2014 की तिथि 11 को यू.पी.एस.डी.एम. इन्डस्ट्री मीट का आयोजन किया गया जिसमें 85 से अधिक इण्डस्ट्रीज ने भाग लिया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

स्वस्थ नागरिक राष्ट्र की समृद्धि के आधार स्तम्भ होते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है। इसमें हर जाति, वर्ग, सम्प्रदाय के लोग निवास करते हैं। किसी भी देश अथवा प्रदेश की प्रगति का मापदण्ड उस देश अथवा प्रदेश में निवास करने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की स्थिति से ही जाना जाता है। अपने प्रदेश के नागरिकों को स्वस्थ्य रखने एवं जीवनस्तर सुधारने हेतु स्वास्थ्य विभाग उत्तम सेवायें प्रदान करने के लिये कृतसंकल्प है। प्रदेश में इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध संसाधनों से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं अधिकाधिक विस्तार कर रहा है। महामारी एवं अन्य घातक बीमारियों पर समय से नियंत्रण पाने के लिये त्वरित एवं सघन प्रयास किये जाते हैं।

प्रदेश के निरोधात्मक, उपचारात्मक एवं संवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त रूप से विकास एवं प्रचार करके लोगों को स्वस्थ रखने के लिये अधिकाधिक सफलता प्राप्त की जा रही है। निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत रोके जा सकने वाले संचारीरोगों से प्रभावित रोगियों की संख्या एवं होने वाली मृत्यु को कम करने में वास्तविक प्रगति हुयी है। पूरे प्रदेश एवं देश से चेचक रोग का उन्मूलन हो गया है। पोलियो एवं मलेरिया रोग की रोक-थाम एवं नियंत्रण के लिये सफल एवं सघन प्रयास किये जा रहे हैं। फाईलेरिया एवं मस्तिष्क ज्वर पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है। अन्धापन, क्षयरोग, कुष्ठरोग एवं आयोडीन की कमी से होने वाले रोग जैसी प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिये इन्हें 20 सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। प्रदेश में इन रोगों से प्रभावित होने वाले रोगियों की संख्या प्रतिवर्ष घटती जा रही है। बच्चों की 7 जानलेवा बीमारियों टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, मिजिल्स, हिपेटाइटिस-बी तथा क्षयरोग जैसे भयानक रोगों से सुरक्षा हेतु व्यापक कार्यक्रम, वृहत प्रशिक्षण योजना के रूप में चलाया जा रहा है। गर्भवती माताओं एवं बच्चों को अल्परक्तता तथा बच्चों को अंधेपन से बचाने हेतु ठोस कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन समस्त सेवाओं के प्रभावी संचालन के कारण नागरिकों की औसत आयु में वृद्धि हुयी है और उनका जीवन स्तर सुधरा है। इसके फलस्वरूप जीवन अनुशंसा राष्ट्रीय स्तर पर 27 से बढ़कर 65.5 वर्ष (वर्ष 2011) हो गयी है, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

प्रदेश सरकार की विकास नीति ग्रामोन्मुखी है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर के निकट ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला सेक्टर योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों की व्यापक व्यवस्था की गयी है। इस कड़ी में सबसे निचले स्तर पर परिवार कल्याण उप केन्द्र स्थापित हैं, जो स्वास्थ्य सेवायें भी प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों में प्रति 30,000.00 ग्रामीण जनसंख्या तथा जनजाति क्षेत्रों में 20,000.00 ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है, जिससे की ग्रामीण क्षेत्र की जनता को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें सुगमता से उनके घर के समीप सुलभ हो सके। प्रत्येक विकासखण्ड में 30 शैय्या युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाना है, जिसमें आवश्यक विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें जैसे- मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बालरोग, दन्त, पैथालॉजी, एक्स-रे आदि की व्यवस्था की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपचारात्मक एवं निरोगात्मक सेवाओं के साथ-साथ विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता हैं। जनसामान्य को उच्च स्तरीय उपचारात्मक सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला एवं मण्डल पर जिला चिकित्सालय तथा अन्य चिकित्सालयों में विशिष्ट एवं अति विशिष्ट सेवा इकाइयाँ स्थापित की गयी हैं प्रदेश के नवसृजित जनपदों में कासगंज, हापुड़ एवं संभल 100 बेड के चिकित्सालय की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तथा बच्चों को 07 तरह की बीमारियों से बचाने हेतु नियमित टीकाकरण तथा आपात चिकित्सा सेवा पहुंचाने हेतु ई.एम.टी.एस. सेवाओं के अन्तर्गत 108 एम्बुलेन्स सेवा संचालित की जा रही है। इस प्रकार 108 ई.एम.टी.एस.एम्बुलेन्स सेवा के अन्तर्गत कुल 1488 एम्बुलेन्सों का संचालन किया जा रहा है। दिनांक 14.09.2012 से प्रारम्भ हुई उक्त एम्बुलेन्स सेवा से दिनांक 12.02.2018 तक कुल 9596813 (पच्चानबे लाख छियानबे हजार आठ सौ तरह) रोगियों को एम्बुलेन्स की सुविधा से लाभान्वित किया गया। यह सेवा सरकार द्वारा पूर्णतया निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

विद्युत आपूर्ति की निरन्तरता बनाये रखने हेतु 129 जिला पुरुष/महिला एवं अन्य चिकित्सालयों में स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना करायी जा चुकी है। शेष 19 जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में आधुनिक जीवन रक्षा प्रणाली युक्त एम्बुलेन्स सेवा का शुभारम्भ दिनांक 13.04.2017 को किया गया है। प्रदेश की प्रत्येक जनपद की योजना में एम्बुलेन्स उपलब्ध करायी गई है। इस प्रकार प्रदेश के कुल 150 आधुनिक जीवन रक्षा प्रणाली युक्त एम्बुलेन्सों का संचालन किया जा रहा है। दिनांक 13.04.2017 से प्रारम्भ हुई सेवा से दिनांक 12.02.2018 तक कुल 24314 रोगियों को लाभान्वित किया गया है।

स्टेट एजेन्सी फॉर काम्प्रीहेन्सिव हेल्थ इन्श्योरेन्स (साचीज)

स्टेट एजेन्सी फॉर काम्प्रीहेन्सिव हेल्थ इन्श्योरेन्स (साचीज) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्न योजनाओं का संचालन किया जाना प्रस्तावित है-

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

इस योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध बी.पी.एल. एवं मनरेगा श्रमिकों के परिवारों के पाँच सदस्यों को फ्लोटर के आधार पर एक वर्ष में रु. 30,000/- तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ स्मार्ट कार्ड के माध्यम से दिया जाना है। स्मार्ट कार्ड बनवाने हेतु रु. 30/- मात्र की धनराशि पंजीकरण शुल्क के रूप में लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी। योजना पर आने वाला व्यय 60:40 के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। आगमी वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के अन्तर्गत 70 लाख बी0पी0एल0 एवं मनरेगा श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। योजना पर रु.16,400.00

लाख का व्यय भार राज्य सरकार द्वारा एवं रु.24600.00 लाख का व्यय भार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0 32 के अन्तर्गत रु.32303.90 लाख का अनुदान सं. 83 के अन्तर्गत रु. 8696.10 लाख कुल रु. 41000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

2. वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना

योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के सूचीबद्ध लाभार्थी परिवारों के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को रु.30000/- की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा का लाभ बीमा के माध्यम से प्रदान किये जाने हेतु नई योजना का संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के प्लेटफार्म पर किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत होने वाला व्यय 60:40 के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध लाभार्थी परिवारों में अनुमानतः 7 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिकों का आकलन करते हुए सम्भावित लाभार्थियों की संख्या 24.49 लाख को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा कराये जाने पर अनुमानित प्रीमियम दरों के अनुसार 12 माह हेतु रु. 3000.00 लाख धनराशि का व्यय होना संभावित है, जिसमें से राज्यांश रु.1200.00 लाख तथा केन्द्रांश के रूप में रु.1800.00 लाख का व्यय होना अनुमानित है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0 32 के अन्तर्गत रु. 2363.70 लाख का अनुदान सं. 83 के अन्तर्गत रु. 636.30 लाख कुल रु. 30000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

राज्य कर्मचारियों/पेंशनरों के असाध्य बीमारी के उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना

योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों/पेंशनरों के असाध्य बीमारी के उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में लाभार्थियों कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर रु. 45000.00 लाख धनराशि का व्यय होना अनुमानित है। इस योजना का सम्पूर्ण व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0 32 के अन्तर्गत रु.45,000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) की रणनीति

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्भावित क्षय रोगियों के निदान एवं उपचार की सुविधाएं देने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्ययोजना है-

1. कार्यक्रम के अन्तर्गत संदिग्ध क्षय रोगियों की खोज हेतु प्रत्येक सरकारी चिकित्सालय के ओ.पी.डी. मे आने वाले वयस्क मरीजों के 2-3 प्रतिशत संदिग्ध रोगियों को बलगम परीक्षण हेतु संदर्भन को सुदृढ़ किया जाना है।
2. कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीन स्वीकृत सिविल वर्क को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध रूप से सम्पादित कराया जाना है।
3. भाारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07 मई 2012 के अनुरूप सरकारी एवं निजी क्षेत्र

में जाँच/निदान एवं उपचार प्राप्त कर रहे समस्त क्षय रोगियों के आकड़ों एवं समस्त/निजी चिकित्सा इकाइयों का पंजीकरण निःक्षय साफ्टवेयर में शत प्रतिशत अंकन सुनिश्श्ति कराया जाना है।

4. टी.बी.-एच.आई.वी. समन्वय कार्यक्रम के अन्तर्गत शत् प्रतिशत क्षय रोगियों की एच.आई.वी. जाँच सुनिश्चित की जानी है।

5. कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकेन्द्रीकृत अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण जनपद आगरा, वाराणसी, बरेली एवं लखनऊ में स्थापित क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइ (आर.टी.पी.एम.यू.) के माध्यम से किया जाना है।

6. एम.डी.आर.-टी.बी. (मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्ट-टी.बी.) के संदिग्ध क्षय रोगियों की खोज हेतु समस्त प्रदेश में भारत सरकार के निर्देशानुसार क्राईटेरिया-सी लागू किया जा रहा है। अतः पी.एम.डी.टी. (प्रोगामेटिक मैनेजमेण्ट ऑफ ड्रग रेजिस्टेन्ट टी.बी.) कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में भी क्राईटेरिया-सी के अनुसार एम.डी.आर. क्षय रोगियों की खोज सुनिश्चित की जानी है।

7. प्रदेश में चार स्टेट ड्रग स्टोर एवं समस्य जनपदीय ड्रग के माध्यम से क्षय निरोधी औषधियों का वितरण किया जा रहा है। क्षय निरोधी औषधियों के वितरण को और अधिक प्रभावी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय ड्रग पैकेजिंग इकाई जनपद लखनऊ में स्थापित करायी जा रही है।

8. एम.डी.आर. क्षय रोगियों की त्वरित जाँच एवं निदान हेतु वर्तमान में प्रदेश के 75 जनपदों मे 76 सी.बी.एन.ए.ए.टी. लैब स्थापित एवं क्रियाशील हैं एवं 65 अतिरिक्त सी.बी.एन.ए.ए.टी. लैब स्थापित एवं क्रियाशील की कार्यवाही जनपद स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

9. स्टेट टी.बी. डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस.टी.डी.सी.) आगरा को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु ''उत्कृष्टता के केन्द्र'' के रूप में विकसित किया जा रहा है।

10. इस कार्यक्रम में क्षय रोगियों का उपचार डॉटस पद्धति से किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा अपने सामने औषधियाँ खिलायी जाती हैं। सभी क्षय रोगियों के लिए पंजीकरण के प्रथम दिन ही सम्पूर्ण कोर्स की क्षय निरोधी औषधियां आवंटित कर दी जाती हैं। अनियमित क्षय रोगियों को पर्यवेक्षकीय स्टाफ एवं डॉटस प्रोवाइडर द्वारा इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे उपचार समय से निरन्तर लेते रहें।

11. भारत सरकार द्वारा त्रैमासिक आधार पर क्षय निरोधी औषधियाँ एस.डी.एस.-आगरा, लखनऊ, बरेली, तथा वाराणसी द्वारा प्रदेश के समस्त क्षय रोगियों को (कैट-1 एवं कैट-2 तथा एक्स.डी.आर./एम.डी.आर.) को उपलब्ध करायी जाती हैं।

12. इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों, ई.एस.आई. डिस्पेन्सरीज, रेलवे अस्पताल, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं निजी चिकित्सकों का सहयोग टी.बी. नोटीफिकेशन के लिए लिया जा रहा है।

13. कार्यक्रम की गुणवत्ता हेतु ई.क्यू.ए. हेतु प्रदेश में दो आई.आर.एल. लैब (एस.टी.डी.सी. आगरा एवं मेडिकल कालेज लखनऊ) की स्थापना की गयी है।

14. सम्भावित क्षय रोगियों का सभी स्वास्थ्य केन्द्रों/निजी चिकित्सकों से माइक्रोस्कोपी सेन्टरों/सी.बी. नॉट पर बलगम परीक्षण हेतु संदर्भन किया जाता है।

15. लैब टेक्नीशियन की अनुपस्थिति में अक्रियाशील माइक्रोस्कोपी सेन्टर को लैब टेक्नीशियन के समायोजन से क्रियाशील बनाना।
16. बलगम ऋणात्मक सम्भावित क्षय रोगियों का पुनः बलगम परीक्षण पर बल।
17. डॉट्स प्रोवाइडर्स, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों तथा डूडा कर्मियों की कार्यक्रम में सहभागिता पर बल।
18. आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों की कार्यक्रम मे सहभागिता तथा उनका कार्यक्रम सम्बन्धी संवेदीकरण।
19. सभी निजी चिकित्सकों का इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन की सहभागिता से कार्यक्रम मे संवेदीकरण एवं आई.एम.ए. को पूर्ण सहयोग।
20. महानगरों में मलिन बस्तियों तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बाहुल्य क्षेत्रों में डॉट्स सेन्टर पर सुदृढ़ीकरण, एन.यू.एच.एम. के सहयोग से।
21. उपचार छोड़ने वाले रोगियों को पुनः उपचार पर लाना।
22. एक चिकित्सालय के क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में संदर्भित किये गये रोगियों के उपचार पर रखे जाने के लिए रैफरल फीडबैक प्रक्रिया द्वारा सघन समीक्षा।
23. स्वयं सेवी संस्थाओं की कार्यक्रम में सहभागिता का सुदृढ़ीकरण।
24. राज्य एवं जनपद स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यक्रम मानक तथा पर्यवक्षेण की गहन समीक्षा।
25. आर.एन.टी.सी.पी. के अन्तर्गत स्वीकृत रिक्त पदों को भरने हेतु आवश्यक कार्यवाही।
26. प्रदेश में टी.बी.-एच.आई.वी. कॉओर्डिनेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत आई.सी.टी.सी. से सम्भावित क्षय रोगियों को जॉच हेतु टी.बी. कार्यक्रम में एवं सभी टी.बी. रोगियों को आई.सी.टी.सी. में सलाह लेने के उद्देश्य से इन्टेन्सीफाइड टी.बी.-एच.आई.वी. पैकेज लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत समस्त टी.वी. मरीजों का एच.आई.वी. जॉच एवं एच.आई.वी. पॉजटिव (टी.बी. सस्पेक्ट) रोगियों के क्षय रोग हेतु बलगम की जॉच की जा रही है।
27. बलगम परीक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बाहरी गुणवत्ता आश्वासन (ई.क्यू.ए.) प्रोटोकाल पूरे प्रदेश में लागू किया गया है, इसके अन्तर्गत के.जी.एम.यू. लखनऊ के माइक्रोबायलाजी विभाग एवं आगरा स्थित स्टेट टी.बी. ट्रेनिंग एण्ड डिमान्सट्रेशन सेन्टर को इन्टरमीडिएट रिफरेन्स लैबोरेटरी (आई.आर.एल.) के रूप में विकसित किया गया है। इन्टरमीडिएट रिफरेन्स लैबोरेटरी (आई.आर.एल.) लखनऊ को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्ति उपरान्त मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
28. बाल क्षय रोगियों की जांच हेतु भारत सरकार से प्राप्त सी.बी. नॉट मशीन द्वारा जॉच की जा रही है।
29. प्रोजेक्ट निःक्षय के अन्तर्गत सभी जनपदों के क्षय रोगियों की ऑन लाइन डाटा फीडिंग हेतु जनपद के समस्त ब्लाक डाटा इन्ट्री आपरेटर एवं जिला क्षय रोग नियंत्रण के डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा डाटा फीडिंग किया जा रहा है।
30. प्रचार-प्रसार मद की ए.सी.एस.एम. स्कीम के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार समस्त

सरकारी एवं प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों एवं छात्रों को क्षय रोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से समस्त जिला क्षय रोग अधिकारियों को ब्लाकवार गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए कार्ययोजना तैयार कर गतिविधियाँ संचालित कराने हेतु निदेर्शित किया गया है जिससे समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में क्षय रोग के प्रति संवेदीकरण किया जा सके।

31. दिनांक 24 मार्च 2017 को राज्य/जनपद स्तर पर ''विश्व क्षयरोग दिवस'' मनाया गया।

32. पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में एक्टिव केस फाइडिंग कैम्पेन चलाया जा रहा है जिसमें पहले से चिन्हित क्षेत्रों में जहां पर टी.बी. के संदिग्ध मरीजों के पाये जाने की सम्भावना ज्यादा रहती है, उन स्थानों पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर टी.बी. के लक्षणों के बारे में बताकर संदिग्ध टी.बी. से ग्रसित व्यक्ति की पहचान कर उनकी निःशुल्क जांच व उपचार हेतु निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में संदर्भित किया जाता है। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में दिनांक 04 अगस्त 2017 तक 06 जनपद (आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, उन्नाव, मेरठ एवं गौतमबुद्धनगर) तथा दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 9 जनवरी 2018 तक द्वितीय चरण में 25 जनपदों में एक्टिव केस फाइडिंग कैम्पेन का सफल संचालन कराया गया। समस्त 75 जनपदों में एक्टिव केस फाइडिंग कैम्पेन दिनांक 24 फरवरी 2018 से दिनांक 10 मार्च तक कराया जाना प्रस्तावित है।

33. सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 30.10.2017 से क्षय रोगियों हेतु डेली रेजिमैन की औषधियाँ दी जा रही हैं जिसके अन्तर्गत फिक्स डोज कम्बीनेशन का प्रावधान है जिससे कि अब से क्षय रोगी को पहले की अपेक्षा रोजाना कम गोलियों (टेबलेट) का सेवन करना पड़ेगा।

34. निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य टी.बी. की सूचना को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) माध्यम से उनके खाते में प्रति टी.बी. मरीज के नोटीफिकेशन पर रु. 100/- तथा मरीज का उपचार पूर्ण कराने पर रु. 500/- का प्रावधान किया गया है।

35. प्रदेश के जनजाति (ट्राइबल) आबादी में ग्रसित क्षय रोगी को सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से रु. 750/- प्रतिमाह का प्रावधान किया गया है।

36. प्रदेश के समस्त क्षय रोगियों की एच.आई.वी. की जांच एवं उपचार निःशुल्क की जा रही है।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम की अद्यतन स्थिति

कार्यक्रम से आच्छादित जनपद	75
कार्यक्रम से आच्छादित जनसंख्या	1995.81 लाख (2011 की जनगणना के अनुसार)
स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0)	01 (आगरा)
स्टेट ड्रग स्टोर (एस.डी.एस)	04 (आगरा, बरेली, वाराणसी एवं लखनऊ)
इन्टरमीडिएट रिफरेन्स लेबोरेटरी (आई0आर0एल0)	02 (आगरा, लखनऊ)

क्षेत्रीय क्षय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (आर0टी0पी0एम0यू0)	04 (आगरा, बरेली, वाराणसी एवं लखनऊ)
टी0बी0 यूनिट (टी0यू0)	993
बलगम परीक्षण केन्द्र (डी0एम0सी0)	2020
कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब	06
ड्रग रेजिस्टेन्ट टी0बी0 केन्द्र (डी0आर0-टी0बी0 सेन्टर)	16
सी0बी0एन0ए0ए0टी0 (जीन एक्सपर्ट) लैब	76
डाट्स केन्द्र	39856

वित्तीय स्थिति

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के सेन्ट्रल टी.बी. डिवीजन निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, उ.प्र. को कार्यक्रम के संचालन हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला क्षय रोग अधिकारी (आर.एन.टी.सी.पी.) को विभिन्न मदों में आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु रु. 251.38 करोड़ की राज्य कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है। राज्य कार्ययोजना में मदवार स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जनपदों को बजट उपलब्ध कराकर क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम-उत्तर प्रदेश

प्रदेश में यह कार्यक्रम भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता से वर्ष 1977 से भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2005 से ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत समायोजित कर चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य प्रदेश की वर्तमान दृष्टिहीनता दर 1.0% को घटाकर 0.3% लाना है। मोतियाबिन्द जनित अंधता को शल्यक्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा कराये गये अंधता हेतु सर्वेक्षण द्वारा परिणाम प्राप्त हुए हैं कि 62% अंधता, मोतियाबिन्द तथा 20% रिफैक्टिव एरर के कारण होती है। जिसे दूर करने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार मोतियाबिन्द की शल्यक्रिया करने तथा 8 से 14 वर्ष के बच्चों के दृष्टिदोष को दूर करने हेतु स्कूल आई स्क्रीनिंग तथा नेत्र बैंकों के माध्यम से कार्निया प्रत्यारोपण का कार्य कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों के नेत्र शल्यक्रिया कक्षों हेतु नई तकनीक से मोतियाबिन्द आपरेशनों की फेको विधि के उपकरणों तथा माइक्रोस्कोपों आदि के क्रय हेतु रु. 39.45 करोड़ की धनराशि में से 50 प्रतिशत राज्य सरकार व 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा एन.एच.एम. के माध्यम से उपलब्ध कराई गई जिससे नये उपकरण क्रय कर जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध कराये गये हैं।

राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम दिनांक 1.4.2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत

समायोजित होकर उसी के दिशानिर्देशन में चलाया जा रहा है। जनपदों में जिला अन्धता नियंत्रण समितियों का विलय जिला स्वास्थ्य समिति में किया जा चुका है तथा उन्ही के द्वारा कार्यक्रम का संचालन कराया जा रहा है।

उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना

वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना

विश्व बैंक पोषित उ.प्र. हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना का अनुबन्ध विश्व बैंक, भारत सरकार उ.प्र. सरकार के मध्य दिनांक 21.03.2012 को हस्ताक्षरित हुआ। परियोजना का प्रभावीकरण दिनांक 25.05.2012 से प्रारम्भ हुआ। उ.प्र. हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना (वर्ष 2012-2019) में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित उन क्रियाकलापों को सम्मिलित किया गया है जो विभाग तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित नहीं हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विभाग तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तगर्त संचालित कार्यक्रमों के अतिरिक्त अनेक ऐसे घटक हैं, जिन पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। इन घटकों के पूर्ण विकास न होने की दशा में गुणवत्ता चिकित्सा एवं उपचार की सुविधा जनसामान्य को उपलब्ध कराने में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है जिसके निराकरण हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश की जनता को दी जा रही सेवाओं को बेहतर, गुणवत्तापूर्ण एवं जवाबदेही युक्त बनाने हेतु चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में निम्न घटकों को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता हैः

उ.प्र. हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना की कार्ययोजना के मुख्य अवयव निम्नवत् हैः-

गुणवत्ता युक्त प्रबन्धन एवं जवाबदेही व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण : इस अवयव के अन्तर्गत निम्नवत् हैं-

- विभाग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फंक्शन का सुदृढ़ीकरण करना।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए सूचनातंत्र का विकास एवं सुदृढ़ीकरण करना।
- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सी.एम.एस.डी. में उपार्जन एवं शृंखलाबद्ध आपूर्ति कुशल प्रबन्धन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करते हुए सतत् दवाओं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का उपार्जन के क्षेत्र में क्षमता अभिवृद्धि करना, ई-उपार्जन व्यवस्था लागू करना, वित्तीय प्रबन्धन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र की चिकित्सा इकाइयों में बेहतर कार्य करने वाली इकाइयों को पुरस्कृत करने तथा चिकित्सा सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना।

चिकित्सा इकाइयों में गुणवत्तापरक चिकित्सकीय सेवायें उपलब्ध कराना तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता से अभिनव कार्य किया जानाः

इसके अन्तर्गत-

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय में गुणवत्ता आश्वासन एवं सुधार प्रकोष्ठ का संचालित किया जा रहा है।

- जिसके अन्तर्गत प्रदेश के 51 चिकित्सा इकाइयों में एन0ए0बी0एच0 एक्रेडिटेशन हेतु निरन्तर गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम अपनाये जायेंगे।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय में एक पर्यावरण प्रबन्धन प्रकोष्ठ की स्थापना करते हुए प्रदेश की समस्त राजकीय चिकित्सा इकाइयों में संक्रमण नियंत्रण हेतु चिकित्सकीय अपशिष्ट का वैज्ञानिक रीति से निस्तारण करने की व्यवस्था लागू करना एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रकोष्ठ का गठन करते हुए निजी क्षेत्र की सहभागिता से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने हेतु पहल करना।
- स्वास्थ्य एवं चिकित्सालय प्रबन्धन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित कर गुणवत्ता अभिवृद्धि का प्रयास करना।

वित्त पोषण एवं वित्तीय प्रबन्धन

विश्व बैंक परियोजना अवयवों एवं गतिविधियों की अनुमानित लागत रु.538.55 करोड़ का 85 प्रतिशत अर्थात रु. 457.78 करोड़ तथा डिस्बर्समेन्ट लिन्कड इण्डिकेटर्स के आधार पर होने वाली फन्डिंग रु.225.00 करोड़ की धनराशि (कुल धनराशि रु.682.78 करोड़ अर्थात् रु.151.73 मिलियन यू0एस0 डालर) का वित्त पोषण आई0डी0ए0 क्रेडिट के रूप (2012-19) में करेगी। राज्य सरकार को सात वर्षों की अवधि में रु. 80.77 करोड़ की धनराशि राजकोष से 15 प्रतिशत राज्यांश के रूप मे देना होगा। परियोजना की अवधि प्रभावी होने की तिथि से सात वर्ष की होगी, इस प्रकार राज्य सरकार को प्रतिवर्ष औसतन रु.11.54 करोड़ राज्यांश के रूप में देना होगा। परियोजना के विभिन्न अवयवों में व्यय होने वाली धनराशि का प्रतिवर्ष प्रावधान राज्य सरकार के बजट में किया जायेगा। व्यय होने के उपरान्त प्रतिवर्ष विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति प्राप्त की जायेगी जो राज्य सरकार के आय-व्ययक में प्राप्तियों के रूप में इंगित की जायेगी। परियोजना का वित्तीय प्रबन्धन राजकीय कोषागार के माध्यम से किया जायेगा।

परियोजना संचालन

परियोजना की गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं संचालन प्रोजेक्ट गवर्निंग बोर्ड, प्रोजेक्ट स्टेयरिंग कमेटी तथा परियोजना निदेशक द्वारा उच्च स्तर पर किया जा रहा है। महानिदेशालय स्तर पर परियोजना गतिविधियों का संचालन विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी तथा महानिदेशक द्वारा किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट सपोर्ट यूनिट द्वारा परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग एवं अनुश्रवण प्रदान किया जा रहा हैं।

परियोजना के मुख्य लाभ

- परियोजना के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश के 51 चिकित्सालयों को नेशलन एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हास्पिटल (एन0ए0बी0एच0) के एक्रीडिटेशन मानकों के स्तर पर लाने से इन चिकित्सालयों में उपचार कराने वाली जनता को बेहतर गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। चूंकि सरकारी क्षेत्र के चिकित्सालयों में अधिकतर रोगी ग्रामीण क्षेत्रों तथा गरीबी रेखा के

नीचे जीवनयापन करने वाली जनता आती है जिसे सीधे तौर पर इन परियोजना के क्रियान्वयन से चिकित्सकीय लाभ प्राप्त हो सकेगा।

- परियोजना के अंतर्गत उपार्जन एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण करने से प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों को गुणवत्तापरक औषधियों एवं उपकरणों को उचित प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर प्राप्त हो सकेगी। परियोजनान्तर्गत पर्यावरण प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण से प्रदेश के चिकित्सालयों में प्रभावी संक्रमण नियंत्रण संभव हो सकेगा। उपरोक्त कार्यक्रमों एवं योजनाओं से भी प्रदेश की जनता, विशेषकर गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली जनता जो अधिकतर सरकारी चिकित्सालयों से ही मुफ्त इलाज प्राप्त करती हैं, को गुणवत्तापरक चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

●

आयुष

आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धति :– गतिविधियाँ एवं क्रिया कलाप

भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार के संकल्पों में से एक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शासन द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धतियों के सर्वांगीण विकास के लिये गत वर्षों में अनेकानेक महत्त्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जाती रही हैं। जिसका सुखद परिणाम है कि वर्तमान में इन विधाओं का एक समेकित, समन्वित तथा सुगठित तंत्र प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में विकसित हो सका है।

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों (आयुर्वेद/यूनानी) के कार्यकलापों एवं गतिविधियों के संक्षेपतः निम्न 3 आयाम हैं:-

1. चिकित्सकीय क्रियाकलाप
2. औषधि निर्माण एवं गुणवत्ता नियन्त्रण
3. शिक्षा एवं प्रशिक्षण

चिकित्सकीय क्रियाकलाप

नवसृजित उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात् सम्प्रति उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आयुर्वेद एवं यूनानी विधा के कुल 2358 चिकित्सालय हैं। इन चिकित्सालयों में कुल 10597 शैय्याएं रोगियों को चिकत्सा हेतु उपलब्ध हैं एवं प्रतिवर्ष लगभग 1.75 करोड़ रोगियों को आयुर्वेदिक/यूनानी पद्धति के इन शासकीय चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

औषधि निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

प्रदेश के सभी राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों को प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की दृष्टि से वर्तमान में लखनऊ एवं पीलीभीत में राजकीय औषधि निर्माणशालाएं कार्यरत हैं। प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों की गुणवत्ता पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए वर्ष 1977-78 से ड्रग एक्ट लागू कर दिया गया है। प्रदेश में लखनऊ में एक ड्रग टेस्टिंग लैब भी है जो प्रदेश में उपयोग में लाई जा रही औषधियों के संघटन, गुण-दोष आदि का निर्धारण कर गुणवत्ता नियंत्रण में अपनी उपयोगिता सिद्ध करती है।

शिक्षा तथा प्रशिक्षण

प्रदेश में भारतीय चिकित्सा पद्धति के निष्णात् स्नातकों को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से लखनऊ, पीलीभीत, झाँसी, बरेली, मुजफ्फरनगर, अतर्रा-बांदा, हंडिया-प्रयागराज तथा वाराणसी में

8 राजकीय आयुर्वेदिक एवं लखनऊ तथा प्रयागराज में 2 राजकीय यूनानी कालेजों के माध्यम से कुल 320 आयुर्वेदिक तथा 80 यूनानी स्नातकों को प्रशिक्षित करने के लिये वर्ष 2017-18 से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नीट परीक्षा की पात्रता सूची से प्रवेश दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। इसके पूर्व सी.पी.एम.टी. के माध्यम से प्रवेश दिया जाता रहा है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में प्रवेश क्षमता एवं कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में शैय्याओं का विवरण :-

क्र.सं.	कालेज का नाम	प्रवेश क्षमता	कालेज से सम्बद्ध अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या
1.	राजकीय आयुर्वेदिक कालेजन, लखनऊ।	50	220
2.	ललित हरि रा0 आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत।	50	100
3.	बुन्देलखण्ड रा0 आयुर्वेदिक कालेज, झाँसी।	40	100
4.	एस.आर.एम. रा0 आयुर्वेदिक कालेज, बरेली।	40	100
5.	एस.के.डी. रा0 आयुर्वेदिक कालेज, मु0 नगर।	30	100
6.	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा-बांदा।	40	100
7.	लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हण्डिया-प्रयागराज।	30	100
8.	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, वाराणसी।	40	110
9.	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, प्रयागराज।	60	100
10.	राजकीय तकमिल-उत्तिब कालेज, लखनऊ।	40	100
	योग :	**400**	**1130**

भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश

यह संस्था प्रदेश में आयुर्वेदिक/यूनानी पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे वैद्यों/हकीमों के पंजीकरण की एकमात्र संस्था है, जो उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 के प्रावधानों के अधीन इनके पंजीकरण का कार्य करती है।

आयुर्वेद विभाग

वित्तीय वर्ष 2017-18 की उपलब्धि (कार्यक्रम)

1. राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों में सी.सी.आई.एम. के मानकों के अनुसार अधूरे भवन निर्माण हेतु रुपया 1418.20 लाख प्राविधानित धनराशि से राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय लखनऊ में चिकित्सालय भवन निर्माण करवाये जा रहे हैं।
2. प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रु. 250 लाख से चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण करवाये जा रहे हैं।

3. प्रदेश में आयुष विभाग द्वारा अनुदानित योजनाओं के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश आयुष मिशन विभाग की स्थापना की गई है जिससे आयुष के अंतर्गत प्रदेश में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है इसके अन्तर्गत धनराशि 12500 लाख का प्रावधान कराया है। जिसके अन्तर्गत निम्नवत् कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

क. प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्सालयों में आवश्यक औषधियों की आपूर्ति की जाएगी।

ख. प्रदेश के दस जनपदों- कौशाम्बी, सोनभद्र, उरई-जालौन, सन्तकबीरनगर, सहारनपुर, देवरिया, ललितपुर, अमेठी, कानपुर देहात एवं बलिया जनपद में 50 शैय्याओं युक्त एकीकृत आयुष चिकित्सालय स्थापित किये जाएंगे।

ग. प्रदेश में संचालित 4 शैय्या युक्त 23 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2018-19 का लक्ष्य

1. प्रदेश में संचालित आठ राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों की सी0सी0आई0एम0 मानकों के अनुरूप उच्चीकृत किए जाने हेतु रु. 1500.00 लाख की धनराशि व्यय की जाएगी।
2. प्रदेश के आठ राजकीय महाविद्यालयों में सी0सी0आई0एम0 मानकों की पूर्ति हेतु पंचकर्म विभाग में शैक्षणिक व इनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों में आवश्यक पदों का सृजन किया जाएगा।
3. प्रदेश में संचालित ऐसे चिकित्सालय जो किराए के भवनों में संचालित हैं के समीप शासकीय भूमि व्यवस्था करते हुए रु. 250.00 लाख की धनराशि से नवीन भवन निर्माण कर इन्हें शासकीय भवनों में स्थापित किया जाएगा।
4. प्रदेश के आठ राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में इन्नोवेशन के क्रियान्वयन हेतु रु. 10.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है। जिससे इन्नोवेशन कार्यक्रम करवाया जाएगा।
5. राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, वाराणसी तीन विषयों में पाँच-पाँच सीटों पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु धनराशि रु. 109.44 लाख की व्यवस्था कर ली गई है। जिससे पाँच विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कराये जायेंगे।
6. प्रदेश में राष्ट्रीय आयुष मिशन के कार्यक्रमों के संचालन हेतु रु. 12500 लाख की धनराशि की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी प्रेषित वार्षिक कार्य योजना 2017-18 की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर निम्न कार्यक्रम किये जाएंगे :

1. जनपदों में योगा वेलनेस सेन्टर्स स्थापित किए जायेंगे।
2. रु. 4208 लाख की लागत से आयुर्वेद चिकित्सालयों में औषधि आपूर्ति की जाएगी।
3. 100 आयुर्वेद चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
4. 3 आयुर्वेदिक, महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
5. दस 50 शैय्याओं वाले आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित किए जायेंगे।

यूनानी विभाग

वित्तीय वर्ष 2017-18 की उपलब्धि (कार्यक्रम)

1. राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों में चल रहे निर्माण कार्य हेतु रु. 311.00 लाख मात्र की धनराशि में से राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के पुराने परिसर के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के आवासीय भवन निर्माण कार्य हेतु रु. 100.00 लाख तथा राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के नवीन परिसर में 200 छात्राओं के छात्रावास निर्माण कार्य हेतु रु. 100.00 लाख कुल रु. 200.00 लाख मात्र की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गई।
2. राजकीय यूनानी कालेजों में सी0सी0आई0एम0 के मानकों को पूर्ण करने हेतु मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र आदि के क्रय हेतु रु. 25.00 लाख मात्र की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गई।
3. राजकीय यूनानी औषधि निर्माणशाला लखनऊ हेतु मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र आदि के क्रय हेतु रु. 03.00 लाख मात्र की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गई।
4. राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला लखनऊ में राजकीय यूनानी औषधि निर्माणशाला एवं प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु रु. 1.00 लाख मात्र की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
5. ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत यूनानी चिकित्सालयों के भवनों/बाउन्ड्रीवाल के निर्माण कार्य हेतु रु. 25.00 लाख मात्र की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
6. शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत यूनानी चिकित्सालयों के भवनों/बाउन्ड्रीवाल के निर्माण कार्य हेतु रु. 25.00 लाख मात्र की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
7. प्रदेश में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत यूनानी विधा हेतु रु. 2500.00 लाख मात्र की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 का लक्ष्य

1. राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ तथा राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय प्रयागराज को सी0सी0आई0एम0 नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप चालू निर्माण कार्यों हेतु रु. 1327.60 लाख मात्र की धनराशि व्यय की जायेगी।
2. नई मांग के माध्यम से राजकीय तकमील- उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के पुराने भवन में स्व. हकीम अब्दुल अजीज के नाम से 50 शैय्याओं युक्त जिला यूनानी चिकित्सालय की स्थापना के लिए पुराने भवन का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण हेतु रु. 250.00 लाख मात्र की धनराशि व्यय की जायेगी।
3. राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ तथा राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय प्रयागराज को सी0सी0आई0एम0 नई दिल्ली के मानकों को पूर्ण किये जाने हेतु मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र को क्रय किये जाने हेतु रु. 15.00 लाख मात्र की धनराशि व्यय की जायेगी।
4. राजकीय यूनानी औषधि निर्माणशाला लखनऊ के अन्तर्गत भवन निर्माणशला एवं प्रयोगशाला भवन

निर्माण हेतु रु. 253.10 लाख मात्र की धनराशि व्यय की जायेगी।

5. राजकीय यूनानी औषधि निर्माणशाला लखनऊ के अन्तर्गत मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र को क्रय किये जाने हेतु रु. 07.00 लाख मात्र की धनराशि व्यय की जायेगी।
6. ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत यूनानी चिकित्सालयों के भवनों/बाउन्ड्रीवाल के निर्माण कार्य हेतु रु. 35.00 लाख मात्र की धनराशि व्यय की जायेगी।
7. शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत यूनानी चिकित्सालयों के भवनों/बाउन्ड्रीवाल के निर्माण कार्य हेतु रु. 25.00 लाख मात्र की धनराशि व्यय की जायेगी।
8. प्रदेश में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत यूनानी विधा हेतु रु. 2500.00 लाख मात्र की धनराशि व्यय की जायेगी।

होम्योपैथी विभाग, उत्तर प्रदेश

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार के संकल्पों में से एक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु होम्योपैथिक निदेशालय वर्ष 1981 से एक स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्यरत है। होम्योपैथिक चिकित्सा विधा ''समः समे समयति'' के मूल सिद्धान्त के आधार पर रोगियों को रोगमुक्त करने में सहयोग देती है। प्रदेश की जनता को बेहतर, सस्ती, रोगों को समूल नष्ट करने वाली त्वरित प्रभावकारी एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाली चिकित्सा पद्धति होने के कारण आम जनता विशेष कर ग्रामीण जनता जिनमें अधिकतर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनता जिसकी व्यय वहन क्षमता अत्यन्त न्यून है, में बेहद उपयोगी होने के फलस्वरूप इसकी लोकप्रियता में निर्बाध रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है तथा जन मानस में तीव्र गति से ग्राह्य हो रही है।

होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा

वर्ष 1981 में पृथक होम्योपैथी विभाग की स्थापना के समय विद्यमान मात्र 329 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के सापेक्ष वर्तमान में यह संख्या 1575 है। उक्त चिकित्सालयों में 121 चिकित्सालय शहरी क्षेत्रों में तथा शेष 1454 चिकित्सालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं।

अतः विभाग द्वारा ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का हर सम्भव सफल प्रयास किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप इसकी लोकप्रियता में निर्बाध रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है तथा जन मानस में तीव्र गति से ग्राह्य हो रही है। इस तथ्य की पुष्टि इससे होती है कि वर्ष 1983-84 में इस पद्धति द्वारा सेवित रोगियों की संख्या मात्र 18.20 लाख थी जो वर्षानुवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्त में 256.97 लाख हो चुकी है जो लगभग 14 गुना से अधिक वृद्धि है।

होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा

वर्तमान में प्रदेश में कुल 07 होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय जो लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, गाजीपुर, आजमगढ़ एवं मुरादाबाद जनपदों में स्थापित/कार्यरत हैं। इन सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में बी.एच.एम.एस. डिग्री पाठ्यक्रम संचालित है जिसमें कुल प्रवेश क्षमता 300 छात्र प्रति वर्ष है। प्रथम वर्ष में प्रवेश नीट मेरिट के आधार पर किया जाता है। उक्त सभी कालेज डॉ. भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध हैं।

इन सभी रा.हो.मे.का. में केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद, नई दिल्ली के मानकों के अनुसार शिक्षण/शिक्षणेत्तर पदों का सृजन हो गया है। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है।

उक्त के अतिरिक्त जनपद गोरखपुर तथा अलीगढ़ में 02 नये राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की स्थापना किये जाने हेतु भवन निर्माणाधीन हैं तथा आवश्यक पदों के सृजन हेतु कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान में इन मेडिकल कालेजों में ओ.पी.डी. संचालित हैं।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद

इस संस्था के माध्यम से प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सकों तथा फार्मासिस्टों का पंजीकरण किया जाता है। परिषद के द्वारा डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स की मान्यता व उसका संचालन किया जाता है।

विभाग के प्रमुख उद्देश्य

1. होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना।
2. गुणवत्तापरक होम्योपैथिक औषधियाँ उपलब्ध कराया जाना।
3. होम्योपैथिक कालेजों में अपेक्षित अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराते हुए शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देना।
4. गम्भीर व संक्रामक रोगों के प्रति जागरूकता बचाव एवं चिकित्सा उपचार।
5. शिशु मृत्युदर एवं मातृ मृत्युदर को होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से कम करना।
6. स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना।
7. जन साधारण विशेषकर निर्धन वर्ग व संवेदनशील वर्ग को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना।
8. आयुष मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति।

आवश्यकता एवं पूर्ति के सम्बंध में रणनीति

1. सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से होम्योपैथिक विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना व सुदृढ़ीकरण कराया जाना।
2. प्रदेश की वर्तमान आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये राजकीय तथा निजी क्षेत्र में नये होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की स्थापना।
3. केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप वर्तमान होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का सुदृढ़ीकरण।
4. होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा के स्तर में उन्नयन हेतु प्रदेश में स्थापित 07 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों जिनमें केवल स्नातक पाठ्यक्रम ही संचालित हैं, में परास्नातक विशेषज्ञता पाठ्यक्रम प्रारम्भ/संचालित किया जाना।
5. सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों तथा वह क्षेत्र जहाँ प्रभावी चिकित्सकीय सेवायें उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ नये राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना।
6. भवन रहित अथवा किराये पर चल रहे राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों का भवन निर्माण।
7. होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा/चिकित्सा शिक्षा की सेवाओं को जन सामान्य तक पहुंचाना।

परिवार कल्याण

जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा पूरे देश में वर्ष 1955 से प्रारम्भ किया गया था। प्रदेश में इसका शुभारम्भ वर्ष 1957 में हुआ। चूंकि उस समय प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तत्समय स्थापित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय से चलाई जाती थीं, अतः केन्द्र सरकार का शत् प्रतिशत पोषित यह कार्यक्रम उसी निदेशालय से संचालित किया गया। शनैः-शनैः, कार्यक्रम का विस्तार हुआ, अतः उसके सुचारु संचालन के लिए स्वास्थ्य निदेशालय में एक पृथक ''राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो'' की स्थापना वर्ष 1965 में की गई, जिसका शीर्षस्थ नियंत्रक अधिकारी संयुक्त निदेशक स्तर का अधिकारी होता था। वर्ष 1977 में परिवार नियोजन का नाम बदल कर परिवार कल्याण कर दिया गया है। प्रदेश में कार्यक्रम के विस्तार के साथ ब्यूरो को वर्ष 1986 में परिवार कल्याण निदेशालय तथा वर्ष 1995 में अलग 'परिवार कल्याण महानिदेशालय' के रूप में उच्चीकृत किया गया और उसके अनुरूप प्रभारी के पद को भी उच्चीकृत किया गया। वर्तमान में परिवार कल्याण महानिदेशालय पृथक नियंत्रण इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, जिसके कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम अधिकारी हैं।

उद्देश्य

परिवार कल्याण महानिदेशालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम को भारत सरकार के समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अधीन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, समीक्षा तथा मूल्यांकन करना और परिवार कल्याण की सेवाओं के विस्तार के लिए अभिनव परियोजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित करना है।

कार्यक्रम

परिवार कल्याण महानिदेशालय के माध्यम से सम्पूर्ण प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सेवायें प्रदान की जा रही हैंः-

माताओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें

इसके अन्तर्गत गर्भवती माताओं का पंजीकरण, टेटनेस से बचाव के दो टीके, रक्त अल्पता से बचाव एवं उपचार हेतु आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का वितरण, प्रसव पूर्व परीक्षण, जटिल प्रसवों का चिह्नीकरण, सुरक्षित प्रसव, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, आपातकालीन प्रसवों का सन्दर्भन एवं उनकी व्यवस्था, प्रसवोत्तर देखभाल तथा दो बच्चों के बीच समयान्तर हेतु गर्भ निरोधकों आदि की सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम (उत्तर प्रदेश)

- प्रदेश के समस्त जनपदों में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 09 जानलेवा बीमारियों (पोलियो, टी.बी.,

गलाघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, हैपेटाइटिस-बी, निमोनिया, जे.ई. एवं खसरा) से बचाव तथा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव हेतु नियमित रूप से निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है।

- प्रदेश के संवेदनशील 38 जनपदों में जे.ई. से बचाव हेतु बच्चों को जे.ई. टीकाकरण की दो डोज प्रथम डोज (09-12 माह) एवं द्वितीय डोज (16-24 माह) से निःशुल्क आच्छादित किया जा रहा है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश के 38 संवेदनशील जनपदों (गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, संतकबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ, सीतापुर, खीरी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर नगर, बरेली, शाहजहाँपुर, मुजफ्फर नगर, शामली, सहारनपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कानपुर देहात एवं पीलीभीत) में 25 मई, 2017 से जे0ई0 टीकाकरण विशेष अभियान 01 से 15 वर्ष तक के बच्चों हेतु चलाया गया, जिसके अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 8862413 के सापेक्ष 9195952 बच्चों को जे0ई0 टीकाकरण से आच्छादित किया गया।
- नियमित टीकाकरण एच.एम.आई.एस. डाटा के अनुसार वर्ष 2016-17 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की उपलब्धि का प्रतिशत 82.34 रहा है।
- नियमित टीकाकरण मानिटरिंग फीडबैक के अनुसार वर्ष 2015-16 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत 70 था, जो कि वर्ष 2016-17 में बढ़कर 74.4 प्रतिशत हो गया है।
- वर्ष 2017-18 में प्रदेश के 37 जनपदों में मिशन इन्द्रधनुष अभियान फेज-4 के अन्तर्गत चार चरण (माह अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई, 2017) में चलाया गया। जिसके अन्तर्गत कुल 2648286 बच्चों का टीकाकरण किया गया। साथ ही कुल 850094 गर्भवती माताओं को टी0टी0 टीकाकरण से आच्छादित किया गया।
- प्रदेश के 60 जनपदों में सघन मिशन इन्द्रधनुष अभियान 08 अक्टूबर, 2017 से चलाया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 1270998 बच्चों का टीकाकरण किया गया। साथ ही कुल 279944 गर्भवती माताओं को टी0टी0 टीकाकरण से आच्छादित किया गया। इसी प्रकार नवम्बर, 2017 चरण दिनांक 07 नवम्बर, 2017 से चलाया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 1103302 बच्चों का टीकाकरण किया गया एवं कुल 239129 गर्भवती माताओं को टी0टी0 टीकाकरण से आच्छादित किया गया। दिसम्बर चरण दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 से चलाया जा रहा है। सघन मिशन इन्द्रधनुष अभियान का आगामी चरण जनवरी 2018 में 07 तारीख से चलाया जाना प्रस्तावित है।
- पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत पोलियो विसंक्रमण रोकने हेतु प्रदेश में एन.आई.डी. (नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) तथा एस.एन.आई.डी. (सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) चक्र चलाये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक से निःशुल्क आच्छादित किया जा रहा है। वर्ष 2018 में पोलियो के दो एन0आई0डी0 चरण 28 जनवरी, 2018 एवं 11 मार्च, 2018 को चलाये जाने प्रस्तावित हैं।
- पोलियो विसंक्रमण रोकने हेतु प्रदेश के 06 जनपद (महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती एवं खीरी) जो नेपाल की सीमा से लगे हैं, में सीमा पर पोलियो के 30 बूथ पूरे वर्ष संचालित किये जा रहे हैं। जो कि अगले वर्षों में भी संचालित रहेंगे।

- प्रदेश के समस्त जनपदों में बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अन्तर्गत बच्चों में रतौंधी व रोगाणु से लड़ने की क्षमता बढ़ाने हेतु वर्ष में दो बार माह जून व दिसम्बर में 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन-ए की खुराक से निःशुल्क आच्छादित किया जाता है। माह जून, 2017 में चलाये गये अभियान में कुल 21267991 बच्चों को विटामिन 'ए' की खुराक से आच्छादित किया गया।
- प्रदेश के 06 जनपद (बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, खीरी एवं सिद्धार्थनगर) में पी0सी0वी0 वैक्सीन दिनांक 10 जून, 2017 से लगायी जा रही है। जिसके अन्तर्गत जून, 2017 से नवम्बर, 2017 तक 275122 बच्चों को पी0सी0वी0 वैक्सीन से आच्छादित किया गया है।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2013 से मिजिल्स सर्विलेन्स आउटब्रेक कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- प्रदेश में ए0एफ0पी0 सर्विलेंस उच्च कोटि का बना हुआ है इस स्थिति को लगातार आने वाले वर्षों में कायम रखा जायेगा। इसके साथ ही एन्वायरमेन्टल सर्विलेन्स के तहत प्रदेश में सीरम एकत्र कर पोलियो वायरस की जांच का काम लखनऊ महानगर में वर्ष 2016 से प्रारम्भ कर दिया गया है तथा छह महानगरों (आगरा, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी एवं गौतमबुद्ध नगर) में वर्ष 2017-18 में आरम्भ कर दिया गया है।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में वी0पी0डी0 (वैक्सीन प्रिवेन्टेविल डिजीज) सर्विलेन्स माह सितम्बर, 2016 वीक नं0 38 से चलाया जा रहा है।
- प्रदेश में 1162 कोल्ड चेन प्वाइन्ट स्थापित हैं, उन सभी कोल्ड चेन प्वाइन्ट से वैक्सीन का वितरण किया जाता है।

मिशन परिवार विकास

24 अप्रैल, 2017 से प्रदेश के 57 जनपदों में मिशन परिवार विकास योजना लागू की गयी है, जिसमें नवीन गर्भ निरोधक इन्जेक्शन (अन्तरा) एवं साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली (छाया) के समावेश के साथ बढ़ी हुई दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना एवं नवविवाहितों को नयी पहल किट का वितरण किया जाना तथा उपकेन्द्र स्तर पर सास बहू सम्मेलन आयोजित किया जाना सम्मिलित है।

गर्भ निरोधक सेवायें

इसके अन्तर्गत दो बच्चों में अन्तर बनाये रखने हेतु अस्थाई गर्भ निरोधकों, जैसे– ओरलपिल्स, निरोध तथा कॉपर-टी और परिवार नियोजन की स्थाई विधि महिला तथा पुरुष नसबन्दी की सेवाएं दी जा रही हैं। महिला नसबन्दी की नई लैप्रोस्कोपिक विधि प्रदेश में बहुत प्रचलित है। अब पुरुष नसबन्दी की भी नई विधि "नो स्केलपल वैसेक्टामी" का विस्तार किया जा रहा है। नसबन्दी के उपरान्त बच्चों की मृत्यु हो जाने पर महिला तथा पुरुष की नस जोड़ने की सेवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं। अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने हेतु सुरक्षित गर्भ समापन की निःशुल्क सेवाएं भी सरकारी अस्पतालों में प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त नियत दिवस पर नसबन्दी, कॉपर-टी की सेवायें प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रसव के पश्चात् लूप निवेशन की सेवायें भी प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994

प्रदेश में लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम-1994 लागू है, जिसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा रहा है।

परिवार नियोजन आईडेमिनिटी योजना

नसबन्दी के उपरान्त होने वाली मृत्यु, जटिलताओं एवं असफल नसबन्दी के मुआवजे हेतु परिवार नियोजन आइडेमिनिटी योजना के अन्तर्गत व्यवस्था है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत आर.सी.एच.-2 कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, चिकित्सा एवं उपचार कार्यक्रम, रोग निगरानी कार्यक्रम एवं आयुष को सम्मिलित करते हुये एक वृहत कार्यक्रम वर्ष 2015-16 से प्रदेश में आरम्भ किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का द्वितीय चरण वर्ष 2012-2017 तक के लिये भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। मिशन के द्वितीय चरण के उद्देश्य, लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ निम्नवत हैंः-

मिशन के उद्देश्य

- प्रदेश के सभी नागरिकों विशेषतः निर्धन वर्ग तथा समाज का वह संवेदनशील वर्ग, जो सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है, उसे सुलभ तथा गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना।
- गर्भावस्था तथा प्रसव के तत्काल बाद माताओं की मृत्यु की संख्या को घटाना।
- शिशु के जन्म से 1 वर्ष की आयु तक होने वाली मृत्यु को कम करना।
- हर बच्चे को सात जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिये टीकाकरण सुनिश्चित करना।
- परिवार नियोजन के लिये प्रोत्साहित करना, जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके।
- क्षय रोग नियंत्रण, कुष्ठ रोग निवारण व अंधता नियंत्रण कार्यक्रमों में गति लाना।
- मलेरिया, डेंगू, जापानी इन्सेफ्लाइटिस जैसे रोगों पर नियंत्रण प्राप्त करना।
- गाँव में स्वच्छ पेयजल व वातावरण की स्वच्छता सुनिश्चित करना।
- बच्चों के कुपोषण के स्तर पर सुधार लाना।
- वर्ष 2014-15 से मुख्य स्वास्थ्य राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम तथा वृद्धावस्था स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम चलाया जाना।

मिशन के लक्ष्य

- मिशन के आरम्भ में प्रदेश की मातृ मृत्यु दर 517 प्रति लाख जीवित जन्म थी, वर्तमान में प्रदेश की मातृ मृत्यु दर ए0एच0एस0 सर्वे रिपोर्ट 2014 के अनुसार 258 प्रति लाख जीवित जन्म है, जिसे वर्ष 2017 तक 200 प्रति लाख जीवित जन्म लाने का लक्ष्य है। जननी सुरक्षा योजना के कारण संस्थागत प्रसवों में अच्छी बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके फलस्वरूप मातृ मृत्यु दर घटी है।
- प्रदेश के शिशु मृत्यु दर की वर्तमान स्थिति एस0आर0एस0 सर्वे रिपोर्ट 2014 के अनुसार 48 प्रति हजार जीवित जन्म है। वर्ष 2013 में शिशु मृत्यु दर 50 प्रति हजार जीवित जन्म थी, जिसमें शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं के सफल संचालन के परिणाम स्वरूप एक वर्ष में 2 प्वाइंट की गिरावट आई है। वर्ष 2017 तक शिशु मृत्यु दर 32 प्रति हजार जीवित जन्म का लक्ष्य है।
- सकल प्रजनन दर में कमी लाना प्रदेश के लिये एक चुनौती है। वर्तमान में एस0आर0एस0 सर्वे रिपोर्ट 2012 के अनुसार सकल प्रजनन दर 3.3 है, जिसे वर्ष 2017 तक 2.8 लाने का लक्ष्य है।

- कवरेज इवैलुएशन सर्वे-2009 के अनुसार पूर्ण प्रतिरक्षीकृत बच्चों का प्रतिशत 40.9 है, परन्तु डब्ल्यू0एच0ओ0 के सहयोग से किये गये अनुश्रवण की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रतिशत लगभग 62 पहुंच गया है, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2017 तक 90 प्रतिशत ले जाना है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थापित अर्ध विकसित मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य की मूलभूत सेवायें उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है; जिसके सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या को गुणवत्तापरक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासनादेश सं0- 1684/5-9-2013-9 (186)/13 दिनांक 07 अक्टूबर 2013 द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लागू किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले समस्त शहरों एवं कस्बों को स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित किया गया है तथा 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों/कस्बों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में 50,000 से अधिक आबादी वाले जिला मुख्यालय/शहर/कस्बे को सम्मिलित करते हुए कुल 131 शहरी क्षेत्रों हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को एन.एच.एम. की पी0आई0पी0 में सम्मिलित कर प्रेषित की गयी है जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 131 शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या को गुणवत्तापरक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल 592 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 10 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जननी सुरक्षा योजना

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2005 से जननी सुरक्षा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रु. 1400/- व शहरी क्षेत्र में रु. 1000/- एवं बी0पी0एल0 श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु रु. 500/- सहायता राशि के रूप में दिये जाते हैं।
- आशा कार्यकर्त्री पंजीकरण से लेकर प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन व प्रसवोत्तर सभी सेवायें उपलब्ध करवाती है, तो आशा को इस कार्य हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कुल रु. 600/- एवं शहरी क्षेत्र में कुल रु. 400/- दिये जाते हैं।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में 22 अगस्त 2011 से लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारेन्टेड कैशलेस डिलवरी सेवा प्रदान करना है।
- उक्त योजना के अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं को समस्त औषधियाँ एवं जाँच-ब्लड, यूरिन, अल्ट्रासोनोग्राफी आदि निःशुल्क प्रदान की जा रही है। साथ ही सभी गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं (सामान्य एवं सिजेरियन प्रसव) को चिकित्सालय में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन प्रदान किया जा रहा है। निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी रु. 100.00 प्रति दिन की अधिकतम दर तक धनराशि व्यय की जा सकती है। जिसमें सुबह का नाश्ता एवं

दो समय का भोजन सम्मिलित होगा। गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व घर से चिकित्सा इकाई तक एवं प्रसवोपरान्त चिकित्सा इकाई से घर तक निःशुल्क एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है।

- प्रसवों के उपरान्त माँ की 42 दिन तक और बच्चे की एक वर्ष तक पूरी देखभाल/टीकाकरण/बीमार होने पर निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, घर से चिकित्सा इकाई तक एवं चिकित्सा इकाई से घर तक एवं चिकित्सा इकाई से अन्य चिकित्सा इकाई तक पहुँचाने की निःशुल्क सुविधा एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से दी जा रही है।

मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम

- मातृ मृत्यु समीक्षा (एम0डी0आर) कार्यक्रम में प्रत्येक मातृ मृत्यु के कारणों की गहन छानबीन की जाती है जिससे यह पता चलता है कि मातृ मृत्यु के मेडिकल कारण क्या थे तथा सामाजिक कारण क्या थे।
- उक्त कार्य के लिए प्रत्येक महिला की मृत्यु की रिपोर्ट करने पर संबंधित आशा को रु. 200.00 एवं अन्य व्यक्ति द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित न हो तो मातृ मृत्यु की सूचना देने पर रु. 1000/- की प्रोत्साहन धनराशि देय होगी।
- समस्त जनपदों में मातृ मृत्यु को कम करने के लिए पी0पी0एच0 प्रशिक्षण करवाया जा रहा है।
- मातृ एवं शिशु मृत्यृ दर में कमी लाने हेतु प्रदेश के समस्त चिकित्सकों को पी0पी0एच0 प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

- ''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' प्रत्येक माह की 09 तारीख को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में चलाया जाता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का मुख्य उद्देश्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुँचाना और उन्हें सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिये प्रेरित करना है जिसमें द्वितीय व तृतीय त्रैमास की गर्भावस्था वाली महिलाओं को न्यूनतम एक जाँच चिकित्सक द्वारा प्रदान की जाती है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत 40 जनपदों के 50 से अधिक प्रसव भार वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पी0पी0पी0 मोड पर गर्भवती महिलाओं के लिये अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा माह सितम्बर 2017 से प्रारम्भ की गई है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक में सभी संदर्भित एच0आर0पी0 एवं नियमित आने वाली गर्भवती महिलाओं की जांच क्लीनिक पर उपलब्ध एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक द्वारा की जा रही है।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना

यह योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 01.01.2017 से लागू की गई है। योजना शासन के निर्देशानुसार सिफ्सा द्वारा संचालित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा शासनादेश 535/पाँच-9-(127)/12टी0सी0 दिनांक 06 सितम्बर, 2017 से आच्छादित गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिये तीन किस्तों में निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी-

- गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण करने पर प्रथम किस्त - रु. 1000/-
- कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच (गर्भावस्था के 6 माह के बाद) द्वितीय किस्त रु. 2000/-

- बच्चे के जन्म का पंजीकरण, बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर तृतीय किस्त- रु. 2000/-

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

स्वस्थ समाज की नींव स्वस्थ बाल्यावस्था में ही पड़ती है। अतः बच्चों की मृत्युदर में कमी लाने, उनके बेहतर जीवन एवं समग्र विकास के लिए जन्म से 19 वर्षों तक के बच्चों हेतु राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2013-14 से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 डी0एस0 बर्थ डिफेक्ट्स, डिफीसिएन्सी, डिसीजेज एण्ड डेवलपमेन्ट डीले लीडिंग टू डिसएबीलिटी के दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं संदर्भन सुनिश्चित किया जाना है। कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक ब्लाक में दो मेडिकल टीमें तैनात की गयीं हैं, जो वर्ष में दो बार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तथा एक बार सरकारी, परिषदीय एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में जा रही हैं तथा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। इन टीमों द्वारा बच्चों की लम्बाई, वजन की जाँच, नजर की जाँच तथा स्वास्थ्य परीक्षण आदि किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार निःशुल्क उपचार हेतु संदर्भित किया जाता है। टीमों द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता एवं पोषण सम्बन्धी परामर्श भी दिया जाता है।

कार्यक्रम का और विस्तार करते हुए प्रसव इकाइयों पर तैनात चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों को जन्म के तुरन्त बाद चिन्हित किये जा सकने वाले जन्मजात दोषों की पहचान के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। नवजात की घरेलू देखभाल करने वाली आशा तथा ग्राम्य स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य कर्मी महिला (ए.एन.एम.) को भी छोटे बच्चों में होने वाले रोगों तथा जन्मजात दोषों को पहचानने तथा संदर्भन हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

किशोर आयु वर्ग (10-19 वर्ष) कुल आबादी का पाँचवां हिस्सा तथा युवा (10-24 वर्ष) एक तिहाई हिस्सा हैं। किशोर/युवा एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं। किशोरों/युवाओं की विशाल संख्या को ध्यान में रखते हुए देश व प्रदेश को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जीवंत और रचनात्मक शक्ति बनकर सतत और समावेशी विकास में योगदान कर सके। वर्तमान में हमारे देश में युवा जनसंख्या अधिकतम है, जिसके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए विशेष योजना की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम मौजूदा क्लीनिक-आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर एक समग्र मॉडल की ओर केंद्रित है। इसके अन्तर्गत समुदाय आधारित स्वास्थ्य संवर्धन पर जोर दिया जायेगा। जिसके द्वारा निरोधात्मक, नैदानिक और उपचारात्मक सेवाओं को मजबूत बनाया जा सकेगा।

लक्षित समूह

किशोर रणनीति के अन्तर्गत 10 से 14 वर्ष तक और 15 से 19 वर्ष तक के किशोरों का सार्वभौमिक आच्छादन किया जाना है, इसमें शहरी और ग्रामीण, स्कूल जाने वाले और स्कूल न जाने वाले, विवाहित और अविवाहित तथा कमजोर/असेवित वर्ग के किशोर/किशोरी सम्मिलित हैं।

उद्देश्य

इस रणनीति के मुख्य उद्देश्य हैं :-

पोषण में सुधार

- किशोर लड़के व लड़कियों में कुपोषण की व्यापकता को कम करना।

- किशोर लड़के व लड़कियों में लौह तत्व की कमी से होने वाले रक्ताल्पता की व्यापकता को कम करना।

यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार

- यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार में सुधार लाना।
- किशोर गर्भधारण को कम करना।
- किशोर माता-पिता को जन्म तैयारियों, जटिलता तत्परता में सुधार और मातृत्व में सहयोग प्रदान करना।

मानसिक स्वास्थ्य में सुधार

- किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चिंताओं की ओर ध्यान देना।

किशोरों में क्षतियों और हिंसा (लिंग भेद हिंसा सहित) की रोकथाम

- किशोरों में क्षति हिंसा को रोकने के लिए अनुकूल दृष्टिकोण को बढ़ावा देना (इसमें लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम भी सम्मिलित है।)

नशावृत्ति की रोकथाम

- किशोरों में नशावृत्ति के प्रतिकूल प्रभाव और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

गैर संचारी रोगों की रोकथाम

- गैर संचारी रोगों (जैसे कि घात (स्ट्रोक), हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप) की रोकथाम के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाना।

साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूर्ण कार्यक्रम (स्कूल जाने वाले)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, मदरसों, अनाथालयों, बाल अपराध गृह आदि के पंजीकृत बच्चों को सम्मिलित किया गया है। इसमें लगभग एक करोड़ से भी अधिक किशोर/किशोरियां लाभान्वित हो रहे हैं।

इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है तथा सभी जनपदों को इस सन्दर्भ में दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त स्कूल जाने वाले किशोर/किशोरियों को साप्ताहिक नीली आयरन की बड़ी गोली (100 मि0ग्रा0 एलेमेन्टल आयरन तथा 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड) खिलाने का प्रावधान है। ये गोलियां एण्टरिक कोटेड है जिससे कि साइड इफेक्ट्स जैसे गैस्ट्रिक इरीटेशन की शिकायत नहीं होती है। यह कार्यक्रम शिक्षा विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा है, इसे सुचारु रूप से चलाने हेतु स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रदेश के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आयरन की नीली गोली शिक्षकों की निगरानी में किशोर/किशोरियों को खिलायी जाती है।

साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूर्ण कार्यक्रम (स्कूल न जाने वाले)

प्रदेश के लगभग 27 प्रतिशत (11 से 14 वर्ष) तथा 60 प्रतिशत (15 से 17 वर्ष) के किशोर/किशोरियां स्कूल नहीं जाती हैं। एन.एफ.एच.एस.-3 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 32 प्रतिशत किशोरियां (11 से 14 वर्ष) तथा 68 प्रतिशत (15 से 17 वर्ष) की किशोरियां स्कूल नहीं जाती हैं। अतः विफ्स कार्यक्रम स्कूल न जाने वाली किशोरियों में 10 से 19 वर्ष तक की समस्त किशोरियों को आई.सी.डी.एस. की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के माध्यम से साप्ताहिक आयरन की नीली गोली खिलाये जाने का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय डी-वर्मिंग डे-

प्रदेश के 1 से 19 वर्ष तक के समस्त बच्चों को वर्ष में दो बार माह फरवरी व अगस्त में एल्बेण्डाजॉल 400 मि0ग्रा0 की गोली दिये जाने का प्रावधान किया गया है जिससे बच्चे पेट के कीड़ों से छुटकारा पा सकें तथा एनीमिया जैसी बीमारियों से बच सकें।

किशोरी सुरक्षा योजना

किशोरी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में सरकारी/परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन्स का वितरण स्कूल के नोडल अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा माह जनवरी 2016 से किया जा रहा है।

माहवारी के विषय से जुड़ी गलत धारणाओं व मिथकों को दूर करने के लिये किशोरियों को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानकारी दिया जाना भी अति महत्त्वपूर्ण है। किशोरियाँ (10 से 19 वर्ष), में बढ़ती गतिशीलता (घूमने फिरने की आजादी) और व्यक्तिगत सहजता के दृष्टिकोण से माहवारी स्वच्छता के विषय में जानकारी दिया जाना महत्त्वपूर्ण है। किशोर अवस्था में शरीर में हो रहे हार्मोन के बदलाव के कारण शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर असर पड़ता है तथा उनके अन्दर तरह-तरह की जिज्ञासायें उत्पन्न होती हैं, जिसके बारे में वे संकोचवश सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाती हैं। माहवारी के दौरान साफ-सफाई न रखने तथा कुरीतियों के कारण संक्रमण की सम्भावना रहती है। साथ ही माहवारी के विषय में कम जानकारी की वजह से बालिकाओं का स्कूल में जाना कम हो जाता है अथवा वे स्कूल छोड़ देती हैं। किशोरियों में माहवारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान, सही जानकारी देकर ही किया जा सकता है।

माहवारी के विषय में जुड़ी गलत धारणाओं व मिथकों को दूर करने तथा किशोरियों में माहवारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निदान हेतु जानकारी दिया जाना तथा अच्छी गुणवत्ता के सैनेटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराया जाना एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिससे कि उनकी गतिशीलता, व्यक्तिगत सहजता एवं उनका आत्मविश्वास बना रहे।

किशोरी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में प्रदेश के सरकारी/परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 12 तक की कुल 7421353 किशोरियों को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन्स वितरित किये जाने का लक्ष्य है।

''102'' नेशनल एम्बुलेन्स सेवा

प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर से कमी लाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 17 जनवरी 2014 को नेशनल एम्बुलेंस सेवा 102 एन0ए0एस0 प्रारम्भ किया गया। यह सुविधा चिकित्सालय तथा चिकित्सालय से घर तक परिवहित करने के लिए है। इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत सितम्बर 2015 से कैम्पों में नसबन्दी कराने वाली महिलाओं को सरकारी अस्पताल से घर छोड़ने हेतु भी निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जा रही है। परिवहन के समय लाभार्थियों को आवश्यक चिकित्सकीय उपचार भी उपलब्ध कराया जाता है। इस सेवा की प्राप्ति के लिए ''102'' नम्बर का टोल फ्री नम्बर भी शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिस पर किसी भी नेटवर्क से निःशुल्क कॉल की जा सकती है। यह सेवा आवश्यकतानुसार एक चिकित्सा इकाई से दूसरे चिकित्सा इकाई तक लाभार्थी को परिवहित करने में भी प्रयोग की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में काल करने पर एम्बुलेंस पहुँचने का अधिकतम समय 30 मिनट

निर्धारित किया गया है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अवधि 20 मिनट है। यह सुविधा प्रदेश के सभी जनपदों में पूरे 24 घंटे उपलब्ध है। वर्तमान में योजनान्तर्गत कुल 2270 एम्बुलेंस संचालित हैं। इस योजना से नवम्बर 2017 तक 225.76 लाख लाभार्थियों को सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

शिशु मृत्यु दर को कम करने की योजनाएं

देश में एवं प्रदेश में शिशु मृत्यु दर के मुख्य कारणों के रूप में प्री-टर्म बर्थ डायरिया, निमोनिया एवं बर्थ एक्सपेक्सिया इत्यादि मुख्य कारण हैं, एवं इन कारणों का चिकित्सकीय प्रबन्ध कर ही नवजात शिशुओं की मृत्यु को रोका जा सकता है। वर्तमान में एस.आर.एस. सर्वे 2015 के अनुसार देश की शिशु मृत्युदर 37 प्रति हजार जीवित जन्म व प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 46 प्रति हजार जीवित जन्म व देश की नवजात मृत्युदर 25 प्रति हजार जीवित जन्म व प्रदेश की नवजात मृत्युदर 31 प्रति हजार जीवित जन्म है। वर्तमान में एस0आर0एस0 सर्वे 2016 के अनुसार प्रदेश में शिशु मृत्युदर 43 प्रति हजार जीवित जन्म हो गई है। शिशु मृत्यु दर व नवजात मृत्युदर में कमी लाने के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निम्नवत योजनायें संचालित की जा रही हैं–

- **न्यू बार्न केयर कार्नर (एन.बी.सी.सी.)–** प्रदेश के समस्त जिला महिला चिकित्सालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/मान्यता प्राप्त उपकेन्द्रों के प्रत्येक प्रसव कक्ष में नवजात शिशु देखभाल स्थान (न्यू बार्न केयर कार्नर) चरणबद्ध रूप से तैयार किये जा रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1820 नवजात शिशु देखभाल स्थान क्रियाशील हैं।
- **नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (एन.बी.एस.यू.)–** प्रसव के पश्चात् कमजोर तथा गंभीर नवजात जिन्हें चिकित्सालय में गहन देखरेख में रखना आवश्यक है, के लिये वर्तमान में प्रदेश में सन्दर्भन इकाइयों/जिला महिला चिकित्सालयों में 160 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई क्रियाशील हैं।
- **सिक न्यू बार्न केयर यूनिट (एस.एन.सी.यू.)–** अति गंभीर शिशुओं की विशेष देखभाल हेतु वर्तमान में प्रदेश के चयनित जिला महिला चिकित्सालयों व मेडिकल कालेजों में एस.एन.सी.यू. स्थापित हैं। वर्तमान में कुल 62 जनपदों में 75 एस0एन0सी0यू0 स्थापित हैं।
- **कंगारू मदर केयर (के0एम0सी0)–** कम वजन तथा समय से पूर्व जन्में शिशुओं की विशेष देखभाल की शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के जिला महिला चिकित्सालयों/मेडिकल कालेजों में संचालित एस0एन0सी0यू0 इकाइयों के निकट के0एम0सी0 इकाइयों की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जा रही है। अभी तक 33 के0एम0सी0 इकाइयां क्रियाशील हैं।
- **पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन.आर.सी.)–** कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने हेतु चयनित जनपदों के जिला पुरुष चिकित्सालयों व मेडिकल कॉलेजों में कुपोषित बच्चों का उपचार करने हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित हैं। वर्तमान में 68 जनपदों में 74 एन0आर0सी0 क्रियाशील हो चुकी हैं।
- **होम बेस्ड न्यू बार्न केयर कार्यक्रम (एच.बी.एन.सी.)–** अक्टूबर 2012 से संचालित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आशाओं द्वारा संस्थागत एवं घरेलू प्रसव के उपरान्त 42 दिनों के

भीतर 6-7 बार गृह भ्रमण किये जाते हैं, जिसमें 6-7 माड्यूल प्रशिक्षित आशाओं द्वारा माताओं एवं बच्चों की समुचित देखभाल हेतु जानकारी दी जाती है। वर्तमान में सभी 75 जनपदों में यह लागू कर लिया गया है। वर्तमान में 1,52,005 के सापेक्ष 1,37,494 (90 प्रतिशत) आशा कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। प्रशिक्षित आशा में से 67 प्रतिशत आशा द्वारा अप्रैल 2017 से नवम्बर-2017 तक 14.94 लाख नवजात शिशुओं का गृह भ्रमण कर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की गई हैं।

- **डायरिया एवं न्यूमोनिया कार्यक्रम –** नवजात शिशु एवं बच्चों में डायरिया एवं न्यूमोनिया मृत्यु का मुख्य कारण है। उक्त को नियंत्रित करने के लिये प्रदेश में वृहद स्तर पर यह कार्यक्रम संचालित किया गया है। डायरिया से होने वाली मृत्यु को जिंक एवं ओ.आर.एस. पैकेट आशा के माध्यम से बांटे जा रहे हैं तथा न्यूमोनिया को रोकने के लिये आशाओं के माध्यम से टेबलेट एमाक्सीसीलिन उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही संक्रामक सीजन के दौरान दस्त को रोकने का सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (आई.डी.सी.एफ.) कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष संचालित किया जाता है।

प्रसूति एवं शिशु कल्याण

इस योजना के अधीन प्रसूति एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत माताओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल का कार्य होता है। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 5243 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर उपप्रसूतिकायें (ए0एन0एम0) तथा स्वास्थ्य अभ्यागत (दाई) कार्यरत हैं। इनके द्वारा परिवार सन्तुलित रखने तथा प्रसूति के समय मातृ एवं शिशु की स्वास्थ्य रक्षा की जानकारी जन सामान्य को कराई जाती है। स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर गर्भवती माताओं की जाँच, सुरक्षित प्रसव एवं टीकाकरण तथा बच्चों की सात जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण का कार्य भी किया जाता है, जिससे ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष लाभ मिलता है तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने में सहायता मिलती है। कार्यक्रम से सम्बन्धित कर्मियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है।

पुनः नस जोड़ने की सुविधा

स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी के उपरान्त यदि किसी लाभार्थी के साथ ऐसी घटना घटित हो जाती है कि उसके सभी संतानों की किन्हीं कारणवश मृत्यु हो जाये या निःसंतान या अविवाहित व्यक्ति की नसबन्दी हो जाये तो वह पुनः नस जुड़वा सकता है। पुनः नस जोड़ने की सुविधा निम्न स्थानों पर उपलब्ध है –

1. मेडिकल कॉलेज, आगरा, कानपुर, मेरठ, झाँसी, प्रयागराज तथा गोरखपुर।
2. जिला अस्पताल, बरेली एवं बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ।

भारत सरकार द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में एक उत्कृष्ट सेवा एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। इस केन्द्र पर पुनः नस जोड़ने की सुविधा दी जा रही है।

ग्रीन कार्ड योजना

परिवार कल्याण कार्यक्रम में गति लाने तथा छोटे परिवार की अवधारणा की स्वीकार्यता को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में दिनांक 01–07–1985 से ग्रीन कार्ड योजना चलायी जा रही है। इसके अन्तर्गत पति अथवा पत्नी को अधिकतम दो बच्चों के बाद नसबन्दी आपरेशन कराने पर एक ग्रीनकार्ड

(परिचय पत्र) दिया जाता है, जिसमें पति व पत्नी का नाम, स्थायी पता आदि के विवरण अंकित किये जाते हैं। ग्रीन कार्ड योजना के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधाओं को वरीयता के आधार पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इन सुविधाओं का उल्लेख ग्रीन कार्ड में किया गया है। शासनादेश संख्या 876/5-9-2002-9(70)/84 दिनांक 16.07.2002 द्वारा दो बच्चों के बाद नसबन्दी ऑपरेशन कराने वाले ग्रीन कार्ड धरकों को निम्न सुविधाएं अनुमन्य की गई हैं:-

क. ग्राम्य विकास द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में लाभार्थियों के चयन में ग्रीन-कार्ड धारक को वरीयता दी जाएगी।

ख. ग्रीन कार्ड धारकों के बच्चों को सरकारी अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी और उनके बच्चों को इण्टरमीडिएट तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।

ग. ग्रीन कार्ड धारकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जायेगी, उन्हें राजकीय चिकित्सालयों के जनरल तथा प्राइवेट वार्डों के आवंटन में वरीयता दी जायेगी।

घ. नगर विकास, आवास विकास विभाग एवं अन्य सरकारी विभागों द्वारा आवासीय भवनों एवं भूखण्डों के आवंटन में ग्रीन कार्ड धारकों को वरीयता दी जायेगी।

ड. सरकारी सस्ते गल्ले की व अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकान/लाइसेन्स देने में भी ग्रीन कार्ड धारकों को वरीयता दी जायेगी।

च. ग्रीन कार्ड धारकों को गृह निर्माण अग्रिम व वाहन अग्रिम में वरीयता दी जायेगी।

4211 - परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

(रु. लाख में)

वास्तविक व्यय 2016-17	आय व्ययक प्रावधान 2017-18	पुनरीक्षित अनुमान 2017-18	आय व्ययक अनुमान 2018-19
0.00	15740.00	15740.00	15740.00

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम योजनान्तर्गत चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु मशीनें और सज्जा/उपकरण संयंत्र हेतु 60:40 अनुपात में भारत सरकार से वित्त पोषित योजना है।

ई-गवर्नेंस

परिवार कल्याण विभाग में महानिदेशालय स्तर पर सभी अधिकारियों/अनुभागों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं। विभागीय वेबसाईट-यूपीहेल्थ.यूपी.एनआईसी.इन उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर विभाग से सम्बन्धित समस्त क्रियाकलापों एवं योजनाओं से सम्बन्धित सूचनायें डाली जा रही हैं तथा इस विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों को ई-मेल आई0डी0 भी उपलब्ध करायी गयी है, ताकि जनसाधारण ई-मेल के माध्यम से और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके।

नगर विकास

नगर विकास विभाग का संगठन

सभ्यता के विकास के साथ शहरीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना तथा मूलभूत नागरिक सुविधाओं पर अपेक्षाकृत अधिक दबाव होने के कारण कालान्तर से ही शहरों के सुनियोजित विकास की आवश्यकता का अनुभव किया जाता रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों को एक स्वतन्त्र इकाई, नगरीय स्थानीय निकाय, के रूप में अंगीकार किया गया है। नगरीय स्थानीय निकायों के क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को मूलभूत नागरिक सुविधाएँ यथा- स्वच्छ पेयजलापूर्ति, सड़कें/गलियाँ, जल निकासी, सफाई व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, सीवरेज व्यवस्था, मार्ग प्रकाश, पार्क, स्वच्छ पर्यावरण आदि उपलब्ध कराया जाना इन स्थानीय निकायों का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है। प्रदेश के नागर स्थानीय निकायों के कार्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण के साथ नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के माध्यम से आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर विकास विभाग का गठन किया गया है। नगर विकास विभाग द्वारा उक्त कार्यों के अतिरिक्त शहरों में सेनिटेशन, पर्यावरण संरक्षण तथा नदियों एवं झीलों में प्रदूषण नियंत्रण आदि का कार्य भी किया जा रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व राज्य सरकार स्तर पर इस विभाग का नाम 'लोक स्वास्थ विभाग' था, जिसे बाद में 'स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग' नाम दिया गया। कालान्तर में इसे 'आवास एवं नगर विकास विभाग' कहा गया। वर्तमान में इस विभाग को दो अलग-अलग विभागों यथा– 'आवास एवं शहरी नियोजन विभाग' तथा 'नगर विकास विभाग' में विभाजित कर दिया गया है। शासन स्तर पर नगर विकास विभाग का कार्यालय बापू भवन में अवस्थित है।

सेटेलाइट टाउन योजना – यू.आई.डी.एस.एस.टी.

- भारत सरकार की सेटेलाइट टाउन/काउन्टर मैगनेट ऑफ मिलियन प्लस सिटीज कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित नगर पिलखुवा जनपद गाजियाबाद को चयनित किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत रु. 67.82 करोड़ की जलापूर्ति, सीवरेज तथा सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं जी.आई.एस.सर्वे की 04 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष अब तक रु. 54.23 करोड़ ए. सी. ए. के रूप में प्राप्त हो चुका है।

स्वच्छ भारत मिशन

- भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 02 अक्टूबर, 2019 तक सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ''स्वच्छ भारत मिशन'' कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य सरकार में 02 अक्टूबर 2018 ओ.डी.एफ. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य ''खुले में शौच की कुप्रथा'' को समाप्त करना, नगरीय ठोस अपशिष्ट का आधुनिक और वैज्ञानिक

प्रबन्धन करना, शहरी स्थानीय निकायों हेतु क्षमता सम्वर्द्धन आदि है। मिशन के घटकों में अस्वच्छ शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में बदलने सहित पारिवारिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, आईईसी एवं जनजागरूकता तथा क्षमता निर्माण और प्रशासनिक व कार्यालय व्यय सम्मिलित हैं।

- इस मिशन के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों, सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण सहित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है।
- ''स्वच्छ भारत मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में ''स्टेट लेवेल हाई पावर स्टियरिंग कमेटी'' (एस.एच.पी.एस.सी.) गठित है।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत निर्धारित कार्य प्रदेश में समयबद्ध रूप से किये जा रहे हैं तथा की जा रही कार्यवाहियों को भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइड/पोर्टल पर नियमित अपलोड किया जा रहा है।
- सफाई अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त नागर स्थानीय निकायों के कूड़े के कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन आदि कार्यों को तत्परता से किया जा रहा है।
- प्रदेश के समस्त नागर निकायों में स्वच्छता अभियान चलाये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत स्वच्छता सप्ताह, स्वच्छता पखवारा, स्वच्छता दिवस आदि मनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त किये जाने हेतु जनजागरूकता अभियान प्रदेश के नागर निकायों में चलाये जा रहे हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में 2,87,139 व्यक्तिगत शौचालयों, 10,004 सामुदायिक शौचालयों तथा 13,850 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया।

अटल मिशन फॉर रिजूवैनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन योजना-अमृत

- अटल मिशन फॉर रिजूवैनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (अमृत) का आरम्भ 2015 में किया गया। इस योजना की अवधि वर्ष 2015-16 से 2019-20 (5 वर्ष) तक है। वर्तमान में प्रदेश के 60 शहर इस योजना में आच्छादित हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2020 तक प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति करना तथा हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता और नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार करना है।
- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि में लगभग 11421.24 करोड़ रु. (केन्द्रांश रु. 4922.46 करोड़, राज्यांश रु. 3744.08 करोड़, निकाय अंश रु. 2755.13 करोड़) पेयजल सीवर आदि पर व्यय किये जायेंगे, जिससे योजना अवधि में 13.30 लाख परिवारों को पानी का कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। 152 ओवर हेड टैंक बनाये जाने हैं। 1910 किमी. सीवर लाइन डाली जानी है एवं 7.30 लाख परिवारों को सीवर कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। जनवरी 2018 तक 100 परियोजनाओं का कार्य मौके पर प्रारम्भ हो चुका है तथा 131101 नग निजी पेयजल एवं 130750 नग निजी सीवरेज कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं। अन्य परियोजनाओं पर शीघ्र कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

वित्तीय पोषण पद्धति :- अमृत योजनान्तर्गत केन्द्रांश/राज्यांश/निकायांश के प्रतिशत का निर्धारण शासन के पत्रांक 1651/नौ-5-2016- 39सा/2016, दिनांक 18.05.2016 द्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है-

क्र.	मिशन के घटक	विवरण	केन्द्रांश प्रतिशत	राज्यांश प्रतिशत	निकायांश प्रतिशत
1.	जलापूर्ति	10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए	33.33	36.67	30.00
2.	सीवरेज	10 लाख तक आबादी वाले शहरों/कस्बों के लिए	50.00	30.00	20.00
3.	पार्क एवं हरित क्षेत्र	-	50.00	30.00	20.00

स्मार्ट सिटी मिशन

- स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसके अन्तर्गत नागरिकों की आकांक्षाओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप शहर को आदर्श रूप में विकसित करना है। इसका उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है जो अपने नागरिकों को गुणवत्तापरक जीवन स्तर के साथ स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते हैं तथा ''स्मार्ट'' समाधान लागू करते हैं।
- योजना की अवधि 2015-2016 से 2019-2020 (5 वर्ष) तक है। योजना का उद्देश्य निकाय में चयनित क्षेत्र का आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा प्रदान करते हुये नागरिकों के लिये बेहतर जीवन स्तर के साथ-साथ स्वच्छ एवं सुस्थिर वातावरण प्रदान करना और स्मार्ट एप्लीकेशन का प्रयोग करना है। प्रत्येक शहर के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा भी केन्द्रान्श के बराबर राज्यांश दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
- प्रदेश की 13 निकायों को स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित किये जाने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 04 निकाय लखनऊ, कानपुर, आगरा एवं वाराणसी मार्च, 2017 तक स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किये गये थे। सरकार के सतत् प्रयास के फलस्वरूप 03 निकाय अलीगढ़, झाँसी एवं प्रयागराज नगरीय निकाय जून, 2017 में एवं 03 निकाय मुरादाबाद, सहारनपुर एवं बरेली जनवरी 2018 में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में चयनित हुये हैं। शेष 04 नगरीय निकायों गाजियाबाद, मेरठ, रायबरेली एवं रामपुर का भी चयन स्मार्ट सिटी में कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

आदर्श नगर योजना

- राज्य सरकार द्वारा एक लाख से कम आबादी के छोटे व मझले नगरों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को समग्र रूप से विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में ''आदर्श नगर

योजना'' लागू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत नागर निकायों में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, इण्टरलाकिंग सड़क, डामरीकरण सड़क, नाली निर्माण, दुकानों का निर्माण, शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण, विवाह घर का निर्माण, सामुदायिक केन्द्र का निर्माण, पोखरों का सौन्दर्यीकरण कार्य, मार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिए एलईडी लाइट, एलईडी हाईमास्ट लाइट, सोलर लाइट, सोलर हाईमास्ट लाइट, सोलर पावर प्लान्ट इत्यादि का विकास कराया जाना है। इस योजना को लागू किये जाने का मुख्य उद्‌देश्य यह है कि छोटे और मझोले स्तर के स्थानीय नागर निकायों, जिनकी आबादी एक लाख से कम है, में इस प्रकार की अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो कि वहां पर निवासरत जनता के लिए न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार सभी अवस्थापना सुविधाएं विकसित हों तथा वहां पर विकास इस प्रकार सुनियोजित ढंग से किया जाये कि इन क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके तथा इससे स्थायी प्रकृति की सम्पत्तियों का सृजन हो।

- ''**आदर्श नगर योजना**'' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2017-18 तक प्रदेश की कुल 530 नागर निकायों में इण्टरलाकिंग सड़क, डामरीकृत सड़क, नाली निर्माण, दुकानों का निर्माण, शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण, विवाह घर का निर्माण, सामुदायिक केन्द्र का निर्माण, पोखरों का सौन्दर्यीकरण कार्य, मार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिए एलईडी लाइट, एलईडी हाईमास्ट लाइट, सोलर लाइट, सोलर हाईमास्ट लाइट, सोलर पावर प्लान्ट आदि के लिए निर्माण के लिए धनराशि निर्गत कर सुविधाओं के विकास कार्य कराये गये।

कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना

- ''**कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना**'' प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपदों के साथ-साथ प्रदेश के अन्य जनपदों में कांजी हाउस/पशु शेल्टर होम की स्थापना किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्‌देश्य यह है कि प्रदेश से हो रही अवैध पशु तस्करी एवं आवारा पशुओं को मार्ग दुर्घटनाओं से बचाने के लिए पशु शेल्टर होम्स/कांजी हाउस की स्थापना किया जाना है।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना

- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों का सुनियोजित विकास एवं जनसामान्य को पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा ''**डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना**'' लागू की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्‌देश्य प्रदेश में कम पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की कमी से जनसामान्य को हो रही समस्याओं को दूर करना है। इस योजना के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट के माध्यम से मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

नया सवेरा नगर विकास योजना (रिवाल्विंग फण्ड)

- जनहित से जुड़ी तात्कालिक आवश्यकता की परियोजनाओं तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण करने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा निकायों की ब्याज रहित ऋण स्वीकृत करने

हेतु वर्तमान में 'नया सवेरा नगर विकास योजना' प्रचलित है। योजना का मूल उद्‌देश्य यह है कि निकाय अपनी मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करके अपनी आय में वृद्धि करें एवं स्वावलम्बी बनें। उक्त के अतिरिक्त जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु संबंधित निकायों का अंश भी निश्चित किया गया है। परन्तु कतिपय निकाय आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण अपने अंश की धनराशि उपलब्ध करा पाने में अक्षम हैं। योजनान्तर्गत निकाय अपने अंश उपलब्ध करा सकें, यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व है। अतः संबंधित निकायों के प्रस्ताव पर उनके अंश की धनराशि 'नया सवेरा नगर विकास योजना' से ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जाती है, जिससे कि जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का समयान्तर्गत क्रियान्वयन किया जा सके।

नगर निगम

- प्रदेश में वर्तमान में कुल 17 नगर निगम हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 2075.28 वर्ग किमी. तथा जनसंख्या 176.35 लाख है। प्रदेश में समस्त नगर निगमों द्वारा वर्ष 2016-17 में राजस्व वसूली (कर) से गृहकर से रु. 51185.29 लाख, जल कर से रु. 20319.10 लाख, विज्ञापन कर से रु. 2755.06 लाख, प्रेक्षागृह कर से रु.71.88 लाख, 2 प्रतिशत अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण से रु. 24676.76 लाख, पशुकर से रु. 5.16 लाख, वाहन कर से रु. 73.32 लाख तथा अन्य प्रकार के करों से रु. 5692.16 लाख। इस प्रकार राजस्व कर से कुल वसूली रु. 104779.03 लाख पायी गयी।
- प्रदेश में समस्त नगर निगमों द्वारा वर्ष 2016-17 में राजस्व वसूली (करेत्तर) से जलमूल्य से रु. 2551.85 लाख, भूमि/भवन आदि की बिक्री से रु. 1631.10 लाख, तहबाजारी से रु. 121.72 लाख, वधशाला से रु. 776.94 लाख, 39 मदों पर लाइसेसिंग शुल्क से रु. 545.52 लाख, अन्य प्रकार से रु. 44031.99 लाख। इस प्रकार राजस्व वसूली (करेत्तर मद) से कुल रु. 49659.12 लाख पायी गयी।
- प्रदेश में समस्त नगर निगमों द्वारा वर्ष 2016-17 में शासकीय तथा अन्य मदों से राज्य वित्त आयोग से रु. 195882.54 लाख, 13/14वें वित्त आयोग से रु. 52543.45 लाख, रिवाल्विंग फण्ड से रु. 4471.38 लाख तथा अन्य मद से रु. 64148.77 लाख उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार शासकीय मद से कुल धनराशि रुपया 317046.14 लाख उपलब्ध करायी गयी।

नगर पालिका परिषदें

- प्रदेश में कुल 202 नगर पालिका परिषद हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 2392.97 वर्ग किमी. तथा जनसंख्या 159.00 लाख है। प्रदेश में समस्त नगर पालिका परिषदों द्वारा वर्ष 2016-17 में राजस्व वसूली (कर) से गृहकर से रु. 4548.43 लाख, जलकर से रु. 3966.79 लाख, विज्ञापन कर से रु. 183.05 लाख, प्रेक्षागृह कर से रु. 20.77 लाख, 2 प्रतिशत अचल

सम्पत्तियों के हस्तान्तरण से रु. 12448.67 लाख, पशुकर से रु. 19.95 लाख, वाहन कर से रु. 271.67 लाख तथा अन्य प्रकार के करों से रु.1222.51 लाख। इस प्रकार राजस्व कर से कुल वसूली रु. 22721.84 लाख पायी गयी।

- प्रदेश में समस्त नगर पालिका परिषदों द्वारा वर्ष 2016-17 में राजस्व वसूली (करेत्तर) से जलमूल्य से रु. 1586.05 लाख, भूमि/भवन आदि की बिक्री से रु. 2485.31 लाख, तहबाजारी से रु. 452.16 लाख, वधशाला से रु. 43.80 लाख, 39 मदों पर लाइसेसिंग शुल्क से रु. 590.59 लाख अन्य प्रकार से रु. 13612.35 लाख। इस प्रकार राजस्व वसूलीं (करेत्तर मद) से कुल रु. 18770.26 लाख पायी गयी।
- प्रदेश में समस्त नगर पालिका परिषदों द्वारा वर्ष 2016-17 में शासकीय तथा अन्य मदों से राज्य वित्त आयोग से रु. 237628.64 लाख, 13/14वें वित्त आयोग से रु.52352.14 लाख, रिवाल्विंग फण्ड से रु. 9071.89 लाख तथा अन्य मद से रु. 38440.26 लाख उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार शासकीय मद से कुल धनराशि रु. 335492.93 लाख उपलब्ध करायी गयी।

●

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

उ.प्र. में नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अधीन राज्य स्तर पर नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) का गठन नोडल एजेन्सी के रूप में किया गया है। यह एजेन्सी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत 20 नवम्बर, 1990 से पंजीकृत है। जनपद स्तर पर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) स्थापित किए गये हैं। इनके माध्यम से शहरी गरीबों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जनपद के नगरीय विकास अभिकरण के पदेन अध्यक्ष संबंधित जिलाधिकारी हैं। जनपद के समस्त नगर निकायों के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं।

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा नगरीय निर्धनों के सर्वांगीण उत्थान की दिशा में राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के माध्यम से मुख्यतः निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं-

1. दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना 31 मार्च, 2014 को भारत सरकार द्वारा समाप्त कर उसके स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) वर्ष 2014-15 में प्रदेश के चयनित 82 शहरों में तथा वर्ष 2017-18 में 48 नये शहरों अर्थात कुल 130 शहरों में संचालित की जा रही है। योजना में केन्द्रीय अनुदान 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत निर्धारित है। योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को जमीनी स्तर पर संस्थाओं के माध्यम से उनको लाभप्रद स्वरोज़गार और कौशल के आधार पर वेतन युक्त रोज़गार के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बना कर उनकी गरीबी और असुरक्षा को दूर करना है, जिससे उनकी जीविका में दीर्घकालीन सुधार हो सके। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत शहरी बेघर एवं पटरी दुकानदारों पर विशेष ध्यान देते हुए उनके कार्य के लिए उपयुक्त स्थल, ऋण एवं कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी जीविका संबंधी समस्याओं का निवारण किया जाना है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मुख्य उपघटक निम्नवत हैं :-

(i) सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास

इस उपघटक के अन्तर्गत शहरी गरीबों के स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को संगठित कर उनकी वित्तीय और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता का प्रावधान है।

(ii) क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण

इस उपघटक के अन्तर्गत मिशन के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर एवं शहर स्तर पर विशेषज्ञों एवं अन्य कार्यकर्ताओं को रखे जाने एवं उनके प्रशिक्षण इत्यादि की व्यवस्था की गई है।

(iii) कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार

इस उपघटक के अन्तर्गत शहरी गरीबों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, ताकि वे स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर सकें अथवा वेतन युक्त रोजगार प्राप्त कर सकें। उपघटक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में चयनित संस्थाओं के माध्यम से गत वर्ष में पूर्ण किये गये 153070 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करते हुए माह-जनवरी, 2018 तक कुल 70413 लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट भी किया जा चुका है।

(iv) स्वरोजगार कार्यक्रम

इस उपघटक के अन्तर्गत शहरी गरीबों को व्यक्तिगत एवं समूह में उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण के ब्याज पर सब्सिडी अनुदान प्रदान किये जाने का प्रावधान है। उपघटक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह-जनवरी, 2018 तक 8955 व्यक्तियों एवं 155 समूहों को स्वरोजगार हेतु ऋण वितरित किया जा चुका है।

(v) शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता

इस उपघटक के अन्तर्गत पथ विक्रेताओं के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, विक्रेता बाजारों का विकास, पथ विक्रेताओं को स्वरोजगार घटक के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराना, कौशल विकास एवं सरकार की अन्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता को पथ विक्रेताओं तक पहुँचाने की योजना है। इस उपघटक के अन्तर्गत कार्य योजना के अनुसार प्रदेश के 16 नगर निगम वाले शहरों में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा 14 शहरों में सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। शहरी पथ विक्रेताओं हेतु अधिनियम 2014 के अनुरूप पथ विक्रेताओं हेतु स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. द्वारा नियमावली बनाई जा चुकी है।

(vi) शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना

इस उपघटक के अन्तर्गत शहरी बेघर लोगों को बुनियादी सुविधा युक्त आश्रय प्रदान करना है। उपघटक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 तक निकायों से प्राप्त कुल 97 स्वीकृत प्रस्तावों में से 52 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण तथा शेष परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में दीन दयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु रु. 233.71 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन

भारत सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन' का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को किया गया है। योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करना है। उक्त योजना में केन्द्रीय सहायता 60 प्रतिशत होगी और शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

लाभार्थियों हेतु पात्रता मानक

- लाभार्थी चार घटकों में से किसी एक घटक का लाभ प्राप्त किये जाने के लिए पात्र होगा।
- लाभार्थी ऐसे परिवार से होंगे, जिनके परिवार के किसी सदस्य के नाम अपना पक्का घर नहीं होगा।
- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र/पुत्रियाँ शामिल होंगे।

योजना के घटक - मिशन 4 घटकों में विभाजित है :-

- सीएलएससी घटक में नोडल एजेन्सी नेशलन हाऊसिंग बैंक एवं हडको हैं। इसमें कोई राज्यांश नहीं है।
- ईडब्ल्यूएस श्रेणी हेतु अधिकतम वार्षिक आय सीमा 3.00 लाख तक/एलआईजी हेतु आय सीमा 3.00 से 6.00 लाख/एमआईजी-1 हेतु वार्षिक आय सीमा 6.00 से 12.00 लाख/एमआईजी-2 हेतु वार्षिक आय सीमा 12.00 से 18.00 लाख है।
- स्व-स्थाने पुनर्वास के अन्तर्गत सूडा/एस.एल.एन.ए. की देखरेख में सम्बन्धित नगर निकायों द्वारा किया जाना है।
- ए0एच0पी0 घटक के अन्तर्गत आवास विभाग (आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों) द्वारा आवास बनाये जाने हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन हेतु 04 लाख का लक्ष्य था जिसमें लाभार्थी आधारित व्यक्ति आवास निर्माण घटक (बी.एल.सी.) के अन्तर्गत 02 लाख एवं भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत 02 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य था। बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत आवासों का निर्माण लाभार्थी द्वारा सूडा की देखरेख में किया जायेगा तथा ए0एच0पी0 घटक के अन्तर्गत आवासों का निर्माण आवास विभाग (आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों) द्वारा किया जाना है। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया आवास) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 02 लाख आवासों के सापेक्ष अब तक सूडा द्वारा 757 परियोजनाओं में 2,63,650 आवासों की डीपीआर भारत सरकार से स्वीकृत करायी जा चुकी है तथा स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 19300 आवासों की ग्राउण्डिंग का कार्य पूर्ण तथा शेष आवासों की ग्राउण्डिंग का कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन हेतु रु. 2217.24 करोड़ का तथा योजनान्तर्गत ऋण की ब्याज की अदायगी हेतु सहायता मद में रु. 85.16 करोड़ का आय-व्ययक प्रावधान है।

3. मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना

प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों की अल्पविकसित मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के दृष्टिगत सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली, जल निकासी, पेयजल, मार्ग प्रकाश व्यवस्था आदि मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने के लिये यह योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त कार्य हेतु रु. 426.00 करोड़ का आय-व्ययक प्रावधान है।

4. नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति बाहुल्य मलिन बस्तियों के विकास हेतु एस0सी0एस0पी0 मद में राज्य बजट से अनुदान

प्रदेश के 653 स्थानीय निकायों में स्थित अनुसूचित जाति बाहुल्य मलिन बस्तियों में जल एवं मल निकासी, पेयजल, बरसाती नाला और सड़क आदि आधारभूत सुविधाएँ मुहैया कराना। इस योजनान्तर्गत, शहरी क्षेत्र की अनुसूचित जाति बाहुल्य मलिन बस्तियों का विकास किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में एस0सी0एस0पी0 मद में से रु. 33.00 करोड़ का आय-व्ययक प्रावधान है।

5. आसरा योजना (आवासीय भवन)

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में नवीन योजना आरम्भ कर शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में कम लागत के रिहायशी मकान चयनित पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराने हेतु शहरी गरीबों को आवासीय सुविधा की तंगी के समाधान हेतु उनके जीवन स्तर में बदलाव और सामाजिक परिवेश में सुधार हेतु आसरा योजना आरम्भ की गयी।

इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 200.00 करोड़ आय-व्ययक का प्रावधान किया गया तथा 18807 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है, शेष कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने के लिए रु. 190.00 करोड़ का आय-व्ययक प्रावधान है।

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजना का मूल उद्‌देश्य शहरों को स्लम मुक्त किया जाना है। इसके अन्तर्गत स्लम में निवासित आबादी को किफायती आवास मुहैया कराये जाने के साथ ही बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक सेवाएँ उपलब्ध कराया जाना है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रदेश में चयनित 16 नगरों की 8409 आवासों की धनराशि रु. 57426.45 लाख की 18 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजना को अब ''हाउसिंग फार ऑल'' 2022 प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन में समाहित कर दिया गया है। अब वर्तमान में संचालित 18 परियोजनाओं के अलावा राजीव आवास योजनान्तर्गत नई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं होंगी तथा इन्हीं 18 परियोजनाओं को पूर्ण करने का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजनान्तर्गत 3914 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत रु. 55.00 करोड़ का बजट प्रावधान है।

●

जल सम्पूर्ति

प्रदेश में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1927 में जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 1946 में इसका नाम स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग कर दिया गया। जून 1975 में यह विभाग उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 (अधिनियम संख्या-43, 1975) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम में परिवर्तित किया गया।

उद्देश्य एवं कार्यकलाप

1. जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था और सीवेज निस्तारण के लिए योजनाएं तैयार कर, उनका निष्पादन करना, उनको प्रोन्नत करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना।
2. राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को तथा अनुरोध करने पर निजी संस्थाओं या व्यक्तियों को जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना।
3. राज्य सरकार के निर्देश पर जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था तथा जलोत्सारण के लिए राज्य योजनाएं तैयार करना।
4. जल संस्थानों और स्थानीय निकायों के जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, क्षेत्र के भीतर 'टैरिफ', 'कर' तथा 'जल सम्भरण' के परिव्यय का पुनरावलोकन करना और उन पर सलाह देना।
5. अपेक्षित सामग्री का निर्धारण करना और उसे प्राप्त करना तथा उसके उपयोग का प्रबन्ध करना।
6. जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सेवाओं के लिए राज्य मानक स्थापित करना।
7. ऐसे सभी कृत्य करना जो यहाँ पर वर्णित नहीं हुए हैं और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा किये जा रहे थे।
8. प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय के जिसमें धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया है, जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं का वार्षिक पुनरावलोकन करना।
9. राज्य में प्रत्येक जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं का वार्षिक मूल्यांकन करने की सुविधा को स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना।

10. जब राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया जाए, तो किसी जलकल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी शर्तों व निबन्धनों पर और ऐसी अवधि के लिए, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संचालित करना और अनुरक्षण करना।
11. राज्य में जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित जन शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना।
12. निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्यों को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए व्यवहारिक गवेषणा कराना।
13. उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 द्वारा या इसके अधीन निगम को सौंपे गए किन्हीं कृत्यों को करना।
14. ऐसे अन्य कृत्य करना जो गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जाएं।

निगम की समवाय ज्ञापिका (मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन) उसके समवाय नियम (आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन) तथा उनके अन्तर्गत निर्गत नियमावली, अनुदेश रेगुलेशन आदि यदि कोई हो।

जल निगम की शक्ति

(1) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निगम को ऐसे कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी-

1. राज्य में समस्त जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सुविधाओं का, चाहे जिसके द्वारा भी वे संचालित होती हों, निरीक्षण करना।
2. किसी स्थानीय निकाय तथा संचालन अभिकरण में ऐसी आवधिक अथवा विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करना, जिसे वह आवश्यक समझे।
3. अपने कार्मिकों के लिए तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
4. जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था योजनाओं को तैयार करना और कार्यान्वित करना।
5. राज्य सरकार और स्थानीय निकायों, संस्थाओं या व्यक्तियों को निगम द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए फीस की अनुसूची निर्धारित करना।
6. किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के साथ ऐसी संविदा या करार करना, जिसे निगम इस अध्यादेश के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक समझे।
7. प्रतिवर्ष अपना बजट अभिस्वीकृत करना।
8. जल संस्थानों की अधिकारिता में समाविष्ट अलग-अलग स्थानीय क्षेत्रों और ऐसे स्थानीय

निकायों पर जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ करार किया हो, प्रयोज्य जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिए टैरिफ का अनुमोदन करना।

9. धन उधार लेना, ऋण पत्र जारी करना, वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना।

10. स्थानीय निकायों को उनकी जल सम्भरण योजना तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी योजना के लिए ऋण वितरण करना।

11. इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का संपादन करने के लिए व्यय करना और ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों को, जिन्हें निगम आवश्यक समझे, ऋण और अग्रिम स्वीकृत करना।

जल निगम कार्यालयों का विवरण

वर्तमान में प्रदेश में जल निगम में 37 मण्डल एवं 151 खण्डीय कार्यालय कार्यरत हैं। इन कार्यालयों का संचालन लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, अयोध्या तथा वाराणसी स्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं एवं मुख्य अभियंता (वि./याँ.) द्वारा किया जाता है। मण्डलों/ खण्डीय कार्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है :

क्षेत्र	मण्डल	खण्ड
लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, अयोध्या तथा वाराणसी	28 (सिविल) 09 (वि./याँ.)	123 (सिविल) 28 (वि./याँ.)
योग	**37**	**151**

नागर जल सम्पूर्ति

प्रदेश में कुल 653 नागर स्थानीय निकाय हैं, जिनकी 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 4.14 करोड़ है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.96 करोड़ का लगभग 21 प्रतिशत है। उक्त 653 नगरों में पेयजल सुविधा की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार हैः

निकाय	नगरों में पाइप पेयजल आपूर्ति की मार्च-2018 की स्थिति (संख्या)	
	कुल	आच्छादित
नगर निगम	16	16
नगर पालिका परिषद	199	199
नगर पंचायत	438	420
योग	**653**	**635**

शेष 18 नगरीय क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति की स्थिति निम्नवत है :

जनपद- सिद्धार्थ नगर की न.पं. उस्का बाजार एवं न.पं. डुमरियागंज तथा जनपद जौनपुर की नं.पं. बदलापुर में पेयजलापूर्ति किया जाना है।

जनपद आजमगढ़ की न. पं. माहुल में जमीन उपलब्ध नहीं है।

नवसृजित 14 नगर पंचायतों हेतु नगरीय मानकों के अनुसार योजनायें प्रस्तावित की जानी हैं।

वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण एवं मानक के अनुसार प्रति व्यक्ति पेयजल सम्पूर्ति की दरों का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा हैः

क्र. सं.	नगरों का जनसंख्यावार वर्गीकरण	पेयजल आपूर्ति का निर्धारित मानक (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	मानक के अनुसार नगरों की संख्या	सीवर व्यवस्था युक्त नगरों की संख्या
1.	10 लाख से अधिक	150	7	7
2.	1 लाख से अधिक (तथा जिन नगरों में सीवर व्यवस्था है अथवा संभावित है)	135	54	31
3.	20 हजार से 1 लाख तक	135*/70	277	19
4.	20 हजार से कम	135*/70	315	1
	योग		**653**	**58**

* जलोत्सारण योजना हेतु

नागर जल सम्पूर्ति सेक्टर के मुख्य कार्यक्रम

राज्य सेक्टर

प्रदेश के विभिन्न नगरों में पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगरीय निकायों हेतु अनुदान के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति व्यय वित्त समिति/परियोजना संरचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, उ.प्र. शासन द्वारा प्रदान की जाती है। परियोजना का चयन एवं विरचन कार्य सम्बन्धित निकाय की सहमति से जल निगम द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2017-18 में 02 नयी स्वीकृत योजनायें सम्मिलित करते हुए 64 योजनाओं के विरुद्ध रु. 80.64 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हुईं। कुल वित्तीय स्वीकृति रु. 883.47 करोड़ है एवं उसके विरुद्ध व्यय रु. 736.96 करोड़ है। वर्ष 2017-18 में 64 योजनाओं में से 13 योजनायें पूर्ण कर जनोपयोगी की जा चुकी हैं। शेष 51 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।

त्वरित आर्थिक विकास योजना

इस योजना के अन्तर्गत मा. सांसदों/विधायकों तथा जनप्रतिनिधियों की मांग पर मा. मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से विभिन्न प्रकार के कार्यों की योजनाओं की स्वीकृति नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा प्रदान की जाती है। वर्ष 2016-17 में 07 निर्माणाधीन योजनाओं के विरुद्ध रु. 38.30 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाँ शासन द्वारा निर्गत की गयी हैं तथा वर्ष 2017-18 में रु. 6.53 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाएँ जारी हुयी हैं। कुल वित्तीय स्वीकृति रु. 212.64 करोड़ है एवं उसके विरुद्ध व्यय

रु. 211.92 करोड़ है। वर्ष 2017-18 में 07 योजनाओं में से 04 योजनायें पूर्ण कर जनोपयोगी की जा चुकी हैं। शेष 03 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।

जिला योजना नगरीय पेयजल (सामान्य एवं एस.सी.पी.)

जिला योजना के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकतानुसार नगरीय क्षेत्रों में रिबोर/नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य, पाइप लाइन विस्तार एवं नलकूपों के रिबोर के कार्य जिलाधिकारी की स्वीकृति से कराये जाते हैं। वर्ष 2017-18 में समस्त 75 जिलों में सामान्य एवं एस.सी.पी. के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं पर रु. 100.00 करोड़ की जारी वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष भौतिक प्रगति 05 प्रतिशत एवं रु. 2.90 करोड़ व्यय हुआ है।

नागर जलोत्सारण

प्रदेश में कुल 653 नागर स्थानीय निकाय हैं जिनमें जलोत्सारण व्यवस्था की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार हैः

निकाय	कुल नगर	नगर जिनमें सीवर व्यवस्था है	नगर जिनमें सीवर व्यवस्था नहीं है
नगर निगम	16	15	*1
नगर पालिका परिषद	199	46	153
नगर पंचायत	438	3	435
योग	**653**	**64**	**589**

* झाँसी में सीवर व्यवस्था नहीं है।

उपरोक्त सभी 64 नगरों में आंशिक रूप से ही सीवर व्यवस्था उपलब्ध है तथा पूर्ण रूप से सीवर व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही जारी है।

राष्ट्रीय नदी/झील संरक्षण कार्यक्रम

देश की प्रमुख नदियाँ म्यूनिसिपल सीवेज, औद्योगिक कचरे तथा मृत जानवरों आदि से प्रदूषित हो रही हैं। गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से फरवरी 1985 में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में, 'केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण' का गठन कर 'गंगा कार्य योजना' (गंगा एक्शन प्लान) के नाम से एक योजना प्रारम्भ की गयी। उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा कार्य योजना हेतु नगर विकास विभाग नोडल विभाग है तथा उत्तर प्रदेश जल निगम, नगर निगम/नगर परिषद तथा जल संस्थान कार्यदायी संस्थायें हैं।

गंगा कार्य योजना (प्रथम चरण)

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत उ.प्र. में गंगा नदी के तट पर स्थित 6 नगरों क्रमशः हरिद्वार-ऋषिकेश (अब उत्तराखण्ड राज्य में), फर्रूखाबाद-फतेहगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर को सम्मिलित किया गया।

गंगा कार्य योजना-प्रथम चरण में रु. 184.84 करोड़ की कुल 106 परियोजनाओं में से जल निगम

द्वारा कोर सेक्टर की 56 परियोजनायें रु. 160.84 करोड़ की लागत से निर्मित की गयीं, जिसमें प्रदेश के 5 नगरों में गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले कुल 646.30 एम.एल.डी. सीवेज में से 349.50 एम.एल.डी. क्षमता के 9 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट भी निर्मित किये गये। इनके अतिरिक्त इन नगरों में 27 पम्पिंग स्टेशन, 13 शवदाह गृह, 12 कम लागत के शौचालय तथा 8 नदी घाटों का विकास कार्य भी किया गया।

गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण)

गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के संतोषजनक परिणामों को देखते हुए गंगा नदी तथा उसकी मुख्य सहायक नदियों यमुना एवं गोमती के तट पर स्थित कुल 23 नगरों (प्रथम चरण के 5 नगरों को सम्मिलित करते हुए) में, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रदूषण नियन्त्रण के कार्य प्रस्तावित किये गये। गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण में तीन घटक क्रमशः गंगा कार्य योजना घटक, यमुना कार्य योजना घटक, गोमती कार्य योजना घटक हैं। भारत सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण) के लिये कुल 216 परियोजनायें स्वीकृत की गईं। स्वीकृत परियोजनाओं में से बिजनौर शहर की 3 परियोजनायें व वाराणसी नगर की एक परियोजना ड्राप की गईं एवं शेष 212 में से 208 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्तमान में निम्न 4 परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर हैंः

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	भौतिक प्रगति 03/2017 तक
1.	गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण)	41333.83	95%
2.	नैनी ब्रिज पर राइजिंग मेन, प्रयागराज	2586.00	73%
3.	अस्सी बी.एच.यू. साउथ डिस्ट्रिक्ट, वाराणसी	1035.86	100%
4.	राखी मण्डी से बकर मंडी तक सीवर लाइन	589.92	99%
5.	मुख्य पम्पिंग स्टेशन, कानपुर	1858.40	95%

नोट : क्रमांक 3 की योजना की राइजिंग मेन को रमना एस.टी.पी. से कनेक्ट किया जाना शेष है।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.)

भारत सरकार द्वारा पूर्व संचालित राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्य योजनाओं के उद्देश्यों में सुधार करते हुए इनके क्रियान्वयन की रणनीति में सुधार कर गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया तथा भारत सरकार की अधिसूचना, दिनांक 20.02.2009 द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देते हुए, इनवायरमेन्टल प्रोटेक्शन एक्ट-1986 के अन्तर्गत किया गया है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.) के अन्तर्गत वर्ष 2020 तक घरेलू अवजल को गंगा में गिरने से रोकने हेतु राज्य स्तर पर उ.प्र. राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में किया गया है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 900 किमी. दूरी तय करती है। फतेहगढ़ के निकट रामगंगा नदी एवं कन्नौज के निकट काली नदी के मिलने पर गंगा नदी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। इसी

प्रकार गंगा नदी के किनारे बसे मुख्य नगरों यथा– कानपुर, प्रयागराज व वाराणसी के घरेलू सीवेज के कारण भी कन्नौज से वाराणसी तक का क्षेत्र प्रदूषण की दृष्टि से क्रिटिकल हो गया है। प्रथमतः गंगा नदी के किनारे 26 नगर एवं इसकी मुख्य सहायक काली नदी के किनारे 3 एवं रामगंगा नदी के किनारे 2 नगरों को चिह्नित किया गया है। यमुना नदी पर स्थित 10 नगरों व गोमती नदी पर स्थित 3 नगरों को प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया है।

एन.जी.आर.बी.ए./नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयागराज नगर की 10 योजनायें, वाराणसी नगर की 2 योजनायें, कानपुर नगर की 3 योजनायें तथा कन्नौज, मुरादाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, अनूपशहर. नरौरा. वृन्दावन. रामनगर, चुनार, उन्नाव, शुक्लागंज, बिठूर, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद एवं मथुरा नगर की एक-एक परियोजना का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुल 30 परियोजनायें जिनकी कुल लागत रु. 6538.63 करोड़ है, स्वीकृत हुई हैं जिसमें भारत सरकार का अंश रु. 5926.42 करोड़ तथा राज्य सरकार का अंश रु. 642.21 करोड़ है। एन.जी.आर.बी.ए./ नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 203.00 एम.एल.डी. क्षमता के 10 सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित किये जा चुके हैं एवं 433.90 एम.एल.डी. क्षमता के 20 सीवेज शोधन संयंत्र निर्माणाधीन हैं। कुल अवमुक्त धनराशि रु. 1530.98 करोड़ के सापेक्ष रु. 1530.98 करोड़ व्यय हो चुका है।

एन.जी.आर.बी.ए. के द्वारा संचालित **''नमामि गंगे''** कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 जनपदों के विभिन्न नगरों की 37 परियोजनायें कुल अनुमानित लागत रु. 10176.66 करोड़ भारत सरकार को प्रेषित योजनाओं में से एस.जी.आर.सी.ए. लखनऊ द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी, उ.प्र. से वरीयता प्राप्त 29 योजनायें अनुमानित लागत रु. 7540.91 करोड़ अनुमोदन हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गयी थीं जिसमें से एन.एम.सी.जी. भारत सरकार द्वारा 16 परियोजनाओं को वरीयता प्रदान की गयी, जिनकी कुल लागत रु. 4941.14 करोड़ है। जिनमें से उक्त वर्णित 8 परियोजनाओं (वृन्दावन, रामनगर, चुनार, उन्नाव-शुक्लागंज, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद एवं मथुरा) की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुयी है।

औद्योगिक उत्प्रवाह

घरेलू सीवेज के शोधन कार्यों के अतिरिक्त एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के अन्तर्गत मात्र कानपुर नगर में ही टेनरी वेस्ट के शोधन हेतु योजना के कार्य जल निगम द्वारा कराये जाने प्रस्तावित हैं। कानपुर नगर में टेनरी वेस्ट के शोधन हेतु योजना के लिये भारत सरकार की विशेषज्ञ संस्था ''सेन्ट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई'' द्वारा स्टडी की गयी थी। समय के साथ टेनरी उद्योगों की संख्या बढ़ने के कारण टेनरी उत्प्रवाह की मात्रा में हुई वृद्धि के दृष्टिगत एक उच्चीकृत नये सी.ई.टी.पी. के निर्माण हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार डायल्यूशन तकनीक पर आधारित 25 एम.एल.डी. क्षमता के सी.ई.टी.पी. के निर्माण की डी.पी.आर. योजना अनुमानित लागत रु. 1275.07 करोड़ (कार्य लागत रु. 481.92 करोड़ व 10 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव की लागत रु. 793.15 करोड़) विरचित कर राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण के माध्यम से एन.एम.सी.जी. भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। लेकिन एन.एम.सी.जी. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु वॉटर लीइन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लि. (टी.डब्ल्यू.आई.सी.) चेन्नई के माध्यम से तैयार किये गये 20 एम.एल.डी. क्षमता के सी.ई.टी.पी. जे डायल्यूशन तकनीक पर आधारित

होगा तथा जिसमें टर्सिरी ट्रीटमेन्ट तकनीक की व्यवस्था होगी, के डी.पी.आर. पर विचार किया जा रहा है।

बाह्य सहायतित कार्यक्रम (जे.बी.आई.सी.) आगरा जल सम्पूर्ति गंगाजल परियोजना

आगरा जल सम्पूर्ति योजना गंगाजल (बाह्य सहायतित-जायका) अपर गंगा कैनाल के पालरा हैडवर्क्स, जिला बुलन्दशहर से आगरा तक 130 किमी. पाइप लाइन द्वारा आगरा शहर को 140 क्यूसेक एवं मथुरा शहर को 10 क्यूसेक, कुल 150 क्यूसेक कच्चा जल लाकर जल सम्पूर्ति से सम्बन्धित अन्य कार्य को सम्पादित किया जाना है। योजना के प्रारंभिक आगणन की कुल लागत रु. 1076.98 करोड़ थी, जो मार्च 2007 में स्वीकृत हुई थी। योजना के डी.पी.आर. अनुमानित लागत रु. 2887.92 करोड़ को प्रदेश की वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसे शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में प्रोजेक्ट के वित्तीय एवं तकनीकी परीक्षण के उपरान्त दिनांक 04.07.2012 को पुनरीक्षित लागत के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी है। पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष ऋण वृद्धि पर भारत सरकार व जायका के मध्य ऋण अनुबंध मार्च, 2014 में निष्पादित किया जा चुका है। योजना की लागत का 85 प्रतिशत जायका से ऋण के रूप में तथा 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। योजना में मुख्य रूप से सिकन्दरा, आगरा में 144 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, इन्टेक वर्क्स, सेटलिंग टैंक, आगरा एवं मथुरा शहरों हेतु फीडर मेन तथा वर्तमान में वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के जीर्णोद्धार के कार्य प्राविधानित हैं। वर्तमान में पालरा सैटलिंग टैंक तथा सिकंदरा, आगरा में 144 एम.एल.डी. वाटर ट्रीटमेंट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में योजना हेतु रु. 300.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गयी है जिसमें रु. 300.00 करोड़ की धनराशि आहरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त ॠण के रूप में रु. 75.00 करोड़ की धनराशि भी कार्य की प्रगति बनाये रखने के लिये दिया गया है। कुल अवमुक्त धनराशि रु. 2228.57 करोड़ के सापेक्ष रु. 2228.57 करोड़ व्यय हो चुका है।

झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम

माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 13.03.2001 को हुई राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश में निम्नलिखित झीलों/तालों की योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं :

1. रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर)
2. मानसीगंगा ताल (गोवर्धन नगर, जनपद-मथुरा)
3. लक्ष्मी ताल (झाँसी नगर)
4. मदनसागर ताल (महोबा नगर)

उपर्युक्त चार तालों में गोवर्धन नगर (जनपद-मथुरा) के मानसी गंगा ताल के प्रदूषण नियंत्रण कार्यों कें प्राक्कलन अनुमानित लागत रु. 22.71 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा मार्च, 2007 में प्रदत्त के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर) की योजना भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत, स्वीकृत लागत रु. 124.32 करोड़ व पुनरीक्षित स्वीकृति लागत रु. 196.57 करोड़ है। योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति 90.42 प्रतिशत है। कुल अवमुक्त धनराशि रु. 192.54 करोड़ के सापेक्ष रु. 175.69 करोड़ व्यय हो चुका है।

अमृत (अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन)

राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में शहरी परिवारों को बुनियादी सेवाएं (जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन इत्यादि) उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में दिनांक 25.6.2015 को अमृत योजना प्रारम्भ की गयी है। जिसमें एक लाख की जनसंख्या से अधिक के नगरीय निकाय चयनित किये गये हैं। प्रदेश के 60 नगरीय निकाय इस योजना में आच्छादित हैं, योजना की अवधि 2015-2020 (5 वर्ष) की है।

योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति एवं सीवरेज तथा सेप्टेज प्रबन्धन का योजना की अवधि में सार्वभौमिक अच्छादीकरण (यूनिवर्सल कवरेज) करना है।

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल, जलोत्सारण जलनिकासी एवं ठोस कूड़ा प्रबन्धन के प्राक्कलन विरचन व निर्माण के कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु उ.प्र. जल निगम/सी. एण्ड डी.एस. को नामित किया गया है।

अमृत योजना के अन्तर्गत 127 पेयजल एवं 62 जलोत्सारण की कुल 189 परियोजनाएं कुल अनुमानित लागत रु. 6385.45 करोड़ की स्वीकृति राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति (एस.एच.पी.एस.सी.) द्वारा प्रदान की जा चुकी है। पेयजल की 79 योजनाओं तथा जलोत्सारण की 33 योजनाओं कुल 112 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं।

मिशन अवधि वित्तीय वर्ष 2017-20 के लिए रु. 4145.48 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष जलापूर्ति हेतु रु. 1996.02 करोड़, जलोत्सारण हेतु रु. 2149.46 करोड़ का सैप भारत सरकार के स्तर पर गठित 17वीं एपेक्स कमेटी द्वारा दिनांक 15.03.2017 को अनुमोदित किया जा चुका है। 05 मई 2017 को माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार व माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में सम्पन्न शहरी विकास कार्यक्रम समीक्षा बैठक में हुए विचार विमर्श के अनुरूप तृतीय सैप 2017-20 का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

अब तक कुल अवमुक्त धनराशि रु. 802.28 करोड़ के विरुद्ध रु. 343.57 करोड़ व्यय हुआ तथा लगभग रु. 2.08 लाख पेयजल गृह संयोजन एवं रु. 1.79 लाख सीवर गृह संयोजन हेतु उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

(जे.एन.एन.यू.आर.एम.) कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत एवं चालू योजनाओं की अद्यतन स्थिति

जे.एन.एन.यू.आर.एम. (यू.आई.जी.) कार्यांश के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 6 नगर निगम नामित : लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ एवं एक नगर पालिका परिषद मथुरा को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 25 परियोजनाओं हेतु कुल स्वीकृत लागत रु. 6133.61 करोड़ के सापेक्ष उ.प्र. जल निगम को कुल रु. 5934.43 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष रु. 5587.37 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। स्वीकृत 25 परियोजनाओं में से 19 पूर्ण कर जन उपयोगी बनाई जा चुकी हैं। अपूर्ण 6 योजनायें वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 43 परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत रु. 1138.22 करोड़ के सापेक्ष उ.प्र. जल निगम को कुल रु. 1103.72 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है जिसके सापेक्ष रु. 1034.39 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। स्वीकृत

43 योजनाओं में से 39 योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं। शेष 4 योजनायें वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के ''ट्रांजीशन फेज'' के अन्तर्गत स्वीकृत 7 योजनाएं कुल स्वीकृत लागत रु. 353.14 करोड़ के सापेक्ष उ.प्र. जल निगम को कुल रु. 306.35 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष रु. 240.43 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। स्वीकृत समस्त 7 योजनायें वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण जल सम्पूर्ति

प्रदेश में कुल 97942 आबाद ग्राम हैं, जिनकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 15.53 करोड़ हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी कुल 3.57 करोड़, अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.1 करोड़ तथा अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी 3.00 करोड़ (लगभग) है।

वर्तमान में प्रदेश की ग्रामीण पेयजल आपूर्ति मुख्यतः इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प पर आधारित है। भारत सरकार/राज्य सरकार की नीति के अनुसार वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र की 90 प्रतिशत आबादी को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति हेतु कार्यक्रम

प्रदेश में पेयजल आपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य कराये जा रहे हैं :

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति हेतु प्रस्तावित दिशा-निर्देश में वर्णित प्रमुख उददेश्य निम्नवत हैं :

- ग्रामीण क्षेत्र की समस्त बस्तियों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- पेयजल प्रणाली तथा स्रोत सस्टेनिबिलिटी सुनिश्चित कराना।
- जल की गुणता एवं पर्यवेक्षण हेतु ढांचा विकसित कर पेयजल की गुणता संरक्षित करना।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (आच्छादन)

- योजना के अन्तर्गत नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन एवं रिबोरिंग तथा पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य किये जा रहे हैं।
- पूर्व से निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराया जाना।
- आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित अवशेष बस्तियों में पाइप पेयजल योजना का निर्माण पूर्ण कराया जाना।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराया जाना।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अन्तर्गत ओ.डी.एफ. ग्राम पंचायतों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना।
- नये हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु शासन द्वारा 150 की आबादी पर एक हैण्डपम्प तथा दो हैण्डपम्पों के बीच न्यूनतम 75 मीटर की दूरी का मानक निर्धारित किया गया है। डॉ. राम मनोहर लोहिया

समग्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चयनित ग्रामों हेतु संतृप्तीकरण के लिए 100 की आबादी पर एक हैण्डपम्प का मानक निर्धारित है।

प्रदेश में माह मार्च, 2018 तक विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 27.81 लाख हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं। जल निगम एवं उत्तर प्रदेश एग्रो द्वारा स्थापित किये जाने वाले हैण्डपम्प 90:10 का अनुपात निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 1595 पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन थीं, जिनमें से 430 पाइप पेयजल योजनाओं को मार्च 2018 तक पूर्ण किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष माह मार्च 2018 तक 436 योजनाएं पूर्ण/जनोपयोगी की जा चुकी हैं।

ए.ई.एस./जे.ई. प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल हेतु कार्य

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार प्रदेश में 20 जनपद नामतः गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, देवरिया, बहराइच, गोण्डा, श्रावस्ती, बलरामपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर देहात एवं सहारनपुर जे.ई./ए.ई.एस. से प्रभावित हैं।

सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हेतु ए.ई.एस./जे.ई. प्रभावित जनपदों की प्रत्येक ऐसी बस्ती, जिसमें विगत 3 वर्षों में कोई मरीज चिह्नित हुआ है, में एक मिनी पाइप पेयजल योजना तथा सार्वजनिक रूप से प्रयोग हो रहे पिछले हैण्डपम्पों के स्थान पर एक इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प का अधिष्ठापन किया जाना है।

मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम

भारत सरकार के निर्देशानुसार अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश के 25 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों यथा- रामपुर, जे.पी. नगर, बरेली, पीलीभीत, बुलन्दशहर, बाराबंकी, बागपत, मुरादाबाद, आजमगढ़, बस्ती, शामली, सम्भल, लखनऊ, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थ नगर, मेरठ, मुजफ्फर नगर, गाजीपुर, महाराजगंज, संतकबीर नगर, सीतापुर, बलरामपुर, बहराइच तथा श्रावस्ती में विभिन्न कल्याणकारी योजनायें संचालित की जाती हैं। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत डिपाजिट कार्य के रूप में उ.प्र. जल निगम द्वारा इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन एवं पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य क्रियान्वित किये जाते हैं। दिनांक 30.04.2018 तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 243 पाइप पेयजल योजनाओं हेतु 39000.55 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष माह मई 2018 तक 39 योजनाओं के कार्य पूर्ण कर जनोपयोगी बनाया जा चुका है तथा 93 योजनाओं पर कार्य प्रगति में है। 111 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जाना शेष है।

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत प्रथम चरण में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 7 जनपदों हेतु कुल रु. 91.63 करोड़ की योजनायें स्वीकृत की गयी थीं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल सम्बन्धी कार्यों हेतु समस्त धनराशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में केन्द्र सरकार से नियोजन विभाग, उ.प्र. के माध्यम से प्राप्त होती है। कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त धनराशि रु. 91.63 करोड़ अवमुक्त हो गयी हैं। जिसके सापेक्ष मार्च, 2018 तक कुल रु. 91.93 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है। प्रथम चरण के समस्त कार्य पूर्ण हैं।

बुन्देलखण्ड पैकेज के द्वितीय चरण के अन्तर्गत 48 पाइप पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव के सापेक्ष

समस्त 48 योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु रु. 181.28 करोड़ धनराशि मार्च, 2018 तक प्राप्त हो चुकी है तथा 31.03.2018 तक रु. 145.81 करोड़ का व्यय हो चुका है। मार्च 2018 तक 46 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष 2 योजनाओं पर कार्य प्रगति में हैं।

विश्व बैंक सहायतित ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना

कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश हेतु लगभग रु. 1950.00 करोड़ का प्रावधान है। छह वर्षों की अवधि में पूर्ण होने वाली उक्त परियोजना हेतु मूल प्रस्ताव के अनुसार उत्तर प्रदेश के 14 जनपद क्रमशः प्रयागराज, गोरखपुर, गोण्डा, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, बहराइच, सोनभद्र, बलिया एवं गाजीपुर को सम्मिलित किया गया है। मूल प्रस्ताव के अनुसार योजना का क्रियान्वयन 3 चरणों में किया जाना था, किन्तु अब इसे 02 चरणों में ही पूर्ण करने का प्रस्ताव है। परियोजना के द्वितीय चरण में परियोजना में जनपद फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर एवं वाराणसी को भी सम्मिलित किया गया है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. के अन्तर्गत गठित राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ विभिन्न क्षमता विकास एवं जन जागरूकता के कार्यों का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल निर्माण कार्यों हेतु उ.प्र. जल निगम को तकनीकी संस्था नामित किया गया है। प्रथम चरण में 9 जनपदों की 246 ग्राम पंचायतों हेतु कुल अनुमानित लागत रु. 445.85 करोड़ की 233 पाइप पेयजल योजनायें तथा 230 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। इनमें से मार्च 2018 तक 161 योजनाएं कमीशन्ड की जा चुकी हैं। तथा 72 योजनाएं निर्माणाधीन हैं।

राज्य ग्रामीण पेयजल योजना

प्रदेश में पहली राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से पेयजल आपूर्ति हेतु राज्य ग्रामीण पेयजल योजना का आरम्भ किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में इस योजना हेतु रु. 600 करोड़ स्वीकृत है। योजना के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं एवं हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है।

कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ.प्र. जल निगम का कार्यकलाप

उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्य भार की कमी को देखते हुए निदेशक मण्डल, उ.प्र. जल निगम की 90वीं बैठक दिनांक 10.03.89 के मद सं. 90.06 में लिए गये निर्णय एवं प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम लखनऊ के कार्यकारी आदेश दिनांक 19.04.89 के द्वारा "कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ.प्र. जल निगम" नाम से एक विंग का सृजन किया गया था। इस विंग को राजकीय निर्माण एजेन्सी की श्रेणी में नामित किया गया है। अन्य निर्माण एजेन्सियों के साथ "कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ.प्र. जल निगम" को प्रथम श्रेणी में रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में नलकूप विंग के संचालन हेतु लगभग 2.65 करोड़ का राजस्व व्यय प्रस्तावित है। इस प्रकार नलकूल विंग के स्वावलम्बी होने के लिये न्यूनतम रु. 60.00 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न संस्थानों एवं विभागों से रु. 105.00 करोड़ के डिपाजिट कार्य प्राप्त होने की सम्भावना है। नलकूप विंग द्वारा मुख्यतः नलकूप एवं तत्संबन्धित कार्य, विद्युत सबस्टेशनों का स्थापन, प्रकाश व्यवस्था के कार्य, सौर ऊर्जा से संबंधित डिपोजिट कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं।

●

आवास एवं शहरी नियोजन

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का मूल उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के साथ-साथ आवासीय समस्या के समाधान हेतु प्रयास करना एवं इस दिशा में किये जा रहे विकास को गति प्रदान करना है। यह विभाग नगरों की आवासीय एवं अन्य समस्याओं के निदान हेतु जहां एक ओर नीतियाँ निर्धारित करता है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से तीव्र गति से बढ़ रही नगरीय जनसंख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में भी योगदान प्रदान करता है।

आवास वस्तुतः मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आवासीय समस्या के समाधान के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए प्रदेश सरकार पहले से ही जागरूक है। आवासीय समस्या के समाधान के लिये पूर्व में ''स्वायत्त शासन विभाग'' गठित था जो कालान्तर में ''आवास एवं नगर विकास'' के नाम से पुनर्गठित किया गया। वर्ष 1989 में ''आवास एवं नगर विकास'' विभाग का विघटन कर स्वतन्त्र रूप से ''आवास विभाग'' का गठन किया गया जो नवम्बर, 2002 से नाम परिवर्तन के फलस्वरूप आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नाम से जाना जाता है।

समाज के विभिन्न वर्गों को सुनियोजित रूप से आवास की सुविधा मुहैया कराने हेतु सर्वप्रथम वर्ष 1952 में एक सामाजिक आवासीय योजना का शुभारम्भ किया गया तथा इस योजना के अन्तर्गत पर्याप्त संख्या में आवास निर्माण एवं विकास के प्रयास भी किये गये। कालान्तर में शहरों को सुनियोजित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से एवं भवन निर्माण पर यथेष्ट नियंत्रण हेतु ''उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958'' के अधीन प्रदेश के प्रमुख नगरों को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं निर्देशों के माध्यम से विकास एवं निर्माण कार्यों को सुनियोजित किया जाने लगा। प्रदेश में उक्त अधिनियम के अधीन अब तक कुल 73 विनियमित क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित रूप से आवास उपलब्ध कराने हेतु ''आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965'' के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का गठन किया गया एवं इसके साथ-साथ सहकारी क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु वर्ष 1969 में ''उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ'' स्थापित किया गया, जो वर्तमान में नाम परिवर्तन के फलस्वरूप ''सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लिमिटेड'' के नाम से कार्यरत है। आवास निर्माण के साथ-साथ नगरों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा ''उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973'' के अधीन सर्वप्रथम वर्ष 1974 में 5 ''कवाल'' (कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज एवं लखनऊ) नगरों में विकास प्राधिकरण गठित किये गये और अब तक प्रदेश में कुल 28 विकास प्राधिकरण गठित किये जा चुके हैं।

विशिष्ट महत्त्व के ऐसे क्षेत्र जिनका राज्य सरकार के विचार से नियोजित विकास आवश्यक है, के प्रयोजनार्थ वर्ष 1985 में उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था, जो कि वर्ष 1986 में ''उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986'' के रूप में अधिनियमित हुआ। उक्त अधिनियम के अधीन प्रदेश में कुल 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित किये गये हैं।

विकास प्राधिकरण

प्रदेश के विकासशील नगरों का महायोजना के अनुसार सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु ''उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973'' के अधीन विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में 28 विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं।

विकास प्राधिकरणों के प्रमुख कार्य-कलाप

1. विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तैयार करना और उसके अनुसार विकास सुनिश्चित करना।
2. आवासीय एवं अन्य योजनाओं के लिए भूमि और अन्य सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्धन एवं निस्तारण।
3. अवस्थापना सुविधाओं यथा– जल-आपूर्ति, विद्युत-आपूर्ति, जल एवं मल-निस्तारण तथा अन्य जन-सुविधाओं के प्रावधान हेतु निर्माण, अभियान्त्रिकी, खनन एवं अन्य क्रियायें कार्यान्वित करना।
4. विकास व निर्माण कार्यों हेतु विकास/निर्माण अनुज्ञा जारी करना तथा विकास एवं निर्माण कार्यों का विनियमन।

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

प्रदेश के विशिष्ट महत्त्व के क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं।

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के प्रमुख कार्य-कलाप

1. विशेष विकास क्षेत्र के लिये योजना तैयार करना और उसके अनुसार सुनियोजित रीति से विकास को बढ़ावा देना एवं सुनिश्चित करना।
2. विकास योजना को लागू करने के प्रयोजनार्थ, भूमि और अन्य सम्पत्ति को अर्जित करना, धारित करना, विकास करना, प्रबन्ध करना व निस्तारण करना।
3. अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में उपबन्ध करने हेतु कार्यों का निष्पादन करना।
4. राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किये जाने पर विशेष क्षेत्र के प्रबन्धन के लिए उसी रीति से उपबन्ध करना जो नगर पालिकाओं द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन उपबन्धित है।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग

प्रदेश में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की स्थापना वर्ष 1948 में एक छोटी इकाई के रूप में की गई थी, परन्तु वर्ष 1950 में इसका विकास एक स्वतन्त्र एवं पूर्ण विभाग के रूप में किया गया। वर्ष 1962 में केन्द्रीय सहायता योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्भागीय नियोजन योजना (रीजनल प्लानिंग

स्कीम) प्रारम्भ की गई, जो वर्ष 1969 में राज्य आयोजना में सम्मिलित कर दी गई तथा अब इस विभाग के अधिष्ठान का व्यय आयोजनेत्तर मद से वहन किया जाता है।

वर्तमान में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के दो प्रमुख भाग हैं। पहला भाग मुख्य संगठन तथा दूसरा भाग सम्भागीय नियोजन योजना है। मुख्य संगठन का कार्य स्थानीय एवं निरन्तर प्रक्रिया के रूप में सम्पादित किया जाता है, जिसके द्वारा प्रदेश के नियोजित विकास के हित में प्राविधिक निदेशन के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य संगठन के अन्तर्गत मुख्यतः चार प्रभाग कार्यरत हैं- (1) नगर नियोजन प्रभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, स्थानीय निकायों आदि से सम्बन्धित क्षेत्रों के भौतिक विकास को सुनियोजित व नियंत्रित करने में परामर्श देना व सहायता प्रदान करना है, (2) वास्तुकला प्रभाग द्वारा भवन डिजाइन व स्थल नियोजन सम्बन्धी योजनायें निर्धारित शुल्क लेकर तैयार करना है, (3) प्राविधिक प्रभाग द्वारा आवास एवं नगर विकास के क्षेत्र की योजनाओं के प्राक्कलनों की जाँच, निर्माण योजनाओं का आवश्यकतानुसार निरीक्षण व प्रगति के अनुश्रवण का कार्य सम्पन्न किया जाता है, (4) अनुश्रवण प्रभाग द्वारा राज्य सेक्टर की योजनाओं का अनुश्रवण, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की पंचवर्षीय/वार्षिक योजना, आदि के कार्य सम्पन्न किये जाते हैं।

सम्भागीय नियोजन योजना वर्ष 1962 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत तीव्र गति से विकसित हो रहे नगरों की महायोजनायें तैयार की जाती हैं। इस कार्य हेतु मण्डल स्तर पर 12 सम्भागीय नियोजन खण्ड कार्यरत हैं।

महायोजना की प्रगति

प्रदेश में विभिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विनियमित क्षेत्रों, विकास क्षेत्रों एवं विशेष विकास क्षेत्रों की महायोजनाएं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा सम्बन्धित प्राधिकरणों/नियंत्रक प्राधिकारियों के अनुरोध पर तैयार की जाती है। नगरों की महायोजनाएं तैयार किये जाने का कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्पादित किया जाता है। महायोजना अवधि पूर्ण हो जाने पर उस नगर की पुनरीक्षित महायोजना तैयार की जाती है। प्रदेश में कुल 915 जनगणना नगर हैं, जिसमें विभिन्न नियोजन अधिनियमों यथा– उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत 28 विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 के अन्तर्गत 73 विनयमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत 05 विशेष विकास क्षेत्र प्राधिकरण अधिसूचित हैं, जिनमें कुल 129 नगर शामिल हैं। उक्त में से 94 महायोजनाएं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित हैं जिससे 102 नगर सम्बद्ध हैं। 33 नगरों की महायोजनाएं तैयार किये जाने/पुनरीक्षित किये जाने का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है, जबकि 14 नगरों की महायोजनाएं बनाई जानी शेष हैं।

जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स की प्रगति

महायोजना के क्रियान्वयन हेतु जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स/सेक्टर प्लान्स तैयार किया जाना आवश्यक है, जिस हेतु अधिनियमों के अधीन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जोनल प्लान्स, महायोजना की रूपरेखा के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली एक विस्तृत कार्य योजना है, जिसमें जोन्स/सेक्टर स्तर

पर भू-उपयोग, सड़कें, पार्क एवं खुले क्षेत्र, सामुदायिक सुविधाएं, सेवायें, सार्वजनिक उपयोगिताओं के प्रस्ताव शामिल होते हैं। शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में आगरा महायोजना-2021 के अन्तर्गत दो जोन (जोन-2 एवं जोन-6) तथा प्रयागराज महायोजना-2021 के अन्तर्गत एक जोन (जोन बी-4) तथा मुरादनगर महायोजना-2021 के एक जोन (जोन-1) का जोनल प्लान शासन द्वारा स्वीकृत है। प्रदेश के बारह नगरों में छब्बीस जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने की कार्यवाही विभिन्न चरणों में प्रगति पर है, जिसके अन्तर्गत आगरा में 01 जोन, मेरठ में 01 जोन, बरेली में 01 जोन, गोरखपुर में 02 जोन, बुलन्दशहर में 01 जोन, हापुड़-पिलखुआ में 03 जोन, रायबरेली में 01 जोन के जोनल प्लान ड्राट स्तर तक तैयार कर लिये गये हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ.प्र. प्रभाग

एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड की नीति के अनुरूप नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग सेल कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश प्रभाग में स्थित एवं कार्यरत विभिन्न विकास अभिकरणों के लिए विकास परियोजनायें चिह्नित करने, उनका नियोजन, अभिकल्पन तथा डी.पी.आर. तैयार कराने में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है, जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय योजना- 2021 तथा विभिन्न महायोजनाओं में अपेक्षित विकास क्रियाओं को क्रियान्वित कराया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 17(1) के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सहभागी राज्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र का सब-रीजनल प्लान तैयार किए जाने की अपेक्षा है। तत्क्रम में एन.सी.आर. प्लानिंग सेल, गाजियाबाद द्वारा तैयार किए गए उत्तर प्रदेश प्रभाग के सब-रीजनल प्लान-2021 को एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड द्वारा जुलाई, 2013 में अनुमोदन दिया गया है।

अटल मिशन फार रिजूवनेशन एवं अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित 61 नगरों के जी.आई.एस. बेस्ड मास्टर प्लान बनाया जाना भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित अमृत योजना अन्तर्गत प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के चयनित 61 नगरों की जी.आई.एस.तकनीकी पर महायोजनाएं तैयार किये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को नोडल विभाग नामित किया गया है। अमृत योजनान्तर्गत महायोजना तैयार करने के कम्पोनेंट में निम्न तीन भाग सम्मिलित हैं :

(1.) सैटेलाईट इमेज आधारित बेसमैप्स

(2.) जी.आई.एस.आधारित महायोजनाएं

(3.) जी.आई.एस.तकनीकी का प्रशिक्षण

महायोजनायें तैयार करने हेतु सेटेलाइट इमेज आधारित बेसमैप्स तैयार करने का कार्य नेशनल रिमोट सेंसिंग सेन्टर हैदराबाद को आवंटित किया जा चुका है। जी.आई.एस. आधारित महायोजनायें तैयार करने का कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (नोडल विभाग) द्वारा किया जा रहा है।

उक्त कार्य पर आने वाला व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा जिसकी 20 प्रतिशत (रु. 973 लाख) धनराशि केन्द्र सरकार केन्द्र अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना

राज्य सरकार का यह मत है कि सभी नागरिकों के पास अपना आवास प्राप्त करने का अवसर

हो तथा विशेष रूप से दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को यह सुविधा प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को किया गया है। यह मिशन 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों के लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा। मिशन के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) तथा निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.) वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाना है। भारत सरकार द्वारा इस मिशन में अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत प्रत्येक ई.डब्ल्यू.एस. हेतु अनुमन्य अनुदान के लिए केन्द्रांश रु. 1.50 लाख (रुपये एक लाख पचास हजार) निर्धारित किया गया है। जबकि रु. 1.00 (रु. एक लाख) अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए कुल रु. 2.50 लाख (रु. दो लाख पचास हजार) की सहायता उपलब्ध होगी। प्रत्येक आवास पर अधिकतम रु. 2.00 लाख लाभार्थी से लिया जाएगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-10/2017/2130/आठ-1-17-36 विविध/2017, दिनांक 25.10.2017 के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना जारी की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं से बिड्स आमंत्रण की कार्यवाही प्रगति पर है।

आवास बन्धु

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास एवं आवास निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के समाधान, निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने, विकास प्राधिकरणों और आवास एवं विकास परिषद की ''सुविधाप्रदायक'' भूमिका को सुदृढ़ बनाने तथा परियोजना क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण के उद्देश्य से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन वर्ष 1997 में ''आवास बन्धु'' का गठन किया गया है। आवास बन्धु, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लिए एक चिन्तन केन्द्र के रूप में कार्यरत है।

मुख्य कार्यकलाप

1. आवास सेक्टर की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों के प्रत्युत्तर में एक नई सोच विकसित करना।
2. आवास क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं की समस्याओं का समाधान।
3. विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के कार्यकलापों का अनुश्रवण व कार्यपूर्ति मूल्यांकन।
4. लोक शिकायतों का समाधान।
5. सिस्टम सुधार।
6. प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों का मानकीकरण।
7. प्रशिक्षण, प्रबन्धन एवं मानव संसाधन विकास।
8. शासन की नीतियों एवं दिशा-निर्देशों का संकलन/प्रकाशन तथा आवास क्षेत्र से सम्बन्धित नवीन सूचनाओं का प्रलेखन, प्रचार एवं प्रसार।

सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लिमिटेड

उ.प्र. सहकारी आवास समिति अधिनियम, 1965 के अधीन सहकारी आवास समितियों की शीर्ष

सहकारी समिति के रूप में वर्ष 1969 में उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ का गठन किया गया था। संघ का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त उत्तराखण्ड में होने के फलस्वरूप संघ अब मल्टी स्टेट अधिनियम के अधीन होने के दृष्टिगत सेन्ट्रल रजिस्ट्रार, मल्टी स्टेट अधिनियम, 2002 के अधीन सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लिमिटेड के रूप में कार्यरत है। सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम के मुख्य उद्देश्य एवं कार्यकलाप निम्नानुसार हैः-

1. आवास योजना को कार्यान्वित करने के लिए भूमि पट्टे पर, विनिमय, क्रय या अन्य प्रकार से प्राप्त करना तथा उसे विकसित करना।
2. सदस्यों की आवश्यकतानुसार आवास बनाना या बनवाना और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना तथा प्राविधिक सलाह देना व दिलाना।
3. सदस्यों को सीधी खरीद, किराया खरीद (हायर पर्चेज) या किराए के आधार पर आवास उपलब्ध कराना या देना।
4. आवास निर्माण हेतु भूमि क्रय करने तथा आवास निर्माण के लिए सदस्यों को भूमि और भवन बन्धक रखकर ऋण देना।
5. ऋण पत्रों (डिबेन्चर्स) तथा अन्य लेखों द्वारा ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से धन प्राप्त करना।
6. डिबेन्चर्स के अतिरिक्त अमानतें लेना तथा अन्य पद्धतियों से ऋण प्राप्त करना।
7. राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सदस्यों को ऋण प्रदान करना।
8. सहकारी कालोनियों का विकास करना।

लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन

लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन वर्ष 2013 में हुआ है, जोकि भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में विशेष प्रयोजन साधन उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरणवार निष्पादन के दायित्व के साथ स्थापित की गई है।

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण (फेज-1ए) नार्थ-साउथ कॉरिडोर (चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया) 22.878 किमी0 तक शहर की व्यस्त व्यावसायिक तथा आवासीय क्षेत्रों हेतु चिह्नित किया गया था एवं इस पर कार्य तीव्र गति से चल रहा है।

नार्थ-साउथ कॉरिडोर की लम्बाई 22.878 किमी0 है जोकि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से लेकर मुंशीपुलिया तक है। 22.878 किमी0 में से भूमिगत मेट्रो की दूरी 3.440 किमी0 जो कि चारबाग से लेकर के.डी.सिंह बाबू स्टेडियम तक होगा तथा शेष मेट्रो भूमि से ऊपर एलिवेटेड के रूप में होगी। नार्थ-साउथ कॉरिडोर के प्राथमिकता सेक्शन (8.5 किमी0) का व्यवसायिक संचालन 05.09.2017 से शुभारम्भ हो चुका है।

विशेषताएं

नार्थ- साउथ कॉरिडोर :

कुल दूरी	-	22.878 किमी0
एलिवेटेड	-	19.438 किमी0
भूमिगत	-	03.440 किमी0

नाप	-	मानक नाप
ट्रैक्शन	-	25 के.वी. ए.सी.एकल चरण ओ.एच.ई.
गति	-	अधिकतम 80 किमी0 प्रति घण्टा औसत 34 किमी0 प्रति घण्टा
स्टेशनों की संख्या	-	21 (17 एलिवेटेड, 4 भूमिगत)
हेड-वे	-	प्रारम्भ से 7 मिनट तत्पश्चात 2 मिनट का अन्तराल
परिकल्पित पीएचपीडीटी	-	41969 (6 कार ट्रेन सेट)

उद्देश्य

लखनऊ शहर में तीव्र, सुखद, सुरक्षित तथा मितव्ययी मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम उपलब्ध कराना जो प्रतिफल में लखनऊ शहर के विकास एवं समृद्धि में सहयोगी होगा। यह एक विशेष प्रयोजन साधन उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरणवार निष्पादन के दायित्व के साथ स्थापित की गई है।

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक आठ- 7-16-04/कानपुर मेट्रो/16 दिनांक 18.09.2016 के द्वारा कानपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन के विधिवत गठित होने तथा क्रियाशील होने तक कार्य हित में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रारम्भिक निविदाओं को नियमानुसार अवार्ड करने, परियोजना के अन्य प्रारम्भिक कार्यों के निष्पादन एवं पर्यवेक्षक आदि के लिए परियोजना के अन्तरिम परामर्शदाता के रूप में लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन को निर्देशित किया गया है। इस परियोजना की डी.पी.आर. राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है जिसकी स्वीकृति विचाराधीन है।

आगरा मेट्रो रेल परियोजना

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक आठ- 2/2018/99/आठ-7-18-70/विविध/15 दिनांक 23.01.2018 के द्वारा आगरा मेट्रो रेल कार्पोरेशन के विधिवत गठित होने तथा क्रियाशील होने तक कार्य हित में आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रारम्भिक निविदाओं को नियमानुसार अवार्ड करने, परियोजना के अन्य प्रारम्भिक कार्यों के निष्पादन एवं पर्यवेक्षक आदि के लिए परियोजना के अन्तरिम परामर्शदाता के रूप में लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन को निर्देशित किया गया है। इस परियोजना की डी.पी.आर. राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है जिसकी स्वीकृति विचाराधीन है।

मेरठ मेट्रो रेल परियोजना

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक- 4/2018/101/आठ-7-18-72/विविध/15, दिनांक 23.01.2018 के द्वारा मेरठ मेट्रो रेल कार्पोरेशन के विधिवत गठित होने तथा क्रियाशील होने तक कार्य हित में मेरठ मेट्रो रेल परियोजना के प्रारम्भिक निविदाओं को नियमानुसार अवार्ड करने, परियोजना के अन्य प्रारम्भिक कार्यों के निष्पादन एवं पर्यवेक्षक आदि के लिए परियोजना के अन्तरिम परामर्शदाता के रूप में लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन को निर्देशित किया गया है। इस परियोजना की डी.पी.आर. राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है जिसकी स्वीकृति विचाराधीन है।

गोरखपुर, प्रयागराज एवं वाराणसी का डी.पी.आर. नई मेट्रो नीति के तहत तैयार किया जा रहा है।

उ0प्र0 भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

देश में रियल इस्टेट सेक्टर में प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण, एकरूपता, मानकों के अनुरूप व्यवसायीकरण तथा इस व्यवसाय को रेगुलेट करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा रियल इस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट) एक्ट-2016 (एक्ट संख्या-16, सन् 2016) पारित किया गया, जो जम्मू एण्ड कश्मीर राज्य को छोड़कर दिनांक 01 मई, 2016 से पूरे देश में लागू है।

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नाम से एक निकाय का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा-20 में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि किन्हीं कारणों से अथॉरिटी का विधिवत गठन नहीं हो पाता है, तो सम्बन्धित आवास विभाग के सचिव को तब तक के लिए विनियामक प्राधिकारी के रूप में अभिहित किया जायेगा। तद्क्रम में उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या : 401/8-3-17-65 विविध/16 टी.सी लखनऊ दिनांक : 03 मई, 2017 के द्वारा अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 01 मई, 2017 से रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में यथा-अभिहित किया जा चुका है।

हॉइटेक टाउनशिप नीति

प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु हाईटेक टाउनशिप नीति वर्ष 2003 में निर्गत की गयी थी। प्रत्येक टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 1500 एकड़ एवं न्यूनतम पूंजी निवेश रु. 750 करोड़ निर्धारित किया गया था। नीति के अन्तर्गत दो चरणों में कुल 08 महानगरों में 13 विकासकर्ता कम्पनियों/कन्सॉर्शियम का चयन किया गया (प्रथम चरण वर्ष 2005 में 10 तथा द्वितीय चरण-वर्ष 2009 में 03)। चयनित विकासकर्ताओं के द्वारा 13 हाईटेक टाउनशिप का विकास किया जाना प्रस्तावित है, जिनका कुल अनुमोदित क्षेत्रफल 35487 एकड़ है।

विकासकर्ताओं द्वारा माह दिसम्बर, 2017 तक कुल 10403.91 एकड़ भूमि असेम्बल की जा चुकी है तथा कुल रु. 8926.00 करोड़ का पूंजी निवेश किया जा चुका है।

13 टाउनशिप्स में से, मै0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, लखनऊ द्वारा ही 1472 ई.डब्ल्यू.एस. भवन एवं 1696 एल.आई.जी. भवन पूर्ण किये गये हैं तथा क्रमशः 2223 दुर्बल आय वर्ग, 2900 अल्प आय वर्ग भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त के अतिरिक्त मैसर्स उच्चल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा गाजियाबाद नगर में 144 ई.डब्ल्यू.एस भवन पूर्ण किये गये हैं तथा क्रमशः 1116 दुर्बल आय वर्ग, 1178 अल्प आय वर्ग भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा मैसर्स गर्व बिल्डटेक द्वारा लखनऊ नगर में 896 दुर्बल आय वर्ग तथा 896 अल्प आय वर्ग तथा मैसर्स उत्तम स्टील द्वारा बुलन्दशहर नगर में 142 दुर्बल आय वर्ग, 640 अल्प आय वर्ग के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति

एक 'सेल्फ-कन्टैन्ड' रूप में नियोजित एवं विकसित टाउनशिप, जिसके अन्तर्गत समस्त भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं सहित रहने, कार्य करने एवं मनोरंजन सुविधाओं का एकीकृत रूप

से प्रावधान हो। इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ एवं विस्तार सहित अधिकतम क्षेत्रफल 500 एकड़ हो सकता है।

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति मूल रूप से शासनादेश संख्या-2711/आठ- 1-05-34 विविध/03 दिनांक 21.05.2005 द्वारा लागू की गयी थी, जिसमें कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयां आने के कारण, शासनादेश संख्या- 520/8-3-14-37 विविध/13 दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा संशोधित की गयी है।

वर्ष 2005 की नीति के अन्तर्गत के कुल 33 निजी विकासकर्ताओं को लाइसेन्स निर्गत किये गये थे, किन्तु अधिकांश विकासकर्ता लाइसेन्स में निर्दिष्ट भूमि की एसेम्बली नहीं कर सके एवं तद्नुसार योजनाओं को भी पूर्ण नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त समस्याओं को विचार में रखते हुए संशोधित नीति-2014 में विभिन्न संशोधन कर इस योजना के संचालन हेतु समुचित प्रावधान किये गये हैं।

मानचित्र स्वीकृत प्रक्रिया का सरलीकरण एवं ऑन-लाइन किये जाने की कार्यवाही

समस्त अभिकरणों द्वारा विकसित आवासीय योजनाओं एवं निजी विकासकर्ताओं के अभिकरणों द्वारा स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डों का मानचित्र आन-लाइन पद्धति से स्वीकृत करने हेतु उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0 (यूपीडेस्को) से साफ्टवेयर विकसित कराया गया है। समस्त अभिकरणों में ऑन-लाइन मानचित्र स्वीकृति की व्यवस्था लागू कर दी गयी है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् का गठन परिषद अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल, 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

परिषद के मुख्य उद्देश्य

1. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
2. केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
3. भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
4. समाज के दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के लिए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
5. केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्सेज तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।
6. भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना ताकि कास्ट एफेक्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों

का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

7. प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)- ''सबके लिए आवास'' भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत

योजना का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2016 को किया गया। यह योजना वर्ष 2015-22 के दौरान क्रियान्वित की जानी है। योजना का उद्देश्य शहरी बेघर लोगों को चरणबद्ध घटकों के तहत आवश्यक सेवाओं से युक्त बेहतर आश्रय प्रदान करना है।

योजना का संक्षिप्त परिचय :

1. निजी भागीदारी के जरिये संसाधन के तौर पर भूमि का उपयोग करके मौजूदा झुग्गी वासियों को यथास्थान पुनर्वास।
2. ऋण सम्बद्ध सहायता।
3. भागीदारी में किफायती आवास।
4. लाभार्थी के नेतृत्व वाले आवास के निर्माण/विस्तार के लिये सहायता।

परिषद द्वारा प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता से प्रदेश की गरीब जनता को दुर्बल आय वर्ग के भवनों को उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

राज्यादेश-1855 दिनांक 5 सितम्बर, 2017 के द्वारा आवास विभाग के अधीनस्थ प्रदेश के अभिकरणों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1.00 लाख नग भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष परिषद के 30000 नग भवन प्रचलित बाईलाज, नियमों एवं निर्धारित विशिष्ठियों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के बनाये जाने हैं। राज्यादेश के अनुसार पात्र चयनित लाभार्थियों की सूची उ0प्र0 राज्य नगरीय अभिकरण (सूडा/डूडा) द्वारा आवास बन्धु, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके आधार पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस योजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण किया जाना है। इन भवनों की कीमत रु. 4.50 लाख प्रति भवन निर्धारित है। प्रस्तावित भवन के भूखण्ड का क्षेत्रफल 34.07 वर्ग मीटर तथा भवन का कारपेट एरिया 22.77 वर्ग मी0 है। प्रत्येक भवन में दो कमरे, रसोईघर, शौचालय व एक बालकनी का प्रावधान है। इन भवनों के क्षेत्र में पार्क, खुले स्थान, आन्तरिक सड़कें, आन्तरिक एवं वाह्य विद्युतीकरण, पेय जल, सीवरेज, बरसाती पानी के निस्तारण के साथ-साथ कूड़ा घर एवं सामुदायिक सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

बजट प्रावधान

प्रस्तावित भवनों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार रु. 1.50 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा रु. 1.00 लाख की सब्सिडी पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जायेगी। अवशेष धनराशि रु. 2.00 लाख एवं निर्माण लागत पर नियमानुसार जी0एस0टी0 पात्र लाभार्थियों द्वारा देय है। राज्यांश के रूप में रु. 1000 करोड़ का ऋण शासन की बजटीय गारण्टी पर हुडको से प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति में है। जनपद लखनऊ हेतु 4752, मुरादाबाद हेतु 288, सुल्तानपुर हेतु 192, मेरठ हेतु 144 अर्थात कुल 5376 नग जी+3 दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण हेतु प्रेष्य डी0पी0आर0 पर केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी

है। स्वीकृति डी0पी0आर0 के सापेक्ष परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का कार्य प्रगति पर है।

उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 (रेरा)

रेरा का संक्षिप्त परिचय

भारत सरकार द्वारा निर्गत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 जम्मू और कश्मीर को छोड़कर दिनांक 01.05.2016 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू किया जा चुका है। रेरा के अन्तर्गत सभी विकासकर्ताओं को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। इसमें सभी नवीन एवं चालू परियोजनायें सम्मिलित हैं। विकासकर्ताओं को रेरा के तहत 500 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल अथवा 8 या उससे अधिक फ्लैट्स/भवन निर्मित किये जाने हैं तो उनका पंजीकरण इस अधिनियम के अन्तर्गत कराना अनवार्य है। विकासकर्ता बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के किसी भी परियोजना को क्रियान्वित नहीं कर सकेगा, अन्यथा की स्थिति में विकासकर्ता पर अपराधिक कार्यवाही का भी प्रावधान है। प्रदेश में रेरा के प्रभावी होने से उस व्यक्ति को जो वर्तमान में किसी प्राइवेट बिल्डर्स से किसी प्रकार की भू-सम्पत्ति में क्रय/निवेश करना चाहता है, को रेरा के प्रावधानों के अन्तर्गत सुरक्षा प्राप्त होती है। विकासकर्ता को योजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी रेरा की वेबसाइट पर परियोजना पंजीकरण हेतु उपलब्ध करानी होती है। विकासकर्ताओं द्वारा परियोजना से सम्बन्धित घोषित वायदों से किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर आवंटी उक्त वेबसाइट पर आन-लाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। रेरा अधिनियम में वर्णित धाराओं/उपधाराओं का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड अथवा कारावास अथवा दोनों दण्डों का प्रावधान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विकासकर्ता एवं आवंटी के मध्य शासन द्वारा निर्धारित विक्रय अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित करने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति किसी परियोजना में निवेश करता है जो रेरा में पंजीकृत नहीं है तो उसे रेरा के प्रावधानों के अन्तर्गत सुरक्षा नहीं मिल सकेगी।

रेरा के अन्तर्गत परिषद द्वारा संचालित परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति

परिषद द्वारा अपनी समस्त योजनाओं में रनिंग प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 68 नग परियोजनाओं में 29325 नग सम्पत्तियां, न्यू प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 09 नग परियोजनाओं में 1495 नग सम्पत्तियां अर्थात 77 नग परियोजनाओं में 30820 नग सम्पत्तियों का पंजीकरण कराया गया है। 37 नग परियोजनायें रेरा से आच्छादित नहीं है। इस प्रकार परिषद की कुल 114 नग परियोजनायें रेरा में पंजीकृत हैं।

विकास प्राधिकरणों की सूची

क्र.सं.	प्राधिकरण	क्र.सं.	प्राधिकरण
1.	वाराणसी विकास प्राधिकरण	15.	उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण
2.	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	16.	झाँसी विकास प्राधिकरण
3.	कानपुर विकास प्राधिकरण	17.	अयोध्या विकास प्राधिकरण
4.	लखनऊ विकास प्राधिकरण	18.	फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण
5.	आगरा विकास प्राधिकरण	19.	सहारनपुर विकास प्राधिकरण
6.	मेरठ विकास प्राधिकरण	20.	हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

7.	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	21.	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण
8.	रायबरेली विकास प्राधिकरण	22.	रामपुर विकास प्राधिकरण
9.	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	23.	उरई विकास प्राधिकरण
10.	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	24.	बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण
11.	बरेली विकास प्राधिकरण	25.	खुर्जा विकास प्राधिकरण
12.	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	26.	बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण
13.	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	27.	आजमगढ़ विकास प्राधिकरण
14.	बांदा विकास प्राधिकरण	28.	बस्ती विकास प्राधिकरण

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सूची

क्र.सं.	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	क्र.सं.	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
1.	मीरजापुर-विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र वि. प्राधिकरण	4.	शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
2.	कपिलवस्तु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	5.	कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
3.	चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण		

●

खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप

संक्षिप्त इतिहास

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं उनको उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से ''नागरिक आपूर्ति एवं राशनिंग विभाग'' की स्थापना की गयी थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर वर्ष 1946 में उपरोक्त दोनों विभागों को संविलियन कर प्रथम बार ''खाद्य एवं रसद विभाग'' की स्थापना की गयी तथा आयुक्त, नागरिक आपूर्ति एवं आयुक्त, राशनिंग को ''सचिव'' खाद्य एवं रसद विभाग के अधीन कर दिया गया। वर्ष 1947 में पुनः पुनर्गठन करते हुए सचिव एवं आयुक्त के पद को एक कर दिया गया। शनैः-शनैः विभाग के विस्तार एवं कार्यवृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए, ''विभागाध्यक्ष'' की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, विभागाध्यक्ष के पूर्णकालिक आयुक्त, खाद्य एवं रसद के पद का सृजन 20 अप्रैल, 1967 को किया गया, लेकिन उक्त व्यवस्था अगस्त 1967 को पुनः समाप्त कर दी गयी और आयुक्त के पद को पुनः सचिव के पद के साथ मिलाकर एक कर दिया गया।

वर्ष 1973 में पृथक रूप से खाद्य आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई, परन्तु सचिव एवं आयुक्त का पद एक ही रहा। अप्रैल, 1981 में खाद्य आयुक्त के स्थान पर अल्प अवधि के लिए निदेशक की तैनाती भी की गयी, परन्तु यह व्यवस्था भी जुलाई 1981 तक सीमित रही। तब से लगातार खाद्यायुक्त कार्यालय कार्यरत है। वर्ष 1997 से पृथक रूप से खाद्य आयुक्त के पद पर पूर्णकालिक तैनाती की गयी तथा उक्त व्यवस्था वर्तमान में भी प्रभावी है, जिसके अन्तर्गत विभागाध्यक्ष के रूप में ''खाद्य आयुक्त'' तथा शासन स्तर पर ''प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद'' कार्यरत हैं।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ की खरीद

(i) गेहूँ का समर्थन मूल्य एवं क्रय केन्द्र

वर्ष 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत सीधे किसानों से गेहूँ खरीद की व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गयी। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 1625 प्रति कु. निर्धारित किया गया। मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत 40 लाख मीट्रिक टन गेहूँ क्रय का न्यूनतम लक्ष्य रखा गया है, किन्तु कृषकों को मूल्य समर्थन योजना का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य को बढ़ाकर 80 लाख मी. टन गेहूँ क्रय का कार्यकारी लक्ष्य प्राप्त करने के सार्थक एवं प्रभावी प्रयास किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसके सापेक्ष दिनांक 15.06.2017 तक 36.99 लाख मी. टन गेहूँ क्रय किया गया। गेहूँ की खरीद हेतु प्रदेश में कुल 5105 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये।

(ii) एजेन्सीवार खोले गये क्रय केन्द्रों की संख्या, लक्ष्य एवं कुल गेहूँ खरीद का विवरण निम्नानुसार है–

रबी क्रय वर्ष 2017-18 में राज्य एजेन्सियों द्वारा खोले गये क्रय केन्द्र, एजेन्सीवार लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष कुल गेहूँ क्रय की स्थिति निम्नानुसार है –

(मात्रा लाख मी. टन में)

क्र. सं.	क्रय संस्था का नाम	क्रय केन्द्रों की संख्या	निर्धारित लक्ष्य	कुल खरीद
1.	खाद्य विभाग की विपणन शाखा (पंजीकृत सोसाइटी, मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसायटी)	812	11.00	8.20
2.	उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पी.सी.एफ.)	3070	24.00	17.69
3.	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं औद्योगिक निगम (यू.पी. एग्रो)	176	4.00	1.37
4.	उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ (यू.पी.एस.एस.)	189	5.00	0.86
5.	उ.प्र. कोऑपरेटिव यूनियन (पी.सी.यू.)	189	8.00	1.56
6.	उ.प्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एस.एफ.सी.)	101	3.00	0.89
7.	उ.प्र. कर्मचारी कल्याण निगम	144	5.00	1.35
8.	भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एन.सी.सी.एफ.)	93	4.00	0.97
9.	नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया लि. (नैफेड)	95	2.00	0.60
10.	नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्योरमेण्ट प्रोसेसिंग एण्ड रिटेलिंग को-ऑपरेटिव ऑफ इण्डिया लि. (नैकॉफ)	42	3.00	0.21
11.	एडवांस एग्रीकल्चर बॉयोलॉजिकल एण्ड कंज्यूमर डेवलपमेन्ट कोऑपरेटिव लि. (एडको)	10	0.50	0.04
12.	एग्रीकल्चर रिजेनरेशन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी लि. (एग्रीकाप)	17	0.50	0.17
	योग	**4938**	**70.00**	**33.91**
13.	भारतीय खाद्य निगम एवं प्राइवेट प्लेयर्स	167	10.00	3.08
	योग	**5105**	**80.00**	**36.99**

(iii) गेहूँ का संग्रह

रबी विपणन वर्ष 2017-18 प्रदेश में राज्य एजेन्सियों द्वारा दिनांक 15.06.2017 तक 33.91 लाख मी. टन तथा भा.खा.नि. द्वारा 3.08 लाख मी. टन कुल 36.992 लाख मी. टन गेहूँ क्रय किया गया। अभी तक 36.988 लाख मी. टन गेहूँ का भण्डारण भारतीय खाद्य निगम में किया गया। वर्ष 2010-11 से स्टेट पूल की समाप्ति के पश्चात् समस्त भण्डारण केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम में किया जा रहा है। विगत 10 वर्षों में वर्षवार क्रय किये गये तथा केन्द्रीय पूल में संग्रह किये गये गेहूँ का विवरण निम्नवत है–

(मात्रा लाख मी0 टन में)

क्र. सं.	रबी क्रय वर्ष	कुल क्रय	संग्रह की गयी मात्रा		योग
			स्टेट पूल	सेन्ट्रल पूल	
1.	2008-09	स्टेट एजेन्सी 19.20 भा0खा0नि0 12.16 **योग - 31.36**	15.73	15.61	**31.36**
2.	2009-10	स्टेट एजेन्सी 34.13 भा0खा0नि0 4.69 **योग - 38.82**	34.13	4.69	**38.82**
3.	2010-11	स्टेट एजेन्सी 16.21 भा0खा0नि0 0.24 **योग - 16.45**	स्टेट पूल समाप्त	भा0खा0नि0 6.82 रा0भ0नि0 9.63 **योग- 16.45**	**16.45**
4.	2011-12	34.61	-	34.61	**34.61**
5.	2012-13	50.63	-	50.50	**50.50**
6.	2013-14	6.83	-	6.81	**6.81**
7.	2014-15	6.28	-	6.28	**6.28**
8.	2015-16	22.67	-	22.67	**22.67**
9.	2016-17	7.97	-	7.97	**7.97**
10.	2017-18	**36.99**	-	**36.988**	**36.988**

(iv) गेहूँ की गुणवत्ता पर नियंत्रण एवं केन्द्रों का कोडीफिकेशन

गेहूँ की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गत वर्ष की भांति ही यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष प्रत्येक जनपद, क्रय एजेन्सी एवं क्रय केन्द्र का एक कोड नम्बर आवंटित कर दिया जाय, ताकि गेहूँ के क्रय, उसके संग्रह एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण के समय गेहूँ की गुणवत्ता में यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके। इस सम्बन्ध

में समस्त जिलाधिकारियों तथा समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों को विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये। केन्द्रीय पूल में सम्प्रदान किये गये गेहूँ के वितरण के समय किसी बोरे में यदि गेहूँ की गुणवत्ता एवं मात्रा में कमी पाई जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सम्बन्धित क्रय एजेन्सी तथा क्रय केन्द्र प्रभारी पर निर्धारित की जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त जनपदों को कोड नम्बर आवंटित किये गये।

(v) विगत 10 वर्षों एवं वर्तमान वर्ष में गेहूँ का उत्पादन क्षेत्रफल एवं उत्पादकता का विवरण

क्र. सं.	फसल वर्ष	विपणन वर्ष	क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)	उत्पादन (लाख मी. टन)	उत्पादकता (कु./हे.)
1.	2007-2008	2008-2009	93.99	263.12	27.99
2.	2008-2009	2009-2010	95.13	285.54	30.02
3.	2009-2010	2010-2011	97.32	277.77	28.54
4.	2010-2011	2011-2012	98.01	304.87	31.11
5.	2011-2012	2012-2013	97.93	321.50	32.83
6.	2012-2013	2013-2014	97.85	314.76	32.17
7.	2013-2014	2014-2015	98.39	314.93	32.01
8.	2014-2015	2015-2016	97.65	334.45	34.20
9.	2015-2016	2016-2017	97.39	325.00	33.40
10.	2016-2017	2017-2018	77.39	305.00	33.40

(vi) गेहूँ क्रय केन्द्रों की स्थापना

रबी विपणन वर्ष 2017-18 में प्रदेश में 04 किमी. के रेडियस अर्थात् प्रत्येक 08 किमी. की दूरी पर अनिवार्य रूप से एक क्रय केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था की गयी, जिसके लिए प्रदेश में कुल 5105 केन्द्र स्थापित किये गये।

(vii) गेहूँ के मूल्य का भुगतान

कृषकों को उनके गेहूँ के मूल्य का भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे कराने हेतु सभी संस्थाओं द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान किया गया। अन्य स्थानों पर जहां आर.टी.जी.एस. की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां 'पेयीज एकाउण्ट ओनली' की मुहर लगाकर चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। वर्ष 2017-18 में गेहूँ खरीद योजना में दिनांक 15.06.2017 तक कुल 800646 किसानों को रु. 6011.15 करोड़ का भुगतान किया गया।

(viii) कृषकों के हित में की गयी कार्यवाही

क्रय केन्द्रों पर कृषक बन्धुओं को सुविधा उपलब्ध कराने व निर्धारित गुणवत्ता का गेहूँ क्रय करने के उद्देश्य से कृषकों के गेहूँ की उतराई व छनाई में आने वाला व्यय रु. 10 प्रति कुं. कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा, किन्तु इस निमित्त कृषक को रु. 10 प्रति कुं की दर से आर.टी.जी.एस./एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से उसके बैंक एकाउण्ट में भुगतान क्रय एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। यह भुगतान

गेहूँ समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा। उतराई व छनाई के मद में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति क्रय एजेन्सियों को मण्डी परिषद द्वारा की जायेगी। किसानों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा टोल फ्री नं. 18001800150 स्थापित किया गया तथा उनकी सुख-सुविधा हेतु क्रय केन्द्रों पर पानी पीने की, बैठने की, छाया की व्यवस्था की गयी है। योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के लिए फ्लैक्सी बैनर, पर्चे व पोस्टर तथा इलेक्ट्रानिक व प्रिन्ट मीडिया का उपयोग किया गया।

(ix) ई-उपार्जन

रबी विपणन वर्ष 2017-18 में समस्त क्रय एजेन्सियां, पंजीकृत सहकारी समितियां, मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी, भारतीय खाद्य निगम व भारतीय खाद्य निगम के प्राइवेट प्लेयर्स, एन.आई.सी./भा.खा.नि. द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर ऑन-लाइन गेहूँ क्रय की प्रक्रिया अपनायी गयी। एन.आई.सी. के सहयोग से क्रय व्यवस्था से जुडे समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिलवाया गया। समस्त क्रय संस्थायें एवं पंजीकृत सहकारी समितियां एवं मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी अपने संसाधन से कम्प्यूटर/लैपटॉप, आईपैड, इन्टरनेट कनेक्शन व इस निमित्त अन्य आवश्यक आधारभूत व्यवस्थायें समय से की गयी।

2- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद

(i) श्रेणीवार धान का समर्थन मूल्य

कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीद की जाती है। धान को दो श्रेणियों- 1. कॉमन तथा 2. ग्रेड-ए में वर्गीकृत किया गया है, जिसका समर्थन मूल्य खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा श्रेणीवार निम्नवत् निर्धारित किया गया है–

क्रमांक	श्रेणी	धान का मूल्य (रु. प्रति कु.)
1.	सामान्य	रु.1550/-
2.	ग्रेड-ए	रु.1590/-

(ii) क्रय संस्थावार धान क्रय केन्द्रों की संख्या

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद हेतु खरीफ वर्ष 2017-18 में व्यापक प्रबन्ध किये गये। प्रदेश में निम्नलिखित क्रय संस्थाओं द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित संख्या में क्रय केन्द्र स्थापित कर धान खरीद का कार्य सम्पन्न कराया गया है। दिनांक 31.12.2017 तक क्रय धान की स्थिति निम्नवत है -

क्र. सं.	क्रय संस्था का नाम	क्रय केन्द्रों की संख्या	क्रय लक्ष्य (लाख मी.टन)	कुल खरीद (लाख मी.टन)
1.	खाद्य विभाग	867	14.00	12.80
2.	उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पी.सी.एफ.)	1381	13.00	6.07
3.	(यू.पी. एग्रो)	150	3.00	0.90
4.	(यू.पी.पी.सी.यू.)	241	4.00	3.23

5.	उ.प्र. आवश्यक खाद्य वस्तु निगम	89	3.00	0.91
6.	कर्मचारी कल्याण निगम	150	4.00	1.51
7.	(एन.सी.सी.एफ.)	70	1.00	0.67
8.	(नैफेड)	93	1.00	0.48
	योग	**3041**	**43.00**	**26.56**
9.	भारतीय खाद्य निगम	132	4.00	1.47
10.	भा.खा.नि. (प्राइवेट प्लेयर्स)	215	3.00	0.54
11.	**महायोग**	**3388**	**50.00**	**28.57**

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति शासनादेश सं. 03/2017/802/29-4-2017-5 (2)/2017 दिनांक 31.08.2017 द्वारा निर्गत है, जिसमें दिये गये प्रावधान के अनुसार धान की खरीद राजकीय क्रय केन्द्रों पर सीधे किसानों से नामित क्रय एजेन्सियों के माध्यम से की जा रही है।

(iii) क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुख-सुविधा हेतु व्यवस्था

क्रय केन्द्रों पर किसानों हेतु सुविधायें यथा– धान के मानक नमूने के प्रदर्शन, नमी मापक यन्त्रों की व्यवस्था, धान की सफाई हेतु पंखा/छन्ना की व्यवस्था एवं कृषकों एवं उनके पशुओं हेतु पेयजल की व्यवस्था आदि के भी निर्देश दिये गये हैं। इस वर्ष सभी क्रय केन्द्रों पर किसानों के हित में इलेक्ट्रानिक काँटे की व्यवस्था के निर्देश दिये गये हैं। विशेष प्रयास करके कई क्रय केन्द्रों पर पॉवर विनोवर की भी व्यवस्था की गयी है। छोटी मिलों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता का चावल उत्पादित न किये जाने के तथ्य को ध्यान में रखकर धान की कस्टम मिलिंग हेतु इस वर्ष 02 मी. टन से कम क्षमता वाली चावल मिलों से कुटाई न कराये जाने की व्यवस्था धान क्रय नीति में दी गयी है। किसानों की सुविधा के लिए टोल फ्री नं.–18001800150 स्थापित किया गया। किसानों को अपना धान सुविधानुसार प्रदेश में किसी भी केन्द्र पर बेचने की सुविधा प्रदान की गयी।

(iv) धान के मूल्य का भुगतान

कृषकों को उनके धान के मूल्य का भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे कराने हेतु यथासम्भव सभी संस्थाओं द्वारा जहाँ पर सी.बी.एस. बैंकिंग सुविधा उपलब्ध थी, वहां पर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान किया गया। अन्य स्थानों पर 'पेयीज एकाउण्ट ओनली' की मुहर लगाकर चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। वर्ष 2017-18 में धान खरीद योजना में दिनांक 31.12.2017 तक कुल 335867 किसानों को रु. 4434.29 करोड़ का भुगतान किया गया।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

● **खाद्यान्न/मिट्टी का तेल का मासिक आवंटन/वितरण स्केल :-**

आवश्यक वस्तु का नाम	आवंटन प्रतिमाह	वितरण स्केल
1	2	3
मिट्टी का तेल	73224 के.एल.	अन्त्योदय कार्डधारकों को 3.5 ली. प्रति कार्ड प्रति माह

		पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 02 ली. प्रति कार्ड प्रति माह
गेहूँ	475874.984 एम.टी.	अन्त्योदय कार्डधारकों को 20 किग्रा. प्रति कार्ड प्रति माह पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 03 किग्रा. प्रति यूनिट प्रति माह
चावल	324074.156 एम.टी.	अन्त्योदय कार्डधारकों को 15 किग्रा. प्रति कार्ड प्रति माह पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 02 किग्रा. प्रति यूनिट प्रति माह

● **प्रवर्तन कार्यवाही :-** प्रदेश में आर्थिक अपराधियों, मुनाफाखोरों व काला बाजारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए व्यवर्तन रोकने के प्रभावी प्रयास किये गये हैं।

● **रोस्टर व्यवस्था :-** खाद्यान्न एवं मिट्टी तेल के वितरण की सुनिश्चितता एवं इसे पारदर्शी बनाने के उद्‌देश्य से रोस्टर व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके प्रावधान निम्नवत् है :

(1) आवंटन माह को आधार मानते हुए 02 माह पूर्व माह के वितरण का अंतिम अवशेष अगले माह की 07 तारीख तक आपूर्ति शाखा द्वारा पोर्टल पर फीड कराया जाता है तथा इसी आधार पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी को रिलीज आर्डर हेतु आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा भारतीय खाद्य निगम से माह की 10 से 15 तारीख के मध्य रिलीज आर्डर प्राप्त कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में उठान की अधिकतम अवधि 50 दिन के अन्दर खाद्यान्न उठान का कार्य सुनिश्चित किया जाता है।

(2) जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा अवशेष खाद्यान्न का समायोजन करते हुए आवंटन माह के लिए रिलीज आर्डर में समाहित करते हुए मांग पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

(3) आपूर्ति शाखा द्वारा माह के वितरण अवशेष के आधार पर आवंटन माह हेतु दुकानदार आवंटन पूर्व माह की 07 तारीख तक अनिवार्यतः लॉक किया जायेगा, जिसके आधार पर उचित दर विक्रेताओं का ई-चालान जनरेट होगा एवं तद्‌नुसार राशन दुकानदारों से धनराशि रोस्टर के अनुसार माह की 20 तारीख तक जमा कराते हुए 21 तारीख से माह की अंतिम तिथि तक खाद्यान्न का निर्गमन किया जायेगा।

(4) रिलीज आर्डर की प्राप्ति, भारतीय खाद्य निगम से ब्लाक गोदाम को खाद्यान्न प्रेषण, ब्लाक गोदाम को प्रेषित खाद्यान्न की प्राप्ति एवं ब्लाक गोदाम से कोटेदार को खाद्यान्न का निर्गम समस्त कार्य ऑनलाइन फीड किये जाते हैं एवं एन.आई.सी. द्वारा सप्लाई चेन मेनेजमेन्ट के प्रत्येक लागिन पर सम्पादित किये जाने वाले कार्यों एवं फीडिंग का सारांश (रिपोर्ट) ऑनलाइन उपलब्ध करायी जाती है।

(5) उक्त व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि माह में वितरित होने वाला गेहूँ, चावल उचित दर विक्रेता की दुकानों पर माह की पहली तारीख से 04 तारीख तक सत्यापन हेतु एवं तदुपरान्त 05 तारीख से कार्ड धारकों को अनुसूचित वस्तुयें वितरण हेतु उपलब्ध रहेंगी।

(6) खाद्यान्न के ब्लाक गोदाम से उचित दर विक्रेता की दुकान तक पहुंचाने हेतु थ्री स्टेज चेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है।

● **त्रिस्तरीय चैंकिंग व्यवस्था :-** वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के उद्‌देश्य से त्रिस्तरीय चैकिंग व्यवस्था लागू की गयी है जिससे खाद्यान्न एवं मिट्टी तेल का हर स्तर पर सत्यापन हो सके तथा इसमें कोई व्यवर्तन न होने पाये।

खाद्यान्न	मिट्टी तेल
प्रथम स्टेज- खाद्यान्न के भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से ब्लाक स्तरीय/शहर गोदामों पर पहुँचने का सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी से कराया जाता है।	**प्रथम स्टेज-** ऑयल कम्पनी से मिट्टी तेल थोक विक्रेता के यहाँ टैंकर लोड के पहुँच/मात्रा का सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाता है।
द्वितीय स्टेज- ब्लाक/शहर गोदाम से उचित दर विक्रेता को खाद्यान्न की निकासी दिये जाने का शतप्रतिशत सत्यापन आपूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक/गोदाम प्रभारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित राजस्व/आपूर्ति कर्मी द्वारा किया जाता है।	**द्वितीय स्टेज-** थोक मिट्टी तेल विक्रेता के यहाँ से उचित दर विक्रेता को मिट्टी के तेल की निकासी आपूर्ति निरीक्षक द्वारा करायी जाती है।
तृतीय स्टेज- खाद्यान्न का उचित दर विक्रेता की दुकान पर पहुंच का शतप्रतिशत सत्यापन शहरी क्षेत्र में आपूर्ति निरीक्षक द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी नामित ग्राम स्तरीय अधिकारी यथा- ग्राम पंचायत अधिकारी/लेखपाल द्वारा वितरण माह की 01 से 04 तारीख तक प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाता है।	**तृतीय स्टेज-** उचित दर विक्रेता की दुकान पर मिट्टी तेल की पहुँच का शहरी क्षेत्र में आपूर्ति निरीक्षक द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिकारी/लेखपाल द्वारा सत्यापन किया जाता है।

● **पर्यवेक्षण अधिकारी की व्यवस्था -** वितरण व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दिनांक 10 अगस्त, 2007 से जनपदों में जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रतिमाह वितरण के लिये निश्चित तिथि पर प्रत्येक उचित दर की दुकान पर कैम्प कराकर वितरण सुनिश्चित कराने की व्यवस्था लागू की गयी है।

● **उचित दर दुकानदारों के लाभांश में वृद्धि -** शासनादेश संख्या- 331/29-6-2015-345 सा/12 दिनांक 01 अप्रैल 2016 उचित दर दुकानदारों का लाभांश रु. 70/- प्रति कुन्तल कर दिया गया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण योजना

भारत सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण योजना प्रदेश में वर्ष 2013 से लागू की गयी, जिसके अन्तर्गत किए गए कार्यों की प्रगति का वर्तमान संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :

1. **ऑनलाइन राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम -** प्रदेश स्तर पर वर्तमान में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत वर्तमान में चयनित समस्त अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के राशनकार्ड डाटा का शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

2. **उचित दर की दुकानों का डाटा डिजिटाइशन -** उचित दर दुकान का मास्टर डाटा पूर्ण किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत कुल प्रदेश की 80817 उचित दर दुकानों का डाटा डिजिटलीकरण कर दिया गया है।

3. ट्रान्सपेरेंसी पोर्टल की स्थापना - प्रदेश के खाद्य तथा रसद विभाग के पोर्टल पर जनसामान्य के साथ विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उचित दर विक्रेताओं के सुलभ सन्दर्भ हेतु उचित दर दुकानों, ब्लाक गोदामों, राशनकार्ड डाटा, शासनादेश, सम्पर्क सूत्र, आवश्यक वस्तुओं का आवंटन एवं उठान की सूचना, ई-चालान डाउनलोड फार्म, जिला शिकायत निवारण अधिकारी, विभिन्न स्तर पर गठित सतर्कता समितियों, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सम्बन्धी सूचनाएं आदि का विवरण उपलब्ध रहता है जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता रहता है।

4. ग्रीवेन्स रिड्रेसल मैकेनिज्म (शिकायत/समस्या निदान) हेतु कॉल-सेन्टर - लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थियों की शिकायतों हेतु कॉल सेन्टर की स्थापना की गयी है, जिसका टोल फ्री नं. 1800-180-0150 है। इसके अतिरिक्त कॉल सेन्टर टॉल फ्री नं. 1967 है। उपरोक्त नम्बरों पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को रिकार्ड किया जाता है तथा उन्हें निर्धारित वरीयता क्रम के अनुरूप चिन्हित कर अग्रिम निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर अग्रेषित किया जाता है।

5. ई-पॉस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की प्रगति - एफ.पी.एस. ऑटोमेशन को नगरीय क्षेत्रों में शासनादेश संख्या-922/29-6-2016-319सा/11टी.सी., दिनांक 23 जून, 2017 द्वारा तीन चरणों में लागू किए जाने के निर्देश दिए गए।

नगरीय क्षेत्र

◆ एफ.पी.एस. आटोमेशन के प्रथम तथा द्वितीय चरण के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र की समस्त 13131 उचित दर दुकानों में वितरण हेतु ई-पॉस स्थापित करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। माह जुलाई, 2017 से शहरी क्षेत्र की समस्त दुकानों से सम्बद्ध लाभार्थियों को आधार वेलिडेशन द्वारा खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है।

◆ माह दिसम्बर, 2017 में नगरीय क्षेत्र की समस्त उचित दर दुकानों के कुल 5836696 लाभार्थियों के सापेक्ष 5546329 को खाद्यान्न ट्राँजेक्शन ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया गया, जो 95.03 प्रतिशत है। उक्त कुल ट्राँजेक्शन के अन्तर्गत 3739599 आधार बेस्ड ट्राँजेक्शन सम्मिलित है, जो कुल ट्राँजेक्शन का 67.42 प्रतिशत है।

ग्रामीण क्षेत्र

◆ दिनांक 14 अगस्त 2017 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित एपेक्स कमेटी की बैठक में एफ.पी.एस. आटोमेशन के तृतीय चरण में ग्रामीण क्षेत्रों की 67000 से अधिक उचित दर दुकानों में ई-पॉस मशीनें स्थापित कर वितरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

◆ दिनांक 20.12.2017 को आयोजित एपेक्स कमेटी की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में एफ.पी.एस. ऑटोमेशन हेतु यू.पी. डेस्को के माध्यम से तैयार की गयी आर.एफ.पी. पर विचारोपरान्त शासन द्वारा दिनांक 01.02.2018 को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। उक्त के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही प्रगतिमान है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013

1. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-** 2013 सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 01 मार्च 2016 से लागू है।

2. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-** 2013 के अन्तर्गत दो श्रेणी के लाभार्थी प्राविधानित है- अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी। अन्त्योदन श्रेणी के लाभार्थियों को पूर्व की भाँति 35 किग्रा. (20 किग्रा. गेहूँ + 15 किग्रा. चावल) खाद्यान्न प्रतिमाह प्रति परिवार तथा पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को 05 किग्रा. (03 किग्रा. गेहूँ + 02 किग्रा. चावल) खाद्यान्न प्रति यूनिट प्रतिमाह की दर से वितरण कराया जा रहा है। दोनों श्रेणी के लाभार्थियों को गेहूँ रु. 2.00 प्रति किग्रा. एवं चावल रु. 3.00 प्रति किग्रा. की दर से वितरण कराया जा रहा है।

3. **जिला शिकायत निवारण अधिकारी-** प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति की हकदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में जिला शिकायत निवारण अधिकारी की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक जनपद में ऐसे अपर जिलाधिकारी, जिन्हें पी.डी.एस. का कार्य आवंटित नहीं है, उन्हें जिला शिकायत निवारण अधिकारी नामित किया गया है।

विधिक माप विज्ञान (बाट तथा माप) विभाग

बांट और माप के मानकों के निर्धारण, अन्तर्राज्यीय व्यापार में बाट-माप का नियंत्रण तथा वस्तुओं के तौल-माप में विक्रय या वितरण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 प्रख्यापित किया गया एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत विभिन्न नियमों तथा विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 आदि एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उ.प्र. विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के अधीन कार्य किया जाता है।

विधिक माप विज्ञान विभाग के प्रमुख कार्य

- उपभोक्ता के हित संरक्षण के दृष्टिगत व्यापारिक लेन-देन में प्रयुक्त होने वाले बाँट माप, तौलने मापने के उपकरणों के मानकीकरण हेतु सत्यापन/मुद्रांकन एवं नियत कालिक पुनः सत्यापन/ मुद्रांकन करना।
- विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्य, जिसमे अमानक बाट-माप तथा तौलने मापने के उपकरणों का प्रयोग, कम तौलना एवं मापना आदि पाये जाने पर उपरोक्त अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत चालान/अभिग्रहण करना।
- विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम- 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत पैकेज में रखी वस्तुओं पर वांछित घोषणाओं, पैकेज वस्तु की शुद्ध मात्रा, पैकेज पर अंकित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय आदि की जांच करना एवं अनियमितता पाये जाने पर नियमों के अन्तर्गत चालान/अभिग्रहण करना।
- उपरोक्तानुसार पकड़े गये मामलों में शमनीय मामलों को सम्बन्धित द्वारा शमन हेतु आवेदन करने पर विभागीय स्तर पर शमन कर निस्तारित करना, शमन द्वारा निस्तारित न कराये गये एवं अशमनीय मामलों को न्यायालय में दाखिल/निवेशित करना।

उपभोक्ता हेल्पलाइन

उपभोक्ताओं की सहायता के लिए भारत सरकार के तत्वावधान में विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की सहायता के लिए राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है, जिसका टोल फ्री सं.-1800 1800 300 है।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम

उ.प्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 22 अक्टूबर, 1974 को हुई थी, स्थापना के समय इस निगम को एक करोड़ की अधिकृत अंशपूँजी तथा 50 लाख रुपये की प्रदत्त अंशपूँजी स्वीकृत की गयी थी। वर्तमान में निगम की अधिकृत अंशपूँजी बढ़कर रुपया 5 करोड़ हो गयी है, जिसके विरुद्ध प्रदत्त अंशपूँजी भी रुपया 5 करोड़ हो गयी है तथा अंशपूँजी के विरुद्ध अग्रिम (आवेदन राशि) रुपया 733.86 लाख है।

- **गतिविधियाँ/कार्यकलाप**

निगम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना, खाद्यान्नों, तेलों, बीजों तथा अन्य कृषि उत्पादों की खरीद, भण्डारण, संचालन, वितरण तथा विक्रय करना एवं रबी/खरीफ क्रय योजना के माध्यम से किसानों को मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत उचित मूल्य दिलाना है, इसके साथ ही भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये इसी प्रकार के अन्य कार्यों को भी सम्पन्न करना इस निगम का अनुशांगिक उद्देश्य है।

वर्तमान में निगम द्वारा प्रदेश के 17 जनपदों- लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर-खीरी, पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा, बदायूँ, रामपुर, बिजनौर, रायबरेली, उन्नाव, अलीगढ़ एवं हाथरस में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, अन्त्योदय अन्न योजना एवं मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत गेहूँ, चावल तथा चीनी के उठान एवं स.स.ग. विक्रेताओं को वितरण किये जाने सम्बन्धी कार्य तथा शासन की मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ/धान की खरीद का कार्य प्रमुख रूप से किया जा रहा है इसके साथ ही लखनऊ में कुकिंग गैस की एक एजेन्सी का संचालन भी किया जा रहा है।

- **नीतिगत महत्त्वपूर्ण निर्णय**

निगम के निदेशक मण्डल द्वारा पारित निर्णय तथा निगम के आर्टिकिल्स ऑफ एसोसिएशन के अन्तर्गत उल्लिखित प्रावधानों के तहत निगम द्वारा संचालक मण्डल की बैठकों में आवश्यक निर्णय लिये जाते हैं ताकि निगम के कार्यकलापों को सुचारु ढंग से चलाया जा सके। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में राज्य सरकार के निर्णय/निर्देशानुसार एवं शासनादेशों के अनुसार महत्त्वपूर्ण कार्य निगम द्वारा किया जाता है। चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन है। अतः समय-समय पर शासन के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार निगम द्वारा कार्य किया जाता है।

- **व्यापारिक कार्यकलाप**

●● विगत चार वर्षों में निगम द्वारा किये गये टर्नओवर की स्थिति निम्नवत् है-

(अनन्तिम धनराशि लाख रु. में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18 (30.09.2017 तक)	वर्ष 2017-18 का लक्ष्य
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं अन्त्योदय योजनान्तर्गत खाद्यान्न/	127260.92	124715.50	87738.69	31130.28	72263.66

	चीनी की आपूर्ति का कार्य					
2.	मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत					
	(1) गेहूँ खरीद योजना	4569.37	7703.84	5033.38	15734.16	27884.25
	(2) धान खरीद योजना	3375.85	21518.20	10342.89	199.12	50297.84
3.	भोजन बनाने वाली गैस	279.23	331.75	317.79	168.72	477.55
4.	अन्य व्यापार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	135485.37	154269.29	103432.75	47232.28	150923.30

उक्त के अतिरिक्त निगम द्वारा

प्राथमिक विद्यालयों हेतु मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का उठान कर स.स.ग. विक्रेताओं को वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में निगम को खरीद के मद में कोई धनराशि अग्रिम के रूप में नहीं लगानी पड़ती है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 78297.00 मी. टन तथा वर्ष 2015-16 में 74418.00 मी. टन एवं वर्ष 2016-17 में 60481.00 मी. टन एवं वर्ष 2017-18 (30.09.17 तक) में 35148.00 मी. टन खाद्यान्न स.स.ग. विक्रेताओं को वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया।

●● विगत 4 वर्षों में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ एवं धान खरीद की स्थिति-

(अ) गेहूँ खरीद योजना (मात्रा मी. टन में/धनराशि लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2014-2015	वर्ष 2015-2016	वर्ष 2016-2017	वर्ष 2017-2018 (30.09.17 तक)
1.	खरीद लक्ष्य मात्रा	2,50,000	2,00,000	2,00,000	3,00,000
2.	गेहूँ क्रय मात्रा	30,624.92	51,185.96	29,393.94	89,214.51
3.	लक्ष्य के विरुद्ध खरीद का प्रतिशत	12.24%	25.59%	14.70%	29.74%
4.	क्रय मात्रा की धनराशि	4,397.99	7,703.84	4,818.76	14,497.35
5.	शुद्ध लाभ	234.55	332.49	179.52	265.88

(ब) धान खरीद योजना

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2014-2015	वर्ष 2015-2016	वर्ष 2016-2017	वर्ष 2017-2018 (30.09.17 तक)
1.	खरीद लक्ष्य मात्रा	1,25,000	1,00,000	1,50,000	3,00,000
2.	धान क्रय मात्रा	15,066.66	14,696.94	42,080.58	0
3.	लक्ष्य के विरुद्ध खरीद का प्रतिशत	12.05%	14.69%	28.05%	0
4.	क्रय मात्रा की धनराशि	2,101.81	21,518.19	9,849.79	0
5.	शुद्ध लाभ	62.74	83.11	258.05	0

●● सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 (30.09.2017 तक) में किये गये

व्यवसाय के आवंटन, जमा एवं उठान की स्थिति-

(मात्रा मी. टनों में)

क्र.	वस्तु का नाम	आवंटन	जमा	उठान
1.	चीनी	0	0	0
2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
	गेहूँ	662260.644	210959.821	655862.853
	चावल	441507.096	140634.175	437387.815
3.	अन्त्योदय अन्न योजना			
	गेहूँ	119542.680	45825.907	45285.617
	चावल	89657.010	33963.757	33963.757
4.	मध्याह्न भोजन योजना गेहूँ/चावल	35148		35148

●● भोजन बनाने वाली गैस

निगम द्वारा जनपद लखनऊ में भोजन बनाने वाली गैस का व्यवसाय किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2017-18 (30.09.2017 तक) में सिलेन्डरों की औसत मासिक बिक्री में 4477 सिलेण्डर हुई है। गैस सिलेण्डरों की बिक्री के साथ-साथ इकाई को और अधिक लाभप्रद स्थिति में लाने के लिए गैस से संबंधित उपकरण भी बाजार से कन्साइनमेंट बेसिस पर क्रय कर बिक्री की जा रही है।

● व्ययों में मितव्यता

निगम द्वारा व्ययों की समीक्षा प्रत्येक माह होने वाली मासिक बैठकों में की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-2018 में निगम द्वारा अपने आय-व्यय बजट में व्यापारिक व्ययों के मदों में रु. 15961.61 लाख तथा प्रशासनिक व्ययों के मद में रु. 3498.19 लाख कुल रु. 19459.80 लाख का प्रावधान निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष्य वर्ष 2017-2018 (30.09.2017 तक) में व्यापारिक व्यय रु. 3570.48 लाख एवं प्रशासनिक व्यय में रु. 1358.28 लाख कुल रु. 4928.76 लाख का व्यय हुआ इस प्रकार प्राविधानित व्यय के सापेक्ष्य 25.33 प्रतिशत का व्यय हुआ।

● कर्मचारी कल्याण योजना

कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारी को रु. 6,02,000/- का भुगतान होता है, इस योजना में कर्मचारी, अधिकारी से कोई धनराशि नहीं ली जाती है। सेवा के दौरान मृत्यु के समय रु. 10,000/- निगम की ओर से मृतक के आश्रितों को तात्कालिक सहायता दी जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम

निगम की स्थापना का उद्देश्य

1. राज्य कर्मचारियों एवं उनके परिवार की दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं डिपो (स्टोर्स) स्थापित कर उनके माध्यम से बाजार भाव से अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना।

2. राज्य कर्मचारियों को कार्यालय प्रांगण में जलपानगृह खोलकर साफ तथा स्वच्छ वातावरण में बाजार के सापेक्ष सस्ती दरों पर चाय, काफी, मीठा, नमकीन, बिस्कुट, लंच पैकेट एवं शीतल पेय पदार्थ उपलब्ध कराना।

●

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा 31.03.2014 के स्थिति पत्रक एवं तद्दिनांक को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लाभ हानि खाते पर टिप्पणियाँ उनके एक भाग को निर्मित करती हैः-

अ. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. सामान्य

अनिवार्य लेखांकन मानकों का, जहाँ तक वे लागू होते हैं सभी तरह से पालन करते हुए वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं। वित्तीय विवरण अर्जन के आधार पर हिस्टोरीकल कास्ट कनवेंशन के अधीन तैयार किये गये हैं। लेखा नीतियाँ निगम द्वारा स्थिरतापूर्वक लागू की गई हैं, सिवाय लेखानीतियों में उन परिवर्तनों के जिनका आगे उल्लेख किया गया है, ये पूर्व वर्षों की लेखा नीतियों के अनुरूप हैं।

2. अनिश्चित दायित्व

इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत लेखांकन मानक 29 के अनुसार (प्रावधान अनिश्चित दायित्व एवं अनिश्चित सम्पत्तियाँ) निगम द्वारा पूर्व की घटनाओं के परिणामों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वैधानिक देयता के आधार पर जहाँ आर्थिक लाभ के रूप में उचित तर्कों पर आधारित अनुमानित राशि का तय किया जाना आवश्यक हो तो प्रावधान किया जाता है।

3. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को जी0ए0ए0पी0 (जनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिंग पॉलिसीज) की आवश्यकतानुसार तैयार करने के लिए उक्त विवरणों को प्रभावित करने वाले प्रतिवेदित अवशेषों की उसी अवधि की आय एवं व्ययों की प्रतिवेदित धनराशियों के सम्बन्ध में निगम को कुछ मदों के लिये अनुमान एवं कल्पनाएं करनी होती हैं, ऐसे अनुमानों के उदाहरण में संदिग्ध धनराशियों के सम्बन्ध में प्रावधान, कार्मिक सेवा निवृत्त लाभ के अन्तर्गत भावी दायित्व, आयकर तथा सम्पत्तियों का उपयोगी जीवन आदि सम्मिलित हैं।

निगम समय-समय पर आन्तरिक एवं वाह्य साधनों का प्रयोग करते हुए यह निर्धारण करता है कि कोई सम्पत्ति निष्प्रयोज्य होने की स्थिति में तो नहीं आने वाली है। सम्पत्ति निष्प्रयोज्य तब होती है जब उसका धारित मूल्य उक्त सम्पत्ति के निरन्तर प्रयोग से और उसके अन्तिम डिस्पोजल मूल्य से भावी रोकड़ प्रवाह के मूल्य से अधिक बढ़ जाना सम्भावित होता है। निष्प्रयोजन से होने वाली क्षति का निर्धारण सम्पत्तियों के शुद्ध विक्रय मूल्य से लेखों में दर्शाए जा रहे मूल्य की अधिकता में अन्तर से होता है, अनिश्चित देयताओं का लेखांकन तभी किया जाता है जब दायित्व बनने की सम्भावना होती है तथा धनराशि का अनुमान तर्कसंगत ढंग से लगाया जा सकता है। वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

4. आय सुनिश्चितीकरण

1. विक्रय मूल्य में कर एवं ड्युटीज सम्मिलित नहीं हैं तथा छूट एवं वापसी आदि के समायोजनोंपरान्त

लेखों में लिये जाते हैं।

2. आय उसी सीमा तक लेखों में ली जाती है, जहाँ तक आर्थिक लाभ निगम को मिलने की सम्भावना होती है तथा आय का आंकलन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है।

3. आय का निर्धारण माल के स्वामित्व का महत्त्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल, क्रेता को सौपे जाने पर किया जाता है।

4. ब्याज की आय निर्धारण, वसूली योग्य धनराशि, ब्याज की दर एवं समयावधि के आधार पर किया जाता है।

5. स्थाई सम्पत्तियाँ एवं मूल्य ह्रास्य

1. स्थाई सम्पत्तियों का लेखांकन लागत पर (या पुनर्मूल्यांकित धनराशि, जैसी आवश्यकता हो) संचित मूल्य ह्रास्य तथा निष्प्रयोज्य वस्तुओं की क्षति को घटाकर किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य तथा उक्त सम्पत्ति को प्रयोग में लाने योग्य बनाने सम्बन्धी लागत सम्मिलित होती है। स्थाई सम्पत्ति को प्राप्त करने में आई वित्तीय लागत में लेखांकन मानक 10 के अनुसार उस अवधि से सम्बन्धित लागत भी सम्मिलित की जाती है, जिसमें वह स्थाई सम्पत्ति प्रयोग के लिए तैयार की जाती है। भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स संस्थान द्वारा निर्गत लेखांकन मानक (ए0एस0 28- इम्पेयरमैंट ऑफ एसेट्स) में दिये गये संकेतों के अनुसार निगम प्रत्येक वर्ष के अंत में यह सुनिश्चित करता है कि उसकी स्थाई परिसम्पत्तियों में जहाँ वसूली योग्य धनराशि उक्त स्थाई परिसम्पत्ति के धारित मूल्य से कम हो, निष्प्रयोज्यता सम्बन्धी क्षति के लिये प्रावधान किये जायें।

   कैश जनरेटिंग यूनिट्स के निष्प्रयोज्य होने सम्बन्धी कोई संकेत निगम के समक्ष नहीं है। अतः निष्प्रयोज्य सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई प्रावधान वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।

2. स्थाई सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास्य कम्पनी एक्ट की शेड्यूल (कम्पनी एक्ट) में दी गई दरों के आधार पर लगाया गया है। सितम्बर तक क्रय की गई/बढ़ने वाली सम्पत्तियों पर पूरे वर्ष का मूल्य ह्रास्य लगाया गया है जबकि वर्ष के द्वितीय अर्ध में हुई सम्पत्ति वृद्धि पर साधारण मूल्य ह्रास्य का आधा मूल्य ह्रास्य लगाया गया है। स्वनिर्मित गोदामों, कार्यालय भवनों, शीतगृह, फ्यूमीगेशन कवर्स एवं डनेज पोल्स पर मूल्य ह्रास्य स्ट्रेटलाइन मैथेड से लगाया गया है, शेष सभी सम्पत्तियों पर रिटिन डाउन वैल्यूमैथेड से मूल्य ह्रास्य लगाया गया है।

   गोदामों के निर्माण हेतु प्राप्त सब्सिडी उन गोदामों के निर्माण लागत से घटाकर दिखाई जाती है तथा सब्सिडी समायोजन के पश्चात् ही मूल्य ह्रास्य लगाया जाता है।

(ए) मल्टीलेयर्ड क्रॉस लेमिनेटेड कवर्स तथा पॉलीथीन कवर्स के मामले में मूल्य ह्रास्य निर्गम करने वाले वर्ष में 50 प्रतिशत की दर से तथा शेष 50 प्रतिशत आगामी वर्ष मे चार्ज किया जाता है।

(बी) पटेरा चटाइयों तथा पॉलीथीन रोल्स/शीट्स का प्रयोग किये जाने वाले वर्ष में 100 प्रतिशत मूल्य ह्रासित किया जाता है।

(सी) कार्यालय भवन में स्थापित लिफ्ट कार्यालय भवन का ही भाग मानी गयी है अतः मूल्य ह्रास्य तद्नुसार चार्ज किया जाता है।

3. लीज होल्ड भूखण्डों का मूल्य लीज की अवधि में निपेक्षित किया जाता है।

6. रहतिया (क्लोजिंग स्टाक का मूल्यांकन)

अन्तिम स्टाक को सम्बन्धित भण्डारगृह प्रभारियों एवं अनुभाग प्रभारियों द्वारा प्रमाणित किए गए शेषों के अनुसार लागत के आधार पर दर्शाया जाता है तथा उपभोग का मूल्यांकन 'प्रथम आगत प्रथम निर्गत' पद्धति के आधार पर किया जाता है।

●

समाज कल्याण

समाज कल्याण विभाग का मूल उद्देश्य वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्बल वर्गों के चतुर्दिक विकास की योजनायें बनाना एवं उनको उक्त वर्ग के हितार्थ क्रियान्वित करना है।

शिक्षा, व्यक्ति अथवा समाज की उन्नति की कुंजी है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जातियों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना का संचालन इन वर्गों के लिए किया जा रहा है। प्राइमरी स्तर से स्नातकोत्तर स्तर, प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु समाज कल्याण विभाग अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

छात्रवृत्ति प्रदान करने के साथ-साथ इन निर्बल वर्गों के छात्रों को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु जिला मुख्यालयों पर छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन भी इसी उद्देश्य विशेष की कड़ी के रूप में समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि अत्यन्त निर्धन परिवार जो अपने प्रतिदिन की भोजन व्यवस्था करने में असमर्थ एवं अनिश्चित भविष्य के शिकार होते हैं, ऐसे परिवारों के बच्चों हेतु समाज कल्याण विभाग, आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन करता है। इन विद्यालयों में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ भोजन, कपड़ा एवं आवास भी राज्य सरकार उपलब्ध कराती है।

विभाग के मूल उद्देश्य, कार्यक्रम एवं उपलब्धियाँ

वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सेक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/विमुक्त जातियों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिन्हें मुख्यतः शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि सदियों से पिछड़े व उपेक्षित, असहाय एवं दुर्बल लोगों का जीवन स्तर इस योग्य बनाया जा सके कि वे भी समाज के अन्य विकसित एवं उन्नत लोगों की बराबरी के स्तर पर आ सकें तथा खुशहाली का जीवन व्यतीत करने के लिए उन सभी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति उन्हें की जा सके, जिसके लिए वे स्वतन्त्र भारत के नागरिक होने के नाते प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में छात्रवृत्ति योजना, बुक-बैंक योजना, विद्यालयों को अनुदान, राजकीय आश्रम पद्धति, विद्यालयों एवं छात्रावासों की स्थापना तथा उत्पीड़न की घटनाओं में आर्थिक सहायता एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिया जाना मुख्य है। अनुसूचित जाति सब-प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वतः

रोजगार योजना, निःशुल्क भूमि/दुकान निर्माण/अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं के विकास की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा निःशुल्क बोरिंग भी संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा विभागीय निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जातियों एवं विमुक्ति जातियों के कल्याण हेतु अनुदान संख्या-80 के लेखा शीर्षक 2225 के राजस्व लेखा में रु. 108621.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है। अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक 2225 के राजस्व लेखा में रु. 178977.94 लाख, लेखा शीर्षक 4225 पूँजी लेखा में रु. 15290.40 लाख तथा लेखा शीर्षक 6225 में रु. 400.40 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश को सम्मिलित करते हुए अनुदान संख्या-80 में रु. 66244.85 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में रु. 128745.00 लाख कुल रु. 194989.85 लाख छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत समाज कल्याण निदेशालय का प्रशासनिक ढांचा

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन हेतु प्रशासनिक ढांचे की रूप-रेखा निम्नवत् है :

निदेशालय स्तर पर एक निदेशक के नियंत्रण में अपर निदेशक, वित्त नियंत्रक, संयुक्त निदेशक, वरिष्ठ लेखाधिकारी, उप निदेशक, समाज कल्याण अधिकारी, मुख्यालय एवं सम्परीक्षा अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, छात्रवृत्ति अधिकारी नोडल द्वारा प्रदेश में चल रही योजनाओं के कार्य को सम्पादित किया जाता है। मण्डल स्तर पर उप निदेशक, समाज कल्याण तथा जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) व जिला समाज कल्याण अधिकारी विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन हेतु नियुक्त हैं, जो मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी के नियंत्रण एवं देख-रेख में अपना कार्य सम्पन्न करते हैं। योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर विभिन्न स्तर पर समीक्षा बैठकों एवं निरीक्षण आदि के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

ई गवर्नेन्स की प्रगति

समाज कल्याण विभाग में ई गवर्नेन्स की कार्य प्रणाली के अन्तर्गत कार्य किये जा रहे हैं। इस क्रम में छात्रवृत्ति तथा पेंशन की धनराशि कम्प्यूटर के माध्यम से जनपदों तथा लाभार्थियों के खाते में स्थानान्तरित की जाती है। इसके अन्तर्गत दैनिक कार्य-कलापों में अधिकांशतः कम्प्यूटर का उपयोग किया जाता है। समाज कल्याण विभाग में मुख्यालय स्तर/मण्डल/जनपद स्तर पर कम्प्यूटर द्वारा छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को दिये जाने की कार्यवाही की जाती है, इसके लिए डोयेक संस्था से मुख्यालय/मण्डल एवं जनपद स्तर पर कम्प्यूटर ऑपरेटरों की व्यवस्था की गयी है। योजनाओं की वित्तीय भौतिक प्रगति लक्ष्य का अंकन कम्प्यूटर में किया जा रहा है, जिसका अनुश्रवण भी हो रहा है।

पारदर्शिता

विभाग द्वारा संचालित योजना में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु छात्रवृत्ति वितरण हेतु परिवर्तित विकेन्द्रीकृत की प्रक्रिया लागू की गयी है।

शैक्षिक कार्यक्रम

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित करने एवं उन्हें समाज में प्रतिष्ठापरक स्थान दिलाने के उद्देश्य से इन वर्गों के बालक/बालिकाओं को प्रत्येक स्तर पर छात्रवृत्ति दिये जाने की योजना संचालित की जा रही है। योजना के प्रारम्भ में छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण का कार्य जनपद स्तर पर किया जाता था किन्तु अक्टूबर 1991 में इस प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करते हुए विद्यालय को स्वीकृति एवं छात्रवृत्ति वितरण हेतु अधिकार प्रदान किया गया। कालान्तर में संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु तथा छात्रवृत्ति वितरण कार्य/उत्तरदायित्व भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में कक्षा-1 से 8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण का अधिकार ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति को सौंप दिया गया था। वर्तमान में कक्षा 1 से 8 योजना समाप्त कर दी गयी है।

छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार दूर करने तथा समस्त पात्र लाभार्थियों को त्वरित गति से लाभ पहुँचाने हेतु छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली की सम्पूर्ण प्रक्रिया का शैक्षिक सत्र 2007-08 से कम्प्यूटरीकरण किया गया। उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2207/26-3-2012-4(358)/07-टी0सी0-2, दिनांक 26.09.2012 के द्वारा प्रदेश में वितरित की जा रही समस्त छात्रवृत्तियों को निर्धारित समयान्तर्गत वितरण करने एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 जारी की गयी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली (तृतीय संशोधन) दिनांक 14.04.2016 जारी की गयी है। वर्तमान में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) साफ्टवेयर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि अंतरित की जा रही है।

कक्षा 9 से 10 एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति सम्बन्धी अर्हता का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है एवं वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा 2,00,000/- रुपये वार्षिक अभिभावकों की आय सीमा वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की सीमा निर्धारित है। कक्षा 9 से 10 तक पूर्वदशम छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत् हैं :

	कक्षा 9 से 10 मासिक दर
अनुसूचित जाति/	**अनावासीय छात्रों हेतु** रु. 150/- प्रतिमाह (10 माह हेतु) तथा रु. 750/- एक मुश्त अनुदान **आवासीय छात्रों हेतु** रु. 350/- प्रतिमाह (10 माह हेतु) रु. 1000/- एक मुश्त अनुदान

दशमोत्तर कक्षाओं में काशनमनी एवं इस प्रकार के ऐसे समस्त शुल्क जो संस्था में पढ़ने वाले छात्रों को संस्था द्वारा वापस किये जाते हैं, को छोड़कर शेष समस्त राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित शुल्कों की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा छात्रों को की जाती है। शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति योजना का ही अंग है एवं उसी

मद से ही इसका भुगतान होता है। वर्ष 2013-14 से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों द्वारा अनिवार्य ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।

पूर्वदशम कक्षा 9 व 10 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति

कक्षा 9-10 अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इसमें शत प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था केन्द्र सरकार के माध्यम से वर्ष 2012-13 से सुनिश्चित हो रही है। वित्तीय वर्ष 2012-13 से कक्षा 9 व 10 के अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की जिनके माता/पिता, अभिभावक की वार्षिक आय रु. 2.00 लाख तक है, उन्हें छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से जारी शासनादेश संख्या-966, दिनांक 20.06.2014 के क्रम में छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गयी है। शासनादेश संख्या-1539/26-3-2014-4(215)/90-टी0सी0-1, दिनांक 10.09.2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 से पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि अंतरित की जा रही है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 18675.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 18675.00 लाख का प्रावधान है।

अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति

अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 100.00 लाख का प्रावधान था तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 100.00 लाख का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु. 2.00 लाख (रु. दो लाख मात्र) तक है, उन्हें उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 से दिनांक 14.04.2016 व समय-समय पर संशोधित नियमावली के अनुसार निम्नानुसार छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था की गई है। इस नियमावली के अनुसार छात्र/छात्राओं को अनुमन्य अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि शैक्षणिक संस्था के समीपस्थ स्थित बैंक में खोले गये उनके बचत खाते में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंतरित की जा रही है।

क्र.सं.	ग्रुप का नाम	छात्रवृत्ति की दरें	
		अनावासीय	छात्रावासी
1	2	3	4
1	ग्रुप-1	550/-	1200/-
2	ग्रुप-2	530/-	820/-
3	ग्रुप-3	300/-	570/,-
4	ग्रुप-4	230/-	380/-

बुक-बैंक योजना

50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को अध्ययन की सुविधा हेतु कोर्स की अनिवार्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1978-79 से बुक-बैंक की योजना प्रारम्भ की गई। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 0.03 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 0.01 लाख का प्रावधान था तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 0.01 लाख का प्रावधान है।

अनावर्ती सहायता

चिकित्सा, इंजीनियरिंग की डिग्री कक्षाओं तथा पालीटेक्निक में छात्रवृत्ति प्राप्त अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पुस्तकें तथा उपकरणों के क्रय हेतु अनावर्ती सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 25.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 0.00 लाख का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मेरिट उच्चीकृत छात्रवृत्ति दिये जाने की केन्द्र पुरोनिधानित योजना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को रेमिडियल कोचिंग प्रदान करके उनके शैक्षिक अवरोधों को दूर करने के उद्देश्य से यह योजना प्रदेश के 6 जनपदों इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, आगरा, मुरादाबाद के राजकीय इण्टर कालेजों में वर्ष 1988-89 में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हैं। विभाग को शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। इसके अन्तर्गत प्रति छात्र रु. 15000/- वार्षिक छात्रवृत्ति तथा प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं 4 अध्यापकों को शिक्षण हेतु रु. 10000/- वार्षिक मानदेय दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 120.00 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 120.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 120.00 लाख का प्रावधान है।

प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें

प्रदेश के समस्त राजकीय प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति के आवासीय विद्यार्थियों को 60 रुपये तथा अनावासीय छात्रों को 50 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से प्रवेश की तिथि से पूरे वर्ष की छात्रवृत्ति विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 0.01 लाख का प्रतीक प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 0.00 लाख का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के नवयुवकों को तकनीकी ज्ञान कराने हेतु विभाग द्वारा निम्न औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं एक पालीटेक्निक संचालित हैः

1. गोविन्द वल्लभ पन्त पालीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ।
2. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
3. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, लाल डिग्गी पार्क, गोरखपुर।

उपरोक्त केन्द्र राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रशिक्षण की अवधि

व्यवसाय के अनुसार अलग-अलग है। उपरोक्त संस्थाओं के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 687.50 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 689.94 लाख का प्रावधान था, तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 765.78 लाख का प्रावधान है।

विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार

ऐसे संगठन जो अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में गहरी रुचि लेते हैं और प्राइमरी पाठशालाओं को संचालित कर शिक्षा देते हैं, उन्हें शासन की वित्तीय स्थिति तथा नीतियों के अनुसार आवर्तक अनुदान दिया जाता है। ऐसी संस्थायें जो अनुसूचित जाति में शिक्षा के प्रसार हेतु वाचनालयों/पुस्तकालयों एवं छात्रावासों की भी सुविधायें देते हैं, उन्हें ही अनुदान दिया जाता है।

अनुदान के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या 50 प्रतिशत से कम न हो।

आवर्तक अनुदान प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं में अनुमन्य अध्यापकों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार वेतन के समतुल्य धनराशि प्रत्येक वर्ष आवर्तक अनुदान के रूप में प्रदान की जाती हैं। आवर्तक अनुदान पर अनुदानित छात्रावासों/पुस्तकालयों को आवर्तक व्यय की मदों पर नियमानुसार देय धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में दी जाती है।

(1) श्री छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, लखनऊ

यह केन्द्र वर्ष 1997 से संचालित है। इसकी क्षमता 300 प्रशिक्षार्थियों की है, जिसमें 50 प्रतिशत पिछड़ी जाति, 45 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी होते हैं।

(2) आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (बालिका), अलीगंज, लखनऊ

यह केन्द्र वर्ष 1994 से स्थापित है। इसकी क्षमता 150 प्रशिक्षार्थियों की है, जिसमें 50 प्रतिशत पिछड़ी जाति, 45 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी होते हैं। इस प्रशिक्षण केन्द्र में अब तक आई0ए0एस0, पी0सी0एस0, न्यायिक सेवा एवं अधीनस्थ सेवा में 1016 अभ्यर्थी प्रशिक्षित होकर प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले चुके हैं, जिसके सापेक्ष 35 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं।

(3) न्यायिक सेवा प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद

यह केन्द्र वर्ष 1979 में प्रारम्भ हुआ है। इस केन्द्र की क्षमता 50 अभ्यर्थियों की है। केन्द्र से अब तक न्यायिक सेवा हेतु 419 अभ्यर्थी प्रशिक्षण ले चुके हैं एवं 42 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं।

(4) सन्त रविदास आई.ए.एस., पी.सी.एस. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, वाराणसी

केन्द्र का संचालन अगस्त 2008 से प्रारम्भ हुआ है। इसकी क्षमता 200 अभ्यर्थियों की है तथा यह केन्द्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए संचालित है।

(5) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आई.ए.एस., पी.सी.एस. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगढ़

अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थियों हेतु केन्द्र का संचालन 15 दिसम्बर, 2009 से प्रारम्भ हुआ है। इस केन्द्र की क्षमता 200 अभ्यर्थियों की है। अब तक आई.ए.एस., पी.सी.एस. परीक्षा हेतु 120 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(6) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आई.ए.एस., पी.सी.एस. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा

अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु संचालित इस केन्द्र का संचालन 25 जनवरी, 2010 से प्रारम्भ हुआ है। इसकी क्षमता 200 अभ्यर्थियों की है। अब तक आई.ए.एस., पी.सी.एस., परीक्षा हेतु 182 अभ्यर्थी प्रशिक्षण ले चुके हैं।

(7) आई.ए.एस., पी.सी.एस. कोचिंग केन्द्र निजामपुर हापुड़, गाजियाबाद

इस केन्द्र का संचालन वर्ष 2010-11 से प्रारम्भ किया गया है। यह केन्द्र अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थियों के लिए है। केन्द्र में 200 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जिसमें 120 पुरुष अभ्यर्थी तथा 80 महिला अभ्यर्थी हैं।

(8) विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र 01 अप्रैल, 1986 से लालगंज, प्रतापगढ़ में चलाया जा रहा है। इस केन्द्र में विमुक्त जातियों को तीन व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता हैः-

1. हैण्डलूम से सूती वस्त्रों की बुनाई,
2. सिलाई का प्रशिक्षण,
3. हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण।

प्रत्येक ट्रेड में 15-15 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान 150 रु. प्रति माह की दर से प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 32.41 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 32.44 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 34.87 लाख का प्रावधान है।

प्रदेश के अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा राजकीय औद्योगिक आस्थानों का संचालन

प्रदेश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा 09 जनपदों– 1. रामपुर, 2. गाजीपुर, 3. फतेहपुर, 4. हरदोई, 5. रानोपाली (फैजाबाद), 6. कालपी (जालौन), 7. मुजफ्फरनगर, 8. रामनगर (वाराणसी) एवं 9. बदायूं में औद्योगिक आस्थान संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 117.14 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 117.67 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 126.40 लाख का प्रावधान है।

राजकीय उन्नयन बस्तियों का रख-रखाव

वर्ष 1924 में ब्रिटिश काल में घोषित अधिनियम के अंतर्गत अपराधी जातियों को बसाने के उद्देश्य से उन्नयन बस्तियों की स्थापना की गयी। स्वतन्त्रता के बाद उन्हें अन्य नागरिकों की भांति स्वतन्त्र कर दिया गया। इनको भूमि तथा कारखाने में कार्य दिलाकर बसाया गया है ताकि वे अपनी प्रवृत्ति को बदल कर कार्य करें एवं रोजी-रोटी में लग कर आदर्श नागरिक के रूप में जीवन-यापन कर सकें।

कल्याणपुर (कानपुर), फजलपुर (मुरादाबाद) तथा साहबगंज (लखीमपुर खीरी) में उपनिवेश बनाकर इस जाति के लोगों को रोजगार एवं खेतीबारी में लगाकर पुनर्वासित किया गया है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 222.20 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 223.14

लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 239.56 लाख का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 4,13,57,608 है। इन जातियों के प्रति सामान्य अस्पृश्यता/छुआछूत की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत उत्पीड़ित अनुसूचित जाति सहायता विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की घटनाओं में न्यूनतम रु. 90,000/- से अधिकतम रु.8.25 लाख की आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों का संचालन

प्रदेश में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, पिछड़ी जाति एवं सामान्य वर्ग के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों की स्थापना की गयी है।

वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा 66 विद्यालय बालकों हेतु तथा 27 विद्यालय बालिकाओं हेतु कुल 93 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय संचालित हैं। इनमें से 35 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों का सी.बी.एस.ई. बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धीकरण कराया जा चुका है। सभी विद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा, यूनिफार्म, अवकाश आदि की एकरूपता के उद्देश्य से ''परिप्रेक्ष्य शैक्षिक योजना 2017-18'' लागू किया गया है तथा शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं आधुनिकतम रूप से कराये जाने हेतु स्मार्ट-क्लासेस की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त शत-प्रतिशत अनुदान पर संचालित स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 3 विद्यालय भी संचालित हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अनूसूचित जाति छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों का संचालन

1. अपने घर से दूर रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की आवासीय समस्या के निदान हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावासों का निर्माण कराया जाता है। इन छात्रावासों में छात्रों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था, फर्नीचर, विद्युत की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। भोजन बनाने के लिए रसोइयाँ, कहार तथा सफाई के लिए स्वच्छकार की व्यवस्था शासकीय व्यय पर की जाती है परन्तु भोजन आदि पर आने वाला व्यय छात्रों को स्वयं वहन करना होता है।
2. समाज कल्याण विभाग द्वारा कुल 252 छात्रावास निर्मित कराये गये हैं। 225 छात्रावास संचालित हो रहे हैं, अवशेष 27 छात्रावासों को संचालित करने की कार्यवाही की जा रही है।
   इसके अतिरिक्त प्रदेश के जनपदों में नये छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है।

अनूसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान की व्यवस्था

यह योजना अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु विभाग द्वारा संचालित है। शासनादेश संख्या- 46/2016/889/26-3-2016, दिनांक 16.03.2016 द्वारा शहरी क्षेत्र में पात्रता हेतु रु. 56460/- तथा ग्रामीण क्षेत्र में पात्रता हेतु रु. 46080/- वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गयी

है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी हेतु रु. 20000/- की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क बोरिंग योजना

निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति गरीबी की रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेतों में बोरिंग कराई जाती है। योजनान्तर्गत अनुदान की अधिकतम सीमा बुन्देलखण्ड तथा झांसी मण्डल के जनपदों में बोरिंग की वास्तविक लागत या अधिकतम रु. 7500/- जो भी कम हो तथा अन्य जनपदों में रु. 6000/- प्रति बोरिंग निर्धारित है। अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त व्यय भार लाभार्थी/कृषक द्वारा स्वयं वहन किये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत जिन कृषकों के खेतों में बोरिंग कराई जाती है, उन्हें उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना/एकीकृत तथा ग्राम्य विकास परियोजना के अन्तर्गत/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से वित्त पोषित पम्पसेट योजना के अन्तर्गत पम्पसेटों के क्रय हेतु वित्त पोषित भी कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लघु सीमान्त कृषकों को वर्तमान में अनुमन्य अनुदान रु. 6000/- को बढ़ाकर वर्तमान में वास्तविक इकाई लागत या अधिकतम अनुमन्य सीमा की धनराशि रु. 10000/- व्यय करने हेतु शासनादेश संख्या- 2488/क0नि0प्र0/26.03.2010-16(81)/96, दिनांक 23.01.2010 द्वारा कर दिया गया है।

उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.

स्थापना

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मार्च, 1975 में हुयी।

उद्देश्य :

मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :

1. प्रदेश में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक विकास करना।
2. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वित्तीय/प्राविधिक/प्रबन्धकीय एवं विपणन सम्बन्धी सहायता प्रदान करना।
3. संस्थागत वित्त के सहयोग से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुदान तथा मार्जिन मनी ऋण की सुविधा प्रदान करना।

अंशपूंजी

वर्तमान में निगम की अधिकृत अंशपूंजी रु. 300.00 करोड़ तथा चुकता अंशपूंजी रु. 230.42 करोड़ है, जिसमें उ.प्र. सरकार का 51 प्रतिशत तथा भारत सरकार का 49 प्रतिशत अंश सम्मिलित है।

पात्रता

1. लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो।

2. गरीबी की रेखा से नीचे निवास करता हो।

3. गरीबी की रेखा ग्रामीण क्षेत्र में रु. 46080/- तथा शहरी क्षेत्र में रुपया 56460/- वार्षिक निर्धारित है।

पं. दीन दयाल उपाध्याय स्वः रोजगार योजना

स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के स्वरोजगार हेतु कृषि/पशुपालन/लघु सिंचाई/कुटीर उद्योग/यातायात तथा सेवा व्यवसाय के क्षेत्र की सभी परियोजनाओं में वित्त पोषण किया जाता है।

सहायता की सीमा

उद्योग सेवा व्यवसाय की किसी भी परियोजना हेतु अधिकतम रु. 15.00 लाख तक की योजनाओं में वित्तीय सुविधा प्रदान की जाती है। परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु. 10,000.00 से जो भी कम हो, अनुदान के रूप में अनुमन्य है, परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर अनुमन्य है। परियोजना लागत का शेष भाग बैंक ऋण के रूप में गरीब/निर्धन व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाता है।

1. नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना

नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों की निजी भूमि पर 8×10 फीट साइज की दुकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता रु. 78000/- मैदानी क्षेत्र में रु. 82000/- काली मिट्टी तथा रु. 85,000/- लवणयुक्त मिट्टी वाले क्षेत्रों में अनुमन्य है। निर्माण लागत में रु. 10,000/- अनुदान तथा शेष धनराशि 10 वर्षों में बिना ब्याज के 120 समान मासिक किस्तों में वसूल की जाती है। योजना का संचालन वर्ष 1985-86 से नगरीय क्षेत्रों में किया जा रहा है।

2. कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना

(क) टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम

टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण योजना का संचालन निगम के टंकण आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रति प्रशिक्षार्थी निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ ही साथ रु. 50/- से रु. 100/- प्रतिमाह वृत्तिका भी दी जाती है। यह योजना प्रशिक्षार्थियों द्वारा रुचि न लिये जाने के कारण वर्तमान में बन्द है।

(ख) कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना एवं अन्य योजनायें

वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रशिक्षण योजना का संचालन कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत कौशल विकास विभाग के माध्यम से संचालित है। माह फरवरी, 2014 से प्रशिक्षण योजना कौशल विकास मिशन को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

3. धोबी समाज के लिये लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना

अनुसूचित जाति के धोबी समाज के लिये लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना वित्तीय वर्ष 2004-05 से संचालित है। इस योजना में कुल लागत रु. 1.00 लाख तथा रु. 2.16 लाख निर्धारित है जिसमें रु. 10000/- अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में है, जिसकी अदायगी 05 वर्षों में समान मासिक किस्तों में की जाती है।

यू.पी. स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.

स्थापना

इस निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 25 जून, 1976 को हुई थी। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय वर्तमान में टी.सी.46/पाँच, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ में है।

इस निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं-

1. उ.प्र. राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य निर्बल वर्गों के लिए आवास योजनाओं और उससे संबंधित योजनाओं को बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना।
2. सिविल अभियन्ता के रूप में कार्यों की जिम्मेदारी लेना, सड़कों और सभी प्रकार के भवनों, बैराजों, बाँधों, जलमार्गों, पुलों, पुलियों, रज्जु मार्गों, विद्युत व सफाई संबंधी संस्थानों तथा नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यों का निर्माण, अनुरक्षण तथा सुधार कार्य पूरा करना।
3. सड़कों एवं समस्त प्रकार के भवनों से संबंधित सब प्रकार की ईंटों, खपरैलों, मिट्टी के बर्तनों, सीमेन्ट, पत्थर, बालू, लोहे के सामानों, औजारों व मशीनरी अन्य प्रकार से निर्माण करना, क्रय-विक्रय करना, संस्थापना करना, चालू करना, परिवर्तन करना, सुधार करना, दक्षता से चलाना।
4. राज्य सरकार द्वारा अपने स्वामित्व में लिए गए किन्हीं भी सड़कों, भवनों का क्रय करना, पट्टे पर लेना या निर्माण, अनुरक्षण अथवा उनका प्रबन्ध करने के उद्देश्य से अन्य प्रकार से अधिकार में लेना।
5. उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी परिवहन सेवा को स्थापित करना, बनाये रखना और प्रचालन करना।

अंश पूँजी

इस निगम की अधिकृत अंशपूँजी रु. 5.00 करोड़ है तथा चुकता अंशपूँजी मात्र रु. 15.00 लाख है।

निर्माण कार्य

निगम द्वारा समाज कल्याण विभाग के निर्माण कार्यों के अतिरिक्त राज्य व केन्द्र सरकार के अन्य विभागों के कार्य निक्षेप कार्य एवं टेण्डर कार्य के रूप में भी कराये जा रहे हैं। वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के कार्य-कलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :

समाज कल्याण विभाग के कार्य

1. छात्र/छात्रा छात्रावास (केन्द्र वित्त पोषित)

यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 के पास वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति के केन्द्र वित्त पोषित छात्र/छात्रा छात्रावासों के 05 कार्य हैं जिनकी अद्यावधिक लागत रु. 825.53 लाख के सापेक्ष निगम को रु. 621.86 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2017 तक रु. 646.25 लाख की धनराशि व्यय करके 03 छात्रावासों को पूर्ण कराया जा चुका है तथा 02 छात्रावास निर्माणाधीन हैं। इन छात्रावासों के समस्त कार्य पूर्ण कराने हेतु रु. 203.67 लाख की धनराशि वांछित है।

2. 480 क्षमता बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय

वर्ष 2017-18 में निगम के पास 07 बालिका आश्रम पद्धति विद्यालयों (480 क्षमता) का कार्य है, जिसकी अद्यावधिक लागत रु. 14887.89 लाख के विरुद्ध निगम को रु. 5689.23 लाख की

धनराशि उपलब्ध कराई गयी है। इन कार्यों पर माह दिसम्बर, 2017 तक रु. 3908.70 लाख की धनराशि व्यय करके 01 आश्रम पद्धति विद्यालय का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 05 आश्रम पद्धति विद्यालय निर्माणाधीन हैं और 01 आश्रम पद्धति विद्यालय का कार्य प्रारम्भ होना है। इन कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अद्यावधिक लागत के अनुसार रु. 9198.66 लाख की धनराशि निगम को प्राप्त होनी वांछित है।

3. मण्डलीय/जनपदीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालक)

वर्ष 2017-18 में निगम के पास 09 मण्डलीय/जनपदीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के कार्य हैं, जिनकी अद्यावधिक लागत रु. 9754.53 लाख मात्र है जिसके विरुद्ध निगम को रु. 8438.46 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। उक्त में से 02 कार्य पूर्ण हैं एवं 07 कार्य निर्माणाधीन हैं। इन कार्यों पर माह दिसम्बर, 2017 तक रु. 7437.69 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है तथा इनकी अद्यावधिक लागत के अनुसार रु. 1316.07 लाख धनराशि प्राप्त होनी वांछित है।

4. आश्रम पद्धति विद्यालय (मरम्मत कार्य)

वर्ष 2017-18 में निगम के पास आश्रम पद्धति विद्यालयों के मरम्मत/सुदृढ़ीकरण के 13 कार्य हैं जिनकी अद्यावधिक लागत रु. 1770.36 लाख के सापेक्ष निगम को रु. 933.00 लाख की धनराशि प्राप्त है। माह दिसम्बर, 2017 तक 01 कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 09 कार्य निर्माणाधीन हैं। 03 कार्य प्रारभ होना है तथा रु. 851.92 लाख की धनराशि व्यय हुई है। इन कार्यों को पूर्ण कराने हेतु रु. 265.00 लाख की धनराशि प्राप्त होनी वांछित है।

5. छात्रावास अनुरक्षण

वर्ष 2017-18 में निगम के पास 17 जनपदों में छात्रावासों के अनुरक्षण का कार्य है जिसकी अद्यावधिक लागत रु. 1118.87 लाख के सापेक्ष रु. 762.56 लाख प्राप्त है। 03 कार्य पूर्ण हैं तथा 04 छात्रावासों में मरम्मत कार्य प्रगति पर हैं और 10 कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हैं। इन कार्यों पर माह दिसम्बर, 2017 तक रु. 334.42 लाख का व्यय हुआ है। इन कार्यों हेतु रु. 356.31 लाख की धनराशि वांछित है।

6. समाज कल्याण विभाग के विविध कार्य

वर्ष 2017-18 में निगम को निदेशालय समाज कल्याण परिसर के पीछे एनेक्सी भवन का निर्माण तथा अखिल भारतीय बंजारा आश्रम, मथुरा तथा आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 कोचिंग सेन्टर, गोरखपुर के भवन के निर्माण का कार्य स्वीकृत हैं जिनकी कुल लागत रु. 1658.02 लाख के विरुद्ध रु. 1085.75 लाख की धनराशि प्राप्त है। 01 कार्य प्रगति पर है। 01 कार्य निर्माणाधीन है और 01 कार्य अभी प्रारम्भ नहीं है। इस मद में माह दिसम्बर, 2017 तक रु. 260.95 लाख की धनराशि व्यय हुई है तथा रु. 572.27 लाख की धनराशि निगम को प्राप्त होनी वांछित है।

7. जनजाति विकास

निगम के पास जनजाति विकास के वर्ष 2017-18 में 02 आश्रम पद्धति विद्यालयों तथा 02 नग एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय एवं 12 विभिन्न भवनों का निर्माण/अनुरक्षण कार्य प्राप्त है। उक्त कार्यों की अद्यावधिक लागत रु. 6582.82 लाख के विरुद्ध रु.4648.67 लाख की धनराशि प्राप्त है जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2017 तक रु. 4076.53 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा

07 कार्य उपलब्ध धनराशि की सीमा तक पूर्ण कराये जा चुके हैं और 09 कार्य प्रगति पर हैं। इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु निगम को रु. 1933.55 लाख की धनराशि प्राप्त होनी वांछित है।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनायें संचालित हैंः

1. मंत्री के विवेकाधीन कोष से अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण मंत्री अपने विवेक से निर्धन व्यक्तियों को अनुदान स्वीकृत करते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 0.35 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 0.35 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 0.35 लाख का प्रावधान है।

2. कश्मीरी विस्थापितों को सहायता

कश्मीर राज्य से भाग कर आये प्रदेश के विभिन्न भागों में से कश्मीरी परिवार के ऐसे व्यक्तियों को जिनके परिवार का एक भी सदस्य नौकरी नहीं करता अथवा कोई भी व्यवसाय नहीं कर रहा है, राज्य सरकार द्वारा रु. 750/- प्रति परिवार की दर से सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 27.81 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 27.81 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 27.81 लाख का प्रावधान है।

3. वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता

यह योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ की गई है, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण कल्याण नियमावली-2014 प्रख्यापित कर दी गयी है, जिसमें अंकित बिन्दु संख्या-20 के क्रम में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वृद्धाश्रम स्थापित किये गये हैं। जिन्हें पी0पी0पी0 मॉडल के तौर पर स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध गृह संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 2014-15 में 25 वृद्ध गृहों के संचालन हेतु रु. 500.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था, वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 50 वृद्ध गृहों के संचालन के लिए रु. 700.00 लाख का बजट प्रावधान था तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 75 वृद्ध गृहों के संचालन के लिए रु. 6000.00 लाख का बजट प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 6000.00 लाख का प्राविधान है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 5000.00 लाख का प्रावधान है।

वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण हेतु अधिकरण/अपीलीय अधिकरण का संचालन वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ किया गया, जिसके लिए योजना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से रु. 400.00 लाख का प्रावधान किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 600.00 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 600.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 600.00 लाख का प्रावधान है।

4. राजकीय अशक्त एवं वृद्ध गृह का संचालन

अशक्त एवं वृद्ध गृहों के लिए 50 की क्षमता के आवासीय गृह लखनऊ का संचालन हो रहा

है। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्तियों को आवासीय सुविधा तथा दैनिक जीवन निर्वहन हेतु शासनादेश संख्या-1282(1)/26-2-2010-100(4)/2007, दिनांक 07.12.2010 द्वारा रु. 1200/- प्रतिमाह भरण-पोषण हेतु, रु. 200/- प्रति माह औषधि हेतु तथा मृत्योपरान्त दाह संस्कार हेतु रु. 4000/- स्वीकृत किया गया है। शासनादेश संख्या- 1305/26-2-2009-100(4)/07 दिनांक 14-5-2009 द्वारा एक राजकीय वृद्ध एवं अशक्त गृह वाराणसी (महिला) निदेशक, महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश को मयपरिसम्पत्तियों के साथ हस्तान्तरित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 46.31 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 36.62 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 39.13 लाख का प्रावधान है।

5. राजकीय भिक्षुक गृहों का संचालन

भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक कुप्रथा को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1975 से प्रदेश सरकार ने भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम लागू किया है, इसके अन्तर्गत प्रदेश के 7 जनपदों वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर एवं मथुरा में एक तथा फैजाबाद में दो भिक्षुक गृह हैं। (महिलाओं एवं पुरुषों हेतु पृथक-पृथक हैं) इस प्रकार कुल 8 भिक्षुगृहों की स्थापना की गयी है, इनमें प्रत्येक की क्षमता 200 भिक्षुकों की है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 554.31 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 558.06 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 580.12 लाख का प्रावधान है।

6. प्राविधिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु राज्य सहायता

प्रदेश में संचालित 47 मान्यता प्राप्त औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 1065.60 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 1329.35 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 1379.18 लाख का प्रावधान है।

7. विविध कार्यों में लगे संगठनों की आर्थिक सहायता

विभिन्न कल्याण कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 1.00 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 1.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 1.00 लाख का प्रावधान है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं अन्य मुख्य योजनायें

1. वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा पोषित तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना एवं इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के वृद्धजनों को शासनादेश संख्या-1307(1)/26-2-2016, दिनांक 13 जून, 2016 द्वारा राज्यांश के रूप में रु. 100/- प्रति माह प्रति लाभार्थी वृद्धि किये जाने के उपरान्त, 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के वृद्धजनों को रु. 400/- प्रति माह प्रति व्यक्ति को आर्थिक सहायता अनुमन्य करायी जाती है। 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के वृद्धजनों को दी जाने वाली सहायता धनराशि रु. 400/- में

रु. 200/- केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार द्वारा एवं रु. 200/- राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसी प्रकार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को रु. 500/- प्रति माह प्रति लाभार्थी के रूप में भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता वहन की जाती है।

शासनादेश संख्या-1539/26-3-2014-4(215)/90-टी0सी0-1, दिनांक 10.09.2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 से पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी0एफ0एम0एस0) सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन की धनराशि अंतरित की जा रही है।

पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 155000.00 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 256000.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 256000.00 लाख का प्रावधान है।

2. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को रु. 30,000/- की एकमुश्त सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। मृतक की आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो। यह योजना जिलाधिकारी की देखरेख में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संचालित की जा रही है। उक्त धनराशि का भुगतान मृतक आश्रित को बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। मृतक आश्रित को दी जाने वाली सहायता धनराशि रु. 20,000/- केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार द्वारा तथा रु. 10,000/- राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा अर्थात कुल धनराशि रु. 30,000/- दिया जाना अनुमन्य है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत धनराशि की अनुपलब्धता होने की दशा में शासनादेश संख्या-1739/26-2-2006 दिनांक 20 जून, 2006 में जनपद स्तर पर योजनान्तर्गत कोषागार नियम-27 (टी0आर0-27) से धनराशि आहरण कर योजना का तत्काल लाभ सुनिश्चित कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। शासनादेश संख्या-27/2526/26-2-2015-100(02)/2007, दिनांक 21.11.2015 द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था है, जिसके द्वारा स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया जनपद स्तर से पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि अंतरण की कार्यवाही किये जाने की भी व्यवस्था की गयी है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 50000.00 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 50000.00 लाख का प्रावधान था तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 50000.00 लाख का प्रावधान है।

3. सामान्य जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति

सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले सामान्य विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शासनादेश संख्या-12(2)/26-3-2013-रिट(23)/2011 दिनांक 07.01.2013 द्वारा 1 जुलाई 2012 से दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्र/

छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु. 2.00 लाख (रु. दो लाख मात्र) तक है, छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली (तृतीय संशोधन) दिनांक 14.04.2016 द्वारा प्रख्यापित नियमावली के अनुसार निम्नानुसार छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था की गई है। नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अर्ह छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नियमानुसार छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में प्रतिपूर्ति की जायेगी। सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में पाठ्यक्रमों में शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रु. 50000/- निर्धारित की गयी है।

क्र.सं.	**ग्रुप का नाम**	**छात्रवृत्ति की दरें**	
		अनावासीय	**छात्रावासी**
1	**2**	**3**	**4**
1	ग्रुप-1	550/-	1200/-
2	ग्रुप-2	530/-	820/-
3	ग्रुप-3	300/-	570/-
4	ग्रुप-4	230/-	380/-

जनपद स्तर पर सामान्य जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु निम्न समिति गठित की गयी है :

1. जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिला विकास अधिकारी - अध्यक्ष
2. जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य सचिव

यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति जिसमें अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भी सम्मिलित है, की स्वीकृति प्रदान करेगी।

सामान्य जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति

वित्तीय वर्ष 2014-15 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के आधार पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या-966, दिनांक 20.06.2014 के क्रम में पी0एफ0एम0एस0 सर्वर से परीक्षणोपरान्त राज्य एन0आई0सी0 से प्राप्त डेटा के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे छात्रों के खातों में अन्तरित कराई जा रही है। इस योजना में सम्पूर्ण धनराशि राज्य स्तर से अनुदान संख्या-80 में वहन की जा रही है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 1664.00 लाख का प्रावधान था तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 1664.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 1664.00 लाख का प्रावधान है।

5. सामान्य जाति शादी अनुदान योजना

यह योजना सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु वर्ष 2006-07 से विभाग में संचालित है। सामान्य वर्ग शादी योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-46/2016/889/26-3-2016, दिनांक 16.03.2016, द्वारा शहरी क्षेत्र में पात्रता हेतु रु. 56460/- तथा ग्रामीण क्षेत्र में पात्रता हेतु

रु. 46080/- वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गयी है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग की पुत्रियों की शादी हेतु रु. 20000/- की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सामान्य वर्ग के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान संख्या-80 में वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 4125.00 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुपूरक के माध्यम से रु. 4125.00 लाख का प्रावधान किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 8250.00 लाख का प्रावधान है।

6. मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता

वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रदेश सरकार द्वारा मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु रु. 50.00 लाख का प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 50.00 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 50.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 50.00 लाख का प्रावधान है।

7. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को प्रारम्भ किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश के सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था की गयी है। शासनादेश संख्या-161/2017/44 वी0आई0पी0/26-3-2017-4(188)/93 टी0सी0, दिनांक 12.10.2017 द्वारा प्रति जोड़े को रु. 35,000/- तथा विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में रु. 30,000/- दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2017-18 में योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-80 में रु. 25000.00 लाख का प्रावधान किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 25000.00 लाख का प्रावधान है।

मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध एवं उनके दुरुपयोग को रोकने की दिशा में मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान विभाग, उ.प्र.

मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान विभाग भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्त की धारा-47 के तहत प्रदेश की वर्तमान नीति के अनुरूप प्रशासनिक स्तर पर वर्तमान में समाज कल्याण विभाग उ.प्र. शासन से सम्बद्ध रहकर विभिन्न शिक्षात्मक कार्यक्रमों से प्रदेश सरकार की मद्यनिषेध की अन्तिमतम नीति के दायित्वों के निर्वहन हेतु सर्वसाधारण में नशा एवं नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों एवं अभिशापों को प्रचारित एवं प्रसारित कर राज्य में मद्यनिषेध के लिए स्वस्थ एवं प्रभावी वातावरण बनाने के निमित्त उपलब्ध सीमित संसाधनों एवं अत्यन्त अल्प स्टाफ की सीमा से सतत शिक्षात्मक एवं प्रेरणात्मक प्रचार-प्रसार कार्य कर रहा है, जिसे वर्तमान में बढ़ रही नशाखोरी के विरुद्ध संचेतना जागृत करने के उद्देश्य से और अधिक प्रयोजनपूर्ण बनाये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

प्रदेश के 75 जनपदों में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान समितियाँ गठित हैं जिनमें प्रत्येक जनपद की समितियों को रु. 1000/- प्रतिवर्ष वार्षिक अनुदान नशे के विरुद्ध शिक्षात्मक कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार को सम्पादित करने के लिए दिया जाता है। ये समितियाँ सरकारी व गैर सरकारी सहयोग से अपने-अपने जनपदों में नशानिषेध के शिक्षात्मक कार्यक्रमों को यथाशक्ति उपरोक्त प्रदत्त अनुदान के आधार पर सम्पादित करती हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में मद्यनिषेध विभाग के लिए मुख्यालय एवं मंडलीय कार्यालयों के लिए रु. 508.14 लाख (रु. पाँच करोड़ आठ लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी है जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2017 तक रु. 254.94 लाख (रु. दो करोड़ चौवन लाख चौरानबे हजार मात्र) व्यय हुआ है तथा मादक पदार्थ विरोधी कार्यों के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप नशा निर्व्यसन केन्द्रों के संचालन के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रदेश सरकार की संस्तुति के आधार पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। उक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अथवा अन्य कोई धनराशि विभाग के लिये स्वीकृत नहीं है।

मद्यनिषेध विभाग का उद्देश्य सभी प्रकार के मादक पेय पदार्थों एवं औषधियों के दुरुपयोगों एवं उनके दुष्परिणामों से सर्वसाधारण के बचाव हेतु सार्वजनिक सहयोग से सतत प्रयास करते रहना है ताकि नशा एवं नशीले पदार्थों के विरुद्ध जनता में प्रबल वातावरण प्रभावी रूप से बना रहे। नशे के विरुद्ध जन संचेतना जागृत करते रहना ही इस विभाग का मुख्य कार्य है। अतएव मद्यनिषेध विभाग के शिक्षात्मक कार्यों को जनता के सहयोग से ही जनता में आवृत्ति के सिद्धान्त के अनुसार अधिक से अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने और इस पर सर्वदा बल देते रहने की ओर विभाग द्वारा विशेष महत्त्व दिया गया है।

●

अनुसूचित जनजाति कल्याण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजातियों के अन्तर्गत प्रदेश में कुल पांच जातियों थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी एवं राजी को सूचीबद्ध किया गया। वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा प्रदेश में निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 1134273 हैः-

क्र.सं.	जाति	जनपद जिनमें निवासरत हैं
1.	गोंड (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड)	महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ आजमगढ, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र
2.	खरवार/खैरवार	देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र
3.	सहरिया	ललितपुर
4.	परहिया	सोनभद्र
5.	बैगा	सोनभद्र
6.	पंखा, पनिका	सोनभद्र एवं मिर्जापुर
7.	अगरिया	सोनभद्र
8.	पटारी	सोनभद्र
9.	चेरो	सोनभद्र एवं वाराणसी
10.	भुइया, भुनिया	सोनभद्र

वर्ष 1984-1985 तक इन अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के विभिन्न कार्यक्रम/योजनाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता था, तत्पश्चात् जनजाति विकास निदेशालय द्वारा किया जा रहा है।

विभाग के मूलभूत उद्देश्य

जनजाति विकास निदेशालय की स्थापना निम्नलिखित मूलभूत उद्देश्यों को लेकर की गयी हैः-

1. गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले जनजाति परिवारों को व्यवसायिक जीवन पद्धति का आकलन कर उनके लिए आर्थिक उन्नति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन।
2. अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार।

3. अनुसूचित जनजातियों हेतु मानव संसाधन विकास संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित कर रोजगार के अवसर सुलभ कराना।
4. अनुसूचित जनजातियों को समाज की मुख्य सामाजिक, आर्थिक धारा में समाहित करना तथा गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना।
5. अनुसूचित जनजतियों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक शोषण से सुरक्षा।
6. शिक्षा के स्तर पर सुधार एवं साक्षरता दर वृद्धि हेतु छात्रवृत्ति, जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय एवं छात्रावासों का संचालन, तकनीकी शिक्षा, कुशल कारीगरी, शिल्प उद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों का समावेश तथा स्वतः रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु कार्यक्रमों का संचालन।

पारदर्शिता

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु छात्रवृत्ति वितरण हेतु परिवर्तित विकेन्द्रीकृत की प्रक्रिया लागू की गई है। कक्षा 09 व 10 तथा दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति उनके बैंक खाते में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से सीधे स्थानान्तरित की जा रही है। शिक्षण सत्र 2012-13 से अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति) की सम्पूर्ण धनराशि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा छात्रों के बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित करने की व्यवस्था की गयी है। विस्तृत दिशा-निर्देश हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2012 प्रख्यापित की जा चुकी है, जिसका छठा संशोधन वर्ष 2017-18 में जारी किया गया है। नियमावली के अनुसार मास्टर टाटाबेस में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों के पंजीकरण, संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने, शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति शिक्षा विभाग के सम्बन्धित जनपदीय/क्षेत्रीय अधिकारी को प्रेषित किये जाने, शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा संस्था व पाठ्यक्रम की प्रमाणिकता के संबंध में अपनी संस्तुति "छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति" को प्रेषित किये जाने, "छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति" के स्वीकृत आदेश सहित जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को सूचित किये जाने, छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि संबंधित छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में अंतरित किये जाने तथा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के प्रथम चरण का साफ्टवेयर/वेबसाइट को एन.आई.सी. लखनऊ द्वारा लाक किए जाने के सम्बन्ध में समय सीमा निर्धारित करते हुए निर्देश निर्गत किए गये हैं ताकि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति में पारदर्शिता रहे। वर्ष 2014-15 से कक्षा 9 व 10 एवं दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति तथा शादी अनुदान की धनराशि पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) साफ्टवेयर के माध्यम से ई-ट्रान्सफर के तहत छात्रों/लाभार्थियों के खातों में सीधे अन्तरित की जा रही है।

विभाग द्वारा संचालित योजनायें/शैक्षिक/आर्थिक कार्यक्रम एवं उपलब्धियों का विवरण

विभाग द्वारा संचालित 09 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 के द्वारा नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर विकसित कर सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध

कर संचालित करने का निर्णय लिया गया है जिसके क्रम में विभाग द्वारा संचालित 09 विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2016-17 से कक्षा 6 से 12 तक संचालित किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं के लिए संचालित विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र, आवास, स्टेशनरी, दवा आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कक्षा 6 से 12 तक प्रत्येक कक्षा में 35-35 छात्रों के दो सेक्शन संचालित होंगे। प्रत्येक विद्यालय की कुल छात्र संख्या 490 होगी। इस प्रकार इन विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की कुल क्षमता 4410 होगी। जनपद बलरामपुर में 50 छात्रों की क्षमता का एक छात्रावास संचालित है। भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता से कक्षा 6 से 12 तक (क्षमता 420 छात्र/छात्राएं) के 02 एकलब्य माडल आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों को भी अनुदान दिया जाता है। पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017-2018 में उक्त संचालित योजनान्तर्गत 16070 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों/छात्रावासों एवं छात्रवृत्ति योजना से लगभग 17170 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

प्रदेश में संचालित परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है

1. एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चन्दन चौकी लखीमपुर-खीरी।
2. थारू विकास परियोजना विशुनपुर-विश्राम, बलरामपुर।
3. बुक्सा आदिम जनजाति विकास परियोजना, नजीबाबाद, बिजनौर।
4. बिखरी जनजातियों का विकास (बहराइच एवं महराजगंज)
5. एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, सोनभद्र।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम

वर्तमान समय में प्रदेश के कुल 19 जनपदों में निवासरत 12 जातियाँ अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित हैं। बुक्सा जनजाति जनपद बिजनौर में, थारू 5 जनपदों- महराजगंज, बलरामपुर, लखीमपुर-खीरी, श्रावस्ती एवं बहराइच में गोंड (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी एवं राजगोड) जनपद महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली मिर्जापुर एवं सोनभद्र में खरवार/खैरवार जनपद देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली एवं सोनभद्र में, सहरिया जनपद ललितपुर में परहिया, बैगा, अगरिया, पठारी, भुइया, भुनिया, जनपद सोनभद्र में, पंखा, पनिका, जनपद सोनभद्र एवं मिर्जापुर में तथा चेरो जनपद सोनभद्र एवं चन्दौली में निवासरत हैं। यह जातियाँ शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी हुई हैं इसलिए इनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु सुनियोजित ढंग से योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शासनादेश सं.-2681/26-3-2011-4(77)/2002 दिनांक 8-11-2011 द्वारा 01 जुलाई 2010 से दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक

आय सीमा रु. 200000/- तक है उन्हें उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 द्वारा निर्गत नियमावली सं.-2207/26-3-2012-4 (358)/07-टी.सी.-02 दिनांक 26 सितम्बर, 2012 तथा समय-समय पर जारी संशोधनों में उल्लिखित नियमों के अनुसार छात्रवृत्ति की सुविधा निम्नवत् दरों के आधार पर अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

क्र.सं.	ग्रुप का नाम	छात्रवृत्ति की दरें	
		अनावासीय	छात्रावासीय
1.	ग्रुप-1	550/-	1200/-
2.	ग्रुप-2	530/-	820/-
3.	ग्रुप-3	300/-	570/-
4.	ग्रुप-4	230/-	380/-

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में कुल रु. 2200.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

शोध छात्रवृत्ति

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की जनजातियों के विकास पर किये जाने वाले शोध हेतु शोध छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में भारत सरकार से शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में इस योजनान्तर्गत रु. 1.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

मेरिट उच्चीकृत योजनान्तर्गत सहायता

अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं के लिए मेरिट उच्चीकृत योजना वित्तीय वर्ष 2007-2008 में स्वीकृत की गयी है। जो भारत सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से संचालित की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय-व्ययक में रु. 2.34 लाख का प्रावधान है।

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन

इस केन्द्रीय सहायता को एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चौकी, खीरी तथा थारू विकास परियोजना, बलरामपुर द्वारा संचालित कार्यक्रमों पर व्यय किया जाता है। उक्त परियोजनाओं द्वारा जनजाति के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों सम्बन्धी अवस्थापना मदों पर व्यय किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 250.00 लाख एकलब्य माडल आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु एवं रु. 52.30 लाख से वनाधिकार अधिनियम से लागू करने की परियोजनार्थ एवं 1335.60 लाख निर्माण कार्य हेतु कुल रु. 1637.90 लाख आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष 224.05 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 250.00 लाख से एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु रु.52.30 लाख से वन अधिकार अधिनियम के लागू करने का तथा इस योजना के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए जिला इकाइयों के संचालन हेतु अनुदान के लिए रु. 2181.22 लाख कुल रु. 2483.52 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है, जिसके सापेक्ष दिनांक 31.12.2017 तक रु. 635.10 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 258.52 लाख से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु रु. 52.30 लाख वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये प्रसार प्रसार किये जाने हेतु तथा इस योजना के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए जिला इकाइयों के

संचालन हेतु अनुदान के लिए रु. 1713.00 लाख कुल रु. 2023.82 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

पाकेट प्लान तथा प्रिमिटिव ग्रुप्स योजना

उपर्युक्त के अतिरिक्त पाकेट प्लान तथा प्रिमिटिव ग्रुप्स योजना के अन्तर्गत एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी तथा थारू विकास परियोजना, विशुनपुर-विश्राम, जनपद बलरामपुर द्वारा संचालित योजनाओं के लिये शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होती है। यह परियोजना वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी। जिसे जून, 1996 से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना द्वारा जन-चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, स्टाक मैन सेन्टर संचालित है। इसके अतिरिक्त परियोजना के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर व अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 94.34 लाख के उपलब्ध आय-व्ययक प्रावधान एवं जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु रु. 1500.00 लाख कुल रु. 1594.34 लाख का प्रावधान है।

बुक्सा आदिम जनजाति उत्थान

बुक्सा जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम समूह घोषित किया गया है। अतः इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। बुक्सा आदिम जनजाति जनपद बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। यह परियोजना वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी। जिसे जून, 1996 से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर व अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में इस योजनान्तर्गत रु. 13.20 लाख का प्रावधान है।

बिखरी आबादी वाली जनजातियों का विकास

इस योजना से प्रदेश के अधिकांश जनजाति बाहुल्य जनपदों में निवासरत अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित किया जाता है। यह परियोजना वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी। जिसे जून, 1996 से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर व अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विकास मद में रु. 90.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

वनबन्धु कल्याण योजना

जनजातीय कार्य मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए वनबन्धु कल्याण योजना की अवधारणा की गयी है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लोगों को शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में योजना के संचालन हेतु आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों सम्बन्धी तथा अवस्थापना को सम्पादित किये जाने हेतु राजस्व मद में रु. 95.00 लाख एवं पूंजीगत मद में रु.105.00 लाख कुल रु. 200.00 लाख का प्रावधान है।

मुख्यालय अधिष्ठान

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के संचालनार्थ निदेशालय स्तर पर अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं जिनके लिए स्थापना अधिष्ठान मद पर व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 197.68 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, खीरी व थारू विकास परियोजना, बलरामपुर के अन्तर्गत चिकित्सालयों का संचालन

जनपद खीरी एवं बलरामपुर में संचालित परियोजनाओं द्वारा चिकित्सालयों के संचालनार्थ प्रथम बार राज्य सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-2003 में आयोजनागत पक्ष में रु. 8.35 लाख की व्यवस्था आय-व्ययक में की गयी थी। तभी से निरन्तर इस योजना में व्यवस्था करके योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में इस योजना में रु. 3.25 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

एकीकृत जनजाति विकास परियोजना (सोनभद्र) का क्रियान्वयन

अनुसूचित जनजातियों में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किये जाने के उपरान्त अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास हेतु जनपद सोनभद्र में एकीकृत जनजाति विकास परियोजना कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में कुल रु. 54.08 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

जिला कार्यालय का जनजाति विकास संबंधी अधिष्ठान

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के संचालनार्थ जनपद स्तर पर कर्मचारी तैनात हैं जिनके लिए स्थापना अधिष्ठान मद पर व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 21.81 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियाँ जो इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं, के लिए सहायक अनुदान

प्रदेश में निवास करने वाली ऐसी जनजातियाँ जो इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित हैं के व्यक्तियों को जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, को कृषि बागवानी तथा कुटीर उद्योग कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 10.10 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिसका योजनावार विवरण निम्न प्रकार हैः

(1) कृषि तथा बागवानी

प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियों की जीविका का प्रमुख साधन कृषि है उनकी आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से मैदानी क्षेत्र के सोनभद्र, मिर्जापुर, चन्दौली, प्रयागराज, चित्रकूट, झाँसी

जनपदों में निवास करने वाली गैर अनुसूचित जनजातियों के लिये कृषि तथा बागवानी के निमित्त अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। यह अनुदान ऐसे व्यक्तियों को स्वीकृत किया जाता है जिनको नयी भूमि का आवंटन किया गया है तथा जिसका धनाभाव के कारण विकास नहीं किया जा सकता है। जनजाति क्षेत्र में कृषि विकास सम्बन्धी योजनाओं के संचालन का दायित्व जनजाति विकास निदेशालय को सौंपा गया है। वर्ष 2016-2017 में प्राविधानित धनराशि रु. 5.00 लाख का प्रावधान था। वर्ष 2017-18 में रु. 5.00 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 5.00 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान है।

(2) कुटीर उद्योग

जैसा की पूर्व में उल्लेख किया गया है कि अधिकांश जनजातियाँ कृषि पर निर्भर हैं। जिन गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पास कृषि भूमि पर्याप्त नहीं है और पुराने धन्धे ही अपनाना चाहते हैं उन्हें नये तकनीकी विकास के साथ उनके धन्धों के पुराने तरीकों में विविध परिवर्तन लाकर उन्हें लघु कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2016-2017 में प्राविधानित धनराशि रु. 5.00 लाख का प्रावधान था। वर्ष 2017-2018 में रु. 5.00 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 5.10 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान है।

छात्रावास

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद बलरामपुर के मुख्यालय पर मात्र एक छात्रावास संचालित है। इसके अतिरिक्त बरगदवा महराजगंज में 50 छात्रों की क्षमता के एक जनजाति छात्रावास संचालित किये जाने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रदान की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में छात्रावासों के संचालन/निर्माण हेतु रु. 716.48 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान है।

जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय

अनुसूचित जनजातियों के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास एवं उत्थान के लिये उचित ढंग से शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में 09 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय संचालित किये गये हैं, जहां पर बालक/बालिकाओं की शिक्षा, भोजन, वस्त्र, आवास एवं पुस्तकें आदि की सभी सुविधायें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

विभाग द्वारा संचालित 09 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 के द्वारा नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर विकसित कर सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध कर संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जिसके क्रम में विभाग द्वारा संचालित 09 विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2016-17 से कक्षा 6 से 12 तक संचालित किया जा रहा है। इन विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र, आवास, स्टेशनरी, दवा आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कक्षा 6 से 12 तक प्रत्येक कक्षा में 35-35 छात्रों के दो सेक्शन संचालित होंगे। प्रत्येक विद्यालय की कुल छात्र संख्या 490 होगी। इस प्रकार इन विद्यालयों

में छात्र/छात्राओं की कुल क्षमता 4410 होगी।

जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को भोजन व्यवस्था हेतु रु. 2250/- प्रति छात्र प्रति माह, दो सेट सूत्री वस्त्र, तौलिया आदि हेतु रु.1800/- प्रति छात्र प्रति वर्ष, ऊनी वस्त्रों हेतु रु. 2200/- प्रति छात्र प्रति तीन वर्षों हेतु, पाठ्य-पुस्तकों हेतु कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को रु. 765 प्रति छात्र प्रतिवर्ष एवं कक्षा 9 से 10 तक के छात्रों को रु. 1500/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष तथा कक्षा 11 से 12 तक रु. 3000/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष की दर से धनराशि व्यय करने हेतु संशोधित शासनादेश संख्या 114/2015/आर-110 वी.आई.पी./26-3-2015-246 सी.एम./2015 दिनांक 06 अक्टूबर 2015 द्वारा जारी किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 1942.37 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान है।

बुक बैंक की स्थापना

वित्तीय वर्ष 2004-2005 में यह योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 5.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

पूर्वदशम कक्षाओं में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तीय सहायता

कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रु. 200000/- तक है, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 9-10 में अध्ययनरत छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं को रु. 5200/- वार्षिक एवं दिवाछात्र को रु. 2550/- वार्षिक छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 195.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है।

अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को यूनीफार्म एवं साइकिल अनुदान

कक्षा 6, 9 व 11 की अनुसूचित जनजाति की छात्राएं जो विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों या अन्य किसी आवासीय विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं, बल्कि किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ती हैं, को प्रोत्साहन स्वरूप यूनीफार्म एवं बाइसिकिल निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त योजना वित्तीय वर्ष 2003-2004 से स्वीकृत की गयी है, वित्तीय वर्ष 2018-2019 में धनराशि रु. 80.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विद्यालयों के रख-रखाव हेतु सहायता

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्राइमरी पाठशालाओं एवं बालवाड़ी के संचालनार्थ स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने की योजना वित्तीय वर्ष 1979-1980 से संचालित की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 42.82 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान है।

जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम-थारू विकास परियोजना, बलरामपुर

यह परियोजना वित्तीय वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी। जिसे जून, 1996 से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना द्वारा जन-चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, स्टाक मैन सेन्टर संचालित हैं। इसके

अतिरिक्त परियोजना के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि के कार्य संचालित किये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 132.11 लाख की धनराशि का प्रावधान है।

बिखरी आबादी वाली जनजातियों का विकास

जनपद महराजगंज, बहराइच एवं श्रावस्ती में बिखरी जनजातियों को भारत सरकार से प्राप्त शत-प्रतिशत सहायता से आर्थिक विकास कार्यक्रम जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत संचालित हैं, जिसमें परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि के कार्य संचालित किये जा रहे हैं। उक्त योजना के संचालन हेतु जिला स्तर पर जनपद बहराइच एवं महराजगंज में जो स्टाफ नियुक्त है, उनके अधिष्ठान व्यय की व्यवस्था उपरोक्त योजनान्तर्गत की जाती है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 30.15 लाख की धनराशि का प्रावधान है।

अनुसूचित जनजाति के निर्धन व्यक्तियों की बालिकाओं के विवाह हेतु अनुदान

अनुसूचित जनजाति के निर्धन व्यक्तियों की बालिकाओं के विवाह एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु अनुदान स्वीकृत करने की योजना वित्तीय वर्ष 2002-2003 से प्रारम्भ की गयी। शासनादेश संख्या-46/2016/889/26/13/2016 दिनांक 16.03.2016 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के विवाह हेतु आवेदन इन्टरनेट प्रक्रिया से आमंत्रित/स्वीकृत किये जा रहे हैं तथा देय धनराशि रु. 20,000/- पी.एफ.एम.एस. प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 130.00 लाख की धनराशि अनुसूचित जनजाति के निर्धन व्यक्तियों की बालिकाओं के विवाह अनुदान हेतु आय-व्ययक में प्रावधान है।

●

महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार

वर्ष 1975 में प्रदेश के 3 विकास खण्डों में गर्भवती तथा धात्री माताओं एवं बच्चों को कुपोषण आदि से बचाने तथा उनके समन्वित विकास के लिये भारत सरकार के सहयोग से समेकित बाल विकास परियोजना प्रारम्भ की गयी। इस कार्यक्रम के संचालन हेतु वर्ष 1988 में प्रदेश स्तर पर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना की गयी।

विभाग द्वारा 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के समुचित पोषण एवं प्रतिरक्षण के लिए 06 सेवायें क्रमशः अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण (टीकाकरण), स्वास्थ्य जॉच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा निर्देशन एवं संदर्भ सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

प्रदेश में बाल विकास परियोजना/केन्द्रों की स्थिति :

- कुल जनपद : 75
- कुल स्वीकृत परियोजनाएं : 897
- कुल स्वीकृत केन्द्र/मिनी केन्द्र : 188259

अनुपूरक पुष्टाहार

उपलब्ध कराये जा रहे अनुपूरक पुष्टाहार तथा उससे प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों का विवरण निम्नवत हैः-

1. **06 माह से 03 वर्ष तक आयु के सामान्य बच्चों** को टेक होम राशन के रूप में 120 ग्राम प्रति बच्चा प्रतिदिन की दर से माइक्रोन्यूट्रियन्ट फोर्टिफाइड वीनिंग फूड उपलब्ध कराया जाता है जिससे बच्चे को दैनिक रूप से 500 कैलोरी तथा 14 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है।
2. **06 माह से 03 वर्ष तक आयु के अति कुपोषित बच्चों** को 200 ग्राम प्रति लाभार्थी प्रतिदिन की दर से वीनिंग फूड टेक होम राशन के रूप में उपलब्ध कराया जाता है जिससे बच्चे को दैनिक रूप से 840 कैलोरी तथा 24 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है।
3. **03 से 06 वर्ष तक आयु के सामान्य बच्चों** को आंगनवाड़ी केन्द्र पर प्रातः-मार्निंग स्नैक तथा मध्याह्न में हॉट कुक्ड फूड वितरण का प्रावधान है जिससे बच्चे को दैनिक रूप से 500 कैलोरी तथा 15 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो सके।
4. **03 से 06 वर्ष तक आयु के अति कुपोषित बच्चों** को सामान्य बच्चों की भांति मार्निंग

स्नैक एवं हॉट कुक्ड फूड दैनिक रूप से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को टेक होम राशन के रूप में 75 ग्राम प्रतिदिन प्रति लाभार्थी की दर से माइक्रोन्यूट्रीयन्ट फोर्टिफाइड एमाईलेज रिच इनर्जी फूड उपलब्ध कराया जाता है जिससे बच्चे को दैनिक रूप से 800 से अधिक कैलोरी तथा 25 ग्राम से अधिक प्रोटीन प्राप्त होती है।

5. **गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं** को टेक होम राशन के रूप में 140 ग्राम माइक्रोन्यूट्रियन्ट फोर्टिफाइड एमाईलेज रिच इनर्जी फूड प्रति लाभार्थी प्रतिदिन की दर से दिया जाता है जिससे लाभार्थी दैनिक रूप से 600 कैलोरी तथा 18 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है।

वीनिंग फूड, एमाईलेज रिच इनर्जी फूड तथा हॉट कुक्ड फूड की रेसिपी

वीनिंग फूडः

कम्पोजीशन- गेहूं आटा – 25%, सोया आटा-14%, चावल-05%, मक्का-05%, चना आटा-15%, चीनी-25%, वनस्पति तेल-10%, विटामिन मिनरल्स- 01%

पोषक तत्व 100 ग्राम मात्रा में – कैलोरी 420, प्रोटीन 12 ग्राम, माइक्रोन्यूट्रीएन्ट-50% आफ आर.डी.ए.।

एमाईलेज रिच इनर्जी फूडः

कम्पोजीशन- गेहूं आटा– 25%, सोया आटा- 15%, रागी- 05%, मक्का- 05%, मूंगफली दाना 05%, चना आटा- 10%, चीनी- 25%, वनस्पति तेल- 09%, विटामिन मिनरल्स- 01%

पोषक तत्व 100 ग्राम मात्रा में – कैलोरी- 430, प्रोटीन- 13 ग्राम, माइक्रोन्यूट्रीएन्ट- 50% आफ आर.डी.ए.।

हॉट कुक्ड फूड

प्रदेश की सभी 897 परियोजनाओं में हॉट कुक्ड फूड योजना लागू है।

- योजना के अन्तर्गत 03 से 06 वर्ष तक आयु के समस्त बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र पर दैनिक रूप से प्रातः मार्निंग स्नैक तथा मध्यान्ह मे हॉट कुक्ड फूड वितरण की व्यवस्था है।
- भारत सरकार द्वारा 03 वर्ष से 06 वर्ष तक आयु के सामान्य बच्चों के लिए अनुपूरक पुष्टाहार दिये जाने के लिए प्रति लाभार्थी रु. 6.00 एवं अति कुपोषित बच्चों के लिए रु. 9.00 प्रति दिन की दर अनुमन्य है।
- हॉट कुक्ड फूड में इन बच्चों को मीठा दलिया, खिचड़ी, हलुआ एवं तहरी आदि दिये जाने की व्यवस्था है।
- हॉट कुक्ड फूड में प्रयुक्त होने वाले कच्चे खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों आदि का क्रय स्थानीय स्तर पर मातृ समिति की अध्यक्षा/सदस्य एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा किया जाता है।
- सामग्रियों के क्रय हेतु धनराशि अग्रिम रूप से विभाग द्वारा मातृ समिति अध्यक्षा एवं कार्यकर्त्री के पदनाम से खुले बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाती है।
- सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मातृ समितियाँ गठित हैं।

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना

भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 71 जनपदों में किशोरी बालिकाओं के लिए योजना लागू की गयी है। 11 वर्ष से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु पोषाहार तथा प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। भारत सरकार से किशोरी बालिकाओं के लिए रु. 9.50 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन अनुपूरक पुष्टाहार के लिए अनुमन्य है। प्रदेश में योजना के संचालन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु रु. 660.00 लाख तथा पोषाहार हेतु रु. 24,400.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

किशोरी शक्ति योजना

महिला एवं बाल विकास के अन्तर्गत किशोरी शक्ति योजना संचालित की जा रही है। किशोरी शक्ति योजना का मुख्य उद्‌देश्य किशोरियों को प्रजनन, स्वास्थ्य समस्याओं एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना, पोषण सम्बन्धी रक्ताल्पता को कम करना, उनके शरीर एवं स्वयं के बारे में जागरूक करना तथा बालिकाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनमें आत्म सम्मान जागृत करना है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत रु. 364.10 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आई.सी.डी.एस. कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है ताकि आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के उद्देश्यों को सफल बनाया जा सके।

आई.सी.डी.एस. कर्मियों का प्रशिक्षण

(1) जिला कार्यक्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण

जिला कार्यक्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण निपसिड, लखनऊ तथा निपसिड, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ द्वारा किया जाता है।

(2) बाल विकास परियोजना अधिकारियों का प्रशिक्षण

बाल विकास परियोजना अधिकारियों का कार्य प्रशिक्षण निपसिड, लखनऊ द्वारा किया जाता है।

(3) मुख्य सेविकाओं का प्रशिक्षण

मुख्य सेविकाओं के प्रशिक्षण के लिए 4 मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जाता है। इन केन्द्रों के स्थान का चयन प्रदेश के विस्तार क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र से उनके निकटस्थ जनपदों को सम्बद्ध किया, जहाँ की मुख्य सेविकायें इन केन्द्रों पर प्रशिक्षित की गयीं। प्रशिक्षण बैच का निर्धारण करते समय सामान्यतः इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रशिक्षण केन्द्र से सम्बद्ध जनपद की ही मुख्य सेविकायें उस केन्द्र पर भेजी जाएँ, किन्तु आवश्यकतानुसार किसी मुख्य सेविका को प्रशिक्षण हेतु किसी भी केन्द्र पर भेजा गया।

(अ) आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण

आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के संचालन में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण

है, इसलिए इनके प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। पूरे प्रदेश में 66 आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत हैं।

(ब) आंगनबाड़ी सहायिकाओं का अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का इन्डक्शन प्रशिक्षण

प्रदेश की अप्रशिक्षित आंगनबाड़ी सहायिकाओं के अभिमुखीकरण प्रशिक्षण तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के इन्डक्शन प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा 25 जिला सचल प्रशिक्षण दल संचालित करने का अनुमोदन किया गया है। जिला सचल प्रशिक्षण दल गठित कर प्रदेश के सभी जनपदों में आंगनबाड़ी सहायिकाओं का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को इन्डक्शन कोर्स प्रदान किया जाता है।

सूचना, शिक्षा एवं प्रचार-प्रसार (आई.ई.सी.) कार्यक्रम

आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए माताओं, परिवारों एवं समुदाय में बच्चों की देखरेख, लालन-पालन एवं पोषण सम्बन्धी अच्छी आदतों के विकास हेतु प्रयास किये जाते हैं।

प्रत्येक वर्ष जनपद/परियोजना/आंगनबाड़ी केन्द्र पर माह जून एवं दिसम्बर में बाल पोषण स्वास्थ्य दिवस स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजन किया जाता है, विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त में परामर्श सत्र का आयोजन, अन्तर्राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सितम्बर, 08 मार्च महिला दिवस के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है। साथ ही साथ कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु, कार्यशाला, प्रदर्शनी, महोत्सव आदि किया जाता है तथा शिशुओं को विटामिन-ए पिलाई जाती है तथा छूटे हुये बच्चों का टीकाकरण कराया जाता है।

स्कूल पूर्व शिक्षा

03 वर्ष से 06 वर्ष तक के आंगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले सभी बच्चों को विषय वस्तु आधारित ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रत्येक केन्द्र पर ''पहल'' पाठ्यक्रम प्रदान करते हुए प्रतिदिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका शिशुओं को न्यूनतम् 04 घंटे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शैक्षणिक व क्रियात्मक, गतिविधियां करायी जा रही हैं।

एक्टीविटी बुक

इस पाठ्यक्रम के साथ-साथ केन्द्र पर बच्चों को ई.सी.सी.ई. (अर्ली चाइल्डहुड केयर एण्ड एजुकेशन) के तहत एक्टीविटी बुक प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

असेसमेन्ट कार्ड

प्रत्येक शिशु की क्षमताओं, गतिविधियों एवं ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए एक असेसमेन्ट कार्ड प्रत्येक बच्चे का तैयार किया जायेगा और ई.सी.सी.ई. दिवस पर अभिभावकों के साथ उस पर चर्चा की जायेगी।

ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस (बी.एच.एन.डी./यू.एच.एन.डी.) दिवस

प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस जो कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रत्येक माह एक बार बुधवार/शनिवार को स्वास्थ्य एवं

पोषण दिवस का आयोजन किया जायेगा। इस दिन सभी महिलाएं/किशोरी/बच्चे उपस्थित रहेंगे। जिससे कि उनकी स्वास्थ्य जॉच, टीकाकरण व अन्य सभी सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस दिवस को मनाने हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ शिक्षा विभाग, ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग के ग्राम स्तरीय पदाधिकारी, ए.एन.एम., आशा, शिक्षक आदि भी भाग लेंगे व ग्रामवासियों को महत्त्वपूर्ण जानकारियॉं देंगे।

अनुपूरक पोषाहार के वितरण हेतु बचपन, लाडली तथा ममता दिवस

प्रत्येक माह की 05 तारीख को 'बचपन दिवस', 15 तारीख को 'लाडली दिवस' तथा 25 तारीख को 'ममता दिवस' के रूप में मनाया जायेगा जिससे सामुदायिक सहभागिता बढ़ेगी।

राज्य पोषण मिशन

राज्य सरकार द्वारा कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य पोषण मिशन का गठन करते हुए इसका शुभारम्भ 01 नवम्बर, 2014 में किया गया। तत्पश्चात् सभी जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा दो-दो राजस्व गांव गोद लेते हुए उन्हें 06 माह में कुपोषण की समस्या के निदान हेतु स्वास्थ्य, आई.सी.डी.एस., पंचायती राज, ग्राम्य विकास तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने के निर्देश हैं।

मिशन के अन्तर्गत कृत कार्यों की समीक्षा हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय पोषण समिति तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति गठित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक में रु. 2750.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

शबरी संकल्प अभियान

शबरी संकल्प पोषण योजना के अन्तर्गत 0-6 माह से पूर्व 03 वर्ष तक आयु के अतिकुपोषित बच्चों की पोषण की स्थिति में सुधार के लिए अतिरिक्त पोषाहार दिये जाने हेतु 06 माह से 03 वर्ष तक आयु वर्ग के अतिकुपोषित बच्चों को विभिन्न आयु वर्ग के ग्रुप बनाकर कैश ट्रांसफर किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 52400.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

नेशनल न्यूट्रीशन मिशन

भारत सरकार द्वारा नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है, जिसके द्वारा 0 से 06 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण (बौनापन) के स्तर में 02 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कमी, 0 से 06 वर्ष आयु के बच्चों में कुपोषण (अल्पवजन) में 02 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कमी, 06 माह से 59 माह तक के बच्चों में एनीमियॉं के स्तर में 03 प्रतिवर्ष की कमी, 15-49 वर्ष की किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं में एनीमिया के स्तर में 03 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कमी तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में 02 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वृद्धि निगरानी उपकरण (इन्फेन्टोमीटर, स्टेडियोमीटर, वजन मशीन-वयस्क एवं शिशु) दिया जाना, साथ ही समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्ट फोन एवं मुख्य सेविकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराया जाना है तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को आई.सी.टी.-आर.टी.एम. के उपयोग हेतु प्रोत्साहन के

रूप में रु. 500.00 की धनराशि प्रतिमाह दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की क्षमता वर्धन आईएलए के माध्यम से किया जाना है। समुदाय की सहभागिता बढ़ाने एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु समुदाय आधारित गतिविधियों इत्यादि का आयोजन किया जाना है। भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रम के संचालन हेतु 50 प्रतिशत धनराशि आईबीआरडी/एमडीबी द्वारा तथा 30 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा और 20 प्रतिशत की धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त योजना/कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार के पत्र एनएनएम/11/2017-डब्लूबी दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 के द्वारा रु. 6440.60 लाख की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराया गयी है। प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिये मातृ शिशु, बाल मृत्युदर और मातृ-बाल कुपोषण में कमी लाने हेतु उक्त कार्यक्रम संचालित कराया जाना आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आय-व्ययक में रु. 8050.75 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की अंशभागिता क्रमशः 80:20 की है।

महिला कल्याण

हमारे संविधान और उसकी प्रस्तावना में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति-निर्देशक-तत्व में भी नागरिकों की समानता निहित है जिसके फलस्वरूप इस देश में लैंगिक भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। परन्तु वास्तविकता यह है कि सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण अभी भी अधीनस्थ अवस्था में संविधान न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार देता है, बल्कि राज्य को यह अधिकार देता है कि समानता लाने के लिए वह महिलाओं के प्रति सकारात्मक विभेदीकरण की योजनायें बना सकते हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को विभिन्न विकास-सम्बन्धी कार्यक्रमों से सम्बद्ध करके उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने में मदद करने के उद्देश्य से वर्ष 1989 में शासन स्तर पर एक अलग महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया, उसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं के कल्याण सम्बन्धी किये जा रहे कार्यों की समीक्षा/समन्वय एवं महिलाओं के विकास हेतु पृथक से महिला कल्याण निदेशालय की स्थापना वर्ष 1989-90 में की गयी।

विभिन्न प्रकार की आपदाओं से ग्रस्त एवं सामाजिक कुरीतियों की शिकार महिलाओं एवं बच्चों को विविध प्रकार की आर्थिक सहायता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर सुसंस्कृत एवं विकसित व्यक्तित्व प्रदान करने जैसा गुरुतर कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जा रहा है।

वित्तीय आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण

निदेशालय के कार्यकलाप एवं प्रगति विवरण

निदेशालय द्वारा महिलाओं विशेष कर ग्रामीण एवं निर्धन वर्ग की महिलाओं को विकास की धारा से जोड़ने के लिए कई सामाजिक/आर्थिक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में संक्षिप्त वित्तीय विवरण निम्न प्रकार हैः–

जनपदों में बाल कल्याण समिति की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन के लिये आई.सी.पी.एस. के अन्तर्गत जनपदों में बाल कल्याण समिति की स्थापना 75 जनपदों में हो चुकी है वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 792.50 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित है।

शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद बालकों के लिये खुले आश्रय गृह की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन के लिये आई.सी.पी.एस. के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद बालकों के लिये खुले आश्रय गृह की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 618.19 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये विशेषीकृत यूनिटों की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन के लिये आई.सी.पी.एस. के अन्तर्गत ऐसे जरूरतमंद बच्चे, जिन्हें विशेष आवश्यकतायें अपेक्षित हैं, ऐसे विकलांगता श्रेणी अन्तःवासियों को संरक्षण दिये जाने के उद्देश्य से 19 राजकीय बाल गृहों में निवासरत् 10-10 विशेषीकृत विकलांग अन्तःवासी बालकों के लिये एक-एक यूनिट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 522.14 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित है।

विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन के लिये आई.सी.पी.एस. के अन्तर्गत जनपदों में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण इकाई की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 278.99 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित है। पी.पी.पी. माडल पर प्रथम बार विशेष आवश्यकता वाले 200 बच्चों के लिए विशेषीकृत गृहों का संचालन प्रारम्भ किया गया है। यह 12 जनपदों में हैं। यथा- लखनऊ, बरेली, वाराणसी, झाँसी, आगरा, गोरखपुर, मिर्जापुर, नोएडा, सहारनपुर, पीलीभीत, कानपुर एवं प्रयागराज में पी.पी.पी. माडल पर गृह संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/गृहों का संचालन

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन के लिये आई.सी.पी.एस. के अन्तर्गत वर्तमान गृहों को जरूरतमंद बच्चों के लिये उनकी प्रगति के आधार पर संचालित किया जा रहा है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 9905.85 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित है।

राज्य बाल संरक्षण तथा जिला बाल संरक्षण संस्था की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन के लिये आई.सी.पी.एस. के अन्तर्गत राज्य बाल कल्याण इकाई तथा जिला बाल संरक्षण इकाइयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 3367.95 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित है।

स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बालगृह/आश्रय गृह (बालक/बालिका/शिशु) की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन के लिये आई.सी.पी.एस. के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बालगृह (बालक/बालिका/शिशु/आश्रय गृह) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 900.00 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित है।

राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन के लिये आई.सी.पी.एस. के अन्तर्गत मुख्यालय पर राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना हो चुकी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 49.20 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित है।

किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन के लिये आई.सी.पी.एस. के अन्तर्गत जनपदों में किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना 75 जनपदों में हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 1125.05 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित है।

किशोर न्याय निधि

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 25.00 लाख की व्यवस्था की गयी है एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु इस योजना में रु. 700.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

परिवीक्षा सेवा क्षेत्र

प्रोबेशन आफ अफेन्डर एक्ट 1953 अपराधी मनोवृत्ति को मनोवैज्ञानिक ढंग से बदलने तथा अपराधी को दण्ड के बजाय सुधारात्मक ढंग से परिवर्तन करने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। साथ ही किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने का दायित्व जिला पर तैनात जिला परिवीक्षा अधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों को सौंपा गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 2865.65 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

संस्थाओं/गृहों का संचालन

अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपराधिक मानसिकता से जुड़े न होने पर भी विभिन्न आयु वर्ग की बालिकाएं, किशोरियाँ अपराध की गिरफ्त में आ जाते हैं अथवा कुछ ऐसी बालिकाएं/किशोरियाँ हैं जिन्हें माता-पिता अथवा संरक्षण के अभाव के कारण विकास के समुचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। उन्हें संरक्षण प्रदान करने, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दृष्टि से आयु-लिंग तथा प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए 14 राजकीय संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। जिनके लिये वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक में रु. 3547.92 लाख प्रस्तावित है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना

बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास एक सार्वभौमिक आवश्यकता है। भारतीय संविधान ने बच्चों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किये हैं, जैसे- न्याय के समक्ष समानता, 06 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देना, श्रम से रोकना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा खतरनाक प्रकृति के उद्योगों में नियुक्त न करना। प्रत्येक राज्य सरकारें बच्चों के विकास के लिए इस प्रकार की नीतियां बनायें जिससे उनके बचपन का दुरुपयोग न हो सके। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में दी गयी है। भारत सरकार/राज्य सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है, उनके लिये संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया है। तद्क्रम में अधिसूचना द्वारा वर्ष 2013 में राज्य आयोग का गठन किया गया तथा आयोग के कार्यों के निष्पादन हेतु नियमावली

2015 अधिसूचित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों के संरक्षण के सन्दर्भ में विस्तृत कार्यवाही कर उनके संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों को संरक्षित किया जाये। इसके लिये वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 629.32 लाख आय-व्ययक अनुमान प्रस्तावित है।

स्वाधार आश्रय गृह

जनपद मथुरा में स्वाधार आश्रय गृह के अन्तर्गत ऐसी महिलाओं को रखे जाने की व्यवस्था है जो निराश्रित हैं, अपने पति/बच्चे/परिवार से बेघर कर दी गयी हैं, घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं अथवा किसी दैवीय आपदा के चलते निराश्रित हो गयी हैं। उक्त के दृष्टिगत स्वाधार आश्रय गृह योजना का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। यह एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इसमें 75 प्रतिशत केन्द्र एवं 25 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 440.00 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की योजना नेशनल मिशन फार वूमेन के तहत 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना बाल लैंगिक अनुपात एवं बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा से जोड़ने तथा बाल लैंगिक अनुपात की दर में वृद्धि हेतु समेकित प्रयास के उद्देश्य से यह योजना प्रदेश के 17 जनपदों में क्रमशः आगरा, बागपत, मथुरा, बुलन्दशहर, मेरठ, झांसी, मुजफ्फर नगर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, कन्नौज, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, बरेली, लखनऊ तथा महामाया नगर में संचालित की जा रही हैं। इस मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये रु. 212.50 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

181 महिला हेल्प लाइन/वन स्टाप सेन्टर

महिला हेल्प लाइन के सार्वभौमिकरण की योजना हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घण्टे तत्काल और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही योजना है। इसके लिये वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 89.40 लाख तथा रु. 15.26 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

स्टेट रिर्सोस सेन्टर फार वूमेन एण्ड चाइल्ड

स्टेट रिर्सोस सेन्टर फार वूमेन एण्ड चाइल्ड की स्थापना महिला बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा टाटा इन्स्टीट्यूट आफ सोशल सांइसेस मुम्बई के सहयोग से महिलाओं एवं बच्चों के एक उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना की गयी है। एस.आर.सी.डब्लू.सी.ऐसे संसाधन के रूप में कार्य करेगा जिसमें महिला एवं बाल विकास एवं उनके अधिकारों के साथ हिंसा से बचाव के मुद्दे पर विश्वनीय एवं सार्थक ज्ञान की उपलब्धता होगी। सेन्टर का मिशन-महिला एवं बच्चों का सशक्तिकरण एवं संरक्षण है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये रु. 800.00 लाख की बजट व्यवस्था हो चुकी है।

दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता

वर्ष 1990-91 में समाज कल्याण विभाग द्वारा दहेज के कारण उत्पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की योजना संचालित है। वर्ष 1994-95 में यह योजना स्थानान्तरित होकर इस विभाग द्वारा व्यवहृत की जा रही है। योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन

हो, पात्रता की श्रेणी में आती हैं। ऐसी उत्पीड़ित महिला को वाद के निस्तारण तक रु. 125-00 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 9.00 लाख तक आय-व्ययक प्रस्तावित है।

दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता

वर्ष 1990-91 से समाज कल्याण विभाग द्वारा दहेज के कारण उत्पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान किए जाने की योजना संचालित थी, वर्ष 1994-95 में यह योजना स्थानान्तरित होकर इस विभाग द्वारा व्यवहृत की जा रही है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली दहेज से उत्पीड़ित महिलाओं जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो, को विधिक वाद की पैरवी हेतु रु. 2500/- की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 8.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

पति की मृत्युपरान्त महिलाओं से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार योजना

यह योजना वर्ष 1991-92 से समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित है। वर्ष 1994-95 में यह योजना स्थानान्तरित होकर इस विभाग द्वारा व्यवहृत की जा रही है। योजनान्तर्गत प्रचलित नियमावली में व्यवस्था है कि 35 वर्ष से कम आयु की ऐसी महिलाओं से विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप रु. 11000-00 का अनुदान दिया जाता है। बशर्ते की यह आयकर दाता न हो। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 45.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष

रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की स्थापना नियमावली 2015 के अन्तर्गत कोष का उपयोग जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/बालिकाओं जिन्हें तात्कालिक आर्थिक और चिकित्सीय राहत सुनिश्चित करना, पीड़िताओं के भरण पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य, पुनर्रुद्धार के साथ-साथ यदि परिस्थितिवश ऐसा अपेक्षित हो, ऐसी पीड़िताओं के अवयस्क बच्चों के भरण पोषण एवं शिक्षा के लिए भी सहायता किये जाने की व्यवस्था है। रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रदेश की महिलाओं व बालिकाओं को बहादुरी के कार्य करने तथा खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली 120 महिला प्रधानों को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किये जाने की व्यवस्था है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 10007.54 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। हेल्प डेस्क की स्थापना किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं लोहिया संस्थान लखनऊ में की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में (माह फरवरी तक) में कुल 1494 बालिकाओं/महिलाओं को रु. 53.39 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान की योजना

योजनान्तर्गत ऐसी निराश्रित महिलायें जिनके पति की मृत्यु हो गयी है एवं समाज तथा परिवार से सदैव उपेक्षित रही हैं जिनकी वार्षिक आय 2.00 लाख से कम है। जिसके कारण इन निराश्रित महिलाओं के भरण-पोषण तथा बच्चों की प्रगति पर कुप्रभाव पड़ता है। प्रदेश की ऐसी महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से वर्ष 1971-72 में यह योजना प्रारम्भ की गई। पूर्व में अनुदान की राशि रु. 150/- प्रति माह थी जिसे वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रति लाभार्थी बढ़ाकर रु. 300/- कर दिया गया है। शासनादेश दिनांक 28.9.2016 द्वारा रु. 500.00 कर दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में योजना ग्राम पंचायत के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में तहसील/निकायों के माध्यम से संचालित है। वर्ष 2018-19 में सामान्य जाति के लिए अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत रु. 103521.52 लाख एवं अनूसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत 22826.04 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

विभागीय संस्थाओं से मुक्त किये गये अन्तःवासियों के लिए राज सहायता

विभागीय संस्थाओं से स्वतः रोजगार मुक्त होने वाले संवासियों/संवासिनियों को रु. 7000/- का पुनर्वासन अनुदान दिया जाता है। जिसमें 25 प्रतिशत धनराशि नकद तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि से मशीन/उपकरण क्रय कर उपलब्ध कराया जाता है। विवाह के माध्यम से पुनर्वासित संवासिनियों को रु. 15000.00 का पुनर्वासन अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 10.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

गाजियाबाद, आजमगढ़ एवं गाजीपुर में राजकीय महिला शरणालयों की स्थापना

प्रदेश में राजकीय महिला शरणालयों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण समाज में उपेक्षित, बेसहारा, जरूरतमंद बालिकाओं/महिलाओं के संरक्षण व उचित देखभाल के दृष्टिगत जनपद गाजियाबाद, आजमगढ़ एवं गाजीपुर में राजकीय महिला शरणालयों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 300 लाख की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में रु. 344.75 लाख की व्यवस्था है।

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना

उक्त योजनान्तर्गत विधवा पेंशन पा रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु एक मुश्त रु. 10,000-00 की सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 70.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

आशा ज्योति केन्द्र :

रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्र की स्थापना के अन्तर्गत एक ही छत के नीचे महिला हेल्प लाइन, महिला थाना, कानूनी सहायता, कौशल सुधार, अल्पावास, पीड़िता के उपचार हेतु चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 17 जनपदों- आगरा, बरेली, मेरठ, गाजीपुर, गाजियाबाद, कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, मुजफ्फर नगर, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, झांसी, बांदा तथा मिर्जापुर में यह योजना संचालित की जा रही है। इस मद के लिये वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 1500.00 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

महिला समाख्या कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश में महिला समाख्या कार्यक्रम विगत 27 वर्षों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत है। वर्तमान में महिला समाख्या कार्यक्रम 19 जिलों यथा- सीतापुर, औरैया, मथुरा, बुलन्द शहर, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर, चित्रकूट, बनारस, जौनपुर, मऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, शामली, कौशाम्बी तथा चन्दौली में संचालित हैं, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। जिसके अन्तर्गत 5923 महिला संघों का गठन किया गया है। इन संघों में 1,50,000 महिलाएं एवं 30,000 किशोरियों का जुड़ाव है। ये संघ समुदाय स्तर पर महिलाओं को संगठित करने, गतिशील करने, सरकारी योजनाओं के प्रति उन्हें जागृत करने और घरेलू हिंसा व महिलाओं के प्रति अन्य प्रकार के उत्पीड़न को

रोकने व उन्हें राहत पहुंचाने के लिये सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। इन संघों के माध्यम से ही महिला समाख्या कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदाय स्तर पर अनेक ढांचों का निर्माण हुआ है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 1000.00 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय सदन

वृन्दावन मथुरा में संचालित दो आश्रय सदन लीलाकुंज एवं रास बिहारी सदन महिला कल्याण निगम द्वारा संचालित की जा रही हैं। जिसमें विभिन्न राज्यों की वृद्ध माताएं, निराश्रित तथा विधवा महिलाएं रहती हैं। राज्य सरकार द्वारा फूड मनी, पाकेट मनी, औषधि आदि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। निवासरत महिलाओं को कन्ट्रोल रेट पर राशन, आधार कार्ड, पेंशन, आदि की सुविधा उपलब्ध है। आश्रय सदन में तैनात डॉक्टरों द्वारा महिलाओं की समय-समय पर जाँच तथा निःशुल्क दवायें आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 500.00 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

वृद्ध महिला आश्रम की स्थापना

वृन्दावन मथुरा में निगम द्वारा पांच आश्रय सदनों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक नये आश्रय सदन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही जिला प्रोबेशन अधिकारी, मथुरा द्वारा की जा रही है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 650.00 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

जागृति मोबाइल एप का प्रारम्भ

जागृति मोबाइल एप का शुभारम्भ मा. मंत्री जी द्वारा दिनांक 31.03.2017 को किया गया। उक्त एप के माध्यम से विभिन्न राज्यों में किये गये अभिनव प्रयोग एवं आम जनता द्वारा महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में अपने बहुमूल्य सुझाव दिये गये हैं। महिला सशक्तिकरण में किये गये नवीन कार्यों को इस एप के द्वारा विभाग से साझा किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग

प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों के निदान, विकास की प्रक्रिया में सरकार को सलाह देने तथा उनके सशक्तिकरण हेतु आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से उ.प्र. राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम-2013 के नाम से प्रख्यापित है। आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष एवं 25 सदस्य प्राविधानित हैं। माननीय अध्यक्ष को राज्य मंत्री एवं माननीय उपाध्यक्ष को उपमंत्री का स्तर प्रदान किया गया है।

आयोग के मुख्य कार्य

- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को महिला जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन।
- दिनांक 11.10.2017 को उ.प्र. राज्य महिला आयोग के सभागार कक्ष में प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण विषयक एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें जनपद लखनऊ के विभिन्न महिला डिग्री कालेजों के प्राचार्य अथवा उनकी ओर से नामित प्रवक्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- आयोग द्वारा महिलाओं से सम्बन्धित विषयों यथा- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न एवं ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' के साथ ही

सामाजिक जागरूकता सम्बन्धी पहलुओं-स्वच्छता अभियान आदि पर प्रदेश/जनपद की महिलाओं की जागरूकता हेतु दिनांक 28.12.2017 व दिनांक 29.12.2017 को लखनऊ के 8 चयनित स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन।

- दिनांक 24.01.2018 को ''राष्ट्रीय बालिका दिवस'' के अवसर पर उ.प्र. राज्य महिला आयोग द्वारा ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' विषय पर गोमती रिवर फ्रन्ट लखनऊ पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
- दिनांक 10.01.2018 एवं दिनांक 11.01.2018 को आयोग की मा. अध्यक्ष श्रीमती जरीना उस्मानी एवं सदस्य सचिव श्रीमती गरिमा यादव ने उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा Conference hall of CM House, garhi cantt आयोजित Condition of Women after independence विषय पर आयोजित सेमिनार में प्रतिभाग किया।
- राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिनांक 31.01.2018 को विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उ.प्र. राज्य महिला आयोग के पदाधिकारियों/अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया जिसमें घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, प्रवासी विवाह के मुद्दे एवं एसिड अटैक पर परिचर्चा हुई, जिससे आयोग के प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन हुआ। आयोग द्वारा भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कालान्तर में कराया जायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनुदानित कार्यक्रम

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से निम्न कार्यक्रमों हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है-

परिवार परामर्श केन्द्र योजना

महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को परिवार परामर्श केन्द्र की स्थापना के लिए अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इन केन्द्रों पर अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं को निवारक से लेकर पुनर्वास तक की सेवायें प्रदान करने, मामलों को परामर्श द्वारा न्यायालय के बाहर निपटाने, निःशुल्क कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, मनोचिकित्सा तथा आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के लिए अनुदान दिया जाता है। निवारक उपायों के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार, आस-पड़ोस की बैठकों, फिल्म प्रदर्शन तथा नाटकों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परिवार परामर्श केन्द्रों की स्थापना स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से की जाती है। परिवार परामर्श केन्द्र के अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्र हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रु. 3,20,000 का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली/उ.प्र. समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 76 परिवार परामर्श केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना

शिशु गृह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों विशेषकर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत तथा गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से सम्बन्धित महिलाओं के बच्चों के स्वस्थ सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा निम्न आय

वर्ग की कामकाजी व बीमार महिलाओं के बच्चों के रख-रखाव व शिक्षा हेतु पालनाघर कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में 0-6 वर्ष तक के बच्चे लाभान्वित होते हैं। प्रत्येक केन्द्र में 25 बच्चे लाभान्वित होते हैं। इन बच्चों को सोने, स्वास्थ्य देखभाल, खेलने-कूदने, पौष्टिक आहार बालवाड़ी शिक्षा व रोग निरोधक टीके लगाने की सुविधा प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा पांच केन्द्र तक की स्वीकृति विकेन्द्रीयकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी की जाती है तथा पांच केन्द्रों से अधिक की स्वीकृति केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को केन्द्रीयकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी की जाती है। वर्तमान में संशोधित योजना के अन्तर्गत 01 यूनिट हेतु रु. 1,51,120 का प्रावधान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राविधानित किया गया है। सम्बन्धित योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत दिसम्बर 2016 तक केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली/उ.प्र. राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालन किया गया है, तदुपरान्त महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना संचालन का उत्तरदायित्व 01 जनवरी 2017 से उ.प्र. राज्य सरकार को सौंपा गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास एक सार्वभौमिक आवश्यकता है। भारतीय संविधान ने बच्चों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किये हैं, जैसे- न्याय के समक्ष समानता, 06 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा, बलात् श्रम से रोकना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा खतरनाक प्रकृति के उद्योगों में नियुक्त न करना। प्रत्येक राज्य सरकारें बच्चों के विकास के लिए इस प्रकार की नीतियाँ बनायें जिससे उनके बचपन का दुरुपयोग न हो सके। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है। भारत सरकार/राज्य सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है, ताकि उनके संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार सुरक्षित रहें। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया है।

तद्क्रम में अधिसूचना द्वारा वर्ष 2013 में राज्य आयोग का गठन किया गया तथा आयोग के कार्यों के निष्पादन हेतु नियमावली 2015 अधिसूचित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों के संरक्षण के सन्दर्भ में विस्तृत कार्यवाही कर उनके संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों को संरक्षित किया जाये। इसके लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 में 62387 हजार का आय-व्ययक अनुमान प्रस्तावित है।

आयोग के कार्य -

- आयोग द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु कानूनी उपायों की समीक्षा करना तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा करना।
- समय-समय पर केन्द्र सरकार को बाल अधिकार के संरक्षण सम्बन्धी उपायों पर प्रगति आख्या भेजना।
- बाल अधिकार के हनन की जाँच करना तथा मामलों में कार्यवाही की अनुशंसा करना।
- बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारण जैसे- आतंकवाद, साम्प्रदायिक हिंसा, दंगे प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एड्स, बाल व्यापार, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना तथा शोषण (प्रोनोग्राफी) तथा वैश्यावृत्ति आदि मामलों का परीक्षण कर निदान हेतु उपायों की अनुशंसा करना।

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से सम्बन्धित मामलों में संरक्षण के साथ भी अवसादग्रस्त बच्चे उपेक्षित एवं शोषित बच्चे, वादग्रस्त बच्चे, बाल अपराधी, परिवार विहीन बच्चे एवं कैदियों के बच्चों के लिए उचित शिक्षा सम्बन्धी एवं अन्य उपायों की अनुशंसा करना।
- विभिन्न संधियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों का अध्ययन करना एवं समय-समय पर वर्तमान नीतियों की समीक्षा करना, विभिन्न कार्यक्रम एवं बाल अधिकारों से सम्बन्धित गतिविधियों की समीक्षा करना तथा बाल हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा करना।
- बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहन देना।
- बाल अधिकारों से सम्बन्धित वर्तमान रक्षा उपायों का प्रकाशन, मीडिया गोष्ठी एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों से जागरूकता का प्रसार करना।
- केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित अथवा किसी स्वयं सेवा संस्था द्वारा संचालित बाल सम्प्रेक्षण गृहों, बाल सुधार गृहों एवं बच्चों से सम्बन्धित अन्य संसाधनों जहाँ पर बच्चों का इलाज, सुधार एवं संरक्षण हेतु रखा गया है, का निरीक्षण करना।
- ऐसे मामलों में शिकायतों की जाँच करना और नोटिस जारी करना जहाँ -

(क) बाल अधिकारों का हनन अथवा उल्लघंन हो।

(ख) बच्चों के विकास एवं संरक्षण हेतु निर्मित विधियों का क्रियान्वयन न होना।

(ग) बच्चों के कठोर शारीरिक दण्डों के निवारण के लिए बनायी गयी नीति निर्देशिका अथवा निर्देश जिनका उद्देश्य बच्चों का कल्याण एवं लाभ पहुँचाना है, का भली भाँति क्रियान्वयन न होना, ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी के साथ अर्थोपाय सुझाना।

(घ) बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक अन्य कार्य एवं उपरोक्त से सम्बन्धित अन्य कार्य।

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 की धारा 31 के अन्तर्गत बच्चों के शिक्षा सम्बन्धी प्रदत्त अधिकारों का अनुश्रवण, बच्चों के प्रदत्त अधिकारों/रक्षा उपायों का परीक्षण/समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्तुतियाँ करना, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से सम्बन्धित शिकायतों की पृच्छा एवं निराकरण करना।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़

भारत के संविधान में देश को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र घोषित किया गया है। संविधान जहां देश के नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, वहीं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, भाषा तथा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का अधिकार भी प्रदान करता है। साथ ही उन्हें अपनी पसन्द की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और उनके प्रबन्धन का भी अधिकार देता है।

अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने तथा उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं। ऐसी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, संचालन तथा समन्वय के लिये 12 अगस्त, 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़ विभाग का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी तथा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय में रखा गया है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत एवं उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या की तुलना में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का प्रतिशत निम्नवत् है-

क्र. सं.	समुदाय का नाम	कुल जनसंख्या की तुलना में समुदाय का प्रतिशत	
		भारत	उत्तर प्रदेश
1.	मुस्लिम	13.43	18.49
2.	ईसाई	2.34	0.13
3.	सिख	1.86	0.41
4.	बौद्ध	0.77	0.18
5.	पारसी	नगण्य	नगण्य
6.	जैन	0.41	0.12
	सभी अल्पसंख्यक समुदायों को मिलाकर	**18.81**	**19.33**

अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व निम्नवत है :-

क्र.सं.	समुदाय	भारत	उत्तर प्रदेश
1.	मुस्लिम	68.98	95.62
2.	ईसाई	12.02	0.66
3.	सिख	9.56	2.10
4.	पारसी	0.05	नगण्य
5.	बौद्ध	3.97	0.94
6.	जैन	2.10	0.64

जनगणना 2001 के आधार पर प्रदेश के 24 ऐसे जिलों, जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का 20 प्रतिशत या उससे अधिक है, की सूची निम्नवत् है-

क्र.सं.	जनपद का नाम	कुल जनसंख्या की तुलना में अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या
1.	रामपुर	52.91
2.	मुरादाबाद	46.12
3.	बिजनौर	43.56
4.	जे0पी0 नगर	40.53
5.	सहारनपुर	40.49
6.	मुजफ्फरनगर	39.27
7.	बलरामपुर	37.05
8.	बहराइच	35.42
9.	बरेली	35.16
10.	मेरठ	34.40
11.	सिद्धार्थनगर	29.95
12.	पीलीभीत	28.65
13.	बागपत	26.48
14.	गाजियाबाद	25.17
15.	लखीमपुर खीरी	22.54
16.	बाराबंकी	22.43
17.	लखनऊ	21.73
18.	बदायूँ	21.71

19.	बुलन्दशहर	21.47
20.	श्रावस्ती	21.00
21.	शाहजहाँपुर	20.32
22.	सम्भल	46.12 (अनुमानित)
23.	हापुड़	25.17 (अनुमानित)
24.	शामली	29.27 (अनुमानित)

विभाग के उद्देश्य

1. अल्पसंख्यकों में स्कूल छोड़ देने (ड्राप-आउट) की प्रकृति नियंत्रित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के समान छात्रवृत्ति वितरण। शिक्षा का प्रसार करना।
2. मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण कर उनमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी का पठन-पाठन भी कराना, ताकि इनसे पढ़कर निकले अल्पसंख्यक छात्र/छात्रा कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) के हर क्षेत्र में सक्रिय रूप से सहभागिता कर सकें।
3. मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करना, जिससे कि इन परम्परागत शिक्षण संस्थाओं से शिक्षण प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
4. शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के स्तर में सुधार के लिये बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण।
5. वक़्फ़ सम्पत्तियों का विकास कर उनसे होने वाली आय को बढ़ाना ताकि वक़्फ़ वाकिफ की इच्छानुसार परोपकारी (सामाजिक,धार्मिक, सांस्कृतिक) संस्थाओं के रूप में प्रभावी योगदान कर सकें।
6. मातृ/शिशु तथा वृद्धों से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं की अल्पसंख्यकों में पहुंच बढ़ाना।
7. निजी/अर्द्धसरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के सेवायोजन की स्थिति में सुधार हेतु चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराना।
8. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वरोजगार हेतु ऋण दिलाने के लिये मार्जिन मनी उपलब्ध कराना, टर्मलोन देना तथा मेधावी छात्रों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिये ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना।

अधीनस्थ विभागों के कार्यकलाप

1. सर्वे कमिश्नर, वक़्फ़

उत्तर प्रदेश वक़्फ़ अधिनियम-1960 के अंतर्गत सर्वे कमिश्नर वक़्फ़ संगठन की स्थापना वर्ष 1976 में की गयीं। इस संगठन का प्रमुख कार्य अपंजीकृत तथा नवसृजित अवकाफ का पता लगाकर उनके पंजीकरण हेतु सर्वे रिपोर्ट सुन्नी/शिया वक़्फ़ बोर्ड को उपलब्ध कराना है।

सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़, उ.प्र. शासन को पदेन सर्वे कमिश्नर वक़्फ़ उ.प्र., निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ.प्र. को पदेन अपर सर्वे कमिश्नर वक़्फ़ उ.प्र., प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को अपर सर्वेक्षण आयुक्त वक़्फ़, प्रदेश के उप जिलाधिकारियों को सहायक सर्वे आयुक्त वक़्फ़ तथा समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को सहायक सर्वे कमिश्नर वक़्फ़ घोषित किया गया है।

उत्तर प्रदेश में स्थित वक़्फ़ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण पूर्व में मुस्लिम वक़्फ़ अधिनियम-1960 के अंतर्गत वर्ष 1976 से 1986 के मध्य कराया गया था। इसमें 1,08,069 में सुन्नी अवकाफ तथा 3,358 शिया अवकाफ कुल 1,11,427 अपंजीकृत वक़्फ़ सम्पत्तियां प्रकाश में आयी थीं।

वक़्फ़ अधिनियम- 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदेश में स्थित वक़्फ़ सम्पत्तियों के पूर्ववर्ती सर्वेक्षण के उपरांत 10 वर्ष से अधिक की अवधि पूर्ण हो जाने के दृष्टिगत नवसृजित/अपंजीकृत वक़्फ़ सम्पत्तियों का पश्चातवर्ती सर्वेक्षण के कार्य के अन्तर्गत वर्तमान में सुन्नी/शिया की 21,118 वक़्फ़ सम्पत्तियाँ प्राथमिक सर्वे में चिन्हित की जा चुकी हैं जिसके सापेक्ष 4,855 वक़्फ़ सम्पत्तियों का स्थलीय सत्यापन कराते हुए उनके सर्वे प्रपत्र पूर्ण किये जा चुके हैं।

2. अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय

निदेशालय तथा इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय (फील्ड) कार्यालयों का गठन वर्ष 1995-96 में किया गया है। निदेशालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति योजना, पुत्री के विवाह हेतु अनुदान तथा अरबी, फारसी मदरसों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन किया जाता है।

3. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु भारत सरकार के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा उ.प्र. अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम का गठन 17 नवम्बर, 1984 को कम्पनी के रूप में किया गया। निगम की अधिकृत पूंजी रु. 30.00 करोड़ है। जिला स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निगम के पदेन जिला प्रबन्धक के रूप में कार्य करते हैं। निगम द्वारा टर्मलोन योजना अपनी अंशपूँजी तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम से प्राप्त ऋण से संचालित की जाती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल सुधार योजना तथा परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना शासन से प्राप्त अनुदान से चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा ब्याज रहित शैक्षिक ऋण योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जाती है।

4. उत्तर प्रदेश वक़्फ़ विकास निगम लिमिटेड

प्रदेश में अवकाफ की सुरक्षा एवं विकास तथा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के उद्देश्य से उ.प्र. वक़्फ़ विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 27 अप्रैल, 1987 को रुपया पांच करोड़ की अधिकृत अंशपूँजी से की गई थी। वर्तमान में निगम की अंश पूँजी रु. 10.00 करोड़ है। निगम के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं-

- अवकाफ के विकास हेतु उनकी सम्पत्तियों पर व्यावसायिक एवं आवासीय केन्द्रों, दुकानों,

कार्यालयों, होटलों, छात्रावासों तथा विद्यालयों का निर्माण।

- अवकाफ की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उन पर व्यावसायिक/औद्योगिक काम्पलेक्स के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता एवं तकनीकी सलाह उपलब्ध कराना।
- मस्जिदों, दरगाहों, इमामबाड़ों तथा ईदगाहों आदि का विकास, अनुरक्षण एवं मरम्मत।
- वक़्फ़ की ओर से मुसाफिरखानों, होटलों, पुस्तकालयों, स्कूलों आदि की स्थापना कराना।
- वक़्फ़ संस्थाओं, मुतवल्लियों तथा वक़्फ़ के लाभ-गृहीताओं को लघु उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करना, तकनीकी एवं शोध प्रयोगशालाएं स्थापित करना।
- दरगाहों तथा मुस्लिम तीर्थ यात्रियों एवं जायरीन को विश्राम गृह तथा अन्य सुविधायें प्रदान करना और ईदगाहों के वार्षिक उर्स का प्रबन्ध करना।
- आवासीय सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, औद्योगिक सहकारी एवं कृषक सहकारी संस्थाओं को स्थापित करने में मुतवल्लियों एवं वक़्फ़ के लाभ-गृहीताओं को सहायता प्रदान करना।
- वक़्फ़ संस्थाओं के लिये सर्वेक्षक, ठेकेदार एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य करना।

5. उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

प्रदेश के मुस्लिम समुदाय की पारम्परिक हज यात्रा को सुविधाजनक ढंग से सम्पन्न कराने के लिये "हज कमेटी एक्ट-2002" के अन्तर्गत उ.प्र. राज्य हज समिति विधिवत रूप से गठित है।

6. उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड

वक़्फ़ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत उ.प्र. सुन्नी सेण्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड का गठन वर्ष 1999 में किया गया। वर्तमान बोर्ड का गठन दिनांक 30-10-09 द्वारा किया गया था।

वक़्फ़ बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :

1. अवकाफ का पंजीकरण करना।
2. मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति की नियुक्ति एवं उन्हें हटाने सम्बन्धी कार्य।
3. अनाधिकृत रूप से अध्यासित/विक्रय की गई वक़्फ़ सम्पत्ति का कब्जा वापस लेना।
4. वक़्फ़ सम्पत्तियों से सम्बन्धित मुकदमों की पैरवी।
5. वक़्फ़ विकास निगम की सहायता से वक़्फ़ सम्पत्तियों का विकास। बोर्ड की आय का मुख्य स्रोत अवकाफ की आय से प्राप्त होने वाला अंशदान है।

7. उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड

वक़्फ़ अधिनियम-1995 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शिया सेण्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड का गठन वर्ष 1999 में किया गया। शिया वक़्फ़ बोर्ड के निर्वाचन हेतु दिनांक 21 मई 2014 द्वारा अधिसूचना निर्गत की गयी है।

8. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग

उ.प्र. अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1994 द्वारा प्रदेश में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों

की सुरक्षा एवं उनकी समस्याओं का अध्ययन करके समय-समय पर सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया।

9. वसीका कार्यालय हुसैनाबाद, लखनऊ

ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के माध्यम से अवध के तत्कालीन शासकों से चल/अचल सम्पत्ति के रूप में कुछ धनराशि अनुबन्ध पत्र पर ऋण स्वरूप प्राप्त की थी। अनुबन्धन के अनुसार उक्त ऋण पर ब्याज की धनराशि को ऋणदाताओं द्वारा इंगित उनके उत्तराधिकारियों/सेवकों को पीढ़ी दर पीढ़ी वसीका के रूप में अदा की जाती है। वसीका वितरण हेतु वसीका कार्यालय स्थापित है जो पूर्व में भारत सरकार के नियंन्त्रण में था। वर्ष 1957 से यह कार्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया। वर्ष 1995-96 में उ.प्र. सरकार में पृथक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन होने के बाद इसे विभाग के अधीन कर दिया गया। वसीका कार्यालय द्वारा आठ प्रकार के वसीकों, 11 प्रकार के राजनीतिक पेन्शनों तथा 13 प्रकार के अमानती नोट पर ब्याज के भुगतान किये जाने के साथ-साथ काला इमामबाड़ा तथा मिर्जा अली खां के मकबरे के नियन्त्रण/देखरेख का कार्य भी किया जाता है।

10. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश

प्रदेश के समस्त मदरसों के उन्नयन, पारदर्शिता, प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मदरसा वेब पोर्टल http://madrsaboardupsdc.gov.in लान्च किया गया है। वर्तमान में तहतानिया, फौकानिया तथा आलिया स्तर के प्रदेश में कुल 13377 मदरसे, मदरसा पोर्टल पर पंजीकृत हैं। जिनमें वर्तमान में 560 अरबी-फारसी मदरसे राज्य सरकार की अनुदान सूची पर हैं। प्रदेश शासन द्वारा उ.प्र. मदरसा शिक्षा परिषद के मुन्शी तथा मौलवी को राजकीय सेवाओं के प्रयोजनार्थ हाईस्कूल तथा आलिम परीक्षा को इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्यता का स्वरूप प्रदान किया गया है। महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा कामिल व फाजिल परीक्षा को क्रमशः स्नातक तथा स्नातकोत्तर (उर्दू) के बराबर समकक्षता प्रदान की गयी है।

शैक्षिक सत्र वर्ष 2018 की परीक्षायें माह मार्च 2018 में मदरसा पोर्टल के माध्यम से सम्पन्न करायी जायेंगी। परीक्षा वर्ष 2018 की सारी प्रक्रियाएं ऑनलाईन करायी जायेंगी। मदरसों का पोर्टल पर पंजीकरण तथा परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म भरे जाने का कार्य हो रहा है। परीक्षा वर्ष 2018 की परीक्षा सम्पन्न कराने के पश्चात माह मई 2018 में परीक्षाफल घोषित करने के पश्चात अंकपत्र सह सनद सम्बन्धित मदरसों को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त करा दी जायेगी।

उ.प्र. मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मिनी आई0टी0आई0 परीक्षा सम्पन्न करायी जाती है, जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 5,000 प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2016 की मिनी आई.टी.आई. की परीक्षा सम्पन्न करायी जा चुकी हैं तथा मिनी आई0टी0आई0 की परीक्षा वर्ष 2017 के आवेदन पत्र पोर्टल के माध्यम से भरे जा रहे हैं।

प्रदेश गैर मान्यता प्राप्त अरबी-फारसी मदरसों की विभिन्न जनपदों में जिला कल्याण अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त मान्यता आवेदन मान्यता प्रदान किये जाने की सकारात्मक प्रगति के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 22.07.2016 के अनुसार समस्त मान्यता उ.प्र. मदरसा शिक्षा परिषद कार्यालय से

प्रदान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। मान्यता प्राप्त प्रस्तावों पर परिषद स्तर पर गठित समिति के निर्णयानुसार मान्यता प्रमाण-पत्र परिषद कार्यालय द्वारा जारी किये जाते हैं।

राज्य में उ.प्र. मदरसा शिक्षा परिषद की स्थापना और उससे सम्बन्धित या अनुषंगिक विषयों की व्यवस्था हेतु उ.प्र. मदरसा शिक्षा परिषद अध्यादेश 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2004 प्रख्यापित किया गया है।

11. उ.प्र. वक़्फ़ न्यायाधिकरण

प्रदेश में स्थित वक़्फ़ सम्पत्तियों के विवादों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा दिनांक 03.03.2014 के माध्यम से उ.प्र. वक़्फ़ न्यायाधिकरण लखनऊ/रामपुर का गठन किया गया है। उक्त न्यायाधिकरणों में शासन द्वारा अध्यक्ष, सदस्य व रजिस्ट्रार की नियुक्तियाँ की गयी हैं। न्यायाधिकरणों के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा धनराशि निर्गत की जाती है।

विभाग द्वारा संचालित मुख्य कार्यक्रम

क. निदेशालय द्वारा संचालित योजनायें

छात्रवृत्ति योजना

1. पूर्वदशम छात्रवृत्ति

पूर्वदशम् कक्षाओं; कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं हेतु योजनान्तर्गत दिनांक 07.07.2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी छात्रों, जिनके द्वारा पिछली अन्तिम वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों तथा जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रु. 2.00 लाख है, को अधिकतम रु. 2250/- की छात्रवृत्ति से लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में रु. 2512.00 लाख तथा जिला योजना पक्ष में रु. 1053.00 लाख अर्थात् कुल रु. 3565.00 लाख की धनराशि का प्रावधान है।

2. दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित किये जाने के उद्देश्य से योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश दिनांक 07-07-2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी छात्र जिन्होंने पिछली अन्तिम वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों तथा जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रु. 2.00 लाख तक है, योजनान्तर्गत पात्र माने जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में छात्रवृत्ति हेतु रु. 14867.00 लाख एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु रु. 15,000.00 लाख की धनराशि का बजट में प्रावधान है।

3. अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/निराश्रित अभिभावकों की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना में किसी गरीब अभिभावक

की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री रु. 20,000/- की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना के तहत रु. 7400.00 लाख धनराशि का बजट प्रावधान है।

4. मेडिकल/इंजीनियरिंग की परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005-06 से दिनांक 10 फरवरी, 2006 के अनुसार जनपद लखनऊ में 100 छात्र/छात्राओं को मेडिकल/इंजीनियरिंग की कोचिंग योजना के लिये कुल फीस (अधिकतम रु.15000/- प्रति अभ्यर्थी) दी जाती है। अभ्यर्थी को कोचिंग में प्रवेश के समय 50 प्रतिशत धनराशि एवं कोर्स समाप्ति पर 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना के अन्तर्गत 100अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने के लिये बजट में रु. 15.00 लाख की धनराशि का आयोजनेत्तर पक्ष में प्रावधान है।

5. अरबी फारसी मदरसों को मान्यता एवं अनुदान सूची पर लिए जाने की योजना

अरबी फारसी मदरसों को मान्यता प्रदान करने तथा इनकी परीक्षाओं को संचालित करने हेतु प्रदेश स्तर पर मदरसा शिक्षा परिषद स्थापित हैं। प्रदेश के तहतानियां, फौकानियां तथा उच्च श्रेणी के मदरसों को मान्यता रजिस्ट्रार स्तर से प्रदान की जाती है।

मान्यता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिये शासन द्वारा उपलब्ध संसाधनों को देखते हुये समय-समय पर आलिया स्तर के मान्यता प्राप्त अरबी, फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 560 अरबी, फारसी मदरसों को शासकीय अनुदान दिया जा रहा है। वेतन का भुगतान सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में पुराने 360 मदरसों हेतु राजस्व पक्ष में वेतन भुगतान हेतु रु. 51175.17 लाख तथा 100 आलिया स्तर के मदरसों के कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु रु. 10164.00 लाख, 146 नये मदरसों को अनुदान हेतु रु. 11366.04 लाख अर्थात कुल रु. 72705.18 लाख का प्रावधान किया गया है।

6. अनुदानित मदरसों को पोषण अनुदान दिये जाने की योजना

अनुदानित मदरसों में विद्युत व्यय, जल/भूमिकर, पुस्तक एवं लेखन सामग्री, काष्ठोपकरण अनुषंगिक व्यय तथा भवन के जीर्णोद्धार के लिये निर्धारित शर्तों एवं मानक के अनुसार अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2028-19 में रु. 10 लाख का प्रावधान है।

7. प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई.टी.आई.)

प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में परम्परागत शिक्षा के साथ-साथ अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई.टी.आई.) प्रारम्भ की गयी है, जिसके प्रथम चरण में 140 मदरसों में मिनी आई.टी.आई. की स्थापना कर मदरसा प्रबन्ध-तंत्र को परम्परागत शिक्षा के साथ-साथ बालक/बालिकाओं को उनकी अभिरुचि के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

8. अरबी फारसी मदरसों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार योजना

प्रदेश के अरबी, फारसी मदरसों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं में अध्यापन कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा शिक्षण के स्तर में सुधार हेतु उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा की भाँति मदरसों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को भी राज्य अध्यापक पुरस्कार से पुरस्कृत किये जाने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत तीन श्रेणी के पुरस्कार होंगे, तहतानिया स्तर के 03, फौकानिया स्तर के 03 एवं आलिया स्तर के 03 कुल 09। अरबी, फारसी मदरसों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु प्रति वर्ष चयनित किए जाने की व्यवस्था है। राज्य पुरस्कार हेतु चयनित अरबी, फारसी मदरसों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को रु. 10,000/- नकद पुरस्कार, चाँदी का पदक तथा शाल प्रदान किया जाता है। वर्ष 2018-19 में योजना के लिए रु. 7.25 लाख का प्रावधान कराया गया है।

9. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुद्देशीय हब की स्थापना

यह योजना प्रदेश में सबसे अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले 20 जनपदों में लागू की जानी है। चयनित जनपद में एक बालक तथा एक बालिका राजकीय मॉडल इण्टर कालेज स्थापित किया जायेगा। योजना के लिये माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा का मॉडल लिया गया है। स्थानीय औचित्य तथा आवश्यकता के अनुसार छात्रावास के भी स्थापना की व्यवस्था है। प्रस्तावित मॉडल इण्टर कालेज के मानक केन्द्रीय विद्यालय के होंगे। मॉडल इण्टर कालेज का पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग का होगा तथा आवर्ती व्यय का वहन और संचालन उन्हीं के द्वारा किया जायेगा।

वर्ष 2018-19 में योजना के लिए रु. 2473.00 लाख का प्रावधान है।

ख. केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में सघन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कई योजनाओं में शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में संचालित योजनायें निम्नवत् हैं-

1. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में महिला छात्रावास निर्माण/कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हेतु भवन निर्माण की योजना

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिये भारत सरकार की शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता से यह योजना वर्ष 1993 से चलायी जा रही है।

अब तक 24 छात्रावासों एवं 11 विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में छात्रावास निर्माण हेतु रु. 340.58 लाख एवं विद्यालय भवन निर्माण हेतु रु. 340.58 लाख का बजट प्रावधान कराया गया है।

2. अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना

इस योजनान्तर्गत धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। यह योजना शत-प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित है। योजना के अन्तर्गत धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) को पढ़ाने के लिए भारत

सरकार की गाइड लाइंस दिनांक 01-12-2008 के अनुसार स्नातक शिक्षक को रु. 6,000/- प्रतिमाह तथा परास्नातक के साथ बी0एड0 शिक्षकों को रु.12,000/- प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त बुक बैंक की स्थापना हेतु रु. 50,000/-, विज्ञान एवं गणित किट हेतु रु.15,000/- आलिया तथा उच्च आलिया स्तर के मदरसों के लिए कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु रु.1.00 लाख प्रति मदरसा का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रांश एवं राज्यांश के मानदेय के रूप में रु. 40414.88 लाख की बजट में व्यवस्था कराई गई है।

3. भारत सरकार द्वारा संचालित मेरिट-कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रदेश में लागू की गई है जो शत-प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अध्ययनरत छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम रु. 2.50 लाख है, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के 80 व्यावसायिक एवं तकनीकी निर्धारित पाठयक्रमों में अध्ययनरत हों, तथा गत् परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, अर्ह माने जायेंगे। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में दिये जाने की व्यवस्था है।

पात्र एवं चयनित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मासिक दर से छात्रवृत्ति एवं पाठ्यक्रम शुल्क प्रदान किया जाता है ः-

निर्धारित दरें :

श्रेणी	दर (प्रति माह)	
	दिवा छात्र	छात्रावासीय छात्र
स्नातक स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु	रु. 500/- प्रति माह (रु. 5000/- वार्षिक अधिकतम)	रु. 1000/- प्रति माह (रु. 10,000/- वार्षिक अधिकतम)
पाठ्यक्रम शुल्क	रु. 20,000/- वार्षिक	रु. 20,000/- वार्षिक

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रशासनिक व्यय के मद में रु. 322.65 लाख धनराशि की बजट में व्यवस्था है।

4. भारत सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007-08 में शासनादेश दिनांक 02 जनवरी, 2008 द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू की गई है। यह योजना शत्-प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डी.बी.टी. किया जा रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अध्ययनरत छात्र/छात्राएं, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रु. 2.00 लाख से अधिक न हो तथा गत् परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, अर्ह माने जायेंगे।

निर्धारित दरें :

श्रेणी	कक्षा का स्तर	दर (प्रति माह)	
		दिवा छात्र	छात्रावासीय छात्र
समूह-1	स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम	–	–
समूह-2	एम.फिल./पीएच.डी.	रु. 550/-	रु. 1200/-
समूह-3	स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम	रु. 300/-	रु. 570/-
समूह-4	कक्षा 11-12 एवं समकक्ष तकनीकी पाठ्यक्रम	रु. 230/-	रु. 380/-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय के मद में रु. 503.92 लाख की धनराशि का बजट में प्रावधान कराया गया है।

5. भारत सरकार द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2008-09 में शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2008 द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू की गई है। यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 तक 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश आधारित केन्द्र पुरोनिधानित योजना थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 से भारत सरकार द्वारा यह योजना शत्-प्रतिशत केन्द्र पोषित कर दी गई है।

इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अध्ययनरत छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रु. 1.00 लाख से अधिक न हो तथा गत् परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों (लेकिन कक्षा 1 के छात्र/छात्राओं हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के स्थान पर उनके अभिभावक की वार्षिक आय ही आधार होगी) अर्ह माने जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना के अन्तर्गत रु. 60000.00 लाख की धनराशि का बजट में प्रावधान कराया गया है।

6. भारत सरकार द्वारा संचालित फ्री-कोचिंग एण्ड एलाइड योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007-08 में शासनादेश दिनांक 30 अगस्त, 2007 द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु तथा रोजगार सम्बन्धी परीक्षाओं की तैयारी हेतु भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार चयनित संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा सहायता दी जाती है।

7. मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्लान

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 48 जनपदों के 139 विकास खण्डों तथा 18 नगरीय क्षेत्रों में यह योजना लागू है। अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा, रोजगार और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अन्तर को दूर करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश निरन्तर प्रयत्नशील है। एम.एस.डी.पी. के अन्तर्गत अब शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी

सुविधाओं के सृजन पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। यह प्रयास है कि परियोजनाओं को तय समय में पूर्ण करके क्रियाशील बनाया जाये जिससे जनसामान्य को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए त्रिपक्षीय अनुबन्ध प्रणाली विकसित की गई है, जिससे परियोजनाओं को पूर्ण करने के साथ ही संचालित करने वाले विभागों द्वारा इनमें आवश्यक पदों का सृजन कर लिया जाए। नियमित रूप से गहन समीक्षा के फलस्वरूप अप्रैल से दिसम्बर 2017 के मध्य 38 इण्टर कालेजों, 3 पॉलीटेक्निक, 13 आई टी आई, 5 प्राइमरी स्कूल, 6 हॉस्टल, 28 प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्रों, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 6 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 484 आंगनबाडी केन्द्रों सहित 11 पेयजल परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। सामाजिक समरसंता और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से प्रदेश में 18 सद्भाव मंडपों का निर्माण कराया जा रहा है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत मद में रु. 37300.00 लाख की धनराशि तथा राजस्व मद में रु. 3110.00 लाख अर्थात कुल रु. 40410.00 लाख की धनराशि का बजट में प्रावधान किया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित योजनायें

1. व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार योजना

अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों/युवतियों को स्वावलम्बी बनाने तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सरकारी तथा गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से यह योजना चलाई जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर, टाइपिंग, वैल्डिंग, मोटर ड्राइविंग, फोटोग्राफी, आटोमोबाइल्स, रैफ्रीजरेशन, एयर कण्डीशनिंग एवं फैशन डिजाइनिंग आदि अनेक उपयोगी व्यवसायों में अल्पकालीन प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को निगम के टर्मलोन/मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान कर उन्हें स्वतः रोजगार में स्थापित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में रु.0.01 लाख की धनराशि का प्रावधान है।

2. परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न व्यावसायिक पाठयक्रमों तथा सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बेहतर अवसर एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से व्यवसायिक कोर्सों तथा नौकरियों के लिये आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये इस वर्ग के प्रतियोगियों को तैयार करने हेतु निगम द्वारा कोचिंग योजना चलाई जा रही है। इस योजना के लिये वही अभ्यर्थी पात्र हैं, जिनके अभिभावकों की आय रुपया 1.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक न हो। व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा, उ.प्र. बोर्ड से कम से कम 55 प्रतिशत अथवा सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से कम से कम 65 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु.0.01 लाख का प्रावधान है।

3. अधिकारिता तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान

निगम द्वारा एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, डालीगंज स्थित खन्ना मिल कम्पाउण्ड लखनऊ में

संचालित किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण संस्थान में 5 विभिन्न ट्रेडों में (इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रानिक, वेल्डिंग, ए0सी0 एवं रेफ्रीजरेशन तथा फैशन डिजाइनिंग) निगम के पूर्णकालिक प्रशिक्षित अनुदेशकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। छह माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक ट्रेड में 20-20 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु चलाया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को पात्रता के आधार पर निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण भी प्रदान किया जाता है।

(घ) उत्तर प्रदेश वक़्फ़ विकास निगम की योजनायें

1. वक़्फ़ सम्पत्तियों का विकास

वक़्फ़ विकास निगम का मुख्य कार्य वक़्फ़ सम्पत्तियों का विकास करना है। निगम द्वारा सर्वे कमिश्नर, वक़्फ़/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के जिला स्तरीय कार्यालयों के सहयोग से विकास हेतु वक़्फ़ सम्पत्तियों का चयन किया जाता है। चयन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सम्पत्ति वक़्फ़ बोर्ड में पंजीकृत हो, उसके स्वामित्व का कोई विवाद न हो, उस पर पहले से कोई कर्ज न हो, प्रस्तावित योजना की आराजी पर स्थित धार्मिक भवनों/कब्रों को क्षति पहुंचने की सम्भावना न हो। आराजी पर अनाधिकृत कब्जा न हो तथा योजना पर व्यय की गयी धनराशि को विकसित की गयी सम्पत्ति की आय से सर्विस एवं सुपरविजन चार्ज सहित निर्धारित अवधि में वापस लिया जाना सम्भव हो।

2. निर्माण एजेन्सी के रूप में कार्य

उ.प्र. वक़्फ़ विकास निगम लि. द्वारा वक़्फ़ सम्पत्तियों के विकास के साथ-साथ विभागीय निर्माण एजेन्सी के रूप में डिपाजिट वर्क का कार्य भी किया जाता है। इसी के क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़ विभाग द्वारा एम0एस0डी0पी0 योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 3661.16 लाख का कार्य आवंटित किया गया। उक्त निर्माण कार्यों से निगम को 12.50 प्रतिशत की दर से सुपरविजन चार्जेज के रूप में आय प्राप्त होती है, जिससे निगम के अधिष्ठान एवं प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति द्वारा हज यात्रियों के लिये व्यवस्था

1. उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों हेतु व्यवस्था

प्रदेश हज यात्रियों को हज यात्रा हेतु सऊदी अरब भेजने तथा हज सम्बन्धी कार्यों के लिए उ.प्र. राज्य हज समिति का गठन किया गया है।

वर्ष 2017 में उ.प्र. से 29444 हज यात्रियों को सऊदी अरब भेजा गया था। वर्ष 2018 में लगभग 29851 हज यात्रियों का कोटा निर्धारित किया गया है, जिन्हें हज यात्रा पर भेजा जायेगा। वर्ष 2018-19 में कुल रु. 268.67 लाख का प्रावधान है।

●

पिछड़ा वर्ग कल्याण

धर्म निरपेक्षता और प्रजातांत्रिक प्रणाली को आधार मानकर भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों को जहाँ समानता का अधिकार दिया गया है। वहीं समाज के कमजोर और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से ऊंचा उठाने हेतु संविधान की धारा 14, 15, 16, 335, 338, 339, 340, 341 तथा 342 का प्रावधान किया गया है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के हितार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 1995-96 तक यह कार्यक्रम प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लगभग 52 प्रतिशत (सामाजिक न्याय समिति के अनुसार) जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है और इतनी बड़ी जनसंख्या के विकास एवं कल्याण हेतु निःसंदेह ही एक स्वतंत्र विभाग की आवश्यकता का अनुभव बहुत पहले से किया जा रहा था। अतः वित्तीय वर्ष 1995-96 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या : 4056/बीस-ई-1-95-539(2)/95, दिनांक 12 अगस्त, 1995 द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना स्वतंत्र रूप से की गयी।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित है।

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शासनादेश संख्याः 22/16/92-कार्मिक, दिनांक 09 मार्च, 1993 को किया गया था, जो राज्याधीन सेवाओं में पिछड़े वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण सुनिश्चित कराने तथा पिछड़े वर्ग की सूची में अपेक्षित जातियों का समावेश करने अथवा निष्कासित करने की संस्तुति शासन को भेजने का कार्य कर रहा है।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना शासनादेश संख्याः 3459/26-3-89-9(51)/89, दिनांक 20 सितम्बर, 1989 द्वारा की गयी है, जो पिछड़े वर्ग के कमजोर लोगों के आर्थिक उत्थान हेतु परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित कार्यक्रम

पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है। शिक्षा के अभाव के कारण ही कोई वर्ग पिछड़ा रह जाता है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति की लम्बी अवधि के बाद भी अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक स्तर में अभी तक अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए कई प्रयत्न किये गये हैं। वर्तमान में पिछड़े वर्गों के विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूर्वदशम् छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं छात्रावास निर्माण के साथ दशमोत्तर कक्षाओं के लिए प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति तथा बेरोजगार युवक/युवतियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्गों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार से अनुदान दिलाये

जाने की योजनाएँ भी संचालित की जा रही हैं।

- **पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर)**

पूर्वदशम् कक्षाओं के कक्षा 9 एवं कक्षा 10 में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के सभी पात्र छात्र/छात्राओं को निम्नलिखित विवरण के अनुसार छात्रवृत्ति का वितरण कराया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी कर दी गयी है। वर्तमान दरें एवं आय सीमा की शर्तें निम्नवत हैं :-

क्र.सं.	कक्षा	छात्रवृत्ति की मासिक दरें	अभिभावक की आय सीमा	वर्ष में देयता
1	9, 10	रु. 150.00 प्रतिमाह एवं तदर्थ अनुदान रु. 750/- एक मुश्त	2.00 लाख वार्षिक	10 माह

पूर्वदशम् छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति वितरण योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 से कम धनराशि का बजट प्रावधान होने के कारण स्थगित है।

शैक्षिक सत्र 2014-15 से कक्षा 9 एवं 10 की छात्रवृत्ति भी दशमोत्तर छात्रवृत्ति की भाँति छात्र/छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाने एवं धनराशि कोषागार की ई-पेमेंट प्रणाली के माध्यम से उनके बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 सर्वर के द्वारा अन्तरित किये जाने की व्यवस्था की गई है।

- **दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर)**

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए शासनादेश सं0- 11(1)- (छात्रवृत्ति)/2013/64-2-2013, दिनांक 08 जनवरी, 2013 द्वारा उ.प्र. अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली, 2012 यथासंशोधित नियमावली 2017 जारी कर दी गयी है, जिसके अनुसार शैक्षिक सत्र 2012-13 से अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को, जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय सीमा रु. 2.00 लाख वार्षिक तक है, को दशमोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति की मासिक दरें निम्नवत् हैं :-

दशमोत्तर छात्रवृत्ति की दरें (मासिक) **(रुपये में)**

क्र.सं.	समूह	दिवा छात्र	छात्रावासीय छात्र
1	I	500	1200
2	II	530	820
3	III	300	570
4	IV	230	380

- **दशमोत्तर कक्षाओं हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर)**

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए शासनादेश सं0- 11(1)- (छात्रवृत्ति)/2013/64-2-2013, दिनांक 8 जनवरी, 2013 को उ.प्र. अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली, 2012 यथासंशोधित नियमावली 2017 जारी कर दी गयी है, जो समय-समय पर यथासंशोधित की जाती रही है। जिसके अनुसार शैक्षिक सत्र 2012-13 से अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को, जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय सीमा रु. 2.00 लाख वार्षिक तक है, को दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

शैक्षिक सत्र 2013-14 से दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाने की व्यवस्था की गयी है तथा छात्रवृत्ति का भुगतान कोषागार की ई-पेमेन्ट प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं को पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से उनके बैंक खातों में किए जाने की व्यवस्था की गई है।

- **दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अधिकाधिक छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराया जाना**

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना 100 प्रतिशत केन्द्रपोषित योजना है, किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा नाम मांग के सापेक्ष अपेक्षित धनराशि प्राप्त न होने के कारण लाखों की संख्या में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राएं पात्र होने के बावजूद छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह जाते हैं, इस हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पूर्व निर्धारित संरचना को तार्किक रूप देते हुए ज्यादा से ज्यादा छात्र/छात्राओं तक योजना का कवरेज बढ़ाये जाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम ग्रुपवार अधिकतम फीस की सीमा यथा- कोर्स ग्रुप-1 हेतु अधिकतम रु. 50 हजार, कोर्सग्रुप-2 हेतु अधिकतम रु. 30 हजार तथा कोर्सग्रुप-3 व 4 के एक वर्षीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों व गैर तकनीकी कोर्सों हेतु रु. 10 हजार व अन्य तकनीकी कोर्सों हेतु रु. 20 हजार अधिकतम निर्धारित किये जाने व गत कक्षा की मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति दिए जाने की व्यवस्था वर्ष 2017-18 से की है। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2017-18 से गत परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

- **छात्रावास निर्माण योजना**

शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब छात्र/छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थाओं के परिसर में छात्रावासों का निर्माण कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत 08 छात्रावास- बढरा पॉलीटेक्निक बहराइच, मा. कांशीराम इंजी. कालेज ऑफ इन्फारमेशन टेक्नालॉजी अम्बेडकर नगर, राजकीय जुबली इण्टर कालेज गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज गोरखपुर, राजकीय इण्टर कालेज बंगर जालौन, मोहम्मद अली जौहर विश्व विद्यालय रामपुर, मोती चन्द्र पॉलीटेक्निक कुशीनगर एवं रामबचन यादव महाविद्यालय फूलपुर आजमगढ़ वर्तमान में निर्माणाधीन हैं।

- **शादी अनुदान योजना**

पिछड़े वर्ग के निःसहाय निर्धन तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु आनलाइन आवेदन किये जाने पर नियमानुसार रु. 20,000/- सहायता अनुदान दिये जाने का प्रावधान है, जिसमें विकलांग, विधवा, दैवीय आपदा एवं भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाती है। शादी अनुदान योजना में लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष होना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना हेतु रु. 154.00 करोड़ की व्यवस्था प्रथम अनुरपूरक बजट में की गयी है।

- **कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना**

अन्य पिछड़े वर्ग के इण्टरमीडिएट पास एवं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रु. 1,00,000/- तक अथवा उससे कम है ऐसे बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करने हेतु 'ओ'

लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं सी.सी.सी. कम्प्यूटर प्रशिक्षण भारत सरकार की डोयक सोसाइटी/नीलिट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से संचालित हैं। उक्त कोर्स हेतु भुगतान की जाने वाली धनराशि अधिकतम क्रमशः रु. 15,000/- एवं रु. 3500/- प्रति छात्र की दर से संस्था को किये जाने का प्रावधान है। प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष एवं 3 माह होती है।

- **सतर्कता प्रकोष्ठ**

आरक्षण की अनुमन्यता हेतु जाति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र उस क्षेत्र में जिसमें अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा जहां उसका जन्म हुआ हो, के जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार को संबंधित अभ्यर्थी द्वारा यदि वह वयस्क है अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक शपथ पत्र के साथ अभ्यर्थी की जाति, उपजाति, जातीय समुदाय, जनजाति या जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग व अभ्यर्थी के मूल निवास आदि संबंधी ऐसे विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे जो निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा विहित किये जायेंगे। जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय में अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक सतर्कता प्रकोष्ठ गठित किया गया है जिसके द्वारा पिछड़ी जातियों को जारी किये गये प्रमाण-पत्रों की शिकायतें प्राप्त होने पर जाँच की जाती है।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

प्रदेश में पिछड़ी जातियों के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्याः 3459/26-3-89-9(51)/89, दिनांकः 20 सितम्बर, 1989 द्वारा 10 करोड़ रुपये की अधिकृत अंशपूँजी से उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी। शासन द्वारा निगम की अधिकृत अंशपूँजी रु. 10.00 करोड़ से बढ़ाकर रु. 30.00 करोड़ कर दी गयी है। उत्तर प्रदेश शासन के उपर्युक्त आदेश के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमन कम्पनी रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश, कानपुर के प्रमाण पत्र सं0-20-13091/91, दिनांक 26 अप्रैल, 1991 द्वारा कराया गया।

उद्देश्य

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अधिसूचित पिछड़ी जातियों के बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न व्यवसाय/उद्यम/उद्योग स्थापित करने हेतु आसान ब्याज दर पर मार्जिन मनी, टर्मलोन, शैक्षिक ऋण, न्यू स्वर्णिमा योजना, सक्षम, शिल्प सम्पदा, महिला समृद्धि, कृषि सम्पदा तथा सूक्ष्म क्रेडिट वित्त पोषण योजनाओं के अन्तर्गत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराकर उनको सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से आत्म निर्भर बनाना है।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित ऋण योजनायें

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली की चैनलाइजिंग एजेंसी (कार्यकारी शाखा) के रूप में कार्यरत है। निगम द्वारा राष्ट्रीय निगम से आसान ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर निम्नलिखित ऋण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी

की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है।

(क) टर्मलोन योजना

1. सामान्य ऋण (जनरल लोन)
2. शैक्षिक ऋण
3. न्यू स्वर्णिमा (केवल महिलाओं के लिए)

(ख) सूक्ष्म ऋण (माइक्रो फाइनेंस)

1. माइक्रो क्रेडिट (सभी स्वयं सेवी सहायता समूहों के लिए)
2. महिला संवृद्धि (सभी स्वयं सेवी सहायता समूहों के लिए)

सामान्य ऋण योजना (जनरल लोन)

इस योजना के अन्तर्गत कृषि, दस्तकारी, पारम्परिक व्यवसाय, तकनीकी व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योग तथा अन्य सामान्य व्यवसायों हेतु 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है।

शैक्षिक ऋण योजना

निगम द्वारा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों जो गरीबी रेखा अथवा दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, को व्यवसायिक, तकनीकी शिक्षण तथा प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक ऋण प्रदान किये जाने की योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत भारत में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अधिकतम रु. 10.00 लाख अथवा जो कम हो, का ऋण प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है तथा विदेश में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अधिकतम रु. 20.00 लाख अथवा जो कम हो का ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिये जाने का प्रावधान है। शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत अध्ययन लागत का 90 प्रतिशत अंश राष्ट्रीय निगम, 05 प्रतिशत अंश राज्य निगम तथा शेष 05 प्रतिशत अंश स्वयं छात्र/छात्राओं द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान है। शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्रा को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश प्राप्त होना आवश्यक है। ऋण का पुनर्भुगतान कोर्स पूर्ण होने के 6 माह बाद अथवा सम्बन्धित विद्यार्थी द्वारा सेवा प्राप्त करने या स्वरोजगार प्रारम्भ करने, जो भी पहले हो, से प्रारम्भ होगा। कुल पुनर्भुगतान अवधि अधिकतम 5 वर्ष की होगी जो कि मासिक किश्तों में होगी।

न्यू स्वर्णिमा योजना (केवल महिलाओं के लिए)

पिछड़े वर्ग की गरीबी रेखा, दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने हेतु निगम द्वारा उनके लिए न्यू स्वर्णिमा योजना संचालित की गयी है। महिलाओं को न्यू स्वर्णिमा योजना के अन्तर्गत समाहित परियोजना में रु. 1.00 लाख तक लागत की परियोजनाओं में 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। न्यू स्वर्णिमा योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 95 प्रतिशत अंश राष्ट्रीय निगम तथा शेष 05 प्रतिशत अंश राज्य निगम द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को अपना अंश लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर्णिमा योजना में ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि सामान्य ऋण से 2 वर्ष अधिक है।

सूक्ष्म वित्त पोषण योजना (माइक्रो फाइनेन्सिंग स्कीम)

इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को लघु उद्योग स्थापित करने हेतु रु. 50,000.00 तक का ऋण 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को अथवा लाभार्थी के स्वयं सहायता समूह को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 90 प्रतिशत अंश राष्ट्रीय निगम, 05 प्रतिशत अंश राज्य निगम तथा शेष 05 प्रतिशत अंश स्वयं लाभार्थी द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान है।

महिला समृद्धि योजना (केवल स्वयं सेवी सहायता समूहों के लिए)

महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को रु. 50,000.00 तक का ऋण 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 95 प्रतिशत अंश राष्ट्रीय निगम तथा 05 प्रतिशत अंश राज्य निगम/स्वयं लाभार्थी द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान है।

प्रशिक्षण योजना

पिछड़े वर्गों के सदस्यों को तकनीकी एवं उद्यमिता दक्षता की प्रोन्नति हेतु निगम द्वारा परियोजना सम्बद्ध प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य लक्षित वर्ग को पारम्परिक एवं तकनीकी व्यवसायों एवं उद्यमिता के क्षेत्र में उपयुक्त तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर योग्य एवं आत्मनिर्भर बनाना है। उक्त प्रशिक्षण हेतु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, द्वारा प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के पश्चात् प्रशिक्षु निगम की सामान्य ऋण योजना के अन्तर्गत अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु ऋण प्राप्त कर सकता है।

विगत दस वर्षों से पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम द्वारा ऋण वितरण का कार्य नहीं किया जा रहा है।

ऋण प्राप्त करने हेतु पात्रता :

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित उक्त योजनाओं से लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे–

1. जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो,
2. जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आवेदकों के प्रार्थना पत्र पर वरीयता के आधार पर पहले विचार किया जाएगा, जिसने राजकीय सेवा हेतु अधिकतम आयु पूर्ण कर ली हो अर्थात् राजकीय सेवा हेतु अधिकतम आयु के आधार पर अर्ह न हों, परन्तु अधिकतम 40 वर्ष से अधिक न हों।
3. जो बेरोजगार हो और जीवनयापन का कोई साधन उसके पास न हो।
4. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़ी जाति का सदस्य हो।
5. कम से कम स्नातक स्तर की शैक्षिक आर्हता (सामान्य/तकनीकी) वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।
6. सम्बन्धित व्यवसाय/उद्योग में तकनीकी जानकारी/अनुभव प्राप्त व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी।
7. गरीबी रेखा/दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा हो अर्थात् जिसकी/परिवार की वर्तमान में समस्त स्रोतों से वार्षिक आय निम्न प्रकार हो :

- शहरी क्षेत्र में रु. 1,20,000.00 वार्षिक आय।
- ग्रामीण क्षेत्र में रु. 98,000.00 वार्षिक आय।

ऋण की अदायगी

ऋण की अदायगी 60 बराबर किश्तों में किए जाने व नियमित ऋण की अदायगी करने पर ब्याज में 0.5 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने तथा नियमित भुगतान न करने पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से दण्ड ब्याज भुगतान का प्रावधान है। निगम की ऋण योजनावली के अंतर्गत ऋण माफी की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि ऋण वितरण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से ऋण लेकर किया जाता है और राष्ट्रीय निगम की कोई ऋण माफी की योजना नहीं है।

ऋण का उपयोग

लाभार्थी द्वारा ऋण का उपयोग यदि उस कार्य हेतु नहीं किया जाता है जिसके लिए ऋण प्राप्त किया है तो ऋण की धनराशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज चार्ज किया जायेगा तथा बकाया धनराशि एकमुश्त वसूल किए जाने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एवं विकास निगम के अनुदान से संचालित प्रशिक्षण योजना के उद्देश्य

प्रदेश के अधिसूचित पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को उनके परम्परागत तकनीकी कार्यों और उद्यमों हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें उनके कार्य के योग्य एवं निपुण बनाना राष्ट्रीय निगम की इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पिछड़े वर्ग के पात्र व्यक्तियों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय निगम द्वारा प्रदत्त अनुदान से राष्ट्रीय निगम द्वारा चयनित प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उन्हें तकनीकी एवं उद्यम से संबंधित प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता उ.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि. की ऋण योजनाओं के अन्तर्गत अपना कार्य प्रारम्भ करने हेतु ऋण प्राप्त कर सकता है।

पात्रता

केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पिछड़े वर्ग के ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय शहरी क्षेत्र में रु. 1,20,000.00 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रु. 98,000.00 से अधिक न हो, इस योजना के पात्र हैं।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश

भारत के संविधान में समाज के पिछड़े वर्गों के लिये विशेष सुविधायें एवं आरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि इन जातियों/वर्गों का बहुमुखी विकास एवं जीवन स्तर अन्य वर्गों के समान हो सके। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा गठित वी0पी0 मण्डल आयोग की संस्तुतियों के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय विशेष संविधान पीठ ने ''इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ'' वाद में अपने ऐतिहासिक फैसले वर्ष 1992 में परमादेश जारी किया कि अन्य पिछड़े वर्गों में जातियों को सम्मिलित/निष्कासित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे ट्रिब्यूनल या आयोग गठित किये जायेंगे जो शासन को अपनी संस्तुति करेंगे।

आयोग के कार्य

(क) आयोग अनुसूची में किसी वर्ग के नागरिकों को पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किये जाने के

अनुरोधों का परीक्षण करेगा और अनुसूची में किसी पिछड़े वर्ग के गलत सम्मिलित किये जाने या सम्मिलित न किये जाने की शिकायतें सुनेगा और राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे।

(ख) तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन पिछड़े वर्ग के लिये उपबन्धित रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करेगा और ऐसे रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) की प्रणाली का मूल्यांकन करेगा।

(ग) पिछड़े वर्ग के अधिकारों और रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) से वंचित किये जाने के सम्बंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करेगा।

(घ) पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक, विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(ड) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) की कार्यप्रणाली पर वार्षिक व ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(च) पिछड़े वर्ग के संरक्षण कल्याण और सामाजिक-आर्थिक, विकास के लिए उन रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के सम्बन्ध में जो राज्य सरकार द्वारा किये जायें, सिफारिश करेगा।

(छ) पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जो राज्य सरकार द्वारा दिये जायें, निर्वहन करना।

आयोग की शक्तियाँ

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-1 सन् 1996 की धारा-9 की उपधारा के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी और विशेषतः निम्नलिखित वादों के सम्बन्ध में शक्तियाँ प्राप्त होंगी :

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज की या उसकी प्रतिलिपि की अधियाचना करना।

(ड) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना।

(च) अन्य कोई विषय, जो विहित किया जाये।

आयोग के उद्देश्य

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य निम्नलिखित हैंः

(क) राज्याधीन आदि सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को अनुमन्य 27 प्रतिशत आरक्षण हेतु अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अपेक्षित जातियों के सम्मिलन/निष्कासन/संशोधन एवं तत्संबंधी शिकायतों पर सम्यक रूप से विचार कर शासन को संस्तुति देना।

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान एवं विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा सन्दर्भित किसी अन्य बिन्दु पर सलाह देना।

(ग) पिछड़े वर्गों के विकास का मूल्यांकन करना।

वर्ष 2017-18 में जातियों के सम्मिलन/निष्कासन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिवेदनों के निस्तारण का विवरण

(1) अन्य पिछड़े वर्ग की अनुमन्य अनुसूची-एक में सम्मिलन/निष्कासन प्रकोष्ठ को वित्तीय वर्ष-2017-18 में अब तक कुल 08 प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं। प्राप्त प्रतिवेदन जाति संशोधन/सम्मिलन/निष्कासन/स्पष्टीकरण/विलोपन/परिवर्द्धन हेतु प्राप्त हुए है। जिन पर आदेशानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है। अन्तिम निर्णय/आदेश मा0 आयोग (मा0 अध्यक्ष) हेतु विचाराधीन, मा. आयोग का है।

(2) वित्तीय वर्ष 2017-18 में उ.प्र. शासन के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 03 जातियों के प्रतिवेदनों को मा0 आयोग की पूर्व संस्तुतियों के क्रम में निस्तारित/निरस्त किया गया है।

(3) सर्वेक्षणाधीन जातियों की सूची में क्रम सं0-21 पर अंकित रूहेला जाति का शोध/सर्वेक्षण कार्य/सारणीयन कार्य किया गया है। वर्तमान में प्रतिवेदन लेखन का कार्य किया जा रहा है तथा बागवान जाति का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

(4) बागवान जाति के सर्वेक्षण की तैयारी सर्वे पूर्व सूचना मँगाये जाने का कार्य किया जा रहा है।

(5) आयोग द्वारा की गई सज्जति के उपरान्त माबचक तथा खंगार जाति शासन स्तर पर लम्बित है।

●

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न दिव्यांगताओं से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या 4157514 है। जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत दिव्यांग व्यक्तियों का दिव्यांगतावार वर्गीकरण निम्नवत् है-

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में श्रेणीवार दिव्यांगों की संख्या का विवरण-

विवरण		ग्रामीण	शहरी	कुल योग
दिव्यांगजन की कुल जनसंख्या		**3166615**	**990899**	**4157514**
	पुरुष	1803715	560456	2364171
	महिला	1362900	430443	1793343
दृष्टि दिव्यांगता		**579182**	**184806**	**763988**
	पुरुष	307821	100041	407862
	महिला	271361	84765	356126
वाक् दिव्यांगता		**202152**	**64434**	**266586**
	पुरुष	114665	36505	151170
	महिला	87487	27929	115416
श्रवण दिव्यांगता		**753704**	**274131**	**1027835**
	पुरुष	398665	146514	545179
	महिला	355039	127617	482656
अस्थि दिव्यांगता		**543203**	**134510**	**677713**
	पुरुष	355061	86554	441615
	महिला	188142	47956	236098
मानसिक मंदित		**140097**	**41245**	**181342**
	पुरुष	88236	25605	113841
	महिला	51861	15640	67501
मानसिक रुग्ण		**57497**	**19106**	**76603**

	पुरुष	37021	12100	49121
	महिला	20476	7006	27482
अन्य दिव्यांगता		**720020**	**226416**	**946436**
	पुरुष	402738	126226	528964
	महिला	317282	100190	417472
बहु दिव्यांगता		**170760**	**46251**	**217011**
	पुरुष	99508	26911	126419
	महिला	71252	19340	90592

दिव्यांगता की परिभाषा

दिव्यांगजन के समग्र विकास हेतु भारत सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 पारित किया गया है, जो 19 मार्च, 2017 से सम्पूर्ण भारत में प्रभावी है। इस अधिनियम में कुल 17 अध्याय एवं 102 धाराएं हैं। इस अधिनियम की धारा 2(द) में ''संदर्भित निःशक्त व्यक्ति'' : की परिभाषा निम्नानुसार दी गयी है :

2(द) ''संदर्भित निःशक्त व्यक्ति'' : से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणीकृत विनिर्दिष्ट निःशक्तता के 40 प्रतिशत से अन्यून का अभिप्रेत है।

उक्त अधिनियम– 2016 की धारा–2(यग) में निःशक्तता (दिव्यांगता) की श्रेणियाँ एवं उनकी परिभाषायें निम्नानुसार दी गयी हैं-

1. शारीरिक निःशक्तता–

(अ) गतिविषयक निःशक्तता (व्यक्ति की सुनिश्चित गतिविधियों को करने में असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं के चालन से सहबद्ध हैं जिसका परिणाम पेशीकंकाली और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसके अंतर्गत-

(क) ''कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो या है किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है-

(i) हाथ या पैरों में सुग्राहीकरण का ह्रास के साथ-साथ आँख और पलक में सुग्राहीकरण का ह्रास और आंशिक घात किन्तु व्यक्त विरूपता नहीं है;

(ii) व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किन्तु उनके हाथों और पैरों में विनिर्दिष्ट चलन से सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;

(iii) अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ-साथ वृद्धावस्था जो उन्हें कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और ''कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति'' पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा,

(ख) ''प्रमस्तिष्क घात'' से कोई अविकासशील अवस्थाओं का समूह अभिप्रेत है जो अविकासशील तंत्रिका दशाओं से शरीर के चलन और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट चक्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात होती है;

(ग) ''बौनापन'' से कोई चिकित्सीय या आनुवांशिकी दशा अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई चार फिट दस इंच (147 सेमी0) या उससे न्यून रह जाती है;

(घ) ''बहुदुश्पोषण'' से वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को सचल करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुश्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता अनुक्रमिक अस्थिपंजर, पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है,

(ङ) ''अम्ल आक्रमण पीड़ित'' से अम्ल या समान संक्षारित पदार्थ के फेंकने द्वारा हिंसक आक्रमण के कारण विरूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(आ) दृष्टिगत ह्रास्य–

(क) ''अंधता'' से ऐसी दशा अभिप्रेत है, जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है-

(i) दृष्टि का पूर्णतया अभाव;

(ii) सर्वोत्तम सुधार के साथ अच्छी आँख दृष्टि संवेदनशील 3/60 या 10/200 (स्नेलन) से अन्यून; या

(iii) 10 डिग्री से अन्यून किसी कक्षांतरित कोण पर दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(ख) ''निम्न दृष्टि'' से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात -

(i) बेहतर आँख में सुधारकारी लेंसों के साथ-साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेहल) दृश्य संवेदनशीलता; या

(ii) 10 से अधिक 40 डिग्री तक की दृष्टि अंतरित किसी कोण के क्षेत्र में सीमाएं।

(इ) ''श्रवण शक्ति का ह्रास'' -

(क) ''बधिर'' से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों से 70 डिसबिल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) ''ऊँचा सुनने वाला व्यक्ति'' से दोनों कानों से संवाद आवृत्ति में 60 डिसबिल से 70 डिसबिल श्रव्य ह्रास्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(इ) ''अभिवाक और भाषा निःशक्तता'' से लेराइनजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थायी निःशक्तता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण अभिवाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2. **''बौद्धिक निःशक्तता''** से ऐसी स्थिति, जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्त्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अन्तर्गत दैनिक, सामाजिक और व्यवहार्य की रेंज है, जिसके अन्तर्गत -

(क) ''विनिर्दिष्ट विद्या निःशक्तता'' से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा

को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है जो बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनीय या गणितीय गणनाओं को समझाने में कमी के रूप में सामने आती है। इसके अन्तर्गत बोधक निःशक्तता डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया भी है;

(ख) ''स्वलीनता स्पफक्ट्रम विकार'' से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति के संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे-पटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

3. **मानसिक व्यवहार–** ''मानसिक रुग्णता'' से चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखीकरण या स्मरणशक्ति का विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने लिये समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किन्तु जिसके अन्तर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

4. **निम्नलिखित के कारण निःशक्तता–**

(क)चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे-

(i) ''बहु-स्केलेरोसिस'' से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;

(ii) ''पार्किसन रोग'' से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कम्प, पेशी, कठोरता और धीमा, कठिन चलन, मुख्यतया मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों से संबंध मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचालन डोपामई के ह्रास से संबद्ध हो।

(ख) रक्त विकृति-

(i) ''हेमोफीलिया'' से एक आनुवंशकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किन्तु इसे महिला द्वारा अपने पुरुष बालकों को संप्रेषित किया जाता है; इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे गौण घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है।

(ii) ''थेलेसीमिया'' से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थित है।

(iii) ''सिक्कल कोशिका रोग'' से होमोलेटिक विकास अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है। ''हेमोलेटिक'' लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5. बहुनिःशक्तता (उपर्युक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट निःशक्तता) जिसके अन्तर्गत बधिरता, अंधता जिससे कोई दशा जिसमें कोई व्यक्ति श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित ह्रास के कारण गम्भीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गम्भीर दशाएँ अभिप्रेत हैं।

6. कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश की संरचना

समाज के असहाय, सुविधाविहीन एवं कमजोर वित्तीय स्थिति वाले दिव्यांग व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास एवं उनके लाभ तथा सहायता के लिए बनाई गयी योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 12 अगस्त, 1995 को अलग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का गठन किया गया।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मुख्य दायित्व

विभाग के उद्देश्य एवं कार्य–

1. दिव्यांगजन के सम्बंध में नीति का निर्धारण करना एवं प्रभावशाली क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
2. योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजन का भौतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना।
3. दिव्यांगजन विकास के संबंध में निर्धारित राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों, संस्थाओं के साथ समन्वय कर प्रदेश में प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
4. दिव्यांगजनों के विकास संबंधी कार्य हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ-साथ गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।
5. सेवाओं में दिव्यांगजन का आरक्षण एवं उनके सेवायोजन का पर्यवेक्षण करना आदि।

दिव्यांगजन को सरकार द्वारा देय सुविधाओं/अनुदानों को समयबद्ध रूप से वितरित करना।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम/योजनाएं

1. संकेत (राजकीय मूक बधिर विद्यालय) लखनऊ, आगरा, बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर

लखनऊ, बरेली, फर्रुखाबाद, आगरा, गोरखपुर में एक-एक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में श्रवण यंत्र की सहायता से छात्रों को शिक्षा दिये जाने के साथ-साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। लखनऊ, बरेली तथा फर्रुखाबाद में जूनियर हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। बरेली में आवासीय छात्र संख्या 120 तथा अनावासीय छात्र संख्या 220 (कुल 340) है। फर्रुखाबाद की आवासीय छात्र क्षमता-60 तथा अनावासीय छात्र क्षमता- 40 है (कुल 100) तथा लखनऊ की आवासीय क्षमता 100 छात्र है। आगरा एवं गोरखपुर में हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा देने की व्यवस्था है। आगरा की आवासीय छात्र क्षमता 50 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 100 (कुल 150) तथा गोरखपुर में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है अनावासीय छात्र क्षमता 100 है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु. 1000/- तक होती है, उन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ-साथ रु. 2000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिया जाता है।

स्पर्श (बालक/बालिकाओं के लिये राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय) लखनऊ, गोरखपुर, बाँदा, सहारनपुर, मेरठ।

लखनऊ/गोरखपुर में बालकों/बालिकाओं के लिए एक-एक, बांदा एवं मेरठ में बालकों हेतु एक-एक इण्टर कालेज संचालित है। इन विद्यालयों की आवासीय छात्र क्षमता 200-200 है तथा अन्य 04 विद्यालयों की आवासीय क्षमता 100-100 है, अनावासीय छात्र क्षमता 25-25 है। जनपद सहारनपुर में बालिकाओं हेतु हाईस्कूल स्तर तक का विद्यालय संचालित है, जिसकी आवासीय छात्र क्षमता 75 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 25 है। इन विद्यालयों में 'ब्रेल पद्धति' के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु. 1000/- होती है, उन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ-साथ प्रति छात्र/छात्रा रु. 2000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिया जाता है, तथा अनावासीय छात्र/छात्राओं को घर से विद्यालय तक आने जाने हेतु निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

ममता (मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं का राजकीय विद्यालय) लखनऊ तथा प्रयागराज।

प्रदेश में मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं के लिए एक-एक विद्यालय क्रमशः लखनऊ तथा प्रयागराज में संचालित है। इन विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं को मनोवैज्ञानिक पद्धति से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रत्येक विद्यालय की आवासीय छात्र क्षमता 50-50 है। इन विद्यालयों में संवासियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने की दृष्टि से व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जिन संवासियों के अभिभावकों की मासिक आय रु. 1000/- प्रतिमाह तक है उनके भरण पोषण पर शासन द्वारा 2000/- रु. प्रति माह प्रति संवासी की दर से व्यय किया जाता है।

प्रयास (शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये राजकीय विद्यालय) लखनऊ, प्रतापगढ़

शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये प्रतापगढ़ तथा लखनऊ में एक-एक विद्यालय संचालित है। प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता 50-50 बालकों की है। इन विद्यालयों में हाईस्कूल स्तर की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों मे पढ़ने वाले छात्रों जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु. 1000/- तक होती है उनको आवासीय सुविधा के साथ भरण पोषण हेतु रु. 2000/- प्रतिमाह प्रति छात्र दिया जाता है।

उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं मेरठ।

दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अनेक कठिनाइयों का सामाना करना पड़ता है, के दृष्टिकोण से उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के समय आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ/गोरखपुर में छात्र/छात्राओं हेतु एक-एक, प्रयागराज/मेरठ में छात्रों हेतु एक-एक कुल छह छात्रावासों की स्थापना की गयी है। प्रत्येक छात्रावास की स्वीकृत क्षमता 200-200 है। उक्त छात्रावासों के संचालन हेतु नियमावली का प्रख्यापन शासन द्वारा किया जा चुका है।

कौशल विकास केन्द्र (दृष्टिबाधितों के लिये राजकीय कर्मशाला) लखनऊ, गोरखपुर तथा बाँदा।

दृष्टिबाधित बेरोजगार व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध कराने एवं विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से लखनऊ, गोरखपुर तथा बाँदा में एक-एक कर्मशाला संचालित है। लखनऊ तथा गोरखपुर कर्मशाला में स्वीकृत आवासीय संवासी क्षमता 50-50 तथा अनावासीय संवासी क्षमता 50-50 है। बाँदा में आवासीय संवासी स्वीकृत क्षमता 50 तथा अनावासीय क्षमता 25 है। इन कर्मशालाओं में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को वर्क आर्डर के आधार पर कुर्सी बुनाई आदि का कार्य अन्य कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाता है जिसके लिये उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके साथ ही डिजाइनर मोमबत्तियों, कम्प्यूटर आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

कौशल विकास केन्द्र (शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिये राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र) वाराणसी, इलाहाबाद, उन्नाव।

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों/दिव्यांगों को प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से संचालित कर्मशाला मिर्जापुर से स्थानान्तरित होकर जनपद वाराणसी में संचालित है। इस कर्मशाला में आवासीय संवासियों की क्षमता 60 तथा अनावासीय संवासियों की क्षमता 40 (कुल 100) है। इसी प्रकार जनपद इलाहाबाद एवं उन्नाव में संचालित कौशल विकास केन्द्रों को लखनऊ स्थित मोहान रोड पर विभागीय भवनों में स्थानान्तरित किया गया है। इन संवासियों को आवासीय सुविधा के साथ-साथ रु.2000/- प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से धनराशि भरण पोषण हेतु प्रदान की जाती है। इस कर्मशाला में दिव्यांग व्यक्तियों को कुर्सी बुनाई, सिलाई एवं मोमबत्ती आदि बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

कौशल विकास केन्द्र (मूक-बधिरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला) आगरा।

जनपद आगरा में मूक बधिरों के लिये एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला स्थापित है। जिसमें आवासीय संवासियों की क्षमता 25 तथा अनावासीय संवासियों की स्वीकृत क्षमता 25 (कुल 50) है। इन संवासियों को रु. 2000/- प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से धनराशि भरण पोषण हेतु प्रदान की जाती है। इस केन्द्र में कुर्सी बुनाई, सिलाई एवं मोमबत्ती का प्रशिक्षण दिया जाता है।

दिव्यांग कर्मशालाओं के संचालन पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि कुल रु. 344.83 लाख के सापेक्ष 15 फरवरी 2018 तक कुल रु. 102.14 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 244.42 लाख का प्रावधान है।

बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र मुरादाबाद एवं मेरठ

सभी श्रेणी के दिव्यांगजन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये मुरादाबाद एवं मेरठ जनपद में एक-एक बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों की स्वीकृत क्षमता 50-50 (कुल 100) है जिसमें सभी श्रेणी के दिव्यांगजन को बाजार की माँग के अनुरूप अल्प अवधि के विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार प्रारम्भ करने योग्य बनाया जाता है। उक्त

उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कुल रु. 21.76 लाख के प्रावधान के सापेक्ष 15 फरवरी 2018 तक कुल रु. 8.65 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 23.01 लाख का प्रावधान है।

निराश्रित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र बरेली, गोरखपुर एवं मेरठ

प्रदेश के निराश्रित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र बरेली में महिलाओं हेतु तथा गोरखपुर एवं मेरठ में पुरुषों हेतु एक-एक आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों की आवासीय क्षमता 50-50 है। इन केन्द्रों में मानसिक मंदित दिव्यांगजन को प्रवेश देकर उनको आश्रय प्रदान किये जाने के साथ-साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलम्बी बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाता रहा है। जिनके संचालन हेतु गत वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कुल रु. 85.37 लाख का प्रावधान के सापेक्ष 15 फरवरी 2018 तक कुल रु. 70.54 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 91.15 लाख का प्रावधान है।

अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान वाराणसी का संचालन

इस संस्थान में सभी श्रेणी के दिव्यांगजन हेतु जनपद वाराणसी में अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान संचालित है। इस संस्थान में मानसिक मंदित दिव्यांगजन को आवासीय सुविधा के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाये जाने का कार्य प्रदान किया जाता है।

मनोविकास केन्द्र गोरखपुर

गोरखपुर मण्डल में जापानी इन्सेफलाइटिस से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के आरोग्य भवन में मनोविकास केन्द्र संचालित है। इस मनोविकास केन्द्र में जापानी इंसेफलाइटिस से ग्रसित दिव्यांगजन को आई0क्यू0 असेसमेन्ट, आक्यूपेशनलथिरेपी यूनिट, फिजियोथैरेपी यूनिट, आडियोलॉजी यूनिट, व्यावसायिक प्रशिक्षण यूनिट, काउन्सिलिंग एवं सोशल एजूकेशनल यूनिट के माध्यम से पुनर्वास सेवायें एवं सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

बचपन डे केयर सेन्टर की स्थापना एवं संचालन

सर्वशिक्षा अभियान से प्राप्त करायी गयी धनराशि से जनपद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी (प्रत्येक 60 बच्चों की क्षमता) आगरा, सहारनपुर, झाँसी, बरेली, गौतमबुद्ध नगर (प्रत्येक 30 बच्चों हेतु) में बचपन डे केयर सेन्टर संचालित किये गये थे। वर्ष 2008-09 तक इन केन्द्रों का संचालन सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया था, तदुपरान्त वर्ष 2009-10 से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा उक्त योजना को विभागीय बजट से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। बचपन डे केयर सेन्टर में मानदेय पर समन्वयक तथा विशेष अध्यापकों की व्यवस्था है तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक सेन्टर पर 1-1 फिजियोथिरेपिस्ट, साइकोकाउन्सलर, स्पीच ट्रेनर/विशेषज्ञों की सेवायें प्रति विजिट के आधार पर तथा अटेन्डेन्ट, आया, सफाई कर्मी, चौकीदार की सेवायें मानदेय के आधार पर ली जा रही हैं। इन सेन्टर्स में 03 से 07 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को शिक्षण/प्रशिक्षण के साथ-साथ आवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करते हुये सामान्य विद्यालयों में शिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। नवीन

बचपन नर्सरी केन्द्रों की स्थापना हेतु रु. 200.00 लाख के प्रावधान के सापेक्ष प्रदेश के 10 मण्डल मुख्यालय के जनपदों यथा- अलीगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, मिर्जापुर, बस्ती, आजमगढ़, कानपुर नगर, अयोध्या, गोण्डा तथा गोरखपुर में बचपन डे केयर सेन्टर खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है।

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ)

देश में प्रथम बार विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों को बाधारहित वातावरण में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 'डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय', लखनऊ की स्थापना की गयी है। वर्तमान में विशेष शिक्षा संकाय में दृष्टिबाधितार्थ, श्रवणबाधितार्थ एवं मानसिक मन्दितार्थ बी0एड0 एवं डी0एड0 विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों के संचालन के साथ-साथ बी0ए0, एम0ए0, बी0काम0, एम0काम0, एम0एस0डब्ल्यू, एम0बी0ए0 तथा विधि संकाय के अन्तर्गत बी0काम0, एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में कुल 09 संकाय के अन्तर्गत 29 विभागों के बनने का प्रावधान है जिसमें वर्तमान में 21 विभाग क्रियाशील हैं। विश्वविद्यालय में प्रत्येक पाठ्यक्रम में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित है जिसमें से पुनः 50 प्रतिशत अर्थात् 25 प्रतिशत सीटें केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं।

विभिन्न श्रेणी के निराश्रित दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन)

प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूक बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, जिनका जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, के भरण-पोषण हेतु दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत शासन के पत्रांक 914/65-2-2017-21-96 दिनांक 06 जून 2017 द्वारा पेंशन वृद्धि रु. 300/- प्रति माह प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर रु. 500/- प्रति माह की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण क्रय हेतु अनुदान योजना

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अधिकतम रु0 8000/- तक का अनुदान कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण हेतु दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु सामान्य पक्ष के दिव्यांगजनों हेतु रु. 3000.00 लाख व एस0सी0पी0 में रु. 240.00 लाख का प्रावधान के सापेक्ष क्रमशः 15 फरवरी 2018 तक रु. 260.51 लाख तथा रु. 2.94 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में सामान्य पक्ष के लाभार्थियों हेतु रु. 3090.00 लाख व एस0सी0पी0 में रु. 240.00 लाख का प्रावधान है।

दिव्यांग व्यक्तियों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

इस योजना के अन्तर्गत दम्पत्तियों में युवती के दिव्यांग होने की दशा में रु. 20,000/- तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रु. 20,000/- तथा दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रु. 15,000/- की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। शासन के पत्र संख्या 702/65-2-2017-03/96 दिनांक 08 जून, 2017 द्वारा दम्पत्ति में पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर देय पुरस्कार की धनराशि में वृद्धि कर रु. 35000/- कर दी गयी है।

दिव्यांगजन को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रतिपूर्ति

राज्य सरकार द्वारा इस योजना की नियमावली के अनुसार पात्र दिव्यांगजन एवं उसके सहायक को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में उ0प्र0रा0स0परि0नि0 को प्रतिपूर्ति हेतु में कुल रु. 1200.00 लाख तथा उ0प्र0रा0स0परि0नि0 को लम्बित अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु कुल रु. 2000.00 लाख के प्रावधान सापेक्ष उ0प्र0रा0स0परि0नि0 को प्रतिपूर्ति हेतु 15 फरवरी 2018 तक रु. 8843.30 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में लम्बित अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु कुल रु. 2000.00 लाख उ0प्र0रा0स0परि0नि0 को प्रतिपूर्ति हेतु रु. 1236.00 लाख का प्रावधान है।

दक्ष दिव्यांग व्यक्तियों व उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु पक्ष में रु. 13.00 लाख का प्रावधान के सापेक्ष 15 फरवरी 2018 तक रु. 6.16 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 13.00 लाख का प्रावधान है।

स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायता

दिव्यांगजन सशक्तिकरण के कार्य में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनों को दिव्यांगता का कारण, बचाव, उपचार, पुनर्वासन एवं दिव्यांगजन विकास विभाग की योजनाओं तथा अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार-प्रसार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 30.00 लाख का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 33.00 लाख का प्रावधान है।

मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल रु. 500.00 लाख के प्रावधान के सापेक्ष 15 फरवरी 2018 तक कुल रु. 59.55 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 500.00 लाख का प्रावधान है।

दृष्टिबाधितार्थ अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

राजकीय दृष्टिबाधित इण्टर कालेज, मोहान रोड, लखनऊ के परिसर में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर राजकीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून के समन्वय से दृष्टिबाधितार्थ अध्यापन डिप्लोमा प्रदान किए जाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र पर आने वाले व्यय को वहन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कुल रु. 2.00 लाख का प्रावधान के सापेक्ष 15 फरवरी 2018 तक कुल रु. 0.69 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 3.00 लाख का प्रावधान है।

ब्रेल प्रेस का संचालन

प्रदेश में दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन हेतु ब्रेललिपि में पुस्तकों को प्रकाशित करने हेतु ब्रेल प्रेस का संचालन किया जा रहा है। यह ब्रेल प्रेस उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्रों के छात्रावास निशातगंज, लखनऊ में स्थापित की गयी है। इस ब्रेल प्रेस में विभाग द्वारा संचालित दृष्टिबाधित विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन हेतु सम्बन्धित विषयों की पुस्तकों को ब्रेल लिपि में प्रकाशित कराया जा रहा है।

कुष्ठावस्था पेंशन योजना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन हेतु संचालित दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन को भी पेंशन दिये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों तथा बी.पी.एल. सीमा के अन्तर्गत आते हों एवं शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन न प्राप्त कर रहे हों, को प्रदेश से सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) मान्य होगा को रु. 2500/- प्रति माह की दर से अनुदान अनुमन्य होगा। इस योजना की नियमावली प्रख्यापित कर दी गयी है।

डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण।

डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम जैसे छिपी हुई दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित करने, उनके अभिभावकों को इस परिप्रेक्ष्य में जागरूक करने एवं समाज में जागरूकता का सृजन कर संवेदन संवेदनशीलता उत्पन्न करने की एक नवीन एवं महत्त्वपूर्ण योजना विभाग द्वारा प्रारम्भ की गयी है।

उक्त योजना अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 20.00 लाख के बजट प्रावधान के सापेक्ष 15 फरवरी 2018 तक रु. 6.99 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 20.00 लाख का प्रावधान है।

दिव्यांगजन के लिए बाधारहित व्यवस्था हेतु सिपडा- 1995 का कार्यान्वयन

प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों को चरणबद्ध ढंग से दिव्यांगजन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहाँ बाधारहित वातावरण सृजित कर दिव्यांगजन को आसान पहुंच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु रु. 500.00 लाख पूंजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रु. 0.01 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग के महत्त्वपूर्ण लक्ष्य

1. दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत रु. 575.52 करोड़ की प्राविधानित धनराशि से लगभग 930000 दिव्यांगजन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।
2. कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन को रु. 18.00 करोड़ की प्राविधानित धनराशि से लगभग 6000 दिव्यांगजन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।

3. कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान योजना में रु. 33.30 करोड़ रु. के प्रावधान से लगभग 52400 दिव्यांगजन को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

4. शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार देने हेतु रु. 2.64 करोड़ की धनराशि से 1320 दम्पतियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

5. प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों को चरणबद्ध ढंग से दिव्यांगजन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहाँ बाधारहित वातावरण सृजित कर दिव्यांगजन को आसान पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु रु. 5.00 करोड़ पूंजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रु. 0.01 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

6. सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिह्नित शासकीय एवं जन उपयोगी भवनों का एक्सेस ऑडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु रु. 60.00 करोड़ पूँजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रु. 50.00 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

7. मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु कुल रु. 5.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

8. डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रु. 20.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

9. सभी मण्डल मुख्यालयों पर समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से समेकित विद्यालयों की स्थापना किये जाने हेतु कुल रु. 18.40 करोड़ प्राविधानित है।

10. संकेत मूकबधिर बालक/बालिकाओं के लिये जनपद सोनभद्र, कुशीनगर, सहारनपुर में आवासीय राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कुल रु. 192.89 लाख का प्रावधान है।

11. स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इण्टर कालेज की स्थापना हेतु रु. 394.72 लाख का प्रावधान है।

12. डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण हेतु रु. 166.57 लाख का प्रावधान है।

13. डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु रु. 974.84 लाख का प्रावधान है।

●

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास

भूमिका

उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों, अपंग सैनिकों, युद्ध शहीदों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याण एवं पुनर्वास की सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु सैनिक कल्याण विभाग के अधीन निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश एवं निदेशालय के अधीन जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों की स्थापना की गई। इसके सहयोगी संगठनों के रूप में उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि कार्यरत है। केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं से पात्र लाभार्थियों को अनुमन्य आर्थिक सहायता दिलाना, पुनर्वास तथा पुनर्योजन कराना भी इस विभाग के उद्देश्यों में सम्मिलित है।

प्रशासनिक व्यवस्था

प्रदेश के पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याणार्थ स्थापित सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, उत्तर प्रदेश अपने अधीनस्थ कार्यरत जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों के माध्यम से उनकी समस्याओं के निराकरण/पुनर्वास में सहायता एवं परिवारों की सुरक्षा आदि के दायित्वों को सफलतापूर्वक निभा रहा है। इस दिशा में विभिन्न प्रकार के कार्य/योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ही जिला स्तर पर वर्तमान में 75 जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय स्थापित हैं। सेना से प्रतिवर्ष काफी संख्या में सैनिक सेवानिवृत्त होते रहते हैं; जिनमें से उत्तर प्रदेश के सैनिकों की संख्या 15 से 16 हजार तक होती है। उनके कल्याण एवं पुनर्वास का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।

कार्यक्रम

पुरस्कार एवं सहायता :

प्रदेश में रहने वाले थल सेना, नौ-सेना तथा वायु सेना के उन कार्मिकों को, जिन्हें वीरता के कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न अलंकरण प्रदान किये जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा सम्मान स्वरूप नकद अनुदान तथा तीस वर्षों तक वार्षिकी दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इन दरों में भारी वृद्धि की गयी है। पुनरीक्षित दरें निम्नवत हैं :-

क्र.सं.	पुरस्कार का नाम	नकद अनुदान (एक मुश्त धनराशि रुपये में)	वार्षिकी की धनराशि रुपये प्रतिवर्ष (30 वर्षों तक)
1.	परमवीर चक्र	32,50,000	1,95,000
2.	महावीर चक्र	19,50,000	1,48,200
3.	वीर चक्र	13,00,000	85,800
4.	सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल	1,95,000	7,800
5.	उत्तम युद्ध सेवा मेडल	1,62,500	6,500
6.	युद्ध सेवा मेडल	52,000	5,200
7.	सेना, नौसेना तथा वायु सेना मेडल	39,000	6,240
8.	मेंशन इन डिस्पैच	32,500	3,900
अशोक चक्र शृंखला			
1.	अशोक चक्र	25,00,000	1,20,000
2.	कीर्ति चक्र	15,00,000	1,00,000
3.	शौर्य चक्र	10,00,000	50,000

अशोक चक्र शृंखला के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि सामान्य प्रशासन अनुभाग से आवंटित की जाती है।

विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्तकर्ताओं को वित्तीय वर्ष 2016-17 से दिया जाने वाला अनुदान निम्नवत् है-

क्र.सं.	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त धनराशि रु.	वार्षिकी की धनराशि (30 वर्षों तक) रु.
1.	परम विशिष्ट सेवा मेडल	1,49,500	7,020
2.	अति विशिष्ट सेवा मेडल	74,100	6,240
3.	विशिष्ट सेवा मेडल	29,900	3,900

वर्ष 2017-18

	लाभार्थियों की संख्या	आवंटित धनराशि (लाख रु. में)
03-सियाचिन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों/आश्रितों तथा अपंग सैनिकों को	00	0.00

एक मुश्त आर्थिक अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता।		
04- वीरचक्र शृंखला के विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त नकद पुरस्कार/ अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता	20	20.04
05- बार टू सेना मेडल शृंखला के पुरस्कार प्राप्त उ.प्र. के सैनिकों एवं सुरक्षा बल के सैनिकों को एक मुश्त सैनिक नकद पुरस्कार-20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता।	530	40.96
06- पैराप्लाजिक पुनर्वास केन्द्र किरकी एवं मोहाली में भर्ती उ.प्र. के 100 प्रतिशत विकलांग सैनिकों को आर्थिक सहायता-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	08	9.00
07- विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में विशिष्ट सेवा मेडल शृंखला के पदक विजेताओं को देय एक मुश्त अनुदान	389	32.80
योग	947	102.80

द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन

उ.प्र. के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं दिवंगत सैनिकों की पत्नियों, जिन्हें किसी अन्य स्रोत से पेंशन नहीं मिल रही है, को राज्य सरकार द्वारा 01 अगस्त 1990 से पेंशन दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस पेंशन की दरों में लगभग डेढ़ गुना वृद्धि की गयी। 04 फरवरी, 2016 से पेंशन की धनराशि रु. 6000 प्रतिमाह की गयी है।

भूतपूर्व सैनिकों का रजिस्ट्रेशन

1. वर्ष 1982 से पूर्व सैनिकों के पुनर्योजन का कार्य सेवायोजन कार्यालय के स्थान पर इस विभाग को सौंप दिया गया है जिसके फलस्वरूप पंजीकरण तथा सम्प्रेषण की पूरी प्रक्रिया जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा करायी जाती है। संबंधित जनपद के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में रोजगार हेतु पंजीकरण कराये जाने से संबंधित प्रक्रिया पूर्ण कर जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा संबंधित भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज बुक एवं पी.पी.ओ. का अवलोकन कर अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात रोजगार हेतु पंजीयन किया जाता है।
2. संबंधित जनपद के सेवायोजन कार्यालयों में भी पंजीकरण कराया जाता है।
3. मांग के आधार पर केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार के उपक्रम, राज्य सरकार, राज्य सरकार के

उपक्रम, बैंक, लोकल बॉडी, प्राइवेट संस्थाओं में सेवायोजन हेतु नाम वरीयता क्रम के अनुसार प्रेषित किये जाते हैं।

4. वर्ष 2017 में कुल 5227 भूतपूर्व सैनिकों का रोजगार हेतु पंजीकरण किया गया।

योजनाओं के कार्यक्रमों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जिला सैनिक कल्याण के कार्यालय भवन, विश्राम गृह एवं आवासीय भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु रु. 550.00 लाख तथा पूर्व सैनिक आश्रितों को इनफारमेशन टेक्नालॉजी प्रशिक्षण एवं सेना में अधिकारी पद पर चयन हेतु प्रशिक्षण के लिए रु. 45.85 लाख तथा युद्ध विधवाओं एवं पूर्व सैनिकों की पत्नियों तथा उनके आश्रितों को फैशन डिजाइनिंग एवं टैली के प्रशिक्षण हेतु रु. 13.15 लाख के बजट का प्रावधान है।

कम्प्यूटरीकरण एवं ई-गवर्नेन्स

1. निदेशालय स्तर पर वेतन, भत्ते एवं बजट से सम्बन्धित लगभग सम्पूर्ण कार्य कम्प्यूटर द्वारा ही क्रियान्वित किया जा रहा है। समस्त जिलों को निदेशालय से जोड़ने के लिए नेटवर्क स्थापित किया जाना है।
2. विगत् 05 वर्षों में विभाग के 221 कार्मिकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
3. सैनिक कल्याण विभाग से सम्बन्धित सूचना उ.प्र. सरकार के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट एचटीटीपी//डब्लूडब्लूडब्लू.एसडब्लूडी.यूपी.एनआईसी.आईएन पर उपलब्ध है।

उ.प्र. सैनिक पुनर्वास निधि

निधि का गठन

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत नोटीफिकेशन दिनांक 15 फरवरी, 1983 द्वारा उत्तर प्रदेश पोस्टवार सर्विसेज रिकन्स्ट्रक्शन फण्ड ट्रस्ट तथा उत्तर प्रदेश स्पेशल फण्ड फार रिकन्स्ट्रक्शन एण्ड रिहैबिलीटेशन आफ एक्स सर्विसमैन को मिलाकर उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि का गठन किया गया है। निधि महामहिम राज्यपाल सचिवालय के अधीन संचालित है। निधि की स्थापना पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से की गई है। निधि के आय के स्रोत विनियोजन से प्राप्त आय, निधि द्वारा निर्मित भवनों का किराया, अटारी फार्म से प्राप्त आय तथा उत्तर प्रदेश शासन, संस्थाओं एवं व्यक्तियों से प्राप्त अनुदान है।

निधि द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए निम्नांकित योजनाएं चलाई जाती हैं :

1. शैक्षिक सहायता।
2. पूर्व-सैनिकों द्वारा पुनर्वास हेतु लिये गये ऋण में छूट।
3. दिवंगत सैनिकों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक अनुदान।
4. निधि कार्यालय से अनकवर्ड स्कीम ग्रान्ट का भुगतान।

●

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण एवं राजनैतिक पेंशन

देश की आजादी की लड़ाई में आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर सेनानियों के त्याग एवं बलिदान के प्रति उच्च आदर भाव एवं सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही वर्ष 1947 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन/अनुदान की योजना चलायी गयी। कालान्तर में पेंशन/अनुदान हेतु पेंशन नियमावली प्रख्यापित की गयी, जो 06 अगस्त 1975 से प्रभावी है। इस नियमावली के नियमों के अन्तर्गत प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जीवन पर्यन्त पेंशन की सुविधा अनुमन्य है। वर्तमान में राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके पात्र आश्रितों को भी पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य है। वर्तमान में राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु के पश्चात् उनके पात्र आश्रितों को दिनांक 01.02.2018 से 5,000 रुपये प्रतिमाह वृद्धि कर वर्तमान में रुपये 20,176/- प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में पेंशन मद में रु. 45,00,00,000/- (रु. पैंतालिस करोड़ मात्र) की बजट में व्यवस्था है।

जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संतानें (पुत्र/पुत्री) स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में पैदा हुई हैं, उन्हें भी स्वतंत्रता सेनानी का स्तर प्रदान करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन अनुमन्य करायी गयी है।

परिवहन सुविधा

वर्ष 1983 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बसों में पूरे प्रदेश में निःशुल्क यात्रा की सुविधा अनुमन्य की गयी है। वर्ष 1989 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को एक सहचर के साथ पूरे प्रदेश में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गयी है। वर्तमान में यह सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के बाहर के लिए अनुमन्य की गयी है। इसी प्रकार दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं को भी एक सहायक के साथ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस मद में रु. 15,00,000/- (रु0 पंद्रह लाख मात्र) की बजट में व्यवस्था है।

चिकित्सा सुविधा

राज्य सरकार द्वारा राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा व भोजन सुविधा अनुमन्य करायी गयी है। यह सुविधा चिकित्सा विभाग अपने बजट से मुहैया कराता है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के निधन पर दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता

पूर्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दिवंगत होने पर उनके दाह संस्कार हेतु उनके पात्र आश्रितों को रु. 2000/- का अनुदान दिया जाता था, जिसे राज्य सरकार द्वारा दिंनाक 01-01-2007 से बढ़ाकर रु. 5000/- कर दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु होने पर उनके सम्मान में

शासन की ओर से जिलाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा सेनानी के पार्थिव शरीर पर पुष्पार्पण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में इस मद में रु. 7,80,000/- (रु. सात लाख अस्सी हजार मात्र) की व्यवस्था है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कल्याणार्थ ''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद'' की स्थापना 12 फरवरी, 1973 को की गयी है। मा. मुख्यमंत्री जी परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद हेतु रुपये 1,48,43,000/- (रु0 एक करोड़ अड़तालिस लाख तैंतालिस हजार मात्र) की बजट व्यवस्था है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन

प्रदेश के वृद्ध एवं निराश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से लखनऊ में एक सेवा सदन की स्थापना भी की गयी है। इसमें 25 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्थायी तथा 05 आकस्मिक अभ्यागतों के रहने की व्यवस्था है। सेवा सदन रीवर बैंक कालोनी, लखनऊ में स्थित है। इसी प्रकार से एक सेवा सदन की स्थापना मथुरा जिले में भी की गयी है। सेवा सदन लखनऊ एवं मथुरा के अधिष्ठान एवं सेनानियों की सुविधा हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में रु. 83,04,000/- (रु. तिरासी लाख चार हजार मात्र) की व्यवस्था है।

स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान

स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले तथा अन्य विशिष्ट सेनानियों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा शहीद स्मारकों, स्तम्भों तथा मूर्तियों का निर्माण कराया जाता है। यह कार्य 'उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान' के माध्यम से कराया जाता है। इस कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 30,00,000/- (रु. तीस लाख मात्र) की बजट व्यवस्था है।

शासन सेनानियों की कठिनाइयों के निराकरण के सम्बन्ध में सतत् प्रयत्नशील है। इसी क्रम में शासन की प्राथमिकताओं, नई कार्यशैली तथा वचनबद्धता के दृष्टिगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन प्रकरणों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित किया जा रहा है।

लोकतंत्र सेनानी

वर्तमान में सरकार द्वारा असंख्य नौजवानों व साहसी वीरों, जिन्होंने देश में आपातकालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रिय रहते हुए संघर्ष किया एवं मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरुद्ध रहे, ऐसे राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में 'उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016' दिनांक 22.03.2016 को अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में लोकतंत्र सेनानियों एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त यथास्थिति पत्नी/पति को उनके सम्मान में दिनांक 04.04.2016 से रु. 20,000/- मासिक सम्मान राशि, राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा की निःशुल्क सुविधा व उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में एक सहयोगी सहित निःशुल्क यात्रा की सुविधा एवं लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु पर सेनानी की अंत्येष्टि क्रिया राजकीय सम्मान के साथ किये जाने की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में लोकतंत्र सेनानी को दी जाने वाली सम्मान राशि में रु.1,10,00,00,000/- (रु. एक अरब दस करोड़ मात्र) एवं निःशुल्क परिवहन सुविधा मद में रु.4,00,00,000/- करोड़ (रु.चार करोड़ मात्र) का बजट प्रावधान है।

●

श्रमिक कल्याण एवं सेवायोजन

उत्तर प्रदेश की वर्तमान लोकप्रिय सरकार की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश शासन उनके क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित पहल करता रहा है ताकि औद्योगिक शान्ति की स्थापना से विकास के लक्ष्य की ओर बढ़ना जारी रहे। इसके लिए उद्यमियों और श्रमिकों के बीच प्रभावी सामंजस्य स्थापित करने और निरन्तर अनुकूल वातावरण बनाये रखने के सभी सम्भव प्रयास किये जाते हैं।

श्रम विभाग के अन्तर्गत श्रमिकों के विधिक हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिये श्रम आयुक्त संगठन है। श्रमिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से किया जा रहा है तथा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा बेरोजगार युवकों के पंजीयन तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्त्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है।

श्रम आयुक्त संगठन

लगभग 81 वर्ष पूर्व सन् 1937 में उत्तर प्रदेश (जो तत्समय 'संयुक्त प्रान्त' कहलाता था) में कानपुर में एक पृथक श्रम कार्यालय की स्थापना की गई, ताकि श्रमिकों की समस्याओं का शीघ्र निपटारा हो, श्रम विषयक सांख्यिकी का संकलन किया जाये तथा (राजकीय) श्रम हितकारी केन्द्र संचालित कर श्रमिक वर्ग के लिए कल्याणकारी कार्यों की शुरूआत भी हो। प्रथम स्वदेशी सरकार की इस ऐतिहासिक पहल के बाद विभागीय कार्य-परिधि और गतिविधियों में विस्तार आता गया। पहले से कुछ तेज गति से श्रम विभाग का विस्तार वर्ष 1946 से होना शुरू हुआ और यह क्रम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्वाचित प्रायः सभी लोकप्रिय सरकारों के कार्य-कालों में 20वीं सदी के अंत तक जारी रहा। वहीं ''श्रम कार्यालय'' आज, इक्कीसवीं सदी में प्रादेशिक श्रम विभाग का मुख्य नियंत्रक घटक यानि श्रम आयुक्त संगठन है, जिसके अधीनस्थ मुख्यालय व मण्डल स्तर पर अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उप/सहायक निदेशक (कारखाना) तथा उप/सहायक निदेशक (ब्वायलर्स) के अतिरिक्त अन्यान्य विशेषज्ञताएं रखने वाले विभिन्न पदधारक कुछ अन्य अधिकारीगण भी कार्यरत हैं।

श्रम आयुक्त संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश में कारखानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि के श्रमिकों के हित-संरक्षण के लिए प्राविधानित व्यवस्थाओं के अनुपालन के 04 मुख्य क्षेत्र हैं- (अ) कार्य-दशाएं एवं सुरक्षित कार्य-पर्यावरण, (ब) सेवा सम्बन्धी सुविधाओं का विनियमन, (स) देय आर्थिक हित-लाभ तथा (द) सामाजिक सुरक्षा।

श्रम आयुक्त संगठन का प्रयास यही रहा है कि आर्थिक गतिशीलता के आज के दौर में उभय-पक्षों के मध्य पारस्परिक सहभागिता, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, संवाद की भावना ईमानदारी के साथ विकसित हो, ताकि उत्पादकता और स्तरीयता के माध्यम से सुसम्पन्नता के लक्ष्य की ओर बढ़ते रह सकें।

श्रम विभाग के उद्देश्य

प्रदेश शासन के श्रम विभाग के अन्तर्गत श्रम आयुक्त संगठन द्वारा श्रमिक हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिये निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में अपेक्षित कार्य निष्पादित किये जा रहे हैं :

(1) संसाधन तंत्र के माध्यम से औद्योगिक विवादों को त्वरित गति से निष्तारण किया जाना ताकि इकाईयों के कर्मचारियों और उनके नियोजकों के मध्य सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित किये जा सकें तथा औद्योगिक उत्पादन का स्तर बनाये रखते हुए श्रमिक हित संरक्षित हो सके।

(2) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये सुनिश्चित हित-लाभ एवं विधिसंगत अधिकारों को संरक्षित रखना और औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षित कार्य-पर्यावरण उपलब्ध कराने की कार्यवाही किया जाना।

(3) श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने, सेवा-शर्तों को विनियमित किये जाने, सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य-पर्यावरण उपलब्ध कराये जाने, सुनिश्चित वित्तीय हित-लाभ सहित न्यूनतम वेतन का समय से भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के लिये श्रम आयुक्त संगठन सतत् प्रयासरत रहता है।

निदेशन एवं प्रशासन

श्रम आयुक्त संगठन के अन्तर्गत मण्डलीय कार्यालयों एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में स्थापित अन्य कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना के अन्तर्गत श्रम आयुक्त, अपर श्रम आयुक्त, वित्त नियंत्रक, विधि परामर्शी, उप श्रम आयुक्त तथा सहायक श्रम आयुक्त के पद सृजित हैं। मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियो के माध्यम से शासन की नीतियों का पालन तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है। इस योजना से मुख्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन-भत्तों आदि का वहन किया जाता है, जो विभाग के संचालन के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

ई–गवर्नेंस के क्रियान्वयन की प्रगति (श्रमायुक्त संगठन)

ई–गवर्नेन्स योजना के अधीन उद्योगों को त्वरित प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वीकृतियाँ/अनुमतियाँ/अनापत्तियाँ/रजिस्ट्रेशन/लाइसेन्सिंग इत्यादि निर्धारित समय में समयबद्धता के साथ उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों जनमानस द्वारा समस्त अधिनियमों के अन्तर्गत ऑनलाइन पंजीकरण एवं नवीनकरण आदि की सुविधा वर्तमान में विभागीय वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। इस व्यवस्था को श्रम सुविधा पोर्टल भारत सरकार तथा सिंगल विन्डो सिंस्टम से भी जोड़ा गया है।

विभागीय वेबसाइट

श्रम आयुक्त संगठन के क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुये श्रम विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट *यूपीलेबरडाटजीओवीडाटइन* प्रदेश सरकार के डाटा सेन्टर पर स्थापित है। इस वेबसाइट में श्रम आयुक्त संगठन द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों का उल्लेख करते हुए विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, विभिन्न

श्रम कानूनों के अन्तर्गत पंजीयन/नवीनीकरण से सम्बन्धित आवेदन पत्रों, इकाइयों से अपेक्षित रिटर्न्स के प्रारूप, समय-समय पर जारी किए जाने वाली अधिसूचनाएं एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत महंगाई भत्तों से सम्बन्धित आदेश, उ.प्र. श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं एवं प्रपत्र, उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं एवं प्रपत्र, विभागीय क्रियाकलापों की प्रगति इत्यादि का समावेश किया गया है।

क्वालिटी सर्किल योजना

''क्वालिटी सर्किल'' एक जैसे कार्य करने वाले ऐसे 5 से 10 लोगों का स्वैच्छिक समूह है, जो अपने कार्य क्षेत्र की गुणवत्ता, उत्पादकता, लागत घटाना और अन्य समस्याओं का पता लगाने, उनका विश्लेषण व समाधान करने के लिये नियमित रूप से आपस में विचार-विमर्श करते हैं और उनका हल ढूँढ़ने का प्रयास करते हैं। इससे उनके कार्य में सुधार होता है तथा श्रमिकों में प्रतिष्ठान के प्रति लगाव की भावना जागृत होती है। इससे प्रतिष्ठान की उत्पादकता एवं श्रमिकों की कार्यकुशलता तथा कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ-साथ उनमें टीम भावना के साथ कार्यस्थल की तकनीकी समस्याओं को सुलझाने की प्रेरणा का विकास होता है। क्वालिटी सर्किल योजना के गठन में सदस्य, समन्वयक, सुविधाकर्ता, संचालन समिति एवं उच्च प्रबन्धन महत्त्वपूर्ण अंग होते हैं।

उत्पादन प्रोत्साहन योजना

निर्धारित समय में मानक उत्पादन से अधिक उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन हेतु प्रतिष्ठानों में यह योजना लागू की जाती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन के साथ-साथ उत्पादकता में वृद्धि होती है एवं श्रमिकों को भी आर्थिक लाभ होता है, मानक उत्पादन निर्धारण औद्योगिक अभियन्त्रण/कार्य अध्ययन द्वारा निर्धारित करने के पश्चात् योजनाओं के माडल को प्रतिष्ठान के प्रबन्धक एवं श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा आपसी विचार-विमर्श/समझौते के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रतिष्ठान में एक या एक से अधिक प्रकार की उत्पादन प्रोत्साहन योजनाएं अलग-अलग कार्यों की प्रकृति के अनुसार लागू की जा सकती हैं।

कार्यस्थल रख–रखाव के लिए ''5–एस'' योजना

सुव्यवस्थित कार्य–स्थल विकसित करने के लिये कार्य–स्थल व्यवस्थापन आवश्यक है जिसके लिये ''प्रत्येक आवश्यक वस्तु के लिये नियत स्थान और यथा स्थान प्रत्येक वस्तु'' का सिद्धान्त अपनाकर कार्य संचालन विकसित किया जाता है, जिससे श्रमिकों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा दुर्घटनाओं में कमी होती है। श्रमिकों का कार्य के प्रति लगाव बढ़ता है तथा कार्य दशाओं में सुधार होता है। **''5-एस''** पॉच शब्दों क्रमशः सेरी, सीटन, सीसों, सिकेत्सु एवं सित्सुके के प्रथम अक्षर से लिया गया है जो जापानी भाषा के शब्द हैं।

1. पहला ''एस'' सेरी :- जिसका अर्थ है कार्यस्थल से अनावश्यक वस्तुएं छाँटना और उन्हें अलग कर देना।
2. दूसरा ''एस'' सीटन :- जिसका अर्थ है आवश्यक वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से रखना ताकि

उपयोग हेतु उन्हें आसानी से उठाया जा सके।

3. तीसरा ''एस'' सीसो :- जिसका अर्थ है अपने कार्यस्थल को पूर्णरूपेण स्वच्छ करना ताकि फर्श, मशीन और उपकरणों के आस-पास स्वच्छ कार्यस्थल रहे।
4. चौथा ''एस'' सिकेत्सु :- जिसका अर्थ है रख-रखाव व्यवस्था तथा कार्य स्थल व्यवस्थापन के उच्च मापदण्ड को बनाये रखना।
5. पाँचवा ''एस'' सित्सुके :- जिसका अर्थ है लोगों को स्वमेव रख–रखाव व्यवस्था अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना।

कैजेन

कैजेन जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निरन्तर सुधार। इसके अन्तर्गत किसी भी प्रतिष्ठान में कार्यरत सभी लोग जैसे- श्रमिक, सुपरवाइजर, मिडिल मैनेजमेन्ट एवं टाप मैनेजमेंट को शामिल करके प्रतिष्ठान के विभिन्न क्षेत्रों/कार्यस्थलों/कार्य पद्धति में वर्तमान में चल रही टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग एक्टीविटीज, मैनेजेरियल एवं आपरेटिंग स्टैण्डर्ड को मेन्टेन रखना एवं वर्तमान में प्रचलित स्टैण्डर्ड को निरन्तर सुधार करते रहना।

कैजेन के द्वारा किसी भी प्रतिष्ठान में स्टैण्डर्ड को मेन्टेन करते हुए पुनः सुधार की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती रहती है, जिससे प्रतिष्ठान में कार्यरत लोग निरन्तर सुधार के कारण कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिये प्रोत्साहित एवं स्वयं के प्रति अनुशासित हो जाते हैं।

श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी दरों का पुनरीक्षण

प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कुल 65 नियोजन अधिसूचित हैं, जिनमें से 64 अनुसूचित नियोजनों (स्थानीय निकाय को छोड़कर) में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती हैं। इनमें से 59 अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की दरें शासकीय अधिसूचना संख्या 194/36-3-2014-07 (न्यू0वे0)/04, दिनांक 28.01.2014 द्वारा पुनरीक्षित की गयी हैं। वर्तमान में परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते सहित इन 59 अनुसूचित नियोजनों में देय मजदूरी का विवरण निम्नवत् हैं :

			परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रुपये में)		दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक	
क्र0 सं0	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रुपये में)	दिनांक 01.10.2016 से दिनांक 31.03.2017 तक	दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी (रुपये में)	दैनिक मजदूरी (रुपये में)
1.	अकुशल	5750.00	1464.12	1650.46	7400.46	284.63
2.	अर्द्ध कुशल	6325.00	1610.53	1815.51	8140.51	313.10
3.	कुशल	7085.00	1804.05	2033.66	9118.66	350.72

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत पंजीयन एवं नवीनीकरण की कार्यवाही में व्यवसायियों को सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से समय-समय पर विशिष्ट

प्रदेश व्यापी अभियान स्वरूप कार्यवाही किये जाने के निर्णय लिये गये हैं। इन विशिष्ट अभियानों में प्रमुख वाणिज्यिक स्थलों पर विशिष्ट शिविर आयोजित किये जाते हैं और पंजीयन/नवीनीकरण की धनराशि मौके पर नगद प्राप्त करते हुए वर्तमान में ऑन-लाइन पंजीयन/नवीनीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की कार्य स्थितियाँ एवं सुरक्षा

कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की कार्य-स्थितियों में सुधार एवं सुरक्षा हेतु पर्याप्त व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में कारखाना अधिनियम, 1948 तत्सम्बन्धी नियमावलियों तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन परिसंकटमय रासायनिक पदार्थों के हथलन, भण्डारण व इन रासायनिक पदार्थों से सम्भावित दुर्घटनाओं को नियंत्रण में रखने तथा इन दुर्घटनाओं से सम्भाव्य आपात स्थितियों से कारखाने के स्तर पर निपटने हेतु उसी स्तर पर सुनिश्चित की जाने वाली पूर्व तैयारियों से सम्बन्धित भारत सरकार की नियमावलियों के प्रशासन एवं श्रमिकों को देय वेतन का समय से भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु वेतन संदाय अधिनियम, 1936 तथा महिला श्रमिकों को आवश्यकतानुसार मातृका हितलाभ सुनिश्चित कराये जाने हेतु मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 के प्रशासन व प्रवर्तन का कार्य भी सम्पादित किया जाता है।

कारखाना निदेशालय द्वारा सम्पादित विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य

परिसंकटमय कारखानों में सुरक्षा व्यवस्थायें

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनवरी-18 तक कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रदेश में 16571 कारखाने पंजीकृत हैं। उक्त 16571 कारखानों में से खतरनाक प्रकृति के 3887 कारखाने हैं, जिनमें कार्यरत श्रमिकों एवं सुरक्षा को न केवल शारीरिक क्षति होने की सम्भावना है, बल्कि सामान्य पर्यावरण के प्रदूषण को भी खतरा बना रहता है। इन परिसंकटमय कारखानों में सुरक्षा प्रबन्धों एवं व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कराये जाने तथा ऐसे कारखानों में सम्भावित वृहद औद्योगिक दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इन कारखानों पर सजग दृष्टि रखी जाती है। कारखानों में विषैले एवं परिसंकटमय पदार्थों के प्रयोग एवं भण्डारण से जुड़े जोखिम से वहाँ कार्यरत श्रमिकों व आस-पास के जन-सामान्य को होने वाले खतरों को देखते हुए इन कारखानों में वर्ष में एक बार क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने के निर्देश हैं, ताकि परिसंकटमय रासायनिक पदार्थों और औद्योगिक क्रियाकलापों के सापेक्ष सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सके।

परिसंकटमय व विषैले रासायनिक पदार्थों के भण्डारण अथवा प्रयोग यदि सम्बन्धित नियमावली में निर्धारित मात्रा के बराबर अथवा इससे अधिक है तो ऐसे परिसंकटमय प्रकृति के कारखानों को वृहद दुर्घटना की आशंका वाले कारखानों की श्रेणी में आच्छादित कर विशिष्ट सुरक्षा प्रबन्ध/सुरक्षा व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाती हैं।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं सपठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) नियमावली, 2009 के अन्तर्गत

भवन निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराये जाने का कार्य निदेशक कारखाना कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। सभी नियोजकों को उक्त अधिनियमों में दी गई व्यवस्थाओं के अनुपालन के निर्देश दिये गये हैं। भवन श्रमिकों की सुरक्षा हेतु कार्यस्थल पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट जैसे- सेफ्टी शू, हैलमेट, सेफ्टी हारनेश एवं सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी नेट तथा विद्युत के कार्य करने के स्थान पर रबर की मेटिंग डालने, आवागमन के रास्ते अवरुद्ध न होने देने, गड्ढे या आपेनिंग के चारों तरफ सेफ्टा टेप एवं फेसिंग एवं फस्ट-एड बॉक्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने, पीने के पानी, शौचालय, कैन्टीन एम्बलेंस वैन की व्यवस्था कार्यस्थल पर सुनिश्चत कराये जाने हेतु निरीक्षकों द्वारा नियोजकों को निरीक्षण के समय निर्देश दिये जा रहे हैं।

बंधुआ श्रम

बंधुआ श्रम प्रथा के उन्मूलन हेतु भारत सरकार द्वारा बंधुआ श्रम प्रथा (उत्सादन) अधिनियम- 1976 लागू किया गया है, जिसका क्रियान्वयन प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण संवेदनशीलता और कटिबद्धता के साथ कराया जा रहा है। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन की योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना (50 प्रतिशत केन्द्रांश व 50 प्रतिशत राज्यांश) है। इस योजना के अन्तर्गत अवमुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन पर प्रति श्रमिक रु. 20,000/- (दस हजार केन्द्रांश व दस हजार राज्यांश) की धनराशि सम्बन्धित जिले से प्राप्त पुनर्वासन पैकेज के आधार पर बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु प्रदान की जाती है।

बंधुआ श्रम पुनर्वासन योजना- 2016

भारत सरकार के पत्रांक एस-11012 दिनांक 18-05-2016 द्वारा पूर्व में संचालित बंधुआ श्रमिकों की पुनर्वासन योजना (50 प्रतिशत केन्द्र पोषित) पूर्णरूप से केन्द्रीय वित्त पोषित योजना हो गयी है। संशोधित योजना दिनांक 17.05.2016 से प्रभावी है। योजना को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जिसमें पुनर्वासन धनराशि रु. 1.00 लाख, 2.00 लाख तथा 3.00 लाख निर्धारित की गई है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 75 जिलों में रुपये 10.00 लाख का नियमित कार्पस निधि जिला अधिकारी के निष्पादन पर रखी जानी है, जो समय-समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा। इन निधि का उपयोग प्रदेश में अवमुक्त कराये गये बंधुरा श्रमिकों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।

गृह प्रभाग (सामान्य)

औद्योगिक श्रमिकों के लिए गृह निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना लागू की गई, जिसका प्रारम्भ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1953 में किया गया। इन गृहों के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को वित्तीय सहायता निर्माण व्यय के 50 प्रतिशत ऋण तथा 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में की गयी थी। 01 अप्रैल, 1969 से यह धनराशि 70 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई थी।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न 12 क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत 15 जनपदों में कुल 30,647 गृहों का निर्माण कराया गया, जिनमें 29,587 गृहों का प्रशासनिक नियंत्रण विभाग के पास

है। उक्त के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग द्वारा 656 गृह गाजियाबाद में निर्मित किये गये, जिनका कब्जा विभाग को प्राप्त होने के पूर्व ही लोगों ने उनमें अवैध रूप से रहना प्रारम्भ कर दिया था तथा 400 गृह एच.ए.एल., लखनऊ को हस्तान्तरित कर दिये गये थे। विभाग के पास गृहों का विवरण निम्न प्रकार है :

(क) एक कमरे के भवनों की कुल संख्या- 24,777

(ख) दो कमरे वाले भवनों की कुल संख्या- 4,810

श्रमिक बस्तियों में किराये की दरें निम्न प्रकार हैं :

(1) एक कमरे वाले गृहों का किराया

(क) सहायता प्राप्त अनुदानित किराये की दर 10.00 रुपये से 30.00 रुपये प्रतिमाह तक है।

(ख) आर्थिक किराये की दर रुपया 17.50 से रुपया 30.00 प्रतिमाह तक है।

(2) दो कमरे वाले गृहों का किराया

(क) सहायता प्राप्त अनुदानित किराये की दर 14.00 रुपये से 20.00 रुपये प्रतिमाह तक है।

(ख) आर्थिक किराये की दर रुपया 24.50 से रुपया 30.00 प्रतिमाह तक है।

उत्तर प्रदेश में स्थित औद्योगिक श्रमिक बस्तियों में अनाधिकृत कब्जेदारी की समस्या के निदान के सम्बन्ध में शासनादेश सं. 3265/36- चार-90-7(म.अ.)189/ दिनांक 20 नवम्बर, 1990 को निर्गत किया गया, जिसमें किराये की मानक दर का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है-

(1) एक कमरे वाले गृह का किराया रु0 125/- माह की दर से।

(2.) दो कमरे वाले गृह का किराया रु0 235/- माह की दर से।

वर्ष 1995 के पश्चात् इन आवासों के विनियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जा रही है। वर्ष 1995 में इन कालोनियों के विक्रय का निर्णय शासनादेश सं. 41 सी.एम./36-4-95-16/92 दिनांक 06.12.1995 द्वारा लिया गया था, परन्तु अध्यासियों द्वारा स्वयं विक्रय की प्रक्रिया में कोई रुचि नहीं दिखाई गई जिसके फलस्वरूप भवनों का विक्रय नहीं किया जा सका।

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के कार्यकलाप

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के लेखों में वित्तीय वर्ष 2016-17 तक प्रदेश में स्थित विभिन्न कारखानों/अधिष्ठानों के कर्मचारियों की अदत्त संचय धनराशि रुपये 7,04,74,587.89 क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त वादों की धनराशि रुपये 12,25,60,035.50 एवं श्रम कल्याण निधि की धनराशि रुपये 5,79,23,987.25 अवशेष थी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनवरी-2018 तक कर्मचारियों की अदत्त संचय धनराशि रुपये 51,53,365.15 प्राप्त हो जाने पर अदत्त संचय की कुल धनराशि रुपये 7,56,27,953.04 हो गई है तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से वादों की धनराशि रुपये 31,222.50 वापस हो जाने पर दिनांक 31.03.2018 को वादों से सम्बन्धित धनराशि रुपये 12,25,28,813.00 अवशेष है।

उक्त अदत्त संचय, कल्याण निधि, क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त वादों की कुल जमा धनराशि पर

अर्जित ब्याज तथा श्रमिक कल्याण भवन शास्त्रीय नगर, कानपुर के आवंटन से प्राप्त शुल्क की धनराशि से तैयार किये गये वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक से परिषद द्वारा संचालित निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2018 तक निष्पादित किये गये कार्यों की स्थिति निम्नवत है :

1. उत्तर प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों के प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पाने पर आर्थिक सहायता (छात्रवृत्ति) वितरण सम्बन्धी योजना

इस योजना के अन्तर्गत उ.प्र. में कार्यरत ऐसे औद्योगिक श्रमिक जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत श्रमिक की परिभाषा से आवर्त होते हैं तथा जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रुपये 15,000/- से अधिक न हो के पुत्र/पुत्रियों को प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पाने पर प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरित करने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत डिग्री पाठ्यक्रम हेतु धनराशि रुपये 10,000/- डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु धनराशि रुपये 8,000/- एवं सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम हेतु धनराशि रुपये 5,000/- प्रति लाभार्थी की दर से वितरित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 23.10 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से दिनांक 31.01.2018 तक प्राप्त कुल 260 आवेदन-पत्रों में से पात्र कुल 230 लाभार्थियों को रुपये 19.96 लाख की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से वितरित की गई।

2. उत्तर प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों के मेधावी पुत्र/पुत्रियों को पुरस्कार राशि एवं प्रतीक चिह्न प्रदान किए जाने सम्बन्धी योजना

इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कार्यरत औद्योगिक श्रमिकों, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत श्रमिक की परिभाषा से आवर्त होते हैं तथा जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रुपये 15,000/- से अधिक न हो, के पुत्र/पुत्रियों जिन्होंने हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट/स्नातक/स्नातकोत्तर की परीक्षा 60 प्रतिशत या उससे अधिक तथा 75 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की है, उन्हें पुरस्कार राशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत क्रमशः धनराशि रुपये 3,000/- एवं रुपये 5,000/- प्रति लाभार्थी की दर से वितरित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि रुपये 23.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से दिनांक 31.01.2018 तक प्राप्त कुल 555 आवेदन-पत्रों में से पात्र कुल 516 लाभार्थियों को कुल धनराशि रुपये 19.94 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से वितरित की गई।

3. औद्योगिक अधिष्ठानों के मृतक श्रमिकों की विधवाओं/आश्रितों को आर्थिक सहायता वितरण योजना

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान जो कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, में कार्यरत श्रमिकों, जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रुपये 15,000/- से अधिक न हो, की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने की दशा में उसकी विधवा या आश्रित को रुपये 15,000/- की एकमुश्त धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में वितरित किये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रुपये 3.30 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से दिनांक 31.01.2018 तक प्राप्त कुल 15 आवेदन पत्रों में से 13 लाभार्थियों को रुपये 1.95 लाख की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से वितरित की गई।

4. औद्योगिक अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की पुत्रियों को कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता वितरण योजना

प्रदेश के ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान, जो कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, में कार्यरत श्रमिकों, जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रुपये 15,000/- से अधिक न हो, की पुत्रियों को कन्यादान के रूप में रुपये 15,000/- की एकमुश्त धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में वितरित किए जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रुपये 36.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से दिनांक 31.01.2018 तक प्राप्त कुल 200 आवेदन पत्रों में से पात्र 187 लाभार्थियों को रुपये 28.05 लाख की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से वितरित की गई।

5. औद्योगिक अधिष्ठानों के मृतक श्रमिकों की विधवाओं/आश्रिताओं को श्रमिक की अन्त्येष्टि हेतु आर्थिक सहायता योजना

प्रदेश के ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान, जो कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, के श्रमिकों, जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रुपये 15,000/- से अधिक न हो, की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने की दशा में श्रमिक की विधवा या आश्रित को अन्त्येष्टि हेतु रुपये 5,000/- की एकमुश्त धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में वितरित किए जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रुपये 0.10 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से दिनांक 31.01.2018 तक प्राप्त कुल 2 आवेदन पत्रों में से पात्र 2 लाभार्थियों को रुपये 0.10 लाख की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से वितरित की गई।

6. कानपुर के श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण के उद्देश्य से श्रमिक बस्ती शास्त्रीनगर में स्थित श्रमिक कल्याण भवन (बरातघर), के आवंटन की योजना

इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण के उद्देश्य से परिषद द्वारा वर्ष 1991 में श्रमिक बस्ती शास्त्रीनगर कानपुर स्थित राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र परिसर में एक श्रमिक कल्याण भवन का निर्माण कराया गया है, जिसको कानपुर के श्रमिकों एवं समाज के अन्य वर्ग के व्यक्तियों को आवंटित किया जाता है। वर्तमान में आवंटन की दरें निम्नवत् हैं :

1. राज्य के निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों को	रु. 3000/- प्रतिदिन
2. केन्द्रीय सरकार के श्रमिकों को	रु. 3500/- प्रतिदिन
3. समाज के अन्य वर्ग के व्यक्तियों को	रु. 5000/- प्रतिदिन

वित्तीय वर्ष 2017-18 में श्रमिकों, केन्द्रीय श्रमिकों तथा समाज के अन्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए दिनांक 31.01.2018 तक कुल 84 दिनों के लिए श्रमिक कल्याण भवन आवंटित किया गया, जिससे शुल्क के रूप में रुपये 2,97,300/- की धनराशि प्राप्त हुई।

स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनायें

श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को राज्यक्ष्मा (टी.बी.) रोग के उपचार हेतु प्रदेश की औद्योगिक महानगरी, कानपुर नगर में दो राजयक्ष्मा (टी.बी.) चिकित्सालय स्थापित हैं।

वर्तमान में कानपुर नगर के राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों एवं क्षय चिकित्सालयों में कार्यरत मिडवाइफ/स्टाफ नर्स आदि चिकित्सा सम्बन्धी पूरा स्टाफ ई.एस.आई. से सम्बद्ध कर दिया गया है। स्टाफ के वेतन-भत्तों का भुगतान श्रम आयुक्त संगठन द्वारा ही किया जाता है।

बाल श्रम

बाल श्रम के उन्मूलन हेतु शासन पूर्णतया दृढ़–संकल्पित है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा–3 के अन्तर्गत अनुसूची ''अ'' तथा ''ब'' में उल्लिखित 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन पूर्ण रूप से वर्जित है।

मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या (सिविल) 465/86 एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.1996 के अनुपालन में सर्वेक्षणों तथा नियमित निरीक्षणों के माध्यम से प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह जनवरी-2018 तक खतरनाक व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में 983 एवं गैर खतरनाक प्रक्रियाओं में 2110 बाल श्रमिक अर्थात् कुल 3093 बाल श्रमिक चिह्नांकित किये गये। सम्बन्धित 500 नियोजकों के विरुद्ध प्राभियोजन दायर किये गये तथा 421 नियोजकों के विरुद्ध वसूली प्रमाण–पत्र जारी किये गये। इसी अवधि में नियोजकों से रुपये 33.26 लाख की धनराशि वसूल की गई।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्वीकृत है। विगत वित्तीय वर्ष में जिला रामपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं बलरामपुर के अतिरिक्त सभी जिलों में यह परियोजना बन्द है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मार्च, 2016 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की पुनरीक्षित दिशा निर्देश उपलब्ध करा दिये गये हैं। पुनरीक्षित गाइड लाइन्स के अनुसार विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु जिन जिलों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण हेतु धनराशि उपलब्ध करा दी गई है, वहाँ पर सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर भविष्य में आवश्यकतानुसार चिह्नित कामकाजी बच्चों के शैक्षिक पुनर्वासन हेतु विशेष केन्द्रों का संचालन किया जाना है।

महिला श्रम

प्रदेश में संगठित/असंगठित क्षेत्र में नियोजित महिला श्रमिकों की कार्यदशाओं तथा उन्हें समान कार्य के लिये समान वेतन की देयता सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रमुख अधिनियम समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 प्रदेश में लागू है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत महिला श्रमिकों के नियोजन में लिंग के आधार पर विभेद न किये जाने तथा समान कार्य के लिये समान वेतन दिये जाने का प्रावधान है।

मातृत्व हितलाभ अधिनियम–1961 में प्राविधानित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को हितलाभ सुनिश्चित कराये जाते हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गर्भावस्था के दौरान मृत्यु हो जाने पर नियमानुसार भुगतान कराने, मेडिकल बोनस, गर्भपात हो जाने की दशा में अवकाश, गर्भावस्था के दौरान बीमार हो जाने की दशा में सवेतन अवकाश, गर्भावस्था के दौरान सेवा से पृथक न करने तथा 12 सप्ताह का सवेतन अवकाश की व्यवस्थाएं प्राविधानित हैं।

उक्त अधिनियम के अतिरिक्त अन्य श्रम अधिनियमों यथा– कारखाना अधिनियम–1948, बीड़ी एवं सिगार अधिनियम–1966, न्यूनतम वेतन अधिनियम–1961, ठेका श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम–1976 आदि में भी महिला श्रमिकों के हितार्थ प्रावधान किये गये हैं।

उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के परिपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से जिला व तहसील स्तर पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त हैं, जो अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक घोषित हैं। निरीक्षक को अधिनियम का अनुपालन न करने वाले नियोजकों के विरुद्ध प्राभियोजन एवं निर्देशवाद दायर किये जाने का अधिकार प्रदत्त है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा-6 के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को विभिन्न सेवा योजनों के समान अवसरों में वृद्धि, कार्य की प्रकृति, कार्य के घन्टे व पुरुषों के समान पारिश्रमिक दिलाये जाने के लिये प्रदेश स्तर पर एक सलाहकार समिति के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रुपये 20.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना

देश में कुल श्रमिकों के सापेक्ष असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या लगभग 93 प्रतिशत है तथा वर्तमान में प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21 प्रतिशत है।

वर्तमान सरकार के लोक संकल्प-पत्र में श्रम विभाग से सम्बन्धित बिन्दु सं.1 के अन्तर्गत असंगठित कर्मकारों हेतु दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य किसी भी पंजीकृत कर्मकार की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा उसे शारीरिक नुकसान या अंग-भंग होने की स्थिति में उसे अथवा उसके परिवार के आश्रितों/नामितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना है। योजना के संचालन हेतु अनुग्रह धनराशि का वितरण योजना में विहित निर्देशों के अनुसार निम्नवत् किया जायेगा-

(1) किसी पंजीकृत कर्मकार की दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार के आश्रित/नामित को एकमुश्त रु. 2,00,000.00 (रु. दो लाख मात्र) की धनराशि भुगतान की जायेगी।

(2) पंजीकृत कर्मकार के पूर्ण अपंगता या दोनों आँखों की हानि या दोनों हाथ या दोनों पैर के अंग-भंग/नुकसान हो जाने पर उसे रु. 1,00,000.00 (रु. एक लाख मात्र) की धनराशि भुगतान की जायेगी।

(3) पंजीकृत कर्मकार के एक आँख की दृष्टि या एक हाथ या एक पैर के अंग-भंग/नुकसान होने पर उसे रु. 1,00,000.00 (रु. एक लाख मात्र) की धनराशि भुगतान की जायेगी।

असंगठित कर्मकारों हेतु दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना में प्रति श्रमिक वांछित प्रीमियम धनराशि रु. 25/- के परिकलन के आधार पर वर्ष 2018-19 हेतु अनुमानित 5 लाख कर्मकारों हेतु धनराशि रु. 125.00 लाख के आय-व्ययक या प्रावधान किया है।

अटल पेंशन योजना

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 की धारा-3 व 4 के अन्तर्गत केन्द्र एवं

राज्य सरकार को असंगठित कर्मकारों हेतु उपयुक्त योजनाओं विरचित (Framing) किया जाना है। असंगठित कर्मकारों के वृद्धावस्था में कोई आय स्रोत उपलब्ध न होने के कारण उन्हें भारत सरकार की अटल पेंशन योजना से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान सरकार के लोक संकल्प-पत्र के बिन्दु सं.-2 में अटल पेंशन योजना का लाभ सभी असंगठित श्रमिकों को पहुँचाये जाने हेतु विशेष जोर दिया गया है।

उक्त योजना के अन्तर्गत उन सभी पंजीकृत कर्मकारों को, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है, आवर्त किया जाना है। सम्बन्धित कर्मकारों द्वारा 60 वर्ष की आयु तक प्रीमियम जमा किया जाना है, 60 वर्ष की आयु के उपरान्त उन्हें पेंशन की चुनी हुई धनराशि मासिक रूप से देय होगी। पंजीकृत कर्मकार को उसके 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर न्यूनतम रुपये 1,000/- की मासिक पेंशन सुलभ कराये जाने के दृष्टिगत योजना में आने वाले प्रीमियम का व्यय-भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

उक्त योजना में पंजीकृत कर्मकार की मृत्यु होने की स्थिति में उक्त पेंशन उसकी पत्नी को प्रदान की जायेगी। पंजीकृत कर्मकार/ उसकी पत्नी अर्थात दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में उसके नामित को न्यूनतम रु. 1.70 लाख की कार्पस निधि अथवा कर्मकार द्वारा स्वयं के अंशदान के आधार पर जितनी पेंशन हेतु अंशदान किया जायेगा, के अनुरूप कार्पस निधि का भुगतान होगा। पंजीकृत कर्मकार की 60 वर्ष से पहले मृत्यु होने की स्थिति में उसके द्वारा जमा की गयी रकम ब्याज सहित उसके द्वारा नामित को वापस की जायेगी।

प्रदेश में 5 लाख असंगठित कर्मकारों का पंजीयन किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न आयु वर्ग के पंजीकृत होने वाले कर्मकारों के सापेक्ष 18 से 40 वर्ष की आयु के वर्तमान में 3 लाख कर्मकार चिह्नित होने का अनुमान है, जिसके आधार पर औसत 29 वर्ष की आयु हेतु निर्धारित प्रीमियम धनराशि रु. 626/- अर्द्धवार्षिक जो कि वार्षिक रूप में कुल रु. 1252/- होती है, के आधार पर 1 लाख कर्मकारों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु. 1252.00 लाख आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

असंगठित कर्मकार कल्याण निधि

वर्तमान सरकार के संकल्प-पत्र के अनुसार असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुँचाना प्राथमिकताओं में है, जिसके दृष्टिगत असंगठित कर्मकारों हेतु किये जाने वाले कार्यों को सुचारु एवं व्यवस्थित ढंग से किये जाने हेतु असंगठित कर्मकार कल्याण निधि का गठन किया जाना है। उक्त निधि का प्रबन्धन एवं संचालन बोर्ड द्वारा लखनऊ स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर किया जायेगा। खाते का संचालन सचिव बोर्ड व श्रमायुक्त, उ.प्र. के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

उक्त निधि में निम्नलिखित श्रोतों से प्राप्त धनराशि संचित की जायेगी :

(1) राज्य सरकार द्वारा निधि की स्थापना हेतु किये जाने वाली एक मुश्त धनराशि

(2) भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी सरकारी निकाय अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिया गया अनुदान या ऋण या अग्रिम, यदि कोई हो,

(3) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि,

(4) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/अभिलिखित/संचालित योजनाओं के सापेक्ष प्राप्त होने वाली धनराशि,

(5) केन्द्र/राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं के सापेक्ष समय-समय पर प्राप्त होने वाली सहायता धनराशि/अनुदान,

(6) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन/लाइसेंसिंग/नवीनीकरण से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण धनराशि,

(7) अन्य बोर्डों/संस्थाओं/निकायों से प्राप्त होने वाला अनुदान,

(8) लाभार्थियों के पंजीयन/नवीनीकरण से प्राप्त होने वाली धनराशि,

(9) नियोजकों से प्राप्त होने वाला अंशदान,

(10) लाभार्थियों से प्राप्त होने वाला अंशदान,

(11) अन्य श्रोतों से प्राप्त होने वाला अंशदान,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में असंगठित कर्मकार कल्याण निधि की स्थापना हेतु रु. 200.00 लाख आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी, 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू के कर–कमलों द्वारा कानपुर में शुभारम्भ हुआ था। यह योजना विद्युत से चलने वाले प्रतिष्ठानों में कम से कम 10 कर्मचारी कार्य करने वाले कारखानों में लागू हुई। यह योजना मुख्यतः कामगारों व उनके सेवायोजकों के अंशदान पर निर्भर है। इस योजना से आच्छादित श्रमिकों के वेतन से 1.75 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से तथा सेवायोजक से आच्छादित श्रमिकों के वेतन का 4.75 प्रतिशत कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार के खाते में जमा होता है।

मूलभूत उद्देश्य व लाभ

योजना का मूल उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे हुए कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित कामगारों एवं उनके परिवार के सदस्यों को योजना में हितलाभ प्रदान करना है।

योजना के हितलाभ निम्नलिखित है :

1. चिकित्सा हितलाभ - बीमांकित व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सम्बन्धी सभी सुविधायें प्रदान की जाती हैं।
2. बीमारी हितलाभ :- नकद हितलाभ दिया जाता है।
3. प्रसूति हितलाभ :- पूर्ण चिकित्सीय सुविधा तथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं।
4. अपंगता हितलाभ :- कृत्रिम अंगों की पूर्ति निःशुल्क की जाती है, तथा कम्पनसेशन दिया जाता है।
5. आश्रित हितलाभ :- आजीवन पेंशन दी जाती है।
6. अंतिम संस्कार हितलाभ :- दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है।

बीमांकित रोगियों एवं परिवार के रोगी सदस्यों को औषधालय से चिकित्सालय एवं चिकित्सालय से अन्य चिकित्सालय तक पहुँचाने हेतु 15 एम्बुलेन्स क्रियाशील हैं।

योजना का वित्त पोषण

इस योजना का सम्पूर्ण व्यय बजट के माध्यम से प्रदेश सरकार वहन करती है, जिसकी प्रतिपूर्ति कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित मानक तक राज्य सरकार को की जाती है। नयी व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा योजना चिकित्सा सेवाएं समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस नयी व्यवस्था में शत-प्रतिशत व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा वहन किया जायेगा।

वर्तमान स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न व्ययों की अधिकतम सीमा रुपया 3000/- प्रति बीमांकित निर्धारित की है।

1. प्रशासनिक व्यय रुपया 1250/- प्रति बीमांकित
2. गैर प्रशासनिक व्यय रुपया 1550/- प्रति बीमांकित
3. रिवाल्विंग फण्ड व्यय रुपया 200/- प्रति बीमांकित,यह फण्ड क.रा.बी. निगम अपने पास रखता है जिसके द्वारा प्रतिपूर्ति दावों का शत-प्रतिशत भुगतान करता है।

सेवायोजन सेवा

पुनर्वास एवं रोजगार महानिदेशालय के अधीन रोजगार कार्यालयों की स्थापना जुलाई, 1945 में की गई। वर्ष 1952 में गठित शिवाराव समिति की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1956 से रोजगार कार्यालयों का दैनिक प्रशासन प्रदेश सरकारों को स्थानान्तरित कर दिया गया। रोजगार बाजार में उपलब्ध मानवशक्ति की आवश्यकता, सेवारत मानवशक्ति का विवरण एकत्र करने हेतु वर्ष 1959 में संसद द्वारा सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम–1959 पारित किया गया।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 111 सेवायोजन कार्यालय स्थापित हैं तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों यथा– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की रोजगारपरकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं।

सेवायोजन कार्यालय के प्रमुख कार्य निम्नवत् हैं-

1. बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार हेतु ऑन लाइन पंजीयन तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में वैतनिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचित रिक्तियों की पूर्ति हेतु उनके नाम सम्प्रेषित करना।
2. व्यवसाय मार्ग निर्देशन/कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण व उच्च शिक्षा के अवसरों के सम्बन्ध में बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को सम्यक एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना तथा रोजगार बाजार में उपलब्ध रोजगार एवं रोजगारपरक पाठयक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना।
3. स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना एवं ऋण सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त करने में उनकी सहायता करना।
4. रोजगार/बेरोजगारी के विभिन्न आयामों के सम्बन्ध में सूचनाओं का विश्लेषण, संकलन, प्रचार एवं प्रसार।

5. समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवायोजकता तथा कौशल में वृद्धि करना।

6. मानवशक्ति की भविष्य की आवश्यकताओं का अध्ययन एवं पूर्वानुमान।

7. रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्रों में बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार अवसर प्रदान करना।

बेरोजगार दिव्याँग अभ्यर्थियों हेतु किये गये कार्य

माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सलाहकार परिषद की संस्तुति के अनुसार दिव्याँग अभ्यर्थी को रोजगार सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से 16 जनपदों में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय (विकलाँग) और शेष जनपदों में प्रत्येक रोजगार कार्यालय में विशेष सेल स्थापित हैं, जिनके माध्यम से दिव्याँग अभ्यर्थी को सेवायोजन सहायता उपलब्ध कराने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 2017 में सेवायोजन सहायता कार्यक्रम में कुल 33231 दिव्याँग बेरोजगार अभ्यर्थी प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों की सक्रिय–पंजी पर पंजीकृत हैं तथा नियोजकों द्वारा कोई अधिसूचित नही की गयी।

ई–काउन्सिलिंग कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद अयोध्या में झुनझुनवाला बिजनेंस स्कूल में जनपद के प्रतिष्ठित विद्यालयों/महाविद्यालयों के मेधावी तथा सेना में सेवायोजन के इच्छुक विद्यार्थियों हेतु द्वितीय चरण की ई-काउन्सिलिंग की गई। सम्बन्धित विषय पर मुख्य वक्ता अमेठी के आर्मी रिक्रूटिंग आफीसर कर्नल बी.टी.के. राजू, कैरियर काउन्सलर श्री सुशील मिश्र द्वारा कानपुर से तथा श्री ए.पी. सिंह द्वारा प्रयागराज से सीधे स्काइप द्वारा सम्बोधित किया गया। ई-काउन्सिलिंग के माध्यम से विशेषज्ञों ने अपने कार्यालय में बैठकर विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी कैरियर सम्बन्धी जिज्ञासा का समाधान अत्यन्त ही सुविधाजनक ढंग से किया। वार्ता में श्री राजेन्द्र प्रसाद निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उ.प्र., श्री राजीव कुमार यादव, उपनिदेशक सेवायोजन तथा श्री डी.पी. सिंह जिला रोजगार सहायता अधिकारी सहायक निदेशक सेवायोजन, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय अयोध्या एवं उनके सहयोगियों का उल्लेखनीय योगदान रहा है।

रोजगार मेला

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा निजी क्षेत्र में भी बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं। बेरोजगारों एवं नियोजकों को एक ही स्थान पर एकत्र कर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है जिसमें नियोजक अपनी संस्था के कार्य के उपयुक्त बेरोजगारों का चयन करते हैं तथा बेरोजगारों को भी अपनी इच्छानुसार संस्थान का चयन करने की सुविधा रहती है।

रोजगार मेलों हेतु नियोजकों को आमंत्रित किया जाता है। यह भी ध्यान में रखा गया है कि प्रदेश के पिछड़े जनपदों जहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं वहाँ भी रोजगार मेले लगें।

वर्ष 2017-18 में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालयों तथा जिला सेवायोजन कार्यालयों हेतु इस वर्ष में कुल 572 रोजगार मेलों के आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

वर्ष 2017-18 में माह जनवरी 2018 तक प्रदेश के विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों द्वारा 547 रोजगार मेले आयोजित किये गए, जिनमें 49155 बेरोजगार अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।

शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र

समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों यथा– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग

के अभ्यर्थियों की रोजगारपरकता में वृद्धि हेतु 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते हैं :

1. सचिवीय पद्धति, भाषा, आशुलिपिक एवं टंकण में प्रशिक्षण।
2. प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के संबंध में मार्गदर्शन।
3. कम्प्यूटर
4. सामान्य ज्ञान
5. सामान्य गणित

सेवायोजन वेब पोर्टल

प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजन के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा sewayojan.up.nic.in वेबपोर्टल का विकास कराया गया है। प्रदेश के अन्तर्गत समस्त सेवायोजन कार्यालय जो कि विभागीय मैनुअल के आधार पर संचालित हो रहे हैं, को इस प्रकार रूपान्तरित किया गया है कि मैनुअल की समस्त भावनाओं का समावेश एवं प्रक्रियाओं को गतिमान एवं जनसामान्य हेतु सुविधाजनक करने हेतु सूचना तकनीक एवं मोबाइल कम्प्यूटिंग का बेहतर उपयोग हो सके। इस वेबपोर्टल में बेरोजगार अभ्यर्थियों के पंजीयन के साथ ही साथ सेवायोजकों को भी पंजीकृत करने का प्रावधान किया गया है।

मॉडल कैरियर सेन्टर

मॉडल कैरियर सेन्टर का कार्यक्षेत्र पूरे प्रदेश के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं तथा प्रशिक्षण संस्थानों के अध्ययन कर रहे प्रशिक्षार्थियों से सम्बन्धित है। इस सेन्टर द्वारा वर्तमान परिवेश में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार के नये उभरते व्यवसायों की जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ उनकी सेवायोजकता में वृद्धि किये जाने की भी व्यवस्था है।

वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय लखनऊ पर संचालित कैरियर काउन्सिलिंग सेल, जिला सेवायोजन कार्यालय गाजियाबाद, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय मेरठ, विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय मुरादाबाद तथा विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र प्रयागराज विश्वविद्यालय प्रयागराज में मॉडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों द्वारा वर्तमान परिवेश के अनुरूप शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसरों की जानकारी की प्रदान जाती है।

●

खेल

- प्रदेश में वर्ष 1974 में खेल विभाग की स्थापना हुई।

प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यक्रम खेल विभाग का मेरुदण्ड है। खेल विभाग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में निर्मित विभागीय खेल अवस्थापनाओं जैसे- स्पोर्ट्स स्टेडियम, बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल, जिम्नेजियम, तरणताल, सिन्थेटिक बास्केटबाल कोर्ट, हॉकी एस्ट्रोटर्फ (कृत्रिम घास का मैदान) आदि का नियमित एवं अधिकाधिक सदुपयोग करने एवं बालक/बालिकाओं को खेल का ज्ञान देने व उन्हें उच्च स्तर का खिलाड़ी बनाने हेतु लोकप्रिय खेलों के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। खेल विभाग में तैनात विभागीय प्रशिक्षकों (क्रीड़ा अधिकारी, उप क्रीड़ा अधिकारी, सहायक प्रशिक्षक) द्वारा अपने खेल का प्रशिक्षण शिविर पूरे वर्ष संचालित किया जाता है।

वर्ष 2017-18 में खेल विभाग द्वारा प्रदेश के जनपदों में निर्मित स्टेडियमों में खेल अवस्थापनाओं में विभिन्न खेलों के विभागीय अधिकारियों द्वारा 131 प्रशिक्षण शिविरों तथा 412 अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों द्वारा 412 प्रशिक्षण शिविर संचालित किए गए।

प्रतियोगिताएं

विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों के संचालन स्वरूप जो बच्चे सामने आते हैं, उनको प्रतिस्पर्धा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में विभिन्न खेलों की जिला तथा प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। इसके लिए विभाग द्वारा पूरे वर्ष का एक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में 03 अखिल भारतीय स्तर, 40 राज्य स्तरीय प्रतियोगितायें, 12 खेलों में प्रदेश स्तरीय महिला प्रतियोगिताएं, 03 ओपेन राज्य आमंत्रण प्रतियोगिता, 915 जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं, जिनमें 93,641 खिलाड़ी लाभान्वित हुए।

वर्ष 2017-18 में पं. दीन दयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में 74 जनपदों में 2-2 जिला स्तरीय प्रतियोगिता सहित कुल 148 प्रतियोगितायें, 18 मण्डलों में 1-1 राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष/महिला प्रतियोगितायें सहित कुल 18 प्रतियोगितायें आयोजित करायी गयीं, जिनमें 15,284 खिलाड़ी लाभान्वित हुए।

24 जनवरी 2018 को 'उत्तर प्रदेश दिवस' के अवसर पर लखनऊ में राज्य स्तरीय सीनियर हॉकी/कुश्ती/कबड्डी पुरुष/महिला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 1566 खिलाड़ी लाभान्वित हुए। इन्हें पुरस्कृत कर प्रमाण पत्र भी दिए गए।

महिलाओं में खेल को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण से निदेशालय द्वारा 12 खेलों में प्रदेश स्तरीय महिला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2017-18 में 1148 प्रतियोगिताएं कराई गईं। इनसे 1,10,491 बालक/बालिकाएं लाभान्वित हुए।

विभागीय प्रतियोगिताओं का निर्धारित कार्यक्रम—2018-19

1. राष्ट्रीय पर्वो (15 अगस्त, 02 अक्टूबर, 26 जनवरी) पर प्रतियोगिताएं	225 जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं
2. खेल दिवस (29 अगस्त) हॉकी के जादूगर स्व० मेजर ध्यान चंद के जन्म दिवस पर 14 वर्ष से कम आयु के बालकों की हॉकी प्रतियोगिता	75 जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं
3. खेल निदेशालय उ.प्र. एवं प्रदेशीय क्रीड़ा संघो के समन्वय से बालक/बालिकाओं की सब जूनियर एवं जूनियर वर्गों की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताएं	
सब जूनियर वर्ग	22 प्रतियोगिताएं
जूनियर वर्ग	22 प्रतियोगिताएं
4. महिलाओं की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताएं	
प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता	12 खेलों में
5. पं. दीन दयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में 75 जनपदों में 2-2 जिला स्तरीय प्रतियोगिता	150 प्रतियोगिताएं
6. पं. दीन दयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में 18 मण्डलों में 1-1 प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता	18 प्रतियोगिताएं
7. अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं	
अखिल भारतीय स्तर	06 प्रतियोगिताएं

दिनांक 05 जून से 25 जून, 2017 तक लखनऊ में गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज के अन्तर्गत निर्मित फ्लड लाइट युक्त सिन्थेटिक हॉकी मैदान एवं पद्मश्री मो0 शाहिद सिन्थेटिक हॉकी स्टेडियम, विजयन्त खण्ड गोमतीनगर में निर्मित फ्लड लाइट युक्त सिन्थेटिक मैदान में 07वीं हॉकी इण्डिया सीनियर नेशनल पुरुष चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया। उक्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पहली बार देश के समस्त राज्यों एवं सर्विसेज की कुल 56 टीमों ने प्रतिभाग किया।

दिनांक 23 मई से 28 मई 2017 तक गाजियाबाद में 34वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका हैण्डबाल चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त राज्यों की टीमों ने प्रतिभाग किया।

दिनांक 04 से 11 जून 2017 तक दादरी ग्रेटर नोयडा में 68वीं राष्ट्रीय जूनियर बालक/बालिका बास्केटबाल चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त राज्यों की टीमों ने प्रतिभाग किया तथा उत्तर प्रदेश की बालिका टीम ने रजत पदक अर्जित किया।

दिनांक 17 से 28 जनवरी 2018 तक मास्टर चंदगी राम एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, सैफई (इटावा) में 8वीं हॉकी इण्डिया सब जूनियर राष्ट्रीय बालक चैम्पियनशिप (डिवीजन-ए) का

आयोजन किया गया, जिसमें 20 टीमों ने प्रतिभाग किया तथा उत्तर प्रदेश की टीम ने रजत पदक अर्जित किया।

आवासीय क्रीड़ा छात्रावास

खेल विभाग की महत्त्वपूर्ण योजनाओं में से एक आवासीय क्रीड़ा छात्रावास है। जिसके अन्तर्गत जिला स्तर, मण्डल व प्रदेश स्तर पर चयन करके उदीयमान खिलाड़ियों का 15 दिवसीय केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर संचालित कराया जाता है। इस शिविर के अन्तिम दिवसों में क्रीड़ा छात्रावासों में प्रवेश हेतु उदीयमान खिलाड़ियों का चयन खेल विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है, जिसके अन्तर्गत उन्हें आवासीय सुविधा, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, खेल किट, उपकरण आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। एक खिलाड़ी पर प्रतिवर्ष रु. 89,950/- व्यय होता है। वर्तमान में 19 जनपदों में 16 खेलों में 44 छात्रावास हैं। इनमें विभिन्न खेल छात्रावासों में बालकों की संख्या-670 एवं बालिकाओं की संख्या-220, कुल 890 निर्धारित है।

केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर

केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर छात्रावास का एक अंग है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में प्रवेश हेतु आयोजित राज्य स्तरीय चयन/ट्रायल्स में निर्धारित संख्या के अनुसार चयनित बालक एवं बालिकाओं का 15 दिवसीय तक केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर संचालित कराया जाता है, जिसमें खिलाड़ियों को प्रगाढ़ प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर के अन्तिम दो दिनों में अन्तिम चयन/ट्रायल्स आयोजित किया जाता है। उक्त चयन/ट्रायल्स में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनायी जाती है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में रिक्त स्थानों के सापेक्ष मेरिट के आधार पर छात्रावासों में प्रवेश दिया जाता है।

विशेष प्रशिक्षण शिविर एवं किट की व्यवस्था

प्रदेशीय खेल संघो द्वारा चयनित प्रदेशीय टीमों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजा जाता है। खेल विभाग द्वारा प्रदेशीय टीमों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पूर्व 10-15 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर की सुविधा प्रदान की जाती है। जिससे टीम में तालमेल बन सके एवं उनके खेल में सुधार आ सके तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर सकें। प्रशिक्षण अवधि में खिलाड़ियों के भोजन एवं आवास आदि की सुविधा पर होने वाले व्यय को खेल विभाग द्वारा वहन किया जाता है। इन प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों हेतु किट तथा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के आयोजन स्थल तक आने-जाने का रेल किराया सिंगल फेयर डबल जर्नी के सिद्धान्त के आधार पर आरक्षण शुल्क सहित विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है।

प्रदेशीय क्रीड़ा संघों/क्लबों को प्रतियोगिता के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता

खेल के क्षेत्र में खेलों के प्रतिस्पर्धात्मक पक्ष को देखने के लिए देश में राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय खेल महासंघ और प्रदेश स्तर पर प्रदेशीय खेल संघ कार्य करते हैं। प्रदेशीय संघों का प्रमुख कार्य अपने खेलों से सम्बन्धित प्रदेशीय चैम्पियनशिप का आयोजन करना और प्रदेशीय टीमों का चयन कर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के लिए भेजना होता है। यदा-कदा भारतीय खेल महासंघों द्वारा प्रदेशीय क्रीड़ा संघों को राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने का भार सौंप दिया जाता है।

खेल विभाग ऐसे कार्यक्रमों के संचालन हेतु तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह आर्थिक सहायता उन्हीं प्रदेशीय क्रीड़ा संघों को दी जाती है जो शासन द्वारा निर्धारित गाइड लाइन्स को स्वीकार करते हैं।

पुरस्कार (लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के विशिष्ट खिलाड़ियों को लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित करने की योजना है। इसके अन्तर्गत अलंकृत होने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र, लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा, वर्तिलेख तथा रु. 3,11,000/- की धनराशि नकद प्रदान की जाती है। पुरस्कार की पात्रता के लिए खिलाड़ी को उ.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए। खिलाड़ी राष्ट्रीय सीनियर चैम्पियनशिप/राष्ट्रीय खेल में कम से कम 3 बार प्रदेशीय टीम का सदस्य रहा हो तथा जिस वर्ष में पुरस्कृत किये जाने की सिफारिश की जाती है, उस वर्ष में खिलाड़ी द्वारा पदक अर्जित किया गया हो। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्राप्त पदकों के आधार पर अंक निर्धारित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंकों के आधार पर खिलाड़ियों का लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार हेतु चयन किया जाता है।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार

प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कीर्तिमान स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को भी नकद पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार एकल एवं टीम गेम्स में अलग-अलग प्रदान किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे- ओलम्पिक गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स, विश्व कप, एशियन गेम्स, एफ्रो एशियन गेम्स तथा सैफ गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार की व्यवस्था की गयी है।

राष्ट्रीय चैम्पियनशिप:-

एकल खेल

वर्गीकरण	**प्रथम**	**द्वितीय**	**तृतीय**
सीनियर	1,00,000/-	75,000/-	50,000/-
जूनियर	50,000/-	35,000/-	25,000/-
सब जूनियर	25,000/-	15,000/-	10,000/-
टीम खेल			
सीनियर	40,000/-	30,000/-	20,000/-
जूनियर	30,000/-	25,000/-	15,000/-
सब जूनियर	15,000/-	10,000/-	5,000/-
राष्ट्रीय खेल			
एकल गेम	3,00,000/-	2,00,000/-	1,00,000/-
टीम गेम	1,00,000/-	50,000/-	25,000/-

शासनादेशों में राष्ट्रीय खेल/चैम्पियन शिप में नया कीर्तिमान बनाने पर रु. 50,000/- के अतिरिक्त पुरस्कार की व्यवस्था की गई है।

खेल विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में पुरस्कार योजना में विभिन्न खेलों के पदक विजेताओं को पदक प्राप्त करने के फलस्वरूप कुल रु. 59,80,000/- की नकद धनराशि से पुरस्कृत किया गया है। राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में 26 स्वर्ण, 53 रजत, 42 कांस्य पदक अर्जित करने वाले कुल 173 खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि प्रदान की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर:-

एकल खेल

वर्गीकरण	**प्रथम**	**द्वितीय**	**तृतीय**
रियो ओलम्पिक	600.00 लाख	400.00 लाख	200.00 लाख
टीम खेल			
रियो ओलम्पिक	300.00 लाख	200.00 लाख	100.00 लाख

एकल खेल

वर्गीकरण	**प्रथम**	**द्वितीय**	**तृतीय**
1-कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स	50.00 लाख	30.00 लाख	15.00 लाख
2-एफ्रो एशियन गेम्स, विश्वकप	15.00 लाख	10.00 लाख	08.00 लाख
3-सैफ गेम	03.00 लाख	02.00 लाख	01.00 लाख

टीम गेम

वर्गीकरण	**प्रथम**	**द्वितीय**	**तृतीय**
1-कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स	30.00 लाख	15.00 लाख	10.00 लाख
2-एफ्रो एशियन गेम्स, विश्वकप	10.00 लाख	08.00 लाख	06.00 लाख
3-सैफ गेम	01.00 लाख	00.50 लाख	00.25 लाख

वर्ष 2017-18 में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों का विवरण

क्र सं	खिलाड़ी का नाम	जनपद	खेल का नाम	अर्जित पदक	पुरस्कार राशि	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता
1.	कु. इन्दु गुप्ता	लखनऊ	हैण्डबाल (टीम गेम्स)	स्वर्ण	1,00,000/-	12वें साउथ एशियन गेम्स 2016 गुवाहाटी
2.	कु. सृष्टि अग्रवाल	प्रयागराज	हैण्डबाल (टीम गेम्स)	स्वर्ण	1,00,000/-	तदैव
3.	कु. मंजुला पाठक	देवरिया	हैण्डबाल (टीम गेम्स)	स्वर्ण	1,00,000/-	तदैव
4.	श्री सचिन कुमार भारद्वाज	मऊ	हैण्डबाल (टीम गेम्स)	स्वर्ण	1,00,000/-	तदैव
5.	श्री उचित शर्मा	मेरठ	वुशू (एकल वर्ग)	स्वर्ण	3,00,000/-	तदैव

6.	श्री राहुल चौधरी	बिजनौर	कबड्डी (टीम गेम्स)	स्वर्ण	1,00,000/-	तदैव
7.	कु. पूनम यादव	आगरा	क्रिकेट (टीम गेम्स)	रजत	8,00,000/-	आई.सी.सी. महिला क्रिकेट वर्ल्डकप 2017 लन्दन
8.	कु. दिप्ती शर्मा	आगरा	क्रिकेट (टीम गेम्स)	रजत	8,00,000/-	तदैव
9.	श्री सुहास एल.वाई.	लखनऊ	बैडमिन्टन	स्वर्ण	10,00,000/-	तुर्कीस ओपेन इण्टरनेशनल पैरा बैडमिन्टन चैम्पियनशिप, एण्टालिया (टर्की) एवं एशियन पैरा बैडमिन्टन चैम्पियनशिप, बीजिंग (चाइना)

रियो ओलम्पिक गेम्स

क्र.सं.	खिलाड़ी का नाम	स्थान	खेल का नाम	पुरस्कार राशि रु.
1.	सुश्री पी.वी. सिन्धु	हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	बैडमिन्टन	1,00,00,000
1.	सुश्री साक्षी मलिक	रोहतक, हरियाणा	कुश्ती	1,00,00,000
1.	सुश्री दीपा करमाकर	अगरतला, त्रिपुरा	जिम्नास्टिक	1,00,00,000
			योग रु.	3,00,00,000

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन पुरस्कार

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करने के लिए व्यवस्था लागू की गयी है।

प्रदेश के भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता

विभाग द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों के कल्याणार्थ चलायी जाने वाली योजना के अन्तर्गत वृद्ध अशक्त एवं विपदाग्रस्त खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के उन वृद्ध खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने युवा काल में अपने खेल के माध्यम से प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया हो तथा जिनकी समस्त स्रोतों से मासिक आय रु. 20,000/- से अधिक न हो, उन्हें निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है:-

1. राज्य स्तर के वे खिलाड़ी, जिन्होंने प्रदेश की अधिकृत टीम का प्रतिनिधित्व किया हो- रु. 4,000/-
2. राष्ट्रीय स्तर के वे खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्र की अधिकृत टीम का प्रतिनिधित्व किया हो- रु. 6,000/-
3. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वे खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्र की अधिकृत टीम के सदस्य होकर ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स तथा विश्व कप खेलों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हो- रु. 10,000/-

वित्तीय वर्ष 2017-18

क्र.सं.	स्तर	दर (प्रतिमाह)	लाभान्वित खिलाड़ियों की संख्या
1	अन्तर्राष्ट्रीय	10,000	05
2	राष्ट्रीय	6,000	17
3	राज्य	4,000	115
			कुल 137

विभाग द्वारा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को अथवा खेल जगत में उपलब्धियों के दृष्टिगत पद्मश्री एवं पद्मभूषण से सम्मानित महानुभाव खिलाड़ियों को रु. 20,000/- प्रतिमास की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आय सीमा की छूट भी है।

राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने की नीति

प्रदेश में खेलों के विकास हेतु शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 द्वारा राज्य में निजी सहभाागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने की नीति निर्धारित है। जिसके अन्तर्गत खेल संघ/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों द्वारा भूमि का चिन्हांकन प्राधिकरणों/जिलाधिकारी द्वारा कराते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने पर मान्यता प्राप्त खेलों में एकेडमी विकसित किये जाने हेतु नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ

खेलों को प्रोत्साहन देने की दिशा में तथा खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से लखनऊ में कुर्सी रोड पर स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की गयी। उत्तर प्रदेश का यह प्रथम स्पोर्ट्स कालेज है। इसका क्षेत्रफल 153 एकड़ है। इस कालेज में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के 12 वर्ष की आयु के बच्चों का चयन कर प्रवेश दिया जाता है और उनके अध्ययन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था इसी आवासीय संस्था में एक स्थान पर की जाती है और बालकों को एक अच्छा नागरिक बनाने के उद्देश्य से उनके चतुर्मुखी विकास पर बल दिया जाता है। कालेज में एथलेटिक्स, फुटबाल, हॉकी, क्रिकेट, वालीबाल, लॉनटेनिस, तैराकी एवं बैडमिन्टन खेलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ में छात्रों को कक्षा-06 से 12 तक साहित्यिक वर्ग में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाती है। समुचित आवासीय व्यवस्था हेतु बहुमंजिला छात्रावास, डायनिंग हाल, कम्यूनिटी हाल और स्वास्थ्य केन्द्र की भी सुविधायें उपलब्ध हैं। इन सब उच्चतम सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु उपयुक्त स्थान है। स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में कुल-345 प्रशिक्षार्थियों की संख्या निर्धारित है।

वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर

लखनऊ स्थित स्पोर्ट्स कालेज की सफलता व खेल क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा वर्ष 1988-89 में पूर्वान्चल के गोरखपुर नगर में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की गयी है। इस कालेज में कुश्ती (बालक), वालीबाल (बालक एवं

बालिका), हॉकी (बालिका) एवं जिम्नास्टिक (बालक एवं बालिका) खेलों में प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा एवं उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में कक्षा-06 से 12 तक शिक्षण की व्यवस्था की गयी है। यह कालेज गोरखपुर नगर से लगभग 08 किमी. दूर महाराजगंज रोड पर आरोग्य मन्दिर के निकट 48.7 एकड़ भूमि पर स्थित है। स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर में कुल-320 प्रशिक्षार्थियों की संख्या निर्धारित है।

मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कालेज, सैफई (इटावा)

लखनऊ एवं गोरखपुर में स्थित स्पोर्ट्स कालेज की सफलता व खेल क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा वर्ष 2014-15 में सैफई (इटावा) में मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की गयी है। इस कालेज में बालक वर्ग में क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी, कुश्ती, एथलेटिक्स, तैराकी, कबड्डी तथा बैडमिन्टन (बालक/बालिका) जूडो (बालिका) खेलों में प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा एवं उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में कक्षा-06 से 12 तक शिक्षण की व्यवस्था की गयी है। स्पोर्ट्स कालेज, सैफई में कुल-560 प्रशिक्षार्थियों की संख्या निर्धारित है।

- वित्तीय वर्ष 2018-2019 में खेल-कूद के लिए 1,96,28,40,000 रुपये की बजट व्यवस्था है।

●

प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण

वर्तमान स्वरूप में युवा कल्याण विभाग प्रदेश के युवाओं के शारीरिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रमों का संचालन करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद की अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने, खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करने का कार्य युवा कल्याण विभाग का एक प्रमुख दायित्व है। इसके अतिरिक्त युवाओं के सांस्कृतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। युवा कल्याण विभाग के साथ प्रान्तीय रक्षक दल संगठन भी जुड़ा हुआ है। युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दलों के रूप में पंजीकृत संस्थायें इसी विभाग के तत्वावधान में गठित हुई हैं। इस विभाग का महत्त्व विशिष्ट रूप से इस कारण भी है कि प्रान्तीय रक्षक दल तथा युवक तथा महिला मंगल दलों के संगठन की पहुंच गांव एवं मजरों के स्तर तक है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद की अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा ग्रामीण युवाओं हेतु खेलकूद संबंधी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन तथा सामान्य रूप से विकास की योजनाओं में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में युवा कल्याण विभाग का उद्देश्य है। नक्सलवाद जैसी अलगाववादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने हेतु ग्राम स्तर तक स्वयं सेवकों के संगठन के सुदृढ़ीकरण तथा विकास कार्यक्रमों से उन्हें प्रभावी रूप से जोड़ने की आवश्यकता है।

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11.12.1974 द्वारा प्रदेश में एक जनशक्ति संचालन निदेशालय की स्थापना की गई, जिसमें श्रम संसाधनों के समुचित गौरवपूर्ण उपयोग को ध्येय में रखा गया है। अन्त में इस जनशक्ति निदेशालय को अधिसूचना दिनांक 25.02.1982 द्वारा युवा कल्याण निदेशालय में परिवर्तित कर दिया गया और इस प्रकार प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण निदेशालय अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुआ है।

विभागीय वेबसाइट एवं अन्य विवरण

वेबसाइट- http://prdandyouthwelfare.up.nic.in

ई-मेल- dgprdandyouthwelfare@gmail.com

फोन नं0- 0522-2460476

फैक्स- 0522-2455825

वित्तीय वर्ष-2018-19 की प्रस्तावित योजनाएं

ग्रामीण स्टेडियम

(अ) वित्तीय वर्ष 2018-19 में अधूरे ग्रामीण स्टेडियमों को पूर्ण करने सम्बंधी योजना में प्राविधानित धनराशि रु. 115.05 लाख की धनराशि से निम्नलिखित स्टेडियमों की बाउण्ड्रीवाल, मरम्मत एवं अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराया जायेगा :-

- ग्राम - सलेथू, वि.खं.- महाराजगंज, जनपद - रायबरेली - रु. 18.75 लाख
- ग्राम व वि.खं.- बछरांवा, जनपद-रायबरेली - रु. 24.14 लाख

- ग्राम तेजपुर वि.खं.- पतारा, जनपद- कानपुर नगर - रु. 22.95 लाख
- ग्राम व वि.खं.-सलोन, जनपद- रायबरेली - रु. 16.85 लाख
- ग्राम निहस्था, वि.खं.- खीरी, जनपद- रायबरेली - रु. 32.16 लाख
- ग्राम बेइली, वि.खं.- बडहलगंज, जनपद- गोरखपुर - रु. 0.20 लाख

(ब) मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुक्रम में इमिलियाकोडर, जनपद-बलरामपुर में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि रु. 310.00 लाख से स्टेडियम का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जायेगा।

(स) मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुक्रम में जंगलकौड़िया, जनपद-गोरखपुर में महंत अवैद्यनाथ जी महाराज ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराने हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की व्यवस्था कराई जानी है।

2. ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता

जिला योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत धनराशि रु. 250.00 लाख जनपदों को अवमुक्त कर दी गयी है, जिससे सभी आयुवर्ग के पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों की विकास खण्ड और जनपद स्तर की प्रतियोगिताएं क्रमशः माह अक्टूबर, 2018 एवं माह-नवम्बर, 2018 तक आयोजित की जाएंगी।

3. युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन

रु. 4.50 लाख की स्वीकृत धनराशि से प्रत्येक जनपद में सामाजिक एवं राष्ट्रीय कार्यों के आधार पर चयनित 02 युवक एवं 01 श्रेष्ठतम महिला मंगल दलों को माह सितम्बर, 2018 तक किये गए कार्यों के आधार पर माह अक्टूबर 2018 में प्रोत्साहित किया जायेगा।

4. ग्रामीण खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार तथा प्रशिक्षण

खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिताओं के राष्ट्रीय स्तर पर विजयी खिलाड़ियों को रु. 5.00 लाख की स्वीकृत धनराधि से पुरस्कृत किया जायेगा।

5. विवेकानन्द यूथ एवार्ड

रु. 7.50 लाख की स्वीकृत धनराशि से प्रत्येक जनपद के 01 सर्वश्रेष्ठ दल को रु. 5000 तथा राज्य स्तर पर श्रेष्ठतम 03-03 युवक एवं महिला मंगल दलों को अलग-अलग प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः रु. 1.00, 0.50 एवं 0.25 लाख की धनराशि का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

6. सांस्कृतिक कार्यक्रम

रु. 7.50 लाख की स्वीकृत धनराशि से प्रदेश के 18 मण्डलों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित 19 विधाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

7. युवा उत्सव

रु. 10.50 लाख की स्वीकृत धनराशि से मण्डल स्तर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कलाकारों से राज्य स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन भारत सरकार की 19 विधाओं में किया जायेगा। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले कलाकारों को राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रतिभाग कराया जायेगा।

8. प्रान्तीय रक्षक दल का प्रारम्भिक प्रशिक्षण

रु. 50.20 लाख की स्वीकृत धनराशि से संगठन में ग्रामीण युवाओं को भर्ती कर 22 दिवसीय सैन्य प्रशिक्षण दिलाकर प्रान्तीय रक्षक दल संगठन में पंजीकृत किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष-2017-18 की उपलब्धियाँ

1. पुनः प्रारम्भ की गयी विवेकानन्द यूथ एवार्ड योजना में प्रत्येक जनपद में युवक एवं महिला मंगल दल में सर्वश्रेष्ठ दल को रु. 5,000/- की दर से धनराशि वितरित की गयी।
2. ग्राम पंचायत के स्थान पर राजस्व ग्राम पर युवक एवं महिला मंगल दलों के गठन का निर्णय लिया गया। विगत वर्ष में 4645 युवक एवं 3330 महिला मंगल दलों का गठन किया गया।
3. प्रदेश में प्रथम बार महिला थाना हेतु 06 महिला पी0आर0डी0 जवानों की 68 जनपदों में 408 महिला जवानों की ड्यूटी लगायी गयी।
4. प्रदेश में प्रथम बार नगरों में यातायात व्यवस्था के चैलेन्ज को देखते हुए 3000 से अधिक पी0आर0डी0 जवानों की ड्यूटी यातायात व्यवस्था में लगायी गयी।
5. भारत सरकार की पुनर्संरचित खेलों इण्डिया-राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम योजना अन्तर्गत खेल अवसंरचना का उपयोग और सृजन/उन्नयन की आपरेशनल गाइड लाइन दिनांक 27 नवम्बर, 2017 के अनुसार समस्त जिलाधिकारियों को नई गाइड लाइन के अनुसार प्रस्ताव भेजे जाने का अनुरोध किया जा चुका है। भारत सरकार की नई गाइड लाइन के अनुसार खेल अवसंरचना के सम्प्रति 53 प्रस्ताव राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के माध्यम से भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं।
6. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ओ0डी0एफ0 कार्यक्रम में युवक एवं महिला मंगल दल के 743 स्वच्छाग्रही, 275 प्रेरक, इस प्रकार कुल 1018 तथा अन्य कार्यों में लगे 260 सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
7. युवक एवं महिला मंगल दल के सदस्यों द्वारा विभिन्न जनपदों में 478 ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य विभाग के इन्द्रधनुष कार्यक्रम में सहभागिता की गयी।
8. प्रान्तीय रक्षक दल में विभागीय बजट में कुल 8148 जवानों की ड्यूटियां शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गईं।
9. पी0आर0डी0 जवानों को गैर विभागीय बजट से कुल 5461 जवानों को ड्यूटी पर लगाकर रोजगार उपलब्ध कराया गया।
10. जिला योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद में रु. 40,000/- से जनपद स्तर पर ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया।
11. प्रदेश के 18 मण्डलों में मण्डल स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया।
12. युवक एवं महिला मंगल दल के सदस्यों, पी0आर0डी0 जवानों एवं विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा रक्तदान दिवस के अवसर पर 252 यूनिट रक्तदान किया गया।
13. विभाग की प्रेरणा से वन विभाग, उद्यान विभाग एवं निजी स्रोतों से 79186 पौधों का रोपण युवक एवं महिला मंगल दल के सदस्यों द्वारा किया गया।

गत दो वर्षों के बजट का तुलनात्मक विवरण-

वित्तीय वर्ष	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19
प्राविधानित बजट	6875.76	7357.12

- विभाग की युवा नीति- यह वर्ष 2017-18 में प्रख्यापित हुई।

●

लोक निर्माण

यह प्रदेश भौगोलिक तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का महत्त्वपूर्ण राज्य है। प्रदेश के औद्योगिक, आर्थिक तथा प्रदेशवासियों के सामाजिक विकास के लिए प्रत्येक गाँव तथा आबादी का मुख्य मार्गों से जुड़ना नितान्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मार्गों, राज मार्गों तथा जिला मार्गों का चौड़ीकरण तथा उनका उचित गुणवत्ता से सुधार कराया जाना आवागमन के दृष्टिकोण से विशेष महत्त्व रखता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण तथा सुधार, अन्य जिला मार्ग, मुख्य जिला मार्ग तथा राज्य मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुधार, ग्रामीण अंचलों में पुलों का निर्माण तथा मुख्य मार्गों पर संकरे तथा जर्जर पुलों के पुनर्निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित कराये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 43 जनपदों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के भी कार्य कराये जा रहे हैं। विभाग में मार्गों के निर्माण/सुधार हेतु अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग प्रारम्भ किया गया है।

विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में अधीक्षण अभियन्ताओं तथा विभिन्न मण्डलों में मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालय स्थापित हैं। इनके द्वारा कार्यों के नियोजन, सम्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण आदि के सम्बन्ध में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए कार्यों पर प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाता है।

लो.नि.वि. के अन्तर्गत कार्यरत निगम एवं प्राधिकरण

प्रदेश में सेतुओं के निर्माण, भवनों के निर्माण तथा पी.पी.पी. पद्धति पर मार्गों के सुधार एवं अनुरक्षण आदि के लिए निम्नवत् निगमों एवं प्राधिकरण की स्थापना की गई हैः-

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि.

प्रदेश में पुलों के निर्माण में तीव्रता लाने के लिये वर्ष 1973 में इस निगम की स्थापना की गई थी। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 60 मीटर से अधिक दर (स्पान) के सेतुओं का निर्माण सेतु निगम द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 71 सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम

भवन कार्यों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग व निर्माण कार्य में तीव्रता लाने के लिये वर्ष 1975 में इस निगम की स्थापना की गई थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय निर्माण निगम का लक्ष्य रु. 4500 करोड़ रखा जाना सम्भावित है।

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में प्रदेश के राज्य मार्गों के निजी सहयोग से विकास के लिये इस प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य निजी सहभागिता के आधार पर पी0पी0पी0/बी.ओ.टी. पद्धति पर मार्गों एवं सेतुओं का विकास करना है।

मार्ग विकास नीति

यातायात का वर्तमान परिदृश्य तथा भविष्य में मार्ग यातायात में उत्तरोत्तर होने वाली सम्भावित वृद्धि और सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण से प्रदेश के विकास को प्रगति प्रदान करने हेतु वर्ष 1998 में लागू मार्ग विकास नीति का पुनरीक्षण करते हुए नई मार्ग विकास नीति जिसमें मार्ग यातायात के क्षेत्र में हुए तकनीकी विकास एवं प्रचलित नवीन विधियों को भी अपनाया जाना प्रख्यापित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग विकास नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

- महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु कम्प्यूटर आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा मार्ग अनुरक्षण प्रबन्धन प्रणाली का समावेश।
- असेट प्रबन्धन प्रणाली का समावेश।
- मार्गों का कोर नेटवर्क सहित राष्ट्रीय मार्ग, राज मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग में वर्गीकरण।
- विभिन्न श्रेणी के मार्गों का ज्यामितीय एवं तकनीकी संरचना में इन्डियन रोड कांग्रेस के मानकों का समावेश।
- विशिष्ट क्षेत्र जैसे– क्वैरी अथवा बार्डर रोड्स हेतु विशेष मापदण्ड।
- सड़क सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर विशेष बल।
- पारदर्शिता के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक निविदा प्रणाली का उपयोग।
- मार्ग निर्माण की विभिन्न गतिविधियों में निश्चित समय सीमा निर्धारण एवं कार्यान्वयन।
- मार्गों के अनुरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के बीच में स्वामित्व निर्धारण हेतु नीति।
- सेतुओं के निर्माण, अनुरक्षण एवं विस्तारीकरण नीति।
- सूचना तकनीकी के अधिकाधिक उपयोग पर बल।
- मार्ग निर्माण में निजी संस्थानों की सहभागिता की नीति।
- गुणवत्ता नियंत्रण जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर स्पष्ट नीति।

उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति

प्रदेश में ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास, त्वरित आवागमन, कृषि व औद्योगिक उत्पादों के उचित विपणन तथा सुचारु वितरण हेतु सुदृढ़ मार्ग व्यवस्था अपरिहार्य है। इसके लिये प्रदेश में पूर्व निर्मित ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का रखरखाव एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद तथा जिला पंचायत द्वारा कराया जाता है। ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के समुचित अनुरक्षण हेतु प्रदेश में प्रथम बार ''उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013'' प्रदेश में शासनादेश दिनांक

22 नवम्बर, 2013 द्वारा लागू नीति संशोधनों सहित प्रचलन में है। इस नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :

- निर्माण करने वाले विभाग द्वारा ही अनुरक्षण का कार्य कराया जायेगा।
- ग्रामीण सम्पर्क मार्गों पर सतह नवीनीकरण कार्य सामान्यतः 08 वर्ष के चक्रानुक्रम के अनुसार किया जायेगा।
- समस्त विभागों द्वारा सम्पर्क मार्गों की इनवेन्ट्री कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक के रूप में रखा जायेगा तथा समय-समय पर अपडेट किया जायेगा।
- सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु मार्गों का चयन रोड कन्डीशन इन्डेक्स, स्थानीय आवश्यकताओं एवं जन प्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर किया जायेगा।
- विभागों द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित चक्रानुक्रम के अनुसार नवीनीकरण सम्बन्धी कार्य योजना माह मार्च तक अन्तिम कर ली जायेगी। अब ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवीनीकरण सामान्यतः प्रीमिक्स कार्पेट द्वारा किया जायेगा।
- विशेष मरम्मत सम्बन्धी कार्य योजना दो चरणों में माह मार्च तथा अक्टूबर में अन्तिम की जायेगी।
- स्वीकृत कार्यों पर पूर्ण धनराशि यथासंभव एक बार में अवमुक्त की जायेगी। जिससे टाइम ओवररन तथा कास्ट ओवररन न हो।
- प्रत्येक विभाग द्वारा ग्राम सम्पर्क मार्गों को क्लब करते हुये आवश्यकतानुसार बैच मेन्टीनेन्स कान्ट्रैक्ट जैसी व्यवस्था लागू की जायेगी।
- नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्यों पर डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड दो वर्ष का होगा।
- अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक 03 माह एवं शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा समिति की बैठक प्रत्येक 06 माह में अनिवार्य रूप से की जायेगी।

महत्वपूर्ण मार्ग विकास योजनाएं

मार्ग कार्यः

1. केन्द्रीय सड़क निधि योजना

भारत सरकार द्वारा सड़कों के विकास हेतु पेट्रोल व डीजल पर सेस के माध्यम से प्राप्त होने वाली धनराशि से पोषित केन्द्रीय मार्ग निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकारों को उनके क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख मार्गों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के महत्त्वपूर्ण राज्य मार्गों/प्रमुख जिला मार्गों/अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य एवं इन कार्यों पर पड़ने वाले सेतुओं/उपरिगामी सेतुओं के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

वर्ष 2018-19 में चालू कार्यों हेतु रु. 2000 करोड़ की बजट व्यवस्था तथा नए कार्यों हेतु रु. 200 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

2. ग्रामीण मार्ग/लघु सेतु के निर्माण हेतु नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजना (मार्ग कार्य)

वर्ष 1996-97 में प्रारम्भ की गई इस योजनान्तर्गत प्रदेश में ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु इस योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। इस योजनान्तर्गत आर.आई.डी.एफ.-2 से 7 तक स्वीकृत कार्यों पर नाबार्ड द्वारा स्वीकृत लागत का 90 प्रतिशत ऋण के रूप में स्वीकृत किया गया है तथा शेष 10 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया गया है।

वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में आर.आई.डी.एफ.योजना में ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण के चालू कार्यों हेतु रु. 200 करोड़ एवं नये कार्यों हेतु रु. 70 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है तथा प्रमुख/अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यों हेतु रु. 300 करोड़ व नये कार्यों हेतु रु. 100 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

3. उत्तर प्रदेश में इण्डो-नेपाल सीमा पर मार्ग का निर्माण

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सामरिक महत्त्व की भारत-नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के सात जनपदों क्रमशः पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज की कुल लम्बाई 640.00 किमी., लागत रु.1621.00 करोड़ के कार्य हेतु वर्ष 2010-11 में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया।

4. जिला मुख्यालय को चार लेन मार्ग से जोड़ने की योजना

राज्य सरकार प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों को 4 लेन/2 लेन विद पेव्ड शोल्डर मार्ग से जोड़ने के लिए कटिबद्ध है। वर्ष 2017-18 में इस योजनान्तर्गत रु. 171 करोड़ की बजट व्यवस्था है। वर्ष 2018-19 मे इस योजना हेतु रु. 1600 करोड़ की बजट व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

5. विभिन्न श्रेणी के मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/सौन्दर्यीकरण/उच्चीकरण के कार्य

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में 7202 किमी. राज्य राजमार्ग, 7486 किमी. प्रमुख जिला मार्ग, 47576 किमी. अन्य जिला मार्ग तथा 169051 किमी. ग्रामीण मार्ग हैं। प्रदेश में यातायात में निरन्तर वृद्धि होने के फलस्वरूप प्रदेश के समस्त राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्ग एवं महत्त्वपूर्ण अन्य जिला मार्गों का कम से कम दो लेन में चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण अत्यंत आवश्यक है। अभी भी लगभग 991 किमी. राज्य मार्ग, 3746 किमी. प्रमुख जिला मार्ग सिंगल लेन अथवा डेढ़ लेन के हैं तथा 36438 किमी. अन्य जिला मार्ग सिंगल लेन के हैं। चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य सुनियोजित रूप से किए जाने हेतु वर्ष 2018-19 में केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के अतिरिक्त राज्य योजना/नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ.) के अन्तर्गत लगभग रु. 3515 करोड़, राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत रु.1500 करोड़ प्रस्तावित है।

6. तहसील/ब्लाक मुख्यालयों को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण

प्रदेश के समस्त तहसील/ब्लाक मुख्यालयों को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु वर्ष 2018-19 में नई योजना प्रस्तावित की गयी है। जिस हेतु वर्ष 2018-19 में रु. 30 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

7. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ना

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 250 अथवा उससे अधिक आबादी के राजस्व ग्रामों को एकल मार्ग से जोड़ा जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है। इन ग्रामों को लगभग रु. 1020 करोड़ की लागत से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वर्ष 2017-18 में नाबार्ड योजनान्तर्गत रु. 100 करोड़ एवं अनजुड़ी बसावट मद के अन्तर्गत रु. 18 करोड़ की बजट व्यवस्था है। इस हेतु हुडको से ऋण भी प्रस्तावित है।

8. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेषताएं)

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-56 व 83 के अन्तर्गत पूर्वान्चल विकास निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि हेतु क्रमशः रु. 300 करोड़ एवं रु. 200 करोड़ का बजट प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वान्चल विकास निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि हेतु क्रमशः रु. 300 करोड़ एवं रु. 200 करोड़ का बजट प्रावधान है।

9. मार्गों का अनुरक्षण

विभाग के अन्तर्गत सड़कों की कुल लम्बाई 239643 किमी. है, जिसमें से 8328 किमी. राष्ट्रीय मार्ग, 7202 किमी. राज्य राजमार्ग, 7486 किमी. प्रमुख जिला मार्ग, 47576 किमी. अन्य जिला मार्ग व 169051 किमी. ग्रामीण मार्ग सम्मिलित है। इन मार्गों में राष्ट्रीय मार्गों को छोड़कर शेष श्रेणी के सभी मार्गों का रख-रखाव लो.नि.वि. के बजट से ही किया जाता है।

राष्ट्रीय मार्ग

उत्तर प्रदेश में कुल 57 राष्ट्रीय मार्ग हैं। जिनकी कुल लम्बाई 8327.75 किमी. है। इसमें से लोक निर्माण विभाग के अधीन 2903.49 किमी. तथा पी.आई.यू. मोर्थ के अधीन 180.86 किमी. तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन 5243.40 किमी. है।

राष्ट्रीय मार्गों पर परियोजनाओं का विवरण

- वर्ष 2017-18 में दिनांक 31.12.2017 तक 132 किमी. नवीनीकरण, 28 किमी. सुदृढ़ीकरण, 25.60 किमी. 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर का निर्माण कार्य तथा एन.एच.डी.पी. के अन्तर्गत 6.08 किमी. 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- मूल कार्यों की वार्षिक योजना वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को लागत लगभग रु. 11406.95 करोड़ एवं आर.ओ.बी./आर.यू.बी./सेतुओं के निर्माण कार्यों हेतु लागत लगभग रु. 2683.47 करोड़ की कार्य योजना अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी है। जिसके सापेक्ष मोर्थ द्वारा अनुमोदित रु. 1535.00 करोड़ की वार्षिक योजना के सापेक्ष रु. 1438.86 करोड़ का आगणन लो.नि.वि. द्वारा एवं रु. 265.00 करोड़ के आगणन पी.आई.यू. मोर्थ द्वारा मंत्रालय को प्रेषित। अद्यतन मंत्रालय द्वारा लो.नि.वि. को रु. 10.39 करोड़ एवं पी.आई.यू. मोर्थ को रु. 9.00 करोड़ की स्वीकृत निर्गत। शेष स्वीकृति अपेक्षित।
- नवीनीकरण/आई.आर.क्यू.पी. के कार्यों हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को नवीनीकरण प्रस्ताव लागत रु. 101.33 करोड़ (लम्बाई 225.36 किमी.) अनुमोदन हेतु प्रेषित गयी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारम्भ की गयी। उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक आबादी के 39,139 तथा 500 से 999 आबादी के 41,452 मजरे हैं। भारत सरकार द्वारा 1000 आबादी से ऊपर के सभी ग्रामीण मजरों को वर्ष 2003 तक तथा 500 से ऊपर की आबादी के सभी मजरों को वर्ष 2007 तक पक्के मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य प्रस्तावित था, परन्तु सीमित संसाधनों को देखते हुए प्रथम चरण के लक्ष्य को पूरा किया जाना सम्भव नहीं हो पाया। नव सम्पर्कता के साथ-साथ मार्गों के उच्चीकरण कार्य भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आच्छादित हैं। प्रदेश में इस योजना का संचालन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग 43 जनपदों में कार्यदायी संस्था है।

वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 133 मार्ग, लम्बाई 1736 किमी. को रु. 145000 लाख की धनराशि में पूर्ण कराते हुए 25 बसावटों को जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2017 तक रु. 62527 लाख का व्यय करते हुए 101 मार्ग, लम्बाई 1106 किमी. को पूर्ण कराते हुए 25 बसावटों को जोड़ा जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 344 मार्ग, लम्बाई 1893 किमी. को रु. 69648 लाख धनराशि में कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

1. उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि. की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1973 में प्रदेश के विकास हेतु सेतुओं का निर्माण उच्चतम गुणवत्ता तथा तीव्र गति से कराने हेतु की गयी थी। सेतु निगम ने अपने कार्यकलापों को प्रदेश एवं देश में ही सीमित न रखकर नेपाल, ईराक, यमन आदि तक बढ़ाया है।

2. सेतु निगम द्वारा वर्ष 2017-18 में निर्माणाधीन 200 कार्यों में से 61 (37 नदी सेतु + 24 रेल उपरिगामी सेतु) कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखते हुए निक्षेप कार्यों पर रु.1700 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष व्यय लगभग रु. 903 करोड़ व्यय कर लिया गया एवं 42 (27 नदी सेतु +15 रेल उपरिगामी सेतु) सेतु पूर्ण कर लिये गये। वर्ष 2018-19 में 71 कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखते हुए रु. 2000 करोड़ का व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

उ.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-19, सन् 2004 द्वारा किया गया था। उपशा के मुख्य कार्य राज्य मार्गो तथा राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये अन्य मार्गों का विकास, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन एवं रोड सेक्टर में निजी एवं (अन्तर्राष्ट्रीय सहित) संस्थागत निवेश के लिए माडल विकसित करना और इन राजमार्गों के अनुरक्षण एवं उच्चीकरण हेतु संस्थागत संसाधन जुटाना है।

1. उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2017-18 तक निम्न विवरण के अनुसार निजी विकासकर्ताओं के साथ किए गये अनुबन्धों पर कार्य किया जा रहा है :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई (किमी.)	परियोजना (रु करोड़ में)	कंसेशन अनुबंध की तिथि	विकासकर्ता का नाम	भौतिक प्रगति
1.	बरेली-अल्मोड़ा-बागेश्वर मार्ग (एस.एच.-37)	54	355	11.08.2011	मे. पी.एन.सी.बरेली नैनीताल हाईवेज प्रा.लि., आगरा	100 प्रतिशत
2.	वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग (एस.एच.-5ए)	115	1211.96	08.12.2011	मे. ए.सी.पी.टालवेज प्रा.लि. लखनऊ	99 प्रतिशत
3.	मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग (एस.एच.-59)	52.95	752.88	29.05.2015	मे. देवबन्द हाईवेज प्रा.लि., लखनऊ	75 प्रतिशत

2. दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री मार्ग (एस.एच.-57) के उच्चीकरण/अनुरक्षण का कार्य उपशा के माध्यम से मेसर्स एस.ई.डब्लू.एल.एस.वाई. हाईवे लि. हैदराबाद द्वारा किया जा रहा था। निजी विकासकर्ता द्वारा कार्यों को अधूरा छोड़ दिये जाने के कारण फर्म का अनुबन्ध दिनांक 25.07.2016 को निरस्त कर दिया गया है।

अब यह मार्ग सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.11.2017 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग (709बी) घोषित किया जा चुका है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-आर.डब्लू/एन.एच./12014/17/2017-यू.पी.एन.एच.-11 दिनांक 30.11.2017 द्वारा इस मार्ग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौपने के आदेश निर्गत किये गये हैं। मार्ग को हस्तगत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अब इस मार्ग का उच्चीकरण/अनुरक्षण एन.एच.ए.आई. द्वारा किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि. को उत्तर प्रदेश सरकार के एक उपक्रम के रूप में अगस्त 1975 में स्थापित किया गया था। उस समय इस निगम को प्रदत्त अंशपूंजी मात्र रु. 5 लाख थी जिसे वर्ष 1977 तक बढ़ाकर रु. 100 लाख कर दिया गया। निगम की अधिकृत अंशपूंजी वर्तमान में रु. 500 लाख है। निर्माण निगम द्वारा अपनी स्थापना के 42 वर्षों में प्रदेश में उत्कृष्टता के नये आयाम स्थापित करने के साथ-साथ पूरे देश में भवन निर्माण के क्षेत्र में एक उच्च स्थान प्राप्त किया जा चुका है।

निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य

निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निर्माण में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर मजदूरों को समुचित मजदूरी एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना है। निर्माण निगम मुख्य रूप से विभागीय पद्धति पर कार्य कराता है। जिससे निर्माण की उच्च गुणवत्ता तो सुनिश्चित होती ही है साथ ही साथ मजदूरों का शोषण भी रुकता है।

निगम का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यों में मितव्ययता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ-साथ पारदर्शिता है।

निगम की कार्य प्रणाली

निगम द्वारा मुख्यतः समस्त कार्य विभागीय निर्माण प्रणाली से किये जाते हैं, जिसके अन्तर्गत सामग्री जैसे– ईंट, लोहा, सीमेन्ट का क्रय सीधे निर्माताओं से किया जाता है व अन्य निर्माण सामग्री भी

प्रतिष्ठित उत्पादकों/अधिकृत वितरकों से क्रय की जाती है। निर्माण के कार्य छोटे-छोटे श्रमिकों (पी.आर.डब्लू.) के माध्यम से किये जा रहे थे। वर्तमान में ई-टेंडरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था से निगम द्वारा निर्माण कार्यो का सम्पादन कराया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अतिरिक्त देश के लगभग समस्त राज्यों में निर्माण कार्य कर रहा है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में निगम को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। निगम अपनी उच्च कोटि की गुणवत्ता के कारण आई.एस.ओ. 9001:2008 (क्यू.एम.एस.) एवं आई.एस.ओ. 14001: 2004 (ई.एस.एस.) प्रमाणित संस्था है।

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में सम्पादित कराये जा रहे कार्यो का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्माण निगम द्वारा रु. 4500 करोड़ के कार्य सम्पादन का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष रु. 2595.94 करोड़ के कार्य दिसम्बर, 2017 तक सम्पादित कराये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 हेतु लक्ष्य एवं कार्य अर्जन का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 4500 करोड़ का लक्ष्य रखा जाना सम्भावित है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिसम्बर 2017 तक लगभग रु. 889 करोड़ के कार्य अर्जित किये गये हैं। निर्माणाधीन कार्यों में मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, उच्च शिक्षा, खेल विभाग, न्याय विभाग आदि के कार्य निगम द्वारा कराये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ई.एस.आई. तथा सूडा के कार्य हैं। चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न 45 विभागों के कुल 1048 नं. कार्य प्रगति में तथा अन्य प्रदेशों में कुल 684 कार्य प्रगति में हैं।

लागत में नियन्त्रण

निर्माण सामग्री में प्रयुक्त मुख्य सामग्री उदाहरणार्थ सीमेन्ट व स्टील की क्रय दरों का निर्धारण मुख्यालय स्तर पर किया जाता है। अन्य सामग्री का क्रय विशिष्टियों के अनुसार इकाई स्तर पर सम्बन्धित अंचलीय महाप्रबन्धक के अनुश्रवण में किया जाता है। विशिष्ट आइटम जैसे– लिफ्ट, ट्रान्सफार्मर आदि हेतु सीधे सम्बन्धित कम्पनी से आपूर्ति कराई जाती है।

गुणवत्ता नियन्त्रण

निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से कार्य स्थलों पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है, जिनमें निर्माण सामग्रियों का परीक्षण किया जा रहा है। समय-समय पर प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं से भी निर्माण सामग्रियों का परीक्षण कराया जाता है। गुणवत्ता नियंत्रण के लिये निगम आई.एस.ओ. 9001 : 2008 के अन्तर्गत प्रमाणित है। थर्ड पार्टी गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आई.आई.टी अथवा अन्य प्रतिष्ठित अभियन्त्रण संस्थाओं को अनुबन्धित किया जाता है।

कम्प्यूटरीकृत व आधुनिक पर्यवेक्षण प्रणाली

निगम में आधुनिक पर्यवेक्षण प्रणाली के माध्यम से मुख्यालय द्वारा प्रभावी समीक्षा/अनुश्रवण किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर वाणिज्य, वित्त व लेखा, तकनीकी, वास्तुविदीय, मुख्यालय (व्यवस्थापन हेतु) अंचलीय कार्यालयों एवं इकाइयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। कार्यों की प्रगति पोर्टल सिस्टम के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। इकाई स्तर पर डाटा-इन्ट्री करते हुए अंचल एवं मुख्यालय स्तर पर निर्धारित प्रपत्रों पर संकलित आख्या उपलब्ध कराई जाती है।

●

राज्य सम्पत्ति

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा राज्य मुख्यालय पर मा. मंत्रीगण, मा. विधायकगण, लखनऊ में कार्यरत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था तथा लखनऊ में सरकारी कार्यालय भवन यथा- विधान भवन, लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी), बापू भवन, योजना भवन, तथा जवाहर भवन एवं इंदिरा भवन के रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। राज्य से दिल्ली, कोलकाता एवं मुम्बई जाने वाले मा. मंत्रीगणों, मा. विधायकगणों, अधिकारियों एवं अन्य महानुभावों के ठहरने हेतु अतिथि गृह अवस्थित है, इसी प्रकार मा. सासदों तथा अधिकारियों एवं अन्य महानुभावों के लिए लखनऊ में अतिथि गृह अवस्थित है। इन अतिथि गृहों की प्रबन्धकीय तथा रख-रखाव की व्यवस्था भी विभाग द्वारा सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार के मा. मंत्रीगण हेतु वाहनों की व्यवस्था भी की जाती है। राज्य अतिथियों एवं भारत सरकार के मा. मंत्रीगण के प्रदेश (लखनऊ) आगमन पर उनकी सुविधानुसार आवास एवं भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है।

विभाग के आधारभूत तथ्य-

1.	अतिथि गृहों की संख्या	08
2.	विधायक निवासों की संख्या	09
3.	आवासीय कालोनियाँ	38
4.	अनावासीय कार्यालय भवनों की संख्या	07
5.	सरकारी वाहनों की संख्या	260

अतिथि गृह

अतिथि गृहों की प्रबन्धन-व्यवस्था

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन अतिथि गृहों की कुल संख्या 08 है, जो लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता एवं मुम्बई में अवस्थित हैं।

क्रमांक	भौगोलिक स्थिति	अतिथि गृहों का नाम	कक्षों की संख्या
1.	लखनऊ	1. राज्य अतिथि गृह, मीराबाई मार्ग, लखनऊ	61
		2. विशिष्ट अतिथि गृह, डालीबाग, लखनऊ	55
		3. अतिविशिष्ट अतिथि गृह, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ	36
		4. राज्य अतिथि गृह, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ	15

2.	नई दिल्ली	1. उत्तर प्रदेश भवन	75
		2. उत्तर प्रदेश सदन	54
3.	कोलकाता	1. उ.प्र. राज्य अतिथि गृह, कोलकाता	13
4.	मुम्बई	1. उ.प्र. राज्य अतिथि गृह, मुम्बई	14

विधायक निवासों की प्रबन्धन व्यवस्था

लखनऊ के विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के अध्यासन हेतु कुल 09 विधायक निवास हैं। विधायक निवासों की प्रबन्धकीय व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु विभाग का एक व्यवस्थाधिकारी नियुक्त होता है।

आवासीय भवनों की संख्या

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटित किये जाने वाले प्रत्येक श्रेणी के कुल भवनों की संख्या- 6,981 है। श्रेणीवार भवनों की संख्या निम्नवत् है :

क्रमांक	श्रेणी	भवनों की संख्या
1.	श्रेणी-1	1877
2.	श्रेणी-2	1953
3.	श्रेणी-3	0715
4.	श्रेणी-4	1568
5.	श्रेणी-5	0655
6.	श्रेणी-6	0213
	कुल योग	**6981**

मोटर गाड़ियों का आवंटन एवं रख-रखाव

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा सरकारी वाहनों के आवंटन एवं उनके रखरखाव सम्बन्धी कार्य भी किया जाता है। सम्प्रति राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रण में कुल 260 वाहन हैं। विभाग द्वारा मा. मुख्यमंत्री/मा. मंत्रीगण तथा राज्य मंत्रीगण और उ.प्र. शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, महाधिवक्ता/अपर महाधिवक्ता इत्यादि के लिए वाहन की व्यवस्था की जाती है।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन आवासीय कालोनी तथा अनावासीय भवनः

(क) आवासीय कालोनीः- 1. कालिदास मार्ग एवं अन्य, 2. मंत्री आवास/उप मंत्री आवास, 3. माल एवेन्यू, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, 4. गौतमपल्ली, 5. बटलर पैलेस, 6. राजभवन, 7. गोमती नगर, 8. गुलिस्ताँ, 9. दिलकुशा, 10. निराला नगर, 11. डी.एम. कम्पाउण्ड, 12. अलीगंज (एम.जी./एम.आई.जी./से.-आई. व जे. जानकीपुरम), 13. महानगर, 14. डालीबाग, 15. पार्क रोड, 16. लालबाग, 17. कैसरबाग, 18. इन्दिरा नगर, 19. ओ.सी.आर. 20. तालकटोरा, 21. हैवलक रोड, 22. राजेन्द्र नगर, 23. डायमण्ड डेरी,

24. टिकैतराय, 25. कानपुर रोड, 26. ऐशबाग, 27. नैपियर रोड, 28. मोतीझील, 29. बादशाह नगर, 30. बौद्ध विहार, 31. लाप्लास, 32. विष्णुपुरी, 33. कैबिनेट गंज, 34. ओल्ड स्पीकर हाउस, 35. लोहिया न्यास वी.डी. मार्ग, 36. अशोक नगर, 37. दारुलशफा एवं अन्य बंगले, 38. रायल होटल।

(ख) अनावासीय भवनः

● कार्यालय भवन

मुख्य सचिवालय परिसर स्थित कार्यालय भवन, लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी भवन), विकास भवन, बापू भवन, इन्दिरा भवन, जवाहर भवन, योजना भवन।

● विधायक निवास

दारूलशफा प्रांगण स्थित विधायक निवास-1 खण्ड 'अ', 'ब' एवं 'स', विधायक निवास-2 (पुराना), विधायक निवास-2 (नया), विधायक निवास-3 (ओ.सी.आर), विधायक निवास-4 (रायल होटल), विधायक निवास-5, विधायक निवास-6 (पार्क रोड), बटलर रोड स्थित, बहुखण्डी मंत्री आवास ब्लाक ए, बी एवं सी, नवनिर्मित दारूलशफा बहुखण्डीय विधायक निवास।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सम्पत्ति विभाग की अनावासीय/आवासीय योजनाओं के लिए आय-व्ययक प्रावधान :-

(पूँजी लेखा के अन्तर्गत- 4059 में रु. 9891.63 लाख तथा 4216 में रु. 4590.09 लाख कुल रु. 14481.72 लाख का प्रावधान।

(क) अनावासीय योजनाएँ

1. विधान भवन स्थित विधान सभा मण्डप तथा उससे सम्बद्ध लॉबी, गलियारों, कार्यालय कक्षों, कैन्टीन आदि की साज-सज्जा सहित उच्चस्तरीय आधुनिकीकरण का कार्य। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 100.00 लाख का प्रावधान।
2. सचिवालय भवन एवं योजना भवन का उन्नयन संबंधी कार्य। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रु. 1000.00 लाख का प्रावधान।
3. सचिवालय भवनों में केन्द्रीयकृत वातानुकूलन के लिए वर्ष 2018-19 में रु. 600.00 लाख का प्रावधान।
4. अनावासीय भवनों के जीर्णोद्धार एवं जल वितरण कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था। वर्ष 2018-19 में रु. 50.00 लाख का प्रावधान।
5. यू0पी0भवन/यू0पी0सदन एवं अन्य अतिथि गृहों के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण के लिए वर्ष 2018-19 में रु. 300.00 लाख का प्रावधान।
6. इंदिरा भवन में वातानुकूलन संयंत्र की स्थापना के लिए वर्ष 2018-19 में रु. 1100.00 लाख का प्रावधान।
7. नोएडा में राज्य अतिथि गृह का निर्माण/स्थापना : प्रदेश से दिल्ली जाने वाले अतिथियों के लिए स्थापित उ.प्र. भवन तथा उ.प्र. सदन अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। तत्क्रम में दिल्ली विकास प्राधिकरण

की द्वारका योजना में क्रय किए गए भूखण्ड पर राज्य अतिथि गृह का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस योजना को पूर्ण करने हेतु योजना की अवशेष धनराशि रु. 789.99 लाख धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक 2018-19 में की गयी है।

8. बटलर पैलेस कालोनी में अतिथि गृह के निर्माण के लिए वर्ष 2018-19 में शेष धनराशि रु. 3393.76 लाख का प्रावधान।
9. जवाहर भवन तथा इंदिरा भवन में भूमिगत पार्किंग का निर्माण के लिए वर्ष 2018-19 में धनराशि रु. 1632.58 लाख का प्रावधान।
10. राज्य सम्पत्ति विभाग के अनावासीय भवनों तथा इनमें लगे उपकरणों का जीर्णोद्धार/सुधारीकरण कार्य, 2018-19 में रु. 700.00 लाख का प्रावधान।

(ख) आवासीय योजनाएँ

1. बटलर पैलेस कालोनी में श्रेणी-5 के 48 आवासों का निर्माण,
2. राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनियों का उन्नयन/जीर्णोद्धार/सुधारीकरण के लिए वर्ष 2018-19 में रु. 2200.00 लाख का प्रावधान।

●

ऊर्जा

उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड

उ.प्र.पा.का.लि. राज्य क्षेत्र की समस्त वितरण कम्पनियों की होल्डिंग कम्पनी है। यह ऊर्जा क्षेत्र में बल्क पावर क्रय/विक्रय तथा नियोजन एवं नियन्त्रण हेतु उत्तरदायी है। उ.प्र.पा.का.लि. में वर्तमान में वितरण कम्पनियों के कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए 28018 कार्मिक कार्यरत हैं।

राज्य क्षेत्र की वितरण कम्पनियॉं

- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि., मेरठ।
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि., आगरा।
- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि., लखनऊ।
- पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि., वाराणसी।
- केस्को, कानपुर।

उपरोक्त वितरण कम्पनियां अपने-अपने क्षेत्र में वितरण नेटवर्क का रख-रखाव, उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति, बिलिंग एवं विद्युत बिल वसूली के साथ उपभोक्ताओं की विद्युत एवं बिलिंग इत्यादि सम्बन्धी समस्त समस्याओं के निराकरण हेतु उत्तरदायी हैं।

उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.

यह निगम राज्य में तापीय विद्युत उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, जिसके अधीन पॉंच परियोजनाएं क्रमशः अनपरा, ओबरा (सोनभद्र), पारीक्षा (झाँसी), हरदुआगंज (अलीगढ़) तथा पनकी (कानपुर) में अवस्थापित हैं। इन पॉंचों परियोजनाओं पर वर्तमान में 25 इकाइयाँ अधिष्ठापित हैं, जिनमें 02 इकाइयाँ आर. एण्ड एम. हेतु बन्द हैं तथा 04 इकाइयाँ डिलीशन हेतु प्रक्रियाधीन हैं। वर्तमान में उत्पादन निगम लि. की उत्पादन हेतु उपलब्ध 19 इकाइयों की उत्पादन क्षमता 5070 मे0वा0 है। उत्पादन निगम लि. में वर्तमान में 7500 कार्मिक कार्यरत हैं।

उ.प्र. जल विद्युत निगम लि.

यह निगम राज्य क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन के लिये उत्तरदायी है जिसके अधीन 7 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 524.90 मे0वा0 है। जल विद्युत निगम लि. में वर्तमान में कुल 660 कार्मिक कार्यरत हैं।

उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि.

उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. जुलाई, 2006 में अस्तित्व में आया। यह कारपोरेशन

132 के0वी0 एवं इससे ऊपर की विभव के विद्युत उपकेन्द्रों एवं लाइनों के निर्माण एवं परिचालन के लिये उत्तरदायी है। ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. में वर्तमान में 5772 कार्मिक कार्यरत हैं।

उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि.

24X7 पावर फॉर ऑल

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के अविद्युतीकृत घरों को समाहित करते हुए प्रदेश के सभी वर्तमान संयोजित एवं विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संयोजित किये जाने वाले उपभोक्ताओं को वर्ष-2019 तक 24 घंटे विद्युत आपूर्ति तथा कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 10 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जानी है। इस योजना का प्रालेख केन्द्र सरकार एवं उ.प्र. सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 14.04.2017 को हस्ताक्षरित किया गया है।

सुगम संयोजन योजना

इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को सुगम और सरल तरीके से विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रायः यह शिकायत प्राप्त होती है कि नये विद्युत संयोजन निर्गत करने में आवश्यकता से अधिक समय लगता है। इस विलम्ब के कारण आवेदकों को विद्युत संयोजन निर्गत नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप वह अनधिकृत रूप से विद्युत का उपभोग करने लगते हैं। इस तथ्य के दृष्टिगत, एस्टीमेट के स्थान पर, मानक दरों पर नये विद्युत संयोजनों को त्वरित गति से निर्गत किये जाने हेतु ''सुगम संयोजन योजना'' पूरे प्रदेश में प्रारम्भ की जा रही है। अधिकाधिक घरों को विद्युत तंत्र से जोड़ने के अपने संकल्प के परिप्रेक्ष्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 5 किलोवाट तक के सभी उपभोक्ताओं को 18 किस्तों में संयोजन प्रदान करने की योजना लागू की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे के अन्दर क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की प्रतिस्थापना का विवरण-

शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त परिवर्तक 24 घण्टे के अन्दर बदले जा रहे हैं। 1 मई, 2017 से लागू नई व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त परिवर्तक 48 घण्टे में बदलने की व्यवस्था की गई है।

- नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत निजी नलकूप के किसानों द्वारा वर्तमान की व्यवस्थानुसार स्वयं परिवर्तक उतार कर वर्कशाप लाने के स्थान पर, उनके विद्युत देयक बकाया नहीं होने की दशा में, विभागीय वाहन से ही उनका क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर निर्धारित 48 घण्टे में बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
- इस नयी व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु क्षतिग्रस्त परिवर्तक की सूचना विभिन्न स्रोतों से निम्नानुसार प्राप्त की जायेगी-

अ. सम्बन्धित अवर अभियन्ता/विभागीय कर्मचारी।

ब. वर्तमान में टोल फ्री नम्बर 1912 केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया है जिस पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के परिवर्तक खराब होने की शिकायतें दर्ज की जाती हैं।

स. उपभोक्ता द्वारा स्वयं अथवा अन्य किसी माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर।

द. नवीन व्यवस्था में गांवों के साथ-साथ निजी नलकूपों के परिवर्तक भी विभागीय वाहनों के माध्यम से बदले जायेंगे।

क्षतिग्रस्त परिवर्तक

विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न हो इसके लिए विभागीय व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को 48 घण्टे के अन्दर प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था वर्तमान में की गई है।

विद्युत आपूर्ति

वर्तमान में प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर से बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों को न्यूनतम 18 घण्टे, तहसीलों एवं जिला मुख्यालयों को न्यूनतम 20 घण्टे एवं शहरी क्षेत्रों एवं उद्योगों को 24 घण्टे आपूर्ति की जा रही है।

उपभोक्ता परक सुविधायें

वर्तमान में उपभोक्ताओं को बेहतर उपभोक्ता सुविधाएं प्रदान करने हेतु शहरी क्षेत्रों की भांति ग्रामीण क्षेत्रों हेतु भी आनलाइन बिलिंग एवं कलेक्शन प्रणाली तैयार कर क्रियान्वित कर दी गई है जिससे जहां ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को बिल प्राप्त करने एवं भुगतान करने में सुविधा होगी वहीं विभाग के राजस्व में भी वृद्धि होगी। प्रदेश के 32 हजार सी0एस0सी0 जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से भी ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन ने उपभोक्ताओं को स्वतः बिल बनाने की आनलाइन ट्रस्ट बिलिंग सुविधा भी प्रदान कर दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से भी विद्युत उपभोक्ताओं को अपने विद्युत बिलों संबंधी सभी जानकारी प्राप्त करने एवं अपनी शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की गई है। कार्पोरेशन द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एवं ई-वालेट के माध्यम से कैशलेस पद्धति द्वारा उपभोक्ताओं को बिल भुगतान की सुविधा प्रदान की जा रही है।

टोल-फ्री नं0 1912

पूरे प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए **टोल-फ्री नं0 1912** की सुविधा प्रदान की गयी है। इस **टोल फ्री नं0 1912** को डायल कर विद्युत आपूर्ति, परिवर्तकों के दोष, बिलिंग, मीटरिंग आदि सभी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या काफी उत्साहवर्धक है।

मोबाइल एप

डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऑन-लाइन रूरल बिलिंग व्यवस्था के अन्तर्गत सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं को जोड़ दिया गया है। शहरों के विद्युत उपभोक्ता की भांति ही अब ग्रामीण उपभोक्ता भी घर बैठे अपने बिलों का भुगतान ई-पेमेन्ट ऑनलाइन- भीम एप, नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, ई-वालेट, एम-पैसा, एयरटेल मनी से कर रहे हैं। डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एक ई-निवारण मोबाइल एप की उपभोक्ता सेवा का शुभारम्भ विगत दिनों में किया है। इस मोबाइल एप के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता मोबाइल पर ही अपना विद्युत बिल बना सकते हैं, देख सकते हैं तथा अपना बिल जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ इस मोबाइल एप के माध्यम से पिछले 6 माह की अपनी ऊर्जा खपत, बिजली बिल एवं बिल भुगतान का विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं। इस एप में उपभोक्ता को टोल फ्री नं0 1912 पर कॉल

या एसएमएस के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने एवं शिकायत की स्थिति के विषय में जानकारी की भी सुविधा प्रदान की गयी है।

सर्वदा व सक्रिय योजना

प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के बकाया भुगतान में 100 प्रतिशत अधिभार माफी हेतु सक्रिय योजना एवं अवैध विद्युत संयोजन को वैध तरीके से सम्मिलित करने हेतु सर्वदा योजना चलायी गयी। इन योजनाओं का लाभ प्रदेश में लगभग 20 लाख विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा उठाया गया है।

33 के.वी. कार्यों का विवरण (वर्ष 2017-18)

उ.प्र. में विद्युत उपभोक्ताओं हेतु विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार तथा विद्युत वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए माह अप्रैल से दिसम्बर, 2017 में द्वितीय प्रणाली के अन्तर्गत 33/11 के.वी. के 145 नग (क्षमता 1170 एम0वी0ए0) नये उपकेन्द्रों तथा 33 के.वी. की 1159.43 सर्किट कि.मी. सम्बन्धित लाइनों का निर्माण कराया गया।

इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं में सम्पूर्ण प्रदेश में 575 नग 33/11 के.वी. उपकेन्द्र तथा उससे सम्बन्धित 33 के.वी. एवं 11 के.वी. लाइनों का निर्माण कराया जा रहा है।

इन्टीग्रेटेड पावर डेवलेपमेंट स्कीम (आई.पी.डी.एस.)

इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाना है, जिसमें सोलर पैनल लगाया जाना, वितरण परिवर्तक/पोषक/विद्युत उपभोक्ताओं के मीटरिंग कार्य सम्मिलित हैं। जिसमें 636 नगरों की रु.4698.02 करोड़ की डी.पी.आर. मैसर्स पी.एफ.सी., नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत आर-एपीडीआरपी एवं नान-आरएपीडीआरपी के 5000 से अधिक आबादी वाले नगरों में कार्य किया जाना है। जिसके अन्तर्गत अभी तक निम्नलिखित कार्य कराये जा चुके हैं :-

ऊर्जीकृत नये उपकेन्द्र	-	45 नग
क्षमतावृद्धि किये गये उपकेन्द्र	-	140 नग
33 के.वी. नई लाइन	-	352.15 कि.मी.
11 के.वी. नई लाइन	-	1037.30 कि.मी.
वितरण परिवर्तकों की स्थापना	-	2779 नग
ए.बी.सी. केबिल	-	3981.43 कि.मी.

आर-ए.पी.डी.आर.पी. योजना

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आर-ए.पी.डी.आर.पी. को सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा मैसर्स पी.एफ.सी. को आर-एपीडीआरपी योजना हेतु नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 30,000 से अधिक आबादी वाले नगरों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सभी प्रोजेक्ट एरिया की ए.टी. एण्ड सी. हानियों को घटाकर 15 प्रतिशत लाने का है। आर-ए.पी.डी.आर.पी. को दो भागों में विभक्त किया गया है। भाग-ए के अन्तर्गत डाटा बेस लाइनिंग एवं आई.टी. सेटअप सम्मिलित है। भाग-बी में 155 नान-स्काड़ा तथा

12 स्काडा नगरों में सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है। अब तक 145 नान-स्काडा तथा 07 स्काडा नगरों की क्लोजर रिपोर्ट पी.एफ.सी. को प्रेषित की जा चुकी है।

पावरलूम बुनकरों को सब्सिडाइज्ड विद्युत आपूर्ति

उत्तर प्रदेश में सभी पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट से विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जिसमें 60'' तक की रीड स्पेस (कंघी) के लूम के लिए रु. 65.00 प्रति लूम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 60'' तक की रीड स्पेस के लूम के लिये रु. 37.50 प्रति लूम की दर से विद्युत मूल्य लिया जा रहा है, जिससे वर्तमान में प्रदेश के कुल 92445 पावरलूम बुनकर उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

बेहतर विद्युत राजस्व वसूली हेतु लागू बकाया प्रोत्साहन योजना

वित्तीय वर्ष 2017-18 के शेष माहों में अपेक्षित वार्षिक राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से विद्युत वितरण खण्डों के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु बकाया प्रोत्साहन योजना लागू की गई है जिससे खण्ड स्तर के अधिकारी/कर्मचारी पूरे मनोयोग एवं कड़ी मेहनत के लिए प्रोत्साहित हों एवं अधिक से अधिक राजस्व की वसूली कर सकें।

बकाया प्रोत्साहन योजना के फलस्वरूप खण्डों में राजस्व वसूली में वृद्धि होगी एवं वार्षिक राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास बना रहेगा जिससे प्रदेश के सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को गुणवत्तापरक एवं सुचारु निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

मुखबिर प्रोत्साहन योजना

मुखबिर द्वारा विद्युत चोरी की सूचना दिये जाने पर यदि विद्युत चोरी पकड़ने में सफलता मिलती है तो ऐसे मुखबिर को प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। यह सूचना सतर्कता इकाई अथवा उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि. के किसी भी अधिकारिक स्तर पर दी जा सकेगी। प्रवर्तन दल अथवा उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रेड डालने पर एवं सफलता अर्जित होने की स्थिति में मुखबिर को प्रोत्साहन धनराशि जो रेड टीम द्वारा वसूले गये शमन शुल्क की राशि का 10 प्रतिशत (अधिकतम रु. 50,000) होगा, मुखबिर को दी जायेगी।

प्रवर्तन दल अथवा विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारी को मुखबिर की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। मुखबिर किसी भी माध्यम जैसे कि टेलीफोन, ई-मेल, एस.एम.एस. या आई.टी. की कोई भी प्रणाली, पत्र, व्यक्तिगत सम्पर्क आदि से सूचना देने के लिए स्वतंत्र होगा।

नये विजिलेन्स दलों का गठन

विद्युत विभाग में वर्तमान में 33 रेड टीमें कार्यरत हैं। विद्युत चोरी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये 55 अतिरिक्त रेड टीमों के गठन की कार्यवाही पूर्ण की जा रही है, जिससे अधिक से अधिक रेड कार्यों को सम्पादित कर विद्युत चोरी को रोका जा सके एवं ए.टी. एण्ड सी. लॉस को कम से कम किया जा सके।

विजिलेन्स दलों के लिए प्रोत्साहन योजना

रेड कार्यों में लगे टीम के सदस्यों एवं टीम स्टाफ के सदस्यों को उनके द्वारा की जाने वाली रेड्स की कार्यवाही को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से एक ''प्रोत्साहन योजना'' तैयार की गयी है। इस योजना में रेड टीम द्वारा वसूली गयी शमन की धनराशि के 10 प्रतिशत अंश (8 प्रतिशत रेड टीम एवं

2 प्रतिशत सपोर्ट स्टाफ के कार्मिक हेतु) वितरित करने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, जिससे अधिक से अधिक रेड करके विद्युत चोरी पर रोक लगाई जा सके।

राजीव गॉंधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (11वीं योजना)

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण 11वीं योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 22 जनपदों में 300 से अधिक आबादी वाले ग्रामों/मजरों को रु. 4432.29 करोड़ की लागत से 627 अविद्युतीकृत ग्राम व 38854 अविद्युतीकृत मजरों का सघन विद्युतीकरण एवं 856489 बी.पी.एल. परिवारों को संयोजन देने का कार्य चल रहा है, जो वर्ष 2017-18 में पूर्ण होना सम्भावित है। दिनांक 22.01.2018 तक संकलित प्रगति आख्या के अनुसार 627 ग्राम एवं 30760 मजरों का विद्युतीकरण एवं 550532 बी0पी0एल0 परिवारों को संयोजन निर्गत करने का कार्य किया जा चुका है।

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं योजना)

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 12वीं के अन्तर्गत 64 जनपदों के 100 से अधिक आबादी वाले 868 ग्राम एवं 107088 मजरों के सघन विद्युतीकरण एवं 2172762 बी.पी.एल. परिवारों को संयोजन निर्गत करने के कार्य हेतु रु.7282.81 करोड़ की लागत से कार्य कराया जा रहा है, जिसमें दिनांक 22.01.2018 तक संकलित प्रगति आख्या के अनुसार 868 ग्राम एवं 79015 मजरों का विद्युतीकरण एवं 1171996 बी.पी.एल. परिवारों को संयोजन निर्गत करने का कार्य किया जा चुका है।

निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण

निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण ''आओ और पाओ'' के आधार पर किया जा रहा है। वर्तमान में नलकूपों हेतु कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। वर्ष 2017-18 में दिनांक 22.01.2018 तक 35882 लक्ष्यों के सापेक्ष 29306 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है। डार्क/क्रिटिकल श्रेणी के 172 विकास खण्डों में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण पर लगे प्रतिबन्ध को शासनादेश संख्या-01/2018/45/62-1-2018-04आर/2009 दिनांक 10 जनवरी, 2018 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन योजना)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण, जनपदों में कृषि एवं गैर-कृषि पोषकों का पृथक्कीकरण, अविद्युतीकृत गृहस्थियों का विद्युतीकरण, 33 के.वी. एवं 11 के.वी. पोषकों एवं उपभोक्ताओं की मीटरिंग, ग्रामों में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं सांसद आदर्श ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है।

इस योजना के लिए आर0ई0सी0 द्वारा कुल रु.6946.40 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है जिसमें अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए रु. 9.48 करोड़ फीडर सैपरेशन के लिए रु. 3257.70 करोड़, अविद्युतीकृत परिवारों के कनेक्शन के लिए रु. 1143.15 करोड़, मीटरिंग के लिए रु. 294.05 करोड़, प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए रु. 2147.76 करोड़, सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए रु. 69.75 करोड़ एवं पी.एम.सी. के लिए रु. 34.52 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अनुदान की प्रथम एवं द्वितीय किस्त के कुल क्लेम रु. 1341.55 करोड़ के विरुद्ध रु. 923.03 करोड़ प्राप्त हुआ है। यह धनराशि माह दिसम्बर, 2017 तक प्राप्त हुई है।

सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना)

डिस्कामवार डी.पी.आर. स्वीकृति की प्रक्रिया में है। प्रारम्भिक डी.पी.आर. की आर.ई.सी. के द्वारा समीक्षा एवं उद्धृत बिन्दुओं के आलोक में पुनरीक्षण के अनुसार योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैंः-

- ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग रु. 168 लाख घरों को विद्युत संयोजन।
- शहरी क्षेत्रों के लगभग रु. 3.02 लाख परिवारों को विद्युत संयोजन।
- उपरोक्त कार्य हेतु अंतिम उपभोक्ता तक एल.टी. लाइनों का निर्माण।
- योजना को पूर्ण करने की लक्षित तिथि मार्च, 2019 तक।

वित्तीय प्रबन्धन

डी.पी.आर. की अनुमानित लागत रु. 18069 करोड़, ''सौभाग्य'' योजना से लगभग 1.71 करोड़ घरों हेतु रु. 4500 प्रति संयोजन के मानक से लगभग रु. 7695 करोड़ ही अनुमन्य। शेष रु. 10374 करोड़ की धनराशि शासन से अपेक्षित।

मुख्य बिन्दु

- गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत संयोजन।
- ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य परिवारों को रु. 50 प्रतिमाह की 10 मासिक किस्तों पर विद्युत संयोजन।
- शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे सामान्य परिवार इस योजना में सम्मिलित नहीं हैं।
- सौभाग्य योजना में निर्गत किये जाने वाले समस्त विद्युत संयोजन मीटर्ड होंगे।
- गरीब परिवारों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना वर्ष 2011 (एस.ई.सी.सी. 2011) के आधार पर होगी।

सौभाग्य योजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु कृत कार्यवाही

- भारत सरकार द्वारा योजना 11 अक्टूबर 2017 से लागू, गाइड लाइन्स दिनांक 20 अक्टूबर 2017 को जारी।
- सौभाग्य योजना में प्रतिभाग हेतु भारत सरकार को आशय पत्र दिनांक 08 नवम्बर 2017 को प्रेषित।
- रु. 848.17 करोड़ के तदर्थ अग्रिम हेतु भारत सरकार को अनुरोध पत्र दिनांक 23 नवम्बर, 2017 को प्रेषित।
- जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति के गठन हेतु शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को जारी।
- प्रदेशव्यापी मेगा शिविरों का दिनांक 17 दिसम्बर 2017 को मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा शुभारम्भ।

  (2665 शिविर, 1.38 लाख संयोजन निर्गत)
- 24x7 पावर फॉर आल योजना में पावरग्रिड द्वारा हैन्ड होल्डिंग किया जा रहा है, ''प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट'' नियुक्त करने की कार्यवाही प्रगति पर।
- सौभाग्य योजना में आयोजित किये जाने वाले शिविरों में संयोजनों के लिए मोबाइल एप ई-संयोजन तैयार।

- सभी 75 जनपदों की डी.पी.आर. के फाइनल का कार्यपूर्ण, स्वीकृति की कार्यवाही प्रगति पर।
- जनवरी 2018 में दिनांक 06, 13, 24, व 31 को प्रदेशव्यापी मेगा शिविर निर्धारित। 06 जनवरी को 1767 शिविरों में 80452 संयोजन निर्गत, दिनांक 13 जनवरी को 1824 शिविरों में 64256 संयोजन निर्गत, दिनांक 24.01.2018 को 1731 शिविरों में 112347 तथा दिनांक 31.01.2018 को 1793 शिविरों में 67942 विद्युत संयोजन निर्गत। सौभाग्य योजना में वर्तमान तक कुल 5.41 लाख विद्युत संयोजन निर्गत किये गये हैं।

उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि.

''24X7 पावर फॉर ऑल'' के लक्ष्य की पूर्ति के दृष्टिगत दिनांक 31.12.2017 तक की अवधि में ही पारेषण कार्यों के त्वरित क्रियान्वयन के फलस्वरूप अभूतपूर्व उपलब्धि परिलक्षित हुई है। दिनांक 31.12.2017 तक कुल रु. 4319.61 करोड़ की लागत से निर्मित 01 नग 765 के.वी., 07 नग 400 के.वी., 08 नग 220 के.वी. एवं 19 नग, 132 के.वी. (कुल 35 नग) उपकेन्द्रों का ऊर्जीकरण एवं प्रथम ई.आर.एस. (इमरजेन्सी रिस्टोरेशन सिस्टम) की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है।

उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.

वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अन्तर्गत ताप विद्युत गृहों की उत्पादन क्षमता 5778 मे.वा. है। वर्ष 2017-18 में माह जनवरी, 2018 तक स्थापित इकाइयों से 29121 मि.यू. ऊर्जा के उत्पादन लक्ष्य के विरुद्ध उ.नि.लि. द्वारा 29065.036 मि.यू. विद्युत उत्पादन किया गया।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में तृतीय तिमाही तक (माह दिसम्बर, 2017 तक) उत्पादन निगम लि. के विद्युत गृहों द्वारा कुल 26159.800 मि. यूनिट (औसतन 3980 मेगावाट) का विद्युत उत्पादन किया गया जो कि विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 की तृतीय तिमाही तक उत्पादित कुल विद्युत ऊर्जा 23509.399 मि0यू0 (औसतन 3738 मेगावाट) से 6.47 प्रतिशत अधिक है।

उ.नि.लि. की इकाइयों का माह दिसम्बर, 2017 तक का पी.एल.एफ. 74.43 प्रतिशत प्राप्त किया गया जो कि वर्ष 2016-17 में प्राप्त पी.एल.एफ. 68.24 प्रतिशत से 5.19 प्रतिशत अधिक है।

कोयला प्रबन्धन तथा दक्षता सुधार की कार्य योजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत की बिलिंग कास्ट में वर्ष 2016-17 के रु. 4.04 प्रति यूनिट की तुलना में वर्ष 2017-18 में नवम्बर, 2017 तक रु. 0.54 प्रति यूनिट की कमी करते हुए इसे रु. 3.50 प्रति यूनिट लाया गया।

वर्ष 2017-18 में (माह दिसम्बर 2017 तक) उ.नि.लि. की इकाइयों की औसत विशिष्ट कोल खपत में 50 ग्राम प्रति यूनिट की कमी करते हुए वर्ष 2016-17 की विशिष्ट कोल खपत 730 ग्राम/यूनिट से घटाकर इसे 680 ग्राम/यूनिट लाया गया।

विद्युत उत्पादन एवं उपलब्धता

वर्तमान में विभिन्न स्रोतों यथा- राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. से 4000 मेगावाट, जल विद्युत परियोजनाओं से 450 मेगावाट, निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से 3700 मेगावाट, को-जनरेशन (सीजनल एवं शीतकालीन समय में) 900 मेगावाट, केन्द्रीय सेक्टर से 4400 मेगावाट तथा द्विपक्षीय अनुबन्ध एल.टी.ओ.ए. तथा एम.टी.ओ.ए. से 1000 मेगावाट इत्यादि से कुल उपलब्धता औसतन 14500

मेगावाट है। ''डीप पोर्टल'' से 1700 मेगावाट से 2000 मेगावाट की व्यवस्था माह मई से सितम्बर, 2018 के लिए कर दी गयी है।

उपरोक्त अवधि हेतु बैंकिंग के माध्यम से 700 मे.वा. ऊर्जा का प्रबन्ध प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार कुल उपलब्धता 17200 मे.वा. हो गई हैं, जोकि मांग के सापेक्ष पर्याप्त है।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि. द्वारा प्रदेश में स्थापित जल विद्युत गृहों के परिचालन, रख-रखाव के कार्यों के साथ-साथ नई जल एवं सौर ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं अनुसंधान तथा उनकी स्थापना सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। उ.प्र. जल विद्युत निगम लि. में वर्तमान में 660 कार्मिक कार्यरत हैं।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित जल विद्युत गृहों की अधिष्ठापित क्षमता 524.9 मेगावाट है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक एवं वर्ष 2018-19 हेतु उत्पादित/लक्ष्य विद्युत का विवरण निम्नवत् है-

क्र. सं. विद्युत गृह का नाम	स्थापित क्षमता (मे.वा.)	विद्युत उत्पादन का विवरण (मि0यू0) वर्ष 2017-18 वार्षिक लक्ष्य 2017-18	लक्ष्य 12/2017 तक	उत्पादन 12/2017 तक	वर्ष 2018-19 वार्षिक लक्ष्य
1. रिहन्द (6X50मे0वा0)	300.00	759.43	636.44	637.38	560.00
2. ओबरा (3X33मे0वा0)	99.00	260.47	218.46	220.46	220.00
3. माताटीला (3X10.2मे0वा0)	30.60	79.33	55.23	65.91	100.00
4. खारा (3X24मे0वा0)	72.00	274.45	225.45	227.84	320.00
5. ऊपरी गंगा नहर पर स्थित जल विद्युत गृह (निरगाजनी, चित्तौड़ा भोला एवं सलावा)	13.70	21.47	16.07	16.90	23.00
6. पूर्वी यमुना नहर पर स्थित जल विद्युत गृह	6.00	2.15502	1.66	1.63	3.00
7. शीतला जल विद्युत गृह	3.60	1.402923	1.02	0.91	2.20
कुल योग :	**524.90**	**1398.707943**	**1154.33**	**1171.03**	**1228.20**

जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का कार्य

निगम द्वारा पूर्व से स्थापित एवं अपना जीवनकाल पूर्ण कर चुकी जल विद्युत परियोजनाओं से पूर्ण

क्षमता पर विद्युत उत्पादन करने हेतु रिहन्द एवं ओबरा जल विद्युत परियोजनाओं के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है। रिहन्द परियोजना (6X50मे0वा0) की पाँच मशीनों-1, 3, 4, 5 एवं 6) का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का कार्य माह जून, 2017 तक पूर्ण हो चुका है तथा मशीन सं0- 2 के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसके वर्ष 2017-18 में वाणिज्यिक भार पर आने की सम्भावना है।

पी.पी.पी. के अन्तर्गत परियोजना

निगम में नई जल विद्युत परियोजनाओं को सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। सार्वजनिक व निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) के माध्यम से स्थापना हेतु कुल 12.95 मे0वा0 क्षमता की 04 लघु जल विद्युत परियोजनायें (राम गंगा जनपद-बिजनौर, माधो-प्रथम, माधो-द्वितीय एवं डुन्डा जनपद-पीलीभीत), निजी विकासकर्ताओं को आवंटित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त ऊपरी गंगा नहर पर 75 से 80 वर्ष पूर्व स्थापित पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं के स्थान पर उच्चीकृत क्षमता की 03 नई जल विद्युत परियोजनाओं (निरगाजनी -7.0 मे0वा0, चित्तौड़ा- 5.5 मे0वा0, जनपद-मुजफ्फरनगर, सलावा-4.5 मे0वा0 जनपद-मेरठ) का आवंटन भी निजी क्षेत्र (पी0पी0पी0 मोड) में किया गया है। परियोजनाओं की स्थापना हेतु सिंचाई विभाग, उ.प्र. से वांछित अनापत्तियों तथा भूमि की लीज किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। सभी अनापत्तियों तथा वांछित शासकीय भूमि, जोकि सिंचाई विभाग की है, की लीज, पॉलिसी के अनुरूप विकासकर्ता को किये जाने के उपरान्त निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाएगी।

निगम द्वारा स्थापित की जा रही परियोजना

निगम द्वारा 1.5 मे0वा0 (2X0.75 मे0वा0) क्षमता की खारा नई लघु जल विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। जिसके निर्माण क्षमता की कार्यवाही के अन्तर्गत फर्म का चयन कर दिनांक 11.06.2013 को अनुबन्ध कर लिया गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना के वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्ण होने की सम्भावना है। इस परियोजना के लिए उ.प्र. शासन से अंश पूँजी के रूप में अब तक कुल रु. 3.58 करोड़ धनराशि प्राप्त की जा चुकी है।

सोलर पावर परियोजना

निगम द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निगम की ओबरा तथा रिहन्द जल विद्युत परियोजनाओं के सन्निकट उपलब्ध भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु सोलर इनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (सेकी) से प्रोजेक्ट फिजिबिल्टी रिपोर्ट तैयार कराई गई हैं। सोलर परियोजनाओं की स्थापना निजी विकासकर्ता का चयन कर पी.पी.पी. मोड के अन्तर्गत की जायेगी। इस संबंध में सेकी (सोलर इनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया तथा उत्तर प्रदेश नेडा, उ.प्र. नान कन्वेन्शनल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी) के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है।

●

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन अप्रैल 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का गठन एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में किया गया। इस संस्था का नाम अब 'उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण' (यूपीनेडा) कर दिया गया है। संस्था द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों पर आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सतत् रूप से प्रयास किये जा रहे हैं।

ऊर्जा की निरन्तर बढ़ती माँग एवं पारम्परिक ऊर्जा के सीमित भण्डारों के कारण वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से ऊर्जा की बढ़ती माँग को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यूपीनेडा द्वारा लाभार्थीपरक योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन करने के साथ-साथ विद्युत उत्पादन एवं ऊर्जा संरक्षण से सम्बन्धित योजनाओं के विकास का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं की निजी क्षेत्र में स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) एक उत्प्रेरक संस्था के रूप में प्रयासरत है।

संगठन एवं कार्य-कलाप

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा ऊर्जा के नवीन एवं नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित उपयुक्त ऊर्जा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, लघु जल-विद्युत ऊर्जा जैसे अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीक के विकास एवं प्रसार के लिए ऐसी विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनसे नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। यूपीनेडा द्वारा लाभार्थीपरक योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन करने के साथ-साथ विद्युत उत्पादन एवं ऊर्जा संरक्षण से सम्बन्धित योजनाओं के विकास का कार्य किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा चिनहट, जनपद लखनऊ, घोसी, जनपद मऊ एवं कन्नौज में शोध, विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों/परियोजनाओं की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण एवं सर्विसिंग के विषय में दक्षता के विकास हेतु विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यूपीनेडा को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 में निहित प्रावधानों को उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित कराये जाने हेतु स्टेट डेजीग्नेटेड एजेन्सी (एसडीए) नामित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन, चित्रकला प्रतियोगिता, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिये जाने की योजना लागू की गयी है। इसके अतिरिक्त र्जा संरक्षण के उपायों को लागू किये जाने हेतु ाासकीय भवनों में र्जा दक्ष एल.ई.डी. लाइटों की

स्थापना, आटोमेटिक पावन फैक्टर करेक्टर की स्थापना करायी जा रही है। प्रदेश में इनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ई.सी.बी.सी. के नोटिफिकेशन की कार्यवाही की जा रही है।

मुख्य कार्यक्रम एवं योजनायें

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन कार्यक्रम

(अ) सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन (ग्रिड संयोजित)

प्रदेश में बढ़ती हुई ऊर्जा की पूर्ति विभिन्न स्रोतों से करने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की अधिष्ठापना को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2017 प्रख्यापित की गई थी। इस नीति के अन्तर्गत सौर पावर प्रोजेक्ट अधिष्ठापन के लिए राज्य सरकार से आवश्यक अनुमति, अनापत्ति, अनुमोदन, सहमति आदि सुगमता से निजी विकासकर्ताओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु आनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था की जायेगी। नीति के अन्तर्गत कुल लक्षित क्षमता 10700 मेगावाट में से 6400 मेगावाट यूटिलिटी स्केल ग्रिड संयोजित सोलर पावन प्लाण्ट की स्थापना की जानी लक्षित है। यूटिलिटी स्केल परियोजनाओं को स्टैण्ड एलोन, सोलर पार्क के अन्तर्गत स्थापना किये जाने के अतिरिक्त, तृतीय पक्ष को विक्रय हेतु स्थापित किये जाने की अनुमन्यता है।

सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली सौर ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से जहाँ एक ओर प्रदेश में निजी निवेश में बढ़ोत्तरी होती वहीं बुन्देलखण्ड जैसे क्षेत्र में उपलब्ध अकृषक भूमि का उपयोग हो सकेगा तथा साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। सौर परियोजनाओं की स्थापना की सम्भावना बुन्देलखण्ड क्षेत्र में होने के दृष्टव्य इन परियोजनाओं से सुगमतापूर्वक विद्युत निकासी हेतु उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. द्वारा 4000 मेगावाट क्षमता हेतु ग्रीन ऊर्जा कोरीडोर का निर्माण किया जायेगा।

नीति के अन्तर्गत 4300 मेगावाट क्षमता ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप पावर प्लाण्ट स्थापना वर्ष 2022 तक लक्षित है। सरकारी अर्धसरकारी भवनों पर ग्रिड संयोजित रुफटॉप की ओपेक्स मोड में रेस्को मोड द्वारा स्थापना को बढावा दिया जायेगा। आवासों पर रूपटॉफ संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु निजी आवासों पर इन संयंत्रों की स्थापना पर रु. 15000/- प्रति किलोवाट अधिकतम रु. 30000/- प्रति उपभोक्ता का राजकीय अनुदान देय होगा।

सौर ऊर्जा नीति-2013

नीति जनवरी-2013 में प्रख्यापित की गयी नीति के संचालन अवधि 31 मार्च, 2017 तक लक्षित क्षमता 500 मेगावाट के सापेक्ष 450 मेगावाट क्षमता के परियोजनाओं का बिडिंग द्वारा आवंटन किया गया है। उक्त के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में 120 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों की एवं अब तक वर्ष 2017-2018 तक कुल 350 मेगावाट क्षमता के सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना प्रदेश में की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित एवं अन्य योजनाओं में वर्ष 2017-18 में यूपीनेडा द्वारा जनपद झांसी एवं जनपद मथुरा में क्रमशः 20 मेगावाट एवं 05 मेगावाट की स्थापना की गयी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की एनटीपीसी बंडलिंग स्कीम के अन्तर्गत जनपद हमीरपुर में 20 मेगावाट, बांदा मे 10 मेगावाट तथा शाहजहाँपुर में 20 मेगावाट तथा महोबा में 50 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की स्थापना की गयी है।

सोलर पार्क

भारत सरकार के सोलर पार्क योजनान्तर्गत प्रदेश में 440 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क विकसित किये जा रहे हैं। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के जनपद जालौन, कानपुर देहात, मिर्जापुर एवं प्रयागराज में कुल 440 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित किये जा रहे हैं। सोलर पार्क के विकास एवं प्रबन्धन हेतु यूपीनेडा एवं भारत सरकार की नामित नोडल एजेन्सी सोलर इनर्जी कारपोरेशन आफ इन्डिया (सेकी) के मध्य एक संयुक्त उपक्रम लखनऊ सोलर पावर डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड गठित किया गया है। इस संयुक्त उपक्रम में यूपीनेडा एवं सेकी का 50-50 प्रतिशत शेयर है। भारत सरकार की स्कीम के अन्तर्गत सोलर पार्क विकसित करने पर भारत सरकार द्वारा रु. 20.00 लाख प्रति मेगावाट अथवा परियोजना मूल्य का 30 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम होगी, की दर से अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। सोलर पार्क में भूमि विकास के अतिरिक्त सोलर पावर प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत निकासी संबंधी समस्त अवस्थापना व्यवस्थायें उपलब्ध होंगी। सोलर पार्क में परियोजना की स्थापना हेतु बायबिलिटी गैप फन्डिंग (वीजीएफ) आधारित बिडिंग सोलर इनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (सेकी) द्वारा आमंत्रित की गयी है।

ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट

प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं के उपयोग/कैप्टिव उपयोगार्थ ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर फोटो-वोल्टाइक सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट नेट इनर्जी मीटरिंग प्रणाली पर आधारित है। इन संयंत्रों से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग बिल्डिंग में उपभोक्ता द्वारा किया जा सकता है तथा प्लांट से अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा उत्पादित होने की दशा में विद्युत ऊर्जा को नेट इनर्जी मीटर के माध्यम से ग्रिड में फीड किया जा सकता है। इन परियोजनाओं की स्थापना से पारम्परिक विद्युत ऊर्जा में निर्भरता कम होने के साथ-साथ निजी उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में भी कमी आयेगी। सौर ऊर्जा के सरप्लस होने की दशा में विद्युत कम्पनी द्वारा रु. 2.00 प्रति यूनिट की दर से उपभोक्ता को भुगतान किया जायेगा।

संयंत्र की अनुमानित लागत रु. 65000-70000 प्रति कि.वा. है। इस योजना पर भारत सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान व्यक्तिगत लाभार्थी एवं गैर सरकारी अलाभकारी संस्थाओं को दिया जा रहा है, जो संयंत्र के अधिष्ठापना के पश्चात् लाभार्थी/लाभार्थी संस्था के खाते में जमा किया जायेगा।

प्रदेश में सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों, कलेक्ट्रेट भवनों/विकास भवनों, मेडिकल कॉलेज, आयुक्त कार्यालय, बस स्टेशनों, राजस्व परिषद कार्यालय भवन एवं निजी आवासों में वर्ष 2017-2018 में कुल 35.05 मेगावाट की रूफटॉप सोलर परियोजनाएँ स्थापित की गई हैं। इस प्रकार प्रदेश में अब तक 72 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजना पावर प्लाण्ट स्थापित है।

(ब) बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाएँ

1. बगास आधारित विद्युत परियोजनाएँ

प्रदेश की चीनी मिलों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध बगास (खोई) से को-जेनरेशन द्वारा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की प्रबल सम्भावनाएं हैं। चीनी मिलों में उपलब्ध बगास से को-जनरेशन द्वारा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की परियोजनाएँ स्थापित कराने हेतु यूपीनेडा द्वारा एक उत्प्रेरक/फैसीलिटेटर के रूप में कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1994 में नीति

निर्धारित की गयी, जिसके अन्तर्गत इन परियोजनाओं से उत्पादित अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा को यू.पी. पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा चीनी मिलों के साथ निष्पादित पावर परचेज एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत क्रय किया जाता है। प्रदेश में 65 चीनी मिलों में 1900 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाएँ अधिष्ठापित की गयी हैं। भारत सरकार द्वारा 15 लाख प्रति मेगावाट की दर से केन्द्रीय वित्तीय सहायता अनुमन्य है।

2. नान-बगास आधारित विद्युत परियोजनाएँ

प्रदेश में बगास के आलावा अन्य बायोमास (एग्रो-रेसीड्यू) का उपयोग कर विभिन्न तकनीक यथा- गैसीफिकेशन, सह-उत्पादन तथा कम्बक्शन पर आधारित विभिन्न क्षमता की विद्युत परियोजनाएँ स्थापित की जा रही हैं।

प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में 286 मेगावाट के ग्रिट/कैपिटिव पावर प्रोजेक्ट स्थापित किये जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा इन परियोजनाओं हेतु रु. 20.00 लाख प्रति मेगावाट की दर से केन्द्रीय वित्तीय सहायता अनुमन्य है।

(स) औद्योगिक अपशिष्ट आधारित विद्युत परियोजनाएँ

प्रदेश में स्थापित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों यथा- डिस्टलरीज, फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज, डेयरी, पेपर एण्ड पल्प आदि से निकलने वाले कचरे (अपशिष्ट) से विद्युत ऊर्जा उत्पादन की प्रचुर संभावनायें हैं। इन परियोजनाओं की स्थापना से जहाँ एक ओर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता मिलेगी वहीं इन औद्योगिक इकाइयों की थर्मल/विद्युत ऊर्जा की पूर्ति भी की जा सकती है। प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा कुल 102 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनायें स्थापित की गयी हैं।

(द) लघु जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम

प्रदेश सरकार द्वारा कैनाल फाल्स पर आधारित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु नीति घोषित की गयी है जिसके अन्तर्गत 15 मेगावाट तक की परियोजनायें यूपीनेडा व 15 मेगावाट से ऊपर की परियोजनाओं हेतु उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इस नीति में प्राविधानित व्यवस्था के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं–

1. कैनाल फाल्स पर चिह्नित लघु जल विद्युत परियोजनाओं का विकास निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से किया जाएगा।

2. शासकीय भूमि 30 वर्ष के पट्टे पर रु.100/- प्रति एकड़ की दर से लीज रेन्ट पर बाजार मूल्य अथवा प्रीमियम की धनराशि में छूट प्रदान करते हुए उपलब्ध कराई जाएगी। पट्टा अवधि का नवीनीकरण भी कराया जा सकेगा।

3. शासकीय भूमि के अतिरिक्त/यदि निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है, तो वह निजी विकासकर्ता द्वारा क्रय की जाएगी। यदि भूमि का क्रय करना सम्भव नहीं हो सकता तो राजस्व विभाग के आदेशों के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा उस भूमि के रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी।

4. निजी विकासकर्ता को ऊपरी पारेषण लाइन बिछाने हेतु राइट-ऑफ वे की सुविधा प्रदान की जायगी।

5. लघु जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा को विद्युत अधिभार से छूट दी जाएगी।

6. यूपीनेडा द्वारा चिह्नित लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निजी विकासकर्ताओं को आवंटन

12 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत के साथ टैरिफ आधारित बिडिंग के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।

इस नीति के अंतर्गत यूपीनेडा द्वारा 01 परियोजना एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम द्वारा 08 परियोजनायें कुल 09 परियोजनायें जिनकी कुल क्षमता 30 मेगावाट है, निजी विकासकर्ताओं को आवंटित की जा चुकी हैं। तद्नुसार निजी विकासकर्ताओं द्वारा परियोजना की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(य) पवन ऊर्जा कार्यक्रम

भारत सरकार की संस्था नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ विण्ड इनर्जी, चेन्नई द्वारा किये गये प्रारम्भिक अध्ययन के आधार पर घाघरा एवं शारदा नदियों के बेसिन में 80 मीटर की ऊँचाई पर पवन ऊर्जा की सम्भावनाओं के दृष्टिगत मुख्यतः शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, बलरामपुर एवं सिद्धार्थनगर जिलों में सर्वेक्षण कार्य किया गया। अभिकरण द्वारा जनपद शाहजहाँपुर के ग्राम बिजौरा एवं जनपद लखीमपुर के ग्राम गुलेरिया में 80 मीटर ऊँचाई का पहला विण्ड मॉनीटरिंग मास्ट स्थापित कराकर विण्ड आंकलन एकत्रित कर रिपोर्ट तैयार करवायी गयी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से जनपद गोण्डा, बलरामपुर एवं सिद्धार्थनगर में 80 मीटर ऊँचाई पर विण्ड आंकड़े प्राप्त किये गये। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अब तक किये गये विण्ड रिसोर्स असेसमेन्ट में 50 मीटर एवं 80 मीटर ऊँचाई, कोई कार्य स्थल विण्ड ऊर्जा उत्पादन हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। तद्नुसार भारत सरकार से पवन ऊर्जा परियोजनाओं की सम्भावनायें ज्ञात करते हेतु मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा रहा है।

सौर ऊर्जा कार्यक्रम

सौर तापीय संयंत्र–सौर तापीय संयंत्र में कन्सन्ट्रेटेड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी आधारित संयंत्र एवं सोलर वाटर हीटर संयंत्र प्रमुख हैं।

कन्सन्ट्रेटेड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी पर आधारित संयंत्र

कन्सन्ट्रेटेड सोलर थर्मल तकनीकि (सी.एस.टी.) से सूर्य की तापीय ऊर्जा को एक बिन्दु पर केन्द्रित कर उच्च तापमान पर स्टीम पैदा की जाती है इसका तापमान 150 से 350 डिग्री सेल्सियस होता है। इस स्टीम का उपयोग औद्योगिक इकाइयों में हीटिंग प्रोसेस में किया जा सकता है।

इस तकनीकि का उपयोग विशेषकर धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं/छात्रावासों/अस्पतालों/कारागारों एवं अन्य ऐसी संस्थायें जहाँ पर अधिक संख्या में भोजन तैयार किया जाता है, में किया जा सकता है। अभिकरण द्वारा 3000 व्यक्तियों का भोजन पकाये जाने हेतु सोलर स्टीम कुकिंग संयंत्र की स्थापना के.जी.एम.यू. लखनऊ में करायी गयी है। वर्तमान में संयंत्र की स्थापना पर बेंच मार्क प्राइज के आधार पर 30 प्रतिशत अनुदान एम.एन.आर.आई. भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

1. सोलर वाटर हीटर

सोलर वाटर हीटर से सूर्य के तापीय ऊर्जा से पानी को गरम किया जाता है यह संयंत्र निजी आवासों, होटलों/नर्सिंग होम/औद्योगिक इकाइयों में जहाँ गरम पानी की आवश्यकता विभिन्न कार्यों के लिए होती है, के लिए बहुत उपयोगी है। इस संयंत्र से 60 डिग्री से 80 डिग्री तक गर्म पानी प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में संयंत्र हेतु कोई अनुदान उपलब्ध नहीं है। लाभार्थियों द्वारा मार्केट मोड में संयंत्र की स्थापना करायी जा सकती है।

2. सोलर फोटोवोल्टाईक संयंत्र

ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांट

इस योजना के अन्तर्गत निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु प्रदेश के विभिन्न सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है, प्रदेश में कुल 3.5 मेगावाट क्षमता के ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना करायी गयी है।

पण्डित दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाईट योजना

सामुदायिक पथ प्रकाश एक मूलभूत आवश्यकता है। प्रदेश के समस्त विकासखण्डों के मुख्य बाजारों में विद्युत की आपूर्ति में बाधा अथवा प्रकाश की व्यवस्था अपर्याप्त होने के कारण सायंकाल से देर रात्रि तक जन-सामान्य को आवागमन में कठिनाई, दैनिक कार्य-कलाप के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है।

पण्डित दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट सयंत्र के माध्यम से मुख्य बाजारों में प्रकाश/प्रकाश पथ की व्यवस्था होने पर सामाजिक परिवेश में कार्यक्षमता में वृद्धि से जन-सामान्य की आय में वृद्धि, स्वच्छ वातावरण का निर्माण एवं जन-सामान्य में योजना के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल हरित ऊर्जा के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। वित्तीय वर्ष में वर्तमान तक 7980 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की जा चुकी है।

सोलर स्ट्रीट लाइट

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक प्रकाश की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना क्रियान्वित की जा रही है। यह संयंत्र सूर्यास्त होते ही स्वतः जल जाता है एवं सूर्योदय होने पर स्वतः बंद हो जाता है। इन संयंत्रों की स्थापना ग्रामों, कस्बों, बस स्टैण्ड, चौराहों, भवन परिसरों आदि स्थलों पर करायी जाती है। इस संयत्र में 75 वॉट का सोलर माड्यूल 12 वोल्ट 75 एम्पीअर आवर की बैटरी तथा 12 वॉट की एलईडी ल्यूमिनरी होती है। इस योजना का क्रियान्वयन प्रोजेक्ट मोड के अन्तर्गत रु. 7100/- के राज्यानुदान एवं चयनित विशेष ग्रामों में शत-प्रतिशत राज्य अनुदान पर किया जा रहा है। अभिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में अब तक लगभग 2.3 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है।

सोलर हाई मास्ट संयंत्र

प्रदेश के ऐसे सार्वजनिक स्थलों जहाँ पर विद्युत उपलब्धता नहीं है अथवा आपूर्ति अनियमित है तथा जहाँ सायंकालीन या देर रात्रि में जनसामान्य का आवागमन होता है, जैसे- बस स्टैण्ड, छोटे-छोटे हाट, मेला स्थल, मुख्य मार्ग, चौराहा, पेयजल स्थल, पशु बाजार, पंचायत घर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एएनएम केन्द्र इत्यादि पर सोलर हाई मास्ट संयंत्रों की स्थापना की जाती है, इस संयंत्र से 25-30 मीटर की परिधि में प्रकाश प्राप्त होता है। सोलर हाई मास्ट में 18 वाट की 04 एलईडी लाइट चारों दिशाओं में 7 मीटर की ऊँचाई पर स्थापित करायी जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 2880 संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है।

सोलर पावर पैक की योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश, पंखे एवं मोबाइल चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सोलर पावर पैक योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित लाभार्थी के आवासों

पर सोलर पावर पैक की स्थापना करायी जाती है, जिससे 3 वॉट की 2 ल्यूमेनियर, 5 वॉट का एक ल्यूमेनियर, 25 वॉट का डीसी सीलिंग फैन, मोबाइल चार्ज की सुविधा प्रतिदिन 8 घंटे उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में विभिन्न योजना के अन्तर्गत कुल 1.50 लाख सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है।

पं. दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा के माध्यम से अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण

प्रदेश के ऐसे अविद्युतीकृत ग्राम/मजरे जिनका दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण परम्परागत ऊर्जा संसाधनों से विद्युतीकरण हो पाना सम्भव नहीं है, का विद्युतीकरण सौर ऊर्जा के माध्यम से सोलर पावर पैक द्वारा कराया जा रहा है। ऐसे ग्रामों/मजरों का चयन उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा किया जाता है तथा विद्युतीकरण का कार्य, अभिकरण द्वारा कराया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत 26 ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण कराया गया है। जिससे इन ग्रामों/मजरों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है।

सोलर आर.ओ. वाटर कार्यक्रम

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को स्वच्छ पीने के पानी एवं पंखे की सुविधा हेतु सोलर आर.ओ. वाटर संयंत्र की स्थापना की परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में 1.1 किलोवाट के सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित कराकर उससे 05 पंखे, 01 डी.सी. सबमर्सिबल पम्प तथा 50 लीटर प्रति घंटा का एक आर.ओ. वाटर संयंत्र संचालित कराया जाता है। संयत्र के साथ 1000 ली. की 2 पानी की टंकी भी स्थापित करायी जाती हैं, जिसका उपयोग मध्याह्न भोजन बनाने, शौचालय को स्वच्छ रखने तथा बागवानी के लिये किया जाता है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों में कुल 608 सोलर आर.ओ. वाटर संयंत्रों की स्थापना का कार्य कराया गया।

सोलर पम्प सिंचाई कार्यक्रम

सिंचाई के क्षेत्र में सोलर फोटोवोल्टाइक पम्प किसानों के लिए अत्यन्त लाभकारी योजना है। इस तकनीक से सूर्य के प्रकाश द्वारा सोलर पैनल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। उत्पादित ऊर्जा से सिंचाई पम्प को चलाया जाता है।

प्रदेश के कृषकों को अनुदान पर सोलर सिंचाई पम्प उपलब्ध कराये जाने की योजना कृषि विभाग एवं यूपीनेडा द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है। योजनान्तर्गत कृषकों को 2 एचपी के सर्फेस एवं 03 एचपी, 05 एचपी के सबमर्सिबल सिंचाई पम्प पांच वर्षों के कम्प्रहेन्सिव रख-रखाव के साथ अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को 2 एचपी के एवं 03 एचपी के सोलर सिंचाई पम्पों पर राज्य सरकार द्वारा 45 प्रतिशत एवं केन्द्र सरकार द्वारा 25 प्रतिशत कुल 70 प्रतिशत अनुदान एवं सभी वर्गों कृषकों के लिए 05 एचपी सोलर पम्प सिंचाई पम्प हेतु राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा 20-20 प्रतिशत कुल 40 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध काराया जा रहा है।

अब तक प्रदेश में सिंचाई हेतु कुल 10190 नम्बर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा चुकी है। वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में 10000 सोलर सिंचाई पम्पों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसके सापेक्ष स्थापना का कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार द्वारा द्वितीय चरण में अतिरिक्त 10000 नं. सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसकी निविदा इत्यादि की कार्यवाही प्रगति पर है।

मिनीग्रिड सोलर पावर प्लान्ट कार्यक्रम

प्रदेश के ऐसे अविद्युतीकृत ग्राम/मजरे जहाँ विद्युत आपूर्ति सम्भव नहीं है अथवा विद्युत की आपूर्ति अनियमित है, वहाँ मिनीग्रिड सोलर पावर प्लांट के द्वारा विकेन्द्रित प्रणाली के द्वारा घरेलू, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु विद्युत की आपूर्ति की जाती है। प्रदेश में निजी विकास कार्यकर्ताओं द्वारा 64 मिली ग्रिड परियोजनायें राज्य वित्त पोषित 16 मिनीग्रिड परियोजनाओं की स्थापना करायी गयी है।

डिसेन्ट्रालाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन (डी.डी.जी) योजना

प्रदेश के 100 से अधिक की आबादी के रिमोट अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरों जिनमें परम्परागत ग्रिड से विद्युतीकरण सम्भव नहीं है, को ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत संचालित डिसेन्ट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन (डी.डी.जी.) से विद्युतीकरण का कार्य रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन (आरईसी) द्वारा वित्त पोषण के माध्यम से कराया जा रहा है। इस योजना में सौर ऊर्जा के माध्यम से स्टैण्ड-एलोन संयंत्र द्वारा ऊर्जा का उत्पादन कर स्थानीय ग्रिड का निर्माण कर प्रत्येक घर में 90 वॉट का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है जिसमें 02 अदद एलईडी लाइट एवं 01 अदद पंखा हेतु विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत 20 ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष 05 ग्रामों/मजरों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

बायो ऊर्जा कार्यक्रम

भारत सरकार की नेशनल बायोगैस मैन्योर मेनेजमेंट प्रोग्राम (एनबीएमएमपी) योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने हेतु ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु फैमिली साइज बायोगैस संयंत्रों का निर्माण कराया जाता है। योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लिए रु. 9000/- एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रु. 11000/- प्रति संयंत्र की दर से अनुदान देय है। प्रदेश में 3252 बायोगैस संयंत्रों के निर्माण का कार्य कराया गया है।

बायोगैस आधारित पावर जनरेशन कार्यक्रम

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से डेयरी फार्मों में बायोगैस से पावर जनरेशन की योजना संचालित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत डेयरी फार्मों में बायोगैस का निर्माण कर उत्पादित बायोगैस से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। उत्पादित विद्युत का उपयोग डेयरी की विद्युत की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सुगमता से किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा परियोजना हेतु रु. 30,000/- से रु. 40,000/- प्रति कि.वा. की दर से अनुदान दिया जाता है। जिसकी प्रतिपूर्ति लाभार्थियों को परियोजना अधिष्ठापना के पश्चात् किया जाता है। प्रदेश में विभिन्न क्षमता की 55 परियोजनाओं की स्थापना करायी गयी है।

बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपद पीलीभीत, लखीमपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं बहराइच में इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत 8123 सोलर स्ट्रीट लाइट, 1562 सोलर होम लाइट, 1291 सोलर लालटेन, 30 सोलर पेयजल पम्प, 02 सोलर पावर प्लांट, 28.52 कि.मी.सोलर फेन्सिंग, एवं 2 सोलर पम्प की स्थापना करायी गयी है।

स्पेशल एरिया डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम (एस.ए.डी.पी.)

भारत सरकार के सहयोग से अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों पर आधारित ऊर्जा संयंत्रों के वृहद प्रचार-प्रसार हेतु ऐसे स्थलों यथा– अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय महत्त्व के भवनों, स्मारकों, राष्ट्रपति भवन, राज भवनों, धार्मिक स्थलों, पर्यटक स्थलों, सचिवालय परिसरों, सेन्टिनेयरी स्कूलों, कॉलेजों, प्रतिष्ठित एवं वृहद शिक्षण संस्थाओं, राजकीय पार्क, ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों, विज्ञान म्यूजियम तथा कलेक्ट्रेट भवनों इत्यादि जहाँ रोज बड़ी संख्या में दर्शक आते हैं, में योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक प्रदेश के कुल 15 कलेक्ट्रेट भवनों में 83 कि.वा. क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना करायी गयी है।

रिनुएबिल एनर्जी सर्टिफिकेट कार्यक्रम

रिनुएबिल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म के अन्तर्गत रिनुएबिल एनर्जी जेनरेशन प्रोजेक्ट्स के एक्रीडिटेशन हेतु उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को स्टेट एजेंसी नामित किया गया है। प्रदेश में अब तक कुल 69 रिनुएबिल एनर्जी जेनरेटर्स को रिनुएबिल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म के अन्तर्गत एक्रीडिटेशन प्रदान किया गया है। एक्रीडेटेड किये गये समस्त 69 रिनुएबिल एनर्जी जेनरेटर्स की कुल स्थापित क्षमता 1880 मेगावाट है।

ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 में निहित प्रावधानों को उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित कराये जाने हेतु उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को स्टेट डेजिगनेटेड एजेन्सी (एसडीए) नामित किया गया है। एसडीए बनने के उपरान्त यूपीनेडा द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण से संबंधित निम्न गतिविधियाँ संचालित की गयीं :

ऊर्जा संरक्षण पर वर्कशाप का आयोजन

प्रदेश के सभी जनपदों में स्कूलों के माध्यम से छात्रों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करने के दृष्टिगत ''ऊर्जा संरक्षण में शिक्षण संस्थाओं का योगदान'' विषयक 01 जनपद स्तरीय ऊर्जा संरक्षण कार्यशाला आयोजित कराई गयी जिसमें 50 से अधिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही प्रत्येक जनपद के 05 विद्यालयों में ''ऊर्जा संरक्षण में विद्यार्थियों की सहभागिता'' विषयक ऊर्जा संरक्षण गोष्ठी आयोजित कराई गयी है।

डिस्कॉम्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु डिस्कॉम के नियमित गतिविधियों में डिमाण्ड साइड मैनेजमेण्ट कार्यक्रमों को शामिल करने हेतु बीईई द्वारा आयोजित ''कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डिस्कॉम'' कार्यक्रम के अन्तर्गत एसडीए द्वारा फिक्की के सहयोग से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के उच्चाधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु जनपद मुरादाबाद, गाजियाबाद एवं मेरठ में 03 दिवसीय वर्कशाप आयोजित कराई गई एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के उच्चाधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु जनपद वाराणसी में 03 दिवसीय वर्कशाप आयोजित कराई गई।

उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2017

''उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2017'' में प्रदेश के 11 सेक्टर्स जिसमें औद्योगिक इकाइयों, होटल, हास्पिटल, शैक्षिक संस्थानों, बैंक, भवन एवं आर्किटेक्ट्स को शामिल किया गया था। निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 15 नवम्बर 2017 तक कुल 74 प्रतिभागियों से निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त

आंकडों/सूचनाओं के आधार पर सेक्टरवार कुल 33 विजेताओं को ऊर्जा संरक्षण दिवस पर पुरस्कृत किया जाना है।

पेंटिंग प्रतियोगिता एवं वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लूयूपीसेव्सइनर्जी.काम

ऊर्जा संरक्षण के प्रति छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के दृष्टिगत वर्ष 2017 में बीईई द्वारा आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में अभिकरण द्वारा जनपदीय कार्यालयों के सहयोग से 39 लाख से अधिक छात्र/छात्राओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित करायी गयी है जिसके फलस्वरूप इस वर्ष भी प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से स्कूलों के माध्यम से स्कूली बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु अभिकरण द्वारा एनर्जी सेविंग कैम्पेन हेतु बेवसाइट डब्लूडब्लूडब्लूयूपीसेव्सइनर्जी.काम बनाई गयी है जिस पर स्कूलों द्वारा पंजीकरण किया जाना है। पंजीकरण के उपरान्त स्कूलों द्वारा निर्धारित गतिविधियाँ सम्पादित की जानी हैं।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रशिक्षण केन्द्र

घोसी-मऊ एवं कन्नौज में शोध विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इन केन्द्रों में नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों/परियोजना की स्थापना संचालन एवं अनुरक्षण के विषय में दक्षता विकास हेतु विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित किये जा रहे हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, (एमएनआरई) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के माध्यम से सूर्य मित्र सृजन विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम चिनहट, लखनऊ, घोसी मऊ प्रशिक्षण केन्द्र पर संचालित किया जा रहा है। चिनहट एवं घोसी प्रशिक्षण केन्द्र पर कुल 11 सूर्य मित्र सृजन के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। सूर्य मित्र सृजन के प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन आरडीएटी से नामित संस्था से कराकर एनसीवीटी से प्रदत्त सोलर पीवी टेक्नीशियन का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया। सूर्य मित्र सृजन प्रशिक्षण प्राप्त युवकों को सेवायोजित करने हेतु रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 20 फर्मों द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं सूर्य मित्रों को सेवायोजित किया गया, इसके अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों/परियोजना की स्थापना संचालन अनुरक्षण के विषय में दक्षता विकास हेतु विभिन्न स्तरों के 08 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

वर्तमान में वर्ष 2017-2018 में सूर्यमित्र के 02 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं साथ ही राज्य सरकार से प्राप्त सहायता से 04 दिवसीय अक्षय ऊर्जा पर जागरूकता विषयक कार्यक्रम पॉलीटेक्निक अध्यापकों, आईटीआई अध्यापकों, स्वयंसेवी संगठनों, जिला स्तरीय अधिकारियों, विज्ञान अध्यापकों (राजकीय इण्टर कालेजों) एवं इंजीनियरिंग डिग्री धारकों के कुल 06 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उ.प्र. सौर ऊर्जा नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। इसके अनुसार प्रदेश में 10700 मेगावाट की क्षमता की स्थापना का लक्ष्य है। इसमें से 6400 मेगावाट यूटिलिटी ग्रिड संयोजित सौर परियोजना तथा 4300 मेगावाट क्षमता के रूफटाप सोलर पावर प्लांट की स्थापना से प्राप्त की जायेगी।

●

राज्य सड़क परिवहन

परिवहन आयुक्त संगठन का मुख्य कार्य मोटर वाहनों से कर राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा कराना है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये परिवहन एवं संचार की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था आवश्यक तो है ही साथ ही यह प्रदेश वासियों को सुखी एवं समृद्ध जीवनयापन सुलभ कराने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

प्रदेश में मोटरगाड़ियों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि व इनके नियन्त्रण में प्राविधिक ज्ञान की उपयोगिता को देखते हुए वर्ष 1945 में वाहन के संचालन को नियमित करने के उद्देश्य से मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा-133 ''ए'' के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवहन विभाग की स्थापना की गयी। विभाग द्वारा यह भी अनुभव किया गया कि व्यावसायिक वाहनों के आर्थिक एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा आदि के कारण उनके संचालन को नियमित करने हेतु विशेष प्रावधान की आवश्यकता है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मोटरगाड़ी अधिनियम-1939 के अध्याय-4 के क्रियान्वयन हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों का गठन किया गया, जो व्यावसायिक वाहनों के संचालन को नियंत्रित करते हैं।

प्रदेश में आवागमन एवं यातायात-व्यवस्था में होने वाली प्रगति का अनुमान प्रदेश में मोटरगाड़ी उद्योग में वर्षानुवर्ष प्रत्येक क्षेत्र में हो रहे व्यापक विकास एवं नये पंजीकृत मोटर वाहनों एवं मार्गों पर चलने वाले वाहनों की वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही संख्या से लगाया जा सकता है। वर्ष 1991-92 में जहाँ मार्ग पर चालित सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों की संख्या (वर्तमान उत्तराखण्ड राज्य के वाहनों को सम्मिलित करके) 21,51,457 थी और अब (वर्तमान उत्तराखण्ड को छोड़कर) यह संख्या बढ़कर जनवरी, 2018 तक 2,76,45,395 हो गयी है। इस प्रकार विगत छब्बीस वर्षों में इनकी संख्या में लगभग तेरह गुने की वृद्धि हुई है।

यह भी एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि परिवहन आयुक्त संगठन का मुख्य कार्य राजस्व प्राप्ति है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रु0 5124.00 करोड़ के सापेक्ष रु0 5148.32 करोड़ का राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है। वर्ष 2017-18 हेतु राजस्व अर्जन के लिए रु0 5481.20 करोड़ पुनरीक्षित रु0 6400.00 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष माह जनवरी, 2018 तक रु0 5195.65 करोड़ का राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा कराया जा चुका है। आय–व्ययक वर्ष 2018-19 हेतु रु0 7400.00 करोड़ का राजस्व अर्जन के लिए निर्धारित किया गया है।

प्रशासन की दृष्टि से विभाग को 6 जोन, 19 सम्भागों एवं 75 उपसंभागों में बाँटा गया है। जोन स्तर पर उप परिवहन आयुक्त का पद सृजित है एवं सम्भागों के स्तर पर सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक नियन्त्रण रखा जाता है। उप संभागों पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का संगठन प्रशासन हेतु उत्तरदायी है। प्रत्येक 2 जोन पर एक अपर परिवहन आयुक्त भी नियुक्त हैं।

चालक एवं परिचालक लाइसेंस का निर्गमन

चालकों एवं परिचालकों को लाइसेन्स देने का कार्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की क्रमशः धारा-9 एवं धारा-30 के अन्तर्गत लाइसेन्सिग अधिकारी द्वारा किया जाता है। चालकों/परिचालकों को लाइसेंस देने का यह अधिकार संभागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को प्रदत्त है। संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अधिकृत किए जाने पर यह कार्य सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा भी किया जा सकता है।

- चालक लाइसेन्स लेने से पहले प्रार्थी को लर्निंग लाइसेन्स लेना होता है जो 6 माह की अवधि का होता है तथा सम्पूर्ण भारत के लिये वैध होता है। लर्निंग लाइसेन्स की वैधता की अवधि के अन्दर अभ्यर्थी को मोटरगाड़ी चलाने का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना होता है। लर्निंग लाइसेंस जारी होने के कम से कम 30 दिनों के बाद ही स्थाई लाइसेंस हेतु आवेदन किया जा सकता है। इसके पश्चात् प्रार्थनापत्र देने पर लाइसेन्सिंग अधिकारी द्वारा उसकी परीक्षा ली जाती है और उपयुक्त पाये जाने पर ड्राइविंग लाइसेन्स जारी कर दिया जाता है।
- परिचालकों को लाइसेन्स जारी करने की प्रक्रिया का विवरण मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय-3 एवं उ0प्र0 मोटर यान नियमावली, 1998 के अध्याय-3 में दिया गया है।
- वर्तमान में चालकों/परिचालकों के लाइसेन्स के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के सुविधार्थ प्रत्येक कार्यालय में वृहत् सूचनापट लगाये गये हैं, साथ ही रोड ट्रैफिक सिग्नल की जानकारी हेतु भी प्रत्येक कार्यालय में ट्रैफिक निशानों को चित्रित किया गया है।

वाहन-पंजीयन एवं स्वस्थता-प्रमाणपत्र का निर्गमन

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-39 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक मोटरगाड़ी को प्रयोग में लाने से पूर्व पंजीकृत कराना आवश्यक है। ट्रान्सपोर्ट गाड़ियों का पंजीयन उस समय तक वैध नहीं माना जाता जब तक कि गाड़ी को विधिवत स्वस्थता-प्रमाणपत्र धारा-56 के अन्तर्गत फार्म-38 में प्राप्त नहीं हो जाता है। प्रदेश के समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) तथा संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) मोटर गाड़ियों के पंजीयन के लिए पंजीयन अधिकारी हैं।

- **संभाग/उपसंभाग में गाड़ियों का निरीक्षण–** गाड़ियों के निरीक्षण के लिए संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) नियुक्त हैं। नई ट्रान्सपोर्ट गाड़ियों को प्रथम बार पंजीयन–तिथि से दो वर्ष की अवधि का स्वस्थता–प्रमाण पत्र दिया जाता है और उसके पश्चात् उसके स्वस्थता–प्रमाणपत्र का नवीनीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।
- सरकारी गाड़ियों का क्रय, रख–रखाव, मरम्मत, निष्प्रयोज्य घोषित करने व नीलामी संबंधी कार्य जो मुख्यालय में उप परिवहन आयुक्त (प्राविधिक) की देख–रेख में किया जाता था, का विकेन्द्रीकरण किया जा चुका है और अब परिवहन आयुक्त कार्यालय में विशेष मामले ही सन्दर्भित करने की आवश्यकता रह गयी है।
- वाहनों को स्वस्थता–प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व उनकी प्रदूषण मानकों के अन्तर्गत जॉच करके उन्हें प्रदूषणमुक्त होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके लिए विभाग द्वारा जनपदीय

कार्यालयों को स्मोक–डेंस्टीमीटर एवं गैस–एनालाइजर्स उपलब्ध कराये गये हैं।

- **मोटर वाहनों पर पंजीयन-चिह्नों का प्रदर्शन –** सामान्यतः यह पंजीयन-चिह्न राज्य एवं पंजीयन-अधिकारी कोड प्रथम पंक्ति में तथा दूसरा भाग उसके ठीक नीचे वाली पंक्ति में प्रदर्शित किए जाने चाहिए। मोटरकारों आदि में वाहन के मध्य में आगे व पीछे सादी प्लेट पर मध्य में पंजीयन-चिह्न प्रदर्शित किए जाने चाहिए।
- परिवहन वाहन में पहचान- चिह्न वाहन में बाडी के दाहिनी और बाईं ओर पेण्ट करके प्रदर्शित किया जाएगा।
- परिवहन वाहन में यदि वाहन, यात्री वाहन स्टेज या कान्ट्रैक्ट कैरिज है, तो ड्राइवर और पैसेन्जर के बीच स्थापित पार्टीशन में पंजीयन-चिह्न यात्रियों की ओर प्रदर्शित होना चाहिए। यदि पार्टीशन उपलब्ध नहीं है तो ऐसी दशा में ड्राइवर-सीट के बाईं ओर बाडी के अन्दर रूफ पर अन्दर ऊपर की ओर प्रदर्शित होना चाहिए। यदि वाहन मोटरकैब मैक्सीकैब है, तो ऐसी दशा में पंजीयन-चिह्न डैश बोर्ड पर प्रदर्शित होना पर्याप्त है।
- ऐसी परिवहन गाड़ी जिसमें एक या अधिक ट्रेलर हों तो अन्तिम ट्रेलर पर प्लेन प्लेट सर्फेस पर पंजीयन-चिह्न प्रदर्शित किया जाएगा। मोटरसाइकिल में आगे की ओर प्रदर्शित पंजीयन-चिह्न वाहन के ऊपर जिसमें मडगार्ड भी शामिल है, पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए, न कि पृथक पट्टिका पर।
- भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली-1989 के नियम-50 के अन्तर्गत वाहनों के रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट में परिवर्तन करते हुए कलर स्कीम तथा अति सुरक्षा पंजीकरण प्लेट का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार विद्यमान नम्बर प्लेटों में प्राइवेट वाहनों के लिए सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से नम्बर लिखे जाने हैं एवं अन्य दशाओं में पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग के अंक व अक्षर होंगे।

मोटर दुर्घटनाओं में आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा-8 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली-1998 के नियम-30 एवं 31 में किये गये प्रावधान के अनुसार किसी ''सार्वजनिक यान'' (इसके अन्तर्गत ऐसा कोई मोटर यान अभिप्रेत है, जिसका उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करने के लिए किया जाता है या जिसे उपयोग के अनुकूल बना लिया गया है तथा इसके अन्तर्गत बड़ी टैक्सी, मोटर टैक्सी, ठेकागाड़ी और मंजिली गाड़ी भी सम्मिलित है) से दुर्घटना होने की दशा में पीड़ित यात्री या अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकारी को राहत देने हेतु जिस जिला मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में दुर्घटना हुई हो, उस जिले के जिलाधिकारी राहत के लिए व्यक्तियों की हकदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यथासाध्य किसी ऐसे अधिकारी से जाँच करायेगा, जो सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो एवं राहत की धनराशि के आवंटन के संबंध में अपनी स्पष्ट संस्तुति परिवहन आयुक्त को उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1560/30-4-09-167-91टीसी, दिनांक 31-08-09 जो दिनांक 28-10-09 से प्रभावी है, के द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली-1998 में किये गये संशोधन एवं प्रख्यापित की गयी उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (छठवां संशोधन) नियमावली,

2009 के नियम-30 की अनुसूची के अनुसार यात्री अथवा अन्य व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने या अंग क्षति होने की दशा में अलग-अलग दर से सहायता राशि देय होती है। उदाहरणार्थ-

(क)	यात्री की मृत्यु की दशा में	रु0 40,000/-
(ख)	यात्री की दशा में ऐसी पूर्ण स्थायी निःशक्तता जो नियोजन उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में रोक उत्पन्न करे।	रु0 40,000/-
(ग)	अन्य व्यक्ति की मृत्यु की दशा में	रु0 10,000/-
(घ)	अन्य व्यक्ति की दशा में ऐसी पूर्ण स्थायी निःशक्तता जो नियोजन उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में रोक उत्पन्न करे।	रु0 10,000/-

दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही सम्बन्धित जिलाधिकारी को जिसकी अधिकारिता में घटना घटित हुई हो, दुर्घटना की जाँच कराकर चेक लिस्ट के अनुसार बिन्दुवार जाँचाख्या जिसमें मृतकाश्रितों के स्पष्ट नाम/पते व घायलों की हुई अंगक्षति के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाणपत्र के आधार पर देय आर्थिक सहायता की स्पष्ट संस्तुति हो, माँगी जाती है।

- सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी संस्तुतियाँ परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जाती हैं। पूर्ण जाँचाख्या प्राप्त होते ही परिवहन आयुक्त कार्यालय स्तर पर अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) द्वारा राहत की धनराशि स्वीकृत की जाती है एवं सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट इसे स्वीकृत, आहरित और राहत के हकदार व्यक्तियों के मध्य वितरित करवाते हैं।

रेडियो टैक्सी योजना का संचालन

रेडियो टैक्सी योजना के लागू होने से इन शहरों के नागरिक, विभिन्न सेवा प्रदाता कम्पनियों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत संचालित उत्तम प्रबन्धन से युक्त वातानुकूलित, आरामदायक रेडियो टैक्सी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। रेडियो टैक्सी सेवा प्रदाता के निर्धारित फोन नम्बरों पर रात या दिन किसी भी समय वांछित स्थान पर किराये पर रेडियो टैक्सी बुलायी/बुक करायी जा सकती है।

यात्रियों को रेडियो टैक्सी सेवा रात व दिन प्रत्येक समय उपलब्ध होगी। रेडियो टैक्सी के रूप में संचालित वाहन नई एवं जीपीएस/जीपीआरएस तकनीकी से युक्त होंगी, ताकि वह यात्रियों की सुरक्षा और आराम को सुनिश्चित करने के लिए रियल टाइम में प्रबन्धक/संचालक द्वारा मानीटर की जा सके। यह टैक्सियाँ सुसंस्कृत व्यवहार हेतु प्रशिक्षित सभ्य चालकों द्वारा चालित होंगी और इनकी व्यक्गित पृष्ठभूमि और पात्रताओं का पुलिस द्वारा सत्यापन किया जायेगा।

यान के डैशबोर्ड पर चालक/परिचालक का फोटो तथा उनके सम्पूर्ण विवरण मोबाइल नम्बर सहित प्रदर्शित किया जायेगा। किराये के भुगतान हेतु मूल स्थान से गन्तव्य तक प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया आगणन करने हेतु इनमें इलेक्ट्रानिक किराया मीटर लगे होंगे।

वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियन्त्रण

देश में बढ़ते वाहनों की संख्या तथा उनसे उत्पन्न वायुमण्डलीय प्रदूषण विगत कतिपय वर्षो से विकराल रूप धारण कर रहा है। इस समस्या के महत्त्व को समझते हुए केन्द्र सरकार द्वारा मोटर यान

अधिनियम, 1988 में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहनों को एक अपराध के रूप में स्वीकारते हुए इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई नियमावली में प्रदूषण-नियन्त्रण हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है।

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली से सड़क सुरक्षा स्कीम के अन्तर्गत प्रदेश में बढ़ते वायु प्रादूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नये मानक के प्रदूषण मापी यन्त्र वित्तीय वर्ष 2008-09 में 41 स्मोक मीटर व 41 गैस एनालाइजर, वित्तीय वर्ष 2010-2012 के मध्य 34 स्मोक मीटर व 34 गैस एनालाइजर कुल 75 स्मोक मीटर व 75 गैस एनालाइजर प्राप्त हुए, जिसे भारत सरकार की मन्शा के अनुरूप प्रदेश के समस्त संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालयों में सभी प्रकार के वाहनों की जाँच कर प्रदूषण कार्यालय के पत्र दिनांक 21.01.2013 द्वारा संशोधित दरों पर प्रदूषणमुक्त प्रमाण पत्र जारी किये जाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015-16 में 10 बोलेरो वाहनों में 04 गैस एनालाइजर प्रदूषण जाँच सयंत्र लगाकर तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 09 बोलेरो वाहनों में 04 गैस एनालाइजर प्रदूषण जाँच सयंत्र लगाकर प्रदेश के 19 परिवहन अधिकारियों को चेकिंग के दौरान वाहनों का उत्सर्जन मानक जाँच करने तथा प्रदूषण निर्धारित मानक से अधिक पाये जाने पर उन वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

मोटर यानों के कर आरोपण की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा-2 के खण्ड (ज्ञ) के अनुसार परिवहन यान से तात्पर्य किसी माल यान या लोक सेवा यान से है। तदनुसार उक्त अधिनियम के प्राविधानानुसार शैक्षणिक संस्था के नाम से पंजीकृत यान कराधान के उद्देश्य से गैर परिवहन यान की श्रेणी में जाता है। इस प्रकार शैक्षणिक संस्था के नाम पंजीकृत मोटरयानों के संदर्भ में उक्त अधिनियम की धारा-(4) की उपराधारा- (1) के अनुसार केवल एक बारीय कर जमा करने की व्यवस्था है। स्कूल एवं फैक्ट्री में अनुबन्धित होकर चलने वाले यानों से देय एक बारीय कर में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है।

अभी तक उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली 1998 के अन्तर्गत समय-समय पर संशोधन किये गये हैं। इसी क्रम में वर्ष 2015 में संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा गैर परिवहन यानों के पुनः पंजीयन के समय ग्रीन टैक्स (हरित कर) जमा कराये जाने का प्रावधान किया गया है। ग्रीन टैक्स की दर ऐसे यान के पंजीयन के समय देय एकबारीय कर का 10 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। पुनः वर्ष 2015 में ही गैर परिवहन यानों पर आरोपित किये जाने वाले कर की दरों में भी संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार रु0 40000 तक मूल्य वाली मोटर साइकिलों पर उनके मूल्य का 7 प्रतिशत, रु0 40000 से अधिक मूल्य की मोटरसाइकिलों पर उनके मूल्य का 10 प्रतिशत, अन्य गैर वातानुकूलित वाहनों पर उनके मूल्य का 7 प्रतिशत, रु0 10 लाख तक के वातानुकूलित वाहनों पर उनके मूल्य का 8 प्रतिशत, रु0 10 लाख से अधिक के वातानुकूलित वाहनों पर उनके मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया है। इसके साथ ही यदि ऐसे गैर परिवहन यान विद्युत बैटरी अथवा सोलर पॉवर से चालित हैं, तो उन्हें भी कर में छूट प्रदान की गयी है।

परिवहन विभाग की महत्त्वपूर्ण योजनायें

प्रदेश के परिवहन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण– प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 77 परिवहन कार्यालय (19 संभागीय परिवहन कार्यालय, 56 उप संभागीय परिवहन कार्यालय, 01 लखनऊ आर0टी0ओ0 कार्यालय का महानगर विस्तार पटल व 01 वाराणसी कार्यालय का सांस्कृतिक संकुल

भवन विस्तार पटल कार्यालय तथा 01 परिवहन आयुक्त मुख्यालय का एस.टी.ए. अनुभाग) कम्प्यूटरीकृत हो चुके हैं।

''वाहन साफ्टवेयर'' के माध्यम से वाहनों का पंजीयन कार्य, स्वस्थता प्रमाण–पत्र निर्गत करने का कार्य, करों का भुगतान तथा परमिट जारी किये जाने का कार्य किया जाता है, वहीं ''सारथी साफ्टवेयर'' के माध्यम से स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने का कार्य सम्पादित किया जाता है।

स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेन्स योजना

- स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस ''सारथी'' साफ्टवेयर पर आधारित है, जिसे एनआईसी ने तैयार किया है। आवेदकों के बायोमैट्रिक कैप्चरिंग, डाटा फीडिंग एवं स्मार्ट कार्ड प्रिन्टिंग का कार्य कराने हेतु भारत सरकार की संस्था नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इनकार्पेरिटड (निक्सी) के साथ दिनांक 08.11.2012 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया।
- 09 जनवरी 2013 को संभागीय परिवहन कार्यालय, लखनऊ में योजना का शुभारंभ कर चरणवार ढंग से जून, 2013 तक सभी परिवहन कार्यालयों में लागू किया गया।
- वर्तमान में प्रदेश स्तर पर प्रतिमाह औसतन 02 लाख स्मार्टकार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो रहे हैं।
- कार्य आरम्भ (जनवरी, 2013) से जनवरी, 2018 तक लगभग 111 लाख स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये गये हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन व फीस पेमेन्ट की व्यवस्था

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ जनपद में सफल क्रियान्वयन के पश्चात दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से रायबरेली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, बाँदा, बलिया व सोनभद्र को छोड़कर प्रदेश के शेष सभी 69 जनपदों में लागू किया गया।
- अब जन-सामान्य को आवेदन करने व फीस जमा करने हेतु कार्यालय में पंक्ति में खड़े होने की आवश्यकता नहीं रह गयी है, वे अपनी सुविधानुसार आवेदन व फीस आनलाइन जमा कर सकते हैं।

कम्प्यूटराइज्ड लर्नर लाइसेंस टेस्ट की व्यवस्था

- ''मैन्युअल टेस्ट व्यवस्था'' को समाप्त कर कम्प्यूटराइज्ड लर्नर लाइसेंस टेस्ट की व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ जनपद में लागू किए जाने के पश्चात 01अक्टूबर, 2016 से प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में प्रारम्भ की गयी है।
- इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य : लर्नर लाइसेंस टेस्ट प्रणाली में पारदर्शिता लाना तथा लाइसेंस आवेदकों में यातायात एवं सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की 'पर्याप्त जानकारी व समझ' का परीक्षण करना है।

नए निजी वाहनों के पंजीयन हेतु ऑनलाइन डीलर प्वाइन्ट रजिस्ट्रेशन योजना

- निजी वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सरल, सुगम एवं त्वरित बनाये जाने के दृष्टिगत ऑनलाइन डीलर प्वाइन्ट रजिस्ट्रेशन योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मई 2014 से 14 जनपदों में प्रारम्भ की गयी, तत्पश्चात् मई 2015 से प्रदेश के समस्त जनपदों में शत-प्रतिशत लागू की गई है।

- नयी व्यवस्था में वाहन क्रेताओं को वाहन पंजीयन हेतु आरटीओ ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं रह गयी है।
- अब डीलर द्वारा संबंधित वेब पोर्टल पर भी पंजीयन संबंधी डाटा फीडिंग एवं टैक्स पेमेन्ट लेने के कारण वाहनों के पंजीयन में लगने वाले समय में अपेक्षाकृत कमी आयी है।

वाहनों के अति महत्त्वपूर्ण पंजीयन नम्बर की आनलाइन बुकिंग की व्यवस्था

- उक्त व्यवस्था पूरे प्रदेश में मई, 2014 से लागू की गयी है। किसी भी वीआईपी पंजीयन नम्बर की मैन्युअल बुकिंग नहीं हो रही है।
- जनवरी, 2018 तक प्रदेश में 55042 व्यक्तियों द्वारा वीआईपी पंजीयन नम्बर बुक कराया गया है, जिससे राज्य सरकार को बिना विलम्ब सीधे अपने खाते में लगभग रु0 20.82 करोड़ राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ है।

आनलाइन टैक्स पेमेन्ट व्यवस्था

- अन्य प्रदेशों में पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों के लिए ऑनलाइन टैक्स पेमेन्ट की व्यवस्था क्रमशः अप्रैल, 2012 तथा नवम्बर, 2013 से लागू की गयी।
- टैक्स जमा करने के लिए आरटीओ/एआरटीओ कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है।

लिगेसी डाटा डिजिटाइजेशन

पंजीयन प्रमाण पत्र

- उक्त कार्य कुल 71 जनपदों में फरवरी 2013 से प्रारम्भ किया गया। प्रतापगढ़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद तथा मथुरा को छोड़कर शेष 67 जनपदों में कार्य पूर्ण हो गया है। जिसमें लगभग 71 लाख पंजीयन डाटा का डिजीटाइजेशन किया गया है।

ड्राइविंग लाइसेंस

- स्मार्टकार्ड ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटाइजेशन का कार्य प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अक्टूबर 2014 से प्रारम्भ किया गया। अब तक लगभग 111 लाख डाटा का डिजीटाइजेशन किया गया है।
- परिवहन हेल्पलाइन में एक माह में औसतन 8000 कॉल्स प्राप्त हो रहे हैं तथा लगभग 400 कम्प्लेन्ट्स दर्ज हो रही हैं, जिसका समाधान समय से किया जा रहा है।

मोबाइल एप्प बेस्ड ई-चालान व्यवस्था

- मैन्युअल पेपर-बेस्ड चालान व्यवस्था को समाप्त करते हुए मोबाइल एप्प के माध्यम से वाहनों के चालान की नयी व्यवस्था।
- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ व नोएडा में 19 मार्च, 2017 से पूर्व प्रारम्भ की गयी किन्तु पूरे प्रदेश में क्रियान्वयन शत-प्रतिशत लागू किया गया है।
- उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर एनआईसी द्वारा बनाये गये मोबाइल एप्प बेस्ड ई-चालान व्यवस्था की शुरूआत की गयी है।

विशेषताएं

(i) एप्प के माध्यम से ही मोटर वाहन से सम्बन्धित अभियोग का आरोपण तथा पेनाल्टी का आगणन किया जाना।

(ii) वाहन संख्या दर्ज करते ही वाहन के नेशनल रजिस्टर डाटाबेस से वाहन का पूर्ण विवरण स्वतः प्राप्त करने की व्यवस्था।

(iii) वाहन एवं वाहन चालकों का चालान होने पर उनसे सम्बन्धित अभियोग की 'नेशनल डाटाबेस' में स्वतः दर्ज होने की व्यवस्था।

(iv) वाहन स्वामी अथवा चालकों को भी अपने चालान से सम्बन्धित विवरण को ई-चालान वेबसाइट www.echallanweb.gov.in पर देखने की व्यवस्था।

वेबबेस्ड वाहन 4.0 ट्रान्सपोर्ट एप्लीकेशन व्यवस्था

भारत सरकार के निर्देश पर 'मिशन मोड प्रोजेक्ट' के अन्तर्गत वाहनों के पंजीयन व्यवस्था को पूरे देश के लिए एक प्लेटफार्म पर लाए जाने के उद्देश्य से ''वन नेशन-वन आरटीओ'' की संकल्पना पर एनआइसी द्वारा 'वेबबेस्ड वाहन 4.0 ट्रान्सपोर्ट एप्लीकेशन सिस्टम तैयार किया गया है।

वेबबेस्ड वाहन 4.0 ट्रान्सपोर्ट एप्लीकेशन व्यवस्था का लाभ

(i) वाहन पंजीयन की सूचना एस.एम.एस. के माध्यम वाहन स्वामी को उपलब्ध कराने की सुविधा।

(ii) चोरी के वाहनों अथवा पंजीयन निरस्त वाहनों के विवरण को रियल टाइम पर ट्रैक करने की सुविधा।

(iii) जनसामान्य को परिवहन विभाग की ज्यादा से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से दिए जाने की सुविधा।

(iv) वाहन के संदर्भ में टैक्स/फिटनेस/परमिट आदि की रिपोर्ट रियल टाइम पर कभी भी व कहीं से भी प्राप्त करने की सुविधा।

वाहन 4.0 द्वारा आम जनमानस को प्रदान की जा रही ऑनलाइन सेवायें निम्नवत हैं :

(i) नये वाहनों का रजिस्ट्रेशन (डीलर प्वाइंट पर)

(ii) पता परिवर्तन

(iii) डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण-पत्र

(iv) स्वामित्व अंतरण

(v) हाइपोथिकेशन एडीशन व डिलीशन

(vi) एनओसी

(vii) आर0सी0 पर्टिकुलर

(viii) अस्थायी परमिट

(ix) वाहनों का टैक्स पेमेंट

(x) एप्लीकेशन स्टेटस देखने की सुविधा

वेबबेस्ड सारथी 4.0 ट्रान्सपोर्ट एप्लीकेशन व्यवस्था

- 'वेबबेस्ड वाहन 4.0 की ही भाँति वेबबेस्ड सारथी 4.0 व्यवस्था के तहत पूरे देश के लिए ''एकीकृत

ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली'' बनायी गयी है, जिसके प्रमुख लाभ निम्नवत् है :

(i) ड्राइविंग लाइसेंस की डुप्लीकेसी तथा निलम्बित या निरस्त लाइसेंस को ट्रैक करने की सुविधा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन, फीस-पेमेन्ट व टाइम स्लॉट बुकिंग के साथ-साथ आयु व पते के प्रमाणपत्र, फोटो तथा हस्ताक्षर को ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा।

(iii) लर्नर लाइसेंट टेस्ट उत्तीर्ण करने पर आरटीओ ऑफिस से लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी, बल्कि आवेदक वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नम्बर व जन्मतिथि डालकर लर्नर लाइसेंस स्वयं प्रिन्ट कर सकेंगे।

- सारथी 4.0 के नए वर्जन का क्रियान्वयन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 29.11.2017 से बाराबंकी कार्यालय में प्रारम्भ किया गया तथा लखनऊ टीपीनगर, लखनऊ देवारोड, हरदोई, बागपत, रायबरेली, इटावा, उन्नाव, महाराजगंज, कौशाम्बी, सिद्धार्थनगर, औरैया, ललितपुर, भदोही कार्यालय में किया जा चुका है तथा प्रदेश के शेष परिवहन कार्यालयों में क्रियान्वयन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश के सभी प्रदूषण जाँच केन्द्रों को एकीकृत वेबप्लेटफॉर्म से जोड़ना

- प्रदेश में लगभग 1400 प्रदूषण जाँच केन्द्र हैं। इन केन्द्रों द्वारा वाहनों के प्रदूषण की जाँच कर प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं।
- इस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने तथा रियल टाइम पर प्रदूषण जाँच केन्द्रों द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रमाण पत्रों को जानने के उद्देश्य से प्रदूषण जॉच केन्द्रों के लिए एक एकीकृत वेबप्लेटफार्म विकसित कराये जाने की योजना है।

प्रदेश के सभी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को एकीकृत वेबप्लेटफॉर्म से जोड़ना

- प्रदेश के ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को मान्यता संबंधित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) के द्वारा प्रदान की जाती है।
- इन ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को मान्यता देने की व्यवस्था तथा इन केन्द्रों द्वारा ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट निर्गत किये जाने के कार्य में पारदर्शिता लाने तथा रियल टाइम पर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रमाण पत्रों की स्थिति जानने के उद्देश्य से ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के लिए एक एकीकृत वेबप्लेटफार्म विकसित कराये जाने की भी योजना है।

रोड सेफ्टी सेल का गठन

सड़क सुरक्षा का मामला सामान्य जनता से जुड़ा होने के कारण सरकार की प्राथमिकताओं में है। आंकडों से स्पष्ट है कि वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटनाओं तथा दुर्घटनाओं में मृतकों व घायलों की संख्या में बढ़ोत्तरी तो हुई है किन्तु 2015-16 की तुलना में वृद्धि का ग्राफ कम हुआ है। इस स्थिति के प्रति प्रदेश सरकार पूर्णतया जागरूक है तथा राज्यस्तरीय एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कृतसंकल्पित है।

सड़क सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार के आर्थिक सहायता से जनपद रायबरेली में

इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सेन्टर निर्माणाधीन है एवं भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से जनपद लखनऊ में वाहनों की स्वस्थता की समुचित जांच हेतु मॉडल इन्स्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेन्टर निर्माणाधीन है, जिसके शीघ्रातिशीघ्र क्रियाशील हो जाने की आशा है। सड़क सुरक्षा कोष से बरेली एवं कानपुर नगर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना पूर्ण हो गयी है, जिसका लोकापर्ण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है।

सड़क सुरक्षा योजना के अंतर्गत रोड सेफ्टी फण्ड का गठन

प्रदेश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारण इस पर अंकुश लगाने के लिये वर्ष 2014 में सड़क सुरक्षा नीति बनाया गया एवं साथ ही साथ उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष नियमावली वर्ष 2014 में बनायी जा चुकी है। इस नियमावली में किये गये प्रावधान के अनुसार पुलिस एवं परिवहन विभाग मोटर यान से सम्बंधित विभिन्न अपराधों में 50 प्रतिशत भाग-बजटरी माध्यम से सड़क सुरक्षा कोष में क्रेडिट किये जाने का नियम है और कोष के संचालन के लिये मा0 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो नियमावली में विभिन्न क्रियाकलापों में व्यय की जाने वाली राशि का अनुमोदन प्रदान करती है और तदनुसार व्यय सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश में सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों के सम्यक संचालन एवं उच्चाधिकार प्राप्त समिति (वर्ष 2015 में अलग से अधिसूचना द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित) के सचिवालय के रूप में परिवहन आयुक्त कार्यालय में रोड सेफ्टी सेल का गठन किया गया है।

सड़क सुरक्षा कोष से कराये गये विभिन्न प्रकार के कार्य

प्रदेश में सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम हेतु विभाग में एक योजना संचालित है। इस योजना के अंतर्गत विज्ञापन, साहित्य, सेमिनार, वाद-विवाद प्रतियोगिता, खेल-कूद का कार्यक्रम, चित्रकला, निबन्ध प्रतियोगिता आदि के माध्यम से जन साधारण को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में अवगत कराया जाता है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके तथा सड़क परिवहन जनसामान्य हेतु सहज हो। परिवहन विभाग के 58 उप संभागीय एवं 19 संभागीय परिवहन कार्यालयों के माध्यम से इस योजना का संचालन किया जाता है। सड़क जागरूकता अभियान संबंधी योजना के सफल संचालन हेतु प्रदेश के समस्त 75 जनपदों को आवंटित उक्त धनराशि आवंटित की गयी है।

●

नागरिक उड्डयन

इतिहास

राज्य में उड्डयन निदेशालय की स्थापना वस्तुतः सन् 1975 में की गयी थी। शासनादेश दिनांक 08 जून, 2001 द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग का पुनर्गठन हुआ, जिसके अन्तर्गत विभाग को अलग-अलग निम्न इकाइयों में पुनर्गठित कर दिया गया :

1. परिचालन इकाई।
2. अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई।
3. उ0प्र0 उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर।

मुख्य कार्यकलाप

नागरिक उड्डयन विभाग का मुख्य कार्य शासकीय उड़ान प्रतिबद्धताओं को पूरा करना, एविएशन संबंधी बुनियादी ढाँचे का निर्माण/विकास करना तथा एविशन के क्षेत्र में दक्ष श्रमशक्ति सुनिश्चित करना और राज्य की उड्डयन संबंधी नीति निर्धारित करना है।

शासकी उड़ान प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु वर्तमान में नागरिक उड्डयन विभाग की फ्लीट में निम्नलिखित 03 वायुयान तथा 03 हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं :

वायुयान (फिक्स्ड विंग)

1. हॉकर 900 एक्स0पी0 क्रय वर्ष 2009
2. सुपर किंग एयर बी-200 क्रय वर्ष 2003
3. किंग एयर बी-200 जी0टी0 क्रय वर्ष 2015

हेलीकॉप्टर (रोटर विंग)

1. बेल-412 ई0पी0 क्रय वर्ष 2008
2. अगुस्ता ग्रैण्ड क्रय वर्ष 2010
3. बेल-412 ई0पी0आई0 क्रय वर्ष 2016

उक्त फ्लीट उन्नत तथा आधुनिक विमानों से सुसज्जित है। सभी विमानों के संचालन तथा अनुरक्षण हेतु नागरिक उड्डयन विभाग आत्मनिर्भर है।

एविएशन ढाँचा

प्रदेश में एविएशन ढाँचे के अन्तर्गत लखनऊ तथा वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं तथा प्रदेश के 08 स्थानों जैसे- गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर नगर (चकेरी), सहारनपुर

(सरसावा), बरेली, गाजियाबाद (हिण्डन) तथा लखनऊ (बक्शी का तालाब) में भारतीय वायुसेना के अधीन हवाई अड्डे हैं।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में 17 हवाई पट्टियाँ राज्य सरकार द्वारा निर्मित की गई हैं :

1. अम्बेडकरनगर, 2. गाजीपुर, 3. सुल्तानपुर, 4. अलीगढ़, 5. मेरठ, 6. फर्रूखाबाद, 7. अयोध्या, 8. कुशीनगर, 9. सोनभद्र, 10. खीरी, 11. श्रावस्ती, 12. मुरादाबाद, 13. इटावा, 14. आजमगढ़, 15. झाँसी, 16. चित्रकूट, 17. कानपुर देहात।

एविएशन के क्षेत्र में दक्ष श्रमशक्ति सुनिश्चित करना

नागरिक उड्डयन विभाग के अधीन लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्रियाशील है। इंस्टीट्यूट द्वारा एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स इंजीनियरिंग का त्रिवर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण मैकेनिकल स्ट्रीम तथा एवियानिक्स स्ट्रीम में प्रदान किया जा रहा है। जुलाई, 2017 से हेलीकॉप्टर स्ट्रीम तथा पावरप्लान्ट स्ट्रीम के पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तावित योजनाएँ

नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित चालू योजनाओं को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है :

क्र. सं.	जनपद	परियोजना का नाम	लागत (रुपये करोड़)	अभ्युक्ति
1.	लखनऊ	लखनऊ एयरपोर्ट के विकास/ विस्तार हेतु भूमि क्रय	480.00	इन योजनाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा केवल भूमि उपलब्ध कराया जाना है जबकि निर्माण कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाना है।
2.	गाजियाबाद	हिन्डन एयरबेस पर सिविल इन्क्लेव की स्थापना तथा सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था।	0.8413 (वार्षिक लीज रेन्ट)	
3.	प्रयागराज	1. प्रयागराज सिविल इन्क्लेव की स्थापना हेतु भूमि क्रय।	289.00	
		2. प्रयागराज एयरपोर्ट पर कैट-1 आई0एल0एस0 की स्थापना हेतु भूमि क्रय।	214.59	
4.	कापनुर नगर	कानपुर नगर में सिविल इन्क्लेव की स्थापना हेतु भूमि क्रय।	82.24	
5.	आगरा	आगरा में सिविल इन्क्लेव की स्थापना हेतु भूमि क्रय।	153.67	
6.	बरेली	बरेली में सिविल इन्क्लेव की स्थापना हेतु भूमि क्रय।	60.89	
7.	कुशीनगर	कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण।	199.42	

8. चित्रकूट	चित्रकूट हवाई पट्टी का विस्तारीकरण।	92.66
9. कानपुर देहात	नई हवाई पट्टी का निर्माण	118.92

जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना

राज्य सरकार द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना प्रस्तावित की गई है। एयरपोर्ट स्थापना हेतु नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार से साईट क्लीयरेन्स तथा गृह मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय की अनापत्ति प्राप्त हो गयी है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा परियोजना के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन भी प्रदान किया गया है। इस निमित्त टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी करा ली गई है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया/कार्यवाही समानान्तर रूप से की जा रही है और इस हेतु Social Impact Assessment Study करा ली गई है और स्टडी के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समूह का गठन हो गया है। समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त भूमि अधिग्रहण/क्रय का कार्य वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जाना प्रस्तावित है।

विभाग की नीति

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागर विमानन नीति-2016 के तहत 'रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम' आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत आम जनसामान्य को रियायती दरों पर उड़ान सेवा का लाभ उपलब्ध कराया जाना है। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को प्रदेश में बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 जारी की गई है। उक्त नीति के अन्तर्गत प्रदेश में एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रियायतें/प्रोत्साहन प्रदान किये गये हैं। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत प्रदेश के 11 एयरपोर्ट- 1. आगरा, 2. कानपुर, 3. प्रयागराज, 4. अलीगढ़, 5. आजमगढ़, 6. बरेली, 7. मुरादाबाद, 8. म्योरपुर (सोनभद्र), 9. चित्रकूट, 10. झाँसी, 11. श्रावस्ती तथा 27 एयररूट- 1. आगरा-जयपुर, 2. कानपुर-दिल्ली, 3. लखनऊ-ग्वालियर, 4. दिल्ली-कानपुर-वाराणसी, 5. आगरा-दिल्ली, 6. अलीगढ़-लखनऊ, 7. आजमगढ़-लखनऊ, 8. बरेली-दिल्ली, 9. बरेली-लखनऊ, 10. चित्रकूट-लखनऊ, 11. झाँसी-लखनऊ, 12. मुरादाबाद-लखनऊ, 13. म्योरपुर-लखनऊ, 14. श्रावस्ती-लखनऊ, 15. प्रयागराज-लखनऊ, 16. प्रयागराज-बंगलुरु, 17. प्रयागराज-भोपाल, 18. प्रयागराज-भुवनेश्वर, 19. प्रयागराज-मुम्बई, 20. प्रयागराज-देहरादून, 21. प्रयागराज-गोरखपुर, 22. प्रयागराज-इन्दौर, 23. प्रयागराज-कोलकाता, 24. प्रयागराज-नागपुर, 25. प्रयागराज-पटना, 26. प्रयागराज-पुणे, 27. प्रयागराज-रायपुर चयनित हुए हैं।

उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 के माध्यम से प्रदेश में एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थित एयरपोर्ट्स/एयरस्ट्रिप्स को विकसित करने की दिशा में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इस सराहनीय कार्य के लिए 'विंग्स इण्डिया, 2018' में प्रदेश सरकार को अवार्ड भी प्राप्त हुआ है।

●

औद्योगिक विकास

प्रदेश के त्वरित आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उद्योगों की स्थापना व विकास से न केवल तीव्र आर्थिक प्रगति प्राप्त होती है बल्कि भारी संख्या में रोजगार के अवसर भी सुलभ होते हैं। इस प्रकार उद्योगों की अधिकाधिक स्थापना से बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। वृहद उद्योगों का प्रदेश के विकास में अहम योगदान है। वृहद उद्योग जिस क्षेत्र में स्थापित होते हैं, उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की संभावना बलवती हो जाती है।

प्रदेश के त्वरित औद्योगिक विकास में अवस्थापना सुविधाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान है, अतः उद्योगों को विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। चूंकि औद्योगिक विकास में सरकार का मुख्य उद्देश्य विकासयुक्त वातावरण सृजित करने का है, जिसके दृष्टिगत समस्त जनपद मुख्यालयों को आपस में फोर लेन सड़क मार्गों से जोड़ना, आगरा, यमुना एक्सप्रेस-वे के निर्माण के क्रम में लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण लखनऊ पी.पी.पी. के माध्यम से अन्य एक्सप्रेस-वेज का निर्माण, राजकीय राजमार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, केन्द्र सरकार की दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर व ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर प्रदेश से पास होने हैं इन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्रदेश के उद्यमियों को उपलब्ध कराना, जेवर (बुलन्दशहर) व कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का विकास, उद्योगों को गैस पाइप लाइन से अधिकाधिक गैस उपलब्ध कराना, कैप्टिव पावर जेनरेशन को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, प्रदेश में नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु लैण्ड बैंक के आंकड़ों को सुदृढ़ कर ई-गवर्नेन्स के माध्यम से उद्यमियों को उपलब्ध कराना व निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों का विकास इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार द्वारा उद्योगों के विकास को फैसिलिटेट करने के उद्देश्य से विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। वृहद उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। नीति के अन्तर्गत निवेशकर्ताओं एवं उद्यमियों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गये हैं।

उद्योग बन्धु

उद्योग बन्धु की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अंतर्गत दिनांक 30.10.1986 को की गई है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्‌देश्य उद्यमियों तथा शासन के विभिन्न विभागों के मध्य सीधा संवाद एवं समन्वय स्थापित करना, उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण तथा प्रदेश में अधिकाधिक औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना है।

उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु उद्योग बन्धु स्तर पर समस्या समाधान हेतु त्रि-स्तरीय समितियों (मा. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ''उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति'' मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ''राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति'' मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति) का गठन किया गया है। इसके साथ ही अधिशासी निदेशक की अध्यक्षता में उद्योग बन्धु में 'औद्योगिक समाधान दिवस' का आयोजन माह के प्रथम एवं तृतीय वृहस्पतिवार को किया जाता है।

उद्योग बन्धु के पदेन् अध्यक्ष, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त हैं तथा इसके दैनन्दिन के कार्यों का सम्पादन अधिशासी निदेशक/संयुक्त अधिशासी निदेशक द्वारा किया जाता है। उद्योग बन्धु आई.एस.ओ. 9001-2008 प्रमाणित संस्था है।

उ.प्र. एक्सप्रेस-वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

उ.प्र. एक्सप्रेस-वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) का गठन औद्योगिक विकास अनुभाग-4, उ.प्र. शासन की अधिसूचना संख्या-4246/77-4-07-94भा./07टी.सी.दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 द्वारा ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के स्वामित्व एवं क्रियान्वयन हेतु किया गया है। तत्पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न शासनादेशों के अनुसार 08 अन्य एक्सप्रेस-वे के परियोजनाओं के सम्बन्ध में तकनीकी एवं वित्तीय सम्भाव्यता तलाशने सहित आवश्यकतानुसार एक्सप्रेस-वे के स्वामित्व एवं पी.पी.पी. आधार पर क्रियान्वयन हेतु परामर्शी चयन, विकासकर्ता चयन सहित अन्य समस्त कार्यवाही हेतु यूपीडा को अधिकृत किया गया था। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' को पी.पी.पी. के बी.ओ.टी. टोल पद्धति के स्थान पर इन्जीनियरिंग प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्शन (ई.पी.सी.) पर विकसित करने हेतु निर्णय लिये गये हैं। अतः शासन द्वारा जारी उक्त अधिसूचना द्वारा यूपीडा को एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं हेतु अधिकृत किया गया है।

यूपीडा द्वारा महत्त्वपूर्ण परियोजनाएं

''आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' पर मेन कैरिज-वे का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया वर्तमान में टोल आंशिक रूप से दिनांक 19/20.01.2018 को प्रारम्भ की गई है, जो कि माह मार्च, 2018 तक सम्पूर्ण रूप से पूर्ण कर ली जायेगी।

- **लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस-वे परियोजना**

''आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 6 लेन एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना'' राज्य सरकार की प्राथमिकता में सम्मिलित है, अतएव राज्य सरकार द्वारा ई.पी.पी. पद्धति पर विकसित किये जाने हेतु परियोजना के लिए आवश्यक सम्पूर्ण धनराशि का प्रावधान राज्य सरकार से किया जाना है।

- **पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना**

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित है, अतएव राज्य सरकार द्वारा ई.पी.सी. पद्धति पर विकसित किये जाने हेतु परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान राज्य सरकार से किया जाना है।

- **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना**

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में समिम्मलित है, अतएव राज्य सरकार द्वारा ई.पी.सी. पद्धति पर विकसित किये जाने हेतु परियोजना के लिए आवश्यक सम्पूर्ण धनराशि का प्रावधान किया जाना है।

- **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना**

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित है, अतएव राज्य सरकार द्वारा ई.पी.सी पद्धति पर विकसित किये जाने हेतु परियोजना के लिए आवश्यक सम्पूर्ण धनराशि का प्रावधान राज्य सरकार से किया जाना है।

उक्त एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं से होने वाले लाभ

- प्रदेश की पूर्वोत्तर सीमा तथा देश की राजधानी लखनऊ होते हुए प्रदेश की पश्चिमी सीमा (आगरा) तथा देश की राजधानी के मध्य द्रुतगामी तथा आरामदायक परिवहन सुविधा प्रदान होगी।
- ईंधन खपत, प्रदूषण तथा दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण होगा।
- इन परियोजनाओं से आच्छादित जनपदों एवं समस्त प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक, कृषि, पर्यटन, वाणिज्य तथा औद्योगिक विकास में अभूतपूर्व वृद्धि सम्भव होगी।
- हैण्डलूम, कोल्ड स्टोरेज, वेअर हाउसिंग, दुग्ध उत्पाद, ग्रोथ सेन्टर, इण्डस्ट्रियल कोरीडोर आई.टी.आई., मेडिकल/इंजीनियरिंग/शिक्षण संस्थानों, नवीन सेटेलाइट शहर, स्मार्ट सिटी, लाजिस्टिक पार्क, फिल्म सिटी आदि के विकास हेतु यह एक्सप्रेस-वे परियोजनायें उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगी, जिससे प्रदेश में रोजगार और बहुमुखी विकास के और अधिक अवसर जनित होंगे।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोयडा)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम-1976 के अन्तर्गत संस्थापित नोएडा (नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश की सीमा में उत्तर में एन.एच.-24, पश्चिम में यमुना नदी एवं पूर्व में हिण्डन नदी से बंधे हुए क्षेत्र में नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र (नोएडा) का सृजन किया गया था, जोकि आज एक सुनियोजित एकीकृत एवं आधुनिक औद्योगिक शहर के रूप जाना जाता है, जो अपने बहुआयामी विकास की ओर निरन्तर प्रगतिरत है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले 81 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए लगभग 20,316.00 हे0 (203.16 वर्ग किमी.) क्षेत्रफल पर विकास की रूप रेखा निर्धारित करने के लिए वर्ष 2031 तक के लिए महायोजना तैयार की गयी है।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अधीन वर्ष 1991 में किया गया। जिसमें तहसील सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर के 75 गाँव तथा तहसील दादरी जिला गाजियाबाद के 49 गाँव अधिसूचित किए गए थे। इस प्रकार ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में सम्मिलित कुल गाँवों की संख्या 124 है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत है। वास्तुशिल्प एवं अभियांत्रिकी की आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित है तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप ग्रेटर नोएडा का विकास किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ यहाँ आवश्यक सुविधाओं, व्यवसायिक क्षेत्रों, व्यापार केन्द्रों, कार्यालयों, सेकेण्डरी स्कूलों, तकनीकी एवं प्राविधिक

संस्थानों, अस्पतालों और चिकित्सा सेवा सुविधाओं तथा मनोरंजन के क्षेत्रों का एक आधुनिक एवं व्यापक मूल ढांचा भी उपलब्ध होगा। क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु भूमि अर्जन कर, वाह्य एवं आन्तरिक सड़कों का निर्माण एवं जल निकासी, पेयजल व्यवस्था, विद्युतीकरण, मल निकासी एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लॉन्ट की स्थापना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उद्यानों का विकास एवं पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण आदि प्राधिकरण के मुख्य कार्यक्रम हैं। समस्त नगरीय मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं अनुरक्षण का कार्य प्राधिकरण की मुख्य गतिविधियों में सम्मिलित है।

इस क्षेत्र का विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश उप क्षेत्रीय योजना 2021 के प्रावधानों के अनुरूप किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण (1991-2001) में 5075 हेक्टेयर तथा द्वितीय चरण (2001-2011) लगभग 8500 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है। महायोजना 2021 के अनुसार वर्ष 2021 तक कुल 22255 हेक्टेयर भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव है। महायोजना वर्ष 2021 के अनुसार क्षेत्र की आबादी लगभग 7 लाख तथा महायोजना 2021 के अनुसार क्षेत्र की आबादी लगभग 12 लाख होगी जिसमें क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों की आबादी भी सम्मिलित है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही विशेष परियोजनाओं का विवरण

- **नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो सिस्टम परियोजना**

नोएडा ग्रेटर नोएडा के मध्य लगभग 29 किमी. लम्बी प्रस्तावित मेट्रो परियोजना की लागत लगभग रु. 5533.00 करोड़ है। उक्त परियोजना की संशोधित डी.पी.आर. एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अनुमोदन शासन द्वारा दिनांक 01.10.2015 को प्रदान किया गया है। तदुपरान्त डी.एम.आर.सी. से नोएडा से ग्रेटर नोएडा परियोजना को टर्नकी कन्सलटेन्सी के आधार पर क्रियान्वित किये जाने हेतु एग्रीमेन्ट दिनांक 18.10.2014 को हस्ताक्षरित किया गया है तथा नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना के निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण हेतु विशेष परियोजना साधन (एसपीवी) एन.एम.आर.सी. का गठन दिसम्बर, 2014 में किया गया है। निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है, जो दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

- **दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरीडोर एक परिकल्पना व उसका विस्तारीकरण डी.एम.आई.सी. परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति :**

डी.एम.आई.सी. परियोजना वर्ष 2007 में प्रारम्भ की गयी थी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के मध्य में जनवरी, 2007 में एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया था।

1. दिल्ली-मुम्बई परिचालन क्षेत्र कुल 1483 किलोमीटर का है जिसका अन्तिम टर्मिनल दादरी, ग्रेटर नोएडा है तथा प्रथम जे.एन. पोर्ट मुम्बई है। गुणवत्ता वाली सुविधाओं का विकास महत्वाकांक्षी मालवाहन क्षेत्र के 150 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोनों तरफ विकसित किये जाने के संस्तुति है।
2. पूरे 1483 किलोमीटर परिचालन क्षेत्र में 20 स्थानों को विकास हेतु चिन्हित किया गया है। जिसमें से 7 निवेश जोन व 13 औद्योगिक क्षेत्र है। एक निवेश जोन व एक औद्योगिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। निवेश का पहला स्थल ग्रेटर नोएडा में व औद्योगिक क्षेत्र मेरठ मुजफ्फरनगर में पड़ता है। निवेश क्षेत्र हेतु 200 वर्ग किलोमीटर तथा औद्योगिक क्षेत्र हेतु 100 वर्ग किलोमीटर चिन्हित किये गये हैं।
3. यह परियोजना उन्मुक्त माल-वाहन परिक्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्रों व विशिष्ट वाणिज्यिक क्षेत्रों को

प्रोत्साहित करने के लिए भारत एवं जापान सरकारों के संयुक्त प्रयास से ''विशिष्ट वाणिज्यिक सहभागिता प्रयास'' (एस.ई.पी.आई.) इन क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता के भौतिक एवं सामाजिक मूलभूत सुविधाओं का विकास किये जाने एवं जापानी निवेश को सुविधाजनक बनाये जाने हेतु तैयार की गयी है।

4. उत्तर प्रदेश का 12 प्रतिशत भाग विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र में पड़ता है जिससे 2,50,000 रोजगार का सृजन हो सकेगा व ग्रेटर नोएडा शहर इस परियोजना का प्रथम नोड व परियोजना का ''गेट-वे'' होगा। परियोजना के विकास के चरण में 250 मिलियन तथा क्रियान्वयन के स्तर पर 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का अनुमान है जिससे 30 लाख रोजगार का और सृजन होगा।

अर्ली बर्ड परियोजनाओं के सम्बन्ध में

डी.एम.आई.सी. परियोजना को उत्तर प्रदेश में शो केस करने हेतु उ.प्र. सरकार एवं डी.एम.आई.सी.डी.सी. द्वारा तीन परियोजनायें चिह्नित की गयी हैं। कार्यवाही का विवरण निम्नवत प्रस्तुत है :

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में इन्टीग्रेटेड औद्योगिक टाऊनशिप का विकास

शासन स्तर पर निर्णय लिया गया कि निवेश क्षेत्र के विकास के प्रथम चरण में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में हाईटैक औद्योगिक टाऊनशिप का विकास किया जाये, चूंकि प्रस्तावित क्षेत्र की भूमि अधिग्रहीत है। परियोजना का कान्सेप्ट प्लान डी.एम.आई.सी.डी.सी. द्वारा तैयार किया गया है।

दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब (एम.एम.एल.एच.) की परियोजना

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब हेतु चिह्नित स्थल का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया एवं डी.एम.आई.सी.डी.सी. के द्वारा परियोजनाओं के स्थल का विस्तृत विवरण तैयार कर लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त परियोजना को क्रियान्वित करने हेतु मैसर्स पी.डब्लू.सी. को डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य आवंटित कर दिया गया है। शेष भूमि के अधिग्रहण/क्रय का कार्य प्रगति पर है।

मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एम.एम.टी.एच.) की स्थापना

प्रस्तावित स्थल को इन्टीग्रेटेड यातायात हब बनाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया एवं डी.एम.आई.सी.डी.सी. द्वारा स्थल का चिह्नाकन कर लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण कर, प्रारम्भ कर दिया गया है। डी.एम.आई.सी.डी.सी. द्वारा परियोजना का कान्सेप्ट प्लान भी तैयार कर लिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त परियोजना को क्रियान्वित करने हेतु मैसर्स पी.डब्लू.सी. को डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य आवंटित कर दिया गया है।

उ.प्र. शासन द्वारा मल्टी मॉडल ट्रांर्सपोर्ट हब एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड कम्पनी के अन्तर्गत ही विकसित करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। उ.प्र. शासन द्वारा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की भूमि को हस्तान्तरित करने की अनुमति आई.आई.टी.जी.एन.एल. (एस.पी.वी.) में प्रदान की जा चुकी है व भूमि हस्तान्तरण हेतु स्टाम्प शुल्क भी माफ कर दिया गया है।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-697/77-4-2001-3 (एन)/2001 दिनांक 24 अप्रैल, 2001 द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक

विकास क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6,1976) की धारा 2 के खण्ड (ध) के अधीन किया गया है। यमुना एक्सप्रेस-वे के अधिसूचित क्षेत्र में जनपद गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, हाथरस (महामायानगर), मथुरा व आगरा के कुल 1187 ग्राम अधिसूचित हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165.537 किलोमीटर लम्बाई में 06 लेन (08 लेन तक विस्तारणीय) के एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य कराया जाना।

यमुना एक्सप्रेस-वे के उद्देश्य में आगरा के साथ ही पश्चिमी उ0प्र0 के अधिकांश भागों को देश की राजधानी से जोड़ना है। यमुना नीद के पूर्वी भाग पर मुख्य टाउनशिप स्थापित करना तथा प्राधिकरण क्षेत्र के सुनियोजित विकास में औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी क्रियाकलापों में भौतिक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराया जाना है।

परियोजना हेतु काश्तकारों से उचित दर पर भू-अर्जन के प्रतिकर भुगतान के अतिरिक्त प्रभावित काश्तकारों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना सुविधायें प्रदान करना हैं। अधिग्रहण से प्रभावित मूल काश्तकारों को उनकी अधिग्रहित भूमि का 07 प्रतिशत भूमि आबादी हेतु आवंटन तथा इन ग्रामों में अवस्थापना सुविधाओं में स्कूल, बारात घर, सामुदायिक केन्द्र, सड़क, नाली व सीवर आदि का विकास कराये जाने का प्रावधान है।

महत्त्वपूर्ण

- यमुना एक्सप्रेस-वे के निकट 1000 हे. भूमि पर स्पोर्ट सिटी का निर्माण मेसर्स जे.पी. द्वारा किया गया है, जिसमें फार्मूला वन रेसिंग ट्रैक (बुद्ध इन्टरनेशनल सर्किट) भी निर्मित है। रेसिंग ट्रैक पर अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की कार रेसिंग जैसी अन्य प्रतियोगितायें भी आयोजित की जाती हैं।
- सेक्टर 17ए में संस्थागत भूखण्डों के कुल 13 भू-खण्डों कुल क्षेत्रफल 490 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इसी सेक्टर में गलगोटिया यूनिवर्सिटी एवं नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य पूर्ण होकर शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हो चुका है।
- वर्ष 2009 में आवासीय भूखण्डों की योजना के अंतर्गत सेक्टर 18 एवं 20 में 21,000 भूखण्डों का विकास कार्य प्रगति पर है, जिसमें कुछ पाकेटों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं एवं कुछ आवंटियों को कब्जा हस्तांतरण कर दिया गया है। अनुमानित जनसंख्या लगभग 1,00,000 सम्भावित है।
- आवासीय ग्रुप हाउसिंग टॉउनशिप योजना के अंतर्गत सेक्टर 18, 22ए एवं 22डी में कुल 1451 एकड़ क्षेत्रफल के अंतर्गत 16 भूखण्डों का आवंटन। अनुमानित जनसंख्या लगभग 06 लाख सम्भावित है।
- सेक्टर 22डी में 71.89 एकड़ क्षेत्रफल में दुर्बल आय वर्ग, एल.आई.जी. एवं एम.आई.जी. के कुल 7148 में 5100 एफोरडेबल भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा शेष भूखण्डों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- उद्योगों को आकर्षित करने हेतु 445105 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 868 औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन। सम्भावित निवेश रु. 325 करोड़ होगा।
- यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-24 व 24ए में क्रमशः 130 व 300 एकड़ भूमि मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद एवं फूड पार्क नोएडा लिमिटेड को आवंटित की गई है। मौके पर कृषकों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए अतिरिक्त प्रतिकर वितरित कर

आवंटी को स्थल पर कब्जा हस्तान्तरित कर दिया गया है। मौके पर आवंटी मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद एवं फूड पार्क नोएडा लिमिटेड द्वारा युद्धस्तर पर विकास कार्य किया जा रहा है। इस इकाई के क्रियान्वित होने से 10000 प्रत्यक्ष एवं 80000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

- प्राधिकरण के महायोजना 2031 के प्रस्तावित क्षेत्र के दक्षिण में जनपद जेवर के निकट अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये लगभग 5000 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गयी है, जो कि एक्सप्रेस-वे के चैनेज किमी. 30-35 के मध्य है। मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन के अध्यक्षता में दिनांक 01.08.2017 को सम्पन्न हुयी बैठक के कार्यवृत के अनुसार यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट हेतु नोडल एजेन्सी होगी।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., कानपुर

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. की स्थापना प्रदेश के योजनाबद्ध औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से मार्च 1961 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत की गयी थी। निगम की अधिकृत पूंजी रु. 4000 लाख व चुकता पूंजी रु. 2407.51 लाख है।

निगम द्वारा प्रमुख रूप से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास व अवस्थापना सुविधाओं के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित कराने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में निगम प्रदेश के तीव्र, सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लिए मुख्य रूप से निम्न कार्यों को सम्पादित कर रहा है-

1. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त एकीकृत औद्योगिक नगरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करके औद्योगिक एवं अन्य सम्बन्धित उपयोगों हेतु भूखण्ड/भवन उपलब्ध कराना।
2. औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए नोडल संस्था के रूप में कार्य करना।
3. सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक संस्थानों के लिए निर्माण कार्य संचय आधार पर सम्पादित करना।
4. बड़े उद्योगों/अवस्थापना परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण।

औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए भूमि की सर्वप्रथम अपरिहार्य आवश्यकता होती है। उद्यमियों को उचित दर पर नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध कराने का दायित्व निगम को सौंपा गया है। निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र योजना के अधीन सड़क, नाली, विद्युत लाइनें तथा अन्य प्राथमिक/सहायक अवस्थापना सुविधाओं से युक्त विभिन्न आकारों के विकसित भूखण्ड उद्यमियों को 90 वर्ष के पट्टे पर आवंटित किये जाते हैं।

यह योजना जो निगम की स्थापना के समय से चालू है, द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान मिला है :-

1. उद्यमियों को उचित दरों पर औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराना।
2. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक संभाव्यता का कुशलतम दोहन।
3. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का समान व संतुलित औद्योगिक विकास।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) का सृजन पूर्वान्चल के समग्र एवं सुनियोजित

औद्योगिक विकास हेतु उ.प्र. शासन द्वारा ''उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-3 के अन्तर्गत वर्ष 1889 में किया गया है। इस योजना के विकास हेतु कुल 76 राजस्व ग्राम अधिसूचित किये गये हैं। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की विकास योजना 2012-2032 के अन्तर्गत लगभग 13,135.00 एकड भूमि वर्ष-2032 तक अधिग्रहीत कर समग्र अवस्थापना सुविधाओं के साथ विकसित की जानी प्रस्तावित है। जिसके अनुसार विकास योजना को 32 सेक्टरों में विभक्त किया गया है, जिसमें 11 सेक्टर आवासीय, 4 आवासीय/व्यवसायिक, 1 आवासीय/औद्योगिक, 1 ट्रांसपोर्ट नगर/व्यवसायिक, 2 संस्थागत, 1 संस्थागत/व्यवसायिक एवं 12 सेक्टर औद्योगिक उपयोग हेतु प्राविधानित हैं।

वर्तमान आर्थिक परिवेश में गीडा द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि गीडा में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण किया जाय तथा कतिपय आवश्यक विशिष्ट अवस्थापना सुविधाएं इस क्षेत्र में उपलब्ध करायी जायं। न्यू गोरखपुर आवासीय योजना, सहजनवाँ आवासीय योजना, ट्रान्सपोर्ट नगर योजना, संस्थागत योजना एवं व्यवसायिक योजना का विकास, इसी प्रयास की कड़ियां हैं। वर्तमान में 1673.00 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है जिसके सापेक्ष लगभग 1539.00 एकड़ भूमि विकसित कर ली गयी है तथा लगभग 1157.30 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 3340.21 लाख की आय हुई थी तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में अब तक कुल रू. 2472.84 लाख की आय हुई है। वर्तमान समय तक लगभग 1673 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है।

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (लीडा)

- लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन उ.प्र. औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976 के अंतर्गत शासनादेश संख्या 1193/77-4-2005/ 193भा-04 टीसी, दिनांक 28.07.2005 द्वारा किया गया है।
- प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य लखनऊ एवं कानपुर के मध्य सुनियोजित विकास एवं औद्योगिक, व्यवसायिक, आवासीय एवं संस्थागत इत्यादि गतिविधियों के लिये अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना है।
- वर्तमान में प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में जनपद लखनऊ के 45 एवं जनपद उन्नाव के 39 ग्राम अर्थात कुल 84 ग्राम सम्मिलित हैं।
- प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र लगभग 74000 एकड़ (299.96 वर्ग किमी.) है।
- प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र का मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.04.2016 को अनुमोदित किया जा चुका है।
- प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में सुनियोजित विकास के उद्देश्य से भवन विनियमावली, 2009 का प्रख्यापन औद्योगिक विकास अनुभाग-4 के अधिसूचना दिनांक 02.07.2009 द्वारा किया जा चुका है।
- एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली की संस्तुति के आधार पर उ.प्र. शासन द्वारा लखनऊ-कानपुर के मध्य क्षेत्र अर्थात लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी का काउन्टर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया है।

सतहरिया औद्योगिक विकास परिषद (सीडा)

सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन शासन की अधिसूचना संख्या-8425 भाऊ/18-11-223भा/88, दिनांक 30 नवम्बर 1989, उ.प्र. औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा (3) के अधीन किया गया है। प्राधिकरण का मूलभूत उद्देश्य प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहीत कर समस्त औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करते हुए, उद्यमियों को उदार शर्तों पर औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराना है।

औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया जनपद-जौनपुर की मछलीशहर तहसील के सतहरिया ग्राम में जनपद मुख्यालय से 47 किमी. की दूरी पर जौनपुर-इलाहाबाद राष्ट्रीय मार्ग के दोनों तरफ उत्तरी एवं दक्षिणी सेक्टर में विभक्त है।

औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया कुल 508 एकड भूमि पर विकसित है। इस क्षेत्र में कुल 17 किमी0 पक्की सड़कें, 800 किली0 क्षमता का एक वाटर टैंक, 33/11 के.वी.ए. का एक विद्युत सब स्टेशन, पक्की नालियां, एक सामुदायिक सुविधा केन्द्र, फील्ड हास्टल, गेस्ट हाउस, बैंक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र, स्कूल, अग्नि शमन केन्द्र आदि औद्योगिक अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध हैं। औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया में राज्य सरकार द्वारा उच्चीकृत चिकित्सालय भी स्थापित हैं।

दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ यू0पी0 लि0, (पिकप) लखनऊ

पिकप की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956, के अन्तर्गत राज्य सरकार की कम्पनी के रूप में वर्ष 1972 में की गई। निगम की वर्तमान अंश पूँजी रु. 150 करोड़ है एवं निगम की चुकता अंश पूँजी रु. 135.57 करोड़ है।

निगम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु एक औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुये वृहद एवं मध्यम उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना तथा प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन अभिकर्ता के रूप में किया जा रहा है।

पिकप का प्रदेश के औद्योगीकरण निवेश में योगदान

निगम द्वारा 1100 औद्योगिक इकाइयों को रु. 1435 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये गये जिसके सापेक्ष रु0 1420 करोड़ के ऋण वितरित किये हैं, जिसमें से दिनांक 31.03.2016 तक 886 इकाइयों द्वारा पूर्ण वितरित धनराशि के सापेक्ष रु0 1209 करोड़ का भुगतान निगम को प्राप्त हो चुका है। शेष 214 इकाइयों से रु0 211 करोड़ मूल धनराशि की वसूली हेतु समग्र प्रयास किये जा रहे हैं।

निगम द्वारा संयुक्त क्षेत्र एवं सहायतित क्षेत्र में 17 औद्योगिक इकाइयाँ विभिन्न औद्योगिक घरानों जैसे- टाटा, बिरला, गोयनका एवं भारतीयाज ग्रुप इत्यादि के साथ मिलकर संयुक्त रूप से उद्योग स्थापित एवं ऋण प्रदान किये गये।

●

लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन

उ.प्र. प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की दृष्टि से औद्योगिक विकास हेतु अत्यन्त संभावनाशील प्रदेश है। प्रदेश की विशाल जनसंख्या जहाँ एक ओर कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराती है वहीं दूसरी ओर एक विशाल बाजार भी उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी बनाने हेतु अवसर उपलब्ध कराती है। ऐसे में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के कुशलतम उपयोग द्वारा प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य बनाने एवं इस प्रकार व्यापक पूँजी निवेश एवं रोजगार सृजन करते हुए प्रदेश की विशाल जनसंख्या का जीवन स्तर समुन्नत करने के दृष्टिकोण से लघु उद्योग विभाग की स्थापना की गई जो कि अब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के नाम से जाना जा रहा है। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के परिणामस्वरूप निरन्तर परिवर्तित हो रहे परिदृश्य में समावेशी विकास सुनिश्चित करने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की भूमिका का विशेष महत्त्व हो गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जहाँ एक ओर कम पूँजी एवं कम स्थान में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित करते हुए उद्यम स्थापना की सुविधा प्रदान करते हैं वहीं दूसरी ओर पर्यावरणीय दृष्टि से भी अधिक अनुकूल होते हैं। इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से जहाँ प्रदेश का समावेशी एवं बहुआयामी विकास होता है वहीं रोजगार सृजन की असीम सम्भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं।

विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में प्रोत्साहनात्मक औद्योगिक वातावरण का सृजन करते हुए उद्यमियों को उद्यम स्थापना से लेकर उत्पादों के विपणन/निर्यात तक हर संभव सहायता प्रदान करना है। प्रदेश में आयुक्त एवं उद्योग निदेशक के अधीन ''**उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय**'' के अतिरिक्त मण्डलीय स्तर पर **परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय** तथा जिला स्तर पर ''**जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र**'' स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों के विकास तथा हस्तशिल्प एवं निर्यात प्रोत्साहन में **उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो** आदि की भी प्रमुख भूमिका है, जो प्रदेश में लघु उद्योग के विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा देने हेतु सतत् प्रयत्नशील हैं।

वर्तमान में विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास, हस्तशिल्प एवं निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित समस्त कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के माध्यम से जिला स्तर पर कार्ययोजनाओं का प्रचार-प्रसार, सम्बन्धित योजनाओं में पात्र अभ्यर्थियों का चयन, आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, बैंक ऋण स्वीकृत कराना, प्रोजेक्ट स्थापित कराना, प्रोजेक्ट में आ रही समस्याओं के निदान तथा इकाइयों द्वारा किये गये उत्पादन के समुचित विपणन में सहयोग प्रदान

करना इत्यादि कार्यों का निस्तारण किया जाता है। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र का वरिष्ठतम अधिकारी उपायुक्त उद्योग होता है, जिसके अधीन सुचारु–रूप से कार्य संचालन हेतु सहायक आयुक्त एवं सहायक प्रबन्धक आदि कार्यरत हैं।

प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान सरकार द्वारा **''उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति–2017''** लागू की गयी है, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास हेतु कई प्रावधान किये गये हैं। उद्यमियों को सुगमता पूर्वक पंजीकरण उपलब्ध कराने हेतु **''उद्योग आधार व्यवस्था (ऑन–लाइन)''** लागू की गयी है, इसके अतिरिक्त उद्योग निदेशालय एवं निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ.प्र. द्वारा क्रियान्वित की जा रही अधिकांश विकास योजनाओं को ऑन लाइन किया गया, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ी है एवं उद्यमियों को बिना किसी रुकावट के सरलता से उद्यम स्थापना में विशेष मदद मिल रही है।

आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में नये वातावरण और उदारीकरण के प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से **उ.प्र. निर्यात अवस्थापना विकास योजना, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नालॉजी अपग्रेडेशन) योजना** तथा भारत सरकार के सहयोग से **लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना** विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं। प्रदेश के वृहद औद्योगिक आस्थानों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न अवस्थापना सुविधायें (जैसे– सड़क, नाली, ड्रेनेज आदि) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के योगदान एवं महत्त्व को देखते हुए निदेशालय स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध व्यवस्था लागू की गयी है तथा मात्रा एवं दर अनुबन्धों में क्रय वरीयता नीति लागू की गयी है। विभाग द्वारा गवर्नमेण्ट ई-मार्केट प्लेस (जेम पोर्टल) को अंगीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अपना रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

प्रदेश के एमएसएमई उद्यमों की स्थापना में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु त्रिस्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों के आयोजन की व्यवस्था ''एकलमेज व्यवस्था योजना'' के अन्तर्गत की गई है। लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा जारी की जाने वाली स्वीकृतियों हेतु ''सर्वनिष्ठ आवेदन पत्र व्यवस्था'' (कॉमन एप्लीकेशन फार्म सिस्टम) प्रारम्भ किया गया है।

प्रदेश के समृद्ध हस्तशिल्प उद्योग के समग्र विकास हेतु प्रदेश में ''उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति–2014'' लागू की गई हैं। प्रदेश के हस्तशिल्पियों की कार्यकुशलता तथा उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ''शिल्पकार पेंशन योजना'' एवं ''हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना'' क्रियान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन प्रस्तावित है। प्रशिक्षित एवं दक्ष हस्तशिल्पियों को तैयार करने हेतु प्रदेश में **''उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (यूपीआईडी)''** को ''क्राफ्ट डिजाइन शैक्षिक संस्थान'' के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश

के जनपदों के विभिन्न विशिष्ट हस्तशिल्पों कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तथा विनिर्मित उत्पादों की उत्पादन तकनीकी व गुणवत्ता में सुधार, कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों के कौशल विकास एवं उत्पादों की ब्रांडिंग के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने व प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्‌देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा ''**एक जनपद एक उत्पाद**'' नाम से महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गयी है।

प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्‌देश्य से **त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना तथा वायुयान भाड़ा युक्तिकरण सहायता योजना** के अन्तर्गत निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने हेतु तथा अपना माल विदेशों में भेजने हेतु भाडे के मद में वित्तीय सहायता दी जा रही है। देश की निर्यात में प्रदेश की भागीदारी को दोगुना करके प्रदेश के आर्थिक विकास के पथ को प्रशस्त करने के उद्‌देश्य से ''**निर्यात नीति-2015**'' लागू की गयी है। इसी क्रम में ''**एक्सपो मार्ट, लखनऊ एवं ग्रेटर नोयडा**'' की स्थापना भी की गई है। विश्व प्रसिद्ध भदोही के कलात्मक ऊनी कालीनों एवं ऊनी दरियों के उत्पादन एवं निर्यात की अधिवृद्धि हेतु भदोही में ''**भदोही कार्पेट बाजार (एक्सपो मार्ट)**'' की स्थापना की गयी है।

वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हस्तशिल्पियों तथा उद्यमियों के कार्य के स्तर को उच्चीकृत एवं विकसित किये जाने के लिए प्रशिक्षण दिये जाने हेतु **अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हस्तशिल्पियों तथा उद्यमियों को प्रशिक्षण योजना** तथा **नई एमएसएमई नीति के अन्तर्गत** पारम्परिक कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए **विश्वकर्मा श्रम सम्मान** योजना प्रारम्भ की जा रही है। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित कराने हेतु नये कलेवर में **मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना** तथा वयोवृद्ध शिल्पकारों के आर्थिक सहयोग हेतु **मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना** लागू की की गयी है। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों की औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें आधुनिक रूप में विकसित कर उन्हें कारपोरेट लुक देते हुए उद्यमियों को कॉन्सेप्ट से मार्केट तक हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट प्रदान किये जाने हेतु **जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण की योजना** प्रारम्भ की गयी है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। उद्यमों के त्वरित विकास हेतु विभाग द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण, औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का उच्चीकरण, त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना, लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना, लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना, ब्याज उपादान योजना, हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एकल मेज व्यवस्था आदि उल्लेखनीय हैं।

उपरोक्त व्यवस्था के फलस्वरूप प्रदेश में लघु औद्योगिक इकाइयों के विकास में आशातीत प्रगति हुई है और अब इनके द्वारा आधुनिक वस्तुयें जैसे– इलेक्ट्रॉनिक एवं इन्जीनियरिंग उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी आदि पर आधारित उद्योगों का भी विकास हो रहा है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना की प्रगति

वर्ष	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना	पूँजी विनियोजन (रु0 करोड़ में)	रोजगार सृजन
2015-16	72682	7830.71	516172
2016-17	327175	22813.546	1263767
2017-18 (31.12.2017 तक)	84875	5177.282	409931

मध्यम उद्यमों की स्थापना की प्रगति

वर्ष	मध्यम उद्यमों की स्थापना	पूँजी विनियोजन (रु0 करोड़ में)	रोजगार सृजन
2015-16	141	740.86	8280
2016-17	330	1742.40	13580
2017-18 (31.12.2017 तक)	110	899.13	15767

लघु उद्योगों के विकास से सम्बन्धित योजनाओं का विवरण

डॉ. राम मनोहर लोहिया लघु उद्योग राज्य पुरस्कार (उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार योजना)

प्रदेश के सफल एवं उत्कृष्ट लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना शासनादेश संख्या 564/18-2-2009-30 (15)/2002 दिनांक 17 अगस्त, 2009 द्वारा प्रारम्भ की गई।

उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के अधिक से अधिक उद्यमियों को उनके हाई टर्न ओवर सफल एवं उत्कृष्ट उत्पाद, गुणवत्ता, अनुसंधान एवं विकास हेतु पुरस्कार दिये जाते हैं। जो निम्नवत हैं-

1. **उ.प्र. उद्यमी पुरस्कार –** रु. 1.25 लाख (ड्राफ्ट) स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र। यह पुरस्कार सभी श्रेणियों में चयनित प्रथम इकाइयों में से मास्टर तालिका के अंकों व सर्वाधिक टर्नओवर के आधार पर सर्वोत्तम इकाई को दिया जाता है।

2. **सूक्ष्म उद्योग श्रेणी – पुरस्कार-**

   प्रथम- रु. 50,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

   द्वितीय- रु. 40,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

3. **लघु उद्योग श्रेणी – पुरस्कार-**

   प्रथम- रु. 50,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

   द्वितीय- रु. 40,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

4. **मध्यम उद्योग श्रेणी – पुरस्कार-**

   प्रथम- रु. 50,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

   द्वितीय- रु. 40,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

5. **सर्विस क्षेत्र – पुरस्कार-**

   प्रथम- रु. 50,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

   द्वितीय- रु. 40,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

6. **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योगों में विशिष्ट प्रयासों हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमी पुरस्कार –**

   अनु. जाति/अनु. जनजाति – रु. 50,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

   महिला उद्यमी – रु. 40,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र

7. **सूक्ष्म, लघु उद्योगों हेतु विशिष्ट गुणवत्ता उत्पाद –** कुल पुरस्कार संख्या 14 प्रत्येक श्रेणी में एक पुरस्कार रु. 25,000 (नगद) (पदक, प्रशस्ति पत्र)।

8. **सेवा क्षेत्र उद्यमी विशिष्ट पुरस्कार –** कुल पुरस्कारों की संख्या-12 प्रत्येक श्रेणी में एक पुरस्कार रु. 25,000 (नगद) (पदक, प्रशस्ति पत्र)।

सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना

सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना का शुभारम्भ भारत सरकार के परिपत्र संख्या टी.एम./यू.एन.डी./2005, दिनांक 14-03-2006 के द्वारा किया गया जिसका मूल उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों को क्लस्टर के रूप में विकसित करने का है, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के युग में इकाइयाँ अपनी उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता का उच्चीकरण कर सकें। यह योजना सार्वजनिक निजी सहभागिता की मंशा पर आधारित है, ताकि क्लस्टर्स के विकास एवं प्रबन्धन की पूरी जिम्मेदारी लाभार्थियों द्वारा ही उठायी जाये। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा क्लस्टर अनुमोदित होने के पश्चात डायग्नोस्टिक स्टडी हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाती है। डायग्नोस्टिक स्टडी, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात उसे भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। क्लस्टर प्रोजेक्ट में केन्द्रांश, राज्यांश एवं क्लस्टर एस.पी.वी. का योगदान होता है। सामान्यतः केन्द्रांश 70 प्रतिशत, राज्यांश 10 प्रतिशत, एस.पी.वी.की सहभागिता 20 प्रतिशत रखी गयी है।

उ.प्र. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना

आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के नये वातावरण और उदारीकरण के सम्पूर्ण प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के उद्देश्य से यह योजना शासनादेश सं0 26/18-2-2007-30 (26/2003 दिनांक 16.01.2007) द्वारा प्रारम्भ की गई है।

उक्त योजनान्तर्गत निम्नलिखित सुविधायें दी जा रही हैं –

- तकनीक की खरीद और आयात में व्यय की गई धनराशि का 50% अधिकतम रु. 2.50 लाख।
- उत्पादन में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु मशीन/संयंत्रों के क्रय में व्यय की गई धनराशि का 50% अधिकतम रु. 2.00 लाख।
- मशीनों के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज का 5% प्रतिवर्ष अर्थात अधिकतम रु. 50,000.00 पाँच वर्षों तक।
- आई.एस.ओ./आई.एस.आई. पर व्यय की गई धनराशि का 50% अधिकतम रु. 2.00 लाख।
- परामर्श प्राप्त किये जाने पर व्यय की गई धनराशि का 90% अधिकतम रु. 50,000.00।

(1) **ब्राण्डिंग -** इकाई द्वारा शासनादेश में उल्लिखित पात्रता को पूरी करने की स्थित में तीसरे वर्ष के उत्पादन अथवा उसके पश्चात आवेदन करने की स्थिति में सम्बन्धित वर्ष के पूर्ण विपणन का एक प्रतिशत अधिकतम रु0 50,000.00 का अनुदान।

(2) **बौद्धिक सम्पदा -** यदि कोई उद्यम अपने उत्पाद एवं उत्पाद शृंखला हेतु बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा का आवश्यक प्रमाणीकरण अथवा ट्रेडमार्क हेतु प्रमाणीकरण प्राप्त करता है तो प्रमाणीकरण हेतु भुगतान किये गये वास्तविक शुल्क का 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 2.00 लाख और यदि कन्सलटेन्सी ली गयी हो तो मूल योजना के प्राविधानानुसार कन्सलटेन्सी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

एम.एस.एम.ई. पोर्टल का विकास

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की महती भूमिका को दृष्टिगत रखते हुये बदलते आर्थिक परिदृश्य में उद्यमिता, रोजगार और जीविका के अवसर प्रोत्साहित करने और एम.एस.एम.ई. में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को अपने उत्पादों के प्रदर्शन के माध्यम से विपणन के नये अवसरों के सृजन उद्यमीपरक योजनाओं के संचालन का विवरण व तत्संबंधी आवेदन पत्र की आटोमेटेड प्रणाली की सुविधा की महती आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त बजट के माध्यम से उक्त कार्यों का सम्पादन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की सहायता प्राप्त करते हुए किया जा रहा है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के अन्तर्गत ब्याज उपादान

देश तथा प्रदेश की अर्थ व्यवस्था तथा रोजगार सृजन में एम.एस.एम.ई. की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। कृषि के पश्चात एम.एस.एम.ई ही सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को और प्रतिस्पर्धी बनाने, सुदृढ़ करने एवं नव उद्यमियों को इस क्षेत्र की ओर आकृष्ट करने के उद्देश्य से ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नीति के अन्तर्गत प्रदेश के पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड व मध्यान्चल क्षेत्र के जनपदों में ब्याज उपादान योजना'' वर्ष 2016-17 से प्रस्तावित की गयी है।

उक्त क्षेत्र के जनपदों में स्थापित होने वाली नई लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज पर उपादान प्रदान किया जाता है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित किया जा सके तथा पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। योजनान्तर्गत पूर्वान्चल व बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिलों में स्थापित होने वाली लघु एवं मध्यम औद्योगिक क्षेत्र

की इकाइयों को 07 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु.3.00 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष की दर से 05 वर्षों तक तथा मध्यान्चल क्षेत्र के जिलों में 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु.3.00 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष की दर से 05 वर्षों तक ब्याज उपादान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

शासनादेश संख्या-13/2017/686/18-2-2017-30(9)/2015, दिनांक 28.09.2017 जो प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने के निमित्त ''मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना'' को नये कलेवर में लागू किया जाना है।

योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की रु. 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों तथा सेवा क्षेत्र की रु. 10.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों को कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रु. 06.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रु. 02.50 लाख की सीमा तक मार्जिन मनी उपलब्ध करायी जायेगी, जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त संयुक्त भौतिक सत्यापन/समायोजना प्रमाण-पत्र के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगी।

योजना को वर्ष 2018-19 में क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

'एक जनपद एक उत्पाद' योजना

योजना की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उद्देश्य

योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा हस्तशिल्पी इकाइयों के माध्यम से प्रदेश के समावेशी एवं सतत् आर्थिक विकास हेतु प्रत्येक जनपद से विशिष्ट पहचान रखने वाले उत्पादों का चयन करते हुए उनके कुशलतापूर्वक उत्पादन एवं विपणन हेतु आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जायेगा।

इस हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के समन्वय से वित्त पोषण, कौशल विकास, उत्पादन पद्धति/तकनीक/डिजाइन में सुधार, अवस्थापना एवं विपणन सुविधाओं का विकास, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी आदि से सम्बन्धित गतिविधियां संचालित की जायेंगी। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यथावश्यक इस योजनान्तर्गत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप (साफ्ट एण्ड हार्ड इन्टरवेंशन) के द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

योजना का औचित्य

भौगोलिक एवं पारिस्थितिकीय विविधता तथा परम्परागत कला कौशल के कारण प्रदेश के विभिन्न जनपदों के उत्पाद राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पहले से ही लोकप्रिय हैं। प्रदेश का लगभग प्रत्येक जनपद एक विशिष्ट उत्पाद के उत्पादन हेतु जाना जाता है परन्तु स्किल्ड मैन पॉवर, आधुनिक तकनीकी, पूँजी, उत्पादन एवं विपणन से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं आदि की कमी के कारण प्रदेश में प्रचुरता से उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका है।

अतः एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा- मुद्रा योजना, पीएमईजीपी,सीएमईजीपी, स्टैंडअप तथा स्टार्टअप के माध्यम से डबटेलिंग करते हुए इकाइयों हेतु वित्त पोषण उपलब्ध कराया जायेगा। मेगा/क्लस्टर विकास योजना ट्रेड

इन्फ्रॉस्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम एवं निर्यात परक अवस्थापना सुविधा विकास योजना के माध्यम से अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा। योजनान्तर्गत हस्तशिल्पियों/उद्यमियों को प्रशिक्षण हेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन उद्यमिता विकास संस्थान एवं यूपी इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से समन्वय करते हुए प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ-साथ विपणन सुविधाओं के विकास हेतु जिला स्तर, मण्डल स्तर एवं राज्य स्तर पर विपणन सुविधाओं का विकास किया जायेगा। सूक्ष्म, लघु एवं हस्तशिल्पी इकाइयों को विभिन्न राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग/एक्सपोजर विजिट/स्टडी टूर के माध्यम से उत्पादकों को अपने उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय मांग एवं गुणवत्ता के अनुरूप उत्पादित किये जाने एवं विपणन/निर्यात हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

योजना को वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

हस्तकला विकास हेतु योजनाओं का विवरण

हस्तशिल्प उद्योग

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग की अपार सफलताएं एवं सम्भावनायें हैं और उत्तर प्रदेश अपनी परम्परागत शैली के कारण अपने हस्तशिल्प उद्योगों में विशिष्ट स्थान रखता है। मुख्यतः बनारसी शिल्प में ब्रोकड, भदोही व मिर्जापुर में कालीन, लखनऊ में चिकन तथा आगरा का कलात्मक संगमरमर का सामान, मुरादाबाद तथा वाराणसी में पीतल के पात्र, फिरोजाबाद में कलात्मक काँच की वस्तुएं एवं काँच की चूड़ियाँ तथा सहारनपुर में नक्काशीदार लकड़ी का सामान आदि की माँग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक है। देश के कुल निर्यात में हस्तशिल्प की सहभागिता लगभग 45 प्रतिशत से अधिक है। राज्य सरकार ऐसे हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये अनवरत रूप से प्रयत्नशील रही है तथा इसके समुचित विकास हेतु योजनाबद्ध रूप से निम्न योजनायें चलायी जा रही हैं :

विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 1977-78 से प्रारम्भ की गई है। वर्तमान में इस योजना का नाम डॉ0 राम मनोहर लोहिया विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों को उच्च-कोटि की कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना है। इसी उद्देश्य से उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों को उत्कृष्टता के आधार पर चयन कर योजनान्तर्गत पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं :

क्र. सं.	योजना का नाम	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार की धनराशि	पात्रता
1	2	3	4	5
1.	राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार	20	रु. 35000/- प्रति हस्तशिल्पी	उ0प्र0 के हस्तशिल्पी जिनकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो
2.	दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार	20	रु. 20000/- प्रति हस्तशिल्पी	

अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों की सहायता करने तथा हस्तकला उन्नयन से सम्बन्धित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की परियोजना के अन्तर्गत सहायता योजना

समाज के अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों के उत्थान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1984 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) तथा प्रशिक्षण-कम-उत्पादन-कम-प्रसार केन्द्र (टी.पी.ई.सी.) की स्थापना हेतु उ.प्र. सरकार द्वारा रु. 38.88 लाख के अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर योजना प्रारम्भ की गई थी।

हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना

(अ) हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना

यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गयी है। हस्तशिल्प क्षेत्र में परम्परागत विधा से हो रहे कार्य को धीरे-धीरे बेहतर तकनीकी से कराना एवं इस हेतु उनके कौशल विकास की दृष्टि से प्रशिक्षण कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य वाले जिलों में संचालित की जाती हैं। जिसके अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होते हैं, किन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष तक की शिथिलता दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत परम्परागत शिल्पकारों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें नवीनतम तकनीक एवं उन्नत किस्म के औजारों व उपकरणों के उपयोग भी सिखाये जाते हैं। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरु की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के व्यक्तिगत निर्देशन व संरक्षण में संचालित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में 700 हस्तशिल्पियों को उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है।

(ब) निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशॉप योजना

यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गयी है। उत्तर प्रदेश से कुल निर्यात में हस्तशिल्प उद्योग क्षेत्र की सहभागिता 45 प्रतिशत से अधिक है परन्तु सभी उत्पाद परम्परागत डिजाइनों तक सीमित एवं उन पर आधारित हैं, जिन्हें निरन्तर विकसित हो रही माँग के अनुरूप बनाये जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही प्रमुख निर्यात परक हस्तशिल्प ट्रेडों में डिजाइन वर्कशाप का आयोजन किया जाता है। यह योजना प्रदेश के ऐसे प्रमुख हस्तशिल्प क्षेत्रों में, जहाँ हस्तशिल्पियों द्वारा निर्यात योग्य उत्कृष्ट कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं, संचालित कराई जा रही है।

योजना का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण की धनराशि	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि	पात्रता
निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना	52	रु. 78,00,000/- रु. 1,50,000/- प्रति प्रशिक्षण	1040 (20 प्रशिक्षार्थी प्रति प्रशिक्षण)	15 दिवसीय प्रति प्रशिक्षण	वहीं हिस्तशिल्पी पात्र होंगे जो हस्तशिल्प/ निर्यात से संबंद्ध उत्पादों में अनुभव रखते हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1040 हस्तशिल्पियों को मैपडाईटैक्स, कानपुर द्वारा एवं उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

विशिष्ट शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना

शिल्पियों की बहुलता एवं उनके कला कौशल ने प्रदेश की शिल्प विधा एवं कलाकृतियों को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है किन्तु अपनी कार्य–परिस्थितियों व अस्वास्थ्यकर परिवेश में कार्य करने के कारण दस्तकारों की शारीरिक क्षमता अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष समय से पहले ही कम हो जाती है। वे गिरते स्वास्थ्य एवं बढ़ती आयु के कारण शारीरिक रूप से शिथिल हो जाते हैं। फलतः उनकी आय जनन क्षमता भी घट जाती है। अतः उनके अनुत्पादक शेष जीवनकाल में राज्य सरकार से आर्थिक सहयोग आवश्यक है। इसी उद्‌देश्य से विशिष्ट शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना संचालित की जा रही है।

योजना का नाम	पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्रता	पेंशन स्वरूप धनराशि	अवधि	अभ्युक्ति
विशिष्ट शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना	ऐसे ही शिल्पकार/दस्तकार पात्र होते हैं जिन्हें भारत सरकार के शिल्प गुरु के रूप में चयनित किया जाता है अथवा जो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य सरकार के हस्त शिल्प पुरस्कार/दक्षता प्रमाण-पत्र प्राप्त होते हैं। उनकी न्यूनतम आयु 50 वर्ष अवश्य होनी चाहिए, अधिकतम आयु का कोई प्रति-बन्ध नहीं होता है अर्थात चयनोपरान्त शेष जीवनकाल तक इस पेंशन हेतु वे अधिकृत होते हैं। शारीरिक विकलांग शिल्पकार/दस्तकार होने की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा में दस वर्ष की छूट है, जिसके लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र देय होता है।	रु.2000/- प्रति माह	चयनोपरान्त शेष जीवन काल तक	

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 193 विशिष्ट हस्तशिल्पियों को पेंशन धनराशि निकट के माध्यम से सीधे हस्तशिल्पी के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जा चुकी है। शासनादेश संख्या-34/2016/1747/18-4-2016- (बजट)/07, दिनांक 26-09-2016 द्वारा पेंशन की धनराशि रु. 1000/- प्रतिमाह के स्थान पर रु. 2000/- प्रतिमाह कर दी गयी है, जो माह अक्टूबर 2016 से दी जा रही है।

हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना

उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख हस्तशिल्पी हैं। ये विभिन्न हस्तशिल्प जैसे- कालीन, चूड़ी, ताला, जरी एवं जरदोजी, हैण्डलूम चिकनकारी, स्टोन कार्विन, वुड कार्विन, ब्लैक पाटरी, बेंत-बॉस, सजर पत्थर, लकड़ी के खिलौने, गेहूँ के डण्ठल की कला, टेराकोटा, पीतल कला, मिट्टी की मूर्ति, वुडन एवं ग्लास वीड्स, ताड़ के पत्ते पर कला, जूट वाल हैंगिंग, पतंग माझा, पंजादरी, पाटरी आदि क्षेत्र में अपना

पूर्ण सहयोग प्रदान कर प्रदेश एवं देश का नाम सम्पूर्ण विश्व में रौशन कर रहे हैं। इसके बावजूद दुःखद स्थिति यह है कि आज भी अधिकांशतः हस्तशिल्पी हुनरमन्द तो हैं परन्तु अत्यन्त गरीब हैं। इन हस्तशिल्पियों को विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिल्प मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु कार्यशाला से प्रदर्शनी स्थल तक माल भाड़े पर आने वाले व्यय तथा स्टॉल किराये में सहायता देने के उद्देश्य से शासन द्वारा शासनादेश संख्या 26/18-4-2013-11 (विविध)/12 दिनांक 07 जनवरी, 2013 से यह योजना स्वीकृत की गयी है। इसके अन्तर्गत आच्छादित होने वाले शिल्पियों को मेले/प्रदर्शनी में कार्यशाला से प्रदर्शनी स्थल तक ले जाये जाने वाले माल पर आने वाले परिवहन व्यय की व्यय एवं स्टॉल के किराया की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रु. 10,000/- राज्य सहायता प्रदान की जाती है। यह सुविधा वर्ष में एक शिल्पकार को एक बार ही प्राप्त होती थी।

योजना का नाम	सहायता अनुदान	सहायता अनुदान हेतु हस्तशिल्पियों की संख्या	धनराशि	पात्रता
हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना	परिवहन व्यय की बिल्टी व्यय एवं स्टॉल के किराया की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रु.10,000/-प्रति हस्तशिल्पी	2000	रु. 10,000/- प्रति हस्तशिल्पी	हस्तशिल्पी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो,उसके पास हस्तशिल्पी पहचान पत्र हो।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों, बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची आदि स्वरोजगारियों तथा पारम्परिक हस्तशिल्पियों की कलाओं के प्रोत्साहन एवं संवर्धन तथा उनकी आय में वृद्धि के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित योजना से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पारम्परिक स्वरोजगारियों एवं हस्तशिल्पियों को अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे तथा वे अपनी आजीविका सुगमता से चला सकेंगे। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु योजनान्तर्गत रु. 1000.00 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

योजना को वर्ष 2018-19 में भी क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना

हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने तथा पारम्परिक कलाओं को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-748/18-4-2016-8(ह0शि0)/10टी0सी0, दिनांक 02.08.2016 के माध्यम से समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना लागू की गयी थी, जिसका नाम शासनादेश सं0- 1093/18-4-2017-8 (हस्तशिल्प)/10टी0सी0, दिनांक 13.12.2017 द्वारा मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना कर दिया गया है। योजनान्तर्गत चयनित हस्तशिल्पियों को रु. 500/- प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। योजना हेतु पात्रता निम्नवत है :

(1) हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो (महिला हस्तशिल्पियों एवं शारीरिक

रूप से विकलांग हस्तशिल्पियों को न्यूनतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी)।

(2) हस्तशिल्पियों के पास विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पहचान-पत्र (आर्टीजन कार्ड) होना आवश्यक है।

(3) शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय रु. एक लाख से अधिक न हो।

(4) शिल्पकार सरकारी/अर्ध सरकारी/गैर सरकारी/एन0जी0ओ0/निजी संगठनों में नियमित वेतन भोगी कर्मचारी न हो।

(5) हस्तशिल्पी को एक ही प्रकार की पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य होगा। यदि हस्तशिल्पी द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में पेंशन का लाभ प्राप्त किया गया हो, तो वह इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होगा।

(6) योजना से आच्छादित हस्तशिल्पी चार पहिया वाहन का मालिक न हो।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजनान्तर्गत बजट का प्रावधान नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इस योजनान्तर्गत धनराशि रु. 1.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

योजना को वर्ष 2018-19 से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

जिला उद्योग केन्द्र योजना

जिला उद्योग केन्द्र योजना का शुभारम्भ वर्ष 1978-79 में किया गया है। इस योजना का प्रारम्भ निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है :

1. लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करके रोजगारों का अधिकाधिक सृजन एवं औद्योगीकरण की गति में अधिक तीव्रता लाना।
2. उद्योगों की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों को एक ही छत के नीचे उद्योग स्थापना की समस्त जानकारी एवं सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना।
3. लघु एवं छोटे उद्योगों के विकास के लिये अवस्थापना का प्रबन्धन, तकनीकी उद्यमिता विकास तथा सर्वेक्षण करना।
4. लघु उद्यमियों की विभिन्न स्तरों पर अनुमतियाँ/स्वीकृतियाँ शीघ्र जारी कराने के उद्देश्य से जिला उद्योग बन्धु की स्थापना प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना

यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए क्रियान्वित की जा रही है। इस समुदाय के अधिकांश व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा इनमें से अधिकांश व्यक्ति दूर-दराज गाँवों में रहते हैं। अतः यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि ऐसे व्यक्तियों को चयनित कर उनमें स्किल्स डेवलपमेंट पैदा करने हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की मांग के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। यह तभी सम्भव था, जब प्रशिक्षार्थियों को उनके घर से ट्रेनिंग सेन्टर तक आने जाने का किराया तथा दोपहर का भोजन एवं सायंकाल की चाय आदि के व्यय

को वहन किया जाय ताकि प्रशिक्षार्थियों पर किसी प्रकार का वित्तीय भार भी न आने पाये तथा वे प्रशिक्षणोपरान्त स्वयं का उद्यम स्थापित कर रोजगारयुक्त हो सकें अथवा स्थानीय स्तर पर स्थापित/स्थापित होने वाले उद्योगों में सुगमता से रोजगार प्राप्त कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत यह प्रयास है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिक से अधिक व्यक्तियों को योजना में आच्छादित किया जाये, ताकि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षणोपरान्त एक कुशल कारीगर बन सकें।

अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हस्तशिल्पियों तथा उद्यमियों को प्रशिक्षण

प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या काफी अधिक है, इस वर्ग में सामान्यतः अत्यधिक गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है। इस समस्या के निदान हेतु अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार प्रदान करने व उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने तथा उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने इस नवीन योजना को सरकार के संकल्प पत्र के आधार पर प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अन्तर्गत लक्षित वर्ग के व्यक्तियों को हस्तशिल्प एवं गृह उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों यथा- विनिर्माण, विपणन, पैकेजिंग आदि में उद्यमिता विकास हेतु समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों हेतु रोजगार/स्वरोजगार के अवसर सृजित करते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (यू0पी0आई0डी0)

प्रदेश के हस्तशिल्प व हैण्डलूम क्षेत्र में प्रशिक्षित डिजाइनरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के मार्गदर्शन में यू0पी0आई0डी0 की स्थापना की गयी है। यू0पी0आई0डी0, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अधीन एक स्वायतशासी संस्था है जिसका उद्देश्य डिजाइन क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा व पी0जी0 डिप्लोमा कोर्सेज संचालित कर डिजाइन के क्षेत्र में प्रशिक्षित मैन पावर उपलब्ध कराना है। यू0पी0आई0डी0 को आगामी 5 वर्षों में चरणबद्ध रूप से क्राफ्ट डिजाइन के क्षेत्र में एक स्तरीय स्वायतशासी शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित किये जाने की योजना है।

योजना का विस्तृत विवरण

- प्रदेश के समृद्ध व व्यापक हस्तशिल्प क्षेत्र को डिजाइन क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1956 में सेन्ट्रल डिजाइन (सीडीसी) की स्थापना।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी) द्वारा वर्ष 1992 में प्रस्तुत रिपोर्ट में क्राफ्ट क्षेत्र के लिए एक स्वायत्तशाषी संस्थान स्थापित किए जाने की संस्तुति।
- संस्तुति के क्रम में वर्ष 2004 में सी0डी0सी0 का यूपीआईडी के रूप में परिवर्तन।
- यूपीआईडी एक इंस्टीट्यूट के रूप में वर्ष 2004 में पंजीकृत।
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल का गठन।
- वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा यूपीआईडी के रिवाइबल हेतु एनआईडी से किए गये अनुरोध के

क्रम में एनआईडी द्वारा वर्ष 2015 में विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत।

- रोडमैप में 5 वर्षों में यूपीआईडी को चरणबद्ध रूप से डिजाइन क्षेत्र के एक विश्व स्तरीय स्वायत्तशाषी शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित किए जाने की योजना।

योजना का उद्देश्य

- यूपीआईडी को क्राफ्ट डिजाइन क्षेत्र के विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित करना।
- संस्थान द्वारा डिजाइन क्षेत्र में प्रशिक्षित मैन पावर उपलब्ध कराना एवं क्राफ्ट क्षेत्र के समग्र विकास हेतु रिसर्च, डेवलपमेंट।
- प्रारम्भ में विभिन्न अवधियों के सर्टीफिकेट कोर्सेज का संचालन एवं बाद में तीन वर्ष अवधि का क्राफ्ट डिजाइन में डिप्लोमा एवं दो वर्ष का क्राफ्ट एंटरप्रिन्योरशिप में पी.जी. डिप्लोमा कोर्सेज का संचालन।
- वर्तमान में संस्थान द्वारा एन0आई0डी0 के डिजाइन विशेषज्ञों के माध्यम से विभिन्न अवधियों के सर्टिफिकेट कोर्सेज संचालित किये जा रहे हैं।

उद्यमिता विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उद्यमिता विकास संस्थान उ0प्र0, लखनऊ प्रदेश में उद्यमीय वातावरण के सृजन एवं उद्यमिता विकास के क्षेत्र में एक शीर्ष संस्थान है। प्रशिक्षण, शोध, प्रकाशन, कार्यशाला, सेमिनार व गोष्ठी आदि के माध्यम से उद्यमिता संस्कृति को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। संस्थान की स्थापना उ0प्र0 शासन द्वारा केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एवं दो व्यवसायिक बैंको (भारतीय स्टेट बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक) के सहयोग से वर्ष 1986 में एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गई। संस्थान का अपना संचालक मण्डल है जिसके अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन हैं। संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में एवं शाखा कार्यालय गोरखपुर, वाराणसी, देहरादून तथा परियोजना कार्यालय, कानपुर व मुरादाबाद में स्थित है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत औद्योगिक अवस्थापना एवं निवेश नीति 2012 के अध्याय-6 के बिन्दु सं0-63 में उद्यमिता विकास संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ को मानव संसाधन विकास हेतु ''सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स'' के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त के क्रम में संस्थान को एक राज्य स्तरीय उद्यमिता तथा मानव संसाधन विकास हेतु उच्च स्तरीय संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है

संस्थान को ''सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स'' के रूप में विकसित किये जाने हेतु मुख्य रूप से दो बिन्दुओं पर कार्यवाही की जा रही है :

0.1 ''सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स'' के रूप में अवस्थापना सुविधाओं का विकास।

0.2 प्रदेश के त्वरित औद्योगिक विकास हेतु अधिकारियों, कार्मिकों नव एवं कार्यकारी उद्यमियों की क्षमता वृद्धि हेतु विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी, सशक्त प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला व अन्य गतिविधियों का संयोजन व संचालन।

सार्वजनिक उद्यम

संक्षिप्त इतिहास

राज्य सरकार ने सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 76/ब्यूरो-31(1)74, दिनांक : 15 जुलाई, 1974 द्वारा संशोधित सामान्य (प्रशासन पुनर्संगठन) विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 31(1)-74- ओ0 एण्ड एम0, दिनांकः 21 फरवरी, 1974 के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को सचिवालय की मुख्य सचिव शाखा में एक प्रशासकीय इकाई के रूप में स्थापित किया। कालांतार में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की संख्या में वृद्धि के साथ उनके प्रबन्धन में व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं अधिक लचीलापन लाने के उद्देश्य से सचिवालय से पृथक ब्यूरो को एक तकनीकी शाखा के रूप में सार्वजनिक उद्यम विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को निदेशालय का स्तर प्रदान किया गया।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो निदेशालय के विभागाध्यक्ष महानिदेशक हैं।

प्रमुख कार्य योजनायें

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/विभाग राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों एवं उनके प्रशासनिक विभागों के लिये तकनीकी परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहा है तथा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो /विभाग द्वारा कोई विकास योजनायें आदि संचालित नहीं की जाती हैं।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा किये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/विभाग प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों एवं उनके प्रशासनिक विभाग को विशेषज्ञ तकनीकी परामर्श प्रदान कर रहा है। वर्तमान में सार्वजनिक उद्यम द्वारा मुख्यतः प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सातवाँ वेतनमान, छठा वेतनमान एवं विभिन्न वेतनमानों में मंहगाई भत्ते की अद्यतन किश्त लागू कराये जाने सम्बन्धी कार्य, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के शीर्ष पदों पर चयन समितियों के माध्यम से पदोन्नति/चयन सम्पादित किये जाने, उपक्रमों/निगमों के अवशेष वार्षिक लेखों को पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक अनुसरण आदि मुख्य कार्यकलाप सम्पादित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/विभाग द्वारा उपक्रमों/निगमों एवं उनके प्रशासनिक विभाग द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर निर्धारित नीतियों के अंतर्गत परामर्श भी समय-समय पर प्रदान किया जाता है। वर्षानुवर्ष सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के परामर्श सम्बन्धी कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है जो सारांशतः निम्नवत् है-

(क) अनुश्रवण एवं गहन अध्ययन

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा उपक्रमों/निगमों के कार्य निष्पादन का त्रैमासिक आधार पर अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिये ब्यूरो द्वारा उपक्रम विशेष के कार्यकलापों के अनुरूप रूपपत्रों का निर्धारण किया गया है। निगमों/उपक्रमों से इन रूप-पत्रों पर सूचना प्राप्त कर उनका अनुश्रवण किया जाता है।

(ख) कार्मिक नीतियों के सम्बन्ध में

समस्त सार्वजनिक उद्यमों में कार्मिक नीतियों में एकरूपता लाने एवं उनके कार्यान्वयन में विसंगतियों

को कम करने के उद्देश्य से कार्मिक नीतियों यथा- संगठनात्मक ढाँचा, सेवा शर्तों तथा वेतन एवं भत्तों इत्यादि के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया जाता है।

(ग) वित्तीय प्रबन्ध

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की परिधि में आने वाले उपक्रमों/निगमों द्वारा प्रेषित वित्तीय परिणामों के आधार पर फ्लैश रिपोर्ट तैयार करना, वित्त आयोग तथा योजना आयोग से सम्बन्धित कार्य, निगमों / उपक्रमों के अवशेष लेखों के अनुश्रवण इत्यादि का कार्य किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 की उपलब्धियाँ

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पादित कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

सम्पादित कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में मंहगाई भत्ता दिये जाने के प्रकरणों पर सार्वजनिक उद्यम विभाग स्तर पर गठित अधिकृत समिति द्वारा निगमों से प्राप्त प्रस्तावों पर बैठकें कराकर निर्णय लिए गये।
2. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 40 कार्यरत उपक्रमों/निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम से सम्बन्धित वर्ष 2015-16 के आँकड़ों के आधार पर फ्लैश रिजल्ट्स का संकलन तथा उक्त सूचना का विश्लेषण एवं संहतीकरण कर इसके आधार पर एक संहत वित्तीय स्थिति बनायी गयी।
3. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित कार्मिक, वित्तीय एवं विधिक प्रकरणों पर निगमों के प्रशासनिक विभाग से प्राप्त पत्रावलियों पर शासन को विशेषज्ञ परामर्श प्रदान किया गया।
4. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अवशेष लेखों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण कराने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया गया।
5. सार्वजनिक उपक्रमों की आहूत संचालक मण्डल की बैठकों में अधिकारियों द्वारा भाग लेकर विभागीय नीतियों/शासनादेशों को दृढ़तापूर्वक प्रतिपादित किया गया।
6. सार्वजनिक उद्यम विभाग के स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा विभिन्न निगमों/उपक्रमों के उच्च अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के चयन की कार्यवाही करायी गयी।
7. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा व अनुश्रवण किया गया।
8. सूचना के अधिकार से सम्बन्धित प्रकरणों में सूचना उपलब्ध करायी गयी।
9. सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन आडिट प्रकोष्ठ (वाणिज्यिक) स्थापित है। विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम/निगम की संयुक्त समिति की बैठकें आयोजित कराकर निगमों/उपक्रमों के लम्बित आडिट प्रस्तरों का निस्तारण कराया गया।

वर्ष 2018-19 के लिये प्रस्तावित योजनायें तथा विभाग की नीति यदि कोई हो तथा अन्य कोई उल्लेखनीय विवरण।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो राज्य सरकार के निगमों/उपक्रमों एवं उनके प्रशासनिक विभाग के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्यरत हैं तथा ब्यूरो द्वारा कोई विकास योजनायें आदि संचालित नहीं की जाती हैं।

●

भूतत्व एवं खनिकर्म

विभाग का अभ्युदय, विकास एवं मूलभूत उद्देश्य

प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख घटक खनिज संसाधनों की खोज एवं उनके व्यावसायिक स्तर के खनिज भण्डारों पर आधारित उद्योग की स्थापना हेतु शोध व अन्वेषण कार्य के निष्पादन के लिए वर्ष 1955 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गयी थी। वर्ष 1963 में इस निदेशालय को खनिजों एवं उप खनिजों के विकास व दोहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु खनन प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है। वर्ष 1984 में निदेशालय में अभियांत्रिकी भू-विज्ञान से सम्बन्धित अध्ययन तथा सर्वेक्षण का दायित्व सौंपा गया है जिससे कि क्षेत्रीय विकास में त्वरित गति से हो रहे निर्माण कार्यों के होने के फलस्वरूप पर्यावरण को होने वाली सम्भावित क्षति के कारणों का अध्ययन करके उसे न्यूनतम स्तर तक बनाये रखा जा सके। खनिज सेक्टर में खनिज विकास के बढ़ते कार्यकलापों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु वर्ष 1985 में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को खनिज सेक्टर का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया। वर्ष 1998 में पहली बार खनिजों के संतुलित विकास एवम् खनिज आधारित उद्योगो को प्रोत्साहित करने हेतु खनिज नीति घोषित की गयी। खानिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए महत्त्वपूर्ण सूचनाएं निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी हैं।

निदेशालय द्वारा विगत वर्षों में संचालित खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों के फलस्वरूप जनपद सोनभद्र में 69.61 मिलियन टन सीमेन्ट ग्रेड लाइन स्टोन, 21.5 मिलियन टन डोलोमाइट, 16.5 मिलियन टन चाइनाक्ले, 9.8 मिलियन टन सिलिमिनाइट एवं 646.15 किलोग्राम स्वर्ण धातु के भण्डार पाये गये। जनपद ललितपुर में 0.50 मिलियन टन पाइरोफिलाइट/डायस्पोर, 5.1 मिलियन टन राक फास्फेट, 147.00 किलोग्राम स्वर्ण, 100 मिलियन टन लौह-अयस्क, 0.3 मिलियन टन एस्बेस्ट्स, 12 मिलियन टन क्वार्ट्ज, 608 एकड़ सैण्ड स्टोन, 4849.19 लाख घन मीटर ग्रेनाइट (डायमेन्शनल स्टोन) तथा जनपद इलाहाबाद में 15.00 मिलियन टन सिलिकासैण्ड के भण्डार की खोज की गई। इससे प्रदेश में सीमेण्ट श्रेणी के चूना पत्थर, डोलामाइट, पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, ग्रेनाईट, सैण्डस्टोन/ग्रेनाइट (डायमेन्शनल स्टोन) एवं सिलिका सैण्ड के भण्डारों का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर किया जा रहा है और इन क्षेत्रों के सैण्डस्टोन प्रदेश के विभिन्न स्मारकों में लगाये जा रहे हैं। प्रदेश में बहुमूल्य खनिजों की खोज विगत वर्षों से की जा रही है जिसमें जनपद सोनभद्र में स्वर्ण की खोज व ललितपुर में स्वर्ण एवं प्लेटिनम समूह की धातुओं की खोज का कार्य प्रगति पर है।

विभाग के मूलभूत उद्देश्य :-

(क) खनिज अन्वेषण

प्रदेश में औद्योगिक विकास तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण से उपयोगी खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों के अन्तर्गत नये खनिज भण्डारों की खोज एवं उपयुक्त खनिज भण्डारों का सिद्धीकरण किया जाना है।

(ख) खनन प्रशासन

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ.प्र. द्वारा प्रदेश में उपलब्ध खनिज संसाधनों की खोज एवं खनिज भण्डारों पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु शोध/अन्वेषण कार्य किया जा रहा है। खनन प्रशासन के अन्तर्गत यह विभाग प्रदेश के राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों में से एक है। खनिज राजस्व एवं उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश के 12 जनपदों को खनिज बाहुल्य जनपदों के रूप में चिह्नित किया गया है।

विकास के आगामी लक्ष्य (चालू वित्तीय वर्ष 2018-19)

(क) खनिज अन्वेषण

वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभाग द्वारा खनिज अन्वेषण योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 10 अन्वेषण कार्यक्रम निर्धारित हैं, जिन्हें राज्य भूवैज्ञानिक कार्यक्रयी परिषद् के अनुमोदन के उपरान्त वर्ष 2018-19 में भी संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

1. जनपद ललितपुर के इकौना-दांगली के आसपास के क्षेत्रों में स्थित अल्ट्रामैफिक काम्पलेक्स में प्लेटिनम ग्रुप की धातुओं का विस्तृत अन्वेषण कार्यक्रम।
2. जनपद-सोनभद्र के हरदी क्षेत्र के विन्ध्यन कांग्लोमरेट के पश्चिमी ब्लाक में स्वर्ण धातु की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।
3. जनपद ललितपुर के बेरवार क्षेत्र में स्वर्ण धातु की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।
4. जनपद सोनभद्र की सोन एवं कनहर नदी के साथ पठारी क्षेत्र में खनन से पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण के सन्तुलन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।
5. जनपद ललितपुर के सोल्दा एवं उल्दना क्षेत्र में लौह धातु खनिजीकरण हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।
6. जनपद ललितपुर के मथुरा डंग क्षेत्र में बेराईट धातु की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।
7. जनपद महोबा के कबरई क्षेत्र में खनन से पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के संतुलन पर पडने वाले प्रभाव का अध्ययन।
8. जनपद झाँसी, ललितपुर व महोबा में डायमेन्शनल ग्रेनाईट व सैण्डस्टोन के क्षेत्रों की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।
9. जनपद इलाहाबाद के शंकरगढ़ एवं चित्रकूट के बड़गढ़ क्षेत्र में सिलिका सैण्ड के भण्डारों की खोज एवं सिलिका सैण्ड के उपलब्ध भण्डारों का पुनर्मूल्यांकन कर ऑक्शन योग्य ब्लाक बनाने हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।
10. जनपद ललितपुर के सोनरई क्षेत्र मे बिजावर समूह की चट्टानों में पाये जाने वाले रॉक फास्फेट

के भण्डारों को एम.ई.सी.एल. के सहयोग से पुनर्मूल्यांकन कर ऑक्शन योग्य ब्लाक बनाने तथा रॉक फास्फेट के विस्तार की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।

आगामी लक्ष्य

उक्त खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों द्वारा प्रदेश में खनिजों के विकास के साथ ही साथ खनिज आधारित औद्योगीकरण पर बल देने तथा बहुमूल्य खनिजों की सम्भावना वाले स्रोतों की खोज हेतु सर्वेक्षण के अन्तर्गत सोना, हीरा, प्लेटिनम व पैलेडियम की खोज हेतु प्रारम्भिक भूवैज्ञानिक एवं भूभौतिकीय अन्वेषण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। भूवैज्ञानिक/भू-भौतिकीय अन्वेषण कार्यक्रमों के अतिरिक्त खनिज आँकड़ों का कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी सम्मिलित है।

वर्ष 2018-19 में खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों के भौतिक लक्ष्य निम्नवत् प्रस्तावित हैंः-

क्रम सं0	विधा	लक्ष्य
1.	वेधन (मीटर)	300
2.	पिटिंग/ट्रेंचिंग (घन मीटर)	740
3.	भूवैज्ञानिक मानचित्रकरण (वर्ग किमी0)	10.77
4.	ट्रेवर्सिंग/भूवैज्ञानिक मानचित्रकरण 1:12500 (वर्ग किमी0)	300

(ख) खनन प्रशासन

निर्धारित कार्यक्रम

ईंट-भट्ठों के लिये ईंट मिट्टी खनन में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र लागू किये जाने के कारण ईंट भट्ठा का संचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहा है। जैसे-जैसे ईंट मिट्टी खनन के लिये पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाता है, वैसे-वैसे ईंट मिट्टी की रायल्टी जमा कराकर ईंट मिट्टी खनन की अनुमति प्रदान की जा रही है।

आगामी लक्ष्य

वर्ष 2018-19 में खनन प्रशासन के अन्तर्गत रु0 3250.00 करोड़ की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नदी तल में स्थित उपखनिजों बालू/मौरंग के दीर्घकालीन पट्टे ई-निविदा/ई-नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किये जाने हेतु शासनादेश (दिनांक 14.08.2017) जारी कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। आशा है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में बालू/मौरंग के खनन पट्टे स्वीकृत हो जाने के उपरान्त निर्धारित लक्ष्य लगभग रु0 3250.00 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हो सकेगा।

●

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा वर्तमान में बढ़ती हुयी प्रतिस्पर्धा एवं तकनीकी विकास के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियाँ और कार्यक्रम क्रियान्वित करने की योजना है, जिससे इस उद्योग में कार्यरत बुनकरों को सहायता, समर्थन, प्रोत्साहन और तकनीकी सुविधा प्रदान की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग के अन्तर्गत संचालित/प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण योजनायें निम्नवत हैं :

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा 12वी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार की योजना है। योजनान्तर्गत प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न उप-घटक सम्मिलित हैं :

(i) क्लस्टर विकास कार्यक्रम

इस उप-घटक में ब्लाक स्तर पर हथकरघा बुनकरों को सम्मिलित कर क्लस्टर विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत क्लस्टर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जैसे- कानपुर, गोरखपुर, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, अलीगढ़, आगरा, हापुड़, चन्दौली, वाराणसी, बरेली, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, ललितपुर, फर्रूखाबाद, मुरादाबाद और अमरोहा में संचालित हैं।

(ii) विपणन प्रोत्साहन

विपणन प्रोत्साहन उप-घटक के लाभ के लिये प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समिति, शीर्ष बुनकर सहकारी समिति एवं राष्ट्रीय हथकरघा संगठन आदि को विगत तीन वर्षों के औसत बिक्री कारोबार का 10 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन देय होगा। इसमें भारत सरकार का अंश 50 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अंश 50 प्रतिशत का होगा।

(iii) हथकरघा विपणन सहायता (मार्केटिंग प्रमोशन)

हथकरघा विपणन सहायता योजना केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत हथकरघा समितियों/संस्थाओं को उनके उत्पादों की बिक्री हेतु स्थल उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार द्वारा स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो/राष्ट्रीय स्तर के मेले/प्रदर्शनी लगाने हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो/राष्ट्रीय स्तर के मेले/प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।

(2) हथकरघा उद्योग बुनकरों को प्रोत्साहित करने जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना प्रस्तावित परिवर्तित नाम हथकरघा उद्योग बुनकरों को प्रोत्साहित करने हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना

वित्तीय वर्ष 2017-18 में हथकरघा उद्योग बुनकरों को प्रोत्साहित करने हेतु हथकरघा उद्योग

बुनकरों को प्रोत्साहित करने जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना के नाम से संचालित योजना को वित्तीय वर्ष 2018-19 में आंशिक संशोधन तथा राज्य स्तर के पुरस्कार की संख्या में वृद्धि एवं नाम परिवर्तन कर हथकरघा उद्योग बुनकरों को प्रोत्साहित करने हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना के नाम से क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने एवं बुनकरों में प्रतिस्पर्धा लाने तथा उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करने के लिये योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत परिक्षेत्र स्तरीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कारों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के नगद पुरस्कार के साथ शील्ड, अंगवस्त्रम, प्रमाण-पत्र प्रदान करने की व्यवस्था है।

परिक्षेत्रीय स्तर पर कुल 39 पुरस्कार में प्रथम श्रेणी के 13 बुनकरों को रु. 20,000.00 प्रति बुनकर, द्वितीय श्रेणी के 13 बुनकरों को रु. 15,000.00 प्रति बुनकर एवं तृतीय श्रेणी के 13 बुनकरों को रु. 10,000.00 प्रति बुनकर तथा राज्य स्तर पर चयनित कुल 12 बुनकरों को प्रथम श्रेणी के 4 बुनकरों को रु. 1,00,000.00 प्रति बुनकर, द्वितीय श्रेणी के 4 बुनकरों को रु. 50,000.00 प्रति बुनकर एवं तृतीय श्रेणी के 4 बुनकरों को रु. 25,000.00 प्रति बुनकर का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में हथकरघा उद्योग बुनकरों को प्रोत्साहित करने हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य हथकरघा पुरस्कार योजनान्तर्गत रु. 19.85 लाख की बजट व्यवस्था है।

हथकरघा क्षेत्र के प्रशिक्षार्थियों को सहायता

योजनान्तर्गत भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी के त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स के प्रशिक्षार्थियों हेतु प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीटों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों को 50:50 के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि देय होती है। जिसमें राज्यांश के रूप में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए रु. 500.00 प्रति छात्र, द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए रु. 550.00 प्रति छात्र एवं तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए रु. 600.00 प्रति छात्र की दर से 10 माह (जुलाई से अप्रैल) के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि प्रदान की जाती है। वर्तमान में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी के त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स हेतु उ0प्र0 हेतु 45 सीट निर्धारित हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी के त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु कुल रु. 7.25 लाख (रु. सात लाख पच्चीस हजार मात्र) के बजट का प्रावधान है।

पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को विद्युत बिलों में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 में पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति हेतु रु. 15000.00 लाख (रु. एक अरब पचास करोड़ मात्र) के बजट का प्रावधान है।

हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में 12703 हथकरघा बुनकरों को विद्युत दरों में छूट की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति हथकरघा बुनकर रु. 3936/- वार्षिक के अनुसार 4,99,99,008.00 (रु. चार करोड़ निन्यानबे लाख निन्यानबे हजार आठ मात्र) के बजट की आवश्यकता होगी। अतः वित्तीय वर्ष 2018-19 में हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत रु. 500.00 लाख (रु. पाँच करोड़ मात्र) के बजट का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सम्मान योजना

हथकरघा बुनकर भारतीय समाज की परम्परागत कला एवं संस्कृति की विरासत को संरक्षित रखने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हथकरघा बुनकरों का पलायन रोकने, कला एवं संस्कृति को संरक्षित रखने एवं लुप्त होने से बचाने हेतु यह आवश्यक है कि हथकरघा बुनकरों को राज्य सरकार से विशेष सुविधा प्रदान कर उनके पलायन को रोका जाये, ताकि वे हथकरघा व्यवसाय में लगे रहें। साथ ही साथ हथकरघा बुनकर पूरे जीवन काल में मेहनत कर भारतीय संस्कृति, परम्परा एवं कला को संरक्षित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान करते हैं। जिसके लिये सरकार की तरफ से हथकरघा बुनकरों को सम्मान प्रदान करना आवश्यक है। हथकरघा बुनकरों की दयनीय आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने एवं उन्हें सम्मान देने हेतु ऐसे हथकरघा बुनकर ही पात्र होंगे, जिनकी न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो गयी है, किन्तु अधिकतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा अर्थात चयनोपरान्त शेष जीवनकाल तक इस सम्मान हेतु वे अधिकृत होंगे। योजनान्तर्गत रु. 500.00 प्रति बुनकर प्रतिमाह देय है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 3267 हथकरघा बुनकरों को योजना का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सम्मान योजनान्तर्गत प्रति बुनकर 500/- प्रतिमाह की दर से एक वर्ष हेतु प्रति बुनकर रु. 6000/- सम्मान धनराशि देय होगी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु. 200.00 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सम्मान योजनान्तर्गत कुल धनराशि रु. 200.00 लाख (रु. दो करोड़ मात्र) का बजट का प्रावधान है।

जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग विकास योजना प्रस्तावित परिवर्तित नाम मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजना

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के परम्परागत पावरलूम उद्योग को आधुनिक एवं उच्चीकृत पावरलूम में परिवर्तित कर उनके आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु संचालित की गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग विकास योजना को वित्तीय वर्ष 2018-19 से मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजना के नाम से क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत पावरलूम बुनकरों को निम्नलिखित मदों में लाभान्वित कराया जायेगा। 1- आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण, 2- कार्यशाला का निर्माण, 3- उच्चीकृत पावरलूम की स्थापना जिसमें 60 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत बुनकर अंश के रूप में वहन किये जाने का प्रावधान है। तथा सीटू अपग्रेडेशन स्कीम फार प्लेन पावरलूम योजना में सामान्य श्रेणी के बुनकरों के लिये 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बुनकरों के लिये 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजनान्तर्गत 50 व्यक्तिगत पावरलूम बुनकरों एवं 10 पावरलूम इकाइयों के माध्यम से कुल 90 बुनकरों को लाभान्वित कराये जाने हेतु रु. 100.00 लाख (रु. एक करोड़ मात्र) के बजट का प्रावधान है।

धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति

वित्तीय वर्ष 2018-19 में धुनकरों को विद्युत कर में छूट की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत धनराशि रु. 100.00 लाख (रु. एक करोड़ मात्र) के बजट का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना

योजनान्र्तगत पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली नई/विस्तारीकृत/विविधीकृत वस्त्र उद्योग यथा– कताई (स्पिनिंग) निर्माण इकाइयों को इकाई की स्थापना हेतु बैंको/वित्तीय

संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्ष तक प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान है। इसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु. 1.00 करोड़ होगी। स्पिनिंग यूनिट को छोड़कर अन्य वस्त्र उद्योग की इकाइयों पर यह उपादान 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्षों के लिए प्रति यूनिट अधिकतम 1.00 करोड़ होगी। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये वस्त्रोद्योगों के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु. 50.00 लाख होगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजनान्तर्गत में रु. 500.00 लाख (रु. पाँच करोड़ मात्र) के बजट का प्रावधान है।

जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर में हथकरघा उद्योग के लिये विपणन केन्द्र की स्थापना

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में हथकरघा बुनकरों को उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों की समुचित निकासी के उद्देश्य से जनपद आजमगढ़ के कस्बा-मुबारकपुर में हथकरघा बुनकर विपणन केन्द्र की स्थापना योजना संचालित है जिसके अन्तर्गत कुल स्वीकृत धनराशि रु. 1245.84 लाख कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, आजमगढ़ इकाई द्वारा धनराशि रु. 1245.23 लाख की लागत से विपणन केन्द्र बनाकर तैयार किया जा चुका है।

बुनकरों को विद्युत आपूर्ति हेतु इन्डीपेन्डेन्ट फीडर की व्यवस्था

प्रदेश के पावरलूम बाहुल्य क्षेत्रों में उत्पादन कार्य विद्युत आपूर्ति पर निर्भर करता है। पावरलूम बाहुल्य क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति अनवरत न होने के कारण उनके उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बुनकरों को विद्युत आपूर्ति हेतु इन्डीपेन्डेन्ट फीडर की व्यवस्था योजनान्तर्गत परिक्षेत्रीय कार्यालयों से कई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण धनराशि रु. 0.01 लाख (रु. हजार मात्र) के टोकन बजट का प्रावधान है।

पावरलूम कामगारों के लिए समूह बीमा योजना

पावरलूम कामगारों की स्वाभाविक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में बढ़ा हुआ बीमा कवर एवं उच्चतर बीमा राशि प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा समूह बीमा योजना पावरलूम क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के लिए लागू की गई है जिसमें प्रति बुनकर वार्षिक प्रीमियम रुपये 470.00 है जिसके अन्तर्गत पावरलूम बुनकर का अंशदान रु. 80.00 भारत सरकार का अंशदान रुपये 290.00 एवं एल0आई0सी0 (सामाजिक सुरक्षा निधि से) रु. 100.00 सम्मिलित है। यह योजना पावरलूम सर्विस सेन्टर के माध्यम से वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय शारदा नगर कानपुर द्वारा संचालित की जा रही है। योजना में निम्न लाभ देय है :

	51 वर्ष से 59 वर्ष की उम्र तक	**18 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र तक**
1. साधारण मृत्यु की दशा में	60,000.00	2,00,000.00
2. दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर	1,50,000.00	2,00,000.00
3. दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थाई अपंगता पर	1,50,000.00	2,00,000.00
4. दुर्घटना के कारण आंशिक स्थाई अपंगता पर	75,000.00	1,00,000.00

यह योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से लिंक कर दी गयी है।

महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना

प्रदेश के हथकरघा बुनकरों के लिए महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हथकरघा बुनकरों की स्वाभाविक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में तथा पूर्ण एवं आंशिक निसक्तता के मामलों में बढ़ा हुआ बीमा कवर एवं उच्चतर बीमा राशि प्रदान करना है। योजना में प्रति बुनकर वार्षिक प्रीमियम रु. 470.00 है जिसमें बुनकर का अंश रु. 80.00 भारत सरकार का अंश रु. 290.00 तथा भारतीय जीवन बीमा निगम का अंश रु. 100.00 सम्मिलित है।

योजनान्तर्गत निम्नवत हित लाभ देय है :

	51 वर्ष से 59 वर्ष की उम्र तक	18 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र तक
1. साधारण मृत्यु की दशा में	60,000.00	60,000.00
2. दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर	1,50,000.00	1,50,000.00
3. दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थाई अपंगता पर	1,50,000.00	1,50,000.00
4. दुर्घटना के कारण आंशिक स्थाई अपंगता पर	75,000.00	75,000.00

यह योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से लिंक कर दी गयी है।

उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व वस्त्र नीति को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नई उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम, वस्त्र नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश के वस्त्र उद्योग क्षेत्र में नीति के अन्तर्गत अनुमन्य विभिन्न वित्तीय सुविधाओं से लाभान्वित कराया जायेगा। इस नीति के अन्तर्गत आच्छादित प्रमुख घटक व उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः-

(क) ब्याज उपादान योजना

वस्त्र उद्योग इकाइयों को बैंको/वित्तीय संस्थाओं से प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्षों के लिये अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई रु. 1.5 करोड़ प्रतिपूर्ति की जायेगी। यह सीमा गौतमबुद्धनगर जनपद के लिए प्रतिवर्ष रु. 75 लाख होगी।

(ख) मेगा एवं सुपर मेगा परियोजनाओं की स्थापना

मेगा एवं सुपर मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रदेश सरकार द्वारा निम्नवत प्रोत्साहित किया जायेगा :

(1) इन परियोजनाओं हेतु भूमि का आवंटन, जल, विद्युत संयोजन आदि को प्राथमिकता से फास्ट ट्रैक मोड पर उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी इकाइयों को यदि परियोजना की स्थापना हेतु अवस्थापना सम्बंधी सुविधायें जैसे- सड़क, विद्युत लाइन, सीवर लाइन, जल निकासी की आवश्यकता होगी, तो उसे यथासम्भव शासकीय व्यय पर उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जाएगा।

(2) सुपर मेगा इकाइयों को उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त केस-टू-केस आधार पर अन्य प्रदेशों की

तर्ज पर सुविधा या उनकी आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य सचिव की कमेटी की संस्तुति तथा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त वे सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं जो उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति से आच्छादित नहीं है।

(3) गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर समस्त जनपदों में मेगा एवं सुपरमेगा गारमेन्टिंग इकाइयों को प्रतिमाह प्रति श्रमिक रु. 3200.00 (रु. तीन हजार दो सौ मात्र) रोजगार सृजन अनुदान 05 वर्षों तक प्रदान किया जायेगा।

(ग) ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति

100 अथवा उससे अधिक श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने वाली सभी नई वस्त्रोद्योग इकाइयों को नियोक्ता के अंश के 50 प्रतिशत तथा 200 से अधिक श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को नियोक्ता के अंश का 60 प्रतिशत की दर से 5 वर्षों तक प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

(घ) स्टैम्प ड्यूटी में छूट

राज्य तथा केन्द्र सरकार अथवा उनके स्वमित्वाधीन निगम, परिषद, बोर्ड कम्पनी, संस्था अथवा निजी श्रोतों से भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनेमेण्ट के क्रय या पट्टे पर लेने पर बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर जनपद में स्थापित होने वाले वस्त्रोद्योग से सम्बन्धित इकाइयों को स्टैम्प शुल्क में 100 प्रतिशत गौतमबुद्ध नगर जनपद में स्थापित होने वाले वस्त्रोद्योग से सम्बन्धित इकाइयों को स्टैम्प शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट उपलब्ध करायी जायेगी।

(ङ) सरकारी एजेन्सियों से भूमि के आवंटन पर छूट

सरकारी एजेन्सियों यथा- यू.पी.एस.आई.डी.सी., सीडा, लीडा एवं अन्य विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों में टेक्सटाइल यूनिटों के लिये भूमि के आवंटन में छूट प्रदान की जायेगी। भूमि की कीमत की 50 प्रतिशत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति उन निवेशकों को की जायेगी, जो ऐसी सरकारी संस्थाओं से प्रत्यक्षतः भूमि क्रय करते हैं। यह प्रतिपूर्ति तब की जायेगी, जब इकाई भूमि क्रय के पाँच वर्षों के अन्दर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर देती है। गौतमबुद्ध नगर (जी0बी0 नगर) जनपद में यह सब्सिडी 30 प्रतिशत होगी। यह सब्सिडी कुल परियोजना लागत की 5 प्रतिशत तक सीमित होगी।

(च) निजी टेक्सटाइल पार्कों/औद्योगिक आस्थानों को प्रोत्साहन

राज्य में (गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर) टेक्सटाइल पार्कों/आस्थानों की स्थापना के लिये 25 एकड़ अथवा अधिक की भूमि के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज की 50 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों के लिये की जायेगी। सब्सिडी की अधिकतम सीमा रु. एक करोड़ प्रतिवर्ष होगी। इसके अतिरिक्त टेक्सटाइल पार्कों के आन्तरिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लिये गये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज की 60 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों के लिये की जायेगी। ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा रु. 10 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति टेक्सटाइल पार्क/आस्थान होगी, जिसकी अधिकतम संचयी सीमा रु. 50 करोड़ तक होगी। टेक्सटाइल पार्कों/आस्थानों के विकासकर्ता को भूमि के क्रय पर 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट अनुमन्य होगी। इन टेक्सटाइल पार्कों/आस्थानों में प्रत्येक प्लाट/इकाई की स्थापना हेतु प्रथम क्रेता को 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट अनुमन्य होगी।

(छ) कार्यशील पूँजी अनुदान

रेशम रीलिंग इकाइयाँ, जो प्रदेश में उत्पादित कोये से न्यूनतम 75 प्रतिशत धागा उत्पादन करती

हैं, उन्हें वर्किंग कैपिटल ऋण पर 5 वर्षों तक 5 प्रतिशत की दर से ब्याज उपादान दिया जायेगा। इसकी अधिकतम सीमा रु. 50 हजार प्रतिवर्ष होगी।

(ज) पूँजीगत उपादान

वस्त्र उद्योग और गारमेन्टिंग इकाई को प्लांट एवं मशीनरी हेतु 25 प्रतिशत पूँजीगत उपादान की प्रतिपूर्ति प्रोजेक्ट लागत व न्यूनतम रोजगार सीमा के आधार पर 2 से 100 करोड़ तक की सीमा तक की जायेगी। इसके अतिरिक्त रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु अधिकतम रु. 1.00 करोड़ तक पूँजी निवेश करने वाली इकाइयों को राष्ट्रीय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण पर 15 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जायेगा, जिसकी गणना बैंक द्वारा आगणित परियोजना लागत पर की जायेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 20 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जायेगा।

(झ) अवस्थापना ब्याज उपादान

वस्त्र उद्योग इकाइयों को उनके द्वारा उपयोग हेतु अवस्थापना सुविधाओं यथा- सड़क, सीवर, इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट, जल निकासी, पावर लाइन, ट्रान्सफार्मर एवं विद्युत फीडर की स्थापना इत्यादि के विकास हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रति इकाई कुल रु. 1.00 करोड़ की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(ञ) राज्य कर में छूट

- राज्य को प्राप्त नेट जी0एस0टी0 अंश की प्रतिपूर्ति स्थायी पूँजी निवेश (भूमि, भवन, अन्य निर्माण, प्लान्ट एवं मशीनरी) का 25 प्रतिशत की अधिकतम वार्षिक सीमा तक अथवा वास्तविक वार्षिक कर जमा, जो भी कम हो, 10 वर्षों तक, 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित इकाई जो एम0एस0एम0ई0 नहीं है हेतु पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड में 90 प्रतिशत, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर) में 75 प्रतिशत तथा गौतमबुद्ध नगर में 60 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- प्रदेश में वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित मेगा एवं सुपर मेगा श्रेणी के उद्योग हेतु 80 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(ट) गुणवत्ता विकास अनुदान

वस्त्र अनुसंधान, वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता सुधार एवं विकास के लिये वस्त्रोद्योग संगठनों, वस्त्र इकाइयों के समूहों द्वारा टेस्टिंग लैब, क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब एवं टूलरूम स्थापित करने हेत प्लांट मशीनरी एवं इक्यूपमेण्ट्स पर किये जाने वाले व्यय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रति लैब/टूलरूम कुल रु. 1.00 करोड़ की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ठ) स्टाफ क्वार्टर/डोरमेट्री/हास्टेल निर्माण को प्रोत्साहन

राज्य में (गौतम नगर को छोड़कर) निर्मित होने वाले टेक्सटाइल पार्को/आस्थानों में स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री के निर्माण हेतु लिये गये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज की 60 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों के लिये की जायेगी और यह प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं के सान्निध्य में होगी। प्लग एण्ड प्लेफैसिलिटी की सुविधा हेतु ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा रु. 5.00 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति टेक्सटाइल पार्क/आस्थान/निर्माण स्थल होगी, जिसकी कुल अधिकतम सीमा रु. 30 करोड़ तक होगी। स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री हेतु जमीन की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा की जायेगी।

(ढ) तकनीकी विषय से उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति

व्यवसायिक विषयों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले ऐसे छात्र, जो कताई एवं बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट (कक्षा-11,12) उत्तीर्ण करते हैं, प्रति वर्ष ऐसे 2000 छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जायेगी।

(ण) हथकरघा बुनकर सहायक को सहायता

15 से 22 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्ति, जो हथकरघा वस्त्रों की बुनाई/रंगाई/डिजाइन आदि कार्यों में बुनकर के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, ऐसे सहायक कर्मियों को दो वर्षों तक रुपये 1000/- प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने एवं रोजगार सृजन हेतु उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017 में अनुमन्य अन्य वित्तीय सुविधायें वस्त्र उद्योग इकाइयों को प्रदान की जायेंगी। हथकरघा बुनकरों एवं सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने हेतु नीति के माध्यम से अन्य सुविधायें भी प्रदान की जायेंगी।

अतः वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये नई-नई उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017 योजनान्तर्गत धनराशि रु. 5000.00 लाख (रु. पचास करोड़ मात्र) का बजट प्रावधान है।

वर्किंग ग्रुप की संस्तुतियां

वित्तीय वर्ष 2017-18 बुनकरों को रोजगारपरक बनाने हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जनवरी-2018 तक 21170 बुनकरों को रोजगार प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 25,000 बुनकरों को रोजगारपरक बनाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2018-19 में 64 लाख मी0 कपड़ा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

हथकरघा बुनकरों की दयनीय आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने एवं उन्हें सम्मान देने हेतु मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सम्मान योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3266 हथकरघा बुनकरों को योजना का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत धनराशि रु. 200.00 लाख (रुपये दो करोड़ मात्र) का बजट का प्रावधान है। योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के परम्परागत पावरलूम उद्योग को आधुनिक एवं उच्चीकृत पावरलूम में परिवर्तित कर उनके आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाया जा रहा है। उद्योग विकास योजना को वित्तीय वर्ष 2018-19 से मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजना के नाम से क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजनान्तर्गत 50 व्यक्तिगत पावरलूम बुनकरों एवं 10 पावरलूम इकाइयों के माध्यम से कुल 90 बुनकरों को लाभान्वित कराये जाने हेतु रु. 100.00 लाख (रु. एक करोड़ मात्र) के बजट का प्रावधान है। हथकरघा विपणन केन्द्र तक पहुँचने के लिये सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु भूमि के क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रु. 19.00 लाख के बजट का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017 हेतु रु. 5000.00 लाख (रु. पचास करोड़ मात्र) की बजट व्यवस्था की गई है।

●

खादी एवं ग्रामोद्योग

प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के चतुर्मुखी विकास के लिए उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग अधिनियम 1960 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1960) के अन्तर्गत बोर्ड का गठन एक सलाहकार परिषद के रूप में हुआ था। तदुपरान्त उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1966 (अधिनियम सं0 64 सन् 1966) द्वारा बोर्ड को खादी तथा ग्रामोद्योग की योजनाओं को क्रियान्वित करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। इस प्रकार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में पुनर्गठित हुआ तथा अप्रैल 1967 में उद्योग निदेशालय उ0प्र0 से समस्त खादी व ग्रामोद्योगी योजनाएं बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयी।

खादी तथा ग्रामोद्योग की परिभाषायें – ''खादी'' का तात्पर्य कपास, रेशम या ऊन के हाथ कते सूत अथवा इनमें से दो या सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से भारत में हथकरघे पर बुने गये किसी वस्त्र से है।

''ग्रामोद्योग'' का अर्थ है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित कोई भी उद्योग जो बिजली का इस्तेमाल करके या बिना इस्तेमाल किये कोई वस्तु उत्पादित करता हो या कोई सेवा करता हो जिसमें स्थाई पूँजी निवेश (भवन/कार्यशाला, मशीनरी एवं साजो सामान) प्रति कारीगर रु. 1.00 लाख से अधिक न हो।

खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों, तत्संबन्धी क्रिया-कलापों को सफल क्रियान्वयन, ग्रामोद्योग के उत्पादों एवं योजनाओं को जन सामान्य तक पहुँचाने व उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने, प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग व्यवसाय को आकर्षित करने, उसकी क्षमता में सुधार करने, पूँजी निवेश को आकर्षिक करने, न्यून-पूँजी निवेश से अत्यधिक रोजगार सृजित करने, उत्पादकता एवं मजदूरी में वृद्धि और कारीगरों के सामाजिक कल्याण एवं समुत्थान करने, विपणन एवं विपणन अवस्थापना सुविधाओं का संवर्धन करने, कृषि आधारित उद्योगों हेतु वैल्यू-चेक-मेकेनिज्म को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण औद्योगीकरण को सुप्रभावी बनाने, एक जनपद-एक उत्पाद अवधारणा का अधिकार, खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट उत्पादों के रूप में पहचान बनाना, प्रदेश में ग्रामोद्योग के विकास हेतु पूँजी निवेश को बढ़ाना एवं उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति स्वीकृत की गयी है।

खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के मुख्य बिन्दु

- प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क/स्टेटस में ग्रामीण उद्योग की स्थापना हेतु भूमि का वरीयता के आधार पर आवंटन किया जायेगा।

- ग्राम सभा की रिक्त भूमि का आवंटन भूमि प्रबन्धक समिति के द्वारा पट्टें हेतु किया जायेगा।
- वैकल्पिक ऊर्जा/जैविक ऊर्जा पर आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहन तथा मिशन बायोगैस, मिशन बायोडीजल, मिशन प्रोड्यूसर गैस, मिशन बायो एथेनाल परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना।
- पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 100 प्रतिशत तथा पश्चिमांचल क्षेत्र में 75 प्रतिशत की दर से स्टैम्प शुल्क पर छूट।
- औद्योगिक नीति के अनुसार बड़े उद्योगों को दी जाने वाली नेट वैट/सी0एस0टी0/जी0एस0टी0 के राज्य अंश के समतुल्य जमा हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति कर प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। यह सुविधा वित्तीय वर्ष में अधिकतम रु. 5.00 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर तक सीमित रहेगी।
- नई इकाइयों को इलेक्ट्रिसिटी से 10 वर्ष की अवधि हेतु छूट।
- भारत सरकार के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड अप योजना एवं मेक इन इण्डिया योजना से समन्वित किया जाना।
- खादी-अप ब्राण्ड का उपयोग एवं प्रचार-प्रसार।

बोर्ड द्वारा संचालित आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं की वर्ष 2017-18 की भौतिक प्रगति

(1) गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी की बिक्री पर छूट

वर्ष 1960 में बोर्ड का गठन हुआ था तथा यह योजना वर्ष 1967 में उद्योग निदेशालय से बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयी है। इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 535 खादी की प्रमाणित संस्थायें लाभान्वित हो रही हैं तथा इन संस्थाओं के माध्यम से लगभग 6.50 लाख ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निर्बल वर्ग की कतकर महिलायें एवं बुनकर अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय के आधार पर गांधी जयन्ती के अवसर पर 108 कार्यदिवस के लिए 10 प्रतिशत खादी एवं खादी के बने वस्त्रों पर रिबेट राज्य सेक्टर के आय-व्ययक से अनुमन्य किया जाता है।

(2) पं0 दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता

प्रदेश के खादी संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2017-18 में खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना के स्थान पर मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या 03/2017/673/59-1-2017-126(खा)/2016टी0सी0 दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 द्वारा उत्पादन पर छूट आधारित पं0 दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू की गयी है। पं0 दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता 15 प्रतिशत की दर से देय है जिसके अन्तर्गत उक्त सहायता कत्तिनों/बुनकरों को बोनस/प्रोत्साहन के रूप में 34 प्रतिशत, संस्था को उत्पादन विकास हेतु 33 प्रतिशत तथा संस्था को विपणन संवर्धन हेतु सहायता के लिए 33 प्रतिशत दिया जायेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

(3) विपणन विकास सहायता योजना

प्रदेश में बोर्ड की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत वित्तपोषित इकाइयों के उत्पादों के प्रदर्शन/विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विपणन विकास सहायता योजना संचालित है।

जिसके माध्यम से प्रदेश की इकाइयों द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्ता के उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना हेतु अनुदान सं0-83 (एस0सी0एस0पी) के अन्तर्गत रु. 260.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि रु. 260.00 लाख से प्रदेश के समस्त जनपदों के तहसील/ब्लाक स्तर पर योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग, जागरूकता शिविर एवं पम्पलेट के माध्यम से कार्य कराया गया।

(4) ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन

प्रदेश में कार्यरत खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों को प्रदर्शन एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, आचंलिक प्रदर्शनियों के साथ-साथ जनपद मुख्यालयों पर विभिन्न अवसरों पर लगने वाले मेलों में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जिससे प्रदेश के उद्यमियों को देश के अन्य राज्यों के उद्यमियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता एवं अन्य जानकारी प्राप्त हो सके तथा वे अपने उत्पादों में बाजार की माँग के अनुरूप सुधार कर सकें। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना हेतु रु. 80.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें माघ मेला प्रयागराज में राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी एवं लखनऊ जनपद में राज्य प्रदर्शनी तथा एक वृहद् प्रदर्शनी कानपुर, 02 मण्डल स्तरीय प्रदर्शनी, वाराणसी एवं गोरखपुर में एवं 03 जनपद स्तरीय प्रदर्शनी बरेली, बलिया व मेरठ में आयोजित की गयी। जिसमें खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों की लगभग रु. 1280.58 लाख की बिक्री की गयी। प्रदेश के 75 जनपदों में विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार विभिन्न प्रचार माध्यमों जैसे- समाचार पत्रों में विज्ञापन, होर्डिंग, पम्पलेट/लिफलेट, बैनर तथा जनपद स्तर/तहसील/ब्लाक स्तर पर प्रत्येक जनपदों में 06 जागरूकता शिविर कुल 450 जागरूकता शिविर आयोजित कराते हुए अनुसूचित जाति के लोगों को खादी ग्रामोद्योगी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए उद्यमिता के लिए जागरूक किया गया। टी0वी0सी0 एवं डाकूमेंट्री फिल्म का निर्माण कराया गया।

(5) उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय

ग्रामोद्योग को सफल बनाने हेतु उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करना आवश्यक है, ताकि ग्रामोद्योगी उत्पाद प्रतियोगिता में उचित स्थान बना सकें। ग्रामीण उद्यमी को जब तक गुणवत्ता नियंत्रण के महत्त्व की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जायेगी तथा उत्पाद की टेस्टिंग की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी तब तक उक्त कार्य सम्भव नहीं है, जो कि ग्रामोद्योग को सफल बनाने की कुन्जी है।

(6) मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

राज्य सरकार की जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन करने हेतु व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना वर्ष 1994-95 से शुरू की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पालीटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों तथा शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, स्वरोजगार में रुचि रखने वाली महिलाओं एवं व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस योजना के लिए पात्र हैं।

योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में कर निबन्धन

की अधिसूचना संख्या 224 (बी)/क0नि0-6/2015-20 बी (57/10) दिनांक 04 अगस्त, 2015 के द्वारा योजना की अवधि 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी गई है।

योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1. योजनान्तर्गत ऋण की अधिकतम सीमा रु. 10.00 लाख कर दी गयी है।
2. सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों द्वारा बैंक ऋण पर मात्र 4 प्रतिशत ब्याज वहन किया जायेगा शेष ब्याज की राशि योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
3. आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं) को जिला योजना के अन्तर्गत ऋण पर ब्याज की पूर्ण धनराशि पर ब्याज उपादान (ब्याज रहित ऋण) के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
4. शासन द्वारा कुल स्वीकृत धनराशि का 1-1-1 प्रतिशत क्रमशः जागरूकता शिविर, प्रचार-प्रसार, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए प्राविधानित होगा।
5. योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को भौतिक लक्ष्य में 20 प्रतिशत मात्राकृत करते हुए आच्छादित किया गया है।

चूंकि योजनान्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा रु. 5.00 लाख से बढ़ाकर 10.00 लाख कर दी गई है, जिससे दो गुना पूँजीनिवेश करते हुए उद्योगों की स्थापना कराई जायेगी। प्रति इकाई औसत पूँजीनिवेश रु. 2.00 लाख से बढ़कर रु. 4.50 लाख होने का अनुमान है। साथ ही योजनान्तर्गत आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों हेतु सम्पूर्ण ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में शासन द्वारा अनुमन्य की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में लगभग 555 उद्यामियों को लाभान्वित कराते हुए लगभग 11100 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

(7) कम्बल कारखानों का पुनर्संचालन

बोर्ड द्वारा खादी विकास योजना के अन्तर्गत 14 खादी उत्पादन केन्द्र हैं। इसी प्रकार कम्बल योजना के अन्तर्गत 8 कम्बल कारखाने/उत्पादन केन्द्र हैं, मशीनें एवं उपकरण काफी पुरानी तकनीकी के हैं, जिसके कारण उत्पादन केन्द्रों का उत्पादन अपनी पूर्ण क्षमता से नहीं हो पा रहा है साथ ही इन उत्पादन केन्द्रों पर कच्चे माल एवं रिवाल्विंग फण्ड का भी अभाव है। उत्पादन केन्द्रों द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कराये जाने हेतु इन उत्पादन केन्द्रों को आधुनिक उपकरणों से इनके नवीनीकरण का प्रस्ताव रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासन द्वारा कम्बल उत्पादन केन्द्र गोपीगंज, (भदोही) का पुनर्संचालन हेतु रु. 34.55 लाख का प्रावधान किया गया, जिससे कि कम्बल कारखाना गोपीगंज (भदोही) में पुनर्संचालन कराया जा रहा है। खादी एवं कम्बल योजना की गत वर्षों की प्रगति निम्नवत् है-

(क) कम्बल योजना

प्रदेश के पिछड़े सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कत्तिनों एवं बुनकरों को जीविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। यह योजना उद्योग निदेशालय द्वारा वर्ष 1954 में प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के रूप में मुजफ्फनगर नजीबाबाद (बिजनौर), मिर्जापुर तथा गोपीगंज (भदोही) में प्रारम्भ की गयी थी। कालान्तर में इन केन्द्रों को कारखाने का स्वरूप प्रदान किया गया। वर्ष 1967 में यह योजना उद्योग निदेशालय से बोर्ड को हस्तान्तरित हुई। बोर्ड ने विस्तार स्वरूप दो उत्पादन केन्द्रों की स्थापना

क्रमशः जौनपुर और अदिलाबाद (गाजीपुर) में की। साथ ही वर्ष 1984-85 में दो नये कारखानों की स्थापना क्रमशः खजनी (गोरखपुर) तथा टीकरमाफी (सुल्तानपुर) में हुई। इस प्रकार वर्तमान समय में इसके अन्तर्गत छह कम्बल कारखाने एवं दो उत्पादन केन्द्र हैं। इस समय कारखानों में उत्पादन नहीं हो रहा है। अधिकांशतः मशीनें एवं उपकरण पुराने हो गये हैं जो कि आज के आधुनिक परिवेश के मुताबिक कम्बल उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं। बोर्ड द्वारा प्रथम अवस्था में कम्बल कारखाना गोपीगंज, संतरविदास नगर भदोही का पुनर्संचालन कराते हुए उत्पादन योग्य बनाया जा रहा है।

(ख) खादी योजना

खादी योजना वर्ष 1967 से बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है। खादी योजना के माध्यम से समाज के असहाय बेरोजगार एवं विकलांग व्यक्तियों को कम पूँजी निवेश से रोजगार सृजन के स्रोत उपलब्ध कराना है। वर्तमान समय में अधिक गुणवत्ता उत्पादन के लिए दो तकला, छह तकला, आठ तकला एवं बारह तकला न्यू माडलचर्खों पर सूत कताई योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है।

(8) खादी फैशन शो का आयोजन

खादी वस्त्रों को प्रोत्साहन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 69.93 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी रायबरेली से खादी वस्त्रों की नई-नई डिजाइनों में विकसित करते हुए रेडीमेड वस्त्रों को तैयार कराया गया तथा खादी एवं रेशम के वस्त्रों के परिधान को विपणन में प्रोत्साहन देने हेतु उ0प्र0 पर्यटन विभाग लखनऊ द्वारा आयोजित लखनऊ महोत्सव 2016 में एक वृहद फैशन शो का आयोजन किया गया जिसमें कि प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

(9) ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी योजना

शासन की ई-गवर्नेन्स पद्धति को बढ़ावा देने की नीति के अन्तर्गत उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के सम्बन्ध में जनसाधारण को जानकारी उपलब्ध कराने, इन्टरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान, योजनाओं की समीक्षा, अनुश्रवण, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, लेखों का रख-रखाव का डिजिटाईजेशन आदि कार्य के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ''हेतु ई-गवर्नेन्स कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी'' प्रस्तावित की गयी थी। समस्त जिला ग्रामोद्योग कार्यालयों एवं परिक्षेत्र कार्यालयों में कम्प्यूटरों की स्थापना करायी जा चुकी है। बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के वेब-बेस्ड साफ्टवेयरों का विकास कराया जा चुका है।

(10) कौशल सुधार एवं प्रशिक्षण योजना

ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों, परम्परागत कारीगरों को उनके कौशल में सुधार लाने हेतु प्रशिक्षण तथा नवीनतम तकनीक के उपकरणों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 15 दिवसीय कौशल सुधार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ताकि उद्यमी बैंक से वित्तपोषण कराकर या स्वयं के श्रोतों से स्वरोजगार स्थापित कर जीवन यापन कर सकें।

(11) पं0 दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर

पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांवों में ही उपलब्ध कराने एवं उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के निहितार्थ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से पं0 दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना तैयार की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित/स्थापित इकाइयों को ब्याज उपादान की सुविधा अनुमन्य की जायेगी। आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को (35 प्रतिशत अनुदान +5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान छोड़कर) 60 प्रतिशत ऋण राशि पर एवं सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत (पुरुष) लाभार्थियों को (10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान एवं +25 प्रतिशत अनुदान राशि पर ब्याज छोड़कर) 65 प्रतिशत ऋण धनराशि पर ब्याज उपादान देय है।

अन्य योजनाएं

1. व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना :

ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमियों का चयन प्रचार-प्रसार करके किया जाता है, उसके उपरान्त उनको स्थानीय तौर पर ही 15 दिन का ग्रामोद्योगी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके अन्तर्गत उद्यमी उत्प्रेरणा, रोजगार चयन, वित्त पोषण प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, विपणन आदि उद्योग स्थापना से सम्बन्धित बिन्दुओं पर क्लासरूम प्रशिक्षण एवं क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण उपरान्त मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत इनका वित्तपोषण करके ग्रामोद्योगी इकाई स्थापित करायी जाती है। व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना हेतु रु. 50.00 लाख की धनराशि आयोजनेत्तर मद में शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 50.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके सापेक्ष स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय तौर पर ही सात दिवसीय ग्रामोद्योगी प्रशिक्षण सत्र के आयोजन के माध्यम से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है।

ग्रामीण उद्यमियों की पुरस्कार योजना

ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए उक्त योजना संचालित की गयी है। जिसके अन्तर्गत अच्छी ग्रामोद्योगी इकाइयों के प्रतिनिधि को मण्डल स्तरीय कमेटी से चयन के उपरान्त पुरस्कृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि रु. 5.50 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि प्रदेश के 03 उत्कृष्ट उद्यमियों एवं प्रदेश के समस्त 18 मण्डलों के उत्कृष्ट उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

आम आदमी बीमा योजना

प्रदेश के खादी कामगारों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मुम्बई भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से समूह बीमा पालसी योजना (जन श्री बीमा योजना) संचालित की जा रही है। इस योजना द्वारा खादी कामगारों की मृत्यु/विकलांगता की स्थिति में उनको या उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करके भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान की गयी है और खादी कामगारों के बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 16.90 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके सापेक्ष 135200 खादी कामगारों को आच्छादित किया जायेगा।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 15 अगस्त, 2008 से प्रारम्भ की गयी है। इस

योजना को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित कराया जाता है। योजना के अन्तर्गत रु. 25.00 लाख तक परियोजना लागत के उद्यमों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में करने हेतु बैंकों के माध्यम से बेरोजगार व्यक्तियों/संस्थाओं/समितियों को ऋण स्वीकृत कराया जाता है।

परियोजना लागत पर सामान्य (पुरुष) वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जो इकाई के सफल संचालन के उपरान्त तीन वर्ष में अनुदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) उपलब्ध कराने का प्रावधान है इसके अतिरिक्त सामान्य (पुरुष) वर्ग के उद्यमियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना होता है।

●

रेशम विकास

विश्व में उत्पादित होने वाले चार प्रकार के व्यवसायिक रेशम की किस्मों में भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ चारों प्रकार के रेशम (शहतूती, टसर, अरण्डी एवं मूंगा सिल्क) का उत्पादन हो रहा है। मूंगा रेशम का उत्पादन पूरे विश्व में मात्र भारत के असम राज्य में ही किया जाता है। वर्तमान समय में प्रदेश में तीन प्रकार के रेशम यथा- शहतूती, टसर एवं अरण्डी रेशम का उत्पादन किया जा रहा है। रेशम उद्योग कृषि पर आधारित कुटीर उद्योगों में अग्रणी स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश की शस्य-श्यामला उर्वरा भूमि, भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं जैव विविधता, रेशम उद्योग हेतु सर्वथा अनुकूल एवं उपयुक्त है। रेशम उद्योग के अन्तर्गत शहतूत, अर्जुन एवं अरण्डी की खेती, रेशम कीटपालन एवं धागाकरण आदि क्रियाकलाप मुख्य हैं। शहतूती रेशम कीट का भोज्य पदार्थ शहतूत की पत्ती, टसर रेशम कीटो का अर्जुन एवं आसन की पत्ती तथा एरी रेशम कीट का अरण्डी की पत्ती है। अतः इस उद्योग हेतु शहतूत, अर्जुन एवं अरण्डी की खेती आवश्यक है। रेशम उद्योग पर्यावरण मित्र उद्योग होने के साथ-साथ श्रमजनित भी है।

प्रदेश की कच्चे रेशम धागे की मांग वर्तमान मे उत्पादित धागे से बहुत अधिक है, जिसकी पूर्ति देश के कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यो तथा विभिन्न देशो से रेशम के माध्यम से होती है। भारत में उत्पादित कच्चे रेशम की पर्याप्त मात्रा में खपत प्रदेश के परम्परागत रेशम बुनाई क्षेत्रों वाराणसी एवम् आजमगढ़ में हो रही है। प्रदेश में रेशम की सुदृढ़ बाजार व्यवस्था उपलब्ध है तथा इस हेतु जनपद वाराणसी के सारंग तालाब स्थित स्थान पर सिल्क एक्सचेंज की स्थापना की गयी है। भारतवर्ष के विकसित रेशम उत्पादन राज्यों यथा- कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर आदि से प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्रदेश में रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने एवं कृषकों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु विभाग द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

रेशम उद्योग के अन्तर्गत शहतूत, अर्जुन, अरण्डी की खेती को बढ़ावा देते हुए तीनों प्रकार के रेशम उत्पादन से जुड़े क्रिया-कलापों हेतु शृंखलाबद्ध कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेशम उत्पादन से जुड़े कार्यक्रमों में रेशम कीट के भोज्य वृक्षों के विकास हेतु पौध उत्पादन, वृक्षारोपण, पत्ती उत्पादन, चाकी कीटपालन, उत्तरावस्था कीटपालन, कोया उत्पादन तथा पोस्ट ककून के अन्तर्गत धागाकरण आदि प्रमुख क्रियाकलाप सम्मिलित हैं।

शहतूती रेशम का उत्पादन प्रदेश के ज्यादातर तराई, पूर्वांचल एवं पश्चिमी क्षेत्र के जनपदों में किया जा रहा है, टसर रेशम का उत्पादन बुन्देलखण्ड एवं विंध्याचल क्षेत्र तथा अरण्डी रेशम का उत्पादन यमुना नदी के किनारे स्थित कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन एवं बांदा आदि जनपदों में किया जा रहा है। प्रदेश की ऊष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण जलवायु में शहतूती रेशम के अतिरिक्त ट्रापिकल टसर एवं एरी रेशम उद्योग के क्रियाकलाप सफलतापूर्वक क्रियान्वित किये जाने हेतु सभी आवश्यक सम्भावनाएँ विद्यमान हैं।

रेशम निदेशालय, उ0प्र0 का मुख्य उद्देश्य

- रेशम उत्पादन के विभिन्न क्रियाकलापों को निजी क्षेत्र मे प्रोत्साहित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रो में अधिकाधिक रोजगार सृजन।
- रेशम धागे की मांग एवं आपूर्ति के अन्तर को कम करना।
- विभिन्न क्षेत्रों में रेशम उत्पादन की संभावनाओं के अनुरूप योजनाओं/परियोजनाओं की संरचना कर उनका क्रियान्वयन कराया जाना।
- रेशम उद्योग के विकास की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाना।

प्रादेशिक को-ऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लिमिटेड का गठन

प्रदेश में अलग रेशम निदेशालय की स्थापना के पश्चात् वर्ष 1987 से 1982 तक की उपलब्धियों एवं कृषकों/कीटपालकों द्वारा उत्पादित रेशम कोयों के त्वरित भुगतान मे आने वाली कठिनाइयों, रेशम उद्योग के कार्यक्रमों में गतिशीलता लाने एवं दूरस्थ इलाकों में कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन आदि को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1992 में ''प्रादेशिक को-ऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन'' का गठन निबन्धन उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन दिनांक 14.12.1992 को किया गया जिसका निबंधन संख्या एल.के.ओ.-सेरी 00241 है और कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है। पी.सी.एस.एफ. के गठन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से रेशम उद्योग के विकास एवं उत्पादित रेशम कोया/धागा के विक्रय की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना है।

रेशम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत सृजित अवस्थापना सुविधाएँ

1. राजकीय शहतूत उद्यानों की संख्या	- 160
2. शहतूत उद्यानों का कुल क्षेत्रफल	- 1604.14 एकड़
3. शहतूत उद्यानों का कुल वृक्षारोपित क्षेत्रफल	- 1144.18 एकड़
4. राजकीय टसर उद्यानों की संख्या	- 64
5. राजकीय टसर उद्यानों का क्षेत्रफल	- 3739.50 एकड़
6. राजकीय टसर उद्यानों का वृक्षारोपित क्षेत्रफल	- 1996.87 एकड़
7. राजकीय अरण्डी उद्यानों की संख्या	- 04
8. राजकीय अरण्डी उद्यानों का क्षेत्रफल	- 17.24 एकड़
9. रेशम कीट बीज उत्पादन केन्दों की संख्या	
(क) शहतूती बीजागार	- 05 (बहराइच-01, औरैया-01, गोरखपुर-01, मेरठ-02)
(ख) टसर बीजागार	- 12 (सोनभद्र-07, चन्दौलीा-03, झांसी-01, ललितपुर-01)
(ग) एरी बीजागार	- 04 (कानपुर नगर-01, कानुपर देहात-01, फतेहपुर-01, उन्नाव-01)
10. रेशम कीट बीज उत्पादन वार्षिक क्षमता	- 24.11 लाख डी.एफ.एल्स.
(क) शहतूती	- 16.00 लाख डी.एफ.एल्स.
(ख) टसर	- 4.96 लाख डी.एफ.एल्स.
(ग) एरी	- 3.15 लाख डी.एफ.एल्स.

11. निजी क्षेत्र में रेशम धागाकरण इकाइयों की संख्या - 05
12. चाकी कीट पालन केन्द्र की संख्या - 178
13. सामूहिक कीटपालन केन्द्र की संख्या - 20
14. सिल्क एक्सचेज की संख्या - 01
15. प्रशिक्षण संस्थान - 01

वर्ष 2017-18 में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ/लक्ष्य

- कच्चा रेशम उत्पादन 295.804 मी.टन के लक्ष्य के सापेक्ष माह जनवरी 2018 तक 174.77 मी.टन उत्पादन किया गया है। (मुख्य बसन्त फसल 2018 का कीटपालन कार्य शेष है)
- रेशम कोया उत्पादन में प्रगतिः-
  - (क) शहतूती - 1849.66 मी.टन से बढ़कर 1989.75 मी.टन (7.57 प्रतिशत की वृद्धि)
  - (ख) ऐरी - 288.22 मी.टन से ब्ढ़कर 368.24 मी.टन (28 प्रतिशत की वृद्धि)
  - (ग) टसर - 193.84 लाख संख्या से बढ़कर 206.15 लाख संख्या (6 प्रतिशत की वृद्धि)

वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित कार्यक्रम

उदेश्य

1. रेशम कोया उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
2. गुणवत्तायुक्त रेशम धागे का उत्पादन।
3. रेशम कीट बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता।
4. रेशम उत्पादन से अनाच्छादित क्षेत्रों में रेशम का विस्तार।
5. रोजगार सृजन में वृद्धि।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

1- अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय

इस योजनान्तर्गत कर्मचारियों के वेतन भत्ते, निदेशालय तथा परिक्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालय व्यय, यात्रा भत्ता आदि आवश्यकताओं के दृष्टिगत रखते हुए वचनबद्ध मदों मे वर्ष 2018-19 में रु. 2890.05 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

2- माडल चाकी कीटपालन हेतु शहतूत उद्यान की स्थापन

160 राजकीय शहतूती फार्मों पर उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का रखरखाव/मरम्मत, सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण एवं आवश्यकता के आधार पर अन्य विकास कार्य कराये जाते हैं। इन फार्मों में मुख्यतः चाकी रेशम कीटपालन हेतु ''चाकी उद्यान'' का कर्षण कार्य (अर्थात पौधों की प्रूनिंग/ट्रिमिंग, गुड़ाई घास निकालना, खाद/रासायनिक खाद का छिड़काव, सिंचाई इत्यादि) विभागीय वार्षिक कलेण्डर के अनुसार

कराया जाता है। इसके अतिरिक्त सफल कीटपालन के लिए विशुद्धीकारक, रेशम कीट औषधियों, रसायनिक उर्वरकों, कीटपालन एवं फार्म सम्बन्धित उपकरणों आदि का क्रय भी किया जाता है।

अतः विभागीय फार्मों पर गुणवत्तायुक्त चाकी रेशम तैयार कर रेशम कोया उत्पादकों/कृषकों में वितरण हेतु फार्मों के रख रखाव एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2018-19 हेतु आय-व्ययक में रु. 843.38 लाख का प्रावधान है।

3- टसर रेशम विकास योजना

64 टसर रेशम फार्मों में वृक्षारोपित क्षेत्रफल के कर्षण कार्य जैसे- घास सफाई, थाले बनाना, सिंचाई, पोलार्डिंग आदि का कार्य तथा अर्जुन पौध का उत्पादन कार्य (नर्सरी स्थापना), नवीन/अविकसित क्षेत्रों में अर्जुन वृक्षारोपण का कार्य एवं वैज्ञानिक विधि से टसर कीटों का नायलान नेट मे चाकी कीटपालन कराते हुए स्थानीय कृषकों को कीटपालन हेतु कीटों की आपूर्ति कर टसर कोया उत्पादन का कार्य सम्पन्न कराया जाता है। टसर कीटपालन से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अतिरिक्त आय का सृजन होता है। इस प्रकार विभागीय टसर फार्मों का रख रखाव एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2018-19 हेतु आय-व्ययक में रु. 121.76 लाख का प्रावधान है।

4- जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना

योजनान्तर्गत प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेट/ रेशम साहित्य का प्रकाशन, वीडियो फिल्म का प्रदर्शन, साईनबोर्ड एवं वालपेन्टिंग का कार्य तथा ग्राम/ब्लाक/जनपद/मण्डल/राज्य स्तर पर कृषक मेलों/गोष्ठियों, सिल्क एक्सपो तथा चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त प्रदेश में रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु पं. दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार का आयोजन तथा प्रदेश में सिल्क एक्सपो का आयोजन प्रस्तवित है। योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 हेतु आय-व्ययक में रु. 103.50 लाख का प्रावधान है।

5- प्रादेशिक को–ऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लि. लखनऊ को सहायता योजना

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रादेशिक को-ऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लि. उ.प्र. में कार्यों को सुचारु रूप से संचालन तथा निरीक्षण करने हेतु अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जाती है। जिनके मानदेय, यात्रा बीजक, टेलीफोन, चिकित्सा आदि पर व्यय किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 हेतु आय-व्ययक में रु. 5.00 लाख का प्रावधान है।

6- रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना

प्रदेश को रेशम कीटाण्ड की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पी-1 (बीजू) कीटपालन क्षेत्र एवं बीजागारों के रख रखाव, संचालन एवं सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण तथा रेशम कीटाण्ड का क्रय केन्द्रीय रेशम बोर्ड से किया जायेगा। इसलिए इस योजना के स्वरूप में वृद्धि कर वर्ष 2018-19 हेतु आय-व्ययक मे रु. 631.64 लाख का प्रावधान है।

7- रेशम अनुसंधान एवं विकास की योजना –

जनपद बहराइच एवं श्रावस्ती मे 200 लाभार्थियों की निजी भूमियों पर प्रति लाभार्थी 2000 शहतूत

पौध की दर से कुल 4.00 लाख शहतूत पौध का वृक्षारोपण एवं उत्पादित रेशम कोये के विपणन तथा कृषकों को अच्छा मूल्य तत्काल प्रदान करने हेतु रिवाल्विंग फंड की स्थापना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु आय-व्ययक मे रु. 141.46 लाख का प्रावधान है।

8- एरी रेशम विकास योजना (जिला योजना)-

योजनान्तर्गत प्रदेश के एरी क्षेत्र के कृषको को प्रशिक्षित कर कीटपालन उपकरणो की सविुधा से सुसज्जित करते हुए कीटपालन कार्य तथा उत्पादित कोयों का विक्रय करते हुए अतिरिक्त लाभ अर्जित किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2018-19 हेतु आय व्ययक में रु. 97.70 लाख का प्रावधान है।

प्रस्तावित नई योजनायें

1- केन्दीय रेशम बोर्ड से सहायतित सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम

योजनान्तर्गत प्री ककून शहतूती सेक्टर के अन्तर्गत शहतूत नर्सरी स्थापना, शहतूत वृक्षारोपण, कीटपालन गृह निर्माण एवं कीटपालन उपकरण सहायता अनुदान के रूप में लाभार्थियों को दिया जायेगा तथा पोस्ट ककून सेक्टर के अन्तर्गत टियूस्टिंग इकाई, आर्म्स डाइंग इकाई, कम्प्यूटर ऐडिड टेक्सटाइल डिजाइन, इलेक्ट्रानिक जैकार्ड इकाइयों की स्थापना तथा लूम के उच्चीकरण हेतु लाभार्थियों को अनुदान के रूप मे सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्यांश हेतु धनराशि रु.147.81 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

2- केन्दीय रेशम बोर्ड से सहायतित सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम

योजनान्तर्गत शहतूता सेक्टर के अन्तर्गत शहतूत नर्सरी स्थापना, शहतूत वृक्षारोपण, कीटपालन गृह निर्माण, सिंचाई सुविधा, कीटपालन उपकरण, सोलर लालटेन तथा विशुद्धिकारक क्रय हेतु अनुदान के रूप मे सहायता, लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा। वान्या टसर सेक्टर के अन्तर्गत अर्जुन वृक्षारोपित, चाकी गार्डेन का विकास, अर्जुन वृक्षारोपण मेन्टीनेन्स, कीटपालन उपकरण तथ निजी क्षेत्र मे टसर बीजागारो के निर्माण हेतु अनुदान के रूप मे सहायता लाभार्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्यांश हेतु धनराशि रु. 41.63 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

3- नर्सरी पौध उत्पादन योजना-

विभागीय राजकीय रेशम पर 20 एकड़ क्षेत्रफल में 40.0 लाख कटिंग रोपण कर शहतूत नर्सरी पौधालय एवं 2.0 लाख अर्जुन नर्सरी पौधालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 मे धनराशि रु. 36.60 लाख का बजट प्रावधान है।

अन्य योजनाएं

1- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत मनरेगा इण्टर सेक्टोरल कनवर्जेन्स।

मनरेगा इण्टर सेक्टोरल कनवर्जेन्स अन्तर्गत वर्ष 2018-19 हेतु रु. 65.53 लाख का वजट प्रावधान है।

●

मुद्रण एवं लेखन सामग्री

विभाग (संगठन) की विशिष्टियाँ –

ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदेश वासियों में नियमों, प्रक्रियाओं की जानकारी हेतु विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों, राजकीय प्रकाशनों के मुद्रण के उद्देश्य से राजकीय सेन्ट्रल प्रेस, आगरा की स्थापना की गई, क्योंकि तत्कालीन समय में यूनाइटेड प्राविंस का मुख्यालय जनपद आगरा में था। तत्पश्चात् इसे सन् 1857 में इलाहाबाद जनपद में स्थानान्तरित किया गया। इस प्रकार यह विभाग वर्तमान में 160 वर्षीय प्रदेश शासन का बिना लाभ-हानि का सेवा विभाग है। पूर्व में राजकीय सेन्ट्रल प्रेस, इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। पूर्व समय में विभाग के सर्वोच्च अधिकारी (विभागाध्यक्ष) का पदनाम अधीक्षक (सुपरिंटेन्डेन्ट) था। तत्पश्चात् सन् 1984 में विभागाध्यक्ष का पदनाम निदेशक परिवर्तित कर दिया गया, जो वर्तमान में भी प्रचलित है। इसका प्रशासकीय विभाग औद्योगिक विकास विभाग है।

स्वतंत्र भारत के प्रान्त ''उत्तर प्रदेश'' की जनसंख्या में दिनों-दिन वृद्धि के कारण मुद्रणालय के सर्वांगीण विकास एवं जनमानस के उपयोगार्थ शासकीय प्रपत्रों के मुद्रण/परिपूर्ति हेतु समय-समय पर शाखा एवं उप शाखा मुद्रणालयों की स्थापना की गई है, जो निम्नवत् है :–

क्र. सं.	शाखा मुद्रणालय का नाम	स्थापना वर्ष	शाखा मुद्रणालय का प्रधान पदनाम	उपशाखायें
1.	राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद	1857	संयुक्त निदेशक	
2.	राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ	1949	संयुक्त निदेशक	क. राजकीय शाखा मुद्रणालय, हजरतगंज, लखनऊ। (स्थापना वर्ष 1981) ख. राजकीय मिनी प्रेस राजभवन परिसर, लखनऊ। (ब्रिटिश काल से)
3.	राजकीय मुद्रणालय, बागहजारा, रामपुर	1976	उप निदेशक	-
4.	राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी	1979	उप निदेशक	-

पूर्व में इस विभाग का मुख्यालय राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद था और विभागाध्यक्ष अधीक्षक (वर्तमान में निदेशक) के अधीन नियंत्रित था, किन्तु वर्ष 1990 में शासनादेशानुसार राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद

से पृथक कर राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद के परिसर स्थित लेखन सामग्री भवन में निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, निदेशालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की स्थापना के उपरान्त राजकीय शाखा मुद्रणालय, हजरतगंज लखनऊ के परिसर में शिविर कार्यालय की स्थापना वर्ष 2006 में किया गया।

यह विभाग राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वित्त पोषित है। इस विभाग को वित्तीय स्वीकृतियां राज्य योजना आयोग-1, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा प्राप्त होती है। यह विभाग मुद्रण एवं लेखन सामग्री नियम संग्रह (प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी मैनुअल) से संचालित है। मैनुअल के अन्तर्गत शासन के महामहिम राज्यपाल, सामान्य प्रशासन, सचिवालय तथा अन्य समस्त शासकीय विभागों के उपयोगार्थ प्रपत्रों का मुद्रण, जिल्दसाजी एवं लेखन सामग्री सम्पूर्ति कार्यों का निष्पादन कर उनकी देख-भाल करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य एवं विशिष्टियाँ हैं।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, उ0प्र0 में ई-टेण्डरिंग प्रणाली-

उ0प्र0 शासन द्वारा विभागीय टेण्डर प्रणाली को पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाने के लिए, ई-टेण्डरिंग अपलोड लागू करने के लिए, पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत उ0प्र0 शासन द्वारा ई-टेण्डरिंग प्रणाली (व्यवस्था) लागू की गई, इसके लिए शासन द्वारा कई विभागों को चिह्नित किया गया, जिसमें मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग सर्वप्रथम रहा। इस विभाग का वेबसाइट http://dpsup.up.nic.in है, जिस पर विभाग की सम्पूर्ण सूचनायें जनसामान्य के लिए उपलब्ध हैं।

ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू होने से लाभ –

1. इस प्रणाली के लागू होने से समय की बचत होती है तथा बिडर्स को निविदा प्रपत्र आदि प्राप्त करने हेतु विभाग में आने की आवश्यकता नहीं होती। निविदा खुलने से पूर्व यह भी जानकारी नहीं होती कि किस बिडर द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और बिडर संसार के किसी भी स्थान में बैठे-बैठे ही बिड डाक्यूमेन्ट ई-टेण्डर वेवसाइट से डाउनलोड कर ई-टेण्डर वेवसाइट पर अपलोड करते हैं।
2. इस प्रक्रिया में पूर्ण गोपनीयता रहती है और बिडर्स निर्भीक होकर निविदाओं में प्रतिभाग कर सकते हैं।
3. निविदा प्रक्रिया में विभिन्न व्ययों यथा- विज्ञापन किये जाने, निविदा प्रपत्र मुद्रित कराने आदि में समय/कागज/धन/जनशक्ति आदि की हानि न होने से शासकीय धन एवं समय की बचत होती है।
4. परम्परागत तरीके से निविदा प्रक्रिया सम्पादित करने में तमाम तरह की शिकायत/शिकायती पत्र बिडर्स द्वारा प्राप्त होते थे, किन्तु ई-टेण्डरिंग प्रणाली में कोई भी शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

विभाग के कार्य-कलाप–

मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, विभाग की कार्य प्रणाली में राज्याधीन विभागों के विभिन्न प्रकार के पंजीकृत तथा अपंजीकृत प्रपत्र, रजिस्टरों जैसे– शिक्षा, गजेटियर, साधारण एवं असाधारण गजट, उर्दू गजट, महालेखाकार की वित्तीय एवं आडिट रिपोर्ट, बजट, परफारमेन्स बजट, माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं, परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न प्रपत्रों, लोक सेवा आयोग के कार्य, माननीय उच्च न्यायालय के काजलिस्ट एवं अन्य प्रपत्र, लोक सभा, विधान सभा, स्थानीय निगम एवं पंचायत के निर्वाचन मतपत्रों, विधानमण्डल, परिषद की कार्यवाहियों, एजेण्डा आदि का मुद्रण, प्रकाशन

एवं महामहिम श्रीराज्यपाल सचिवालय, सचिवालय प्रशासन, विधानसभा, परिषद की लेखन सामग्री आदि की सम्पूर्ति का कार्य आता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्याधीन विभागों के गोपनीय कार्य-कार्मिक विभाग के शासनादेश, राजाज्ञा, नियुक्तियाँ, प्रतिवेदन, पुलिस विभाग के जी.डी., सी.डी., गोपनीय आख्या, कोषागार एवं विभागीय परीक्षाओं के प्रकाशन आदि का मुद्रण व प्रकाशन कार्य किया जाता है।

निदेशक (विभागाध्यक्ष) द्वारा राज्याधीन विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण एवं विभागीय कार्यकलापों के निष्पादन हेतु प्रदेश के 75 जिलों को सम्बन्धित चारों शाखा मुद्रणालयों के नजदीकी जिलों के परिक्षेत्रों में बांटा गया है, जो निम्नानुसार हैं, जहाँ से सम्बन्धित जिलों के शासकीय विभागों को प्रपत्रों का मुद्रण एवं सम्पूर्ति कार्य सम्पादित किया जाता है :–

मुद्रणालय का नाम	जिलों का नाम
राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद (25 जिले)	आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर शहर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरय्या, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झाँसी, ललितपुर, कासगंज।
राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ (15 जिले)	लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, अमेठी।
राजकीय मुद्रणालय, रामपुर (18 जिले)	बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, हापुड़, सम्भल, शामली।
राजकीय मुद्रणालय, वाराणसी (17 जिले)	मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली, सन्त रविदासनगर (भदोही), मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, सन्त कबीर नगर, आजमगढ़।

मुद्रण एवं लेखन-सामग्री नियम संग्रह (प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी मैनुअल) में उत्तर प्रदेश के सरकारी और अर्द्ध सरकारी कार्यालयों तथा संस्थानों को लेखन-सामग्री आदि को प्राप्त करने का प्रावधान है। वे राजकीय मुद्रणालयों से मुद्रण कार्य निष्पादित कराने के लिए प्राधिकृत हैं। प्रदेश शासन से सम्बन्धित विभागों के मांगाधिकारियों (इन्टेण्डिग आफिसर्स) अपने-अपने विभागों के उपयोगार्थ शृंखलाओं के प्रपत्र व लेखन-सामग्री को प्राप्त करने के लिए प्रान्तीय प्रपत्र संख्या-173 पर अपना मांग-पत्र (इन्डेन्ट्स) निर्धारित तिथियों के अन्तर्गत भेजकर प्रपत्रों, लेखन-सामग्री की आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री, निदेशालय एवं निदेशालय के अधीनस्थ चारों शाखा मुद्रणालयों इलाहाबाद, लखनऊ, रामपुर एवं वाराणसी का वर्ष 2017-18 का सम्मिलित (आयोजनेत्तर पक्ष राजस्व एवं पूंजी व्यय के अन्तर्गत) बजट प्रावधान रु. 18584.70 लाख था, जिसके सापेक्ष वास्तविक व्यय रु. 16996.60 लाख रहा।

●

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है तथा गन्ने की खेती एवं चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा विकास की मुख्य धुरी हैं। चीनी, गुड़, खाण्डसारी उद्योग के साथ-साथ शीरा, खोई आदि उप-उत्पादों पर आधारित अनेक छोटे-बड़े उद्योगों से करोड़ों लोगों को रोजी-रोटी के अवसर के साथ वर्ष के 7-8 महीनों में घरेलू पशुओं हेतु हरा चारा भी प्राप्त होता है।

उतर प्रदेश में सन् 1935 में गन्ना विकास विभाग स्थापित हुआ। सरकार ने गन्ना कृषकों के मदद से दृष्टि से शुगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल एक्ट 1938 लागू किया। वर्ष 1953-54 में इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 एवं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 लागू हुआ। उ.प्र. सरकार द्वारा गन्ना किसानों एवं चीनी मिलों के पारस्परिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए इन नियमों के अतिरिक्त उ.प्र. शुगर फैक्ट्रीज लाइसेंसिंग आदेश 1969, उ.प्र. प्रदेश गन्ना आपूर्ति एवं खरीद आदेश, 1954 एवं अन्य सुसंगत नियम बनाये गये हैं तथा सामयिक आवश्यकता के अनुरूप उसमें आवश्यक संशोधन किये गये हैं। प्रदेश में भारत सरकार द्वारा गन्ना किसानों एवं चीनी मिलों के पारस्परिक हितों के संबंध में बनाये गये शुगरकेन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 के प्रावधान भी अपनाये गये हैं।

गन्ना विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य

- विभिन्न गन्ना विकास कार्यक्रमों द्वारा कृषि निवेशों के समुचित उपयोग से प्रति इकाई भूमि पर अधिकतम गन्ना उत्पादन प्राप्त करना।
- गन्ना कृषकों व चीनी मिलों की आवश्यकतानुसार उन्नतशील गन्ना प्रजातियों का विकास करना तथा गन्ना खेती की विविध तकनीकों को विकसित करना।
- चीनी मिलों को उनकी आवश्यकतानुसार गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु पर्याप्त गन्ना क्षेत्र व गन्ना का आवंटन करना।
- गन्ना किसानों को उनके द्वारा उत्पादित गन्ने का समितियों के माध्यम से चीनी मिलों को समय में आपूर्ति कराना तथा आपूर्ति किये गये गन्ने के मूल्य का भुगतान कराया जाना।
- चीनी मिल गेट से 15 किमी. क्षेत्र के बाहर खांडसारी इकाइयों की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचारोपरान्त लाइसेन्स देना।
- किसानो को उन्नतशील गन्ना खेती की नवीनतम् विधियों की जानकारी देना तथा गन्ना कृषकों, मिल व विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
- गन्ना किसानों को आवश्यकतानुसार कृषि निवेश, ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराना।

- प्रदेश में उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल एवं उत्पादन के अनुमान हेतु चीनी मिलवार गन्ना क्षेत्र का सर्वेक्षण करना। गन्ने की खड़ी फसल के रेन्डम सेम्पुल की क्राप कटिंग कराकर प्रति हेक्टेयर गन्ना उपज का आकलन करना।
- चीनी मिल क्षेत्रों में नवीनतम गन्ना प्रजातियों की पौधशालायें स्थापित कर गन्ना कृषकों को स्वस्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण गन्ना बीज उपलब्ध कराना।
- गन्ने की फसल पर रोग एवं कीटों के नियंत्रण हेतु कृषकों को जानकारी देना तथा कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक से अधिक गन्ना उपज प्राप्त करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु गन्ना फसल प्रतियोगितायें आयोजित कराना तथा चीनी मिल क्षेत्रों/प्रदेश में अधिकतम गन्ना उपज का आकलन करना।

गन्ना विकास की योजनाएं

गन्ना क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी प्रदेश होने के साथ-साथ कृषकों की आजीविका एवं आय का प्रमुख स्रोत है। गन्ने से न केवल चीनी एवं गन्ना आधारित विविध उत्पाद (चीनी, गुड़, शक्कर, खाण्ड, शीरा, शराब, केक व स्पैन्टवाश) आदि की पूर्ति होती है, बल्कि फसल व्यवसाय से जुड़े अन्य अति महत्त्वपूर्ण व्यवसाय पशुपालन हेतु वर्ष के 7 से 8 महीनों (अक्टूबर से अप्रैल-मई) तक हरा चारा भी उपलब्ध होता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु रु. 1998.00 लाख व्यय करने का निम्नानुसार प्रस्ताव रखा गया है-

(अ) गन्ना विकास योजना

1. आधार पौधशाला/ बीज वितरण– आधार पौधशाला धारकों को क्षेत्रफल के आधार पर अनुदान न देकर बीज वितरण पर अनुदान दिया जायेगा। जिसके लिये आधार पौधशाला बीज वितरण में रु. 50 प्रति कुं. की अनुदान दर से 3.59 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य है, जिसके लिए रु. 179.29 लाख का व्यय अनुमानित है।

2. प्राथमिक पौधशाला/ बीज वितरण– प्राथमिक पौधशाला धारकों को क्षेत्रफल के आधार पर अनुदान न देकर बीज वितरण पर अनुदान दिया जायेगा। जिसके लिये प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण में रु. 25 प्रति कुं. की अनुदान दर से 18.33 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य है, जिसके लिए रु. 458.18 लाख का व्यय अनुमानित है।

3. अभिजनक बीज यातायात– बीज यातायात कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिजनक बीज यातायात पर रु. 15 प्रति कुं. की अनुदान दर से 0.39 लाख कु. के लिए रु. 5.83 लाख का व्यय अनुमानित है।

4. आधार बीज यातायात– आधार बीज यातायात के लिए 3.59 लाख कु. बीज पर रु. 7.00 प्रति कु. की दर अनुदान से रु. 25.10 लाख का व्यय अनुमानित है।

5. बीज एवं भूमि उपचार– इस कार्यक्रम में 1.14 लाख हे. के बीज एवं भूमि उपचार का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए रु. 500 प्रति हे. की अनुदान दर से रु. 571.98 लाख का व्यय अनुमानित है।

6. पेड़ी प्रबन्धन– पेड़ी प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.11 लाख हे. क्षेत्रफल में पेड़ी प्रबन्धन प्रस्तावित है जिसके लिए रु. 150 प्रति हे. अनुदान दर से रु. 316.47 लाख का व्यय अनुमानित है।

7. जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग– भूमि की उर्वरा शक्ति बढाने के लिए जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट का 0.71 लाख हे. में प्रयोग करने का लक्ष्य रखा गया है तथा रु. 600 प्रति हे. की अनुदान दर से रु. 431.16 लाख का व्यय अनुमानित है।

अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजना

प्रदेश में स्थित चीनी मिल क्षेत्रों में यातायात की सुविधा प्रदान कर चीनी मिलों को ताजा गन्ना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना के अन्तर्गत चीनी मिल क्षेत्रों को सम्पर्क मार्ग के माध्यम से मुख्य मार्गों एवं गन्ना क्रय केन्द्रों से जोड़ा जाता है।

अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजना (जिला योजना) वर्ष 2017-18

1. **चीनी मिल क्षेत्रों में सम्पर्क मार्गों के नव-निर्माण** अन्तर्गत 80:20 फण्डिंग पैटर्न के आधार पर सामान्य मद अनुदान संख्या- 23 में रु. 3000.00 लाख का प्रावधान किया गया तथा इसके सापेक्ष शासकीय बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रु. 2999.98 लाख स्वीकृति शा. दिनांक 19.01.2018 द्वारा जारी की गयी, जिसके सापेक्ष रु. 390.10 लाख का उपयोग करते हुये, 0.188 किमी. सड़कों के निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ है तथा शेष कार्य प्रगति में है।

2. **सम्पर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण कार्य** अन्तर्गत 80:20 फण्डिंग पैटर्न के आधार पर सामान्य मद अनुदान संख्या- 23 में रु. 3000.00 लाख का प्रावधान किया गया तथा इसके सापेक्ष शासकीय बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रु. 2999.973 लाख स्वीकृति शा. दिनांक 02.01.2018 द्वारा जारी की गयी, जिसके सापेक्ष रु. 812.92 लाख का उपयोग करते हुये, 13.40 किमी. सड़कों के सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ है तथा शेष कार्य प्रगति में है।

3. **विभाग की गड्ढायुक्त सडकों को गड्ढामुक्त किया जाना** के अन्तर्गत सामान्य मद अनुदान संख्या- 23 में रु. 25000.00 लाख का प्रावधान किया गया तथा इसके सापेक्ष शासकीय बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रु. 24996.30 लाख स्वीकृति शा. दिनांक 09.11.2017 द्वारा जारी की गयी, जिसके सापेक्ष रु. 10244.95 लाख का उपयोग करते हुये, 233.797 किमी. सड़कों के विशेष मरम्मत, सतह नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ है तथा शेष कार्य प्रगति में है।

अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजना (जिला योजना) वर्ष 2018-19

1. **कृषि विपणन के लिये अन्तरग्रामीण सडकों के नव-निर्माण** अन्तर्गत 80:20 फण्डिंग पैटर्न के आधार पर सामान्य मद अनुदान संख्या- 23 में रु. 5694.00 लाख एवं एस.सी.एस.पी. मद अनुदान संख्या-83 में रु. 3000.00 लाख कुल रु. 8694.00 लाख अनुमानित है, शेष 20 प्रतिशत धन लाभान्वित संस्था द्वारा लगाते हुये लगभग कुल 155 किमी. लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

2. **चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सडकों के सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण कार्य** अन्तर्गत 80:20 फण्डिंग पैटर्न के आधार पर सामान्य मद अनुदान संख्या- 23 में रु. 1032.00 लाख तथा एस.सी.एस.पी. मद अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत रु. 274.00 लाख कुल रु. 1306.00 लाख

अनुमानित है, शेष 20 प्रतिशत धन लाभान्वित संस्था द्वारा लगाते हुये लगभग कुल 63 किमी. लम्बी सड़कों का सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

चीनी उद्योग, को-जेनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013

प्रदेश में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु चीनी उद्योग, को-जेनेरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013 प्रख्यापित की गयी है, जिसके द्वारा प्रदेश के पूर्वी एवं बुन्देलखण्ड के जनपदों में नई चीनी मिलों की स्थापना के साथ को-जेन इकाई एवं डिस्टलरी को प्रदेश में कहीं भी स्थापित किये जाने पर जोर दिया गया है। इस हेतु पूंजी निवेश की इच्छुक कंपनी/इकाई को विभिन्न करों में छूट/रियायतें दिया जाना प्रस्तावित है। इससे जहॉं प्रदेश के पिछडे क्षेत्रों में चीनी मिलों की स्थापना सुनिश्चित होगी, वहीं को-जेन के माध्यम से ऊर्जा सेक्टर का भी विकास संभव हो सकेगा तथा रोजगार के नये अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्य रूप से नई चीनी मिले स्थापित होने से गन्ना कृषकों के गन्ने की समय से आपूर्ति एवं गन्ना मूल्य के रूप में अधिक धनराशि प्राप्त होगी जिससे लाभदायक गन्ना खेती को बढ़ावा मिलेगा।

चीनी उद्योग, को-जेनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013 के मुख्य प्रावधान

इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित जनपदों यथा- देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, अमेठी, बदायूं, गाजीपुर, बलिया, इटावा, मैनपुरी, रायबरेली, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, एटा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, बॉंदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झॉंसी, जालौन, ललितपुर आदि के साथ चित्रकूट एवं झॉंसी मण्डलों में नई चीनी मिल की स्थापना, प्रदेश की किसी भी चीनी मिल में क्षमता विस्तारण एवं को-जेन इकाई एवं डिस्टलरी की स्थापना की जा सकेगी।

प्रोत्साहन नीति, 2013 के अन्तर्गत प्रस्तावित छूट एवं रियायतों का विवरण निम्नानुसार हैः-

1. ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज उपादान।
2. गन्ना क्रयकर पर छूट।
3. देसी मदिरा हेतु शीरा आरक्षित करने से छूट।
4. शीरे के प्रथम विक्रय की तिथि से 05 वर्ष तक जमा किये जाने वाले वैट एवं केन्द्रीय बिक्री कर के समतुल्य अथवा वार्षिक विक्रय की 10 प्रतिशत धनराशि, जो कम हो के समतुल्य ब्याज मुक्त ऋण।
5. शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की छूट।
6. स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रजिस्ट्री शुल्क में छूट।
7. समिति कमीशन की 75 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति।
8. प्रतिपूर्ति/छूटें/ऋण अधिकतम 5 वर्ष हेतु।

पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 में गन्ना मूल्य भुगतान की अद्यतन स्थिति (दिनांक 26-02-2018)

पेराई सत्र 2016-17 के अन्तर्गत देय गन्ना मूल्य भुगतान रु. 25386.50 करोड़ के सापेक्ष रु. 25041.87 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जो कुल देय का 98.84 प्रतिशत है।

रु. 344.63 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है। बकायेदार सभी चीनी मिलों को समय-समय पर नोटिसें निर्गत की गयी हैं तथा समीक्षा बैठकों के माध्यम से समयान्तर्गत गन्ना मूल्य भुगतान करने के निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में बड़े बकायेदार चीनी मिल वाल्टरगंज, कुन्दुरखी एवं चिलवरिया के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र भी निर्गत किया गया है।

पेराई सत्र 2017-18 के अन्तर्गत प्रदेश की चीनी मिलों पर 14 दिन पूर्व अवधि तक कुल देय गन्ना मूल्य रुपया 19269.93 करोड़ के सापेक्ष रुपया 14230.53 करोड़ का भुगतान किया गया है, जो कुल देय का 73.85 प्रतिशत है। वर्तमान में 5039.40 करोड़ भुगतान अवशेष है, तत्क्रम में बाकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 30.11.2017, 02.02.2018 एवं 23.02.2018 को नोटिसें निर्गत की गयी हैं।

खाण्डसारी उद्योग

उत्तर प्रदेश में खाण्डसारी लाइसेंसिंग योजना का प्रारम्भ वर्ष 1958-59 में इस उद्देश्य से हुआ कि चीनी मिलों को उनके सुरक्षित क्षेत्र में उनकी आवश्यकतानुसार गन्ने की मात्रा उपलब्ध हो सके। इस दृष्टिकोण से योजना के अधीन गुड़ एवं राब तथा खाण्डसारी शक्कर बनाने वाले पावर क्रेशर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा 1967 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत इन इकाइयों को लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1961 में शासन द्वारा शक्कर, गुड़, राब आदि के निर्माताओं द्वारा गन्ने की खरीद पर उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) अधिनियम 1961 के अधीन क्रयकर के भुगतान हेतु व्यवस्था की गयी थी, जो जी.एस.टी में समाहित हो गयी है। इस प्रकार विभाग का मुख्य कार्य उक्त आदेश/अधिनियम के अन्तर्गत इकाइयों को लाइसेंस देना या एवं अपीलों का निस्तारण करना है।

●

पर्यटन

पर्यटन के बहुरंगी आकर्षणों से सम्पन्न उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है, जहाँ विविधतापूर्ण पर्यटन-विकास के साथ-साथ निजी क्षेत्र के लिए भी पूँजी-निवेश हेतु अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। इन्हीं बहुआयामी विशेषताओं के कारण ही इस प्रदेश में हर आयु, वर्ग, सम्प्रदाय तथा क्षेत्र के पर्यटक प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में भ्रमणार्थ आते हैं। अनुमान है कि वर्ष-2017 में लगभग 2321.23 लाख भारतीय पर्यटक तथा लगभग 34.65 लाख विदेशी पर्यटक प्रदेश के भ्रमण पर आए।

प्रयागराज में आयोजित होने वाले विश्व के विशालतम आयोजन कुम्भ पर्व को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व को और प्रभावी एवं व्यापक बनाये जाने हेतु वर्ष 2019 मे प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुम्भ मेला-2019 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना प्रस्तावित है। मेले की महत्ता एवं विराटता को दृष्टिगत रखते हुए ''ॐ'' के साथ गंगा एवं यमुना नदियों को चित्रित करते हुए उन पर कुम्भ की स्थापना कर प्रतीक-चिन्ह का निर्माण कराया गया है।

प्रदेश के समन्वित एवं नियोजित पर्यटन-विकास व प्रचार-प्रसार हेतु निम्नलिखित पर्यटन-परिपथों का चिह्नांकन किया गया हैः- रामायण परिपथ, कृष्ण ब्रज परिपथ, बौद्ध परिपथ, शक्तिपीठ परिपथ, अवध परिपथ, बुन्देलखण्ड परिपथ, जल-विहार परिपथ, वन्य-ईको एवं साहसिक पर्यटन परिपथ, हेरिटेज आर्क, महाभारत परिपथ, जैन परिपथ, सूफी/कबीर परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, क्राफ्ट, क्यूजीन एवं कल्चर ट्रैल।

प्रदेश के समन्वित एवं नियोजित विकास में सर्व समावेशी एवं सतत् विकास की अवधारणा के आधार पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग अनेकता में एकता की भावना को मूर्तरूप प्रदान करते हुए नई पर्यटन नीति-2018, इकाइयों के विनिवेश, प्रो-पुअर पर्यटन विकास कार्यक्रम एवं अन्य बहुआयामी पर्यटन विकास की रणनीति के अन्तर्गत पर्यटन के साथ-साथ विकास के अन्य सेक्टरों को भी सहयोग प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है जिससे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को वृहउत्तर स्वरूप प्राप्त हुआ है।

अयोध्या में आयोजित विश्व स्तरीय कार्यक्रम दीपोत्सव का गिनीज बुक में नाम दर्ज होने की प्रचलित कार्यवाही, नैमिषारण्य में ''नैमिष शंखनाद'' के अन्तर्गत बौद्धिक चिन्तन, हरियाणा के सूरजकुण्ड मेले में थीम स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश की प्रथम बार भव्य भागीदारी, बरसाना में आयोजित होने वाली बहुरंगी होली, प्रो-पुअर पर्यटन विकास हेतु विश्व बैंक से सम्पादित हुआ अनुबन्ध आदि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की अत्यन्त संवेदनशील, महत्त्वपूर्ण एवं अति विस्तारित भूमिका का परिचायक है। पर्यटन विभाग के दूरदर्शी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश को विश्व फलक पर स्थापित करने की दिशा मे अग्रसर हैं।

पर्यटन विभाग के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं:-

- प्रदेश के समन्वित पर्यटन-विकास व प्रचार-प्रसार के लिए पर्यटन-परिपथों का चिह्नांकन और उनके वृहद विकास के लिए पर्यटन महत्त्व के स्थानों का चयन कर पर्यटन संबंधी अवस्थापना सुविधाएँ सुलभ कराने हेतु योजनाओं की संरचना करके उन्हें राज्य/केन्द्र सरकार के संसाधनों से केन्द्रीय योजना, राज्य योजना एवं जिला योजना के माध्यम से कार्यान्वित कराना ताकि प्रदेश में पर्यटकों को अधिकाधिक सुविधाएँ प्राप्त होने के साथ-साथ उनके आगमन में वृद्धि हो सके।
- प्रदेश सरकार द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत पर्यटन-विकास के लिए ऐसे पर्यटक स्थलों का विकास किया जाना, जहॉं कम से कम 50 हजार पर्यटक प्रतिवर्ष भ्रमण हेतु आते हों।
- राज्य योजना के अन्तर्गत ऐसे पर्यटक स्थलों का चयन, जो मुख्य परिपथ के अन्तर्गत आते हो, जहॉं विदेशी व भारतीय पर्यटकों का आवागमन वर्ष भर बना रहता है।
- उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्परा को संरक्षण व प्रोत्साहन प्रदान करना।
- पर्यटकों को परिवहन, आवास, भोजन एवं मनोरंजन हेतु अच्छी सुविधाएं प्रदान करना एवं प्रदेश भ्रमण की सुखद अनुभूति कराना।
- पर्यटकों के मार्ग-दर्शन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों-स्मारकों एवं संस्कृति-कला-शिल्पजनित विशिष्टताओं को प्रदर्शित करने वाले तथ्यपूर्ण एवं ज्ञानवर्द्धक पर्यटन साहित्य छपवाना व पर्यटकों को उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश को आदर्श गन्तव्य केन्द के रूप में विकसित कराने के प्रयत्नों के क्रम में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना।
- पर्यटकों को प्रदेश की विशिष्ट सांस्कृतिक परम्परा के माध्यम से अधिकाधिक संख्या में उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न मेले-महोत्सवों एवं संगोष्ठियों का आयोजन करवाना।
- रोजगार-सृजन, गरीबी उन्मूलन एवं स्वच्छता मिशन एवं पूँजी निवेश जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों को पर्यटन के माध्यम से आगे बढाते हुए पर्यटन को उद्योग के रूप में स्थापित करना।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर आए पर्यटकों की संख्या

उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर वर्ष 2012 से 2017 तक आने वाले भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्नवत् रही :

वर्ष	भारतीय पर्यटक	विदेशी पर्यटक	योग
2012	1694.48	29.89	1724.37
2013	2278.18	32.05	2310.23
2014	1842.77	29.10	1871.87
2015	2065.15	31.04	2096.19

2016	3135.44	31.57	2167.01
2017(अ)	2321.23	34.65	2355.88

ट्रैवल ट्रेड सम्बन्धी कार्य

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मार्ट्स/सेमिनारों में प्रतिभागिता

पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट्स/सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों में भाग लिया जायेगा। इसके अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में आयटो, टी.टी.एफ., आई.आई.टी.एम., टाई, रोड शो/फूड फेस्टिवल, आदि में भाग लेना प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त प्रतिवर्ष की भाँति विदेशों में आयोजित विभिन्न ट्रैवल मार्ट्स यथा- डब्ल्यू आई.टी.बी. सिंगापुर, आई.टी.बी. बर्लिन आदि में भाग लिया जाना प्रस्तावित है।

विशिष्ट आयोजन

- **रामायण कानक्लेव**

  अन्तर्राष्ट्रीय रामायण कानक्लेव का आयोजन लखनऊ, अयोध्या तथा चित्रकूट में किया जाना प्रस्तावित है। इस आयोजन में रामकथा के विभिन्न पहलुओं का प्रदर्शन, अन्तर्राष्ट्रीय राम-लीलाओं आदि का प्रर्दशन किया जायेगा।

- **काशी लिटरेरी फेस्टिवल**

  लिटरेरी फेस्टिवलों का आयोजन पर्यटकों को किसी नगर की ओर आकर्षित करने का सशक्त माध्यम है। इस दृष्टि से वाराणसी में 'काशी लिटरेरी फेस्टिवल' का आयोजन किया जायेगा। इस आयोजन में हिन्दी भाषा के प्रमुख साहित्यकार, रचनाकार एकत्र होकर साहित्य विमर्श करेंगे। वाराणसी में इस आयोजन का उद्देश्य 'काशी' जो कि साहित्य और संस्कृति की उद्गम स्थली रही है, को पुनः प्रतिस्थापित करना है। 'काशी' लिटरेरी फेस्टिवल के आयोजनों से पर्यटकों को वाराणसी की ओर आकर्षित करने मे सफलता मिलेगी।

- **कुम्भ के प्रचार-प्रसार हेतु रोड-शो**

  कुम्भ के प्रचार-प्रसार हेतु रोड-शो के आयोजना महत्त्वपूर्ण हैं। रोड-शो के अन्तर्गत किसी स्थान पर जाकर अपने प्रदेश के प्रर्यटन प्रोडक्ट्स की सम्पूर्ण जानकारी, प्रदर्शनी, व्यंजन आदि उस स्थान के टुअर आपरेटर्स/ट्रैवेल ऐजेन्ट्स, महत्त्वपूर्ण विशिष्ट व्यक्तियों के समक्ष प्रदशिर्त की जाती है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तथा देखने वाले उन सुदूर प्रदेशों से उत्तर प्रदेश आने हेतु इच्छुक हो जाते हैं। इससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ रोजगार की सम्भावनाओं में भी वृद्धि होती है। अतः देशी-विदेशी पर्यटकों को प्रदेश में भ्रमण की ओर आकर्षित करने हेतु वर्ष 2018-19 में कुम्भ के प्रचार प्रसार हेतु रोड-शो कराया जायेगा।

- **बैलून फेस्टिवल**

  साहसिक पर्यटक गतिविधियाँ पर्यटकों के एक बड़े वर्ग विशेषकर युवा वर्ग को खूब आकर्षित करती हैं। हॉट एयर बैलून फेस्टिवल एक ऐसा ही आयोजन है, जो साहसिक पर्यटन में रुचि रखने

वाले पर्यटकों को उत्तर प्रदेश पर्यटन की ओर आकर्षित करेगा तथा पर्यटन क्षेत्र मे एक विविधता भी पैदा करेगा। इस आयोजन के माध्यम से पर्यटन विभाग विशेषकर युवा वर्ग को उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करने में सफल होगा।

- **दीपोत्सव अयोध्या**

  दीपावली का पर्व श्री राम की अयोध्या वापसी से ही प्रारम्भ हुआ था। अतः दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या की ओर पयर्टकों को आकर्षित करने हेतु महत्त्वपूर्ण है। वर्ष 2017 में दीपोत्सव का आयोजन अत्यन्त लोकप्रिय हुआ तथा देश-विदेश में सराहा गया। इसी कड़ी में वर्ष 2018 में पुनः दीपोत्सव का आयोजन वृहद स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है।

- **रंगोत्सव, मथुरा**

  ब्रज क्षेत्र में होली का पर्व भव्यता पूर्वक मनाया जाता है। ब्रज क्षेत्र में होली का त्योहार बसन्त पंचमी से प्रारम्भ होकर चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया के मध्य विभिन्न स्थानों में आयोजित होता है। इस आयोजन का उद्देश्य पर्यटकों को ब्रज क्षेत्र के भ्रमण हेतु आकर्षित करना है।

- **उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट का आयोजन**

  पर्यटन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाता है जिसमें पर्यटन उद्योग से जुड़े राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के टुअर आपरेटर्स, ट्रैवल ऐजेण्ट, एयर लाइन्स, होटल उद्योग तथा पर्यटन उद्योग से जुड़ी संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। इस आयोजन में बायर-सेलर मीट, विचार गोष्ठी एवं बी2बी सेशन आदि आयोजित होंगे।

- **ट्रैवल राइटर्स कान्क्लेव**

  पर्यटन विभाग द्वारा ट्रैवल राइटर्स कान्क्लेव का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश-विदेश के ख्याति प्राप्त ट्रैवल राइटर्स द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। इस आयोजन का पर्यटकों एवं पर्यटन से जुड़े उद्यमियों को आकर्षित करने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। ट्रैवल राइटर्स द्वारा लिखित निष्पक्ष लेखों का, व्यक्तियों में पर्यटन सम्बन्धी अभिरुचि को जागृत करने में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण योगदान होगा।

- **अतिथि-सत्कार एवं परिचयात्मक भ्रमण**

  इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा ट्रैवल ट्रेड से जुड़े लोगों जैसे- ट्रैवल राइटर, ट्रैवल ऐजेन्ट, होटेलियर एवं विशिष्ट अतिथियों तथा पर्यटन-विकास से संबंधित अतिथियों को अतिथि-सत्कार की सुविधा प्रदान की जायेगीं।

- **मेले महोत्सवों को अनुदान**

  विभाग द्वारा विभिन्न महोत्सवों के आयोजन हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। जैसे- शिल्पोत्सव-नोएडा, गंगा महोत्सव-वाराणसी, देवा मेला-बाराबंकी, रामायण मेला-अयोध्या, रामायण मेला-चित्रकूट, कपिलवस्तु महोत्सव-सिद्धार्थनगर, गोरखपुर महोत्सव-गोरखपुर, लखनऊ महोत्सव-लखनऊ, ताज महोत्सव- आगरा, ताज कार रैली-आगरा, मगहर महोत्सव-संत कबीरनगर तथा वाजिद अली शाह फेस्टिवल-लखनऊ व अन्य।

- **होटलों का वर्गीकरण**

  प्रदेश में भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों को स्टार श्रेणी में अच्छी सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु होटलों के वर्गीकरण का कार्य पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय वर्गीकरण समिति के माध्यम से कराया जाता है। भारत सरकार, पर्यटन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में तीन सितारा तक वर्गीकरण हेतु गठित समिति में सचिव, पर्यटन अध्यक्ष नामित हैं। इसके अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न होटलों का वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण का कार्य किया जायेगा।

- **पर्यटन पुलिस का गठन**

  उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन-पुलिस-बल का गठन किया गया है। वर्तमान में पर्यटकों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए उनके सुविधार्थ/सहायतार्थ आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, मथुरा, झांसी एवं लखनऊ में पर्यटन पुलिस की व्यवस्था की गयी है। पूर्व में स्वीकृत 121 पदों के अतिरिक्त 100 महिला एवं 280 पुरुष अर्थात कुल 380 पर्यटन पुलिएस बल कर्मियों के चयन का प्रस्ताव है।

- **हेलीकाप्टर सेवा**

  उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के छह प्रमुख स्थलों पर पर्यटक स्थलो-लखनऊ, अयोध्या, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा तथा मथुरा में हेलीकाप्टर संचालन का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

- **वायु सेवा**

  उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वायु सेवा संचालित करने हेतु वायु सेवा नीति निर्गत की गयी है। प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के मध्य पर्यटकों के सुगमतापूर्वक आवागमन हेतु कतिपय मार्गों पर वायु सेवा संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

- **हेरिटेज पालिसी**

  उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन नीति में प्रदेश में उपलब्ध विरासत महत्व के पुराने किलों/महलों/हवेलियों/कोठियों को हेरिटेज होटल में परिवर्तन करने का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में विरासत महत्त्व तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोये हुये ऐसे अनेक भवन स्थित हैं, जिसे होटल के रूप में संचालित करने हेतु समुचित अनुरक्षण की आवश्यकता है। हेरिटेज पर्यटन नीति के अन्तर्गत हेरिटेज होटल के लिए विशेष छूट व सुविधायें, हेरिटेज होटल का वर्गीकरण मनोरंजन कर, पूंजीगत अनुदान, ब्याज अनुदान, स्टैम्प ड्यूटी पर छूट, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क आबकारी लाइसेन्स शुल्क, परिवहन शुल्क, सड़क सम्पर्क मार्ग, प्रचार-प्रसार आदि की व्यवस्था की गयी है।

- **पर्यटन नीति**

  उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन नीति- 2018 प्रख्यापित की गई है जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण, ब्रैडिंग, धार्मिक/आध्यात्मिक पर्यटन तथा थीम आधारित पर्यटन जैसे- हेरिटेज टूरिज्म, क्राफ्ट टूरिज्म, वीकेन्ड टूरिज्म, माइस टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म तथा फिल्म टूरिज्म, एग्रीकल्चर टूरिज्म, वैलनेस टूरिज्म तथा वाटर एवं क्रूज टूरिज्म को बढावा देने हेतु विशेष

ध्यान दिये गये है। इस नीति के अन्तर्गत निवेश तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया है। विभिन्न प्रकार के छूट एवं विशेष पैकेज, अनुदान दिए गए हैं।

पर्यटन नीति के अर्न्तगत विभिन्न परिवहन एवं आवासीय सुविधाओं को प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। विशेष रूप से धार्मिक एवं विरासत स्थलों का विकास कराये जाने की व्यवस्था की गई है।

पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग ''लैण्ड बैंक'' विकसित करेगा। कुम्भ -2019 हेतु बेड एवं ब्रेकफास्ट योजना के अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन दिया जायगा। निर्धारित पर्यटन सर्किट पर चिन्हित स्थानों से संबंधित पर्यटन स्थलों की 20 किमी. की सीमा के अन्तर्गत इन्सेन्टिव देने का प्रावधान किया गया है।

पूँजी-निवेश पर सब्सिडी की व्यवस्था निम्नानुसार हैः-

श्रेणी	सब्सिडी (जो कम हो)	पूँजी-निवेश
1. नया होटल रिसार्ट	15 प्रतिशत अथवा रु. 7.5 करोड़ 15 प्रतिशत अथवा रु. 10.00 करोड़	रु. 10.00 करोड़ से रु. 50.00 करोड़ रु. 50.00 करोड़ से अधिक
2. नया बजट होटल	15 प्रतिशत अथवा रु. 1.5 करोड़ 20 प्रतिशत अथवा रु. 1.75 करोड़ (जैसी लोकेशन पालिसी मे दर्शाई गयी)	रु. 2.00 करोड़ से रु. 10.00 करोड़
3. नया स्पोर्ट्स रिसार्ट	10 प्रतिशत अथवा रु. 1.00 करोड़	उपकरण लागत रु.1.00 करोड़ से अधिक
4. नया टेन्ट अकमोडेशन	20 प्रतिशत अथवा रु. 50.00 लाख	कम से कम रु. 20.00 लाख का निवेश
5. नया वेलनेस सेन्टर	15 प्रतिशत अथवा रु. 7.5 करोड़ 15 प्रतिशत अथवा रु. 10.00 करोड़	रु. 2.00 करोड़ से रु. 50.00 करोड़ रु. 50.00 करोड़ से अधिक
6. नया कन्वेंशन सेन्टर	15 प्रतिशत अथवा रु. 7.5 करोड़ 15 प्रतिशत अथवा रु. 10.00 करोड़	रु. 50.00 करोड़ तक रु. 50.00 करोड़ से अधिक
7. साहसिक पर्यटन परियोजना, क्रूज पर्यटन, इकाई, हाउसबोट	10 प्रतिशत अथवा रु. 1.00 करोड़	उपकरण लागत रु.1.00 करोड़ से अधिक
8. लाइट एण्ड साउण्ड	25 प्रतिशत अथवा रु. 2.5 करोड़ शो/लेजर शो	उपकरण लागत रु.1.00 करोड़ से अधिक
9. नया थीम पार्क	10 प्रतिशत अथवा रु. 1.00 करोड़	उपकरण लागत रु. 2.00 करोड़ से अधिक

बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना

पेईंग गेस्ट योजना के समान भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा एक नवीन योजना तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय-विदेशी पर्यटकों को भारतीय परिवारों के साथ आवास-भोजन की सुविधा सुलभ कराया जाना है, जिससे उन्हें भारतीय परम्पराओं एवं रीति-रिवाजों से परिचित कराया जा सके। इस व्यवस्था को लागू करने एवं प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा उनका प्रचार एवं प्रसार कराया जा रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन/मान्यता भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में भारत सरकार के द्वारा 74 भवनों/प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया है। सीमित संसाधनों के अन्तर्गत सृजन का यह अनूठा प्रयास है।

इस योजना में जनपद इलाहाबाद व अन्य जनपदों के अच्छे आश्रमों को भी चिन्हित कर पर्यटकों हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

पर्यटन विभाग की अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजना

उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना

विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना एक अभिनव परियोजना है। इस परियोजना में प्रदेश के दो प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों यथा– आगरा एवं ब्रज क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन विकास सम्बन्धी गतिविधियों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार-सृजन करने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्मारकों/स्थलों पर मूलभूत पर्यटक सुविधाओं के सृजन एवं विकास के साथ ही साथ तत्सम्बन्धी क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के आर्थिक/सामाजिक स्तर के उन्नयन तथा रोजगार-परक अवसर हेतु विभिन्न गतिविधियाँ प्रस्तावित हैं।

उक्त परियोजना का लोन ऐग्रीमेन्ट एवं प्रोजेक्ट एग्रीमेन्ट विश्व बैंक एवं आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य दिनांक 28-12-2017 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किया जा चुका है। परियोजना की कुल लागत रु. 371.43 करोड (57.14 मिलियन यू.एस. डालर) है, जिसमें विश्व बैंक द्वारा 70 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। उपरोक्त योजनान्तर्गत आगरा एवं वृन्दावन में कार्य माह जनवरी, 2018 में प्रारम्भ करा दिया गया है।

प्रचार सम्बन्धी कार्य

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में उत्तर प्रदेश के पर्यटन आकर्षणों का प्रभावी प्रचार-प्रसार अति आवश्यक है, ताकि उत्तर प्रदेश का पर्यटन उद्योग विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान के साथ परिलक्षित हो सके।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन के दृष्टिकोण से अनेक ऐसे ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण पर्यटन स्थल हैं, जिनकी अद्भुत सुन्दरता एवं अविस्मरणीय अनुभवों से अभी तक जो पर्यटक अनभिज्ञ हैं, को पर्यटन विभाग द्वारा प्रचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर परिचित कराया जाता है।

प्रकाशन

उत्तर प्रदेश के विस्तृत भू-भाग में स्थित विभिन्न पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार देश-विदेशी पर्यटकों के मध्य पर्यटन साहित्य (पुस्तिका, लीफलेट, ब्रोशर एवं पोस्टर इत्यादि) के माध्यम से प्रकाशित कराया जाना प्रस्तावित है। पर्यटन साहित्यों में पर्यटन सम्बन्धित सूचनाएं विस्तार से दी जाती हैं, जो पर्यटकों के मार्गदर्शन हेतु लाभकारी सिद्ध होती है।

विज्ञापन

उत्तर प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आधारित आकर्षक विज्ञापनों को राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय विभिन्न पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना प्रस्तावित है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्तर्गत टी.वी.सी. कैम्पेन/डाक्यूमेण्ट्री फिल्म का प्रसारण, रेडियो/टेलीविजन विज्ञापन तथा डिजिटल मीडिया के अन्तर्गत स्क्रीन डिसप्ले, वेबसाइट पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन, सोशल मीडिया के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

ईको-टूरिज्म

उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा ईको-टूरिज्म से संबंधित विभिन्न स्थानों जैसे- दुधवा नेशनल

पार्क, कतरनिया घाट, सोहागीबरवा, चौका, चम्बल इत्यादि का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ईको-टूरिज्म पर आधारित गाइड गैप एवं पुस्तिका बनवाई जा रही है। ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम एवं उ.प. वन निगम में एम.ओ.यू. सम्पादित किया जा चुका है।

प्रदर्शनी

प्रदेश के पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार देश एवं विदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न ट्रैवल मार्ट्स, सेमिनारों, मेले, महोत्सवों में विभागीय प्रदर्शनी/झाँकी के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट्स 2018 के आयोजन हेतु भी धनराशि की व्यवस्था की गई है, ताकि प्रदेश में ट्रैवल मार्ट्स के आयोजन से अधिक से अधिक पर्यटकों को प्रदेश के भ्रमण हेतु आकर्षित किया जा सके।

इसी भाँति राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय ट्रैवल मार्ट्स को आमंत्रित कर प्रदेश का भ्रमण कराया जाएगा तथा तत्पश्चात् उनका एक कान्क्लेव भी रखा जाएगा ताकि वे प्रदेश के विषय में अपने लेखन के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर सकें।

इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल मीडिया का उपयोग

विभाग द्वारा कम्प्यूटर टेक्नालॉजी पर विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में पर्यटकों की सुविधा हेतु विभागीय वेबसाइट, ई-मेल तथा सोशल मीडिया के अन्तर्गत फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग राइटिंग, वन-स्टॉप ट्रैवेल साल्यूशन पोर्टल इत्यादि के माध्यम से पर्यटन गतिविधियों का प्रचार-प्रसार किया जाना प्रस्तावित है।

वन स्टॉप ट्रैवल साल्यूशन पोर्टल (ओ.एस.टी.एस.)

वन स्टॉप ट्रैवेल साल्यूशन पोर्टल उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सभी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्मित की गई है, जो मा. प्रधानमंत्री जी की ''डिजिटल इण्डिया'' विजन की ओर अनूठी पहल है। इस पोर्टल के माध्यम से पर्यटकों को होटल, वायु, टैक्सी, गाइड आदि की बुकिंग, इवेन्ट्स, ट्रैवल पैकेजों आदि से संबंधित सेवाएँ प्राप्त हो सकेंगी।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

निगम की स्थापना

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। निगम की वर्तमान अधिकृत अंशपूंजी रु. 40.00 करोड़ तथा चुकता अंशपूंजी रु. 32.60 करोड़ है। वर्ष 1974 में निगम की स्थापना के उपरान्त शासन ने पर्यटन निदेशालय द्वारा संचालित की जा रही 08 इकाइयों- वाराणसी, सारनाथ, इलाहाबाद, महोबा, अयोध्या, हरिद्वार, लखनऊ तथा आगरा को संचालन हेतु निगम को हस्तान्तरित किया था। निगम की इकाइयों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, वर्तमान में निगम में कुल 78 इकाइयाँ एवं 13 अपटुअर्स हैं तथा 05 इकाई अन्य कार्यकलापों के लिये हैं।

उद्देश्य

निगम की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य हैं- पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटकों हेतु आवास गृहों,

जलपान-गृहों, मार्गीय सुविधा तथा मनोरंजन स्थलों की स्थापना, विकास व प्रचार करना।

विभिन्न गतिविधियाँ

(अ) होटल व्यवसाय

निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों-होटल/मोटल के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के पर्यटकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये वातानुकूलित, एयरकूल्ड, साधारण कक्षों तथा डारमेट्री की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त पर्यटकों की सुविधा हेतु निगम द्वारा संचालित इकाइयों में जलपान एवं भोजन की सुविधा के साथ-साथ पर्यटकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए 5 इकाइयों में कम्पोजिट बार तथा 5 इकाइयों में कम्पोजिट बार तथा 07 इकाइयों में बीयर बार की सुविधा भी उपलब्ध है। कुछ इकाइयों पर बैंक्वेट हाल/कान्फ्रेंस हाल की सुविधा भी उपलब्ध है।

(ब) अपटुअर्स

निगम द्वारा प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के दृष्टिकोण से अपटुअर्स स्थापित किये गये हैं, जिनका निगम द्वारा विभिन्न इकाइयों में पर्यटकों को आवासीय कक्षों का आरक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपटुउर्स का संचालन किया जा रहा है। इन अपटुअर्स के माध्यम से पर्यटकों को निगम द्वारा संचालित किसी भी इकाई का आवासीय आरक्षण कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

निगम द्वारा संचालित अपटुअर्स

क उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में संचालित अपटुअर्स

1. अपटुअर्स, लखनऊ
2. अपटुअर्स, आगरा
3. अपटुअर्स, इलाहाबाद
4. अपटुअर्स, वाराणसी
5. अपटुअर्स, हरिद्वार
6. अपटुअर्स, झाँसी
7. अपटुअर्स, लखनऊ एअरपोर्ट

ख अन्य राज्यों में स्थापित अपटुअर्स

1. अपटुअर्स, दिल्ली
2. अपटुअर्स, कोलकाता
3. अपटुअर्स, मुम्बई
4. अपटुअर्स, चेन्नई
5. अपटुअर्स, अहमदाबाद
6. अपटुअर्स, चण्डीगढ़

अन्य कार्य कलाप

- शिल्पग्राम, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी, आगरा में वाहन पार्किंग का संचालन किया जा रहा है।
- आगरा फोर्ट में लाइट एण्ड साउण्ड शो का संचालन किया जा रहा है।
- वाराणसी में अरबन हाट का संचालन किया जा रहा है।

●

पर्यावरण

पर्यावरण निदेशालय का गठन वर्ष 1976 में हुआ था। पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदेश के पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार एवं संवर्धन हेतु विविध कार्यक्रम चलाये जाते हैं, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, पर्यावरणीय शोध करने, पर्यावरण संगत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित करने से सम्बन्धित होते हैं।

निदेशालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से मुख्यतः निम्नांकित दायित्वों का निर्वहन किया जाता है:-

1. पर्यावरणीय जन चेतना के व्यापक प्रसार हेतु कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन।
2. पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
3. पर्यावरण अपघटन एवं प्रदूषण के संबंध में प्राप्त होने वाली जन शिकायतों के संबंध में वाँछित कार्यवाही करना।
4. प्रदेश के विभिन्न विकास विभागों और विकास प्राधिकरणों को उनकी योजनाओं के सम्बन्ध में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परामर्श देना।
5. प्रदेश के पर्यावरण की स्थिति का विश्लेषण/आँकलन एवं तदनुसार नीतिगत उपायों हेतु परामर्श देना।
6. पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में किये गये कार्य

पर्यावरण निदेशालय द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता तथा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम मुख्यतः निम्नांकित मदों के अन्तर्गत चलाये जा रहे हैं :

1. पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम।
2. पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम।
3. निदेशन एवं प्रशासन।
4. केन्द्र पुरोनिधानित/पोषित योजनायें

संगत मदों में निदेशालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का प्रगति विवरण निम्नवत् है-

पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम

- पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसका संरक्षण तथा संवर्धन तभी सम्भव है, जबकि जन सामान्य को इस बात की समुचित जानकारी हो कि पर्यावरण क्या है, इसका संरक्षण और संवर्धन क्यों आवश्यक है तथा जन-जन में इसकी सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के कार्यों में सहभागिता के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो।

यह कार्य पर्यावरणीय जन चेतना के व्यापक स्तर पर प्रसार के माध्यम से ही सम्भव है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों में जन सामान्य को सहभागी बनाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय जन जागरूकता उत्पन्न करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू० 15.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई, जिसके अन्तर्गत क्रियान्वित/प्रस्तावित योजनओं का विवरण निम्नवत् हैः-

- विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून 2017) के अवसर पर आंचलिक विज्ञान नगरी के सहयोग से विभिन्न पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रम जैसे- चित्रकला प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पर्यावरण पर आधारित विज्ञान प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, पर्यावरण के अनुकूल व उत्पादों पर कार्यशाला एवं संगोष्ठी तथा पर्यावरण पर आधारित कठपुतली प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। सरकारी ग्रामीण स्कूलों के विद्यार्थियों के मध्य भी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी एवं क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा द्वारा भी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2017 के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस (16 सितम्बर 2017) के अवसर पर पर्यावरण निदेशालय द्वारा आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ के सहयोग से चित्रकला प्रतियोगिता, लिखित विज्ञान प्रश्नोत्तरी, चलचित्र-शो एवं गोष्ठी का आयोजन कराया गया तथा सरकारी ग्रामीण स्कूलों के विद्यार्थियों के मध्य भी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी द्वारा 16 सितम्बर, 2017 के अवसर पर संगोष्ठी एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया।
- यू०पी० महोत्सव, 2018 एवं लखनऊ महोत्सव, 2018 में पर्यावरणीय विषयक नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कराया गया।
- आकाशवाणी लखनऊ के माध्यम से पर्यावरणीय संदेशों का प्रसारण कराया जा रहा है।
- सिनेमा थियेटरों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी संदेशों का प्रसारण किया जा रहा है।
- लखनऊ शहर के पाँच स्थलों पर नदी संरक्षण एवं प्लास्टिक थैलियों के संबंध में होर्डिंग्स लगवाये जाने संबंधी कार्यवाही चल रही है।

पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम (जिला योजना)

जिला योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाये गये, जिनके सापेक्ष कुल रु. 90.00 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई।

ग्राम्य स्तर तक पर्यावरणीय जन जागरूकता के प्रसार हेतु जिला योजना के अन्तर्गत पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन निम्नानुसार कराया गयाः-

- जनपद के मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं सरकारी कार्यालयों इत्यादि में स्थानीय प्रजाति के वृक्षों जैसे- बरगद, नीम, पीपल, आँवला एवं अशोक इत्यादि प्रजाति के वृक्षों का रोपण इत्यादि।
- नदी संरक्षण हेतु विशेष अभियान का संचालन।
- पर्यावरण बहुविषयक वाल राइटिंग/होर्डिंग्स की स्थापना।
- पर्यावरण के दृष्टिकोण से संवेदनशील या अपघटित किसी चयनित क्षेत्र का पर्यावरणीय विकास।
- अपघटित/अविकसित पार्कों का पर्यावरण की दृष्टि से सुधार/पर्यावरणीय विकास।

- अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवसों जैसे- विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून), अन्तर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस (16 सितम्बर) तथा पर्यावरण से सम्बन्धित अन्य दिवसों/अवसरों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों यथा- संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शनी का आयोजन, प्रतियोगिता, रैली, वृक्षारोपण, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो एवं जनसभा का आयोजन तथा प्रचार-प्रसार सामग्री का निर्माण/वितरण इत्यादि।
- शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
- स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता के लिये विभिन्न कार्यक्रमों जैसे- वाद विवाद/भाषण, चित्रकला/पोस्टर और क्विज प्रतियोगिताओं, रैली, बाल-मेला, वन मनोरंजन और पर्यावरण प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन।
- विभिन्न लक्षित समूहों हेतु पर्यावरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन।
- सांस्कृतिक दलों के सहयोग से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण विषय पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे- नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, ड्रामा/नौटंकी इत्यादि का आयोजन।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त वन विभाग, उ०प्र० एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रभागीय/क्षेत्रीय अधिकारियों का सहयोग लिया जा रहा है।

- **पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम**
- **इन्वयारनमेंटल स्टेटस रिपोर्ट का प्रकाशन**

औद्योगिक एवं विकास गतिविधियों तथा अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप पर्यावरण के विभिन्न घटकों यथा- जल, वायु, मृदा एवं जैविक संसाधनों पर निरन्तर पड़ रहे दबाव एवं स्वस्थ तथा खुशहाल पर्यावरण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के विभिन्न जनपदों की इन्वायरनमेंटल स्टेटस रिपोर्ट तैयार कराये जाने की योजना है। ये रिपोर्ट जनपद की पर्यावरणीय समस्याओं एवं प्रदूषण के दुष्परिणामों से परिचय करायेंगी तथा पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर पड़ने वाले दबावों का आकलन करने में सहायक होंगी। जनपद की पर्यावरणीय स्थिति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उपयोगी दस्तावेज का कार्य करेंगी और नीति निर्धारकों, बुद्धिजीवियों, पर्यावरणविदों तथा जन सामान्य के लिये लाभकारी होंगी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद वाराणसी व मेरठ की इन्वयारनमेंटल स्टेटस रिपोर्ट तैयार करायी गयी।

- **स्थानिक और लौकिक जी०आई०एस० आधारित वायु प्रदूषकों एवं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वस्तुस्थिति तैयार किये जाने की योजना**

प्रदेश के 03 शहरों में (कानपुर, वाराणसी और लखनऊ) विभिन्न प्रदूषण स्रोतों की स्थिति, उत्सर्जन की मात्रा एवं विभिन्न प्रदूषकों के प्रभावों को जी०आई०एस० प्लेटफार्म से 2X2 किमी० की ग्रिड साइज पर इन्वेंट्री तैयार की जायेगी, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइ आक्साइड, नाइट्रोजन डाइ आक्साइड, बेंजीन, पी०एच०ए०एस० एवं एल्डीहाइड एवं ग्रीन हाउस गैसों मीथेन, कार्बन डाइ आक्साइड, नाइट्रस आक्साइड लिया जाना प्रस्तावित है। यें आंकड़े वर्ष में कम से कम दो मौसम गर्मी एवं ठंढ के मौसम में भी इन्वेंट्री विकसित

की जानी है।

केन्द्र पुरोनिधानित योजना :

परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं की स्थापना और अनाधिकृत परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण स्थलों का उपचार : (केन्द्र 50/ राज्य 50)

उद्योगों से उत्पन्न होने वाले परिसंकटमय अपशिष्ट जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए गम्भीर चुनौती उत्पन्न करते हैं। उद्योगों से उत्पन्न होने वाले परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थों से जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा हेतु परिसंकटमय अपशिष्टों के उपचार, भण्डारण और निस्तारण सुविधाओं की स्थापना के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर अनुदान दिये जाने हेतु यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है।

इनके वैज्ञानिक ढंग से समुचित निस्तारण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट, 1989 (यथा संशोधित) निर्गत किये गये राज्य के पर्यावरण संगत विकास के क्रम में द्वितीय वर्ष 2017–18 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना "परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं की स्थापना तथा परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण, संरक्षित लैण्ड फिल, समाकलित इलेक्ट्रानिक अपशिष्ठ पुनर्चक्रण एवं उपचार सुविधा तथा सामूहिक जैव चिकित्सीय अपशिष्ठ निस्तारण की स्थापना टी.एस.डी.एफ. हेतु रु. 50.00/- लाख राज्यांश व समतूल्य केन्द्रांश की सहायता उपलब्ध करायी जानी है।

अन्य कार्यक्रम/योजनाएं :

उ०प्र० जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन

प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उ०प्र० जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन किया गया है। उक्त प्राधिकरण के कार्यों के प्रारम्भिक संचालन हेतु रु. 20.00 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार के द्वारा कारपस फण्ड के रूप में प्रदान की जायेगी। कारपस फण्ड के ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि को प्राधिकरण के उद्देश्यों एवं योजना की पूर्ति के लिए संचालित विभिन्न गतिविधियों तथा प्रशासनिक व्यय आदि पर आवश्यकतानुसार वहन किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं हुआ है।

- जलवायु परिवर्तन पर जनरलों/रिपोर्टों का प्रकाशन।
- जलवायु परिवर्तन की पुस्तकालय एवं ई-पुस्तकालय, वर्कशॉप/कान्फ्रेंस/सिम्पोजियम का आयोजन।
- अधिकारियों के क्षमता विकास हेतु देश-विदेश में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित वर्कशॉप/कन्फ्रेंस/सिम्पोजियम में प्रतिभाग।
- जलवायु परिवर्तन पर मुख्यालय/मण्डल/जिला स्तर पर जन जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन।
- जलवायु परिवर्तन पर जन जागरूकता हेतु होर्डिंग्स/इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया में प्रकाशन हेतु व्यय।
- जलवायु परिवर्तन पर शोध/केस स्टडी पर व्यय।
- जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ अधिष्ठान पर व्यय।

●

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य की समग्र सुरक्षा के उद्देश्य एवं प्रदूषण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदूषण जनित समस्याओं के प्रभावी निराकरण हेतु अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 03 फरवरी, 1975 को **''उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड''** का गठन किया गया। वर्ष 1981 में भारत सरकार द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम की धारा-5 के प्रावधानों के अन्तर्गत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत गठित राज्य बोर्ड को ही वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया। 13 जुलाई, 1982 से राज्य सरकार द्वारा उक्त राज्य बोर्ड का नाम बदलकर **''उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड''** विनिर्दिष्ट कर दिया गया।

प्रमुख दायित्व एवं कर्तव्य :

1. राज्य में नदियों और कुओं के जल की गुणवत्ता बनाये रखना तथा नियंत्रित क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोकने, नियंत्रित करने, उसे कम करने के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसका निष्पादन सुनिश्चित करना है।
2. प्रदूषण निवारण, नियंत्रण या उसे कम करने के लिए सम्बद्ध विषयों पर जानकारी एकत्र करना, उसका प्रसार करना, राज्य सरकार को सलाह देना, उससे संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उसका संचालन करना, उसमें भाग लेना।
3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संबंधी कार्य में लगे या लगाये जाने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ सार्वजनिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाना।
4. मल तथा व्यावसायिक बहिःस्राव व उत्सर्जन के शुद्धीकरण संयंत्रों की जाँच तथा निरीक्षण करना तथा स्थानीय निकायों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वर्तमान या नये उत्प्रवाहों व उत्सर्जनों के निस्तारण हेतु सहमति देना।
5. बहिःस्राव व उत्सर्जन के मानक अधिकथित करना और राज्य में जल एवं वायु प्रदूषण का अनुश्रवण करना।
6. मल तथा व्यावसायिक उत्प्रवाहों के शुद्धिकरण हेतु ऐसी प्रक्रियाओं का विकास करना जो टिकाऊ व सस्ता होने के साथ ही साथ कृषि तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो।

7. उद्योगों तथा स्थानीय निकायों से जल उपकर एकत्र करना तथा उसे केन्द्रीय सरकार को भेजना।
8. ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें या उसे समय-समय पर सौंपे जायें।
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत समय-समय पर बोर्ड को सौंपे गये कार्यों का निष्पादन।

सहमति आवेदन के निस्तारण एवं सहमति शुल्क प्राप्ति की स्थिति :

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं संशोधित जल अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ जो मानकों के अनुरूप अपने उत्स्रवाहों को सरिता, भूमि या सीवर में छोड़ रहे हैं या नये उद्योगों को जिनके द्वारा उत्स्रवाहों का निस्तारण उपरोक्त स्थलों में किया जाना प्रस्तावित है, बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करने के उपरान्त सहमति प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। सहमति आवेदन पत्र के साथ बोर्ड द्वारा निर्धारित सहमति शुल्क भी लिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रुपया- 2084.50 लाख सहमति शुल्क (जल) के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 2017 तक रुपया 1011.92 लाख एकत्र किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-2018 में दिसम्बर, 2017 तक 3565 उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से सहमति (जल) प्रदान की गयी तथा 1916 उद्योगों की सहमति औचित्यपूर्ण न होने के कारण अस्वीकृति की गयी तथा उन्हें उचित निर्देश जारी किये गये, जिससे उद्योग अपने शुद्धीकरण संयंत्र का संचालन/रख-रखाव तथा सुदृढ़ीकरण कर, उसे मानकों के अनुरूप उत्स्रवाह शुद्धीकृत करने योग्य बनायें।

जल उपकर :

केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य बोर्डों के आर्थिक संसाधन सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत बोर्ड द्वारा स्थानीय निकायों एवं उद्योगों से उनके जल उपभोग की मात्रा के आधार पर उपकर वसूल किये जाने का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रुपया 4905.00 लाख लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर,2017 तक रुपया 3043.60 लाख एकत्र किया गया।

अनापत्ति प्रमाण पत्र :

प्रदेश में नये लगाये जाने वाले उद्योगों तथा वर्तमान उद्योगों में क्षमता विस्तार के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि उद्यमी उद्योग लगाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जिस स्थान पर उद्योग लगाया जाना प्रस्तावित है, वहाँ उसकी स्थापना से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तो नहीं हो जायेगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व उद्योग से प्रदूषण नियंत्रण के प्रस्ताव प्राप्त किये जाते हैं एवं उनकी विस्तृत जाँच कर, अगर प्रस्ताव उपयुक्त हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय आवश्यकतानुसार शर्तें लगा दी जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व व्यवसायिक उत्स्रवाह, घरेलू उत्स्रवाह एवं वायु उत्सर्जन की शुद्धीकरण व्यवस्था अवश्य कर ली जाये।

वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यवाही :

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं यथासंशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत प्रदेश में वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व भी बोर्ड को सौंपा गया है।

वायुमण्डल को स्वच्छ रखने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योगों से (मानकों से अधिक) निकलने वाले दूषित एवं प्रदूषक गैसीय उत्सर्जन की रोकथाम की जाये। वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं यथासंशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत किसी भी उद्योग को चलाने तथा उसके द्वारा वायुमण्डल में मानकों के अनुरूप उत्सर्जन के लिए किसी नयी या परिवर्तित चिमनी को उपयोग में लाये जाने के लिए या चिमनी से वायुमण्डल में उत्सर्जन को जारी रखने के लिए वायु अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सहमति प्राप्त कर लेना आवश्यक है। सहमति आवेदन पत्रों के साथ बोर्ड द्वारा वायु नियमावली, 1983 में प्राविधानित सहमति शुल्क भी लिया जाता है।

उत्तर प्रदेश में स्थित परिसंकटमय अपशिष्ट (हैजार्ड्स वेस्ट) जनित करने वाले उद्योगों एवं परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था का विवरण :

प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन व सीमा पार संचालन नियम, 2016 के अन्तर्गत 2334 उद्योग वर्तमान में आच्छादित हैं। इन सभी उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के भण्डारण एवं सुरक्षित निस्तारण के लिए उद्योगों को प्राधिकार निर्गमन हेतु राज्य बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है।

परिसंकटमय अपशिष्ट के सामूहिक निस्तारण हेतु प्रदेश में निम्नलिखित स्थलों की स्थिति निम्नवत् है:-

1.	कानपुर (रूमा)	-	क्षमता समाप्त
2.	कानपुर देहात (कुम्भी) 7 हेक्टेयर भूमि में	-	संचालित
3.	कानपुर देहात (कुम्भी) 3 हेक्टेयर भूमि में	-	संचालित
4.	उन्नाव (बन्थर)	-	संचालित

उक्त के अतिरिक्त ज्वलनशील/जलाने योग्य परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु निम्न व्यवस्था है:-

1. उद्योग जिनमे स्वयं का भस्मन संयंत्र स्थापित हैं	21
2. संयुक्त भस्मन संयंत्र की व्यवस्था है	03

उत्तर प्रदेश में स्थित ग्रोसली प्रदूषणकारी उद्योगों के सम्बन्ध में आख्या

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1510 ग्रोसली प्रदूषणकारी उद्योगों (ऐसे उद्योग जिनका बी.ओ.डी. लोड 100 किग्रा0/दिन से ज्यादा या जहरीला उत्प्रवाह है) को चिह्नित किया गया है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली 13 प्रमुख नदियों (गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, हिण्डन, सरयू, काली ईस्ट, काली वेस्ट, घाघरा, राप्ती, सई, रिहन्द एवं शारदा) एवं विभिन्न तालों में अपना उत्प्रवाह निस्तारित करते हैं। इन 1510 उद्योगों की वर्तमान में जल प्रदूषण की दृष्टि से स्थिति निम्नवत् है:–

1.	उ.प्र. में चिह्नित ग्रोसली उद्योग	1510

2.	कार्यरत उद्योग जिनमें उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं	1079
	(अ) कार्यरत उद्योग जिनमें उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है तथा बोर्ड के मानकों की पूर्ति भी कर रहे हैं	1032
	(ब) कार्यरत उद्योग जिनमें उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है परन्तु बोर्ड मानकों की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं	47
3.	उद्योग जो स्वतः बन्द हैं	231
4.	उद्योग जिन्हें बोर्ड द्वारा बन्द कराया गया	200

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध और हस्तन) नियम, 1998 यथासंशोधित

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 :

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध और हस्तन) नियम, 1998 यथासंशोधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 12876 अस्पताल/नर्सिंग होम तथा अन्य संस्थान चिह्नित किये गये हैं जिनमें से 12582 अस्पतालों/नर्सिंग होम्स व अन्य संस्थानों द्वारा एकल उपचार व्यवस्था कर ली गई अथवा सामूहिक उपचार व्यवस्था से सम्बद्ध हैं। इनमें से 7644 अस्पतालों/नर्सिंग होम तथा अन्य संस्थानों द्वारा प्राधिकार प्राप्त किये गये हैं।

प्रदेश में कुल 17 सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार व्यवस्था स्थापित की गई है, यथा-जनपद लखनऊ-2, बरेली-1, गाजियाबाद-1, मेरठ-1, कानपुर-2, इलाहाबाद-2, मथुरा-1, आगरा-1, झाँसी-1, वाराणसी-1, बाराबंकी-1, संत कबीर नगर-1, सुल्तानपुर-1 तथा गाजीपुर-01 में व्यवस्थायें हैं, उक्त के अतिरिक्त 13 हेल्थ केयर फैसिलिटीज में स्वयं की उपचार व्यवस्थायें है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्राधिकार शुल्क रुपया 14.39 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2017 तक कुल रुपया 13.65 लाख एकत्रित किया गया।

नगरीय ठोस अपशिष्ट :

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1999 एवं तत्पश्चात् प्रख्यापित नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 को अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 द्वारा अधिक्रान्त करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु नया नियम लागू किया गया है, जिन्हें ''**ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016**'' कहा गया है। यह नियम दिनांक 08.04.2016 से प्रवृत्त है। प्रदेश में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु की गई कार्यवाही एवं प्रस्तावित कार्यवाही निम्नवत् हैं-

1. स्थानीय निकायों से जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रण, पृथक्करण, परिवहन, उपचार एवं सुरक्षित निस्तारण किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 जो अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 से प्रभावी हैं, का क्रियान्वयन स्थानीय निकायों तथा अनुश्रवण बोर्ड द्वारा किया जाना प्राविधानित है।

2. बोर्ड द्वारा समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों को उक्त नियम, 2016 में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन हेतु निर्देश जारी किया गया है।

3. प्रदेश में वर्तमान में कुल 654 नगर निकाय (नगर निगम-14, नगर पालिका परिषद-202, नगर पंचायत-438) चिह्नित हैं।

4. प्रदेश में जनित कुल नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा 15500 टन/दिन है।

5. नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु प्रदेश में वेस्ट से कम्पोस्ट बनाये जाने के 10 संयंत्र संचालित हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 3070 टन/दिन है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 04 वेस्ट से कम्पोस्ट बनाने के संयंत्र स्थापित हैं परन्तु संचालित नहीं हैं एवं 14 वेस्ट से कम्पोस्ट बनाने के संयंत्र स्थापना की प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं। प्रदेश में 04 वेस्ट से एनर्जी बनाने के संयंत्र स्थापना की प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं।

6. नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-199/2014 अलमित्रा एच. पटेल एवं अन्य *बनाम* यूनियन ऑफ इण्डिया में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य योजना, 2017 जमा की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु 29 क्लस्टर्स विकसित किये जाने हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के 75 जिलों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन सुनिश्चित कराया जायेगा। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्ययोजना, 2017 के अन्तर्गत समस्त क्लस्टर्स में भूमि का चिह्नीकरण दिनांक 30.06.2017 तक पूर्ण कर लिया जायेगा तथा दिनांक- 31.01.2019 तक परियोजना को पूर्ण किया जाना है।

अभियोजनात्मक कार्यवाही :

बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों/स्थानीय निकायों के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की जाती है।

प्रयोगशाला एवं जल-वायु गुणता का अनुश्रवण :

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 01 केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा 19 क्षेत्रीय प्रयोगशालायें स्थापित हैं। 02 अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों उन्नाव, फिरोजाबाद में वायु प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य किया जा चुका है। प्रयोगशालाओं द्वारा वर्तमान में औद्योगिक उत्प्रवाहों के नमूने, नदियों, नालों एवं भूगर्भ जल के नमूनों का परीक्षण तथा परिवेशीय वायु गुणवत्ता एवं ध्वनि प्रदूषण के अनुश्रवण का कार्य संपादित किया जाता है। इन कार्यों के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के अन्तर्गत भी जल स्रोतों का अनुश्रवण तथा परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

गोमती नदी का अनुश्रवण :

गोमती अनुश्रवण अध्ययन के अन्तर्गत लखनऊ में गोमती नदी के जल में घुलित आक्सीजन की मात्रा एवं पी.एच. का परीक्षण प्रतिदिन तथा 17 विभिन्न प्रचालकों के लिए परीक्षण प्रतिमाह एक बार नियमित रूप से किया जाता है, जिससे गोमती नदी के जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण तथा जल की गुणता का ज्ञान होता रहे।

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम (नेशनल वाटर क्वालिटी मानीटरिंग प्रोग्राम) :

इस परियोजना (पूर्व नाम मीनार्स) के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न नदियों एवं अन्य जल स्रोतों (तालाब, झील आदि) के 58 चिन्हित स्थलों पर (कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, कौशाम्बी, इलाहाबाद, गाजियाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, सहारनपुर, रेनूकूट, गोरखपुर, देवरिया, ललितपुर, उन्नाव, बुलन्दशहर, बदायूँ, मिर्जापुर, बागपत, मेरठ, गाजीपुर, कन्नौज, नोएडा, सीतापुर, फैजाबाद, मथुरा, सोनभद्र, जौनपुर, वृन्दावन, हमीरपुर, झाँसी व मुजफ्फरनगर) जल गुणता अनुश्रवण का कार्य एक माह में एक बार किया जाता है। जिससे विभिन्न नदियों की जल गुणता की जानकारी प्राप्त हो सके। यह परियोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा 70 प्रतिशत वित्तपोषित है।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम (नेशनल एयर क्वालिटी मानीटरिंग प्रोग्राम) :

इस परियोजना (पूर्व नाम नाकम) के अन्तर्गत प्रदेश के 21 शहरों- गाजियाबाद, गजरौला, आगरा, नोएडा, सोनभद्र, लखनऊ, कानपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, बरेली, झाँसी, इलाहाबाद, मेरठ, खुर्जा, वाराणसी, सहारनपुर, रायबरेली, मथुरा, हापुड़, गोरखपुर एवं उन्नाव में 62 चिह्नित स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कार्य सम्पादित किया जाता है। यह परियोजना भी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा 50 प्रतिशत वित्तपोषित है। इस योजना में विभिन्न स्थलों की वायु गुणवत्ता की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है।

ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम :

भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं इससे संबंधित नियमावली के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 एवं संशोधित 2010 प्रख्यापित किये गये हैं जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 14-02-2000 से प्रवृत्त हो गये हैं।

1. पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम :

दीपावली पर्व के दौरान जनित ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण पर्व के दौरान राज्य के प्रमुख 20 शहरों में ध्वनि प्रदूषण की जाँच का कार्य सम्पादित किया गया।

2. स्वचालित परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण स्टेशन :

बोर्ड द्वारा प्रदेश के 07 शहरों- लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद एवं नोएडा में एक-एक स्वचालित परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण स्टेशनों की स्थापना की गई है। इन स्टेशनों से लगातार परिवेशीय वायुगुणता के विभिन्न प्रचालक जैसे- पार्टीकुलेट मैटर (पी.एम. 10 एवं पी.एम. 2.5), सल्फर डाइ आक्साइड, नाइट्रोजन डाई आक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनो आक्साइड गैसों, बेन्जीन, जाइलीन, टाल्वीन के आंकड़े प्राप्त होते हैं।

3. ध्वनि गुणता अनुश्रवण :

बोर्ड द्वारा प्रदेश के 15 शहरों की विभिन्न श्रेणियों- आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं शान्त क्षेत्रों में दिन एवं रात्रि के समय परिवेशीय ध्वनि गुणता अनुश्रवण का कार्य प्रत्येक माह नियमित रूप से किया जा रहा है।

4. स्वचालित परिवेशीय ध्वनिगुणता मापक स्टेशन :

बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से लखनऊ शहर में 10 स्टेशनों को स्थापित किया गया है। यह स्टेशन लोहिया अस्पताल, इंदिरा नगर, तालकटोरा, डी.आर.एम. ऑफिस हजरतगंज तथा एस.जी.पी.जी.आई., आई.टी. कॉलेज, बोर्ड मुख्यालय विभूति खण्ड, चिनहट औद्योगिक क्षेत्र, आंचलिक विज्ञान केन्द्र अलीगंज तथा चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में स्थापित हैं। इन स्टेशनों से लगातार ध्वनि स्तर के आंकड़े प्राप्त होते हैं।

5. प्रदर्शन पटल :

बोर्ड द्वारा किये जा रहे परिवेशीय वायुगुणता के आंकड़ों को जनमानस में प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से लखनऊ शहर में 5 निम्न स्थलों पर इलेक्ट्रानिक प्रदर्शन पटल स्थापित किये गये हैं–

1. बोर्ड के नवनिर्मित मुख्यालय, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
2. पंजाब नेशनल बैंक, पिकप भवन के सामने, गोमती नगर,
3. आई.आई.टी.आर., महात्मा गांधी मार्ग,
4. सहारा बिल्डिंग, कपूरथला चौराहा,
5. किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी।

प्लास्टिक वेस्ट प्रबन्धन :

1- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.03.2016 द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 अधिसूचित किये गये हैं जो राजपत्र के प्रकाशन की तिथि दिनांक 18.03.2016 से प्रभावी है।

2- अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन की अवसंरचना को विकसित करने और स्थापना के लिए स्थानीय निकाय उत्तरदायी हैं।

3- अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्लास्टिक उत्पादों और बहुस्तरीय पैकेजिंग के विनिर्माण, अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रसंस्करण और व्ययन से सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को प्रवृत्त करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विहित प्राधिकारी है।

4- पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग को प्रदेश में पूर्णतया प्रतिबन्धित करने हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट अधिसूचना दिनांक 22.12.2015 जारी किया गया है जो अधिसूचना दिनांक 22.12.2015 के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिनों के बाद से अर्थात् दिनांक 21.01.2016 से प्रवृत्त हो गयी है। प्रदेश मे किसी भी मोटाई एवं आकार के प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन एवं प्रयोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने हेतु जिला स्तर पर स्थानीय निकाय, जिला प्रशासन, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अधिसूचना में प्राविधानित अन्य विभागों के अधिकृत प्राधिकारियों की टीम को अधिसूचना के प्रवर्तन हेतु गठित किया गया।

●

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स

उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के विकास के लिए आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग दृढ़ संकल्प है। राज्य में नवयुवक/नवयुवतियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016 को अवक्रमित करते हुए 5 वर्षों की अवधि के लिए उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2017 प्रख्यापित की गई है। इस नीति के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में बी0पी0ओ0 तथा आईटी/आईटीईएस इकाइयों की स्थापना के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन, स्टार्ट-अप्स, इन्क्यूबेटर्स, वेन्चर कैपिटलिस्ट, स्टार्ट-अप कार्पस फण्ड, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित प्रकरण व्यवहरित किये जाने हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन (ई0एम0जेड0) घोषित करते हुए इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण इकाइयों के लिए विभिन्न छूट एवं प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है।

नवयुवक/नवयुवतियों के लिए अधिकाधिक रोजगार सृजन हेतु देश के सबसे बड़े इन्क्यूवेटर केन्द्र को यूपीडीपीएल के नादरगंज, लखनऊ औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित भूमि पर स्थापित करने, सभी सरकारी कान्ट्रेक्ट के लिए ई-टेन्डरिंग को अनिवार्य/बाध्यकारी करने, ई-टेण्डरिंग प्रणाली के लिए विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं डिजिटल सिग्नेचर इत्यादि प्रदान किये जाने, आईटी/आईटीईएस उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आईटी नीति का प्रभावी क्रियान्वयन करने, जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु मुख्यमंत्री हेल्पलाइन अन्तर्गत 500 सीटों के कॉल सेन्टर की लखनऊ में स्थापना करने, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत इन्टरफेस फॉर मनी (भीम) एप के माध्यम से इनेबिलमेंट ऑफ मल्टी-एजेन्ट ऑपरेशन का प्रभावी क्रियान्वयन करने, सरकारी सेवाओं को समय से लोगों को इलेक्ट्रानिकली उपलब्ध कराने के लिए सिटीजन चार्टर को सशक्त तरीके से लागू करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत कॉमन सर्विस सेन्टर, लोक वाणी एवं ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आम नागरिकों को उनके द्वारा अथवा समीप के स्थान पर विभिन्न शासकीय सेवायें जैसे- आय, जाति, निवास, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र, विभिन्न पेंशन, छात्रवृत्ति से सम्बन्धित सूचनायें/अभिलेख, खतौनी इत्यादि इलैक्ट्रानिक प्रकिया से उपलब्ध कराने के साथ ही सीधे वैब/इन्टरनेट के माध्यम से भी इन सेवाओं को प्राप्त करने की व्यवस्था पूर्व से की गयी है। स्मार्ट सीटी योजना के अन्तर्गत चुनिन्दा शहरों में ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आमजन को जनोपयोगी सेवाएं उपलब्ध कराने, टेण्डर प्रकिया

में वास्तविक प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 'ई-प्रोक्योरमेन्ट', वेबसाइट अपग्रेडेशन/नवीनीकरण तथा राज्य में प्रत्येक विभाग द्वारा निर्गत किये गये/जाने वाले शासनादेशों को यूआरएल एचटीटीपीः/शासनादेश यूपी.एनआईसी.इन के माध्यम से आनलाइन रखने/निर्गत करने की व्यवस्था पूर्व से लागू है। इस प्रकार से डिजिटल इण्डिया कार्यकम के अन्तर्गत अवधारित पहलुओं/स्तम्भों को राज्य में किसी न किसी रूप में आच्छादित करने सम्बन्धी कार्यवाही अनवरत संचालित है।

भारत नेट के अन्तर्गत ऑप्टीकल फाइबर लाइन से लिंक होने वाली ग्राम पंचायतों में वाई-फाई की व्यवस्था के अतिरिक्त सरकार के संकल्प पत्र में यथा- अवधारित सरकार में भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में विशेष हेल्पलाइन आरम्भ करने की योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हेतु उक्त कॉल सेन्टर के माध्यम से आम जनता की शिकायतों को पंजीकरण कर इनके सम्बन्धित विभागों द्वारा निदान कराये जाने की कार्यवाही/व्यवस्था प्रस्तावित है।

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संस्थाएं- उ.प्र.डेवलपमेन्ट सिस्टम्स् कारपोरेशन लिमिटेड, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश, उ.प्र.इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड एवं ई-सुविधा, उत्तर प्रदेश के माध्यम से मुख्यतया योजनाओं का कियान्वयन कराया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स् कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को)

निगम के प्रमुख कार्य

- विभागों को आई0टी0 एवं आई0सी0टी0 आधारित क्षेत्रों में तकनीकी परामर्श के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण की कार्य-योजना, हार्डवेयर क्रय, सॉफ्टवेयर विकास एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कराने में सहयोग करना।
- विभागों में तकनीकी एवं अन्य जनशक्ति के रूप में अपने विशेषज्ञों की निःशुल्क तैनाती के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना।
- आई0सी0टी0 योजनाओं को टर्न-की माडल के आधार पर सम्पादित कराना।
- राज्य में कम्प्यूटर शिक्षा एवं प्रशिक्षण का विस्तार।
- विभिन्न विभागों/अधिष्ठानों से प्राप्त अध्ययनों को पूर्ण करना।
- विभागों की माँग पर हार्डवेयर/साफ्टवेयर/जनशक्ति की आपूर्ति।
- शासन द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्यों/योजनाओं का निष्पादन।

महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना

- नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना राज्य में की गई है जिसमें विभिन्न जी2सी, जी2जी सेवाओं को इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य के विभिन्न विभागों के डाटा एवं एप्लीकेशन साफ्टवेयर को केन्द्रीयकृत रूप से रखा जा रहा है। यह योजना ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में राज्य की एक महत्त्वपूर्ण कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना है।
- यूपीडेस्को द्वारा इम्प्लीमेंटेशन एजेन्सी के रूप में स्टेट डाटा सेन्टर को स्थापित कराते हुए दिनांक

06-08-2012 से इसे गो-लाइव कराया गया।

- में0 टीसीएस लि0 द्वारा डाटा सेन्टर आपरेटर के रूप में इसकी स्थापना उपरान्त गो-लाइव से 5 वर्षों अर्थात दिनांक 05-08-2017 तक इसका संचालन किया गया है। तत्पश्चात यूपीडेस्को स्तर से इस सेन्टर के संचालन का प्रबन्धन करते हुए दिनांक 01-11-2017 से आगामी तीन वर्षों तक इसके संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया से नये डाटा सेन्टर आपरेटर के रूप में मेसर्स बी0वी0जी0 इण्डिया लिमिटेड (बीवीजीआईएल) का चयन किया गया जिसके माध्यम से सेन्टर के संचालन की कार्यवाही करायी जा रही है।
- स्टेट डाटा सेन्टर की कुल क्षमता का अधिकतम उपयोग हो जाने एवं विभागों द्वारा स्टेट डाटा सेन्टर में स्पेस की माँग किये जाने के दृष्टिगत इसकी क्षमता को वर्ष 2016-17 में बढ़ाया गया है। इस बढ़ायी गई क्षमता के अन्तर्गत लगाये गये इन्फ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेन्ट का कार्य मे0 पी0सी0 साल्यूशन्स द्वारा दिसम्बर, 2017 तक कराया गया।
- वर्तमान में वाणिज्य कर, समाज कल्याण, बेसिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्थानीय निकाय, सीसीटीएनएस, ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं, खाद्य एवं रसद, वन, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स, संस्थागत वित्त आदि 61 विभागों के एप्लीकेशन्स स्टेट डाटा सेन्टर में होस्ट कर इनकी लगभग 250 सेवायें आमजन मानस एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों को उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- स्टेट डाटा सेन्टर विश्वस्तरीय मनकों यथा- आई0एस0ओ0 27001 एवं 20000 से प्रमाणित है तथा इसमें डाटा की अतिरिक्त सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी इन्फॉरमेशन एण्ड इवेन्ट मैनेजमेन्ट (एस0आई0ई0एम0) का उपयोग भी किया जा रहा है। डाटा सेन्टर का अपटाईम 99.98 प्रतिशत है।

मेगा काल सेन्टर की स्थापना एवं संचालन

- यूपीडेस्को (कार्यदायी संस्था) द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए 300 सीटों के एक मेगा कॉल सेन्टर की द्वितीय तल, लेखराज डॉलर काम्प्लेक्स, फैजाबाद रोड, लखनऊ में सिस्टम इन्टीग्रेटर (एसआई) संस्था मे0 कार्वी डाटा मैनेजमेन्ट सर्विसेज लि0 के माध्यम से स्थापना कराते हुए इसे दिनांक 21-09-2016 से गो-लाइव किया गया था। अनुबन्धानुसार इस कॉल सेन्टर के गो-लाइव होने की तिथि से आगामी 2 वर्षों तक इसका संचालन कराया जाना था किन्तु शासन के निर्देश पर इसका संचालन दिनांक 15-01-2018 के पश्चात समाप्त कर दिया गया।
- मेगा कॉल सेन्टर का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में उनके लाभार्थियों को जानकारी देना तथा उनसे इन योजनाओं के सम्बन्ध में पूर्व निर्धारित प्रश्नावली पर स्वतन्त्र फीडबैक प्राप्त करना था ताकि प्राप्त फीडबैक के एनालिसिस उपरान्त आवश्यकतानुसार इन योजनाओं के संचालन की व्यवस्था को सम्बन्धित विभाग के स्तर से सुदृढ़ किया जा सके।
- मेगा कॉल सेन्टर से प्रथम चरण में 13 विभागों/अधिष्ठानों की चिह्नांकित 20 योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक प्राप्त करने की कार्यवाही की गई जिसमें शनैः-शनैः 5 अन्य विभागों/अधिष्ठानों की 08 योजनाओं को जोडते हुए कुल 18 विभागों/अधिष्ठानों की 28 योजनाओं के

लिए 15 जनवरी, 2018 तक फीडबैक प्राप्त करने की कार्यवाही की गई।

- माह अप्रैल, 2017 से मेगा कॉल सेन्टर से सिफ्सा की 'हौसला साझेदारी', राज्य पोषण मिशन महानिदेशालय की 'वीएचएनडी', महिला कल्याण की 'निराश्रित महिला पेन्शन', यूपी पॉवर कार्पोरेशन लि0 के अन्तर्गत विभिन्न डिस्कॉम्स द्वारा लागू योजनाओं, यूपी पुलिस की 'ई-एफआईआर', कामर्शियल टैक्स के 'नॉन रिटर्न फाइलर' कृषि विभाग की प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाओं के स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक प्राप्त करने एवं सम्बन्धितों को एनालेटिक्स/रिपोर्ट्स प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गयी।
- कतिपय अन्य विभागों जैसे- ग्राम्य विकास विभाग तथा कृषि विभाग द्वारा भी क्रमशः अपनी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास तथा मृदा परीक्षण योजनाओं के लिए मेगा कॉल सेन्टर से कॉलिंग कराकर फीडबैक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था किन्तु आवश्यक आंकड़ों/सूचनाओं की इन विभागों के स्तर से 15 जनवरी, 2018 (समापन का निर्णय) के पूर्व उपलब्धता सुनिश्चित न करा पाने की स्थिति में इन योजनाओं का सेन्टर से फीडबैक प्राप्त कराने की कार्यवाही सम्पादित नहीं करायी जा सकी।
- राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना उपरान्त मेगा कॉल सेन्टर के संचालन को बन्द किये जाने के शासन से लिए गये निर्णय के क्रम में यूपीडेस्को स्तर से एसआई संस्था मे0 कार्वी डाटा मैनेजमेन्ट सर्विसेज लि0 को पारित अनुबन्धानुसार तीन माह का नोटिस दिनांक 16-10-2017 को सर्व किया गया। इस नोटिस की तिथि से 3 माह की अवधि दिनांक 15-01-2018 को पूर्ण होते ही सेन्टर का संचालन समाप्त कर दिया गया जिसकी सूचना शासन के पूर्व आदेश दिनांक 7-12-2017 के माध्यम से समस्त प्रशासनिक विभागों को प्रसारित करायी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना एवं संचालन

- सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 के समादर में यू0पी0 डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लि0 (शासन से नियुक्त नोडल संस्था) द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना एवं संचालन योजना के लिए खुली ई-निविदा प्रणाली से कॉल सेन्टर एजेन्सी (सीसीए) के रूप में मेसर्स नेटवर्क टेकलैब (आई) प्रा0लि0 (प्राइम बिडर) एवं श्योरविन बीपीओ सर्विसेस लि0 (कन्शोर्सियम) का चयन किया गया तथा इसके साथ दिनांक 16-11-2017 को अनुबन्ध पारित किया गया है। इस संस्था द्वारा पंचम एवं षष्ठम तल, साइबर टॉवर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में 500 सीटों का एक कॉल सेन्टर स्थापित किया गया है। इस कॉल सेन्टर के माध्यम से प्रदेश के जन-सामान्य की शिकायतों आदि का समेकित रूप में पंजीकरण कर उनका त्वरित निस्तारण किये जाने की अवधारणा रखी गयी है।
- यह कॉल सेन्टर प्राइम वर्किंग आवर्ज में समस्त स्थापित सीटों से प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक तथा नॉन प्राइम वर्किंग आवर्ज़ में आवश्यकतानुसार 20-50 सीटों से रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक संचालित रहेगा। इस कॉल सेन्टर की प्रारम्भ में गो-लाइव से 3 वर्षों तक की समयावधि निर्धारित है तथा आवश्यकतानुसार पुनः एक-एक वर्ष के आधार पर अधिकतम दो वर्षों के लिए इसकी अवधि को और बढ़ाये जाने का प्रावधान रखा गया है।

- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के उक्त कॉल सेन्टर के लए निर्धारित टोल फ्री नंम्बर 1076 पर आम नागरिकों द्वारा कॉल कर अपनी शिकायतें आदि दर्ज करायी जा सकेंगी तथा सम्बन्धित विभागों के स्तर से उनके निवारण उपरान्त कॉल सेन्टर एजेन्ट्स द्वारा सम्बन्धित नागरिकों से इस सम्बन्ध में आउटबाउण्ड कॉलिंग से फीडबैक प्राप्त किया जा सकेगा। इस कॉल सेन्टर के बैक एण्ड पर एन0आई0सी0 द्वारा पूर्व से संचालित इन्टीग्रेटेड ग्रीवेन्स रिड्रेसल सिस्टम (आईजीआरएस) को इन्टीग्रेट किया जायेगा तथा कॉल करने वाले नागरिकों की शिकायतें इस सिस्टम में ही पंजीकृत की जायेंगी। वर्तमान में भौतिक रूप से प्राप्त हो रहे प्रार्थना पत्रों, वेब पोर्टल, पीजी पोर्टल आदि के माध्यम से आईजीआरएस में पंजीकृत हो रही शिकायतों के अतिरिक्त मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का यह कॉल सेन्टर टेलीफोन के माध्यम से नागरिकों की शिकायतें आदि दर्ज करने का महत्त्वपूर्ण पटल/साधन बनेगा।
- नागरिकों की शिकायतों, सूचनाओं, माँग/अनुरोध एवं सुझावों के निवारण के लिए प्रस्तावित हेल्पलाइन में पंजीकरण की सुविधा दी जायेगी। न्यायालय, अन्य राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार, शासकीय कर्मचारियों की सेवाओं, सूचना का अधिकार अधिनियम आदि से सम्बन्धित मामलों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से व्यवहृत नहीं किया जायेगा।
- वर्तमान में विभिन्न विभागों में सेवाओं/शिकायतों से सम्बन्धित हेल्पलाइन/कॉल सेन्टर्स संचालित हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना उपरान्त एकल रूप में मुख्यतः यह हेल्पलाइन ही उपलब्ध रहेगी जिसमें आकस्मिक सेवाओं जैसे डायल-100/यूपी- 100, 108, 1090 आदि से सम्बन्धित प्राप्त होने वाली शिकायतों को आवश्यकतानुसार इन हेल्पलाइन्स/कॉल सेन्टर्स को स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग, बैंकिंग आदि से सम्बन्धित हेल्पलाइन/कॉल सेन्टर्स जो या तो राष्ट्रीय स्तर पर एक ही नम्बर से संचालित हैं अथवा जिनमें विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जाता है, वह सभी हेल्पलाइन/कॉल सेन्टर्स मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से पृथक रहते हुए जारी रहेंगी। शेष सभी विभागीय हेल्पलाइन्स/कॉल सेन्टर्स का समावेश मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में मा0 मुख्यमंत्री जी एवं अन्य अधिकारियों के लिए डैशबोर्ड की व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी जिनके माध्यम से सभी विभागों तथा जनपदों की शिकायतों के विवरण/रिपोर्ट्स का अवलोकन एवं अनुश्रवण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन से आवश्यकतानुसार सरकारी योजनाओं के विषय में आमजन से फीडबैक व सुझाव भी प्राप्त किये जा सकेंगे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की इस व्यवस्था से आम नागरिकों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए न केवल विभिन्न विभागों/स्थानों पर जाने में लगने वाले समय एवं धन की बचत होगी अपितु एक कॉल के माध्यम से अपनी शिकायत के पंजीकरण, उसके अग्रसारण एवं निवारण की स्थिति ज्ञात करने की सुविधा मिलेगी।
- यूपीडेस्को द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हेतु एसएस 7/एसआईपी पीआरआई लाइन की व्यवस्थान्तर्गत खुली निविदा से टेलीकाम सर्विस प्रदाता संस्था के रूप में मेसर्स बीएसएनएल का चयन की कार्यवाही करायी गई तथा इस योजनान्तर्गत कॉल सेन्टर एजेन्सी के रूप में पूर्व से अनुबन्धित/कार्यरत मेसर्स नेटवर्क टेकलैब (आई) प्रा0लि0 एवं श्योरविन बीपीओ सर्विसेस लि0 (कन्शोर्सियम)

संस्था को मेसर्स बीएसएनएल से उक्त सेवायें प्राप्त करने की अनुमन्यता प्रदान करते हुए फैसलीटेट किया गया है।

यूपीस्वान - 2.0

- राज्य में इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सी के रूप में एनआईसी द्वारा ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत उ0प्र0 स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (यूपीस्वान) की स्थापना एवं संचालन का कार्य किया जा रहा है। यह राज्य की दूसरी कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना है।
- परियोजनान्तर्गत राज्य मुख्यालय पर 1, जनपद मुख्यालयों पर 70, तहसील मुख्यालयों पर 240 तथा विकास खण्ड मुख्यालयों पर 574 प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स/स्वान पॉप केन्द्रों की स्थापना की गयी है। समस्त पॉप केन्द्रों को एक समर्पित (डेडीकेटेड) एवं सुरक्षित (सिक्योर्ड) 2 एमबीपीएस की बैण्डविड्थ कनेक्टिविटी बीएसएनएल के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है।
- परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य मुख्यालय, जनपद मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों तथा विकास खण्ड मुख्यालयों पर स्थित शासकीय कार्यालयों को एक समर्पित नेटवर्क उपलब्ध कराया जाना है जिससे इन कार्यालयों द्वारा आपस में सूचना का तेज गति एवं सुरक्षित रूप में आदान-प्रदान किया जा सके।
- यूपीडेस्को द्वारा एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया से एनआईसी के स्थान पर किसी अन्य एसआई का चयन किये जाने तथा उक्त एसआई के माध्यम से स्वान सम्बन्धी समस्त सर्विसेज (इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापना/अनुरक्षण, एफएमएस, बैण्डविड्थ आदि) एक पैकेज के रूप में प्राप्त कर इस योजना का संचालन कराये जाने का निर्णय हुआ है।
- स्वान का कार्यकाल दिनांक 31-03-2018 तक शासन स्तर से बढ़ाया गया। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर पर दिनांक 19-05-2017 को बैठक सम्पन्न हुई जिसमें बीएसएनएल से एमपीएलएस बैण्डविड्थ प्राप्त करते हुए नवीन मॉडल के आधार पर यूपीस्वान- 2.0 के संचालन हेतु लिए गये निर्णयानुसार यूपीडेस्को स्तर से आवश्यक प्राथमिक कार्यवाही कराई जा रही है।

स्टार्ट-अप योजना

- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति के अन्तर्गत लखनऊ, गाजियाबाद एवं आगरा में आई0बी0 हब इन्क्यूबेटर सेन्टर्स की स्थापना की जा चुकी है। प्रदेश में इन्क्यूबेटर सेन्टर्स की स्थापना का उद्देश्य स्टार्ट-अप संस्कृति/वातावरण सृजित कर विद्यार्थियों एवं उद्यमियों की स्किल अपग्रेड कर इन्हें व्यवसायोन्मुख करने में सहयोग प्रदान कराना है तथा उद्यमिता तंत्र को सुदृढ़ बनाना है।
- स्टार्ट-अप योजना के लिए यू0पी0एल0सी0 नोडल संस्था है जिससे आवंटित उक्त कार्य यूपीडेस्को द्वारा कार्यदायी संस्था मेसर्स आई बिल्ड इन्नोवेशन्स इण्डिया लि0 के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर उक्तानुसार इन्क्यूबेटर सेन्टर स्थापित कराये जा रहे/प्रस्तावित हैं।
- लखनऊ आई0बी0 हब इन्क्यूबेटर सेन्टर द्वारा लगभग 24 स्टार्ट-अप्स को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें से कतिपय स्टार्ट-अप द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया।

- शासन द्वारा समय-समय पर आवंटित योजनाओं/कार्यों के अतिरिक्त एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में निगम द्वारा वर्तमान में किये जा रहे कतिपय प्रमुख कार्यों/योजनाओं की विशिष्टियों के साथ इनमें अब तक की गयी महत्त्वपूर्ण प्रगति/उपलब्धियों के विवरण संक्षेप में निम्नानुसार हैं :

हार्डवेयर सम्बन्धी

- विधान सभा की कार्यवाहियों का डिजिटाइजेशन एवं डाटा सेन्टर की स्थापना, वाणिज्य कर विभाग में 2500 कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना, 115 कार्यालयों में मेसर्स एयरटेल के माध्यम से लीजलाइन कनेक्टिविटी की स्थापना, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने तथा बाहर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों की मानीटरिंग हेतु आरएफआईडी सिस्टम की स्थापना, विभिन्न कार्यों की मानीटरिंग हेतु कमाण्ड सेन्टर की स्थापना एवं सचल निरीक्षण दलों/दस्तों के वाहनों हेतु वेहिकिल ट्रेकिंग सिस्टम की स्थापना, प्रदेश के 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 40 के.वी.ए. के सोलर पावर सिस्टम्स की स्थापना, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के स्टेट लोड डिस्पैच हेतु डाटा सेन्टर की स्थापना, कृषि विभाग में डाटा सेन्टर की स्थापना, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, वाराणसी हेतु क्रमशः 554 एवं 279 कम्प्यूटर संयत्रों का क्रय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में वाई-फाई एवं 7 अदद स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना, सोनभद्र, आजमगढ़, बिजनौर एवं अम्बेडकर नगर में स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों में कम्प्यूटर संयत्रों, नेटवर्किंग, स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना का कार्य कराया गया।

सॉफ्टवेयर सम्बन्धी

विभागीय वेबसाइटों का नवीनीकरण एवं रखरखाव

- यूपीडेस्को द्वारा नोडल एजेन्सी के रूप में भारत सरकार की गाइडलाइन्स फॉर इन्डियन गवर्नमेन्ट वेबसाइट (जीआईजीडब्ल्यू) के मानकों के अनुसार कुल 68 प्रमुख विभागों/अधिष्ठानों की वेबसाइटों के नवीनीकरण एवं रखरखाव का कार्य सम्पादित किया गया है तथा वह स्टेट डाटा सेन्टर अथवा विभागीय सर्वर्स पर होस्टेड हैं। 8 अन्य विभागों/अधिष्ठानों की वेबसाइटों के नवीनीकरण की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा शेष विभागों को प्रेषित प्रस्तावों के विरुद्ध इन विभागों से कार्यादेश प्राप्ति के प्रयास किये जा रहे हैं।

लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण मोचन

- प्रदेश सरकार के लोग कल्याण संकल्प पत्र 2017 में लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण मोचन का एक संकल्प निर्धारित है जिसके समादर में संस्थागत वित्त विभाग द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से इस योजना/कार्य को क्रियान्वित करने की कार्यवाही की जा रही है। जिसमें एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर के रूप में एनआईसी की सेवायें प्राप्त की गईं तथा योजनान्तर्गत उ0प्र0 स्टेट डाटा सेन्टर, योजना भवन में स्थापित कन्ट्रोल रूम, संस्थागत वित्त महानिदेशालय के लिए एनआईसी द्वारा संस्तुत हार्डवेयर के प्रोक्योरमेंट आपूर्ति का कार्य यूपीडेस्को के माध्यम से कराया

गया है। इसके अतिरिक्त कन्ट्रोल रूम, संस्थागत वित्त महानिदेशालय एवं जनपदों में एनआईसी द्वारा संस्तुत जनशक्ति को भी यूपीडेस्को द्वारा उपलब्ध कराया गया।

दैनिक अनुश्रवण प्रणाली

- मध्याह्न भोजन प्राधिकरण हेतु मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 1,62,000 आच्छादित प्राइमरी, अपर प्राइमरी एवं मदरसा स्कूलों मे प्रतिदिन मध्यान्ह भोजन प्राप्त कर रहे छात्रों की संख्या ज्ञात कर तत्सम्बंधी अनुश्रवण हेतु इन्टरएक्टिव वायस रेसपोन्स सिस्टम (आईवीआरएस) बेस्ड वैब एप्लीकेशन 'दैनिक अनुश्रवण प्रणाली' का विकास कर उसके संचालन की सेवायें यूपीडेस्को द्वारा प्रदान करायी जा रही है।
- आँकड़ों की उपलब्धता के आधार पर अवधिवार यथा- साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक रूप में लाभान्वित छात्रों की एमआईएस रिपोर्ट्स विकसित की गई वेबसाइट पर विभाग के उपयोग हेतु उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त उन स्कूलों की सूची, जहाँ भोजन वितरित नहीं हुआ, की सूचना भी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है जिसका मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा भोजन नहीं बनने के कारणों का संज्ञान लेकर भोजन वितरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपयोग किया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ इस योजना का संचालन प्रारम्भ किया गया एवं भारत सरकार द्वारा इसकी सराहना की गई है।
- इस प्रणाली में इन्टरएक्टिव वायस रेसपोन्स सिस्टम (आईवीआरएस) आदि का उपयोग कर डेली मील काउन्ट का डाटा प्राप्त करने एवं तत्सम्बन्धी अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है।

वूमेन पावर लाइन-1090

- प्रदेश की महिलाओं को समाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्‌देश्य से वूमेन पावर लाइन-1090 की सेवाओं के लिये उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एसप़ी.आई. माडल पर आधारित ''संवेदन'' साल्यूशन को पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू 1090 यूपी.इन के रूप में यूपीडेस्को के माध्यम से संचालित कराया जा रहा है। विभाग द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 के कर कमलों से दिनांक 15.11.2012 को वूमेन पॉवर लाइन पोर्टल का लोकार्पण किया गया था जो कि निरन्तर कार्यशील है।
- वूमेन पावर लाइन 1090 के लिये प्रदान की जा रही सेवाओं के अन्तर्गत टोल फ्री नम्बर 1090 पर महिलाओं के लिये 24X7 हैल्पलाइन संचालित है जिस पर कोई भी महिला, जो किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का शिकार हो, प्रदेश के किसी भी स्थान से डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसमें शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखा जाता है तथा उसे पुलिस थाना/सहायता केन्द्र पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
- पीड़ित महिला द्वारा जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज की जाती है ऐसे व्यक्तियों को पुलिस विभाग की वूमेन पावर लाइन-1090 में कार्यरत पुलिस कर्मियों द्वारा काउन्सलिंग कर प्रारम्भ में समझाया एवं सचेत किया जाता है एवं तदुपरान्त आवश्यकतानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

विधानसभा की पूर्व कार्यवाहियों को डिजिटाइज पर कम्प्यूटरीकरण का कार्य

- इस कार्य के अन्तर्गत विधान सभा कार्यवाहियों से सम्बन्धित आडियो, वीडियो, समाचार-पत्रों के सन्दर्भ एवं अन्य अभिलेखों के डिजिटाइजेशन की कार्यवाही सम्पन्न की गई है जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के अभिलेखों (प्रोसीडिंग्स, समाचार पत्रों के संदर्भ आदि) की स्कैनिंग एवं एनोटेशन का कार्य कराते हुए पोर्टल एवं सर्च इंजन का विकास कराया गया है तथा साथ ही इन डिजिटल अभिलेखों एवं लीगेसी डाटा के आर्काइवल हेतु डाटा सेन्टर एवं डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट की स्थापना की गई है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की उचित दर दुकानों में ई-पॉस मशीनों की स्थापना

- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 67000 उचित दर दुकानों में ई-पॉस मशीन लगाये जाने का कार्य खाद्य एवं रसद विभाग/आयुक्त कार्यालय से यूपीडेस्को को आवंटित हुआ है। यूपीडेस्को को इस कोर्य हेतु नोडल संस्था बनाया गया है। आवंटित कार्य में यथावांछित कार्यवाही के अन्तर्गत यूपीडेस्को द्वारा सिस्टम इन्टीग्रेटर के रूप में खुली निविदा से किसी कम्पनी/संस्था का चयन करने हेतु रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) डाक्यूमेंट कन्सलटेंट के सहयोग से तैयार कराकर सम्बंधित विभाग को अनुमोदनार्थ उपलब्ध कराया गया। सम्बन्धित विभाग/आयुक्त कार्यालय के पत्रांक दिनांक 02-02-2018 द्वारा उक्त आरएफपी पर शासन से प्राप्त अनुमोदन को संदर्भित करते हुए तद्नुसार यूपीडेस्को स्तर से कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।
- अनुमोदित आरएफपी का प्रकाशन ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर कराया गया जिसकी सूचना को समाचार पत्र यथा- इण्डियन एक्सप्रेस ग्रुप (इण्डियन एक्सप्रेस, फाइनेन्शियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, लोकसत्ता) के समस्त संस्करणों में 4x8 वर्ग सेंटीमीटर के आकार में प्रकाशन कराया जा चुका है।
- उक्त योजनान्तर्गत यूपीडेस्को को 2 प्रतिशत सेन्टेज प्राप्त होगा। उक्त कार्य के सुचारू सम्पादन हेतु यूपीडेस्को द्वारा स्वयं के व्यय पर में, अर्नेन्स एण्ड यंग एलएलपी कन्सलटेंट की सेवायें ली जा रही हैं।

जनशक्ति सम्बंधी

- मुख्य सचिव कार्यालय, कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय, गृह विभाग, नियुक्ति विभाग, नियोजन विभाग, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग आदि में पूर्णकालिक रूप से तकनीकी एवं अन्य जनशक्ति को सम्बद्ध कर सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (कृषि), राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग (सहकारिता), भूमि सुधार निगम (परती विकास एवं जल संसाधन), कौशल विकास मिशन (उ0प्र0 कौशल विकास), आर्थिक बोध एवं संख्या प्रभाग (नियोजन विभाग) आदि में आउटसोर्सिंग के आधार पर जनशक्ति की आपूर्ति/सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी

- आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक विभाग के शासनादेश दिनांक 13-08-2001 के परिपालन में प्रदेश स्थित शासकीय विभागों द्वारा लोक सेवकों के लिए प्रयोजित, कार्पोरेट कम्प्यूटर ट्रेनिंग, शिक्षित

नवयुवक/युवतियों के लिए कैरियर कोर्स के कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम कराये जाते हैं। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों के 14000 कर्मियों को कार्पोरेट ट्रेनिंग, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, ओबरा, अनपारा के 1200, नरेगा के 4500 कर्मियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सचिवालय प्रशासन विभाग के 3300 कर्मियों को ई-पत्रावली प्रशिक्षण, कौशल वृद्धि योजना में 14800 एवं विभिन्न कैरियर कोर्सिज में 22000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करायी गई हैं। कम्प्यूटर प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों से निगम को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में लगभग रु. 12.00 लाख की आय हुई है।

सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स (सी. ई. जी.), उत्तर प्रदेश
अपट्रॉन बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत ई-गवर्नेन्स योजनाओं के प्रबन्धन, स्टेट ई-मिशन टीम तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिये प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधीन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 07 मार्च, 2006 से सेंटर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0 कार्यरत है जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स से सम्बन्धित कार्यों/योजनाओं को सम्पादित करता है।

विशेष कार्य क्षेत्र

(अ) सीईजी परीक्षण एवं प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा कार्यक्रम स्तर पर आवश्यक साधन-सहायता जुटाएगा।

(ब) नागरिकों तथा विभिन्न प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सरकारी विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करेगा तथा राज्य सरकार के सचिवालय के रूप में एक स्थाई-परामर्शदाता की भाँति अन्य संस्थाओं को ई-गवर्नेन्स सम्बन्धी जरूरी सूचनायें देगा।

(स) विभिन्न प्रौद्योगिकी योजनाओं में टकराव न हो और एक ही कार्य को अन्य संगठनों द्वारा दोहराया न जाये, सीईजी इस पर भी दृष्टि रखेगा।

(द) सरकार के लिये एक समर्पित एवं कृतसंकल्पीय ई-गवर्नेन्स टीम तैयार करेगा।

(य) ई-गवर्नेन्स के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को उजागर करेगा एवं ई-गवर्नेन्स के प्रति जागरूकता का प्रचार-प्रसार करेगा।

(र) प्रस्तुतीकरणों द्वारा ई-गवर्नेन्स की उपयोगिता को जनमानस में स्थापित करेगा एवं ई-गवर्नेन्स में होने वाले परिवर्तनों से सरकार को अवगत करायेगा।

(ल) देश तथा विदेशों के ई-गवर्नेन्स के विशेषज्ञों के साथ समन्वय स्थापित करेगा तथा निर्दिष्ट ई-गवर्नेन्स की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उपाय करेगा।

सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स की भूमिका

सेन्टर निम्नलिखित कार्य करेगा-

- राज्य के सभी प्रशिक्षण संस्थानों को उनकी गुणवत्ता बढ़ानें में सहायता।

- अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में सभी सरकारी विभागों को सहायता एवं सपोर्ट प्रदान करना।

सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र.द्वारा संचालित योजनाएं

सेन्टर द्वारा अब तक प्रदेश में भारत सरकार द्वारा ई-गवर्नेन्स सम्बन्धी शतप्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.), पोषित नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को सम्पादित किया जा रहा था, परन्तु वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा डी-लिंक करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एन.ई.जी.पी. योजना राज्य के लिये आप्शनल होगी तथा केन्द्र एवं राज्य के बीच कुल आउटले एवं रिक्वायरमेन्ट बैलेन्स एमाउण्ट का फंडिग पैटर्न 50:50 का होगा। वर्तमान में, प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा ई-गवर्नेन्स सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं को उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत सम्पादित किया जा रहा है तथा तत्सम्बन्धी व्ययभार स्वयं वहन किया जा रहा है।

स्टेट डाटा सेन्टर

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न जी2सी,जी2जी, सेवाओं को इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य के विभिन्न विभागों के डाटा एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को केन्द्रीयकृत रूप से रखा जा रहा है। इस कार्य के लिए सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र. स्टेट डैजिग्नेटेड एजेन्सी तथा यूपीडेस्को इम्पलीमेंटेशन एजेन्सी है। स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना का कार्य पूर्णकर इसे दिनांक 06.08.2012 से गो-लाइव किया गया है। स्टेट डाटा सेंटर ऑपरेटर एवं उपकरणों/संयंत्रों के अनुरक्षण का कार्य वर्तमान में मे0 भारत विकास ग्रुप द्वारा किया जा रहा है अभी तक वाणिज्य कर, समाज कल्याण, बेसिक शिक्षा एवं पुलिस विभागों के एप्लीकेशन्स शेयर्ड मोड में तथा स्थानीय निकाय, सीसीटीएनएस, ग्रामीण अभियंत्रण सेवायें एवं वन विभागों के एप्लीकेशन्स को-लोकेशन मोड में स्टेट डाटा सेन्टर में होस्ट किये जा चुके हैं। अब तक स्टेट डाटा सेन्टर की कुल क्षमता का अधिकतम उपयोग हो चुका है। विभागों की बढ़ती मांग के दृष्टिगत एस.डी.सी. का क्लाउड इनेबलमेन्ट एवं उच्चीकरण यूपीडेस्को द्वारा किया जा चुका है। स्टेट डाटा सेन्टर विश्वस्तरीय मानकों यथा- आई.एस.ओ. 27001 एवं 20000 से प्रमाणित है।

कॉमन सर्विस सेण्टर (जन सेवा केन्द्र)/लोकवाणी केन्द्र/ई-सुविधा केन्द्र

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत आम नागरिकों को उनके द्वार पर या निकटस्थ स्थान पर शासकीय एवं अन्य सेवायें इलेक्ट्रानिक डिलीवरी पद्धति से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना राज्य में निजी क्षेत्र के माध्यम से तीन सर्विस सेन्टर एजेन्सीज का चयन कर पीपीपी आधार पर जनवरी, 2016 से पूर्व क्रियान्वित की जा रही थी। जनवरी, 2016 से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में जन सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र से अनुबन्धित एजेन्सीज डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) के माध्यम से नई डी.एस.पी. प्रक्रिया के अन्तर्गत, नगरीय एवं ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक जनसुविधा केन्द्रों की स्थापना (स्थानीय व्यक्ति को विलेज लेवल इन्टरप्रिन्योर चयन कर उसके माध्यम से) एवं संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में न्यूनतम 01 जनसेवा केन्द्र स्थापित किया जाना है। अब तक लगभग 73,000 जनसेवा केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं तथा राज्य में स्थापित 60,000 जन सेवा केन्द्रों को भीम एप से भी जोड़ा गया है। जन सेवा केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में जन मानस को उनके द्वार के समीप विभिन्न प्रकार की शासकीय (जी2सी),

व्यापारिक (बी2सी) सेवाओं के लिये डिलीवरी प्वाइन्ट्स है, जिससे ग्रामीण जनता को सेवाओं के लिये शहर नहीं आना पड़ेगा एवं उनके आने-जाने पर होने वाले व्यय एवं समय की बचत होगी।

ई-डिस्ट्रिक्ट

नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में राज्य के 06 जनपदों सीतापुर, रायबरेली, गोरखपुर, सुल्तानपुर, गाजियाबाद तथा गौतमबुद्ध नगर में पायलट आधार पर ई-डिस्ट्रिक्ट योजना वर्ष 2007-08 में प्रारम्भ की गयी थी। प्रदेश के आम जनमानस को उनके द्वार के समीप उच्च मांगो वाली शासकीय सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा 17 विभागों की 141 शासकीय सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं, जिसके अन्तर्गत कोई भी नागरिक जन सेवा केन्द्र/लोकवाणी केन्द्र/जन सुविधा केन्द्र तथा सीधे इन्टरनेट के माध्यम से शासकीय सेवाओं को सरलता एवं सुगमतापूर्ण तरीके से प्राप्त कर सकता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अब तक लगभग 12.40 करोड़ आम जनमानस को लाभाविन्त किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर ई-डिस्ट्रिक्ट पायलेट योजना का क्रियान्वयन 06 जनपदों में यथा- सीतापुर, रायबरेली, गोरखपुर, सुल्तानपुर, गाजियाबाद तथा गौतमबुद्ध नगर में लागू की गयी तथा अब इस योजना को सम्पूर्ण प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है।

स्टेट सर्विस डिलीवरी गेट-वे, स्टेट पोर्टल एवं ई-फार्म्स

एसएसडीजी योजना को 01 अगस्त, 2012 से गो-लाइव किया गया है जिसके अन्तर्गत पायलट ई-डिस्ट्रिक्ट के जनपदों को छोड़कर शेष 69 जनपदों में जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से प्रथम चरण में 09 विभागों की 26 शासकीय सेवायें आमजन को उपलब्ध कराई जा रही है। योजनान्तर्गत इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सी के रूप में एन.आई.सी. द्वारा कार्यवाही की गयी है। गैप इन्फ्रास्ट्रक्चरके रूप में जनपदों में आठ विभागीय कार्यालय में कम्प्यूटर्स एवं सहवर्ती उपकरणों की स्थापना का कार्य कराया गया है। भारत सरकार द्वारा योजना का परिव्यय रु. 19.09 करोड़ निर्धारित किया गया है।

कैपसिटी बिल्डिंग

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देश पर राज्य में एनईजीपी को लागू करने के लिये आवश्यक दक्षता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से स्टेट ई-मिशन टीम (एस.ई.एम.टी.) को उपलब्ध कराया है जिसमें दिसम्बर, 2010 से अब तक एनआईएसजी, हैदराबाद के माध्यम से नियुक्त वर्तमान में 06 कन्सलटेंट्स राज्य में योगदान दे रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में ई-गवर्नेन्स के प्रचार-प्रसार, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा ब्रान्डिंग एवं प्रमोशन का कार्य किया जा रहा है।

माई-गव प्लेटफार्म

माई-गव. प्लेटफार्म का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2014 को किया गया था तथा यह एक डिजिटल ब्रान्ड बिल्डिंग का उपयुक्त प्लेटफार्म है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न मंत्रालयों द्वारा माई-गव प्लेट फार्म का उपयोग आम जनमानस की विभिन्न शासकीय योजनायें, नीतिगत निर्णय, पालिसी मैटर इत्यादि प्रकरणों पर सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान में भारत सरकार के 50 से

अधिक केन्द्रीय मंत्रालयों एवं महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं आसाम की राज्य सरकारों द्वारा उक्त प्लेटफार्म का उपयोग शासकीय एवं नीतिगत प्रकरणों में अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु उपयोग में लाया जा रहा है।

माई-गव. प्लेटफार्म भारत सरकार की महत्त्वपूर्ण पहल है जिसके माध्यम से आम-जनमानस द्वारा शासकीय योजनायें, नीतिगत निर्णय, पालिसी मैटर इत्यादि प्रकरणों पर अपने विचार एवं सुझाव उपलब्ध कराये जा रहे हैं। उक्त प्लेटफार्म के माध्यम से तद्‌दिनांक तक समाज व देश के समग्र विकास हेतु सम्बन्धित योजनाओं/प्रकरण जैसे- नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौशल विकास तथा स्वस्थ भारत आदि पर आम-जनमानस के सुझाव/विचार सफलतापूर्वक प्राप्त किये गये हैं।

शिक्षा, कानून व्यवस्था, व्यावसायिक शिक्षा, पर्यटन, स्मार्ट सिटी, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स, डिजिटल पेमेन्ट, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि के नीति निर्धारण में आम जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित कराये जाने हेतु किया जा सकता है।

साइबर सिक्योरिटी

आई.टी. एवं ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में बढ़ते हुये कार्यों के आलोक में साइबर सिक्योरिटी अत्यन्त आवश्यक है, जिससे प्रदेश के आई.टी. सम्बन्धित आधारभूत ढांचे एवं समस्त पोर्टल/एप्लीकेशन/वेबसाइट को साइबर अटैक से सुरक्षा प्रदान की जा सके। प्रदेश के आई.टी. सम्बन्धित आधारभूत ढांचा एवं वेबसाइट/पोर्टल में साइबर अटैक एवं उससे सम्बन्धित रोकथाम अत्यन्त आवश्यक है।

प्रदेश के समस्त विभाग एवं उनके अधीन आने वाले अधिष्ठानों/निगमों/संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षण/सर्टिफिकेशन कराये जाने हेतु श्रीट्रॉन इण्डिया लि० को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है तथा उनके द्वारा समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से सुनिश्चित कराया जाना।

प्रदेश के समस्त विभागों हेतु आधार प्रमाणीकरण/ऑथेन्टिकेशन सुविधा का सृजन

उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा उनकी जनोपयोगी योजनाओं का लाभ विभिन्न नागरिकों को डायरेक्ट बेनिफट ट्रान्सफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से प्रदान किया जाना है। पूर्व में विभिन्न नागरिकों को मैन्यूअल पद्धति के माध्यम से लाभान्वित किया जाता था परन्तु वर्तमान में आई.टी. एवं ई-गवर्नेन्स के उपलब्धता के परिणामस्वरूप ऑनलाइन माध्यम से डी.बी.टी प्रणाली का उपयोग कर नागरिकों को सीधे लाभान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा आधार सीडिंग का कार्य भी शीर्ष प्राथमिकता पर किया जा रहा है, ताकि बोगस/घोस्ट डाटा को हटाकर सेवाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थी को प्राप्त कराया जा सके। वर्तमान में यू.आई.डी.ए.आई., भारत सरकार द्वारा आधार प्रमाणीकरण/ऑथेन्टिकेशन हेतु ऑथेन्टिकेशन यूजर एजेन्सी (ए.यू.ए.) एवं ऑथेन्टिकेशन सर्विस एजेन्सी (ए.एस.ए.) सर्विसेज उपलब्ध करायी जा रही हैं, जिनको राज्य में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड

यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) उत्तर प्रदेश शासन के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अन्तर्गत कार्यरत निगम है। निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों का उन्नयन, विकास एवं प्रोत्साहन के उद्‌देश्य से की गई थी। निगम का रजिस्ट्रेशन

दिनांक 30 मार्च, 1974 को ''दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड'' (पिकप) की एक सहायक कम्पनी के रूप में हुआ था। निगम के कार्य के महत्त्व को देखते हुए जुलाई, 1976 में पिकप से पृथक करके इसे भारतीय कम्पनी अधिनियम- 1956 के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र कम्पनी का रूप दिया गया।

निगम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में चालू एवं वर्तमान योजनाओं एवं कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण

- **उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों में ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली का क्रियान्वयन**

  नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत चिन्हित विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं में से ई-प्रोक्योरमेण्ट एक महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश में ई-टेण्डरिंग के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा यूपीएलसी को नोडल एजेन्सी नामित किया गया था। उ0प्र0 के 5 विभागों में दिनांक 01 जून, 2008 से पायलट परियोजना के रूप मे ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गयी थी। वर्तमान सरकार के गठन उपरान्त, पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु दिनांक 01 सितम्बर 2017 के उपरान्त सभी विभागों/कार्यालयों इत्यादि द्वारा सभी शासकीय निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली से ही आमंत्रित किया जाना बाध्यकारी कर दिया गया है। माह अप्रैल 2017 के उपरान्त अद्यतन उ0प्र0 शासन के ई-टेण्डर पोर्टल से रु. 1.167 लाख करोड़ मूल्य की 1,42,693 निविदायें आमंत्रित की गई हैं। शत-प्रतिशत ई-टेण्डरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए हाल ही गुरुग्राम में आयोजित 'स्मार्ट सिटी समिट' में प्रदेश को पुरस्कृत किया गया है।

- **आईटी/आईटीईएस उद्योगों तथा स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति'' तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग हेतु ''उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति''**

  वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के उपरान्त नई ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017'' तथा ''उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017'' बनाई गई है। उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 के अन्तर्गत ''बुन्देलखण्ड तथा पूर्वान्चल क्षेत्र में बी.पी.ओ. तथा आईटी/आईटीईएस इकाइयों की स्थापना हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन'' की व्यवस्था की गयी है। उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को ''इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन (ई.एम.जेड.)'' घोषित किया गया है। नीति के अन्तर्गत निवेशकों को अनुमन्य किए जाने वाले ''वित्तीय प्रोत्साहनों को रोजगार सृजन से सम्बद्ध'' किया गया है।

  ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017'' में निहित व्यवस्थानुसार उक्त नीति के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं प्रदेश में उद्यमियों तथा सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को प्रभावी सहायता के लिए एक नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) गठित है, जिसके कन्सल्टेण्ट्स यूपीएलसी में कार्यरत हैं।

- **आईटी सिटी योजना का क्रियान्वयन**

  निगम द्वारा लखनऊ में एक सूचना प्रौद्योगिकी नगर की स्थापना कराई जा रही है। यह परियोजना पीपीपी मॉडल पर विकसित की जा रही है तथा मैसर्स एचसीएल आईटी सिटी (लखनऊ) प्रा.लि.

इस परियोजना के निजी भागीदार हैं। परियोजना पर लगभग रु. 1500 करोड़ का पूँजी निवेश अनुमानित है। वर्तमान में इसका निर्माण कार्य पूर्ण गति से चल रहा है। आईटी-03 भवन का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा लगभग 2000 सॉफ्टवेयर कर्मी/विकासकर्ता कार्यरत हैं। मार्च 2018 तक 500 साफ्टवेयर कर्मी और सम्मिलित हो जायेंगे। आईटी-01 भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा संचालन हेतु तैयार है। कैफेटेरिया संचालन आरम्भ हो गया है, आईटी-02 भवन निर्माणाधीन है। परियोजना को भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है और यहाँ पर स्थापित होने वाली इकाइयों को भारत सरकार की **एस.ई.जेड.** योजना के सभी लाभ और प्रोत्साहन प्राप्त होंगे। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित आधुनिकतम प्रशिक्षण के लिए इस आईटी सिटी में 10 एकड़ क्षेत्र में एक कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गई है तथा छात्रों के लिए छात्रावास की भी व्यवस्था होगी। 500 प्रशिक्षार्थियों की क्षमता वाला कौशल विकास केन्द्र-1 कार्यरत हो चुका है और छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 1000 प्रशिक्षार्थियों की क्षमता वाला कौशल विकास केन्द्र-2 निर्माणाधीन है।

- **प्रदेश में आई0टी0 पार्क्स की स्थापना**

शासनादेश संख्या 214/78-1-2014-133 आई.टी./2013 दिनांक 10.03.2014 द्वारा प्रदेश में आई.टी. पार्क्स की स्थापना हेतु गाइडलाइन्स निर्गत की गई थी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भारत सरकार की संस्था सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया के सहयोग से लगभग रु. 150 करोड़ के निवेश तथा लगभग 15000 रोजगार सम्भावनाओं युक्त आईटी पार्क्स की स्थापना मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा बरेली में की जा रही है।

मेरठ तथा आगरा में निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है तथा दिसम्बर 2018 तक इसे पूर्ण किया जाना परिलक्षित है। गोरखपुर में बड़गहन क्षेत्र में 3.5 एकड़ भूमि का विक्रय/पट्टा विलेख कराकर एस.टी.पी.आई. को उपलब्ध करा दी गई है। एस.टी.पी.आई. द्वारा भवन-निर्माण हेतु मानचित्र अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

कानपुर में आईटी पार्क हेतु भूमि का मूल्य भुगतान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 को कर दिया गया है एवं इस भूमि का विक्रय/पट्टा विलेख होना है। लखनऊ में यूपीडीपीएल की भूमि पर आईटी पार्क की स्थापना की जायेगी। भूमि मूल्य की प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया गया है।

वाराणसी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हेतु अस्थायी परिसर के रूप में आवास विभाग द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण के जवाहर लाल नेहरू व्यवसायिक केन्द्र के विक्रय/किराये पर दिये जाने का प्रस्ताव किया गया था। उक्त परिसर को किराये पर लिए जाने का निर्णय लिया गया है। बरेली में आईटी पार्क हेतु, पुराना जिला कारागार की 5 एकड़ भूमि हेतु सिद्धांततः सहमति है। कारागार प्रशासन विभाग द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना तथा प्रश्नगत भूमि का मानचित्र, देय मूल्य तथा अन्य नियम एवं शर्तें आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को अग्रेतर कार्यवाही हेतु द्वारा अपेक्षित है।

- **इन्क्यूबेटर्स एवं स्टार्ट-अप इकाइयों की स्थापना**

  प्रदेश सरकार प्रत्येक जनपद में इन्क्यूबेटर की स्थापना के प्रति कृतसंकल्प है, जिससे स्थानीय युवा अपना स्व-रोजगार स्थापित कर सकें।

  स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन के लिए 10 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हो गये हैं। प्रदेश के विभिन्न नगरों में 13 इन्क्यूबेटर्स प्रस्तावित हैं। देश के सबसे बड़े स्टार्ट-अप इन्क्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में यू.पी.डी.पी.एल. की नादरगंज, औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित भूमि पर की जानी है, जिसके मूल्य की प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया गया है तथा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 के पक्ष में हस्तान्तरण शीघ्र ही प्रत्याशित है।

  रु. 1,000 करोड़ के स्टार्ट-अप फण्ड की स्थापना हेतु सिडबी के साथ समझौता-ज्ञापन पर वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है तथा शीघ्र ही हस्ताक्षरित कर लिया जायेगा।

- **इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (ई.एम.सी.) की स्थापना**

  प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स निर्माण इकाइयों को आकर्षित करने और इलेक्ट्रानिक्स निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी) की स्थापना के लिए भारत सरकार की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हुई थी। लगभग 100 एकड़ भू-क्षेत्र में इस परियोजना की स्थापना हेतु भारत सरकार का अन्तिम अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

  यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में उक्त ई.एम.सी. के अतिरिक्त, एक अन्य ई.एम.सी. की स्थापना ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में की जा रही जिसके लिए भारत सरकार अन्तिम अनुमोदन शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। इस क्लस्टर में चीन तथा ताईवान की कम्पनियों द्वारा लगभग रु. 3000 करोड़ का निवेश कर अपनी उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की जायेंगी। मार्च 2018 से इस क्लस्टर का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना परिलक्षित है।

- **शासकीय विभागों को कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्ट्वेयर की आपूर्ति तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण**

  यूपी इलेक्ट्रानिक्स निगम लि. विभिन्न शासकीय विभागों को हार्डवयेर की आपूर्ति एवं एप्लीकेशन सॉफ्ट्वेयर के विकास और उसकी स्थापना के लिए शासन द्वारा अधिकृत किया गया है। निगम द्वारा शासकीय विभागों/उपक्रमों को उचित दरों पर कम्प्यूटर एवं तत्सम्बन्धी उपकरणों तथा एप्लीकेशन सॉफ्ट्वेयर की आपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा शासकीय विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को विभागों की आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

- **साफ्टवेयर विकास हेतु इम्पैनेलमेण्ट**

  शासन के विभिन्न विभागों में उनकी आवश्यकतानुसार सॉफ्ट्वेयर विकसित कर स्थापित करने हेतु निगम में खुली निविदा द्वारा ई-टेण्डरिंग प्रणाली से सॉफ्ट्वेयर विकास करने हेतु सक्षम एवं अनुभवी आई0टी0 कम्पनियों/संस्थाओं को इम्पैनल किया गया है। इनके द्वारा सॉफ्ट्वेयर विकास के कार्यों

के साथ-साथ विभागीय आवश्यकता के अनुरूप स्कैनिंग तथा डिजिटाईजेशन आदि का कार्य टर्न-की प्रोजेक्ट भी कार्यान्वित किये जाते हैं। इन कार्यों हेतु निगम द्वारा सॉफ्ट्वेयर एजेन्सियाँ सूचीबद्ध की गई हैं।

- **विभिन्न शासकीय विभागों में कन्सलटेन्सी प्रदान करने का कार्य**

  विभिन्न शासकीय विभागों के आई0टी0 सम्बन्धी कार्यों को कन्सलटेन्सी उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत निगम द्वारा अनुभवी तथा प्रतिष्ठित कन्सलटेन्ट कम्पनियों को इम्पैनल किया गया है। इन सूचीबद्ध कन्सलटेन्ट्स के माध्यम से विभिन्न शासकीय विभागों में कम्प्यूटराइजेशन हेतु सिस्टम रिक्वायरमेण्ट स्टडी/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, ट्रॉजेक्शन एडवाइजरी, प्रोक्योरमेण्ट एडवाइजरी आदि तैयार कराकर प्रोजेक्ट मानीटरिंग एवं मैनेजमेण्ट इत्यादि का कार्य कराया जा रहा है।

प्रस्तावित मुख्य योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

वर्ष 2018-19 में यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित प्रमुख कार्यकलाप निम्नवत् हैं-

(1) सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2017 का कार्यान्वयन

(अ) सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मै. के.पी.एम.जी. एडवाईजरी सर्विसेज प्रा0लि0 का चयन कन्सल्टेण्ट के रूप में किया गया था। वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के उपरान्त नई ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017'' बनाई एवं प्रख्यापित की गई है। नीति के अन्तर्गत ''बुन्देलखण्ड तथा पूर्वान्चल क्षेत्र में बी.पी.ओ. तथा आईटी/आईटीएस इकाइयों की स्थापना हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन'' की व्यवस्था की गई है। नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन किया जा चुका है तथा उनके द्वारा अनुश्रवण की कार्यवाही 05 वर्षों तक की जायेगी। पी.आई.यू. द्वारा आईटी सिटी, आईटी पार्क, इन्क्यूबेटर की स्थापना, स्टार्ट-अप फण्ड की स्थापना, फण्ड मैनेजमेण्ट तथा स्टार्ट-अप ईकोसिस्टम के प्रोत्साहन का कार्य किया जा रहा है।

(ब) प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी नीति में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी नगर परिचालनरत हो गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के गोरखपुर, आगरा, मेरठ, कानपुर आदि नगरों में आईटी पार्क्स/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की स्थापना की जा रही है। वाराणसी एवं बरेली में आईटी पार्क्स की स्थापना हेतु स्थल चिह्नांकन का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लखनऊ में आईटी हब की स्थापना किये जाने हेतु लखनऊ एयरपोर्ट के सामने उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिक्ल्स (यूपीडीपीएल) की खाली पड़ी 40 एकड़ भूमि चिह्नांकित की गई है, जिसके लिए भूमि के मूल्य की प्रथम किश्त का भुगतान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन को कर दिया गया है।

(2) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 का कार्यान्वयन

प्रदेश में इलेक्ट्रानिक निर्माण इकाइयों को आकर्षित करने और इलेक्ट्रानिक्स निर्माण क्षेत्र में पूँजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ''उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2017'' प्रख्यापित

की गई है। सन्दर्भगत नीति के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को ''इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन (ई.एम.जेड)'' घोषित किया गया है तथा इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण इकाइयों के लिए विभिन्न छूट एवं प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 की देश-विदेश में ब्राण्डिंग एवं प्रोमोशन किया जायेगा।

(3) सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीतियों का प्रचार-प्रसार

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्षेत्र के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों और इस क्षेत्र में हुई प्रगति का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे कि प्रदेश की ख्याति में वृद्धि तथा सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्षेत्र निवेश हेतु सम्भावित निवेशकों को आकर्षित और प्रेरित किया जा सके। प्रदेश में आई.टी. और इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण की गतिविधियों/प्रदेश सरकार द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहनों के व्यापक प्रचार-प्रसार से अन्य प्रदेशों में स्थापित आई.टी. क्षेत्र के उद्योगों को उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स इकाइयाँ स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। इसके लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा एवं/अथवा उसके अधीनस्थ निगमों द्वारा विभिन्न आयोजनों में प्रतिभाग किया जाता है तथा ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017'' तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति की प्रतियाँ तथा इस क्षेत्र में किये गये विकास एवं प्रयासों के प्रचार-प्रसार हेतु पुस्तिकायें/पैम्फलेट्स/ब्रोशर्स छपवा कर विभिन्न आयोजनों में वितरित की जाती हैं।

विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार के उक्त कार्यकलाप आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी सम्पादित किये जायेंगे पूर्व की भांति वर्ष 2018-19 में भी देश में विभिन्न आई.टी. प्रदर्शनियों/गोष्ठियों में भाग लिया जाएगा तथा शासन के निर्देशानुसार आई.टी. प्रदर्शनियों का आयोजन इत्यादि भी किया जाएगा। इसके अन्तर्गत मिशन निदेशालय गठित किया जा रहा है, जिससे वृहद पैमाने पर आ रहे निवेश प्रस्तावों को मूर्तरूप दिया जा सके। यह कार्य अभी निगम कार्यालय में मिशन निदेशालय के कन्सल्टेण्ट्स द्वारा किया जा रहा है।

(4) ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली

वर्तमान सरकार के गठन उपरान्त, पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु दिनांक 01 सितम्बर 2017 के उपरान्त समस्त सभी विभागों/कार्यालयों इत्यादि द्वारा सभी शासकीय निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली से ही आमंत्रित किया जाना बाध्यकारी कर दिया गया है। उक्त योजना का शासकीय विभागों में क्रियान्वयन निगम द्वारा शासन की नोडल एजेंसी के रूप में किया जा रहा है।

(5) कॉर्पस फण्ड की स्थापना

इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों को बढ़ावा देने तथा स्टार्ट-अप्स को संगठित करने के लिए ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017'' के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा रु. 1000 करोड़

के स्टार्ट-अप फण्ड की स्थापना द्वारा, स्टार्ट-अप्स को वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान किए जाने का संकल्प निहित है। फण्ड का प्रबन्धन पेशेवराना रूप से किया जायेगा तथा प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप फण्ड के प्रबन्धन हेतु एक निधि प्रबन्धक नामित/नियुक्त किया जायेगा।

प्रस्तावित फण्ड के प्रबन्धन हेतु फण्ड मैनेजर के रूप में सिडबी का चयन किया गया है तथा उनके साथ शीघ्र ही समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 के शासकीय आय-व्ययक में रु. 250.00 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वेन्चर कैपिटलिस्ट को चयन के पश्चात फण्ड प्रबन्धन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) यूआईडीएआई कार्ड का निर्माण

प्रदेश में, शेष निवासियों के आधार कार्ड बनाये जाने हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड एक नामित संस्था है तथा निगम द्वारा यह कार्य कराया जायेगा।

(7) ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाना

नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क योजना के अन्तर्गत प्रदेश की 59,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा प्रथम चरण में 22,000 ग्राम पंचायतों में भूमिगत केबिल बिछाने का कार्य भारत ब्रॉण्ड बैण्ड नेटवर्क लिमिटेड (बी.बी.एन.एल.) द्वारा किया जा रहा है। द्वितीय चरण के कार्यों हेतु 37,000 ग्राम पंचायतों में 11 केवीए/33 केवीए तथा एल.टी. पोल्स पर आप्टिकल फाइवर लटकाए जाने के कार्यों हेतु प्रदेश सरकार द्वारा यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

(8) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, विकलांगों, भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अन्य विशेष वर्ग के लोगों के लिए किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण

यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ के कार्यादेश के अनुपालन में कौशलवृद्धि कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 2000 शिक्षित बेरोजगार प्रशिक्षणार्थियों को 600 घण्टे का एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उत्तर प्रदेश महिला निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा प्रायोजित विकास खण्ड स्तर पर 230 घण्टे का आधारभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत लगभग 12300 चयनित महिला लाभार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया, ताकि उक्त प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार अथवा रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराये जाने के सापेक्ष रोजगार प्राप्त किया जा सके। उक्त के अतिरिक्त पूर्व में शासकीय विभागों के निर्देशानुसार 286 अल्पसंख्यक प्रशिक्षणार्थियों को 06 माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं 387 भूतपूर्व सैनिक आश्रितों को 480 घण्टे का ''ओ लेविल'' समकक्ष कम्प्यूटर प्रशिक्षण निगम द्वारा प्रदान किया गया।

- **नयी योजनायें**

(क) सी0जी0 सिटी में आई0आई0आई0टी0 की स्थापना

सी0जी0 सिटी में प्रस्तावित आई0आई0आई0टी0 की स्थापना हेतु आवश्यक कुल धनराशि

यथा- रु0 128 करोड़ का 15 प्रतिशत वित्तीय उपाशय अर्थात रु0 19.20 करोड़ के अंश के भुगतान हेतु शासन द्वारा निगम को उपलब्ध करा दी गई है, जो आई0आई0आई0टी0 को स्थानान्तरित की जा चुकी है।

(ख) प्रदेश का सबसे बड़ा इन्क्यूबेटर

प्रदेश सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 में निहित संकल्प के अनुरूप, देश का सबसे बड़ा स्टार्ट अप इन्क्यूबेटर राज्य में स्थापित किया जायेगा। यह इन्क्यूबेटर लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट के समीप आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को हस्तान्तरित होने वाली यूपीडीपीएल की 40 एकड़ भूमि में से 05 एकड़ भूमि पर तेलंगाना राज्य के टी-हब की भाँति विकसित किया जाना प्रस्तावित है। स्टार्ट-अप इन्क्यूबेटर के अतिरिक्त उक्त भूमि पर एक आई.टी.पार्क, स्टेट डाटा सेन्टर, सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, स्टेट इन्नोवेशन सेन्टर तथा आईटी भवन का निर्माण भी प्रस्तावित है।

ई-सुविधा, उत्तर प्रदेश

ई-सुविधा परियोजना का संक्षिप्त परिचय एवं ई-सुविधा, लखनऊ एवं राज्य के अन्य जनपदों की अद्यतन स्थिति

- ई-सुविधा परियोजना, राज्य के प्रत्येक जनपद के नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों की शासकीय (जी2सी) एवं प्राइवेट संस्थाओं की व्यवसायिक सेवाओं (बी2सी) को ई-सुविधा केन्द्रों की 'एकल खिड़की' प्रणाली पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिकल्पित है। वर्तमान में यह व्यवस्था इन्टरनेट एवं ऑन-लाइन इन्टरनेट माध्यम से ई-सुविधा केन्द्रों पर संचालित है एवं भविष्य में समस्त सेवाओं को इन्टरनेट के माध्यम से नागरिकों को उनके आवासों/घरों पर भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों, अर्द्धसरकारी, संस्थागत विभागों अधिकृत संस्थाओं, स्ववित्तपोषी इकाइयों, निगमों एवं निकायों की चयनित एवं एकीकृत सूचनाओं सम्बन्धित जानकारी तथा बिलों के निस्तारण एवं भुगतान की शासकीय (जी2सी) एवं प्राइवेट संस्थाओं की व्यवसायिक सेवाओं (बी2सी) को सूचना-प्रौद्योगिकी के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत कर जन साधारण को उनके आवास एवं कार्य क्षेत्र के सन्निकट, उस क्षेत्र के परिचित केन्द्र बिन्दु पर स्थापित सुव्यवस्थित एवं सुसृजित ई-सुविधा केन्द्र के सभी काउण्टर्स पर 'एकल खिड़की समस्त सुविधाएं' प्रणाली पर उपलब्ध कराया गया है। ये केन्द्र, विभिन्न आवासीय कॉलोनी एवं कार्यालय क्षेत्रों के सन्निकट, शहर के प्रचलित स्थलों पर स्थापित किये गये हैं, ताकि नागरिकों को समय, धन एवं अनावश्यक भागदौड़ से बचत हो सके।
- यह परियोजना, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सरकारी सोसायटी के रूप में सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत गठित की गयी है, जो ई-सूविधा के नाम से प्रचलित है।

ई-सुविधा लखनऊ एवं राज्य के अन्य जनपदों की अद्यतन स्थिति

ई-सुविधा परियोजना-लखनऊ की अद्यतन स्थिति

- लखनऊ में कार्यरत 74 ई-सुविधा केन्द्र (153 काउण्टर्स) पर मुख्यतयः उपभोक्ता बिजली बिल एवं हाउस टैक्स जमा करने की सेवाएं उपलब्ध है, जिसमें से 14 केन्द्रों पर बिजली बिल के साथ-साथ ऑन-लाइन प्रणाली पर राज्य सरकार के 14 विभागों की 57 शासकीय (जी2सी) सेवाएं जिसमें मुख्यतयः जाति/आय/निवास/जन्म-मृत्यु, प्रमाण-पत्र, रोजगार पंजीकरण/नवीनीकरण खतौनी नकल आदि एवं सी.एस.सी.-एस.पी.वी. संस्था की सी.एस.सी.-1.0 की 44 व्यवसायिक सेवाएं (बी2सी) जिसमें मुख्यतयः पैनकार्ड, आधार काड्र्स प्रिन्टिंग, एनआईईएलआईटी (निलिट) (ए, ओ, बी, सी, बीसीसी/सीसीसी) सेवाएं, एल.आई.सी. प्रीमियम, सभी प्रमुख मोबाईल बिल भुगतान, डाटा कार्ड री-चार्ज, मोबाईल टॉप-अप/री-चार्ज, डी.टू.एच. री-चार्ज आदि कुल 141 सेवाएं उपलब्ध हैं। अन्य विभागों के साथ मेमोरण्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग (एमओयू) हस्ताक्षर किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

ई-सुविधा केन्द्रों की कार्यावधि

दो-पाली के केन्द्र- लखनऊ में कार्यरत केन्द्र, प्रत्येक दिन (अवकाश दिन/रविवार को भी, राष्ट्रीय अवकाश छोड़कर) 02 पालियों में प्रातः 8:00 से रात 8:00 बजे तक एवं प्रत्येक माह (30/31 दिन) के अन्तिम 4/5 दिन रात 10.00 बजे तक खुले रहते हैं।

- लखनऊ केन्द्रों से लगभग 3.7-3.8 लाख उपभोक्ता प्रतिमाह ई-सुविधा सेवाएं प्राप्त करते हैं एवं विभिन्न विभागों/संस्थाओं की लगभग रु. 180.00-190.00 करोड़ प्रतिमाह राजस्व प्राप्ति होती है। नागरिक किसी भी क्षेत्राधिकार की सीमा के बिना ई-सुविधा काण्डटरों से किसी भी सेवा से लाभान्वित हो सकते हैं।

ई-सुविधा परियोजना-राज्य के अन्य जनपद की अद्यतन स्थिति

- वर्तमान में राज्य के अन्य 18 जनपदों में शहरी क्षेत्रों में कार्यरत 76 ई-सुविधा केन्द्रों (101 काउण्टर्स) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 22 ई-सुविधा केन्द्रों (22 काउण्टर्स) पर मुख्यतः उपभोक्ता बिजली बिल जमा करने की सेवाएँ उपलब्ध हैं। शीघ्र ही इन जनपदों में भी, अन्य विभागों की सेवाओं को जोड़ा जाना प्रस्तावित है।
- लखनऊ के साथ-साथ अन्य 18 जनपदों यथा- (1) हरदोई, (2) बाराबंकी, (3) लखीमपुर, (4) सीतापुर, (5) शाहजहाँपुर, (6) पीलीभीत, (7) रायबरेली, (8) उन्नाव, (9) सुल्तानपुर, (10) अयोध्या, (11) बदायूँ, (12) बहराइच, (13) गोण्डा, (14) अम्बेडकर नगर, (15) बरेली, (16) बलरामपुर, (17) श्रावस्ती, (18) अमेठी जनपद एवं इन जनपदों के कस्बों में, ई-सुविधा केन्द्र कार्यरत एवं संचालित हैं।
- वर्तमान में, राज्य के इन जनपदों में कार्यरत ई-सुविधा केन्द्र, प्रत्येक दिन (अवकाश दिन, रविवार एवं राष्ट्रीय अवकाश छोड़कर) प्रातः 8:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक खुले रहते हैं एवं इन

केन्द्रों से लगभग 2.90-3.00 लाख उपभोक्ता प्रतिमाह ई-सुविधा सेवाएँ प्राप्त करते है एवं बिजली विभाग की लगभग रु. 90.00-100.00 करोड़ प्रतिमाह राजस्व प्राप्ति होती है।

उपलब्धियाँ

- राष्ट्रीय स्तर पर दिनांक 22.03.2017 को नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल इकॉनामी कॉनक्लेव-2017 में उत्तर प्रदेश सरकार को ई-सुविधा परियोजना के अन्तर्गत, प्रदेश भर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ई-सुविधा केन्द्रों से प्रदत्त शासकीय (जी2सी) एवं व्यावसायिक (बी2सी) सेवाओं में अत्याधुनिक तकनीकी के प्रयोग जिसमें मुख्यतयः भुगतान प्राप्ति को कैशलेश प्रक्रिया से उपलब्ध कराने के उद्देश्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है।
- केन्द्रों पर नागरिकों के बैठने की व्यवस्था एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध की गयी हैं, इनमें से कुछ केन्द्रों पर नागरिकों को कतारों में खड़े न होकर, सम्मानजनक तरीके से कुर्सी पर बैठ कर बिल जमा करने की सुविधा दी गई है। ई-सुविधाकेन्द्र, विभिन्न आवासीय कॉलोनी एवं कार्यालय क्षेत्रों के सन्निकट, शहर के प्रचलित स्थलों पर स्थापित किये गये हैं, ताकि नागरिकों का समय, धन एवं सरकारी विभागों की अनावश्यक भागदौड़ से बचत हो सके।

●

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र. शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्था है, जो वर्तमान स्वरूप में वर्ष 1975 से कार्य कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास व इसके उपयोग को प्रोत्साहन देना है। परिषद द्वारा शोध परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेजों, उ.प्र. तकनीकी विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालयों, शोध एवं विकास संस्थानों तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों आदि के माध्यम से कराया जाता है। उक्त के अतिरिक्त अन्य मदों के कार्यक्रमों को जिला विज्ञान क्लबों, सरकारी तथा गैर सरकारी शोध व विकास संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित कराया जाता है।

विज्ञान एवं प्रशासनिक प्रबन्धन

परिषद के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार शासन द्वारा गठित कार्यकारिणी समिति में निहित हैं, जिसके अध्यक्ष सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र. शासन होते हैं। जो परिषद के पदेन महानिदेशक भी हैं। उक्त समिति के सदस्य सचिव परिषद के सचिव होते हैं। नीति विषयक निर्णय हेतु मुख्यमंत्री, उ.प्र. अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में परिषद् की सामान्य सभा भी गठित है। उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिषद की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से शोध, विकास व उपयोग से सम्बन्धित परियोजनाओं व कार्यक्रमों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों यथा– केमिकल एवं फार्मास्यूटिकल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड साइंसेज, जैव प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी में सलाहकार समितियाँ गठित हैं। उपरोक्त सलाहकार समितियों की संस्तुतियों को परिषद की कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यक्रम

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है-

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के चयनित क्षेत्रों में शोध

- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में शोध प्रायोजनाओं का कार्यान्वयन**

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश के आर्थिक व सामाजिक विकास में उपयोगी शोध प्रायोजनायें प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, परास्नातक महाविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित कराये जाने हेतु वित्त पोषित की जाती हैं। प्रायोजनाओं का मूल्याँकन

एवं अनुश्रवण परिषद द्वारा किया जाता है।

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयोजनाएं मुख्य रूप से प्रदेश की आवश्यकता के दृष्टिगत जेनोमिक्स इन हेल्थ डिसीसेज, कोलोरेक्टल कैंसर, न्यूरोडिजनेरेटिव चेजन्स इन पार्किसन डिसीज, ओरल डिसीसेज, फार्मोजेनोमिक्स, फाइटोरेमीडियेशन, जेनेटिकली मॉडीफाइड फूड विद सेफ्टी इवैल्यूएशन, आर्गेनिक फारमिंग, इनवायरमेन्ट, बायोटेक्नालॉजी एंड रूरल डेवलपमेन्ट आदि क्षेत्रों में प्रायोजनाएं संचालित हैं।

- **यंग साइंटिस्ट स्कीम**

इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से आवश्यक शोध एवं विकास कार्यों में जोड़ने के अवसर प्रदान कराना है और इनको शोध परियोजनाओं/कार्यों के प्रति अधिक से अधिक आकर्षित करके वित्तीय सहायता से प्रोत्साहित करके प्रदेश में निरन्तर वैज्ञानिक गतिविधियों को वृहद रूप से विस्तार के साथ बढ़ावा देना है।

- **सीएसटीयूपी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम**

समर रिसर्च फेलोशिप का उद्देश्य प्रदेश में विज्ञान परास्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों को शोध एवं विकास क्षेत्र में प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन देना है। इस फेलोशिप के अन्तर्गत प्रदेश में विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को प्रदेश एवं देश के प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों में ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों/प्रोफेसर्स के साथ 02 माह की अवधि के लिए रिसर्च ट्रेनिंग हेतु अवसर उपलब्ध कराया जाता है। चयनित छात्रों को 02 माह के लिए रु. 25000/- मासिक फेलोशिप प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

सी.एस.टी., यू.पी., अभियांत्रिकी विद्यार्थी प्रोजेक्ट अनुदान योजना

परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत् अभियांत्रिकी के अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों के नवाचार तथा स्थानीय पर्यावरण समस्याओं के निराकरण पर आधारित प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए ''सी.एस.टी., यू.पी., अभियांत्रिकी विद्यार्थी प्रोजेक्ट अनुदान योजना'' का प्रारम्भ किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गग बी0टेक0 के विद्यार्थियों द्वारा बनाये जाने वाले प्रोजेक्ट्स में से अधिकतम 50 प्रोजेक्ट्स चयन कर उन्हें रु. 20,000/- की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। सर्वोत्तम 03 प्रोजेक्ट्स को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः रु. 1,00,000/-, रु. 75,000/- तथा रु. 50,000/- प्रदान किये जायेंगे। वर्ष 2017-18 के लिए कुल 40 प्रोजेक्ट्स का अनुदान हेतु चयन किया गया है।

सी.एस.टी., यू.पी., अभियांत्रिकी ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण योजना

सी.एस.टी.यू.पी., अभियांत्रिकी ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण योजना के माध्यम से बी0टेक0 के छात्र/छात्राओं में इन्नोवेशन के प्रति अभिरुचि जागृत करने तथा रोजगार सृजन में अनिवार्य इंटर्नशिप की दृष्टि से 45 दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राएं प्रशिक्षण के दौरान परिषद के नवप्रवर्तन प्रोत्साहन, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रौद्योगिकी नक्षत्रशाला तथा विज्ञान लोकप्रियकरण के बारे में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। संबंधित विषय विशेषज्ञों द्वारा उनका मार्गदर्शन भी किया जायेगा। आवश्यकतानुसार समर इंटर्नर्स विद्यार्थियों को कोई बेहतर तकनीक विकसित करने का लक्ष्य दिया जा

सकता है एवं उन्हें आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

विज्ञान लोकप्रियकरण

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मौलिक विषयों के प्रति विद्यार्थियों की रुचि निरन्तर कम होती जा रही है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। परिषद द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु प्रदेश में धरातल स्तर पर बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने, तार्किक क्षमता विकसित करने और उनमें वैज्ञानिक ढंग से कल्पनाशीलता विकसित करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। माध्यमिक स्तर तक के बच्चों की प्रतिभा विकास हेतु विभिन्न प्रकार की विज्ञान की प्रतियोगिताएँ, विज्ञान रैली व वैज्ञानिक व्याख्यान, वैज्ञानिक चमत्कारों का प्रदर्शन और उनकी व्याख्या आदि के साथ प्रतिभागी बच्चों को विभिन्न विज्ञान साहित्य तथा दैनिक उपयोग से जुड़ी वस्तुओं आदि से पुरस्कृत किये जाने पर आधारित गतिविधियाँ आयोजित की जाती है।

राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/सिम्पोजियम/वर्कशाप/कांफ्रेंस आदि के संस्तुतियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों/क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/सिम्पोजियम/वर्कशाप/कान्फ्रेंस आदि की संस्तुतियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की संस्तुतियों के प्रकाशन हेतु रु. 50,000 तक एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लिए रु. 1,00,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वैज्ञानिक सम्मान योजना

उ0प्र0 शासन के द्वारा विज्ञान योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में जन्में अथवा उ0प्र0 में निरन्तर किसी भी संस्थान/विभाग में 10 वर्षों में कार्यरत वैज्ञानिकों हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 के माध्यम से वर्ष 2000 से विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए वैज्ञानिक सम्मान दिये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत सभी सम्मानित वैज्ञानिकों को प्रशस्ति-पत्र, प्रतीक चिन्ह व शाल प्रदान किया जाता है। विज्ञान गौरव सम्मान- एक पुरस्कार धनराशि रु. 05.00 लाख, विज्ञान रत्न सम्मान- दो पुरस्कार धनराशि रु. 02.50 लाख प्रत्येक युवा वैज्ञानिक सम्मान-पाँच पुरस्कार धनराशि रु. 01.00 लाख प्रत्येक, बाल वैज्ञानिक सम्मान- पाँच पुरस्कार धनराशि रु. 25,000/- प्रत्येक, विज्ञान शिक्षक सम्मान में पाँच पुरस्कार धनराशि रु. 25,000/- प्रत्येक, नवअन्वेषक सम्मान में पाँच पुरस्कार धनराशि रु. 25,000/- प्रत्येक। इसी क्रम में विज्ञान छात्र सम्मान के अन्तर्गत प्रदेश में विभिन्न बोर्डों के विज्ञान विषय में हाईस्कूल के सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को रु. 05.00 लाख की धनराशि को एक समान रूप से बराबर मात्रा में वितरित किया जाता है। हाईस्कूल की तरह माध्यमिक स्तर के सभी उन विद्यार्थियों को रु. 10.00 लाख की धनराशि को एक समान रूप से बराबर मात्रा में वितरित किया जाता है।

जैव प्रौद्योगिकी- संगठनात्मक ढाँचा एवं क्षमता विकास

कृषि, उद्योग, खाद्यान्न व पोषक तत्व प्रबन्धन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं ऊर्जा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के बहुआयामी उपयोग के दृष्टिगत रखकर उक्त योजना का प्रारम्भ वर्ष 1998-99 के अन्तिम चरण में किया गया था। शोध एवं विकास परियोजनाओं के साथ-साथ उक्त योजना के अन्तर्गत

उ.प्र. जैव प्रौद्योगिकी नीति-2014, उ.प्र. जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, बायोटेक पार्क, लखनऊ एवं बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी, लखनऊ जैसी वृहद योजनाएँ विकसित की गयी हैं। महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

- **बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी, लखनऊ**

जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि व ग्रामीण विकास से सम्बन्धित गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण हेतु राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा बक्शी का तालाब, लखनऊ में उपलब्ध करायी गयी भूमि पर परिषद द्वारा बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र का विकास किया जा रहा है। ऊक्त के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों के उपयोगार्थ तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पैकेज विकसित किये जायेंगे तथा जनमानस के उपयोग हेतु उत्पाद एवं तकनीकी पर आधारित वृहद प्रशिक्षण सुविधाएँ विकसित की जाएंगी। बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र से उन्नत जैव स्रोत भी विभिन्न विभागों/प्रयोगशालाओं/शैक्षिक/स्वैच्छिक संस्थाओं, कृषकों व उद्यमियों के परस्पर समन्वय से प्रदेश स्तर पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

- **नील हरित शैवाल जैव उर्वरक एवं एजोला उत्पादन परियोजना**

परिषद द्वारा बक्शी का तालाव, लखनऊ स्थित बायोटेक प्रक्षेत्र पर ''नील हरित शैवाल जैव उर्वरक के उत्पादन, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र का विकास'' परियोजना सितम्बर 2006 से प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2017-18 में बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र पर 1100 किलोग्राम नील हरित शैवाल जैव उर्वरक का उत्पादन किया गया है तथा प्रदेश के विभिन्न जनपदों के किसानों को स्वयं के उत्पादन हेतु 275 किग्रा. शैवाल जैव उर्वरक स्टार्टर कल्चर निःशुल्क वितरित किया गया। पशुओं में चारे के रूप में प्रयोग में लाने के लिए एजोला का उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। पशुओं को हरे चारे के रूप में खिलाने से दूध की गुणवत्ता एवं मात्रा में वृद्धि होती है।

- **किसानों का प्रशिक्षण**

नील हरित शैवाल जैव उर्वरक के उत्पादन एवं उपयोग पर किसानों को प्रशिक्षित करने हेतु वर्ष 2017-18 में कुल 12 कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बक्शी का तालाब स्थित बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र तथा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित कर लगभग 1000 किसानों/युवाओं/महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा विज्ञान प्रदर्शनियों में प्रतिभाग के नील हरित शैवाल जैव उर्वरक कार्यक्रम का सफलतापूर्वक प्रदर्शन भी किया गया। भविष्य में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में और भी किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

- **टिश्यू कल्चर लैब**

बक्शी का तालाब स्थित बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र पर निर्मित जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में टिश्यू कल्चर लैब का संचालन कुशलतापूर्वक निरन्तर किया जा रहा है। लैब के संचालन करने के लिये परिषद द्वारा मेसर्स हिन्दुस्तान बायोइनर्जी लि. को पी.पी.पी. मोड के अन्तर्गत लैबोरेट्री दी गयी है। इस टिश्यू कल्चर लैबोरेट्री में उच्च गुणवत्ता के उत्पादकता वाले एवं बीमारियों से मुक्त केले के पौधों को टिश्यू कल्चर द्वारा विकसित किया जा रहा है। टिश्यू कल्चर द्वारा विकसित केले के पौधों को जुलाई 2012 से प्रदेश के किसानों को अनवरत् रूप से उपलब्ध हो रहे हैं।

● **बायो-डीजल उत्पादन इकाई**

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से बायो-डीजल उत्पादन इकाई की स्थापना बक्शी का तालाब पर की गयी है। इस इकाई द्वारा किसानों को बायो-डीजल उत्पादन का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। किसानों को जेट्रोफा से बायो-डीजल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए गत वर्ष 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

नक्षत्रशाला एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी पार्क

इंदिरा गाँधी नक्षत्रशाला, लखनऊ

इंदिरा गाँधी नक्षत्रशाला, लखनऊ दिनांक 09 मई, 2003 से जनसामान्य के लिये संचालित की जा रही है। वर्तमान में नक्षत्रशाला में प्रत्येक दिन (सोमवार को छोड़कर) चार शो आयोजित किये जाते हैं। शो समय अपराह्न 01.00 बजे, 02.30 बजे, 04.00 बजे एवं सायं 05.00 बजे है। प्रवेश शुल्क रु. 25 प्रति व्यक्ति की दर से निर्धारित है। 30 अथवा अधिक व्यक्तियों के समूह होने पर प्रवेश शुल्क रु. 10.00 प्रति व्यक्ति होता है। विकलांगों हेतु प्रवेश निशुल्क है। नक्षत्रशाला के प्रदर्श एरिया में स्पेस एवं खगोल विज्ञान से सम्बन्धित प्रदर्शों की स्थापना की गयी है। प्लेनेटेरी वेंडिंग मशीन भूतल पर स्थापित है जिस पर दर्शक सभी ग्रहों पर अपना भार ज्ञात कर सकते हैं। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जनसामान्य विशेषकर विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से एम्च्योर एस्ट्रोनामर्स क्लब की स्थापना की गयी है। क्लब के माध्यम से विभिन्न खगोलीय घटनाओं का समय-समय पर जनसामान्य हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

● **वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर**

वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. द्वारा गोरखपुर विकास प्राधिकरण से बन्द अवस्था में टेकओवर कर दिनांक 22.12.2009 से इसका संचालन किया जा रहा है। नक्षत्रशाला में प्रत्येक दिन 3 शो का आयोजन किया जाता है जिसका समय अपरान्ह 01.00 बजे, 03.00 बजे एवं सायं 05.00 बजे है। प्रवेश शुल्क रु. 25 प्रति व्यक्ति की दर से निर्धारित है। 30 अथवा अधिक व्यक्तियों के समूह होने पर प्रवेश शुल्क रु. 10.00 प्रति व्यक्ति होता है। विकलांगों हेतु प्रवेश निःशुल्क है। नक्षत्रशाला प्रत्येक सोमवार को बन्द रहती है।

● **आर्यभट्ट प्लेनिटेरियम, रामपुर**

जनपद रामपुर में आर्यभट्ट प्लेनिटेरियम की स्थापना की गयी है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गयी यह प्रदेश में तीसरी नक्षत्रशाला है। इस नक्षत्रशाला में डिजिटल लेजर तकनीक पर आधारित उपकरणों की स्थापना की गयी है। नक्षत्रशाला का लोकार्पण मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2012 को किया गया। वर्तमान में प्लेनिटेरियम में प्रतिदिन चार शो संचालित किये जाते हैं। शो का समय प्रातः 11.30 बजे, अपराह्न 01.00 बजे, अपराह्न 3.00 बजे व सायंकाल 5.00 बजे है। विकलांगों हेतु प्रवेश निःशुल्क है। नक्षत्रशाला प्रत्येक सोमवार को बन्द रहती है।

● **मोबाइल नक्षत्रशाला**

सुदूर जनपदों में खगोल विज्ञान के प्रचार व प्रसार हेतु वर्तमान में 02 मोबाइल नक्षत्रशालाओं का

संचालन किया जा रहा है। कानपुर जनपद में एक रीजनल साइंस सेण्टर की तथा इलाहाबाद में विज्ञान पार्क की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है।

बौद्धिक सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं उनका संरक्षण विषय के महत्त्व को दृष्टिगत करते हुए इनके संरक्षण की क्षेत्रीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 में पेटेण्ट सूचना केन्द्र की स्थापना की गयी थी। केन्द्र की उपयोगिता के दृष्टिगत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2005-06 में परिषद के प्लान मद में पेटेण्ट सेल उपमद स्थापित किया गया। परिषद में स्थापित यह पेटेण्ट सूचना केन्द्र बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। परिषद में पेटेण्ट सूचना केन्द्र निम्न उद्देश्यों पर केन्द्रित कर कार्य सम्पादित कर रहा है :

1. प्रदेश में बौद्धिक सम्पदा के विकास एवं इसके संरक्षण के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना।
2. पेटेण्ट सूचना का विश्लेषण कर उसका उपयोग, शोध एवं विकास कार्यक्रम हेतु परामर्शित करना।
3. प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं, सरकारी विभागों एवं उद्योगों को पेटेण्ट सर्च की सुविधा उपलब्ध कराना।
4. अन्वेषकों को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के सरंक्षण के प्रति मार्गदर्शन प्रदान करना।

पेटेण्ट सूचना केन्द्र में भारतीय यू.एस. एवं यूरोपियन पेटेण्ट डाटाबेस, आनलाइन डाटाबेस, इंटरनेट सुविधा, विशिष्ट रिपोर्ट्स, जनरल्स, पुस्तकें एवं आफीशियल जरनल ऑफ पेटेण्ट आफिस, बौद्धिक सम्पदा संरक्षण सम्बंधी अधिनियम इत्यादि उपलब्ध हैं।

नवप्रर्वतन केन्द्र की स्थापना

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश स्तर पर नवप्रवर्तकों की सहायता हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 में नव प्रवर्तन केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिससे प्रदेश स्तर पर अशिक्षित जन सामान्य अथवा गैर संस्थागत लोगों, किसान, शिल्पकार, कारीगर, मिस्त्री, परम्परागत उपचार करने वाला, माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थी तथा एम.एस.एम.ई. के द्वारा विकसित नवप्रवर्तनों/अन्वेषणों एवं पारम्परिक ज्ञान को बढ़ावा दिया जा सके और उनकी खोजों या अविष्कारों को स्थानीय समस्याओं के निदान में उपयोग किया जा सके और स्थानीय स्तर पर नव अन्वेषकों/नवप्रवर्तकों तथा स्वयंसेवी लोगों को उत्प्रेरित करने के साथ समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।

सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र, उत्तर प्रदेश

विगत लगभग पाँच दशक पूर्व उपग्रहीय रिमोट सेन्सिंग तकनीक का प्रादुर्भाव हुआ तथा अन्य विकसित देशों के साथ ही भारत में भी रिमोट सेन्सिंग जैसी नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाने लगा। वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्पूर्ण देश में अग्रणी स्थान प्राप्त करते हुए प्रदेश स्तर का प्रथम रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर लखनऊ में स्थापित करने का निर्णय लिया। 14 मई, 1982 में इस केन्द्र की स्थापना एक स्वयात्तशासी संस्था के रूप में हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश स्तर का

पहला रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ में इस आशय से स्थापित किया था कि नवीनतम उपग्रहीय एवं वायुवीय रिमोट सेन्सिंग तकनीक तथा पारम्परिक तकनीकों के समन्वय से प्रदेश के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी अध्ययन किए जायें। अपनी स्थापना के तुरन्त बाद से ही रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के समस्त प्राकृतिक संसाधनों की समुचित खोज एवं सुनियोजित प्रबन्धन हेतु नवीनतम रिमोट सेन्सिंग तकनीक द्वारा बहुमूल्य आँकड़े सृजित किए जिससे प्रदेश शासन के विभिन्न उपयोगकर्ता विभाग लाभान्वित हुए हैं।

प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में योगदान हेतु केन्द्र के कार्यकलाप निम्नलिखित संसाधनों के अन्तर्गत केन्द्र के विभिन्न प्रभावों के माध्यम से सम्पादित किये जाते हैं–

- मृदा एवं कृषि संसाधन
- जल संसाधन
- भू संसाधन
- वन संसाधन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
- भूमि उपयोगिता एवं नगरीय संरचना
- प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी एकीकृत सर्वेक्षण
- प्रशिक्षण कार्यक्रम
- कम्प्यूटर एवं इमेज प्रोसेसिंग
- शैक्षणिक कार्यक्रम

कम्प्यूटर एवं इमेज प्रोसेसिंग

जियो इन्फारमेटिक्स सुविधा का आधुनिकीकरण एवं नई जियो सर्विसेस का सृजन

वर्ष 2017-18 में जियो इन्फारमेटिक्स सुविधा का आधुनिकीकरण व नई जियो सर्विसेस का सृजन परियोजना के अन्तर्गत, केन्द्रित सुविधा वर्ष 2017-18 में जियो इन्फारमेटिक्स सुविधा का आधुनिकीकरण व नई जियोसर्विसेस का सृजन परियोजना के अन्तर्गत, केन्द्रित सुविधा का सुसंचालन कर केन्द्र में चल रही प्रदेश हित व अन्य परियोजनाओं को ससमय सम्पादित करने हेतु सुविधा प्रदान की गयी। डाटा सेन्टर में सर्वर को उच्चीकृत कराया जा रहा है जिससे उच्चीकृत इमेज प्रोसेसिंग, जी0आई0एस0 साफ्टवेयर का सम्पूर्ण दोहन हो सके। डाटा सेन्टर के इरडास आपोलो जियो सर्वर साफ्टवेयर की मदद से एक इन हाउस जियो पोर्टल ''सेंवेदन'' का सृजन किया गया है। जिसके माध्यम से केन्द्र के जियो डाटा का प्रबन्धन, वितरण व प्रस्तुतीकरण एकीकृत रूप से किया जा रहा है।

●

कानून व्यवस्था

विधान मण्डल बजट सत्र, 2018-19 हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यकलापों तथा उपलब्धियों का विवरण।

- ✎ दिनांक 29 जुलाई, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक प्रदेश में श्रावण झूला मेला, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, ईद-उल-जुहा, नवरात्रि, विजयदशमी, मोहर्रम, दीपावली, छठपूजा, चेहल्लुम, बारावफात, क्रिसमस-डे, मकर सक्रांन्ति, बसन्त पंचमी के त्यौहार, सकुशल सम्पन्न हुए।
- ✎ नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 के चुनाव भी प्रभावी पुलिसिंग के कारण शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुए।
- ✎ पुलिस और जनता के बीच दूरियां कम हों, इसके लिए सभी थानाध्यक्षों को अपने थाना क्षेत्रों में शाम के वक़्त कम से कम 60 मिनट फुट पेट्रोलिंग करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अनुपालन में दिनांक 01 जून, 2017 से 23 फरवरी, 2018 के मध्य पुलिस द्वारा फुट पेट्रोलिंग के दौरान 12,84,635 स्थानों पर 46,11,284 संदिग्ध व्यक्तियों को चेक कर 1,59,927 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। इस अवधि में 88,093 अभियोग पंजीकृत कर 95,964 अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया गया।
- ✎ पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ़्तारी व अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश व्यापी अभियान के मध्य दिनांक 10 मार्च 2018 तक पुलिस और अपराधियों के बीच 1,379 मुठभेड़ हुई जिसमें 3,229 अपराधी गिरफ़्तार किए गए, 349 अपराधी घायल हुए तथा 44 अपराधी मारे गए। गिरफ़्तार किए गए 3,229 अपराधियों में से 1,541 अपराधी पुरस्कार घोषित अपराधी थे तथा इनमें से 188 अपराधियों के विरुद्ध एन.एस.ए. की कार्रवाई तथा 176 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत रु. 150.52 करोड़ की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है।
- ✎ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही के कारण दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक कुल 5,409 अपराधियों ने स्वयं जमानत निरस्त कराकर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है।
- ✎ वर्ष 2017 में वर्ष 2016 की तुलना में प्रदेश में डकैती में 5.70%, हत्या में 7.35% रोड होल्डअप में 100% फिरौती के प्रकरण में 13.21% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ घटित होने वाली हत्या में 16.41% आगजनी में 29.73% की कमी आई है।
- ✎ अपराधों को शत-प्रतिशत दर्ज करने के जनपदों को सख्त निर्देश दिए गए हैं तथा इस उद्देश्य से पहली बार पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एफ.आई.आर. काउन्टर खोले गए हैं।

- ✎ **महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा** के दृष्टिगत प्रदेश के प्रत्येक जिले में गठित-रोमियो दस्तों द्वारा दिनांक 08 मार्च 2018 तक कुल 9,91,466 स्थानों पर 27,17,621 व्यक्तियों को चेक किया गया, 2043 अभियोग पंजीकृत किए गए तथा 3,505 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई एवं 12,35,292 व्यक्तियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।
- ✎ महिलाओं/बालिकाओं के साथ टेलीफोन द्वारा छेड़खानी, विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न तथा छोटे-2 अपराधों को बिना थाने जाए शैशव स्तर पर रोकने के उद्देश्य से स्थापित वूमेन पॉवर लाइन 1090 में दिनांक 20 मार्च, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक 1,77,522 शिकायतों का समाधान कराकर राहत पहुँचायी गई।
- ✎ महिलाओं को जागरूक करने एवं अपनी शिकायतें दर्ज कराने हेतु पूरे प्रदेश में दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 से 10 दिसम्बर, 2017 तक "महिला सुरक्षा सप्ताह" मनाया गया, जिसमें 5,632 स्कूल कालेजों में 10,43,375 छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया।
- ✎ **निरोधात्मक कार्यवाही-** दिनांक 16 मार्च, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि में विगत वर्ष के सापेक्ष गुण्डा अधि. 0.19% गैंगस्टर अधि. 2.15%, एनएसए 5.00%, जुआ अधि. 13.17% एवं एनडीपीएस अधि. 12.88% की अधिक कार्यवाही की गई है।
- ✎ दिनांक 16 मार्च, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि में पुलिस द्वारा अवैध आग्नेयास्त्र के विरुद्ध कृत कार्यवाही में फैक्ट्री निर्मित बन्दूक 106, पिस्टल 97, रिवाल्वर 57, रायफल 74, एस.एल.आर.-01, स्टेन/कार्बाइन-01, कारतूस 25669 व डेटोनेटर 5950 एवं देशी निर्मित बन्दूक 141, पिस्टल 12732, रिवाल्वर 527, रायफल 105, स्टेनगन/कार्बाइन 03, कारतूस 218, बम 1392 व शस्त्र फैक्ट्री 154 बरामद की गई।
- ✎ पुलिस विभाग के वाहनों के क्रय/प्रतिष्ठान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु.104.79 करोड़ के 4221 वाहन क्रय किए गए।
- ✎ उत्तर प्रदेश पुलिस बल में सभी 58,547 0.303 रायफल के स्थान पर इंसास रायफल उपलब्ध करा दी गई है।
- ✎ **आतंकवादी निरोधक दस्ता (एटीएस) को सुदृढ़ करने** के लिए 316 नए पद सृजित किए गये इसके अतिरिक्त एनएसजी की तर्ज पर प्रदेश में एटीएस के अन्तर्गत स्पाट (स्पेशल पुलिस आपरेशन्स टीम) नामक अत्याधुनिक बल के गठन के लिए 694 पद स्वीकृत किए गए हैं तथा उपकरणों हेतु रु. 50.00 करोड़ वर्ष 2018-19 में आवंटित किए गये हैं।
- ✎ एटीएस को अधिक मोबाइल बनाने की दृष्टि से 86 नए वाहनों के क्रय हेतु रु. 4.24 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
- ✎ मार्च 2017 से अभी तक एटीएस द्वारा 16 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया है जो आतंकवाद से जुड़े थे। इन गिरफ्तारियों से इन गिरोहों के मंसूबे नाकाम करने में सफलता मिली है। इनमें आईएसआईएस, लश्कर-ए-तैयबा, बब्बरखालसा, और अंसारुल्लाह-बांग्ला टीम शामिल हैं।
- ✎ स्पेशल टास्क फोर्स को सुदृढ़ करने के लिए 267 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। एसटीएफ को अधिक मोबाइल बनाने की दृष्टि से 119 वाहनों के क्रय हेतु लगभग रु. 3.2 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

- ✎ दिनांक 15 मार्च, 2017, से 23 फरवरी, 2018 तक एसटीएफ द्वारा कुल 731 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें 82 दुर्दान्त अपराधी, 405 संगठित अपराधी, 18 वन्यजीव अपराधी, 99 मादक पदार्थ के तस्कर, 67 साइबर अपराधी एवं 60 इनामी अपराधी थे जिनमें से 05 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये।
- ✎ दिनांक 15 मार्च, 2017 से 23 फरवरी, 2018 तक एसटीएफ द्वारा 846.63 किग्रा. चरस, 7,268.6 किग्रा. गाँजा, 3,712 किग्रा. डोडा/पोस्ता एवं 3.47 किग्रा. हेरोइन तथा 403 अवैध शस्त्र, 6669 अवैध कारतूस, अवैध शराब बरामद किए गए। साथ ही 38 ट्रक, 90 चार पहिया वाहन, 57 दोपहिया वाहन के विरुद्ध कार्यवाही की गई। 01.816 किग्रा. सोना तथा रु. 95,62,400 बरामद किए गए।
- ✎ **यातायात पुलिस** द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 के मध्य हेलमेट न पहनने, सीटबेल्ट न बाँधने, गाड़ी चलाते वक़्त मोबाइल से बात करने, हूटर का प्रयोग करने, काली फिल्म लगाने, तेजगति से वाहन चलाने व मदिरा पीकर वाहन चलाने के सम्बन्ध में विभिन्न अभियान चलाए गए जिनमें 29,06,202 गाड़ियों का चालान कर कुल रु. 58.85 करोड़ शुल्क वसूला गया, जो विगत वर्ष में इस अवधि की तुलना में लगभग 38 प्रतिशत अधिक है।
- ✎ सप्ताह में प्रत्येक बुधवार को पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा "हेल्मेट एवं सीटबेल्ट दिवस" के रूप में मनाये जाने के निर्देश दिए गए थे। दिनांक 29 नवम्बर, 2017 से अब तक बुधवार को चलाए गए अभियानों में लगभग 1,58,297 चालान किए गए तथा रु. 2,35,06,373 शमन शुल्क वसूला गया।
- ✎ यातायात अभियानों के दौरान जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में 2,37,058 एन.सी.सी. स्कूल, कॉलेज के छात्र व पावर एंजिल शामिल हुए। इस दौरान 8,035 नुक्कड़ नाटक, संगोष्ठी एवं परिसंवाद आयोजित किए गए। यातायात जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित 3,525 निबन्ध, चित्रकला क्विज एवं अन्य प्रतियोगिताओं में 1,44,760 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इसी तरह 1,30,685 आटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, बस एवं टैक्सी चालकों ने जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रमों में भाग लिया। 1,07,993 वाहनों पर रिफ्लेक्टिव शीट व टेप लगाए गए। 1,27,266 आम नागरिकों को वाहनों के रख-रखाव के प्रति जागरूक किया गया।
- ✎ यातायात प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण एवं सड़क सुरक्षा उपकरणों एवं कार्यों के लिए यातायात पुलिस को रु. 24.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे 185 बाडी वार्न कैमरा, 185 स्पीडर डार विद प्रिन्टर, 240 ब्रेथ एनालाइजर विद प्रिन्टर, ई-चालान हेतु 500 स्मार्टफोन तथा अन्य उपकरण क्रय किए जाएंगे।
- ✎ **पुलिस बल की कमी की पूर्ति** के लिए त्वरित गति से भर्ती कराने के उद्देश्य से तथा भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आनलाइन परीक्षा के माध्यम से भर्ती की शुरुआत की गई है। वर्तमान समय में कुल 3,307 उपनिरीक्षक स्तर पर सीधी भर्ती हेतु आनलाइन लिखित परीक्षा 22 दिसम्बर, 2017 को सम्पन्न कराई जा चुकी है।
- ✎ अब तक इस सरकार द्वारा 4,870 आरक्षी एवं उपनिरीक्षक को सेवा में रखा जा चुका है तथा आरक्षी एवं उपनिरीक्षक के 86,954 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है।

- भर्ती व पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी एवं पक्षपात रहित बनाने के लिए सरकार द्वारा नियमावलियों में संशोधन की कार्यवाही की गई, आरक्षी भर्ती में लिखित परीक्षा को सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है।
- मुख्य आरक्षी से निरीक्षक स्तर तक के 21,917 कर्मियों को पदोन्नति प्रदान की गई है तथा 41,473 पदों पर पदोन्नति हेतु प्रक्रिया प्रचलित है।
- प्रदेश में आरक्षियों की रिक्तियों के सापेक्ष उनके स्थान पर कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत 25,000 होमगार्ड्स पुलिस विभाग को उपलब्ध कराए गए।
- संकल्प पत्र के अनुरूप यूपी 100 परियोजना में व्यापक सुधार एवं विस्तार करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत 1,600 दोपहिया वाहनों का व्यवस्थापन किया गया तथा डायल 100 सेवा का जनपदीय पुलिस से बेहतर सामंजस्य स्थापित किए जाने के लिए जनपदीय अधिकारियों हेतु मोबाइल अप्लीकेशन, वेब माड्यूल एवं डैशबोर्ड यूपी 100 के वाहनों के द्वारा गश्त व्यवस्था के प्रभावी नियोजन एवं पर्यवेक्षण के लिए पेट्रोल मैंनेजमेट सिस्टम क्रियान्वित करा दिए गए हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप जनवरी 2018 में यूपी 100 का औसतन रिस्पान्स टाइम हमारे संकल्प पत्र की घोषणा के अनुरूप 14.15 मिनट रहा।
- यूपी 100 के वाहनों के संचालन, पयर्वेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु परिवहन शाखा के 4,493 पदों का सृजन किया गया है।
- यूपी- 100 सेवा के साथ 108 एम्बुलेंस सेवा तथा 101 अग्निशमन सेवा के साथ एकीकरण का कार्य कर दिए जाने से आम जनता को अलग-अलग बात नहीं करनी पड़ेगी।
- प्रदेश में दैवीय तथा अन्य आपदाओं में राहत पहुँचाने के लिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ.) की तर्ज पर राज्य आपदा मोचन बल (एस.डी.आर.एफ.) के गठन की प्रक्रिया को गति प्रदान की गई। राज्य आपदा मोचन बल में कुल 535 पदों का सृजन किया गया है, जिसके सापेक्ष 312 कर्मचारियों की नियुक्ति/सम्बद्धता की जा चुकी है।
- राज्य आपदा मोचन बल में अत्याधुनिक/विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु रु. 7.78 करोड़ तथा वाहनों के क्रय हेतु रु. 4.68 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई है तथा राज्य आपदा मोचन बल के आवासीय भवन का निर्माण कार्य 31 प्रतिशत एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य 16 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।
- हमारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के शहीदों को दी जाने वाली अनुग्रह धनराशि को रु. 20 लाख से बढ़ाकर रु. 40 लाख किया गया तथा उनके माता पिता को दी जाने वाली धनराशि को रु. 5 लाख से बढ़ाकर रु. 10 लाख किया गया।
- उत्तर प्रदेश पुलिस के अराजपत्रित अधिकारियों, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पौष्टिक आहार भत्ते को बढ़ाने का निर्णय लेते हुए चतुर्थ श्रेणी को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार भत्ते को रु. 950 से बढ़ाकर रु. 1,350 कर दिया गया है, इसी प्रकार मुख्य आरक्षी व आरक्षियों को रु. 1,050 से बढ़ाकर रु. 1,500 कर दिया गया, तथा उपनिरीक्षक, निरीक्षक एवं लिपिक संवर्ग के लिए इस भत्ते को रु. 900 से बढ़ाकर रु. 1,200 कर दिया गया है।

- ✎ पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. द्वारा अराजपत्रित/राजपत्रित पुलिस कर्मियों को "पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह" प्रदान किए जाने की संख्या प्रतिवर्ष 200 से बढ़ाकर स्वतंत्रता दिवस व गणतन्त्र दिवस के अवसर पर 475-475 (रजत-250, स्वर्ण-150, हीरक-75) कुल 950 कर दी गई है।
- ✎ प्रयागराज में वर्ष 2019 में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले को पूर्णतया सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं भव्य ढंग से सम्पन्न कराने हेतु पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं के लिए कुल 23 कार्यों के लिए रु. 29.43 करोड़ के सापेक्ष रु. 17.99 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
- ✎ स्नानार्थियों की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु अग्निशमन, रेडियो विभाग, जल पुलिस तथा यातायात के उपकरणों के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से रु. 35.60 करोड़ की धनराशि स्वीकृज की जा चुकी है एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 30.27 करोड़ का आबंटन प्रस्तावित है।
- ✎ जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से दिनांक 20 मार्च, 2017 से 19 फरवरी, 2018 तक प्राप्त कुल 22,316 आनलाइन शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित किया गया।
- ✎ दिनांक 20 मार्च, 2017 से 26 फरवरी, 2018 तक यूपी पुलिस के ट्विटर सेवा से कुल 4,38,826 ट्वीट प्राप्त हुए, जिसमें कार्यवाही योग्य कुल ट्वीट 69,925 थे, जिनमें से 69,829 ट्वीट्स को निस्तारित किया गया।
- ✎ ट्विटर के माध्यम से प्राप्त दिनांक 20 मार्च, 2017 से अब तक एफआईआर पंजीकरण न किए जाने विषयक शिकायतों को निस्तारित करते हुए सम्बन्धित जनपदों को ट्वीट कर कुल 460 एफ.आई.आर. पंजीकृत कराई गयी।
- ✎ ट्विटर के माध्यम से पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध शिकायतों पर 104 पुलिस कर्मियों के निलम्बन, 29 पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण, 23 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एफआईआर एवं 230 प्रकरणों में जाँच कराई गई।
- ✎ सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हुए जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराए जाने के फलस्वरूप वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस को 04 अवार्ड (एफ.आई.सी.सी.आई. अवार्ड फार बेस्ट प्रैक्टिसेस इन स्मार्ट पुलिसिंग 2017, पुलिस एक्सिलेंस अवार्ड, सोशल मीडिया फॉर इम्पावरमेंट, डिजिटल इनेबलर अवार्ड) एवार्ड प्राप्त हुए।
- ✎ जनसेवा केन्द्रों तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के विभागीय पोर्टल के माध्यम से पुलिस द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विभागीय शुल्क व यूजर चार्जेज को पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई। इससे आम नागरिक घर बैठे खोयी वस्तुओं की रिपोर्ट, आनलाइन शिकायतों का पंजीकरण, चरित्र एवं पूर्ववत सत्यापन प्रमाण-पत्र तथा वाहन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र, किराएदार तथा कार्मिकों के सत्यापन एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
- ✎ लखनऊ शहर में स्थापित "दृष्टि" कन्ट्रोल रूम में 70 चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे के अतिरिक्त 85 रिलायन्स जियो के टावरों पर 517 सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराए गए।

- ✎ दिनांक 24 जनवरी, 2018 को "उत्तर प्रदेश दिवस" में 10 साधारण बैरक, 7 क्राइम ब्रान्च, 87 महिला बैरक, 2 महिला प्रशासनिक भवन, 13 थाना प्रशासनिक भवन, 195 हास्टल, 2 पुलिस चौकी प्रशासनिक भवन, 11 अग्निशमन केन्द्र, 100 आवासीय भवन, 46 आगन्तुक कक्ष तथा अन्य भवनों (कुल 523 भवन) का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर उनका लोकार्पण किया गया।
- ✎ पुलिस द्वारा भू-माफिया के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अन्तर्गत दिनांक 27 फरवरी, 2018 तक 1,531 भू-माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत 2,596 अभियोग पंजीकृत किये गए जिसमें 1,922 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, 460 हाजिर अदालत, 6 कुर्की की गयी तथा 7.45 करोड़ की अवैध सम्पत्ति की जब्तीकरण की गई।
- ✎ प्रदेश के दो थाने-गुडम्बा, जनपद लखनऊ तथा थाना-घिरोर, जनपद मैनपुरी को पूरे देश के 10 सर्वोत्तम थानों में चुना गया, जिसमें थाना गुड़म्बा को तीसरा तथा थाना-घिरोर को सातवाँ स्थान प्राप्त हुआ।

●

कारागार प्रशासन एवं सुधार

उद्देश्य

न्याय पालिका एवं पुलिस के साथ कारागार प्रशासन एवं प्रबन्धन आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण अंग है तथा इसकी समाज में कानून के शासन की स्थापना एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। कारागार प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य कारागारों में निरुद्ध बंदियों का सुरक्षित रख-रखाव करना तथा उनके सुधार व उन्हें पुनर्वासन हेतु तैयार करने के लिए विभिन्न शैक्षिक एवं कौशल विकास के कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें इस योग्य बनाना है कि उनकी अपराध की मानसिकता समाप्त हो तथा वे रिहाई के उपरान्त समाज में पुनर्स्थापित हो सकें। इस हेतु कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रमों के संचालन के साथ-साथ बंदियों की साक्षरता, शैक्षिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के साथ उनके व्यवहार में सुधार एवं परिमार्जन योगा, खेलकूद, व्यायाम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का निरन्तर आयोजन किया जा रहा है।

कारागार संस्थाएं तथा वर्गीकरण

प्रदेश के कारागारों का वर्गीकरण बंदी क्षमता तथा बंदियों को दिये गये दण्ड की अवधि के आधार पर किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में बंदियों के निरुद्धीकरण हेतु विभिन्न श्रेणी के 70 कारागारें संचालित हैं। कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ संचालित है, संस्थान में प्रदेश के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य प्रदेशों के कारागार अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। केन्द्रीय कारागारों, आदर्श कारागार लखनऊ तथा कतिपय जिला कारागारों में स्थापित उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय एवं प्रदर्शन हेतु अमीनाबाद, लखनऊ में जेल डिपो स्थापित है।

क्र. सं.	परिक्षेत्र	केन्द्रीय कारागार	जिला कारागार	उप कारागार	आदर्श कारागार	किशोर सदन	नारी बंदी निकेतन	योग
1.	आगरा	01	07	-	-	-	-	08
2.	मेरठ	-	07	01	-	-	-	08
3.	प्रयागराज	01	05	01	-	-	-	07
4.	लखनऊ	-	06	-	01	-	01	08
5.	गोरखपुर	-	08	-	-	-	-	08
6.	बरेली	01	07	-	-	01	-	09
7.	वाराणसी	01	06	-	-	-	-	07
8.	कानपुर	01	08	-	-	-	-	09
9.	अयोध्या	-	06	-	-	-	-	06
	योग	**05**	**60**	**02**	**01**	**01**	**01**	**70**

कारागार संस्थाओं का संक्षिप्त पचिय

आदर्श कारागार लखनऊ

अच्छे आचरण के बंदियों के सुधार हेतु जनपद लखनऊ में संचालित केन्द्रीय कारागार को वर्ष 1949 में आदर्श कारागार के रूप में स्थापित किया गया। विभिन्न कारागारों में निरुद्ध अच्छे आचरण के 45 वर्ष से कम आयु के सिद्धदोष बंदियों, जिन्होंने कम से कम 01 वर्ष की सजा किसी कारागार में व्यतीत कर ली हो, को आदर्श कारागार में निरुद्ध किया जाता है। कारागार में निरुद्ध बंदियों को सुधार के 5 सोपानों क्रमशः स्वागत भवन, यमुना भवन, गंगा भवन, आजाद बैरक तथा कृषि फार्म में रहना होता है। 6 माह तक स्वागत भवन में निरुद्ध रहने के पश्चात बंदी को यमुना भवन में तथा उसके पश्चात गंगा भवन में स्थानान्तरित किया जाता है। गंगा भवन मे बंदियों को उद्योगों में काम पर लगाया जाता है तथा काम के लिए निर्धारित पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। आजाद बैरक में बंदी बैण्ड प्रदर्शन, सब्जी विक्रय व दुकानदारी आदि कार्यों हेतु दिन में जेल परिसर से बाहर जाते हैं। कारागार में निरुद्ध बंदियों को वर्ष में एक बार 15 दिन का गृह अवकाश दिये जाने की व्यवस्था है।

केन्द्रीय कारागार

केन्द्रीय कारागारों की स्थापना के अन्तर्गत प्रदेश में सर्वप्रथम वर्ष 1844 में केन्द्रीय कारागार आगरा, 1848 में केन्द्रीय कारागार बरेली, 1867 में केन्द्रीय कारागार लखनऊ, 1868 में केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़,1869 में केन्द्रीय कारागार नैनी (इलाहाबाद) तथा वर्ष 1877 में केन्द्रीय कारागार वाराणसी की स्थापना हुयी। प्रदेश में स्थापित उक्त 06 केन्द्रीय कारागारों में से केन्द्रीय कारागार लखनऊ 1949 में आदर्श कारागार के रूप में स्थापित किया गया। केन्द्रीय कारागारों में लम्बी सजा के सिद्धदोष बन्दी निरुद्ध किये जाते हैं जहां उन्हें श्रम करने तथा इसके एवज में निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक अर्जन के अवसर उपलब्ध होते हैं।

जिला कारागार

वर्तमान में प्रदेश में सृजित 75 जनपदों में से 60 जनपदों में जिला कारागार हैं। अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, संतकबीर नगर तथा इलाहाबाद में जिला कारागारों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये इसी वर्ष शुरू हो जाएंगे। जिला कारागार चित्रकूट का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। इसे शीघ्र ही क्रियाशील कराया जा रहा है। कारागार विहीन 11 जनपदों में जिला कारागारों के निर्माण हेतु भूमि चयन की कार्यवाही प्रचलित है।

उप कारागार

वर्तमान में प्रदेश में दो उप कारागार महोबा तथा देवबन्द क्रियाशील हैं। उप कारागार देवबन्द की उपलब्ध बंदी क्षमता 131 है जब कि कारागार मे 245 बंदी निरुद्ध हो रहे हैं। इसी प्रकार उप कारागार महोबा की क्षमता मात्र 175 है तथा यहाँ 297 बंदी निरुद्ध हो रहे हैं।

नारी बंदी निकेतन लखनऊ तथा महिला कारागार

नारी बंदी निकेतन लखनऊ में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये दण्डित सिद्धदोष महिला बंदियों

को निरुद्ध किया जाता है। जहाँ निरुद्ध महिला बंदियों के सुधार, कल्याण तथा पुनर्वास के विभिन्न उद्यमों तथा क्रियाकलापों के आयोजन के साथ-साथ विभिन्न उद्यम भी स्थापित हैं। इनमें इन्हें श्रम करने तथा पारिश्रमिक अर्जन के अवसर प्रदान किये जाते हैं। माहिला बंदियों तथा उनके साथ रह रहे बच्चों के लिये पृथक रसोईघर/पाकशाला, स्वास्थ्य परीक्षण कक्ष/अस्पताल तथा क्रेच की सुविधा है। बच्चों के मनोरंजन तथा शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। समीपस्थ पाठशाला में शिक्षा की व्यवस्था के साथ इन बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु इन्हें चिड़ियाघर तथा अन्य दर्शनीय स्थलों में भ्रमण कराने की व्यवस्था भी है। नारी बंदी निकेतन, लखनऊ के अतिरिक्त प्रदेश के 03 कारागारों क्रमशः जिला कारागार लखनऊ, अलीगढ़ तथा फैजाबाद में पृथक महिला कारागार स्थापित किए गए हैं। अन्य शेष कारागारों में निरुद्ध महिला बंदियों को अलग अहाते/बैरक में निरुद्ध किया जाता है।

किशोर सदन, बरेली तथा अल्पवयस्क कारागार

एक वर्ष से अधिक सजा अवधि एवं 19 से 23 वर्ष की आयु के सिद्धदोष अल्पवयस्क बंदियों को किशोर सदन, बरेली में निरुद्ध किया जाता है। सदन में निरुद्ध अल्पवयस्क बंदियों को कक्षा 8 तक की शिक्षा प्रदान करने हेतु जूनियर हाईस्कूल की व्यवस्था के साथ स्काउट एवं गाइड, एनसीसी, बैण्ड, सिलाई व चमड़ा उद्योग में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था का प्रावधान है। किशोर सदन, बरेली के अतिरिक्त केन्द्रीय कारागार, नैनी एवं 17 जिला कारागारों में पृथक अल्पवयस्क कारागार स्थापित हैं। शेष जिला कारागारों में इस आयु वर्ग के अल्पवयस्क बंदियों को कारागार में अलग अहाते/बैरकों में निरुद्ध किया जाता है।

डॉ. सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ

कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वर्ष 1940 में लखनऊ में स्थापित डॉ. सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण विद्यालय को उच्चीकृत कर डॉ. सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान किया गया है। प्रदेश एवं अन्य राज्यों के सीधी भर्ती के कारागार अधीक्षक, उप कारापाल तथा बंदीरक्षक संवर्ग के कर्मियों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन होता है।

जेल डिपो, अमीनाबाद, लखनऊ

प्रदेश के कारागारों में बंदियों द्वारा उत्पादित औद्योगिक व दस्तकारी उत्पादों का उपयोग कारागारों में तो होता ही है, साथ ही अन्य शासकीय विभागों से प्राप्त होने वाली मांग की पूर्ति भी की जाती है। कारागार उत्पादों के आम जनता में प्रदर्शन एवं विक्रय हेतु अमीनाबाद लखनऊ में जेल डिपो संचालित है। जेल डिपो के माध्यम से समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न कारागारों में उत्पादित सामग्री तथा जेल जीवन की ऐतिहासिक वस्तुओं तथा बंदियों की कृतियों का प्रदर्शन लखनऊ महोत्सव व कुम्भ मेले में किया गया है।

शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

(1) शैक्षिक कार्यक्रम

कारागारों में निरुद्ध निरक्षर बन्दियों को साक्षर किये जाने हेतु ''एक पढ़ाये एक'' तथा ''नया सवेरा'' कार्यक्रम संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 24 कारागारों में भारत सरकार द्वारा संचालित साक्षरता मिशन के

अन्तर्गत भी साक्षरता कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। बंदियों की प्राथमिक, बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा हेतु पंजीकरण तथा परीक्षा देने के लिए कक्षा-5 से कक्षा 8 की परीक्षाओं हेतु सभी कारागारों को, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा हेतु 08 कारागारों को तथा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से उच्च शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु 09 कारागारों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। वर्ष 2017 में कक्षा-5 से कक्षा 8 तक की परीक्षाओं मे सम्मिलित 1081 बंदियों में से 1050 बंदी उत्तीर्ण हुये। हाई स्कूल की परीक्षा में 80 बंदी परीक्षा में सम्मिलित हुये तथा 43 बंदी उत्तीर्ण हुये। इण्टरमीडिएट की परीक्षा में 72 बंदी परीक्षा में सम्मिलित हुये तथा 49 बंदी उत्तीर्ण हुये। इग्नू की परीक्षाओं में सम्मिलित बंदियों द्वारा बडी संख्या में सफलता अर्जित की गयी है तथा वर्तमान वर्ष में 1673 से अधिक बंदियों द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु पंजीकरण कराया गया है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रदेश के 5 केन्द्रीय कारागारों, आदर्श कारागार लखनऊ एवं जिला कारागार उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली तथा गोरखपुर में स्थापित कारागारों में निरुद्ध सिद्ध दोष बंदियों को विभिन्न उद्योगों में कार्य करने तथा निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक अर्जन के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं।

बंदी पारिश्रमिक

कारागारों में निरुद्ध बंदियों को 03 श्रेणियों में क्रमशः अकुशल श्रेणी के बंदियो को रुपया 25/-, अर्द्धकुशल श्रेणी हेतु रुपया 30/- तथा कुशल श्रेणी हेतु रुपया 40/- प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है।

बंदियों के लिये नैतिक शिक्षा, योग तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम

बंदी के अपने पारिवारिक तथा सामाजिक परिवेश से अलग कारागार की चहारदीवारी के अन्दर निरुद्ध होने से उसके अन्दर उत्पन्न एकाकीपन को दूर करने हेतु उसे किसी न किसी रचनात्मक गतिविधि मे लगाना आवश्यक है। इस हेतु कारागारों में बंदियों की दैनिक दिनचर्या (प्रिजन रूटीन) निर्धारित होने के साथ-साथ उनके लिये व्यायाम, खेलकूद, योगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतिष्ठित संस्थाओं/व्यक्यिों/धर्मगुरुओं के माध्यम से विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रवचन एवं व्याख्यान आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाने की व्यवस्था है।

खेलकूल की व्यवस्था

कारागारों में निरुद्ध बंदियों की शारीरिक स्वस्थता हेतु खेलकूद तथा उनके खालीपन एवं एकान्त को दूर करने हेतु मनोरंजन की व्यवस्था की गयी है।

मनोरंजन की व्यवस्था

प्रदेश के सभी कारागारों में बंदियों के मनोरंजन हेतु टेलीविजन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा संगीत एवं वादन संयंत्रों आदि की व्यवस्था की गयी है।

पठन-पाठन एवं वाचनालय व पुस्तकालय की व्यवस्था

प्रदेश के सभी कारागारों में बंदियों के पठन-पाठन के सुविधा हेतु पुस्तकालय/वाचनालय स्थापित हैं। इन पुस्तकालयों तथा वाचनालयों में दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाओं एवं नैतिक व उपयोगी पुस्तकों

की व्यवस्था भी की गयी है।

बंदियों के मानवाधिकारों का संरक्षण

बंदियों की मूलभूत आवश्यकताओं तथा मानवीय गरिमा के अनुकूल उनके अधिकारों के संरक्षण के प्रति विभाग निरन्तर चिंतनशील रहता है। बंदियों को मात्र अपराधी समझ कर दण्डित करने की पुरानी मान्यताएं अब समाप्त हो रही हैं तथा कारागारों में दण्ड स्वरूप बंदियों को बेड़ी एवं हथकड़ी लगाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। बंदियों की मृत्यु के मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त नोटिस एवं शिकायतों की जाँच तत्परता पूर्वक कराई जाती है और उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। कारागार में प्रवेश के समय ही प्रत्येक बंदी का जेल चिकित्सक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप गहन स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है तथा जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञों की टीम द्वारा माह में कम से कम दो बार कारागार के अन्दर ही बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। कारागार में बंदियों को उनके विधिक अधिकारों को सुगम कराने, परिजनों से मुलाकात किये जाने तथा पत्र लिखे जाने का समुचित एवं समान अवसर प्रदान किया जाता है।

बंदियों हेतु भोजन व्यवस्था

जेल मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार बंदियों को निर्धारित मात्रा में भोजन दिया जाता है। रविवार एवं त्यौहारों के अवसर पर बंदियों को विशेष भोजन दिये जाने की व्यवस्था है। बंदियों की बहुप्रतीक्षित मांग को देखते हुए वर्तमान सरकार द्वारा बंदियों के भोजन में डालडा घी के उपयोग के स्थान पर वनस्पति तेल के उपयोग की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था

प्रदेश की प्रत्येक कारागार में बन्दियों के समुचित चिकित्सा उपचार हेतु 20 बिस्तर अथवा इससे अधिक क्षमता के अस्पताल संचालित हैं। कारागार अस्पताल में आवश्यक साज-सज्जा सामग्री एवं चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की गयी है। सभी कारागार अस्पताल में आर0ओ0 के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति तथ बंदियो को कारागार के बाहर चिकित्सालयों में लाने ले जाने हेतु एम्बुलेंस की व्यवस्था की गयी है। मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला चिकित्सालयों के मुख्य/वरिष्ठ चिकित्साधीक्षक के नेतृत्व में चिकित्सकों के दल द्वारा माह में दो बार कारागारों के भ्रमण की व्यवस्था है। महिला बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञ की व्यवस्था है तथा इनके द्वारा महिला बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया जाता है। कारागारों में क्षयरोग के बंदियों का परीक्षण एवं पंजीकरण कराने तथा टी0बी0 कार्ड बनाकर उपचार की व्यवस्था करायी गयी है। एच.आई.वी./एड्स जैसी गम्भीर बीमारियों का भी उपचार किये जाने की व्यवस्था है।

मुलाकात व्यवस्था

बन्दियों की मुलाकात व्यवस्था को पारदर्शी तथा मुलाकातियों के लिए सुविधाजनक बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। बन्दियों तथा उनके परिजनों की आपत्तियां/शिकायतें प्राप्त करने हेतु कारागार के मुख्य स्थानों पर शिकायत पेटिकाएं लगायी गयी हैं। शिकायत पेटिकाओं में प्राप्त शिकायत का निराकरण कारागार में तैनात अधिकारियों द्वारा नियममित रूप से किया जाता है। कारागार के मुख्य द्वार के पास मुलाकात के नियमों की जानकारी हेतु सूचना पट लगाये गये हैं। मुलाकात व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने हेतु ई-प्रिजन कार्ययोजना के अन्तर्गत बंदियों के मुलाकातियों को कम्प्यूटरीकृत मुलाकात पर्ची निर्गत करने की व्यवस्था की गई है। ई-प्रिजन के अन्तर्गत आनलाइन मुलाकात की बुकिंग

की सुविधा भी उपलब्ध है।

कारागार उद्योग

प्रदेश की सभी 05 केन्द्रीय कारागारों, आदर्श कारागार लखनऊ तथा जिला कारागार उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली एवं गोरखपुर में विभिन्न उद्योग स्थापित हैं। कारागारों में उद्योगों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन उद्योगों में काम करने के तथा कौशल विकास के अवसर दिये जाये ताकि वे रिहा होने के उपरान्त अपना जीवनयापन कर सकें।

कारागार कृषि

प्रदेश की विभिन्न कारागारों में लगभग 610.65 एकड़ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, जिसमें खरीफ, रबी तथा जायद की फसलों में मुख्य रूप से बन्दियों हेतु विभिन्न प्रकार की ठोस एवं हरी सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। अधिक भूमि की कारागारें अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने पर समीपस्थ जनपदों की कारागारों को सब्जी आपूर्ति करती हैं। कारागार कृषि फार्मों के वैज्ञानिक प्रबन्धन तथा उत्पादन में वृद्धि के दृष्टिगत सिंचाई व्यवस्था हेतु नलकूप, पम्पिंग सेटों की व्यवस्था के साथ-साथ ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरणों की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न कारागारों में 23 ट्रैक्टर, 98 नलकूप तथा 22 पम्पिंग सेट उपलब्ध हैं। फसलें निम्नवत हैः धान, आलू, हरी सब्जी, अन्य सब्जी, प्याज, लहसुन, चारा आदि।

कारागारों का आधुनिकीकरण

प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा, तलाशी तथा संचार व्यवस्था एवं बंदी सुविधाओं को सुदृढ करने हेतु विभिन्न कार्ययोजनायें संचालित की जा रही हैं जिनमें वीडियो कान्फ्रेंसिंग, सीसीटीवी, सर्विलांस, मोबाइल फोन जैमर, एफजी-1 पोल मेण्टल डिटेक्शन सिस्टम तथा मेण्टल डिटेक्शन एवं डीपसर्च मेण्टल डिटेक्शन, वायरलेस सेट, अग्निशमन सयंत्र, आर.ओ. प्लाण्ट, बंदी पी.सी.ओ. तथा ई-प्रिजन कार्ययोजना प्रमुख हैं।

वीडियो कान्फ्रेंन्सिंग कार्ययोजना

प्रदेश के सभी 70 कारागारों तथा 73 जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग कार्ययोजना संचालित की जा रही हैं। अभी तक 67 कारागारों तथा 69 जनपद न्यायालयों में इकाइयाँ स्थापित हो चुकी हैं। शेष 04 जनपद न्यायालयों व 03 कारागारों में स्थापना कार्य प्रगति पर है। स्थापना से अब तक वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से लगभग 7.00 लाख से अधिक बंदियों की रिमाण्ड करायी जा चुकी है।

जैमर संचालन हेतु सोलर पावर बैकअप की व्यवस्था

दो चरणो में 24 कारागारों में स्थापित कराये जा रहे मोबाइल फोन जैमर को 24 घण्टे चलाने हेतु पावर बैकअप की व्यवस्था सोलर एनर्जी आधारित प्लाण्ट लगाकर करायी जा रही है। 07 कारागारों में यह कार्य पूर्ण हो गया है तथा 17 कारागारों में कार्य प्रगति पर है जिसे पूरा करने हेतु 31.03.2018 का लक्ष्य निर्धारित है।

सीसीटीवी सर्विलांस इकाइयां

प्रदेश के कारागारों में चरणबद्ध रूप से सीसीटीवी सर्विलांस इकाइयों की स्थापना करायी जा रही है। अभी तक संचालित 70 कारागारों में से 50 कारागारों में इकाइयां स्थापित करायी गयी हैं। शेष 20

कारागारों में स्थापना कार्य प्रगति पर है।

एफजी-1 पोल मेटल डिटेक्शन सिस्टम

कारागारों में सूक्ष्मतम धात्विक निषिद्ध सामग्री यथा- मोबाइल, मोबाइल सिम व अन्य सामग्री की तलाशी हेतु 01-01 अदद आधुनिक तलाशी उपकरण एफजी-01 पोल मेटल डिटेक्शन सिस्टम की व्यवस्था तीन चरणों में करायी गयी है। इस उपकरण को कारागार के मुख्य द्वार पर स्थापित कराया गया है।

डीप सर्च मेटल डिटेक्टर

अन्य राज्यों की भाँति प्रदेश की कारागारों में भी सूक्ष्मतम धात्विक निषिद्ध सामग्री यथा- मोबाइल, मोबाइल सिम धात्विक औजार आदि की तलाशी हेतु सभी कारागारों में 02-02 अदद आधुनिक डीप सर्च मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था पुलिस सुरक्षा मुख्यालय के माध्यम से करायी जा रही है।

वायरलेस सेटों की व्यवस्था

कारागारों में संचार व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदेश की कारागारों में स्टेटिक तथा हैण्डहेल्ड वायरलेस सेटों की व्यवस्था करायी गयी है।

बंदी पीसीओ की स्थापना

देश के अन्य राज्यों की कारागारों में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों को अपने परिजनों से बात करने की सुविधा हेतु 67 कारागारों में बंदी पीसीओ स्थापित कराये गये हैं।

परिशोधित पेयजल की व्यवस्था हेतु आर.ओ. प्लाण्ट

बंदियों को शुद्ध एवं परिशोधित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सभी कारागारों में चरणबद्ध रूप मे आरओ प्लाण्ट स्थापित किये जा रहे हैं।

विभागीय बजट व्यवस्था

वर्ष 2018-19 में कुल 10,85,47,40,000 रु. का बजट प्रावधान है।

●

न्याय प्रशासन

भारत के संविधान की उद्देशिका मे निरूपित सिद्धान्त ''सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय'' वस्तुतः भारत के समस्त नागरिको को प्राप्त विधिक अधिकार हैं। नागरिकों के मूलाधिकारों एवं विधिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और विवादों को तय करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय के नियंत्रण मे अधीनस्थ न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों, विशिष्ट न्यायालयों तथा राज्य लोक सेवा अधिकरण आदि का गठन किया गया है।

कोई नागरिक आर्थिक या अन्य किसी निर्योग्यता के कारण न्याय पाने के अवसर से वंचित न रह जाये, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश में राज्य स्तर पर उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समितियाँ कार्यशील हैं, जिनके द्वारा आर्थिक या अन्य किसी कमजोरी के कारण निर्धन व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय प्रगति एवं सामाजिक समरसता एवं स्थिरता को सुनिश्चित करने तथा न्याय व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से न केवल आवश्यक विधायन लाकर प्रक्रिया में सुधार किया गया है, वरन् विभिन्न स्तरों पर नए तथा विशिष्ट न्यायालय भी सृजित किये गये हैं।

प्रदेश मे न्याय प्रशासन के अधीन वर्तमान में जो व्यवस्था है, उनका संक्षिप्त विवरण अधोअंकित है-

उच्च न्यायालय

अधीनस्थ न्यायालय

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सम्मिलित करते हुए।	न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं लघुवाद न्यायाधीश	न्यायालय सिविल जल (जूनियर डिवीजन)	न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट व मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट	विशिष्ट न्यायालय न्यायालय पारिवारिक न्यायालय तथा अधिकरण

वर्तमान सरकार की उपलब्धियाँ

- भारत सरकार के स्वच्छता मिशन के आलोक में प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में जन सुविधा हेतु सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मानकीकरण कराया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए रु. 20.00 करोड़ की धनराशि मा0 उच्च न्यायालय के निवर्तन पर गयी है।
- प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में स्थापित लिफ्टों की मरम्मत एवं उनके संचालन हेतु नीति निर्धारित की गयी है।
- मा0 उच्च न्यायालय से लेकर अधीनस्थ न्यायालयों तक स्थापित मध्यस्थता केन्द्रों के मध्यस्थों को मानदेय के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष में रु. 50.00 करोड़ कार्पस फण्ड गठित किये जाने के लिए स्वीकृत किया गया है।
- मा0 उच्च न्यायालय प्रयागराज के विस्तार हेतु एल्गिन रोड प्रयागराज स्थित रक्षा मंत्रालय के बंगले के क्रय हेतु चालू वित्तीय वर्ष में रु. 37.12 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की गयी है।
- प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना हेतु रु. 50.00 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की गयी है।
- मा0 उच्च न्यायालय प्रयागराज के कर्मचारियों के लिए 67 फ्लैटों के क्रय हेतु रु. 13.69 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की गयी है।
- न्यायालय भवनों एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु रु.125.00 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की गयी है।
- मा0 उच्च न्यायालय प्रयागराज के लिए ग्राम देवघाट (सलवा) में न्याय ग्राम टाउनशिप परियोजना प्रारम्भ की गयी है।
- विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराया गया है।
- जे.टी.आर.आई. के छात्रावास का विस्तार कार्य प्रारम्भ कराया गया है।
- अधीनस्थ न्यायालयों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रु. 150.00 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं।
- अधीनस्थ न्यायालयों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के मरम्मत कार्य हेतु रु. 23.00 करोड़ स्वीकृत किया गया है।

●

लोक आयुक्त

भारतवर्ष एक विकासशील देश है और प्रत्येक प्रदेश में, मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों में विकास की गति तीव्र हुई है। देश अथवा प्रदेश के विकास में भ्रष्टाचार एक बाधा के रूप में सामने आता है, जिसका प्रभाव विकास के परिणामस्वरूप सामान्य नागरिकों को मिलने वाली सुख–सुविधाओं पर पड़ता है। आम आदमी को शासन के क्रिया–कलापों से उत्पन्न होने वाली शिकायतों के निराकरण एवं लोक सेवकों की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण करते हुए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु लोक आयुक्त प्रशासन एक अत्यन्त सरल, प्रभावी एवं उपयुक्त संस्था के रूप में अपना प्रभाव प्रदर्शित करता जा रहा है।

वर्ष 1975 में प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों पर उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, 1975 पर महामहिम श्री राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन दिनांक 7–9–1975 को अनुमति प्रदान की गयी तथा प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम लोक आयुक्त को दिनांक 14 सितम्बर, 1977 को महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण कराने के उपरांत लोक आयुक्त संस्था अस्तित्व में आयी एवं **41 वर्षों** से निरन्तर भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन पर अंकुश रखने में सरकार के हाथों को मजबूती प्रदान कर रही है।

लोक आयुक्त की परिधि में प्रदेश के न केवल मन्त्रीगण, राज्य मन्त्रीगण, विधान मण्डल के सदस्य, शासन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण आते हैं वरन् स्वयंशासी संस्थायें, निगम व परिषदों के अध्यक्ष व कर्मचारीगण भी आते हैं। ऐसे समस्त लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों या अभिकथनों को प्रस्तुत करने का अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त है। लोक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले परिवाद/अभिकथन पर अन्वेषणोंपरान्त् अपेक्षित कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित करने का अधिकार लोक आयुक्त को प्राप्त है।

लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त की कार्यप्रणाली एवं क्षेत्राधिकार

संक्षिप्त रूप में लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त के समक्ष उत्तर प्रदेश शासन के मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पक्षपातपूर्ण कार्यवाहियों, भ्रष्टाचार, कुप्रशासन से संबंधित शिकायतों या लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने के उपरांत देयकों के भुगतान न होने से संबंधित प्रकरण आम नागरिकों एवं व्यथित व्यक्तियों द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 में निर्धारित प्रारूप, शपथ–पत्र व प्रतिभूति की धनराशि जमा कर प्रस्तुत किया जा सकता है। लोक आयुक्त प्रशासन में 2 प्रकार के परिवाद प्रस्तुत किये जाते हैं, जोकि निम्न हैं :–

1. शिकायत – ऐसे परिवाद व्यथित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं। शिकायत की

श्रेणी में लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने पर उनके देयकों के भुगतान न होने से संबंधित प्रकरण आते हैं। सेवानिवृत्त लोक सेवक यदि निगम, स्वायत्तशासी संस्था का है, तो उसे प्रतिभूति जमा करनी होगी।

2. **अभिकथन** – ऐसे परिवाद जिनमें राज्य सरकार के विभाग के किसी लोक सेवक द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता, कुप्रशासन अथवा अनुचित कार्यवाही से शासकीय धन का दुरुपयोग हो रहा है। किसी नागरिक, लोक सेवक, मन्त्री या विधायक से राज्य के किसी मन्त्री, विधायक या किसी स्थानीय निकाय या शीर्षस्थ सहकारी संस्था के अध्यक्ष अथवा राज्य सरकार के कार्यों से सम्बद्ध किसी अधिकारी, कर्मचारी या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम/निगम के अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उसके द्वारा किये गये पद के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार की, जिसकी उसे निजी जानकारी हो, के संबंध में प्रस्तुत परिवाद को अभिकथन की श्रेणी मे रखा गया है। अभिकथन के मामले में दो हजार रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा कराये जाने का प्रावधान है।

क्षेत्राधिकार में आने वाले पदाधिकारी :–

निम्न के विरुद्ध शिकायत या अभिकथन दोनों प्रकार के परिवाद प्रस्तुत किये जा सकते हैं :–

1. प्रदेश के मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों तथा उप मन्त्रियों (मुख्यमन्त्री परिधि में नहीं आते),
2. विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य,
3. शासन के सचिव, जिसमें प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा एवं पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी सम्मिलित है, विशेष सचिव और संयुक्त सचिव, तथा
4. प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत् कोई भी अधिकारी।

निम्न के विरुद्ध केवल अभिकथन रूपी परिवाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है :–

1. क्षेत्र समिति के प्रमुख, 2. जिला परिषद के अध्यक्ष, 3. नगर महापालिका के नगर प्रमुख, 4. नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, 5. उत्तर प्रदेश सहकारी समिति या शीर्ष समिति के अशासकीय अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक, 6. प्रदेश की निम्नलिखित संस्थाओं की सेवा में या वेतनभोगी प्रत्येक व्यक्ति :–

2. नगर महापालिकायें, 2. नगर पालिकायें, 3. जिला परिषदें, 4. क्षेत्र समितियाँ, 5. नगर क्षेत्र समितियाँ, 6. अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ, 7. विकास प्राधिकरण तथा 8. औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

उपरोक्त के अलावा राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के निम्नलिखित निगमों की सेवा में वेतनभोगी प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी :–

1. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, 2. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, 3. उत्तर प्रदेश भण्डारागार निगम, 4. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, 5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 6. उत्तर प्रदेश वन निगम, 7. उत्तर प्रदेश जल निगम, 8 कम्पनी अधिनियम

के अन्तर्गत आने वाली 44 सरकारी कम्पनियाँ एवं उसकी 21 सहायक कम्पनियों में सेवारत वेतनभोगी प्रत्येक व्यक्ति।

उक्त कृत्यों का सम्पादन करने हेतु लोक आयुक्त एक स्वतन्त्र लोक प्राधिकरण है, जिसकी भूमिका शासन द्वारा किये जाने वाले स्वैच्छापूर्ण एवं अनुचित कारणों को चिह्नित करते हुए उनमें सुधार एवं रोकथाम के लिए आवश्यक सुझावों को प्रतिवेदन के माध्यम से शासन के समक्ष प्रस्तुत करके लागू कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करना है।

अधिकांशतः प्राप्त शिकायती प्रकरण :–

1. सेवानिवृत्त लोक सेवकों/अध्यापकों को पेंशन, प्राविडेण्ट फण्ड, सामूहिक बीमा आदि देयकों के लम्बित भुगतान एवं लोक सेवकों की विधवाओं को पारिवारिक पेंशन आदि से संबंधित मामलों का निस्तारण काफी संख्या में सुनिश्चित कराया जाना।
2. मृतकाश्रितों को सेवायोजन दिलाया जाना।
3. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अंक तालिका या प्रमाण पत्र न जारी करने अथवा योग्य छात्र–छात्राओं को प्राप्त होने वाली छात्रवृत्तियों से संबंधित मामलों में राहत दिलाया जाना।
4. अर्जित भूमि के प्रकरणों में मुआवजा एवं भूमि/आवास के कब्जों के प्रकरणों को शासन, आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों से निस्तारित कराया जाना।
5. आवास विकास परिषद या विकास प्राधिकरणों में भवन/भूखण्ड आवंटन हेतु जमा धनराशियों को वापस कराया जाना।
6. विकलांग एवं निराश्रित लोगों को शासनादेशों के अनुरूप देय पेंशन में सहायता प्रदान किया जाना।
7. ठेकेदारों के निर्विवाद रुके हुए बिलों का भुगतान।

महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

वर्ष 2006 से राज्य के अन्तर्गत फैले भ्रष्टाचार पर प्राप्त परिवादों पर शीघ्र जाँच करके अनेक महत्त्वपूर्ण लोक सेवकों के विरुद्ध इस संस्था द्वारा त्वरित गति से जाँच पूर्ण करके अपने प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारियों को भेजे गए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोक आयुक्त की संस्तुतियों पर कार्यवाही करने से लोक आयुक्त संस्था में परिवादों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गयी। जहाँ पूर्व में केवल दो हजार परिवाद वर्ष भर में दाखिल होते थे, वहीं वर्ष **2017** में **3137** परिवाद दाखिल हुए। यह लोक आयुक्त संस्था की कार्य प्रणाली, सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवादों पर लिए गए त्वरित निर्णय और जनता में इस संस्था के प्रति भरे विश्वास एवं जागरूकता के परिणाम है।

वर्ष 2017 में माननीय लोक आयुक्त द्वारा 11 प्रकरणों में प्रतिवेदन, 01 प्रकरण में अन्तरिम प्रतिवेदन और 06 प्रकरणों में विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किये गये तथा माननीय उप लोक आयुक्त द्वारा 05 प्रकरणों में प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किए गए तथा 02 प्रकरणों में विशेष प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किए गए।

●

लोक सेवा प्रबन्धन

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग का गठन एवं जारी कार्य।

- लोक सेवा प्रबन्धन विभाग का गठन सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1 (अधि0) के कार्यालय ज्ञाप-दिनांक 13.01.2011 में किया गया।
- लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत जनसामान्य को समयबद्ध रूप से सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 लागू किया गया। इस विभाग में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावनानुसार सेवायें अधिसूचित किये जाने का कार्य किया जाता है।
- उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त अब तक 34 विभागों की 228 तथा समस्त विभागों की 10 सेवाएं अर्थात् कुल 238 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सेवाओं से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों का है।
- उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 में जनसामान्य से प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग में नामित किये गये पदाभिहित अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी द्वारा समयबद्ध रूप से किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के अधीन कोई जिला स्तरीय कार्यालय/निदेशालय स्थापित नहीं है। फलस्वरूप इस विभाग में कोई बजट प्राविधानित नहीं है। न ही कोई योजना संचालित होती है।

●

सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार

सामान्य प्रशासन विभाग का गठन वर्ष 1911 से पूर्व का होना पाया जाता है। विभाग द्वारा मिलिटरी एवं सिविल कार्य समन्वय डाक तार विभागों के लिये भूमि अधिग्रहण, उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद, अन्तर्राज्यीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, सिविल सैन्य सम्मेलन, सेना द्वारा युद्धाभ्यास, गोला चलाने, तोप दागने हेतु क्षेत्र अधिसूचित करना, सार्वजनिक अवकाशो की घोषणा, लोक सभा/राज्य विधान सभा तथा पंचायत चुनाव के सामान्य तथा उप निर्वाचनो में अवकाश की घोषणा, सैनिक रंगरूटों का पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन, गणमान्य व्यक्तियों के निधन पर छुट्टी/राजकीय शोक, भारतीय झंडा संहिता, रामलीला का व्यय तथा धार्मिक संस्थाओं के लिए अनुदान, वीरता पुरस्कार के अन्तर्गत जीवन रक्षा पदक, अशोक चक्र श्रृंखला के पुरस्कार, विदेशों में भेजे जाने वाले व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र के सत्यापन, डोमीसाइल/स्थायी प्रमाण-पत्र, ग्रीष्म ऋतु में न्यायालयों के समय का निर्धारण आदि के कार्य किये जाते हैं।

उपर्युक्त अंकित कार्यों में से मुख्य कार्य निम्नवत् हैं :-

- **विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन :-**

विभिन्न प्रकार के रोजगार आदि प्राप्त करने के लिए प्रदेश के बहुत से लोग विदेशों में जाते हैं, जहाँ उन्हें जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, निकाहनामा, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, पावर आफ एटार्नी एवं मृत्यु आदि के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रमाण पत्रों को जिलाधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त शासन स्तर से सत्यापित किया जाता है। इसके दृष्टिगत वर्ष 2018 के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से विदेशों को जाने वाले प्रमाण-पत्रों से सम्बन्धित 419 सन्दर्भों का निस्तारण किया गया।

- **डोमीसाइल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र :**

प्रदेश के विभिन्न जनपदों से शासन से स्थायी निवास प्रमाण पत्र/डोमीसाइल प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बारे में मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती है। डोमीसाइल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने का प्रकरण राज्य सरकार के अन्तर्गत है तथा एक निश्चित उद्देश्य, मुख्य रूप से शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश तथा रोजगार आदि पाने के लिए प्राप्त किया जाता है।

- **वीरता पुरस्कार :**

जीवन रक्षा पदक :

यह पदक प्रदेश सरकार की संस्तुति पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऐसे नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जल में डूबते हुए, आग/खानों में बचाव कार्य के दौरान मानव जीवन की रक्षा की हो। इस पुरस्कार के अंतर्गत तीन प्रकार के रक्षा पदक प्रदान किये जाते

हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :

1. सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक
2. उत्तम जीवन रक्षा पदक
3. जीवन रक्षा पदक

इस पुरस्कार हेतु भारत सरकार द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 75,000/-, उत्तम जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 45,000/- तथा जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 30,000/- की धनराशि प्रदान की जाती है। अब इसे भारत सरकार द्वारा बढ़ाकर क्रमशः 1,00,000/- व 60,000/- तथा रु. 40,000/- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पदकधारकों को अतिरिक्त धनराशि के रूप में सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 5,000/- उत्तम जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 2,000/- तथा जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 1,000/- की धनराशि दी जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्तकर्ता के पुत्र/पुत्री दोनों को ही और यदि पदक प्राप्तकर्ता स्वयं बालक या बालिका है, तो उसे स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। पुरस्कृत व्यक्ति यदि वयस्क नागरिक हो, और बेरोजगार हो तो लोक सेवा आयोग के विचार क्षेत्र के बाहर समूह 'ग' अथवा 'घ' के पद पर निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाती है। इस प्रकार यदि ऐसे व्यक्ति अन्यथा अर्ह हों तो उन्हें अन्य व्यक्तियों की तुलना में वरीयता में सेवायोजित किया जाता है।

- **अशोक चक्र शृंखला :**

इस शृंखला में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र पुरस्कार भारत सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किये जाते हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व वीरता, शौर्य का कार्य किया हो अथवा अपने जीवन को बलिदान कर दिया हो। वीरता के इस पुरस्कार में जल, थल तथा वायु सेना, प्रादेशिक सेना आदि के सभी रैंकों के अधिकारी/कर्मचारी, सशस्त्र सेनाओं का नर्सिंग स्टाफ तथा पुलिस एवं अग्नि शमन सेवाओं को छोड़कर सभी नागरिकों को पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार हेतु क्रमशः अशोक चक्र 25 लाख, कीर्ति चक्र हेतु रु. 15 लाख तथा शौर्य चक्र हेतु रु. 10 लाख तथा वार्षिकी के रूप में क्रमशः रु. 1,20,000/-, रु. 1,00,000/- तथा 50,000/- दी जाती है। इस हेतु अशोक चक्र शृंखला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु रु. 3.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है।

- **काशी (वाराणसी) की सांस्कृतिक धरोहर ''रामलीला तथा मन्दिरों एवं धार्मिक संस्थाओं'' के लिए अनुदान :**

काशी (वाराणसी) की सांस्कृतिक धरोहर 'रामलीला तथा मन्दिरों एवं धार्मिक संस्थाओं के लिए अनुदान' स्वरूप आल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट, वाराणसी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रु. 5,00,000/- का अनुदान दिया जाता है। उक्त के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु ट्रस्ट को प्रथम किस्त रु. 2.5 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

- **सेना द्वारा युद्धाभ्यास, गोला चलाने, तोप दागने हेतु क्षेत्र अधिसूचित करना :**

सेना द्वारा युद्धाभ्यास, गोला चलाने, तोप दागने हेतु अधिनियम, 1938 (अधिनियम संख्या-5 सन् 1938) के अधीन सम्बन्धित जिलाधिकारियों के माध्यम से सेना से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उक्त

अधिनियम, 1938 की धारा-9 (1), 9(3), 9(4), एवं 9(2) के अंतर्गत खुले क्षेत्रों में गोला चलाने, तोप दागने के अभ्यास हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है।

- **सिविल सैन्य सम्मेलन :**

सेना तथा सिविल प्रशासन के मध्य विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण के लिए सिविल सैन्य सम्पर्क सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं। यह सम्मेलन एक वर्ष राज्य सरकार तथा एक वर्ष सेना द्वारा आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2005 में सिविल सैन्य सम्पर्क सम्मेलन सेना द्वारा, वर्ष 2008 में सिविल सैन्य सम्पर्क सम्मेलन राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। दिनांक 29 अक्टूबर, 2012 को सेना द्वारा सिविल सैन्य सम्पर्क सम्मेलन, 2012 आयोजित किया गया।

- **अंतर्राज्यीय परिषद :**

माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में भारत के राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री गण के साथ महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद, सचिवालय द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिसके समन्वय का कार्य प्रदेश स्तर पर सामान्य विभाग द्वारा किया जाता है।

अंतर्राज्यीय परिषद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद सेल का गठन किया गया है।

- **मध्य क्षेत्रीय परिषद :**

क्षेत्रीय परिषद सचिवालय के अंतर्गत मध्य क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्य उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश हैं। इन प्रदेशों के परस्पर लम्बित प्रकरणों पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में विचार-विमर्श कर निर्णय लिये जाते हैं।

- **भारतीय झण्डा संहिता/कोड आफ आर्म्स :**

भारत का राष्ट्रीय झण्डा भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। वर्तमान में भारतीय झण्डा संहिता, 2002 लागू है, जिसके अंतर्गत इस तिरंगे को ससम्मान फहराये जाने के दिशा-निर्देश दिये गये हैं। कोट आफ आर्म्स से सम्बन्धित प्रकरण भी विभाग में व्यवहृत किये जाते हैं।

- **सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा :**

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट- 1881 (एक्ट संख्या- 26, सन् 1881) की धारा- 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, के क्रम में प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक छुट्टियों की अनुसूची, निर्बन्धित अवकाशों की सूची एवं कार्यकारी आदेशों के अंतर्गत अवकाशों को घोषित एवं राज्य सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित कराया जाता है।

वर्ष 2018 की अवकाश सूची दिनांक 10-11-2017 को निर्गत की गयी है।

प्रशासनिक सुधार

प्रशासनिक सुधार विभाग का गठन उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण यथा- कार्य प्रक्रियाओं का सरलीकरण, विलम्ब की रोक-थाम, अधिकारों के विकेन्द्रीकरण हेतु उनका प्रतिनिधायन,

कार्यालयों पर होने वाले व्यय में अधिक से अधिक मितव्ययता आदि से वित्त विभाग के अधीन 01 अप्रैल, 1923 को कार्यालय निरीक्षणालय का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य संगठन एवं विधि "Organisation & Method" के सिद्धान्तों पर उत्तर प्रदेश शासन के अधीन समस्त सरकारी कार्यालयों के कार्यों का निरीक्षण कर सुझाव दिया जाना था।

अप्रैल, 1974 में इस विभाग का पुनः संगठन किया गया और इसे प्रशासनिक सुधार विभाग का नाम दिया गया। वर्तमान में प्रशासनिक सुधार विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, जनशक्ति का मूल्यांकन, मानकों का निर्धारण आदि विषयों पर प्रशासकीय विभाग या उच्च स्तर से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर कार्य अध्ययन किया जाता है। सचिवालय, लोक सेवा आयोग, मा0 उच्च न्यायालय व लोकायुक्त कार्यालय का भी कार्य अध्ययन किया जाता है। कार्यालयों की प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से निरीक्षण व भारत सरकार द्वारा गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की समस्त रिपोर्टों पर कृत कार्यवाही आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य किया जाता है।

प्रशासनिक सुधार निदेशालय :

01 मई, 1976 में नई दिल्ली में हुए मुख्य सचिवों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि राज्यों में प्रशासनिक सुधार विभाग की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण किया जाय ताकि मुख्यालय, विभागाध्यक्षों, क्षेत्रीय एवं फील्ड स्तर के कार्यालयों की कार्य प्रणाली का गहन अध्ययन किया जा सके और प्रशासन में सुधार एव गतिशीलता लाने के उद्देश्य से अधिकारों के प्रतिनिधायन, कार्य पद्धति में सरलता लाने, प्रारूप एवं विवरणियों के अभिनवीकरण तथा सरलीकरण, रिकार्ड्स मैनेजमेंट, जनता की शिकायतों का शीघ्र निवारण तथा नई-नई कार्य प्रणालियों के लागू किये जाने आदि महत्त्वपूर्ण विषय पर कार्य किये जाने की दशा में शोध कार्य करके सुधारात्मक कदम उठाये जा सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत सचिवालय स्तर पर वर्ष 1978 में प्रशासनिक सुधार निदेशालय का गठन हुआ। प्रशासनिक सुधार निदेशालय ही मात्र राज्य सरकार की एक ऐसी अधिकृत संस्था है जो कार्यभार के आधार पर कार्यालय/विभाग की उपयोगिता/अनुपयोगिता के सम्बन्ध में परामर्श देती है। इसके अतिरिक्त सचिवालय स्तर पर विलम्ब की रोकथाम, अनुभागों की संख्या में कमी/बढ़ोत्तरी, नई-नई कार्य प्रणालियों को लागू करने हेतु भी सुझाव/परामर्श दिया जाता है।

राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

वर्तमान में यह इकाई उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासनिक सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन प्रयागराज में अवस्थित है। निरीक्षणालय के माध्यम से प्रशासन तथा प्रशासकीय प्रणाली में सुधार एवं गतिशीलता लाने, अधिकारों के प्रतिनिधायन, कार्य-पद्धति में सरलता, प्रारूप तथा विवरणियों के अभिनवीकरण तथा सरलीकरण, अभिलेख प्रबन्धन, जन सामान्य की शिकायतों का निस्तारण तथा नयी कार्य-प्रणाली, स्वच्छ, पारदर्शी, प्रभावी, संवेदनशील प्रशासन के लिए जन-सम्पर्क में आने वाले विभागों में जनता को आवश्यक सेवायें/स्वीकृतियों में आसानी से सहायता एवं सूचना उपलब्ध कराने की दिशा, शासन के शासकीय विभागों के प्रदेश/मण्डल/जनपद/तहसील/ब्लाक स्तरीय कार्यालय के माध्यम से संचालित विकास कार्यक्रमों एवं रोजगार से जुड़ी हुई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यालयों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया अनुरक्षित अभिलेख आदि का निरीक्षण करके उनमें सुझाव एवं सहायता देने की दिशा में कार्य कराया जाता है।

स्वच्छ, पारदर्शी, संवदनशील एवं प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराना, जनसमस्याओं के जनपद स्तर पर त्वरित एवं प्रभावी निराकरण कराना, चयनित विभागों में नागरिक चार्टर तैयार कराना एवं प्राथमिकता पर लागू कराना, शासन के निर्णयों को जन-आकांक्षाओं के अनुरूप सरल व स्वीकार्य बनाने के उद्देश्य से विभागों में स्थित नीति निर्धारण प्रकोष्ठ की गतिविधियों की समीक्षा, पत्रावली निस्तारण में होने वाले विलम्ब के उपायों की व्यवस्था एवं विभिन्न अधिनियमों, नियमों/विनियमों आदि की प्रासंगिकता की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समीक्षा आदि विषयक कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 22 सन् 2005) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2005 से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग नाम के निकाय का गठन किया गया जिसका कार्यालय ''आरटीआई भवन'' 7/7/ए, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित है।

आयोग के मुख्य कृत्य निम्नवत् हैं- (1) उ0प्र0 सूचना आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों पर किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जाँच करें- (क) जो, जन सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है या सहायक जनसूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन, सूचना या अपील के लिए आवेदन को जनसूचना अधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी या उत्तर प्रदेश सूचना आयोग को भेजने के लिए स्वीकार करने से इन्कार कर दिया गया है, (ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुँच के लिए इन्कार कर दिया है, (ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुँच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है, (घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गयी है, जो वह अनुचित समझता है, (ड०) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गयी है, और (च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुँच प्राप्त करने से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में। (2) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (3) के अन्तर्गत उ0प्र0 सूचना आयोग द्वितीय अपील सुनने के लिए प्रदेश स्तर की सर्वोच्च संस्था है यदि किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदन का निस्तारण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नहीं किया गया है या वह व्यक्ति आवेदन के निस्तारण में किए गए विलम्ब या दिए गए निर्णय से क्षुब्ध है तो वह 30 दिन के भीतर उसी लोक प्राधिकरण के प्राधिकृत प्रथम अपीलीय अधिकारी को अधिनियम की धारा 19 (1) के अन्तर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकता है, यदि अपीलार्थी की समस्या का समाधान हो जाता है तो उसे आयोग के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं है।

किन्तु यदि अपीलार्थी प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है या उसकी अपील किन्हीं कारणों से निरस्त कर दी गयी है या उसे अपील के सम्बन्ध में कोई भी विनिश्चय निर्धारित अवधि सीमा में प्राप्त नहीं हुआ है तो वह द्वितीय अपील उ0प्र0 सूचना आयोग को उस तारीख से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा, जिस तारीख को विनिश्चय प्राप्त हो या होना चाहिए।

उ0प्र0 सूचना आयोग का संगठनात्मक ढाँचा :

मुख्य सूचना आयुक्त
↓
राज्य सूचना आयुक्त
↓
सचिव
↓
विधि अधिकारी
↓
संयुक्त रजिस्ट्रार
↓
उप रजिस्ट्रार
↓
उपसचिव
↓
वित्त एवं लेखाधिकारी
↓
शोध अधिकारी
↓
अधीनस्थ स्टाफ

प्रशासनिक सुधार विभाग एक परामर्शी विभाग है। विभाग में कोई भी योजना/कार्यक्रम संचालित नहीं होते हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए वर्ष 2018-19 में रु. 1968.50 (धनराशि लाख रु. में) का बजट प्रावधान है।

●

उत्तर प्रदेश होमगाड्‌र्स

उत्तर प्रदेश होमगाड्‌र्स संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1962 में चीन द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण की पृष्ठभूमि में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप हुई है। उत्तर प्रदेश होमगाड्‌र्स संगठन के लिये भारत सरकार द्वारा वर्तमान में, 1,18,348 (एक लाख अठारह हजार तीन सौ अड़तालिस) होमगाड्‌र्स स्वयं सेवकों की संख्या स्वीकृत है। इसी संख्या के अंतर्गत प्रदेश में 785 ग्रामीण, 366 नगरीय (25 महिला सहित) कम्पनियाँ तथा स्वतंत्र महिला प्लाटूनों की संरचना की गयी है।

होमगाड्‌र्स विभाग के गठन के बाद से अब तक होमगाड्‌र्स विभाग द्वारा 56 वर्षों के अपने कार्यकाल में कई क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किये गये हैं तथा वर्तमान में यह बल पुलिस और प्रशासन का अपरिहार्य अंग बन चुका है। पुलिस बल के सम्पूरक बल के रूप में शांति व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों के अतिरिक्त निर्वाचन ड्यूटियां, परीक्षा ड्यूटियां, जेल सुरक्षा ड्यूटियों तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग तथा महत्त्वपूर्ण संस्थानों/स्मारकों आदि की सुरक्षा के कार्य में भी होमगाड्‌र्स संगठन के जवानों को निरन्तर प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

वर्ष 1962 में होमगाड्‌र्स बल की स्थापना के समय प्रदेश भर में होमगाड्‌र्स जवानों की ड्यूटी पर लगाये जाने का अवसर लगभग 2000 की संख्या प्रतिदिन थी। अब वर्तमान समय में प्रदेश में लगभग 85000 हजार होमगार्ड्स प्रतिदिन विभिन्न ड्यूटियों हेतु प्रतिस्थापित हो रहे हैं। शासकीय कार्यों को द्रुतिगति से सम्पादित किये जाने के दृष्टिगत आधुनिकीकरण योजना के तहत् कम्प्यूटरों एवं अन्य उपयोगी उपकरणों का क्रय किया गया है। इसके साथ ही होमगाड्‌र्स जवानों को अत्याधुनिक अस्त्र, शस्त्रों, उपकरणों से सुसज्जित/प्रशिक्षित कराया गया है।

विभाग की उपलब्धियाँ

- **स्वच्छ गंगा एवं अन्य नदियों हेतु जन-जागरण अभियान**

  ''नमामि गंगे जागृति यात्रा'' का आयोजन दिनांक : 09 अगस्त से 06 सितम्बर, 2017 तक किया गया। मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री आवास से इस यात्रा का शुभारम्भ किया गया। इस यात्रा द्वारा पूरे प्रदेश में बिजनौर से बलिया तक जन-जागरण अभियान का कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने की कार्यवाही की गई। इसमें 25 जिलों में 27 जन-जागरण गोष्ठियों का आयोजन किया गया।

- **वृक्षारोपण अभियान**

  पूरे प्रदेश में लक्ष वृक्ष अभियान के अन्तर्गत शासन की अपेक्षानुरूप होमगाड्‌र्स जवानों के माध्यम

से लगभग एक लाख से अधिक वृक्ष लगाने की कार्यवाही सम्पादित करायी गयी।

- **बाढ़ आपदा में बचाव व राहत कार्य में सहायता**

पूरे प्रदेश में बाढ़ आपदा में बचाव व राहत कार्य में सहायता हेतु 1100 होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित कराया गया, जिसमें से 688 होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को बाढ़ प्रभावित जनपदों में पुलिस विभाग के साथ बचाव व राहत कार्य में लगाया गया।

- **यातायात व्यवस्था में सहायता**

यातायात व्यवस्था हेतु पूरे प्रदेश में लगभग 3773 होमगार्ड्स स्वयं सेवकों द्वारा यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता हेतु लगाया गया है। दुर्घटना आदि के मामलों में स्थिति से निपटने के लिए होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को एन.डी.आर.एफ. फायर एवं मेडिकल के विशिष्ठ प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिलाया गया।

- **होमगार्ड्स वैतनिक एवं अवैतनिक अधिकारियों/स्वयं सेवकों का सम्मान**

कर्मयोगी अभियान के अन्तर्गत सराहनीय एवं अच्छे कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित करने की कार्यवाहियां की गयी, जिसके अन्तर्गत सेवा रिकार्ड के आधार पर उत्कृष्ठ 26 अधिकारियों व कर्मचारियों को मा. राज्य मंत्री होमगार्ड्स द्वारा दिनांक 27.10.2017 को सम्मान चिह्न दिया गया। इसी प्रकार ईमानदार एवं अच्छी छवि वाले चुने गये 88 अवैतनिक एवं वैतनिक कर्मियों को मा. राज्य मंत्री होमगार्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया। अच्छे टर्नआउट एवं अच्छी वर्दी धारण करने वाले 59 होमगार्ड्स को दिनांक 22.09.2017 को निर्धारित कमेटी द्वारा प्रतियोगिता के माध्यम से मेरिट के आधार पर बेस्ट होमगार्ड्स का चयन करते हुए सम्मानित व पुरस्कृत करने की कार्यवाही की गयी। नमामि गंगे जागृति यात्रा को सफल बनाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का सम्मान चिह्न से मा. राज्य मंत्री होमगार्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया।

- **अखिल भारतीय कान्फ्रेन्स का आयोजन**

होमगार्ड्स मुख्यालय, उ.प्र. लखनऊ पर दिनांक 15.03.2018 को महानिदेशक, होमगार्ड्स की अखिल भारतीय कान्फ्रेंस का आयोजन कराया गया। उक्त कान्फ्रेन्स में देश के विभिन्न प्रदेशों के महानिदेशक, होमगार्ड्स अथवा उनके प्रतिनिधि के रूप में संबन्धित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों अधिकारीगणों ने प्रतिभाग किया। इस अखिल भारतीय कान्फ्रेन्स में विभाग के कार्यकलापों के विषय में विस्तार से चर्चा एवं उनमें सुधार लाने के संबंध में सुझावों का आदान-प्रदान किया गया।

●

सचिवालय प्रशासन

प्रदेश के राज्य मुख्यालय पर अवस्थित विभिन्न विभागों के कार्यों के सम्पादन में प्रशासनिक अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने हेतु मुख्यतः सचिवालय सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग सचिवालय सेवा संवर्ग का प्रशासनिक विभाग हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग न केवल मुख्यालय पर विभिन्न विभागों में सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती व्यवस्था ही देखता है बल्कि सचिवालय परिसर की स्वच्छता, सफाई, आंतरिक सुरक्षा आदि का महत्त्वपूर्ण कार्य भी सम्पादित करता है। आधुनिक परिदृश्य में सुरक्षा व्यवस्था की जटिलताओं के दृष्टिगत सी0सी0टी0वी0, स्मार्ट कार्ड एक्सेस सिस्टम द्वारा अनधिकृत आगन्तुकों की पहचान एवं विभिन्न भवनों में अग्निशमन की प्रभावी व्यवस्था भी सचिवालय प्रशासन विभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य है।

वर्ष 2017-18 में सम्पादित महत्त्वपूर्ण कार्य

- सचिवालय सेवा समूह- 'क' के अधिकारियों में विशेष सचिव के 10, संयुक्त सचिव के 18, उप सचिव के 24 तथा अनुसचिव के 24 पदों का प्रोन्नत आदेश निर्गत किया गया।
- सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के पदों पर 55 समीक्षा अधिकारियों को प्रोन्नत आदेश निर्गत किया गया।
- सचिवालय लेखा संवर्ग में संयुक्त सचिव (लेखा) के 02 पदों, उपसचिव (लेखा) के 03 पदों एवं अनु सचिव (लेखा) के 01 पद पर प्रोन्नत आदेश निर्गत किया गया।
- उ0प्र0 सचिवालय के भाषा संवर्ग में अनुसचिव (भाषा) के 01 पद, अनुभाग अधिकारी (हिन्दी) के 01 पद एवं अनुभाग अधिकारी (उर्दू) के 01 पद पर प्रोन्नत आदेश निर्गत किया गया।
- सचिवालय सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवानैवृत्तिक देयकों जी0पी0एफ0, जी0आई0एस0 व अवकाश नकदीकरण का भुगतान समयान्तर्गत कराया गया।
- सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारियों के ए0सी0पी0 व कनिष्ठ के समान वरिष्ठ का वेतन किए जाने का आदेश निर्गत किया गया।
- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1 (अधि0) के आदेश दिनांक 02.11.2017 द्वारा उ0प्र0 सचिवालय के अधिकारियों को फील्ड एक्सपीरिएन्स दिए जाने हेतु जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था निर्धारित की गई है। तत्क्रम में सचिवालय के 39 अधिकारियों द्वारा फील्ड प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है तथा आदेश दिनांक 20.03.2018 द्वारा 32 अधिकारी अद्यतन प्रशिक्षणरत हैं।
- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1 (अधि0) के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.04.2018 द्वारा सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण विषयक नवीन चक्रीय स्थानान्तरण नीति प्रख्यापित की गई है।

- उत्तर प्रदेश सचिवालय के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत प्रधान निजी सचिव, निजी सचिव श्रेणी–4, निजी सचिव–3, निजी सचिव -2 व निजी सचिव –1 के पदों पर कुल 128 कार्मिकों का चयन सम्पादित किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में अपर निजी सचिव चयन परीक्षा-2010 के परिणामों की संस्तुतियां लोक सेवा आयोग से 250 पदों के सापेक्ष प्राप्त होने के उपरांत उन पर त्वरित गति से कार्यवाही कराते हुए पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा प्राप्त के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करते हुए अभी तक 203 चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराया गया है। शेष के सम्बन्ध में त्वरित गति से कार्यवाही प्रचलित है। इसके अतिरिक्त चयन वर्ष 2017-18 में समूह क एवं ख की डी0पी0सी0 कराते हुए कुल 67 कार्मिकों के पदोन्नति की कार्यवाही रिक्ति प्राप्त होने के उपरांत की जा रही है।
- समीक्षा अधिकारी की सीधी भर्ती के पदों पर चयन कराए जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10.04.2017 द्वारा 190 पदों एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20.12.2017 द्वारा 66 पदों पर लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया।
- सहायक समीक्षा अधिकारी की सीधी भर्ती के पदों पर चयन कराए जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10.04.2017 द्वारा 158 पदों एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14.03.2018 द्वारा 169 पदों पर लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया।
- समीक्षा अधिकारी लेखा की सीधी भर्ती के पदों पर चयन कराए जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14.03.2018 द्वारा 28 पदों पर लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया।
- लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2014 द्वारा चयनित/संस्तुत 218 समीक्षा अधिकारियों में से 180 समीक्षा अधिकारियों एवं आयोग द्वारा संस्तुत 21 सहायक समीक्षा अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान करते हुए विभिन्न विभागों में तैनात कर दिया गया।
- लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वर्ष 2010 एवं वर्ष 2013 के 251 समीक्षा अधिकारियों को समीक्षा अधिकारी के पद पर स्थायी किया गया।
- चयन वर्ष 2016-17 के पदोन्नति कोटे में रिक्त सहायक समीक्षा अधिकारी के 46 पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न की गई।
- चयन वर्ष 2017-18 में रिक्त/घटित होने वाली कुल 111 रिक्तियों पर पदोन्नति द्वारा चयन किए जाने हेतु लोक सेवा आयोग को पत्र दिनांक 19.09.2017 द्वारा प्रस्ताव/अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया।
- चयन वर्ष 2017-18 में पदोन्नति कोटे में सहायक समीक्षा अधिकारी का कोई पद रिक्त नहीं है। किन्तु सहायक समीक्षा अधिकारी से समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हुए उक्त प्रेषित किए गए अधियाचन/प्रस्ताव के क्रम में उत्पन्न होने वाली सम्भावित 111 रिक्तियों के दृष्टिगत सहायक समीक्षा अधिकारी के 111 पदों पर चयन कराए जाने हेतु लोक सेवा आयोग को पत्र दिनांक 19.09.2017 द्वारा अधियाचन/प्रस्ताव प्रेषित किया गया।
- रिट याचिका संख्या-5828/2015 डॉ0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा अवमानना याचिका संख्या-786 (सी) डॉ0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम मुख्य सचिव, उ0प्र0

शासन में पारित निर्णय के अनुपालन में सहायक समीक्षा अधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 08.05.2018 को प्रख्यापित की गईं।

- सचिवालय के विभिन्न परिसरों में संदिग्ध गतिविधियों व व्यक्तियों पर दृष्टि रखने हेतु विभिन्न स्थानों पर पूर्व से 109 सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित हैं, जिनका संचालन इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (ई0सी0आई0एस0) द्वारा किया जा रहा है। सचिवालय परिसर के बाहर संदिग्ध गतिविधियों व व्यक्तियों पर दृष्टि रखने हेतु 33 स्थानों पर 114 सी0सी0टी0वी0 कैमरे और स्थापित किये गये।
- सचिवालय के विभिन्न परिसरों में वाहनों के प्रवेश नियंत्रित करने हेतु पूर्व से स्थापित ''**BOOM BARRIER SYSTEM**'' के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।
- उ0प्र0 सचिवालय में दिनांक 27.10.2017 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा ई-आफिस व्यवस्था शुभारम्भ किए जाने के फलस्वरूप उक्त तिथि से ही मुख्यमंत्री कार्यालय तथा मुख्य सचिव कार्यालय सहित 22 विभागों में ई-आफिस की व्यवस्था लागू हो चुकी है। शेष विभागों में ई-आफिस की व्यवस्था लागू किए जाने की कार्यवाही प्राथमिकता पर प्रचलित है। ई-आफिस व्यवस्था लागू होने से सरकारी कार्यालयों में पेपरलेस वातावरण का सृजन होगा। वर्तमान में विद्यमान मैनुअल व पेपरयुक्त प्रक्रिया को इलेक्ट्रानिक्स माध्यम से कार्य प्रवाह में परिवर्तित किया जा सकेगा।
- उ0प्र0 सचिवालय के सभी विभागों में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा बायोमैट्रिक्स एवं आधार पर आधारित उपस्थिति प्रणाली की व्यवस्था लागू की जा रही है। इस उपस्थिति प्रणाली से समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों की उनके कार्यालय में समय से उपस्थिति अनिवार्य हो जाएगी।
- अनुदान संख्या- 78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत उ0प्र0 के मा0 मंत्रिगण तथा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन/भत्तों एवं अन्य आकस्मिक देयों यथा- विद्युत, टेलीफोन आदि का भुगतान कराए जाने हेतु बजट व्यवस्था कराई जाती है।

●

नियुक्ति एवं कार्मिक

कार्मिक विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा सम्पादित महत्त्वपूर्ण कार्यों का विवरण-

- उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 के सम्बन्ध में अधिसूचना/शासनादेश संख्या-4/2017/1/2017–का–2 दिनांक 31.08.2017.
- उत्तर प्रदेश सहायक अभियन्ता सम्मिलित प्रतियोगितात्मक परीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 के सम्बन्ध में अधिसूचना/शासनादेश संख्या-1/2018/1/2013–का–2/2018 दिनांक 05.04.2018.
- उत्तर प्रदेश सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति सत्र 2017-18 के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1/3/96–का–4-2017 दिनांक 3.05.2017.
- विभिन्न सेवा संघों की मांगों पर विचार-विमर्श हेतु समिति का गठन शासनादेश संख्या-ई.एम./2009-का-4-2017 दिनांक 27-07-2017.
- लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को समय से अधियाचन प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त अपर मुख्य सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन तथा समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित शासनादेश संख्या-15/5/2017- का–4/2017 दिनांक 29-11-2017.
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं/चयनों में आबद्ध किये जाने वाले पर्यवेक्षकों/पेपर सेटर्स/विशेषज्ञों आदि की पारिश्रमिक दरों को पुनरीक्षित किये जाने के आदेश के सम्बंध में शासनादेश संख्या-15/44/74- का–4-2017 दिनांक 28-12-2017.
- उत्तर प्रदेश सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण सत्र 2018-19 से 2021-22 के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति के सम्बंध में शासनादेश संख्या-1/3/96–का–4-2018 दिनांक 29.03.2018.
- उत्तर प्रदेश सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण सत्र 2018-19 से 2021-22 के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति के सम्बंध में शासनादेश संख्या-1/3/96–का–4-2018 दिनांक 03.04.2018.
- कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ-हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1/5/2017–का प्रसको-2018 दिनांक 07.04.2018.
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-15/9/2017–का-4-2018 दिनांक 25.04.2018.
- उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा की परिवर्तित परीक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम तथा साक्षात्कार में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-15/38/97–का-4-2018 दिनांक 25.04.2018.

●

अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ

विभागीय कार्यक्रमों, योजनाओं आदि की अद्यतन प्रगति

- आगामी पन्द्रवें ''प्रवासी भारतीय दिवस-2019 (15th PBD Convention)'' का आयोजन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक नगरी-वाराणसी में दिनांक 21, 22 एवं 23 जनवरी, 2019 को किया जा रहा है, इस आयोजन में मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन एवं महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा समापन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त दिनांक 23 जनवरी, 2019 सायंकाल अथवा 24 जनवरी, 2019 प्रातःकाल को विशेष ट्रेन से प्रवासी भारतीयों को प्रयागराज लाकर कुम्भ मेला क्षेत्र का भ्रमण कराया जायेगा। इस आयोजन के प्रथम दिवस 21 जनवरी, 2019 को ''यूथ प्रवासी भारतीय दिवस'' पूर्वाह्न 9:30 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा। उत्तर प्रदेश राज्य का पृथक से सेशन पूर्वाह्न 11:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक किया जायेगा। अप्रवासी भारतीयों के देश के विकास में उनके योगदान के सम्मान में प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने वाले ''उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस'' का आयोजन इस सेशन में किया जायेगा। इस आयोजन में ''यू0पी0 पैवेलियन'' भी रखी गयी है, जिसमें प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने विषयवस्तु से सम्बंधित प्रदर्शनी प्रदर्शित की जाएगी।
- प्रवासी भारतीय दिवस का वृहद आयोजन ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर (TFC) एवं क्राफ्ट म्यूजियम, वाराणसी और मिनी स्टेडियम में किया जायेगा। इसमें करीब 2000 युवा प्रवासी भारतीयों सहित विभिन्न देशों के 6000 प्रवासी भारतीयों के प्रतिभाग करने की योजना है। समारोह में अमेरिका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यू0के0, थाईलैंड, मलेशिया, मारीशस सहित कई अन्य देशों के लोग प्रतिभाग करेंगे। प्रश्नगत आयोजन के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए न्यूयार्क, शिकागो और सैन फ्रांसिसको आदि में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के साथ विभिन्न रोड-शो किये जाने की भी योजना है।
- प्रदेश के कामगारों को विदेश में रोज़गार दिलाने हेतु चयन प्रक्रिया का ऑनलाइन संचालन www.upfcomra.com पर रिक्रूटिंग एजेंसी (UPFC Overseas Manpower Recruiting Agency) की ब्रांच आफिस, गाजियाबाद तथा मेरठ द्वारा किया जा रहा है। रिक्रूटिंग एजेंसी की शाखा गोरखपुर, लखनऊ में खोले जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार से अनापत्ति/लाइसेंस प्राप्त हो गया है शीघ्र ही इन केन्द्रों से कार्य संचालन प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य है।
- विश्व के विभिन्न देशों में निवास कर रहे उत्तर प्रदेश के मूल के अप्रवासी भारतीयों के हितों के

पर्यवेक्षण तथा उनके सम्बंधित शिकायत प्रकरणों के समाधान में प्रक्रियागत विलंब को समाप्त करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा एक नवीन वेबसाइट upnrigrs.in बनायी गयी है, जो अप्रवासी भारतीयों के लिए 24x7 उपलब्ध रहेगी। इन नवनिर्मित वेबसाइट- upnrigrs.in का कार्य संचालन उद्योग बंधु के "यू0पी0 एन0आर0आई0 शिकायत निवारण केंद्र (UP NRI GRIEVANCE REDRESSAL CENTRE) से किया जा रहा है। विभाग की नवनिर्मित वेबसाइट में अप्रवासी भारतीयों की ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण एवं उनके समयबद्ध अनुश्रवण की व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर अर्थात - जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक (सी0ओ0) तथा सम्बंधित विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी0ई0ओ)/ उपाध्यक्ष (यथा स्थिति) के स्तर पर सुनिश्चित की गयी है। साथ ही, भारत सरकार के मदद (MADAD) पोर्टल पर भी हाइपरलिंक सुविधा दी गयी है, जिससे अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं का अधिकाधिक निवारण हो सके।

- उत्तर प्रदेश मूल के एन0आर0आई0/डायस्पोरा को विशिष्ट पहचान दिए जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा एन0आर0आई0 कार्ड निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया जिसके क्रम में एन0आर0आई0 विभाग की वेबसाइट www.upnri.com पर लिंक देकर ऑनलाइन एन0आर0आई0 कार्ड निर्गत किये जाने की व्यवस्था संचालित की गयी है। इस कार्ड के माध्यम से वे शासकीय उच्चाधिकारियों से सुगमता से भेंट कर सकेंगे तथा भविष्य में प्रदान किये जाने वाले तृतीय पक्ष के लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। एन0आर0आई0 कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष अब तक 305 एन0आर0आई0 कार्ड जारी किये जा चुके हैं।
- एन0आर0आई0 अनुभाग के विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के सुचारू संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 03.00 करोड़ की धनराशि की बजट व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा अनुदान संख्या-007 के राजस्व मद में "लेखा शीर्षक 2885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः) 60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-एन0आर0आई0 सेल का गठन-42 अन्य व्यय" के अन्तर्गत की गयी है। प्रवासी भारतीय दिवस- 2019/ कुम्भ मेला क्षेत्र भ्रमण के बृहद आयोजन हेतु सम्बंधित विभागों से आगणन का प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है, परीक्षणोपरान्त समेकित बजट का प्रावधान अनुपूरक मांग के माध्यम से किये जाने का कार्य प्रक्रियारत है। इस सम्बंध में सम्बंधित विभागों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

●

विधायी

संक्षिप्त इतिहास

दिनांक 27.10.2006 से पूर्व विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग राज्य के न्याय विभाग का एक अंग था। विधायी विभाग राज्य का एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विभाग होता है, जिसका कार्य प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप विधायिका द्वारा बनाये जाने वाले नये कानूनों का आलेखन तथा विधीक्षण एवं पुराने कानूनों की समय-समय पर समीक्षा करना होता है। विभाग के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2006 में केन्द्र सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक राज्य में विधायी विभाग एक अलग विभाग हो, जिसमें विशेषज्ञ विधि-प्रारूपकार भी हों। भारत संघ की सुशासन से सम्बंधित ड्राफ्ट एक्शन प्लान में विधायी विभाग के उपरोक्त बिन्दु को सम्मिलित किया गया और सभी राज्य सरकारों को विधायी विभाग को पृथक करने के निर्देश के साथ-साथ इसमें विशेषज्ञ की नियुक्ति की अपेक्षा की गई।

भारत संघ की उपरोक्त अपेक्षानुसार राज्य का विधायी विभाग दिनांक 27.10.2006 को न्याय विभाग से पृथक किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित दो विधीक्षण अधिकारियों की नियुक्ति विधायी विभाग में दिनांक 17 मई, 2017 को हुई है जिनके द्वारा सचिवालय के विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित अध्यादेशों/विधेयकों के प्रख्यापन एवं अधिनियमन तथा नियमों, विनियमों एवं अधिसूचनाओं के अंग्रेजी आलेखों के विधीक्षण का कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित कराया जा रहा है।

विभाग का संगठन

विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ के बहुखण्डी भवन में स्थित है, जिसके विभागाध्यक्ष प्रमुख सचिव हैं जो उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य हैं। विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त दो विशेष सचिव भी तैनात हैं जो उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य एवं अपर जनपद न्यायाधीश स्तर के अधिकारी हैं। एक अनु सचिव कार्यरत हैं। जो सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं।

विधायी विभाग के क्रिया–कलाप

विधायी विभाग 'विकास विभाग' नहीं है। यहां पर जनसामान्य के विकास से सम्बन्धित कोई भी योजना/परियोजना संचालित नहीं होती है, इसके अधीनस्थ कोई विभागाध्यक्ष/निदेशालय भी नहीं है। यहाँ पर शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित अध्यादेशों/विधेयकों के अंग्रेजी आलेखों का विधीक्षण, प्रख्यापन एवं अधिनियमन तथा नियमों, विनियमों एवं अधिसूचनाओं के अंग्रेजी आलेखों को विधीक्षित किये जाने का कार्य किया जाता है। विधायी विभाग में बजट से सम्बन्धित कार्य भी सम्पादित नहीं होता है। विधायी विभाग द्वारा वर्ष 2017 में केन्द्रीय विधि आयोग तथा केन्द्र सरकार द्वारा गठित रामानुजम समिति की संस्तुति पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान तथा स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन के दौरान अधिसूचित और अप्रचलित और अनुपयोगी हो चुके 15 अधिनियमों को उनसे सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग से सहमति प्राप्त करने के पश्चात उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2018) तथा राज्य सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के विनियोग से सम्बन्धित 264 अधिनियमों को निरसित किये जाने के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति पर सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग से 252 अधिनियमों को निरसित किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्राप्त किये जाने के पश्चात उक्त 252 अधिनियमों को उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2018) के माध्यम से निरसित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त विधायी विभाग में यू0पी0 कोड का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

●

संस्कृति

संस्कृति निदेशालय

संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश से संबंधित कार्यों का सम्पादन विभागाध्यक्ष के स्तर पर संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जाता है। निदेशालय विभाग के अधीनस्थ शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं की देखरेख करता है और निर्देश देता है।

प्रदेश के विभिन्न अंचलों में समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिनमें देश के प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ-साथ युवा नवोदित कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है।

निदेशालय द्वारा महापुरुषों की मूर्तियों का निर्माण, क्षेत्रीय सांस्कृतिक कलाओं के कलारूपों के अभिलेखीकरण के साथ-साथ छोटे एवं नवोदित कलाकारों को सांस्कृतिक मंच प्रदान करने एवं स्थापित करने का प्रयास भी किया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक महोत्सवों में जिला स्तर एवं अन्य स्वायत्तशासी संगठनों के सहयोग से सांस्कृतिक आयोजन किये जाते हैं।

प्रदेश की लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचाना, मंच प्रदान करना एवं इनसे संबंधित सर्वेक्षण/दस्तावेजीकरण आदि का महत्त्वपूर्ण कार्य भी निदेशालय द्वारा किया जाता है।

उ.प्र. राजकीय अभिलेखागार का संक्षिप्त परिचय एवं उद्देश्य

उ.प्र. राजकीय अभिलेखागार की स्थापना सन् 1949 में इलाहाबाद में सेन्ट्रल रिकार्ड आफिस के रूप में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, मण्डलीय एवं जिला स्तर के कार्यालयों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं में उपलब्ध ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण अभिलेखों का स्थानान्तरण तथा स्थानान्तरित अभिलेखों का वर्गीकरण, पैकिंग एवं लेबलिंग तथा समुचित वैज्ञानिक संरक्षण करके सुव्यवस्थित ढंग से कार्टन बाक्स में रखना, शोध-छात्रों को सुविधा देना, शासन को आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराना, अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग एवं फोटोकापी से सम्बन्धित सुविधाएं और व्यक्तिगत अधिकारों से दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं प्रपत्रों को प्राप्त करना है।

इस अभिलेखागार के अन्तर्गत तीन क्षेत्रीय अभिलेखागार- क्रमशः इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा में स्थित हैं तथा एक पाण्डुलिपि पुस्तकालय भी इलाहाबाद में है।

वर्ष 2018-19 में कराये जाने वाले कार्यों का विवरण

अभिलेख कक्ष निरीक्षण

उ.प्र. अभिलेख नीति सन् 1990 के अनुपालन में विभिन्न जिलाधिकारी कार्यालयों के अभिलेख कक्षों एवं अन्य शासकीय कार्यालयों के अभिलेख कक्षों का निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

अभिलेख स्थानान्तरण

प्रशासनिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण विभिन्न शासकीय कार्यालयों के अभिलेख कक्षों से स्थायी संरक्षण के निमित्त अभिलेख स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।

अभिलेख प्रदर्शनी

वर्ष 2018-19 में अभिलेखीय जनजागरूकता उत्पन्न करने के लिए सन् 1857 की विरांगनाएं, प्रथम विश्व युद्ध विषयक, काकोरी के शहीद एवं अभिलेखों में कुम्भ मेला आदि विषयों पर अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन प्रस्तावित है।

अभिलेख अभिरुचि कार्यक्रम

वर्ष 2018-19 में लखनऊ जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं में प्रदेश की समृद्ध अभिलेखीय धरोहर के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए अभिलेखागार के भ्रमण एवं प्रश्नोत्तर कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है।

सेमिनार/संगोष्ठी

अभिलेखों के महत्त्व एवं उनके सम्यक् संरक्षण विषय पर सेमिनार एवं संगोष्ठी का आयोजन प्रस्तावित है।

अभिलेख संरक्षण

व्यक्तिगत अधिकार में संरक्षित ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण एवं दुर्लभ अभिलेख/पाण्डुलिपियों का सर्वेक्षण कर उनका सूचीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

मौखिक इतिहास योजना

प्रदेश के जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का संस्मरण टेप कर संरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

डिजिटाइजेशन

कार्यालय में संरक्षित विभिन्न विभागों के अभिलेखों का डिजिटाइजेशन प्रस्तावित है।

पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति योजना एवं क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली द्वारा पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति योजना क्रियान्वयन हेतु अनुदान समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार मात्र प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति 04 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 05 अवर लिपिक तथा 10 परिचर के पद शेष रह गये हैं। जिसमें वर्तमान समय में मात्र 01 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, फैजाबाद, 02 अवर लिपिक तथा 04 परिचर कार्यरत हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के संचालन हेतु 08 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित हैं।

भातखण्डे संगीत संस्थान, समविश्वविद्यालय, लखनऊ

शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में अपनी शिक्षण पद्धति एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए सुविख्यात इस महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1926 में मैरिस कालेज के नाम से हुई। बाद में इसका नाम बदलकर भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26 मार्च, 1966 को इसे अपने नियंत्रण में लिया गया और विश्वविद्यालय घोषित होने तक एक शासकीय संस्था के रूप में गतिशील रहा।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 को अपनी अधिसूचना में इसे समविश्वविद्यालय घोषित कर देश में इस संस्थान को संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान किया गया है।

राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश

राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश की स्थापना 08 फरवरी, 1962 को उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्तशासी इकाई के रूप में हुई थी। अकादमी छत्तरमंजिल और पुराना हाईकोर्ट, कैसरबाग के मध्य ललित कला अकादमी मार्ग पर लाल बारादरी भवन में स्थित है। यह भवन एक पुरातात्विक इमारत है। जिसका निर्माण सन् 1778-1814 के बीच हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात् सर्वप्रथम इस भवन में राज्य संग्रहालय स्थापित हुआ। राज्य संग्रहालय का अपने भवन में स्थानान्तरण होने के पश्चात् वर्ष 1962 में इस भवन में राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई।

अकादमी द्वारा वार्षिक/अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी, अखिल भारतीय छायाचित्र कला प्रदर्शनी, विनिमय कला प्रदर्शनी, आमंत्रित कला प्रदर्शनी, कला शिविरों तथा डॉ. राधा कमल मुखर्जी व्याख्यान माला के अन्तर्गत देश के प्रमुख कला विद्वानों को आमंत्रित कर व्याख्यान का आयोजन एवं अन्य दृश्य कला से सम्बन्धित गतिविधियाँ यथा- सामान्य कला प्रदर्शनियाँ, व्याख्यान प्रदर्शन, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियाँ, एवं क्षेत्रीय कला प्रदर्शनियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन अपने सीमित संसाधनों से किया जा रहा है। अकादमी द्वारा षटमासिक कार्यशाला का भी आयोजन रचनात्मक कला केन्द्र के माध्यम से किया जा रहा है।

उ.प्र. संगीत नाटक अकादमी, गोमती नगर, लखनऊ

अकादमी की स्थापना 13 नवम्बर, 1963 को हुई थी। पिछले 54 वर्षों से अकादमी संगीत, नृत्य, नाटक, लोकसंगीत, लोकनाट्य की परम्पराओं के प्रचार-प्रसार, संवर्द्धन एवं परिरक्षण का महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश एक विशाल सांस्कृतिक क्षेत्र है, जिसकी विविध समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं के परिरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना है। अकादमी के अत्यधिक सीमित संसाधन हैं, जबकि इतने वृहत् प्रदेश के लिए अधिक आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है, जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों को और अधिक गतिशील व क्रियाशील बनाया जा सके।

प्रदेश में संगीत, नृत्य, नाटक, लोक विधाओं सम्बन्धी परम्पराओं के विषय में अधिक जागरूकता एवं जानकारी, नवोदित प्रतिभाशाली युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, नवीन प्रतिभाओं का विकास एवं उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यकलापों का विकेन्द्रीकरण, प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कार्यरत् स्वैच्छिक संस्थानों से सम्पर्क एवं उनके कार्यकलापों में सहायता, लुप्त हो रही विधाओं के परिरक्षण एवं प्रदर्शन की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराना, साथ ही सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण के आधार पर कार्यक्रमों को तैयार कर उन्हें जनता के समक्ष लाना, अकादमी की गतिविधियों में शामिल है।

अकादमी द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत है :

1. अकादमी सम्मान

प्रदेश में संगीत, नृत्य एवं नाटक के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु विद्वान एवं समर्पित कलाकारों को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 1970 से सम्मानित करने की योजना है।

2. प्रदेश के नवोदित, बाल, किशोर एवं युवा कलाकारों को प्रोत्साहन

अकादमी द्वारा विगत 43 वर्षों से प्रतिवर्ष शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता का आयोजन दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है प्रथम चरण में सम्भागीय स्तर पर तथा दूसरे चरण में इन सम्भागीय स्तर प्रथम स्थान प्राप्त कलाकारों को प्रादेशिक प्रतियोगिता में आमंत्रिक किया जाता है।

3. प्रकाशन

अकादमी द्वारा संगीत, नृत्य एवं नाट्य पर आधारित त्रैमासिक पत्रिका 'छायानट' का प्रकाशन किया जाता है। अब तक छायानट के 150 अंक प्रकाशित हो चुके हैं।

(क) अभिलेखागार

अकादमी अभिलेखागार के अन्तर्गत इस वर्ष अकादमी द्वारा आयोजित समस्त संगीत, नृत्य एवं नाट्य-कार्यक्रमों की आडियो-वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफ संग्रहित किये गये हैं अब तक अकादमी द्वारा आडियो कैसेट 2005, वीडियो कैसेट 1097 एवं स्पूल टेप्स 1006 तथा कुल 4987 घंटे की रिकॉर्डिंग संग्रहित है।

(ख) सर्वेक्षण

अकादमी की एक महत्त्वपूर्ण योजना सर्वेक्षण, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की लुप्त प्रायः विधाओं यथा- शास्त्रीय, उपशास्त्रीय एवं लोक संगीत विधाओं का सर्वेक्षण किया जाता है।

(ग) स्टूडियो रिकार्डिंग

अकादमी की एक महत्त्वपूर्ण योजना स्टूडियो रिकार्डिंग भी है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की लुप्त प्रायः विधाओं यथा- शास्त्रीय, उपशास्त्रीय लोक गीत, संगीत विधाओं के कलाकारों की स्टूडियो रिकार्डिंग शोधार्थियों एवं भविष्य के सन्दर्भ हेतु की जाती है।

5. पुस्तकालय

अकादमी पुस्तकालय संकलन की दृष्टि एवं सेवा की प्रकृति के अनुसार विशिष्ट पुस्तकालय की श्रेणी में आता है। संकलन की लगभग 80 प्रतिशत पुस्तकें संगीत व नाटक विषय से संबंधित हैं। देश विदेश के वे सभी शोधार्थी जो संगीत तथा नाटक विषयों में शोध कार्य कर रहे हैं।

6. नाट्य समारोह

अपने नियमित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदेश के तीन-चार जनपदों में चार से पांच दिवसीय सम्भागीय नाट्य समारोह एवं पांच से छह दिवसीय राज्य नाट्य समारोह का आयोजन प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सम्पन्न किया जाता है।

7. अंशदान योजना

सांस्कृतिक एवं नाट्य संस्थाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से बनी इस योजना के अन्तर्गत संस्थाओं को नाट्य प्रदर्शन हेतु रु. 4,000/- मात्र तक का अंशदान दिया जाता है। यह अंशदान सहायता प्रेक्षागृह के किराया अथवा समाचार-पत्र में विज्ञापन अथवा दोनों के माध्यम से प्रदान की जाती है।

8. अवध संध्या

अकादमी द्वारा प्रत्येक माह के चौथे शुक्रवार को अवध संध्या का आयोजन किया जाता है। इसके अन्तर्गत शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम संगीत एवं नृत्य, नाटक तथा लोक संगीत के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

9. रसमंच

वाल्मीकि प्रेक्षागृह के उद्घाटन के उपरान्त अकादमी द्वारा 'रसमंच' शीर्षक से एक नई प्रदर्शन शृंखला आरम्भ की गयी है। शृंखला का पहला कार्यक्रम 2 फरवरी, 2002 को वाल्मीकि प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया है। इस शृंखला के अन्तर्गत कार्यक्रमों का आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को किया गया है।

10. कथक केन्द्र

लखनऊ घराने के कथक परम्परा के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से वर्ष 1972 में लखनऊ घराने के सुविख्यात कथकाचार्य स्व0 पं0 लच्छू महाराज (पं0 वैजनाथ मिश्र) के निर्देशन में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अन्तर्गत कथक केन्द्र की स्थापना शासन द्वारा की गयी। कथक केन्द्र द्वारा नियमित दस वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को कथक नृत्य का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

11. ध्रुवपद समारोह

विलुप्त होती शास्त्रीय ध्रुवपद गायन एवं वादन परम्परा को जनमानस से परिचित कराने एवं कलाकारों को प्रोत्साहित एवं मंच प्रदान करने के उद्देश्य से अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष मृदंगाचार्य स्वामी भगवान दास की स्मृति में ध्रुवपद समारोह को आयोजन प्रदेश के विभिन्न जनपदों यथा- मथुरा, अयोध्या, विंध्याचल, गोरखपुर, वृन्दावन आदि में किया जाता रहा है।

12. नवांकुर संगीत समारोह

अकादमी द्वारा विगत 42 वर्षों से आयोजित शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता के गायन, वादन एवं नृत्य के विजेता कलाकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से नवांकुर संगीत समारोह शृंखला का आयोजन किया जाता रहा है। इस समारोह की विशेषता है कि किसी एक जनपद के कलाकारों को दूसरे जनपद में जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना होता है, जिससे कि एक क्षेत्र के कलाकारों एवं उनकी कला का दूसरे क्षेत्र के कलाकारों को जानने एवं उनकी कला को समझने का अवसर मिलता है। नवांकुर संगीत समारोह को यथा- कानपुर, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, बदायुं, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, मुरादाबाद, वृन्दावन, बरेली, आज़मगढ़, अलीगढ़, अयोध्या आदि में सम्पन्न किया गया।

13. यादें

ग़ज़ल साम्राज्ञी स्व0, बेगम अख्तर की स्मृति में अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर को ''बेगम अख्तर स्मृति समारोह के अन्तर्गत ग़ज़ल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

14. धरोहर

अकादमी के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 13 नवम्बर को ''धरोहर'' शीर्षक से कार्यक्रम का शुभारम्भ वर्ष 2001 में किया गया था। तबसे निरन्तर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

15. खुशबू-ए-ग़ज़ल

सुगम संगीत के उभरते हुए कलाकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2005 से अकादमी द्वारा ''खुशबू-ए-ग़ज़ल'' शीर्षक से एक नयी कार्यक्रम शृंखला का आरम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तब से निरन्तर इस कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है।

भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ

हिन्दी भाषी प्रान्तों में प्रतिभावान व महत्त्वाकांक्षी युवक युवतियों को नाट्यकला में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारतेन्दु नाट्य अकादमी की स्थापना अगस्त 1975 में हुई थी। संस्थापक निदेशक पद्मश्री राज बिसारिया के कुशल निर्देशन में अकादमी का प्रशिक्षण कार्य, अंशकालिक प्रशिक्षण के रूप में प्रारम्भ होकर वर्ष 1978 में एक वर्षीय पूर्णकालिक सर्टीफिकेट कोर्स तथा वर्ष 1981 में द्विवर्षीय डिप्लोमा के रूप में स्थापित हुआ, जिसके अन्तर्गत नाट्यकला के विभिन्न पक्षों अभिनय, निर्देशन, रंग-तकनीक एवं नाट्य साहित्य विषयों में गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र-छात्राओं का पलायन रोकने के दृष्टिकोण से वर्ष 1988 में रंगमण्डल की स्थापना की गई।

भारतेन्दु नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में कार्य कर रही है।

अकादमी का उद्देश्य रंगमंच के विभिन्न पहलुओं में सैद्धान्तिक व व्यावहारिक गहन प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि इसे व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिये सशक्त पृष्ठभूमि तैयार हो सके। सैद्धान्तिक व व्यावहारिक प्रशिक्षण के द्वारा छात्र-छात्राओं की सृजनात्मकता का विकास करना उसकी कल्पना शक्ति लोक सौन्दर्यबोध के साथ रचनात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करना है।

अयोध्या शोध संस्थान

अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग उ.प्र. शासन द्वारा अयोध्या के ऐतिहासिक तुलसी स्मारक भवन, में 18 अगस्त, 1986 को की गयी। यह संस्कृति विभाग की स्वायत्तशाषी संस्था है।

प्रमुख उद्देश्य

1. सामान्य रूप से अवध और विशिष्ट रूप से अयोध्या की कला संस्कृति, साहित्य, लोकसाहित्य, इतिहास और परम्पराओं की पाण्डुलिपियों तथा वस्तुओं और शिल्प तथ्यों का संग्रह, संरक्षण और अध्ययन करना है।

2. अवध की सांस्कृतिक विरासत से सम्बन्धित नष्ट और विलुप्त हो रही पुरालेखीय सामग्री को सुरक्षित रखना।
3. अवध की भारतीय विद्या, कला, संस्कृति और इतिहास में विशेष रूप से अयोध्या, रामायण और तुलसीदास के साहित्य और दर्शन से सम्बन्धित शोध कार्य को प्रोत्साहन देना और पूरा करना।
4. सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक और ऐतिहासिक महत्त्व की पाण्डुलिपियों, पुरालेखीय सामग्री और अन्य वस्तुओं का उनके उन्नयन, संरक्षण और अध्ययन हेतु एक संग्रहालय स्थापित करना।
5. वैष्णव भक्ति, भक्ति आन्दोलन, कला, संस्कृति और सम्बद्ध भाषाई और भारतीय विद्या से सम्बन्धित अन्य विषयों में विशेष रूप से अवध और राम की दन्त कथा के संदर्भ में शोध कार्य करना और स्नातकोत्तर अध्ययन संचालित कराना।
6. महत्त्वपूर्ण मूल पाठों की सूचियों, आलोचनात्मक संस्करणों और अनुवादों तथा शोध कार्यों के परिणामों को प्रकाशित कराना तथा अन्य उपयोगी प्रकाशनों को प्रकाशित कराना।
7. उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने और आगे बढ़ाने के लिए भारत और विदेशों के विश्वविद्यालयों संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं से सहयोग करके कार्य करना।
8. व्याख्यानों, संगोष्ठियों, उत्सवों, सम्मेलनों और अन्य शैक्षिक तथा सांस्कृतिक क्रिया-कलापों का आयोजन कराना तथा इस सोसाइटी के उद्देश्यों से सम्बंधित क्रिया-कलापों में लगे हुये शोध छात्रों और लेखकों को छात्रवृत्तियाँ, वृत्तिकाएं और पुरस्कार प्रदान करना।
9. धन, वस्तु या सम्प्रति के रूप में अनुदानों, चन्दों, उपहारों, अंशदानों को स्वीकार करना। अयोध्या शोध संस्थान का अपना संविधान है। संस्थान के पदेन अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन हैं। संस्थान के संचालन हेतु सामान्य सभा, कार्यकारिणी परिषद, शोध एवं विकास समिति तथा वित्त समिति गठित है।
10. रोजगार परक योजनाओं का संचालन, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार तथा राज्य सरकार की विभिन्न शिल्प और विकास योजनाओं का संचालन।

भावी योजनाएं

फेलोशिप योजना

1. देश और विदेशों में अध्ययनरत शोध छात्र जो पीएच0डी0 हेतु अनुमन्य हों उनमें इस योजना का संचालन किया जायेगा जिसके माध्यम से रामकथा, रामायण, रामलीला, तुलसी, अयोध्या, अवध आदि से सम्बंधित विभिन्न विषयों पर शोध छात्रों को फेलोशिप प्रदान की जायेगी।

   विश्वविद्यालय में आर0डी0सी0 के माध्यम से संस्थान के उद्देश्यों के आधार पर फेलोशिप स्वीकृत होगी। नियम एवं शर्तें सम्बंधित विश्वविद्यालय की होंगी। संस्थान मात्र आर्थिक सहयोग प्रदान करेगा। नियम एवं शर्तों हेतु कार्यकारिणी की अभिमति से देश और विदेश के विभिन्न विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है जिनके माध्यम से फेलोशिप का चयन किया जायेगा।

2. अयोध्या रिसर्च इन्स्टीट्यूट, अयोध्या एण्ड नेशनल काउन्सिल ऑफ इण्डियन कल्चर ट्रिनिदाद (डब्ल्यू,आई.) के मध्य हुए एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं रामलीला प्रस्तुति एवं प्रशिक्षण तथा व्यासों के रामकथा विषयक लेक्चर, प्रदर्शनी एवं शोध कार्य, प्रकाशन, हस्तशिल्प संग्रहालय व पुस्तकालय में आपसी समन्वय स्थापित कर कार्यों को संपादित करवाया जाना।
3. स्कूली बच्चों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यशाला एवं प्रस्तुतियां करवाया जाना।
4. सांस्कृतिक विरासत का सर्वेक्षण संकलन एवं प्रकाशन कार्यकर विलुप्तप्राय विधाओं का संरक्षण संवर्धन एवं प्रकाशन कार्य।
5. यूनेस्कों द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित रामलीला के प्रचार-प्रसार, प्रदर्शनी हेतु विद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों की रामलीला प्रस्तुति के प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं प्रस्तुति।
6. रामलीला विरासत के संरक्षण संवर्धन एवं विकास के लिए रामलीला प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन।

उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ

संस्थान की स्थापना

उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना वर्ष 1990 में संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गई है।

सन्दर्भ पुस्तकालय

जैन विद्या शोध संस्थान का अपना एक सन्दर्भ पुस्तकालय है जिसमें लगभग 2500 दुर्लभ ग्रन्थ, पुस्तकें एवं पत्रिकायें हैं। पुस्तकालय में जैन विद्या से संबंधित जैन धर्म दर्शन, कला संस्कृति, मूर्ति कला, इतिहास एवं शब्दकोष आदि के सन्दर्भ ग्रन्थ उपलब्ध हैं। संस्थान का यह पुस्तकालय कार्यालय कार्य दिनों में शोधार्थियों एवं जैन विद्वानों के अध्ययनार्थ खुला रहता है।

जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के जनजातीय एवं लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रदर्शन हेतु जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना सन् 1986 में की गयी थी जिसके द्वारा लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं को मंच प्रदान करना, इनमें सम्बन्धित सर्वेक्षण/दस्तावेजीकरण आदि का महत्त्वपूर्ण कार्य किया जाता है। संस्थान द्वारा नियमित मासिक श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है।

उद्देश्य

1. उ0प्र0 की लोक और जनजाति कलाओं एवं शिल्पों का संयोजन एवं विकास।
2. लोक कलाओं, संस्कृति एवं शिल्प के क्षेत्र में शोध का विकास एवं बढ़ावा देना, इसके लिए पुस्तकालय, अभिलेखागार, संग्रहालय, पुस्तकें, टेपरिकार्ड्स आदि स्थापित करना।
3. लोक कलाओं, संस्कृति एवं शिल्प विकास हेतु भारत की अन्य संस्थाओं एवं विदेश से सहयोग।
4. विभिन्न क्षेत्रों की लोक एवं जनजाति कला, संस्कृति, शिल्प की तकनीक एवं आदर्शों का आदान-प्रदान।

5. ऐसी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा जो कि लोक एवं जनजाति कला, शिल्प एवं संस्कृति के संरक्षण तथा विकास हेतु प्रशिक्षण देना।
6. लोक एवं जनजाति कला, शिल्प एवं संस्कृति के क्षेत्र में सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण एवं प्रचार को बढ़ावा देना।
7. लोक एवं जनजाति कला, शिल्प एवं संस्कृति के क्षेत्र में सेमिनार कार्यशाला का आयोजन तथा शोध एवं सर्वेक्षण हेतु अनुदान देना।
8. जनजाति एवं लोक कला का कार्य संगीत, नृत्य एवं नाटक, त्योहारों तथा शिल्प मेंलों को राज्य तथा राज्य के बाहर प्रायोजित करना।

राष्ट्रीय कथक संस्थान

राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में वर्ष 1988-89 में हुई थी। संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर के कथक के विविध घरानों की परम्पराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण, कथक नृत्य का संवर्द्धन एवं लुप्त हो गये व नवीन पक्षों पर शोध और कथक संग्रहालय की स्थापना है।

कला एवं कलाकारों का सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण एवं वृद्ध कलाकारों को सहायता योजना

प्रदेश की लोक परम्पराओं को संरक्षित रखने के उद्देश्य से उनका वीडियो अभिलेखीकरण, योग्य छात्रों को कला एवं संस्कृति की व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता दिये जाने की तथा वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को आर्थिक सहायता योजना प्रस्तावित है।

तहसील स्तर पर कस्बों में प्रेक्षागृहों/खुले मंचों का निर्माण

महानगरों एवं नगरों में किसी न किसी प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ संचालित रहती हैं तथा मनोरंजन के कुछ न कुछ साधन उपलब्ध रहते हैं। प्रदेश के तहसील स्तर के कस्बों में प्रेक्षागृह/खुले मंचों का निर्माण कराया जाना है।

फिल्मों का विकास (डाक्यूमेंट्री आडियो विजुअल)

प्रदेश के विपुल सांस्कृतिक धरोहर को जनमानस के लिये संरक्षित व प्रचारित-प्रसारित करने के लिये कला के विविध रूपों एवं प्रदेश के सुविख्यात कलाकारों को डाक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण कराया जायेगा।

लोक कलाकारों को वाद्ययंत्रों के क्रय हेतु आर्थिक सहायता

प्रदेश के लोक कलाकारों को उनके कला प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार के लिये वाद्ययंत्रों के क्रय के लिये उन्हें आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना प्रारम्भ की गयी है।

कल्चरल क्लब की स्थापना

प्रदेश के लोक कलाओं के संरक्षण एवं उन्नयन तथा लोक संस्कृति की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए लोक कलाकारों के उन्नयन के लिये प्रशिक्षण हेतु स्कूलों/विद्यालय आदि में कल्चरल क्लब की स्थापना की जायेगी।

गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण

क्षेत्रीय स्तर पर कलाकारों एवं कलाओं को संरक्षित, संवर्धित एवं प्रोत्साहित करने तथा कलाकारों के प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए उपयुक्त मंच उपलब्ध कराने हेतु गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जा रहा है।

मथुरा में गीता शोध संस्थान की स्थापना

गीता दर्शन की प्रासंगिकता के दृष्टिगत देश-विदेश के शोधार्थियों के लिए मथुरा में गीता शोध संस्थान की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।

कबीर अकादमी की स्थापना

आंचलिक भाषाओं एवं लोकविधाओं के विकास के लिए कबीर अकादमी की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।

राज्य पुरातत्त्व निदेशालय, लखनऊ

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक गतिविधियों का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा किया जाता है। पुरातत्व निदेशालय के अन्तर्गत गठित क्षेत्रीय इकाइयों के कार्यों पर नियंत्रण, प्रदेश के विभिन्न भागों में बिखरी पुरासम्पदा की खोज हेतु सर्वेक्षण, महत्त्वपूर्ण पुरास्थलों का उत्खनन, राज्य संरक्षित स्मारकों/स्थलों का अनुरक्षण व रख-रखाव, एवं पुरावशेषों के प्रति जनचेतना जागृत करना पुरातत्व निदेशालय के प्रमुख उद्देश्य हैं।

क्षेत्रीय पुरातत्त्व इकाई, झाँसी

क्षेत्रीय पुरातत्त्व इकाई, झाँसी के अन्तर्गत झाँसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, बाँदा, चित्रकूट आदि जिले रखे गये हैं। प्रस्तर उपकरणों, मन्दिरों, मूर्तियों, अभिलेखों, बावली, कूप, तड़ागों और पात्रावशेषों आदि के रूप में प्राचीन पुरासामग्री इस क्षेत्र में जगह-जगह बिखरी हुई है। यहाँ शैव, वैष्णव, शाक्य और जैन धर्मों का विशेष प्रभाव दिखायी देता है। इन सबका व्यापक अन्वेषण कराकर इन्हें प्रकाशित करने, संरक्षित करने तथा विभाग के उद्देश्यों के अनुरूप पुरातत्त्व सम्बन्धी अन्य कार्यों के सम्पादन के लिये झाँसी में क्षेत्रीय पुरातत्त्व इकाई की स्थापना की गई है।

क्षेत्रीय पुरातत्त्व इकाई, आगरा

उत्तर प्रदेश में बृज मंडल का सांस्कृतिक महत्त्व सर्वज्ञात है। वृन्दावन, गोकुल, मथुरा के बंशी बजइया कृष्ण कन्हैया की लीला भूमि लाखों श्रद्धालुओं को हर वर्ष यहां खींच लाती है। आगरा स्थित फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, बुलन्द दरवाजा जैसी मुगल इमारतों की एक झलक पाने को सारी दुनिया के सैलानी बेताब रहते हैं। कुसुम सरोवर, गोवर्धन आदि स्थलों पर जाट राजाओं द्वारा निर्मित छतरियों की छटा देखते ही बनती है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में जगह-जगह प्राचीन पात्रावशेषों, मृण्मूर्तियाँ, सिक्के, पाषाण मूर्तियाँ और अभिलेख आदि मिलते रहते हैं। इनके व्यापक सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण, प्रकाशन और संरक्षण/परिरक्षण के लिये आगरा में क्षेत्रीय पुरातत्त्व इकाई की स्थापना की गई है। इसके अन्तर्गत आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिलों के कार्य सौंपे गये हैं।

क्षेत्रीय पुरातत्त्व इकाई, प्रयागराज

प्रयागराज मंडल में गंगा-यमुना दोआब का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित है, जिसमें प्राचीन वत्स राज्य तथा अवध का बड़ा भू-भाग आता है। वत्स राज उदयन की राजधानी कौशाम्बी, जहाँ भगवान् बुद्ध प्रवास काल

में रहे, भीटा, झूंसी, भारद्वाज आश्रम, शृंगवेरपुर आदि बहुसंख्यक पुरातात्त्विक महत्त्व के स्थल इस क्षेत्र में विद्यमान हैं। प्रतापगढ़ में सरायनाहर राय आदि से मानव के आज से लगभग 10,000 वर्ष प्राचीन आवासीय स्थलों से नर कंकाल और प्रस्तर उपकरण प्रकाश में आये हैं। ऐसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुरास्थलों और अवशेषों की खोज, रख-रखाव अध्ययन, प्रकाशन आदि के उद्देश्य से प्रयागराज में क्षेत्रीय पुरातत्त्व इकाई की स्थापना की गयी है।

क्षेत्रीय पुरातत्त्व इकाई, वाराणसी

पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी मंडल का अपना विशेष महत्व है। उत्तर भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक राजधानी के रूप में विख्यात वाराणसी नगर का ही पुरातात्त्विक एवं ऐतिहासिक महत्त्व लगभग 3000 वर्ष प्राचीन है। इस नगर और जनपद में जगह-जगह प्राचीन मन्दिर, मूर्तियाँ और अन्य बहुत से मन्दिर विद्यमान हैं। वाराणसी मंडल के सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, और बलिया जनपद भी समृद्ध एवं प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से अपनी गौरवशाली परम्परा रखते हैं। मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में चित्रित शैलाश्रय व चुनार, विजयगढ़, शक्तेशगढ़ में सुख्यात दुर्ग, अनेक मंदिर, अभिलेख आदि ज्ञात हैं। शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्म के केन्द्र के रूप में काशी की महिमा सर्वज्ञात है। महाराज गाधि, महर्षि विश्वामित्र और जमदग्नि मुनि की भूमि जनपद गाजीपुर से सम्बद्ध की जाती है। शर्की राजाओं की राजधानी जौनपुर/मछलीशहर की प्राचीन वास्तुकला की एक नई बानगी देती है। सरयू और गंगा के बीच के भाग में सैदपुर, भीतरी, श्रंराडीह जैसे बड़े-बड़े टीले पाये गये हैं। जिनमें प्राचीन सांस्कृतिक सामग्री के विपुल भण्डार छिपे हुये हैं। विन्ध्य की शृंखलाओं में पाषाण युगीन मानव के निवास के प्रमाण प्रस्तर उपकरणों के रूप में जगह-जगह मिलते हैं। अतएव इस क्षेत्र में पुरातत्त्व सम्बन्धी गतिविधियों में तेजी लाने के लिए वाराणसी में एक क्षेत्रीय पुरातत्त्व इकाई की स्थापना की गयी है।

राज्य संग्रहालय, लखनऊ

राज्य संग्रहालय, लखनऊ उ.प्र. का प्राचीनतम् तथा विशालतम् बहुउद्देशीय संग्रहालय है। इसकी स्थापना सन् 1863 ई. में लखनऊ डिवीजन के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल एबट द्वारा सींखचे वाली कोठी में की गयी थी। सन् 1883 में यह प्रान्तीय संग्रहालय के रूप में लाल बारादरी में व्यवस्थित हुई। सन् 1950 में इसका नाम प्रान्तीय संग्रहालय के स्थान पर राज्य संग्रहालय रखा गया तथा वर्ष 1963 में नवीन भवन बन जाने के बाद बनारसी बाग स्थित प्राणि उद्यान परिसर में आ गया। इस संग्रहालय के संकलन में लगभग दो लाख से अधिक पुरावशेष हैं, जिसमें पुरातत्व अनुभाग, चित्रकला अनुभाग, प्राणि शास्त्र अनुभाग, मुद्रा अनुभाग, सज्जा कला अनुभाग और धातु मूर्ति अनुभाग आदि प्रमुख हैं। इसके साथ ही राज्य संग्रहालय, लखनऊ में एक वृहद पुस्तकालय भी है, जहां भारतीय संस्कृति, कला, पुरातत्त्व, इतिहास तथा प्राच्य विद्या सम्बन्धित दुर्लभ पुस्तकें हैं, जो विशेष रूप से शोधार्थियों के लिये उपयोगी हैं।

राजकीय संग्रहालय, मथुरा

मथुरा यमुना नदी के दाहिने तट पर प्राचीन धार्मिक केन्द्र के रूप में 12 वन, 24 उपवन तथा 5 पर्वतमालाओं का क्षेत्र रहा है। आदि काल से मथुरा श्री कृष्ण की लीलास्थली के रूप में वैष्णवों की उपासना स्थली रही है। यहाँ पर बौद्ध, शैव व जैनियों ने भी अपने पूजा-स्थलों का निर्माण किया। मथुरा की गणना सप्त महापुरियों में की जाती है। यहाँ क्रमशः नन्द, मौर्य, शुंग, क्षत्रप और कुषाण वंशों का शासन रहा। विभिन्न धर्मों से सम्बन्धित सहस्त्रों मूर्तियाँ मथुरा में बनीं। यह कला लगभग 12वीं शती ई0 तक जारी रही। कालान्तर में उपासना स्थल टीलों में परिवर्तित हो गये। आज मथुरा इन्हीं टीलों पर बसा

है, जिनसे अनेक लाल चित्तीदार बलुए पत्थर की तरासी मूर्तियों की धरोहर प्राप्त हुई। ये मूर्तियाँ मथुरा से बाहर तक्षशिला, सारनाथ, श्रावस्ती, भरतपुर, बोध गया, साँची, कुशीनगर तथा कौशाम्बी तक बिखरी हैं। इस शैली के प्रभाव के प्रमाण दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन तक प्राप्त हुए हैं। ऐसी ही अनेक प्रतिमाएँ राजकीय संग्रहालय, मथुरा में संग्रहीत हैं।

राजकीय संग्रहालय, झाँसी

विंध्याचल की गोद में बसे बुन्देलखण्ड का अतीत गौरवशाली रहा है। बुन्देलखण्ड पुरातात्त्विक दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न है। इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले पाषाण एवं ताम्र उपकरण इस बात का परिचायक हैं कि हजारों वर्ष पूर्व आदि मानव यहाँ विचरण करता था। देश के अतीत का दर्शन संग्रहालय के प्रदर्शों से होता है। ये प्रदर्श हमारे अतीत की समुन्नत विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुन्देलखण्ड की यत्र-तत्र बिखरी कला सम्पदा के संग्रह, संरक्षण अभिलेखीकरण के साथ ही इस क्षेत्र के गरिमामयी इतिहास एवं संस्कृति की जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यहाँ पर उ.प्र. सरकार द्वारा सन् 1978 में राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गयी। वर्तमान भवन का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा वर्ष 1982 में तथा उद्घाटन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री मोती लाल बोरा द्वारा 29 जनवरी, 1996 को किया गया।

संकलन

राजकीय संग्रहालय, झाँसी में लगभग 22000 कलाकृतियाँ संग्रहीत हैं जिनमें प्रस्तर प्रतिमायें, मृण्मूर्तियाँ, धातु मूर्तियाँ, शिला लेख, ताम्र पत्र, सिक्के, मुहरें तथा विभिन्न शैली के लघुचित्र, आभूषण तथा काष्ठ कला से सम्बन्धित वस्तुएं संग्रहीत हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या, नयाघाट, अयोध्या

अयोध्या के महत्त्व तथा रामकथा की व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली तथा भारतीय जनमानस के श्रद्धा का केन्द्र अयोध्या में संस्कृति विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा रामकथा संग्रहालय की स्थापना माह जनवरी, 1988 में की गयी तब से निरन्तर अपने उद्देश्यों के प्रति रामकथा संग्रहालय अग्रसर है।

संग्रहालय का उद्देश्य जहाँ एक तरफ रामकथा विषयक सचित्र, पाण्डुलिपियों, मूर्तियों, रामलीला व अन्य प्रदर्श कलाओं से सम्बन्धित सामग्री, अयोध्या परिक्षेत्र के पुरावशेषों, दुर्लभ सांस्कृतिक सम्पदा व प्रदर्श कलाओं, अनुकृतियों, छायाचित्रों का संकलन व परिरक्षण करना है वहीं दूसरी तरफ संकलित सामग्री का वीथिकाओं में प्रदर्शन, छायाचित्रीकरण व अभिलेखीकरण तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्याख्यानों, गोष्ठियों, प्रतियोगिताओं व कार्यशालाओं तथा अस्थायी प्रदर्शनियों का आयोजन करना भी है।

संग्रहालय में अभी तक 1020 कलाकृतियों का संकलन हो चुका है तथा 313 कलाकृतियों को संग्रहालय वीथिका में प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय देखने के लिए दर्शको के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। प्रतिमाह लगभग 2000 से अधिक दर्शक संग्रहालय का भ्रमण करते हैं। स्थानीय मेलों, विभिन्न त्योहारों, रामनवमी, चौदह कोसी परिक्रमा आदि के अवसरों पर दर्शकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है।

शोधार्थियों की सुविधा के लिए संग्रहालय में एक पुस्तकालय भी है जिसमें अभी तक 857 पुस्तकों को पंजीकृत किया जा चुका है जो संग्रहालय में दिनांक 01 जनवरी, 2015 में नवनिर्मित भवन में संचालित है। तेरहवें वित्त आयोग की योजना की स्वीकृत धनराशि से संग्रहालय वीथिका के गठन का

कार्य चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार गुमनामी बाबा उर्फ भगवान् जी से सम्बन्धित 425 सामग्री जिला कोषागार अयोध्या से दिनांक 7 अप्रैल, 2016 को संग्रहालय में हस्तान्तरित की गयी हैं।

राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर

पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ऐतिहासिक व पुरातात्त्विक दृष्टि से न केवल भारत, बल्कि विश्व विख्यात है। शाक्यों का कपिलवस्तु, कोलियों का रामग्राम, मोरियों का पिप्पलीवन एवं मल्लों की राजधानी कुशीनगर तथा पावा भी इसी क्षेत्र में स्थित है, जिनकी शासन पद्धति जनतंत्रात्मक थी। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि जनतंत्र की प्रथम प्रयोगशाला होने का गौरव भी इस क्षेत्र को ही प्राप्त है। इतना ही नहीं, यहाँ के गणराज्य निःसन्देह यूनानी गणराज्यों से भी प्राचीन थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म के उद्भव और विकास का हृदय स्थल रहा है। भगवान् बुद्ध के जीवन की घटनाओं से सम्बन्धित स्थान लुम्बिनी, देवदह, कोलियों का रामग्राम, कोपिया एवं तथागत की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर इसके महत्त्वपूर्ण साक्ष्य हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की परिनिर्वाण स्थली पावा भी इसी क्षेत्र में विद्यमान है। आमी नदी के तट पर स्थित संत शिरोमणि कबीरदास की निर्वाणस्थली मगहर और नाथ पंथ के गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि होने का गौरव भी इस क्षेत्र को प्राप्त है।

लोक कला संग्रहालय, लखनऊ

लोक कला परम्पराएं हमें विरासत तथा परम्पराओं से प्राप्त होती हैं, जिनका मूल अति प्राचीन है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह हमारे जीवन में रची बसी हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं, किन्तु सामयिक परिवर्तन के कारण आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकीकरण की आंधी में हमारे प्रदेश की लोक कला परम्पराएँ शनैः शनैः विलुप्त होती जा रही हैं एवं इनका मूल स्वरूप भी परिवर्तित हो रहा है। इसलिए इन प्राचीन लोककला परम्पराओं के मूल स्वरूप को अक्षुण्ण बनाये रखने एवं इनके विशेष दस्तावेजों को संकलित कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग, उ.प्र. द्वारा फरवरी, 1989 में लोक कला संग्रहालय की स्थापना कला परिसर कैसरबाग, लखनऊ में की गयी थी। वर्तमान में नवनिर्मित लोक कला संग्रहालय भवन, राज्य संग्रहालय परिसर, चिड़ियाघर, बनारसी बाग, लखनऊ में स्थापित है।

लोक कलाओं के संकलन, संरक्षण तथा प्रदर्शन की दिशा में कार्यरत लोक कला संग्रहालय प्रदेश का एकमात्र संग्रहालय है।

जनपदीय संग्रहालय, सुल्तानपुर

सुल्तानपुर जनपद के अनेक महत्त्वपूर्ण पुरास्थलों जैसे- शनिचरा, कूंड, भांटी, सोमनाभार, कालू पाठक का पुरवा, अहिरन पलिया, सोहगौली, महमूदपुर आदि स्थलों पर पुरासांस्कृतिक सम्पदा बिखरी दिखायी देती है। यही नहीं इस जनपद के आस-पास के जनपदों में भी धरती के गर्भ से बराबर अतीत की धरोहरें निकलती रहती हैं। इनके विविध आयामों से सम्बन्धित सामग्रियों और बिखरी पुरासांस्कृतिक सम्पदा को संकलित, सुरक्षित, प्रदर्शित, प्रलेखीकृत व प्रकाशन कर उन पर अनुसंधान करने कराने के उद्देश्य से वर्ष 1988-89 में इस संग्रहालय की स्थापना की गई। आज संग्रहालय नगर पालिका के पीछे सुपर मार्केट सुल्तानपुर के प्रथम तल पर प्रतिष्ठित है।

राजकीय बौद्ध संग्रहालय, कुशीनगर

भारत के बौद्ध स्थलों में कुशीनगर (कशीनारा) का प्रमुख स्थान है। बौद्ध धर्म प्रवर्तक भगवान्

बुद्ध ने लगभग 80 वर्ष की अवस्था में अपना अनवरत भ्रमणपूर्ण जीवन व्यतीत करने के पश्चात् यहीं पर शालवन में महापरिनिर्वाण प्राप्त (शरीर त्याग) किया था। असंख्य भारतीय एवं विदेशी पर्यटक एवं बौद्ध धर्मानुयायी प्रति वर्ष भगवान् बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित करने कुशीनगर आते हैं। कुशीनगर की धार्मिक महत्ता एवं समृद्ध ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहर ने कई देशों एवं विभागों को इस क्षेत्र में अपने धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठन स्थापित करने की प्रेरणा दी। परिणामस्वरूप यह स्थल सम्पूर्ण विश्व में श्रद्धा एवं आकर्षण का केन्द्र बन गया। कालान्तर में कुशीनगर की पुरातात्विक सम्पदा सहित भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से संग्रहालय के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुई। एतदर्थ इस क्षेत्र में यत्र-तत्र बिखरी कला सम्पदा के संग्रह, संरक्षण, अभिलेखीकरण, प्रदर्शन एवं शोध के साथ ही इस क्षेत्र के गरिमामय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व की जानकारी जनसामान्य को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा सन् 1993-94 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय, कुशीनगर की स्थापना की गयी।

संग्रहालय द्वारा संग्रहीत कलाकृतियां जहां एक ओर हमारी समृद्ध कला एवं संस्कृति का आभास कराती हैं, वहीं दूसरी ओर वर्तमान पीढ़ी को उनकी गौरवमयी विरासत से परिचित भी कराती हैं।

राजकीय पुरातत्त्व संग्रहालय, कन्नौज

उ.प्र. में गंगा नदी के किनारे बसा कन्नौज नगर अपने इत्र व्यवसाय एवं ऐतिहासिकता के कारण देश-विदेश में प्रसिद्ध है। ईसा की छठी शती के उत्तरार्ध से लेकर बारहवीं शती के अंत तक इस नगर को उत्तर-भारत का 'प्रथम नगर' होने का गौरव प्राप्त रहा है। लगभग छह सौ वर्ष तक इस नगर के इतिहास में प्राचीन भारत की राजनीति, धर्म, दर्शन, साहित्य और कला ने बहुमुखी विकास किया। हर्ष ने थानेश्वर से आकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इस काल में कन्नौज की विशेष उन्नति हुई, चीनी यात्री ह्वेन सांग जिसने उस समय भारतवर्ष कि यात्रा की थी, ने कन्नौज के वैभव तथा हर्ष की दान वीरता का विशद वर्णन किया है।

राजकीय बौद्ध संग्रहालय, पिपरहवा (सिद्धार्थनगर)

पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ऐतिहासिक व पुरातात्विक दृष्टि से न केवल भारत में बल्कि विश्व में विख्यात है। बौद्ध धर्म के इतिहास में पिपरहवा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन भारत का महत्त्वपूर्ण गणराज्य कपिलवस्तु हिमालय पर्वत के तराई क्षेत्र में स्थिति था। यह वह गणराज्य है जहाँ सिद्धार्थ जैसे होनहार, तेजस्वी राजकुमार ने राजा शुद्धोधन के पुत्र के रूप में जन्म लिया एवं कालान्तर में करुणा एवं प्रेम से ओत-प्रोत होकर सम्पूर्ण विश्व को सद्मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। भगवान् बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित प्रमुख स्थलों में से एक इस स्थल की पहचान प्राचीन कपिलवस्तु के रूप में की जाती है। यहाँ का मुख्य स्तूप मूल रूप से शाक्यों द्वारा भगवान् बुद्ध के अस्थि अवशेषों के रूप में प्राप्त भाग पर निर्मित किया गया था। यहाँ पर सर्वप्रथम पुरातात्विक कार्य प्रारम्भ कराने का श्रेय डब्ल्यू.सी. पेपे को है। उत्खनन के परिणामस्वरूप यहां स्थित स्तूप से एक धातु मंजूषा प्राप्त हुई थी, जिस पर ब्रह्मी में लेख है- सुकिति-भतिनं स भगिनिकनम स-पुत-दलनं, इयं सलिल निधने बुधस भगवते सकियान। अर्थात् इस स्तूप का निर्माण उनके शाक्य भाइयों द्वारा अपनी बहनों, पुत्रों एवं पत्नियों के साथ मिलकर किया गया था। यहां से प्राप्त मृण्मुद्राओं (सीलिंग) पर ''देव पुत्र बिहारे कपिलवस्तु भिक्खु संघस'' तथा ''महा कपिलवस्तु भिक्खु संघस'' अंकित है। इससे यह प्रमाणित होता है कि यह स्थल प्राचीन कपिलवस्तु का बौद्ध प्रतिष्ठान था।

राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मेरठ

वर्ष 1995 में उ0प्र0 शासन द्वारा संग्रहालय निर्माण का निर्णय लिया गया, तत्क्रम में वर्ष 1997 में टास्कफोर्स द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुरूप उ0प्र0 शासन के अधीन संग्रहालय निदेशालय द्वारा संचालित राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मेरठ की स्थापना हुई, जिसका औपचारिक लोकार्पण 10 मई, 2007 को हुआ।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ का विशिष्ट स्थान है, यहीं से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी फूटी। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं एवं संस्मरणों, जीवन गाथाओं को संरक्षित करना, भावी पीढ़ी को नवीन दिशा प्रदान करना तथा राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मेरठ का लक्ष्य है। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाएं कैसी थीं और किस तरह से लड़ी गयीं इसका उल्लेख लिखित रूप से तो किताबों एवं अभिलेखों में मिलता है लेकिन दृश्य रूपों में इसका अभाव है, खासकर 10 मई, 1857 को मेरठ में घटित घटनाएं जो आम जनसामान्य की पहुँच से दूर रही हैं। इन तथ्यों को संग्रहालय में दिखाने का अनूठा प्रयास किया गया है।

संग्रहालय में कुल दो वीथिकाएं हैं-

प्रथम वीथिका- में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के जीवन चरित्र को छाया चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया है। जिसमें इनके जीवन काल की विभिन्न महत्त्वपूर्ण घटनाओं एवं सामाजिक उत्थान के लिये किये गये कार्यों को प्रमुखता के साथ दिखाया गया है।

द्वितीय वीथिका- में इस क्षेत्र की पुरातात्विक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए पुरातात्विक वीथिका का प्रदर्शन किया गया है। जिसमें उ0प्र0 के अनेक संग्रहालयों में संग्रहीत प्रस्तर मूर्तियों की अनुकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इन अनुकृतियों में विशेषकर बौद्ध धर्म से सम्बन्धित हैं यथा- कटरा बुद्ध, गान्धार कला के अन्तर्गत जातक कथाओं से अंकित पैनल तथा बोधिसत्व पद्मपाणि एवं बौद्ध देवी तारा की अनुकृतियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं।

●

राष्ट्रीय एकीकरण

राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की स्थायी समिति ने 26 अक्टूबर, 1968 को दिल्ली में हुई अपनी पृथक बैठक में यह सिफारिश की थी कि परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य स्तर पर एक ''एकीकरण परिषद'' की स्थापना की जाये।

उक्त के अनुसार वर्ष 1968 में राष्ट्रीय एकीकरण विभाग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अधीन कोई विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/निगम परिषद/आयोग/संस्था कार्यरत नहीं है और न ही मण्डल/जिले/तहसील/ब्लाक स्तर पर कोई कार्यालय स्थापित एवं संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 की उपलब्धियाँ

अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत पुरस्कार प्राप्त करने वाले दम्पति की संख्या पिछले कई वर्षों की अपेक्षा बढ़ी है। इसका मुख्य कारण बजट व्यवस्था बढ़ोतरी व जिले स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तावित योजनाएं

अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना

''अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह के लिये उत्तर प्रदेश अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976'' लागू है, जिसके अन्तर्गत ऐसे विवाहित जोड़ों जिनका एक पक्ष अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हो, को अन्तर्जातीय विवाह तथा ऐसे विवाहित जोड़ों, जो विवाह के पूर्व अलग-अलग धर्म को मानने वाले रहे हों, को अन्तर्धार्मिक विवाह की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे दम्पति को प्रोत्साहन स्वरूप रुपये 50,000/- का नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति प्रत्र प्रदान किया जाता है। इस सम्बन्ध में विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा उक्त नियमावली के नियम 7(2) में किए गए संशोधन के अनुसार अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का विकेन्द्रीकरण करते हुये मण्डलायुक्तों को प्रोत्साहन पुरस्कार की धनराशि नियमानुसार स्वीकृति हेतु अधिकृत किया गया है। अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु 60 लाख एवं अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु रु0 10 लाख की बजट व्यवस्था की गई है।

लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाया जाना

लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस दिनांक 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष ''राष्ट्रीय अखण्डता दिवस'' के रूप में मनाया जाता है। इसके लिये प्रत्येक जनपद को रुपये 5,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 3,75,000/- की व्यवस्था की गई है।

कौमी एकता सप्ताह का आयोजन

प्रतिवर्ष दिनांक 19 से 25 नवम्बर तक भारत सरकार के दिशा निर्देश पर कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है। इस हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद को रुपये 5,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 3,75,000/- की बजट व्यवस्था की गई है।

जिला एकीकरण समितियों का गठन

राष्ट्रीय एकता, भाईचारा एवं धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र की भावना बढ़ाने तथा साम्प्रदायिक एकता, सौहार्दपूर्ण वातावरण निरन्तर कायम रखने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर अध्यक्ष, जिला पंचायत की अध्यक्षता में जिला एकीकरण समिति का गठन किया गया है। इन समितियो द्वारा प्रमुख त्योहारों एवं उत्सवों जैसे- रक्षा-बन्धन, होली, दिवाली, ईद-बकरीद, क्रिसमस डे तथा बसन्त पंचमी सामूहिक रूप से मनाने की व्यवस्था करना तथा इन अवसरों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु अपनी जान खतरे में डालकर दूसरे सम्प्रदाय के सदस्यों की जान बचायी हो एवं अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत किये गये नागरिकों को आमंत्रित कर सम्मानित करना ताकि समाज के अन्य लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। इसके अतिरिक्त लोक नृत्य, लोकगीत, कठपुतली नृत्य आदि कराये जाने की व्यवस्था की गई है। इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 15,00,000 की बजट व्यवस्था की गई है।

महान विभूतियों के जन्म दिन पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्‌भाव कार्यक्रमों का आयोजन

प्रदेश के जनपदों के ऐसे ज्ञात-अज्ञात महानुभाव जिन्होंने स्थानीय समाज में भाई-चारे की भावनाओं को विकसित करने तथा विभिन्न सम्प्रदायों के बीच आपसी मेल-मिलाप के माहौल को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय योगदान दिया हो व उनका जन्मदिन धन के अभाव में नहीं मनाया जाता है, के निमित्त रुपये 35,000/- प्रति जनपद धनराशि स्वीकृत की जाती है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारम्भ की गई है। इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 26,25,000 की व्यवस्था की गई है।

बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रत्येक जनपद को रुपये 35,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ की गई है। इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 26,25,000 की बजट व्यवस्था की गई है।

मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी को अनुदान

मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा तथा उनके ऊपर अन्य द्वारा लिखित उर्दू की पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं का अन्य भाषाओं में अनुवाद कर उसे देश के पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मौलाना आजाद स्मारक अकादमी, लखनऊ, जो कि एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्था है, को रु. तीन लाख का वार्षिक अनुदान दिया जाता था, जिसे वित्तीय वर्ष 2014-15 में बढ़ाकर

रु. 15,00,000 किया गया । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी रु. 15,00,000 की बजट व्यवस्था की गई है।

गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार

प्रदेश में निवासरत जन सामान्य में से कोई एक महानुभाव, जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो तथा इस दिशा में सतत् संलग्न रहे हों, का अभिज्ञान कर उन्हें गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के रूप में सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 5 जनवरी को राज्य सरकार द्वारा रुपये एक लाख का नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2001 से प्रारम्भ की गई है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के अन्तर्गत प्रथम बार वर्ष 2012-13 व वर्ष 2013-14 के लिये गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिनांक 18 अक्टूबर, 2014 को क्रमशः श्री वाहिद अली 'वाहिद', लखनऊ तथा श्री काजी जैनुल राशिदीन, मेरठ को प्रदान किया गया। इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी पूर्व की भाँति रु. 2.00 लाख की बजट व्यवस्था की गई है।

●

भाषा

प्रदेश की राजभाषा हिन्दी एवं द्वितीय राजभाषा उर्दू के प्रयोग, प्रचार-प्रसार एवं विकास के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं के भी प्रचार-प्रसार का कार्य भाषा विभाग द्वारा किया जा रहा है। शासन स्तर पर इस विभाग द्वारा शासन के समस्त विभागों से प्राप्त अनुवाद कार्य तथा विभागीय मैनुअलों, संकलनों एवं संदर्भ ग्रन्थों आदि का प्रकाशन कार्य कराने के साथ-साथ विभिन्न भाषाओं से सम्बन्धित कार्यकलापों तथा योजनाओं को निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है-

(1) उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ

(2) उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्, लखनऊ

(3) उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, लखनऊ

(4) हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद

(5) उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ

(6) उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, लखनऊ

(7) उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, लखनऊ

(8) स्व. फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, लखनऊ

(9) राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, लखनऊ

(10) भाषा प्रकाशन (कोष्ठक), लखनऊ।

उ.प्र. भोजपुरी अकादमी के नाम से एक नयी संस्था के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। स्थापना और नियमावली का प्रख्यापन प्रक्रियाधीन है। भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन भाषायी संस्थाओं के कार्यकलापों एवं कार्यरत स्टाफ आदि के वेतन भत्तों के लिए आवश्यक सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है। उक्त संस्थाओं के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यकलापों के अन्तर्गत हिन्दी, उर्दू तथा संस्कृत भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने के साथ-साथ साहित्यकार कल्याण कोष योजना, प्रकाशन अनुदान योजना, उत्कृष्ट ग्रन्थों का प्रकाशन, साहित्यिक समारोह, पाण्डुलिपियों का प्रकाशन, अभावग्रस्त साहित्यकारों को सहायता के साथ-साथ प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न संगोष्ठियों का आयोजन तथा सम्पूर्ण देश में आयोजित पुस्तक प्रदशर्नियों एवं मेलों में प्रतिभाग भी किया जाता है।

राजभाषा हिन्दी

प्रदेश में सर्वप्रथम अक्टूबर, 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को अपनी राजभाषा घोषित

किया गया था। राजभाषा हिन्दी का प्रयोग प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में 26 जनवरी, 1968 से अनिवार्य कर दिया गया है तथा उक्त आदेश का अनुपालन न किया जाना अनुशासनहीनता माना गया है। अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गयी है जिससे हिन्दी की प्रगति को गतिशीलता मिल सके।

द्वितीय राजभाषा उर्दू

अल्पसंख्यकों की भावनाओं का समादर करते हुए सरकार ने वर्ष 1989 में उ.प्र. राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 पारित करके उर्दू को निम्नांकित सात विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया है :

(1) उर्दू में अर्जियों और आवेदन पत्रों की प्राप्ति और उर्दू में उनका उत्तर।

(2) उर्दू में लिखित दस्तावेजों को निबंधन कार्यालयों द्वारा स्वीकार किया जाना।

(3) महत्त्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में भी प्रकाशन।

(4) सार्वजनिक महत्त्व के सरकारी आदेशों और परिपत्रों को उर्दू में भी जारी किया जाना।

(5) महत्त्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में भी प्रकाशन।

(6) गजट के उर्दू रूपान्तर का भी प्रकाशन।

(7) महत्त्वपूर्ण संकेत पट्टों का उर्दू में प्रदर्शन।

उक्त प्रयोजनों के कार्यान्वयन हेतु समस्त विभागाध्यक्षों/जिलाध्यक्षों को समय-समय पर शासनादेश जारी किये गये हैं।

क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं का विकास

हिन्दी एवं उर्दू भाषा के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार की भी व्यवस्था की गयी है। इन भाषाओं के प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के पाँच जनपदों क्रमशः लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद और आगरा में कुल पाँच भारतीय भाषा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में कुल 13 भाषाओं यथा- तमिल, तेलुगू, कन्नड, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, पंजाबी, सिन्धी, असमिया, कश्मीरी और नेपाली के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। केन्द्रों के संचालन हेतु इस वर्ष लगभग चौंतीस लाख रुपये शासन द्वारा स्वीकृत किये गये।

आशुलिपि तथा टंकण प्रशिक्षण केन्द्र

भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश सचिवालय में राज्य कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय तथा लखनऊ स्थित सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु दरबारी लाल शर्मा भवन में हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत हिन्दी आशुलिपि कक्षा में 20 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

उर्दू प्रवीणता परीक्षा

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों में उर्दू भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा विगत लगभग चालीस वर्षों से शासन द्वारा चलाई जा रही है। जिसके अन्तर्गत हाईस्कूल स्तर की उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीण होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को क्रमशः 1400/-, 1000/- तथा 800/- रुपये की राशि तथा जूनियर हाईस्कूल स्तर की उर्दू प्रवीणता परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारियों/कर्मचारियों को क्रमशः 600/-, 400/- तथा 200/- रुपये की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है तथा दक्षता प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

भाषा विभाग के प्रमुख कार्य

- प्रकाशन कार्य

प्रकाशन कार्यों को अधिक तत्परता से पूरा कराने हेतु संबंधित प्रशासनिक विभागों से नियमों-विनियमों, आदेशों की सामग्री संकलन हेतु निरन्तर प्रयास किया जाता है तथा सामग्री प्राप्त कर उनके संशोधन व सम्पादन की कार्यवाही की जाती है। इस वर्ष सचिवालय नियम संग्रह का प्रकाशन और मुद्रण किया गया।

- **अनुवाद कार्य**

शासन की भाषा नीति के अनुरूप राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन स्तर पर समस्त विभागों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सामान्य, प्रकीर्ण एवं विधायी प्रकृति के शासकीय प्रपत्रों/पत्रों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य भाषा विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है।

वर्ष 2017-18 में साधारण गजट व 213 असाधारण गजट तथा 468 पृष्ठों के सरकारी गजट का उर्दू अनुवाद किया गया। इसके अतिरिक्त कुल 04 निकाहनामों का उर्दू में अनुवाद किया गया।

- **पत्रावली कार्य**

वर्ष 2017-18 में भाषा विभाग के 12 अनुभागों द्वारा कुल, 4,075 वि0पत्रों का निस्तारण किया गया।

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्, लखनऊ

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् लखनऊ की स्थापना 31 दिसम्बर 1976 को संस्कृत, पालि एवं प्राकृत भाषाओं तथा उनके साहित्य के समुचित संरक्षण, प्रोत्साहन एवं विकास के लिये की गयी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में संस्थान को वेतन मद सं0-31 में रु. 131.00 लाख, गैर-वेतन मद सं0-20 में रु. 45.00 लाख तथा संस्कृत पण्डितों को पुरस्कृत करने हेतु रु. 40.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। उ0प्र0 संस्कृत संस्थानम् सदैव संस्कृत भाषा के विकास, प्रचार व प्रसार एवं संरक्षण के लिये अपने स्थापना काल से प्रयासरत रहा है। संस्कृत संस्थानम् द्वारा अधोलिखित मुख्य कार्य किये जाते हैं।

- **पुरस्कार योजना -** संस्कृत संस्थानम् द्वारा प्रति वर्ष 50 विद्वानों को निम्नलिखित धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है :

क्र.सं.	पुरस्कार का नाम	संख्या	धनराशि	प्रत्येक
1.	विश्वभारती पुरस्कार	1	5,01,000.00	
2.	महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार	1	2,01,000.00	
3.	महर्षि व्यास पुरस्कार	1	2,01,000.00	
4.	महर्षि नारद पुरस्कार	1	1,01,000.00	
5.	विशिष्ट पुरस्कार	5	1,01,000.00	**प्रत्येक**
6.	वेद पण्डित पुरस्कार	10	5,10,000.00	**प्रत्येक**
7.	नामित पुरस्कार	5	51,000.00	**प्रत्येक**
8.	विशेष पुरस्कार	6	21,000.00	**प्रत्येक**
9.	विविध पुरस्कार	20	11,000.00	**प्रत्येक**

इसी क्रम में वर्ष 2016 तथा 2017 के पुरस्कारों का वितरण दिनांक : 07.02.2018 को लोक भवन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ के प्रेच्छागृह में मा0 राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों से किया गया।

- **प्रकाशन योजना**

संस्थान द्वारा अब तक 65 ग्रन्थों का प्रकाशन किया गया है, जिसमें संस्कृत वाङ्मय का वृहद इतिहास का प्रकाशन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पद्‌भूषण स्व0 आचार्य बलदेव उपाध्याय जी के प्रधान सम्पादकत्व में 18 खण्डों में सम्पूर्ण संस्कृत वाङ्मय से सम्पादन का कार्य प्रारम्भ हुआ जिसमें से 15 खण्ड प्रकाशित हो गये हैं। दुर्लभ ग्रन्थों में विद्वच्चरित पंचकर्म, अद्वैत सिद्धिः (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाग) इत्यादि है साथ ही बाल साहित्य के रूप में डॉ0 सत्यदेव चौधरी द्वारा रचित भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष गाथा तथा डॉ0 ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथमन्दकिनी इत्यादि संस्थान द्वारा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों में से हैं।

- **व्याख्यान गोष्ठी**

संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष शंकराचार्य जयन्ती, बुद्ध जयन्ती, व्यास जयन्ती, कालिदास जयन्ती, वाल्मीकि जयन्ती, गीता जयन्ती आदि का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों के व्याख्यान एवं गोष्ठी (सेमिनार) आयोजित होते हैं। वाल्मीकि जयन्ती पर सम्पूर्ण प्रदेश में इण्टर/मध्यमा स्तर की वाद-विवाद एवं श्लोक-अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता का प्रथम बार मण्डल स्तर पर तथा बाद में प्रत्येक मण्डल के प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों की प्रतियोगिता लखनऊ में की गयी, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को क्रमशः 2000/-, 1500/-, 1000/- एवं 500/- रुपये की धनराशि तथा प्रमाण-पत्र व स्मृति चिह्न से सम्मानित किया गया।

- **ग्रन्थ प्रकाशन अनुदान**

संस्थान द्वारा ग्रन्थ प्रकाशन अनुदान, पत्र-पत्रिका अनुदान, सार्वजनिक, पुस्तकालय को संस्कृत

ग्रन्थ सहायता तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु अनुदान प्रदेश शासन से प्राप्त धनराशि से दिया जाता है।

हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद

भारतीय भाषाओं सहित हिन्दी, उर्दू सहित हिन्दी की क्षेत्रीय बोलियों (अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी एवं बुन्देली) के संरक्षण, विकास एवं उन्नति के लिए संचालित हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद एक ऐतिहासिक संस्था है जिसकी स्थापना धारा सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा 29 मार्च, 1927 को हुई थी।

उद्देश्य

हिन्दुस्तानी एकेडमी का उद्देश्य प्रारम्भ से लेकर वर्तमान समय तक हिन्दी और उर्दू साहित्य की रक्षा, वृद्धि तथा उन्नति, साहित्य सृजन के कार्य में प्रोत्साहन, कला और विज्ञान के विभिन्न अंगों की पूर्ति के लिए बड़े और प्रामाणिक संकलन ग्रन्थ प्रस्तुत करना एवं साहित्यिक मानदण्ड स्थिर करने के मूलभूत उद्देश्यों को सार्थक बनाने का प्रयास करना रहा है।

उक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद अन्य भारतीय भाषाओं से हिन्दी में उच्चकोटि के साहित्य का अनुवाद कराने का कार्य करती आयी है।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान

राष्ट्रभाषा हिन्दी के वाङ्मय की इस श्रीवृद्धि में जिन संस्थाओं का विशिष्ट योगदान है, उनमें उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान सर्वप्रमुख है। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान राष्ट्रभाषा के अनन्य उपासक, मनीषी व चिन्तक राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन की पुण्य स्मृति का जीवन्त प्रतीक है। हिन्दी भाषा व साहित्य के सर्वतोन्मुखी उन्नयन और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार में राष्ट्रभाषा की वर्तमान भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की स्थापना 30 दिसम्बर, 1976 को हुई थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में संस्थान द्वारा किये गये मुख्य कार्यकलापों का विवरण निम्नवत है :

- **साहित्यिक समारोह योजना**

1. दिनांक 20 मई, 2017 को आचार्य विष्णुकांत शास्त्री स्मृति समारोह का आयोजन किया गया।
2. दिनांक 16 जून, 2017 को शिवसिंह 'सरोज', प्रभाकर माचवे एवं नन्द किशोर देवराज की स्मृति में स्मृति पर्व पर केन्द्रित संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
3. दिनांक 30 जुलाई, 2017 को 'तुलसी जयन्ती' के अवसर पर संगोष्ठी एवं तुलसीदास के पदों की संगीतमय प्रस्तुति का आयोजन किया गया।
4. दिनांक 3 व 4 अगस्त, 2017 को मैथिलीशरण गुप्त जयन्ती के अवसर पर हिन्दी विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय संगोष्ठी एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया।
5. दिनांक 30 अगस्त, 2017 को भगतवतीचरण वर्मा जयन्ती समारोह का आयोजन किया गया।
6. दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को हिन्दी दिवस के अवसर पर 'अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के विकास की सम्भावनाएं एवं चुनौतियां' तथा 'विज्ञान व तकनीक के क्षेत्रों में हिन्दी का वर्तमान परिदृश्य एवं भविष्य की कार्य योजना' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

7. दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को संस्थान के स्थापन दिवस के अवसर पर 'पूर्वोत्तर भारतीय भाषाएँ और हिन्दी' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
8. दिनांक 06 जनवरी, 2018 को भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की पावन स्मृति को समर्पित 'नवजागरण की चेतना और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
9. दिनांक 13 व 14 जनवरी, 2018 को वाराणसी में 'विद्याश्री न्यास' के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
10. दिनांक 30 जनवरी, 2018 को आजमगढ़ में 'अखिल भारतीय साहित्य परिषद, आजमगढ़' के संयुक्त तत्वावधान में संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

- **संस्थाओं के साथ कार्यशाला**

•• दिनांक 3 व 4 फरवरी, 2018 को महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर में 'स्वतंत्र भारत में हिंदी की विकास यात्रा' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

- **पुरस्कार योजना**

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन दिनांक 22 जनवरी, 2018 को मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के आवास पर किया गया। सम्मान समारोह की अध्यक्षता श्री हृदय नारायण दीक्षित, मा0 अध्यक्ष, विधानसभा, उ0प्र0 द्वारा की गयी। मुख्य अतिथि के रूप में श्री योगी आदित्यनाथ, मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उपस्थित थे। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉ0 आनन्द प्रकाश दीक्षित को भारत-भारती सम्मान से सम्मानित करते हुए उत्तरीय, गंगाजी की प्रतिमा, ताम्रपत्र व पाँच लाख की धनराशि भेंट की गयी। इसके अतिरिक्त 91 सम्मानों/पुरस्कारों से देश/विदेश के साहित्यकारों को सम्मानित/पुरस्कृत किया गया।

- **बाल साहित्य संवर्द्धन योजना**

बच्चों की प्रिय पत्रिका बालवाणी द्वैमासिक का नियमित प्रकाशन कराया जा रहा है।

दिनांक 14 नवम्बर, 2017 को बाल दिवस के अवसर पर अभिनन्दन पर्व 2016 का आयोजन किया गया, जिसमें पाँच बाल साहित्यकारों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

- **साहित्यकार कल्याण कोष योजना**

उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विषम आर्थिक स्थिति ग्रस्त तीन साहित्यकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।

- **प्रकाशन अनुदान योजना**

उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अट्ठारह साहित्यकारों को उनकी पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।

- **अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन**

दिनांक 28 जनवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान एवं लखनऊ महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वावधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन अवध शिल्प ग्राम, लखनऊ में किया गया।

उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी

उ.प्र. उर्दू अकादमी की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। उर्दू अकादमी की स्थापना का उद्देश्य उर्दू भाषा का विकास, प्रचार–प्रसार एवं संरक्षण व संवर्धन है। स्थापना के समय अकादमी को रु0 5.10 लाख का अनुदान स्वीकृत करके 19 जनवरी, 1972 में एक नियामावली पंजीकृत कराकर शासन द्वारा साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति नामित की गई थी।

अकादमी के बढ़ते हुए कार्यकलापों को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने समय-समय पर आवर्तक अनुदान में वृद्धि की है और वर्ष 2017-18 में रु0 8.15 करोड़ का कुल अनुदान स्वीकृत किया गया है तथा उर्दू आई0ए0एस0 स्टडी सेन्टर हेतु रु0 2.00 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया था।

अकादमी के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :

- **प्रदेश के पंजीकृत पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को उर्दू पुस्तकें तथा पत्र/पत्रिकायें क्रय हेतु आर्थिक सहायता।**

इस योजना हेतु अकादमी के बजट में रु0 5.00 लाख की धनराशि आवंटित है। जिसके अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत पुस्तकालयों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उप समिति की बैठक में आवेदन-पत्रों पर अनुदान की संस्तुति की जाती है। अनुदान की न्यूनतम धनराशि रु0 10,000 तथा अधिकतम रु0 12,000 होती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 32 पुस्तकालयों को अनुदान स्वीकृत किया गया है।

- **उर्दू पुस्तकों पर पुरस्कार**

इस मद हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु. 70 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। इस योजनान्तर्गत सम्पूर्ण भारत के लेखकों, कवियों एवं साहित्यकारों को उनकी उर्दू की उत्कृष्ट पुस्तकों पर पुरस्कार के अतिरिक्त साहित्यकारों एवं लेखकों को उनकी साहित्यिक सेवाओं पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक प्रकाशित पुस्तकों को आगामी 15 जनवरी तक आमंत्रित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत रु. 5.01 लाख मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार रु. 1 लाख 51 हजार के मजमुई अदवी खिदमात के पाँच पुरस्कार तथा रु. 51-51 हजार पत्रकारिता हेतु 1 मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी की दो पुरस्कार इसके अतिरिक्त उर्दू की श्रेष्ठता पुस्तकों पर क्रमशः रुपये पाँच हजार से पच्चीस हजार तक के पुरस्कार वितरित किये जाते हैं।

- **लेखकों को उनकी पाण्डुलिपियों के प्रकाशन पर आर्थिक सहायता**

इस मद हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 15 लाख की धनराशि आवंटित की गई है। पाण्डुलिपियों के प्रकाशित हो जाने पर वित्तीय वर्ष के अन्त तक इस मद पर निर्धारित समस्त धनराशि व्यय की जाती है। इसकी स्वीकृति का नियम यह है कि पाण्डुलिपि के 400 प्रतियों के प्रकाशन पर होने वाले कुल अनुमानित व्यय के 75 प्रतिशत की धनराशि अनुदान स्वरूप स्वीकृति की जाती है।

- **उ0प्र0 के बीमार, वृद्ध तथा आर्थिक रूप से कमजोर उर्दू कवियों तथा लेखकों को आर्थिक सहायता**

वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस मद हेतु लगभग रु. 50 लाख की धनराशि आवंटित की गई है जिसमें वृद्ध एवं बीमार लेखकों/कवियों को उनके इलाज हेतु मासिक तथा एक मुश्त आर्थिक सहायता

प्रदान की जाती है। लेखकों को 2500 रुपये मासिक सहायता तथा 5000 से 10000 रुपये तक एक मुश्त सहायता दी जाती है।

- **उर्दू छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति**

इस मद हेतु रु. 40 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है जिसमें कक्षा 6 से पीएच0डी0 तक के छात्रों को निर्धारित प्रपत्रों पर आवेदन प्राप्त करके उर्दू विषय में मेरिट के आधार पर प्रत्येक विद्यालय के दो छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का प्रावधान है।

फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी

फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। कमेटी के मुख्य उददेश्यों में उर्दू साहित्यकारों को उनकी कृतियों के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, उर्दू में पीएच0डी0 तथा डी0लिट्0 शोधकर्ताओं को थीसिस की स्वच्छ प्रतियाँ तैयार करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, महत्त्वपूर्ण साहित्यिक तथा राष्ट्रीय विषयों पर विशिष्ट विद्वानों द्वारा फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल व्याख्यानों को आयोजित करना, उर्दू के प्रतिभावान स्कॉलरों को गोल्ड मेडल प्रदान करना तथा राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से ऐसे अन्य कदम उठाना जिससे उर्दू को बढावा देना सम्भव हो मुख्य रूप से सम्मिलित किये गये।

वर्ष 2017-18 में वेतन भत्तों में रु0 47.44 लाख की एवं योजनाओं हेतु रु0 60.00 लाख की धनराशि को मिलाकर कुल बजट 107.44 लाख आवंटित किया गया।

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ की स्थापना प्रदेश की भाषा नीति के हित में भारत वर्ष के विभिन्न राज्यों व संघीय राज्यों में भारतीय भाषाओं तथा उनके साहित्य के समुचित संरक्षण, प्रोत्साहन एवं विकास के लिए की गयी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रुपये 75.00 लाख का बजट स्वीकृत किया गया। भाषा संस्थान, इन्जीनियरिंग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, तकनीकि, प्रशासनिक, प्रबंधकीय एवं विधिक तथा अन्य आधुनिक विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का हिन्दी में मौलिक लेखन, अनुवाद एवं प्रकाशन आदि के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यरत हैं।

उक्त के अन्तर्गत संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में लखनऊ में दिनांक 01.01.2018 से 05.01.2018 तक चित्रकला तथा रचनात्मक लेखन विषयक पाँच दिवसीय कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 4 से 12 तक के लगभग 40 विद्यालयों के लगभग 200 छात्र/छात्राओं ने भाग लिया। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के सहयोग से ''हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में राष्ट्र, समाज एवं संस्कृत'' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके समापन समारोह के मुख्य अतिथि मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी थे।

इसी क्रम में दिनांक 24 जनवरी, 2018 को लखनऊ विश्वविद्यालय के डी0पी0ए0 हॉल में लेखक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 05 नवोदित लेखकों को सम्मानित किया गया, जिसमें 02 भाषा सम्मान रु. 21.00 हजार तथा 03 भाषा मित्र सम्मान रु. 11.00 हजार से सम्मानित किया गया।

उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी

उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की स्थापना दिनांक 17 मार्च, 1998 को एवं अकादमी का रजिस्ट्रेशन अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन दिनांक 05 मार्च, 1999 को हुआ है। अकादमी का मुख्य उद्देश्य पंजाबी भाषा, साहित्य, कला एवं संस्कृति का प्रचार-प्रसार व संवर्द्धन करना है। पंजाबी अकादमी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निरन्तर कार्य कर रही है। जिसमें प्रतिवर्ष विद्वत गोष्ठी, काव्य गोष्ठी, युवा वर्ग में पंजाबी भाषा के प्रोत्साहनार्थ छात्रों को पुरस्कृत किया जाना, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के कवियों, विद्वानों, साहित्यकारों को आमंत्रित कर कवि सम्मेलनों का आयोजन कराया जाना तथा पंजाबी भाषा में रुचिता लाने हेतु पंजाबी नाटक, लोकगीत, लोकनृत्य सांस्कृतिक जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त लेखकों को प्रोत्साहन, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि को सीखने हेतु सेन्टर का संचालन, पुस्तकों का प्रकाशन आदि का कार्य मुख्यतया किये जाते हैं।

स्थापना काल से प्रतिवर्ष अकादमी के गतिविधियों की वृद्धि के साथ-साथ अकादमी के बजट में भी निरन्तर वृद्धि हुई है।

उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की प्रमुख योजनाएं

1. पंजाबी भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं कला को प्रोत्साहित किये जाने हेतु सम्मेलनों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन।
2. पंजाबी भाषा के मौलिक साहित्यिक एवं हस्तलिखित रचनाओं का प्रकाशन तथा इस प्रयोजनार्थ विद्वानों को सहायता प्रदान करना।
3. पंजाबी भाषा में बाल साहित्य का प्रकाशन।
4. पंजाबी भाषा में संदर्भ ग्रन्थों की रचना एवं उनका प्रकाशन करना।
5. अप्रकाशित श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं को पंजाबी भाषा में प्रकाशित करना।
6. पंजाबी भाषा के प्रतिभावान छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान करना।
7. पंजीकृत पंजाबी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना।
8. पंजाबी भाषा के संयोग्य लेखकों को रचनाओं के प्रकाशन में सहायता करना।
9. पंजाबी भाषा के बुजुर्ग एवं जरूरतमंद लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
10. महत्त्वपूर्ण साहित्यिक रचनाओं का पंजाबी भाषा में अनुवाद।

उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी, लखनऊ

सिन्धी भाषा, साहित्य, संस्कृति व कला के प्रचार-प्रसार, विकास, संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए भाषा विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 1996 की अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी की स्थापना की गयी थी। अकादमी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निरन्तर कार्य कर रही है। अकादमी द्वारा सिन्धी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिवर्ष विद्वत संगोष्ठी, सिन्धी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन वृत्ति, राष्ट्रीय स्तर के सिन्धी कवि सम्मेलनों, सिन्धी नाटक, सिन्धी लोकगीत अन्य सिन्धी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अकादमी द्वारा लेखकों को

प्रोत्साहनार्थ सिन्धी पुस्तकों को प्रकाशित करने एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु अनुदान देने आदि जैसे कार्य समय-समय पर किये जाते हैं। शासन द्वारा अकादमी को वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि रु. 1,22,72,000/- (रु. एक करोड़ बाइस लाख बहत्तर हजार मात्र) प्राविधानित है।

उ0प्र0 सिन्धी अकादमी की प्रमुख योजनाएं

1. सिन्धी भाषा, साहित्य संस्कृति एवं कला को प्रोत्साहित किये जाने हेतु सम्मेलनों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन करना।
2. सिन्धी भाषा के मौलिक साहित्यिक एवं हस्तलिखित रचनाओं का प्रकाशन तथा इस प्रयोजनार्थ विद्वानों को सहायता प्रदान करना।
3. सिन्धी भाषा में बाल साहित्य का प्रकाशन।
4. सिन्धी भाषा में संदर्भ ग्रन्थों की रचना एवं उनका प्रकाशन करना।
5. अप्रकाशित श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं को सिन्धी भाषा में प्रकाशित करना।
6. सिन्धी भाषा के प्रतिभावन छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान करना।
7. पंजीकृत सिन्धी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना।
8. सिन्धी भाषा के सुयोग्य लेखकों को रचनाओं के प्रकाशन में सहायता करना।
9. सिन्धी भाषा के बुजुर्ग एवं जरूरतमंद लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
10. महत्त्वपूर्ण साहित्यिक रचनाओं का सिन्धी भाषा में अनुवाद करना।

●

सूचना एवं प्रचार

उत्तर प्रदेश सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग प्रदेश सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, विकास योजनाओं तथा उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और जनता की प्रतिक्रियाओं को सरकार तक पहुंचाने में एक सुदृढ़ सेतु की भूमिका निभा रहा है। सूचना विभाग यह कार्य मीडिया की विभिन्न विधाओं जैसे- प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रदर्शनी, होर्डिंग, एल.ई.डी. तथा गीत एवं नाट्य आदि के जरिए जनता तक पहुंचा कर सरकार और जनता के बीच एक प्रभावी समन्वयक की भूमिका निभाता है।

शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 1946 के द्वारा सूचना निदेशालय की स्थापना की गयी। इस विभाग की स्थापना का आशय यह था कि शासन 'प्रेस' के सम्पर्क में रहे और देखे कि प्रेस में भेजे जाने वाले शासकीय समाचार वास्तविक तथ्यों पर आधारित हों। वर्तमान में विभाग का प्रमुख उद्देश्य शासन की जनोपयोगी नीतियों, कार्यकलापों को विभिन्न प्रचार-माध्यमों से आम जनता तक पहुंचाना तथा आम जनता की प्रतिक्रियाओं से शासन को अवगत कराना है। इस प्रकार यह विभाग शासन व जनता के मध्य सम्पर्क-सूत्र के रूप में कार्य करता है।

सूचना क्रांति के इस युग में, जबकि संचार माध्यम बहुत सशक्त एवं आधुनिक तकनीक पर आधारित हो गये हैं और सूचना प्रेषण की गति अत्यधिक तेज हो गयी है, सूचना विभाग का कार्य-दायित्व और महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है।

विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, डाक्यूमेंट्री, होर्डिंग, एल.ई.डी., प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य तथा प्रेसनोट के माध्यम से यह विभाग शासन की जनहितकारी नीतियों एवं निर्णयों को विभिन्न स्वरूपों में जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यह विभाग विभिन्न प्रचारपरक प्रकाशनों द्वारा शासन की नीतियों, संकल्पों, प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों की विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी आम जन तक पहुंचाता है, साथ ही ऐसे विचारपरक प्रकाशन भी करता है, जो जनचेतना को विकसित कर सकें।

देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, लघु एवं मध्यम समाचार-पत्रों की जहां एक ओर संख्या बहुत अधिक है, वहीं दूसरी ओर इनकी अपनी अनेक समस्याएं भी हैं। सूचना विभाग का अधिकतम प्रयास यह रहता है कि सभी समाचार-पत्रों एवं पत्रकारों के लिए यथा-संभव सुविधायें उपलब्ध हो सकें, ताकि उनकी कार्य-प्रणाली में अधिक गतिशीलता आये और वे अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज को एक सकारात्मक दिशा दे सकें।

वर्तमान में सूचना-संकलन एवं इसको अद्यतन रखने के साथ-साथ संदर्भ के रूप में इसके सार्थक उपयोग हेतु इसे जहां संरक्षित किया जाना आवश्यक है, वही सूचनाओं को प्राप्त करने एवं उनके तत्काल

प्रेषण की व्यवस्था का भी महत्त्व है। समय से सूचना न मिलने के कारण उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। इस उद्देश्य से ही विभाग को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इस दिशा में अभी तक लखनऊ स्थित मुख्यालय, मुख्यमंत्री सूचना परिसर, सूचना ब्यूरो एवं राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली तथा जनपद कार्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित कराये जा चुके हैं और देश के सभी भागों में ई-मेल द्वारा समाचार व चित्र त्वरित गति से प्रेषित किये जाते हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की संरचना कुछ इस प्रकार से की गयी है कि शासन की नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता तक सीधे पहुंच सके, ताकि वह जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें।

लखनऊ स्थित मुख्यालय द्वारा विभिन्न जनसंचार माध्यमों से समाज के आखिरी व्यक्ति तक सूचनाएं पहुंच सकें, इस निमित्त पत्र सूचना शाखा तथा मुख्यमंत्री सूचना परिसर से प्रेस विज्ञप्तियों के अतिरिक्त लेख, फीचर आदि जारी किये जाते हैं। पारम्परिक जन संचार माध्यम, गीत एवं नाट्य, प्रदर्शनी आदि के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण जनता तक क्षेत्रीय लोक शैलियों के जरिए मनोरंजन करते हुए नाटकों, रूपकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा प्रचार-प्रसार कर कल्याणकारी नीतियों के जनहितकारी संदेश आम जन तक पहुंचाये जाते हैं। फिल्म के माध्यम से भी आम जन को शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया जाता है। होर्डिंग एवं एल.ई.डी. के माध्यम से भी प्रमुख योजनाओं और अद्यतन उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाता है। फोटो-फिल्म प्रभाग द्वारा नियमित रूप से प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों से सम्बन्धित फोटो समाचार पत्रों, दूरदर्शन एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रकाशनार्थ एवं प्रसारणार्थ भेजा जाता है।

प्रकाशन प्रभाग द्वारा तीन नियमित महत्त्वपूर्ण मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाता हैं, जिनमें विकास परक ''**उत्तर प्रदेश संदेश**'' साहित्य, संस्कृति और विचार की साहित्यिक पत्रिका ''**उत्तर प्रदेश**'' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उर्दू अदब की ''**नया दौर**'' अत्यधिक लोकप्रिय पत्रिका है। इनके अतिरिक्त विभिन्न विभागों की उपलब्धियों की संदर्भ पुस्तक ''**उत्तर प्रदेश वार्षिकी**'' तथा शासन के कार्यालयों/दूरभाष की सूचना से युक्त सूचना डायरी /सूचना निदर्शनी का भी नियमित प्रकाशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर सरकार के अन्य कार्यक्रमों, उपलब्धियों पर पुस्तकें, प्रसार सामग्री प्रकाशित की जाती हैं।

प्रेस प्रभाग द्वारा पत्रकारों के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। समाचारों के संकलन की सुविधा हेतु प्रेस मान्यता प्रदान कर प्रेस कार्ड निर्गत किये जाने की व्यवस्था है। सचिवालय एनेक्सी में मीडिया सेन्टर संचालित है, जो विविध रूपों से पत्रकारगणों को सुविधा प्रदान करता है।

समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को सचिवालय प्रवेश पत्र उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था प्रेस प्रभाग द्वारा की जाती है। मान्यता प्राप्त पत्र प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों में रियायती यात्रा सुविधा तथा सरकारी कर्मचारियों की तरह उन्हें तथा उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

विज्ञापन प्रभाग द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्रों को समय-समय पर सजावटी एवं वर्गीकृत विज्ञापन निर्गत किये जाते हैं। निरीक्षा शाखा द्वारा समाचार पत्रों की विषयवार कतरनों को प्रतिदिन

मा0 मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगणों तथा सम्बन्धित विभाग के सचिवों को भिजवाये जाने की व्यवस्था है, ताकि मीडिया द्वारा प्रकाश में लाए गये विषयों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। साथ ही समाचार पत्रों की प्रतिदिन निरीक्षा भी की जाती है।

राज्य सूचना केन्द्र, हजरतगंज तथा संदर्भ शाखा द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सुविधा के लिए संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। ''फिल्म नीति'' के अन्तर्गत गठित ''फिल्म बन्धु'' के माध्यम से प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने हेतु व्यवस्था की गयी है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लखनऊ स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्र प्रचार संगठन के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में से समस्त जनपदों में जिला सूचना कार्यालय संचालित हैं, जो स्थानीय स्तर पर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार, मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार करते हैं। जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य के कार्यक्रमों, प्रेस विज्ञप्तियों तथा लेख/फीचर आदि द्वारा प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाता है। जिला स्तरीय ये इकाइयां जिलाधिकारी के निर्देशन में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मीडिया प्लान बनाकर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और उपलब्धियों का समुचित प्रचार-प्रसार करती हैं। लाल बहादुर शास्त्री भवन, एनेक्सी में प्रचार-प्रसार के आधुनिक संसाधनों से लैस मीडिया सेण्टर है जिसमें प्रेस कान्फ्रेन्स आयोजित करने के लिए सभागार, पुस्तकालय तथा पत्रकारों के लिए समाचार भेजने हेतु एक अत्याधुनिक कम्प्यूटर रूम जो इण्टरनेट आदि की सुविधा से युक्त है, स्थापित है। यह मीडिया सेण्टर अपने आप में एक अनूठा एवं मीडियाकर्मियों के लिए सुविधाजनक मीडिया स्थल है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक चैनल्स पर उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित प्रसारित होने वाले समाचारों की रिकार्डिंग आदि का कार्य इलेक्ट्रानिक मीडिया सेल द्वारा किया जाता है जिसे और अधिक सुदृढ़ करने की कार्यवाही की जा रही है।

विभागीय कार्य-कलापों का विवरण

पत्र सूचना शाखा

शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, उपलब्धियों तथा घोषणाओं की जानकारी विभिन्न प्रचार माध्यमों, समाचार-पत्र, इलेक्ट्रानिक मीडिया, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि द्वारा जनता तक पहुँचाने का कार्य पत्र सूचना शाखा का है। इस शाखा द्वारा प्रेस-नोट, लेख/फीचर तथा समीक्षात्मक आलेख समय-समय पर जारी किये जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा अन्य विशेष अवसरों पर इस शाखा द्वारा विशेष लेख, राउण्ड-अप आदि हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू में एक साथ जारी किये जाते हैं। गत 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक हिन्दी 3555 तथा उर्दू 1895 भाषा में प्रेसनोट, विशेष लेख आदि हिन्दी राष्ट्रीय समाचार-पत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा समाचार चैनलों को प्रकाशनार्थ/प्रसारणार्थ भेजे गये। प्रदेश में उर्दू भाषी जनता को यह जानकारी समुचित रूप से उपलब्ध कराने का दायित्व विभाग की उर्दू शाखा निर्वहन करती है। इस शाखा में स्थापित उर्दू यूनिट द्वारा प्रचार सामग्री का उर्दू अनुवाद किया जाता है। इस कार्य में समय-समय पर जारी होने वाले विज्ञापनों, प्रचारपरक सामग्री आदि का अनुवाद, शासन की विज्ञप्तियों व संदर्भ चित्रों को वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही समाचार पत्रों को प्रेस नोट ई-मेल के माध्यम से भेजने का कार्य भी इसी शाखा द्वारा किया जाता है। यह प्रभाग समस्त शासकीय प्रचार-प्रसार सामग्री को तैयार करने में भी अपनी भूमिका का निर्वाह करता है।

मुख्यमंत्री सूचना परिसर

मुख्यमंत्री सूचना परिसर द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रेस-विज्ञप्तियाँ इलेक्ट्रानिक तथा प्रिन्ट मीडिया को विभिन्न संचार माध्यमों से उपलब्ध करायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त मा. मुख्यमंत्री के उपयोगार्थ भाषण तथा उनकी ओर से भेजे जाने वाले संदेश भी तैयार किए जाते हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों की प्रेस विज्ञप्तियों व फोटो को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड भी कराया जाता है। मुख्यमंत्री सूचना परिसर द्वारा मा. मंत्रिपरिषद के निर्णयों के प्रचार-प्रसार का दायित्व निर्वहन भी किया जाता है।

मुख्यमंत्री सूचना परिसर द्वारा 1 अप्रैल, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक 920 हिन्दी, 504 उर्दू, तथा 275 अंग्रेजी विज्ञप्तियाँ जारी की गईं।

प्रेस प्रभाग

शासन एवं पत्रकारों के मध्य समन्वय स्थापित करने एवं श्रमजीवी पत्रकारों को समाचार संकलन की सुविधा उपलब्ध कराकर शासन की नीतियों का प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने में सहायता देने के उद्देश्य से प्रेस प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं-

मीडिया प्रतिनिधियों को प्रेस मान्यता मार्गदर्शिका 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत शासन द्वारा राज्य मुख्यालय और जनपद स्तरीय मान्यता प्रदान करके पत्रकारों को राज्य मुख्यालय तथा प्रदेश के सभी जनपदों में प्रेस मान्यता कार्ड जारी किये जाते हैं। इन कार्डों से पत्रकारों को समाचार संकलन के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर आने-जाने की सुविधा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा तथा रियायती दरों पर रेल यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी कर्मचारियों की भांति राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त होती है। राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को एस.जी.पी.जी.आई. में भी निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है।

सभी जिलों में पत्रकारों तथा जिला प्रशासन के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया जाता है, जिसके सदस्य सचिव/संयोजक जिला सूचना अधिकारी होते हैं। यह समिति समय-समय पर बैठकें आयोजित करके पत्रकारों के उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों पर विचार करती है और यदि कोई शिकायत उच्च स्तरीय जांच के लिए भेजी जाती है तो प्रेस प्रभाग द्वारा उसमें कार्यवाही की जाती है, पत्रकारों द्वारा सीधे भी यदि कोई शिकायत प्रेस प्रभाग में प्राप्त होती है, तो उसका निस्तारण किया जाता है।

महामहिम श्री राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मंत्रीगण तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा आहूत पत्रकार सम्मेलन/पत्रकार भ्रमण आदि के लिए आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था भी प्रेस प्रभाग द्वारा की जाती है।

मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा पत्रकारों के सम्बन्ध में की गयी घोषणाओं के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही प्रेस प्रभाग द्वारा की जाती है। प्रेस से सम्बन्धित अन्य आकस्मिक कार्य भी प्रभाग द्वारा संपादित कराया जाता है।

विज्ञापन प्रभाग

शासन की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता एवं कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए समाचार पत्रों समय-समय परमें सजावटी/वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशित कराये जाते हैं।

1 अप्रैल, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, चिकित्सा, विशेष भूमि अध्याप्ति, शिक्षा, ऊर्जा, दुग्ध विकास, अवस्थापना विकास एवं अन्य विभागों के कुल 8,197 वर्गीकृत विज्ञापन जारी किये गये हैं।

क्षेत्र प्रचार प्रभाग

शासन के विकासपरक कार्यक्रम एवं उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने तथा मीडिया एवं जिला प्रशासन विभिन्न इकाइयों के माध्यम से जिला स्तर पर जनता से सीधा सम्पर्क बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त 18 मण्डलों एवं 75 जनपदों में क्रमशः मण्डलीय तथा जिला सूचना कार्यालय स्थापित हैं। जिला सूचना कार्यालय जनपदों में हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों, शासन की योजनाओं तथा उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को अपने स्तर से प्रेस नोट जारी करते हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लखनऊ स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्र प्रचार संगठन जनपद स्तर पर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार, मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार करते हैं। जनपद स्तर पर प्रदर्शनियों, गीत एवं नाट्य के कार्यक्रम, प्रचार गोष्ठियों, होर्डिंग्स/एल0ई0डी0 प्रेस विज्ञप्तियों तथा लेख/फीचर, सफलता की कहानी आदि द्वारा प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाता है। मण्डल एवं जिलास्तरीय उक्त इकाइयां जिलाधिकारी के निर्देशन में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मीडिया प्लान बनाकर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और उपलब्धियों का समुचित प्रचार-प्रसार करती हैं।

जनपदीय इकाइयों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जनपदों में सी.यू.जी., कम्प्यूटर/प्रिंटर तथा फोटो कॉपियर, फैक्स, कैमरा/वीडियो कैमरा, इनवर्टर एवं प्रचार वाहन आदि उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। सभी कार्यालय इंटरनेट के माध्यम से मुख्यालय से जोड़े गये हैं। परिणाम स्वरूप जिलों से संबंधित महत्त्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित दैनिक एस0एम0एस0 व पाक्षिक फीकबैक रिपोर्ट नियमित रूप से प्राप्त होती है।

क्षेत्र प्रचार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों में जिला सूचना केन्द्र स्थापित किये गये हैं। सभी सूचना केन्द्रों में दैनिक समाचार पत्र/पत्रिकाएं, ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं व अन्य उपयोगी पुस्तकें जन साधारण के लिये उपलब्ध रहती हैं। प्रचार-प्रसार के कार्य को गतिशील बनाने हेतु प्रचार वाहन के द्वारा विभागीय साहित्य प्रचार साहित्य का वितरण व संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है।

सूचना ब्यूरो

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सूचना ब्यूरो द्वारा प्रचार-प्रसार के माध्यम से जनता को प्रदेश सरकार की नीतियों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, विकास योजनाओं उपलब्धियों की समुचित जानकारी करायी जाती है-

- हिन्दी, अंग्रेजी के प्रेस नोट।
- प्रदेश सरकार के बजट हाईलाइट्स तैयार करना।
- विज्ञापन एडवर्टोरियल आदि के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराना एवं तैयार किये गये विज्ञापन एडवर्टोरियल आदि की कंटेट करना।
- प्रदेश के विकास एवं जनता के कल्याण से सम्बन्धित फीचर एवं लेख तैयार कराकर प्रकाशित करना।
- इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों द्वारा प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु प्रचार सामग्री उपलब्ध कराना।
- स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गाँधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्वों को मनाये जाने संबंधित शासनादेश का आलेख तैयार करना।
- विभागगीय पुस्तिकाओं, पम्फलेट आदि को तैयार करने हेतु आधार सामग्री उपलब्ध कराना।

ग्रामीण प्रसारण शाखा

विधान सभा मार्ग आकाशवाणी परिसर स्थित ग्रामीण प्रसारण शाखा (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ.प्र.) का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को रेडियो प्रसारण के माध्यम से जन सामान्य तक पहुँचाना ताकि आम आदमी राज्य सरकार की नीतियों से भली-भाँति परिचित हो तथा उनका लाभ लेकर अपने जीवन स्तर को सुधार सकें। इसी कड़ी में अनुभाग द्वारा आकाशवाणी से दो कार्यक्रम क्रमशः श्रमिक जगत (औद्योगिक कार्यक्रम) सायं 5.30-6.00 बजे तथा लोकायन (ग्रामीण कार्यक्रम) सायं 6.20-6.50 तक प्रसारित किया जाता है। उपरोक्त कार्यक्रमों के माध्यम से ही प्रदेश में चल रहे कल्याणकारी कार्यक्रम तथा योजनाओं को प्रसारित कर जनसामान्य का अंग बनाया गया ताकि वे उनका लाभ लेकर अपने जीवन स्तर को सुधार सकें। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भेंटवार्ताएं कर 'सफलता की कहानी' भी प्रसारित की गयी ताकि ग्रामीण और शहरी भाई-बहन अपने बीच के व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गयी योजनाओं के लाभ से प्रेरित होकर स्वयं भी उनका लाभ लेने के लिये आगे आयें और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें।

उपरोक्त कार्यक्रमों के माध्यम से वर्ष 2017-18 में अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, महिला शिक्षा और सुरक्षा, बालश्रम उन्मूलन, उपभोक्ता संरक्षण, शिशु हितलाभ योजना, मातृत्व हितलाभ अधिनियम, भूजल-वर्षा जल संरक्षण, दिव्यांगजनों की तरक्की हेतु हर संभव मदद, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यटन, उ0प्र0 में कौशल विकास मिशन, कौशल विकास (टेक्सटाइल डिजाइनिंग) कौशल विकास के नये आयाम, प्रदेश के तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं, वृद्धजन कल्याण हेतु शासन की योजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा शहरी आजीविका मिशन, बुनकर कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा का अधिकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उ0प्र0 की नयी औद्योगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन, लघु उद्योग विकास, खादी ग्रामोद्योग की योजनायें, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना आदि कार्यक्रम प्रसारित किये गये।

इसके अतिरिक्त उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास, उ0प्र0 में औद्योगिक विकास के सुनियोजित प्रयास आदि पर कार्यक्रम प्रसारित किये गये तथा आगे भी किये जायेंगे, साथ ही स्टार्टअप इण्डिया, उज्ज्वला योजना, जी0एस0टी0, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन,

सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, मेक-इन-इण्डिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्किल इण्डिया, नमामि गंगे, हंड्रेड स्मार्ट सिटीज़, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, सबके लिए आवास, दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते, प्रधानमंत्री ग्राम्य सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, मिशन इन्द्रधनुष, सुकन्या समृद्धि योजना।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, भाग्यलक्ष्मी योजना, गोपालक योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री विकास एवं सर्वहित बीमा योजना, हेल्थकार्ड, लाडली योजना, पशुओं का टीकाकरण, उ0प्र0 शौचालय निर्माण योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, कामधेनु डेरी योजना, किसानों हेतु मुफ्त सिंचाई योजना, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, उ0प्र0 एम्बुलेन्स सेवा, निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध, सौर ऊर्जा, चिकित्सा सुविधाएं, उ0प्र0 में ई-गवर्नेंस, जन सुविधा केन्द्र आदि के कार्यक्रम प्रसारित किये गये साथ ही मतदाता जागरूकता, नशा उन्मूलन, पल्स पोलिया, सड़क सुरक्षा अभियान आदि पर अनेक कार्यक्रम जैसे- वार्ता तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बातचीत/सन्देश आदि प्रसारित किये गये। इसके अतिरिक्त श्रमिक जगत में प्रत्येक बुधवार को श्रम-पत्रिका के अन्तर्गत सप्ताह भर की औद्योगिक गतिविधियों पर आधारित श्रम समाचारों का प्रसारण किया गया। कार्यक्रम को रोचक बनाने हेतु उसमें संगीत रूपक, नाटक, नौटंकी, लोकगीत, कविता, कहानी परिचर्चा आदि को भी शामिल किया गया।

राज्य सूचना केन्द्र, लखनऊ

लखनऊ नगर में जिज्ञासु तथा लेखन में रुचि रखने वाले नागरिकों एवं उनके परिवारों की अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए हजरतगंज में एक बहुआयामी स्तरीय राज्य सूचना केन्द्र स्थापित है। राज्य में विकास संबंधी गतिविधियों को व्यापक रूप से प्रचारित-प्रसारित करने के लिये लखनऊ में यह राज्य स्तर का केन्द्र है। दुर्लभ सन्दर्भ ग्रन्थों के उपलब्ध होने से इस केन्द्र का पुस्तकालय जहाँ शिक्षारत शोधार्थियों के लिये लाभप्रद है, वहीं इनमें अधिनियम, रिपोर्ट्स, गजट एवं गजेटियर तथा अन्य विवरण जनता के उपयोगार्थ उपलब्ध हैं।

इस केन्द्र के पुस्तकालय में सभी विषयों पर आधारित लगभग 30 हजार पुस्तकों का संकलन है। पुस्तकालय की लगभग 24 हजार पुस्तकों की डाटाइन्ट्री कम्प्यूटर में की गयी है। इसके फलस्वरूप अब पुस्तकालय में पुस्तकों की उपयोगिता बढ़ी है, वहीं सदस्यों एवं आगन्तुकों को कम्प्यूटर में दर्ज पुस्तकों की जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाती है। केन्द्र के वाचनालय में हिन्दी, उर्दू, बंगला तथा अंग्रेजी भाषा के 22 समाचार पत्र एवं सभी आयुवर्ग के पाठकों के लिये 59 पत्रिकाएं आती हैं। राज्य स्तर का यह एक ऐसा पुस्तकालय है, जहाँ शोधार्थियों एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों हेतु प्रतियोगिता से सम्बन्धित अनेक पुस्तकें/पत्रिकाएं उपलब्ध हैं।

इस केन्द्र के पुस्तकालय व वाचनालय में आगन्तुकों, पाठकों व सदस्यों के बैठने/अध्ययन करने के लिए विशेष व्यवस्था उपलब्ध है। बच्चों के लिये बाल साहित्य के साथ-साथ राज्य की कला-संस्कृति तथा विकास कार्यक्रमों के प्रदर्शन के लिए टेलीविजन की सुविधा भी उपलब्ध है।

राज्य सूचना केन्द्र के प्रेमचन्द कक्ष में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिये प्रतियोगिता

से सम्बन्धित पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की व्यवस्था है। राज्य सूचना केन्द्र का वाचनालय प्रातः 8:00 बजे से सायं 6:30 बजे तक लगातार खुला रहता है जबकि पुस्तकालय की सुविधा पूर्वाह्न 11.30 बजे से सायं 6.30 बजे तक उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सूचना केन्द्र द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय के विभिन्न प्रकाशनों को आम जनता के उपयोगार्थ रखा जाता है। इन प्रकाशनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन की नीतियों, निर्णयों एवं उपलब्धियों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाती है।

राज्य सूचना केन्द्र में प्रदेश के विशिष्ट आयोजनों का सीधा प्रसारण दिखाये जाने की भी व्यवस्था की जाती है। सूचना केन्द्र द्वारा दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचारों को नियमित रूप से कार्यालय समय में सुनाया जाता है। इस केन्द्र में समय-समय पर विषयपरक संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है। राज्य सूचना केन्द्र को और अधिक उपयोगी बनाने एवं प्रतियोगी सदस्यों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताओं से सम्बन्धित पुस्तकों को क्रय कर सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध कराया जाता है।

राज्य सूचना केन्द्र में लाभ प्राप्त कर रहे सदस्यों, आगन्तुकों एवं पाठकों की आवश्यकता के अनुरूप एवं केन्द्र को अधिक व्यापक बनाने के लिए केन्द्र के पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की डेटा एण्ट्री कर पुस्तकालय को कम्प्यूटराइज किया जा रहा है।

प्रकाशन शाखा

प्रकाशन शाखा द्वारा प्रचार-साहित्य के माध्यम से आम जनता को प्रदेश सरकार की नीतियों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, विकास योजनाओं तथा उपलब्धियों की समुचित जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस शाखा द्वारा सावधि प्रकाशनों के साथ ही प्रचार-पुस्तिकाएं, फोल्डर काफीटेबल बुक, पुस्तकें तथा एलबम आदि प्रकाशित कराये जाते हैं। इसके साथ ही स्थायी महत्त्व के विचारपरक प्रकाशन एवं मा. मुख्यमंत्री जी के चुने हुए भाषण भी प्रकाशित किये जाते हैं।

नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका **'उत्तर प्रदेश'** (हिन्दी मासिक), **'नया दौर'** (उर्दू मासिक) तथा विकासपरक पत्रिका **'उत्तर प्रदेश संदेश'** (हिन्दी मासिक) का प्रकाशन किया गया। 'उत्तर प्रदेश संदेश' के विकास विशेषांक एवं निर्वाचन विशेषांक प्रकाशित किये गये। उत्तर प्रदेश मासिक के श्रीलाल शुक्ल, दुष्यंत कुमार तथा धूमिल पर केन्द्रित अंकों का प्रकाशन किया गया है तथा उर्दू मासिक पत्रिका 'नया दौर' के 'उर्दू मजाज़' विशेषांक तथा 'वाली आसी' विशेषांक एवं खुमार बाराबंकी पर विशेषांक के साथ विकास विशेषांक का प्रकाशन किया गया है। इसके अतिरिक्त वार्षिकी उत्तर प्रदेश-2016 के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करणों तथा वार्षिकी उत्तर प्रदेश 2017 हिंदी संस्करण/अंग्रेजी संस्करणों का प्रकाशन कराया गया है तथा सूचना डायरी/निदर्शिनी-2016-17 का भी प्रकाशन किया गया है। इनके अतिरिक्त प. दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी पर उनके कृतित्व/व्यक्तित्व पर ''मानववादी दार्शनिक पं. दीन दयाल उपाध्याय के विचारों को मूर्त रूप देती उत्तर प्रदेश सरकार'' पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। फसली ऋण मोचन प्रमाण पत्र, पोस्टर आदि का प्रकाशन भी किया गया है।

मुख्यमंत्री रिकॉर्डिंग यूनिट

माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषणों के ध्वन्यांकन हेतु गठित यह इकाई भाषणों की रिकार्डिंग के पश्चात् रिकार्डेड भाषणों को लिप्यांतरित करती है, और उन्हें सम्पादित करती है। मीडिया के विभिन्न लोगों

द्वारा लिये जाने वाले मा. मुख्यमंत्री जी के साक्षात्कारों तथा उच्चादेशों से अन्य महत्त्वपूर्ण बैठकों, गोष्ठियों की सम्पूर्ण रिकार्डिंग कराकर उन्हें लिप्यांतरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्त्वपूर्ण अवसरों पर प्रचार-प्रसार की दृष्टि से विशिष्ट व्यक्तियों से लिये गये साक्षात्कार तथा विभिन्न इलेक्ट्रानिक चैनलों पर प्रसारित होने वाले साक्षात्कार एवं रिपोर्ट आदि भी लिप्यांतरित कर संदर्भ के तौर पर सुरक्षित रखे जाते हैं।

मा. मुख्यमंत्री जी के सभी भाषणों को रिकार्डिंग के पश्चात लिप्यांतरित करके सम्पादन के बाद संदर्भ सामग्री के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, साथ ही महत्त्वपूर्ण एवं नीतिगत भाषणों को छांटकर उनका प्रकाशन भी करवाया जाता है। पत्रकारों, संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों एवं विधि संस्थाओं द्वारा मांग किए जाने पर भाषणों की प्रति एवं उनसे संबंधित कैसेट एवं ऑडियो सी.डी. उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त मा. मुख्यमंत्री जी के भाषणों से मुख्य एवं महत्त्वपूर्ण अंश संकलित कर उनका प्रयोग ''उत्तर प्रदेश सन्देश'' एवं विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2016-17 में 05 फरवरी, 2018 तक मा. मुख्यमंत्री जी के लगभग 252 भाषण रिकॉर्ड हुए, जिनको लिप्यांतरित व सम्पादित किया गया।

गीत एवं नाट्य योजना

इस योजना के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों यथा- बिरहा, आल्हा, भजन, कव्वाली, कठपुतली-नृत्य, क्षेत्रीय लोकगीत, जादू, नाटक, नौटंकी आदि विधाओं द्वारा शासन की नीतियों, निर्णयों एवं उपलब्धियों का विभिन्न स्थानीय बोली तथा भाषा में सुदूर ग्रामीण अंचलों में प्रचार-प्रसार किया जाता है। गीत एवं नाट्य योजना को विस्तृत रूप देने के उद्देश्य से प्रदेश के लगभग समस्त जनपदों में जिला स्तर पर भी सांस्कृतिक दलों का चयन किया जाता है। सूचना निदेशालय स्तर पर पंजीकृत 657 सांस्कृतिक दलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों तथा सुदुर ग्रामीण अंचलों तक प्रदेश की समस्त योजनाओं एवं उपलब्धियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में फरवरी माह तक प्रदेश में कुल 12696 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस माध्यम से शासन की विभिन्न जनहितकारी नीतियों, निर्णयों एवं उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किया गया। इस योजना द्वारा प्रचार अभियान के माध्यम से स्वच्छता एवं पेयजल, सामाजिक कल्याण, शौचालय निर्माण, ऋण मोचन योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पं0 दीन दयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर कार्यक्रम एवं प्रदेश सरकार की तमाम जनहितकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कराया गया है।

प्रदर्शनी

सूचना विभाग द्वारा समय-समय पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शासन की नीतियों, उपलब्धियों आदि की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। प्रदेश की आम जनता को उनकी सांस्कृतिक तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियों की जानकारी एवं आपसी सद्‌भाव का संदेश प्रसारित करने के उद्देश्य से प्रदर्शनियों का आयोजन काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। शासन की प्रमुख नीतियों, उपलब्धियों, निर्णयों और भावी योजनाओं को आकर्षक चित्रों, कोलाज, पैनल, वर्किंग मॉडल एवं ट्रांसलाइट के माध्यम से प्रदर्शनी किट के रूप में तैयार कराकर उसे जिलों में भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि मेलों तथा अन्य आयोजनों के अवसर पर प्रदर्शनी द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शासन का संदेश पहुंचाया जा सके।

मुख्यालय द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय नेताओं एवं महान विभूतियों के कार्यों, चिंतन

एवं जनहित में उनके क्रियाकलापों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदर्शनी प्रभाग द्वारा उन पर नियमित प्रदर्शनी सामग्री के माध्यम से प्रदेश में प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है।

राम नवमी मेला, अयोध्या श्रावण मेला अयोध्या, देवां मेला बाराबंकी, छोटी दीपावली पर्व अयोध्या, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली, अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र, बिठूर महोत्सव कानपुर, माघ मेला 2018 इलाहाबाद, गोरखपुर महोत्सव 2018, यू0पी0 दिवस, लखनऊ महोत्सव एवं अन्य महत्त्वपूर्ण अवसरों पर विभिन्न जनपदों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है।

होर्डिंग्स/एल.ई.डी.

शासन की नीतियों, उपलब्धियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जाता है, जिसमें होर्डिंग्स एक सशक्त माध्यम है। इस माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी नीतियों, निर्णयों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को जनसाधारण तक व्यापक स्तर पर पहुँचाया जाता है।

इसके अतिरिक्त शासन की नीतियों, उपलब्धियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु लखनऊ तथा प्रदेश के कई जनपदों में एल.ई.डी. डिस्पले बोर्ड की स्थापना कराई गई तथा शासन की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एल.ई.डी. वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया गया। इसके अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री जी के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी एल0ई0डी0 डिस्पले बोर्ड एवं एल0ई0डी0 वैन के माध्यम से कराया गया।

राष्ट्रीय समारोह

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की ओर से दिल्ली परेड में एवं मुख्यालय द्वारा लखनऊ परेड में भव्य झांकी प्रदर्शित करायी जाती है। ये झांकियां उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर तथा महान पुरुषों की जीवनी, उद्योग-धन्धे, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान अथवा विकास कार्यों पर आधारित होती हैं। प्रस्तुत झांकियों पर विभाग को पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।

इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली परेड दिल्ली में प्रदर्शित नही की गयी। इसी प्रकार लखनऊ में इस अवसर पर आयोजित परेड में जीवान्त बुन्देलखण्ड शीर्षक पर आधारित एक आकर्षक झांकी निकाली गयी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित थी, जिसे काफी सराहा भी गया।

अंजुमन सैर-ए-गुल फरोशां नामक संस्था द्वारा महरौली, दिल्ली में आयोजित ''फूलों वालों की सैर'' में प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के अनेक प्रान्त भाग लेते हैं। उत्तर प्रदेश की ओर से सूचना विभाग द्वारा उक्त कार्यक्रम में हिन्दू-मुस्लिम दोनों समुदायों द्वारा एकता के प्रतीक स्वरूप एक पंखा सूफी संत हजरत ख्वाजा बख्तयार काकी के मज़ार पर तथा दूसरा पंखा पांडव कालीन योगमाया के मंदिर में चढ़ाया जाता है। कार्यक्रम में विभाग को अनेक बार प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुये हैं। सूचना विभाग द्वारा प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व मनाये जाते हैं जैसे- स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस एवं गाँधी जयन्ती आदि।

अन्वेषण एवं अनुलेखन कक्ष

(सन्दर्भ पुस्तकालय)

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में आधुनिक सन्दर्भ पुस्तकालय है, जिसमें लगभग 27000 सन्दर्भीय

महत्त्व की पुस्तकें हैं। विभाग में इस पुस्तकालय की स्थापना महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगणों, पत्रकारों, लेखकों, शोधकर्ताओं, शासन के उच्च अधिकारियों तथा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को लेखन कार्य हेतु सन्दर्भ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी थी।

सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में तेजी से हो रहे बदलाव के कारण बढ़ते हुए सन्दर्भीय महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुये सन्दर्भ पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण किया गया है। पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण किये जाने के प्रस्ताव के साथ सन्दर्भीय महत्त्व के नये प्रकाशनों का क्रय-कार्य भी प्रतिवर्ष की भांति किया जा रहा है।

पुस्तकालय में प्रतिदिन विभिन्न स्तर के औसतन दस व्यक्तियों जिनमें अधिकतर विश्वविद्यालय के शोधार्थी, पत्रकार, लेखक, विभागीय अधिकारी/कर्मचारी, शासन के उच्च अधिकारी आदि को सन्दर्भ एवं शोध सामग्री उपलब्ध कराता है। सन्दर्भ पुस्तकालय के प्रथम तल पर पाठकों के अध्ययन हेतु समुचित व्यवस्था की गई है। गत वित्तीय वर्ष में 2017-18 में 600 से अधिक शोधार्थियों को शोध एवं संदर्भ सामग्री उपलब्ध करायी गई।

पुस्तकालय में प्रदेश एवं देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ पुस्तकें हैं। इयर बुक्स, रिपोर्ट्स, आर्थिक एवं विकास संबंधी विषयों पर पर्याप्त पुस्तकें हैं। साहित्य, संस्कृति एवं कला क्षेत्रों से संबंधित महत्त्वपूर्ण पुस्तकें भी पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। गजेटियर, मास मीडिया, कम्प्यूटर, पत्रकारिता, इतिहास, बायोग्राफीज आदि विषयों पर पुस्तकों का बेहतर संग्रह है, जिसका लाभ शोधार्थी पुस्तकालय स्टाफ के माध्यम से प्राप्त करते हैं। पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हो जाने के परिणामस्वरूप इसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ गई है। यह पुस्तकालय समय-समय पर शासन के उच्चाधिकारियों को आवश्यकतानुसार सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध कराता है।

इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष की भांति उत्तर प्रदेश सरकार का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ वार्षिकी **'उत्तर प्रदेश-2017'** (हिन्दी एवं अंग्रेजी) का प्रकाशन किया गया तथा बजट 2018-19 के उपरान्त वार्षिकी **'उत्तर प्रदेश-2018'** के प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

निरीक्षा शाखा के कार्य

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का **निरीक्षा प्रभाग** सूचना सम्बन्धी कार्यों का महत्त्वपूर्ण प्रभाग है। विभाग की यह शाखा शासन को प्रिण्ट मीडिया का 'फीडबैक' उपलब्ध कराती है। इस प्रभाग का कार्य सामान्यतः प्रातः 5.00 बजे से सायं देर तक दो पालियों में होता है।

प्रभाग द्वारा लखनऊ, दिल्ली तथा प्रदेश के प्रमुख स्थानों से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू के प्रमुख समाचार पत्र/पत्रिकाओं एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र/पत्रिकाओं की निरीक्षा (Scrutiny) की जाती है एवं प्रकाशित जन समस्याओं तथा शासन से संबंधित समाचारों, सुझावों को तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षा शाखा द्वारा प्रदेश में प्रकाशित समस्त समाचार पत्र/पत्रिकाओं की नियमितता आदि का कार्य प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट-1876 के प्रावधानों के तहत किया जाता है।

निरीक्षा प्रभाग द्वारा प्रतिदिन प्रातः स्थानीय एवं सायं दिल्ली से प्रकाशित समाचारों की क्लिपिंग्स

की फाइल बनाकर महामहिम श्री राज्यपाल, मा. उप मुख्यमंत्री जी, सूचना मंत्री जी, समस्त मा. मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सूचना, सूचना निदेशक/सचिव, प्रमुख सचिव गृह आदि को भेजी जाती है। प्रदेश के जनपदों से प्रतिदिन समाचारों की क्लिपिंग्स ई-मेल द्वारा मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्चाधिकारियों को भेजी जाती है।

निरीक्षा शाखा में हिन्दी, अग्रेजी एवं उर्दू समाचार पत्रों की अति महत्त्वपूर्ण क्लिपिंग्स को प्रतिदिन सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

फोटो-फिल्म शाखा

फोटो-फिल्म शाखा, उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का महत्त्वपूर्ण प्रभाग है। इस प्रभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों, योजनाओं, मा. राज्यपाल जी, मा. मुख्यमंत्री तथा प्रदेश सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्यों के कार्यक्रमों का कवरेज कर समाचार-पत्रों को फोटो, दूरदर्शन एवं विभिन्न चैनलों को वीडियो फुटेज उपलब्ध कराया जाता है।

फोटो शाखा

इस शाखा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों, योजनाओं, मा. राज्यपाल जी, मा. मुख्यमंत्री तथा सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्यों के कार्यक्रमों का कवरेज कर समाचार-पत्रों तथा मांग के अनुसार फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्तमान में फोटो शाखा द्वारा 1200 कवरेज किये गये तथा 3500 रंगीन फोटो समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं के लिए जारी किये गये। इसके साथ ही 5000 चित्रों की इलेक्ट्रानिक डेटा ट्रांसफर द्वारा मीडिया को उपलब्ध कराया गया।

फिल्म शाखा

फिल्म शाखा उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है, जिसके माध्यम से मा. राज्यपाल जी, मा. मुख्यमंत्री जी तथा सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्यों के 1300 कार्यक्रमों का वीडियो फुटेज कराकर दूरदर्शन एवं विभिन्न चैनलों को उपलब्ध कराया गया। 18 मार्च, 2017 से 06 फरवरी 2018 तक विभाग द्वारा विभिन्न चैनलों के माध्यम से मा. मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल की महत्त्वपूर्ण योजनाओं से सम्बन्धित निर्माण कराकर विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध कराया गया।

फिल्म बन्धु

प्रदेश में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु संशोधित फिल्म नीति-2001 में दी गयी एकल व्यवस्था के अन्तर्गत फिल्म नीति से सम्बन्धित कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु ''**फिल्म बन्धु उ.प्र.**'' का गठन किया गया है।

वर्तमान में फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तथा प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित फिल्म नीति-2015 प्रख्यापित की गयी है। फिल्म नीति-2015 के बाद से फिल्म बन्धु, उ.प्र. में लगभग 200 से अधिक फिल्म अनुदान के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं, जिन पर प्रभावी व आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में फिल्म-निर्माण के साथ ही स्थानीय कलाकारों को रोजगार व फिल्म इन्डस्ट्री के माध्यम से पूंजी निवेश का मार्ग

प्रशस्त हुआ है तथा इसके सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उक्त फिल्म नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 21 फिल्मों को अनुदान प्रदान किया गया। फिल्म नीति-2015 के अन्तर्गत अवधी, ब्रज, बुन्देली, भोजपुरी अथवा हिन्दी फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा लागत का क्रमशः अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत तक दिये जाने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में निर्मित उपरोक्त उल्लिखित फिल्मों, जिनके कुल शूटिंग दिवसों में से कम से कम आधे दिवस की शूटिंग अथवा दो तिहाई दिवसों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गयी हो, के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा क्रमशः रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) अथवा रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) तक दिये जाने की व्यवस्था है।

किसी फिल्म निर्माता द्वारा प्रदेश में ऐसी फिल्म की शूटिंग की जाती है/निर्मित की जाती है, जिसके मुख्य पाँच कलाकार अथवा समस्त कलाकार उत्तर प्रदेश के ही हों, उक्त फिल्म हेतु उन कलाकारों को फिल्म पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि या सम्मिलित रूप से पाँच कलाकारों अथवा समस्त कलाकारों हेतु क्रमशः रु. 25,00,000/- (रु. पच्चीस लाख मात्र) अथवा रु. 50,00,000/- (रु. पचास लाख मात्र) जो भी कम हो, का अतिरिक्त अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

किसी फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म शूटिंग के उपरान्त फिल्म की प्रोसेसिंग प्रदेश में ही की जाती है, तो उक्त प्रोसेसिंग पर आने वाली लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 50.00 लाख का अनुदान, जो भी कम हो, अतिरिक्त रूप से दिये जाने की व्यवस्था है।

कोई निवेशक उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में (नोएडा/ग्रेटर नोएडा को छोड़कर) फिल्म प्रशिक्षण संस्थान खोलता है, तो लागत धनराशि का 50 प्रतिशत अथवा रु. 50.00 लाख में से जो भी कम हो को अधिकतम अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

कोई फिल्म निर्माता उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण/फिल्म की शूटिंग के माध्यम से प्रदेश के पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक थीम/विरासत के सम्बन्ध में फिल्म निर्मित करता है, जिससे प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर, प्रदेश की विशिष्ट पहचान बनती हो उसे रु. 50.00 लाख फिल्म को दिये जाने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को और गतिशील एवं सरल बनाने के लिये प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा मुम्बई में 'फिल्म बन्धु उ.प्र.' के लिये 'सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स सिस्टम' एवं आनलाइन आवेदन प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया।

उक्त व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन तथा फिल्म-निर्माताओं को नियमानुसार आवश्यक सुविधाएं यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक जनपद स्तर पर निम्नानुसार ''फिल्म-प्रमोशन एण्ड फैसेलिटेशन कमेटी'' का गठन किया गया है :-

1. जिलाधिकारी अध्यक्ष
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक - सदस्य
3. अपर जिलाधिकारी (जिलाधिकारी द्वारा नामित) सदस्य/नोडल अधिकारी
4. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला सूचना अधिकारी/प्रभारी जिला सूचना अधिकारी-सदस्य/संयोजक
5. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/पर्यटन अधिकारी - सदस्य

उक्त कमेटी फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म की शूटिंग के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर शूटिंक स्थल की अनुमति, फिल्म यूनिट की सुरक्षा व्यवस्था, नियमानुसार भुगतान करने पर शासकीय गेस्ट हाउस/पर्यटन अतिथि गृह में उनके ठहरने की व्यवस्था तथा शूटिंग के बाद शूटिंग दिवसों के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय से प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्र के समयबद्ध निर्गमन आदि का अनुश्रवण करती है तथा जनपद में विभागों के स्तर पर आने वाली कठिनाइयों का त्वरित निराकरण भी करती है। इस समिति की बैठक प्रतिमाह नियमित रूप से आयोजित की जाती है।

प्रदेश के मूल निवासी 10 छात्रों, जो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे में अध्ययनरत हैं, को छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार प्रदेश के मूल निवासी 10 छात्रों, जो सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में अध्ययनरत हैं, को छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था। भारतेन्दु नाट्य अकादमी के छात्रों को फिल्म प्रशिक्षण हेतु 03 माह के लिए भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे अथवा सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में भेजा जाता है।

प्लान सेल

प्लान सेल द्वारा विभाग की योजनाओं को तैयार करने, उनका अनुश्रवण तथा व्यय से सम्बन्धित आंकड़े तथा शासन द्वारा तत्सम्बन्धित अपेक्षित अन्य सूचनाएं एवं आंकड़े तैयार कराकर प्रस्तुत किये जाते हैं।

टी.वी. शाखा

सूचना निदेशालय में सामुदायिक दूरदर्शन योजना **टी.वी. शाखा** के तहत पूर्व में केवल वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट ही कार्य करती थी। परन्तु वर्तमान में समय परिवर्तन एवं तकनीकी परिवर्तन के कारण वर्तमान में इस शाखा के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन यूनिट कार्य कर रही हैंः-

1. वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट
2. सेटेलाइट कम्यूनिकेशन सेन्टर एण्ड केबिल नेटवर्क यूनिट
3. इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूज रिकॉर्डिंग यूनिट

वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट

निदेशालय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र., लखनऊ, में चल रही वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट के तहत महामहिम राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मा. मंत्री, मा. मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विधान सभा एवं विधान परिषद के पदाधिकारियों, विरोधी दल के नेताओं, एडवोकेट जनरल एवं अन्य वी.वी.आई.पी. व वी.आई.पी. के यहाँ शासकीय टी.वी. सेटों, एल.सी.डी., एल.ई.डी., टी.वी. सेटों की स्थापना एवं रख-रखाव का कार्य किया जाता है।

सेटेलाइट कम्यूनिकेशन सेन्टर एण्ड केबिल नेटवर्क यूनिट

आधुनिक युग में इलेक्ट्रानिक मीडिया के अन्तर्गत सेटेलाइट कम्यूनिकेशन और केबिल सिस्टम सूचना क्रान्ति का सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम हो गया है। इस सिस्टम में छत पर बहुत भारी बड़े-बड़े डिश एन्टीना तथा डी.टी.एच. स्थापित करके सीधे सेटेलाइट से कंट्रोल रूम में सिगनल रिसीव करने के बाद कन्ट्रोल रूम में ही उस सिगनल को मॉडीफाइ किया जाता है उसके उपरान्त सिगनल को आप्टिकल फाइबर के माध्यम से विभिन्न स्थानों के लिए ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इससे विश्व के एक कोने

से दूसरे कोने तक सेकेण्डों में खबरें प्राप्त की जाती हैं तथा भेजी जाती हैं। सूचना विभाग ने इस आधुनिकतम सिस्टम को सचिवालय स्थित अधिकारी भवन के कक्ष संख्या 1, 2 तथा 3 में स्थापित किया है। वर्तमान में इस सेटेलाइट कम्यूनिकेशन सेन्टर एण्ड केबिल नेटवर्क के द्वारा सचिवालय के समस्त भवनों, योजना भवन, शास्त्री भवन, राजभवन, बापू भवन, अधिकारी भवन, बहुखण्डी भवन, सचिव भवन, विधान भवन, मा. मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग तथा सूचना भवन पार्क रोड तक इस नेटवर्क का जाल बिछाया जा चुका है। वर्तमान में इस सेन्टर से 106 सेटेलाइट न्यूज चैनल एवं अन्य चैनलों का प्रसारण आप्टिकल फाइबर लाइनों के माध्यम से किया जा रहा है। कन्ट्रोल रूम में अपग्रेडेशन का कार्य निरन्तर जारी है। साथ ही इसके डिजिटलाइजेशन का प्रयास भी लगातार जारी है। इसी सेटेलाइट कम्यूनिकेशन एण्ड केबिल नेटवर्क यूनिट की आप्टिकल फाइबर लाइनों के माध्यम से ही एनेक्सी भवन में इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूज रिकार्डिंग यूनिट में सेटेलाइट न्यूज चैनलों की रिकार्डिंग एवं मानिटरिंग की जाती है। चैनलों का प्रसारण चौबीस घण्टे होता है। भविष्य में जनपथ भवन तक इसका विस्तार करने का प्रस्ताव है।

इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूज रिकॉर्डिंग यूनिट

इलेक्ट्रानिक मीडिया के समाचारों की रिकॉर्डिंग पहले वी.सी.आर. पर मैनुअली की जाती थी। अब कम्प्यूटराइज्ड कर दिया गया है। जिसमें आटोमेटिकली कई समाचार चैनलों को एक साथ हार्ड डिस्क पर रिकॉर्डिंग की जाती है। उसके बाद उसकी एडिटिंग करके डी.वी.डी. बनायी जाती है। डी.वी.डी. प्रतिदिन मा. मुख्यमंत्री तथा अन्य वी.वी.आई.पी. के अवलोकनार्थ भेजी जाती है। उसके अवलोकन करने के उपरान्त शासन तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करता है, इसी यूनिट द्वारा शास्त्री भवन में मा. मुख्यमंत्री हेतु लगभग सभी सेटेलाइट न्यूज चैनलों की मानिटरिंग भी की जाती है। इलेक्ट्रानिक मीडिया के समाचारों की रिकॉर्डिंग एवं फीडबैक की उपरोक्त व्यवस्था का उपयोग शासन के ला एण्ड आर्डर में होने के कारण उसकी विवेचना, स्टोरेज, रिकॉर्डिंग, डेट एण्ड टाइम, न्यूज डाटा कलेक्शन इत्यादि की आवश्यकता तथा सिगनल ब्रेकडाउन की समस्या को देखते हुए इस सेटअप को कम्प्यूटरीकृत कराया जा चुका है जो कि सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। साथ ही डी.वी.डी. व हार्ड डिस्क की वीडियो लाइब्रेरी की भी स्थापना की गयी है। जिसमें इलेक्ट्रानिक मीडिया की सभी न्यूजें डी.वी.डी. व हार्ड डिस्क पर रिकॉर्ड करके लाइब्रेरी में सुरक्षित रखने की व्यवस्था है।

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली में जनसम्पर्क सहित प्रदेश सरकार के विकास कार्यों, प्राथमिकताओं, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कवरेज हेतु सतत् रूप से प्रयासरत है। राज्य सूचना केन्द्र, जहां सन्दर्भ सुलभता, प्रदेश के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने, महत्त्वपूर्ण विज्ञप्तियों, बैठकों की कवरेज, अति विशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए कार्यरत है, वहीं सूचना निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करता है। राज्य सूचना केन्द्र राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश शासन की योजनाओं, उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने तथा राष्ट्रीय स्तर पर उनका कवरेज कराने के लिए विभिन्न समाचार पत्र-पत्रिकाओं, इलेक्ट्रानिक मीडिया से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु कार्यरत है। प्रदेश के विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्तियाँ दिल्ली के राष्ट्रीय समाचार पत्रों-

पत्रिकाओं, भाषाई समाचार पत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं विभिन्न लोकप्रिय चैनल्स को प्रसारण एवं प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे सरकार की गतिविधियों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले पत्र/पत्रिकाओं में प्रमुखता के साथ स्थान मिल सके।

नई दिल्ली एवं एन.सी.आर. में आयोजित राष्ट्रीय महत्त्व के कार्यक्रमों पर आयोजित गोष्ठी/बैठक समारोहों के कवरेज, मा0 मुख्यमंत्री जी के दिल्ली प्रवास पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस आदि कार्यक्रमों के सजीव प्रसारण सहित व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की महत्त्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों एवं मुख्यमंत्री जी के दिल्ली के समीपस्थ कार्यक्रमों का भी वृहद स्तर पर कवरेज की समुचित एवं सुचारु व्यवस्था की जाती है। प्रातःकालीन सत्र में नई दिल्ली, लखनऊ तथा प्रादेशिक स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण समाचारों की प्रेस कतरनें मा0 मुख्यमंत्री जी, स्थानिक आयुक्त तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यानार्थ/अवलोकनार्थ प्रेषित की जाती हैं।

लखनऊ स्थित मुख्यालय एवं सूचना परिसर से निर्गत दैनिक प्रेस विज्ञप्तियों को फैक्स/इण्टरनेट के माध्यम से दिल्ली स्थित प्रेस प्रतिष्ठानों को सुगमता के साथ सुलभ करायी जाती है। इसके अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री जी के दिल्ली के भ्रमण कार्यक्रम एवं दिल्ली से सटे जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों का भी व्यापक कवरेज कराया जाता है।

प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटन तथा औद्योगिक विकास से जुड़े स्थलों का कवरेज प्रेस टुअर के माध्यम से कराया जाता है। शोधार्थियों/प्रदेश की जानकारी चाहने वालों को अद्यतन वांछित उपयोगी संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। सूचना केन्द्र में नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं क्रय की जाती हैं। इन्हें पाठकों के पठन हेतु पूर्वान्ह 11 बजे से दोपहर 02 बजे तक सुलभ कराया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मा0 मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों तथा विकास कार्यक्रमों के कवरेज हेतु इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया की टीमों को कार्यस्थल पर ले जाने की व्यवस्था की जाती है। साथ ही स्थल भ्रमण कराकर प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, औद्योगिक महत्त्व के जनपदों एवं नगरों का राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक कवरेज कार्य भी कराया जाता है।

मीडिया सेंटर

लाल बहादुर शास्त्री भवन, सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के भूतल पर वातानुकूलित मीडिया सेंटर संचालित है। यह मीडिया सेंटर शासन और मीडिया के बीच समन्वय और सुविधा प्रदाता का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त विधान सभा में एक सुसज्जित प्रेस रूम और लोकभवन में प्रेस रूम स्थापित है।

मा. मुख्यमंत्री जी, मा. मंत्रीगण तथा शासन के उच्च पदाधिकारियों के महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमों की सूचना, प्रचार एवं प्रसार हेतु मीडिया को उपलब्ध कराने का कार्य मीडिया सेंटर द्वारा किया जाता है।

मीडिया सेंटर में एक सुसज्जित प्रेस कान्फ्रेंस हाल भी है, जहां अल्प सूचना पर प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित की जा सकती है।

मा0 मुख्यमंत्री जी के दिल्ली प्रवास पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस आदि कार्यक्रमों के सजीव प्रसारण

सहित व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की महत्त्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों का भी वृहद स्तर पर कवरेज की समुचित एवं सुचारू व्यवस्था की जाती है। प्रातः कालीन सत्र में नई दिल्ली, लखनऊ तथा प्रादेशिक स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण समाचारों की प्रेस कतरनें मा0 मुख्यमंत्री जी, स्थानिक आयुक्त तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यानार्थ/अवलोकनार्थ प्रेषित की जाती है।

लखनऊ स्थित मुख्यालय एवं सूचना परिसर में निगत दैनिक प्रेस विज्ञप्तियों को फैक्स/इंटरनेट के माध्यम से दिल्ली स्थित प्रेस प्रतिष्ठानों को सुगमता के साथ सुलभ करायी जाती है। इसके अतिरिक्त मा. मुख्यमंत्री जी के दिल्ली के भ्रमण कार्यक्रम एवं दिल्ली से सटे जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों का भी व्यापक कवरेज कराया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल

एनेक्सी स्थित मा0 मुख्यमंत्री सूचना परिसर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल स्थापित है, जिसमें राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक न्यूज चैनलों में प्रसारित समाचारों की मॉनीटरिंग की जाती है। सेल प्रातः 07.00 बजे से मध्यरात्रि 12.00 बजे तक समाचार चैनलों में प्रसारित महत्त्वपूर्ण समाचारों की मॉनीटरिंग व रिकार्डिंग का कार्य करता है।

ऑडिट सेल

ऑडिट सेल द्वारा विभाग के जनपदीय कार्यालयों के अभिलेखों का सम्परीक्षण कार्य किया जाता है। सम्परीक्षा के दौरान पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं को निदेशक, शासन एवं वित्त एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय के संज्ञान में लाकर उसे नियमित रूप से प्रेषित किया जाता है, जिसकी प्रत्येक त्रैमासिक समीक्षा वित्त एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा की जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त एक वर्ष से अधिक अवधि के कालातीत भुगतानों का सम्परीक्षण कार्य तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष के विभागीय अनुदान लेखों पर उठायी गयी आपत्तियों के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रेषित की जाती हैं।

लेखा प्रभाग

लेखा प्रभाग द्वारा समस्त विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आय-व्ययक के माध्यम से धन की व्यवस्था करना तथा प्रभागों के प्रस्तावों पर धनराशियों का बिल बनाकर प्रत्याहरण करना। समस्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन बिल तथा उनके सेवाहित लाभों के बिल निर्मित कर प्रत्याहरण के साथ ही मासिक व्यय विवरण की सूचना शासन को प्रस्तुत करना तथा भविष्य निधि लेखों का रख-रखाव करके ब्याज आदि की गणना कर जमा धनराशि को अद्यतन रखना तथा लिये गये अग्रिमों आदि की वसूली करने के साथ ही समस्त कर्मियों की सेवा पुस्तकों का सेवा के अनुसार अंकन/रख-रखाव आदि कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

कम्प्यूटर प्रकोष्ठ

- विभाग में स्थापित कम्प्यूटरों की प्रतिदिन आने वाली शिकायतों का अनुश्रवण एवं उनका निस्तारण तथा मेन्टेनेंस।

- विभाग में स्थापित इन्टरनेट कनेक्शन (लीजलाइन) के रख-रखाव एवं अनुश्रवण संबंधी कार्य।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विभिन्न विभागों द्वारा प्रेषित टेण्डरों की प्राप्ति।
- विभागीय विज्ञापन पोर्टल हेतु स्थापित सर्वर का प्रतिदिन बैकअप तथा रख-रखाव संबंधी समस्त कार्य।
- विज्ञापन सूचीबद्धता से संबंधित कार्य।
- विभाग में सूचीबद्ध नियमित व अनियमित समाचार पत्र-पत्रिकाओं का डीएवीपी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर अपडेट करने संबंधी समस्त कार्य।
- समय-समय पर विभाग द्वारा सौपें जाने वाले विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यों के सम्पादन संबंधी कार्य।

सोशल मिडिया

सूचना विभाग की गतिविधियों/प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने हेतु विभाग की अधिकारिक वेबसाइट विकसित की गयी है। इस वेबसाइट पर विभाग के कार्यकलापों संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं जनमानस के लिये प्रदर्शित की जाती है तथा साथ ही साथ दिन प्रतिदिन उनका अद्यतन भी सुनिश्चित किया जाता है।

- मा0 मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब स्थापित।
- सूचना विभाग की अधिकारिक वेबसाइट information.up.nic.in का अपडेशन।
- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शिकायत निवारण एवं समन्वय प्रणाली आईजीआरएस पर प्रतिदिन आने वाली शिकायतों का प्रिन्ट आउट निकालना एवं उनका निस्तारण संबंधी कार्य।
- उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारिक यूट्यूब चैनल www.youtube.com/user/upgovtofficial अधिकारिक ट्विटर एकाउन्ट https://twitter.com/upgovt अधिकारिक फेसबुक पेज https://www.facebook.com/cmouttarpradesh पर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से संबंधित विडियोज एवं फोटोग्राफ्स अपलोड करने संबंधी कार्य।
- सूचना विभाग की अधिकारिक वेबसाइट information.up.nic.in पर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से संबंधित विडियोज एवं फोटोग्राफ्स अपलोड करना।
- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर की गयी प्रेस कान्फ्रेंसेज तथा कैबिनेट निर्णय से संबंधित सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपडेट करना।
- विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक एवं नया दौर के अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण प्रकाशन व अन्य सूचनाओं का विभागीय वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड करना।
- साप्ताहिक डिजिटल पत्रिका ''ई सन्देश'' का प्रकाशन।
- राजभवन, मा0 मुख्यमंत्री सूचना परिसर, निदेशालय, सूचना ब्यूरो एवं विभिन्न जनपदों द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों का हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू का प्रतिदिन विभागीय वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड करना।
- विभाग द्वारा प्रतिदिन जारी होने वाले वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापनों का विभागीय वेबसाइट पर अपडेशन।

- प्रतिदिन हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू के समाचार पत्रों की महत्त्वपूर्ण खबरों को अपलोड किया जाता है।
- विभागों द्वारा प्राप्त निविदाओं को प्रतिदिन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- प्रदेश सरकार की महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का सोशल मीडिया पर प्रतिदिन अपलोड करना। सोशल मीडिया के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं एवं सरकारी योजनाओं आदि की जानकारी जनता तक पहुँचाना तथा जनता के विचारों, सुझावों एवं शिकायतों को भी प्राप्त करना।

वाहन एवं टेलीफोन व्यवस्था

प्रदेश के जिला सूचना कार्यालयों में वाहनों की बेहतर व्यवस्था कर दिये जाने के फलस्वरूप शासन की नीतियों, कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार को बल मिला है। सूचना विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार इकाई के अन्तर्गत जिला सूचना कार्यालयों की संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्‌देश्य से सी0यू0जी0 मोबाइल फोन एवं ब्राडबैण्ड की सुविधा दिये जाने के फलस्वरूप आलोच्य वित्तीय वर्ष में समाचारों के आदान-प्रदान तथा प्रचार-प्रसार में काफी सुगमता रही है। भविष्य में भी इसकी उपयोगिता बढ़ेगी तथा प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में प्रभावशाली प्रगति होगी।

विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु कृत अन्य कार्यवाही

1. अधिकारों का प्रतिनिधायन

जिला सूचना कार्यालयों को सुदृढ़ एवं अधिकार सम्पन्न बनाकर प्रदेश सरकार के प्रचार-प्रसार को प्रभावी बनाया गया है, जिससे कार्य पर प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण बढ़ा है। इस प्रकार जनपदीय अधिकारियों को निदेशक के कतिपय वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रतिनिधायित करके जनपदीय कार्यालयों को अधिक प्रभावी बनाने का कार्य किया गया है। विभाग में विचाराधीन सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण एवं न्यायालय में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण विभागीय पैरवी के माध्यम से तीव्र गति से किया जा रहा है।

2. पारदर्शी व्यवस्था

विभागीय गतिविधियों/प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने हेतु विभाग की वेबसाइट **http://information.up.nic.in** विकसित की गयी है। इस वेबसाइट पर विभाग के कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाएं जनमानस के लिये प्रदर्शित की गयी हैं तथा सूचनाओं को निरन्तर अद्यतन भी किया जाता है। उ.प्र. सरकार के समस्त विभागों से प्राप्त निविदाएं तथा सजावटी विज्ञापन जो विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं, उनको भी सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। समाचार पत्र/पत्रिकाओं से प्राप्त बीजक एवं विज्ञापनों के भुगतान आदि की व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत कर पारदर्शी बनाया गया है। इसी प्रकार समस्त विभागीय क्रियाकलापों यथा- गीत एवं नाट्य के कार्यक्रमों, स्थापित होर्डिंग्स, जारी किए गये प्रेस नोट्स, समस्त विभागीय प्रकाशन तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत समस्त सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है ताकि विभागीय समस्त गतिविधियों की जानकारी इण्टरनेट के माध्यम से जन सामान्य को आसानी से उपलब्ध हो सके।

3. इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रदर्शित खबरों की मानिटरिंग

मा. मुख्यमंत्री सूचना परिसर में विभिन्न चैनलों पर प्रसारित महत्त्वपूर्ण समाचारों की डी.वी.डी.

रिकार्डर के माध्यम से रिकार्डिंग करायी जाती है और महत्त्वपूर्ण समाचारों की एक डी.वी.डी. लाइब्रेरी भी बनायी गयी है। इस सेटअप का निरन्तर सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इलेक्ट्रानिक मीडिया की रिकार्डिंग और फीडबैक की उपयुक्त व्यवस्था हेतु रिकार्डिंग डेट एण्ड टाइम न्यूज डाटा कलेक्शन का कम्प्यूटरीकृत सेटअप स्थापित करके व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया गया है ताकि इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रसारित किए जा रहे समाचारों की समुचित मानिटरिंग की जा सके।

4. जनपदीय कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण

जिला सूचना कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु सी0यू0जी0 टेलीफोन की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक जनपद कार्यालय के लिए वाहन की व्यवस्था करायी गयी है तथा जिला सूचना कार्यालयों में कम्प्यूटर तथा ब्राडबैण्ड, फैक्स, फोटोस्टेट मशीन आदि की व्यवस्था भी करायी गयी है, जिससे जनपदीय कार्यालयों की दक्षता एवं समचार प्रेषण की क्षमता में वृद्धि हुई है।

5. अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों का निस्तारण

विभाग में कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा एवं प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकरणों को निस्तारित किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण से निदेशालय की कार्यशैली में सुधार हुआ है तथा कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

6. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के अन्तर्गत सामान्य नागरिकों को भी लोकनिकाय से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उक्त अधिनियम में दिये गये निर्देशों के क्रियान्वयन करने के लिए विभाग में जन सूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत सामान्य नागरिकों से प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित सूचना अधिनियम में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत सम्बन्धित को सुलभ कराने एवं सूचना मांगकर्ता के अनुरोध एवं मा. आयोग के निर्देश पर सम्बन्धित को वांछित पत्रावलियों का निरीक्षण/अवलोकन सम्बन्धित प्रभागों से कराने के साथ मा. आयोग में लम्बित वादों की सुनवाई का कार्य सम्पादित किया जाता है।

जन सूचना प्रकोष्ठ द्वारा वित्तीय वर्ष में कुल 392 आवेदन पत्रों से सम्बन्धित सूचना सुलभ करायी गयी है तथा प्रभावी पैरवी कर मा. आयोग में लम्बित 12 वादों का निस्तारण भी कराया गया है।

●

उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा संगठन

राष्ट्रीय भावना एवं निष्काम कर्म से प्रेरित नागरिक सुरक्षा संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है। आधुनिक युद्ध सीमाओं के साथ-साथ नागरिक आबादी क्षेत्रों पर भी अत्यंत घातक प्रभाव डालता है, बाह्य युद्ध के समय देश की आन्तरिक व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो और नागरिकों का मनोबल बना रहे, इस हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के बाद नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना देश तथा प्रदेश के सुभेद्य नगरों में की गई है। वर्ष 1968 में भारत सरकार द्वारा "नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968" पारित करके संगठन को कोर का स्वरूप प्रदान किया गया। नागरिक सुरक्षा विभाग का पर्यवेक्षण एवं निर्देशन भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की नीतियों एवं संकल्पों पर आधारित है। वर्ष 1965 एवं वर्ष 1971 के युद्धों के समय तथा कारगिल अभियान के दौरान आंतरिक स्तर पर नागरिक सुरक्षा संगठन ने सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किया। भारत सरकार की नीतियों के अंतर्गत प्रदेश के 15 सुभेद्य नगरों में नागरिक सुरक्षा की 17 इकाइयाँ स्थापित हैं।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

नागरिक सुरक्षा विभाग का प्रदेश स्तरीय ढाँचा निम्न प्रकार है :

1. नागरिक सुरक्षा निदेशालय

नागरिक सुरक्षा विभाग की विभिन्न इकाइयों पर नियंत्रण व समन्वय हेतु लखनऊ में नागरिक सुरक्षा निदेशालय की स्थापना की गई है। निदेशालय का कार्य भारत सरकार व प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन कराना व विभिन्न नागरिक सुरक्षा इकाइयों के कार्यों का पर्यवेक्षण व उनके मध्य समन्वय स्थापित करना है।

2. केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान

प्रदेश स्तर पर नागरिक सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक वैतनिक व अवैतनिक जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है, जिसमें नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों तथा वैतनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को नागरिक सुरक्षा का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान में चार संकाय- 1. सामान्य नागरिक सुरक्षा, 2. अग्निशमन, 3. बचाव एवं 4. प्राथमिक चिकित्सा है।

3. नागरिक सुरक्षा जनपद

उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा संगठन नरौरा (बुलंदशहर), आगरा, हिण्डन-गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर, मथुरा, बक्शी का तालाब (लखनऊ), लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, सरसावां (सहारनपुर), झाँसी, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ तथा मुगलसराय नगरों में कार्यरत हैं। नागरिक सुरक्षा जनपदों का मुख्य कार्य स्वयंसेवकों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करना, जन सामान्य को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देना व उन्हें जागरूक करना, अभ्यास/प्रदर्शन का आयोजन करना, जनपद व महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की नागरिक सुरक्षा योजनायें तैयार व पुनरीक्षित करना, हाउस होल्ड रजिस्टरों का रख-रखाव आदि हैं। नागरिक सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार 12 सेवाओं का गठन

किया गया है :

1. मुख्यालय सेवा	2. संचार सेवा	3. वार्डेन सेवा
4. हताहत सेवा	5. अग्निशमन सेवा	6. प्रशिक्षण सेवा
7. बचाव सेवा	8. कल्याण सेवा	9. पूर्ति सेवा
10. शव निस्तारण सेवा	11. साल्वेज सेवा (लावारिश सम्पत्तियों की सुरक्षा)	12. डिपो एवं परिवहन सेवा

वित्तीय वर्ष 2017-18 की उपलब्धियाँ

(क) केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0, लखनऊ पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों के अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं केन्द्रीय सरकार के उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, एन0ए0पी0पी0 तथा एच0ए0एल0 के कर्मचारियों को नागरिक सुरक्षा उपायों में प्रशिक्षित किया गया। आलोच्य वर्ष में कुल 34 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र आयोजित करके 299 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

(ख) आलोच्य वर्ष में नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं में वार्डेन सेवा, अग्निशमन सेवा एवं प्राथमिक चिकित्सा सेवा में 4909 स्वयंसेवकों की भर्ती की गई तथा 2014 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया एवं 108 स्वयंसेवकों को पुनः प्रशिक्षण दिया गया।

(ग) विभिन्न स्कूल/कालेजों एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने वाले 4459 छात्र/छात्राओं को नागरिक सुरक्षा का सामान्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(घ) आलोच्य वर्ष में 4517 एन0सी0सी0 कैडेटों, 35 एन0एस0एस0 के स्वयंसेवकों एवं होमगार्ड्स के 293 स्वयंसेवकों को नागरिक सुरक्षा विधाओं में प्रशिक्षित किया गया।

(ङ) आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 418 कर्मचारियों को तथा 332 नागरिकों को आपदा प्रबन्धन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया।

(च) नागरिक सुरक्षा नगरों में विभिन्न स्तर पर 11330 बैठकों का आयोजन करके नागरिक सुरक्षा गतिविधियों से भिज्ञ कराया गया तथा 369 हवाई हमले के क्रियात्मक अभ्यास/प्रदर्शन आयोजित किये गये।

(छ) नागरिक सुरक्षा नगरों में आलोच्य वर्ष में उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा द्वारा अपने अधीनस्थ प्रखण्डीय कार्यालयों के 58 आकस्मिक निरीक्षण तथा 128 विस्तृत निरीक्षण किये गये तथा नागरिक सुरक्षा भण्डार के 13 आकस्मिक सत्यापन तथा 12 विस्तृत सत्यापन किये गये। प्रखण्डों में 5811 स्वयंसेवकों का भौतिक सत्यापन किया गया।

(ज) आलोच्य वर्ष में विभिन्न स्तरों पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 8,339 व्यक्तियों को भी नागरिक सुरक्षा का सामान्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(झ) आलोच्य अवधि में नेहरू युवा केन्द्र के 98 स्वयंसेवकों, 210 अध्यापक/अध्यापिकाओं तथा सचिवालय प्रशिक्षण के अंतर्गत 35 पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(ञ) गणतंत्र दिवस, 2018 के अवसर पर श्री अवतार सिंह, डिवीजनल वार्डेन, नागरिक सुरक्षा, सहारनपुर, श्री ओम प्रकाश शर्मा, डिवीजनल वार्डेन, नागरिक सुरक्षा, मेरठ को ''गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक'' से सम्मानित किया गया।

●

धर्मार्थ कार्य

वर्ष 2017-18 में धर्मार्थ कार्य विभाग की महत्त्वपूर्ण योजनायें एवं उपलब्धियाँ

- श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट 25 सम्पत्तियों का क्रय एवं विस्तारीकरण तथा ई-पूजा ऑन लाइन डोनेशन हेतु विभागीय वेबसाइट का शुभारम्भ।
- श्री कैलाश मानसरोवर भवन का जनपद-गाजियाबाद के इन्दिरापुरम शक्ति खण्ड-4 में दिनांक 31 अगस्त 2017 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया गया है। भवन की कुल लागत रु. 114 करोड़ के लगभग है। रु. 17 करोड़ निर्गत।
- जनपद-वाराणसी में वैदिक साइंस सेन्टर की स्थापना।
- श्री कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों का अनुदान रु. 50 हजार से बढ़ाकर रु. 1 लाख प्रति व्यक्ति किया गया।
- सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रियों को अनुदान रु. 10 हजार।
- जनपद-चित्रकूट में भजन संध्या स्थल के निर्माण।
- जनपद-अयोध्या में भजन संध्या स्थल के निर्माण।
- ऑनलाइन पोर्टल/वेबसाइट द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग की योजनाओं को जनमानस तक पहुँचाने के लिये www.updharmarthkarya.in का मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 13 जून, 2017 को शुभारम्भ किया गया।
- श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में रु. 13 करोड़ की लागत का अन्नक्षेत्र का निर्माण प्रारम्भ।
- श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी से मंदिर तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं परिसर का विस्तारीकरण लागत लगभग रु. 40 करोड़ पहले आवंटित किया गया।
- जनपद-मथुरा स्थित वृन्दावन एवं बरसाना को दिनांक 27 अक्टूबर 2017 को पवित्र स्थल घोषित किया गया। अभी हाल में रु. 150 करोड़ आवंटित किया गया।

विभाग द्वारा कार्यान्वित करायी जा रही महत्त्वपूर्ण योजनाएं

1. **कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा-** कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा प्रति वर्ष माह जून से प्रारम्भ होकर माह सितम्बर तक पूर्ण की जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण करने वाले उ0प्र0 के मूल निवासियों को धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट- www.updharmarthkarya.in पर ऑनलाइन आवेदन किये जाने के पश्चात् रु. 1.00 लाख का अनुदान प्रदान किया जाता है। इस प्रयोजन हेतु आय-व्ययक में रु. 5.50 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध है।

2. **सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा-** सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा प्रति वर्ष माह जून से प्रारम्भ होकर माह सितम्बर तक पूर्ण की जाती है। सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा पूर्ण करने वाले उ0प्र0 के मूल निवासियों को धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट www.updharmarthkarya.in पर ऑनलाइन आवेदन किये जाने के पश्चात् रु. 10.00 हजार का अनुदान प्रदान किया जाता है। इस प्रयोजन हेतु आय-व्ययक में रु. 10.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है।

3. **कैलाश मानसरोवर भवन निर्माण-** कैलाश मानसरोवर यात्रियों/चार धाम यात्रियों की सुविधा हेतु जनपद गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण किया जा रहा है। उक्त भवन के भूखण्ड हेतु रु. 50.66 करोड़ तथा भवन निर्माण हेतु रु. 17.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। भवन निर्माण की लागत रु. 57.99 करोड़ है।

4. **वैदिक साइंस सेन्टर-** जनपद वाराणसी में वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना हेतु धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा रु. 1210.36 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

5. **श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण-** श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी के विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में भूमि/भवनों को क्रय किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। इस प्रयोजन हेतु रु. 190.00 करोड़ की धनराशि जिलाधिकारी, वाराणसी को अवमुक्त की गयी है। चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में अभी रु. 210.00 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है।

●

भारत सरकार के संस्थान, संगठन एवं कार्यालय

एडवरटाइजिंग एण्ड विजुअल पब्लिसिटी	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
एयर फोर्स	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
आल इण्डिया रेडियो	-	विधान सभा मार्ग, लखनऊ
आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया	-	बाइली ग्रार्डन काटेज, लखनऊ
आर्मी सेन्ट्रल कमान्ड	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
आयुर्वेदिक रिसर्च सेन्टर	-	सीतापुर रोड, लखनऊ
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन	-	94, महात्मा गांधी, मार्ग, लखनऊ
सेन्सस प्रोसीजर	-	52, वजीर हसन रोड, लखनऊ
सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड ज्यूडीसरी	-	राना प्रताप मार्ग, लखनऊ
सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन	-	नवल किशोर रोड, लखनऊ
सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट	-	छतर मंजिल, लखनऊ
सेन्ट्रल हेल्थ एण्ड प्लानिंग	-	9, राना प्रताप मार्ग, लखनऊ
सेन्ट्रल न्यूज एण्ड ब्रोडकास्टिंग डिपार्ट.	-	एम0 जी0 मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ
सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स	-	गोमती नगर, लखनऊ
चीफ पोस्ट मास्टर जनरल	-	हजरतगंज, लखनऊ
सिटी एण्ड विलेज प्लानिंग	-	7, बन्दरिया बाग, लखनऊ
सिविल एविएशन	-	अमौसी, लखनऊ
दूरदर्शन केन्द्र	-	24, अशोक मार्ग, लखनऊ
जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया	-	(नार्थ इण्डिया) सेक्टर- डी, अलीगंज, लखनऊ
ग्राउण्ड रोजवेज	-	बी- 74, सेक्टर- सी, महानगर लखनऊ
हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर	-	महानगर, लखनऊ
हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड (एच. ए. एल.)	-	फैजाबाद रोड, लखनऊ
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन	-	4, शाहनजफ रोड, लखनऊ
आईबीपी कारपोरेशन लिमिटेड	-	विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
इनकम टैक्स डिपार्टमेण्ट	-	अशोक मार्ग, लखनऊ
इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	-	कपूरथला काम्पलैक्स, अलीगंज, लखनऊ
इनफार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग सेन्ट्रल	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
इंडियन स्टेण्डर्ड ब्यूरो	-	नवल किशोर रोड, लखनऊ
खादी ग्रामोद्योग कमीशन	-	कैसरबाग, लखनऊ
नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट	-	राना प्रताप मार्ग, लखनऊ
नेशनल कैडेट कार्प्स (एन.सी.सी.)	-	अशोक मार्ग, लखनऊ
नार्थ ईस्टर्न रेलवे	-	अशोक मार्ग, लखनऊ
नार्दन रेलवे	-	चारबाग, लखनऊ
रोड ट्रांसपोर्ट एथोरिटी	-	महानगर, लखनऊ
शुगरकेन रिसर्च सेन्टर	-	रायबरेली रोड, लखनऊ
टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेन्ट	-	13 ए, माल ऐवन्यू, लखनऊ
जी. एम. टेलीकाम	-	हजरतगंज, लखनऊ
जी. एम. (लखनऊ टेलीकाम)	-	गांधी भवन, एम. जी. मार्ग, लखनऊ
डायरेक्टर टेलीकाम सेन्टर	-	हजरतगंज, लखनऊ
टेलीग्राफ स्टोर डिर्पोटमेन्ट	-	तालकटोरा रोड, लखनऊ
जी. एम. प्रोजेक्टस (नार्थ)	-	ए-2, सेक्टर बी, अलीगंज, लखनऊ
टूरिज्म डिपार्टमेन्ट	-	सेक्टर सी, अलीगंज, लखनऊ
वेदर	-	अमौसी, लखनऊ

●

उत्तर प्रदेश के जनपद : एक नज़र में

1. आगरा

● क्षेत्रफल (2011)	4041 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	4418797
● महिलाएँ (जनसंख्या)	2053844
● पुरुष (जनसंख्या)	2364953
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	22.1 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	868-1000
● जनसंख्या घनत्व	1098 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	71.6 प्रतिशत
● नगर पालिका परिषदों की संख्या	05 (शमसाबाद, एत्मादपुर, अछनेरा, फतेहपुर सीकरी, बाह)
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	06 (आगरा, एत्मादपुर, खेरगढ़, किरावली, फतेहाबाद, बाह)
● विकास खण्डों की संख्या	15 (फतेहपुर सीकरी, अछनेरा, अकोला, बिचपुरी, बरौली अहीर खंदौली, एत्मादपुर, जगनेर, खेरागढ़, सैंया, शमसादबाद, फतेहाबाद, पिनाहट, बाह, जैतपुरकलाँ)
● आबाद ग्रामों की संख्या	894
● प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	ताजमहल, लाल किला, सिकन्दरा, फतेहपुर सीकरी, एत्माद्दौला, बटेश्वर, मनकामेश्वर, कैलाश, मजार शहीदे सालिस
● हस्तशिल्प	जूता एवं लोहा, पेठा, दालमोठ, कालीन, खेल का सामान

2. अलीगढ़

● क्षेत्रफल	3650 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3673889
● महिलाएँ (जनसंख्या)	1721893
● पुरुष (जनसंख्या)	1951996
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	22.78 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	882-1000
● जनसंख्या घनत्व	1007 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	67.5 प्रतिशत
● नगर पालिका परिषदों की संख्या	02 (खैर, अतरौली)
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	05 (इगलास, कोयल, अतरौली, खैर, गभाना)
● विकासखण्डों की संख्या	13 (अतरौली, गंगोरी, विजौली, खैर, चन्दौस टम्पल, गोण्डा,

लोधा, जवां, धनीपुर, अकबराबाद, इगलास, गभाना)

- आबाद ग्रामों की संख्या — 1170
- प्रमुख उद्योग — हल्की मशीनरी, ताला

3. एटा

- क्षेत्रफल — 2431 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1774480
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 827141
- पुरुष (जनसंख्या) — 947339
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 15.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 873-1000
- जनसंख्या घनत्व — 723 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (एटा, अलीगंज, जलेसर, मारहरा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (एटा, अलीगंज, जलेसर)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (शीतलपुर, सकीट, जैथरा, अलीगंज, निधौली कलां, अवागढ़, जलेसर, मारहरा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 853
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — (पटना पक्षी विहार, जलेसर, अतरंजी खेड़ा, मारहरा)
- हस्तशिल्प — खादी वस्त्र, घुंघरू-घंटी, कांचमूँगा मोती, मूँज-बान
- प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ — लिप्टन इंडिया लि., न्यूट्रेशिया, न्योली शुगर फैक्ट्री, स्टैंडर्ड हैण्डलूम टेक्सटाइल्स, पीतल-घुंघरू-घंटी उद्योग, आयरन उद्योग

4. फिरोजाबाद

- क्षेत्रफल — 2407 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2498156
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1166110
- पुरुष (जनसंख्या) — 1332046
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.94 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 867-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1038 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (टूण्डला, शिकोहाबाद, सिरसागंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जसराना, टूण्डला)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (ओरांव, एका, फिरोजाबाद, हाथवंत, मदनपुर, नारखी, शिकोहाबाद, जसराना, टूण्डला)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 791
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — पाढ़म रपड़ी, शाही-मस्जिद, सांती, फिरोजशाह का मकबरा, दिगम्बर जैन मंदिर, गोपाल आश्रम, महावृक्ष अजान, सूफी शाह का मकबरा
- हस्तशिल्प — काँच एवं पाटरी

5. मैनपुरी

- क्षेत्रफल — 2760 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1868529
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 875152
- पुरुष (जनसंख्या) — 993377
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 881-1000
- जनसंख्या घनत्व — 677 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 76.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (मैनपुरी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (मैनपुरी, भोगांव, करहल)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (मैनपुरी, घिरोर, कुरावली, बेवर, किशनी, एलाऊ, सुल्तानगंज बरनाहल, करहल)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 820
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — समान पक्षी विहार, समान कटरा पर्यटन स्थल, महाराजा तेज सिंह का किला, महाकवि देव स्मारक, कुसमरा व अस्यौली का किला, माँ शीतला देवी मंदिर, च्यवन ऋषि आश्रम, मारकण्डेय ऋषि आश्रम, कपिल मुनि आश्रम, बेवर भीमसेन मंदिर, देव स्मारक
- औद्योगिक इकाइयाँ — 7519

6. मथुरा

- क्षेत्रफल — 3340 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2547184
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1180059
- पुरुष (जनसंख्या) — 1367125
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 863-1000
- जनसंख्या घनत्व — 763 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.04 प्रतिशत
- नगर निगम — 01(मथुरा-वृन्दावन)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (कोसीकलां)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (मथुरा, मॉठ, छाता, महावन)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (मथुरा, फरह, गोवर्धन, नंदगाँव, छाता, चौमुहा, राया, माट, नौहझील, वल्देव)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 730
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — (वृंदावन, राधाकुंड, बरसाना, नंदगाँव, गोवर्धन, गोकुल, महावन, वल्देव)
- हस्तशिल्प — गिलट के आभूषण, कंठीमाला, पोशाक
- प्रमुख उद्योग — साड़ी छपाई, ब्रास टेप्स एण्ड पोक्स, मिल्क पाउडर, गिलट के आभूषण, विटामिन आधारित उद्योग, सूती सिन्थेटिक धागा

7. आजमगढ़

● क्षेत्रफल	4054 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	4613913
● महिलाएँ (जनसंख्या)	2328909
● पुरुष (जनसंख्या)	2285004
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	17.17 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	1019-1000
● जनसंख्या घनत्व	1138 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	70.9 प्रतिशत
● नगर पालिका परिषदों की संख्या	02 (आजमगढ़, मुबारकपुर)
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	07 (आजमगढ़ सदर, सगड़ी, लालगंज, फूलपुर, मेहनगर, बूढ़नपुर, निजामाबाद)
● विकासखण्डों की संख्या	22 (अतरौलिया, कोयलसा, हरैया, अहिरौला, फूलपुर, पवई, अजमतगढ़, तहबरपुर, सठियाँव, महाराजगंज, लालगंज, मार्टिनगंज, रानी की सराय, पल्हनी, ठेकमा, बिलरियागंज, मेंहनगर, मिर्जापुर, जहानागंज, तरवां, पल्हना, मुहम्मदपुर)
● आबाद ग्रामों की संख्या	3800
● प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	दुर्वासा आश्रम, देवल आश्रम, चन्द्रमा आश्रम, दतात्रेय आश्रम, पौहारी बाबा, आवंक, पल्हना देवी, बाराहमूर्ति, कोठिया आश्रम, हथियादह, कम्पनीबाग, उद्यान, महामंडलेश्वर
● हस्तशिल्प	काली मिट्टी के बर्तन, बनारसी रेशमी साड़ी
● प्रमुख उद्योग	चीनी, रोलिंग, खाद्य तेल, बर्फ, रेशमी साड़ी, काली मिट्टी के बर्तन चावल मिल, जनरल इंजीनियरिंग आदि

8. बलिया

● क्षेत्रफल	2981 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3239774
● महिलाएँ (जनसंख्या)	1566872
● पुरुष (जनसंख्या)	1672902
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	17.3 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	937-1000
● जनसंख्या घनत्व	1087 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	70.9 प्रतिशत
● नगर पालिका परिषदों की संख्या	02 (बलिया, रसड़ा)
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	06 (बलिया, सिकन्दरपुर, रसड़ा, बेल्थरा रोड, बांसडीह, बैरिया)
● विकासखण्डों की संख्या	18 (रसड़ा, नगरा, सीयर, चिलहर, गड़वार, सोहांव, हनुमानगंज, दुबहड़, बेलहरी, भीमपुरा नं.1, बैरिया, मुरलीछपरा, बांसडीह, बेरुआरबारी, रेवती, मनियर, पन्दह, नवानगर)
● आबाद ग्रामों की संख्या	1839
● प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	खैराडीह, लखनेश्वरडीह, सुरहाताल, वृत्तिकूट आश्रम, भृगु आश्रम, देवीकुली धाम, परासर मुनि आश्रम, शहीद स्मारक, बसन्तप,

बालेश्वर शिव मंदिर, असेगानाथ, ब्रह्माइन देवी मंदिर, श्रीनाथ बाबा का मठ, मखदूमइकतुद्दीन आलम की मजार, वृत्तकूट आश्रम पकड़ी, जयप्रकाश नगर, शहीद भवानी, सोनाडीह भवानी, कापिलेश्वरी, जंगली बाबा का मन्दिर, बालकदास बाबा की कुटी, सुदिष्ट बाबा का मन्दिर, डूहा बिहर (मौन बाबा), शहीद पार्क चौक, वैरिया शहीद स्मारक, सुरनापुर शहीद स्थल, शहीद मंगल पाण्डेय

- हस्तशिल्प — टिकुली, सिन्दौरा, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, डलिया, खाची मौनी
- औद्योगिक इकाइयाँ — 28

9. मऊ

- क्षेत्रफल — 1713 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2205968
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1091259
- पुरुष (जनसंख्या) — 1114709
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 979-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1285 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 73.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (मऊ)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (मऊ, घोसी, मोहम्मदाबाद-गोहना, मधुबन)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (परदहा, कोपागंज, घोसी, दोहरीघाट, बड़रांव, फतेहपुर, मण्डाव, रतनपुरा, मोहम्मदाबाद गोहना, रानीपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1496
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — वन देवी, बेलवरी घाटी, मीर बाबा धाम

10. प्रयागराज

- क्षेत्रफल — 5482 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 5954391
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2822584
- पुरुष (जनसंख्या) — 3131807
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.71 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 901-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1086 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 72.3 प्रतिशत
- नगर निगम की संख्या — 01
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 08 (प्रयागराज सदर, फूलपुर, करछना, बारा, मेजा, कोरांव, सोरांव, हण्डिया)
- विकासखण्डों की संख्या — 21 (हण्डिया, धनूपुर, प्रतापपुर, सैदाबाद, बहादुरपुर, बहरिया, फूलपुर, होलागढ़, बरांव, कौढ़िहार, मऊआइमा, सोरांव, चाका, करछना, कौंधियारा, जसरा, शंकरगढ़, कोरांव, माण्डा, मेजा, उरवा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2809

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — स्वराज भवन, जवाहर प्लेनिटोरियम, भारद्वाज आश्रम, संगम, पातालपुरी मन्दिर, प्रयागराज किला, अशोक स्तम्भ, अक्षयवट, रानीमहल, शिवकुटी, आल सेन्ट्रल कैथेड्रल, प्रयागराज संग्रहालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, खुसरोबाग, मिन्टो पार्क, सरस्वती घाट, नेहरू पार्क, शृंगवेरपुरधाम, प्रतिष्ठानपुरी, लक्ष्यागृह, गढ़वा का किला, मनकामेश्वर मंदिर, सरस्वती कूप, अलोपीदेवी, मंदिर, बेणी माधव मंदिर, नागबासुकी मंदिर, हनुमान मंदिर, शंकर विमान मण्डपम, दुर्वासा ऋषि आश्रम आदि
- प्रमुख उद्योग — राइस मिल, दाल मिल, इलेक्ट्रानिक्स

11. फतेहपुर

- क्षेत्रफल — 4152 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2632733
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1248011
- पुरुष (जनसंख्या) — 1384722
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.05 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 901-1000
- जनसंख्या घनत्व — 634 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 67.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (फतेहपुर, बिन्दकी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (फतेहपुर, बिन्दकी, खागा)
- विकास खण्डों की संख्या — 13 (भिटौरा, तेलियानी, हसवा, असोथर, बहुआ, मलवाँ, अमौली, खजुहा, देवमई, ऐराया, हथगाम, धाता, बिजईपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1352
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — भिटौरा, असनी, शिवराजपुर, बावनइमली
- प्रमुख उद्योग — स्टील, धागा, चमड़ा आदि।
- हस्तशिल्प — लकड़ी एवं मिट्टी के खिलौने

12. प्रतापगढ़

- क्षेत्रफल — 3717 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3209141
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1603056
- पुरुष (जनसंख्या) — 1606085
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 998-1000
- जनसंख्या घनत्व — 862 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (बेल्हा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सदर, पट्टी, रानीगंज, कुण्डा, लालगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 19 (प्रतापगढ़ सदर, मान्धाता, संडा चद्रिका, लालगंज, लक्ष्मणपुर सांगीपुर, पट्टी, आसपुर देवसरा, मगरौरा, शिवगढ़, गौरा, कुण्डा, कालाकांकर, बिहार, बाबागंज, रामपुरसंग्रामगढ़, बेलखरनाथ, डेरवा, मंगापुर उदयपुर)

- आबाद ग्रामों की संख्या — 2183
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — हण्डौर, पंडवासी, अजगरा, महदहा, बारडीह, नमक सायर, कहला, रूरे, सराय नाहरराय, कालाकाँकर, बाबा घुइसरनाथ, चन्द्रिका देवी, शनिदेश, चौहर्जन देवी, बाबा बेलखरनाथ, बेल्हा देवी, ज्वालादेवी, भयहरननाथ, हैदेश्वरनाथ, अम्बेडकर पक्षी विहार।
- निजी एवं सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयाँ — ओम अचार मुरब्बा उद्योग, प्रताप फल संरक्षण एवं मुरब्बा उद्योग, मंजू मुरब्बा उद्योग, कमला ट्रान्सफार्मर, वेस्को रबर इंडस्ट्रीज, अभय ग्रामोद्योग, सरकार फूड प्रोडक्ट्स, परमिल्स फार्मास्युटिकल्स, खण्डेलवाल रबर प्रोडक्ट्स, ममता फूड प्रोडक्ट्स, शिवम फूड प्रोडक्ट्स, खण्डेलवाल फूड प्रोडक्ट्स

13. कानपुर नगर

- क्षेत्रफल — 3155 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4581268
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2121462
- पुरुष (जनसंख्या) — 2459806
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 9.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 862-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1452 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 79.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (घाटमपुर, बिल्हौर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (सदर, बिल्हौर, घाटमपुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (बिधनू, सरसौल, कल्याणपुर, पतारा, घाटमपुर, भीतरगाँव, चौबेपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर, ककवन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 902
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — जाजमऊ, बिठूर, मनकपुर
- प्रमुख उद्योग — चमड़ा, कालीन, सूती, रक्षा सामग्री, मशीनरी, होजरी, वस्त्र, आभूषण

14. कानपुर देहात

- क्षेत्रफल — 3021 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1796184
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 832929
- पुरुष (जनसंख्या) — 963255
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 865-1000
- जनसंख्या घनत्व — 595 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 75.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (झींझक, पुखरायां)

- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (अकबरपुर, भोगनीपुर, सिकन्दरा, डेरापुर, रसूलाबाद)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (अकबरपुर, सरवनखेड़ा, मैथा, डेरापुर, झींझक, सन्दलपुर राजपुर, अमरौधा, मलासा, रसूलाबाद)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 866
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — शुक्ल तालाब, बानेश्वर महादेव, वन चेतना केन्द्र, औनहां
- हस्तशिल्प — हाथ के पंखे, टोकरी, दरी, कंबल आदि
- प्रमुख उद्योग — साबुन, पेन्ट, वनस्पति घी, चमड़ा, मशीनरी आदि

15. इटावा

- क्षेत्रफल — 2311 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1581810
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 735954
- पुरुष (जनसंख्या) — 845856
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 870-1000
- जनसंख्या घनत्व — 638 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 78.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (भरथना, जसवन्तनगर, इटावा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (जसवन्तनगर, सैफई, इटावा, भरथना, चकरनगर)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (जसवन्तनगर, बदपुरा, बसरेहर, ताखा, महेवा, सैफई, भरथाना, चकनगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 686
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — भरेह, पचनदा, मूँज, आसई, चकरनगर, टिक्सी मंदिर, कालीवान, पिलुआ
- हस्तशिल्प — हथकरघा, दरी

16. फर्रुखाबाद

- क्षेत्रफल — 2181 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1885204
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 878964
- पुरुष (जनसंख्या) — 1006240
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 874-1000
- जनसंख्या घनत्व — 864 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 69.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (फर्रुखाबाद, कायमगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (सदर, अमृतपुर, कायमगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 07 (बढ़पुर, राजेपुर, कमालगंज, मोहम्मदाबाद, नवाबगंज, शमसाबाद, कायमगंज)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 872

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — संकिसा, कम्पिल, सिंगीरामपुर, हनुमान मंदिर, नीम करोरी, दरगाह शेखपुर
- हस्तशिल्प — जरदोजी, छपाई का फरमा
- प्रमुख उद्योग — आलू, तम्बाकू, चीनी मिल

17. कन्नौज

- क्षेत्रफल — 2093 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1656616
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 774840
- पुरुष (जनसंख्या) — 881776
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.37 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 879-1000
- जनसंख्या घनत्व — 792 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 72.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (कन्नौज, छिबरामऊ, गुरसहायगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (कन्नौज, जलालाबाद, ठठिया, छिबरामऊ, सौरिख, तालग्राम, उमर्दा, हसरेन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 688
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — खाना गौरी शंकर का शिवलिंग, हाजी शरीफ़ की दरगाह, डेगभभका, अर्द्धनारीश्वर, लाख वहोसी पक्षी विहार, पंचवटी मंदिर, विशनगढ़, किला बारादरी।
- प्रमुख उद्योग — इत्र, सेंट

18. गोरखपुर

- क्षेत्रफल — 3321 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4440895
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2163118
- पुरुष (जनसंख्या) — 2277777
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 950-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1337 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.8 प्रतिशत
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 07 (सदर, बाँसगाँव, चौरीचौरा, सहजनवाँ, खजनी, गोला, कैम्पियरगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 19 (पिपराइच, बांसगाँव, गोला, पाली, पिपरौली, सहजनवाँ, खौराबार, कौड़ीराम, गगहा, खजनी, भटहट, बेलघाट, सरदार नगर बड़हलगंज, उरुवा, ब्रह्मपुर, कौड़िया, चरगावाँ, कैम्पियरगंज)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2937
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कुसमही जंगल, रामगढ़ताल, चौरीचौरा, डोहरिया कलां, गोरखनाथ मंदिर, इमामबाड़ा, गीता वाटिका, गीता प्रेस
- हस्तशिल्प — हथकरघा, टेराकोटा

19. कु ीनगर

● क्षेत्रफल	2905 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3564544
● महिलाएँ (जनसंख्या)	1746489
● पुरुष (जनसंख्या)	1818055
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	23.3 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	961-1000
● जनसंख्या घनत्व	1227 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	65.2 प्रतिशत
● नगर पालिका परिषदों की संख्या	03 (हाटा, कुशीनगर, पडरौना)
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	06 (पडरौना, कसया, हाटा, तमकुहीराज, खड्डा, कप्तानगंज)
● विकासखण्डों की संख्या	15 (पडरौना, बिशुनपुरा, कसया, हाटा, मोतीचक, सेवरही, नेबुहानौरंगिया, कुबेरनाथ, खड्डा, दुदही, फाजिलनगर, सुकरौली, कप्तानगंज, रामकोला, तमकुहीराज)
● आबाद ग्रामों की संख्या	1579
● प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	कुशीनगर, बुद्ध की निर्वाण स्थली, फाजिलनगर
● हस्तशिल्प	फर्नीचर, आयल स्पेलर, हथकरघा
● महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ	897

20. देवरिया

● क्षेत्रफल	2540 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3100946
● महिलाएँ (जनसंख्या)	1563510
● पुरुष (जनसंख्या)	1537436
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	14.2 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	1017-1000
● जनसंख्या घनत्व	1222 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	71.1 प्रतिशत
● नगर पालिका परिषदों की संख्या	02 (देवरिया, गौरा बरहज)
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	05 (देवरिया, सलेमपुर, रुद्रपुर, भाटपार रानी, बरहज)
● विकासखण्डों की संख्या	16 (गौरीबाजार, देवरिया सदर, देसई देवरिया, पथरदेवा, बैतालपुर, रामपुर कारखाना, रुद्रपुर, बरहज, भागलपुर, भटनी, बनकटा, तरकुलवा, भाटपाररानी, भलुबनी, लार, सलेमपुर)
● आबाद ग्रामों की संख्या	2019
● प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	दिगधेश्वरनाथ, दुग्धेश्वरनाथ, देवरहा बाबा, परशुरामधाम

21. महराजगंज

● क्षेत्रफल	2952 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	2684703
● महिलाएँ (जनसंख्या)	1302949
● पुरुष (जनसंख्या)	1381754

- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 23.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 943-1000
- जनसंख्या घनत्व — 909 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 62.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (नौतनवां, महराजगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (सदर, फरेन्दा, नौतनवां, निचलौल)
- विकासखण्डों की संख्या — 12 (सदर, परतावल, फरेन्दा, पनियरा, बृजमनगंज, लक्ष्मीपुर, नौतनवा (खानपुर), निचलौल, घुघली, सिसवां, मिठौरा, धानी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1212
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — इटइवा मन्दिर, लेहड़ा

22. चित्रकूट

- क्षेत्रफल — 3216 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 991730
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 464009
- पुरुष (जनसंख्या) — 527721
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 26.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 879-1000
- जनसंख्या घनत्व — 313 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 65.1 प्रतिशत
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 02(कर्वी, मऊ)
- विकासखण्डों की संख्या — 05 (पहाड़ी, मानिकपुर, मऊ, रामनगर, कर्वी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 561
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — (राजापुर, तुलसी आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, रामघाट, तुलसी स्मारक, गणेशबाग, हनुमान जी मंदिर, शबरी प्रपात, कोठी तालाब)
- नगर पालिका परिषद — 01 (कर्वी)

23. बाँदा

- क्षेत्रफल — 4408 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1799410
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 833534
- पुरुष (जनसंख्या) — 965876
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 863-1000
- जनसंख्या घनत्व — 403 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 66.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (बाँदा, अतर्रा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (बाँदा, अतर्रा, नरैनी, बबेरू)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (तिन्दवारी, जसपुरा, बड़ोखर, खुर्द, नरैनी, महुआ, बबेरू, बिसण्डा, कमासिन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 657

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कालिन्जर का किला
- हस्तशिल्प — सजर पत्थर का कार्य

24. हमीरपुर

- क्षेत्रफल — 4021 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1104285
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 510748
- पुरुष (जनसंख्या) — 593537
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 11.09 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 861-1000
- जनसंख्या घनत्व — 258 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (हमीरपुर, मौदहा, राठ)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (हमीरपुर, मौदहा, राठ, सरीला)
- विकासखण्डों की संख्या — 07 (कुरारा, सुमेरपुर, मौदहा, मुस्करा, राठ, गौहाण्ड, सरीला)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 497
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सिंह महेश्वर मन्दिर, चौरादेवी मंदिर, ब्रह्मानंद आश्रम, सिटी फारेस्ट, गौरइया देवी मन्दिर, मेहर मंदिर, निरंकारी आश्रम गायत्री शक्तिपीठ, खण्डेह मंदिर, सिसोला के शिव मंदिर, समाधि स्थल, दाता साइधाम, भुइयन देवी मन्दिर झलोखर
- हस्तशिल्प — खादी ग्रामोद्योग
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ — 574

25. महोबा

- क्षेत्रफल — 3144 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 875958
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 409600
- पुरुष (जनसंख्या) — 466358
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 15.52 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 878-1000
- जनसंख्या घनत्व — 304 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 65.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (महोबा, चरखारी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (महोबा, कुलपहाड़, चरखारी)
- विकासखण्डों की संख्या — 05 (कबरई, चरखारी, पनवाड़ी, जैतपुर, श्रीनगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 435
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — चन्द्रिका देवी मन्दिर, सूर्य मन्दिर, उर्मिल डेम, खकरहा मठ, जैन तीर्थंकर, शिव ताण्डव, ऊदल चौक, कीरत ताल
- हस्तशिल्प — गौरा पत्थर, गौरिहारी
- महत्वपूर्ण निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयाँ — 679

26. झाँसी

- क्षेत्रफल — 5024 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1998603
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 941167
- पुरुष (जनसंख्या) — 1057436
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 890-1000
- जनसंख्या घनत्व — 398 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 75.0 प्रतिशत
- नगर निगम — 01 (झाँसी)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 05 (बरुआसागर, मऊरानीपुर, गुरुसराय, समथर, चिरगांव)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (झांसी, मोठ, मऊरानीपुर, गरौठा, टहरौली)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (चिरगांव, गुरसराय, बामौर, बंगरा, बबीना, बड़ागांव, मोठ, मऊरानीपुर)
- आगाद ग्रामों की संख्या — 745
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — झांसी का किला, रानी महल, गंगाधरराव की छतरी, लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर, लक्ष्मीताल, नारायन बाग, राजकीय संग्रहालय, कौमासन का मंदिर, जराय का मठ, बरुआसागर का किला, कम्पनीबाग, स्वर्गाश्रम, बरुआसागर जलाशय, सुकवां-ढुकवा, परीछा बाँध, भसनेह जलाशय, करगुवा जी लक्ष्मीबाई पार्क।
- प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ — वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. जी. निवास फर्टीलाइजर्स लि., डायमंड सीमेंट फैक्ट्री
- हस्तशिल्प — घरेलू उपयोग की वस्तुएँ आदि।

27. जालौन

- क्षेत्रफल — 4565 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1689974
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 783882
- पुरुष (जनसंख्या) — 906092
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 16.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 865-1000
- जनसंख्या घनत्व — 370 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 73.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (कालपी, जालौन, कोंच, उरई)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (जालौन, उरई, कालपी, कोंच, माधवगढ़)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (एटकोच, डकोर, कुठोंद, रामपुरा, माधवगंज जालौन, कदौरा, महेवा, नदीगांव)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 942
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — अक्षरादेवी, चौरासी गुम्बद, लंका मीनार, बारा खम्भा, चन्देल दुर्ग, ताई-वाई महल, केवड़ा बाग, गांधी पार्क, व्यास मंदिर
- हस्तशिल्प — कालीन, दरी, चदरा, चटाई, हाथ कागज

28. ललितपुर

● क्षेत्रफल	5039 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	1221592
● महिलाएँ (जनसंख्या)	580581
● पुरुष (जनसंख्या)	641011
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	24.9 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	906-1000
● जनसंख्या घनत्व	242 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	63.5 प्रतिशत
● नगर पालिका परिषदों की संख्या	01 (ललितपुर)
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	04 (ललितपुर, महरौनी, तालबेहट, मंडावरा)
● विकासखण्डों की संख्या	06 (मंडावरा, महरौनी, बिरघा, बार, तालबेहट, जखौरा)
● आबाद ग्रामों की संख्या	691
● प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	देवगढ़, दयावतार, माताटीला, राजघाट
● हस्तशिल्प	सिल्क साड़ी, पीतल मूर्तिकला, पत्थर मूर्तिकला
● महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ	ग्रेनाइट (खनन उद्योग), दाल मिल, बारूद फैक्ट्री, भारत एक्सप्लोसिव

29. गोण्डा

● क्षेत्रफल	4003 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3433919
● महिलाएँ (जनसंख्या)	1646773
● पुरुष (जनसंख्या)	1787146
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	23.1 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	922-1000
● जनसंख्या घनत्व	851 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	58.6 प्रतिशत
● नगर पालिका परिषदों की संख्या	03 (करनैलगंज, नबाबगंज, गोण्डा)
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	04 (करनैलगंज, तरबगंज, गोण्डा, मनकापुर)
● विकासखण्डों की संख्या	16 (रुपईडीहा, कटरा बाजार, हलधरमऊ, झंझरी, पन्डरी कृपाल, इटियाथोक, मुजेंहना, बभनजोत, मनकापुर, छपिया, कर्नलगंज, परसपुर, बिल्सर, तरबगंज, वजीरगंज, नवाबगंज)
● आबाद ग्रामों की संख्या	1814
● प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	तिर्रेमनोरमा, पसका, छपिया, पृथ्वीनाथ, सकरौरा, लकड़मण्डी अरगा, पार्वती
● हस्तशिल्प	मिट्टी के बर्तन, सूत दरी
● प्रमुख उद्योग	चीनी

30. बहराइच

● क्षेत्रफल	5237 वर्ग किमी.

- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3487731
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1643847
- पुरुष (जनसंख्या) 1843884
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 29.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 891-1000
- जनसंख्या घनत्व 697 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 49.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (बहराइच, नानपारा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (बहराइच, कैसरगंज, नानपारा, महसी)
- विकासखण्डों की संख्या 15 (चित्तौरा, कैसरगंज, जरवल, तजवापुर, महसी, हुजूरपुर, बलहा, कारी कोट, शिवपुर, मिहीपुरवा, नवाबगंज, रिसिया, पयागपुर, विशेश्वरगंज, फखरपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1360
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल दरगाह सैय्यद सालार, मसऊद गाजी, राजा सुहेलदेव मंदिर, वन्य जीव विहार (कतर्निया घाट)
- हस्तशिल्प कला कलन चित्रकारी, चिकन इम्ब्राइडरी
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ 464

31. बलरामपुर

- क्षेत्रफल 3349 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2148665
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1033944
- पुरुष (जनसंख्या) 1114721
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 27.74 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 927-1000
- जनसंख्या घनत्व 642 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 49.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (बलरामपुर, उतरौला)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (बलरामपुर, तुलसीपुर, उतरौला)
- विकासखण्डों की संख्या 09 (श्री दत्तगंज, उतरौला, गैण्डासबुजुर्ग, रेहराबाजार, बलरामपुर, तुलसीपुर, गैसड़ी, पचपेड़वा, हरैयासत धरवा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 997
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल देवीपाटन मंदिर, तुलसीपुर, विजलेश्वरी मंदिर, बिजुलीपुर, दु:खहरणनाथ मंदिर, बाबा हुर्मतशाह का आस्ताना
- हस्तशिल्प हथकरघा, लकड़ी का कार्य

32. अयोध्या

- क्षेत्रफल 2341 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2470996
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1211368
- पुरुष (जनसंख्या) 1259628

- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 980-1000
- जनसंख्या घनत्व — 962 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.7 प्रतिशत
- नगर निगम — 01 (अयोध्या)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (रुदौली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (रुदौली, सदर, मिल्कीपुर, सोहावल, बीकापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 11 (मसौधा, पुराबाजार, सोहावल, मयाबाजार, बीकापुर, तारून, रुदौली, मवई, हैरिंगटनगंज, अमानीगंज, मिल्कीपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1235
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — अयोध्याजी, सूरजकुण्ड, भरतकुण्ड, बिल्वहरिघाट, बहू बेगम का मकबरा, गुलाबबाड़ी, गुप्तारघाट, रत्ना गिरि मंदिर (रौनाही) कम्पनी बाग, अयोध्या के जैन मंदिर, नौगजी कब्र, मणिपर्वत देवकाली मन्दिर, मिलेट्री मन्दिर
- हस्तशिल्प — बाँस, चमड़ा
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ — 3985

33. बाराबंकी

- क्षेत्रफल — 4402 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3260699
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1553626
- पुरुष (जनसंख्या) — 1707073
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 910-1000
- जनसंख्या घनत्व — 838 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 61.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (नवाबगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (बाराबंकी सदर, फतेहपुर, रामनगर, हैदरगढ़, रामसनेही घाट, सिरौली-गौसपुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 17 (निन्दूरा, फतेहपुर, सूरतगंज, रामनगर, देवा, बंकी, हरख, मसौली, सिद्धौर, त्रिवेदीगंज, हैदरगढ़, दरियाबाद, बनीकोडर, महादेवा, सुबेहा, पूरेडलई, सिरौली-गौसपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1817
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — श्री लोधेश्वर महादेव, श्री औसामेश्वर महादेव, श्री कुंतेश्वर महादेव, पारिजात वृक्ष, देवाशरीफ, श्री कोटवाधाम, मझगांव शरीफ, दरगाह सैयद सालार शाह, सतरिख, बांसा शरीफ, नाग देवता, मजीठा, नागेश्वर मन्दिर
- हस्तशिल्प — मिट्टी के बर्तन व हथकरघे से निर्मित वस्त्र
- महत्त्वपूर्ण निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयाँ — इण्डियन पालीफाइबर्स लि. सोमैया आर्गेनिक केमिकल्स लि., सुगर मिल हैदरगढ़, उ.प्र. राज्य चीनी निगम, इकाई बुढ़वल

34. सुल्तानपुर

- क्षेत्रफल 2672.89 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2431491
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1204842
- पुरुष (जनसंख्या) 1226649
- स्त्री-पुरुष अनुपात 983-1000
- जनसंख्या घनत्व 901 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 70.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (सुल्तानपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (सदर, लम्भुआ, जयसिंहपुर, कादीपुर)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम 14 (बल्दीराय, धनपतगंज, कुरवर, कूरेभार, दूबेपुर, मोतिगरपुर, जयसिंहपुर, कादीपुर, अखण्डनगर, दोस्तपुर, करौंदीकला, भदैया, लम्भुआ, कमेचा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1708
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल धोपाप, विजेथुआ महावीरन, सीताकुण्ड, देवी मन्दिर लोहरामऊ
- हस्तशिल्प बाधमण्डी
- प्रमुख उद्योग सहकारी चीनी मिल

35. बरेली

- क्षेत्रफल 4120 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 4448359
- महिलाएँ (जनसंख्या) 2090694
- पुरुष (जनसंख्या) 2357665
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 22.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 887-1000
- जनसंख्या घनत्व 1080 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 58.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 04 (आँवला, नवाबगंज, बहेड़ी, फरीदपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 06 (बरेली, फरीदपुर, नवाबगंज, मीरगंज, बहेड़ी, आँवला)
- विकासखण्डों की संख्या 15 (क्यारा, बिथरीचैनपुर, मीरगंज, भोजीपुरा, फतेहगंज, नवाबगंज, भदपुरा, भुता, फरीदपुर, बहेड़ी, दमखोदा, आलमपुर, जाफराबाद, शेरगढ़, मंझगवा, रामनगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1855
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल पुराना किला, शहीद स्मारक, खान बहादुर खान की कब्र, नज्जू खाँ का मकबरा, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, काला इमामबाड़ा
- हस्तशिल्प फर्नीचर, मांझा, जरी, जरदोजी, सुरमा, खेल का सामान
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ 371

36. बदायूँ

- क्षेत्रफल 4120 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3127621

महिलाएँ (जनसंख्या)	1457266
पुरुष (जनसंख्या)	1670355
जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	18.9 प्रतिशत
स्त्री-पुरुष अनुपात	872-1000
जनसंख्या घनत्व	739 प्रति वर्ग किमी.
साक्षरता	52.0 प्रतिशत
नगर पालिका परिषदों की संख्या	07 (बदायूं, ककराला, उझांनी, बिल्सी, दातागंज, बिसौली, सहसवान)
तहसीलों की संख्या एवं नाम	05 (बदायूँ, सहसवान, बिल्सी, दातागंज, बिसौली)
विकासखण्डों की संख्या	18 (उझानी, सहसवान, दहगवाँ, कादरचौक, बिनावर, दवतोरी, नाधा सालारपुर, वजीरगंज, बिसौली, आसफपुर, इस्लामनगर, जगत, म्याऊ, उसांवा, दातागंज, समरेर, अम्बियापुर)
आबाद ग्रामों की संख्या	1478
प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	जामा मस्जिद, घंटाघर, सूरज कुण्ड, सरसोता
महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ	बान बनाना, चमड़े का कार्य, खाण्डसारी, मेंथा तेल, खराद, हथकरघा

37. पीलीभीत

क्षेत्रफल	3686 वर्ग किमी.
जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	2031007
महिलाएँ (जनसंख्या)	959005
पुरुष (जनसंख्या)	1072002
जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	17.5 प्रतिशत
स्त्री-पुरुष अनुपात	895-1000
जनसंख्या घनत्व	539 प्रति वर्ग किमी.
साक्षरता	61.5 प्रतिशत
नगर पालिका परिषदों की संख्या	03 (पूरनपुर, बीसलपुर, पीलीभीत)
तहसीलों की संख्या एवं नाम	03 (पूरनपुर, बीसलपुर, सदर)
विकासखण्डों की संख्या	08 (अमरिया, ललौरी खेड़ा, मरौरी, पूरनपुर, विलसण्डा, माधौटाण्डा, बीसलपुर, बरखेड़ा)
आबाद ग्रामों की संख्या	1295
प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	गौरीशंकर का मंदिर, जामा मस्जिद, हजरतशाह जी मियाँ दरगाह, मैनाकोट, राजा वेणु का किला, देवल का मंदिर, राजा मोरध्वज का टीला, बाबा दुर्गानाथ का मंदिर, गुरुद्वारा श्री गुरुसिंह सभा छटी पातशाही, आयुर्वेदिक कॉलेज, वनौषधि, हरबेरियम फार्मेसी, हर्बल गार्डन, मैथाडिस्ट चर्च, मेन बाजार का गेट, बरेली गेट, जसवन्तरी देवी मंदिर आदि।
हस्तशिल्प	बाँसुरी

38. ाहजहाँपुर

क्षेत्रफल	4388 वर्ग किमी.
जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3006538

- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1400135
- पुरुष (जनसंख्या) — 1606434
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 872-1000
- जनसंख्या घनत्व — 657 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 59.5 प्रतिशत
- नगर निगम — 01 (शाहजहाँपुर)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (पुवायां, तिलहर, जलालाबाद)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (शाहजहाँपुर, पुवायां, जलालाबाद, तिलहर)
- विकासखण्डों की संख्या — 15 (भावलखेड़ा, ददरौला, कांठ, मदनापुर, जलालाबाद, तिलहर, जैतीपुर, खुदागंज, निगोही, पुवायां, बण्डा, खुटार, मिर्जापुर कलान, सिधौली)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2089
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — शहीद उद्यान, वनखण्डीनाथ मन्दिर, विश्वनाथ मंदिर, बहादुर खाँ मकबरा, मुमछा आश्रम, श्रीरामचन्द्र मिशन प्रार्थना भवन, विसरात घाट, सुनहरी मजार, मजार अमर शहीद राम प्रसाद विस्मिल, स्मारक अमर शहीद रोशन सिंह, निजामशाह की दरगाह, रायसुखा निदान का फाटक, उदासियों का अखाड़ा, चौकसीनाथ, फूलमती देवी का मन्दिर, सत्संग आश्रम
- हस्तशिल्प — कालीन, कारचोबी
- औद्योगिक इकाइयाँ — 10,535

39. बस्ती

- क्षेत्रफल — 2688 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2464464
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1209192
- पुरुष (जनसंख्या) — 1255272
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 963-1000
- जनसंख्या घनत्व — 839 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 67.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (बस्ती)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (बस्ती, रुदौल, घौनपुर, हर्रैया)
- विकासखण्डों की संख्या — 15 (परशुरामपुर, गौर, हर्रैया, विक्रमजीत, कप्तानगंज, रामनगर, सल्टौआगोपालपुर, रुधौली, साउंघाट, बस्ती सदर, बंकटी, बहादुरपुर, कुदरहा, दुलौलिया, शुभमनगर चंगरेवा बाबू)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 3158
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — छावनी बाजार, मखैड़ा, अमोढ़ा, नगर बाजार, पैडा, भेद्रेश्वरनाथ, श्रंगीनारी
- प्रमुख उद्योग — गन्ना

40. सिद्धार्थनगर

- क्षेत्रफल — 2895 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2559297
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1264202
- पुरुष (जनसंख्या) — 1295093
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 25.4 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 976-1000
- जनसंख्या घनत्व — 884 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 59.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (सिद्धार्थनगर, बांसी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (नौगढ़, बांसी, डुमरियागंज, इटवा, शोहरतगढ़)
- विकासखण्डों की संख्या — 14 (बांसी, बढ़नी, भनबापुर, बर्डपुर, डुमरियागंज, इटवा, जोगिया, खेसरहा, खुनियांव, मिठवल, नौगढ़, लोटन, उस्काबाजार, शोहरतगंढ़)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2334
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कपिलवस्तु, भारतभारी, पलटादेवी, मजार शाह अब्दुल रसूल (मीरा बाबा)

41. मिर्जापुर

- क्षेत्रफल — 4405 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2496970
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1184668
- पुरुष (जनसंख्या) — 1312302
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.4 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 921-1000
- जनसंख्या घनत्व — 482 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (मिर्जापुर, चुनार, अहरौरा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (मिर्जापुर, चुनार, लालगंज, मड़िहान)
- विकासखण्डों की संख्या — 12 (सीटी, कोन, छानवे, मझवां, पहाड़ी, लालगंज, हलिया, मड़िहान, नरायनपुर, जमालपुर, राजगढ़, सीखड़)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1745
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — विंध्याचल, विन्डमफाल, लखनियांदरी, सिद्धनाथ की दरी, दुर्गा मन्दिर, टांडाफाल, कुसेहरा काल, सिरसी जलाशय, चुनार किला
- हस्तशिल्प — कालीन, दरी, बर्तन

42. भदोही

- क्षेत्रफल — 1015 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1578213
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 771114

- पुरुष (जनसंख्या) 807099
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 16.6 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 950-1000
- जनसंख्या घनत्व 1555 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 69.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (भदोही, गोपीगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (भदोही, ज्ञानपुर, औराई)
- विकासखण्डों की संख्या 06 (सुरियावां, भदोही, ज्ञानपुर, औराई, डीघ, अमोली)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1087
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल सीतामणि, सेमराधनाथ, चकवा महावीर, तीलेश्वरनाथ, हरिहरनाथ मंदिर
- हस्तशिल्प कालीन
- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, दि काशी सहकारी चीनी मिल

43. सोनभद्र

- क्षेत्रफल 6905 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1862559
- महिलाएँ (जनसंख्या) 891215
- पुरुष (जनसंख्या) 971344
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 23.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 918-1000
- जनसंख्या घनत्व 274 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 64.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (राबर्ट्सगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (राबर्ट्सगंज, दुद्धी, घोरावल)
- विकासखण्डों की संख्या 10 (राबर्ट्सगंज, करमा, कोन, घोरावल, चतरा, नगवां चोपन, दुद्धी, म्योरपुर, बभनी)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1391

44. मुरादाबाद

- क्षेत्रफल 2271 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3126507
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1489476
- पुरुष (जनसंख्या) 1637031
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 26.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 909-1000
- जनसंख्या घनत्व 1370 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 59.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (ठाकुरद्वारा, बिलारी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (मुरादाबाद, कांठ, ठाकुरद्वारा)
- नगर निगम 01 (मुरादाबाद)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (बिलारी, डींगरपुर, ठाकुरद्वारा, डिलारी, मुरादाबाद, मुंडापाण्डे, भगतपुरटाण्डा, हजलैट)

- आबाद ग्रामों की संख्या — 959
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सम्भल
- हस्तशिल्प — लकड़ी का काम, स्वर्णकारी, वस्त्र रंगाई-छपाई, लाख, कसीदाकारी, पीतल का काम, स्याह कलम तथा नक्काशी

45. बिजनौर

- क्षेत्रफल — 4561 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3682713
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1761498
- पुरुष (जनसंख्या) — 1921215
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.64 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 917-1000
- जनसंख्या घनत्व — 807 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 12 (बिजनौर, चाँदपुर, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, अफजलगढ़, हल्दौर, नहटौर, शेरकोट, किरतपुर, स्योहारा, नूरपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (बिजनौर, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, चाँदपुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 12 (मोहम्मदपुर देवमल, बढ़ापुर, हलदौर, जलीलपुर, नूरपुर, कोतवाली, अफजलगंज, नजीबाबाद, किरतपुर, अलेहपुर, नहटौर, बूढ़नपुर स्योहारा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2186
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कण्व आश्रम, बिदुरकुटी, जहानाबाद, दारानगर गंज, सीता का मंदिर, सेना का द्वार, अकबर के नौरत्न, मयूर ध्वज दुर्ग, नजीबुद्दौला का किला, भंडावर का महल, पारसनाथ, ताजपुर का चर्च, नजफे हिन्द (जोगीरामपुरा)
- हस्तशिल्प — काष्ठकला, ब्रश, कांच का सामान, हथकरघा

46. रामपुर

- क्षेत्रफल — 2367 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2335819
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1111930
- पुरुष (जनसंख्या) — 1223889
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 21.40 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 909-1000
- जनसंख्या घनत्व — 987 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 53.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 05 (स्वार, रामपुर, विलासपुर, टाण्डा, मिलक)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (रामपुर सदर, विलासपुर, मिलक, शाहबाद, स्वार, टाण्डा)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (सैदनगर, पटवई, टाण्डा, चमरौआ, बिलासपुर, मिलक, शाहबाद, स्वार)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1108
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — रजा लाइब्रेरी, किला रामपुर, रठौण्डा मन्दिर, मजार भैसोड़ी शरीफ, कोठी खासबाग, बेनजीर कोठी, शिव मंदिर,

	जामा मस्जिद, मजार हाफिज जमातुल्लाह साहब, रामगंगा, कोसी, भाखड़ा, गांगन, सैजनी, पीलाखार
● महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ	चीनी, डिस्टलरी, उर्वरक, कागज, प्रिंटिंग, मैन्था एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स, जीरॉक्स, टेलीविजन, व्हीलबेल, कैमिकल्स आदि।
● हस्तशिल्प	जरी, जरदोजी, चाकू, पैचवर्क, पतंग व गार्डेन टूल्स

47. मेरठ

● क्षेत्रफल	2559 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3443689
● महिलाएँ (जनसंख्या)	1617946
● पुरुष (जनसंख्या)	1825743
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	15.8 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	886-1000
● जनसंख्या घनत्व	1330 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	72.8 प्रतिशत
● नगर निगम	01 (मेरठ)
● नगर पालिका परिषदों की संख्या	02 (सरधना, मवाना)
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	03 (मेरठ, सरधना, मवाना)
● विकासखण्डों की संख्या	12 (मेरठ, रजपुरा, रोहटा, जानी, खरखोदा, मवाना, हस्तिनापुर परीक्षितगढ़, माछरा, सरघना, सरूरपुर, दौराला)
● आबाद ग्रामों की संख्या	604
● प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	हस्तिनापुर, सरधना, गागोल तथा परीक्षितगढ़
● प्रमुख उद्योग	07
● हस्तशिल्प	होजरी, कैमिकल्स, कारपेट, हस्तशिल्प
● लघु औद्योगिक इकाइयाँ	1250

48. बुलन्द ाहर

● क्षेत्रफल	4512 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3499171
● महिलाएँ (जनसंख्या)	1653911
● पुरुष (जनसंख्या)	1845260
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर (1991 के अनुसार)	16.3 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	896-1000
● जनसंख्या घनत्व	804 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	68.9 प्रतिशत
● नगर पालिका परिषदों की संख्या	09 (बुलन्दशहर, खुर्जा, सिकन्द्राबाद, गुलावठी स्याना, अनूपशहर, शिकारपुर, डिवाई, जहाँगीराबाद)
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	07 (बुलन्दशहर, अनूपशहर, सिकन्द्राबाद, खुर्जा, स्याना, शिकारपुर, डिबाई)
● विकासखण्डों की संख्या	17 (बुलन्दशहर, गुलावठी, स्याना, भवन बहादुर नगर, लखावटी, शिकारपुर, काकोड़, खुर्जा, पहासू, अरनियाँ, सिकन्द्राबाद, अनूपशहर, अगौता, जहाँगीराबाद, ऊँचागाँव, डिबाई, दानपुर)
● आबाद ग्रामों की संख्या	1174

• प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	नरौरा, अनूपशहर, राजघाट, कालाआम, गुलावठी, कर्णवास, रामघाट, मालागढ़, अहार, खुर्जा आदि
• हस्तशिल्प	पाटरी उद्योग
• लघु औद्योगिक इकाइयाँ	602

49. गाजियाबाद

• क्षेत्रफल	910 वर्ग किमी.
• जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3343334
• महिलाएँ (जनसंख्या)	1563410
• पुरुष (जनसंख्या)	1779924
• जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	53.0 प्रतिशत
• स्त्री-पुरुष अनुपात	887-1000
• जनसंख्या घनत्व	3674 प्रति वर्ग किमी.
• साक्षरता	80.5 प्रतिशत
• नगर पालिका परिषदों की संख्या	04 (खोड़ा मकनपुर, मोदीनगर, मुरादनगर, लोनी)
• नगर निगम	01 (गाजियाबाद)
• तहसीलों की संख्या एवं नाम	03 (गाजियाबाद, मोदीनगर, लोनी)
• विकासखण्डों की संख्या	04 (रजापुर, लोनी, भोजपुर, मुरादनगर)
• आबाद ग्रामों की संख्या	192
• प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	केसरी का टीला, लवणासुर का किला, गढ़मुक्तेश्वर का गंगा मंदिर, पूँठ, दुधेश्वरनाथ मंदिर, गढ़ का नक्का कुआं
• लघु औद्योगिक इकाइयाँ	1946

50. बागपत

• क्षेत्रफल	1321 वर्ग किमी.
• जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	1303048
• महिलाएँ (जनसंख्या)	602978
• पुरुष (जनसंख्या)	700070
• जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	11.87 प्रतिशत
• स्त्री-पुरुष अनुपात	861-1000
• जनसंख्या घनत्व	986 प्रति वर्ग किमी.
• साक्षरता	72.0 प्रतिशत
• तहसीलों की संख्या एवं नाम	03 (बागपत, बड़ौत, खेकड़ा)
• विकासखण्डों की संख्या	06 (बागपत, बड़ौत, छपरौली, खेकड़ा, पिलाना, बिनौली)
• आबाद ग्रामों की संख्या	290
• प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	पुरा महादेव, बरनाना, वालैनी, बड़ा गाँव
• औद्योगिक इकाइयाँ	218
• नगरपालिका परिषद	2 (बड़ौत, बागपत)

51. लखनऊ

- क्षेत्रफल — 2528 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4589838
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2195362
- पुरुष (जनसंख्या) — 2394476
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 25.79 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 917-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1816 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 77.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 00
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (सदर, मोहनलालगंज, बख्शी का तालाब, मलिहाबाद)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (काकोरी, मलिहाबाद, बक्शी का तालाब, गोसाईगंज, सरोजिनी नगर, माल, चिनहट, मोहनलालगंज)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 803
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — आसिफुद्दौला इमामबड़ा, रेजीडेन्सी, शाहनजफ इमामबाड़ा, छतर मंजिल, लाल बारादरी, रूमी दरवाजा, विधानभवन, चारबाग रेलवे स्टेशन, शहीद स्मारक, अलीगंज महावीर मंदिर, चंद्रिका देवी मंदिर, बुद्धेश्वर शिव मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, खम्मनपीर मजार, सिकन्दरबाग, बेगम हजरतमहल पार्क, रोशनुद्दौला कोठी, बिजली पासी का किला, काकोरी शहीद स्मारक, लोहिया पार्क, अम्बेडकर स्मारक, अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विहार, समतामूलक चौक, सामाजिक परिवर्तन गैलरी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मारक दृश्य स्थल, परिवर्तन चौक, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल, सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल तथा बौद्ध विहार शान्ति उपवन।
- हस्तशिल्प — चिकन, जरदोजी
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ — 1458

52. हरदोई

- क्षेत्रफल — 5986 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4092845
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1901403
- पुरुष (जनसंख्या) — 2191442
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.39 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 868-1000
- जनसंख्या घनत्व — 683 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 64.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 07 (हरदोई, साण्डी, बिलग्राम, शाहाबाद, पिहानी, मल्लावाँ, सण्डीला)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (हरदोई, शाहाबाद, संडीला, बिलग्राम, स्वायजपुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 19 (सुरसा, बाबन, टड़ियावाँ, हरियावाँ, अहिरोरी, शाहाबाद, पिहानी, टोडरपुर, भरखनी, बिलग्राम, माधौगंज, मल्लावाँ, साण्डी, हरपालपुर, संडीला, भरावन, बेंहदर, कछोना, कोथावाँ)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1907
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दहरझील, साण्डी

- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ — 61

53. लखीमपुर खीरी

- क्षेत्रफल — 7680 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4021243
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1898056
- पुरुष (जनसंख्या) — 2123187
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 25.14 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 894-1000
- जनसंख्या घनत्व — 524 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 60.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (लखीमपुर, गोला, मुहम्मदी, पलिया)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (खीरी, निघासन, मोहम्मदी, धौरहरा, गोलागोकरननाथ, पलिया)
- विकासखण्डों की संख्या — 15 (लखीमपुर, बेहजम, फूलबेहड़, बाँकेगंज, नकहा, बिजुआ, मोहम्मदी, पसगवाँ, मितौली, कुम्भी (गोला), धौरहरा, ईसानगर, रमियाबेहड़, निघासन, पलिया)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1706
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दुधवा नेशनल पार्क, इन्दिरा मनोरंजन पार्क, मेढक मन्दिर, गोला मंदिर
- हस्तशिल्प — पीतल के बर्तन

54. रायबरेली

- क्षेत्रफल — 4043 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2903507
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1408263
- पुरुष (जनसंख्या) — 1495244
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.51 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 942-1000
- जनसंख्या घनत्व — 721 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (रायबरेली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (डलमऊ, लालगंज, महाराजगंज, सदर, ऊँचाहार, सलोन)
- विकासखण्डों की संख्या — 19 (राही, सतांव, हरचन्दपुर, अमाबा, लालगंज, सरेनी, खीरों, जगतपुर, डलमऊ, खजूर गाँव, महराजगंज, बछरावां, शिवगढ़, ऊँचाहार, दीनशाहगौरा, रोहनियाँ, डीह, छतोह, सलोन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1573
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — जायसी स्मारक, शहीद स्मारक
- औद्योगिक इकाइयाँ — इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, भवानी पेपर मिल, नेशनल थर्मल पावर, बिरला सीमेन्ट फैक्ट्री, स्पिनिंग मिल, विसाका सीमेन्ट उद्योग, राजश्री इण्डस्ट्रीज

55. सीतापुर

- क्षेत्रफल — 5743 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4483992

- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2108728
- पुरुष (जनसंख्या) — 2375264
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 23.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 888-1000
- जनसंख्या घनत्व — 781 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 61.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 06 (सीतापुर, बिसवां, मिसरिख, खैराबाद, महमूदाबाद, लहरपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (सीतापुर, बिसवां, मिसरिख, सिधौली, महमूदाबाद, लहरपुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 19 (एलिया, हरगाँव, लहरपुर, परसेन्डी, खैराबाद, बिसवां, बेहटा, रेउसा, सकरन, सिधौली, कसमण्डा, पहला, महमूदाबाद, रामपुर मथुरा, मिश्रिख, मछरेहटा, गोदलामऊ, पिसावाँ, महोली)
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दधीचि कुंड, व्यास पीठ, नैमिषारण्य, ललिता देवी मंदिर
- हस्तशिल्प — दरी का कार्य
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2317
- महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ — 30

56. उन्नाव

- क्षेत्रफल — 4558 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3108367
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1478280
- पुरुष (जनसंख्या) — 1630087
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 15.19 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 907-1000
- जनसंख्या घनत्व — 682 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 66.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (उन्नाव, गंगाघाट, बांगरमऊ)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (उन्नाव सदर, सफीपुर, हसनगंज, पुरवा, बीघापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 17 (सिकन्दरपुर करन, माखी, बिछिया, सफीपुर, फतेहपुर चौरासी, बांगरमऊ, गंजमुरादाबाद, हसनगंज, औरास, मियाँगंज, नवाबगंज, पुरवा, असोहा, हिलौली, बीघापुर, सिकन्दरपुर-सरोसी, सुमेरपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1693
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — बक्सर, परियर, बदरका, सचानकोट, नवाबगंज पक्षी बिहार, राज राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर, बाल्मीकि आश्रम, चन्द्रिका देवी, दुर्गा, कुशेहरी
- प्रमुख उद्योग — चमड़ा उद्योग, राइस मिल

57. वाराणसी

- क्षेत्रफल — 1535 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3676841
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1754984
- पुरुष (जनसंख्या) — 1921857
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 913-1000

- जनसंख्या घनत्व — 2395 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 75.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (रामनगर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 02 (पिण्डरा, सकलडीहा)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (चिरईगाँव, हरहुआ, पिण्डरा, बड़ागांव, सेवापुरी, काशी विद्यापीठ, अराजीलाइन, चोलापुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1258
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — गंगा के 84 घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, मारकण्डेय महादेव, सारनाथ, बौद्ध मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, रामनगर किला, संकटमोचन मन्दिर, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मन्दिर, ज्ञानवापी मस्जिद, आलमगीर मस्जिद (बेनी माधव का करहरा) भारत माता मन्दिर।
- हस्तशिल्प — बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, काला पंखा, ग्लास बीड्स
- महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ — डीजल रेल इंजन कारखाना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., सिन्नी पंखा, बूटी मिक्सी, राइस व फ्लोर मिल, एच डी पी ई बैग।

58. गाजीपुर

- क्षेत्रफल — 3377 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3620268
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1765193
- पुरुष (जनसंख्या) — 1855075
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 952-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1071 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (गाजीपुर, मुहम्मदाबाद, जमानियां)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सैदपुर, जंगीपुर, सादात, बहादुरपुर, दिलदारनगर)
- विकासखण्डों की संख्या — 18 (गाजीपुर, देवढी, नौली, करण्डा, मरदह, बिरनों, मुहम्मदाबाद, भरावल कोल, बाराचबर, कासिमाबाद, जमानिया, रेवतीपुर, भदोहा, सैदपुर, देवकली, सादात, मनिहारी, जखनिया)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2737
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सैदपुर भितरी, लठिया, लार्ड कार्नवालिस का मकबरा, जलालाबाग का किला, पौहारी बाबा आश्रम कुरथा, हथियाराम मठ, भुड़कुड़ा मठ, मौनी बाबा आश्रम, गंगादास आश्रम बयेपुर, देवकली, देवल
- हस्तशिल्प — वाल हैंगिंग
- निजी तथा सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयाँ — ओपियम फैक्ट्री, डिस्टलरी, राइस मिलें, बहादुर गंज, कताई मिल

59. जौनपुर

- क्षेत्रफल — 4038 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4494204
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2273739
- पुरुष (जनसंख्या) — 2220465

- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 1024-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1113 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (जौनपुर, मुंगरा बादशाहपुर, शाहगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (सदर, मड़ियाहूँ, मछलीशहर, केराकत, शाहगंज, बदलापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 21 (शाहगंज, सुइथाकला, बदलापुर, खुटहन, महराजगंज, सुजानगंज मुंगरा, बादशाहपुर, मछलीशहर, केराकत, गंज-डोभी, मुफ्तीगंज, जलालपुर, करंजाकला, बक्शा, सिकरारा, धर्मापुर, मडियाहूँ, बरसठी, रामनगर, रामपुर, सिरकोनी)।
- आबाद ग्रामों की संख्या — 3287
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — शाही किला, शाहीपुर, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाजा, झझरी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, शीतला चौकिया धाम, शारदा मंदिर हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, धर्मापुर, काली मंदिर, शिवलिंग गोमतेश्वर महादेव, गौरीशंकर मंदिर, त्रिलोचन महादेव आदि।
- प्रमुख उद्योग — कृषि यन्त्र, खाद्य तेल, राइसमिल, कालीन, ताल जाली, लोहे के समान, फ्लोर मिल

60. सहारनपुर

- क्षेत्रफल — 3689 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3466382
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1632276
- पुरुष (जनसंख्या) — 1834106
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.7 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 890-1000
- जनसंख्या घनत्व — 940 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (गंगोह, नकुड़, देवबन्द, सरसांवा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सहारनपुर, रामपुर मनिहारान, देवबन्द, नकुड़, बेहठ)
- विकास खण्डों की संख्या — 11 (बलियाखेड़ी, रामपुर मनिहारान, नानौता, देवबन्द, नागल, मुजफ्फराबाद, सढ़ौली कदीम, सरसाचा, नकुड़, पुवाँरका, गंगोह)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1242
- हस्तशिल्प — काष्ठ कला, कागज, लुगदी उद्योग, गत्ता उद्योग, घंटी उद्योग

61. मुजफ्फरनगर

- क्षेत्रफल — 2796 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2829865
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1335505
- पुरुष (जनसंख्या) — 1494360
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 893-1000
- जनसंख्या घनत्व — 957 प्रति वर्ग किमी.

• साक्षरता	70.2 प्रतिशत
• नगर पालिका परिषदों की संख्या	02 (मुजफ्फरनगर, खतौली)
• तहसीलों की संख्या एवं नाम	03 (मुजफ्फरनगर, सानसठ, बुढ़ाना)
• विकासखण्डों की संख्या	09 (बघरा, चरथावल, पुरकाजी, खतौली, जानसठ, मोरना, बुढ़ाना, शाहपुर, मुजफ्फर नगर)
• आबाद ग्रामों की संख्या	587
• प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	नेहरू पार्क, शुक्रताल
• प्रमुख उद्योग	रोलिंग, चीनी, स्टील, कागज

62. अमरोहा

• क्षेत्रफल	2249 वर्ग किमी.
• जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	1840221
• महिलाएँ (जनसंख्या)	876772
• पुरुष (जनसंख्या)	963449
• जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	22.8 प्रतिशत
• स्त्री-पुरुष अनुपात	910-1000
• जनसंख्या घनत्व	818 प्रति वर्ग किमी.
• साक्षरता	63.8 प्रतिशत
• नगर पालिका परिषदों की संख्या	05 (बछराचू, हसनपुर, गजरौला, अमरोहा, घनौरा)
• तहसीलों की संख्या एवं नाम	03 (अमरोहा, घनौरा, हसनपुर)
• विकास खण्डों की संख्या	08 (अमरोहा, जौया, नौगाँवा सादात, उझारी घनौरा, गजरौला, हसनपुर, गंगेश्वरी)
• आबाद ग्रामों की संख्या	959
• प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	वासुदेव मन्दिर, बायें का कुआँ, नसीरुद्दीन साहब की मजार, भूरेशाह की दरगाह, शाह विलायत साहब की मजार
• प्रमुख उद्योग	चड्ढा रबड़, शिवालिक सेल्लयूलोज

63. गौतमबुद्धनगर

• क्षेत्रफल	1282 वर्ग किमी.
• जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	1648115
• महिलाएँ (जनसंख्या)	757901
• पुरुष (जनसंख्या)	890214
• जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	49.1 प्रतिशत
• स्त्री-पुरुष अनुपात	851-1000
• जनसंख्या घनत्व	1143 प्रति वर्ग किमी.
• साक्षरता	80.1 प्रतिशत
• नगर पालिका परिषदों की संख्या	01 (दादरी)
• तहसीलों की संख्या एवं नाम	03 (गौतमबुद्धनगर, जेवर, दादरी)
• विकासखण्डों की संख्या	04 (वनकौर, जेवर, विसरख, दादरी)
• आबाद ग्रामों की संख्या	304
• प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	नोएडा फिल्म सिटी, साफ्टवेयर पार्क्स
• प्रमुख उद्योग	आटोमोबाईल, पेण्ट, ऐन्सलियरी इकाइयाँ, न्यूज चैनल्स उद्योग आदि

64. हाथरस

- क्षेत्रफल — 1840 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1564708
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 728581
- पुरुष (जनसंख्या) — 836127
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.19 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 871-1000
- जनसंख्या घनत्व — 850 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (सिकन्दराराऊ, हाथरस)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (सासनी, हाथरस, सादाबाद, सिकन्दराराऊ)
- विकासखण्डों की संख्या — 07 (सासनी, सहपऊ, हाथरस, मुरसान, सादाबाद, सिकन्दराराऊ, हसायन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 655
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दाऊजी महाराज का मन्दिर, महाकाली मन्दिर (शाहपाउ)
- प्रमुख उद्योग — एसोफीटीडा (हींग), देशी घी, चीनी, रेडीमेड परिधान, केमिकल्स, कृत्रिम मोती, आर्टवेयर

65. औरैया

- क्षेत्रफल — 2016 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1379545
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 639505
- पुरुष (जनसंख्या) — 740040
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 16.99 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 864-1000
- जनसंख्या घनत्व — 685 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 78.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (औरैया)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 02 (विधूना, औरैया)
- विकासखण्डों की संख्या — 07 (एरवा कटरा, विधूना, अछल्दा, सहार, अजीतमल, भाग्यनगर, औरैया)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 769
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चयूरी
- प्रमुख उद्योग — हैण्डलूम के कपड़ों का उत्पादन

66. कौ ाम्बी

- क्षेत्रफल — 1779 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1599596
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 761111
- पुरुष (जनसंख्या) — 838485
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 23.60 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 908-1000
- जनसंख्या घनत्व — 898 प्रति वर्ग किमी.

- साक्षरता 61.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (भरवारी)
- नगर पंचायतों की संख्या एवं नाम 00
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (सिराथू, मंझनपुर, चायल)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (कड़ा, सिराथू, सरसवां, मंझपुर, कौशाम्बी, मुरतगंज, चायल, नेवादा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 729
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल शीतला शक्तिपीठ मन्दिर, प्रभासगिरि (पभोसा), महाराज उदयन के किले के अवशेष, गढ़वा कोसम, दुर्गा देवी मन्दिर (मंझनपुर), संत मलूकदास की समाधि
- प्रमुख उद्योग बालू खनन, कोल्ड स्टोरेज, ईंट-भट्टा उद्योग

67. अम्बेडकर नगर

- क्षेत्रफल 2350 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2397888
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1185478
- पुरुष (जनसंख्या) 1212410
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 978-1000
- जनसंख्या घनत्व 1018 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 72.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (टाण्डा, अकबरपुर, जलालपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (अकबरपुर, भीटी, टाण्डा, जलालपुर, आलापुर)
- विकासखण्डों की संख्या 10 (भीटी, अकबरपुर, कटेहरी, टाण्डा, बसखारी, रामनगर, बेवाना, जहागीरगंज, जलालपुर, भियाव)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1645
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल शिवलिंगम (बीरी), लोरपुर राजा का किला, एकलव्य स्टेडियम (बसखारी रोड), साहित्य सदन (सेथवा), शिवबाबा
- प्रमुख उद्योग टाण्डा-टेराकोटा, पावरलूम, थर्मल पावर स्टेशन (एन.टी.पी.सी.), अकबरपुर शुगर मिल, राइस मिल, अचल इण्डस्ट्री

68. श्रावस्ती

- क्षेत्रफल 1640 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1117361
- महिलाएँ (जनसंख्या) 523464
- पुरुष (जनसंख्या) 593897
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 30.6 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 881-1000
- जनसंख्या घनत्व 601 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 46.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (भिनगा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 02 (भिनगा, इकौना)
- विकासखण्डों की संख्या 06 (जमुनहा, गिलौला, इकौना, हरिहरपुर रानी, सिरसिया, लक्ष्मणपुर बाजार)
- आबाद ग्रामों की संख्या 506

- गैर आबाद ग्रामों की संख्या — 32
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — जेतवन, मोनेस्ट्री, बुद्ध विहार, महामंगोल मन्दिर, महावीर मन्दिर, सहेत-महेत, शक्तिपीठ
- प्रमुख उद्योग — कृषि तथा पर्यटन उद्योग

69. सन्त कबीर नगर

- क्षेत्रफल — 1646 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1715183
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 845527
- पुरुष (जनसंख्या) — 869656
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.71 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 973-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1037 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 66.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (खलीलाबाद)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (खलीलाबाद, मेंहदावल, घनघटा)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (सेमरियांवा, मेहदावल, वघौली, खलीलाबाद, नाथनगर, हेसरबाजार, सांथा, बेलहरकला, पौली)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1582
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — तामा, बखीरा, खलीलाबाद और कबीर निर्वाण स्थली मगहर
- प्रमुख उद्योग — पेपर मिल, रिफाइण्ड तेल, काटन टेक्सटाइल, पाटरी, कन्फेक्शनरी, बढ़ईगिरी, ब्रासवेयर, ईंट, एग्रो-उत्पाद, साबुन, मोमबत्ती, खाण्डसारी आदि

70. चंदौली

- क्षेत्रफल — 2541 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1952756
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 934851
- पुरुष (जनसंख्या) — 1017905
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 918-1000
- जनसंख्या घनत्व — 770 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (दीनदयाल उपाध्याय नगर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (सकलडीहा, चन्दौली, चाकिया)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (चहनिया, घानपुर, सकलडीहा, नियामाबाद, चन्दौली, बरहनी चकिया, सहाबगंज, नौगढ़)
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — छहानिया, नवगढ़ के जंगल, जल प्रपात, राजदारी एवं देवदारी जल प्रपात, चकिया, चन्द्र प्रभा डैम, नवगढ़ डैम, अर्वताण्ड जल प्रपात एवं चन्द्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चयूरी
- प्रमुख उद्योग — राइस मिल, लकड़ी उद्योग एवं जंगल उत्पाद आधारित उद्योग
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1428

71. कासगंज

क्षेत्रफल	1955 वर्ग किमी.
जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	1436719
महिलाएँ (जनसंख्या)	672554
पुरुष (जनसंख्या)	764165
जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	17.05 प्रतिशत
स्त्री-पुरुष अनुपात	881-1000
जनसंख्या घनत्व	725 प्रति वर्ग किमी.
साक्षरता	61.0 प्रतिशत
नगर पालिका परिषदों की संख्या	03 (कासगंज, सोरों, गंज डुडवारा)
तहसीलों की संख्या एवं नाम	03 (कासगंज, पटियाली, सहावर)
विकासखण्डों की संख्या एवं नाम	07 (सोरों, सहावर, पटियाली, कासगंज, गंजडुण्डुवारा, सिढ़पुरा, अमापुर)
आबाद ग्रामों की संख्या	649
प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	भगवान वराह मन्दिर, जामा मस्जिद, नदरई का पुल, प्रभु का पार्क, चामुण्डा मन्दिर आदि
हस्तशिल्प	खादी वस्त्र, घुंघरू घंटी, कांचमूंगा, मोती, मूंगबान
प्रमुख उद्योग	कृषि उत्पाद हेतु शीतगृह, सीमेण्ट कारखाना, राइस मिल, कालीन कारखाना, दुग्ध प्लांट, ईंट भट्टा एवं बेकरी आदि

72. अमेठी

क्षेत्रफल	2330 वर्ग किमी.
जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	1867678
महिलाएँ (जनसंख्या)	922443
पुरुष (जनसंख्या)	945235
जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	18.42 प्रतिशत
स्त्री-पुरुष अनुपात	976-1000
जनसंख्या घनत्व	610 प्रति वर्ग किमी.
साक्षरता	64.3 प्रतिशत
नगर पालिका परिषदों की संख्या	02 (जायस, गौरीगंज)
तहसीलों की संख्या एवं नाम	04 (मुसाफिरखाना, अमेठी, गौरीगंज, तिलोई)
विकासखण्डों की संख्या एवं नाम	13 (मुसाफिरखाना, अमेठी, गौरीगंज, तिलोई, जगदीशपुर, शुकुलबाजार, भादर, भेटुआ, संग्रामपुर, शाहगढ, जामों, बहादुरपुर, सिंहपुर)
ग्रामों की संख्या	976
प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	मलिक मुहम्मद जायसी की मजार, टीकरमाफी आश्रम, कालिकन धाम, सत्थिन, अहोरवन भवानी
प्रमुख उद्योग	ए.सी.सी. सीमेन्ट फैक्ट्री, भेल, इण्डोगल्फ, एच.ए.एल. गैस प्लान्ट

73. ाामली

क्षेत्रफल	1212 वर्ग किमी.
जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	1313647
महिलाएँ (जनसंख्या)	614259
पुरुष (जनसंख्या)	699388
तहसीलों की संख्या	02 (कैराना, शामली)

- विकासखण्डों की संख्या — 05 (ऊन, थाना भवन, शामली, कैराना, कांधला (आंशिक)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (कैराना, कांधला, शामली)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 281
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — हनुमान टीला, जैन मन्दिर (जलालाबाद), गुरुद्वारा (शामली), पीर बिडौली (झिंझाना), कर्ण का तालाब (कैराना)

74. हापुड़

- क्षेत्रफल — 660 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1338311
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 629401
- पुरुष (जनसंख्या) — 708910
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.5
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 888-1000
- जनसंख्या घनत्व — 2028 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुवा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम — 04 (हापुड़, सिम्भावली, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 329
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — चण्डी मन्दिर, दुग्धेश्वरनाथ मन्दिर, सपनावत साईं मन्दिर

75. संभल

- क्षेत्रफल — 2453 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2199774
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1039728
- पुरुष (जनसंख्या) — 1160046
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 888-1000
- जनसंख्या घनत्व — 2028 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (चन्दौसी, सम्भल, बहजोई)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (संभल, चन्दौसी, गुन्नौर)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम — 08 (रजपुरा, गुन्नौर, जूनावई, असमौली, संभल, पवासा, बनियाखेड़ा, बहजोई)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 893
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सूर्यकुण्ड, कुरुक्षेत्र, यमतीर्थ, कल्किमन्दिर, शाही मस्जिद, चक्की-पाट
- प्रमुख उद्योग — मैंथा, हड्डी-सींग, कृषियन्त्र, हैण्डीक्राफ्ट, चाँदी का वरक

नोटः- नवसृजित जनपद यथा- अमेठी, शामली, हापुड़ एवं सम्भल की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आंकड़ें उक्त जनपदों के पूर्ववर्ती (मूल) जनपदों से सम्बन्धित जनपदीय सांख्यकीय पत्रिका-2015 (अर्थ एवं संख्या प्रभाग उ.प्र.) में दर्शाये गये आंकड़ों का पूर्ववर्ती जनपदों की जनगणना 2011 के आंकड़ों से घटा कर निकाला गया है। जनपद हापुड़ का क्षेत्रफल जनपद गाजियाबाद में सम्मिलित है।

स्रोतः 1. सांख्यिकीय डायरी- 2017
2. जनपदीय सांख्यिकी पत्रिका 2016 - अर्थ एवं संख्या प्रभाग

भारत के राष्ट्रपति

क्रम	नाम	कार्यकाल		
1.	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद (1884-1963)	26 जनवरी, 1950	से	13 मई, 1962
2.	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् (1888-1975)	13 मई, 1962	से	13 मई, 1967
3.	डॉ0 जाकिर हुसैन (1897-1969)	13 मई, 1967	से	03 मई, 1969
4.	श्री वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980) (कार्यवाहक)	3 मई, 1969	से	20 जुलाई, 1969
5.	न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्लाह (1905-1992) (कार्यवाहक)	20 जुलाई, 1969	से	24 अगस्त, 1969
6.	श्री वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980)	24 अगस्त, 1969	से	24 अगस्त, 1974
7.	डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद (1905-1977)	24 अगस्त, 1974	से	11 फरवरी, 1977
8.	श्री बी0डी0 जत्ती (1912-2002) (कार्यवाहक)	11 फरवरी, 1977	से	25 जुलाई, 1977
9.	श्री नीलम संजीव रेड्डी (1913-1996)	25 जुलाई, 1977	से	25 जुलाई, 1982
10.	श्री ज्ञानी जैल सिंह (1916-1994)	25 जुलाई, 1982	से	25 जुलाई, 1987
11.	श्री आर0 वेंकटरामन (1910-2009)	25 जुलाई, 1987	से	25 जुलाई, 1992
12.	डॉ0 शंकर दयाल शर्मा (1918-1999)	25 जुलाई, 1992	से	25 जुलाई, 1997
13.	डॉ0 के0 आर0 नारायणन (1920-2005)	25 जुलाई, 1997	से	25 जुलाई, 2002
14.	डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम (1931-2015)	25 जुलाई, 2002	से	25 जुलाई, 2007
15.	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (जन्म 1934)	25 जुलाई, 2007	से	25 जुलाई, 2012
16.	श्री प्रणब मुखर्जी (जन्म 1935)	25 जुलाई, 2012	से	25 जुलाई, 2017
17.	श्री राम नाथ कोविन्द (जन्म 1945)	25 जुलाई, 2017	से	वर्तमान तक

स्रोत : भारत 2018

●

भारत के उपराष्ट्रपति

क्रम	नाम	कार्यकाल
1.	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् (1888-1975)	13 मई, 1952 से 12 मई, 1962
2.	डॉ0 जाकिर हुसैन (1897-1969)	13 मई, 1962 से 12 मई, 1967
3.	श्री वी0वी0 गिरि (1894-1980)	13 मई, 1967 से 03 मई, 1969
4.	श्री गोपाल स्वरूप पाठक (1896-1982)	31 अगस्त, 1969 से 30 अगस्त, 1974
5.	श्री बी0 डी0 जत्ती (1912-2002)	31 अगस्त, 1974 से 30 अगस्त, 1979
6.	न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह (1905-1992)	31 अगस्त, 1979 से 30 अगस्त, 1984
7.	श्री आर0 वेंकटरमन (1910-2009)	31 अगस्त, 1984 से 24 जुलाई, 1987
8.	डॉ0 शंकर दयाल शर्मा (1918-1999)	3 सितम्बर, 1987 से 24 जुलाई, 1992
9.	श्री के0 आर0 नारायणन (1920-2005)	21 अगस्त, 1992 से 24 जुलाई, 1997
10.	श्री कृष्णकांत (1927-2002)	21 अगस्त, 1997 से 21 जुलाई, 2002
11.	श्री भैरों सिंह शेखावत (1923-2010)	19 अगस्त, 2002 से 21 जुलाई, 2007
12.	मोहम्मद हामिद अंसारी (जन्म, 1937)	11 अगस्त, 2007 से 10 अगस्त, 2017
13.	श्री एम0 वेंकैया नायडु (जन्म, 1949)	11 अगस्त, 2017 से वर्तमान में

स्रोत : भारत-2018

●

भारत के प्रधानमंत्री

क्रम	नाम	कार्यकाल		
1.	पं. जवाहर लाल नेहरू (1889-1964)	15 अगस्त, 1947	से	27 मई 1964
2.	श्री गुलजारी लाल नंदा (1898-1998) (कार्यवाहक)	27 मई, 1964	से	9 जून, 1964
3.	श्री लाल बहादुर शास्त्री (1904-1966)	9 जून, 1964	से	11 जनवरी, 1966
4.	श्री गुलजारी लाल नंदा (1898-1998) (कार्यवाहक)	11 जनवरी, 1966	से	24 जनवरी, 1966
5.	श्रीमती इंदिरा गांधी (1917-1984)	24 जनवरी, 1966	से	24 मार्च, 1977
6.	श्री मोरारजी देसाई (1896-1995)	24 मार्च, 1977	से	28 जुलाई, 1979
7.	चौ0 चरण सिंह (1902-1987)	28 जुलाई, 1979	से	14 जनवरी, 1980
8.	श्रीमती इंदिरा गांधी (1917-1984)	14 जनवरी, 1980	से	31 अक्टूबर, 1984
9.	श्री राजीव गांधी (1944-1991)	31 अक्टूबर, 1984	से	2 दिसम्बर, 1989
10.	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (1931-2008)	2 दिसम्बर, 1989	से	10 नवम्बर, 1990
11.	श्री चन्द्रशेखर (1927-2007)	10 नवम्बर, 1990	से	21 जून, 1991
12.	श्री पी0वी0 नरसिम्हा राव (1921-2004)	21 जून, 1991	से	16 मई, 1996
13.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी (1924-2018)	16 मई, 1996	से	1 जून, 1996
14.	श्री एच0 डी0 देवेगौड़ा (जन्म- 1933)	1 जून, 1996	से	21 अप्रैल, 1997
15.	श्री इन्द्र कुमार गुजराल (1919-2012)	21 अप्रैल 1997	से	19 मार्च 1998
16.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी (1924-2018)	19 मार्च 1998	से	22 मई, 2004
17.	डॉ0 मनमोहन सिंह (जन्म- 1932)	22 मई, 2004	से	26 मई, 2014
18.	श्री नरेन्द्र मोदी (जन्म- 1950)	26 मई, 2014	से	वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2018

●

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल		
1.	श्रीमती सरोजिनी नायडू	15 अगस्त, 1947	से	02 मार्च, 1949
2.	न्यायमूर्ति श्री बी.बी. मलिक	03 मार्च, 1949	से	01 मई, 1949
3.	श्री एच.पी. मोदी	02 मई, 1949	से	25 जनवरी, 1950
4.	श्री एच.पी. मोदी	26 जनवरी, 1950	से	01 जून, 1952
5.	डॉ. कन्हैया लाल मानिक लाल मुन्शी	02 जून, 1952	से	09 जून, 1957
6.	श्री वराह गिरि वेंकट गिरि	10 जून, 1957	से	30 जून 1960
7.	डॉ. बी. रामाकृष्णा राव	01 जुलाई, 1960	से	15 अप्रैल, 1962
8.	श्री विश्वनाथ दास	16 अप्रैल, 1962	से	30 अप्रैल 1967
9.	डॉ. बेजवाड़ा गोपाला रेड्डी	01 मई, 1967	से	30 जून 1972
10.	न्यायमूर्ति श्री शशी कान्त वर्मा	01 जुलाई, 1972	से	13 नवम्बर 1972
11.	श्री अकबर अली खान	14 नवम्बर, 1972	से	24 अक्टूबर 1974
12.	डॉ. मारी चेन्ना रेड्डी	25 अक्टूबर, 1974	से	01 अक्टूबर, 1977
13.	श्री गनपत राव देवजी तपासे	02 अक्टूबर, 1977	से	27 फरवरी 1980
14.	श्री सी. पी. एन. सिंह	28 फरवरी, 1980	से	31 मार्च, 1985
15.	श्री मो. उस्मान आरिफ	31 मार्च, 1985	से	11 फरवरी, 1990
16.	श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी	12 फरवरी, 1990	से	25 मई, 1993
17.	श्री मोती लाल वोरा	25 मई, 1993	से	03 मई, 1996
18.	श्री मोहम्मद शफी कुरैशी	03 मई, 1996	से	19 जुलाई, 1996
19.	श्री रोमेश भण्डारी	19 जुलाई, 1996	से	17 मार्च, 1998
20.	श्री मोहम्मद शफी कुरैशी	17 मार्च, 1998	से	19 अप्रैल, 1998
21.	श्री सूरज भान	20 अप्रैल, 1998	से	23 नवम्बर, 2000
22.	श्री विष्णुकान्त शास्त्री	24 नवम्बर, 2000	से	02 जुलाई, 2004
23.	श्री सुदर्शन अग्रवाल	03 जुलाई, 2004	से	07 जुलाई, 2004
24.	श्री टी.वी. राजेस्वर	08 जुलाई, 2004	से	27 जुलाई, 2009
25.	श्री बी.एल. जोशी	28 जुलाई, 2009	से	23 जून, 2014
26.	डॉ. अज़ीज़ कुरैशी	23 जून, 2014	से	22 जुलाई, 2014
27.	श्री राम नाईक	22 जुलाई, 2014	से	वर्तमान में

स्रोत : राजभवन, लखनऊ

●

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल		
1.	पं. गोविन्द वल्लभ पंत	01-04-1946	से	27-12-1954
2.	डॉ. सम्पूर्णानन्द	28-12-1954	से	06-12-1960
3.	श्री चन्द्रभानु गुप्त	07-12-1960	से	01-10-1963
4.	श्रीमती सुचेता कृपलानी	02-10-1963	से	13-03-1967
5.	श्री चन्द्रभानु गुप्त	14-03-1967	से	02-04-1967
6.	चौधरी चरण सिंह	03-04-1967	से	25-02-1968
7.	श्री चन्द्रभानु गुप्त	26-02-1969	से	17-02-1970
8.	चौधरी चरण सिंह	18-02-1970	से	01-10-1970
9.	श्री त्रिभुवन नारायण सिंह	18-10-1970	से	03-04-1971
10.	श्री कमलापति त्रिपाठी	04-04-1971	से	12-06-1973
11.	श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा	08-11-1973	से	29-11-1975
12.	श्री नारायण दत्त तिवारी	21-01-1976	से	30-04-1977
13.	श्री रामनरेश यादव	23-06-1977	से	27-02-1979
14.	श्री बनारसी दास	28-02-1979	से	17-02-1980
15.	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	09-06-1980	से	18-07-1982
16.	श्री श्रीपति मिश्र	19-07-1982	से	02-08-1984
17.	श्री नारायण दत्त तिवारी	03-08-1984	से	24-09-1985
18.	श्री वीर बहादुर सिंह	24-09-1985	से	24-06-1988
19.	श्री नारायण दत्त तिवारी	25-06-1988	से	05-12-1989
20.	श्री मुलायम सिंह यादव	05-12-1989	से	24-06-1991
21.	श्री कल्याण सिंह	24-06-1991	से	06-12-1992
22.	श्री मुलायम सिंह यादव	04-12-1993	से	03-06-1995
23.	सुश्री मायावती	03-06-1995	से	18-10-1995

24.	सुश्री मायावती	21-03-1997	से	20-09-1997
25.	श्री कल्याण सिंह	21-09-1997	से	12-11-1999
26.	श्री रामप्रकाश गुप्त	12-11-1999	से	28-10-2000
27.	श्री राजनाथ सिंह	28-10-2000	से	08-03-2002
28.	सुश्री मायावती	03-05-2002	से	29-08-2003
29.	श्री मुलायम सिंह	29-08-2003	से	13-05-2007
30.	सुश्री मायावती	13-05-2007	से	15-03-2012
31.	श्री अखिलेश यादव	15-03-2012	से	19-03-2017
32.	श्री योगी आदित्यनाथ	19-03-2017	से	वर्तमान में

स्रोत : गोपन-1

●

उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष

क्र.सं.	माननीय अध्यक्ष	कार्यकाल		
1.	श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन	31-07-1937	से	10-08-1950
2.	श्री नफीसुल हसन	21-12-1950	से	19-05-1952
3.	श्री आत्माराम गोविन्द खेर	20-05-1952	से	10-04-1957
4.	श्री आत्माराम गोविन्द खेर	10-04-1957	से	26-03-1962
5.	श्री मदन मोहन वर्मा	26-03-1962	से	16-03-1967
6.	श्री जगदीश शरण अग्रवाल	17-03-1967	से	16-03-1969
7.	श्री आत्माराम गोविन्द खेर	17-03-1969	से	18-03-1974
8.	श्री वासुदेव सिंह	18-03-1974	से	12-07-1977
9.	श्री बनारसी दास	12-07-1977	से	26-02-1979
10.	श्री श्रीपति मिश्र	07-07-1980	से	18-07-1982
11.	श्री धरम सिंह	25-08-1982	से	15-03-1985
12.	श्री नियाज हसन	15-03-1985	से	09-01-1990
13.	श्री हरि किशन श्रीवास्तव	09-01-1990	से	30-07-1991
14.	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	30-07-1991	से	15-12-1993
15.	श्री धनीराम वर्मा	15-12-1993	से	20-06-1995
16.	श्री बरखू राम वर्मा	18-07-1995	से	26-03-1997
17.	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	27-03-1997	से	14-05-2002
18.	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	14-05-2002	से	19-05-2004
19.	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	26-07-2004	से	18-05-2007
20.	श्री सुखदेव राजभर	18-05-2007	से	13-04-2012
21.	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	13-04-2012	से	30-03-2017
22.	श्री हृदय नरायण दीक्षित	30-03-2017	से	वर्तमान में

कार्यकारी अध्यक्ष

1.	श्री जगन्नाथ प्रसाद	27-02-1979 से 17-02-1980 तक
2.	श्री यादवेन्द्र सिंह	19-07-1982 से 24-08-1982 तक
3.	श्री बरखू राम वर्मा	20-06-1995 से 17-07-1995 तक
4.	डॉ. वकार अहमद शाह	19-05-2004 से 26-07-2004 तक

* विधानसभा पुस्तकालय में शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी द्वारा प्रमाणित।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल		
1.	श्री चन्द्र भाल	26 जनवरी, 1950	से	5 मई, 1958 तक
2.	श्री निजामुद्दीन (कार्यकारी सभापति)	6 मई, 1958	से	19 जुलाई, 1958 तक
3.	श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर	20 जुलाई, 1958	से	5 मई, 1964 तक
4.	श्री दरबारी लाल शर्मा (प्रोटेम सभापति)	6 मई 1964	से	4 अगस्त, 1964 तक
5.	श्री दरबारी लाल शर्मा	5 अगस्त, 1964	से	5 मई, 1968 तक
6.	श्री दरबारी लाल शर्मा (प्रोटेम सभापति)	6 मई, 1968	से	1 मार्च 1969 तक
7.	श्री वीरेन्द्र स्वरूप (कार्यकारी सभापति)	2 मार्च, 1969	से	14 मार्च, 1969
8.	श्री वीरेन्द्र स्वरूप	15 मार्च, 1969	से	5 मई, 1974 तक
9.	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह (कार्यकारी सभापति)	6 मई 1974	से	10 जून, 1974 तक
10.	श्री वीरेन्द्र स्वरूप	11 जून, 1974	से	26 फरवरी, 1980 तक
11.	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल (प्रोटेम सभापति)	18 जून, 1980	से	5 अक्टूबर, 1980 तक
12.	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल	6 अक्टूबर,1980	से	5 मई, 1982 तक
13.	श्री शिव प्रसाद गुप्त (कार्यकारी सभापति)	6 मई, 1982	से	2 मार्च 1983 तक
14.	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल	3 मार्च, 1983	से	5 मई, 1988 तक
15.	श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित (प्रोटेम)	6 मई, 1988	से	5 अप्रैल 1989 तक
16.	श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित	6 अप्रैल, 1989	से	7 मार्च, 1990 तक
17.	श्री शिव प्रसाद गुप्त (प्रोटेम)	13 मार्च, 1990	से	8 अप्रैल, 1990 तक
18.	श्री शिव प्रसाद गुप्त (प्रोटेम)	9 अप्रैल, 1990	से	4 जुलाई, 1990 तक
19.	श्री शिव प्रसाद गुप्ता	5 जुलाई, 1990	से	6 जुलाई, 1992 तक
20.	श्री नित्यानन्द स्वामी (कार्यकारी सभापति)	7 जुलाई 1992	से	9 मई, 1996 तक
21.	श्री नित्यानन्द स्वामी (प्रोटेम सभापति)	23 मई, 1996	से	23 अप्रैल, 1997 तक
22.	श्री नित्यानन्द स्वामी	25 अप्रैल, 1997	से	8 नवम्बर, 2000 तक
23.	श्री ओमप्रकाश शर्मा (प्रोटेम सभापति)	17 नवम्बर, 2000	से	5 मई 2002 तक
24.	श्री कुँवर मानवेन्द्र सिंह (प्रोटेम सभापति)	6 मई 2002	से	2 अगस्त, 2004 तक
25.	चौ. सुखराम सिंह यादव	3 अगस्त, 2004	से	15 जनवरी, 2010 तक
26.	श्री कमला कान्त गौतम (प्रोटेम सभापति)	16 जनवरी, 2010	से	20 जनवरी, 2010 तक
27.	श्री गणेश शंकर पाण्डेय	21 जनवरी, 2010	से	15 जनवरी, 2016 तक
28.	श्री रमेश यादव	11 मार्च, 2016	से	वर्तमान तक

* शोध एवं संदर्भ अधिकारी उ.प्र. विधान परिषद द्वारा प्रमाणित।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

1.	न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोरगन	(1866-1871)
2.	न्यायमूर्ति श्री राबर्ट स्टुअर्ट	(1871-1884)
3.	न्यायमूर्ति श्री विलियम कोमर पेटहेरम	(1884-1886)
4.	न्यायमूर्ति श्री जॉन एज़	(1886-1898)
5.	न्यायमूर्ति श्री लुईस एडिन कर्शा	(1898)
6.	न्यायमूर्ति श्री आर्थर स्ट्रेची	(1898-1901)
7.	न्यायमूर्ति श्री जॉन स्टेनली	(1901-1911)
8.	न्यायमूर्ति श्री हेनरी रिचर्ड्स	(1911-1919)
9.	न्यायमूर्ति श्री एडवर्ड ग्रीमवुड मिअर्स	(1919-1932)
10.	न्यायमूर्ति श्री शाह मुहम्मद सुलेमान	(1932-1937)
11.	न्यायमूर्ति श्री जॉन गिब थॉम	(1937-1941)
12.	न्यायमूर्ति श्री इकबाल अहमद	(1941-1946)
13.	न्यायमूर्ति श्री कमलकान्त वर्मा	(1946-1947)
14.	न्यायमूर्ति श्री विधु भूषण मलिक	(1947-1955)
15.	न्यायमूर्ति श्री ओ.एच. मूथम	(1955-1961)
16.	न्यायमूर्ति श्री मनुलाल चुनिलाल देसाई	(1961-1966)
17.	न्यायमूर्ति श्री वशिष्ठ भार्गव	(25-02-1966 से 07-08-1966)
18.	न्यायमूर्ति श्री नसीरुल्लाह बेग	(1966-1967)
19.	न्यायमूर्ति श्री विद्याधर गोविन्द ओक	(1967-1971)
20.	न्यायमूर्ति श्री शशिकान्त वर्मा	(1971-1973)
21.	न्यायमूर्ति श्री धात्री शरन माथुर	(1973-1974)
22.	न्यायमूर्ति श्री कुँवर बहादुर अस्थाना	(1974-1977)
23.	न्यायमूर्ति श्री डी.एम. चन्द्रशेखर	(1977-1978)
24.	न्यायमूर्ति श्री सतीश चन्द्रा	(1978-1983)
25.	न्यायमूर्ति श्री महेश नारायण शुक्ल	(1983-1985)
26.	न्यायमूर्ति श्री हृदयनाथ सेठ	(1986)
27.	न्यायमूर्ति श्री के. जगन्नाथ शेट्टी	(1986-1987)

28.	न्यायमूर्ति श्री द्वारका नाथ झा	(1987)
29.	न्यायमूर्ति श्री अमिताव बनर्जी	(1987-1988)
30.	न्यायमूर्ति श्री ब्रह्मनाथ काटजू	(1988-1989)
31.	न्यायमूर्ति श्री बी.पी. जीवन रेड्डी	(1990-1991)
32.	न्यायमूर्ति श्री एम.के. मुखर्जी	(1991-1993)
33.	न्यायमूर्ति श्री एस.एस. सोढी	(1994-1995)
34.	न्यायमूर्ति श्री ए.एल. राव	(1995-1996)
35.	न्यायमूर्ति श्री डी.पी. मोहापात्र	(1996-1998)
36.	न्यायमूर्ति श्री एन.के. मित्रा	(1999-2000)
37.	न्यायमूर्ति श्री श्यामल कुमार सेन	(8-5-2000 से 24-11-2002)
38.	न्यायमूर्ति श्री तरुन चटर्जी	(31-1-2003 से 26-08-2004)
39.	न्यायमूर्ति श्री अजय नाथ रे	(11-1-2005 से 26-1-2007)
40.	न्यायमूर्ति श्री एच.एल. गोखले	(7-3-2007 से 8-3-2009)
41.	न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद	(20-3-2009 से 7-2-2010)
42.	न्यायमूर्ति फरदीनो इनासियो रिबेलो	(26-6-2010 से 30-7-2011)
43.	न्यायमूर्ति सैय्यद रफत आलम	(5-8-2011 से 7-8-2012)
44.	न्यायमूर्ति शिवा कीर्ति सिंह	(17-10-2012 से 18-9-2013)
45.	न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय यशवंत चन्द्रचूड़	(31-10-2013 से 12.05.2016)
46.	न्यायमूर्ति दिलीप बाबासाहेब भोसले	(30-07-2016 से 23-10-2018)
47.	न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर	(14-11-2018 से वर्तमान)

स्रोत : वेबसाइट उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

●

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य

क्र.सं.	पदाधिकारियों का नाम	पद नाम	फोन नं.
1.	श्रीमती विमला बाथम	अध्यक्ष	9810492224
2.	श्रीमती सुषमा सिंह	उपाध्यक्ष	7015084114
3.	श्रीमती अंजू चौधरी	उपाध्यक्ष	9935311226
4.	डॉ. प्रियंवदा तोमर	सदस्य	9968177169, 9837062424
5.	श्रीमती अनीता सिंह	सदस्य	9450611725
6.	श्रीमती सुमन चतुर्वेदी	सदस्य	9412167674, 7500003902
7.	श्रीमती इन्द्रवास सिंह	सदस्य	9415084521, 9628136580
8.	श्रीमती रश्मि जायसवाल	सदस्य	9450658655, 6392610034
9.	श्रीमती सुनीता बंसल	सदस्य	9450453831, 8416832809
10.	श्रीमती निर्मला द्विवेदी	सदस्य	9415823608
11.	श्रीमती राखी त्यागी	सदस्य	9520909331, 9412209331
12.	श्रीमती मीना चौबे	सदस्य	9453886018
13.	श्रीमती अवनी सिंह	सदस्य	9917445555
14.	श्रीमती निर्मला दीक्षित	सदस्य	9837051064, 9412253817
15.	श्रीमती मीना कुमारी	सदस्य	9412275500, 9927500041
16.	डॉ. कंचन जायसवाल	सदस्य	9415505935
17.	श्रीमती प्रभा गुप्ता	सदस्य	9415497135, 7379231104
18.	श्रीमती पूनम कपूर	सदस्य	9935864392, 9236435872
19.	श्रीमती शशिबाला भारती	सदस्य	9450175739, 7007384469
20.	श्रीमती मनोरमा शुक्ला	सदस्य	9236435872
21.	श्रीमती उषारानी गौतम	सदस्य	9838131517
22.	श्रीमती अनिता सचान	सदस्य	9793231222
23.	श्रीमती सुमन सिंह	सदस्य	7459882365, 8004530644
24.	श्रीमती शशि मौर्या	सदस्य	9451157299, 7398146383
25.	श्रीमती संगीता तिवारी	सदस्य	9935453289
26.	श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव	सदस्य	9044252520, 9935117222
27.	श्रीमती अनामिका चौधरी	सदस्य	9415214619, 9450601251
28.	श्रीमती रामसखी कठेरिया	सदस्य	9410840828

स्रोत : राज्य महिला आयोग, उ0प्र0 वेबसाइट

●

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202 002. (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
2. इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, सी.पी.आई. परिसर, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद, उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
3. एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
4. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ-226 025, उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
5. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221 005, उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
6. बांदा यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, बांदा-210001, उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
7. बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रुहेलखण्ड मेडिकल कालेज कैम्पस, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली-243006, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
8. बेनेट यूनिवर्सिटी, प्लाट न0. 8-11 टेक जोन ।।, ग्रेटर नोएडा-201301, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
9. भातखण्डे म्यूजिक इन्स्टीट्यूट, कैसरबाग, लखनऊ-220 001 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
10. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, कानपुर रोड, झाँसी- 284 128 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
11. बाबू बनारसीदास वि0वि0, 55, बाबू बनारसीदास नगर, लखनऊ, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
12. सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ हायर टाईबटन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी-221 007 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
13. चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कृषि एवं तकनीकी, नवाबगंज कानपुर- 208002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
14. छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कल्याणपुर, कानपुर- 208024 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
15. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ- 250 004 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
16. दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा- 282 005 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
17. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर- 273 009 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
18. डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, इलाहाबाद रोड फैजाबाद-224 001 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
19. बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, पालीवाल पार्क, आगरा-282 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
20. डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, सेक्टर डी-1, एल.डी.ए. कानपुर रोड स्कीम लखनऊ-226 012 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
21. एरा यूनिवर्सिटी, सरफराज़गंज हरदोई रोड लखनऊ-226 003 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
22. जी.एल.ए. वि0वि0, मथुरा-281 406 17 किमी0 स्टोन, एन.एच-2 दिल्ली-मथुरा रोड, पी.ओ. चौमुहान मथुरा-281 406 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
23. गलगोटियाज विश्वविद्यालय, प्लाट नं0-2, सेक्टर 17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा-201 203, जिला गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)

24. गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर-201 308 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
25. हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय, कानपुर-208 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
26. आई.आई.एम.टी. वि0वि0, ओ पॉकेट, गंगानगर मवाना रोड मेरठ-250 001 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
27. इन्डियन वेटेरिनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट इज्जत नगर-243 122 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
28. आई.एफ.टी.एम. वि0वि0, लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-244 102 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
29. इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, देसौली पोस्ट-बसहा, कुर्सी रोड लखनऊ-226 026 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
30. इन्वर्टिस वि0वि0, इन्वर्टिस ग्राम, बरेली लखनऊ नेशनल हाइवे-24 बरेली-243 123 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
31. जगत्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग वि0वि0, चित्रकूट-210 204 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
32. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
33. जे.पी. इन्स्टीट्यूट सूचना प्रौद्योगिकी ए-10 सेक्टर-62 नोएडा-201 307 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
34. जे.पी. विश्वविद्यालय, अलीगढ़ रोड, अनूप शहर जिला- बुलन्दशहर -203 390 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
35. जे.एस. वि0वि0, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
36. ख्वाजा मुइनुद्दीन चिस्ती उर्दू, अरबी, फारसी, यूनिवर्सिटी सीतापुर-हरदोई बाइपास रोड, निकट आई.आई.एम लखनऊ-226 013 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
37. किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ-226 003 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
38. मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273 010 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
39. एम.जे.पी. रूहेलखंड विश्वविद्यालय, डोरीलाल अग्रवाल मार्ग, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली-243 006 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
40. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-221 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
41. महर्षि विश्वविद्यालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, महर्षि बाल विद्या मन्दिर एवं विश्वविद्यालय कैम्पस, सीतापुर रोड पोस्ट-ढिबुरिया लखनऊ-226 020 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
42. मंगलायतन विश्वविद्यालय, 33वां मील अलीगढ़ मथुरा हाईवे, पोस्ट-20वां, अलीगढ़-202 145 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
43. मोहम्मद अली जौहर युनिवर्सिटी, रामपुर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
44. मोनाड विश्वविद्यालय, कसिया, पी.ओ.-पिलखुआ, कसमाबाद जिला-हापुड़-245 101 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
45. नरेन्द्रदेव कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, नरेन्द्रनगर फैजाबाद-224 229 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
46. नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय, कोटवा-जमुनीपुर, दूबवाली जिला-इलाहाबाद-221 505 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
47. नोएडा इण्टरनेशनल युनिवर्सिटी, प्लाट नं0-1 सेक्टर 17ए, यमुना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्ध नगर- 201 301 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
48. राजीव गाँधी नेशनल एविएशन विश्वविद्यालय, फुर्सतगंज, जिला- रायबरेली उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
49. रामा विश्वविद्यालय, रामा सिटी, जी.टी. रोड, मन्धना, कानपुर-209 217 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
50. रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय एन.एच.-75 निकट पहुज डैम ग्वालियर रोड झाँसी-284 003 उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

51. सैम हिगिनबोथम इन्स्टीट्यूट कृषि, तकनीकी एवं विज्ञान (पूर्व में इलाहाबाद कृषि इन्स्टीट्यूट) पोस्ट आफिस कृषि इन्स्टीट्यूट रीवा रोड इलाहाबाद-211 007 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
52. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी-221 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
53. संस्कृत विश्वविद्यालय, 28 किमी0 मथुरा-दिल्ली हाईवे छाता मथुरा उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
54. संतोष विश्वविद्यालय, संतोष नगर गाजियाबाद उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
55. सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी वि0वि0, मेरठ-250 110 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
56. शारदा विश्वविद्यालय, प्लाट नं0-32-34 नालेज पार्क-3, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्ध नगर-201 306 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
57. शिव नादार विश्वविद्यालय, दादरी गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
58. शोभित इन्स्टीट्यूट इंजीनियरिंग एवं तकनीकी एन.एच.-58 मोदीपुरम रूड़की रोड, मेरठ-250 110 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
59. शोभित विश्वविद्यालय आदर्श इन्स्टीट्यूशनल एरिया बाबू विजेन्द्र मार्ग गंगोह जिला-सहारनपुर-247 341 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
60. श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, हदौरी, देवा-लखनऊ रोड, जिला-बाराबंकी उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
61. सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर-272 202 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
62. स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, सुभारतीपुरम, एन.एच.-58 दिल्ली-हरिद्वार मेरठ बाइपास रोड मेरठ-250 005 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
63. श्री वेंकटेश्वर वि0वि0 एन.एच.-24, रजबपुर, गजरौला, जे0पी0 नगर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
64. तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, एन.एच.-24, दिल्ली रोड मुरादाबाद-244 001 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
65. दि ग्लोकल विश्वविद्यालय दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग, अकबरपुर, मिजापुर पोल, तहसील-बेहट, सहारनपुर-247 001 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
66. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226 007 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
67. यू0पी0 किंग जार्ज यूनिवर्सिटी ऑफ डेण्टल साइन्स, लखनऊ-226 003 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
68. उ.प्र.पं.दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान, विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसन्धान संस्थान, मथुरा उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
69. उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय कैम्पस, शान्तिपुरम-(से0-एफ) फाफामऊ, इलाहाबाद-211 013 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
70. अब्दुल कलाम (ए.के.) तकनीकी वि0वि0, इन्जीनियरिंग एवं तकनीकी इन्स्टीट्यूट कैम्पस सीतापुर रोड लखनऊ- 226 021 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
71. उ0प्र0 विकलांग उद्धार डॉ. शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ-226 017 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
72. उ.प्र.यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, सैफई इटावा-206 130 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
73. इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद-211 002 उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
74. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर-222 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)

स्रोत- यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन (वेबसाइट)

●

उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त

क्रम	नाम	कार्यकाल		
1.	न्यायमूर्ति श्री विश्वम्भर दयाल	14.09.1977	से	13.09.1982
2.	पद रिक्त	14.09.1982	से	09.01.1983
3.	न्यायमूर्ति श्री मिर्जा मुहम्मद मुर्तजा हुसैन	10.01.1983	से	10.01.1989
4.	पद रिक्त	11.01.1989	से	27.01.1989
5.	न्यायमूर्ति श्री कैलाशनाथ गोयल	28.01.1989	से	28.01.1995
6.	पद रिक्त	29.01.1995	से	08.02.1995
7.	न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर सिंह	09.02.1995	से	13.01.2000
8.	पद रिक्त	14.01.2000	से	15.03.2000
9.	न्यायमूर्ति श्री सुधीर चन्द्र वर्मा	16.03.2000	से	15.03.2006
10.	न्यायमूर्ति श्री एन.के. मेहरोत्रा	16.03.2006	से	31.01.2016
11.	न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा	31.01.2016	से	वर्तमान तक

●

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव

क्र.	नाम	आई.सी.एस./आई.ए.एस.	कब से		कब तक
1.	श्री भोलानाथ झा	आई.सी.एस.	27-03-1947	से	20-05-1949
2.	श्री भगवान सहाय	आई.सी.एस.	13-07-1949	से	20-03-1951
3.	श्री भोलानाथ झा	आई.सी.एस.	21-03-1951	से	25-02-1953
4.	श्री कालिका प्रसाद भार्गव	आई.सी.एस.	26-02-1953	से	15-08-1954
5.	श्री आदित्य नाथ झा	आई.सी.एस.	16-08-1954	से	02-03-1958
6.	श्री गोविन्द नारायण	आई.सी.एस.	03-03-1958	से	02-07-1961
7.	श्री लक्ष्मी चन्द्र जैन	आई.सी.एस.	03-07-1961	से	08-11-1962
8.	श्री रामेश्वर प्रसाद भार्गव	आई.सी.एस.	09-11-1962	से	09-01-1964
9.	श्री कौशल कुमार दास	आई.सी.एस.	10-01-1964	से	09-03-1967
10.	श्री विपिन बिहारी लाल	आई.सी.एस.	14-03-1967	से	25-11-1969
11.	श्री मुसद्दी लाल	आई.सी.एस.	26-11-1969	से	31-12-1972
12.	श्री सतीश चन्द्र	आई.सी.एस.	01-01-1973	से	13-06-1973
13.	श्री ज्ञान प्रकाश	आई.ए.एस.	17-06-1973	से	19-11-1973
14.	श्री बी.डी. सनवाल	आई.ए.एस.	30-11-1973	से	31-08-1975
15.	श्री महमूद वट्ट	आई.ए.एस.	01-09-1975	से	15-12-1976
16.	श्री कृपा नारायण	आई.ए.एस.	16-12-1976	से	31-01-1978
17.	श्री डी.के. भट्टाचार्य	आई.ए.एस.	01-02-1978	से	25-03-1980
18.	श्री आर.बी. सक्सेना	आई.ए.एस.	26-03-1980	से	21-09-1980
19.	श्री त्रिभुवन प्रसाद तिवारी	आई.ए.एस.	22-09-1980	से	30-04-1982
20.	श्री आर.पी. खोसला	आई.ए.एस.	01-05-1982	से	01-06-1983
21.	श्री एस.डी. श्रीवास्तव	आई.ए.एस.	02-06-1983	से	08-03-1984
22.	श्री गिरीश मेहरा	आई.ए.एस.	09-03-1984	से	01-12-1985
23.	श्री जे.ए. कल्याण कृष्णन्	आई.ए.एस.	02-12-1985	से	15-10-1988
24.	श्री शिरोमणि शर्मा	आई.ए.एस.	18-10-1988	से	28-12-1989
25.	श्री आर.के. भार्गव	आई.ए.एस.	28-12-1989	से	12-12-1990
26.	डॉ. वी.के. सक्सेना	आई.ए.एस.	15-12-1990	से	22-12-1992
27.	श्री टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यन्	आई.ए.एस.	22-12-1992	से	09-08-1994

28. श्री ब्रजेन्द्र सहाय	आई.ए.एस.	09-08-1994 से	26-06-1995
29. श्री माता प्रसाद	आई.ए.एस.	26-06-1995 से	23-10-1996
30. श्री ब्रजेन्द्र सहाय	आई.ए.एस.	23-10-1996 से	31-07-1997
31. श्री रवीन्द्रशंकर माथुर	आई.ए.एस.	31-07-1997 से	02-04-1998
32. डॉ. योगेन्द्र नारायण	आई.ए.एस.	02-04-1998 से	18-10-2000
33. श्री बी.एन. तिवारी	आई.ए.एस.	01-11-2000 से	31-07-2001
34. श्री ए.पी. वर्मा	आई.ए.एस.	31-07-2001 से	23-05-2002
35. श्री डी.एस. बग्गा	आई.ए.एस.	23-05-2002 से	04-09-2003
36. श्री अखण्ड प्रताप सिंह	आई.ए.एस.	04-09-2003 से	04-12-2003
37. श्री वी.के. दीवान	आई.ए.एस.	06-12-2003 से	30-04-2004
38. श्री वी.के. मित्तल	आई.ए.एस.	30-04-2004 से	30-04-2005
39. श्रीमती नीरा यादव	आई.एस.एस.	30-04-2005 से	06-10-2005
40. श्री आर. रमणी	आई.ए.एस.	06-10-2005 से	03-04-2006
41. श्री नवीन चन्द्र बाजपेई	आई.ए.एस.	03-04-2006 से	16-03-2007
42. श्री शम्भू नाथ	आई.ए.एस.	16-03-2007 से	30-06-2007
43. श्री पी.के. मिश्र	आई.ए.एस.	01-07-2007 से	23-05-2008
44. श्री अतुल कुमार गुप्ता	आई.ए.एस.	23-05-2008 से	31-03-2011
45. श्री अनूप मिश्रा	आई.ए.एस.	31-03-2011 से	23-03-2012
46. श्री जावेद उस्मानी	आई.ए.एस.	23-03-2012 से	31-05-2014
47. श्री आलोक रंजन	आई.ए.एस.	31-05-2014 से	30-06-2016
48. श्री प्रवीर कुमार	आई.ए.एस.	30-06-2016 से	06-07-2016
49. श्री दीपक सिंघल	आई.ए.एस.	06-07-2016 से	13-09-2016
50. श्री राहुल भटनागर	आई.ए.एस.	13-09-2016 से	29-06-2017
51. श्री राजीव कुमार	आई.ए.एस.	29-06-2017 से	30-06-2018
52. श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय	आई.ए.एस.	30-06-2018 से	वर्तमान

स्रोत : मुख्य सचिव कार्यालय, उ. प्र.

भारत के मुख्य न्यायाधीश

नाम	कार्यकाल
1. हरिलाल जे. कानिया	26 जनवरी, 1950 - 6 नवम्बर, 1951
2. एम. पतंजलि शास्त्री	7 नवम्बर, 1951 - 3 जनवरी, 1954
3. मेहर चंद महाजन	4 जनवरी, 1954 - 22 दिसम्बर, 1954
4. बी.के. मुखर्जी	23 दिसम्बर, 1954 - 31 जनवरी, 1956
5. एस.आर. दास	1 फरवरी, 1956 - 30 सितम्बर, 1959
6. भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा	1 अक्तूबर, 1959 - 31 जनवरी, 1964
7. पी.बी. गजेंद्रगडकर	1 फरवरी, 1964 - 15 मार्च, 1966
8. ए.के. सरकार	16 मार्च, 1966 - 29 जून, 1966
9. के. सुब्बाराव	30 जून, 1966 - 11 अप्रैल, 1967
10. के.एन. वांचू	12 अप्रैल, 1967 - 24 फरवरी, 1968
11. एम. हिदायतुल्लाह	25 फरवरी, 1968 - 16 दिसम्बर, 1970
12. जे.सी. शाह	17 दिसम्बर, 1970 - 21 जनवरी, 1971
13. एस.एम. सीकरी	22 जनवरी, 1971 - 25 अप्रैल, 1973
14. ए.एन. रे	26 अप्रैल, 1973 - 28 जनवरी, 1977
15. एम.एच. बेग	29 जनवरी, 1977 - 21 फरवरी, 1978
16. वाई.वी. चंद्रचूड़	22 फरवरी, 1978 - 11 जुलाई, 1985
17. पी.एन. भगवती	12 जुलाई, 1985 - 20 दिसम्बर, 1986
18. आर.एस. पाठक	21 दिसम्बर, 1986 - 18 जून, 1989
19. ई.एस. वेंकटरमैया	19 जून, 1989 - 17 दिसम्बर, 1989
20. एस. मुखर्जी	18 दिसम्बर, 1989 - 25 सितम्बर, 1990
21. रंगनाथ मिश्र	25 सितम्बर, 1990 - 24 नवम्बर, 1991
22. के.एन. सिंह	25 नवम्बर, 1991 - 12 दिसम्बर, 1991
23. एम.एच. कानिया	13 दिसम्बर, 1991 - 17 नवम्बर, 1992
24. एल.एम. शर्मा	18 नवम्बर, 1992 - 11 फरवरी, 1993
25. एम.एन. वेंकटचलैया	12 फरवरी, 1993 - 24 अक्टूबर, 1994
26. ए.एम. अहमदी	25 अक्टूबर, 1994 - 24 मार्च, 1997
27. जे.एस. वर्मा	25 मार्च, 1997 - 17 जनवरी, 1998
28. एम.एम. पंछी	18 जनवरी, 1998 - 9 अक्टूबर, 1998
29. ए.एस. आनंद	10 अक्टूबर, 1998 - 31 अक्टूबर, 2001
30. एस.पी. भरूचा	1 नवम्बर, 2001 - 5 मई, 2002
31. बी.एन. कृपाल	6 मई, 2002 - 7 नवम्बर, 2002
32. जी.बी. पटनायक	8 नवम्बर, 2002 - 18 दिसम्बर, 2002
33. वी.एन. खरे	19 दिसम्बर, 2002 - 01 मई, 2004

34. एस. राजेन्द्र बाबू	02 मई, 2004	- 31 मई, 2004
35. आर.सी. लाहोटी	1 जून, 2004	- 31 अक्टूबर, 2005
36. वाई.के. सब्बरवाल	1 नवम्बर, 2005	- 13 जनवरी, 2007
37. के.जी. बालाकृष्णन	14 जनवरी, 2007	- 11 मई, 2010
38. एस.एच. कपाड़िया	12 मई, 2010	- 28 सितम्बर, 2012
39. अल्तमश कबीर	29 सितम्बर, 2012	- 18 जुलाई, 2013
40. पी. सदाशिवम	19 जुलाई, 2013	- 26 अप्रैल, 2014
41. आर.एम. लोढ़ा	27 अप्रैल, 2014	- 27 सितम्बर, 2014
42. एच.एल. दत्तू	28 सितम्बर, 2014	- 2 दिसम्बर, 2015
43. टी.एस. ठाकुर	3 दिसम्बर, 2015	- 3 जनवरी, 2017
44. जगदीश सिंह खेहर	4 जनवरी, 2017	- 27 अगस्त, 2017
45. दीपक मिश्रा	28 अगस्त, 2017	- 02 अक्टूबर, 2018
46. जस्टिस रंजन गोगोई	03 अक्टूबर, 2018	- से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2018

●

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नाम	कार्यकाल
1. सुकुमार सेन	21 मार्च, 1950 - 19 दिसम्बर, 1958
2. के.वी.के. सुंदरम	20 दिसम्बर, 1958 - 30 सितम्बर, 1967
3. एस.पी. सेन वर्मा	01 अक्टूबर, 1967 - 30 सितम्बर, 1972
4. डॉ. नगेंद्र सिंह	01 अक्टूबर, 1972 - 06 फरवरी 1973
5. टी. स्वामीनाथन	07 फरवरी, 1973 - 17 जून, 1977
6. एस.एल. शकधर	18 जून, 1977 - 17 जून 1982
7. आर.के. त्रिवेदी	18 जून, 1982 - 31 दिसम्बर, 1985
8. आर.वी.एस. पेरी शास्त्री	01 जनवरी, 1986 - 25 नवम्बर, 1990
9. श्रीमती वी.एस. रमादेवी	26 नवम्बर, 1990 - 11 दिसम्बर, 1990
10. टी.एन. शेषन	12 दिसम्बर, 1990 - 11 दिसम्बर, 1996
11. एम.एस. गिल	12 दिसम्बर, 1996 - 13 जून, 2001
12. जे.एम. लिंगदोह	14 जून, 2001 - 07 फरवरी, 2004
13. टी.एस. कृष्णामूर्ति	08 फरवरी, 2004 - 15 मई, 2005
14. बी.बी. टण्डन	16 मई, 2005 - 29 जून, 2006
15. एन. गोपालस्वामी	30 जून, 2006 - 20 अप्रैल, 2009
16. नवीन बी. चावला	21 अप्रैल, 2009 - 29 जुलाई, 2010
17. एस.वाई. कुरैशी	30 जुलाई, 2010 - 10 जून, 2012
18. वी.एस. संपत	11 जून, 2012 - 15 जनवरी, 2015
19. एच.एस. ब्रह्मा	16 जनवरी, 2015 - 18 अप्रैल, 2015
20. नसीम जैदी	19 अप्रैल, 2015 - 05 जुलाई, 2017
21. अचल कुमार जोती	06 जुलाई, 2017 - 22 जनवरी, 2018
22. ओम प्रकाश रावत	23 जनवरी, 2018 से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2018 (नवम्बर, 2018 तक संशोधित)

●

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

क्र.	नाम	पद अवधि
1.	सर रॉस बार्कर	अक्टूबर 1926 – अगस्त 1932
2.	सर डेविड पेट्री	अगस्त 1932 – 1936
3.	सर आयरे गोर्डन	1937 – 1942
4.	सर एफ. डब्ल्यू रार्बटसन	1942 – 1947
5.	श्री एच.के. कृपलानी	1 अप्रैल 1947 – 13 जनवरी 1949
6.	श्री आर.एन. बनर्जी	14 जनवरी 1949 – 9 मई 1955
7.	श्री एन. गोविन्दराजन	10 मई 1955 – 9 दिसम्बर 1955
8.	श्री वी.एस. हेजमाड़ी	10 दिसम्बर 1955 – 9 दिसम्बर 1961
9.	श्री बी.एन. झा	11 दिसम्बर 1961 – 22 फरवरी 1967
10.	श्री के.आर. दामले	18 अप्रैल 1967 – 2 मार्च 1971
11.	श्री आर.सी.एस. सरकार	11 मई 1971 –1 फरवरी 1973
12.	डॉ. ए.आर. किदवई	5 फरवरी 1973 – 4 फरवरी 1979
13.	डॉ. एम.एल. शहारे	16 फरवरी 1979 – 16 फरवरी 1985
14.	श्री एच.के.एल. कपूर	18 फरवरी 1985 – 5 मार्च 1990
15.	श्री जे.पी. गुप्ता	5 मार्च 1990 – 2 जून 1992
16.	श्रीमती आर.एम. बाथ्यू (खरबुली)	23 सितम्बर 1992 – 23 अगस्त 1996
17.	श्री एस.जे.एस. चटवाल	23 अगस्त 1996 – 30 सितम्बर 1996
18.	श्री जे.एम. कुरैशी	30 सितम्बर 1996 – 11 दिसम्बर 1998
19.	ले.जनरल सुरिन्दर नाथ (सेवानिवृत्त)	11 दिसम्बर 1998 – 25 जून 2002
20.	श्री पी.सी. होता	25 जून 2002 – 8 सितम्बर 2003
21.	श्री माता प्रसाद	8 सितम्बर 2003 – 4 जनवरी 2005
22.	डॉ. एस.आर. हाशिम	4 जनवरी 2005 – 1 अप्रैल 2006
23.	श्री गुरबचन जगत	1 अप्रैल 2006 – 30 जून 2007
24.	श्री सुबीर दत्ता	30 जून 2007 – 16 अगस्त 2008
25.	प्रो. डी.पी. अग्रवाल	16 अगस्त 2008 – 16 अगस्त 2014
26.	श्रीमती रजनी राजदान	16 अगस्त 2014 – 22 नवम्बर 2014
27.	श्री दीपक गुप्ता	22 नवम्बर 2014 – 20 सितम्बर 2016
28.	श्रीमती अल्का सिरोही	20 सितम्बर 2016 – 3 जनवरी 2017
29.	प्रो. डेविड आर. सिम्लिह	4 जनवरी 2017 – 21 जनवरी 2018
30.	श्री विनय मित्तल	22 जनवरी 2018 – 19 जून 2018
31.	श्री अरविन्द सक्सेना	20 जून 2018 – से वर्तमान

स्रोत : भारत-2018

●

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

नाम	कार्यकाल
जे.के. टण्डन	1950 - 1957
मिट्ठन लाल	1957 - 1960
लक्ष्मी प्रसाद निगम	20 सितम्बर, 1960 - 1964
आर. चन्द्रा	1964
कृष्ण चन्द्र पुरी	4 अप्रैल, 1964 - फरवरी, 1967
जगमोहन लाल सिन्हा	1 मार्च, 1967 - 6 मार्च, 1967
गुरूशरण लाल श्रीवास्तव	7 मार्च, 1967 - 14 जनवरी, 1968
कुंज बिहारी लाल श्रीवास्तव	15 जनवरी, 1968 - 7 फरवरी, 1968
ओम प्रकाश त्रिवेदी	8 फरवरी, 1968 - जनवरी, 1969
विशम्भर दयाल माथुर	फरवरी, 1969 - 24 मार्च, 1969
प्रेम प्रकाश	25 मार्च, 1969 - 3 सितम्बर, 1972
कैलाश नाथ गोयल	4 सितम्बर, 1972 - फरवरी, 1978
रमेश चन्द्र देव शर्मा	मई, 1978 - फरवरी, 1981
जगदीश चन्द्र पन्त	मई, 1981 - फरवरी, 1988
अखण्ड प्रताप सिंह	18 अप्रैल, 1988 - 27 सितम्बर, 1988
जगदीश चन्द्र पन्त	28 सितम्बर, 1988 - 11 फरवरी, 1990
कल्याण कुमार बक्शी	12 फरवरी, 1990 - 20 मार्च, 1992
मोहिन्दर सिंह	21 मार्च, 1992
शैवाल कुमार मुखर्जी	1 फरवरी, 1993 - 10 मई, 1994
डा. नूर मुहम्मद	12 मई, 1994 - 6 जनवरी, 2003
रवीन्द्र सिंह	19 फरवरी, 2003 - 18 सितम्बर, 2003
विजय शर्मा	24 सितम्बर, 2003 - 13 जून, 2005
अनुज कुमार बिश्नोई	27 अक्टूबर, 2005 - 24 सितम्बर, 2009
उमेश सिन्हा	24 सितम्बर, 2009 - 04 अप्रैल, 2015
अरुण सिंघल	20 अगस्त, 2015 - 29 जुलाई, 2016
टी. वेंकटेश	30 जुलाई, 2016 - 27 मार्च, 2017
लक्कू वेंकटेश्वरलू	04 अक्टूबर, 2017 से वर्तमान तक

स्रोत : जनपद सचिवालय, लखनऊ

●

राज्य निर्वाचन आयुक्त

क्र.सं.	आयुक्त/अध्यक्ष का नाम	तैनाती का समय
1.	श्री आर.डी. सोनकर	24 अप्रैल 1994 से 09 दिसम्बर 1996 तक
2.	डॉ. यशपाल सिंह	10 दिसम्बर 1996 से 09 दिसम्बर 2001 तक
3.	श्री अपरमिता प्रसाद सिंह	10 दिसम्बर 2001 से 31 मई 2007 तक
4.	श्री राजेन्द्र भौनवाल	01 जून 2007 से 04 अप्रैल 2012 तक
5.	श्री सतीश कुमार अग्रवाल	11 अप्रैल, 2012 से 19 दिसम्बर 2017 तक
5.	श्री मनोज कुमार	18 जनवरी, 2018 से वर्तमान तक

स्रोत : राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश

●

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त

1. मा. जावेद उस्मानी, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
2. मा. अरविन्द सिंह बिष्ट, राज्य सूचना आयुक्त
3. मा. विजय शंकर शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त
4. मा. पारस नाथ गुप्ता, राज्य सूचना आयुक्त
5. मा. स्वदेश कुमार, राज्य सूचना आयुक्त
6. मा. सैय्यद हैदर अब्बास रिजवी, राज्य सूचना आयुक्त
7. मा. हाफिज उस्मान, राज्य सूचना आयुक्त
8. मा. राजकेश्वर सिंह, राज्य सूचना आयुक्त
9. मा. गजेन्द्र यादव, राज्य सूचना आयुक्त

स्रोत : राज्य सूचना आयोग, लखनऊ

●

उ.प्र. के समस्त निगम/आयोगों के अध्यक्ष

क्र.स.	निगम का नाम	अध्यक्ष का नाम
1.	उ.प्र. भूमि सुधार निगम	श्री राज प्रताप सिंह
2.	उ.प्र. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि.	श्री अमित मोहन प्रसाद
3.	उ.प्र. बीज विकास निगम	श्री राज प्रताप सिंह
4.	उ.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं वि.नि.लि.	---
5.	उ.प्र. वक्फ़ विकास निगम लि.	---
6.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद	श्री मुकुल सिंघल
7.	उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम	श्री मुकुट बिहारी वर्मा
8.	उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि.	श्री संजीव सरन
9.	यू.पी. डेस्को	श्री संजीव सरन
10.	उ.प्र. जल विद्युत निगम लि.	श्री आलोक कुमार
11.	यू.पी. पावर कारपोरेशन लि.	श्री आलोक कुमार
12.	उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	श्री कामरान रिजवी
13.	यू.पी. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.	श्री कामरान रिजवी
14.	उ.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	---
15.	उ.प्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि.	श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा
16.	उ.प्र. वन निगम	श्री दारा सिंह चौहान
17.	उ.प्र. राज्य हथकरघा निगम लि.	---
18.	यू.पी. स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि.	श्री पी. के. मोहन्ती
19.	उ.प्र. ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लि.	श्री प्रशान्त त्रिवेदी
20.	उ.प्र. पुलिस आवास निगम लि.	सुश्री पी. सी. मीना
21.	पिकप	---
22.	उ.प्र. वित्तीय निगम	---
23.	उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय
24.	यू.पी. स्टेट यार्न कम्पनी लि.	श्री पी. के. मोहन्ती
25.	उ.प्र. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि.	श्री सुरेश चन्द्रा
26.	उ.प्र. लघु उद्योग निगम लि.	श्री अनिल कुमार
27.	उ.प्र. महिला कल्याण निगम लि.	सुश्री रेणुका कुमार
28.	उ.प्र. मत्स्य विकास निगम लि.	---
29.	उ.प्र. हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि.	श्री अनिल कुमार
30.	उ.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.	---
31.	उ.प्र. राज्य सेतु निगम लि.	---

32.	उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि.	श्री सदाकान्त
33.	उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं वि. नि. लि.	श्री मनोज सिंह
34.	यू.पी. स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	---
35.	उ.प्र. पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि.	---
36.	उ.प्र. (मध्य) गन्ना, बीज एवं वि. निगम लि.	---
37.	उ.प्र. (पश्चिम) गन्ना, बीज एवं विकास निगम लि.	---
38.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि.	श्री संजय आर. भूसरेड्डी
39.	उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	श्री अवनीश अवस्थी
40.	उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम	श्री प्रवीर कुमार

स्रोत : सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, दूसरा तल, जवाहर भवन, लखनऊ

कमांडर-इन-चीफ

नाम	कार्यकाल
1. जनरल सर रॉब, लोकार्ट	15 अगस्त, 1947 - 31 दिसम्बर, 1947
2. जनरल सर रॉय बूचर	1 जनवरी, 1948 - 14 जनवरी, 1949
3. जनरल (बाद में फील्ड मार्शल) के. एम. करियप्पा	15 जनवरी, 1949 - 14 जनवरी, 1953
4. जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी	15 जनवरी, 1953 - 31 मार्च, 1955

थलसेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
1. जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी	15 जनवरी, 1953 - 14 मई, 1955
2. जनरल एस.एम. श्रीनागेश	15 मई, 1955 - 7 मई, 1957
3. जनरल के.एस. तिमैया	8 मई, 1957 - 7 मई, 1961
4. जनरल पी.एन. थापर	8 मई, 1961 - 19 नवम्बर, 1962
5. जनरल जे.एन. चौधरी	20 नवम्बर, 1962 - 7 जून, 1966
6. जनरल पी.पी. कुमारमंगलम	8 जून, 1966 - 7 जून, 1969
7. फील्ड मार्शल एस.एच.एफ.जे. मानेकशॉ	8 जून, 1969 - 15 जनवरी, 1973
8. जनरल जी.जी. बेवूर	16 जनवरी, 1973 - 31 मई, 1975
9. जनरल टी.एन. रैना	1 जून, 1975 - 31 मई, 1978
10. जनरल ओ.पी. मल्होत्रा	1 जून, 1978 - 31 मई, 1981
11. जनरल के.वी. कृष्णा राव	1 जून, 1981 - 31 जुलाई, 1983
12. जनरल ए.एस. वैद्य	1 अगस्त, 1983 - 31 जनवरी, 1985
13. जनरल के. सुन्दरजी	1 फरवरी, 1985 - 31 मई, 1988
14. जनरल वी.एन. शर्मा	1 जून, 1988 - 30 जून, 1990
15. जनरल एस.एफ. रोड्रिग्स	1 जुलाई, 1990 - 30 जून, 1993
16. जनरल बी.सी. जोशी	1 जुलाई, 1993 - 19 नवम्बर, 1994
17. जनरल एस. रायचौधरी	20 नवम्बर, 1994 - 30 सितम्बर, 1997
18. जनरल वी.पी. मलिक	1 अक्टूबर, 1997 - 30 सितम्बर, 2000
19. जनरल एस. पद्मनाभन	1 अक्टूबर, 2000 - 30 सितम्बर, 2002
20. जनरल एन.सी. विज	31 दिसम्बर, 2002 - 31 जनवरी 2005
21. जनरल जे.जे. सिंह	1 फरवरी 2005 - 30 सितम्बर 2007
22. जनरल दीपक कपूर	30 सितम्बर 2007 - 30 मार्च 2010
23. जनरल वी. के. सिंह	31 मार्च 2010 - 31 मई 2012
24. जनरल बिक्रम सिंह	1 जून 2012 - 31 जुलाई 2014
25. जनरल दलबीर सिंह	1 अगस्त 2014 - 31 दिसम्बर, 2016
26. जनरल बिपिन रावत	1 जनवरी, 2017 से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2018

नौसेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
1. रियर एडमिरल जे. टी. एस. हाल	15 अगस्त, 1947 - 14 अगस्त, 1948
2. एडमिरल सर एडवार्ड पैरी	14 अगस्त, 1948 - 13 अक्टूबर, 1951
3. एडमिरल सर मार्क पीजे	13 अक्टूबर, 1951 - 21 जुलाई, 1955
4. वाइस एडमिरल सर स्टीफन कार्लाइल	21 जुलाई, 1955 - 21 अप्रैल, 1958
5. वाइस एडमिरल आर. डी. कटारी	22 अप्रैल, 1958 - 4 जून, 1962
6. वाइस एडमिरल बी. एस. सोमन	4 जून, 1962 - 3 मार्च, 1966
7. एडमिरल ए. के. चटर्जी	3 मार्च, 1966 - 27 फरवरी, 1970
8. एडमिरल एस. एम. नंदा	28 फरवरी, 1970 - 28 फरवरी, 1973
9. एडमिरल एस. एन. कोहली	28 फरवरी, 1973 - 28 फरवरी, 1976
10. एडमिरल जे. एल. करसेटजी	29 फरवरी, 1976 - 28 फरवरी, 1979
11. एडमिरल आर. एल. परेरा	28 फरवरी, 1979 - 28 फरवरी, 1982
12. एडमिरल ओ. एस. डॉसन	28 फरवरी, 1982 - 30 नवम्बर, 1984
13. एडमिरल आर. एच. तहिलियानी	30 नवम्बर, 1984 - 30 नवम्बर, 1987
14. एडमिरल जे. जी. नादकर्णी	30 नवम्बर, 1987 - 30 नवम्बर, 1990
15. एडमिरल एल. रामदास	30 नवम्बर, 1990 - 30 सितम्बर, 1993
16. एडमिरल वी. एस. शेखावत	30 सितम्बर, 1993 - 30 सितम्बर, 1996
17. एडमिरल विष्णु भागवत	30 सितम्बर, 1996 - 30 दिसम्बर, 1998
18. एडमिरल सुशील कुमार	30 दिसम्बर, 1998 - 29 दिसम्बर, 2001
19. एडमिरल माधवेंद्र सिंह	29 दिसम्बर, 2001 - 31 जुलाई, 2004
20. एडमिरल अरुण प्रकाश	31 जुलाई, 2004 - 30 अक्टूबर, 2006
21. एडमिरल सुरीश मेहता	31 अक्टूबर, 2006 - 31 अगस्त, 2009
22. एडमिरल निर्मल वर्मा	31 अगस्त, 2009 - 31 अगस्त, 2012
23. एडमिरल डी.के. जोशी	31 अगस्त, 2012 - 16 अप्रैल, 2014
24. एडमिरल रॉबिन के. धवन	17 अप्रैल, 2014 - 31 मई, 2016
25. एडमिरल सुनील लांबा	31 मई, 2016 से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2018

●

वायुसेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
1. एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू. एमहर्स्ट	15 अगस्त, 1947 - 21 फरवरी, 1950
2. एयर मार्शल सर रोनाल्ड आई. चैपमैन	22 फरवरी, 1950 - 09 दिसम्बर, 1951
3. एयर मार्शल सर जेराल्ड ई. गिब्स	10 दिसम्बर, 1951 - 31 मार्च, 1954
4. एयर मार्शल एस. मुखर्जी	01 अप्रैल, 1954, - 08 नवम्बर, 1960
5. एयर मार्शल ए. एम. इंजीनियर	01 दिसम्बर, 1960 - 31 जुलाई, 1964
6. एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह	01 अगस्त, 1964 - 15 जुलाई, 1969
7. एयर चीफ मार्शल पी. सी. लाल	16 जुलाई, 1969 - 15 जनवरी, 1973
8. एयर चीफ मार्शल ओ. पी. मेहरा	16 जनवरी, 1973 - 31 जनवरी, 1976
9. एयर चीफ मार्शल एच. मूलगांवकर	01 फरवरी, 1976 - 31 अगस्त, 1978
10. एयर चीफ मार्शल आई. एच. लतीफ	01 सितम्बर, 1978 - 31 अगस्त, 1981
11. एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह	01 सितम्बर, 1981 - 03 सितम्बर, 1984
12. एयर चीफ मार्शल एल. एम. कात्रे	04 सितम्बर, 1984 - 01 जुलाई, 1985
13. एयर चीफ मार्शल डी. ए. ला फोंटेन	03 जुलाई, 1985 - 31 जुलाई, 1988
14. एयर चीफ मार्शल एस. के. मेहरा	01 अगस्त, 1988 - 31 जुलाई, 1991
15. एयर चीफ मार्शल एन. सी. सूरी	31 जुलाई, 1991 - 31 जुलाई, 1993
16. एयर चीफ मार्शल एस. के. कौल	01 अगस्त, 1993 - 31 दिसम्बर, 1995
17. एयर चीफ मार्शल एस. के. सरीन	31 दिसम्बर, 1995 - 31 दिसम्बर, 1998
18. एयर चीफ मार्शल ए. वाई. टिपणीस	31 दिसम्बर, 1998 - 31 दिसम्बर, 2001
19. एयर चीफ मार्शल एस. कृष्णास्वामी	31 दिसम्बर, 2001 - 31 दिसम्बर, 2004
20. एयर चीफ मार्शल एस.पी. त्यागी	31 दिसम्बर, 2004 - 31 मार्च, 2007
21. एयर चीफ मार्शल एफ.एच. मेजर	31 मार्च, 2007 - 31 मई, 2009
22. एयर चीफ मार्शल पी.वी. नाइक	31 मई, 2009 - 31 जुलाई, 2011
23. एयर चीफ मार्शल एन.ए.के. ब्राउन	31 जुलाई, 2011 - 31 दिसम्बर, 2013
24. एयर चीफ मार्शल अरुप राहा	01 जनवरी, 2014 - 31 दिसम्बर, 2016
25. एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ	01 जनवरी, 2017 - वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2018

●

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल

नाम — **विभाग**

श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री और निम्नलिखित के भी प्रभारीः कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा विभाग; अंतरिक्ष विभाग; और सभी महत्त्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे; तथा किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए सभी अन्य विभाग।

कैबिनेट मंत्री

श्री राजनाथ सिंह — गृह

श्रीमती सुषमा स्वराज — विदेश

श्री अरुण जेटली — वित्त, कारपोरेट कार्य

श्री नितिन जयराम गडकरी — सड़क परिवहन, राजमार्ग, पोत परिवहन, जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण

श्री सुरेश प्रभु — वाणिज्य और उद्योग,नागरिक विमानन

श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा — सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन

सुश्री उमा भारती — पेय जल, स्वच्छता

श्री रामविलास पासवान — उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण

श्रीमती मेनका संजय गांधी — महिला एवं बाल विकास

श्री अनंत कुमार — रसायन एवं उर्वरक, संसदीय कार्य

श्री रवि शंकर प्रसाद — विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रानिकी, सूचना प्रौद्योगिकी

श्री जगत प्रकाश नड्डा — स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

श्री अनंत गीते — भारी उद्योग और लोक उद्यम

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल — खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर — ग्रामीण विकास, पंचायती राज, खान

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह — इस्पात

श्री जुएल ओराम — जनजातीय मामले

श्री राधा मोहन सिंह — कृषि एवं किसान कल्याण

श्री थावर चंद गहलोत — सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी — वस्त्र

डॉ. हर्ष वर्धन — विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी-विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

श्री प्रकाश जावड़ेकर — मानव संसाधन विकास

नाम — **विभाग**

श्री धर्मेंद्र प्रधान — पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कौशल विकास और उद्यमशीलता

श्री पीयूष गोयल — रेल और कोयला

श्रीमती निर्मला सीतारमण — रक्षा

श्री मुख्तार अब्बास नकवी — अल्पसंख्यक कार्य

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री राव इंद्रजीत सिंह — योजना (स्वतंत्र प्रभार), रसायन और उर्वरक (राज्य मंत्री)

श्री संतोष कुमार गंगवार — श्रम और रोजगार(स्वतंत्र प्रभार)

श्री श्रीपद येस्सो नाईक — आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) (स्वतंत्र प्रभार)

डॉ. जितेन्द्र सिंह — उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग (राज्य मंत्री)

डॉ. महेश शर्मा — संस्कृति (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (राज्य मंत्री)

श्री गिरिराज सिंह — सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्वतंत्र प्रभार)

श्री मनोज सिन्हा — संचार (स्वतंत्र प्रभार) और रेल मंत्रालय (राज्य मंत्री)

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर — युवा कार्यक्रम और खेल (स्वतंत्र प्रभार), सूचना और प्रसारण (स्वतंत्र प्रभार)

श्री राज कुमार सिंह — विद्युत (स्वतंत्र प्रभार), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार)

श्री हरदीप सिंह पुरी — आवासन और शहरी कार्य (स्वतंत्र प्रभार)

श्री एल्फोन्स कन्ननथानम — पर्यटन (स्वतंत्र प्रभार

राज्य मंत्री

श्री विजय गोयल — संसदीय कार्य, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन

श्री राधाकृष्णन पी. — वित्त, पोत परिवहन

श्री एस.एस. अहलूवालिया — इलेक्ट्रानिक, सूचना प्रौद्योगिकी

श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी — पेय जल और स्वच्छता

श्री रामदास अठावले — सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

श्री विष्णु देव साइ — इस्पात

श्री राम कृपाल यादव ग्रामीण विकास
श्री हंसराज गंगाराम अहीर गृह
श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी खान और कोयला
श्री राजेन गोहेन रेल
जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह विदेश
श्री परषोत्तम रुपाला कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायती राज
श्री कृष्णपाल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर जनजातीय मामले
श्री शिव प्रताप शुक्ला वित्त
श्री अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
श्री सुदर्शन भगत जनजातीय कार्य
श्री उपेंद्र कुशवाहा मानव संसाधन विकास
श्री किरेन रिजिजु गृह
डॉ.वीरेन्द्र कुमार महिला और बाल विकास, अल्पसंख्यक कार्य
श्री अनंतकुमार हेगड़े कौशल विकास, उद्यमशीलता
साध्वी निरंजन ज्योति खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
श्री जयंत सिन्हा नागर विमानन
श्री बाबुल सुप्रियो भारी उद्योग एवं लोक उद्यम
श्री विजय सांपला सामाजिक न्याय, अधिकारिता
श्री अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण
श्री अजय टम्टा वस्त्र
श्रीमती कृष्णा राज कृषि एवं किसान कल्याण
श्री मनसुख एल.मांडविया सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोत परिवहन, रसायन एवं उर्वरक
श्रीमती अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
श्री सी.आर. चौधरी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य, उद्योग
श्री पी.पी. चौधरी विधि एवं न्याय, कारपोरेट कार्य
डॉ. सुभाष रामराव भामरे रक्षा
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत कृषि एवं किसान कल्याण
डॉ. सत्य पाल सिंह मानव संसाधन विकास, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण

स्रोत : भारत-2018
टिप्पणी-17.10.2018 की स्थिति के अनुसार

उत्तर प्रदेश से लोक सभा के सदस्य

नाम	निर्वाचन क्षेत्र
राघव लखनपाल	सहारनपुर
तबस्सुम बेगम	कैराना
(डॉ.) संजीव कुमार बालियान	मुजफ्फरनगर
कुंवर भारतेन्द्र	बिजनौर
डॉ. यशवन्त सिंह	नगीना (अ.जा.)
कुँवर सर्वेश कुमार	मुरादाबाद
डॉ. नैपाल सिंह	रामपुर
सत्यपाल सिंह	सम्भल
कंवर सिंह तंवर	अमरोहा
राजेन्द्र अग्रवाल	मेरठ
डॉ. सत्यपाल सिंह	बागपत
विजय कुमार सिंह	गाजियाबाद
डॉ. महेश शर्मा	गौतमबुद्धनगर
भोला सिंह	बुलन्दशहर (अ.जा.)
सतीश कुमार	अलीगढ़
राजेश कुमार दिवाकर	हाथरस (अ.जा.)
हेमा मालिनी	मथुरा
डॉ. राम शंकर कठेरिया	आगरा (अ.जा.)
बाबू लाल	फतेहपुर सीकरी
अक्षय यादव	फिरोजाबाद
तेज प्रताप सिंह यादव	मैनपुरी
राजवीर सिंह (राजू भैय्या)	एटा
धर्मेन्द्र यादव	बदायूँ
धर्मेन्द्र कुमार	आंवला
संतोष कुमार गंगवार	बरेली
मेनका संजय गांधी	पीलीभीत
कृष्णाराज	शाहजहाँपुर (अ.जा.)
अजय	खीरी
रेखा वर्मा	धौरहरा
राजेश वर्मा	सीतापुर
अंशुल वर्मा	हरदोई (अ.जा.)
अन्जू बाला	मिश्रिख (अ.जा.)
साक्षी महाराज	उन्नाव
कौशल किशोर	मोहनलालगंज (अ.जा.)
राजनाथ सिंह	लखनऊ
सोनिया गांधी	रायबरेली
राहुल गांधी	अमेठी
फिरोज वरुण गांधी	सुल्तानपुर
कुँवर हरिवंश सिंह	प्रतापगढ़
मुकेश राजपूत	फर्रुखाबाद
अशोक कुमार दोहरे	इटावा (अ.जा.)
डिम्पल यादव	कन्नौज
डॉ. मुरली मनोहर जोशी	कानपुर
देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह	अकबरपुर
भानुप्रताप सिंह वर्मा	जालौन (अ.जा.)
उमा भारती	झाँसी
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल	हमीरपुर
भैंरो प्रसाद मिश्र	बांदा
निरंजन ज्योति	फतेहपुर
विनोद कुमार सोनकर	कौशाम्बी (अ.जा.)
नागेन्द्र प्रताप सिंह पटेल	फूलपुर
श्यामा चरण गुप्त	प्रयागराज
प्रियंका सिंह रावत	बाराबंकी (अ.जा.)
लल्लू सिंह	अयोध्या
हरि ओम पाण्डेय	अम्बेडकरनगर
सावित्री बाई फूले	बहराइच (अ.जा.)
बृजभूषण शरण सिंह	कैसरगंज
दद्दन मिश्रा	श्रावस्ती
कीर्ति वर्धन सिंह	गोण्डा
जगदम्बिका पाल	डुमरियागंज
हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी	बस्ती
शरद त्रिपाठी	सन्त कबीर नगर
पंकज	महाराजगंज
प्रवीन कुमार निषाद	गोरखपुर
राजेश पाण्डेय उर्फ गुड्डू	कुशीनगर
कलराज मिश्र	देवरिया
कमलेश पासवान	बांसगांव (अ.जा.)
नीलम सोनकर	लालगंज (अ.जा.)
मुलायम सिंह यादव	आजमगढ़
हरिनरायन राजभर	घोसी
रविन्दर कुशवाहा	सलेमपुर
भरत सिंह	बलिया
कृष्ण प्रताप 'के.पी.'	जौनपुर
रामचरित्र निषाद	मछलीशहर (अ.जा.)
मनोज सिन्हा	गाजीपुर
डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय	चन्दौली
नरेन्द्र मोदी	वाराणसी
वीरेन्द्र सिंह	भदोही
अनुप्रिया सिंह पटेल	मिर्जापुर
छोटेलाल	राबर्ट्सगंज (अ.जा.)

स्रोतः—निर्वाचन विभाग द्वारा प्राप्त

उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य

कार्यकाल : 25 नवम्बर 2020 तक

1. डॉ. चन्द्रपाल सिंह यादव
2. श्री जावेद अली खान
3. श्रीमती तज़ीन फातमा
4. श्री नीरज शेखर
5. श्री पी.एल. पुनिया
6. श्री हरदीप सिंह पुरी
7. श्री रवि प्रकाश वर्मा
8. श्री राजाराम
9. प्रो. रामगोपाल यादव
10. श्री वीर सिंह

कार्यकाल : 04 जुलाई 2022 तक

11. श्री अमर सिंह
12. श्री अशोक सिद्धार्थ
13. श्री कपिल सिब्बल
14. श्री बेनी प्रसाद वर्मा
15. कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि
16. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद
17. श्री शिव प्रताप
18. श्री सतीश चन्द्र मिश्र
19. श्री संजय सेठ
20. श्री सुखराम सिंह
21. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर

कार्यकाल : 02 अप्रैल 2024 तक

22. श्री अनिल अग्रवाल
23. श्री अनिल कुमार जैन
24. श्री अरूण जेटली
25. श्री अशोक बाजपेयी
26. श्रीमती कान्ता कर्दम
27. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हाराव
28. श्रामती बच्चन जया अभिताभ
29. श्री विजय पाल सिंह तोमर
39. श्री सकलदीप
31. श्री हरनाथ सिंह यादव

स्रोत : निर्वाचन विभाग द्वारा प्राप्त

●

उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल

नाम	विभाग
श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री	गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भूतत्व एवं खनिकर्म, बाढ़ नियंत्रण, कर निबन्धन, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, भाषा, वाह्य सहायतित परियोजना, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबन्धन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप।
श्री केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री	लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम
डॉ० दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री	माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी
श्री सूर्य प्रताप शाही	कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान
श्री सुरेश खन्ना	संसदीय कार्य, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	श्रम, सेवायोजन, समन्वय
श्री सतीश महाना	औद्योगिक विकास
श्री राजेश अग्रवाल	वित्त
श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी	महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, पर्यटन
श्री दारा सिंह चौहान	वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान
श्री धर्मपाल सिंह	सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक)
श्री एस.पी. सिंह बघेल	पशुधन, लघु सिंचाई, मत्स्य
श्री सत्यदेव पचौरी	खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन
श्री रमापति शास्त्री	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण
श्री जय प्रताप सिंह	आबकारी, मद्यनिषेध
श्री ओम प्रकाश राजभर	पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण
श्री ब्रजेश पाठक	विधायी, न्याय, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, राजनैतिक पेंशन
श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी	दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्य, संस्कृति, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ़ एवं हज
श्री चेतन चौहान	खेल, युवा कल्याण, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास
श्री श्रीकांत शर्मा	ऊर्जा
श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (मोती सिंह)	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
श्री सिद्धार्थनाथ सिंह	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
श्री मुकुट बिहारी वर्मा	सहकारिता
श्री आशुतोष टण्डन	प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा
श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नंदी''	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक उड्डयन

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

नाम	विभाग
श्रीमती अनुपमा जैसवाल	बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, राजस्व (M.O.S.), वित्त (M.O.S.)
श्री सुरेश राणा	गन्ना विकास, चीनी मिलें, औद्योगिक विकास (M.O.S.)
श्री उपेन्द्र तिवारी	जल सम्पूर्ति, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास, वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान, सहकारिता (M.O.S.)
डॉ० महेन्द्र सिंह	ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (M.O.S.)
श्री स्वतंत्रदेव सिंह	परिवहन, प्रोटोकाल, ऊर्जा (M.O.S.)
श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी	पंचायती राज, लोक निर्माण (M.O.S.)
श्री धरम सिंह सैनी	आयुष, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास (M.O.S.)
श्री अनिल राजभर	सैनिक कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण (M.O.S.), होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा
श्रीमती स्वाती सिंह	एन.आर.आई.(N.R.I.), बाढ़ नियन्त्रण, कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण (M.O.S.)

राज्य मंत्री

श्रीमती गुलाबो देवी समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण

श्री जय प्रताप निषाद पशुधन एवं मत्स्य, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि

श्रीमती अर्चना पाण्डे भूतत्व एवं खनिकर्म, आबकारी, मद्यनिषेध

श्री जय कुमार सिंह जैकी कारागार, लोक सेवा प्रबन्धन

श्री अतुल गर्ग खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बांट माप, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन

श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह (धुन्नी सिंह) कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान

डॉ० नीलकंठ तिवारी विधायी एवं न्याय, सूचना, खेल एवं युवा कल्याण

श्री मोहसिन रजा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, मुस्लिम वक़्फ़, हज

श्री गिरीश चन्द्र यादव नगर विकास, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास

श्री बलदेव ओलख अल्पसंख्यक कल्याण, सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक)

श्री मनोहरलाल मन्नु कोरी श्रम, सेवायोजन

श्री संदीप सिंह बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा

श्री सुरेश पासी आवास एवं शहरी नियोजन, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास

जिन राज्य मंत्री गण (स्वतंत्र प्रभार) के सम्मुख आवंटित विभाग में (MOS) अंकित है, वह राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उस विभाग के राज्य मंत्री होंगे।

स्रोत : गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश (http://upcmo.up.nic.in) (26 नवम्बर, 2018 तक संशोधित)

●

उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य

(दिनांक 30 सितम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार)

सदस्य

	विधानसभा	निर्वाचित सदस्य
	भारतीय जनता पार्टी (310 सदस्य)	
1.	बहराइच	श्री अक्षयवर लाल गोंड
2.	पीलीभीत	श्री अगयश राम सरन वर्मा
3.	प्रयागराज	डॉ. अजय कुमार
4.	बस्ती	श्री अजय कुमार सिंह 'अजय सिंह'
5.	गोण्डा	कुँ. अजय प्रताप सिंह ''लल्ला भइया''
6.	सम्भल	श्री अजीत कुमार उर्फ राजू यादव
7.	गाजियाबाद	श्री अजीत पाल त्यागी
8.	कानपुर देहात*	श्री अजीत सिंह पाल
9.	गाजियाबाद	श्री अतुल गर्ग
10.	बुलन्दशहर	श्री अनिल कुमार
11.	सोनभद्र	डॉ. अनिल कुमार मौर्य
12.	अलीगढ़	श्री अनिल पाराशर
13.	वाराणसी	श्री अनिल राजभर
14.	अम्बेडकरनगर	श्रीमती अनीता
15.	बुलन्दशहर	डॉ. अनीता लोधी राजपूत
16.	बहराइच	श्रीमती अनुपमा जायसवाल
17.	मिर्जापुर	श्री अनुराग सिंह
18.	अलीगढ़	श्री अनूप 'प्रधान'
19.	प्रतापगढ़	श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा
20.	कानपुर नगर	श्री अभिजीत सिंह सांगा
21.	फर्रुखाबाद	श्री अमर सिंह
22.	खीरी	श्री अरविन्द गिरि
23.	बरेली	डॉ. अरुण कुमार
24.	आजमगढ़	श्री अरुण कुमार यादव
25.	कन्नौज	श्रीमती अर्चना पाण्डेय
26.	गाजीपुर	श्रीमती अलका राय
27.	मुजफ्फरनगर	श्री अवतार सिंह भडाना
28.	वाराणसी	श्री अवधेश सिंह
29.	खीरी	श्री अवस्थी बाला प्रसाद
30.	लखनऊ	श्री अविनाश त्रिवेदी
31.	बिजनौर	श्री अशोक कुमार राणा
32.	हमीरपुर	श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल
33.	बलिया	श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल
34.	चित्रकूट	श्री आर.के. सिंह पटेल
35.	हरदोई	श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'
36.	लखनऊ	श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'
37.	अयोध्या	श्री इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी
38.	आगरा	चौ. उदयभान सिंह
39.	बलिया	श्री उपेन्द्र तिवारी
40.	बाराबंकी	श्री उपेन्द्र सिंह
41.	मुजफ्फरनगर	श्री उमेश मलिक
42.	बिजनौर	श्री ओमकुमार
43.	मुजफ्फरनगर	श्री कपिल देव अग्रवाल
44.	कानपुर नगर	श्रीमती कमल रानी
45.	हापुड़	श्री कमल सिंह मलिक
46.	देवरिया	श्री कमलेश शुक्ल
47.	बिजनौर	श्रीमती कमलेश सैनी
48.	फतेहपुर	श्री करण सिंह पटेल
49.	मथुरा	श्री कारिन्दा सिंह
50.	देवरिया	श्री काली प्रसाद
51.	पीलीभीत	श्री किशन लाल राजपूत
52.	उन्नाव	श्री कुलदीप सिंह सेंगर
53.	बदायूं	श्री कुशाग्र सागर
54.	बागपत	श्री कृष्णपाल मलिक
55.	फतेहपुर	श्रीमती कृष्णा पासवान
56.	बरेली	श्री केसर सिंह
57.	बलरामपुर	श्री कैलाश नाथ शुक्ल
58.	कन्नौज	श्री कैलाश सिंह राजपूत
59.	कुशीनगर	श्री गंगा
60.	अमेठी	श्रीमती गरिमा सिंह
61.	जौनपुर	श्री गिरीश चन्द्र यादव
62.	सम्भल	श्रीमती गुलाब देवी
63.	जालौन	श्री गौरी शंकर
64.	बांदा	श्री चन्द्रपाल कुशवाहा
65.	बस्ती	श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सी.ए. चन्द्र प्रकाश शुक्ल
66.	चित्रकूट	श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय
67.	अमरोहा	श्री चेतन चौहान
68.	शाहजहांपुर	श्री चेतराम
69.	बरेली	श्री छत्रपाल सिंह गंगवार
70.	आगरा	श्री जगन प्रसाद गर्ग

71. कुशीनगर श्री जटाशंकर त्रिपाठी
72. देवरिया श्री जन्मेजय सिंह
73. लखनऊ श्रीमती जय देवी
74. देवरिया श्री जय प्रकाश निषाद
75. सिद्धार्थनगर श्री जय प्रताप सिंह
76. महराजगंज श्री जयमंगल
77. झाँसी श्री जवाहर लाल राजपूत
78. मेरठ श्री जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू
79. आगरा श्री जितेन्द्र वर्मा
80. आगरा डॉ. जीएस. धर्मेश
81. सीतापुर श्री ज्ञान तिवारी
82. महराजगंज श्री ज्ञानेन्द्र
83. बरेली डॉ. डी.सी. वर्मा
84. गौतमबुद्धनगर श्री तेजपाल सिंह नागर
85. शामली श्री तेजेन्द्र निर्वाल
86. बस्ती श्री दयाराम चौधरी
87. रायबरेली श्री दल बहादुर
88. अलीगढ़ श्री दलवीर सिंह
89. मऊ श्री दारा सिंह चौहान
90. संत कबीरनगर श्री दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे
91. मेरठ श्री दिनेश खटीक
92. जौनपुर श्री दिनेश चौधरी
93. भदोही श्री दीनानाथ भाष्कर
94. सुल्तानपुर श्री देवमणि द्विवेदी
95. सहारनपुर श्री देवेन्द्र कुमार निम
96. कासगंज श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
97. कासगंज श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत
98. बुलन्दशहर श्री देवेन्द्र सिंह लोधी 'एडवोकेट'
99. बलिया श्री धनन्जय कन्नौजिया
100. बरेली श्री धर्मपाल सिंह
101. सहारनपुर डॉ. धर्म सिंह सैनी
102. बदायूं श्री धर्मेन्द्र सिंह शाक्य 'पप्पू भैया'
103. रायबरेली श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह
104. गौतमबुद्धनगर श्री धीरेन्द्र सिंह
105. गाजियाबाद श्री नन्द किशोर गुर्जर
106. प्रयागराज श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'
107. जालौन कुं. नरेन्द्र पाल सिंह
108. फर्रूखाबाद श्री नागेन्द्र सिंह राठौर
109. कानपुर देहात श्रीमती निर्मला संखवार
110. लखनऊ डॉ. नीरज बोरा
111. वाराणसी डॉ. नीलकंठ तिवारी
112. प्रयागराज श्रीमती नीलम करवरिया
113. कानपुर नगर श्रीमती नीलिमा कटियार
114. उन्नाव श्री पंकज गुप्ता
115. गौतमबुद्धनगर श्री पंकज सिंह
116. आगरा रानी पक्षालिका सिंह
117. कुशीनगर श्री पवन कुमार
118. बलरामपुर श्री पल्टूराम
119. मथुरा श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट
120. बांदा श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी
121. कानपुर देहात श्रीमती प्रतिभा शुक्ला
122 गोण्डा श्री प्रतीक भूषण सिंह
123. सहारनपुर श्री प्रदीप कुमार
124. गोण्डा श्री प्रभात कुमार वर्मा
125. हरदोई श्री प्रभाष कुमार
126. मुजफ्फरनगर श्री प्रमोद उटवाल
127. प्रयागराज श्री प्रवीण कुमार सिंह
128. गोण्डा श्री प्रेम नारायण पाण्डेय
129. महराजगंज श्री प्रेमसागर पटेल
130. गोरखपुर श्री फतेह बहादुर
131. मऊ श्री फागू चौहान
132. महराजगंज श्री बजरंग बहादुर सिंह
133. उन्नाव श्री बम्बा लाल
134. रामपुर श्री बल्देव सिंह औलख
135. बरेली श्री बहोरन लाल मौर्य
136. अयोध्या श्री बाबा गोरखनाथ
137. पीलीभीत श्री बाबू राम पासवान
138. गोण्डा श्री बावन सिंह
139. बुलन्दशहर श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
140. झाँसी श्री बिहारीलाल आर्य
141. हाथरस श्री बीरेन्द्र सिंह राणा
142. महोबा श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया
143. उन्नाव श्री बृजेश कुमार
144. बांदा श्री बृजेश कुमार प्रजापति
145. बाराबंकी श्री बैजनाथ रावत
146. लखनऊ श्री ब्रजेश पाठक
147. सहारनपुर श्री ब्रिजेश

148. कानपुर नगर	श्री भगवती प्रसाद सागर
149. सोनभद्र	श्री भूपेश चौबे
150. खीरी	श्रीमती मंजू त्यागी
151. फिरोजाबाद	श्री मनीष असीजा
152. हमीरपुर	श्रीमती मनीषा अनुरागी
153. ललितपुर	श्री मनोहर लाल
154. गाजियाबाद	डॉ. मंजू शिवाच
155. कासगंज	श्री ममतेश शाक्य
156. रायबरेली	श्री मयंकेश्वर शरण सिंह
157. गोरखपुर	श्री महेन्द्र पाल सिंह
158. सीतापुर	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
159. अमरोहा	श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी
160. आगरा	श्री महेश कुमार गोयल
161. कानपुर नगर	श्री महेश त्रिवेदी
162. बदायूं	श्री महेश चन्द्र गुप्ता
163. हरदोई	कुं. माधवेन्द्र प्रताप
164. बहराइच	श्रीमती माधुरी वर्मा
165. शाहजहांपुर	श्री मानवेन्द्र सिंह
166. बहराइच	श्री मुकुट बिहारी
167. फिरोजाबाद	डॉ. मुकेश चन्द्र वर्मा
168. जालौन	श्री मूलचन्द्र सिंह
169. आगरा	श्री योगेन्द्र उपाध्याय
170. बागपत	श्री योगेश धामा
171. खीरी	श्री योगेश वर्मा
172. कुशीनगर	श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी
173. हरदोई	श्रीमती रजनी तिवारी
174. फतेहपुर	श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया
175. मिर्जापुर	श्री रत्नाकर मिश्र
176. गोण्डा	श्री रमापति शास्त्री
177. मिर्जापुर	श्री रमाशंकर सिंह
178. औरैया	श्री रमेश चन्द्र दिवाकर
179. जौनपुर	श्री रमेश चन्द्र मिश्र
180. बस्ती	श्री रवि कुमार सोनकर
181. भदोही	श्री रविन्द्र नाथ त्रिपाठी
182. झाँसी	श्री रवि शर्मा
183. वाराणसी	श्री रवीन्द्र जायसवाल
184. अलीगढ़	श्री रवेन्द्रपाल सिंह
185. महोबा	श्री राकेश कुमार गोस्वामी
186. सीतापुर	श्री राकेश राठौर
187. संतकबीरनगर	श्री राकेश सिंह बघेल
188. सिद्धार्थनगर	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह
189. बांदा	श्री राज करन कबीर
190. हरदोई	श्री राजकुमार अग्रवाल
191. रामपुर	श्रीमती राजबाला
192. प्रयागराज	श्री राजमणि कोल
193. अलीगढ़	श्री राजवीर दिलेर
194. अमरोहा	श्री राजीव तरारा
195. बदायूं	श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया
196. झाँसी	श्री राजीव सिंह 'पारीक्षा'
197. प्रतापगढ़	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती
198. बरेली	श्री राजेश अग्रवाल
199. बरेली	श्री राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल
200. मुरादाबाद	श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नू)
201. सुल्तानपुर	श्री राजेश गौतम
202. बदायूं	पं. राधा कृष्ण शर्मा
203. गोरखपुर	डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल
204. सीतापुर	श्री राम कृष्ण भार्गव
205. फिरोजाबाद	श्री रामगोपाल पप्पू लोधी
206. अयोध्या	श्री रामचन्द्र यादव
207. मैनपुरी	श्री राम नरेश अग्निहोत्री
208. रायबरेली	श्री राम नरेश रावत
209. हरदोई	श्री रामपाल वर्मा
210. आगरा	श्री राम प्रताप सिंह
211. बलरामपुर	श्री राम प्रताप उर्फ शशिकान्त वर्मा
212. श्रावस्ती	श्री रामफेरन पाण्डेय
213. ललितपुर	श्री रामरतन कुशवाहा
214. मुरादाबाद	श्री रितेश कुमार गुप्ता
215. लखनऊ	प्रो. रीता बहुगुणा जोशी
216. शाहजहांपुर	श्री रोशन लाल वर्मा
217. मथुरा	श्री लक्ष्मी नारायण
218. औरैया	श्री लाखन सिंह
219. कौशाम्बी	श्री लाल बहादुर
220. खीरी	श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह
221. फतेहपुर	श्री विकास गुप्ता
222. फतेहपुर	श्री विक्रम सिंह
223. मुजफ्फरनगर	श्री विक्रम सिंह
224. प्रयागराज	श्री विक्रमाजीत मौर्य
225. मुजफ्फरनगर	श्री विजय कुमार कश्यप

226. हापुड़ श्री विजय पाल (आढ़ती)
227. बुलन्दशहर श्री विजेन्द्र सिंह
228. गोण्डा श्री विनय कुमार द्विवेदी
229. औरैया श्री विनय शाक्य
230. कानपुर देहात श्री विनोद कुमार कटियार
231. एटा श्री विपिन कुमार 'डेविड'
232. गोरखपुर श्री विपिन सिंह
233. गोरखपुर डॉ. विमलेश पासवान
234. शाहजहांपुर श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिन्स'
235. एटा श्री वीरेन्द्र
236. बुलन्दशहर श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही
237. अयोध्या श्री वेद प्रकाश गुप्ता
238. बाराबंकी श्री शरद कुमार अवस्थी
239. सीतापुर श्री शशांक त्रिवेदी
240. चन्दौली श्री शारदा प्रसाद
241. गोरखपुर श्री शीतल पाण्डेय
242. कौशाम्बी श्री शीतला प्रसाद
243. मिर्जापुर श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य
244. बलरामपुर श्री शैलेश कुमार सिंह 'शैलू'
245. अयोध्या श्रीमती शोभा सिंह चौहान
246. सिद्धार्थनगर श्री श्याम धनी
247. हरदोई श्री श्याम प्रकाश
248. बरेली डॉ. श्याम बिहारी लाल
249. मथुरा श्री श्रीकान्त शर्मा
250. सन्तकबीरनगर श्री श्रीराम चौहान
251. मऊ श्री श्रीराम सोनकर
252. मेरठ श्री संगीत सिंह सोम
253. गाजीपुर डॉ. संगीता बलवन्त
254. गोरखपुर श्रीमती संगीता यादव
255. बुलन्दशहर श्री संजय
256. कौशाम्बी श्री संजय कुमार
257. बस्ती श्री संजय प्रताप जायसवाल
258. बलिया श्री संजय यादव
259. पीलीभीत श्री संजय सिंह गंगवार
260. सोनभद्र श्री संजीव कुमार
261. एटा श्री संजीव कुमार दिवाकर
262. अलीगढ़ श्री संजीव राजा
263. अम्बेडकरनगर श्रीमती संजू देवी
264. अलीगढ़ श्री संदीप कुमार सिंह
265. बाराबंकी श्री सतीश चन्द्र शर्मा
266. सिद्धार्थनगर डॉ. सतीश चन्द्र द्विवेदी
267. कानपुर नगर श्री सतीश महाना
268. कानपुर नगर श्री सत्यदेव पचौरी
269. फिरोजाबाद श्री सत्यपाल सिंह बघेल
270. कासगंज श्री सत्यपाल सिंह राठौर
271. मेरठ श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले''
272. मेरठ श्री सत्यवीर त्यागी
273. गोरखपुर श्री सन्त प्रसाद
274. इटावा श्रीमती सरिता भदौरिया
275. बाराबंकी श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा
276. चन्दौली श्रीमती साधना सिंह
277. इटावा श्रीमती सावित्री कठेरिया
278. प्रयागराज श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह
279. सुल्तानपुर श्री सीताराम वर्मा
280. बिजनौर श्रीमती सुचि
281. गाजीपुर श्रीमती सुनीता
282. गाजियाबाद श्री सुनील कुमार शर्मा
283. फर्रुखाबाद श्री सुनील दत्त द्विवेदी मे.
284. सीतापुर श्री सुनील वर्मा
285. बहराइच श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट
286. बलिया श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह
287. वाराणसी श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह
288. शामली श्री सुरेश कुमार
289. अमेठी श्री सुरेश कुमार
290. शाहजहांपुर श्री सुरेश कुमार खन्ना
291. लखनऊ श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव
292. देवरिया श्री सुरेश तिवारी
293. सीतापुर श्री सुरेश राही
294. बहराइच श्री सुरेश्वर सिंह
295. बिजनौर डॉ. सुशान्त कुमार सिंह
296. फर्रुखाबाद श्री सुशील कुमार शाक्य
297. चन्दौली श्री सुशील सिंह
298. देवरिया श्री सूर्य प्रताप शाही
399. सुल्तानपुर श्री सूर्यभान सिंह
300. मेरठ डॉ. सोमेन्द्र तोमर
301. वाराणसी श्री सौरभ श्रीवास्तव
302. लखीमपुर खीरी श्री सौरभ सिंह
303. लखनऊ श्रीमती स्वाती सिंह

304. कुशीनगर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
305. लखीमपुर खीरी श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी
306. हाथरस श्री हरिशंकर माहौर
307. जौनपुर डॉ. हरेन्द्र प्रसाद सिंह
308. प्रयागराज श्री हर्षवर्धन बाजपेई
309. आगरा श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा
310. उन्नाव श्री हृदय नारायण दीक्षित

समाजवादी पार्टी-(48)

1. कन्नौज श्री अनिल कुमार दोहरे
2. सुल्तानपुर श्री अबरार अहमद
3. कानपुर श्री अमिताभ बाजपेई
4. लखनऊ श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट
5. आजमगढ़ श्री आलमबदी
6. देवरिया श्री आशुतोष उपाध्याय
7. सम्भल श्री इकबाल महमूद
8. मुरादाबाद हाजी इकराम कुरैशी
9. कानपुर हाजी इरफान सोलंकी
10. प्रयागराज श्री उज्जवल रमण सिंह
11. बदायूं श्री ओमकार सिंह
12. आजमगढ़ श्री कल्पनाथ पासवान
13. जौनपुर श्री जगदीश सोनकर
14. बिजनौर श्री तसलीम अहमद
15. आजमगढ़ श्री दुर्गा प्रसाद यादव
16. बाराबंकी श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव
17. बिजनौर** श्री नईम उल हसन
18. आजमगढ़ श्री नफीस अहमद
19. सीतापुर श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा
20. मुरादाबाद श्री नवाब जान
21. रामपुर श्री नसीर अहमद खां
22. शामली श्री नाहिद हसन
23. हरदोई श्री नितिन अग्रवाल
24. जौनपुर श्री पारसनाथ यादव
25. सम्भल श्रीमती पिंकी सिंह यादव
26. चन्दौली श्री प्रभुनारायण सिंह यादव
27. मैनपुरी इंजी. बृजेश कठेरिया
28. रायबरेली श्री मनोज कुमार पाण्डेय
29. बिजनौर श्री मनोज कुमार पारस
30. अमरोहा श्री महबूब अली
31. रामपुर मो. आजम खां
32. मुरादाबाद श्री मोहम्मद रिजवान
33. मुरादाबाद मौ. फईम इरफान
34. रामपुर मो. अब्दुल्ला आजम खां
35. बहराइच श्री यासर शाह
36. मेरठ श्री रफीक अन्सारी
37. अमेठी श्री राकेश प्रताप सिंह
38. मैनपुरी श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव
39. बलिया श्री राम गोविन्द चौधरी
40. गाजीपुर श्री वीरेन्द्र यादव
41. शाहजहांपुर श्री शरदवीर सिंह
42. इटावा श्री शिवपाल सिंह यादव
43. जौनपुर श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'
44. आजमगढ़ डॉ. संग्राम यादव
45. सहारनपुर श्री संजय गर्ग
46. गाजीपुर श्री सुभाष पासी
47. मैनपुरी श्री सोवरन सिंह यादव
48. फिरोजाबाद श्री हरिओउम यादव

बहुजन समाज पार्टी-(19)

1. उन्नाव श्री अनिल सिंह
2. हापुड़ श्री असलम अली
3. आजमगढ़ श्री आजाद अरि मर्दन
4. बलिया श्री उमाशंकर सिंह
5. आजमगढ़ श्रीमती बन्दना सिंह
6. मऊ श्री मुख्तार अंसारी
7. प्रयागराज मो. मुजतबा सिद्दीकी
8. श्रावस्ती मो. असलम 'राइनी' एडवोकेट
9. अम्बेडकरनगर श्री राम अचल राजभर
10. हाथरस श्री रामवीर उपाध्याय
11. अम्बेडकरनगर श्री रितेश पाण्डेय
12. अम्बेडकरनगर श्री लाल जी वर्मा
13. गोरखपुर श्री विनय शंकर तिवारी
14. आजमगढ़ श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली
15. मथुरा श्री श्याम सुन्दर शर्मा
16. आजमगढ़ श्री सुखदेव राजभर
17. जौनपुर श्रीमती सुषमा पटेल
18. सीतापुर डॉ. हरगोविन्द भार्गव
19. प्रयागराज श्री हाकिम लाल बिन्द

अपना दल- (सोनेलाल) (09)

1. सिद्धार्थनगर श्री अमर सिंह चौधरी

2.	प्रतापगढ़	डॉ. आर. के. वर्मा
3.	प्रयागराज	डॉ. जमुना प्रसाद सरोज
4.	फतेहपुर	श्री जय कुमार सिंह (जैकी)
5.	वाराणसी	श्री नीलरतन सिंह पटेल 'नीलू'
6.	मिर्जापुर	श्री राहुल प्रकाश
7.	जौनपुर	श्रीमती लीना तिवारी
8.	प्रतापगढ़	श्री संगमलाल गुप्ता
9.	सोनभद्र	श्री हरीराम

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस- (07)

1.	कुशीनगर	श्री अजय कुमार 'लल्लू'
2.	रायबरेली	सुश्री अदिति सिंह
3.	प्रतापगढ़	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'
4.	सहारनपुर	श्री नरेश सैनी
5.	सहारनपुर	श्री मसूद अख्तर
6.	रायबरेली	श्री राकेश सिंह
7.	कानपुर	श्री सोहिल अख्तर अंसारी

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी- (04)

1.	गाजीपुर	श्री ओम प्रकाश राजभर
2.	वाराणसी	श्री कैलाश नाथ सोनकर
3.	गाजीपुर	श्री त्रिवेणी राम
4.	कुशीनगर	श्री रामानन्द बौद्ध

राष्ट्रीय लोक दल- (01)

1.	बागपत	श्री सहेन्द्र सिंह चौहान

निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आम दल-(01)

1.	भदोही	श्री विजय मिश्र

निर्दलीय-(03)

1.	महराजगंज	श्री अमन मणि त्रिपाठी
2.	प्रतापगढ़	श्री रघुराज प्रताप सिंह
3.	प्रतापगढ़	श्री विनोद सरोज

नाम निर्देशित-(01)

1.	लखनऊ	डॉ. डेनजिल जे. गोडिन

रिक्त- 01

*** निघासन (लखीमपुर खीरी)

* दिनांक 24 दिसम्बर, 2017 को उप-चुनाव मे निर्वाचित।

** दिनांक 31 मई, 2018 को उप-चुनाव मे निर्वाचित।

*** निर्वाचन क्षेत्र सं.-138, निघासन, लखीमपुर खीरी से निर्वाचित माननीय सदस्य श्री राम कुमार वर्मा 'पटेल' की मृत्यु 30 सितम्बर 2018 को अपरान्ह में होने के कारण रिक्त।

स्रोत : सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

●

उत्तर प्रदेश से विधान परिषद के सदस्य

श्री रमेश यादव – सभापति
डॉ. दिनेश शर्मा – नेता सदन
श्री अहमद हसन – नेता विरोधी दल

कार्यकाल : 6 मई, 2020 तक

1. डॉ. असीम यादव
2. श्री संजय कुमार मिश्र
3. श्री केदार नाथ सिंह
4. डॉ. यज्ञदत्त शर्मा
5. श्री ओम प्रकाश शर्मा, नेता शिक्षक दल
6. श्री जगवीर किशोर जैन
7. श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
8. श्री हेम सिंह पुण्डीर, शिक्षक नेता
9. श्री चेत नारायण सिंह
10. श्री उमेश द्विवेदी
11. श्रीमती कान्ति सिंह

कार्यकाल : 30 जनवरी, 2021 तक

12. डॉ. दिनेश शर्मा
13. श्री अहमद हसन
14. श्री आशु मलिक
15. श्री रमेश यादव
16. श्री रामजतन राजभर
17. श्री वीरेन्द्र सिंह
18. श्री स्वतंत्र देव
19. श्री साहब सिंह सैनी
20. श्री धर्मवीर सिंह अशोक
61. श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी
22. श्री प्रदीप कुमार जाटव
23. श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य

कार्यकाल : 05 जुलाई, 2021 तक

24. श्री श्रीराम सिंह यादव
25. श्रीमती लीलावती कुशवाहा
26. श्री रामवृक्ष सिंह यादव
27. श्री जितेन्द्र यादव

कार्यकाल : 07 मार्च, 2022 तक

28. श्री अरविन्द प्रताप यादव
29. श्री अमित यादव
30. श्री अक्षय प्रताप सिंह
31. श्री आनन्द भदौरिया
32. श्री उदयवीर सिंह
33. श्री जसवन्त सिंह
34. श्री घनश्याम सिंह लोधी
35. डॉ. दिलीप यादव
36. श्री दिलीप सिंह उर्फ कल्लू यादव
37. श्री नरेन्द्र सिंह भाटी
38. श्री परवेज अली पुत्र श्री महबूब अली
39. श्री पुष्पराज जैन उर्फ पम्पी जैन
40. श्री महफुजुर्रहमान उर्फ महफूज खाँ
41. श्री मोहम्मद इमलाक खाँ
42. श्री सैयद मिस्बाहुद्दीन
43. श्रीमती रमा निरंजन
44. श्री रवि शंकर सिंह 'पप्पू भैया'
45. श्री राकेश यादव
46. श्री राकेश कुमार यादव उर्फ गुड्डू
47. श्री रमेश मिश्र
48. श्री राजेश कुमार यादव
49. श्री रामअवध यादव
50. श्रीमती रामलली
51. श्री वासुदेव यादव
52. श्री संतोष यादव 'सनी'
53. श्री सुनील कुमार सिंह ''साजन''
54. श्री सी.पी. चन्द
55. श्री शशांक यादव
56. श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह

57. श्री हीरालाल यादव
58. श्री बृजेश कुमार सिंह 'प्रिन्सू'
59. श्री महमूद अली
60. श्री दिनेश प्रताप सिंह पुत्र स्व. महावीर सिंह
61. श्री बृजेश कुमार सिंह उर्फ 'अरुण'
62. श्री विशाल सिंह 'चंचल'

कार्यकाल : 28 अप्रैल, 2022 तक

63. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
64. श्री जाहिद हसन वसीम बरेलवी
65. श्री मधुकर जेटली

कार्यकाल : 26 मई, 2022 तक

66 डॉ. राजपाल कश्यप
67. श्री अरविन्द कुमार सिंह
68. डॉ. संजय लाठर

कार्यकाल : 06 जुलाई, 2022 तक

69. श्री जगजीवन प्रसाद
70. श्री बलराम यादव
71. श्री केशव प्रसाद मौर्य
72. डॉ. कमलेश कुमार पाठक
73. श्री योगी आदित्यनाथ
74. श्री रणविजय सिंह
75. श्री राम सुन्दर दास निषाद 'एडवोकेट'
76. श्री शतरूद्र प्रकाश
77. श्री अतर सिंह
78. श्री दिनेश चन्द्रा
79. श्री सुरेश कुमार कश्यप
80. श्री दीपक सिंह
81. श्री भूपेन्द्र सिंह

कार्यकाल : 12 फरवरी, 2023 तक

82. श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
83. श्री अरुण पाठक
84. डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त
85. श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी
86. श्री राजबहादुर सिंह चन्देल

कार्यकाल : 05 मई, 2024 तक

87. श्री यशवन्त
88. श्री विजय बहादुर पाठक
89. श्री विद्या सागर सोनकर
90. डॉ. सरोजनी अग्रवाल
91. श्री नरेश चन्द्र उत्तम
92. श्री भीमराव अम्बेडकर
93. श्री आशीष पटेल
94. श्री अशोक कटारिया
95. श्री अशोक धवन
96. श्री ठाकुर जयवीर सिंह
97. श्री बुक्कल नवाब
98. डॉ. महेन्द्र कुमार सिंह
99. श्री मोहसिन रजा

---

100. रिक्त- माननीय सदस्य की दिनांक 08 मार्च, 2017 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप (बदायूँ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र) (07 मार्च, 2022 तक)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।

स्रोत : विधान परिषद सचिवालय, उ.प्र. (दिनांक 14 नवम्बर, 2018 तक संशोधित)

भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति

नाम		वर्ष
1. श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी	(1878-1972)	1954
2. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	(1888-1975)	1954
3. डॉ. चंद्रशेखर वेंकटरमन	(1888-1970)	1954
4. डॉ. भगवान दास	(1869-1958)	1955
5. डॉ. मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया	(1861-1962)	1955
6. पं. जवाहरलाल नेहरू	(1889-1964)	1955
7. पं. गोविंद बल्लभ पंत	(1887-1961)	1957
8. डॉ. धोंडो केशव कर्वे	(1858-1962)	1958
9. डॉ. बिधानचंद्र रॉय	(1882-1962)	1961
10. श्री पुरुषोत्तम दास टंडन	(1882-1962)	1961
11. डॉ. राजेंद्र प्रसाद	(1884-1963)	1962
12. डॉ. ज़ाकिर हुसैन	(1897-1969)	1963
13. डॉ. पांडुरंग वामन काणे	(1880-1972)	1963
14. श्री लाल बहादुर शास्त्री (मरणोपरांत)	(1904-1966)	1966
15. श्रीमती इंदिरा गांधी	(1917-1984)	1971
16. श्री वराहगिरि वेंकट गिरि	(1894-1980)	1975
17. श्री कुमारास्वामी कामराज (मरणोपरांत)	(1903-1975)	1976
18. मदर मेरी टेरेसा बोजाक्सहियू (मदर टेरेसा)	(1910-1997)	1980
19. आचार्य विनोबा भावे (मरणोपरांत)	(1895-1982)	1983
20. खान अब्दुल गफ़्फार खाँ	(1890-1988)	1987
21. श्री मरुदुर गोपालन रामचंद्रन (मरणोपरांत)	(1917-1987)	1988
22. डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर (मरणोपरांत)	(1891-1956)	1990
23. डॉ. नेल्सन रोलिहलाहला मंडेला	(1918-2013)	1990
24. श्री राजीव गांधी (मरणोपरांत)	(1944-1991)	1991

25. सरदार वल्लभभाई पटेल (मरणोपरांत)	(1875-1950)	1991
26. श्री मोरारजी रणछोड़जी देसाई	(1896-1995)	1991
27. मौलाना अबुल कलाम आजाद (मरणोपरांत)	(1888-1958)	1992
28. श्री जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा	(1904-1993)	1992
29. श्री सत्यजीत राय (मरणोपरांत)	(1921-1992)	1992
30. श्री गुलजारी लाल नंदा (मरणोपरांत)	(1898-1998)	1997
31. श्रीमती अरुणा आसफ अली (मरणोपरांत)	(1909-1996)	1997
32. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	(1931-2015)	1997
33. श्रीमती मदुरई शनमुखवादिवु सुब्बालक्ष्मी	(1916-2005)	1998
34. श्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम	(1910-2000)	1998
35. लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मरणोपरांत)	(1902-1979)	1999
36. प्रोफेसर अमर्त्य सेन	(जन्म 1933)	1999
37. लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई (मरणोपरांत)	(1890-1950)	1999
38. पंडित रविशंकर	(1920-2012)	1999
39. सुश्री लता दीनानाथ मंगेशकर	(जन्म 1929)	2001
40. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां	(1916-2006)	2001
41. पं. भीमसेन गुरुराज जोशी	(1922-2011)	2009
42. प्रो. सी.एन.आर. राव	(जन्म 1934)	2014
43. श्री सचिन रमेश तेंदुलकर	(जन्म 1973)	2014
44. पं. मदन मोहन मालवीय (मरणोपरांत)	(1861-1946)	2015
45. श्री अटल बिहारी वाजपेयी	(1924-2018)	2015

स्रोत : भारत- 2018

●

नोबेल पुरस्कार विजेता (भारतीय)

रवींद्रनाथ ठाकुर (1861-1941)

रवींद्रनाथ ठाकुर, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। 'गुरुदेव' के नाम से प्रसिद्ध रवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई, 1861 को कोलकाता में हुआ। उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक *'गीतांजलि'* के लिए सन् 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रवींद्रनाथ ठाकुर ने अनेक प्रेमगीत भी लिखे हैं। *गीतांजलि* और *साधना* उनकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं। महान कवि, नाटककार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध 'गुरुदेव' ने भारत के राष्ट्र गान की भी रचना की। सन् 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्वभारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

चंद्रशेखर वेंकटरमन (1888-1970)

भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉ0 चंद्रशेखर वेंकटरमन थे। उन्हें वर्ष 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। रमन का जन्म तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास तिरुवाइक्कावल में हुआ था। उन्होंने चेन्नई के प्रेसीडेंसी कालेज में शिक्षा प्राप्त की। बाद में वह कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर बने। चंद्रशेखर वेंकटरमन ने अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। उन्हें 'सर' की उपाधि से भी सम्मानित किया गया और प्रकाशिकी के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि किस तरह अपसरित प्रकाश में अन्य तरंग, लंबाई की किरणें भी मौजूद रहती हैं। उनकी खोज को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। सन् 1928 में की गई इस खोज से पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणों में आवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या की गई है।

हरगोबिंद खुराना (1922-2011)

हरगोबिन्द खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वर्ष 1968 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारतीय मूल के डॉ0 खुराना का जन्म पंजाब में रायपुर (जो अब पाकिस्तान में है) में हुआ था। उन्होंने लिवरपूल विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री ली। सन् 1960 में वह विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने। उन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। इसके लिए उन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मदर टेरेसा (1910-1997)

मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मदर का जन्म अलबानिया में स्कोपजे नामक स्थान पर हुआ था, जो अब यूगोस्लाविया में है। उनका बचपन का नाम एग्नस गोंक्सहा बोजाक्सिऊ था। सन् 1928 में वह डाब्लिन में आयरलैंड की संस्था 'सिस्टर्स ऑफ लोरेटो' में शामिल हुईं और मिशनरी बनकर सन् 1929 में कोलकाता आ गईं। उन्होंने बेसहारा और बेघर लोगों के दुःख दूर करने का महान व्रत लिया। निर्धनों और बीमारों की सेवा के लिए उन्होंने 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' नाम की संस्था बनाई और भारतीय नागरिक बनकर कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों की लत के शिकार लोगों तथा दीन-दुखियों के लिए 'निर्मल हृदय' नाम की संस्था बनाई। यह संस्था उनकी गतिविधियों का केंद्र बनी। उन्होंने पूरी निष्ठा से न सिर्फ

बेसहारा लोगों की निःस्वार्थ सेवा की, बल्कि विश्व शांति के लिए भी प्रयास जारी रखे। उन्हीं की बदौलत भारत शांति के लिए अपने एक नागरिक द्वारा शान्ति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त कर सका है।

सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर (1910-1995)

भारत में जन्मे इस खगोल भौतिकी विज्ञानी को वर्ष 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चेन्नई के प्रेसीडेंसी कालेज में पढ़े सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी.वी. रमन के भतीजे थे। बाद में चंद्रशेखर अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने खगोल भौतिक शास्त्र तथा सौरमंडल से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं। उन्होंने 'व्हाइट ड्वार्फ' यानी श्वेत बौने नाम के नक्षत्रों के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन नक्षत्रों के लिए उन्होंने जो सीमा निर्धारित की है, उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला।

अमर्त्य सेन (जन्म 1933)

प्रोफेसर अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले एशियाई हैं। शांति निकेतन में जन्में यह अर्थशास्त्री लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र में पारंगत हैं। उन्होंने कल्याण और विकास के पक्षों पर कई पुस्तकें तथा शोध-पत्र लिखे हैं। एक अलग प्रकार के अर्थशास्त्री के रूप में वह मानवतावादी अर्थशास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने भुखमरी, गरीबी, लोकतंत्र, लिंग और सामाजिक समस्याओं पर उत्कृष्ट लेखन से अपनी पहचान बनाई। पहले केनेथ ऐरो नाम के अर्थशास्त्री ने असंभाव्यता सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था और कहा था कि पूर्ण निजी विकल्पों को संपूर्ण समाज के लिए संतोषजनक पसंद बना पाना संभव नहीं है। प्रोफेसर सेन ने दिखाया कि गणितीय आधार पर समाज के कमजोर परिणामों को समाप्त करने के उपाय ढूंढ़े जा सकते हैं।

वेंकटरामन रामकृष्णन (जन्म 1952)

वेंकटरामन रामकृष्णन को वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए दिया गया है। वेंकटरामन तमिलनाडु के चिदंबरम में पैदा हुए थे। उन्होंने वर्ष 1971 में बड़ौदा के एम.एस. विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। उन्हें ओहियो विश्वविद्यालय से वर्ष 1971 में पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त हुई। उनका झुकाव भौतिकी से जीव विज्ञान की ओर हुआ और उन्होंने वर्ष 1976 से 1978 तक कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान स्नातक विद्यार्थी के रूप में रोडोस्पीन नामक अणु का अध्ययन किया।

कैलाश सत्यार्थी (जन्म 1954)

कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध तथा सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार की लड़ाई के लिए वर्ष 2014 का नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। उनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री तथा हाई वोल्टेज इन्जीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1980 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कैरियर को तिलांजलि देते हुए 'बचपन बचाओ' आन्दोलन की शुरुआत की। उन्होंने बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी किया। यह सभी बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए एकजुटता का विश्वस्तरीय अभियान था।

स्रोत : भारत- 2018

●

प्रमुख राष्ट्रीय पर्व एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस

दिनांक	दिवस का नाम
जनवरी 10	विश्व हास्य दिवस
जनवरी 12	राष्ट्रीय युवा दिवस
जनवरी 15	थल सेना दिवस
जनवरी 24	उ०प्र० दिवस
जनवरी 26	गणतंत्र दिवस
जनवरी 30	शहीद दिवस
फरवरी 24	सेंट्रल एक्साइज दिवस
फरवरी 28	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
मार्च 8	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
मार्च 15	विश्व विकलांग दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
मार्च 18	आर्डनेंस फैक्ट्री डे (भारत)
मार्च 21	विश्व वन्य दिवस
मार्च 21	विश्व रंगभेद समाप्ति के लिये दिवस
मार्च 22	विश्व जल दिवस
अप्रैल 5	नेशनल मैरिटाइम डे
अप्रैल 17	वर्ल्ड हीमोफीलिया डे
अप्रैल 18	वर्ल्ड हेरिटेज डे
	आजाद हिन्द फौज स्थापना दिवस
अप्रैल 21	सेक्रेट्रीज डे
अप्रैल 22	पृथ्वी दिवस
मई 1	श्रमिक दिवस
मई 3	अर्न्तराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस
मई का द्वितीय रविवार	माँ दिवस
मई 8	विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड रेड क्रास डे
मई 9	वर्ल्ड थैलेसीमिया डे
मई 11	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस
मई 13	इंटर्नेशनल नर्स डे
मई 15	अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस
मई 17	विश्व दूरसंचार दिवस
मई 24	कामनवेल्थ डे
मई 30	पत्रकारिता दिवस
मई 31	एंटी टोबैको डे
जून 4	अबोध बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
जून 5	विश्व पर्यावरण दिवस
जून 20	पिता दिवस
जून 21	अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस
जून 26	इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग

दिनांक	दिवस का नाम
जुलाई 11	विश्व जनसंख्या दिवस
जुलाई 22	राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस
जुलाई 28	वन महोत्सव दिवस
अगस्त 1	विश्व स्तन पान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस
अगस्त 6	हिरोशिमा दिवस (विश्व शान्ति दिवस)
अगस्त 9	भारत छोड़ो दिवस, नागासाकी दिवस
अगस्त 15	स्वतंत्रता दिवस
अगस्त 29	राष्ट्रीय खेल दिवस
सितम्बर 2	कोकोनट डे
सितम्बर 5	शिक्षक दिवस, संस्कृत दिवस
सितम्बर 8	विश्व साक्षरता दिवस
सितम्बर 14	हिन्दी दिवस
सितम्बर 16	वर्ल्ड ओजोन डे
सितम्बर 21	अल्जीमर डे, इंजीनियर्स डे
सितम्बर 22	रोज डे, कैंसर मरीज कल्याण दिवस
सितम्बर 27	विश्व पर्यटन दिवस
अक्टूबर 1	अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस
अक्टूबर 2	अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एवं गांधी जयंती
अक्टूबर 3	वर्ल्ड हैबिटेट डे
अक्टूबर 4	विश्व जंतु कल्याण दिवस
अक्टूबर 9	वर्ल्ड पोस्ट आफिस डे
अक्टूबर 10	राष्ट्रीय डाक दिवस
अक्टूबर 14	वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे
अक्टूबर 15	दृष्टिहीनों का मार्ग दर्शन दिवस
अक्टूबर 16	विश्व खाद्य दिवस
अक्टूबर 24	संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस
अक्टूबर 30	विश्व मितव्ययता दिवस
नवंबर 9	लीगल सर्विस डे
नवंबर 14	बाल दिवस
दिसंबर 1	विश्व एड्स दिवस
दिसंबर 4	जलसेना दिवस, विश्व विकलांग दिवस
दिसंबर 10	मानव अधिकार दिवस
दिसंबर 18	अल्पसंख्यक अधिकार दिवस (भारत)
दिसंबर 23	किसान दिवस
दिसंबर 25	क्रिसमस डे

स्रोत : मनोरमा इयर बुक

●

उ.प्र. विधानसभा की स्थायी समितियाँ

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं समाज कल्याण स्थायी समिति
2. सामान्य प्रशासन स्थायी समिति
3. लोक निर्माण स्थायी समिति
4. सिंचाई स्थायी समिति
5. विद्युत स्थायी समिति
6. शिक्षा स्थायी समिति
7. श्रम स्थायी समिति
8. वन स्थायी समिति
9. राजस्व स्थायी समिति
10. न्याय तथा विधान सम्बन्धी स्थायी समिति
11. कृषि स्थायी समिति
12. आबकारी स्थायी समिति
13. जेल स्थायी समिति
14. चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थायी समिति
15. स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी स्थायी समिति
16. सूचना स्थायी समिति
17. रसद स्थायी समिति
18. पुलिस स्थायी समिति
19. यातायात स्थायी समिति
20. उद्योग स्थायी समिति
21. विकास तथा नियोजन स्थायी समिति
22. सहकारी स्थायी समिति
23. महिला कल्याण एवं बाल विकास स्थायी समिति
24. प्रशिक्षण एवं सेवायोजन स्थायी समिति
25. बिक्री कर स्थायी समिति
26. पर्यटन स्थायी समिति
27. स्पोर्ट्स स्थायी समिति
28. क्षेत्रीय विकास स्थायी समिति
29. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग स्थायी समिति
30. पशुपालन स्थायी समिति

●

उ.प्र. सरकार द्वारा वर्ष 2018 में सम्मानित हिन्दी साहित्यकार एवं विद्वान

1. **भारत–भारती सम्मान– रु. 5.00 लाख** (रु. पांच लाख) डॉ. रमेश चन्द्र शाह, भोपाल
2. **लोहिया साहित्य सम्मान– रु. 4.00 लाख** (रु. चार लाख) श्री जयप्रकाश कर्दम, दिल्ली
3. **हिन्दी गौरव सम्मान– रु. 4.00 लाख** (रु. चार लाख) डॉ. रामदेव शुक्ल, गोरखपुर
4. **महात्मा गाँधी साहित्य सम्मान– रु. 4.00 लाख** (रु. चार लाख) डॉ. रामगोपाल शर्मा 'दिनेश', नोएडा
5. **पं. दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान– रु. 4.00 लाख** (रु. चार लाख) डॉ. धर्मपाल मैनी, गुरुग्राम, हरियाणा
6. **अवन्तीबाई साहित्य सम्मान– रु. 4.00 लाख (रु. चार लाख)** श्री शत्रुघ्न प्रसाद, पटना
7. **राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन सम्मान– रु. 4.00 लाख** (रु. चार लाख) श्री बड़ाबाजार कुमारसभा पुस्तकालय, कोलकाता
8. **साहित्य भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख) (1) डॉ. मथुरेश नन्दन कुलश्रेष्ठ, जयपुर, (2) डॉ. हरिमोहन मालवीय, इलाहाबाद, (3) डॉ. अमरनाथ सिन्हा, पटना, (4) आचार्य निशांत केतु, गुरुग्राम, हरियाणा, (5) श्री देवीसहाय पाण्डेय 'दीप', फैजाबाद, (6) श्री राम नरेश सिंह 'मंजुल', बस्ती, (7) डॉ. नन्दलाल मेहता 'वागीश', गुरुग्राम, हरियाणा, (8) डॉ. सत्यधर शुक्ल, लखीमपुर खीरी, (9) डॉ. रामबोध पाण्डेय, प्रतापगढ, (10) डॉ. रमेश चन्द्र शर्मा, कानपुर, (11) श्री राम सहाय मिश्र 'कोमल शास्त्री', अम्बेडकर नगर, (12) डॉ. सुन्दरलाल कथूरिया, नई दिल्ली, (13) डॉ. पशुपति नाथ उपाध्याय, अलीगढ़, (14) डॉ. ओमप्रकाश सिंह, रायबरेली, (15) डॉ. (श्रीमती) मिथिलेश दीक्षित, लखनऊ, (16) डॉ. चमनलाल गुप्त, शिमला, (17) श्री चन्द्र किशोर सिंह, उन्नाव, (18) डॉ. अनुज प्रताप सिंह, मीरजापुर, (19) डॉ. दीप्ति गुप्ता, पुणे, (20) श्री दयानन्द पाण्डेय. लखनऊ।
9. **लोक भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), श्री रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव 'जुगानी भाई, गोरखपुर
10. **कला भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. क्षेत्रपाल गंगवार, गाजियाबाद
11. **विद्या भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. कैलाश देवी सिंह, लखनऊ
12. **विज्ञान भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. गणेश शंकर पालीवाल, दिल्ली
13. **पत्रकारिता भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), श्री रमेश नैयर, रायपुर
14. **प्रवासी भारतीय हिन्दी भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. मृदुल कीर्ति, यू.एस.ए.
15. **बाल साहित्य भारती सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. शकुन्तला कालरा, दिल्ली
16. **मधुलिमये साहित्य सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. सुधाकर सिंह, फरीदाबाद
17. **पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी साहित्य सम्मान – रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. गोविन्द व्यास, नई दिल्ली
18. **विधि भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. विष्णु गिरी गोस्वामी, लखनऊ
19. **सौहार्द सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), (1) डॉ. अशोक प्रभाकर कामत, पुणे (मराठी), (2) डॉ. टी.वी. कट्टीमनी, अमरकंटक, म.प्र. (कन्नड़), (3) डॉ. बनारसी त्रिपाठी, गोरखपुर (संस्कृत), (4) डॉ. पी. माणिक्यांबा 'मणि', हैदराबाद (तेलुगू), (5) श्री विनोद बब्बर, दिल्ली (पंजाबी), (6) डॉ. एन.जी. देवकी, कोच्चि, केरल (मलयालम), (7) डॉ. ए.बी. साईं प्रसाद, बैंगलुरु (तमिल), (8) डॉ. विनोद कुमार गुप्त 'निर्मल विनोद', जम्मू–कश्मीर (डोगरी), (9) श्री मेयार सनेही 'शब्बीर हुसैन', वाराणसी (उर्दू), (10) श्री श्रीवत्स करशर्मा, कटक (उड़िया)।
20. **हिन्दी विदेश प्रसार सम्मान– रु. 2,00,000=00 (रु. दो लाख),** डॉ. अनिल प्रभा कुमार, यूएसए
21. **मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान– रु. 1,00,000=00 (रु. एक लाख)** (1) डॉ. वागीश दिनकर, पिलखुआ, (2) डॉ. अशोक कुमार दुबे, लखनऊ।

●

ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत उत्तर प्रदेश के प्रमुख रचनाकार

क्र. स.	रचनाकारों के नाम
1.	सुमित्रा नंदन पंत
2.	रघुपति सहाय 'फिराक' गोरखपुरी
3.	सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'
4.	महादेवी वर्मा
5.	नरेश मेहता
6.	अली सरदार जाफरी
7.	कुँवर नारायण
8.	सत्यव्रत शास्त्री
9.	अख़लाक मुहम्मद ख़ान 'शहरयार'
10.	अमरकांत
11.	श्री लाल शुक्ल
12.	केदारनाथ सिंह

यश भारती सम्मान

उ.प्र. के यश भारती सम्मान से सम्मानित महानुभावों का विवरण

क्र. स.	महानुभावों का नाम	सम्मानित वर्ष	विधा
1.	डॉ. हरिवंश राय बच्चन	1994-95	(कवि एवं साहित्यकार)
2.	डॉ. गोपाल दास नीरज	,,	(कवि)
3.	स्व. कैफी आज़मी	,,	(शायर)
4.	श्री मुजफ्फर अली	,,	(फिल्म निर्देशन)
5.	स्व. उस्ताद विस्मिल्ला खां	,,	(शहनाई)
6.	सुश्री गिरिजा देवी	,,	(गायन)
7.	पं. बिरजू महाराज	,,	(कथक)
8.	प्रो. राज बिसारिया	,,	(नाट्य निर्देशन)
9.	स्व. गुलाब बाई	,,	(नौटंकी)
10.	स्व. सितारा देवी	,,	(कथक)

11.	स्व. श्री बी. एम. शाह	,,	(नाट्य निर्देशन)
12.	स्व. श्री फिदा हुसैन नरसी	,,	(फारसी रंगमंच)
13.	स्व. श्री मोहन उप्रेती	,,	(लोक संगीत)
14.	स्व. श्री अवतार सिंह पवार	,,	(मूर्तिकला)
15.	स्व. श्री सतीश चन्द्रा	,,	(चित्रकला)
16.	पं. हरि प्रसाद चौरसिया	,,	(बांसुरी)
17.	स्व. श्री शेख शमशउद्दीन	,,	(जरी कसीदाकारी)
18.	सुश्री रूना बनर्जी	,,	(ग्रामीण महिला उत्थान)
19.	श्री अभिताभ बच्चन	,,	(फिल्म अभिनय)
20.	श्रीमती जया बच्चन	,,	(फिल्म अभिनय)
21.	मो. शाहिद	,,	(हाकी)
22.	सुश्री बछेन्द्री पाल	,,	(पर्वतारोहण)
23.	मो. ज़फर इकबाल	,,	(हाकी)
24.	श्री जसपाल राणा	,,	(शूटिंग)
25.	श्री राज बब्बर	,,	(फिल्म अभिनय)
26.	श्रीमती नादिरा राज बब्बर	1994-95	(नाट्य निर्देशन)
27.	श्री विशम्भर सिंह	,,	(कुश्ती)
28.	श्री पन्ने लाल यादव	,,	(कुश्ती)
29.	श्री रामाश्रय यादव	,,	(कुश्ती)
30.	स्व. श्री जनार्दन सिंह	,,	(कुश्ती)
31.	स्व. श्री बालेश्वर	,,	(भोजपुरी लोक गायन)
32.	श्रीमती शबाना आज़मी	,,	(फिल्म अभिनय)
33.	श्री मलखान सिंह	,,	(कुश्ती)
34.	श्री सुरेन्द्र पाल	,,	(अभिनय)
35.	सुश्री मिलन सिंह (भदौरिया)	,,	(गायन)
36.	सुश्री वन्दना बाजपेई	,,	(गायन)
37.	श्री शकील अहमद	,,	(हाकी)
38.	श्री रनवीर सिंह	,,	(वालीबाल)
39.	स्व. श्री लाल शुक्ल	2005-06	(साहित्य)
40.	पं. मुरारी लाल शर्मा	,,	(लोकनृत्य लोकगीत)
41.	श्री सुभाष वर्मा	,,	(पहलवानी)
42.	सुश्री काव्या गुप्ता	,,	(तैराकी)
43.	श्री देवेश चौहान	,,	(हाकी)
44.	स्व. गोपाल प्रसाद व्यास	,,	(साहित्य)
45.	स्व. ज्ञान चन्द्र जैन	,,	(पत्रकारिता)
46.	श्री अच्युतानंद मिश्र	,,	(पत्रकारिता)
47.	सुश्री मालिनी अवस्थी	,,	(गायन)
48.	श्री राज कुमार	,,	(पर्वतारोहण)

49.	श्री कुलदीप नैयर	,,	(पत्रकारिता)
50.	श्री सोम ठाकुर	,,	(कवि)
51.	स्व. बिली अर्जन सिंह	,,	(वन्य जीव संरक्षण)
52.	श्री राजपाल यादव	,,	(अभिनय)
53.	श्री जनार्दन सिंह यादव	,,	(कुश्ती)
54.	श्री हनुमान प्रसाद शर्मा	,,	(साहित्य)
55.	श्री चन्द्र विजय सिंह	,,	(कुश्ती)
56.	श्री उदय प्रताप सिंह	2006-07	(कवि)
57.	श्री अभिषेक बच्चन	,,	(फिल्म अभिनय)
58.	श्री शीतला सिंह	,,	(पत्रकारिता)
59.	श्री विजय कुमार	,,	(पत्रकारिता साहित्यकार)
60.	डॉ. विवेकी राय	,,	(साहित्यकार)
61.	डॉ. योगेश प्रवीन	,,	(साहित्यकार)
62.	स्व. श्री तालुकेदार यादव	,,	(पहलवान)
63.	श्री राजीव तोमर	,,	(पहलवान)
64.	श्री जगदीश कालीरमन	2006-07	(कुश्ती)
65.	श्री शौकिन्द्र तोमर	,,	(पहलवान)
66.	मोहम्मद कैफ	,,	(खेल)
67.	स्व. कमलेश्वर	,,	(कवि/साहित्यकार)
68.	स्व. डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी	,,	(कवि/साहित्यकार)
69.	स्व. कैलाश गौतम	,,	(कवि/साहित्यकार)
70.	स्व. डॉ. उर्मिलेश	,,	(कवि)
71.	पं. छन्नू लाल मिश्र	2012-13	(गायन)
72.	श्री अंशू तोमर	,,	(कुश्ती)
73.	श्री विवेक गुप्ता	,,	(हाकी)
74.	सुश्री डॉ. सरिता शर्मा	,,	(साहित्यकार)
75.	श्री सुरेश रैना	,,	(क्रिकेट)
76.	श्री नरसिंह यादव	,,	(कुश्ती)
77.	प्रो. सत्यमित्र दुबे	,,	(शिक्षा)
78.	श्री आमिर राजा हुसैन	,,	(शायर)
79.	डॉ. राम कृष्ण राजपूत	,,	(साहित्यकार)
80.	स्व. श्री राजेन्द्र यादव	,,	(साहित्यकार)
81.	श्री अभिजीत भट्टाचार्य	,,	(गायन)
82.	श्री मेवालाल यादव	,,	(कुश्ती)
83.	मो. जावेद अली	,,	(गायन)
84.	स्व. श्री मस्तराम कपूर	,,	(साहित्यकार)
85.	श्री जाहिद हसन वसीम बरेलवी	,,	(शायर)
86.	लोधी मो. शफी खां	2013-14	(साहित्य)

87. श्री हीरा लाल यादव	,,	(लोक गायन)
88. डॉ. जगदीश गांधी	,,	(शिक्षा)
89. श्री देवी प्रसाद पाण्डेय 'अडिग'	,,	(साहित्य)
90. प्रो. माता प्रसाद त्रिपाठी	,,	(साहित्य)
91. श्री अशोक कुमार सिंह	,,	(हाकी)
92. श्री वंश गोपाल यादव	,,	(आल्हा)
93. श्री अनूप जलोटा	,,	(गायन)
94. पं. राजन मिश्र एवं साजन मिश्र (संयुक्त)	,,	(शास्त्रीय गायन)
95. श्री रमेश भइया	,,	(समाज सेवा)
96. पं. विकास महाराज	,,	(सरोद)
97. श्री शीतला पाण्डेय उर्फ 'समीर'	,,	(फिल्म गीतकार)
98. श्री लाल बचन यादव	,,	(कुश्ती)
99. श्री मुनव्वर अंजार	,,	(जूडो)
100. सुश्री रेखा भारद्वाज	,,	(सुगम संगीत)
101. श्री धर्मेन्द्र यादव	,,	(मुक्केबाजी)
102. श्री भगत सिंह	2013-14	(कुश्ती)
103. श्री योगेन्द्र सिंह यादव	,,	(सैन्य सेवा)
104. श्री विजय पाल यादव	,,	(कुश्ती)
105. श्री राजेश कुमार यादव	,,	(नौकायन)
106. श्री अभिषेक यादव	,,	(मार्शलआर्ट)
107. सुश्री श्वेता प्रियदर्शनी	,,	(शतरंज)
108. मो. हमीदुल्लाह (हामिद हिन्दी)	2014-15	(साहित्य)
109. प्रो. रीता गांगुली	,,	(उपशास्त्रीय गायन)
110. श्री दर्शन सिंह यादव	,,	(समाज सेवा)
111. प्रो. भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी 'वागीश शास्त्री'	,,	(शिक्षा)
112. प्रो. हकीम सैय्यद जिल्लुर्रहमान	,,	(यूनानी चिकित्सा)
113. श्री जयकृष्ण अग्रवाल	,,	(ललित कला)
114. श्री विनोद मेहता	,,	(पत्रकारिता)
115. डॉ. उर्मिल कुमार थपलियाल	,,	(लोक रंगमंच साहित्य)
116. श्री रवीन्द्र जैन	,,	(संगीतकार)
117. श्री योगेश गौड़	,,	(गीतकार)
118. श्री टी. पी. त्रिवेदी	,,	(ज्योतिष विज्ञान)
119. श्री गिरधर लाल मिश्र	,,	(समाज सेवा)
120. श्री राज कुमार वर्मा	,,	(चित्रकार 'माइक्रो पेन्टिंग')
121. डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी	,,	(साहित्य)
122. श्री बुद्धि प्रकाश	,,	(योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा)
123. श्री विष्णु यादव	,,	(बिरहा गायन)
124. डॉ. कुमकुम धर	,,	(कथक)

125. श्री विष्णु सक्सेना	,,	(साहित्य)
126. सुश्री शुभा मुदगल	,,	(शास्त्रीय गायन)
127. श्रीकृष्ण कन्हाई व श्री गोविन्द कन्हाई	,,	(स्वर्ण चित्रकार)
128. डॉ. (प्रो.) सी. एस. यादव	,,	(चिकित्सा)
129. श्री राजकुमार	,,	(कुश्ती)
130. डॉ. आर. पी. सिंह	,,	(हाकी एवं फुटबाल)
131. डॉ. राकेश यादव	,,	(चिकित्सा)
132. श्री इफ्तेखार नदीम खान	,,	(कास्ट कला)
133. श्री जसजीत सिंह गिल 'जिम्मी शेरगिल'	,,	(अभिनेता)
134. श्री कैलाश खेर	,,	(सूफी गायन)
135. श्री राहत अली खान साबरी	,,	(ग़ज़ल गीत एवं सूफी गायन)
136. श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी	,,	(अभिनेता)
137. श्री अवनीश कुमार यादव	,,	(वालीबाल)
138. श्रीमती अलका तोमर	,,	(महिला कुश्ती)
139. सुश्री पूनम यादव	,,	(भारोतोलन)
140. सुश्री गीतांजलि शर्मा	2014-15	(नृत्य)
141. श्री खुशबीर सिंह शाद	,,	(शायर)
142. उस्ताद गुलशन भारती	2015-16	(गायन)
143. श्री वजीर अहमद खान	,,	(शतरंज)
144. सुश्री मनु कुमारी पाल	,,	(खेल)
145. मेजर अशोक कुमार सिंह	,,	(नौकायन)
146. श्री नरेन्द्र सिंह राणा	,,	(खेल)
147. श्री चक्रेश कुमार जैन	,,	(हस्तशिल्पी)
148. प्रो. कमला श्रीवास्तव	,,	(लोक संगीत)
149. सुश्री सुधा सिंह	,,	(एथलेटिक्स)
150. डॉ. नवाज देवबन्दी	,,	(शिक्षा)
151. श्रीमती कुमकुम आदर्श	,,	(कथक नृत्य)
152. प्रोफेसर गिरिजा शंकर	,,	(साहित्य)
153. अलीम उल्लाह सिद्दीकी	,,	(चित्रकार)
154. डॉ. सुभाष गुप्ता	,,	(चिकित्सा)
155. श्री अभिन्न श्याम गुप्ता	,,	(खेल)
156. श्री गोपाल चतुर्वेदी	,,	(साहित्य)
157. श्री इकबाल अहमद सिद्दीकी	,,	(ग़ज़ल गायन)
158. डॉ. (ब्रिगे.) टी. प्रभाकर	,,	(चिकित्सा)
159. श्री सर्वेश यादव	,,	(निशानेबाजी)
160. सुश्री स्थवी अस्थाना	,,	(घुड़सवारी)
161. श्री सुनील कुमार राणा	,,	(खेल)
162. श्री सुधीर मिश्रा	,,	(फिल्म निर्देशन)

163. श्री राजू श्रीवास्तव	,,	(हास्य कलाकार)
164. श्री जगबीर सिंह	,,	(हाकी)
165. सुश्री अरूणिमा सिन्हा	,,	(पर्वतारोहण)
166. सुश्री सुरभि रंजन	,,	(गायन)
167. प्रो. रवि कान्त	,,	(चिकित्सा)
168. श्री लाल जी यादव	,,	(कुश्ती)
169. श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ'	,,	(अभिनय)
170. श्री अनुज चौधरी	,,	(खेल)
171. श्री अनुराग कश्यप	,,	(फिल्म निर्देशन एवं निर्माण)
172. श्री विजय सिंह चौहान	,,	(एथलेटिक्स)
173. सुश्री नाहिद आबिदी	,,	(साहित्य)
174. उस्ताद गुलाम मुस्तफा खाँ	,,	(गायन)
175. श्रीमती सीमा पुनिया	,,	(एथलेटिक्स)
176. श्री मधुकर त्रिवेदी	,,	(पत्रकारिता/साहित्य)
177. श्री अंकित तिवारी	,,	(गायन)
178. मोहम्मद इमरान खान	2015-16	(कवि/शायर)
179. श्री रूद्र प्रताप सिंह	,,	(क्रिकेट)
180. श्री विशाल भारद्वाज	,,	(फिल्म निर्देशन, निर्माण एवं संगीत निर्देशन)
181. श्री अनवर अहमद (अनवर जलालपुरी)	,,	(साहित्य)
182. श्री हेमन्त शर्मा	,,	(पत्रकारिता)
183. श्रीमती अपर्णा कुमार	,,	(पर्वतारोहण)
184. डॉ. सुनील जोगी	,,	(साहित्य)
185. प्रो. अशोक चक्रधर	,,	(साहित्य)
186. डॉ. नरेश त्रेहन	,,	(चिकित्सा)
187. प्रो. इरफान हबीब	,,	(शिक्षा)
188. बेगम हमीदा हबीबुल्लाह	2016-17	(समाज सेवा)
189. श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी	,,	(साहित्य)
190. सुश्री कमर रहमान	,,	(विज्ञान)
191. डॉ. (श्रीमती) सबीहा अनवर	,,	(साहित्य)
192. सुश्री पद्मा गिडवानी	,,	(गायन)
193. श्री संतोष आनन्द	,,	(फिल्म गीतकार)
194. उस्ताद गुलफाम अहमद	,,	(रबाब वादन)
195. डॉ. अनिल कुमार रस्तोगी	,,	(अभिनय)
196. श्री केवल कुमार	,,	(संगीत निर्देशन एवं गायन)
197. पं. विश्वनाथ	,,	(शास्त्रीय संगीत)
198. ले. जनरल अनिल चैत	,,	(सैन्य सेवा)
199. डॉ. सैय्यद मुहम्मद हस्सान	,,	(यूनानी चिकित्सा एवं अनुसंधान)

200. श्री राजकृष्ण मिश्र	,,	(साहित्य)
201. श्री सौरभ शुक्ला	,,	(फिल्म निर्देशन/अभिनय)
202. श्री अनुभव सिन्हा	,,	(फिल्म निर्देशन)
203. नवाब जाफर मीर अब्दुल्लाह	,,	(हस्त शिल्पकला एवं संस्कृति)
204. डॉ. रतीश चन्द्र अग्रवाल	,,	(चिकित्सा)
205. श्री राजेन्द्र सिंह	,,	(जल संरक्षण)
206. सुश्री सुमोना चक्रवर्ती	,,	(अभिनय)
207. सुश्री अनुपमा राग	,,	(संगीत निर्देशन/गायन)
208. सुश्री सोनी चौरसिया	,,	(कथक नृत्य)
209. श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय	,,	(क्रिकेट)
210. श्री प्रवीन कुमार	,,	(क्रिकेट)
211. श्री पियूष चावला	,,	(क्रिकेट)
212. श्री भुवनेश्वर कुमार	,,	(क्रिकेट)
213. श्री मनोज मुन्तशिर	,,	(फिल्म गीतकार एवं पटकथा लेखन)
214. प्रो. (डॉ.) गौरदास चौधरी	,,	(चिकित्सा)
215. प्रो. राकेश कपूर	2016-17	(चिकित्सा)
216. डॉ. दीपक कुमार अग्रवाल	,,	(चिकित्सा)
217. डॉ. राम रतन बनर्जी	,,	(चिकित्सा)
218. डॉ. आलोक पारीक	,,	(होम्योपैथी चिकित्सक)
219. शेफ गुलाम मोइनुद्दीन कुरैशी	,,	(पाकशास्त्र)
220. श्री गुलाम शर्फुद्दीन अंसारी उर्फ गुलामन	,,	(निर्यातक एवं उद्योगपति)
221. प्रो. (डॉ.) राम मोहन पाठक	,,	(पत्रकारिता एवं शिक्षण)
222. साबरी बन्धु (आफताब-हाशिम)	,,	(कव्वाली गायन)
223. श्री मोहम्मद असलम वारसी	,,	(सूफी गायन)
224. श्री ओमा उपाध्याय	,,	(ज्योतिष)
225. श्री दीपराज राणा	,,	(फिल्म अभिनय)
226. श्री फारूक अहमद	,,	(समाज सेवा)
227. श्री योगेश मिश्र	,,	(पत्रकारिता)
228. श्री काशीनाथ यादव	,,	(भोजपुरी लोक गायन)
229. श्री वेंकट चंगावली	,,	(समाज सेवा)
230. सुश्री सुमन यादव	,,	(खेल)
231. श्री अर्जुन वाजपेई	,,	(पर्वतारोहण)
232. सुश्री गार्गी यादव	,,	(कुश्ती)
233. श्री राम मिलन यादव	,,	(कुश्ती)
234. डॉ. रमाकान्त यादव	,,	(चिकित्सा)
235. श्री अशोक निगम	,,	
236. श्री आत्म प्रकाश मिश्र	,,	(दूरदर्शन)
237. पं. हरि प्रसाद मिश्र	,,	(ज्योतिष विशेषज्ञ एवं राज पुरोहित)

238. डॉ. शादाब रूदौलवी	”	(शायर)
239. श्री सर्वेश कुमार अस्थाना	”	(साहित्य)
240. श्री रवि कपूर	”	(फोटोग्राफी)
241. डॉ. शिवानी मातनहेलिया	”	(शास्त्रीय संगीत)
242. पं. राम कुमार मिश्र	”	(शास्त्रीय संगीत)
243. श्री कमाल खान	”	(गायन)
244. श्री विजय शेखर शर्मा	”	(मोबाइल बैंकिंग)
245. श्री माहेश्वर तिवारी	”	(साहित्य)
246. श्री नूर अलस्सबा	”	(चित्रकला)
247. उस्ताद नाजिर हुसैन	”	(शास्त्रीय संगीत)
248. डॉ. सैय्यद मोहम्मद बशीर बद्र	”	(शायरी)
249. श्री मरिन्दर कुमार मिश्रा	”	(लेखन)
250. श्री वरूण सिंह भाटी	”	(पैरा एथलेटिक्स)
251. लेफ्टिनेन्ट जनरल ए. के. सिंह	”	(सैन्य सेवा)
252. डॉ. मन्सूर हसन	”	(चिकित्सा)
253. श्री रामेश्वर नाथ मिश्र	2016-17	(समाज सेवा)
254. श्री अतुल तिवारी	”	(फिल्म/नाट्य लेखन एवं अभिनय के क्षेत्र में)
255. श्री दीन मुहम्मद दीन	”	(साहित्य)
256. श्री प्रमोद कुमार सिंह चौधरी	”	(समाज सेवा)
257. सुश्री रचना गोविल	”	(खेल-शूटिंग)
258. श्री सुहास एल. वाई.	”	(खेल-बैडमिन्टन)
259. श्री अब्बास रज़ा नैय्यर	”	(साहित्य)
260. सुश्री अर्चना सतीश	”	(कला)
261. श्री मुराद अली खान	”	(खेल-निशानेबाजी)
262. सुश्री शिखा	”	(दूरदर्शन)
263. श्री ब्रायन साइलस	”	(पियानो वादन)
264. श्री गौरव खन्ना	”	(खेल-बैडमिन्टन)
265. सुश्री ऋचा जोशी	”	(लोक गायन)
266. मो. वसी खान अहमद	”	(शारीरिक सौष्ठव)
267. मास्टर दविन्दर सिंह	”	(संगीत)
268. श्री आनन्देश्वर पाण्डेय	”	(खेल)
269. डॉ. राम सिंह यादव	”	(लेखन और पत्रकारिता)

●

उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित वेबसाइट्स

उत्तर प्रदेश सरकार की नोडल वेबसाइट	**up.gov.in**
मुख्यमंत्री कार्यालय	**upcmo.up.nic.in**
कृषि उत्पादन आयुक्त	**krishiutpadan.up.nic.in**
महालेखाकार (ए.जी.यू.पी)	**agup.nic.in**
लोक आयुक्त उ.प्र.	**lokayukta.up.nic.in**
नियुक्ति विभाग	**niyuktionline.up.nic.in**
वित्त विभाग	**finance.up.nic.in**
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	**ceouttarpradesh.nic.in**
नियोजन विभाग	**planning.up.nic.in**
ग्रेटर नोयडा इन्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट अथारिटी	**greaternoida.com**
विकास प्राधिकरण, लखनऊ	**ldaonline.in**
जल संस्थान, लखनऊ	**jklmc.gov.in**
नगर निगम, लखनऊ	**lmc.up.nic.in**
नोयडा अथारटी	**noidaauthorityonline.com**
नेडा	**upneda.org.in**
पी.सी.एफ.	**uppcf.org**
पिकप	**picupindia.com**
उद्योग बन्धु	**udyogbandhu.com**
भूमि सुधार निगम	**upbsn.org**
वित्त निगम (यू.पी.एफ.सी)	**upfcindia.com**
उ.प्र. आवास विकास परिषद	**upavp.in**
उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	**upkvib.gov.in**
परती भूमि विकास विभाग	**upldwr.up.nic.in**
राजकीय निर्माण निगम	**uprnn.co.in**
बीज विकास निगम	**upbvn.org**
यू.पी.एस.आई.डी.सी.	**upsidc.com**
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	**upslsa.up.nic.in**
पर्यटन	**uptourism.gov.in**
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	**fcsup.nic.in**

वन विभाग	**upforest.gov.in**
खनन निदेशालय	**mineral.up.nic.in**
विकलांग कल्याण विभाग	**uphwd.gov.in**
गृह विभाग	**uphome.gov.in**
आवास विभाग	**awas.up.nic.in**
औद्योगिक विकास	**onlineupsidc.com**
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	**information.up.nic.in**
सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स	**upite.gov.in**
सिंचाई	**idup.gov.in**
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	**uphealth.up.nic.in**
लोक निर्माण विभाग	**uppwd.gov.in**
ग्राम्य विकास	**rd.up.nic.in**
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	**upred.gov.in**
सार्वजनिक उद्यम	**sarvjanikudyam.up.nic.in**
वाणिज्य कर विभाग	**comtax.up.nic.in**
बाल विकास परियोजना परिषद	**icdsupweb.org**
परिवहन	**uptransport.org**
कोषागार	**upkosh.up.nic.in**
पुलिस विभाग	**uppolice.gov.in**
बजट	**budget.up.nic.in**
सतर्कता विभाग	**vigilance.up.nic.in**
उ.प्र. हिन्दी संस्थान	**uphindisansthan.in**
सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश (न्यूज पोर्टल)	**upnews360.in**
सी.एम. पोर्टल (जनसुनवाई)	**jansunwai.up.nic.in**
यू.पी. पुलिस (वूमेन पावरलाइन)	**1090up.in**
अप्रवासी भारतीय	**upnri.com**

●

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के प्रकाशन

क्र.स.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	मूल्य
1.	उर्दू हिन्दी शब्दकोश	मु.मु. मद्दाह	353=00
2.	हिन्दू धर्म कोश	डॉ. राजबली पाण्डेय	345=00
3.	भारतीय ज्योतिष	अनु. श्री शिवनाथ झारखण्डी	300=00
4.	भारतीय ज्योतिष का इतिहास	डॉ. गोरख प्रसाद	70=00
5.	महाकवि खुसरो	अनु. अब्दुल सत्तार	100=00
6.	कबीर	डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी	40=00
7.	रहीम	डॉ. भालचन्द्र तिवारी	135=00
8.	गोस्वामी तुलसीदास	डॉ. रामचन्द्र तिवारी	50=00
9.	संत रविदास	श्री वीरेन्द्र पाण्डेय	45=00
10.	गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की लोकप्रिय कहानियाँ	अनु. माधवी बन्धोपाध्याय	115=00
11.	लक्ष्मीकांत वर्मा	डॉ. राजकुमार शर्मा	140=00
12.	विजय सिंह 'पथिक'	श्री राजकुमार भाटी	77=00
13.	रमई काका	डॉ. रामबहादुर मिश्र	85=00
14.	सुदामा पाण्डेय 'धूमिल'	डॉ. रमेश प्रताप सिंह	155=00
15.	मीराबाई	डॉ. सुधाकर अदीब	100=00
16.	शिशुपाल सिंह 'शिशु'	श्री लाखन सिंह भदौरिया	150=00
17.	रामावतार त्यागी	श्री केशव प्रसाद बाजपेयी	105=00
18.	लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक'	डॉ. गोपाल कृष्ण शर्मा	130=00
19.	त्रिलोचन शास्त्री	डॉ. भारतेन्दु मिश्र	105=00
20.	घाघ और भड्डरी की कहावतें	डॉ. रमेश प्रताप सिंह	60=00
21.	हिन्दी में पट्कथा लेखन	डॉ. जाकिर अली 'रजनीश'	150=00
22.	दृश्य कला कोश	डॉ. ह्रदय गुप्त	185=00
23.	भारतीय शैक्षिक विचारक	डॉ. रश्मि श्रीवास्तव	245=00
24.	प्राकृतिक चिकित्सा	डॉ. पी.डी. मिश्र एवं डॉ. बीना मिश्र	180=00
25.	ऑस्टिटोपोरोसिस	प्रो. अजय सिंह	65=00
26.	एनीमिया : कुछ रोचक जानकारियाँ	डॉ. ए.के. त्रिपाठी	50=00
27.	खर्राटे हैं खतरनाक	डॉ. सूर्यकान्त/डॉ. अभिषेक दुबे	82=00
28.	प्रेरक लघु कथाएँ	डॉ. ए.के. अग्रवाल	165=00
29.	बालगीत साहित्य (इतिहास एवं समीक्षा)	निरंकार देव सेवक	245=00
30.	और हमने कर दिखाया	श्री प्रेमेन्द्र श्रीवास्तव	60=00
31.	स्वतंत्र दिल्ली	डॉ. सैयद अतहर अब्बास रिजवी	165=00
32.	मानव शरीर की अस्थियाँ	डॉ. विपिन चतुर्वेदी	310=00
33.	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	डॉ. शीतला प्रसाद वर्मा	130=00
34.	निराला समग्र	प्रो. सूर्यप्रसाद दीक्षित	90=00
35.	रामचंद्र शुक्ल	सम्पा. प्रो. सत्यदेव मिश्र	15=00
36.	राष्ट्रकवि सोहन लाल द्विवेदी	डॉ. राष्ट्रबन्धु	40=00
37.	बाबा नागार्जुन	डॉ. सुरेश चन्द्र गुप्त	72=00
38.	राष्ट्रकवि दिनकर	डॉ. यतीन्द्र तिवारी	65=00
39.	चंदवरदाई	डॉ. सुमन राजे	50=00
40.	पालि त्रिपिटक में राजनय	डॉ. शिवनन्दन मिश्र	120=00
41.	आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी	डॉ. रामेन्द्र पाण्डेय	50=00
42.	महादेवी वर्मा	डॉ. उपेन्द्र	70=00
43.	पाश्चात्य दर्शन	डॉ. ब्रह्मस्वरूप अग्रवाल	100=00
44.	चार्वाक दर्शन	आचार्य आनन्द झा	150=00
45.	भारतीय दर्शन	श्री उमेश मिश्र	190=00
46.	पश्चिमी दर्शन	डॉ. दीवान चन्द्र	75=00

47.	समकालीन भारतीय दर्शन	डॉ. लक्ष्मी सक्सेना	200=00
48.	कांट का दर्शन	प्रो. सभाजीत मिश्र	120=00
49.	नीति विज्ञान के मूल सिद्धान्त	डॉ. लक्ष्मी सक्सेना	96=00
50.	भारतीय दर्शन	डॉ. देवराज	120=00
51.	समकालीन पाश्चात्य दर्शन	डॉ. लक्ष्मी सक्सेना	130=00
52.	अवधी वृहत लोकोक्ति कोश	कमला शुक्ला	300=00
53.	भारतीय इतिहास कोश	सच्चिदानन्द भट्टाचार्या एवं श्री के.वी. माथुर तथा डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय	170=00
54.	भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में हिन्दी कवियों का योगदान	सम्पा. डॉ. मंजु लता तिवारी	196=00
55.	उर्दू भाषा और साहित्य	रघुपति सहाय 'फिराक'	60=00
56.	संस्कृत आलोचना	पं. बलदेव उपाध्याय	100=00
57.	प्रसाद समग्र	डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित	75=00
58.	समाजकार्य	प्रोफेसर राजाराम शास्त्री	150=00
59.	सामाजिक वैयक्तिक सेवाकार्य	डॉ. पी.डी. मिश्र	150=00
60.	समाजकार्य एक समग्र दृष्टि	डॉ. बालेश्वर पाण्डेय	470=00
61.	भारत का समाजशास्त्र	प्रो. जयकान्त तिवारी	120=00
62.	असामान्य व्यवहार	डॉ. पी.डी. मिश्र	235=00
63.	समाजकार्य के क्षेत्र	श्री गिरीश कुमार	210=00
64.	बाल व्यवहार व्यतिक्रम	डॉ. श्याम बिहारी सिंह	50=00
65.	समाज और राजनीति का दार्शनिक अध्ययन	डॉ. ज्ञान्नजेय द्विवेदी	215=00
66.	भारतीय वास्तुकला का इतिहास	श्री कृष्णदत्त वाजपेई	195=00
67.	उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास	डॉ. विशुद्धानन्द पाठक	200=00
68.	विश्व इतिहास	डॉ. रामप्रसाद त्रिपाठी	75=00
69.	पश्चिमी एशिया	डॉ. के.के. कौल	170=00
70.	देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक	श्री भगवती प्रसाद पांथरी	120=00
71.	भारत का सांस्कृतिक इतिहास	डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय	80=00
72.	प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास	डॉ. विशुद्धानन्द पाठक	72=00
73.	डॉ. रामकुमार वर्मा रचनावली (आठ खण्डों में)	सम्पा. डॉ. राजलक्ष्मी वर्मा	3000=00
74.	अवधी कोश	सम्पा. स्व. प्रो. सरयू प्रसाद अग्रवाल एवं स्व. प्रो. भगवती प्रसाद सिंह	370=00
75.	प्राचीन भारतीय अभिलेख	डॉ. दिनेश चन्द्रा	110=00
76.	दक्षिण भारतीय संस्कृति	डॉ. विशुद्धानन्द पाठक	165=00
77.	आधुनिक भारत का इतिहास	डॉ. जगन्नाथ मिश्र	145=00
78.	सिंधु सभ्यता	डॉ. के.के. थपल्याल	200=00

'साहित्य भारती' (त्रैमासिक पत्रिका) प्रति अंक मूल्य रु. 25=00
वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. 100=00
आजीवन सदस्यता शुल्क रु. 3000=00

'बच्चों की प्रिय पत्रिका बालवाणी' (द्वैमासिक पत्रिका) प्रति अंक मूल्य रु. 15=00
वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. 80=00
आजीवन सदस्यता शुल्क रु. 1000=00

कृपया संस्थान के अधिक से अधिक प्रकाशन क्रय करके राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें।

सम्पर्क सूत्र :– **निदेशक,**
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान,
6, महात्मा गांधी मार्ग, हज़रतगंज, लखनऊ–226001
दूरभाष नं0–0522–2614470, 2614471
ई–मेल : directoruphindi@yahoo.in वेबसाइट : www.uphindisansthan.in